


विविध प्रसंग



२

सकलन और
रूपांतर

अमृतराय

ॐ प्रकाश-
इ ला हा बा द



(८) अमृतराय

प्रकाशन

हंस प्रकाशन, इलाहाबाद

मुद्रक

भार्गव प्रेस, इलाहाबाद

आवरण-सज्जा

कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव

प्रथम संस्करण

प्रेमचंद स्मृति दिवस १९६७

₹
मूल्य बीस रुपया १

भूमिका

सब जानते हैं, प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू से किया था। बरसों केवल उर्दू में लिखते रहने के बाद वह हिन्दी की तरफ आये। उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी ही, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति से संबंध रखनेवाले विविध प्रसंगों पर ढेरों लेख भी लिखे। इस प्रकार के लेखन का उनका क्रम आजीवन चला और मुंशीजी के पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व और देन को समझने के लिए उसका महत्व मुंशीजी के कथा-साहित्य से अगुभात्र कम नहीं है।

इस खजाने की तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था, और शायद इन पंक्तियों के लेखक का भी न जाता अगर मुंशीजी की प्रामाणिक जीवन लिखने के तकाजे ने उसे मजबूर न किया होता कि वह उन सब चीजों की छान-बीन करे जो-जो मुंशीजी ने जब-जब और जहाँ-जहाँ लिखी। पुरातत्व-विभाग की इसी खुदाई में यह दफीना हाथ लग गया !

यह लगभग सोलह सौ पृष्ठों की सामग्री है जो 'त्रिविध प्रमग' के तीन खण्डों में दी जा रही है।

पहले खण्ड में १९०३ से लेकर १९२० तक के लेख और समीक्षाएँ हैं काल अनुक्रम से। 'तुर्कों में वैधानिक राज्य' शीर्षक लेख भूल से गलत जगह पर-लग गया है।

दूसरे और तीसरे खण्ड में १९२१ से लेकर १९३६ तक के लेख, टिप्पणियाँ और समीक्षाएँ हैं जिनको 'राष्ट्रीय राजनीति' 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' 'हिन्दू-मुसलमान' 'छूत-अछूत' 'किसान-मजूर' 'साहित्य-दर्शन' 'धर्म-समाज' 'महिला, जगत्' 'समीक्षाएँ' 'श्रद्धाजलियाँ' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत विषय-क्रम से प्रस्तुत करना अधिक सार्थक जान पड़ा।

छोटी टिप्पणियों को भी हमने वही स्थान दिया है जो बड़े लेखों को, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंशीजी ने उन्हें लिखा है बल्कि इसलिए कि वह देखने में चाहे जितनी छोटी हो पर घाव गहरा करती हैं। अपने उस छोटे-से कलेवर में भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

समीक्षाएँ कुछ छोड़ दी गयी हैं। जो दी जा रही हैं, उनमें दो प्रकार की समीक्षाएँ हैं। कुछ तो बहुत जानी-मानी पुस्तकों की समीक्षाएँ हैं। उनके संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ अज्ञात-सी पुस्तकों की समीक्षाएँ हैं। उनको देना इसलिए जरूरी समझा गया कि उन पुस्तकों को निगित्त बनाकर मुंशीजी ने अपनी कोई बात कहनी चाही है।

‘विविध प्रसंग’ के पहले खण्ड में अधिकांश लेख उर्दू के प्रसिद्ध पत्र ‘जमाना’ से लिये गये हैं जिससे मुंशीजी का आजीवन बहुत आत्मीय संबंध रहा। ‘जमाना’ की पूरी फाइल किसी एक जगह नहीं मिल सकी—‘जमाना’ के अपने घर में भी नहीं। इस कमी को लखनऊ विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संग्रहों से काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, तो भी कुछ अंक छूट गये जो शायद आगे कभी मिले। इस खोज में उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर एहतेशाम हुसेन, जो सम्प्रति प्रयाग विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं, और डाक्टर कमर रईस से, जिन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों पर काम करके डास्टरेट ली है और जो इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यापक हैं, बहुत मदद मिली है और मैं हृदय से उनका आभारी हूँ।

इस अवधि में मुंशीजी ने ‘जमाना’ के अलावा और भी अनेक उर्दू पत्रों में, जैसे मौलाना मुहम्मद अली के ‘हमदर्द’ और ‘इस्तयाज अनी ताज’ के ‘कहकशां’ ‘जमाना’ आफिस से ही निकलनेवाले साप्ताहिक ‘आजाद’ और चक्रवर्त के मासिक पत्र ‘सुबहे उम्मीद’ में काफी नियमित रूप से लिखा। दुर्भाग्यवश अब तक उनकी और दूसरे अनेक उर्दू पत्रों की फाइलें नहीं मिल सकी हैं जिनको देखना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि उनमें कहानियों के साथ-साथ यदा-कदा कुछ लेख होने की भी पूरी संभावना है। बहरहाल, उर्दू पत्रों की तलाश और इजानगीन का यह काम लंबा है और काफी दिनों तक चलते रहना होगा।

‘रफ्तारे जमाना’ के नाम से एक स्थायी स्तंभ मुंशीजी ने ‘जमाना’ में बहुत असें तक लिखा, लेकिन बदकिस्मती से उस पर मुंशीजी का नाम नहीं जाना था और कब से कब तक यह स्तंभ उनके हाथ में रहा, इसका भी कहीं कोई संकेत नहीं मिलता। १९३८ में जब ‘जमाना’ का प्रेमचंद-स्मृति अंक निकला था, तभी जमाना-संपादक मुंशी दयानारायण निगम के लिए यह बतलाना असंभव हो गया था कि प्रेमचंद के लिखे हुए ‘रफ्तारे जमाना’ के कालम कौन से हैं, अब तो इसकी पड़ताल का कोई सवाल ही नहीं उठता। असहयोग के दिनों में, नौकरी छोड़ने के ठीक पहले, मुंशीजी ने तालीमी नान-कोआपरेशन पर एक लेख लिखा था पर वह अब तक कहीं मिला नहीं।

उर्दू के इन सब लेखों को ज्यो का त्यो छाप देना हिन्दी पाठकों के लिए बहुत कठिनाई उपस्थित करता इसलिए उनका हिन्दी रूपान्तर जरूरी हो गया ।

हाँ, रूपान्तर करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मुंशीजी की भाषा और शैली की पूरी तरह रक्षा हो और केवल ऐसे ही शब्द और वाक्यांश बदले जायँ जिनको बदले बिना काम न चलता हो ।

‘विविध प्रसंग’ के दूसरे और तीसरे खण्डों में मूल हिन्दी सामग्री है । कुछ फुटकर लेख और टिप्पणियाँ और समीक्षाएँ माधुरी, चाँद, मर्यादा, स्वदेश आदि पत्रों से ली गयी है (जिसका संकेत भी लेख के अंत में दे दिया गया है) लेकिन अधिकांश सामग्री ‘हंस’ और ‘जागरण’ से संकलित है । मासिक पत्र होने के नाते, ‘हंस’ से ली गयी सामग्री के अंत में केवल महीना और सन मिलेगा, ‘जागरण’ साप्ताहिक था, उसमें तारीख भी मौजूद है ।

‘हंस’ और ‘जागरण’ की इस सामग्री के लिए मैं पंडित विनोद शंकर व्यास का अनन्य आभारी हूँ जिन्होंने अपनी जतन से रखी हुई फाइलें मुझे सौंपकर इस कार्य को संभव बनाया । जहाँ तक मैं जानता हूँ, ‘हंस’ और ‘जागरण’ की पूरी फाइलें, विशेषतः ‘जागरण’ की, और कहीं भी उपलब्ध नहीं है । उनके सौहार्द और सहयोग से ही प्रेमचंद का यह तेजस्वी पत्रकार का रूप हिन्दी सप्ताह के सामने प्रस्तुत करना संभव हो रहा है ।

इस लंबे शोध-कार्य में, जिसका सूत्रपात जीवनी लेखन से हुआ, भाई महादेव साहा की निरंतर प्रेरणा का मैं कितना ऋणी हूँ, इसकी स्वीकृति शब्दों से नहीं, मौन से ही की जा सकती है ।

भाई श्रीनाथ पारडेय ने कुछ लेख कलकत्ते से ढूँढ़कर भेजे । मैं उनका आभारी हूँ ।

दूसरे भी कई मित्रों का मुक्त सहयोग मुझे इस कार्य में मिला है । उन सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

अमृत राय

राष्ट्रीय रंगमंच स्वाधीनता-संग्राम १७-२८३

स्वदेश का सदेश-१९, वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में रुकावटें-२२, नया वर्ष-३४, विभाजक रेखा-३६, स्वराज से किमका ग्रहित होगा-४१, आजादी की लडाई-४५, दमन-५३, डडा-५७, अगर तुम न्नीय हो-६२, स्वराज्य संग्राम में किसकी विजय हो रही है-६३, पिकेटिंग आडिनेन्स-६७, स्वराज्य आन्दोलन पर आक्षेप-७१, बम्बई के एक मजिस्ट्रेट का भ्रम-७२, काँग्रेस जिदावाद-७२, काँग्रेस-७४, स्वराज्य मिलकर रहेगा-७५, गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है-७६, देश की वर्तमान परिस्थिति-७८, महात्मा जी की विजय-यात्रा-८०, नया प्रेम विल-८२, सरकारी खर्च में किकायत-८३, बगाल आडिनेन्स-८५, गोलमेज सभा का विमर्जन-८५, दमन की सीमा-८७, अछूतपन मिटता जा रहा है-९३, पर्दा थोड़े दिनों का मेहमान है-९३, मि० एच० एन० ब्रेतमफोर्ड के भारतीय अनुभव-९४, आडिनेन्स-विल का एमेम्बली में विरोध-९८, नवयुग-९८, पजाब पुनीम विभाग की रिपोर्ट-१०१, पुनीम-प्रशमा-१०२, हवाई जहाज से गोलावारी-१०२, बेगम आलम की ओजस्विनी अपील-१०३, आडिनेन्स की अवधि-१०४, पूना का ईसाई-मम्मेलन-१०५, प्रान्तीय कौमिलो में दूसरा मेम्बर-१०६, महात्माजी की स्वाधीनता-१०७, बर्मा में राष्ट्रीयता की विजय-१०८, राष्ट्र सत्र पर डा० पराजपे का भाषण-१०८, आडिनेन्स विल पास-१०९, इंग्लैंड का विश्वासी पुनीममैन-१०९, बगाल में प्रातकवाद-११०, गोलमेज में क्या हो रहा है-११०, लदन में क्या होगा-११०, गोलमेज सभा का विमर्जन-११३, गोलमेज का मसिया-११६, भारत अपना निर्यात खुद करेगा-११९, तीमरी गोलमेज की रिपोर्ट-१२०, नये-नये सूबों की सनक-१२२, १९३२-१२४, काले कानूनो का व्यवहार-१२८, क्या कटौतियों को प्रहाल किया जायगा?-१२८, देसी रजवाडे-१२९, अलवर-१२९, महाराजा अलवर का मेमोरियल-१३०, बगर का गुआमला-१३०, अलवर नरेश-१३०, महाराजा अलवर का मन्याम-१३२, रियासतो का सरक्षण एक्ट-१३३, हमारे देशी नरेशों का पतन-१३३, भावुआ नरेश का निर्वासन-१३४, बर्मा-सम्बन्धी निर्यात-१३५, बर्मा का पृथक्करण-१३७, बर्मा की असली आवाज-१३७, मार्च का बजट-१३८ महात्मा जी का पत्र-१४०, राजनैतिक नेताओं की रिहार्ड-१४१, सर तेज का मत-१४२, प्लाइट पेपर का मसविदा-१४२, सर सेम्युएल का उत्तर-१४४, कलकत्ता काँग्रेस-१४५, एसेम्बली की अवधि-१४५, आनेवाला श्वेत पत्र-१४७, सादा और सफेद-१४९, सफेद कागज पर अभी और भी

मफेदी चढेगी-१५१, अविश्वाम-१५२, भारत के विकृत प्रचार-१५५, आर्थिक स्वराज्य-१५६, हमारी गुलामी बढेगी-१५७, रिजर्व-बैंक-१५९, जापान के माल का बहिष्कार-१६१, मिमेज सुव्वागोया का वक्तव्य-१६२, महात्मा जी का सफल तप-१६३, महात्मा जी की अपील पर सरकार का जवाब-१६३, दक्षिण-अफ्रिका का नया चुनाव-१६४, मित्रिल मंत्रिम-१६५, मन्त्राग्रह-१६५, श्री सम्पूर्णानन्द जी-१६९, चिटगाव में सैनिक बर्बरता-१६९, अडमान के कैदी-१७०, कालेपानी के राजनैतिक कंदियों की मौत-१७०, गवर्नमेंट के लिए एक नया अवरमर-१७१, अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्नर बगाल के नाम-१७२, श्वेत पत्र का कजबटिव विरोध-१७३, अडमान कंदियों का दूमरा जन्मा-१७४, भारत में अग्नेजी बैंको के अन्धा-धुन्ध नफे-१७४, भारत की चादी अमेरिका को-१७५, फिर वही शतादत्ते-१७५, सुदिन ग्रथवा कुदिन-१७६, वीरे की भैम-१७६, अडमान के कैदी-१८०, राष्ट्र के नेताओं में वर्तमान समस्या पर विचार-१८० नेता-सम्मेलन-१८०, पुलीस का काम हवाई जहाजों की बम-बर्षा में-१८१, नयी परिस्थिति-१८२, आठ करोड़ का रज-१८५, ग्रानेवाला विधान ग्रंथ मिनिसटर-१८६, भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव-१८७, हमें ऐसा मुआा नही चाहिए-१८८, भविष्य-१८९, मरहद पर बमबाजी-१९२, मैं राजनीति को निलाजलि देना हूँ-१९३, मेरठ के मकदमे का फेसला-१९३, जापान की व्यापारिक सफलता का रहस्य-१९५, मुंगेर में कांग्रेसी उम्मेदवारों की विजय-१९५, कान्ता-कारगरेज का प्रस्ताव-१९६, भारत १९८३ में-१९७, वेत मारने की सजा-२००, भीषण सत्य-२०१, महात्मा जी की रिहाई-२०२, मालवीय जी की चुनौती-२०२ गॉरे-गॉरे है, काले-काले है-२०२, वाडमराय का भाषण-२०३, हमारी कौमी पार्लामेंट को कोमी-परवरी-२०४, एमेम्बली में भूकम्प-२०७, गवर्नर बम्बई की शिकायत-२०८, राजकुमारों के रहने योग्य-२०९, रुईवालों की भी सुनी जाय-२०९, जापान-भारत सवाद-२१०, ब्रिटेन के लिए अमह्य-२११, पिछली मर्दुमशुमारी-२११, ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी में न्यायिगि को आग्रवामन-२१२, मि० लामबरी का ना-ब्रह्मवाचन-२१४, कांग्रेस के बेकार वालटियर-२१५, शिमले में तिगडुम-२१५, कांग्रेस और गोपिजिम-२१६, कांग्रेस का नया प्राग्राम-२१७, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक व्यवस्था-२२०, मि० चर्चिल के मौलिक प्रस्ताव-२२१, हलवाई की दूकान-२२१, श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान-२२२, हिन्दू सोशल लीग का फतवा-२२३, बेकार ब्रैठने से काउमिल में जाना अच्छा है-२२५, युवकों में राष्ट्र प्रेम-२२७, रियामतो की रक्षा का विल-२२७, भारत व्यापी भूकम्प-२२८, वह प्रलयकर दिवस-२२९, प्रकृति का ताडव-२३४, बिहार की विपत्ति और काशी-२३६, भूडोल और काशी के अविकारी-२३६, विपत्ति-विपत्ति-२३७, मुंगेर मुजफ्फरपुर-की दशा-२३८, सेवा समिति का सराहनीय कार्य-२३८, बिहार और देशी रियासते-२३९, क्या होनेवाला है ? २४०, देव मंदिर और भूकम्प-२४२, आकस्मिक प्रकोप

बिल-२४३, बिहार को परिस्थिति-२४४, भाई जो का आछेय-२४५, सेटल रिलीफ प्रांग वाइमगय फड-२४५, बिहार के लिए मि० ऐड्रूज की प्रोल-२४६, प० जवाहरलाल की गिरफ्तारी-२४७, बजट-१९३४-२४७, मर मानिक जी दाशभाई की कदरदानी-२४९, जेन के नियमों में सुधार-२५०, बेकारी कोसे दूर हो-२५१, चर्चिल पार्टी की नयी चाल-२५२, होम मेम्बर माहन की शीरी बयानी-२५२, वर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने-२५३, कमांडर इनचीफ माह्व का व्यंग-२५३, कॉंग्रेस का सरकार से सहयोग-२५४, देहली में कॉंग्रेस नेताओं का सम्मेलन-२५४, सच्ची बात कहने का दड-२५५, सर्वशक्तिमान पुलिस-२५६, ठेलम ठाला-२५६, लारकाना में हथियारों की जहूरत-२५६, आनेवाला चुनवा और कॉंग्रेस-२६०, पोर्चगीज पूर्वी अफ्रिक-२६०, कॉंग्रेस की विधायक योजना-२६१, कॉंग्रेस की आर्थिक योजना-२६३ सरकार को मुबारकवाद-२६४, रादरमियर की हाय-हाय-२६५, एम्बेम्बली का विमर्जन-२६६, स्वराज्य पार्टी-२६६, कॉंग्रेस कमेटी क्या करेगी-२६७, चुनाव च्यायल-२६९, आतकवाद का उन्मूलन-२७०, स्वराज्य के फायदे-२७० ।

अन्तर्राष्ट्रीय रगमच युद्ध और शान्ति २८५-३४७

रूस और जर्मनी की मधि-२८७, ओटावा सम्मेलन का आशीर्वाद-२८८, डगलैड के लिबरल एम्बेम्बे का पदत्याग-२८९, मि० चर्चिल जनतन्त्र के विरोध में-२८९, आस्ट्रेलिया से गेहूँ की आयातदानी-२९०, जापान का आर्थिक सकट-२९१, मि० लायड जार्ज जर्मनी के पक्ष में-२९१, अमेरिका की धमकी-२९१, अमेरिका के कर्जदार-२९२, सोवियत रूस की उन्नति-२९३, बेईमानी भी राजनीति है-२९४, ईरान का तेल-२९४, विदेशी राजनीति-२९५ अशान्ति-२९७, जर्मनी का भविष्य-३००, यह डिक्टेटरो का युग है-३०१, ममी-लिनी शान्ति व्यवस्थापक के रूप में-३०२, सहयोग या सघर्ष-३०२, अमेरिका फिर गीला हो गया-३०४, जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार-३०५, जापान के हौसले-३०६, जापान और चीन-३०७, ममार की दोरुवी प्रगति-३०८, जन-मत्ता का पतन-३०९, आर्थिक गार्प-३१०, मन्त्री-राजनीति-३११, "हुआपेकू"-३१३, भावी महासमर-३१४, लदन का आर्थिक सम्मेलन-३१६, एगन में त्रिडेन की मधि-३१७, नेकनीयती-३१७, आयरलेड की स्थिति-३२०, अमेरिका में क्रमिक विद्रोह-३२१, रूस में समाचार पत्रों की उन्नति-३२२, गेहूँ सम्मेलन-३२३, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ कर दो-३२४, मि० डी० बेलरा से विरोध-३२५, डिक्टेटरशिप या डिमाक्रोसी-३२५, जवरदस्ती या समझा बुझाकर-३२६, खेती की पैदावार कम करने का आयोजन-३२८, निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा-३२९, जर्मनी में अनाथों का बहिष्कार-३३०, जर्मनी के कम्युनिस्ट-३३०, अन्धा पूँजीवाद-३३१, नादिरशाह की हत्या-३३३, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता-३३३, योरोप में निश्शस्त्रीकरण की प्रगति-३३७, समाजवाद का आतक-३३७, काशगर और मुस्लिम विप्लव-३३८, भावी महा-

समर तथा जापान-३३८, मजूरदल का डिक्टेटरशिप से विरोध-३३९, रूस और जापान में तनाव-३४०, योरोप में लड़ाई के बादल-३४१, अंग्रेजी फ़ैसिस्ट दल की नीति-३४१, रूस में भी पूंजीवाद-३४२, हिटलर की तानाशाही-३४३, वॉन हिडनबर्ग का स्वर्गवान-३४५, फ्रांस की तैयारी-३४६, अमर कवि गेटे का अपमान-३४७ ।

हिन्दू-मुसलमान ३४६-४३३

मनुष्यता का अकाल-३५१, कर्बला-३५७, उर्दू में फिरऔनियत-३५९, नवयुग-३६२, मिर्जापुर कांफ़ेन्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव-३६५, राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार-३६९, स्वार्थान्धता की पराकाष्ठा-३७०, पृथक् और संयुक्त निर्वाचन-३७०, गोलमेज-परिषद में गोलमाल-३७१, हिन्दू-मुस्लिम एकता-३७४, साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा-३७८, अब हमें क्या करना है-३८०, हिन्दू सभा की निष्क्रियता-३८२, मौलाना शौकतअली की गहरी सूझ-३८३, मुसलिम-सर्वदल-सम्मेलन-३८४, राष्ट्रीयता की विजय-३८७, स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली का फ़ारमूला-३८९, एकता-सम्मेलन-३९०, आशा का केन्द्र-३९२, एकता-सम्मेलन-३९५, कराची महिला सम्मेलन : लेडी अब्दुलक़ादिर का भाषण-३९६, सिंध का समझौता-३९६, एकता के विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का शोषण-३९९, एकता-३९९, समझौता या हार-४०२, प्रयाग सम्मेलन-४०४, मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन-४०५, मिर्जापुर का दंगा-४०६, पंजाब के हिन्दू मुसलमानों में समझौता-४०८, कानपुर-दंगा-रिपोर्ट-४०८, पाकिस्तान की नयी उपज-४०९, तपस्वी और महात्मा-४१०, हज़रत मुहम्मद की पूरण-स्मृति-४११, इस्लाम का विप-वृद्ध-४१४, संयुक्त पार्लामेंटरी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान-४१६, कुरान में धार्मिक ऐक्य का तत्व-४१८, भाई परमानन्द जी का भाषण-४२०, हिन्दू सभा की नाराजी-४२१, मुसलिम लीग का अधिवेशन-४२२, डा० इक़बाल का जवाब पंडित जवाहरलाल को-४२५, साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय-४२५, भाई परमानन्द की संदेह दृष्टि-४२८, मुसलिम छात्रों से-४२८, काश्मीर में फिर दंगा हुआ-४२९, सर्वदल सम्मेलन का विरोध-४३०, साम्प्रदायिकता और स्वार्थ-४३०, साम्प्रदायिकता का ज़हर महिलाओं में-४३१, साम्प्रदायिक बँटवारा-४३२, सरकारी नौकरियाँ और साम्प्रदायिकता-४३२ ।

छूत-अछूत ४३५-४७७

महान तप-४३७, हमारा कर्तव्य-४४०, काशी का कलंक-४४२, हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न-४४५, अछूतों को मन्दिरों में जाने देना पाप है-४४६, महात्मा जी का उपवास-४४९, हरिजन बालकों के लिए छात्रालय-४५०, दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में अछूत मेम्बर-४५०, कानपुर म्युनिसिपल चुनाव-४५१, हमारे युवकों का कर्तव्य-४५१, पावन तिथि-४५२, सनातन धर्म का प्रचार-४५५, अप्सृश्यों की महत्वा-

काञ्चा-४५७, मंदिर प्रवेश और सरकार-४५८, श्री देवदास गांधी का उपदेश-४६०, श्री देवचरणकर की हार-४६१, महात्माजी का व्रत-४६१, महान् तप-४६३, मंदिर प्रवेश और हरिजन-४६६, कानपुर को बधाई-४६८, महात्मा गाँधी फिर अनशन कर रहे हैं-४६९, बरेली में हरिजन-सभा-४६९, क्या हरिजन आन्दोलन राजनैतिक है ?-४७०, क्या हम वास्तव में राष्ट्र-वादी हैं ?-४७०, बिहार मंदिर सम्मेलन-४७६, काशी में मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन-४७६, इस हिमाकत को भी कोई हद है ?-४७७ ।

किसान-मजूर ४७६-५१२


नयी परिस्थिति में जमींदारों का कर्तव्य-४८१, जमींदारों की जायदाद की रक्षा-४८२, किसानों की कर्जा कमेटी के प्रस्ताव ४८३, आराजी को चक्रबन्दी-४८५, हतभागे किसान-४८६, हड़ताल-४८६, जबर्दस्ती ४८६, महाजन और किसान-४८२, किसानों का कर्जा-४८३, शककर सम्मेलन-४८६, ऊख के किसानों का सघ-४८७, कृषि सहायक बैंकों की जरूरत-४८७, काशी में जमींदारों की सभा-४८८, छोटे जमींदार या बड़े ?-४८९, बस्ती में ईख सघ सम्मेलन-४८९, किसान सहायक कानूनों की प्रगति-५००, जमींदारों की दुर्दशा-५००, देहातो पर दया-दृष्टि-५०३, आगरा जमींदार-सम्मेलन-५०४, निरक्षरता की दुहाई-५०७, यू० पी० काउंसिल में कृषकों पर अन्याय-५०८, जमींदारों ने फिर मुँह की खायी-५०९, किसान सहायक एक्ट-५१०, बम्बई के मजूरों को हड़ताल-५११ ।

नागरिक-शासन ५१३-५३४

काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५१५, युक्तप्रान्तीय काँसिल के सदस्यों से-५१६, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५१७, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-५१८, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन ५१८, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५१९, काशी म्युनिसिपैलिटी-५२०, सरकारी बोर्ड-५२०, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५२१, वाटर वर्क्स की लापरवाही ५२४, काशी-म्युनिसिपल बोर्ड-५२५, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५२६, काशी का म्युनिसिपल बोर्ड-५२६, श्री रामेश्वरसहाय सिनहा-५२८, नया कर्जा-५२९, शाबाश काशी-म्युनिसिपैलिटी-५३०, बनारस की म्युनिसिपैलिटी-५३०, काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी-५३०, सरकारी प्रबन्ध की बात-५३१, स्थानीय सस्थाओं में वैमनस्य-५३१, पुलिस को एक सबक-५३२, पंजाब की म्युनिसिपैलिटियाँ-५३२, नागपुर म्युनिसिपैलिटी का मराहनीय काम-५३३ ।

जागरण-कथा ५३५-५४४

जागरण का नया रूप-५३७, "जागरण" और प्रेस से एक-एक हजार की जमानत-५३९, "जागरण" से जमानत-५४०, खेद-प्रकाश-५४२, "जागरण" का दाम पाँच पैसे ५४३, "जागरण" का पहला वर्ष-५४४ ।



राष्ट्रीय संगमंच : स्वाधीनता-संग्राम

स्वदेश का सन्देश

‘स्वदेश’ के लिए सचमुच यह सतोष और सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म एक नवीन युग में हो रहा है—ऐसे नवीन और शुभ युग में, जो अपने सच्चे सिद्धान्तों के बल पर, निकटवर्ती भविष्य में, सारे संसार से अपनी सत्ता और महत्ता आप मनवा लेगा। परन्तु अभी इस नवीन और शुभ युग की केवल पौ फटी है—प्रकाश होना बाकी है। तो भी हम इस युग का हृदय से स्वागत करते हैं। हमें संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति डा० विल्सन के शब्दों में, इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि आज से चार-पाँच वर्ष पहले ‘कोई राष्ट्र किसी विशेष सिद्धान्त को लेकर समर-क्षेत्र में नहीं उतरा था’—केवल युग की आवश्यकता ने सभी राष्ट्रों के मुँह से बड़ी-बड़ी बातें निकलवा ली थी। ऐसी दशा में हम अब यह भी निस्सकोच होकर कह सकते हैं कि इस नवीन युग की आवश्यकता संसार की गति को भी अपने अनुकूल मोड़ लेने से बाज न आयेगी।

हम अपनी इस पिछली बात पर इसलिए और भी जोर देते हैं कि समय की दशा कभी स्थिर नहीं रहती। हाँ, यह जरूर है कि वायु के समान कभी तो उसकी गति ऐसी मद होती है कि हमको उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता और कभी इतनी प्रचंड कि उसके वेग से प्राचीन से प्राचीन प्रथाएँ उखड़ जाती हैं, समाज-सागर में हलचल मच जाती है और बड़े से बड़े अटल सिद्धान्तों की जड़ें हिल जाती हैं। अतएव, वर्तमान समय की गति को, यदि हम इसी प्रचंड पवन के नाम से पुकारें तो बेजा न होगा। उसने दो-एक वर्षों ही में राष्ट्र की दशाओं में वह परिवर्तन कर दिया जो साधारणतः सामान्य रीति से, शताब्दियों में भी न होता। अब तक उन स्वराज्य-प्राप्त देशों में भी, जिनका राष्ट्र-संगठन सम्पूर्ण समझा जाता था, कुछ गिने-गिनाये लोग ही जनता के भाग्य के विधाता होते थे। धन सर्वप्रधान वस्तु थी। उसी की वृद्धि पर देश की उन्नति, देश का गौरव और देश की शक्ति निर्भर समझी जाती थी। यदि उस धन की रक्षा करने के निमित्त असंख्य प्राणियों का बलिदान करना पड़े तो भी इसमें कोई आपत्ति न थी।

राष्ट्रो का लक्ष्य केवल धन और प्रभुत्व का संग्रह था। न्याय, प्रेम, सद्ब्यवहार, दया और धर्म का मान घटते-घटते शून्य हो गया था। धन ही धर्म था, धन ही न्याय और धन ही सब कुछ। जनता केवल धन-वृद्धि की सामग्री मात्र समझी जाती थी। पर डम युद्ध ने इस स्थिति में बहुत कुछ सशोधन कर दिया है। स्वेच्छाचारिता का संपूर्ण नाश हो गया है—चाहे वह प्रधान व्यक्तियों के हाथों में रही हो और चाहे राज-कर्म-चारियों के। रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया आदि देशों में अब जनता स्वयं अपने भाग्य की अधिकारिणी बनती जा रही है। प्रभुत्व और राज्य-विस्तार के लिए वह अपने रक्त बहानेवालों को अब कठिन से कठिन दण्ड देने पर प्रस्तुत है।

यह तो हुआ रण-परास्त देशों का हाल। विजय-प्राप्त देशों में भी जनता के स्वत्व और अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। इंग्लैंड ने स्त्रियों को अभी तक राजकीय स्वत्वों से वंचित रखा था। मजदूरों और किसानों में भी कितनों ही को ये स्वत्व प्राप्त न थे। पर अब पार्लियामेंट में बैठने और उसके मेम्बरो के चुनने का अधिकार इतना विस्तृत हो गया है कि वोटरो में लगभग अस्सी लाख स्त्री-पुरुषों की संख्या बढ़ गयी है। केवल इतना ही नहीं, मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा, उनकी मजदूरों की वृद्धि और अन्य नाना प्रकार की सुविधाओं का प्रयत्न किया जा रहा है। सचमुच जनता का इतना गौरव इस युद्ध से पहले कभी न था। वास्तव में इस युद्ध में अगर किसी की जीत हुई है तो वह है जनता की जीत। इस युद्ध ने जनता के लिए वह कर दिया है जो फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने भी न किया था।

इस युद्ध-रूपी क्षीर-सागर के मथने से दूसरा फल-रत्न यह निकला है कि अब निर्बल जातियों को शक्ति-सम्पन्न जातियों का आहार नहीं बनने दिया जायगा। अब तक शक्तिशाली जातियाँ निर्बल को अपना खाद्य समझती थीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धान्त सर्वमान्य था। पोलैंड अपनी इच्छा के विरुद्ध जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया आदि देशों का घास बना हुआ था। सर्बिया पर आस्ट्रिया के दाँत थे। राज्य-विस्तार की धुन में इस बात की रत्ती भर भी परवाह न की जाती थी कि जिन पर हम अधिकार जमाना चाहते हैं वास्तव में उनकी अपनी इच्छा क्या है। विजयी राजा अथवा साम्राज्य को अधिकार था कि परास्त देशों के जिस भाग को चाहे हड़प बैठे। यहाँ तक धाँधली होती थी कि दहेजों में राष्ट्रों के वारे-न्यारे हो जाते थे। परन्तु अब इस दुरवस्था का संशोधन हो रहा है। अब भविष्य में राष्ट्रों के साथ वस्तुओं या पशुओं के समान व्यवहार नहीं किया जायगा। प्रत्येक जाति को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपने भाग्य का आप निर्णय करे, वह जिस साम्राज्य के अधीन रहना चाहे रहे, और, उसकी इच्छा हो तो, स्वयं अपना राज्य-शासन आप करे। हम नहीं कह सकते कि इस प्रथा का क्या फल होगा। संभव है, संसार असंख्य छोटे-मोटे राज्यों में विभक्त हो जाय, पर कुछ भी हो उसका फल इतना अवश्य होगा कि राज्यविस्तार की कुचेष्टा का लोप हो जायगा।

निर्बल जातियाँ भी निश्चक अपना जीवन-निर्वाह कर सकेंगी । उन्हें किसी बलवान जाति के पैरो तले कुचले जाने का भय न रहेगा । वास्तव में यह समय राष्ट्रों के निर्माण का समय है । 'लीग आफ नेशन्स' अर्थात् जातियों की पचायत का उद्योग हो रहा है और आशा है कि थोड़े ही दिनों में यह सस्था विद्यमान हो जायगी । सचमुच वह दिन संसार के लिए आनन्द का दिन होगा । उस समय यह बड़ी-बड़ी सेनाएँ, यह जहाजों के शक्ति-मय समूह, यह अस्त्र-शस्त्र की वृद्धि, यह संघर्षण, यह चढा-ऊपरी सब भंग हो जायगी । कम से कम इतनी प्रतिद्वंद्विता न रहेगी । भारत की दीन आँखें भी इस पचायत की ओर लगी हैं पर कौन यह कहने का साहस करेगा कि हम भी उस पचायत में सम्मिलित होने के योग्य हैं । हमारे समाज में अभी ऊँच-नीच का विचार ज्यों का त्यों बना है । चमार अब भी अछूत है और डोमों का स्पर्श करना तो हमारे लिए घोर पातक है । मनुष्य की आत्मा की श्रेष्ठता, उसका गौरव, हम भूले बैठे हैं । हमारी दृष्टि स्थूल हो गयी है । वह शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती । उसे आत्मिक समानता, पवित्रता और व्यापकता दिखलायी ही नहीं देती । हमारे कृषक अब भी नीच समझे जाते हैं । उनसे अब भी बेगार ली जाती है, उन पर नाना प्रकार के अन्याय किये जाते हैं, स्वार्थान्ध जमींदार-गण उन्हें सताने और कुचलने में अब भी सकोच नहीं करते । हमारे ऊपर मूर्खता का अब भी वही पुराना साम्राज्य है । हमें या तो शिक्का दी ही नहीं जाती या दी जाती है तो वह हमारे आदर्श से बिलकुल गिरी हुई है । साराश यह कि उस पचायत में सम्मिलित होने के पहले हमको बड़ी-बड़ी तैयारियाँ करनी हैं । जब तक वह तैयारियाँ पूरी न होंगी तब तक पचायत में हमें स्थान मिलना कठिन है । हमारी राज-नैतिक और सामाजिक सुधारक सस्थाएँ अभी तक नगरों का ही चक्कर काटती रही हैं— वे बाहर नहीं निकलने पायी । हमारी जाति, जो प्रधानतः देहातो में रहती है, बिलकुल नहीं जानती कि हम क्या कर रहे हैं । वह हमारी वेश-भूषा और भाव को देखकर हमसे कुछ पृथक्-सी हो गयी है । उसे जगाना, उसे अपनाना, उसकी उपेक्षा न करके उसके प्रति प्रेम और सवेदना के भाव प्रकट करना—यह प्रत्येक स्वदेशाभिमानी का प्रधान कर्तव्य है । हमारे नगरों में राजनैतिक बयार बह चली है परन्तु हमारे देहातो में अभी तक उसका प्रवेश नहीं हुआ । यह उद्देश्य प्रत्येक स्वदेशवत्सल के सामने है । इसको पूरा करना उसका धर्म है । यह माना कि हमारी शक्तियाँ न्यून हैं, हमारे हृदय में बल नहीं, हमारी आत्मा दुर्बल हो गयी है, हमारे हाथ और पैर शिथिल पड़ गये हैं, परन्तु इन सब बाधाओं के होते हुए भी हम यह भी जानते हैं कि यदि हमको संसार में जीवित और सम्मानित रहना है तो यह बोझ हमें उठाना ही पड़ेगा । हमें प्रस्ताव पास करते-करते बहुत दिन हो गये और यद्यपि उसका कुछ न कुछ फल अवश्य निकला परन्तु समय और शक्तिव्यय को देखते हुए यह आशातीत नहीं कहा जा सकता । कारण यही था कि हमने अपने कार्य-क्षेत्र को संकुचित रक्खा । अब उसके विस्तार का समय आ गया है ।

संभव है कभी यह आशा की जाती रही हो कि हिन्दुस्तान के शिक्षित लोग अपना एक अलग गुट बना लेंगे, पर अब वह स्वप्न देखना भूल है। हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार यह भाव पैदा करना प्रत्येक स्वदेशवासी का परम धर्म है। स्वदेश तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य हो, तुमको भी ईश्वर के यहाँ से समान अधिकार प्राप्त है। तुममें भी उन्नति करने की, गौरवशाली बनने की शक्ति मौजूद है। उठो, उमसे काम लो। यह आलस्य छोड़ो, हिम्मत मजबूत करो और परमात्मा तुम्हारे सहायक होगा। *

‘स्वदेश’ प्रवेशांक, बसंत पंचमी १९७५ वि०

वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में रुकावटें

स्वराज्य का वर्तमान आन्दोलन अभी तक तो कामयाबी के साथ जारी ही है लेकिन अब हालतें रोज़ ब रोज़ खतरनाक होती जा रही हैं। यो कुछ लोगों की दृष्टि में तो असहयोग आन्दोलन को सिरे से ही कोई कामयाबी शामिल न हुई—न लडकों ने मदरसे छोड़े, न सरकारी मुलाजिमों ने नौकरियाँ छोड़ी, न वकीलों ने वकालत को नमस्कार किया, न पचायतें कायम हुईं। लेकिन असहयोग के वडे से बड़े समर्थक के ध्यान में भी यह बात न रही होगी कि इन सभी शाखों में सोलहो आना कामयाबी होगी। ऐसे मामलों में जहाँ निजी नफे-नुकसान का सवाल पेश हो जाता है, सोलहो आने कामयाबी की उम्मीद करना सुनहरे सपने देखना है। यहाँ तो रुपये में आना दो आना कामयाबी हो जाय वही बहुत है और खासकर हिन्दोस्तान जैसे गरीब देश में जहाँ सारा मामला आखिरकार रोज़ी पर आकर रुक जाता है। फिर यहाँ बावजूद नेशनल काँग्रेस की तीस-साल लड़ाई के कौम ने व्यावहारिक राजनीति में अभी हाल ही में कदम रखा है। अभी निजी हित और स्वार्थ दिलो से दूर नहीं हैं। कदम-कदम पर नफे-नुकसान का सवाल पेश हो जाता है और जब खयाल कीजिए कि अभी दो साल पहले यहाँ की राजनीतिक हालत क्या थी—लोग बेजा खुशामद और लच्छेदार बातों को राजनीति का मुख्य अंश समझते थे, यहाँ तक कि मजहबी जलसों और मुशायरों में भी राज्य-भक्ति पर प्रस्ताव पास करना एक मुख्य कर्तव्य हो गया था—सरकारी नौकरियों के लिए कितनी दौड़-धूप, कितनी छीना-झपटी और कितनी

* यह पत्र की सम्पादकीय नीति की घोषणा है। इसके नीचे प्रेमचंद का नाम नहीं है। पर पत्र के संचालक-संपादक पंडित दशरथप्रसाद द्विवेदी ने सकलनकर्ता से जोर ड़ेकर कहा कि प्रस्तुत सम्पादकीय उन्होंने प्रेमचंद से ही लिखाया था—अ०

गुप्त कार्यवाइयाँ की जाती थी तो ऐसी हालत में यह उम्मीद करना कि किसी जादू-मन्त्र से कौम का हर एक आदमी अपने निजी फायदे को अपनी जिन्दगी को कौम पर कुर्बान कर देगा, असलियत की तरफ से आँखें बन्द कर लेना है। इसलिए हम यह दावा करना अपने तर्क ठीक समझते हैं कि स्वराज्य का आन्दोलन अब तक कामयाब हुआ है। विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से स्कूल-कालेज न छोड़े हो लेकिन उनमें आजादी और सच्चाई की चेतना, सेवा और बलिदान की भावना जरूर पैदा हो गयी है जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

सरकारी नौकरो ने अपनी नौकरियाँ बहुत बड़ी संख्या में नहीं छोड़ी लेकिन उनमें ज्यादा नहीं तो पचास फी सदी ऐसे जरूर हो गये हैं जो अपनी मौजूदा हालत को निराश आँखों से देखते हैं, अपने ओहदे को गौरव की या अपने रोब को बढ़ानेवाली चीज नहीं समझते, बल्कि जीविकोपार्जन की विवशता समझते हैं और अगर आज उन्हें कोई ऐसी सूरत नजर आये जिससे वह भूख और बदहाली से बचकर जिन्दगी बसर करे तो गालिबन वह आज ही इस्तीफा देकर अलग हो जायेंगे। वकीलों ने वकालत को सामूहिक रूप से नमस्कार न कर लिया हो लेकिन ऐसा शायद ही कोई जिला हो जहाँ इस्तीफा दिये हुए वकील राष्ट्र की सेवा में न लगे हो और यह तो दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि वकालत के पेशे पर राष्ट्र को वह अभिमान नहीं रहा जो एक साल पहले था। कहाँ तो यह कैफियत हो गयी थी कि हमारे नौजवान विद्यार्थी वकालत ही को अपना जीवन-लक्ष्य, जीवनोद्देश्य और जीवन-सर्वस्व समझते थे, सोसायटी में वकालत की बड़ी इज्जत हो गयी थी और कहाँ अब यह हाल हो गया है कि जो लोग अभी तक इस पेशे में हैं और जिनमें अपने निजी स्वार्थ ने स्वाभिमान और देश-गौरव की भावना को बिलकुल खत्म नहीं कर दिया है वह अब सर उठाकर नहीं चल सकते। गरज कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर असहयोग का असर कमोबेश न पडा हो। खासतौर पर स्वदेशी आन्दोलन और मद्य-निषेध में तो इस आन्दोलन को बढ़ाई के योग्य सफलता मिली है। मगर ज्यो-ज्यो हम लक्ष्य के पास पहुँचते जाते हैं, विरोधी शक्तियाँ भी ज्यादा तेज, ज्यादा संगठित, ज्यादा सजग होती जाती हैं। जब तक यह खयाल किया जाता था कि दूसरी हिन्दोस्तानी कोशिशों की तरह यह आन्दोलन भी आखिरकार अपने ही जोर से गिर जायगा और यह जोश कुछ दिनों में आप ही आप खत्म हो जायगा तब तक विरोधी शक्तियाँ किसी कदर दिलचस्पी से इस दृश्य को देख रही थी। लेकिन अब जब कि उन्हें यह लक्षण दिखायी दे रहे हैं कि यह गति केवल भोके की गति नहीं, बल्कि भूडोल है तो उनकी दिलचस्पी विरोध की शकल में बदलती जा रही है। चुनावों में इस आन्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शान्ति-भंग की आशंका और जानोमाल, सतीत्व और सम्मान की रक्षा का खयाल है। दीर्घकालीन शान्त जीवन ने शान्ति को हमारे लिए खाने और हवा-पानी की तरह जरूरी बना रखा है। यहाँ तो मामूली हड

ताले भी चन्द्र साल पहले राष्ट्र के लिए परीशानी और भय का कारण बन जाती थी, जाहिलो मे आपसी फसाद और लडाई-भगडे हो जाते थे तो सारे मुल्क मे कुहराम-सा मच जाता था । हम अपनी मीठी नीद मे जरा भी खटका बर्दाश्त न कर सकते थे । ऐसी हालत मे शान्ति भग होने का डर अगर इस आन्दोलन को जड उसाडने पर आमादा होकर सरकार की हिमायत और उमे ताकत पहुँचाने को अपना पहला कतव्य ममक ले तो कोई आश्चर्य को बान नही है । ऐसे लोगो की सख्या देश मे कम नही हैं—वह खुशामदी नही है, अबसरवादी नही है, सरकार के भाट बनकर अपना मननब नही साधना चाहते बल्कि उन्हे मच्चे दिल से शान्ति के भग होने और उमके डरावने नतीजो का डर है । वह जब अपनी हालत का दूसरी आजाद कौमो से मिलान करते है, उनके त्याग और देश-प्रेम के उत्साह को देखते है तो अपनी खामियो और कमजोरियो को देवकर उन्हे अपने ऊपर भरोसा नही होता कि हम इस कठिन लडाई मे सफल हो सकेगे । आरा और कटारपुर और मोपलाओ के हंगामो पर नजर डालते है तो उनका यह भरोसा आर भी गायब हो जाता है और इम मजबूरी की हालत मे वह वर्तमान व्यवस्था के सुधार और सशोधन मे अपनी मुक्ति समझने लगते है और मजबूर होकर राज्य-भक्तो की श्रेणी मे आ जाते है । मगर जान और माल की हिफाजत का खयाल कोई हिन्दोस्तान की ही खास चीज नही है, वह मनुष्यमात्र का स्वभाव है । मनुष्य ही का नही, हर प्राणी का । अपने जीवन और उसकी रक्षा की चेतना छोटे मे छोटे प्राण मे भी पायी जाती है । इमान मे अपनी 'जीवन-रक्षा' के साथ अपने माल और अपने सम्मान की रक्षा का खयाल भी शामिल है । यह मत ममभिए कि योरप और अमरीका मे हर आदमी आजादी का इतना मतवाला है कि उस पर बलिदान होने का तैयार है । इसमे शक नही कि मुद्दतो आजादी का मजा उठाने और एक देश की व्यवस्था करने के बाद उनमे बलिदान की भावना अपेक्षाकृत अधिक सबल हो गयी है लेकिन ऐसे व्यक्ति हर देश मे गिने-गिनाये ही होते है जो अपनी आत्मा या स्वाधीनता की रक्षा पर अपना सब कुछ बलिदान कर दे । अगर यह कैफियत होनी तो उन देशो मे अनिवार्य मैनिक-मेवा की जरूरत ही न पडती, लोग खुद ब खुद अपने सीने को ढाल बनाकर मैदान मे चले जाते ; लेकिन कही भी यह कैफियत नही है, यहाँ तक कि अब सारा योरप लडाई मे इतना तंग आ गया है कि उसके नाम ही से उसकी रूह फना हो जाती है । हाँ, जब ऐसा मौका आ जाता है कि राष्ट्र और देश पर अपना सब कुछ निष्ठावर किये बिना कोई रास्ता नजर नही आता, जब यह आशका हो जाती है कि दुश्मन के अत्याचरी हाथो से जान और माल की रक्षा न हो सकेगी तो बजाय इसके कि अपनी-अपनी दौलत को सन्दूकचे मे बन्द करके लोग उस पर बैठ जायँ, वह विवश होकर मैदान मे निकल पडते है । लेकिन जब तक इतनी भीषण आशका नही होती उन राष्ट्रो का उत्साह भी अपने शिखर पर नही पहुँचता । हमारा खयाल है (सम्भव है कि हमने राष्ट्रीय भावनाओ

का मूल्यांकन करने में भूल की हो) कि अब सजग चर्चों में तो शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो अपने दो बेटों में से एक को देश की रक्षा के लिए खुशी से अलग न कर दे। आपत्ति की जा सकती है कि पिछले महायुद्ध में सैकड़ों प्रलोभनों और हिम्मत बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद शिक्षित नवयुवकों में से बहुत कम फ्रॉज में शामिल होने पर आमादा हुए। इसके कारणों की जाँच करना बहुत कठिन नहीं है। इंसान खुशी से अपनी जान देना उसी हालत में मंजूर करता है, जब निस्वतन उसे उतना ही फायदा भी हो। नायब तहसीलदारी या तहसीलदारी या चन्द बीघे जमीन की लालच से ऊँची श्रेणी के लोग हरगिज़ हथेली पर सर लेकर आगे नहीं आ सकते। आखिर हम किस अनमोल चीज़ की हिफाज़त के लिए अपनी जानें कुर्बान करते ? हम आज़ाद नहीं थे कि आज़ादी की हिफाज़त के लिए मरते। व्यावसायिक, राजनीतिक और भावनात्मक, एक भी ऐसा हित हमारा न था तो क्योंकि हमारा स्वाभिमान जागता। इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि अपनी तरफ़ से हम इतना भरोसा खो बैठें। स्वराज्य की मंजिल आसान नहीं है। उसे तय करते-करते हम शायद सफ़र की सारी तकलीफ़ों और यातनाओं के आदी हो जायेंगे। क़रीब का रास्ता हमेशा जोखिम का ढुआ करता है, हमने इसी जोखिम के रास्ते को पसन्द किया है। इसलिए हमें तकलीफ़ें और सख्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और गो हममें से जो बहुत कमजोर हैं वह इन सख्तियों को भेल न सकेंगे लेकिन क्राफ़िले में ऐसे साहसी लोग भी काफ़ी निकल आयेंगे जिन्हें यात्रा की कठिनाइयाँ और अशुभ शक्तियान, दूढ़-निश्चय, चोमड़ और निर्भय बना देंगी। हमारी सेवा-समितियाँ धीरे-धीरे अपने कर्तव्यों को समझती जा रही हैं। हमारे राष्ट्र-सेवकों की संस्थाएँ जान और माल की रक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। यह जोश रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। इसलिए वजाय इसके कि हम आनेवाले कर्तव्यों के बोध के कारण स्वराज्य से घबराने लगे, हमारा कर्तव्य है कि हम मदों की तरह परिस्थिति का सामना करें। यह समझना ज़रूरी है कि कुछ दिन और सरकार की छत्र-छाया में रहकर हम और अधिक देशभक्त हो जायेंगे और हममें देश-प्रेम की भावना ज़्यादा जानदार हो जायगी। मामूली शान्ति की हालतें अगर कोई भावना पैदा कर सकती हैं तो वह स्वार्थ-भावना, उदर-पोषण और अवसरवाद की भावना है। आज़ादी, कुर्बानी, जानिसारी की स्पिरिट इस जलवायु में पनप नहीं सकती। हमने मुद्दों में यह सबक हासिल किया है और दुनिया के दूसरे राष्ट्रों का भी यही अनुभव है।

इस रास्ते में दूसरी बड़ी रुकावट (बुद्धि और अंतरात्मा का वैर है) एक समुदाय जो शिक्षा और योग्यता में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही स्वराज्य का उससे कम प्रेमी नहीं है जितने कि असहयोग के समर्थक हैं, इस सादा बेतकल्लुफ़ कुदरती जिन्दगी को सहमी हुई नज़रों से देखता है जो असहयोग के माननेवालों की पहचान बन गयी है। वह रहन-सहन की इस क्रांति को, जो इस सादगी का ज़रूरी नतीजा है,

जानवर-पा करार देना ह। उमके खयाल मे यह आन्दोलन सभ्यता और सस्कृति के विकास को मिटा देना चाहती है और इम तथाकथित उन्नति और प्रकाश के युग को मिटाकर फिर उसी आदिम युग मे लौट जाना चाहती है। यह समुदाय उन व्यावहारिक और वैचारिक अनुसंगानो को, उन प्राकृतिक आविष्कारो को, उम राजनीतिक और सास्कृतिक स्थिति को मानव बुद्धि का शिखर समझना ह। वह इम भूटे आइन्वर और बनावट की जिन्दगी का, इम व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतियोगिता का इनना प्रेमी हो गया है कि उसकी बुद्धि मे मगल जीवन का विचार आ ही नहीं सकता। उसकी निगाह मौजूदा रहन-सहन के रौशन पहलू की तरफ जमी हुई है, उमके अघेरे पहलू को वह जान-बूझकर या स्वभाववश देखना नहीं चाहता। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था ने अगर एक तरफ आराम के सामान इकट्टा किये है तो दूसरी तरफ मार-काट के सामान भी इकट्टा किये है, अगर एक तरफ व्यापार को शिखर तक पहुँचा दिया है तो दूसरी तरफ जिन्दगी को भूठी जहरतो का कितना गुलाम बना दिया है। सच्चाई यह है कि हवाई जहाज और मोटर और दूसरे आश्चर्यजनक आविष्कारो ने इम समुदाय की आँखो को चूधिया दिया है। वह नहीं देखता कि मानव जाति को इन चीजो के लिए क्या कीमत अदा करनी पडती है, कितनी जाने जाती है, कितनी मेहनत बेकार जाती है। उमो व्यापारिक धुन के कारण आजकल दुनिया जीवन-संग्राम का घरीदा बनी हुई है। यह खीचतान हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे दर्शन का एक अटल सिद्धान्त और व्यवहार बन गयी है। उमने हमारे स्वार्थो को, हमारी व्यक्तिवादिता को, हमारी लाभ-हानि की चिन्ता को एक पागलपन की हद तक पहुँचा दिया है। उसी ने सबल राष्ट्रो का इस ओर प्रेरित किया है कि वे दुर्बल राष्ट्रो को यातनाएँ दे, गरीबो को मारे और उन पर जुल्म करे। सादा रहन-सहन का समर्थक इन ऊपरी दिखावे की चीजो के लिए इतनी बडी कीमत देना पमन्द नहीं करता। उसे वर्तमान सास्कृतिक व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। उसे तनिक भी यह आशा नहीं है कि यह व्यवस्था अपने विकाम के शिखर पर पहुँचकर मसार की मुक्ति का कारण बन जायगी। वह समझता है कि आग लग जाती है तो उसी वक्त बुझती है, जब उसे जलाने को कोई और चीज नहीं मिलती। उसे यकीन है कि मौजूदा स्पिरिट का (जो सर से पैर तक स्वार्थ से भरी हुई है) उसी वक्त खतमा होगा जब उसे अपनी गरज का निशाना बनाने के लिए, अपने स्वार्थ की बलिघेदी पर चढ़ाने के लिए कोई कमजोर कौम बाक्री न रह जायगी। इसी अकेले-अकेले मौज उडाने और स्वार्थ की भावना ने अमरीका की इण्डियन कौम, अफ्रीका के हबिशयो और अस्ट्रेलिया के असली बाशिन्दो को करीब-करीब नेस्तनाबूद कर दिया। अगर हिन्दोस्तान मे अभी तक कुछ जान बाकी है तो यह हाकिम कौम की दरियादिली या हमदर्दी के कारण नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की उसी सास्कृतिक व्यवस्था के कारण जो उसके पुरखो ने हजारो बरस पहले ठीक कर दी

थी। प्रसहयोग का समर्थक राष्ट्र के मानसिक पतन को रोज ब रोज बढ़ते देखकर राष्ट्र के जीवन की ओर से निराश हो जाता है। उसे मदरसो की तादाद से, रेलो के बढ़ते से, मुलाजिमो की तरक्की से, मोटरो की सख्या-वृद्धि से, मिल और कारखानो की उन्नति से सतोष नहीं होता। वह इन चीजो को जीवन का विकास नहीं समझता। वह विकास को आध्यात्मिक विकास समझना है, आचार और अन्तःकरण का विकास समझना है। व्यावसायिक उन्नति को वह गरीबो की वध-भूमि समझता है। कौन यह दावा कर सकता है कि बीसवीं सदी की दुनिया रामायण और ईसा व बुद्ध के युग से ज्यादा सदाचारी, ज्यादा उदार, नि स्वार्थ हो गयी है। क्या इस जमाने में भी बुद्ध और अशोक की-सी मिसालें मिल सकती हैं? क्या आज भी हजरत ईसा का अवतार हो सकता है? जिस युग में सतोष का मतलब पतन हो उसमें चारित्रिक विकास के लिए गुंजाइश नहीं हो सकती। कवि और योगी आज भी संतोष की प्रशस्ति में राग अलापते हैं, वह आज भी विनय, परोपकार और सहिष्णुता की तारीफ करते हैं लेकिन उनकी सुनता कौन है? दुनियावालो के कानो पर जू नहीं रेगती। वह अपने फायदे और गरज में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें ऐसे मसलो पर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है। कहा जा सकता है, क्या आजकल ईसाइयो के बड़े-बड़े मिशन नहीं हैं, क्या सालवेशन आर्मी दुनिया को मुक्ति का संदेश नहीं सुनाती फिरती, क्या आज भी पालियामेंट में हिन्दोस्तान के समर्थक मौजूद नहीं हैं, क्या लडाई के दौरान में हजारो मर्दों और औरतो ने घायलो की तकलीफें दूर करने में अपनी जाने कुर्बान नहीं की? क्या इस महायुद्ध की जिम्मेदारी को अपने सर लेने का किसी कौम को हौसला हो सका? हम मानते हैं कि यह जरूर मौजूदा जमाने का रौशन पहलू है मगर उस अंधेरे पहलू के मुकाबिले में कितना परछाई-जैसा, कितना धुधला, कितना मद्धिम। इसके विपरीत पुरानी व्यवस्था में सतोष और इन्द्रिय-दमन और उदार-दृष्टि कम से कम ऊँचे वर्ग के लिए जीवन का मूल-मंत्र बन गयी थी। पैसेवाले, वैभववाले, महज जकात निकालकर गरीबो को दान देकर सतोष न कर लेते थे जैसा कि आजकल होता है। अच्छे आन्दोलन प्रदर्शन या राजनीतिक चालबाजियों पर आधारित न होते थे बल्कि उनकी तह में सच्चा जोश और सच्ची निष्ठा होती थी। कमजोरो की हिमायत के लिए बड़ी-बड़ी लडाइयाँ हो जाती थी, न कि एक ताकतवर कौम किसी कमजोर कौम को बर्बाद करती रहे और दुनियावाले तमाशा देखा करे, उनकी रगो में स्वाभिमान और मानव-प्रेम जरा भी न दौड़ता हो। सरल जीवन के समर्थक फिर उसी प्राचीन प्राकृतिक जीवन का दृश्य देखना चाहते हैं जब मनुष्य को अपनी वृत्तियों के सस्कार और अपने आचार को परिष्कृत करने के अवसर मिलते थे और सारा वक्त ईर्ष्या-द्वेष में न जाता था, जब वह प्राकृतिक भोजन करता था, प्राकृतिक पानी पीता था, प्राकृतिक कपडे पहनता था, जब धन-ऐश्वर्य का विभाजन इतना विषम न था, जब व्यापार का नशा

क्या तुम लोग माओरी या जुलू या काफ़िर क्रौमों के साथ-साथ चलना चाहते हो ? इन क्रौमों ने कौन से बौद्धिक या नैतिक विकास का प्रमाण दिया है ? हम कहते हैं यह क्रौमों वहशी सही, जंगली सही, निरक्षर सही, नंगी सही, हम उन्हें मौजूदा तहजीब के खूंखार दरिन्दों से, रंगे हुए सियारों से, शिकारी राजनीतिज्ञों से, खून पीनेवाले अत्याचारी व्यापारियों से कहीं बेहतर समझते हैं। वह जानवरों को मारकर खाते हैं, अपने भाइयों का खून नहीं चूसते। वह गुफाओं में और पेड़ों पर रहते हैं, उन महलों में नहीं रहते जिनकी बदौलत हजारों आदमियों को बदबूदार गलियों और सड़कों पर सोना पड़ता है। वह नंगे बदन रहते हैं, ऐसे कपड़ों से अपने शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते जो ईर्ष्या-द्वेष और घमंड के बीज बोते हैं, जिनसे भोले-भाले आदमियों को धोखे और फ़रेब का शिकार किया जाता है। मगर हमसे माओरियों और काफ़िरों की उपमा देना उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना मौजूदा व्यापारियों को खूंखार दरिन्दों से मिलाना। माओरी और जुलू या तो प्रभी हैवानियत के दायरे से दस ही पाँच सदी पहले निकले हैं या उनकी पुरानी सभ्यता का विलकुल लोप हो गया है। हम उस गुज़रे हुए ज़माने को लौटाने के दावेदार हैं जब वेद की सृष्टि हुई थी, जब दर्शनशास्त्र लिखे गये थे, जब बुद्ध और हज़रत ईसा जैसे महात्मा पैदा हो सकते थे, जब तीरत* संगृहीत हुई थी। कहने का मतलब यह कि बुद्धि और आध्यात्मिकता की यह खींचतान वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में भयानक रुकावट होगी और जब उसके समर्थक रवीन्द्रनाथ बैंगोर जैसे दूरदर्शी, गहरी नज़रवाले लोग हैं तो इस रुकावट को रास्ते से हटाना आसान न साबित होगा।

मगर इस वास्तविकता से भी अधिक बाधक और हिम्मत को तोड़नेवाला वह स्वार्थों का टकराव है जिनके एक तरफ ज़मीन्दार और पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ किसान और मजदूर। वर्तमान आन्दोलन सत्य और न्याय और जनतन्त्र के स्तम्भों पर आधारित है इसलिए अनिवायतः सब की हमदर्दी मजदूरों और किसानों के साथ है। काँग्रेस पहले भी मध्यवर्ग का आन्दोलन थी जिसमें ज़मीन्दार और पूंजीपति यहाँ-वहाँ इक्का-दुक्का थे। अधिकांश संख्या वकीलों, प्रोफ़ेसरों और पत्रकारों की थी जो न पूंजीपति हैं और न ज़मीन्दार। हाँ, उस वक़्त किसानों और मजदूरों में चूँकि राजनीतिक चेतना पैदा न हुई थी इसलिए काँग्रेस भी स्पष्टरूप से उनके अधिकारों और उनकी माँगों का समर्थन न करती थी। इस दौरान में जनतन्त्र ने सारी धरती को अपने बस में कर लिया है और हिन्दोस्तान में भी उसका हरावल आ पहुँचा है। काँग्रेस में जनता का अंश प्रधान हो गया है और असहयोग ने एक जनतांत्रिक आन्दोलन का रूप ले लिया है। उसके जिम्मेदार काम करनेवालों ने भी स्पष्ट रूप से बार-बार इस सम्बन्ध

* वह आस्मानी ग्रंथ जो हज़रत मूसा पर उतरा था।

में घोषणा की है। जगह-जगह किसान-सभाएँ, मजदूर-सभाएँ कायम हो गयी हैं और उनके काम करनेवाले अक्सर काँग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसी हालत में पैसेवालों और जमीन्दारों का काँग्रेस से विमुख हो जाना बिलकुल समझ में आनेवाली बात है, हालाँकि इस वक़्त जनतन्त्र की जो लहर चारों तरफ़ आयी हुई है, और वक़्त का जो तकाज़ा है उसके कारण अभी तक ये वर्ग पूरी तरह काँग्रेस से अलग नहीं हुए हैं। कितने ही बड़े-बड़े मिलों के मालिक, कितने ही बड़े-बड़े पूंजीपति और जमीन्दार उसके हमदर्द हैं और कम से कम रुपये-पैसे से उसकी मदद करते हैं। तब भी यह कहना अत्युक्ति न होगी कि इन समुदायों की हमदर्दी रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही है और बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर यह लोग अपने स्वार्थ और हित और अधिकारों को काँग्रेस जैसी जनतान्त्रिक संस्था के हाथों में सुरक्षित न समझें। अब भी उसके लक्ष्य दिखायी दे रहे हैं। अमन सभाओं में ज़्यादातर जमीन्दार ही शामिल हैं। उन्हें अब सरकार का दामन पकड़ने के अलावा अपनी मुक्ति का और कोई रास्ता दिखायी नहीं देता। वह अपने उन अधिकारों से हाथ नहीं खींचना चाहते जो सरकार ने समय-समय पर सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विचार से उन्हें दिये हैं। वह उन फटी-पुरानी सनदों और बोसीदा फ़रमानों की बुनियाद पर अपनी पुरानी या मौजूदा हैसियत को कायम रखना चाहते हैं। उन्हें इसकी खबर नहीं है कि जनतन्त्र का तूफ़ान बहुत जल्द उनके उन फटे-पुराने पन्नों को तार-तार करके बिखेर देगा और आगे चलकर उनकी हैसियत इंसान और सच्चाई ही पर कायम रहेगी। सरकार उनकी कितनी ही हिमायत करे मगर जनतन्त्र के तूफ़ान से उन्हें नहीं बचा सकती। दुनिया ने उसके आगे सर झुका दिये हैं। बड़ी-बड़ी ताकतवर सलतनतों ने हमारे देखते-देखते उसके आगे सर झुका दिये हैं तो हिन्दोस्तान की सरकार कब तक पर्व और टट्टियों से उसके जोर को रोक सकेगी। इसलिए अब पूंजीपतियों और जमीन्दारों का रवैया यह होना चाहिए कि हथियार डाल दें। होनी और तक्रदीर के लिखे के आगे सिर झुकायें। इस वक़्त अगर वह अपने असामियों की माँगें पूरी कर देंगे तो शुक्रिए और एहसान के हक़दार होंगे। उनकी दानशीलता और उदारता का सब लोग बखान करेंगे, जनता उनका सम्मान करेगी, उन पर अपने प्राण न्यौछावर करेगी। लेकिन अगर इस वक़्त उन्होंने कृपणता और अनुचित दुराग्रह से काम लिया तो साल दो साल में उन्हें यह माँगें मज-बूरन पूरी करनी पड़ेंगी, कोई शान बाकी न रहेगी, रोबदाब खाक में मिल जायगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मजदूर और किसान एक होकर जो चाहें कर सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है। वह जब तक बिखरे हुए हैं, घास के टुकड़े हैं, एक होकर जहाज़ को खींचनेवाले रस्से हो जायेंगे। अब वह जमाना नहीं रहा कि पूंजीपति ७५ फ़ी सदी मुनाफ़ा बाँट लें और मजदूरों को ज़िन्दगी की ज़रूरतें भी नसीब न हों, वह हवा और रोशनी से भी वंचित रहें; पूंजीपति तो पेरिस और स्विट्ज़रलैण्ड की सैर करते

फिरे और मजदूर को मुबह से शाम तक सर उठाने की भी मुहलत न मिले, जमीन्दार या ताल्लुकदार साहब तो ऐश मनाएँ, शिकार खेले, दावतें दें और किसानों को रोटियाँ भीनसीब न हो, उमकी कमाई नजराने, बेगार, हारी, डाँड, चुल्हाई, खटियाई वगैरह की सूरतो में जमीन्दार के लिए ऐश का सामान जुटाये। वह कुछ दिनों तक शायद सरकार की मदद से असामियो और मजदूरों पर जबर्दस्ती हुकूमत करते रहे लेकिन वह जमाना दूर नहीं है जब सरकार को और में भी उन्हें निराश होना पडेगा। उनका हित काँग्रेस का विरोध करने में नहीं है, बल्कि उसका साथ देने में है ताकि हिसाब के रोज काँग्रेस की हमदर्दी उनके साथ रहे। बहरहाल, इन वर्गों से काँग्रेस को विरोध की बहुत अधिक आशका है और स्वराज्य के आन्दोलन में उनका बाधक होना तय बात है।

इस मसले से कही ज्यादा पेचीदा, नाजुक और अहम मसला हिन्दू-मुस्लिम एकता है। यह ठीक है कि दोनों सम्प्रदायों के नेताओं ने एकता और भाईचारे के सम्बन्ध को अब तक खूबसूरती से निबाहा है लेकिन यह कहना सच्चाई से इनकार करना है कि उनके माननेवालों की दृष्टि भी उतनी ही व्यापक और उनके इरादे भी उतने ही सुथरे और उनके मानदण्ड भी उतने ही ऊँचे हैं। और जब यह याद कीजिए कि कुछ साल पहले दोनों सम्प्रदाय छोटी-छोटी नौकरियों के लिए कितनी तगदिली का सबूत देते थे, आपस में कितना मैल, कितना द्वेष था, तो यह स्थिति ऐसी समझ में न आ सकने योग्य नहीं मालूम होती। बेशक अभी तक उस अविश्वास और वैमनस्य और प्रतिद्वन्द्वता का असर बाकी है लेकिन क्या यह कुछ इत्मीनान . . . बात नहीं है कि जहाँ पहले दोनों सम्प्रदायों के नेता आपस को घृणा और परायेपन की सीख दिया करते थे, जहाँ आपसी फूट और वैमनस्य का सामान राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथों एकत्र होता था, वहाँ अब यह लोग भाईचारे, एकता और आपसी प्रेम का दम भरते हैं। मौलाना मुहम्मद अली के कलम से 'कामरेड' के कालमों में उन्होंने अपने-अपने में सैकड़ों जोरदार लेख निकल चुके हैं। वह इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य, अपना अधिकार, अपना मजहबी मसला समझते थे। लेकिन अब वही मुहम्मद अली अपने मुस्लिम भाइयों से पुकार-पुकारकर कहते हैं कि अपने देश-भाइयों को खातिर से गाय की रक्षा करो, उसे पवित्र समझो। पिछली बकरीद के मौके पर कई मुसलमान नेताओं ने अपने मिल्लती भाइयों के हाथों से गायें लेकर हिन्दुओं को दे दी। जनता अपने नेताओं के पदचिन्हों पर चलती है। जब नेताओं का दिल साफ हो गया तो जनता का दिल भी जल्द या देर से साफ हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दी और उर्दू लिपि दोनों सम्प्रदायों के बीच एक भगड़े की चीज थी। अब हिन्दू उर्दू का विरोध करते नहीं सुनायी देते और न मुसलमानों की तरफ से हिन्दी की मुखालिफत की सदा सुनायी देती है। अक्सर हिन्दू साहबान मोपलाओं के हंगामे की वजह से चिढ़ गये हैं और उन्हें डर है कि हुकूमत बदलने की सूरत में कहीं उन्हें मुसलमानों के हाथों ऐसी ही क्याद-

तियाँ न बर्दाश्त करनी पड़े, इसलिए वह घबराहट में स्वराज्य से घृणा करने लगते हैं। उन बेजा कार्रवाइयों के आँखों-देखे हालत पढ़-पढ़कर उनका खून उबलने लगता है और मायूसी की हालत में वह वर्तमान शासन-व्यवस्था का कायम रहना ही देश के लिए जरूरी समझते हैं। मोपलाओं को पागलो और वहशियों-जैसी हरकतों पर जितनी नफरत जाहिर की जाय कम है। मुसलमानों ने और उनके मौलवियों ने बुलन्द आवाज में इन हरकतों की निन्दा की है और हमको यकीन है कि कोई जिम्मेदार मुसलमान आज मोपलाओं की हिमायत करने पर आमादा न होगा। इससे ज्यादा मुसलमान लीडरों के काबू में और क्या था। अगर इस इलाके में मार्शल ला जारी न होता और मुसलमानों के नेता वहाँ दाखिल हो सकते तो शायद यह हंगामा खत्म हो चुका होता। और जब तक मुल्क में एक ऐसी तीसरी ताकत मौजूद है जिसका अस्तित्व हिन्दू-मुस्लिम फूट पर कायम है तो वह अपने अस्तित्व की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए इस किस्म की हरकतें करे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस तीसरी ताकत का अस्तित्व इसी आधार पर बना रह सकता है। देश में स्वराज्य होता तो इस किस्म के भगड़े अब्बल तो होने ही न पाते, अधिकारी पहले ही से रोक-थाम करते और अगर हो भी जाते तो उन्हें तत्काल समाप्त कर दिया जाता। देश में ऐसे शक्की लोगों की भी एक जमात मौजूद है, जो खिलाफत के आंदोलन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें ईरान, अफगानिस्तान, हिजाज, तुर्की, बुखारा वगैरह स्वतन्त्र राज्यों के बीच में आठ करौड़ मुसलमानों का अपने देश में साथ-साथ रहना खतरों से खाली नहीं नजर आता। उन्हें इसका अन्देश है कि इन आठ करोड़ मुसलमानों को हमदर्दी दूसरे स्वतन्त्र मुस्लिम राज्यों के साथ होगी, इसलिए वह अंग्रेजों की छत्र-छाया में रहना अधिक निरापद नमन्ते हैं। इस जमात का यह भी खयाल है कि हिन्दोस्तान समुद्र की ओर से अपनी रक्षा करने के योग्य नहीं है इसलिए उसके दिमाग पर यह बात छापी हुई है कि उसे किसी न किसी दूसरी ताकत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों का जवाब इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि वह हम (सन्देह) की दवा लुकमान के पास भी नहीं है। जब अंग्रेजी सरकार जैसी सगठित, असीम शक्तिशाली, दुनिया भर में छापी हुई ताकत हिन्दोस्तान में रहना फायदे से खाली समझेगी तो यह गैर-मुमकिन है कि किसी दूसरी ताकत को यहाँ कदम जमाने का हौसला हो। जो शक्स मन भर का वजन उठा सकता है, उसे दो-चार पसेरियों से डर जाने की कतई जरूरत नहीं। जब हम नजरों के सामने देख रहे हैं कि चीन और ईरान अलग अपनी हस्ती कायम रख सकते हैं, अमरीका में दर्जनों छोटे-छोटे राज्य कायम हैं, जिन्हें सयुक्त राज्य अमरीका किसी दिन अपने अधीन कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हिन्दोस्तान अलग अपनी हस्ती कायम न रख सके। क्या जो कारण चीन और ईरान, ब्राजील और अर्जेंटीना को दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रख सकते हैं, जिनके चलते अब

तक अफगानिस्तान आजाद चला आता है, वह मिट जायेंगे ? चीन अब तक कभी सँभल चुका होता अगर जापान उसे सँभलने देता । सौभाग्य से हिन्दोस्तान के करीब ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं जिसकी ओर से हमको हस्तक्षेप की आशंका हो । रहे अपने देश के आठ करोड़ भग्नमान । अब तो हमको अपने दिल से यह ग्वयान निकाल देना चाहिए कि हमारे यह देश-भाई अब भी हम पर हुकूमत करने का इरादा रखते हैं क्योंकि हिन्दू सख्या में, धन-दौलत में, शक्ति में मुसलमानों से किसी तरह कम नहीं हैं । यों भी तो स्थानीय भगडों में वही फरीक ऊपर रहता है जिसकी सख्या वहाँ ज्यादा है । मसलन आरा, चम्पारन, शाहाबाद, गया वगैरह में जब भगडे हुए तो मुसलमानों को हार खानी पड़ी और अब मोपलाओं के हंगामे में हिन्दुओं की हार हो रही है । मगर जब सामूहिक रूप से दोनों शक्तियाँ एक दूसरे का सामना करेंगी तो नुकसान और बर्बादी का खतरा मुसलमानों को हो सकता है, न कि हिन्दुओं को । हम मनुष्य की प्रकृति को इतना गिरा हुआ नहीं समझते कि जब दोनों सम्प्रदाय आपसी भलाइयों और सम्मिलित हितों के बन्धन में बाँध जायेंगे, जब मुसलमान देखेंगे कि हिन्दुओं ने नाजूक वक्त में हमारा नाथ दिया और हमारी खिलाफत को बचाया और हिन्दू देखेंगे कि मुसलमानों की मदद से हमें स्वराज्य मिला और हमारी गऊ माता की रक्षा हुई और सबसे बड़ा यह खतरा आँख के सामने होगा कि हमारे दरमियान बदमजगी हुई और किसी तीमरी ताकत ने उससे फायदा उठाया, तब भी हम एक-दूसरे से बदगुमान होते रहेंगे और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे । अभी तक दोनों सम्प्रदायों को एकता की डार में बाँधने की कभी कोशिश नहीं हुई, अगर कोशिश हुई तो उन्हें लडा देने की । अगर उस ताकत का असर न होता जिसका फायदा दोनों सम्प्रदायों के आपसी सघर्ष में है तो जमाने और वक्त के तकाजे ने इन दोनों सम्प्रदायों को अब तक कब का एक सगठित और एकताबद्ध राष्ट्र बना दिया होता । सन्देह दुर्बलता की निशानी है और नैतिक कायरता का प्रमाण । उस शख्स की जिन्दगी अजीरन है जो दरो-दीवार को चौकन्नी नज़रों से देखता रहे, जिसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नज़र आयें, कही दोस्त की सूरत न दिखायी पड़े । यह अपनी कमजोरी की स्वीकृति है । इसका इलाज किसी मित्र या सहायक की तलाश में नहीं है बल्कि इसके लिए अपने शरीर में ताकत और दिल में हिम्मत पैदा करनी चाहिए । हिन्दुओं को अपनी सामाजिक-प्रणाली में, अपने धार्मिक रीति-रिवाज में ऐसे सुधार करने चाहिए कि उन्हें अपने देश के रहनेवाले दूसरे लोगों से डर न बाकी रहे, क्योंकि स्वराज्य क्या दुनिया की कोई ताकत कमजोरों को जुल्म से नहीं बचा सकती । अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं कि मुसलमान हिन्दू औरतों को बहकाकर उनसे निकाह कर लिया करते हैं, मुसलमान हिन्दुओं को मुसलमान बना लेते हैं । यह बहुत कम सुनने में आता है कि किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान औरत को

बहकाया या किसी मुसलमान को हिन्दू बनाया। इसका कारण हिन्दुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक सकीर्णताएँ हैं और जब तक वह इन सकीर्णताओं को दूर न करेंगे इस किस्म की शिकायतें हरगिज बन्द न होंगी। बहरहाल, हिन्दू-मुस्लिम एकता का मसला निहायत नाजुक है और अगर पूरी एहतियात और धीरज और ज्वाब और रवादारि से काम न लिया गया तो यह स्वराज्य के आन्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। मौलाना शौकत अली ने अपने कराची के भाषण में मुसलमानों से खिलाफत के लिए चन्दे की अपील करते हुए कहा था कि अगर तुम्हें एक रुपया इस मकसद के लिए देना है तो बारह आना खिलाफत को दो और चार आना कांग्रेस को। उसी तरह हिन्दुओं से उनकी यह अपील थी कि तुम रुपये में चौदह आना कांग्रेस को दो तो खिलाफत को भी भूल न जाओ और दो आने उसे भी दो। इस पर अनेक हिन्दू पत्र, तरह-तरह की टीका-टिप्पणियाँ कर रहे हैं। दोनों आन्दोलनों का मुसलमानों की दृष्टि में जो आपेक्षिक महत्व है, उसका उनकी इस अपील से काफी प्रमाण मिल जाता है। हमें इस अपील में आपत्ति के योग्य कोई बात नहीं दिखायी पड़ती। खिलाफत की हिमायत मुसलमानों के लिए मजहबी सवाल है। हिन्दुओं को इस मसले से जो कुछ हमदर्दी है वह मुसलमानों की खातिर से है। मुसलमान अपने मजहब की हिमायत को अपना पहला कर्तव्य समझते हैं और इसका उन्हें पूरा अधिकार है। राष्ट्रीयता का प्रश्न कोई सनातन प्रश्न नहीं है। बहुत मुमकिन है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की समस्या गायब हो जाय और सारी दुनिया में भाईचारे की एक ही व्यवस्था फैल जाय। इस आन्दोलन का आरम्भ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कर दिया है और दुनिया के उदबुद्ध विचारकों ने बड़ी उदारता से उसका स्वागत किया है। मगर मुसलमान हमेशा मुसलमान रहेंगे, हिन्दू हमेशा हिन्दू। हम यह नहीं कहते कि खिलाफत का मसला मुसलमानों के लिए खालिस मजहबी मसला है। नहीं, उसमें सांसारिक शक्ति प्राप्त करने का विचार भी निहित है। कोई मजहबी खयाल दुनिया से खाली नहीं हो सकता। धार्मिक व्यवस्था का अस्तित्व ही दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए अमल में आता है। केवल आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नति के लिए किसी धर्म की जरूरत ही नहीं, उसके लिए आत्मा का परिष्कार ही काफी है। हिन्दुओं को स्वराज्य की जरूरत अगर सांसारिक शक्ति के लिए नहीं तो और किस लिए है, आध्यात्मिकता के शिखर का द्वार तो अब भी बन्द नहीं है? इसलिए अगर मुसलमानों को अपने देश से अपना मजहब चौगुना ज्यादा प्यारा हो तो हिन्दुओं को शिकायत या बदगुमानी का कोई मौका नहीं है। जब इस वकत दोनों आन्दोलनों की सफलता आपस में मिली हुई है, एक को छोड़कर दूसरी हरगिज सफल नहीं हो सकती, तो इस तरह बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति को उठाकर ताक पर रख देना चाहिए और इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर खिलाफत से जो मुहब्बत है वह हिन्दोस्तान से नहीं हो सकती, उसी

तरह जैसे हिन्दुओं को धार्मिक और सांसारिक दृष्टि से हिन्दोस्तान से जो प्रेम है वह खिलाफत से नहीं हो सकता । खिलाफत को मदद की जरूरत है, वह कौन करे ? अगर मुसलमान अपनी मारी शक्ति स्वराज्य के लिए लगा दें और हिन्दुओं को खिलाफत से उतना गहरा सम्बन्ध नहीं है तो खिलाफत की मदद कौन करे ? हिन्दू पत्र तो जब खुश होते कि मुसलमान हिन्दुओं की तरह अपनी शक्ति का तीन-चौथाई हिस्सा स्वराज्य के लिए लगाते और सिर्फ एक चौथाई खिलाफत के लिए । ऐसी हालत में खिलाफत को हिन्दोस्तान से जो आर्थिक सहायता पहुँचती वह स्पष्ट है । गरज यह कि यह बेकार की बदगुमानी और नुकताचीनी है । हिन्दुओं के लिए मुसलमानों के हृदय-परिवर्तन की इससे अच्छी कोई सूरत नहीं है कि वह यथा शक्ति खिलाफत की सहायता करें और आपस में ऐसी एकता की बुनियाद डालें जो हमेशा कायम रहे ।

जमाना, दिसम्बर/१९५२ ई०

नया वर्ष

वैशाख से हमारे नये वर्ष का आरम्भ होता है । हम नये उत्साह, नयी आकांक्षाओं तथा नये हौसलों से इसका स्वागत करते हैं । गत वर्ष हमारी तपस्याओं का समय था उसने हमें परीक्षाग्नि में भलीभाँति तपाया, हमारी दृढ़ता को, व्रत को, आदर्श को खूब आजमाया, और हम उन परीक्षाओं में सफल निकले । हमने अपने अहिंसा-व्रत से, अपने आत्म-बल से, अपनी अदम्य नैतिक शक्ति से दुनिया के सामने आत्मोद्धार का एक महान उज्ज्वल आदर्श रख दिया, हमने दिखा दिया कि इस गयी-ब्रिती दशा में भी हम सत्य और धर्म पर कितने आरूढ़ हो सकते हैं । संसार में और कौन-सा देश है, जहाँ बालक, जवान और बूढ़े सभी समान उत्साह से जेल की कठिन से कठिन यंत्रणायें सहने के लिए तैयार हो जायें ? खेलकूद पर जान देनेवाले बच्चे पुलिस के डंडों का वीरों की तरह सामना करें ? गर्म खूनवाले युवक जो नाक पर मक्खी को नहीं बैठने देते गालियों और गोलियों की वर्षा में अचल और अटल खड़े रहें ! और अपने शान्ति-भवन में बैठनेवाले बूढ़े हँसते और जय-ध्वनि करते हुए जेल चलें ? संसार ने हमारे इस त्याग को देखा और विस्मित हो गया—अगर ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस त्याग और तपस्या की ओट में अराजकता और रक्त और अशान्ति छिपी हुई मालूम होती है तो वह या तो हृदय-शून्य एंग्लो-इंडियन हैं या हमारे लिबरल मित्र ।

नौकरशाही को पहले हमारे व्रत पर विश्वास न था । वह इसे कौन्सिल की वक्तूताओं की भाँति निरर्थक, अप्राकृतिक और सामर्थ्यहीन समझती थी, पर जब शनैः शनैः उसे संग्राम की सात्विकता का अनुभव हुआ तो उसके हाथ-पाँव फूल गये, उसने

इस सत्याग्रह का प्रतिकार करने के लिए पशुबल का आश्रय लिया और इतनी क्रूरता से आघात करने शुरू किये कि चन्द महीनो ही मे सत्याग्रहियों का बड़ा भाग—जो इस आन्दोलन का प्रारंभ था—जेनानो मे डाल दिया गया। इस आत्मसमर्पण ने इतना सवेग प्रवाह धारण किया कि शंका होने लगी कि इस आवेग मे वह किनारे के गाँवो, खेतो और वृक्षो को न बहा ले जाय—आन्दोलन का निर्माणाकारक विभाग निर्जीव न हो जाये। अतएव हमारे कुशल महारथी ने हमारी गति को मन्द कर दिया। इसी स्थिति मे वर्ष का अन्त हो रहा है।

ससार के विस्तृत क्षेत्र मे भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है, अंतर केवल यह है कि वहाँ स्वार्थ का स्वार्थ से, द्वेष का द्वेष से, कूटनीति का कूटनीति से, संग्राम हो रहा है। गत वर्ष ससार मे शान्ति की व्यवस्था करने के लिए सम्मेलनो का ताँता बँधा रहा। मन्त्रिदल आये और गये, पत्रो मे खूब चहल पहल रही, संसार के कोने-कोने मे शान्ति की खोज की गयी पर उसका निशान न मिला—हृदयस्थल मे ढूँढने की किसी को न सूझी। इस समय जेनेवा मे बडे समारोह से सम्मेलन हो रहा है। इससे बडी-बडी आशाएँ की गयी थी, वह रूस मे, निकट-पूर्व मे शान्ति का उद्भव करनेवाला था, ...पर अन्य सम्मेलनो की भाँति यह उद्योग भी निष्फल होता दिखायी देता है, फ्रांस का विजयमद, इंग्लैण्ड की स्वार्थनीति और यूनान की निरकुशता उसका सर्वनाश किये डालती है।

नया वर्ष हमारे लिए कर्तव्यो का गुह्यतर भार साथ लाया है। वह सगठन। संगठन ! की ध्वनि करता हुआ आ रहा है। गत वर्ष हमने बहुत कुछ तपस्या की। हज़ारो वीरो की भेट चढायी, किन्तु उचित सगठन न होने के कारण हम अपने अहिंसा-व्रत का समुचित रीति पर पालन न कर सके। हमारी समग्र शक्तियाँ केवल एक ही धारा मे प्रवाहित होनी रही। इस वक्त हमे अपनी बिखरी हुई शक्तियो को समेट कर उनका सदुपयोग करना है। खूदर बुनना और उसका प्रचार करना, काँग्रेस के मेम्बर बनाना और घन एकत्र करना, कपास की खेती को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय शिक्षालायो को सुव्यवस्थित करना और उनके संचालन के लिए कोष जमा करना, समस्त भारत को स्वराज के घोर नाद से गुंजा देना—यह हमारे कार्यक्रम का सच्चिप्त स्वरूप है।

हमे इस विस्तृत कर्म-क्षेत्र मे उत्साह से कदम बढाना चाहिए। हमने संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ाई ठानी है। इस संग्राम मे हमे न जाने कितनी कुर्बानियाँ करनी पडेगी, न जाने कितनी बार परास्त होना पडेगा, लेकिन हमे आशा है कि भारत-संतान अखिरल उद्योग और कर्म-परायणता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जायगी। काम कठिन है पर असाध्य नहीं है। याद रखिये, हमे अंग्रेज जाति से स्वराज्य नहीं लेना है, हमे अपने ही भाइयो से, अपने ही देश-बन्धुओ से स्वराज्य लेना है, हमे

अपनी शक्तियाँ नौकरशाही से सत्याग्रह करने में नहीं, अपने भाइयों से सत्याग्रह करने में लगानी चाहिए। जन-सम्मति को अपनी ओर फेर लेना स्वराज्य-प्राप्ति का मुख्य साधन है, नहीं, बल्कि स्वयं स्वराज्य है। हम इस लक्ष्य के जितना ही निकट होते जायेंगे उतना ही स्वराज्य के निकट होते जायेंगे। नया वर्ष हमारे लिए यही संदेश लाया है।

अब कुछ अपने प्रति। 'मर्यादा' को ज्ञानमंडल के चार्ज में आये ६ मास हो गये। हमने 'मर्यादा' को सर्वांग सुन्दर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी और निरन्तर हानि उठाकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया। हम आगामी वर्ष से इसे और भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा इरादा है कि इसमें चित्रों की संख्या अधिक की जाय। पाठ्य सामग्री में भी हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। विद्वानों के लेखों के अतिरिक्त हम प्रतिमास 'विज्ञान ज्योति' के नाम से वैज्ञानिक आविष्कारों का उल्लेख किया करेंगे, तथा 'हास्य और विनोद' के नाम से पाठकों के मनोरंजन की भी सामग्री जुटायेगे। हमारा यह भी संकल्प है कि संसार के कुछ अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लेखों का सारांश भी दिया जाय। इस माला का नाम होगा 'सामयिक प्रसंग'। पत्रिका को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यदि पाठक-वृन्द हमें अपने सत्परामर्श से सूचित करेंगे तो हम यथासाध्य उस पर भी विचार करेंगे। मगर जहाँ हम पाठकों के लिए इतनी जिम्मेदारियाँ सिर पर लेने का निश्चय कर चुके हैं, वहाँ हम यह भी आशा करते हैं कि पाठक गण भी पत्रिका को अपनाकर, इसे अपनी चीज समझ कर हमें प्रोत्साहित करेंगे। हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि इस वक्त तक ग्राहकों की संख्या इतनी गिराशा जनक रही है कि यदि पत्रिका के वर्तमान संचालक महोदय इतने उदार न होते तो इसका जीवित रहना कठिन हो जाता। हम पत्रिका से लाभ उठाने की आकांक्षा नहीं रखते। हम केवल पाठकों की सेवा करना चाहते हैं, और हमारी उनसे यही विनय है कि वह हमें अपनी गुणग्राहकता का परिचय देकर बाधित करें।

'मर्यादा', वैशाख १९७६ वि०

विभाजक रेखा

सहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं, असहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं। सहयोगी अपने स्वराज्य का आदर्श उपनिवेशों को मानता है। महात्मा गाँधी ने भी एक बार औपनिवेशिक स्वराज्य को ही अपना आदर्श माना था—जहाँ राज्य के सब अंगों का समान आदर हो, सब के समान अधिकार हो, जहाँ रहना अपनी सुविधा और आत्म-सम्मान पर निर्भर हो। सहयोगी इस बिरादरी से स्वेच्छा के साथ निकल जाने का उल्लेख तो नहीं करता पर बात एक ही है क्योंकि सहयोगी भी इतना विचारहीन नहीं

है कि बिरादरी में उचित सम्मान न होने पर भी हठात् बैठाया जाय। तो विभाजिक रेखा कहाँ है? स्वराज्यप्राप्ति की विधान-व्यवस्था में। असहयोगी किसी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग नहीं कर सकता जिससे उसके आत्म-सम्मान को आघात पहुँचे। उसे अपना आत्म-सम्मान बेचकर स्वराज्य लेना भी मजूर नहीं। वह नाना प्रकार के कष्ट सहेंगा, जेल की कठोर यत्रणाएँ भेलेगा लेकिन आत्म-सम्मान को न छोड़ेगा। चाहे आत्मसम्मान की रक्षा में वह अपने लक्ष्य से कोसों दूर हो जाय लेकिन अपने आदर्श का अपमान नहीं कर सकता। सहयोगी Practical Politician है। वह अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचने के लिए स्वाभिमान की परवाह नहीं करता, अगर उसे अपने सिद्धान्तों का बलिदान करके, अपने आत्म-सम्मान का खून करके स्वार्थसिद्धि का अवसर मिले तो वह इस अवसर को हाथ से न जाने देगा। वह जेल से बचेगा, सभी यत्रणाओं से दूर-रहेगा, चाहे ऐसा करने में उसके अन्तःकरण का हनन भी होता हो, वह नियमबद्ध विधानों का ही आश्रय लेगा, चाहे यह क्षेत्र कितना ही सकुचित क्यों न हो। अभी वह गाँधी का नाम आदर से लेता है लेकिन आज सरकारी विज्ञप्ति हो जाय कि उस महापुरुष का नाम लेना वर्जित है तो वह उनका स्वप्न में भी नाम न लेगा। उसमें इतना नैतिक बल नहीं है कि इस राजकीय हस्तक्षेप का विरोध करे और उसके नतीजे भुगतें। सहयोग और असहयोग में यही अन्तर है, यही विभाजक रेखा है।

आज हमारे असहयोगी नेताओं और उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या जेल के अन्दर है। सहयोगी समाज इसे उन नेताओं पर व्यंग्य करने का आधार बनाता है। और पुलकित होकर कहता है, इस प्रकार दीपक पर पतंग के समान जलने से क्या फायदा? उसमें वह आत्म-सम्मान का अस्तित्व नहीं है जो सहयोगियों की इस मनोवृत्ति को ग्रहण कर सकता। वह तो अपने स्वार्थ का भक्त है। अगर वह भी असहयोगियों की भाँति आज जेल में नहीं है तो इसका कारण यह नहीं कि वह बड़ा चतुर, बड़ा गम्भीर, बड़ा नीतिज्ञ है बल्कि वह अपने सिद्धान्तों का आदर करना नहीं जानता। पंडित मदनमोहन मालवीय जी सहयोगी हैं लेकिन आत्म-सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। अभी पंजाब के एक जिले में उन्हें व्याख्यान देने से मजिस्ट्रेट ने रोक दिया। मालवीय जी इस आज्ञा को भंग करने पर तैयार थे क्योंकि इससे उनके आत्म-सम्मान को चोट पहुँची। लेकिन जिले के कांग्रेस अधिकारियों ने बारदौली के स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार इस आज्ञा भंग से रोक लिया नहीं तो बहुत सभ्य था कि आज श्रीमान् मालवीय जी कारावास में होते। राजनीतिक सग्राम में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना अनिवार्य है जब कि अधिकारियों की निगाह कड़ी हो जाय। यदि हम पग-पग पर विशेष अधिकारियों के तीवर देखकर चलेगे तो चाहे हम अपने को जेल से बचा लें, चाहे अपना कुछ स्वार्थ पूरा कर लें पर राष्ट्र का कोई हित नहीं कर सकते।

आजकल कतिपय सहयोगी पत्रों और नेताओं की ओर से आग्रह हो रहा है

कि असहयोग संग्राम के हाथो देश मे जो दुर्व्यवस्था पैदा हो गयी है, उसका अंत करने के लिए असहयोग संग्राम का त्याग करना ही उत्तम है। फिर वही आत्म-सम्मान की बात ! क्या ससार में आराम से मीठी नींद सोना और स्वादयुक्त भोजन करना ही जीवन का ध्येय है ? इस सुख-भोग से ज्यादा महत्व की कोई वस्तु नहीं है ? आन भी कोई चीज है ? शान भी कोई वस्तु है ? प्रताप क्या अकबर का अनुगामी बनकर सुख-भोग न कर सकता था ? क्या सिद्धान्तो, आत्म-सम्मान पर, बात पर मर मिटने की मिसाले इतिहास में नहीं मिलती ? क्या वर्तमान ससार में ही इसी आन के पीछे देश और राष्ट्र बिगड़-बन नहीं रहे हैं ? फ्रांस क्या १६१७ में सधि न कर सकता था ? तुर्क क्या आज लडाई को बन्द नहीं कर सकते ? राष्ट्रीय संग्राम में धन की, व्यक्ति की, सम्पत्ति की, शिल्पोन्नति की उतनी कदर नहीं होती जितनी बात की, आन की, अकड की। यूनान भी Practical Politicians से खाली नहीं है। तुर्की में भी इस सामग्री की कमी नहीं है, न फ्रांस में थी। लेकिन क्या यह सब राष्ट्र अपनी बात पर सिर नहीं कटवा रहे हैं ? लिबरल दल के नेता चाहे अपना कितना महत्व समझे पर वास्तव में असहयोग संग्राम पर भारत की राष्ट्रीयता की छाप लग गयी है, ससार इस आन्दोलन को इसी दृष्टि से देख रहा है। यह भारत के मनुष्यत्व, त्याग, बलिदान, आत्माभिमान, स्वाधीनता प्रेम की परीक्षा का समय है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना ससार की दृष्टि में सदैव के लिए गिर जाना, पतित हो जाना है। हम ताल ठोककर सिर कटवाने के लिए क्षेत्र में उतरे हैं, तलवार की चमक और अधिक का विकराल स्वरूप देखते ही नाहि-नाहि पुकारने लगे तो दुनिया क्या कहेगी ? हमारे लिबरल नेता समझे बैठे हो कि हम ठंडे-ठंडे स्वराज्याश्रम में प्रविष्ट हो जायेंगे तो समझे पर संसार को खूब मालूम है कि स्वाधीनता देवी को प्रमन्न करने के लिए कितने बलिदान की जरूरत है। जब स्वाधीन देशों को अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपरिमित धन और अग्रणित प्राणियों की भेंट चढाना पडता है तो पराधीन जातियों को शांतिपूर्वक बैठे-बैठे यह पद प्राप्त हो जायगा, इसे कोई असाधारण सरल प्रकृति का मनुष्य चाहे तो मान ले पर कोई विज्ञ पुरुष कदापि न मानेगा। यह समय असहयोगियों पर व्यग्य करने का, उनकी हँसी उडाने का नहीं है। उनमें समयोजितता का गुण न हो पर अपनी जान पर मर मिटनेवाले लोग हैं। उन्होंने इस संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, राष्ट्र के नाम पर असह्य यंत्रणाएँ भेली हैं, और भेल रहे हैं, ऐसे देशानुरागियों पर इस नाजुक वक्त में व्यग्य करना असह्यदयता का चरम सीमा से भी आगे बढ़ जाना है। अगर हम सब शारीरिक निर्बलता के कारण शस्त्र ग्रहण न कर सकें, अगर हममें इतना रणोत्साह नहीं है कि क्षेत्र में वीरो की भाँति उतरें तो कम से कम उन वीरो का साहस बढ़ाना तो हमारा धर्म है, हमको उनकी इज्जत तो करनी चाहिए। यह कहना कि यह सब सिरफिरे है, विप्लवकारी है, मूर्ख है, अपनी घोर कापुरुषता का परिचय देना है।

सहयोगी समाज से हमारी ऐसी शिकायत है कि वह असहयोगियों के अलौकिक नैतिकबल और साहस की अवहेलना करता है। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि असहयोगी दल चाहे (Practical Politics) की अवज्ञा करता हो पर उसमें अपने सिद्धान्तों पर प्राण अर्पण करने का गुण मौजूद है जो मानवी सदगुणों का उच्चतम स्थान है। हम यह जानते हैं कि सहयोगी सज्जन इतने हृदयशून्य नहीं हैं पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि को अमन व कायम रखने, राज्य की सहायता देने और देश को क्रांति से बचाने के परदे में छिपाना ही समयानुकूल समझते हैं। हमारी इच्छा होती है कि अपने इन भाइयों को उसी भाँति अपने उसूलों का पाबन्द समझे जैसे हम असहयोगियों को समझते हैं पर जब देखते हैं कि उनमें से सब के सब इस परिस्थिति से लाभ उठाने पर तुले हुए हैं, कोई अपने पुत्र को अच्छी जगह दिलाना चाहता है, कोई खैरख्वाही की सनद लेना चाहता है, कोई और ही किसी रूप में अपना मतलब पूरा करना चाहता है तो हम निराश हो जाते हैं और नैराश्य तथा खेद की दशा में मुँह से निकल आता है—स्वार्थ। तेरी महिमा विचित्र है।

जब से बारडोली का निर्णय हुआ है और कानून तोड़ने का उतना जोर-शोर नहीं है, सहयोगी दल खुशी के मारे फूला नहीं समाता। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि असहयोग मर गया, शांत हो गया, सौदा सिर से उतर गया, उन्माद मिट गया .. आदि। कोई कहता है, हम तो पहले ही कहते थे कि यह बेल मठे चढ़ने की नहीं। इस आन्दोलन की बुनियाद ही अस्वाभाविकता और मनोविज्ञान से अनभिज्ञता पर खड़ी की गयी थी और उसका वही अंत हुआ जो होना चाहिए था। मिसेज दास ने कलकत्ते के प्रान्तीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपना विचार प्रकट किया है कि असहयोगियों को कौंसिलों में जाना चाहिए, तथा महाराष्ट्र सम्मेलन ने वकीलों, कालेजों तथा कौंसिलों के विषय में जो प्रस्ताव स्वीकार किये हैं उनके आधार पर यह फैसला किया जा रहा है कि असहयोगियों में भी मतभेद हो गया, इनकी भी आँखें खुली। हम अपने मित्रों को यो बगले बजाते देखकर विस्मित हो जाते हैं। यदि वास्तव में असहयोग का अंत हो गया तो यह खुश होने का अवसर नहीं, लज्जा से डूब मरने का अवसर है, और इस हत्या का कलंक उन्हीं लोगों के माथे पर लगेगा जिन्होंने देश को, देश के आत्म-गम्मान को अपने स्वार्थ पर बलिदान कर दिया। आप शौक से वकालत करके मौज उड़ाएँ, भूठे मुकदमे बनाएँ और भोले-भाले गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाये, आप शौक से अपने होनहार पुत्रों को कालेजों में पढाये और उन्हें भी राजकीय पद दिलाकर या वकालत की सनद दिलाकर गरीबों की गर्दन की छुरी बनाये, आप शौक से विलायती कपड़ों का रोजगार करके सोने के महल खड़े करे, मगर आप इस कलंक को नहीं धो सकते कि आपने देशोद्धार के ऐसे अच्छे मौके पर दगा किया, अपने स्वार्थ को देखा, जाति को न देखा। असहयोग चाहे सर्वथा निष्फल हो गया हो—

लेकिन कम से कम उसने आपकी सम्मान-प्रतिष्ठा का जादू तोड़ दिया, आप जनता की निगाहों में गिर गये ; अब आप पर 'नकटा जीया बुरे हवाल' की मसल चरितार्थ हो गयी । देश को मालूम हो गया कि किनसे आशा रखनी चाहिए और किनसे चौकस रहना चाहिए, कौन देश के मित्र हैं, कौन देश के द्रोही । आपने लार्ड मेकाले की शिक्षा-विषयक दूरदर्शिता की बहुत ही उत्तम प्रमाण दे दिया । अब कभी राष्ट्रीय इतिहास लिखा जायगा तो आपको यही श्रेयष्कर स्थान मिलेगा जो आज राधोत्रा को मिल रहा है । मगर आपने यह कैसे समझ लिया कि असहयोग का प्राणान्त हो गया ? खूब समझ लीजिए कि प्रत्येक भारतीय जो नौकरशाही पर अवलम्बित नहीं है, असहयोगी है । यहाँ तक कि छोटे-छोटे राजकर्मचारियों की गणना भी असहयोगियों में की जा सकती है । प्रश्न यह नहीं है कि इस अगणित सेना को उत्तेजित और उत्साहित कैसे किया जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि उसे काबू में क्योंकर रखा जाय ताकि रक्तमय अशांति के वे दृश्य फिर न उपस्थित हो जायें जो महात्मा गाँधी के विशाल उद्योग से कुछ-कुछ काबू में आये हैं । हम अपने प्यारे भाइयों को उत्तेजित करके मशीनगनों का लक्ष्य नहीं बनाना चाहते । जब हमने देख लिया कि नौकरशाही असहयोग का दमन करने के लिए, राष्ट्रीय जीवन का गला घोटने के लिए अबसर ढूँढ़ती फिरती है तो यही उचित समझा गया कि यथासाध्य हम नौकरशाही को इसका अबसर ही न दें और अपने आन्दोलन को ऐमा रूप दे दें कि नौकरशाही से संघर्ष की कोई सम्भावना ही न रहे । असहयोग की समग्र शक्ति इस समय इसी कार्य के सम्पादन में प्रवृत्त हो रही है । रहे महाराष्ट्र सम्मेलन के प्रस्ताव । यह खुला हुआ रहस्य है कि महाराष्ट्र दल आदि से ही असहयोग के विपक्ष में रहा है, लेकिन राष्ट्रीय बहुमत के सामने उसने सदैव सिर झुकाया है और हमें विश्वास है कि वह इन प्रस्तावों का निर्णय भी काँग्रेस में रहकर करेगा, बाहर निकल कर नहीं । हम परस्पर मतभेद से सशंक नहीं होते, यह तो जीवन के लक्षण हैं । काँग्रेस राष्ट्रीय संस्था है । वहाँ प्रत्येक पक्ष को अपना मत प्रकट करने और राष्ट्र को अपने मत की ओर झुकाने का समान अधिकार है । लेकिन यदि वह राष्ट्र को अपनी ओर आकर्षित करने में कृतकार्य न हो तो उसे अपनी डेढ़ इंच की मसजिद अलग न बनानी चाहिए और काँग्रेस से नाराज होकर नौकरशाही की खुशामद में दत्तचित्त न हो जाना चाहिए । यदि सहयोगी दल भी काँग्रेस में रहता और काँग्रेस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता रहता तो हमको उससे कोई शिकायत नहीं थी । लेकिन उसने नौकरशाही पर अवलम्बित रहना ज्यादा सुलभ समझा और काँग्रेस का शत्रु हो गया । यही उसकी विश्रृंखलता है जिसने दो परस्पर विरोधी दलों को आमने-सामने खड़ा कर दिया, नौकरशाही को तीतर लड़ाने का आनन्द उठाने का अवसर दिया । राष्ट्र के साथ रहकर हानि उठाना, कष्ट भेलना भी एक गौरव की बात है ; राष्ट्र से पराङ्मुख होकर आनन्द भोग करना भी लज्जास्पद

है। स्वार्थ की उपासना करने में वह महत्व नहीं है जो राष्ट्र के लिए मुसीबतों भेलने में है। यही विभाजक रेखा है, जो दोनों दलों को पृथक करती है।

नौकरशाही ने शान्तिरक्षा को दमन करने का बहाना बताया। यह उसके मतलब की बात है। पर आश्चर्य तो यह है कि सहयोगियों ने भी असहयोग को अराजकता और विप्लव का पर्याय बना रखा है। इस विषय पर समाचारपत्रों में निरन्तर लेख लिखने से एक नेता ने एक मार्के की किताब भी लिख डाली है। पर आश्चर्य की कोई बात नहीं। सहयोगियों का भी स्वार्थ इसी में है कि असहयोग को भयंकर से भयंकर दिखाया जाय, ताकि सरकार और भी भयभीत होकर उसकी ओर झुके। यह उनके फसल काटने का समय है, दोनों हाथों और पैरों से अनाज बटोर रहे हैं कि न जाने फिर ऐसा अवसर मिले या न मिले। जहाँ कहीं पुलिस के अत्याचार या नौकरशाही के निरंकुशतापूर्ण हस्तक्षेप से कोई दंगा हो जाता है तो तुरन्त इसका इल्जाम असहयोगियों के सिर थोप देते हैं और दंगे को प्रमाणस्वरूप पेश कर देते हैं। वह असहयोगी नेताओं की शांति-प्रतिज्ञाओं पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि जो आन्दोलन इतना सर्वव्यापी है, उसमें बहुत प्रयत्न करने पर भी ऐसी दुर्घटनाओं का हो जाना अनिवार्य है। यदि हम इन महाशयों से पूछें कि सेना का इतना समुचित संगठन होते हुए सीमा पर जो छापे पड़ते रहते हैं या पुलिस की देखभाल होने पर भी चोरी और अन्य दुष्कृत्यों के जो दृश्य देखने में आते हैं क्या उनका इल्जाम उसी तर्कप्रणाली के अनुसार सेना और पुलिस पर रखकर गवर्नमेंट विद्रोहकारिणी नहीं कही जा सकती? जब सरकार बड़े-बड़े अधिकारियों और समुचित संगठन होने पर भी इन सामाजिक अपराधों की रोक-थाम करने में सफल नहीं हो सकती तो असहयोगी केवल सत्यप्रेरणाओं के आधार पर पूर्ण शान्ति का उत्तरदायी क्योंकि हो सकता है?

सर्वादा—बैशाख १९७६ वि०

स्वराज से किसका अहित होगा

कुछ लोग स्वराज आन्दोलन से इसलिए घबड़ा रहे हैं कि इससे उनके हितों की हत्या हो जायगी। और, इस भय के कारण या तो दूर से इस संग्राम का तमाशा देख रहे हैं या जिन्हें अपनी प्रभुता ज्यादा प्यारी है वे परोक्ष या अपरोक्षरूप से सरकार का साथ देने पर आमादा हैं। इनमें अधिकांश हमारे ज़मींदार, सरकारी नौकर, बड़े-बड़े व्यापारी और रुपयेवाले लोग शामिल हैं। उन्हें भय है कि अगर यह आन्दोलन सफल हो गया तो ज़मींदारी छिन जायगी, नौकरो से अलग कर दिये जायंगे, धन जब्त कर लिया जायगा। इसलिए इस आन्दोलन को सिर न उठाने दिया जाय। उन्हें ब्रिटिश

सरकार के बने रहने में अपनी कुशल नजर आती है। हम आज इसी प्रश्न पर कुछ विचार करना चाहते हैं।

इसमें मन्देह नहीं कि स्वराज का आन्दोलन गरीबों का आन्दोलन है। अंग्रेजी राज्य में, गरीबों, मजदूरों और किसानों की दशा जितनी खराब है, और होती जा रही है, उतनी समाज के और किमी अग्र की नहीं। यों तो सरकार ने किसी को बेदाग नहीं छोड़ा, शिक्षित समुदाय आये दिन अपने हकों को छिनते देखता है, राजों-रईमों की जायदादे और रियासते ज्वत हो रही हैं, व्यापारियों और मिलों के स्वामियों को मैन-चेस्टर और लकाशायर का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन यह सब कुछ होने पर भी सरकार के हाथों किसी सम्प्रदाय की टननी बरबादी नहीं हुई है जितनी किसानों और मजदूरों की—खासकर किसानों की। मरकारी नौकरो की तनख्वाहे बढ गयी, नये सुधारों से भी उन्हें कुछ फायदा पहुँचा, उनके लिए कई महाविद्यालय खुल गये, व्यापारियों के भी कुछ आँसू पोछे गये पर किसानों की हालत रोज ब रोज खराब हो होती जा रही है। उन पर लगान बढता जाना है, सख्तियाँ बढती जानी हैं। कांसिलों में उनके हितों का कोई रक्षक नहीं। वे जमींदारों के चगुल में इस बुरी तरह फँसे हैं कि दबाव में पडकर वे उन्हीं का अपना प्रतिनिधि बनाने पर मजबूर होते हैं जो उनके हितों का भक्षण करते रहते हैं। काँग्रेस के मम्बर या और लोग भी कभी-कभी न्याय और नीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करे, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दुखों और वेदनाओं की उन्हें वह अखर नहीं हो सकती, जो एक किसान को हो सकती है, अतएव हमारे राष्ट्र का सबसे बडा भाग अन्याय-पीडित है। सब छोटे-बडे उसी को नोचते हैं, उसी का रक्त और मास खा-खा कर मोटे हाँते हैं, पर कोई उसकी खबर नहीं लेता। मजदूरों के सघठन हैं, सरकारी नौकरो ने भी अपने-अपने दल संघठित कर लिये, जमींदारों और महाजनों का दल भी व्यवस्थित है, मगर किसानों का कोई सघ नहीं। उनकी शक्ति बिखरी हुई है। अगर उन्हें सघठित करने का कोशिश की जानी है, तो सरकार, जमींदार, सरकारी मुलाजिम और महाजन सभी भन्ना उठते हैं। चारों ओर से हाय-हाय मच जाती है। बोलशेविज्म का हौआ बताकर उस आन्दोलन को जड से खोदकर फेंक दिया जाता है, इसलिए यह कहना गलत नहीं है, कि स्वराज किसानों की माँग है, उन्हें जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन किसानों का उपकार करके, वह और सभी समुदायों का अपकार करेगा, यह क्यों समझ लिया जाता है? हाँ, अगर किसानों का उपकार ही औरों का अपकार हो, तो दूसरी बात, लेकिन न्याय-बुद्धि कभी इसे स्वीकार करने की नीचता नहीं कर सकती।

सबसे पहले जमींदारों को लीजिए, क्योंकि विरोधी दलों में प्रमुख भाग इसी दल का है। जमींदारों में भी और सब समुदायों की भाँति अच्छे भी हैं, बुरे भी। अगर जमींदार अपने अन्याय से अपने को इतना कलंकित न कर ले, कि उसका अस्तित्व ही

दूसरों की आँखों में खटकता हो, तो वह किसानों का मुखिया, नेता और रक्षक बना हुआ अनन्तकाल तक जीवन का उपभोग कर सकता है। स्वराज्य-काल में लगान तो कुछ न कुछ जरूर ही कम हो जायगा, किसान पचास सैकड़े से कम की कमी को स्वीकार न करेगा, और उसी के साथ जमीन्दार की आमदनी भी कम हो जायगी, लेकिन क्या स्वराज्य, न्याय और धर्म से इतना शून्य हो जायगा, कि वह किसी समुदाय के जायज हकों का अपहरण कर ले ? यह असम्भव है। जमीन्दार रहेगे, उनका आदर और सम्मान भी रहेगा, उनका रोब-दाब भी रहेगा, हाँ बेगार न रहेगी, नजराने न रहेगे, अधाधु लूट न रहेगी, मगर होंगे वे अपने घर के राजा। वह सलामियाँ और खुशामदे और सिजदें और नकधिसनियाँ, जो वो आये-दिन हाकिमों की किया करते हैं, गायब हो जायँगी। आमदनी कुछ जरूर घटेगी, पर इसके बदले सम्मान बढ़ जायगा और वह समाज के सच्चे नेता बन जायँगे। अगर हम अपनी सेवा और व्यवहार और साधना से साबित कर दे, कि हमारा रहना जरूरी है, हमारे बगैर काम न चलेगा, तो हमारा कोई बहिष्कार नहीं कर सकता। जो जमींदार प्रजा को लूटना ही अपना अधिकार समझते हैं, उनसे तो हमें कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो सज्जन हैं, उदार हैं, कर्तव्य-परायण हैं, उनसे हम यह निवेदन अवश्य करेगे, कि आप अपने थोड़े से स्वार्थ की रक्षा के लिए स्वराज में बाधक न बने। स्वाधीन बनकर आधी खा लेना गुलामी की पूरी से कहीं अच्छा है। आप उन वीरों के नामलेवा हैं, जिनका नाम इतिहास में अमर है। यह आन्दोलन तो खुद आप में पैदा होना चाहिए था। उसका विरोध करना आपको शोभा नहीं देता। शोभा तो यह देता, कि आप इस आन्दोलन के अगुआ होते और देश आपके पीछे होता। आप अपने बाहुबल और बुद्धिबल का परिचय देकर देश को अपना अनुयायी बना लें। लेकिन आप इस समय कर्तव्य क्षेत्र से मुख ही नहीं मोड़ रहे हैं, आप दूसरों का उत्साह भी तोड़ देते हैं। अपने से दूसरों को भी गुलाम बनाये रखने की फिक्र कर रहे हैं। अगर आपको यह भय है, कि आपने ज़रा भी कान खड़े किये और आपकी रियासत जब्त हुई, आप दूध की मक्खी की भाँति निकाल कर फेंक दिये गये, तो इस तरह आप के दिन अपनी खैर मनायँगे। वही सरकार जिसके दामन में आप मुँह छिपाये हुए हैं, आपको ठुकरा देगी। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, कि आपने देश का साथ दिया, तो देश भी आपका साथ देगा और अगर आपने उसके मार्ग में नाधाएँ टली, तो आप चाहे इनरों के बल पर कुछ दिन और प्रभुता के मजे उडा ले, पर आप जनता की नजरों से गिर जायँगे और जिनके बल पर आप कूद रहे हैं, वे ही आपको निकाल बाहर करेंगे। जब तक उन्हें मालूम हैं, कि प्रजा पर आपका दबाव है, वे आपको अपने स्वार्थ का यंत्र बनाये हुए हैं। जिस दिन उन्हें यकीन हो जायगा कि आपके निकाले जाने पर कोई एक बूंद आँसू भी न बहायेगा, उसी दिन आपका अन्त हो जायगा, इसलिए आपका भविष्य स्वराज्य के गर्भ में है। अगर आप देश के द्रोही न बने, तो स्वराज्य से आपके भयभीत होने का कोई कारण

नहीं है ।

अब व्यापारियों को लोजिए । हमारे यहाँ बड़े व्यापारियों में दो प्रकार के लोग हैं । एक तो वह जो खुद माल तैयार करते हैं—दूसरे वो जो दिसावर से माल मँगाते हैं । तीसरे प्रकार के वे लोग भी हैं, जो यहाँ से कच्चे पदार्थ दिसावर भेजते हैं । जो लोग विलायती माल का रोजगार करते हैं, सम्भव है उन्हें कुछ दिनों, जब तक नयी व्यवस्था ठीक न हो जाय, हानि उठानी पड़े, लेकिन इन्तजाम ठीक हो जाने के बाद, फिर उनके लिए सुभीते ही सुभीते हैं । तब उन्हें खुद अपना माल तैयार करने की सुविधाएँ होंगी, रेलों का भाड़ा कम हो जायगा, चुंगी-महसूल घट जायगा, वह खुद अपने मिलों में इतना माल बनाने लगेंगे, कि उन्हें बाहर से थोड़ा ही माल मँगाने की जरूरत होगी । स्वराज्य-सरकार आज की सरकार की भाँति जरा जरा सो बात पर दिक्क न करेगी और न उसके पास कोई दूसरा मैनचेस्टर या लंकाशायर होगा । जिस तरह की सहायता उनकी सफलता के लिए दरकार होगी, उसकी आयोजना सरकार खुद करेगी । उसके धन और व्यापार-वृद्धि के सदुपयोग के कितने ऐसे ही मार्ग खुल जायेंगे, जिनकी इस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती । तब अंग्रेज आड़तियों की खुशामद उन्हें न करनी पड़ेगी, न अधिकारियों को डाली पेश करनी पड़ेगी । बड़े-बड़े सरकारी ठीके, जो अब विदेशियों को मिल जाते हैं, तब यहीं के व्यापारियों को मिलेंगे । उनके अपने जहाज होंगे, अपने बैंक होंगे, अपने कारखाने होंगे, लेकिन हाल में कुछ नुकसान उठाये बिना वह सुदिन नहीं आ सकता । अगर उन्होंने हाल की हानि का मुँह देखा और इस आन्दोलन से किनारे रहे, तो याद रहे उनकी यह दशा भी न रहने पायेगी । विदेशी व्यापारी उन्हें दिन-दिन दबाते चले जायेंगे । रहे हमारे छोटे-मोटे दुकानदार, जो विदेशी चीजों का व्यापार करते हैं, उन्हें इस आन्दोलन से डरने का कोई मौक़ा नहीं । वह जनता में जिस चीज़ की रचि देखेंगे वही चीज़ें मँगायेंगे । उनका बीच का नफ़ा कहीं नहीं गया है ।

अब सरकारी नौकरों को लोजिए । उनमें बहुत बड़ी संख्या थोड़ा बेतन पानेवालों की है । यह जैसे अब है, वैसे ही तब रहेंगे । इनका वेतन स्वराज्य-सरकार नहीं घटा सकती । हाँ, जो बड़ी-बड़ी लम्बी रकमें डकारते हैं, उनकी स्वराज्य-सरकार में छीछा-लेदर होगी । दस-दस और पाँच-पाँच हजार उड़ानेवालों का तब नामोनिशान भी न रहने पायेगा । स्वराज्य-सरकार में छोटों की इतनी हक़तलफ़ी न होगी, न बड़ों की इतनी चाँदी रहेगी । स्वराज्य-सरकार की यह कोशिश न होगी, कि वह दो आदमियों का काम एक आदमी से ले और उसे दूना वेतन दे । हमारे पढ़े-लिखे लोग लाखों की संख्या में बेकार बैठे हैं और यहाँ एक-एक अफ़सर इतना वेतन ले रहा है, जिसमें दस परिवारों का निर्वाह आसानी से हो जाता । तब सरकारी नौकरी सेवा-भाव प्रधान होगी, लोग धन लूटने के लिए उसमें न आवेंगे । अंग्रेजों ने लम्बी-लम्बी तनख्वाहें देकर हम स्वदेशवासियों का आदर्श गिरा दिया है । तब सरकारी नौकरी रोब और धन का साधन न होगी, बल्कि

सेवा और धर्म का। तब लोग सरकारी नौकरो की इज्जत करेंगे, भय से नहीं, भक्ति से। दुनिया के किसी मुल्क में मातहतो और अफसरों के बेतनो में इतनी विषमता नहीं है, जितनी भारत में। यह भीषण दृश्य यही देखने में आता है, कि चौबोस घंटों सड़को पर पहरा देनेवाला, रातो को अंधेरी गलियो में चक्कर लगानेवाला कास्टेबिल, तो पन्द्रह-बीस रुपये पाये और महलो में ऐश से विलास करनेवाले अफसर, पन्द्रह सौ और दो हजार रुपये हड़प करे। बाबू जी नौ बजे दिन से नौ बजे रात तक तीस रुपये में आँखे फोड़े और उनके अफसर केवल कागजो पर दस्तखत करके तीन सौ रुपये फटकारे। स्वराज्य-सरकार के हाथो इस कुदशा का सुधार होगा। न अफसरों के चिराग आसमान में जलेंगे, न गरीबो के घरों में अघेरा रहने पायेगा।

[गरीबो की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हरेक आन्दोलन में गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं, यह भी अमर सत्य है।] इस आन्दोलन में गरीब ही आगे-आगे हैं और उन्ही को रहना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य से सबसे ज्यादा फायदा उन्ही को होगा भी, लेकिन जैसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य हो जाने से समाज के किसी अंग को कोई हानि नहीं पहुँच सकती, लाभ ही लाभ होगा। हाँ, उनको अवश्य हानि होगी, जो खुशामद और लूट और अन्याय के मजे उडा रहे हैं। वे अगर स्वराज्य के बाहर रहे, तो उनका फायदा है, लेकिन जो नीति-धर्म और सत्य के माननेवाले हैं, उनके लिए स्वराज्य से चौकने का कोई कारण नहीं। उन्हें दिल खोलकर, निर्भय रूप से, इस संग्राम में सम्मिलित होना चाहिए। ऐसे अवसर रोज-रोज नहीं आते।

हंस, अप्रैल १९३० ई०

आजादी की लड़ाई

आजादी की लड़ाई शुरू हो गयी। महात्मा गांधी ने ६ अप्रैल को समुद्र के तट पर डंडी में ग्लामी की बंडी पर पहला हथौडा चलाया और उसकी भंकार सारे देश में गूँज उठी। पहले किसी की समझ में न आया कि महात्मा जी क्या करने जा रहे हैं। मजाक भी उडाया गया। एक गवर्नर ने अपने खुशामदी टट्टुओ को जमा करके अपने दल के फफोले फोडते हुए इस संग्राम को दुःखमय प्रहसन बतलाया। गवर्नर साहब को क्या मानूम था, कि यह दुःखमय प्रहसन दो सप्ताह ही में आजादी का एक प्रचंड प्रवाह सिद्ध हो जायगा, जिसे नौकरशाही की सारी सगठित शक्ति भी न रोक सकेगी। वह सब किया गया, जो ऐसी परिस्थितियो में स्वेच्छाचारी शासन किया करता है। हमारे नेता चुन-चुनकर जेल भेज दिये गये, अफसरों को नये-नये अधिकार दिये गये, वायसराय ने

भी ग्राने स्वरक्षिन् ग्रस्त्र निकाल लिये, यहाँ तक कि इस लू और गर्मी में देवताओं में को पर्वतशिखरो से दो-एक बार उतरकर नीचे आना पडा, जो भारत के इतिहास में अनहोनी बात थी, लेकिन स्वराज्य-सेना के कदम आगे ही बढ़े जाते हैं। जैसे बच्चे हार जाते हैं, तो दान काटने लगते हैं, वही हाल नौकरशाही का हो रहा है। कहीं निहत्थी जनता पर डटो और गोलियों की बाछार हो रही है, कहीं जनता में फूट डालने की कोशिश हो रही है, (जिस गवर्नर का हमने ऊपर जिक्र किया है, उसी ने एक दूसरे मजमें में जमींदारो को इन विद्रोहियों की खबर लेने की सलाह भी दी थी) फिल्मों पर रोक लगायी जा रही है। तार की खबरो का सेसर किया जा रहा है। हमने इन सब बातों की कल्पना पहले ही कर ली थी। कोई बात हमारी आशाओं के खिलाफ नहीं हुई। अंग्रेजों की दानवता का नाच हम देख चुके हैं। कायरता, कमीनापन, निर्दयता आदि गुणों में इस जाति से बाजी ले जाना मुश्किल है। फिर भी हमारा जो कुछ अनुमान था, उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। न कोई कानून है, न कायदा, न नीति, न धर्म। बस जिधर देखिए, लबड-धो-धो, एक घबड़ाये हुए आदमी की बौखलाहट। एक ही अपराध के लिए दो महीने से दो साल तक की सजा और वह भी कठोर। मगर हम इन बातों की शिकायत नहीं करते। इन्हीं अन्यायों से तो हमारी विजय है। सन्निपात मौत के चिन्ह है।

हम तो महात्माजी की सूझ-बूझ के कायल हैं। जो बात की, खुदा की कसम ला जवाब की ! न जाने कहीं से नमक-कर खोज निकाला, कि उसने देखते-देखते देश में आग लगा दी। कोई दूसरा ऐसा कर नहीं, जो गरीब से गरीब आदमी से वसूल किया जाता हो, और न कोई दूसरा कर ऐसा है, जिसका ऐसेम्बली ने इतना विरोध किया हो। अगर हमारी स्मृति भूल नहीं करती, तो शायद १९२४ में ऐसेम्बली ने इस कर को अस्वीकार कर दिया था और वाइसराय को इसे अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करना पडा था। कर का व्यापक नियम है, कि वह विलास की वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए। जो चीज जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी हवा और पानी, उस पर कर लगाना नीति-विरुद्ध है। अंग्रेजी राज्य के पहले, भारत में यह कर कभी न लगाया गया था। आज भी दुनिया-भर में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ नमक पर कर लगाया जाता है। मुसलिम स्मृतिकारों ने तो नमक, हवा और पानी पर कर लगाना निषिद्ध बतलाया है, पर हम १५० वर्षों से यह कर देते आये हैं, और मजा यह कि जिस वस्तु पर दो आना मन लागत आवे, उसपर सवा रुपये मन कर लिया जाता है, जो लागत का दस गुना है। सब से बड़ी बात यह है, कि इस कर को सामूहिक रूप से निहायत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई भूभाग नहीं, जहाँ लोनी मिट्टी न हो और शहर या गाँव, दोनों ही जगहों के आदमी बड़ी संख्या में जमा होकर इसे तोड़ सकते हैं और सरकारी नमक को बाजार से निकाल बाहर कर सकते हैं। नौकर शाही

ने एडी-चोटी का जोर लगाया, जितना पशुबल संभव था, उससे काम लिया, पर कर टूट गया। जिस नियम के भंग करनेवालों को सरकार दंड न दे सके, जिसकी रक्षा करने के लिए डंडे के सिवा और कोई दूसरा साधन न हो, वह कानूनी देवताओं में भले स्वरचित रह, पर व्यावहारिक रूप से वह टूट गया और सरकार के लिए अब इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, कि इस कर को मंजूख कर दे और अपनी हार स्वीकार कर ले। गवर्नमेंट सोचती होगी कि जब नमक के बड़े-बड़े कारखाने खुल जायेंगे, तो हम उसे ज़ब्त कर लेंगे और इस तरह आजाद नमक को सिर न उठाने देंगे; लेकिन हमारे पास इस चाल का यही जवाब है कि हम अपने-अपने घरों में नमक बनाना उतना ही ज़रूरी समझ लें, जितना भोजन बनाना। फिर हम देखेंगे कि सरकार अपना नमक कैसे हमारे गले मढती है। लच्छणों से मालूम होता है, कि नमक आंदोलन असर कर रहा है, और नमक के व्यापारियों ने सरकारी नमक मँगाने में आना-कानी शुरू कर दी है। सरकार के इस प्रचंड दमन के फल-स्वरूप बाज बड़े शहरों में जनता भी शांति के आर्दश को न निभा सकी, और कराची, बंबई, पूना और कलकत्ता आदि शहरों में कुछ गोलमाल हुआ, जिससे पुलिस को अपने दिल के अरमान निकालने का अच्छा मौका मिल गया, पर इन दुर्घटनाओं का दोष अगर किसी के ऊपर है, तो वह सरकार है। अगर वह सत्याग्रहियों को कायदे के अनुसार पकड़ लेती, तो कहीं कुछ न होता, जलूसों को रोकना, सत्याग्रहियों को डंडों से पीटना जनता से अगर न देखा जाय, तो हम उन्हें चम्पू भते हैं। अगर नौकरशाही को यही विश्वास है, कि निरस्त्र जनता पर लाठियों का प्रहार करके, वह उन पर धाक जमा सकती है, तो यह उसकी भूल है। इन चारों स्थानों में ही पुलिस ने जिस गुड्डेपन का परिचय दिया है, वह असम्य से असम्य जातियों को कलकित करने के लिए काफी है।

क्या मुसलमान कॉंग्रेस के साथ नहीं है ?

अभी तक तो सरकार के लिए यह कहने की गुंजाइश बाकी थी, कि इस आंदोलन में केवल कॉंग्रेस के गरम दलवाले ही शामिल हैं, लेकिन दिन-दिन उस पर यह हकीकत खुलती जाती है, कि अजादी की लड़ाई में देश के सभी दल मिले हुए हैं। और अगर उसके मिलने में कुछ कसर थी, तो वह सरकार की हिमाकत और पागलपन की बदौलत पूरी हुई जाती है। पुरानी कहावत है—बुरे दिन आते हैं, तो बुद्धि भी अष्ट हो जाती है। इस वक्त ऐसा जान पड़ता है, कि अंग्रेजों के बुरे दिन आ गये हैं, नहीं तो अंग्रेजी कपड़े को अन्य देशों के कपड़ों से कम महसूल पर लाने का प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत ही क्या थी। गैर सरकारी बहुमत इस प्रस्ताव के विरुद्ध था; पर सरकार ने अपनी जिद से उसे पास करके ही छोड़ा। नतीजा क्या हुआ ! आज 'प० मदनमोहन मालवीय, मि० केलकर, मि० अणु, मि० हसनइमाम हमारे साथ है और व्यापारी-दल तो बिलकुल अलग ही हो गया। अब सरकार को माडरेटों में नाम

लेने के लिए दो चार लिबरल और रह गये हैं। हमें आशा है, कि उसकी कोई नयी हिमाकत यह कमाल भी कर दिखायेगी। हालाँकि लिबरलों के विषय में हमें संदेह है कि कोई अनिति, कोई अत्याचार इन्हें जगा सकता है। इनकी आशा अपार है और धैर्य अनन्त। वायसराय, सेक्रेटरी, अंडरसेक्रेटरी, और भी जिसकी वाणी की कुछ इज्जत है, कह चुके कि डोमिनियन स्टेट्स अभी बहुत दूर है; लेकिन हमारे लिबरल भाई हैं, कि उस 'बहुत दूर' को 'बहुत नजदीक' समझने के लिए बेकरार हैं। लिबरलों की राजनीति डिनर-पार्टी और ड्राइंग-रूम तक महदूद है; इसलिए सरकार के अंतिम आधार अगर लिबरल हों, तो यह सरकार और लिबरल दोनों ही के लिए आपस में हाथ मिलाने और बधाइयाँ देने का अवसर हो सकता है। अगर इस तिनके का सहारा सरकार लेना चाहती है, तो शौक से ले; मगर सरकार ने शुरू से जिस हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य की उपासना की है, उसे इस संकट के अवसर पर कैसे भूल जाती! कहा जा रहा है, और लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस आंदोलन में काँग्रेस के साथ नहीं हैं। मुसलमान नेता जत्थेदार बन-बन कर कैंद हों, मार खायें, कितनी ही काँग्रेस कमिटियों के प्रधान और मंत्री हों; लेकिन फिर भी यही कहा जाता है, कि मुसलमान काँग्रेस के साथ नहीं हैं। जमैयतुल-उलमा जैसा सर्वमान्य मंडल पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि नमक का महसूल इसलामी शरीयत के खिलाफ है; पर कहनेवाले कहे जाते हैं— मुसलमान इस आंदोलन के साथ नहीं। मालूम नहीं, वह यह कह-कह कर किसे धोखा देना चाहते हैं। हाँ, हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारे खान बहादुर साहबान, जिनकी संख्या ईश्वर की दया से, अंग्रेजों की असीम कृपा होने पर भी, बहुत ज्यादा नहीं हैं, मगर खाँ साहब नहीं हैं तो बेशक हमारे साथ नहीं तो राय साहब भी तो नहीं हैं। यों कहिए कि यह उन लोगों का आंदोलन है, जो अपने सारे संकटों का मोचन एक मात्र स्वराज्य ही को समझते हैं। जो गरीब हैं, भूखे हैं, दलित हैं, या जो गैरत से भरा हुआ, देशाभिमान से चमकता हुआ हृदय रखते हैं और यह देखकर जिनका खून खौलने लगता है, कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन करे! इसमें न हिन्दू की कैंद है, न मुसलमान की। दोनों ही समान रूप से यह संकट भेल रहे हैं, तो दोनों समानरूप से शरीक हैं। मुसलमान आजादी के प्रेम में हिन्दुओं से पीछे रह जायें, यह असंभव है। मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की यह सब मुसलमानों ही के देश हैं। देखिए अपनी आजादी के लिए उन्होंने क्या-क्या किया और कर रहे हैं। वह कौम कभी आजादी के खिलाफ नहीं जा सकती। दो-चार मौलवी, दो-चार "सर", दस-पाँच "आनरेबुल" यह हाँक लगाये जायेंगे, शौक से लगावें। हिन्दू हों या मुसलमान, जो अंग्रेजी राज्य में धन और अधिकार के सुख लूट रहे हैं, वे अंग्रेजी सरकार के परम भक्त हैं और रहेंगे और रहना चाहिए। वे किसी के तो नमक हलाल बने रहें। जिसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है,

जो अंग्रेजों की शरण आकर कोई ओहदा पा जाना ही अपनी जिन्दगी का निर्वाण सम्भूता है, वह हमेशा उस पक्ष की तरफ रहेगा, जहाँ उसे सफलता का पूरा भरोसा है। ऐसे लोग खतरे की तरफ भूलकर भी न आवेंगे। अमेरिका के गुलाम भी तो 'गुलामों की आजादी' की लड़ाई में मालिकों के पक्ष में लड़े थे। ऐसे गुलाम प्रकृति के लोग हमेशा रहेगे और उनके रहने से किसी आन्दोलन का नाश नहीं होता। मगर हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए, कि हमारी इस मुसाहलत की हालत में हवा का भोका न लगने पाये, नहीं तो वह घातक हो जायगा। कहीं अछूतों को हमसे भड़काने की कोशिश की जायगी और की जा रही है, कहीं हिन्दू-मुगलमानों को लडा देने के मसूबे सोचे जायँगे। हमें इन सब चालों को तीव्र दृष्टि से देखते रहना चाहिए। क्या जमाने की खूबी है, कि जिन लोगों ने अछूतों को उससे कहीं ज्यादा दलित किया है, जितना कट्टर-से कट्टर हिन्दू-समाज कर सकता था, वह आज अछूतों के शुभचिन्तक बने हुए है। बेगार की सल्लित्तियों का दोष किस पर है, हिन्दू समाज पर या सरकार पर ? उन्हें अपठ रखने का दोष किस पर है, हिन्दू-समाज पर या सरकार पर ? उन्हें ताड़ी, शराब, गाँजा, चरस पिला-पिलाकर कौन रुपये कमाता है, सरकार या हिन्दू-समाज ? प्रारम्भिक शिक्षा का बिल सरकार ने पेश किया था, या स्वर्गीय मि० गोखले ने ? उसे किसने घनाभाव का बहाना करके नामजूर कर दिया, हिन्दू-समाज ने या सरकार ने ? हमें पूरा विश्वास है, कि जिस सरकार ने कितनी ही अछूत जातों को जरायम पेशा बना दिया, उसकी शुभ-चिन्तना-प-हमारे दलित-समाज के नेता लोग भरोसा न करेंगे। हिन्दू-समाज अपने दलित भाइयों के प्रति अपना कर्त्तव्य समझने लगा है और वह दिन दूर नहीं है, जब आर्य और अनार्य, ऊँच और नीच की कैंद नाम को भी बाकी न रहेगी। सभव है, देहातो के कट्टर हिन्दू कहीं-कहीं अब भी उनके साथ वही पुराना बर्ताव करते हों, लेकिन विचारशील हिन्दू-समाज अब उस अन्याय को कायम न रहने देगा।

आजादी की लड़ाई में कौन लोग आगे है ?

इस लड़ाई ने हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की कलई खोल दी। हमने आशा की थी, कि जैसे अन्य देशों में ऐसी लडाइयों में छात्रवर्ग प्रमुख भाग लिया करते हैं, वैसे यहाँ भी होगा ; पर ऐसा नहीं हुआ। हमारा शिचित्त समुदाय, चाहे वह सरकारी नौकर हो, या वकील, या प्रोफेसर, या छात्र, सभी अंग्रेजों सरकार को अपना इष्ट समझते हैं और उसकी हड्डियों पर दौड़ने को तैयार हैं। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि निम्नानवे सैकड़ ग्रेजुएटों के लिए सभी द्वार बन्द हैं, पर निराशा में भी आश लगाये बैठे हैं, कि शायद हमारी ही तकदीर जाग जाय। देख रहे हैं, कि काँग्रेस के आन्दोलन से ही अब थोड़े-से ऊँचे ओहदे हिन्दुस्तानियों को मिलने लगे हैं, फिर भी राजनीति को हौआ समझे बैठे हुए हैं। या तो उनमें साहस नहीं, या शक्ति नहीं, या आत्म-गौरव नहीं, उत्साह नहीं। जिस देश के शिचित्त युवक इतने मन्दोत्साह हों, उसका

भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। हमारा वकील समुदाय तो इस संग्राम से ऐसा भाग रहा है, जैसे आदमी की-सूरत देखते ही गीदड भागे। हमारे बड़े से बड़े नेता—जिनकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक भी यह लोग नहीं—घडाघड जेलो में बन्द किये जा रहे हैं, पर यह है कि अपने बिलो में मुँह छिपाये पडे हैं। यहाँ तक कि स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा पर दस्नखन करते हुए भी उनके हाथ काँपने लगते हैं और कलम हाथ से छूटकर गिर पडती है। और आजादी का नमक देखकर तो उन्हें जूटी-सी चढ आती है। हमें यह देखने का अरमान ही रह गया, कि कोई वकील किसी जत्थे का नायक होता। नहीं, वह तमाशा देखना भी खतरनाक संभक्त है। बस, मुल्ला की दौड मस्जिद तक। कचहरी गये, और घर आये। उन्हें दीन-दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस बेगैरती का भी कोई ठिकाना है। अभी किसी सरकारी पार्टी में शरीक होने का नेवता मिल जाय, तो मारे खुशी से पागल हो जायँ। नेवते के कार्ड के लिए बडो-बडो चाले चली जाती है, नाक रगडी जाती है, और वह कार्ड तो साक्षात कल्प-वृक्ष ही है। गोरी सूरत देखी और माथा जमीन पर टेक दिया। ऐसे लोगो के दिन अब गिने हुए हैं। स्वाधीन भारत में ऐसे देशद्रोहियो के लिए कोई स्थान न होगा। वह जनता, जिसे यूनिवर्सिटियो की हवा नहीं लगी, और आन्दोलनो की तरह इस संग्राम में भी आगे-आगे है। हमारे छोटे-छोटे दूकानदार, मजदूर, पेशेवर ही सैनिको की अगली सफो में है और भविष्य उन्ही के हाथ में है। लक्षण कह रहे हैं, कि सुट-बूटवाले अंग्रेजो के गुलामो की वही हालत होनेवाली है, जो रूस में हुई है। यह लोग खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता और सब मुआफ़ कर देती है, पर देश-द्रोह को वह कभी मुआफ़ नहीं करती। राष्ट्रीय सस्थाओ को देखिए—गुजरात-विद्यापीठ, काशी-विद्यापीठ, अभय-आश्रम, गुरुकुल-कागडी, प्रेम-विद्यालय वृन्दावन आदि ने अपने-अपने सिपाहियो के जत्थे भेजे और भेज रहे हैं। उनके छात्र जान हथेली पर रक्खे मँदान में निकल पडे हैं; पर यूनिवर्सिटियो ने भी कोई जत्था भेजा? हमें तो खबर नहीं। यूनिवर्सिटियो में भी कोई प्रोफेसर आगे बढा? कहाँ की बात। अपने लोग यह राग नहीं पालते। आनन्द से भोजन करे, रूसी उपन्यास पढ़े, ताश खेले, ग्रामोफोन या रेडियो का आनन्द उठायँ, या इस भ्रष्ट में पडे? जिन्दगी सुख भोगने के लिए है, भीकने के लिए नहीं! काश यह यूनिवर्सिटियाँ न खली होती, काश आज उनकी ईंट से ईंट बज जाती, तो हमारे देश में द्रोहियो की इतनी सख्या न होती। यह विद्यालय नहीं, गुलाम पैदा करने के कारखाने हैं। स्वाधीन भारत ऐसे विद्यालयो को जड़ खोदकर फेंक देगा।)

देहातो में प्रोपेगंडे को ज़रूरत

अब तक हमारे आन्दोलन शहरो ही तक महदूद रहे हैं, लेकिन नमक-कर-भंग देहातो में भी जा पहुँचा है। सत्याग्रही दलो का देहातो से पैदल निकलना ऐसा प्रोपेगंडा है, जिसके महत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। नौकरशाही का आतंक देहातो

पर शहरो से कही ज्यादा छाया हुआ है। वहाँ सब-इंसपेक्टर का दर्जा ईश्वर से कुछ ही कम होता है और कास्टेबुल तो खुदमुस्तार बादशाह ही है। कोई आन्दोलन जिससे पुलिस के रोब-दाब में फर्क पड़े, उसकी हवा भी वहाँ नहीं पहुँचने पाती। मगर अब समय आ गया है, कि हमारे स्वयंसेवक बड़ी संख्या में देहातो में पहुँचें और जलसो और जुलूसों से लोगों में राजनैतिक भाव भरें और उन्हें आनेवाले महासंग्राम के लिए तैयार करें। अगर देहातो में यह आग लग गयी, तो फिर किसी के बुझाये न बनेगी। हम यह मानते हैं, कि देहातो में नौकरशाही दमन के कठोर से कठोर शस्त्रों का प्रहार करेगी, जमींदारों को भडकायेगी, तरह-तरह की गलतफहमियाँ फैलायेगी, पर हमें इन कठिनाइयों का सामना करना है। हमें यह समझना है, कि इस राज्य में सबसे ज्यादा हमारे देहात ही सताये जाते हैं, और स्वराज्य में सबसे ज्यादा हित देहातवालों ही का सिद्ध होगा।

हिन्दू-मुसलिम बाँट-वखरे का प्रश्न

भारतीय एकता के विरोधी यह कहते कभी नहीं थकते, कि जब तक हिन्दुओं और मुसलमानों में हिस्से का समझौता न हो जाय, मुसलमान इस संग्राम में शामिल नहीं हो सकते। इस कथन में कितनी सच्चाई है, इसे मुसलिम जितना अब समझने लगी है। वह यह है, कि जब तक एक तीसरी शक्ति इन दोनों जातियों के वैमनस्य से फायदा उठानेवाली रहेगी, एकता का सूर्य कभी उदय न होगा। पूरी एकता तो स्वराज्य मिल जाने पर ही हो सकती है। हिस्से का निश्चय करने के लिए एक से अधिक बार कोशिशों की गयी, यहाँ तक कि आज भी सर तेजबहादुर सप्रू सर्वदल-सम्मेलन करने में लगे हुए हैं; मगर उन कोशिशों का फल क्या निकला? समझौता न हुआ, न हुआ। कोई रोजगार शुरू किया जाता है, तो पहले ही से यह निश्चय नहीं कर लिया जाता, कि हम इतने रुपये की सैकड़ें नफा लेंगे। पहले तो उसके लिए पूँजी जमा की जाती है। फिर संगठन शुरू होता है, तब माल की तैयारी होती है, इसके बाद खपत का सवाल होता है, आखिर में नफे का प्रश्न आता है। यहाँ पहले ही से नफे के हिस्से तय करने की सलाह दी जाती है। अरे भाईजान, पहले पूँजी तो लगाओ, अभी नफे का क्या सवाल है? हिन्दुस्तान अगर इतने दिनों की गुलामी से कुछ सीख सका है, तो वह यह है, कि समाज के किसी अंग को असन्तुष्ट रखकर राष्ट्र दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता। हमें विश्वास है, कि भारत इस सबक को अब कभी न भूलेगा। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है, कि मुसलमान जितना चाहे ले ले, इसमें हिस्से का सवाल ही नहीं। स्वराज्य के अधीन राजपद धन कमाने का साधन नहीं, प्रजा की सेवा का साधन होगा। हम तो यही समझे बैठे हैं। अगर उस दशा में भी हमारे मुसलमान भाई राजपदों या मेम्बरियों में बड़ा हिस्सा लेने का आग्रह करेंगे, तो स्वराज्य-सरकार उनके मार्ग में बाधक न बनेगी। उस वक्त राजपद वही स्वीकार करेंगे, जो देश के लिए

त्याग करना चाहेंगे, धन-लोलुप और विलासी जनों के लिए स्वराज्यशासन में कोई स्थान न होगा।

मशीनगन और शान्ति

शान्ति स्थापित करने के दो साधन हैं। एक तो मानवी है, दूसरा दानवी। एक मशीनगन है, दूसरा देश की वास्तविक दशा को समझना और उसके अनुकूल व्यवहार करना। सरकार ने अपने स्वभावानुसार मशीनगन से काम लेना ही उचित समझा है। इसका परिणाम क्या होगा, सरकार को इसकी चिन्ता नहीं। पुलिस और सेना उसके पास है। देश में जितने स्वाधीनता के उपासक हैं, वह सब बड़ी आसानी से तोप का शिकार बनाये जा सकते हैं। भारत गरीब है, यहाँ ऐसे आदमियों की कभी कमी न रहेगी, जो पेट के लिए अपने भाइयों का गला काटने को तैयार रहें। कांग्रेस के लोग जेल में पहुँच ही गये। और दलों के इने-गिने आदमी हैं, उनको फाँस लेना और भी आसान है। रहे हमारे लिबरल भाई, उनकी परवा ही किसे है? सरकार उनकी सहायता के बगैर भी राज कर सकती है। टैक्सों को दूना कर देने का उसे अख्तियार है। इस तरह वह इससे बड़ी फौज भी रख सकती है। मशीनगनों के सामने चूँ करने का किसे हौसला हो सकता है। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन बड़ी आसानी से बढ़ाये जा सकते हैं। कुछ थोड़े से ओहदे हिन्दुस्तानियों को देकर बड़ी आसानी से काम लिया जा सकता है। समाचार-पत्रों को एकदम बंद कर देने से फिर कहीं से विरोध की आवाज भी न आयेगी। सरकार अपने दिल में सन्तोष कर सकती है, कि अब किसी को कोई शिकायत नहीं रही। रिफार्म की, गोलमेज-कान्फरेन्स की और डोमिनियन स्टेट्स की चर्चा ही व्यर्थ है। यह इसी दानवी नीति का फल है, कि आज भारत में अंग्रेजों का कोई दोस्त नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थवश सरकार की खुशामद करते हैं, वे भी उसके भक्त नहीं हैं। ऐसा प्रजा पर राज करना, अगर अंग्रेजों के लिए गौरव की बात है, तो हम नहीं समझते, कि वह अपनी सभ्यता और उच्चता का किस मुँह से दावा कर सकती है। अगर अंग्रेजों की जगह इस वक्त हब्शी होते, तो वे भी दमन ही तो करते। दमन शासन का सबसे निकृष्ट रूप है और अंग्रेजों ने उसी का आश्रय लिया है। क्या उनका खयाल है, कि जिस शक्ति से दबकर उन्होंने सुधार किये और कान्फरेन्स के वादे किये, वह शक्ति अब गायब हो गयी है? दमन उस शक्ति को दिन-दिन मजबूत कर रहा है। उस राज्य के लिए इससे बढ़कर कलंक की दूसरी बात नहीं हो सकती, कि उसे हर एक बात के लिए मशीनगनों ही की शरण लेना पड़े। जिस राज्य में जनता पर महज इसलिए गोलीयाँ चलायी जायँ, कि वह अपने लीडरों की गिरफ्तारी पर शोक मनाने के लिए जमा होती है, उसके चल-चलाव के दिन अब आ गये हैं। पेशावर में जो हत्याकाण्ड हुआ है, वह कभी न होता, अगर नौकरशाही ने मशीनगनों और फौजी हथियारों से जनता को धमकाया न होता। वह जमाना गया, जब जनता पशुबल के

प्रदर्शन से डर जाया करती थी। अब वह डरती नहीं, वह उसे अपनी पराधीनता का हेतु समझकर उसकी जड़ खोदने के लिए और दृढ़ संकल्प कर लेती है। नमक कानू टूट गया। सरकार की मशीनगने उसको न बचा सकी। लाखों नमक बनानेवाले आज गर्व से सिर उठाये घूम रहे हैं। आडिनेन्स भी टूट जायगा। कोई कानून, जिसको राष्ट्र के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है और जिसका केवल पशुबल पर आधार है, अब जनता उसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं है। सरकार अगर आँखे बन्द रखना चाहती है, तो रखे, पर उसके आँखे बन्द कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल सकती। देश अब अपनी किस्मन का मालिक आप बनना चाहता है। और उसकी कीमत अदा करने का निश्चय कर चुका है। पेशावर और कराची जैसे कांड उसके पतन को और निकट ला रहे हैं।

अप्रैल १९३०

दमन

दमन का बाजार गर्म है। निर्बल का एकमात्र आधार रोना है, सबल का एक मात्र आधार आँखे तरेरना। दोनो क्रियाएँ आँखो से ही होती हैं, लेकिन उनमे कितना बड़ा अन्तर है! स्वेच्छाचारी सरकारो की बुनियाद पशु-बल पर होती है। वह हरेक अवसर पर अपना पशु-बल दिखाने को तैयार रहती है। प्रजा की हरेक शिकायत की दवा उनके पास सगीन और मशीनगन है। पशु-बल पर उनका अखंड विश्वास है। उनकी समझ मे यह हरेक बीमारी की अचूक दवा है। वह कभी इसे स्वीकार नहीं करती, कि यह दवा कभी-कभी चूक भी जाती है। अगर पुराना इतिहास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण देता है, अगर रूस, इटली, फ्रांस और स्वय इंग्लैंड आदि देशो मे इसका व्यर्थ होना सिद्ध हो गया है, तो हमारी सरकार इससे यह नतीजा निकालती है, कि उन देशो मे उतना दमन नहीं किया गया, जितना जरूरी था। अगर पक्का, सोलहो आना दमन होता, तो मजाल थो, कि शासको को सफलता न होती। उन देशो के शासक कच्चे थे, दमन करना न जानते थे। हमारी सरकार दमननीति के व्यवहार मे सबसे बाजी लिये जा रही है और यह कौन कह सकता है, कि वह गलती पर है। पुरानी कहावत है, कि मार के आगे भूत भागता है। आखिर आदोलन करनेवाले, आदमी ही तो है। मार्शल लॉ से, जेलखानो मे बन्द करके, सरकार उन्हें चुप कर सकती है, मगर जैसा जर्मनी के प्रिंस बिस्मार्क जैसे पशुबलवादी को भी स्वीकार करना पड़ा था, कि "सगीन से तुम चाहे जो काम ले लो; पर उस पर बैठ नहीं सकते।" हमारी सरकार दमन के व्यवहार से, चाहे जाति को चुप कर दे, पर उसे शान्त नहीं रख सकती। उसके लिए दोनो रास्ते खुले हुए हैं। एक तो प्रजा की शान्ति—उससे उत्पन्न होने-

वाली विभूतियों की ओर ले जाती है, दूसरी प्रजा की अशान्ति—उससे उत्पन्न होने वाली विपत्तियों की ओर। एक तरफ कीर्ति है, गौरव है, पारस्परिक सहानुभूति है ; दूसरी ओर अपकीर्ति है, मन्थाय है, नोच-खसोट है। हम यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कि अंगरेजों को नेकनामी से प्रेम नहीं। व्यक्ति की भाँति ही कोई जाति इतनी पतित नहीं हो सकती, कि उसे बदनामी को लज्जा न हो। क्या अनेवाली अंगरेज जाति इतिहास के पन्नों में अपने पूर्वजों की क्रूर कथाएँ पढ़कर गौरवान्वित होगी ? क्या अंगरेज जाति चाहती है, कि उसके और भारत के बीच इतना वैमनस्य हो जाय, जो सदियों में भी न मिटे ? अंगरेजों का भविष्य उनके वाणिज्य और व्यवसाय पर है। क्या भारतीय जनता को असन्तुष्ट रखकर वह अपने व्यापार को जीवित रख सकते हैं ? मि० वेजवुड बेन ने अभी अपने व्याख्यान में कहा है, कि बड़ी से बड़ी फौजी ताकत भी भारतीय किसानों को अंगरेजी चीजें लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। तब जान-बूझकर सरकार क्यों इतनी निर्दयता से दमन पर कमर बाँधे हुए है, यह हमारी समझ में नहीं आता। हमने मि० वेजवुड बेन के व्याख्यान को बड़े ध्यान से पढ़ा। उससे हमें घोर निराशा हुई। वह अभी तक भारतीय आंदोलन का तत्त्व ही नहीं समझे, या शायद समझते हुए भी न समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर उनका ब्याल है, कि यह आंदोलन कांग्रेस के थोड़े-से आदमियों का खड़ा किया हुआ है और उन्हें जेल में बन्द करके या डंडों से पीटकर इसकी जड़ खोदी जा सकती है, तो यह उनकी भूल है। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है, यह भारतीय आत्मा के स्वाधीनता-प्रेम को विकल जाग्रित है। महात्मा गांधी क्यों भारत के हृदय पर राज्य कर रहे हैं ? इसीलिए कि वह इस विकल जाग्रित के जीते-जागते अवतार हैं। वह भारत के सत्य, धर्म, नीति और जीवन के सर्वोत्तम आदर्श हैं। उन्हें जेल में बन्द करके सरकार ने अगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह है कि जिस शासन में ऐसा देव-तुल्य पुरुष भी स्वाधीन नहीं रह सकता, वह जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही भारत के लिए और समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा। मि० बेन फरमाते हैं, कि किसानों पर इस आंदोलन का असर नहीं है और न मुसलमानों पर है। हम मि० बेन को इतना सादालीह न समझते थे। स्वराज्य-आंदोलन खासकर किसानों ही का आंदोलन है। क्या किसान इतने बड़े मूर्ख हैं, कि वह अपना हित भी नहीं समझते ? सम्भव है, कि उनके पास अपने भावों और विचारों के प्रकट करने का वैसा अवसर, साधन और साहस न हो, जिसका मि० बेन जैसे आदमी पर असर पड़ता ; पर इसका यह आशय नहीं, कि वह इस आंदोलन में शरीक ही नहीं हैं ? अगर इस आंदोलन में उनका कोई फायदा न होता, शिक्षित समाज ने उन्हें बेवकूफ बनाकर केवल अपना मतलब गाँठना चाहा होता, तो सम्भव था, किसान शरीक न होते ; लेकिन जब किसानों की आर्थिक कठिनाइयों का सुधार इस आंदोलन के मुख्य तत्त्वों में है, तो किसान क्यों न शरीक

होंगे ? किसानों से ज्यादा कर और कौन देता है ? उनके खेत में उपज हो या न हो ; पर उन्हें लगान अवश्य देना पड़ेगा और लगान भी वह जो बराबर बढ़ता चला जाता है । क्या किसान बोलते नहीं, तो क्या अपनी दशा को महसूस भी नहीं करते ? महात्मा जी ने तो खुद किसानों को 'बेजबान' कहा है । अभी तो इस आंदोलन को चले हुए तीन महीने भी पूरे नहीं हुए । ईश्वर ने चाहा, तो सरकार को यह भी मालूम हो जायगा, कि किसान इस आंदोलन में कहाँ तक शरीक हैं ! रहे मुसलमान । पिछले वैमनस्यों के कारण अभी कुछ मुसलमान जनता ऐसी अवश्य है, जो इस आंदोलन को शुबहे की निगाह से देखती है ; पर अधिकांश लोग हमारे साथ हैं, जैसा कि जमेयतुल-उलेमा के फैसले से जाहिर है । पेशावर मुसलमानों का शहर है और वहाँ की जनता पर जो कुछ हुआ है, उसने हमारे बहुत से मुसलिम भाइयों की आँखें खोल दी हैं । अभी बम्बई के भिंडी बाजार में मुसलिम जनता पर जो कुछ किया गया है, उसका असर भी जरूर होगा । फिर क्या यह अँगरेजी सरकार के लिए गौरव की बात है, कि वह आंदोलन के तत्व पर विचार न करके ऐसे विचारों से सन्तोष प्राप्त करे, कि इस आंदोलन में फलाँ शरीक हैं, फला नहीं शरीक हैं । यह एक अप्रिय सत्य है पर उसे विवश होकर कहना ही पड़ता है, कि मुसलिम नेताओं में इस वक्त कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन पर मुसलिम जनता का विश्वास नहीं । कुछ मुसलिम नेता इस आंदोलन से अपना मतलब गाँठने की फ़िरक में पड़े हुए हैं और मुसलिम जनता के हितों को अपने स्वार्थ पर बलिदान कर रहे हैं । क्या लगान कम हो जाने से केवल हिन्दू किसानों का हित होगा ? क्या स्वदेशी के प्रचार से केवल हिन्दुओं का हित होगा ? मेम्बरियों और ओहदों के लिए भगड़ना मुसलिम जनता के हितों को थोड़े से शिचित समाज के स्वार्थ की भेंट करना है । हमें पूरी आशा है, और उसके लक्षण भी दिखायी बे रहे हैं, कि बहुत जल्द मुसलिम जनता अपने नेताओं से फिरकर इस आन्दोलन में शरीक हो जायगी । मुसलिम जनता को भी अब यह बात मालूम हो गयी है, कि सरकार को न हिन्दुओं से प्रेम है, न मुसलमानों से । उसके मार्ग में जो बाधक होगा, चाहे वह हिन्दू हो, या मुसलमान, उसके साथ किसी तरह की रियायत न की जायगी । सरकार को नीच हिन्दू-जातियों से भी कुछ आशा है । कहीं-कहीं उसकी तरफ़ से इस आन्दोलन के विरोध की आवाजें भी आ रही हैं । हमें इस बात से लज्जा और खेद है, कि ऊँची जातों ने नीची जातों के साथ पूर्वकाल में ऐसा अन्धता सलूक नहीं किया, जैसा उन्हें करना चाहिए था ; लेकिन जागा हुआ हिन्दू-समाज अब अपने पिछले दुर्व्यवहारों का प्रायश्चित्त कर रहा है और काँग्रेस उन पुराने लचर और अमानुषीय बन्धनों को तोड़ने में अपना पूरा जोर लगा रही है । काँग्रेसी हिन्दू की नज़र में सभी हिन्दू बराबर हैं । वह किसी के साथ मिलने, साथ भोजन करने, देवमन्दिरों में एक साथ पूजा करने में आना-कानी नहीं करता । वह हिन्दू-धर्म के ठीकेदारों से लड़ने पर भी तैयार है । एक

अछूत भाई से बराबरी के नाते से मिलकर काँग्रेसमैन को जितना आनन्द होता है, उसे बयान करने की जरूरत नहीं। उसका बस चले, तो वह आज ही ऊँच-नीच के बन्धनों को तोड़ दे। हमें विश्वास है, कि बहुत थोड़े दिनों में ऊँच-नीच का भेद केवल इतिहास में रह जायगा ; मगर हम सरकार से पूछते हैं, आप जो अछूतों के बड़े हितैषी बनते हैं, आपने उनके उद्धार के लिए क्या किया है ? आपने क्यों बेगार नहीं बन्द की ? क्या आपको यह नहीं मालूम कि बेगार जिन से ली जाती है, वह यही नीच भाई है ? जरायमपेशा जातियों की सृष्टि किसने की है ? आपने या काँग्रेस ने ? नीच भाइयों की शिक्षा के लिए प्रबन्ध करने में आपने कितनी उदारता से काम लिया है ? इन बातों के होते हुए भी आप किस मुँह से अछूतों के हितैषी बनने का दावा कर सकते हैं ? हमारे आदि हिन्दू भाई अब अपना दोस्त-दुश्मन पहचानने लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वह इस अवसर पर अपनी समझ से काम लेंगे। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि काँग्रेस के द्वारा ही उनका उद्धार हो सकता है और कोई शक्ति उनका उपकार नहीं कर सकती।

जिस निर्दयता से दमन किया जा रहा है, उससे तो यह साफ़ मालूम होता है, कि सरकार भारत की जाग्रति से घबड़ाई हुई है। Law and order का ढकोसला बनाकर सरकार खुद Law and order को भंग कर रही है। क़ानून केवल प्रजा ही के लिए नहीं है। सरकार पर भी उसके बनाय हुए क़ानून उतने ही लागू होते हैं, जितने प्रजा पर ; मगर हम यहाँ देखते हैं, कि इस जाग्रति को दबाने के लिए सरकार किसी क़ानून की परवा नहीं कर रही है। जिस अपराध के लिए जो दंड नियत कर दिया गया है, उसका वह दंड न देकर सरकार जब जनता पर डंडों का प्रहार कराती है, तो इसे न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। आम तौर पर यही होता है, कि काँग्रेस का एक जुलूस निकलता है, अगर जुलूस को अपनी राह चले जाने दिया जाय, तो कोई चूँ भी न करे। काँग्रेस या उससे हमदर्दी रखनेवाली जनता लूटने के लिए जुलूस नहीं निकालती, न शांति-भंग करने के इरादे से चलती है ; मगर सरकार इसे अपमान समझती है और जुलूस को रोकने के लिए नये-नये दफ़े लगाती है, पुलिस से निहत्थों को पिटवाती है और जिस चीज़ की रक्षा के लिए वह यह सब कुछ करने का दावा करती है, वह इस कार्रवाई से भंग हो जाता है। पेशावर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ सभी जगह वही एक क्रिस्ता है। हम लखनऊ को लेते हैं। जिस हज़रतगंज से काँग्रेस के जुलूस को रोकने के लिए सैकड़ों सिर तोड़ दिये गये, उसी हज़रतगंज से उसके पहले दो बार काँग्रेस का जुलूस शान्ति-पूर्वक निकल गया था और एक चींटी की भी जान न गयी थी। इससे स्पष्ट है, कि सरकार भारतीय जाग्रति को दमन के जोर से दबाना चाहती है। Law and order केवल बहाना है। शोलापुर की परिस्थिति पर सरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, या पेशावर की तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने

सरकारी कर्मचारियों ने जो बयान दिये हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है, कि कर्मचारियों ने बेजा जल्दबाजी से काम लिया। पहले कहा गया था, कि शोलापुर में तीन पुलीसमैनों को मारकर जला दिया गया था। अब खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है, कि यह बात गलत थी। तो फिर मार्शल लॉ जारी करने और हत्याकांड का अपराधी कौन है? पेशावर में तहक्रीकाती कमेटी के सामने जो बयान हो रहे हैं, उनसे विदित होता है, कि जब तक जनता के तीन आदमी सशस्त्र कारों से कुचल नहीं गये, किसी ने पत्थर नहीं फेंके। एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा, कि फौज को बुलाने की कोई जरूरत न थी। फिर भी फौज बुलायी गयी और कितने ही आदमी मार डाले गये। क्या यही Law and order की रक्षा है? हम यह मानते हैं, कि कहीं-कहीं जनता ने पत्थर फेंके होंगे; पर उसी वक्त, जब पुलीस या फौज ने कोई ज्यादती की होगी। खेद तो इस बात का है, कि सेक्रेटरी तक पुलीस की इन डण्डेबाजियों की तारीफें कर रहे हैं और हिज एक्सेलेंसी भी यही फरमाते हैं, कि कहीं उससे ज्यादा सख्ती नहीं की गयी जितनी जरूरी थी। हमारे नेता गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं, कि पुलीस घोर अत्याचार कर रही है। इस कठोर दमन से उदासीन होकर लोग एसेम्बली और कौन्सिलों से धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं; पर सरकार यही कहे जाती है, कि जरूरत से ज्यादा सख्ती कहीं नहीं की गयी। सेक्रेटरी साहब ने तो इन इस्तीफों का चिक्र तक नहीं किया। अब तो स्त्रियों पर भी सख्ती होने लगी है। देखना चाहिए, यह दमन क्या-क्या गुल्लक खिलाता है। हम तो इतना ही जानते हैं, कि जाप्रति दमन से दबनेवाली नहीं। दमन से वह और भी जोर पकड़ेगी।

मई १९३०

डंडा

यों तो इंग्लैंड ने पिछले सौ सालों में बड़ी-बड़ी अद्भुत चीजों का आविष्कार किया, बड़े-बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्त्वों का निरूपण किया; लेकिन सबसे अद्भुत आविष्कार जो उसने हिन्दुस्तानी नौकरशाही के संयोग से किया है और जो अनन्तकाल तक उसके यश की ध्वजा को फहराता रक्खेगा, वह नीतिशास्त्र का यह चमत्कारपूर्ण, युगांतरकारी आविष्कार है, जिसे इंडाशास्त्र कहते हैं। यह बिलकुल नया आविष्कार है और इसके लिए इंग्लैंड और भारत दोनों ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। इसने शासन-विज्ञान को कितना सरल, कितना तरल बना दिया है, कि इस आविष्कार के सामने डंडौत करने की इच्छा होती है। अब न कानून की जरूरत है, न

व्यवस्था की, कौन्सिलें और एसेम्बलियाँ सब व्यर्थ, अदालतें और महकमे सब फ़िज़ूल । डंडा क्या नहीं कर सकता—वूह अजेय है, सर्वशक्तिमान् है । बस डंडेबाज़ों का एक दल बना लो, पक्का, मज़बूत, अटल दल । वह सारी मुश्किलों को हल कर देगा । मज़दूरों की सभा मज़दूरी बढ़ाने का आन्दोलन करती है—दो डंडा ! किसानों की फ़सल मारी गयी, वह लगान देने में असमर्थ हैं, कोई मुजायका नहीं—दो डंडा ! तान-तान कर, कस-कस कर । डंडा सर्वशक्तिमान् है—रुपये निकलवा लेगा । कोई ज़रा भी सिर उठावे, ज़रा भी चूँ करे—दो डंडा ! वह युवक कपड़े की दूकान पर खड़ा है, खरीदारों से कह रहा है—विलायती कपड़े न खरीदो—दो डंडा ! उसकी इतनी हिम्मत, कि इंग्लैंड की शान में ऐसी अनर्गल बात मुँह से निकाले, ऐसा मारो कि ज़वान ही बन्द हो जाय । वह देखना, एक स्वयंसेवक शराब-ताड़ी की दूकान पर जा पहुँचा । नशेबाज़ों को समझा रहा है—दो डंडा ! देर न करो, ताबड़-तोड़ लगाओ, खूब कस-कर लगाओ । इन सिर-फिरों की यही दवा है । जहाँ कहीं राष्ट्रीयता की, जाग्रति की, आत्मगौरव की झलक देखो, बस तुरन्त डंडे से काम लो । इस मरज़ की यही अचूक दवा है, और इसका आविष्कार किया है—भारत सरकार और अँगरेज़ी सरकार ने मिलकर । कुछ न पूछिए ! कितनी जाँफ़िशानी और परीशानी के बाद यह आविष्कार हो पाया है । इसका पेटेंट करा लेना चाहिए, वरना शायद कोई दूसरी जाति इस पर अधिकार कर बैठे ! हालाँकि जहाँ तक हम समझते हैं, भारत के सिवा, जिसने अहिंसा का व्रत ले रक्खा है, संसार के और किसी भाग में यह आविष्कार उपयोगी सिद्ध न होगा ; बल्कि उलटे आविष्कारकों के हक़ में ही घातक सिद्ध होगा । अहा हा ! कितना सुन्दर दृश्य है ! वह सड़क पर कई हज़ार आदमी भंडा लिये, क्रीमी नारे लगाते चले आ रहे हैं । बच्चे भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं, बूढ़े भी हैं । अपने देश से प्रेम करने के लिए उम्र की क़ैद नहीं है । इधर लट्टबंद, भालेबंद और राइफलबंद पुलिस के जवान पैतरे बदल रहे हैं, जैसे शिकारी कुत्ते शिकार को देखकर अधीर हो जाते हैं, कि कब छूटें और शिकार पर टूट पड़ें । जंजीर खोलते-खोलते आफ़त आ जाती है । बिल्कुल यही हाल हमारे पुलिस के इन शूर-वीरों का है, जिनमें अँगरेज़ी सज़ेंट तो उबला पड़ता है, बहादुरी का जोश उसके दिल में आँधी की तरह उमड़ा आ रहा है । हुक्म मिलता है—चारज़ ! फिर देखिए इन सूरमाओं की बहादुरी । निहत्थे, सिर झुकाकर बैठे हुए, ज़वान बंद रखने वाले आदमियों पर डंडों और भालों का वार शुरू हो जाता है । और अगर किसी तरफ़ से एकाध पत्थर आ गया, चाहे वह खुफ़िया पुलिसवालों ही ने क्यों न फेंका हो, तो प्रलय हो गया ! बस 'फ़ायर' का हुक्म मिल गया । धड़ाधड़ बन्दूकें चलने लगीं और लोग पड़ापड़ा गिरने लगे और हमारे अफ़सर लोग, जो ऐसे अवसरों पर तमाशा देखने के लिए अवश्य आ जाया करते हैं, खुश हो-होकर तालियाँ बजाने लगे । वाह क्या बहादुरी है, क्या डिसिप्लिन है, भारत के सिवा संसार में और कहाँ ऐसे वीर पैदा हो

सकते हैं और इंग्लैंड के सिवा और कहीं ऐसे जोशीले अफसर और नीतिज्ञ !

तो आजकल डंडे भगवान का राज है। सारे देश में शान्ति है !। आश्चर्य है, कि इस बीसवीं सदी में और सभ्यता के शिखर पर बैठनेवालों के हाथों, भारत-वासियों का यह हाल हो रहा है। कौन-सा हृदय है, जो आहत और दलित नहीं, कौन-सी आँख है, जो खून के आँसू नहीं रो रही है। शायद हमारे सर्वज्ञ और दयालु विधाता समझते हैं, कि लाठी से चोट नहीं लगती, मगर वास्तव में लाठी की चोट गोली के जखमों से कहीं अधिक कष्टसाध्य होती है। पिंडारों का हाल इतिहास में पढा करते थे, पर आजकल जो अनिति हो रही है और प्रजा को जिस तरह कुचला जा रहा है, उस पर तो पिंडारों भी-दाँतो उँगली दबाते, पर अँगरेजी सभ्यता का एक अंग यह भी है, कि अपनी बुराइयों पर तो पर्दा डाला जाय और दूसरों पर खूब कीचड़ फेका जाय। धरसाना, वीरमगाम, विलीपार्ली, लखनऊ, मिदनापुर, बबई, दिल्ली, कहीं तक गिनारिये। यह अँगरेजी शौर्य और पराक्रम की एक अविश्रात कथा है। निहत्थों पर, स्त्रियों पर, बालकों पर, राह चलते पथिकों पर, घर में बैठे हुए प्राणियों पर डंडों का वार करना ऐसी ही, वीर जाति का काम है और अगर कोई इसको यथार्थ रूप में बयान करने का साहस करे, तो उसके लिए पुलिस की दफाएँ हैं, जेल हैं, डंडे हैं। इतना ही नहीं, नीचे से ऊपर तक, पुलिस के छोटे अधिकारियों से लेकर वाइसराय और सेक्रेटरी तक एक स्वर से पुकारते हैं—पुलिस का व्यवहार प्रशंसनीय था, उसने बड़े बजट से काम लिया। फिर कोई लाख कहे, हमारे बड़े से बड़े नेता फरियाद करें, चारों ओर से यही आवाज आती है। हमें तो इस पुलिस-प्रेम में सरकार की दुर्बलता ही का प्रमाण मिलता है। वह पुलिस को हरेक प्रकार से, कायदे और न्याय की परवा न करके, उसकी नीचता, मनोवृत्तियों को पोषित करके, उसकी पीठ ठोककर अपने काबू में रखना चाहती है, क्योंकि वह खूब समझ रही है, यह हाथ से गये और फिर सर्वनाश हुआ। जो शक्तियाँ किराये के मनुष्यों पर अवलंबित होती हैं—जनता के विश्वास, प्रेम और सहयोग पर नहीं—उनका यही हाल होता है। उन क्रूर कथाओं की कल्पना करके रोमांच हो जाता है।

इधर तो विदेशी वस्त्रों का प्रचार आर्डिनेंसों से हो रहा है, उधर सरकार की ओर से विदेशी चीजों के लिए प्रोपेगैंडा भी किया जा रहा है। विलायती चीजों के सस्तेपन और पायदारी की सराहना की जा रही है और उसके व्यवहार न करने से हिन्दुस्तान को जो हानि होगी, उसका रोना रोया जा रहा है। हमारी प्रजा-वत्सल सरकार से यह नहीं देखा जाता, कि उसकी नादान जनता, रद्दी स्वदेशी-चीजों पर अपना धन नष्ट करे। हमारे विधाता जनता की इस मूर्खता और अदूरदर्शिता से बड़े दुखी हो रहे हैं, बेचारों को दाना-पानी हराम हो रहा है, पर जनता उनकी ओर मुखातिब भी नहीं होती। क्या अब भी किसी को सदेह हो सकता है, कि अँगरेजी सरकार किसके

लिए भारत का शासन कर रही है ?

अमन सभाएँ

अमन सभाओं का संगठन शुरू हो गया। अब की इनका नामकरण ज्यादा मार्जित हुआ है, कहीं वह हितकारिणी सभा है, कहीं शांति रक्षिणी। उसके प्रवर्तक साधारणतः दो-एक रायबहादुर या खान बहादुर होते हैं और प्रेरक जिले का अधिकारी-वर्ग। उनका प्रोपेगैंडा राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध हो रहा है। चौकीदार, थानेदार, पटवारी, तहसीलदार, हाकिम-पगना सभी उसकी मदद पर कमर बाँधे हुए हैं। उन्हें पूरा अखितयार है, कि काँग्रेस की जितनी चाहें मिट्टी पलीद करें। उसे बदमाशों का दल कहें, चाहें लुटेरों का संघ, कोई उनकी जवान नहीं पकड़ सकता। काँग्रेस के विरुद्ध इस वक्त जो कुछ भी कहा जाय, जो कुछ भी किया जाय, वह सब उत्तम है, श्रेष्ठ है और काँग्रेस की जवान बन्द कर दी गयी है। प्रायः सभी बड़े प्रांतों में १४ धारा लगा दी गयी है। समाचार-पत्रों का निकालना भी असम्भव कर दिया गया है। ऐसी दशा में काँग्रेस अपने विरुद्ध फैलाये गये आक्षेपों और लाँछनों और अपवादों का जवाब कैसे दे। यह तो वैसा ही है—किसी आदमी के हाथ-पाँव बाँधकर, आप उसके घर में आग लगा दें। हमें ऐसी अमन सभाओं का पहले कुछ अनुभव हो चुका है। इन्हें टोडी सभा कहना ही उपयुक्त होगा। हमें आशा है, कि जनता अब ऐसी सभाओं का रहस्य खूब समझने लगी है। वह इन गोरखधन्धों में न फँसेगी। मजा तो यह है, कि प्रजा-हित का यह सागर उसी समय तरंगित होता है, जब काँग्रेस का आतंक घटा की भाँति छा जाता है। तभी बेगार कम करने के, नज़राने बन्द करने के, और इसी प्रकार के दूसरे अनुष्ठान किये जाने लगते हैं और काँग्रेस का दबाव कम होते ही फिर वही नोच-खसोट शुरू हो जाती है।

शिक्षा-विभाग और काँग्रेस

यों तो हमारे शिक्षा-विभाग ने हमेशा राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध किया है और छात्रों को उससे अलग रखने की बराबर कोशिश की है; पर अब की बार तो उसने निश्चय-सा कर लिया है, कि उसके छात्रों को आजादी की हवा भी न लगने पावे, लड़कों के कानों आजादी की भनक भी न पड़ने पावे ! हम यह मानते हैं, कि छात्रों को अपना समय विद्याभ्यास में लगाना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर ज्ञान-लाभ करना चाहिए; पर इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश पर चाहे कितना ही बड़ा संकट आ पड़े, हमारे छात्र किताबों के कीड़े और परीक्षाओं के दास बने रहें। हमारा विश्वास है, कि स्कार्टिंग का जैसा अच्छा अभ्यास काँग्रेस के स्वयंसेवकों को हो सकता है, वह कृत्रिम साधनों-द्वारा कदापि नहीं हो सकता। काँग्रेसी जत्थे के साथ एक बार निकलने में जितना मानसिक और आत्मिक विकास हो सकता है, उतना बरसों की रटंत और

पढत से भी सभव नही । एक बार दो-चार डंडे खा लेना या दो-चार महीने के लिए जेल-यात्रा कर लेना, हृदय और मस्तिष्क दोनो ही के लिए महान् लाभकारी है । शिक्षा का सर्वोत्तम रूप है, अनुभव । अनुभव-हीन शिक्षा ज्योति-हीन दीपक है । जीवन के मजीव संग्राम मे जो अनुभव प्राप्त हो सकता है, वह और कहाँ से हो सकता है । और यह वह संग्राम नही है, जिसमे आदमी तकदीर को ठोकरो से जा पडता है, यह आस्मानी बला नही है, यह अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने आपको, अस्वाभाविक बधनो से मुक्त करने की जाग्रति-पूर्णा चेष्टा है । ऐसे आदोलनो से छात्रो को दूर रखने की कोशिश वही शासन कर सकता है, जिसकी बुनियाद भय और मूर्खता पर हो । क्या हमने नही देखा है, कि जब यूरोपीय युद्ध छिडा हुआ था तो स्कूल और विद्यालय बंद हो गये थे, तब यह नीति कहाँ गायब हो गयी थी ? तब क्यो नही इंग्लैंड के स्कूलो के इसपेटरो ने इंग्लैंड के शिक्षा-विभाग के मन्त्री के सभापतित्व मे यह प्रस्ताव किया था, कि छात्रो को इस समर से दूर रक्खा जाय । इंग्लैंड के लिए वह समय जितना नाजुक था, उतना ही नाजुक हमारे लिए यह समय है और जब यह सारा उद्योग केवल भावी सतानो के लिए किया जा रहा, तो यह कहाँ का न्याय है, कि वही भावी सतान दूर से खडी तमाशा देखती रहे । इस विषय मे प्रयागवालो ने जो कार्रवाई की है, उसका हम हृदय से समर्थन करते है । टोडियो से तो कुछ कहना व्यर्थ है, लेकिन जिसमे आत्मसम्मान का एक अणु भी है, उसे साफ-साफ कह देना चाहिए, कि मै इस अनर्थकारी प्रोपेगेडा मे नही शरीक हूँगा और ऐसे अन्याय-पूर्ण बधनो के अधीन अपने बालको को न पढाऊँगा । उस नौकरी के लालच मे, जो शायद कभी न मिलेगी, नवयुवको के गले मे गुलामी का पट्टा डालना, हमे तो कभी स्वीकार नही हो सकता । ऐसी पाठशालाओ मे लडको को भेजना, जहाँ राष्ट्रीयता का इस कठोरता से गला घोटा जा रहा हो, जो गुलाम पैदा करना ही अपना ध्येय समझे बैठी हो, सर्वथा लज्जास्पद है । हमे पूरा विश्वास है, कि शिक्षा-विभाग को इस विषय मे मुँह की खानी पडेगी । अगर सरकारी सहायता बन्द होती हो, तो हो, छात्रो पर फीस बढाकर, डोनेशनों से अध्यापको का वेतन घटा कर, जिस तरह भी हो सके, इस चैलेज को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

साइमन रिपोर्ट

साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । खूब धडल्ले से बिक रही है । सुनते है, स्नाखो तक सख्या पहुँच चुकी है । इंग्लैंड के कुछ लोग रिपोर्ट की तारीफो के पुल बाँध रहे है, कुछ बिगड रहे है, कि यह विधान तो इंग्लैंड को गारत ही कर देगा । बहुत कम ऐसे प्राणी है, जो उसकी निन्दा करते हो, पर भारत मे ऐसा एक भी प्राणी नही, जो रिपोर्ट को लचर, रद्दी, घृषित और त्याज्य न कह रहा हो । मुसलमान और सिक्ख भी, जिन्हे प्रसन्न रखने की सिर तोड कोशिश की गयी है, रूठे हुए है । लिबरलो ने तो उसकी खूब दुर्गति बनायी है । यही रिपोर्ट लिखने के लिए, यह कमीशन इंग्लैंड से आया

था। गरीब भारत का लाखों रुपया खर्च किया, कितनी ही जगह डंडों की बर्पा करायो और देश में फूट का बीज बोया। और अंगरेजी सरकार, यह जानते हुए भी कि इस रिपोर्ट को भारत कभी स्वीकार न करेगा, इतने दिनों तक उसकी आड़ लिये शान्तिपूर्वक बैठी रही। इस रिपोर्ट को देखकर अब भिन्न हुआ, कि इंग्लैंड में विवेक और विचार का दीवाना हो गया है, केवल साम्राज्यवादिता का जोर है और पशुवल ही राजनीति का मूलाधार है। संभव था, अगर दोनों तरफ दिल साफ़ होते, यह विधान सफलता से चलाया जा सकता। अगर शासकों के हृदय में कुछ परिवर्तन हो जाय, तो इस विधान के द्वारा देश का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मगर वह *Change of heart*—कहीं नजर नहीं आता। और ऐसी दशा में इस विधान से किसी उपकार की आशा नहीं की जा सकती। कुछ कागजी परिवर्तन तो अवश्य हो जायगा, किन्तु जनता की दशा पूर्ववत् ही बनी रहेगी—यही अन्याय, यही दमन, यही अनैति। भारत ने इस रिपोर्ट को उसी तरह पैरों से ठुकरा दिया, जैसे उसने साइमन कमीशन को ठुकराया था।

जून १९३०

अगर तुम क्षत्रिय हो

तो अपने क्षत्रिय-धर्म को पालो। क्या हम तुम्हें बतावें, कि क्षत्रिय-धर्म क्या है? यह तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। यह धर्म अपने संस्कारों के रूप में लेकर तुमने जन्म लिया है। बत्तख के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है, या सिंह के बालक को शिकार करने की शिखा देनी होती है? क्या हम नौजवान क्षत्रियों से कहें, आज तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे बुजुर्गों ने किस तरह अपने धर्म का पालन किया था! क्या गरीबों को पीसकर, किसानों का गला दबाकर, छोटी-छोटी नौकरियों के लिए अफसरों की चौखट पर नाक रगड़-रगड़ कर, जरा-सी रिश्तायत के लिए नीच से नीच खुशामद करके उपाधि और पदवी के लिए अधिकारियों के सामने मत्था टेक कर ही उन्होंने धर्म का पालन किया था? कभी नहीं। वे सत्य की रक्षा में जानें लड़ा देते थे। मजाल न थी, कि उनके देखते कोई बलवान किसी दुर्बल को दबा ले। उसका खून पी जाते। दीन की पुकार सुनकर उनके खून में जोश आ जाता था। हेकड़ की हेकड़ी देख कर आँखों में खून उतर आता था। उनकी वीरता अफसरों के शिकार खेलाने या उनको खुश करने के लिए, पोलो खेलने तक रिजर्व न थी।

क्या तुम भी उसी नीति को पालोगे? जो अफसरों के स्वागत में गरीबों के पैसे उड़ाती है, जो दीनों के रक्त से अमीरों और विशेषतः अधिकारियों की दावतें

करती है ? नहीं, जो लोग बूढ़े हो गये हैं, जिनमें जोश नहीं, जान नहीं, मान नहीं, जिनकी नसों में अभी तक नवाबों के जमाने की आराम-तलबी, और ऐश-परस्ती भरी हुई है, उनको सलामियाँ करने दो, दावतें खिलाने दो, डालियाँ पेश करने दो, खान-सामो और बैरों की नाज़बदरियाँ करने दो, मगर तुम नौजवानों से हम यह आशा नहीं रखते, क्योंकि तुमने उस युग में जन्म लिया है, जब पृथ्वी के हरेक भाग में गुलामी की ब्रेडियाँ टूट रही हैं। परम्परा के बन्धन ढीले हो रहे हैं। अन्याय एडियाँ रगड़ रहा है। सत्य और न्याय की विजय हो रही है। तुम्हारी आँखों के सामने सत्तार में क्या-क्या तबदीलियाँ हो गयीं, तुम नहीं जानते ? रूस की ज़ारशाही मिट गयी, ईरान की कज़कुलाही मिट गयी, तुर्की की शाहशाही मिट गयी, चीन की खाकानी मिट गयी, जर्मनी की कैसरसाही मिट गयी, यहाँ तक कि स्पेन ने भी स्वाधीनता की साँस ली, मगर भारत कहाँ है ? वही, जहाँ था। दीन, दुखी, दरिद्र। जानते हो क्यों ? इसीलिए कि क्षत्रियों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। क्या तुम जवान होकर भी उसी बूढ़ी, खूसट, लज्जास्पद, कायरता से भरी हुई, खुशामद में डूबी हुई नीति का पालन करोगे ? कभी नहीं, तुम नये युग के नाम-लेवा हो, तुम जवान हो, सजग हो, अभी नीच स्वार्थ ने तुम्हें अपने रंग में नहीं रंगा, अभी तुम्हारी कमर ने झुकना नहीं सीखा, तुम्हारे सिर ने सिजदे करना नहीं सीखा, तुम में जोश है। हमें तुमसे आशा है। तुम भारत के मुख से वह कलक मिटा दोगे, जो आज उसे सिर नहीं उठाने देता। सत्य का संग्राम छिड़ गया है, उसमें वीरों की भाँति अपने कर्त्तव्य का पालन करो। कौम के बनने-बिगड़ने की जिम्मेदारी नौजवानों के सिर होती है। वह जवान ही है, जो सत्य के संग्राम में पहले कदम उठाते हैं। तुम तो क्षत्रिय युवक हो, क्या हम तुम्हें बतायें, कि इस समय तुम्हारा धर्म क्या है ?

नवम्बर १९३०

स्वराज्य संग्राम में किसकी विजय हो रही है

जहाँ किसी नेता के पकड़े जाने का समाचार आया, किसी शहर में सौ-पचास आदमियों के घायल होने की खबर मिली और हमारे चेहरो पर मुर्दनी छायी। हमारे सिर झुक जाते हैं, मुँह से बेकसी की आह निकल जाती है और ऐसा जान पड़ता है, कि हमारे राष्ट्र की नौका अब डूबना चाहती है, मगर सोचिए, वह हमारी हार के लक्षण है या जीत के ? महात्मा गांधी ने जब समर-क्षेत्र में पदार्पण किया, तो उन्होंने खूब समझ लिया था, कि मैं पकड़ लिया जाऊँगा। उन्होंने अपने जानशीन भी चुन लिये थे। तो, अगर जेनरल की इच्छानुसार ही संग्राम चल रहा है, तो यह जेनरल

की हार है, या जीत ? अगर शत्रु विजयी होता, तो सबसे पहले वह हमारे जेनरल के रचे हुए चक्र-व्यूह को तोड़ता, जेनरल ने जितनी चालें सोच रखी थीं, उन सभी को पलट देता ; पर ऐसा वह नहीं कर सका । उसको भ्रू कर मार कर हमारे जेनरल के आदेशों के सामने ही सर झुकाना पड़ा, यहाँ तक कि महात्माजी ने संग्राम को प्रगति की जो कल्पना की थी, वह अक्षरशः सत्य होती जा रही है । तो, यह हमारे जेनरल की विजय है, या पराजय ?

निःशस्त्र संग्राम का मूल-तत्त्व क्या है ? यही कि शत्रु को हम इतना दमन करने पर मजबूर कर दें, कि वह खुद अपनी ही निगाह में गिर जाय, खुद उसकी आत्मा उससे घृणा करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पुलिस और सेना उसकी दमनकारी आज्ञाओं का पालन करने से इन्कार कर दे । उसके साथ ही हम विनय के प्रत्येक अंग का पालन करते रहें । अविनय का एक शब्द भी हमारे मुँह से न निकले । अविनय का एक भी विचार हमारे मन में न आवे । ऐसे विनय के आदर्श के सामने पशुबल बहुत दिनों तक अपना जोर नहीं दिखा सकता । लोकमत पशुबल की कठोर गति देखकर कृपाशील हो जाता है, आन्दोलन का जोर बढ़ने लगता है, सरकार के बड़े-बड़े भक्त उसका साथ छोड़ देते हैं, उसे ऐसे-ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं, जिनसे जनता के स्वाभाविक जीवन में बाधा पड़ती है । जनता भी सत्याग्रहियों में सम्मिलित हो जाती है । अधिकारियों को संगीनों और मशीनगनों का आश्रय लेना पड़ता है, उसका आर्थिक और राजनीतिक दीवाला हो जाता है । यहाँ तक कि अधिकारियों को राज्य का संचालन करना असम्भव हो जाता है । क्या हम इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं ? आन्दोलन इतने दमन के बाद भी क्या बढ़ता नहीं जा रहा है ? उसका क्षेत्र विस्तृत नहीं होता जा रहा है ? जिन शहरों में दस-बीस स्वयंसेवक न मिलते थे, उन्हीं शहरों में क्या अब दस-बीस आदमी रोज जेल नहीं जा रहे हैं ? हम इसे अपनी विजय कहें या पराजय ? कितने ही लिबरल नेताओं ने सरकार की दमन-नीति के विरोध में कौंसिलों से इस्तीफे नहीं दिये ? सैयद हसन इमाम और मालवीयजी जैसे लोग किस शक्ति से खिच आये और जेल में तपस्या कर रहे हैं ? और अभी तो सातवाँ ही महीना है, क्या यह हमारी हार के चिह्न है ? मुझे तो यह शानदार फ़तह मालूम होती है ।

संग्राम में स्वभावतः विजय बही सम्भ करता है, जिसमें दम ज्यादा है, जो ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा रह सकता है । जिसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । जर्मनी की जीत युद्ध के जल्द से ख़त्म हो जाने में थी । समय के साथ उसकी शक्ति घटती जाती थी । अंगरेजों की जीत युद्ध के तूल खींचने में थी । उसी भाँति हमारी विजय-आन्दोलन के दीर्घ होने में है । हमारी शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायगी, हमारा संगठन उत्तरोत्तर पूर्ण होता जायगा । अभी हमारा कार्य-क्षेत्र शहरों तक है । वह धीरे-धीरे देहातों में फैलेगा । समाज के कितने ही अंग अभी अछूते पड़े हैं । वे भी

धीरे-धीरे हमारे प्रभाव में आवेगे। इसके विपरीत अंगरेजों की शक्ति, दिन-दिन क्षीण होती जायगी, उसके सहायक, अलग होते जायेंगे; उसकी आय, कम होती जायगी; उसका रोब, घटता जायगा, उसको साख, लुप्त होती जायगी और जब साख न रही, तो उस राज्य का अन्त ही समझ लो। अभी तक तो सितारा हमारा ही बुलन्द है और अहो का योग बता रहा है, कि वह दिन-दिन बुलन्द ही होता जायगा। जनता पर जितने डण्डे पड़ते हैं, यह अंगरेजी आधिपत्य पर एक-एक कुल्हाड़ी के आघात से कम नहीं है। हमने यही समझ कर डण्डों का स्वागत किया है, सिर झुका-झुकाकर उसे अंगीकार किया है। यही हमारी विजय है। यही डण्डे बाजी, यही दमन, यही पशुता अंगरेजी राज्य का विध्वंस करेगी।

हमारी हार उस वक्त हो जाती है, जब हम विनय के आदर्श से गिर जाते हैं, जब हम पुलिस के विरुद्ध गालियाँ और कटु वचनों का प्रयोग करने लगते हैं, जब हम प्रतिकार के वश होकर वार करते हैं, जब हम दगे-फिसाद पर आमादा हो जाते हैं। हमारी जीत लोकमत की सहानुभूति पर है। जिन कामों से आप लोकमत की सहानुभूति पा सकें, वह आपके रोकड़ खाते के हैं, जिन कामों से लोकमत की सहानुभूति खो दे, वह देना खाते के हैं। गालियाँ बक कर, या अधिकारियों के प्रति अपमान-सूचक इशारे करके आप लोकमत के विरुद्ध चले जाते हैं। वही आपकी हार है। पर, ऐसी वारदातें अभी तक इतनी कम हुई हैं, कि हम उन्हें उँगलियों पर गिन सकते हैं।

सबसे बड़ी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर देती है, वह 'हक' है। हम 'हक' पर हैं और 'हक' की हमेशा विजय होती है। यह एक अमर सत्य है। समय भी हमारे साथ है। यह डिमाक्रेसी का युग है। निरंकुशता की जड़े खोखली होती जा रही हैं। सत्तार ने निरंकुश शासन का, या तो अन्त कर दिया, या करता जा रहा है; अतएव समय भी हमारे साथ है। लोगों के दिलों में स्वाधीनता की लगन पैदा हो गयी है, उसके लिए कुर्बानियाँ करने पर, उसकी कीमत देने पर, प्राणों की बाजी लगाने पर तैयार है। गोलियों और लाठियों के सामने साहस-पूर्वक खड़े रहना इतिहास में बहुत बड़े महत्व की बात है। इससे उस उन्माद का परिचय मिलता है, जो किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए लाजमी है। समय अपना प्रभाव दिखाकर रहेगा। अंगरेजों के बुरे दिन आ रहे हैं। आर्थिक दशा में वह अब दूसरे दरजे की शक्ति है, सैनिक और नाविक-बल में तीसरे दरजे की। यह बात न भूलनी चाहिए कि संसार की सहानुभूति हमारे साथ है। यद्यपि अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला; पर जर्मनी, जापान, अमेरिका तीनों ही भारतीय परिस्थिति को बड़े गौर से देख रहे हैं। अमेरिका के कई प्रभावशाली सज्जनों ने, जिनका चर्च से सम्बन्ध है, मि० वेजवुड बेन को एक चेतावनी दे दी है, और कही-कही जलसो में भारत से सहानुभूति भी प्रकट की गयी है। यह सभी शुभ लक्षण हमारी विजय के परिचायक हैं।

हमें सबसे बड़ी शंका मुसलमानों की ओर से है। हिन्दू-मुसलिम दंगों की खबरें पढ़-पढ़कर हम हताश हो जाते हैं; लेकिन इस पहलू से भी हमारी पोजीशन दिन-दिन मजबूत होती जा रही है। ढाका और किशोरगंज के दंगों के कारण कुछ भी क्यों न हों; पर देश में उनसे कोई खलबली नहीं मची। लोगों ने मन ही मन इन कारणों को समझ लिया और अब अधिक सावधान हो गये हैं। मुसलमानों में इस समय दो राजनीतिक दल हैं। एक काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाला मुसलिम नेशनलिस्ट दल, दूसरा मुसलिम-लीग दल। अब मुसलिम-जनता मुसलिम लीग पार्टी की चालों को खूब समझने लगी है। उसमें अधिकांश वहीं लोग सम्मिलित हैं, जो या तो अंगरेजी सरकार के नौकर हैं, या थे, या जिन्हें अपना कोई स्वार्थ निकालना है। निस्वार्थ भाव से देश सेवा करनेवाले, उस दल में बहुत कम हैं। नेशनलिस्ट दल ने तो लखनऊ में अपना अधिवेशन करके साफ़ कह दिया कि हम काँग्रेस के अवज्ञा-आंदोलन को न्याय-संगत समझते हैं और काँग्रेस की कर्बानियों की प्रशंसा करते हैं। जब तक काँग्रेस गोलमेज कन्फ्रेंस में न जायगी, यह लोग भी न जायेंगे। दूसरे दल ने भी प्रयाग में अपना अधिवेशन किया। उसने काँग्रेस आंदोलन की निंदा की और गोलमेज सभा में जाने का निश्चय भी प्रकट किया; पर इतना उनको भी कहना ही पड़ा, कि यदि गोलमेज सभा में हमारा अभीष्ट न पूरा हुआ, तो वहाँ से लौटकर हम भी यही आंदोलन आरंभ करेंगे। हम जानते हैं, कि यह इस दल की धमकी है, और सरकार ने यदि उसके साथ थोड़ी-सी रियायत कर दी, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो वह सरकार का तरफदार रहेगा। मुसलमानों का एक तीसरा दल भी है, जो सोलहों आना काँग्रेस के साथ है। और आलिमों ने इसी दल को अपनाया है; इसलिए मुसलमानों की ओर से भी हम निश्चिन्त हो सकते हैं। काँग्रेस को इस समय अपनी उदारता दिखानी चाहिए और यह जानते हुए, कि दो-चार मेम्बरो की कमी-बेशी से किसी जाति का भविष्य नहीं बनता-बिगड़ता, मुसलमानों को असंतुष्ट न करना चाहिए। समय आने पर यह धर्मगत वातावरण आप ही आप दूर हो जायगा और आर्थिक सिद्धांतों के अधीन नये-नये दल बन जायेंगे।

सारांश यह, कि हमें चारों ओर अपनी विजय के लक्षण दिखायी देते हैं, और हम इसी तरह क्षेत्र में डटे रहेंगे, तो निस्संदेह हमारी मनोकामना पूरी होगी। सरकार ने जो ये आर्डिनेंस पास किये हैं, इन्हीं से प्रकट है कि वह अपनी हार स्वीकार कर रही हैं। जब राजसंस्था अपने ही बनाये हुए कानून को परोसने लगे, तो उसकी दशा उस पागल की-सी समझनी चाहिए, जो आप ही अपना देह की दाँतों से काटता है, आप ही अपना मांस नोचता है। ऐसा प्राणी बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। उसकी जिन्दगी का पैमाना लवरेज ही चुका है। आखिर इन विशेष कानूनों का—इन शैकानूनी कानूनों का—क्या परिणाम हुआ? वही, जो होना स्वाभाविक था; पिकेटिक को सरकार ने बंद करना चाहा था। पिकेटिक का दिन-दिन जोर बढ़ता

जा रहा है। समाचार-पत्रों के बंद करने में बेशक सरकार को सफलता हुई ; लेकिन कानून तोड़कर साइक्लोस्टाइल पर छपनेवाले पत्रों ने तो शासकों की नाक ही तराश ली। आंदोलन का जोर सौगुना बढ़ गया। इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली। कहीं खादी पहनना अपराध है, कहीं गांधी टोपी लगाना अपराध है, कहीं तकली का व्यवहार करना अपराध है। लार्ड अविन अगर मातहतों की इन हिमाकृतों को पसन्द करते हैं, तो वह कठपुतली हैं, अगर नापसन्द करते हैं, और कुछ बोल नहीं सकते, तो कमजोर। मगर, हमें न उनसे कोई शिकायत है, न उनके मातहतों से। आपको डंडे चलाना मुबारक, हमें डंडे खाना मुबारक ! अगर संसार का कोई नियंता है, तो वह न्याय करेगा। हमें अपने सत्य का ही बल है।

नवम्बर १९३०

पिकेटिंग आर्डिनेन्स

वाइसराय को स्वेच्छा से छः महीने के लिए कोई भी कानून जारी करने का अधिकार इसलिए दिया गया था कि जब एकाएक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाय, कि एसेम्बली में उस कानून को पास कराना असुविधाजनक हो और इधर देश में कोई अनर्थ हो जाने की शंका हो, तो प्रबन्ध-संचालन में कोई रुकावट न पैदा हो ; पर उसका इस तरह दुरुपयोग किया गया, कि प्रजा के स्वयंसिद्ध अधिकारों को कुचलने के लिए मनमाने आर्डिनेन्स जारी किये गये। इस बात का एक क्षण के लिए भी विचार न किया गया, कि जिन लोगों को आर्डिनेन्स द्वारा जनता पर जुल्म करने का अख्तियार प्राप्त होगा, वे कैसी-कैसी सख्तियाँ और उस अधिकार का कैसा बुरा इस्तेमाल करेंगे ; मगर जब ऊपर ही से अधिकारों के दुरुपयोग की क्रिया आरंभ हुई, तो यह मान लेना पड़ेगा, कि वाइसराय और उनके सहयोगी इस बात से बेखबर न थे, कि इन आर्डिनेन्सों द्वारा जनता पर कानून की आड़ में हर एक प्रकार की सख्ती की जायगी, और यही उनका उद्देश्य था। क्रिया शुरू हो गयी और शासन-चक्र भीषण गति से चलने लगा। क्या वाइसराय और उनके सहयोगियों को यह मालूम है, कि इन आर्डिनेन्सों द्वारा जनता का गला दबाकर कितनी रिशवतें ली जा रही हैं ? कितना जातिगत वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है ? और जनता की आह और फरियाद का जवाब डंडों और गोलियों से दिया जा रहा है ? इस आंदोलन का और कोई फल निकले या न निकले ; लेकिन एक फल तो अवश्य निकला, कि नौकरशाही अपने नग्न रूप में जाहिर हो गयी। अब किसी अधिकारी का यह कहने का मुँह नहीं है, कि अँगरेज लोग भारत को न्याय और सभ्यता का सबक सिखाने के लिए उस पर राज्य कर रहे हैं। अँगरेजी शासन का उद्देश्य केवल एक है,

और वह है भारत में अँगरेजी व्यापार का प्रसार और सिन्धित अँगरेज बेकारों के लिए बड़ी-बड़ी जगहों का आयोजन। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह भारत की गर्दन पर सवार है और उसे यह किसी तरह स्वीकार नहीं है, कि उसके स्वार्थ में जौ भर की कमी हो। आप उसके स्वार्थ में हस्तक्षेप न करें, तो वह एक खाम दायरे के अन्दर आपके साथ न्याय, मनुष्यत्व और सौजन्य का व्यवहार करने को राजी है; लेकिन आपने उसके स्वार्थ की ओर आँख भी उठायी, तो आपकी कुशल नहीं ! वह न्याय, मनुष्यत्व और सौजन्य सब गायब हो जायगा और शासन का विकराल रूप आपके सामने आ खड़ा होगा। यह हर एक आदमी का हक है, कि वह अपने किसी भाई को कोई अनुचित काम करते देख कर समझाये, रोके—सख्ती से नहीं, धमकाकर नहीं—हाथ जोड़ कर, पैरों पड़कर। यह जन्म-सिद्ध अधिकार है; मगर आज आप इतना कह दें, तो आपके लिए जेल का द्वार है। आपका भाई शराब पीता हो और अपना सर्वस्व बिगाड़े देता हो; पर आपको उसे समझाने या रोकने का हक नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने पुत्र को भी नहीं रोक सकते। आप जेल में ठूस दिये जायेंगे, और विलायती कपड़ों के विरुद्ध तो जवान खोलना ही जुर्म है। किसी का पुलिस से इतना कह देना काफी है कि अमुक व्यक्ति मुझे कपड़े खरीदने से रोक रहा है। बस, आप बाँध लिये जायेंगे और यह भी निश्चय है, कि आपको सजा भी हो जायगी। आप अपने को कितना हो बेकसूर साबित करें, आपकी एक न सुनी जायगी। कोई दूकानदार, जिसे चाहे एक इशारे में गिरफ्तार करूँ सकता है। वह तो कहो, भारत में अभी लोग धर्म को भूले नहीं हैं और ऐसा कर्म होता है, कि निजी द्वेष निकालने के लिए लोग इस कानून से काम लें; पर सरकार ने अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ दूकानदार ऐसा कर नहीं रहे हैं। आज लगभग साठ हजार आदमी जेल में केवल इसीलिए बन्द हैं, कि उन्होंने अपने भाइयों को विदेशी कपड़े लेने से रोकने की चेष्टा की थी। अगर भारत के कल्याण पर सरकार की निगाह होती तो, क्या ऐसा कानून जारी किया जाता ? विलायती कपड़े के व्यापारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में जितनी सहायता दी है, उसके लिए देश चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा, अगर उन्होंने खुले दिल से आन्दोलन में भाग न लिया होता, तो हमें विदेशी-बहिष्कार में उसकी शतांश सफलता भी न होती, जितना हो रही है। उन्होंने बड़े-बड़े नुकसान उठाये और उठा रहे हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, कि काँग्रेस को उनके साथ पूरी सहानुभूति है; पर परिस्थितियों ने काँग्रेस को विवश कर रक्खा है; मगर सरकार को यह आर्डिनेन्स जारी करके क्या मिला ? महीने-भर में यह आर्डिनेन्स भी समाप्त हो जायगा और अँगरेजी कपड़ों का बाजार ज़रा भी न चेटा और न चेत सकेगा। अपयश के सिवा और कुछ नहीं। आँकड़ों से सिद्ध होता है, कि इंग्लैण्ड में बेकारों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है और कपड़े की खपत कम होती जाती है। हम मानते हैं, कि इस बहिष्कार से भारत को

भी कम क्षति नहीं पहुँच रही है। धनी के अपार धन-समूह से मुट्टी-दो मुट्टी निकल जाय, तो उसे क्या अखर होगी ? दरिद्र के लिए पैसे-कौड़ी की हानि ही बहुत कुछ है ; पर उसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा, कि दरिद्र चाहे दो-एक दिन निराहार सो रहे, पर धनी को अपने भोग-विलास में जरा-सी कमी भी असह्य होती है। हमने विलायती कपड़ों की नीव पर अपना जो व्यापार-भवन खड़ा किया है, वह वास्तव में हमारे लिए गुलामी का जेलखाना बन गया है और उस भवन को गिराये बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता।

गोलमेज़-कान्फ्रेंस

हम गोलमेज़-कान्फ्रेंस के निन्दको में नहीं हैं। हम स्वीकार करते हैं, कि हमारे कितने ही नेता केवल राष्ट्र-हित के विचार से उसमें शरीक हुए हैं और तरह-तरह की बाधाओं का सामना करके वे देश के उद्धार के लिए कोई मार्ग सोच निकालने में जी-जान से लगे हुए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझते हैं और जो लोग उनकी निन्दा या उपेक्षा करते हैं, वे उनके साथ अन्याय करते हैं। यह समझना, कि कान्फ्रेंस के लीडरो ही ने अक्लमन्दी का ठेका ले लिया है और जो लोग उसके बाहर हैं, वे सब के सब देश-द्रोही हैं, सरासर अन्याय हैं। गोलमेज़ में ऐसे-ऐसे अनुभवी नेता शरीक हैं, जिनकी हमने सदैव इज्जत की है और अब भी करते हैं। हमें विश्वास है, कि वे लोग कोई ऐसा काम न करेंगे, जिससे राष्ट्र को हानि पहुँचे, लेकिन हमें रख के देखने से ऐसा अनुमन होता है, कि उन्हें अपने कार्य में विशेष सफलता की सम्भावना नहीं। एक तरफ हमारे मुसलिम नेता हैं, जो मि० जिन्ना की चौदह शतों को देश की भाग्य-रेखा बना डालने पर तुले हुए हैं—दूसरी ओर हिन्दू नेता हैं, जो इन शतों को उसी दशा में मन्जूर करना चाहते हैं, जब पहले यह तय हो जाय, कि गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेट्स स्वीकार करने पर तैयार है। डोमिनियन स्टेट्स के विषय में अब यह स्पष्ट हो गया है, कि साम्राज्य का कोई भी अंग अपनी इच्छानुसार साम्राज्य से पृथक् हो सकता है। यह प्रत्येक डोमिनियन की इच्छा के अधीन है कि वह जब तक चाहे साम्राज्य में रहे और जब उसे साम्राज्य में रहना अपने लिये किसी कारण से अहितकर मालूम हो, तो अलग हो जाय। ऐसी दशा में डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज्य में बहुत थोड़ा, या केवल नाम का अन्तर रह जाता है। हमारे विचार में भी डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति पर ही मुसलिम शतों को मन्जूर करना चाहिए। इसके बगैर मुसलिम शतों को स्वीकार करने में बड़ी बाधाएँ खड़ी होंगी। सरकार की जो नीति है उसका तकाजा यही होगा, कि मुसलिम शतों को प्रधानता देकर थोड़ा-सा सुधार और कर दे। ऐसी दशा में आपस में वैमनस्य ही बढ़ेगा। हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं, कि भारत सुधार नहीं चाहता, वह अपने भाग्य निर्णय का अधिकार चाहता है। गोलमेज़वालों को समझ लेना चाहिए कि नुमायशी सुधारों को स्वीकार करके वे भारत में शांति-स्थापना

न कर सकेंगे। हम उनसे अनुरोध करते हैं, कि वे सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दें, कि कान्फ्रेंस की पहली शर्त डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति हो। जब सरकार इस शर्त को मान ले तब वे आगे बढ़ें; अन्यथा अपनी आबरू लेकर भारत लौट आवें और राष्ट्र-संग्राम में सम्मिलित हो जावें। हमारे लिबरल नेता डोमिनियन स्टेट्स के साथ Safe guards की जो शर्त लगा दिया करते हैं उसके विषय में हमें यही निवेदन करना है कि Safe guards की आड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ तक, कि डोमिनियन स्टेट्स को केवल नाम का गोरख-धन्वा बनाया जा सकता है। अतएव Safe guards से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर रुपये की थैली और फ़ौज पर सरकार का अधिकार रहा, तो डोमिनियन स्टेट्स का कोई अर्थ न होगा। इसलिए इन दोनों विभागों पर हमारा अधिकार परमावश्यक है।

वीरभूमि बारदोली

सशस्त्र संग्राम में किसी समय चित्तौर ने जो यश प्राप्त किया और भारत का मुख जिस भाँति उज्ज्वल किया, वही यश इस निःशस्त्र संग्राम में बारदोली ने प्राप्त किया और उसी भाँति भारत का मुख उज्ज्वल किया है। सिद्धान्त पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की ऐसी मिसाल कदाचित् इतिहास में मुश्किल से मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बड़े-बड़े त्याग किये हैं और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ की हैं; पर एक प्रान्त का प्रान्त आदर्श पर अपना सब कुछ अर्पण कर दे, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज बारदोली खाली है, वहाँ चारों तरफ़ खाक उड़ रही है। वहाँ की—आदर्श पर जान देनेवाली—जनता सब कुछ त्याग कर आस-पास की रियासतों में जा बसी है। यह न समझिए, कि उनकी दशा भी उत्तरी भारत के किसानों की-सी है। नहीं, वे छोटे-छोटे जमींदार हैं। कुछ लोग कई-कई हजार सालाना कर देते हैं। उनमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनके घरवाले विदेशों में धनोपार्जन कर रहे हैं, उनके घर पक्के और विशाल हैं, घर के सामान मूल्यवान हैं और उनका जीवन भी व्ययसाध्य है; पर इस समय उन्होंने सिद्धान्त पर सब कुछ होम कर दिया। उनकी जायदाद दूसरों के हाथ में चली जायगी, उनके घरों में दूसरे लोग आ-आकर बसेंगे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। वह शायद भारत के बसनेवालों से ऐसे अमानुषीय व्यवहार की आशा नहीं रखते। उनका यह दैवी साहस देखकर हम लज्जा से सिर झुका लेते हैं; क्योंकि हम अपने में वह तप और वह विश्वास नहीं पाते। तुम धन्य हो बारदोली के वीरो! अगर संसार का नियन्ता कहीं है, तो तुम्हारा यह त्याग निष्फल न जायेगा। तुमने स्वराज्य को अपने धर्म का अंग बना लिया है और धर्म की विजय अवश्य होगी।

नवाँ आर्डिनेन्स

पंजाब के एक अँगरेजी पत्र ने लार्ड इरविन को लार्ड-आर्डिनेन्स की उपाधि दी

है। और उन आर्डिनेन्सो की संख्या को देखते हुए—जो गत आठ महीनो मे जारी किये गये है—यह उपाधि कुछ बेजा नही मालूम होती। जिस वाइसराय की सच्चाई और नेकनीयती की महात्माजी ने तारीफ की, वह स्वार्थी मन्त्रियो के हाथ मे यो कठपुतली बनेगा, इसकी आशा हमे नही थी। ताबडतोड आर्डिनेन्स निकलते चले जा रहे है; हालाँकि जनता पर उनका कोई असर नही होता। अब नवाँ आर्डिनेन्स निकाला गया है, जिनसे कर्मचारियो को काँग्रेस या अन्य विद्रोही सस्थाओ की जायदादो को जब्त कर लेने का अधिकार दे दिया है। हमारी समझ मे नही आता, कि नौकरशाही कब तक सर्प की ओर से आँखे बन्द करके बाँबी पीटती जायगी। असन्तोष न मकानो मे है, न जायदाद मे, वह दिलो के अन्दर है, और जब तक उसे न दूर किया जायगा, यो व्यर्थ छाती पीटने से कोई नतीजा नही। क्या काँग्रेस के लिए किसी मकान की जरूरत है? वह किसी वृत्त की छाँह मे बैठकर विचार कर सकती है। उसका काम इसी तरह; बल्कि और जोरो के साथ चलता रहेगा। उसे किसी कोप की क्या जरूरत है, जनता की सहानुभूति ही उसका अखड कोष है, जिसमे से अब तक करोडो रुपये निकल चुके है और आगे भी निकलते रहेंगे।

नवम्बर १९३०

स्वराज्य आंदोलन पर आक्षेप

अभी वाइसराय साहब ने फरमाया है कि सत्याग्रह आंदोलन ने लोगो मे कानून के सम्मान और भय को निर्मूल और जनता की कुप्रवृत्तियो को जागृत कर दिया है। बिहार के गवर्नर साहब ने भी अपने एक भाषण मे यही विचार प्रकट किये है। कानून के सम्मान को इस आंदोलन ने निर्मूल नही किया है, उसे निर्मूल किया है और कानूनी कानूनो ने, पुलिस की लाठियो ने, जेल के डण्डो ने, और फौज की गोलियो ने। हाँ अब जनता उस कानून को कानून न मानेगी, जो किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग से निकले हो। वह उसी कानून को कानून मानेगी, जिसके निर्माण मे उसने स्वयं निर्वाचक रूप से भाग लिया है। काँग्रेस के स्वयंसेवक उसी तरह देवता नही है, जैसे पुलिस के कर्मचारी। पर वह अपना कर्त्तव्य समझते है और जानते है कि यह धर्म-संप्राम है और धर्म के बन्धनो को तोड नही सकते। हाँ, जब सख्तियाँ असहनीय हो जाती है तब आदमी पागल होकर जो कुछ कर बैठे वह थोडा है।

जनवरी १९३१

बम्बई के एक मजिस्ट्रेट का भ्रम

बम्बई के चीफ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट ने शोलापुर दिवस मनाने के अपराध में काँग्रेस के कार्यकर्ताओं को दण्ड देते हुए फ़ैसले में एक बड़े मजे की बात कही है। वह यह कि इस दिवस के मनाने का अर्थ है, खूनियों को प्रोत्साहित करना। यह बिलकुल गलत है। इसका अर्थ केवल यह है कि इन आदमियों को जो सजा दी गयी है, वह जनता की दृष्टि में जरूरत से कहीं ज्यादा कठोर है और नौकरशाही ने समस्त देश के मत को कुचलकर उन्हें फाँसी दी है। मारने का अस्त्रियार आपको है लेकिन रोने का अस्त्रियार मार खानेवालों को है। यह अधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते।

जनवरी १९३१

काँग्रेस ज़िंदाबाद

गत वर्ष चौथी मार्च को महात्मा गांधी जी ने डांडी की ओर प्रस्थान करके स्वराज्य-संग्राम की रण-भेरी बजायी थी। पूरे साल भर के बाद चौथी मार्च को क्षणिक-संधि की घोषणा हुई और काँग्रेस ने पहला मोर्चा जीता। यह सफलता किन माधनों द्वारा प्राप्त हुई है, इसको दुहराने की जरूरत नहीं। वह सारे दृश्य अभी तक हमारी आँखों के सामने है। जिस काम को हम असाध्य समझ रहे थे, वह इतना सरल था, इसकी हमने कल्पना भी न की थी। हमने लगभग अस्सी हजार स्वयंसेवक जेल भेजे, काँग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को बन्दी बनना पड़ा, पर सच पूछिये तो ऐसे महान उद्देश्य के लिए जितना त्याग किया गया वह कुछ नहीं के बराबर है। कुशल सेनापति वही है, जो थोड़े से थोड़े रक्तपात से बड़ी से बड़ी विजय कर दिखाये। महात्मा गांधी जी उन्हीं कुशल सेनापतियों में हैं। अहिंसा और सत्याग्रह का ऐसा अमोघ अस्त्र उन्होंने देश के हाथ में दिया, कि हम ब्रिटिश सरकार की मशीनगनों और हवाई जहाजों को तुच्छ समझ कर निहत्थे मैदान में निकल पड़े और वह शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने संसार पर अपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए पचास लाख आदमियों का बलिदान कर दिया था, हमारा लोहा मान गया। योरोपीय महासमर में भारत ने भी लगभग पन्द्रह लाख सैनिकों का बलिदान किया था और असंख्य धन बारा था, पर उसका क्या फल निकला! वह पशुबल का संग्राम पशुबल से था। यह आत्मबल का संग्राम पशुबल से था और पशुबल को आत्मबल के सामने नीचा देखना पड़ा। हम यह नहीं कहते, कि हमारा अभीष्ट पूरा हो गया और हमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी, पर जिस सरकार ने पहले हमारे उद्योग को हेय समझा

आ और उसकी हँसी उड़ायी थी, उसी सरकार का हमसे सन्धि करने पर विवश होना क्या छोटी बात है ? जब विपक्षी ने हमारी शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो वह हमसे फिर ताल ठोकने का साहस नहीं कर सकता । जिस शत्रु के हृदय में आप अपना आर्तक जमा सकते हैं, उसकी पीठ में धूल लगा देना उससे कहीं सरल है । मुश्किल होता है, अपनी शक्ति का सिक्का बिठाना । वह अभीष्ट काँग्रेस ने पूरा कर लिया । बृटिश सरकार अब दोबारा भारत की संयुक्त शक्ति का सामना करने का साहस नहीं कर सकती । उसे अब अगर कोई आशा है, तो वह भारत के विभिन्न समुदायों संप्रदायों का परस्पर वैमनस्य है । अगर काँग्रेस ने इस वैमनस्य को जीत लिया, तो फिर उसकी कोई माँग नहीं जो अंग्रेज सरकार पूरी करने के लिए मजबूर न हो जाय । गोलमेज-परिषद् में सभी वर्गों ने डोमिनियन स्टेट्स का समर्थन करके अंग्रेज सरकार को चकित कर दिया था । प्रतिनिधियों का चुनाव जिस रीति से किया गया था, उससे सरकार ने यह आशा बाँध ली थी, कि यह एक स्वर होकर कुछ कह ही न सकेंगे । जितने मुँह होंगे, उतनी ही बातें होंगी । ऐसी परिषद् को बच्चों का खेल सिद्ध कर देना कुछ मुश्किल न था, लेकिन परिषद् ने एक स्वर होकर डोमिनियन स्टेट्स की सदा बुलन्द की । हाँ, बृटिश सरकार की इतनी चाल चल गयी कि परिषद् ने संरक्षकों को स्वीकार कर लिया जिसने परिषद् को अपंग कर दिया । जो कुछ कसर रही, वह सांप्रदायिक स्वत्वों के बँटवारे के भ्रमे में पूरी हो गयी । महात्मा गांधी जी ने देखा कि अब समझौते का अवसर आ गया है और जब समझौता से कार्य सिद्ध हो तो बलिदानों की जरूरत क्या । आपने कहा है, कि "बलिदानों की एक सीमा तक तो आवश्यकता होती है ; लेकिन उस सीमा के निकल जाने पर कष्टों का आवाहन करना मूर्खता की पराकाष्ठा है ।" हमारा राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा जी का चलाया हुआ है । वही इसके प्रवर्तक और संचालक हैं । जब उन्हें विश्वास है कि अब वह अवसर आ गया है, जब समझौते से ज्यादा सफलता की आशा है, तो कौन कह सकता है कि उन्होंने संधि करके भूल की । अब तो हमारी जीत इसी में है, कि भारत जो कुछ माँगे, एक स्वर होकर माँगे, फिर अंग्रेज सरकार को वह माँग पूरी करने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा । गोलमेज-परिषद् में स्वत्वों पर जो नोच-खसोट हुई, उसका कारण यही था कि उसके प्रतिनिधि राष्ट्र भक्त न थे, पंथ-भक्त थे । अब वह अविश्वास का वातावरण बदल गया है, और हमें पूरा विश्वास है, कि साम्प्रदायिक विरोध की बाधा हमारे मार्ग में न खड़ी होगी । मुसलिम नौजवानों की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक नहीं । इसका परिचय पहले ही मिल चुका है । हमारे मुसलिम नौजवान विशेष अधिकारों के उपासक नहीं, न वह सरकार का रक्षा का हाथ अपने सिर पर रहना आवश्यक समझते हैं । उनमें पुरुषार्थ है, उत्साह है, आत्मविश्वास है और वह राष्ट्र के हित के लिए पंथगत स्वत्वों को छोड़ना जानते हैं । जिस जाति में व्यापक आतृ-भाव का आदर्श है, जहाँ कोई छोटा है न बड़ा है, सब बराबर हैं, वह जाति अगर विशेष अधिकारों और छोटी-छोटी

नौकरियों के लिए राष्ट्रहित में बाधक हो, तो वह अपने ऊँचे आदर्श से गिर जायगी। जब नारी जाति में इतना आत्मबल आ गया है कि वह देश के लिए कठिन में कठिन यातना सहने के लिए तैयार है तो क्या हमारे मुसलिम नौजवान इस अवसर पर अपने पुरुषार्थ का परिचय न देंगे ? भारत की वीर देवियों ने इस कठिन अवसर पर जिस वीरता का परिचय दिया है, वह समार के इतिहास में अद्वितीय है। वह कोमलगी रमणियों, जो परदे में रहना ही अपना गौरव समझती थी, जिस वीरता से मैदान में आ खड़ी हुई, उसने सत्कार को चकित कर दिया। हम तो यह कहना भी अनिश्चित नहीं समझते, कि इस संग्राम में विजय का सेहरा नारी-जाति ही के मिर्हें। मानाओ न सदैव अपनी सन्तान के लिए अपना बलिदान किया है और आज उमी मानृत्व ने भारत का उद्धार किया है।

फरवरी १९३१

काँग्रेस

काँग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। हमें कुछ शका थी, कि शायद गांधी-इर्विन समझौते के विरोधी कुछ गुल न खिलाये, पर वह शका निर्मूल सिद्ध हुई। विरोधियों ने चेष्टा तो की कि महात्मा गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाय, और काली भंडारियाँ भी निकाली, लेकिन महात्मा जी के प्रभाव के सामने उनकी कुछ चली नहीं। काँग्रेस ने बहुमत से देहली के समझौते का समर्थन किया और महात्मा जी के नेतृत्व में काँग्रेस के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना निश्चित हो गया। सबसे अधिक प्रसन्नता हमें स्वराज्य की उस व्याख्या से हुई, जो काँग्रेस ने एक प्रस्ताव के रूप में मजूर की है। उसने उन शकाओं का शमन कर दिया, जो काँग्रेस की नीति के विषय में कुछ लोगों को थीं। अब काँग्रेस का ध्येय राष्ट्र के सामने है। वह गरीबों की सस्या है, गरीबों के हितों की रक्षा उसका प्रधान कर्तव्य है। उसके विधान में मजदूरो, किसानों और गरीबों के लिए वही स्थान है जो अन्य लोगों के लिए। वर्ग, जाति, वर्ण आदि के भेदों को उसने एकदम मिटा दिया है। हम काँग्रेस को इस प्रस्ताव के लिए बधाई देते हैं। स्वराज्य की इस व्याख्या को लाखों की सस्या में बाँटना चाहिए। ऐसा कोई घर न होना चाहिए जिसमें उसकी एक प्रति न हो। अब जनता को इस विषय में कोई सदेह न रहेगा कि वह किन स्वत्वों के लिए लड़ रही है, स्वराज्य से उसे क्या लाभ होगा और उसकी प्राप्ति का क्या मार्ग है।

मार्च १९३१

स्वराज्य मिलकर रहेगा ।

कभी-कभी देश को देखकर हमें स्वराज से निराशा हो जाती है । जहाँ हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे की गर्दन काटने पर तुले हैं, जहाँ किसान और जमींदार में संघर्ष है, अछूतों और वर्णवालों में संघर्ष है, वहाँ स्वराज के विषय में शंकाओं का होना स्वाभाविक है । लेकिन इन सब बाधाओं के होते हुए भी स्वराज के पक्ष में एक ऐसी बलवान शक्ति है, जिसके सामने यह बाधाएँ बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकतीं और वह शक्ति है समय की प्रगति या संसार का जनमत । संसार ने चाहे और किसी विषय में उन्नति की हो या नहीं, लेकिन शासन व्यवस्था के सिद्धान्तों में पिछले बीस वर्षों में एक क्रान्ति-सी हो गयी है । आज कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूँढने पर मजबूर है । वह निःशंक होकर यह कहने का साहस नहीं रखता कि हमने इस देश को जीता है, और तलवार के जोर से अपने अधीन रखेंगे । यदि वह ऐसा कहे तो संसार में उसके विरुद्ध ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा कि उसे प्राण-रक्षा के लिए कहीं पनाह न मिलेगी । सबल स्वार्थ का सहन संसार अब नहीं कर सकता । आज चर्चिल या रादर मियर या साम्राज्यवाद का कोई दूसरा उपासक भारत पर कोई आंचेप करता है, कोई दिल दुखानेवाली बात करता है तो उस पर चारों तरफ से बौछारें पड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि चर्चिल के दल का नेता भी उसका समर्थन नहीं करता । अब अंग्रेज व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा यही माँगते हैं कि उन्हें हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों के बराबर ही हक मिले । कर्जों के विषय में भी यह निश्चित-सा है कि भारत के सिर ऐसे कर्ज नहीं मढ़े जा सकते जो भारत के हित के लिए न लिये गये हों । सारांश यह कि यह युग स्वराज का युग है, जनता एकाधिपत्य को सहन नहीं कर सकती, चाहे वह स्वदेशी ही क्यों न हो । जैसा लार्ड इविन ने हाल में इंग्लैण्ड में कहा है— 'प्रभुत्व का आदर्श अब नहीं रहा, यह साभेदारी के आदर्श का युग है ।' भारत अगर अंग्रेजों साम्राज्य में रह सकता है तो गुलाम बनकर नहीं ; बराबर का साभेदार बनकर । अगर आज भारत में जातिगत वैमनस्य बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार ही के सिर पड़ती है । अधिकारी मण्डल को कानपुर में ऐसा कड़वा अनुभव हुआ है कि शायद ऐसे अवसरों को दूर रखने में वह कभी इतनी शकलत न करेगा । हिन्दू-मुसलमानों में मेल रहे इसकी भी सरकार को फिक्र रखनी होगी । क्योंकि वैमनस्य की जिम्मेदारी उसके सिर पड़ती है और अब संसार को यह धोखा नहीं दिया जा सकता कि अंग्रेजों राज्य का रहना इसलिए जरूरी है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे को फाड़ न खायें । इस तरह की आवाज चाहे किसी तरफ से उठे, वह सरकार द्वारा प्रेरित समझ ली जाती है और उसका प्रभाव मिट जाता है । अतएव संसार के हाथ में यह जो भेद का आखिरी हथियार था वह भी निकम्मा हो गया, उसकी सारी बातें खुल गयीं । अब भारत या

संसार साम्प्रदायिक विद्वेषो से मुगलते मे नही डाला जा सकता । उधर किफायत की जरूरत और खर्च पूरा करने के लिए ऊँचे अधिकारियों को न तोडकर करों का बढाना और छोटे-छोटे अमलो का तकलीफ करना, यह सभी बातें, लोगो की स्वराज्य-लालसा को उत्तरोत्तर तीव्र करती जा रही है । देश को अपनी सारी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बीमारियों की एक ही अमोघ औषधि देख पड रही है और वह 'स्वराज्य' है और संसार का जनमत उसके साथ है । इंगलैण्ड के पास अगर अब कोई शक्ति बच रही है तो वह प्रोपैगण्डा है । अनुभव ने बतला दिया है कि एक मिममेयो भारत को संसार की आँखो मे इतना गिरा सकती है कि सारे देश का सयुक्त प्रयास भी अब उसे वहाँ से उठाने मे सफल नही होता । हमे ऐसी मिसमेयो और उसी थैली के चट्टो-चट्टों से भारत की रक्षा करनी है । अगर ऐसे अबसर पर हमारे कुछ बक्नुता कुशल, प्रभाव-शाली नेता (सरोजिनी नायडू की भाँति) अमेरीका का भ्रमण करे, उसके साथ ही यह प्रयास भी किया जाय कि फिल्मो द्वारा भारतीय सस्कृति का शुद्ध और यथार्थ रूप संसार के सामने रखा जाय, तो हमे विश्वास है, देश का बडा कल्याण होगा ।

मई १९३१

गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है.

लार्ड इर्विन से किसी ने हाल मे एक जलसे मे पूछा—अग्नेजो के प्रति भारत-वासियो को इतना अविश्वास और अप्रतिष्ठा कब से हुई है और इसके क्या कारण हैं ? इसका लार्ड इर्विन ने जो उत्तर दिया, वह विचार करने योग्य है । आपने फर्माया, गोरी जातियो की प्रतिष्ठा तो उसी वक्त उठ गयी जब जापान ने रूसियो पर विजय पायी । और कारण है, यूरोपीय महासमर मे भारतवासियो का सम्मिलित होना और सिनेमा का भारत मे प्रचार । इसका अर्थ यह है कि भारतवासियो को ज्यो-ज्यो गोरो के आन्तरिक जीवन का परिचय मिलता जाता है, गोरो का प्रभाव मिटता जाता है । महाममर ने इतना ही नही सिद्ध कर दिया कि पुरुषार्थ और साहस मे भारतवाले गोरो से जौ भर भी कम नही है, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि गोरे न्याय और धर्म और नीति और शिष्टता के पुतले नही है, जैसे वह भारत मे बन जाते है । चाहिए तो था कि गोरो का रण-कौशल, उनका महान् सघटन, उनका दैविक धैर्य, उनकी नीति-परायणता और उदारता देखकर भारतवाले दिल मे उनके कायल हो जाते, पर ऐसा नही हुआ । भारत-वालो ने देखा कि यह लोग भी हमारे ही जैसी दुर्बलताओ से भरे हुए मनुष्य है, जो संकट पडने पर धर्म को ताक पर रख देते है, जो विजय-पाने के लिए अनीति और अनाचार के पिशाच बन जाते है, जो नीच स्वार्थ के प्रवाह मे सद्भावों को भूल जाते

है। सारांश यह कि जिन गुणों के बल पर गोरे दूसरों पर राज करते हैं, उनमें से एक भी मौजूद नहीं और भारत में उनका जो रूप नजर आता है, वह बना हुआ है। चरित्र-बल से ही एक जाति दूसरी जाति पर आतंक जमा सकती है। पशुबल से स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। भारतवासियों ने देखा कि यह चरित्र-बल गौरागो में नाम को भी नहीं है। किसी जाति का चरित्र उसके गिने-गिनाये महापुरुषों के आचरण से नहीं सिद्ध होता, बल्कि जन-साधारण के व्यवहार से। जिन देशों की जनता शराब को पानी की भाँति पीती हो, चाय को जीवन का आधार समझती हो, वह बहुत सस्कृत नहीं हो सकती। लडाइयों में जब गोरे लोग विजय पा जाते हैं, तो पराजितों के साथ कितना अमानुषीय व्यवहार करते हैं, यह जानी हुई बात है। भारत में तो गोरे सोलजरो का यह हाल है कि जिस इलाके में इनका पडाव पड़ जाता है, वहाँ स्त्रियों का राह चलना बंद हो जाता है। सीधे बोलना तो वह जानते ही नहीं। गोरे ही क्यों, हमारे सिविलियनों का भी यही हाल है। वह इतने मगरूर, इतने विनयशून्य, इतने अक्खड होते हैं, कि कोई शरीफ हिन्दुस्तानी गला दबने ही पर उनसे मुलाकात करने जाता है। उनसे मिलने में भारतवालों को ऐसा अनुमान होता है कि वह अपनी आत्मा का खून कर रहे हैं। उनके सत्संग से शुभ प्रभाव लेकर तो शायद ही कोई लौटता हो। जो मिलता है, वह तीसमारखाँ बना हुआ, ऐसा रूप बनाये हुए, मानो वह अभी आकाश से उतरा है। महासमर ने इस भ्रम का निवारण कर दिया। भारतीयों को गोरो के साथ मिलने का, सोने का, बरतने का अवसर मिला और उन्होंने गोरो को जितना ही अदर से देखा, उतनी उन्हें अश्रद्धा होती गयी।

मगर सिनेमा ने तो परदा और भी फाश कर दिया। जो ढका हुआ था, वह भी खुल गया। महासमर में तो पन्द्रह लाख से ज्यादा आदमी नहीं गये। सिनेमा तो इससे कहीं ज्यादा आदमी नित्य देखते हैं। हालाँकि कोशिश की जाती है कि यूरोप और अमेरिका के अच्छे ही फिल्म भारत में आये। फिल्मों का नियमित रूप से सेसर होता है, एक बाकायदा महकमा ही इस काम के लिए खुला हुआ है। अभी हाल में सिनेमा इन्क्वायरी कमेटी तहकीकात कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो फिल्म आते हैं, उनका असर यह होता है कि भारतीयों को गोरे जीवन के कुछ ऐसे दृश्य देखने में आते हैं कि उनके दिल में उम जाति के प्रति घृणा-भाव उत्पन्न होते हैं। और यह उस जाति का हाल है, जो दुनिया को तहजीब सिखाने का दावा करती है। उसी जाति की एक मिसमेयो आकर भारतीय जीवन के कुछ कलुषित अंगों की तस्वीर खींचती है तो गोरी जातियों को रोमांच होने लगता है। अगर गोरो का जीवन आदर्श होता, उसमें ऐसी खूबियाँ होती कि दूसरों के दिल में उससे भक्ति और सम्मान का संचार होता, तो उसका यह उल्टा असर क्यों होता? पर बात यह नहीं है। गोरो ने आदि से ही प्रेम के बल पर नहीं, आतंक के बल पर संसार पर प्रभुत्व जमाया है। वह कालों की नजरों से अपने ऐबों को

छिपाकर अपनी नीतिमत्ता की साख बिठाये हुए थे और अब आधुनिक आविष्कारों ने उस परदे का ढका रहना मुश्किल कर दिया है। एक दिन था, जब भारतवाले गोरों को देवता समझते थे। तब आमदौरफ्त की इतनी मुविधाएँ न थीं और गोरों को अपने काले दागों का छिपाना आसान था, पर अब वह दाग छिपाये नहीं छिपते, बल्कि उल्टे और स्पष्ट हो रहे हैं। गोरी जातियों को अब अगर कालों की प्रतिष्ठा का पात्र बनना है तो परदे में छिपकर नहीं, स्वामी बनकर नहीं, भाई बनकर ही सम्भव है। पश्चिमी सभ्यता का दिवाला हो रहा है। एक दूसरे महासमर के बादल मंडला रहे हैं। अगर यह भविष्यवाणी सत्य निकली तो संसार में उस सभ्यता की यादगार केवल मिलों के टूटे-फूटे चिन्ह और संसार के कोप में संघर्ष का सिद्धान्त मात्र रह जायेंगे।

जून १९३१

देश की वर्तमान परिस्थिति

देश में इस समय आर्थिक संकट के कारण, जो दशा उपस्थित हो गयी है, उसे जल्द न सँभाला गया तो बड़े भारी उपद्रव की आशंका है। महात्मा गांधी क्रांति नहीं चाहते और न क्रांति से आज तक किसी जाति का उद्धार हुआ है। महात्मा जी ने हमें जो मार्ग बतलाया, उससे क्रांति की भीषणता के बिना ही क्रांति के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक ओर सरकार और उसके पिठू जमींदार और दूसरी ओर हमारे कुछ तेजदम और जोशीले कार्यकर्ता नादिरशाह बने हुए क्रांति के सामान पैदा कर रहे हैं। सरकार से तो हमें शिकायत नहीं। जो चीज हमारे काम न आये, उसे नष्ट कर देना भी राजनीति का एक सिद्धान्त है। शत्रु को बढ़ते देख कर फसल को जलाना, कुओं में विष डाल देना और घास को जला देना आनेवाले दल की पुरानी नीति है। इसी नीति से रूसियों ने नेपोलियन पर विजय पायी थी। देश में यदि इस समय जगह-जगह उपद्रव होने लगे; तो स्वभावतः जनता का ध्यान लक्ष्य से हट कर घरेलू झगड़ों की ओर चला जायगा और स्वराज्य की नौका मझधार में चक्कर खाने लगेगी। कानपुर के उपद्रव ने परिस्थिति को कितना बदल दिया, हम अपनी आँखों देख रहे हैं। हमें तो शिकायत अपने उन जोशीले भाइयों से है जो महात्माजी के किये-धरे को मिट्टी में मिला रहे हैं। हमारी जीत पहले भी धर्म पर जमे रहने में थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। हमने सरकार से जो समझौता किया है, उस पर हमें दृढ़ता के साथ डटे रहना चाहिए। हाथी के दाँत दिखाने के और, और खाने के और वाली नीति पर चलने में हमारा कल्याण नहीं है, एक साथ युद्ध और शान्ति दोनों की दुहाई न देनी चाहिए।

महात्मा जी ने किसान भाइयों को सलाह दी थी कि दखीलकारों को रुपये में आठ आने अवश्य देना चाहिए। यदि किसान इससे अधिक दे सकें तो दें, लेकिन इतना जरूर दें। किन्तु एक ओर तो हमारे जमींदार इससे अधिक वसूल करने पर तुले हुए हैं, दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ता, जिनमें कुछ बड़े-बड़े नाम भी हैं, महात्मा जी के आदेशों पर ध्यान न देकर किसान भाइयों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन वीर पुरुषों में होड़-सी लगी हुई है कि कौन गर्म से गर्म बात कहकर जनता पर अपने नेतृत्व का सिक्का जमा दे। सच्चा लीडर हम उसे कहेंगे, जो देश को धर्म के रास्ते पर चलाये, जिसके कर्म और वचन में कोई अन्तर न हो, जो भीतर से भी वैसा ही हो, जैसा बाहर से। बार-बार कहना कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, मानों समझौते की मुहलत केवल इसीलिए मिली है कि युद्ध की तैयारी की जाय, देश को धोखा देना है। देश को भारतीय चर्चिलों और रायरमियरों से बचाने की जरूरत है, वरना यह लोग स्वराज्य संग्राम को रक्तमय बना कर इसे बदनाम कर देंगे और संसार की सहानुभूति खो बैठेंगे। धर्म-युद्ध की जीत, धर्म को मजबूत पकड़े रहने में है। जनता स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रखती। जनत्रांत में भी राष्ट्र की बागडोर गिने-गिनाये हाथों में ही रहती है। उसे जिस रास्ते पर लगाया जाय, उसी पर चलने लगती है। जरूरत है वातावरण को शान्त बनाने की। जहरीले वातावरण का परिणाम अभी हम कानपुर में देख चुके हैं। देश को जल की जरूरत है, अग्नि की नहीं। आग लगाकर जलाने के सिवा और क्या किया जा सकता है। क्रान्ति-क्रान्ति की दुहाई देकर, वक्तूताओं में हिंसा की पुट दकर, जोशीले और अदूरदर्शी कार्यकर्ताओं की पीठ ठोककर, दश में जो आग लगायी जा रही है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। घरेलू युद्ध से घातक कोई युद्ध नहीं होता और उपद्रव हो जाने पर उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाले, जलते हुए घरों से अपने हाथ सँकनेवाले कितने आदमी कहाँ से निकल आते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हम देश को इस परिस्थिति से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ किया है, शान्त रह कर ही किया है और आगे भी जो हमारी जीत होगी, वह अहिंसा ही के बल से होगी। हिंसा का भूत हमारे सिर सवार हुआ और हमारा सर्व-नाश हुआ। केवल मौखिक अहिंसा से काम नहीं चल सकता। हमें मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसा का अनुयायी होना पड़ेगा। यह कहना कि हमारा सर्वनाश तो पहले ही हो चुका है, कानपुर उस सर्वनाश की ताजा मिसाल है। जो लोग उस नरमेघ की आहुति बन गये हैं या जिनका सर्वस्व लुट चुका है और आज जिन्हें रोटियों का सहारा नहीं, उनसे पूछो कि इस दशा और पूर्व दशा में क्या अन्तर है? हमारा अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वह महात्मा जी को अपत्ता सच्चा नेता मानें और उनके बताये हुए मार्ग से जो भर भी विचलित न हों। गरीबों और विचलितों का, महात्मा जी से बड़ा शुभचिन्तक संसार में दूसरा नहीं है। दूसरा कोई आदमी अगर उनसे कुछ और

कहता है, तो उससे कह दे, कि पहले आकर हमारी तरह हन में जुतो, पसीना बहाओ, हमारी ही विरादरी के एफ़ अग बन जाओ, तब हम तुम्हारी मुनेगे । अपनी वकालत चलाने के लिए, आनेवाले चुनाव में वोट लेने के लिए, अथवा अपनी व्यवसाय-वृद्धि के लिए हमारी खुशामद न करो । तुम टट्टी की आड से जो शिकार खेल रहे हो, उसे हम खूब जानते हैं । जो लोग महलो में रहते हैं, अमीरो की जिन्दगी बसर करते हैं, मोटर के नीचे एक कदम नहीं चन सकते, जिनको भोजन के लिए तर माल चाहिए, वह क्या जाने कि गरीबों पर क्या गुजरती है । वह तो आग लगाकर चल देते हैं, घर जलते हैं गरीबों के । इस वक्त अगर हमारे किसान भाई सोच-विचार से काम न लेंगे और महात्मा जी के मार्ग से हट जायेंगे, तो उन्हें हमेशा के लिए पछताना पडेगा ।

जून १९३१

महात्माजी की विजय-यात्रा

महात्मा गांधी के रवाना होते ही समस्त भारतवर्ष की आँखें लंदन की तरफ फिर गयी है । महात्माजी ने दिखा दिया है कि वह राजनीति में भी उतने ही कुशल हैं, जितने सग्राम में । कितने ही लाल बुभुक्कडों को महात्माजी की राजनीतिक विवेक-शीलता में सदेह था । उनका खयाल था, महात्माजी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए ही बनाये हैं । वह Saint है और राजनीति से उन्हें कोई लगाव नहीं । राजनीति में चाले हैं, तिकडम बाजी है, आँखों में धूल भोकना है, कहना कुछ और करना कुछ है । लेकिन महात्माजी ने सिद्ध कर दिया कि वह राजनीति में भी, धर्मनीति से जौ-भर भी इधर-उधर नहीं होते । सच तो यह है कि महात्माजी ने राजनीति को उसकी गदगियों से पाक कर दिया है । उनकी राजनीति और धर्मनीति दोनों एक हैं । यही कारण है कि वह समर में जितने वीर और साहसी है, सन्धि में उतने ही दूरदर्शी और दृढ़ । ऐसे विरले ही होते हैं, जिनमें यह दोनों गुण समान रूप से मौजूद हो । साधारणतः समर का वीर सेनापति, जो बड़ी-बड़ी सेनाओं का संचालन करता है, राजनीतिज्ञों की मडली में आकर चकरा जाता है । उसी तरह राजनीति का धुरधुर पण्डित युद्ध-क्षेत्र में जाकर अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करता है । महात्माजी की व्यापक बुद्धि, धर्म और समाज, संधि और समर में समान रूप से अपना चमत्कार दिखाती है ।

लेकिन इस समय महात्माजी के सामने जो काम है, वह आसान नहीं है । लंदन में वह गोलमेज के चारों तरफ बैठे हुए, ऐसे-ऐसे चतुर खेलाडियों के बीच में खड़े होंगे, जिन्होंने राज्य-संचालन को जीवन-तत्व बना लिया है । जहाँ अंग्रेजी सेना असफल हो गयी है, वहाँ बहुधा अंग्रेजी डिप्लोमैसी ने विजय पायी है । इंग्लैंड में अब मजूरों का

अधिकार नहीं है। लेकिन जब मजूरों के हाथ में पूरा अधिकार था, उस समय भी साम्राज्यवादियों का इतना जोर था कि मजूर-सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी, और अब तो सर सामुयेल होर, लार्ड रीडिंग, लार्ड पील जैसे-जैसे सज्जन कैबिनेट में हैं, जिन्हें भारत से उतनी ही सहानुभूति है, जितनी स्वामी को सेवक से होती है। ऐसी दशा में महात्माजी का उद्देश्य अगर सफल हो सकता है, तो इसी तरह कि राष्ट्र की पूरी शक्ति महात्माजी के पीछे हो। हमको उतनी शका अग्रेज मिनिस्ट्रो से नहीं, जितनी अपने ही भाइयों से है। अग्रेज व्यापारी है। व्यापार उनके जीवन के लिए अनिवार्य है। वह खेती-बाड़ी करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते। उन्हें मालूम हो गया है कि भारत को तलवार के जोर से दबाकर वह व्यापार नहीं कर सकते, केवल राज्य करने का व्यसन उन्हें अपने व्यापार को चौपट करने, अपने जीवन को खतरे में डालने, और अपनी हस्ती मिटा देने पर राजी नहीं कर सकता। बाल्डविन हो या चर्चिल, मैकडोनेल्ड हो या लायड जार्ज, इस बात को कोई नहीं भूल सकता कि इंग्लैंड का व्यापार ही उसके प्राण है और जिस दिन इंग्लैंड का व्यापार न रहेगा, उस दिन इंग्लैंड भी न रहेगा। हाँ, हमारे भाइयों में अब भी एक ऐसा शक्ति-शाली समूह है, जो स्वराज्य से डरता है। उसे भय है कि स्वराज्य में हिन्दू बहुमत उसे पीस डालेगा। इस समय हमारी सारी कोशिश अपने मुसलिम भाइयों की सहानुभूति प्राप्त करने, उनके दिलों से शका और अविश्वास को मिटाने में लगनी चाहिए। यही हमारे राजनीतिक उद्धार की कुजी है। कांग्रेस ने इस शका और अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है, फिर भी वह पिशाच अभी तक छिपा बैठा है और जब अवसर पाता है, कहीं न कहीं अपनी पैशाचिक लीला दिखा देता है। मुसलमानों में इस वक्त कोई नेता नहीं है। जितने नेता हैं, वह एक-एक टुकड़ी के नेता हैं। मौलाना हसरत मौहानी पर अधिकांश मुसलिम जनता को विश्वास है, पर मौलाना इतनी जल्द-जल्द पहलू बदलते हैं, कभी पक्के राष्ट्रवादी बन जाते हैं, कभी पक्के मुसलिम लीडर, कि मुसलिम जनता उन्हें पहली समझती है। ऐसी बिन दूल्हा की बरात किस अवसर पर क्या करेगी, नहीं कहा जा सकता। उन्हें समझावें तो कैसे, उनके साथ शर्तें करें तो कैसे। सभी अपनी-अपनी डफली अलग-अलग बजा रहे हैं। इसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि मुसलिम भाइयों की यह शंका तथा अविश्वास केवल दुराग्रह के कारण नहीं है। उसका कारण वह भेद-भाव, वह छूत-विचार, वह प्रथकता है, जो दुर्भाग्य से अभी तक अपने पूरे जोर के साथ राज कर रही है। जब हिन्दू, एक मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पी सकता, तो मुसलमान को कैसे उस पर विश्वास हो सकता है, वह कैसे उसे अपना मित्र और हित-चिन्तक समझ सकता है? कुछ पढ़े-लिखे मुसलमान उँगलियों पर गिनने-लायक ऐसे मिलेंगे, जो समझते हैं कि यह भेद-भाव नफरत के कारण नहीं, इसीलिए नहीं, कि हिन्दू मुसलमानों को नीचा समझता है, बल्कि

इसलिए कि यह भेद-भाव का भूत उसके सिर पर हजारों बरस से सवार है, जो अपने स्वधर्मियों से भी उतना ही प्रथक रखे हुए है, जितना अन्य धर्मवालों से। ब्राह्मण को एक कायस्थ के हाथ का भोजन अखाद्य है। नही, एक प्रान्त के ब्राह्मण के लिए हमारे प्रान्त के विप्रजी के हाथ का भोजन वर्जित है। यहाँ तक कि ऐसे-ऐसे कुलीन भी पड़े हुए हैं, जो अपने हाथ के सिवा और किसी के हाथ का पकाया भोजन-खा ही नहीं सकते, चाहे भूखो मर जायँ। हिन्दू इस भिन्नता को समझता है और उसे इसके महने की आदत पडी हुई है, वह किसी वर्ग का हो, उसे भी किसी न किसी को अच्छूत समझने का गौरव मिल ही जाता है, लेकिन आज मुसलमान इस फिलासफी को नहीं समझ सकता। वह तो यही जानता है कि हिन्दू उसे नीचा समझते हैं और यह कोई भी आत्म-सम्मान रखनेवाली जाति नहीं सह सकती। ऐसे विचारों के रखते हुए कोई राष्ट्र नहीं बन सकता और अगर कुछ दिनों के लिए बन भी जाय, तो टिक नहीं सकता।

सितंबर १९३१

नया प्रेस बिल

सरकार ने समाचार पत्रों के लिए एक नया दंड-विधान सोच निकाला। क्रांतिकारियों की अमानुषीय लीलाओं को रोकने के लिए यही उपाय सबसे सरल समझा गया है। सरकार का कथन है कि समाचारपत्रों में उत्तेजना पैदा करने के लिए लेख निकलते हैं, हत्याकारियों की तस्वीरें छपती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रशंसा की जाती है। यदि ऐसे समाचारपत्र हैं, और इसमें सदेह नहीं कि है, तो उनके साथ कानूनी बर्ताव होना चाहिए। इस वक्त भी जो कानून मौजूद है, उसके द्वारा सरकार ऐसे पत्रों की ज़बान बन्द कर सकती है, उसकी हस्ती मिटा सकती है। लेकिन एक नया कानून बना कर अधिकारियों को यह अधिकार दे देना कि वे जिस पत्र को चाहे, कुचल डाले और सरकारी नीति की निष्पक्ष आलोचना करने के लिए भी पत्रों को दण्ड दे सके, खतरे की बात है। और यह कानून उस वक्त बनाया जा रहा है, जब भारत को स्वराज्य देने की बातचीत हो रही है। इस वक्त तो कहा जा रहा है, जिम्मेदार पत्रों को इस विधान से डरने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अधिकारियों को कोई अधिकार देकर यह आशा करना कि वह उसका व्यवहार सोच-समझकर करेंगे और अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए निरपराधियों पर भी आघात न कर बैठेंगे, तजरबे से गलत साबित हुआ है। महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसावादी व्यक्ति और कौन होगा, पर उन्होंने भी इस विधान का विरोध किया है और इसे भारतीय जनमत के विकास में बाधक समझा है। अधि-

कारियों को कानून की सर्वशक्तिमानता पर अखंड विश्वास है। वह कानून की निरर्थकता को आँखों से नित्य देख-देखकर भी कोई उपदेश नहीं ग्रहण करते। रोज नये-नये कानून बनते हैं और रोज नये-नये अपराधों का आविष्कार होता है और यह होड बराबर चली जाती है। मगर, जैसे बाहरी लीप-थोप से जीर्णदीवार नहीं सँहल सकती, उसी भाँति विषमता से भरा हुआ समाज कानून से स्वस्थ नहीं रह सकता। चोरी, डाका, जाल, हत्या, इन सभी अपराधों का कारण सामाजिक वैषम्य है। जब इस वैषम्य में जाति-द्वेष मिल जाता है, तो इसका रूप और भी भयकर हो जाता है। कोई भी समझदार नादमी हत्याकारियों की प्रशंसा नहीं कर सकता। संसार में इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि हत्याओं से किसी देश का उद्धार हो सकता है। लुडाई से लडाई का अंत हो सकता, तो आज संसार में शान्ति का राज्य होता। लडाई और द्वेष को प्रेम ही जीत सकता है। प्रेम, शक्ति का सचय किये बगैर नहीं हो सकता। अहिंसा कायरो का कर्तव्य नहीं, महान बलवानों का कर्तव्य है। प्रेम वही कर सकता है, जो शक्तिमान हो। चाहे वह शक्ति आत्मा की हो, या देह की। इन अपराधों का दमन करना सरकार का ही धर्म नहीं, राष्ट्र का धर्म भी है, क्योंकि ऐसे क्रूरों से राष्ट्र को हानि पहुँचती है। उसके नाम में ही कलक नहीं लगता, उसका भविष्य भी अंधकार में पड जाता है। जब तक हमारी मनोवृत्ति ऐसी रहेगी कि ऐसी हत्याओं की गुप्तरूप से प्रशंसा करते रहें, किसी अग्रेजी या हिन्दुस्तानी कर्मचारी की हत्या को खबर सुनते ही फडक उठें, पत्र खोलकर पहले यही देखें कि कहीं कोई हत्या हुई या नहीं, उस वक्त तक हत्याओं का अंत न होगा। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि द्वेषमय हिंसा करना ही धर्म-विरोध नहीं, उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सराहना करना भी धर्म-विरोध है। राष्ट्रों में लडाइयाँ होती हैं। वह खुल्लम-खुल्ला, ललकार कर होती हैं। चात्र धर्म में वैसी लडाई के लिए स्थान है। वीरता की प्रशंसा की गयी है और की जायगी। पर, छिपकर स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध की हत्या करना अत्यन्त घृणित है, और जो मनोवृत्ति ऐसे काम की तारीफ करती है, वह निस्सदेह अस्वस्थ है।

सितंबर १९३१

सरकारी खर्च में किरफायत

घर में आग लगी हुई है और सरकार किरफायत करने के मसूबे बाँध रही है। महीनो कमेटी ने विचार किया, महीनो गवर्नमेंट विचार करेगी, तब महीनो के बाद किरफायत शुरू होगी और किरफायत भी क्या? छोटे-छोटे अमले निकाल दिये जायेंगे, ऊँचे ओहदेदार चैन करते रहेंगे। राष्ट्र आखिर इसीलिए तो है, कि वह मरे और सर-

कारी कर्मचारी चैन करे। अगर आमदनी में कमी हो रही है, तो कोई चिन्ता की बात नहीं। मनमाने कर बढ़ाये जा सकते हैं। रेल का किराया चौगुना कर दो, जिसे हजार बार गरज होगी, सफर करेगा। डाक के महसूल चौगुने कर दो, जिसे हजार बार गरज होगी, डाकखाने में जायगा। आखिर डाक का काम तो रुक नहीं सकता। अभी कर वृद्धि के लिए बहुत बड़ी गुजाइश है। १०० २० साल की आमदनी पर भी कर लगाया जा सकता है। प्रजा रोयेगी, रोये, सरकार का खर्च तो पूरा हो जायगा। गरीब से गरीब मुल्क का खर्च अमीर से अमीर मुल्क से बढ़ न जाय, तो बात ही क्या रही। आखिर भारत को मालूम कैसे होगा कि हम पराधीन हैं। इंग्लैंड का बादशाह अपने खर्च में कमी कर दे, आनन-फानन वजीर से लेकर नीचे तक पन्द्रह फी सदी वेतनो में कमी हो जाय, पर भारत में ओहदेदारों का वेतन कैसे घटाया जा सकता है? उसका नाम लेना भी जुर्म है। भला फौज के खर्च में इससे ज्यादा कमी क्या हो सकती है! स्टेशनरी का खर्च कम कर दिया, बिजली का खर्च कम कर दिया, अब और क्या चाहिए। उधर प्रजा है कि भूखो मर रही है, न खाने को अन्न है न तन ढाँकने को वस्त्र। जो कुछ उपज हुई थी, वह लगान में गयी। कितने ही घरों में तो लोटा-याली और गहने जेवर भी लगान की भेट हो गये। पर खर्च में कमी नहीं हो सकती। गरीबों को एक जून भी ज्वार की रोटी न मयस्सर हो, पर हमारे साहबों को मक्खन और अडे और शराब और अंगूर-अनार दिन में पाँच बार चाहिए। ससार मरे, हम तो जीते हैं। यही पच्छिमी सभ्यता है। कितना दुःख होता है, जब हम देखते हैं, कि हमारी सरकार को देश की परिस्थिति की बिलकुल चिन्ता नहीं। उसे तो डडे का बल है। किसान आप मरेगा और लगान अदा करेगा, वरना डडे से खबर ली जायगी। उसे इतना ही जिन्दा रहना चाहिए कि वह मरकर खेत जोत-बो सके। इससे ज्यादा जिन्दा रहने की उसे जरूरत नहीं। ईश्वर की दया से आबादी भी कम नहीं। अगर दस-पाँच करोड़ आदमी मर भी जायँ, तो क्या चिन्ता। जमीन परती नहीं रह सकती, और लगान फिर भी वसूल हो ही जायगा, कर मिल ही जायगा। अगर कमी की ऐसी ही जरूरत होगी तो मदरसे तोड़ दिये जायँगे, शफाखाने बंद कर दिये जायँगे या लडको की फीस दुगनी कर दी जायगी, और शफाखाने दवाओं की दूकान बना दिये जायँगे। बीमारी के लिए तो कही खोजने नहीं जाना है, और लडके भी मदरसे आवेंगे ही। और न आवें तो सरकार का क्या बिगड़ता है। उससे लगान और कर में कोई कमी नहीं होती।

अगर यह दशा न होती तो स्वराज्य की कामना ही क्यों जन्म लेती।

अक्टूबर १९३१

बंगाल आर्डिनेंस

बंगाल आर्डिनेंस पास करके सरकार ने वही किया, जो बमबाजो की इच्छा थी। बमबाज यही तो चाहता है कि सरकार को ऐसे-ऐसे अत्याचार करने पर उत्तेजित किया जाय, कि जनता उसे अपना दुश्मन समझने लगे। इस कानून ने यह उद्देश्य पूरा कर दिया। पुलिस शुबहे मे निरपराधियों को पकड़ेगी ही। नतीजा यह होगा, कि जो लोग उस पार्टी से कोई सरोकार न रखते थे, वे भी सरकार के विरोधी हो जायेंगे। बमबाज तो अपने को छिपाये रखता है। खटका देखते ही चम्पत हो जाता है। पकड़े जाते हैं वह जो लगन के साथ राष्ट्रीय काम करते होते हैं, और जिनसे पुलिस चौकती रहती है। इसलिए यह कानून बमबाजो का तो अंत न कर सकेगा, हाँ, काँग्रेस और इसी उद्देश्य से काम करनेवाली दूसरी सस्थाओं का अन्त कर देगा। इधर कई महीनों से बमबाजो की उग्रता और सरकार का धैर्य देख-देख कर जनता को सरकार से सहानुभूति होने लगी थी, लेकिन इस कानून ने आकर उस स्पिट का गला घोट दिया। बमबाजो तक तो हमारी आवाज पहुँच ही न सकेगी, लेकिन अगर उनमें नीति और धर्म का पूर्ण-रूप से लोप नहीं हो गया है तो उन्हें अपने कृत्यों के फलस्वरूप निरपराधियों को प्रताडित होते देखकर लज्जित होना चाहिए। दो-चार कर्मचारियों की हत्या करके वह चाहे अपने को विजयी समझ ले, लेकिन यथार्थ में उनके हाथो राष्ट्र का जो अहित हो रहा है, उसका अनुमान करना कठिन है। यह न तो बहादुरी है, और न ईमानदारी, कि तुम तो आग लगाकर दूर खड़े हो जाओ और घर दूसरो का जले। संसार पर आज भी प्रेम और सत्य का राज्य है। आज भी अन्याय को न्याय के सामने सिर उठाने का साहस नहीं होता। महात्मा जो ने प्रेम और अहिंसा का बल प्रदर्शित करके सारे संसार को चकित कर दिया है। अगर अभी उन शस्त्रो से हम विजय न पा सके तो इसका यह कारण नहीं है कि वह शस्त्र दूषित हैं, बल्कि यह कि हम हिंसा भाव को दिल से निकाल नहीं सके। हिंसा से हिंसा और अहिंसा से अहिंसा उत्पन्न होती है। यह ध्रुव सत्य है और इस प्राकृतिक नियम को याद रखना बलवानो के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही सरकार के लिए भी है।

दिसंबर १९३१

गोलमेज सभा का विसर्जन

गोलमेज सभा जिस तरह पहली बार गपशप करके समाप्त हो गयी, उसी तरह दूसरी बार भी गपशप करके समाप्त हो गयी। समाप्त क्यों हुई, अभी कुछ और गप-

शप होगी और यह सिलसिला शायद दो-चार साल चलेगा। कमेटियो और तहकीकातो से असली बात को टालते रहना राजनीति की पुरानी चाल है और वह इस वक्त भी चली जा रही है। जहाँ किसी बात की शिकायत पैदा हुई और उस शिकायत ने जोर पकड़ा कि फौरन तहकीकाती कमेटी बना दी गयी। शिकायत करनेवालो मे, जिनकी आवाज सबसे ऊँची थी, उन्हें उस तहकीकातो कमेटी मे शरीक कर लिया गया। साल-दो साल तहकीकात मे लगे, तब तक वह शिकायत कुछ ठंडी पड़ गयी। अगर कमेटी ने जोरदार शिफारिश की, तो उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी और बना दी गयी। जब नौकरशाही कुछ करना नहीं चाहती, केवल बहानों से काम लेना चाहती है तो वह फौरन तहकीकात शुरू कर देती है। ऐसी-ऐसी मोटी बातों की तहकीकात होने लगती है, जिन्हे एक-एक बच्चा जानता है। और कमेटी के कायम होने से उसकी रिपोर्ट छपने और उस पर विचार होने तक, या तो यह बान ही पुरानी हो जाती है, या पब्लिक का ध्यान दूसरी बातों की ओर चला जाता है। गोलमेज मे भी यही अभिनय हुआ। माँगा तो जा रहा था स्वराज्य—अंग्रेजी राज्य की जनता की ही यह माँग थी, मगर फेडरेशन का स्वाँग खड़ा करके उसमे राजाओ को शरीक करके, स्वामत्वाह एक उलभन डाल दी गयी। स्वराज्य का मुआमला पीछे दब गया। अब फेडरेशन का शोर सुनायी देने लगा। राजे अधिकतर दकियानूसी विचारों के है ही, सरकार का उनके ऊपर दबाव भी बेढब है, इसलिए ब्रिटिश इंडिया की बढ़ती हुई स्वराज्य की इच्छा को पीछे रोक रखने के लिए फेडरेशन का स्वाँग खड़ा कर दिया गया। चार-छह साल तक तो मुआमला यो ही टल गया, मगर सच पुछिए, तो यह स्कीम ही बच्चो का तमाशा थी। अंग्रेजी सरकार असली अधिकार छोडना नहीं चाहती। फौज और माल और बडी व्यवस्थापक सभा की जिम्मेदारो देने पर तैयार नहीं है, तो हमारी समझ मे नहीं आता, इस बैता-बहस कराने का अभिप्राय ही क्या था। कहा जाता है, तुम लोग आपस मे खुद तस्फिया कर लो, जो चाहो वह हम दे देते है। यह गोलमेज सभा हुई ही क्यों ? लिबरलो की माँगे मालूम थी ही, मुसलमानो की माँगे भी मालूम थी ही, काँग्रेस ने भी अपनी शर्त प्रकाशित कर ही दी थी, तो फिर वह कौन-सी जमाअत थी, जिसकी राय लेने के लिए गोलमेज सभा की गयी। वास्तव मे गोलमेज सभा काँग्रेस आंदोलन का नतीजा थी, पर उसका उद्देश्य काँग्रेस की शर्तों पर विचार करना नहीं, बल्कि भिन्न-भिन्न दलो के प्रतिनिधियो को जमा करके उनमे जो मत-विरोध है, उसका प्रदर्शन करना था। भारत मे उन भिन्न-भिन्न दलो का कोई असर न हो, कोई गिनती न हो, न उनके अनुयायियो की कुछ सख्या हो, पर इंग्लैड मे उन्हें वही महत्व दिया गया, जो काँग्रेस का था। इतने आदमी जमा ही क्यों किये गये ? भिन्न-भिन्न विचारो के व्यक्तियो को जमा करके यह आशा करना कि वह आपस मे मिलकर कोई ममझौता करेंगे, दुराशा मात्र है। काँग्रेस ने जो संग्राम छेडा था, वह किसी जाति-विशेष, या

वर्ण-विशेष के हित के लिए नहीं छेड़ा था। वह राष्ट्र की ओर से सभी जातियों और वर्णों के हित को सामने रखकर लड़ने खड़ी हुई थी। इसीलिए उसमें हरेक जाति और वर्ण के आदमी शरीक थे। जहाँ तक स्वराज्य का सम्बन्ध है, कांग्रेस ही राष्ट्र थी। और किसी दल ने तो उँगली तक न उठायी। धुन, जान, कांग्रेस ने बलिदान किये। पर जब समझौते का समय आया, तो कांग्रेस भी उसी लाठी से हाँक दी गयी, जिस लाठी से और दलवाले हाँके गये। कांग्रेस को राष्ट्र न समझ कर कई दलों में से एक समझा गया। कांग्रेस ने पहले ही समझ लिया था कि गोलमेज में कुछ होना-हवाना नहीं है, लेकिन चूँकि कई नेताओं का आग्रह था और उन्हें विश्वास था कि इंग्लैंड सच्चे दिल से न्याय करना चाहता है, इसलिए कांग्रेस ने महात्मा गाँधी को वहाँ अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे शुरू से सभा के सफल होने में सदेह था और उसका सदेह सत्य निकला। अब कांग्रेस के ऊपर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि उसने मसालहत से काम लेने के बदले जिद से काम लिया। महात्मा गांधी शान्ति के उपासक हैं। मसालहत से काम लेने में वह जितना दबे और भुंके, उसने विरोधियों को भी उनके शान्ति-प्रिय होने का विश्वास दिला दिया और यद्यपि अभी कोई प्रत्यक्ष फल नहीं निकला, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा जी का जाना बेकार हुआ। इंग्लैंड का सबसे कट्टर दल भी केन्द्रीय उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर बाध्य हुआ, मगर किसी वस्तु को आदर्श रूप मान लेना और बात है और उसे व्यवहार में लाना और बात। ऐसा अनुमान होता है कि कांग्रेस ने पिछले साल जो तपस्याएँ की हैं, वह इच्छित वरदान के लिए काफी न थी और अभी उसे और तपस्या करनी पड़ेगी।

दिसंबर १९३१

दमन की सीमा

कांग्रेस स्वराज्य माँगती है। सरकार स्वराज्य देने को तैयार है। तो फिर यह दमन क्यों? यह सत्याग्रह क्यों? या तो कांग्रेस स्वराज्य नहीं, कुछ और माँगती है, या सरकार स्वराज्य नहीं कुछ और देना चाहती है। आइये इस प्रश्न को देखें।

कांग्रेस के स्वराज्य माँगने का क्या उद्देश्य है? क्या केवल अधिकार, या ओहदे? हम जोर देकर कह सकते हैं, कि कांग्रेस अधिकार या ओहदे नहीं चाहती, वह शासन की जिम्मेदारी बँटाने की इच्छुक नहीं है। वह केवल देश को सुखी देखना चाहती है। देश में आधे आदमी बेकार पड़े हुए हैं, सौ में नब्बे आदमियों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, सौ में नब्बे आदमी लिख-पढ़ नहीं सकते और इसलिए वे जो थोड़ा-बहुत कमाते भी हैं, उसे निश्चिन्त होकर खा नहीं सकते। कहीं साहूकार उनके मुँह का कौर छीन लेता है, कहीं पुलीस। कांग्रेस को अगर विश्वास हो जाय, कि देश

के लिए जो व्यवस्था गढ़ी जा रही है, उससे यह उद्देश्य पूरा हो जायगा, तो वह आज ही सरकार के साथ सहयोग करने लगे, पर उसे यह विश्वास कैसे हो ?

काँग्रेस यही आश्वासन चाहती है। सरकार मौखिक आश्वासन तो देनी है, पर जब उस पर अमल करने का समय आता है, तब तरह-तरह की रूकावटें पैदा की जाने लगती हैं, जिससे काँग्रेस को सरकार के इरादों पर संदेह होने लगता है। काँग्रेस की यह कमजोरी कहो या ताकत, कि वह राजनीति की उलझनों से घबड़ाती है। वह अफसर में अफसरी का भाव नहीं, सेवा का भाव देखना चाहती है। हम यह भी माने लेते हैं, कि उसे धैर्य नहीं, वह जल्द से जल्द देश का उद्धार करना चाहती है, चाहे इस जल्दबाजी से उन लोगों के स्वार्थ को हानि ही क्यों न हो, जो वर्तमान परिस्थिति से लाभ उठा रहे हैं। इसका कारण यह कदापि नहीं है, कि काँग्रेस वर्तमान स्वार्थों को कुचलकर खुद अधिकार का भोग करना चाहती है, बल्कि राष्ट्र की दशा वास्तव में इतनी शोचनीय हो गयी है, कि उसके उद्धार में एक दिन का विलम्ब एक-एक युग के समान है।

प्रजा भूखो मर रही है, हमारे विधाताओं को अपने हलवे-माँड़े में रक्ती-भर की कमी भी स्वीकार नहीं। सब खर्च ज्यों का त्यों चल रहा है। प्रजा के पास लगान देने को कुछ न हो, मगर सरकार अपना लगान वसूल करके ही छोड़ेगी, चाहे किमान बिक जाय, तबाह हो जाय, चाहे उसकी जमीन बेदखल हो जाय, उसके बरतन-भाँड़े, बैल-बधिये, अनाज-भूसा सब का सब बिक जाय। आत्म रक्षा प्रकृति का नियम है। किसान भी प्रकृति का ही एक अंश है। वह भी चाहता है, कि पहले अपने खाने भर को स्वरचित रख ले, तब चाहे लगान दे, या साहूकार का ऋण चुकावे, मगर विधाता अपना कर किसी तरह नहीं छोड़ सकते। उनके खजाने में सरकार प्रजा के लिए नहीं, बल्कि प्रजा सरकार के लिए है। सरकार का शासन रहेगा, और इसी शान से रहेगा, प्रजा से उसे कोई मतलब नहीं। खर्च में कोई कमी नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, तो बराय नाम। प्रजा पर कर बढ़ाकर शासन का खर्च वसूल कर लिया जायगा। प्रजा के रहने को भोपड़े मयस्सर नहीं, सरकार को नयी दिल्ली बनवाने की धुन है, प्रजा को रोटियों का ठिकाना नहीं, अधिकारियों को दस-दस और पाँच-पाँच हजार वेतन अवश्य मिलना चाहिए। कमी पूरी करने के लिए बीस मार्ग हैं—रेल और डाक का महसूल बढ़ाया जा सकता है, इनकम टैक्स बढ़ाया जा सकता है, माल पर महसूल बढ़ाया जा सकता है। खर्च बदस्तूर रहेगा, उसमें कमी नहीं हो सकती। इस सरकारी नीति से काँग्रेस का आश्वासन नहीं हो सकता और न होना चाहिए। सरकार यो तो जनता के हित-साधन का राग अलापते नहीं थकती, लेकिन जब उसको परिचय देने का समय आता है, तो बगले भाँकने लगती है। गोलमेज सभा में भी विधाताओं को इसकी फिक्र न थी, कि प्रजा की दशा क्योंकर सुधारी जाय, बल्कि यह फिक्र थी, कि काँग्रेस की शक्ति क्योंकर तोड़ी जाय। काँग्रेस के प्रोग्राम ने प्रजा को केन्द्रित कर दिया था। काँग्रेस

ने शायद पहली बार प्रजा-हित को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया था। जो लोग वर्तमान अनीति से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने काँग्रेस की शक्ति तोड़ने में राजनीति का पूरा जोर लगा दिया और अल्प संख्यक भाइयों का एक संघ बना डाला, जो बहुमत को अल्पमत कर देता है। बहुमत के विरुद्ध अल्पमतवालों को कुछ न कुछ असंतोष रहना स्वाभाविक है। इस भावना को खूब उत्तेजित किया गया और संघ का निर्माण हुआ। अगर वह संघ-विधान सफल हो जाता है—और लक्षण कह रहे हैं, कि वह अवश्य सफल होगा—तो बहुमत की शक्ति टूटी रखी है और बहुमत के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली काँग्रेस चाहे निःशक्त न हो जाय पर उसके प्रभाव और विस्तार में कमी अवश्य आ जायगी।

और यह चालें क्यों चली जा रही थीं? केवल इसलिए कि प्रजा की वकालत करनेवाली संस्था काँग्रेस को अंपंग कर दिया जाय। गोरों की सारी कोशिश काँग्रेस के विरुद्ध दलबंदी में लगती रही। मुसलमान भाइयों को, अछूत भाइयों को, दलित भाइयों को, सिक्ख भाइयों को, ईसाई भाइयों को इस तरह संगठित करने की आयोजना की जाती रही, कि ऊँची जातिवाले हिन्दू अलग हो जायँ और अल्पमत में हो जायँ। न-जाने किस तर्क से यह सोच लिया गया है, कि काँग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और हिन्दुओं ही के हितों की रक्षा करती है। हालाँकि काँग्रेस में अछूत भी हैं, सखूत भी हैं, ईसाई भी हैं, सिक्ख भी हैं, मुसलमान भी हैं। यही वह संस्था है, जो प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय-दृष्टि से विचार करती है और जाति-द्वेष से अपने को बचाती रहती है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथक् निर्वाचन का विधान सोच निकाला गया। पृथक्ता ने हिन्दू-मुसलमानों में कितना वैमनस्य पैदा कर दिया है, यह उन सज्जनों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी था। एक तरह से यह निश्चय कर लिया गया, कि विच्छेद-नीति को बरता जाय। मुसलमान भाइयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया गया। अछूत भाइयों को हिन्दुओं से अन्याय की शिकायत है ही और बजा शिकायत है। उन्हें पृथक् करते क्या देर लगती थी। वहाँ डाक्टर अम्बेडकर थे ही। वह बड़ी खुशी से इस गुट में आ गये। यह किसी ने सोचने की ज़रूरत न उठायी, कि काँग्रेस ने जिस नीति की घोषणा की है, उससे राष्ट्र के किसी अंग को वास्तव में हानि पहुँचती है, या नहीं? काँग्रेस अगर शासन का खर्चकम करने को कहती है, तो इसमें किसी जात विशेष का हित है। काँग्रेस अगर किसानों का लगान कम करने को कहती है, स्वदेशी का प्रचार करती है, खदर का प्रचार करती है, नमक का कानून उठवाना चाहती है, नसीली चीजों का व्यवसाय बन्द कराना चाहती है; तो इसमें राष्ट्र के किस अंग की हानि है? इस प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत न समझी गयी। वहाँ तो काँग्रेस की शक्ति को तोड़ना ही ध्येय था, जिससे राष्ट्र में एकता न होने पाये और भेद-नीति द्वारा हमेशा देश पर विदेशियों का प्रभुत्व बना

रहे और इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक था, कि कॉंग्रेस को गैरकानूनी बना दिया जाय और उसके नेताओं और मददगारों को जेल भेज दिया जाय। इस तरह मैदान साफ करके भेद-नीति का बेखटके प्रचार किया जाय। कॉंग्रेस पर मनमाने आक्षेप लगाये जायें और उसे राष्ट्र की आँखों में हेय मिद्ध किया जाय और अगर कोई इन आक्षेपों का जवाब दे, तो उस पर तरह-तरह के कानून लगा दिये जायें। इस तरह साल-छ महीने के प्रोपेगण्डा में कॉंग्रेस का जोर कम हो जायगा और फिर भेद-नीति-राष्ट्र पर मनमाने ढंग से शासन किया जायगा। कॉंग्रेस तो राष्ट्र के हित-चिन्तन में लगी हुई थी और वहाँ इस बात पर बड़ो-बड़ो की अक्ल खर्च हो रही थी, कि किस तरकीब से इस बढ़ते हुए राष्ट्र को कुचला जाय। मि० बेथाल की रिपोर्ट और सर हूबर्ट कार के पत्र ने इस भेद-नीति का भण्डा फोड़ दिया है और उसे नग्नरूप में समार के सामने खड़ा कर दिया है। फ्रेचाइज कमेटी जो कुछ करेगी, वह हम जानते हैं। उसे जो कुछ करना था, वह इंग्लैंड में पहले ही तय किया जा चुका है। इस तरह जो शासन विधान तैयार होगा, उसमें न शक्ति होगी, न एकता होगी, न सगठन होगा और राष्ट्र की दशा पहले से भी खराब हो जायगी। मि० बेथाल की रिपोर्ट में 'स्वराज्य' या सुधार का उद्देश्य भी यही दिखाया गया है, अर्थात्—शासन में और शक्ति का मंचार करना। तो यह निष्कर्ष निकला, राष्ट्र जिस स्वराज्य को अर्थ प्रजाधिकारियों की वृद्धि समझता है, शासन पक्षवाले उसी स्वराज्य को अर्थ शासनाधिकार वृद्धि बताते हैं। जब दोनो पक्षों में इतना मौलिक मत-भेद है, तब इस आशा को कही सहारा नहीं मिलता, कि राष्ट्र की दशा निकट भविष्य में कुछ सुधरेगी। व्यवस्था कुछ बदल दी जायगी, पर उससे राष्ट्र का वह हित न होगा, जिसे हम हित समझते हैं; बल्कि उसका उद्देश्य शासन की बेडियों का और मजबूत और राजसत्ता को और बलवान करना होगा। इंग्लैंड इसी तरह, बल्कि इससे भी ज्यादा निश्चिन्तता के साथ भारत का खून चूमता चला जायगा। गरीब देश इसी तरह भूखों मर-मरकर एक रोटी के लिए पसीना बहाता रहेगा और अधिकारी भी इसी तरह चैन की बंशी बजाते रहेंगे। जब राष्ट्र की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जायगी, तो फिर नौकरशाही क्यों किसों की सुनने लगी।

हालाँकि अल्पमतवालों में भी मत-भेद है। अछूतों का एक हिस्सा पृथक् चुनाव चाहता है, तो दूसरा हिस्सा मिले हुए चुनाव के पक्ष में भी है। मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों, सभी जातियों में यही दशा हो रही है। इनमें कौन हिस्सा बलवान है, कौन हिस्सा वास्तविक रूप में प्रतिनिधि है, इसका फैसला करने का हमारे पास कोई साधन नहीं। सरकार जिसे चाहे, प्रतिनिधि समझे, जिसे चाहे, न समझे। अधिकारियों की प्रवृत्ति पृथक्तावादियों की ओर ही है।

जो कुछ रही-सही आशा थी, उसका फेडरेशन ने चिराम गुल कर दिया। धन्य है वह मस्तिष्क, जिसने फेडरेशन की कल्पना की। सुनने में तो ऐसा मालूम होता है,

कि यह विधान संयुक्त अमेरिका के नमूने पर रचा जा रहा है, पर वास्तव में यह केवल राष्ट्र को चिरकाल तक दासता में जकड़े रखने का एक चमत्कार-पूर्ण साधन है। राजाओं को १/३ जगह दे दी जायँगी। मुसलमान भाई १/२ लिये ही बैठे हैं। बाकी १/३ में प्रछूत, दलित, हिन्दू, ईसाई, सिख, जमींदार, व्यापारी, किसान, स्त्री और न जाने कितने विशेषाधिकारों के लिए स्थान दिया जायगा। राष्ट्र का अन्त हो गया। राजाओं के प्रतिनिधि राज-सत्ता की उपासना करेंगे ही, मुसलमान जिस तरफ अपना फायदा देखेंगे उधर जायँगे। सभी दल अपनी-अपनी रक्षा करेंगे। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा ?

बात यह है, कि इंग्लैंड राज-सत्ता का अल्पाश भी छोड़ना नहीं चाहता। काँग्रेस ही एक ऐसी सस्था है, जो वास्तविक रूप में जन-सत्ता चाहती है, जो जात-पाँत के भ्रगडों से अलग रहकर राष्ट्र के उद्धार का प्रयत्न करती है, जो दरिद्र किसानों के हित को सबसे ऊपर रखती है, विभिन्नता में एकता उत्पन्न करके राष्ट्र को बलवान बनाना चाहती है, जिसका मुख्य सिद्धान्त यह है, कि देश का शासन, देश के हित के लिए हो, हम अपने ही देश में दलित और अपमानित न रहे, हममें यह व्यापक बेकारी न रहे, हमारी जनता पशुओं की भाँति जीवन न व्यतीत करे। हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें हमें राष्ट्र की इच्छानुसार परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार हो, जिसमें हमारे ही धन से चलनेवाले कर्मचारी हमों को कुत्ता न समझे, जिसमें हम अपनी सस्कृति का निर्माण आप कर सके। हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें हम भी उसी तरह रह सके, जैसे फ्रांस या इंग्लैंड में लोग रहते हैं। इसके साथ ही हम उन बुराइयों से भी बचना चाहते हैं, जिनमें अन्य अधिकांश राष्ट्र पड़े हुए हैं। हम पश्चिमी सभ्यता की कृत्रिमताओं को मिटाकर उस पर भारतीयता की छाप लगाना चाहते हैं, हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें स्वार्थ और लूट प्रधान न हो, नीति और धर्म प्रधान हो। सरकार यह तो जानती है कि खुले हुए शब्दों में यह कहने से इस समय काम नहीं चल सकता, कि हम भारत में शासन करने आये हैं और शासन करेंगे, इसलिए मुँह से तो वह मीठी-मीठी, राजनैतिक सत्य से भरी हुई बातें कहती हैं, लेकिन परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन कर देना चाहती है, कि स्वराज्य की आवाज उठानेवाली कोई संस्था ही न रह जाय। लोग आपस में घृणा के लिए लड़ते रहे और सरकार ऊँचे आसन पर बैठकर न्याय का परिचय देती रहे। दरिद्र देशों में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं हो सकती, जो अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का अहित करने को तैयार हो जायँ और ऐसे मनुष्यों का सहयोग सरकार को प्राप्त हो जायगा। फौज, पुलिस और ऐसे सज्जनों के सहयोग से भारत पर बहुत दिनों शासन किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इस नीति को देश के लिए घातक समझते हैं, उनका हमेशा दमन करना पडगा, अर्थात्—देश में हमेशा फौजी कानून से शासन किया जा सकेगा, क्योंकि देश के सेवक चुप होकर न बैठेंगे और उनकी बाखी में सत्य का ऐसा आकर्षण है, कि जनता उनके झूठ के नीचे जमा होने से

रुक नहीं सकती। अतएव इंग्लैंड के सामने दो रास्ते हैं। एक तो राज-सत्ता का मार्ग है। तलवार के जोर से प्रजा को दबाये रखो, उनके खेन कटवाकर मालगुजारी वसूल कर लो, वह जो कुछ गाढा पमीना बहाकर कमाये वह रेल, डाक, नमक आदि के मह-सूल बढ़ाकर, आमदनी के टैक्स के रूप में वसूल कर लो। दूसरा जन-सत्ता का मार्ग है। प्रजा पर प्रजा के हित के लिए शासन करो। राजा और प्रजा का भाव दिल से निकाल डालो। अफसरी की बलाय ताक पर रख दो और प्रजा के सेवक बन जाओ। इस तरह राष्ट्र को शक्तिशाली और सम्पन्न बनाकर तुम यश के भागी ही न बनोगे, सुखी और स्वाधीन भारत, इंग्लैंड के लिए इस दरिद्र और दुखी भारत से कहीं ज्यादा मूल्यवान सिद्ध होगा, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड इस तरह की बातें सुनने को तैयार नहीं है। वह भारत से अपना आतक मनवा कर छोड़ेगा, मानो भारत ने कभी उसके आतक को न माना था। आतक तो वह लगभग दो सौ साल से देखता चला आता है। पहले वह इससे भयभीत होता था, अब भयभीत भी नहीं होता। अब तो आतक से उसके मन में जलन होती है, अब तो उसे राजसी ठाट-बाट, धूम-धाम, चमक-दमक देखकर घृणा होती है, इक्कीस तोपों की सलामियाँ और स्पेशल गाड़ियों और मखमली पायदाज उसे रोब में नहीं डालते, उसके दिल में घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं। अब शासकों की स्वार्थ-नीति उनकी निर्दय माया-प्रेम, उनका निरीह, निष्फल आडम्बर, जैसे उसके जले पर नमक छिड़कते हैं। वह सरकार को केवल शोषक के रूप में देखता है। उसकी पुलिस उसे सताती है। उसके कर्मचारी उसके मुँह का कौर छीन कर खा जाते हैं। उसके बनाये हुए जमींदार उसे बेदर्री से कुचलते हैं। उसकी बनायी हुई अदालतें उसे तबाह करती हैं। देहात से, सुधार और सहयोग और शिक्षा और स्वास्थ्य और सभी आयोजनाएँ, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनसे उसका विकास होता है, लापता हैं। हम दावे से कह सकते हैं कि आज सरकार के विषय में अगर जनता से वोट लिया जाय, तो समस्त भारत में पाँच वोट भी न मिलेंगे। और जब तक हमारे विधाता भारत का शासन भारत के हित के लिए न करेंगे, जब तक भारत को इंग्लैंड का मजूर समझा जायगा, जब तक भारत को द्रव्योपार्जन का अखाड़ा, मोटी नौकरियों का क्षेत्र और इंग्लैंड के माल का बाजार समझा जायगा, जब तक कसाइयों की भाँति इंग्लैंड की निगाह भारत के मास पर रहेगी, उस वक्त तक देश में न शांति होगी और न उन्नति। दमन सब कुछ कर सकता है; पर देश का उद्धार नहीं कर सकता, और जब तक देश के उद्धार का आदर्श सामने न हो, शासन केवल लूट है, और कुछ नहीं।

अप्रैल १९३२

अछूतपन मिटता जा रहा है

जाति के बंधन इस कल-कारखानो के युग मे बहुत दिन तक नही रह सकते । अब भी लोग होटलो मे खाने नही जाते, कही बाहर भी जाते है, तो मित्रो या सन्धियो के घर ठहरते लेकिन राष्ट्रीयता इन भावो को तोडे डालती है । काँग्रेस के स्वय-सेवको मे सभी जाति और बिरादरी के युवक एक साथ, एक ही कैम्प मे रहते है, साथ खाते है, साथ सोते है । इन कैम्पो मे मुसलमान भी होते है और एकाध ईसाई भी निकल आता है । इस भाँति एक सयुक्त राष्ट्र की बुनियाद पड़ गयी है । इसमे सदेह नही कि महात्मा गांधी अछूतो की लड़ाई लड रहे है । और इस काम मे उन्हे कितने ही सज्जनो का सहयोग मिल गया है, जो बडी एकाग्रता के साथ अछूतो मे काम कर रहे है । सिद्धान्त रूप से तो ऊँच-नीच का भगडा मिट गया, मंदिर भी खुलते जा रहे है, लेकिन बेहातो मे यह हवा पहुँचते-पहुँचते अभी एक जमाना लग जायगा । आधी कठिनाई इसलिए बढ़ गयी है कि अछूत स्वय अपने को नीच समझता है और ऊँची जातियो से दूर रहना ही अपना धर्म समझता है ।

मई १९३२

पर्दा थोड़े दिनों का मेहमान है

पिछड़े हुए उत्तर भारत मे भी पर्दा प्रथा उठी जाती है । पर्दे से समाज का जो अहित होता है, वह सभी जानते है । तंग और प्रकाशहीन घरों मे बंद रहकर कितनी ही स्त्रियाँ क्षय का शिकार हो जाती है ; लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन के इस एक वर्ष मे पर्दा टूट गया । काँग्रेस ने माताओ और बहनो को राष्ट्र के कर्मक्षेत्र मे ला खड़ा किया है और वह हरेक काम मे आगे-आगे चल रही है । जूलसो मे वे बोलती है, पिकेटिंग का सारा भार उनके ऊपर है, हजारो बहने जेल गयी है । मेरठ जैसे शहर मे भी, जहाँ पर्दे का पूरा रिवाज है, गांधीजी की गिरफ्तारी पर पाँच हजार औरतो का जुलूस निकला । हिन्दू विश्वविद्यालय मे युवक और युवतियाँ साथ-साथ पढते है, साथ बहसे करते है और साथ सामाजिक उत्सवो मे शरीक होते है ।

मई १९३२

मि० एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड के भारतीय अनुभव

मि० ब्रेल्सफोर्ड मजूरदल के उन सहृदय आदमियों में हैं, जो इंग्लैंड के साम्राज्यवादियों की जुटेरी नीति का जोरों से विरोध करते हैं। इस दल के एक दर्जन चुने हुए रत्नों में उनका भी शुमार है। बड़े ही विचारशील, उदारचेता, नीति-परायण व्यक्ति हैं। भारत के अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख बराबर छपते रहते हैं। महात्मा गांधी और लार्ड इर्विन से समझौते की बातचीत होने से पहले ही, जब महात्मा जी जेल ही में थे, यह महाशय भारत आये थे। यहाँ इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उस पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है 'विद्रोही भारत'। पुस्तक के दो-चार पृष्ठ पढ़ते ही आपको मालूम हो जायगा कि लेखक असाधारण बुद्धि और विचार का स्वामी है। अन्य सैर करनेवालों की भाँति वह सरकारी अफसरों के मेहमान नहीं रहे, बल्कि अपनी आँखों से देखने की और अपने कानों से सुनने की बराबर चेष्टा करते रहे। वह बड़े-बड़े शहरों की रौनक और बहार देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, छोटे-छोटे गाँवों की जनता का जीवन भी देखा, कसबों को भी देखा, मजूरों के मकान भी देखे। उनका ध्येय था असली भारत को देखना। और अफसरों की मेहमानी में यह बात कहीं मुमकिन थी। वहाँ दावतें मिलतीं, नाच मिलते, राजाओं के साथ शिकार खेलने के अवसर मिलते, असली भारत कहीं मिलता, जो देहातों में गलता है, मरता है, रोता है।

भारत में आते ही विदेशी को यहाँ का पुरानापन पग-पग पर मिलने लगता है। देहातों का जीवन वही है, जो तीन-चार हजार साल पहले—वही पुराना हल है, वही पुरानी लड़ी, वही पुराना जुआ और वही पुराना घर, वही पुराने बर्तन-भाँड़े। महाशय ब्रेल्सफोर्ड ने देहाती जीवन को बड़ी सूक्ष्म निगाहों से देखा है। देहातियों के साथ बैठे हैं, बातें की हैं, उनके हृदय तक पहुँचने की चेष्टा की है, इस प्रसंग में वह एक जगह लिखते हैं—

'भारत में किसानों को कितना परिश्रम व्यर्थ करना पड़ता है, इसका अन्दाज़ यों है कि एक एकड़ गेहूँ पैदा करने के लिए एक आदमी को लगातार चालीस दिन काम करना पड़ता है। मुझे इस पर पहले विश्वास न आता था, लेकिन सरकारी कामजों में भी यही अन्दाज़ा किया गया है। इससे कुछ-कुछ पता चलता है कि भारत क्यों दरिद्र है। उसे एक एकड़ गेहूँ के लिए एक मजदूर की चालीस दिन की मेहनत लगानी पड़ती है। यही काम यूरोप में कलों की मदद से एक दिन से कम में ही पूरा हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ के किसानों को कलें दी भी जायें तो क्या लाभ। उन्हें आराम ज्यादा मिलेगा; इसके सिवा इस समय में उनके पास कोई काम करने को नहीं है।'

किसानों के मक़रूज होने की बात कौन नहीं जानता। महाशय ब्रेल्सफोर्ड

लिखते हैं—'यहाँ हरेक बच्चे को जन्म लेते ही कर्ज का तरका मिलता है और कर्जों से दबा हुआ ही उसका सूखा हुआ शरीर चिता पर जल जाता है। सूद मामूली तौर पर साढ़े सैंतीस सैंकड़े है। उस पर चक्रवृद्धि ब्याज ! कीटाणुओं की भाँति ही कर्ज बढ़ने लगता है।

यहाँ ब्याह का रोग है। घर में खाने को हो या न हो, ब्याह अवश्य करेंगे। ईश्वर ने जन्म दिया है तो भोजन भी देगा। उक्त महोदय लिखते हैं—

'मैंने अन्दाज़ा लगाया, तो यहाँ एक ब्याह का खर्च चौदह पाँड (१८२ रु०) निकला। यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिनको आमदनी तीन पैंस रोजाना हो, उनके लिए तो यह घातक है। लेकिन दरिद्रता ने इस समस्या को हल करना शुरू कर दिया है। ब्याह करने के लिए धन कहाँ से आये। जिस गाँव में ठहरा था, उसमें एक मजूर रेलवे में छह आने रोज पर नौकर है। गाँववाले उसे भाग्यशाली समझते हैं। खेती में यह बहार कहाँ ! वहाँ तो महाजन है, जमीदार है, पुलिस है और अदालत है। गाँव में दो तरह के किसान हैं। दखीलकार और गैरदखीलकार। दखीलकार का लगान कम है, लगभग छह रु० एकड़। गैर-दखीलकार को चढ़ा-ऊपरी के कारण दस रु० तक देना पड़ता है। उपज छह से आठ मन तक होती है। बाज़ारों की पैदावार बारह मन एकड़ तक हो जाती है, लेकिन ऐसे भाग्यवान कम हैं। आठ मन की पैदावार बाज़ार दर सोलह रु० की होती है, इसमें दस रु० लगान दे दिया जाय, तो कुल छह रु० एकड़ की बचत होती है। इसमें तीन रु० बीज के निकल गये। किसान को शायद ही कुछ बचता हो। पंजाब में भी, जो भारत का सबसे खुशहाल प्रान्त है, किसान की आमदनी चार आना रोज से अधिक नहीं है।'

हिन्दुस्तानी बगावत क्यों नहीं करते

ब्रेलसफ़ोर्ड साहब लिखते हैं—

'मुझसे पूछा जायगा कि जब भारतवाले इतने कष्ट में हैं, तो बगावत क्यों नहीं कर बैठते। इसका उत्तर यही है कि भारत-दरिद्र है। जब पेट में भोजन नहीं जाता तो विद्रोह की कौन सोचे। मामूली हिन्दुस्तानी मामूली अंग्रेज मजदूर की आधी ताकत रखता है। विद्रोह बड़ी हुई तिल्लीवाले आदमी नहीं करते। हिन्दुस्तानी में वह बल ही नहीं है जो गाली या मार खाने पर झुंसा तान देता है। फिर समाज और बिरादरी का दबाव और रूढ़ियों का भार इतना ज्यादा है कि आदमी में कोई नयी बात सोचने या करने की क्षमता ही नहीं है। ऐसी सभ्यता में व्यक्तित्व का लोप हो जाता है।'

भारत क्यों इतना गरीब है

मि० ब्रेलसफ़ोर्ड ने इस विषय की मीमांसा 'विस्तार के साथ की' है। पहले वह सामाजिक कारणों पर आये हैं। ७३ फ्रीसदी भारतीय खेती-बारी में लगे हुए हैं। दस

फ्री सदी कारखानों में, लेकिन औरतें बहुत कम काम करती हैं। ऊँची जातियों में परदे के कारण स्त्रियाँ खेतों में काम करने नहीं जाती। नीच जाति की स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर ही काम करती हैं। फिर भी धनोपार्जन में भारत की स्त्री योरोपी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकती। उस पर साधु-संन्यासियों और आलसी भिक्षुकों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। शिक्षित समाज भी कोई दफ्तरी काम न पा सकने के कारण बेकार पड़ा हुआ है। जो मजूर हैं भी, वह आधी जान के। पौष्टिक भोजन की कमी ने किसानों और मजूरों को अर्धमृत्ना बना दिया है। जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है, कि जोतने को जमीन नहीं मिलती। १७७१ में चालीस एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में पड़ती थी। आज तीन एकड़ रह गये हैं। संयुक्त प्रान्त में तो ढाई एकड़ से ज्यादा नहीं है। उस पर बँटवारों ने खेतों को और भी छोटा कर दिया है। ऐसी दशाओं में इस शरीबी के दो ही इलाज हैं—खेतों की पैदावार बढ़ाना और जनता के लिए नये-नये साधन पैदा करना। सिंचाई कुल पाँच करोड़ एकड़ में होती है। आधी कुएँ और तालाबों से और आधी नहरों से। नहरों में एक बहुत बड़ा ऐब है कि उपजाऊ भूमि का एक भाग नहर और उसकी शाखाओं में लग जाता है। रेशम, लाख, शहद, अंडे, दूध आदि के पैदा करने में बड़ी गुंजाइश है। यहाँ गाय की पूजा तो बहुत होती है, पर उसके खाने को मयस्सर नहीं होता। १०० एकड़ जोत के पीछे यहाँ ६७ जानवर हैं, हालैंड में केवल ३८ और मिस्र में २५ ; इसका नतीजा यह है कि स्वस्थ मवेशियों का भोजन बूढ़े और बेकार जानवर खा जाते हैं। चूहे, बन्दर, सुअर और हिरन आदि जानवर भी कुछ कम नुकसान नहीं करते। गवर्नमेण्ट को अभी तक शान्तिःस्थापन से ही छुट्टी नहीं मिली, कि वह प्रजा के आर्थिक उत्थान के प्रश्न पर विचार कर सकती। अभी तक तो उसने केवल इतना किया है, कि प्रजा से कर वसूल करके कर्मचारियों के वेतन दिये और प्रजा को काबू में रखा। यह साधन जिस लक्ष्य के हैं, वहाँ तक अभी हम पहुँचे ही नहीं, बल्कि साधन ही को लक्ष्य समझ लिया गया। पुलिस, फौज और प्रबन्ध में बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की जाती हैं। सहयोग, कृषि, आरोग्य आदि विभागों की कोई परवा नहीं की जाती। यों समझो कि उन्हें बेकार समझा जाता है। देश के प्रति सरकार की वही मनोवृत्ति है, जो बेसमझ और स्वार्थी जमींदारों की अपने अिसामियों की ओर होती है। बेशक सड़कें और रेलें बनीं, कलों का प्रचार भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ? गाँववाले जो छोटे-मोटे धन्धे करके अपना निर्वाह किया करते थे, वे उनके हाथ से निकल गये। उसकी जगह विदेशों से सस्ती चीजों ने आकर ले ली। अभी तक इन चीजों का भीतर के देहातों में गुजर न था—रेलें हरेक गाँव में, हरेक पैठ में, न पहुँच सकती थीं। लारियों द्वारा रही-सही कसर पूरी हो जायगी। नतीजा यही होगा, कि जैसे जुलाहे, धुने, रंगरेज, बंजारे आदि रोजगार खो बैठे और कोई और रोजगार न पाकर जमीन जोतने लगते, वही हाल दूसरे पेशेवालों का होगा। मि० ब्रेक्सफोर्ड की

समझ में नहीं आता कि सरकार ने कृषि की उन्नति की ओर क्यों अब तक ध्यान नहीं दिया ? इससे तो इंग्लैण्ड के हित को धक्का न पहुँचता था, बल्कि प्रजा खुशहाल होने पर अंग्रेजी माल और अधिक मात्रा में खरीदती । अगर सरकार की ओर से प्रजा-हित का कोई काम शुरू भी किया जाता है, तो इतनी हुकूमत और सख्ती के साथ कि प्रजा उसे सरकारी विभाग और रुपये ऐंठने की कोई नयी स्कीम समझकर कोसों दूर भागती है और वह स्कीम असफल हो जाती है । इसका एकमात्र कारण यही है कि सरकार यहाँ केवल रोब से हुकूमत करना अपना मुख्य काम समझती है, दूसरे जन-हित के जितने काम हैं उन्हें बेज़रूरत और बेगार समझती है । उस स्कीम को सफल बनाने का भार पुलिस या प्रबन्ध-विभाग पर डाल दिया जाता है । पुलिस समझती है, कि उसके अधिकार में और वृद्धि हुई और मरीज को गला दबाकर दवा पिलाने लगती है । मरीज स्वभावतः थोठ बन्द कर लेता है । और दवा की एक बूँद भी नहीं पीता ।

इस नोट के अन्त में हम लेखक के शब्दों को उद्धृत करेंगे—

‘हमने इस अध्याय में उन हेतुओं का वर्णन किया है जो भारत के समाज-संगठन और हिन्दू धर्म-तत्व में निहित हैं । यह पराधीनता का शाप है कि हिन्दुस्तानी समाज विदेशी राज्य को हरेक बुराई का जिम्मेदार ठहराता है । और अपने सामाजिक विधानों की बुराइयों की ओर से या तो आँखें बन्द कर लेता है या उनकी ओर भी सराहना करता है क्योंकि कम से कम ये वस्तुएँ तो उसकी अपनी हैं । लेकिन हम इस बात को जितना ही अनुभव करते हैं, कि जात-पाँत, बाल-विवाह, अहिंसा धर्म और इसी तरह की और बातें भारत की आर्थिक सुदशा, आरोग्य और सामाजिक न्याय के मार्ग में रुकावटें डालती हैं, उतनी ही प्रबल इच्छा होती है कि भारत की इस पराधीनता का अन्त हो जाय । इन बाधाओं के हटाने के लिए, उस मनोवृत्ति को बदलने के लिए, जिसमें जनता पली है, उन शक्तियों को तोड़ने के लिए जो मिथ्यावाद और अंधविश्वास की पोषक हैं, भारत का स्वाधीन होना परमावश्यक है । वर्तमान शासन द्वारा इन रूढ़ियों और मिथ्या विचारों के विरुद्ध आन्दोलनों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता । भारत की इस अवनति का मुख्य कारण यह है कि उसे बुद्धिवान और प्रत्यक्षवाद के उन आन्दोलनों से गुजरने का अवसर नहीं मिला, जिन्होंने अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में यूरोप को मध्यकालीन अंधकार से निकाल लिया । ऐसे आन्दोलन यहाँ जड़ न पकड़ सके, क्योंकि ज्यों ही भारत में सार्वदेशिक विचार की शक्ति उत्पन्न हुई, वहाँ राष्ट्रीयता की ओर झुक पड़ी । राष्ट्रीयता शासकों में ऐब निकालती है, वह अतीत की बुराइयों पर आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि नहीं डालती ।’

इस कथन में यूरोपीय मस्तिष्क झलक रहा है अवश्य, पर शासकों का अहंकार नहीं है ।

मई १९३२

आर्डिनेन्स-बिल का एसेम्बली में विरोध

एसेम्बली में नया आर्डिनेन्स-बिल पेश हो गया। उस पर गर्मा-गर्म बहस भी हुई, पर बहुमत ने उसे सेलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजना स्वीकार कर लिया। अब इसमें सन्देह करने का स्थान नहीं रहा, कि बिल पास हो जायगा। जहाँ तक आतकवादियों का सम्बन्ध है, उन पर कड़े से कड़े कानून का भी कोई असर न होगा। उनकी अपनी दुनिया अलग है। न उन पर महात्मा गान्धी के अनुनय-विनय का कुछ असर होता है, न सरकार के कड़े कानूनों का। हाँ, उन पर अवश्य इसका असर पड़ेगा, जो खुल कर राष्ट्रीय आन्दोलन करते हैं। हमें भय है, कि आतकवादियों की जो इच्छा है सरकार वही कर रही है। आतकवादी इसके सिवा और क्या चाहते हैं, कि देश में अशान्ति हो, न किसी की जान सलामत रहे, न आबरू, न माल। छोटे बड़े सभी में असन्तोष की आग भडक उठे। क्रान्ति की सफलता के लिए यही दशा आवश्यक है। अगर यह बिल आतकवाद का अन्त कर दे, तो राष्ट्र बड़ी खुशी से इसे अंगीकार करेगा। संदेह यही है, कि आतकवाद का अन्त करने के बदले यह राष्ट्रीय आन्दोलन का अन्त कर देगा, और अखबारों के लिए तो अब ज़िन्दा रहना ही मुश्किल हो गया है। उन्हें प्रेम की कविताएँ और किस्से-कहानियाँ छाप कर अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। सरकारी किसी नीति की आलोचना करना संकटापन्न है।

५ अक्टूबर १९३२

नवयुग

✓ (राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब यह प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, तो किसी प्रान्त या देश के निवासियों में भ्रातृभाव जागरित हो जाता है। तब उनमें रूढियों से पैदा होनेवाले भेद, पुराने संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली विभिन्नताएँ और ऐतिहासिक तथा धार्मिक विषमताएँ, एक प्रकार से मिट जाती हैं।) प्रान्त के निवासियों में एक नये जीवन का संचार हो जाता है। एक नगर में बाढ़ आ जाती है, तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है और पीड़ितों की सहायता के लिए चारों ओर से धन और जन की वर्षा होने लगती है। एक स्त्री का अपमान हो जाता है, तो सारे देश को ताव आ जाता है। प्रतिकार के लिए भाँति-भाँति के साधन जमा किये जाने लगते हैं। प्राचीन काल का भारत केवल इसी अर्थ में एक था, कि उसकी सस्कृति एक थी। हिमालय से राजकुमारी तक एक ही संस्कृति का विस्तार था—वही धर्म, वही आहार-

व्यवहार, वही जीवन । छोटी-छोटी बातों में प्रान्तीयता मौजूद थी, कोई छोटी-कुरता पहनता था, कोई कुरता-पाजामा, कोई बड़ी-सी चोटी रखता था, कोई बहुत छोटी-सी ; मूल तत्वों में कोई अन्तर न था , परन्तु राजे सैकड़ों-हजारों थे, उनमें बराबर लडाइयाँ होती रहती थी । उनके स्वार्थ अलग थे । वर्तमान राष्ट्र का विकास न हुआ था । सस्कृति तो आज भी योरोप और अमेरिका की एक ही है ; लेकिन वहाँ बीसों ही राष्ट्र हैं, उनमें भी आपस में लडाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को शका और अविश्वास की आँखों से देखता है । एक-दूसरे को निगल जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है । वर्तमान राष्ट्र योरोप की इजाद है और राष्ट्रवाद वर्तमान युग का शाप । पृथ्वी को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में विभक्त करके उनमें कुछ ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी स्पर्धा भर दी गयी है, कि आज प्रत्येक राष्ट्र की यही कामना है, कि ससार की सारी विभूतियों पर उसी का अधिकार रहे, वही ससार में फलने-फूलने के योग्य है और किसी राष्ट्र को जीवित रहने का अधिकार नहीं है । एक-दूसरे से इतना सशंक है, कि जब तक अपने को फौलाद से मढ़ न ले, जब तक अपने को गोले-बारूद के अन्दर बन्द न कर ले, उसे सन्तोष नहीं । सब समझते हैं, कि सैनिक व्यय उन्हें मारे डालता है, सब चाहते हैं, कि इस शंकात्मक प्रवृत्ति का अन्त कर दिया जाय । बार-बार इसका उद्योग होता है, सम्मेलन होते हैं ; लेकिन सभी चेष्टाएँ निष्फल हो जाती हैं । जब दिलों में सफाई नहीं है, तो सम्मेलनों से क्या होता है । वहाँ भी हरेक इसी फिक्क में रहता है, कि नयी-नयी युक्तियों से दूसरे राष्ट्रों को तो निरस्त्र करा दे , पर आप अच्युत बना बैठा रहे । इसी राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद आदि को जन्म देकर संसार में तहलका मचा रक्खा है । व्यापारिक प्रभुत्व के लिए महान युद्ध होते हैं, कपट-नीति चली जाती है, एक दूसरे की आँखों में धूल भोकी जाती है । निर्बल राष्ट्र को उभरने नहीं दिया जाता । इसी राष्ट्रवाद का फल है, कि कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे विस्तृत भूखंडों में—जो भारतवर्ष के बराबर की आबादी को आश्रय देने की सामर्थ रखते हैं—थोड़े से आदिमियों ने एक राष्ट्र बना कर अपना एकाधिकार जमा लिया है और किसी एशिया-निवासी को उसके अन्दर नहीं जाने देते, हालाँकि यदि अन्य निर्बल देश उसके साथ यही व्यवहार करें तो वे उससे लड़ने पर तैयार हो जायँगे । अब यह प्रतियोगिता इतनी संक्रामक हो गयी है, कि हरेक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के माल को अपने मुल्क में आने से रोकने के लिए बड़े-बड़े कर लगाने का आयोजन कर रहा है । यह सारे अनर्थ इसीलिए हो रहे हैं, कि घन और भूमि की तृष्णा ने राष्ट्रों को चञ्चुहीन-सा कर दिया है । पूर्व ऐतिहासिक काल में एक समय अवश्य ही ऐसा था, जब मानव-जाति किसी एक ही स्थान पर रहती थी । वह साइबेरिया था, या तिब्बत या भारत, इसके विषय में अभी तक मतभेद है ; पर राष्ट्रों की भाषा, नीति, रस्मोरिवाज, आदि में ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते हैं, जिनसे यह धारणा पुष्ट हो जाती है । ज्यों-ज्यों जन-संख्या बढ़ती गयी, लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों

की ओर फैलते गये । जिसे जहाँ जलवायु अनुकूल मिला, वही वह आबाद हो गया । फिर शनै-शनै उन सस्कारो और संस्थाओ का विकास हुआ, जो किसी न किसी रूप में आज तक विद्यमान हैं । जलवायु और प्राकृतिक प्रभावो के कारण भिन्न-भिन्न प्रांतो के निवासियो की भाषा, आकृति, परिधान, यहाँ तक कि स्वभाव में भी परिवर्तन होते गये । भिन्न-भिन्न सस्कृतियो का विकास हुआ । सभव है, कुछ दिनों भिन्न-भिन्न प्रान्त-वालो में मेल रहा हो, पर ज्यो-ज्यो उनके पारस्परिक स्वार्थो में सघर्ष हुआ, उनमें वैमनस्य हुआ और एक दूसरे के आक्रमणो से बचने का प्रयत्न होने लगा । इस सघर्ष में राष्ट्रो की सृष्टि की, अतएव वर्तमान राष्ट्र उसी युग के चिन्ह हैं और अभी तक उनमें यही प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं । प्राणी-मात्र को भाई समझनेवाला ऊँचा और पवित्र आदर्श इस राष्ट्रवाद के हाथो ऐसा कुचला गया कि अब उसका कही चिन्ह भी नहीं रहा और वह मानव-जाति का केवल अलम्य आदर्श होकर रह गया है । इस युग में जीवित रहने के लिए राष्ट्रो का सगठित होना अनिवार्य-सा हो गया है ; अन्यथा अमंगलित प्राणि-समूहो का इस राष्ट्रीयता के युग में कही पता भी न लगेगा । हाँ, हमें इस शाप को मंगल-रूप में लाना पडेगा, इस विष को रस बनाना पडेगा । इस संघर्ष का मूल आज का घोर अनात्मवाद है । ईश्वर का ससार से बहिष्कार कर दिया गया है । योरप के बाजे राष्ट्रो ने तो गिरजे और देवालय ढा दिये । नये युग के साथ अनात्मवाद और भी प्रचण्ड रूप में आ खडा हुआ है । रूस धर्म को अफीम का नशा कहता है । स्पेन का भी कुछ यही विचार है । दोनो ही ईसाई धर्म के केन्द्र थे, पर दोनो ही देशो में गिरजे तोडे गये हैं । धर्म-सस्थाओ ने शासक-समुदाय से इस तरह अपने को मिला लिया था और लोकवाद का इतना विरोध किया था और कर रहे हैं कि जनता अब स्वाधीनता की नयी उमग में धर्म-सस्थाओ को मिटाने पर तुली हुई है । रूस और स्पेन दोनो देशों की यही दशा है । भारत में भी कुछ वही हवा चलती नजर आती है । नये राष्ट्र बन रहे हैं और राजनीतिक नये सिद्धान्तो पर चल कर वे बलवान और सगठित भी हो जायेंगे ; लेकिन ससार में उनसे सुख और शान्ति की वृद्धि होगी, इसमें सदेह है । जहाँ शासन-संगठन के विरोध में जबान खोलना बडे से बडा अपराध है, जिसकी सच्चा भीत है, वहाँ शान्ति कहां । विचारो को शक्ति से कुचल कर बहुत दिनों तक शान्ति की रक्षा वही की जा सकती । अनीश्वरता की वृद्धि ने संसार को इस दशा में पहुँचाया है और जब तक उसका प्रभुत्व रहेगा, राज-शास्त्र के नियमो के बदलने से विशेष कल्याण की आशा नहीं । कम से कम वह चिरस्थायी नहीं रह सकती । एक समय भारत में था, जब नृपति भी ऋषियो से कांपते थे । आज वह जमाना है, कि समस्त संसार में पशुबल की प्रधानता है । सुधार भी होते हैं, तो पशुबल से । मनुष्य में धर्म बुद्धि जैसे रही ही नहीं ।

लेकिन इस तिमिराच्छन्न आकाश में अब कहीं-कहीं रजत झालर नजर आने

लगी है। यह नवयुग की ऊषा का चिन्ह है। दैवगति से वर्तमान संसार-संस्कृति का दीवाला निकल रहा है। साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद की जडे तक हिलने लगी है। जिस संगठन पर यह संस्कृति ठहरी हुई थी, उस संगठन में कम्पन शुरू हो गया है। मनुष्य ने जिन कृत्रिम साधनों का आविष्कार करके मानवजीवन को कृत्रिम बना दिया था, उनकी कलाई खुलने लगी है। स्वार्थ से भरी हुई यह गुटबंदी जिसे आज राष्ट्र कहा जाता है, और जिसने संसार को नरक बना रखा है, अब टूटने लगी है। शासन की शक्ति अब कुबेर के उपासको के कठोर और निर्मम हाथों से निकल कर उन लोगों के हाथों में आ रही है, जिन्हें राजविस्तार की विशेष कामना न होगी, जो दुर्बलों के रक्त पर चैन करना अपने जीवन का उद्देश्य न समझेंगे, जो सन्तोषप्रद शान्ति के उपासक होंगे। न्याय और धर्म की आवाज कुछ-कुछ उठने लगी है। जापान ने पचीस साल पहले मंचूरिया को ले लिया होता, तो कोई भिन्नकता भी नहीं। आज जापान सारे संसार में बदनाम हो रहा है। प्रायः सभी राष्ट्रों में ऐसे विचारवान पुष्प निकल रहे हैं, जिन्हें वर्तमान संस्कृति में संसार की तबाही के लक्षण दिख रहे हैं और वे एक स्वर से इसके परिष्कार की, और जरूरत पड़े तो, शान्तिमय क्रान्ति की, जरूरत समझ रहे हैं, और समझा रहे हैं। न्याय और धर्म की आवाज आत्मवाद के जागन के लक्षण है, और दुखी भारत की आशा आत्मवाद के विस्तार में ही है। जब भावना व्यापक रूप धारण करेगी, तब तक उस नवयुग के आवाहन के लिए हमें अविश्रान्त उद्योग करना है।

अक्टूबर-नवम्बर १९३९

पंजाब पुलिस विभाग की रिपोर्ट

पंजाब पुलिस विभाग की रिपोर्ट, अन्य इसी प्रकार की रिपोर्टों की भाँति पुलिस की कारगुजारियों की तारीफ से भरी हुई है, पर उसके अन्त में एक ऐसा रिमाक दिया गया है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। पुलिस के जनता के सहयोग प्राप्त करने के विषय में कहा गया है—

“इस प्रकार का सहयोग व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्ध रखता है। कुछ अपराधियों को जनता की सहायता और सहयोग प्राप्त करने में बिलकुल कठिनाई नहीं होती और निष्कर्ष यही है कि जहाँ पुलिस मुस्तैद, कुशल और विश्वसनीय है, वहाँ जनता उसकी सहायता करने में आना-कानी नहीं करती।”

जहाँ पुलिस जनता का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती, वहाँ जनता का उस पर विश्वास नहीं होता। अगर जनता के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो तो कोई वजह

नहीं कि वह उसके साथ सहयोग न करे। जब पुलिस के कर्मचारी नवाब बन जाते हैं और जनता पर जा-बेजा सख्ती करने लगते हैं, तभी जनता उनसे विरक्त हो जाती है।

२६ अक्टूबर १९३२

पुलीस-प्रशंसा

प्रयाग के कमिश्नर मि० बाम फोर्ड ने एक जलसे मे पुलीस कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए फरमाया है—

“मैंने प्रयाग मे आपका धैर्य, सद्भाव और पाबंदी बहुत समीप से देखी है, और मेरी इच्छा है कि उन सज्जनों मे से भी कुछ लोगो को यह अवसर मिलता, जो समझते है कि पुलीस का ओहदा पाते ही आदमी भला आदमी नही रह जाता।”

अधिकारियों के मुख से यह पुलीस प्रशंसा कोई नयी बात नही। बामफोर्ड साहब की बिदाई का यह जलसा था। पुलीस-कर्मचारियों ही ने यह जलसा किया था। सज्जनता का यही तकाजा था कि मेहमान की थोड़ी-सी तारीफ भी अवश्य की जाय, लेकिन छोटे-बड़े लाट से लेकर हाकिम जिला तक, वाइसराय से लेकर चेम्बर आफ कामर्स के सभापति तक, एक भी तो ऐसा नही बचा, जिसने पुलीस के सद्व्यवहार और सदाचार की सनद न दी हो। अब तो शायद अपनी तारीफ सुनते-सुनते पुलीस का न भरनेवाला पेट भी भर गया होगा।

पर इन एक लाख प्रशंसा पत्रो से कही ज्यादा कीमती और विश्वास पैदा करनेवाला वह सर्टीफिकेट होता, जो किसी गरीब भारतवासी के मुख से निकलता। पुलीस एक ऐसा पत्र भी पेश कर सकती है? ससार मे बुली नाम की एक वस्तु होती है। बुली अपने अफसरो की जूतियाँ झाटता है और जिन पर उसे कुछ अख्तियार होता है, उनका खून ही नही प्राण तक चूस लेता है। हमारे पुलीसवाले अधिकतर बुली ही होते हैं।

२६ अगस्त १९३२

हवाई जहाज़ से गोलाबारी

वर्तमान युग की वैज्ञानिक लड़ाई समरक्षेत्र मे ही आदमियों को मक्खी की तरह मारकर सन्तुष्ट नही होती। शत्रु-राष्ट्रो पर हवाई जहाज से गोले बरसाने मे भी

उसे संकोच नहीं है। कुछ परवा नहीं मासूम बच्चों और अबला स्त्रियों पर गोले गिरें। उस राष्ट्र का सफाया कर दो, जिसके योद्धा मैदान में आते हैं। जब राष्ट्र ही न रहेगा, तो सिपाही कहीं से आवेंगे। कितनी पैशाचिक मनोवृत्ति है ! मजा यह है कि सभी देशों के युद्ध-नेता इसकी भयकरता और अमानुषिगता को स्वीकार करते हैं, पर कोई इसे रोक नहीं सकता। मि० बाल्डविन ने नि शस्त्रीकरण पर भाषण करते हुए इस नीति की क्लिष्टा की थी, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार बराबर हो रहा है और अग्रज सेना इराक में ऐसे हत्याकांड कर रही है कि उसी फौज के एक पुराने अफसर ने उन विधानों पर प्रकाश डाला है, जो बादशाह फेसूल की सत्ता की रक्षा करने के लिए इराक में किये जा रहे हैं। और यह कृत्य गत दस साल से बराबर जारी है। कितने गांवों का सत्यानाश हुआ, कितने जानवरों का बध हुआ, कितनी औरतों और बच्चों के प्राण गये और कितने अंग-भंग हो गये, इसका कौन अनुमान कर सकता है। मगर यह नयी सभ्यता का युग है। पराधीन राष्ट्रों के साथ किसी नीति का व्यवहार करने की जरूरत नहीं। अगर वे दुराग्रह करते हैं और साथ अपने प्रभुओं के तलवे नहीं सहलाते, तो उनको इसका मजा चखना पड़ेगा।

२६ अक्टूबर १९३२

बेगम आलम की ओजस्विनी अपील

पंजाब के प्रमुख नेता डा० मुहम्मद आलम की बेगम साहिबा ने अपने पति की बीमारी के विषय में जो भावपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराया है, वह हमें स्वर्गिया बी अम्माँ के उन शब्दों की याद दिलाता है, जो उन्होंने अपने पुत्रों के विषय में कहे थे। अफवाह थी कि अली भाइयों ने सरकार से किसी प्रकार का समझौता कर लिया है और इस समझौते के आधार पर दोनों भाई मुक्त कर दिये जायेंगे। बी अम्माँ ने यह अफवाह सुनकर कहा था—“यदि मेरे बेटों ने आत्म-सम्मान के विरुद्ध कोई फैसला किया है, तो खुदा मेरे इन कमजोर हाथों में इतना बल दे कि मैं उनका गला दबा दूँ।” उतने ही जोशीले शब्द बेगम आलम के हैं। इधर जेल में डा० आलम की हालत नाजुक हो गयी है। सरकार ने बेगम आलम को अपने पति की सेवा-शुधूषा करने की सुविधा दे दी है। जनता में इस खबर से ऐसी हलचल पड़ गयी कि सरकार से डा० आलम को छोड़ देने की अपील की जाने लगी। बेगम साहिबा ने इस आन्दोलन का इन शब्दों में विरोध किया है—

“आजकल मुझे अपने पति की सेवा करने की इजाजत दी गयी है और उनकी

इस हालत की सारी बातें बताने को मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यह नैतिक विश्वासघात समझा जा सकता है, पर मैं राष्ट्र से पूछती हूँ, ऐसा मुतालबा क्यों करते हो, जिससे मुझे अपने नीमजान पति को वापस लेना पड़े और उन नतीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़े, जो उनकी मौजूदा हालत से पैदा हो सकते हैं। क्या सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल देना इससे बेहतर न होगा? उनकी हलन नाजुक है या नहीं, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। पर हमें चाहिए कि उन्हें बीरो की मौत मरने दे, अगर खुदा न खास्ता यही नौबत आये। राष्ट्र के हित के सामने व्यक्तियों का कुछ मूल्य नहीं। कौम की भलाई के लिए ऐसे कितने ही आलम कुर्बान किये जा सकते हैं। मैं आशा, प्रार्थना और विश्वास करती हूँ कि मेरे पति को सेहत हो जायगी, पर अपमानित होकर जीवित रहने के बदले उनका इज्जत के साथ मर जाना मैं ज्यादा पसन्द करती हूँ।”

२६ अक्टूबर १९४२

आर्डिनेन्स की अवधि

इलाहाबाद में प्रकाशित होनेवाले अंग्रेजी पत्र “पायोनिअर” ने अपने एक अप्रलेख में, भिन्न प्रान्तीय सरकारों के इस प्रयत्न की प्रशंसा की है कि “आर्डिनेन्स कानूनों को स्थायी रूप देने के लिए भारतीय दंड-विधान में ही शामिल किया जा रहा है और शीघ्र ही आर्डिनेन्स अधिक दृढ़ रूप में कानून का रूप धारण कर लेंगे। पत्र की राय में आर्डिनेन्सों का तो अन्त हो जाना चाहिए, क्योंकि [आर्डिनेन्स-शासन अनुचित है, पर अमन और अमन की रक्षा के लिए] आर्डिनेन्स की धाराओं का रहना जरूरी है। आगे चलकर, पत्र यह भी लिखता है कि आर्डिनेन्स से देश में व्याप्त अराजकता कम नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपनी राय जाहिर करे, तो वह जरूर ऐसे कानूनों का समर्थन करेगा, जिनसे अराजकता दूर हो।

अंग्रेज लेखकों और सम्पादकों के कलम से निकली चीज बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। सम्भव है, वे होती भी हों, पर इस लेख की तर्क प्रणाली देखकर, मनो-विज्ञान तथा साधारण ज्ञान की बातों का भी इसमें अभाव पाकर हमें आश्चर्य होता है। दूसरी बार परिचालित आर्डिनेन्सों का जीवन-काल इसी दिसम्बर को समाप्त हो जाता है। विगत जनवरी महीने की शुरुआत की जो पहली भेंट भारतीय स्वाधीनता तथा संरक्षा के हिमायतियों ने दी थी, वह बड़े दिन के हिम-पात में विलीन हो जावेगी। पार्लियामेंट ने वाइसराय को जिस सीमा तक अधिकार दिया था, उनके उपयोग की इतिश्री हो चुकने के उपरान्त अब भारतीय कौंसिलों की शरण लेनी पड़ी है और

इसीलिए आर्डिनेन्सो के लिए नैतिक समर्थन तथा सच्ची नीयत से समर्थन की ज़रूरत महसूस हो रही है।

आर्डिनेन्सो का उद्देश्य क्या है ? दमन ! भारत में जो अराजकता बढ़ती पर समझी जाती है, उसकी चाल को रोक देना । आर्डिनेन्स के इस युग में अपनी ओर से कुछ विशेष न कहकर, हम पायोनियर के ही शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अभी तक आर्डिनेन्स इस अराजकता की बाढ को नहीं रोक सके हैं । जब वे अपने कार्य में शुरू १२ महीने में सफल नहीं हो सके, तो एक-दो या तीन साल के लिए उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा । यह किस तर्क या मनोविज्ञान से सिद्ध हो गया कि केवल कानून का रूप दे देने से—जो रूप चाहे कितना भी उग्र किया जावे, अपने पूर्ववर्ती के समान परिपक्व नहीं हो सकता—भारतीय अराजकता की प्रगति को रोक देगा । यदि कानून की एक ऐसी धारा है, जो अराजकता की कल्पना को भी डुबा सकती है, यदि ऐसा कोई उपाय है, जो नवयुवकों की क्रियाशक्ति को किसी अच्छे काम की ओर बहा ले जा सकती है, तो उसकी धारा कोई दूसरी ही है, उसका कोई दूसरा ही रूप है और पायोनियर-ऐसे पत्रों को असली सलाह देकर ही सरकार का कल्याण करना चाहिए, अन्यथा, ऐसी ही सलाहों से सरकार को धोखे की टट्टी में खड़ा कराया जा रहा है और सरकार भी अपने सच्चे हितैषियों को नहीं पहचान रही है ।

३१ अक्टूबर १९३२

पूना का ईसाई-सम्मेलन

इस सप्ताह में वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति और साम्प्रदायिक बँटवारे पर विचार करने के लिए पूना में ईसाई-सम्मेलन हुआ । इसमें हरेक प्रात के गण्यमान्य ईसाई महानुभाव एकत्र हुए थे । हर्ष और गन्ती की वान है कि, उन्होंने बहुमत से सम्मिलित निर्वाचन का ही समर्थन किया । हाँ, ईसाइयों के लिए स्थान स्वरचित्त कराने पर जोर दिया । इस तरह अल्पमतवालों का जो एक संघ गोलमेज परिषद् के अवसर पर बनाया गया था उसके चार पहियों में से एक पहिया और टूट गया । हरिजन तो पहले ही सलाम करके पृथक् हो गये थे । मुसलमानों ने भी सयुक्त निर्वाचन को स्वीकार कर लिया । ईसाई भी संघ से निकल गये । अब केवल एंग्लो-इंडियन रह गये हैं । उन्हें भी अब जनमत के आगे सिर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं ।

७ नवम्बर १९३२

प्रांतीय कौंसिलों में दूसरा मेम्बर

इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था में दो हाऊस हैं। एक साधारण, जिसे हाऊस आफ कामन्स कहते हैं, और दूसरा विशेष जिसे हाऊस आफ लार्ड्स कहते हैं। कामन्स में तो जनता-द्वारा चुने हुए मेम्बर बैठते हैं। लार्ड में खानदानी रईसों का स्थान है। चूंकि पहले राज्य का अधिकार सोलहो आना अमीरों के हाथ में था और ज्यो-ज्यो जनता में राज-नैतिक ज्ञान को वृद्धि होती है, वह उन अधिकारों को रईसों के हाथों से छीनकर अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए यह दोनों संस्थाएँ बराबर एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। वास्तव में इंग्लैंड का गत दस शताब्दियों का राजनैतिक इतिहास इस द्वन्द्व के सिवा और कुछ नहीं है। जनता के क्रमिक विकास में सबसे बड़ी बाधा यही अमीरों की संस्था रही है। कोई नया बिल उस वक्त तक कानून नहीं बनता, जब तक लार्ड उसे स्वीकार न कर ले, यद्यपि जनसत्तावाद ने उनके अधिकारों के पर काट दिये हैं, फिर भी वह जब अवसर पाते हैं, रोड़े अटकाते जाते हैं। अब इस प्रान्त में भी ऐसी ही अमीरों की संस्था कायम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उसमें हमारे राजे, ताल्लुकेदार और नवाब आदि होंगे। अभी तक तो उनकी रक्षा सरकार करती थी। जनता परिश्रम करती थी, वे उसका फल खाते थे। आनेवाली व्यवस्था में जनसत्ता की प्रधानता होने की संभावना है, इसलिए यह वर्ग इस दूसरी संस्था-द्वारा जनता के विकास में बाधा खड़ी करने की चेष्टा कर रहा है। जनता का विश्वास उन पर नहीं है। और जनता-द्वारा उनका चुना जाना असंभव-सा ही है। ऐसी अवस्था में वे अपनी रक्षा के लिए कोई मार्ग ढूँढ रहे हैं। अगर दूसरा मेम्बर स्थापित हो गया, तो उनकी कामना पूरी हो जायगी और वे ऐसे कानूनों का विरोध कर सकेंगे, जिनसे उनके स्वार्थ या अधिकार को धक्का लगता हो, मगर इस युग में अब स्वरचित स्थानों की गुजाइश नहीं है। हमारे रईसों को समझ लेना चाहिए कि वे जनता के सेवक बनकर ही रह सकते हैं। स्वामी बनकर नहीं। हवा के साथ चलकर संभव है, उनकी नाव किनारे पर पहुँच जाय। हवा के विरुद्ध चलकर वह बीच ही में रह जायगी। अगर हमारे जमींदार और ताल्लुकेदार अपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते, तो उन्हें सेवा-भाव से जनता में रहना होगा। जनता के दुःख-सुख में शरीक होकर, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक बनकर, उनकी सुविधाओं को बढ़ाकर वे अब भी उनके आदर और भक्ति के पात्र बने रह सकते हैं। उन्हें कुचलकर और अपने स्वार्थ का केवल यंत्र बनाकर अब वे सुख से नहीं सो सकते।

१४ नवम्बर १९३२

महात्माजी की स्वाधीनता

पिछले अक मे हमने पाठको की ओर से ब्रिटिश सरकार को यह धन्यवाद दिया था कि उसने महात्माजी पर से इतनी बाधाएँ उठा ली हैं कि वे अछूतोंद्वारा का कार्य कर सकते हैं, किन्तु इसके साथ ही, हमें यह देखकर खेद हो रहा है कि सरकार महात्माजी को एक अत्यन्त गम्भीर तथा गुस्तर कार्य करने की आज्ञा देती हुई उसी के समान महत्त्वपूर्ण अन्य कार्य भी नहीं करने देती। एसेम्बली की बैठक में, गत १५ नवम्बर को, श्री गयाप्रसाद सिंह ने होम मेम्बर मि० हेग से इस विषय में जो प्रश्नोत्तर किये थे, उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रश्न को केवल टाल देना चाहती है। आखिर क्या कारण है कि अछूतों को हिन्दुओं से एक करना राजनीतिक कार्य नहीं समझा जाता पर मुसलमानों को हिन्दुओं से एक करना राजनीतिक कार्य समझा जाता है और सरकार महात्माजी को इस बात के लिए अवसर नहीं देना चाहती। मान लिया जावे, कि उसे यह भय हो कि एकता के बहाने महात्माजी सत्याग्रह के समर्थकों से भी मिल कर कांग्रेस-कार्य कर सकते हैं, पर उन्हें सत्याग्रह के शत्रु मौलाना शौकतअली से भी न मिलने देना, क्या अर्थ रखता है ? इसी से लोगों को सुबहा होता है, कि सरकार मुसलमानों को अपना ही समझती है और इसीलिए वह मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं मिलने देना चाहती, पर हिन्दू-मुसलिम ऐक्य को वह एक भयकर राजनैतिक ऐक्य का प्रारम्भ समझकर उससे बेहद घबडाती है। जो भी हो, पर इस ऐक्य से इतना अधिक लाभ है, कि उसका महत्त्व वर्णन नहीं किया जा सकता और सरकार यह बड़े भारी परोपकार का कार्य करती, यदि वह महात्माजी को ऐक्य-प्रतिपादन में सहायक होने देती।

मि० हेग ने इस विषय में सरकार की ओर से जितनी बातें कही हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हमें उनके तर्क का तात्पर्य समझ में आ सके। मि० हेग का यह कहना कि अब तो सिन्ध का समझौता हो जाने के बाद मि० गान्धी की कोई जरूरत ही नहीं है, एक प्रकार से प्रयाग के एकता-सम्मेलन की खिल्ली उड़ाना है। श्री नवलराय के यह पूछने पर कि क्या सरकार महात्माजी को हिन्दू मुसलिम समझौता हो जाने पर भी, उसमें भाग न लेने देगी, मि० हेग ने कहा था कि "सम्मनित सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि वे राजनैतिक-कैदी हैं।" इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार राजनैतिक-कैदी की अपनी मनमानी व्याख्या भी करती है—महात्माजी ऐसे राजनैतिक कैदी हैं, जिन्हें कोई भी हक सरकार दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में, हमें यह देखकर बड़ा खेद होता है कि जहाँ अपने एक कार्य से सरकार प्रजा की प्रशंसा की पात्र बन जाती है, वही वह किसी अनुचित कार्य-द्वारा उतनी ही निन्दा भी प्राप्त करती है।

२१ नवम्बर १९३२

बर्मा में राष्ट्रीयता की विजय

भारत का इकबाल इस समय जोरो पर है। पूना और प्रयाग में उसने भेद-भाव और साम्प्रदायिकता को नीचा दिखाने के बाद बर्मा में भी उतने ही मारके की विजय प्राप्त की। बर्मा को भारत से प्रयक् करने का एक प्रकार से निश्चय हो चुका था। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन दैवयोग से अभी हाल में वहाँ आम चुनाव हुआ। चुनाव का आधार यही समस्या थी। पृथकतावादी और ऐक्यवादी दलों में मुकाबला हुआ और अंत में ऐक्यवादियों की विजय हुई। इसने इंग्लैंड में हल-चल पैदा कर दी है। वहाँ तो दुनिया को यह दिखाया गया था कि बर्मा की जनता खुद भारत से पृथक् रहना चाहती है। पिछली दोनो गोलमेजों में बर्मा के जो प्रतिनिधि सरकार ने चुने थे, वह पृथकवादी दल के ही थे। ससार ने समझा होगा बर्मा को भारतवाले किसी स्वार्थवश जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं, हालाँकि वे उससे मिलना नहीं चाहते। लेकिन चुनाव के इस निर्यात ने सिद्ध कर दिया कि बर्मा हिन्दुस्तान से मिलने को उत्सुक है, और उससे पृथक् होना स्वीकार न करेगा। अब इस निर्यात में तरह-तरह के अर्थ लगाये जा रहे हैं और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ऐक्यवादियों ने धोखे-धड़ी से काम लेकर फतह हासिल कर ली। देखा चाहिए, बर्मा के प्रतिनिधि अब गोलमेज में क्या कहते हैं।

२८ नवम्बर १९३२

राष्ट्र संघ पर डा० परांजपे का भाषण

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा० आर० पी० परांजपे ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के पोलिटिकल क्लब में "राष्ट्र-संघ" पर भाषण देते हुए उसके सामाजिक और वैज्ञानिक विभागों पर अच्छा प्रकाश डाला। लेकिन आश्चर्य है, कि संघ पर भारत के ६-७ लाख रुपये तो खर्च होते हैं, पर संघ के स्थाई मंडल में उसका कोई स्थान नहीं है। उस स्थायी मंडल में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये पाँच राष्ट्र हैं। इनमें केवल इंग्लैंड और फ्रांस का चंदा भारत से अधिक है। जर्मनी, इटली और जापान भारत के बराबर रुपये नहीं खर्च करते। पर उन्हें स्थायी मंडल में स्थान मिला हुआ है। ऐसी दशा में हम नहीं समझते भारत से इतने रुपये क्यों लिये जाते हैं। क्या इसीलिए कि इस विषय में भारत की कोई आवाज़ नहीं है ?

इस भाषण से हमें ज्ञात होता है, कि चाहे राजनैतिक समस्याओं के हल करने में

सघ को अभी मनोनीत सफलता न मिली हो, और मंचूरिया के विषय में उसका मौन धारण कर लेना उसके प्रभाव के लिए घातक है, फिर भी उसने कई महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के हल करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है। गोरी स्त्रियों का वेश्यावृत्ति के लिए गुप्त रूप से जो व्यापार योरोप में जारी था, अफ्रीम, कोकेन आदि जहरीली चीजों का जो धड़ले से प्रचार हो रहा था, इन दोनों निषिद्ध व्यापारों को बंद कराने में सघ ने जो तत्परता दिखायी है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी सघ ने भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को समीप लाने का उद्योग किया है और कर रही है। भविष्य में उसके द्वारा एक सार्वदेशिक सस्कृति के समन्वय होने की आशा की जा सकती है।

दिसम्बर १९३२

आर्डिनेंस बिल पास

एसेम्बली में आर्डिनेंस बिल पास हो गया और धूम से पास हो गया। पक्ष में ५६ राये थी, विपक्ष में केवल ३१। हम सरकार को और उन ५६ मेम्बरो को इस शानदार फतह पर बधाई देते हैं। अब कौन कह सकता है, कि देश इस बिल के पक्ष में नहीं है? और अगर किसी को यह कहने का दुस्साहस हो भी, तो कौन उसका विश्वास करेगा?

१२ दिसम्बर १९३२

इंग्लैंड का विश्वासी पुलीसमैन

इंडिया लोग डेपुटेशन ने लदन पहुँच कर भारतीय परिस्थिति पर अपनी राय पहले ही प्रकाशित कर दी है। हाल में उसके एक मेम्बर मि० लियोनार्ड मैटर्स ने कहा है—

“भारत में प्रत्येक व्यक्ति काँग्रेसी मनोवृत्ति का है। इस समय भारत में सभी अप्रेज स्त्री-पुरुषों का जीवन महात्मा गाँधी के हाथ में है और उन्हें बजातीर पर भारत में इंग्लैंड का सबसे अच्छा पुलीसमैन कहा जा सकता है।”

ऊपर के शब्दों की टीका करने की हम कोई जरूरत नहीं समझते। इनमें रस्ती-भर भी अतिशयोक्ति नहीं है।

१२ दिसम्बर १९३२

बंगाल में आतंकवाद

बंगाल कौंसिल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मेम्बर ने क्रान्तिकारियों के अपराधों की जो लम्बी सूची दी, वह बहुत ही निराशाजनक है। इस एक वर्ष में केवल बंगाल में ऐसे १४६ कांड हुए। इनमें ढाका और मैमनसिंह जिलों में आतंकवादियों ने विशेष रूप से अपना जोर दिखाया। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या हो सकता था कि सरकार की दमन नीति और कठोर हो गयी। आतंकवादियों की समझ में कब यह बात आयेगी कि इन अपराधों से वे केवल राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहे हैं। अगर उनमें देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो उनके लिए सेवा का मैदान खुला हुआ है। देश में सेवकों का अभाव है और ऐसे कितने ही तरीके हैं जिनसे वे देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उपकार कर सकते हैं। इन हत्याकारी अपराधों से वे केवल अपना सर्वनाश नहीं करते, देश की उन्नति में भी बाधक होते हैं।

१६ दिसम्बर १९३२

गोलमेज़ में क्या हो रहा है

जिन लोगों को गोलमेज़ में केन्द्रीय उत्तरदायित्व का दरिया लहरे मारता नजर आ रहा था, उन्हें लार्ड इविन की वक़्तता ने निराश कर दिया होगा, उन्हें अब मालूम हो गया होगा, कि जिसे वे ठण्डे-मीठे पानी का दरिया समझे बैठे थे, वह वास्तव में मृग-तृष्णा मात्र है। वाइसराय के अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। फौज और माल दोनों ही पर शासन का सरन्धण रहेगा। फौज का खर्च भी साबिक दस्तूर रहेगा। वाइसराय इसी तरह आर्डिनेन्स भी बनाते रहेंगे। यही वह स्वराज्य है, जिसकी तीन साल से धूम मची हुई है ? उसकी तो कलई खुल गयी। अब देखना चाहिए, प्रान्तीय स्वायत्त शासन की क्या गति होती है। फिर अभी तो फेडरेशन तो बँठा ही हुआ है।

१२ दिसम्बर १९३२

लंदन में क्या होगा ?

जहाँ दो बर्तन रक्खे रहेंगे वहाँ कुछ शोर होगा ही। जरा-सी हवा की ठेस से दो बर्तनों का आपस में लड पडना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि उनके खाली

होने पर तीव्र भ्रनभ्रनाहट का पैदा हो जाना । यदि बर्तनों में इतना काफी सामान रख दिया जावे कि ज़रा-सी हवा उनको हिला-डुला न सके तो आवाज़ का होना उसी प्रकार हक जावेगा जिस प्रकार उनका टकराना । ठीक यही दशा भारत में हिन्दू और मुसलमानों की भी है । विदेशी शासन के कारण पेट में चारा तो है ही नहीं, सी में पचहत्तर फी सदी को दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं मिलता । इसीलिए, उनमें गभीरता, सहिष्णुता-सन्तोष का अभाव हो गया है । लूट-खसोट, जुआ-चोरी या एक दूसरे के टुकड़े को छीन लेने की नीयत पैदा हो गयी है, और वे आये दिन आपस में लड़ने पर उतारू हो जाते हैं । विरोध की ज़रा-सी हवा से बर्तन भ्रनभ्रना उठते हैं । उनके विरोध से उत्पन्न शोर, इतना तीव्र मालूम होता है कि लन्दन तथा उसके मुहल्ले डाउनिंग स्ट्रीट में बैठे हमारे शासक यह समझते हैं, कि इन दो को एक स्थान पर रखा ही नहीं जा सकता । ज़रूरत यह है कि हर वक्त एक आदमी दोनों बर्तनों के बीच में खड़ा रहे ।

किन्तु हमारे लड़ने से जो इतना ऊब गये हैं, जो हमारी लड़ाई को बाकई रोकना चाहते हैं, क्या कभी उन्होंने हमारे विरोध के कारणों को भी जाँच की है ? क्या उन्हें कभी यह भी मालूम हो गया है, कि हमारी लड़ाई की सतह में हमारी दरिद्रता का करुण-क्रन्दन, हमारे रोग-शोक-सन्ताप का वीभत्स चीत्कार छिपा हुआ है । क्या कभी यह भी सोचा गया है, कि काश मुसलिम-व्यापार उन्नति पर होता, काश हिन्दू किसान खुशहाल होता और काश दोनों को अपनी मुसीबतों को अपने आप दूर कर देने का हक हासिल होता । आज मुसलमानों को नगी गरीबी कौन नहीं जानता । घर में मिट्टी के बर्तनों और तन पर मखमल का कोट पहने हुए मुसलमान बड़ी आज़ादी से मारकाट पर उतारू हो जाता है । अगर कोई उसका घर भी लूट ले, तो उसका क्या जावेगा, पर, जहाँ मुसलमान अमीर है, वहाँ बिरले ही झगड़ा होते सुना गया है । जबलपुर में ज्यादा-तर व्यापार मुसलमानों के हाथ में है । वहाँ दंगा हुआ भी तो पचास साल में एक बार !

इसलिए हम तो हिन्दू-मुसलिम विरोध को दो भिखारियों का एक रोटी के टुकड़े के लिए कलह मानते हैं । हमें तो इसमें कोई तथ्य ही नहीं दीखता, कि दोनों को हमेशा लड़ाई से बचाने को एक तीसरे की ज़रूरत है । ज़रूरत है, पर वह रोटी की और रोटी के लिए तभी उम्मेद की जा सकती है जब अपनी हकूमत अपने हाथ में हो, अपना व्यापार अपने हाथ में हो, अपना पैसा अपने हाथ से खच हो और हम खुद अपने ऊपर सरगना हो । गोलमेज सम्मेलन की बैठकें लगातार फिर हो रही हैं । इस बार पिछली बार की तरह कोई धूमधाम नहीं है, कोई हलचल नहीं है, गान्धीजी के समान कोई व्यक्तित्व नहीं है—पर इस बार सम्मेलन के सामने वह चीज़ है जो उसके सामने पिछली बार नहीं थी । वह है हिन्दू मुसलमानों का प्रयाग का समझौता । इस समझौते की, इससे बढ़कर विजय और क्या हो सकती है, जब मौलाना शौकतअली ने लण्डन पहुँचते ही कह दिया कि अब हिन्दू और मुसलमानों में एका हो गया । अब ज़रूरत है इस बात की कि प्रयाग

के समझौते को तुरत मान लिया जावे।” यहाँ भारत में भी श्री राजगोपालाचारी, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद ऐसे माननीय कांग्रेसी नेताओं ने, मौलाना अब्दुलमजिद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐसे नर्म-गर्म दोनों-पक्ष के मुसलिम नेताओं ने मुसलमानों से और हिन्दुओं से अपील की है, कि वे तुरन्त इस समझौते को अपना लें। हमे हर्ष है कि डा० मुन्जे ऐसे हिन्दू नेताओं ने, जो इसके पक्ष में नहीं हैं, हमारा विरोध कर प्रगति को रोकने में बाधा नहीं पहुँचाई है। फिर इस समझौते का विरोधी कौन है—नहीं, जिनके विषय में मौलाना शौकतअली ने अभी लन्दन में कहा है कि “वे भारत के नकली नेता हैं।”

इतना होते हुए भी फ्री प्रेस के सवाददाता का लदन से तार है कि इस बार समझौता हो जाना विशेष कठिन नहीं है, पर हिन्दू-मुसलिम समस्या को बहुत बढ़ाकर कहा जा रहा है। रायटर का ही भेजा हुआ तार है कि “एक भारतीय गोलमेजी सदस्य का वचन है कि हिन्दू-मुसलिम समस्या को बहुत ही तूल दिया जा रहा है।” तूल देने की जो बात थी वह हम ऊपर लिख चुके हैं। यदि हमारी गरीबी को तूल देकर बतलाया जाता तो हम भी क्रतज्ञ होते। हमारे विरोध का यदि वाकई में असली कारण बतलाया जाता तो हम भी क्रतज्ञ होते। अगर वह झूठी बातों को तूल दे रहे हैं, चाहे हिन्दू या मुसलिम या योरोपीय नेता ही क्यों न हों—तो हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार प्रयाग के समझौते के विषय में मौलाना शौकतअली भारत में “नकली” नेताओं से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताओं से डर है। यदि इन लोगों ने हमारे ऐक्य को डको की चोट वहाँ ऐलान न कर, हमारे विरोध के असली कारण को दूर न करा दिया तो हम यही कहेंगे कि आगे एक आने वाली पीढ़ी उनकी इस प्रत्यक्ष नीचता को स्मरण रखेगी, हमारा गरीबी से सूखता हुआ खून उनके पाप के खाते में दर्ज होगा और हमारी तरक्की की कफन में जो कीलें ठुक जावेंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी।

भारत तो इस वक्त कानून के शिकन्जे में कसा हुआ कराह रहा है। चाहे गोलमेज के प्रतिनिधियों की देश-सेवा के प्रति उसके हृदय में कितना ही शुबहा क्यों न हो, वह तो लन्दन की ओर टकटकी लगाये बैठा है और यह उसे उम्मीद है, कि यदि गोलमेज विफल भी हो तो कम से कम हिन्दू मुसलिम समझौते के नाम से तो न हो। यदि फिर से और इसी कारण हम विफल हुए तो जिम्मेदारी हमारी भी है और ऐसे मम्बरो को बिना हमसे पूछे, भेजनेवाली सरकार की भी।

१२ दिसम्बर १९३२

गोलमेज सभा का विसर्जन

गोलमेज की महफिल का तीसरा दौर भी खतम हो गया, लेकिन साकी ने शराब में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि न कुछ रंग जमा न सुरूर गठा। शायद ऐसे ही मौके के लिए स्वर्गवासी सुरूर ने यह शेर कहा था—

बजाय मय दिया पानी का एक गिलास मुझे।

समझ लिया मेरे साकी ने बदहवास मुझे॥

साकी ने तैयारियाँ तो ऐसी-ऐसी की थी कि पीनेवाले शायद समझे थे शम्पेन न सही, जानी वाकर तो कही नहीं गया। बड़े-बड़े खुम मँगवाये थे, जिनकी खुशबू से दिमाग ताजा हो जाता था। साफ-सुथरी बोतलो में उनकी लाली देख कर पीनेवालो के मुँह में पानी भर-भर आता था। मैकशो के द्वार पर मैकशो की भीड़ लगी हुई थी। लोग बेकरार होकर मिनते कर रहे थे—लिल्लाह ! हमें भी अन्दर आने दो। बदमिजाज साकी बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोलता था। पहला दौर चला। लोभ मुँह फीका करके एक दूसरे का मुँह देखने लगे मानो कह रहे हों—यार यह तो कुछ समझ में नहीं आती, कुछ फीकी-फीकी-सी है। साकी उनका रङ देखकर मुसकराया और बोला—तुम लोग ठर्रा पीनेवाले हो, इसका मजा क्या जानो। इसका लुत्फ इसके फीकेपन में ही है। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। अबकी दो-एक मैकशो ने साफ-साफ कह दिया—हजरते साकी, यह तो कुछ है नहीं, फीकी-फीकी-सी लगती है। साकी ने झिड़का नहीं, त्योरियाँ नहीं बदली, सद्भाव से मुसकरा कर बोला—इसके फीकेपन पर न जाओ, यह वह चीज है जो अपना सानी नहीं रखती। तीसरा दौर शुरू हुआ, बिलकुल पानी। पहले दोनो दौरों में कुछ गर्मी, कुछ तेज़ी, कुछ तलखी थी, इस दौर में तो निखालिस पानी। पीनेवाले हैरान होकर कभी बोतल की ओर देखते हैं, कभी खुम की ओर, कभी साकी की ओर और कभी एक दूसरे के मुँह की ओर। अगर यह पानी ही पिलाना था तो यह महफिल सजाने की, इस बोतल, खुम, सुराही और प्याले की क्या ज़रूरत थी। मगर पीनेवालो का सुरूर गठे या न गठे, यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि महफिल नहीं जमी, दौर नहीं चले। साकी के दाम खड़े हो गये !

गोलमेज सभा समाप्त हो गयी। खूब गपशप हुई, एक दूसरे की तारीफे हुईं, यारों ने अपनी-अपनी ज़बान की चुल मिटाई, और अपने घर सिधारे। जहाँ सन् ३० में थे, वही आज भी है। नहीं, वहाँ से भी पीछे। तब यह आर्डिनेंस न थे, साम्प्रदायिकता की यह प्रधानता न थी, राष्ट्रीयता की विरोधक इतनी व्यवस्थाएँ न थी। हम आगे बढ़ना चाहते थे। हमें पीछे ढकेल दिया गया। हम राष्ट्र-निर्माण का अधिकार चाहते थे, उस अधिकार को सात तालों के अन्दर बन्द कर दिया गया। आज भारत अपने

शासको के पाँव के नीचे पडा सिसक रहा है, परास्त और पददलित । सायल साखी के द्वार पर भिन्ना माँगने गया था । साखी ने केवल यही नहीं कहा—लीट जाओ । उसने सायल को धक्के देकर निकाल दिया । और उसकी भोली में जो कुछ था उसे भी छीनकर जमीन पर फेंक दिया । वही मसल हुई चौबे जी छुबे बनने गये थे, हुबे ही रह गये । हमने गोलमेज से बहुत बड़ी आशाएँ न बाँधी थी, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य रखते थे । कम से कम एक चुटकी भर आटा तो मिल ही जायगा । लेकिन वह चुटकी तो न मिली, भोली अलबत्ता छिन गयी ।

चलते चलाते हैरान सर सैमुएल होर ने कुछ मीठी-मीठी बातें की, लार्ड सैके ने भी जखम पर भरहम रक्खा, लेकिन मीठी बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आते हैं । उन बातों का क्रियात्मक रूप कुछ और ही होता है । दुधार गाय दो लात भी मार दे तो उसे हम खुशी से सह लेते हैं, लेकिन उस गाय को कौन पालेगा जो यो तो बड़ी सीधी है, उसकी नाँद में भूसा, खली, दाना डाल जाओ, ज़रा भी नहीं बोलेगी, उसकी पीठ सहलाओ, चुपचाप खडी रहेगी, लेकिन तुमने थन में हाथ लगाया कि उसने तानकर लात जमायी ।

समस्या थी अधिकार की, माली अधिकार की, फौजी अधिकार की, जिम्मेदार शासन की । यह समस्याएँ एक भी हल नहीं हुईं । हम कुछ नहीं जानते फेडरेशन कब आवेगा, वह किस रूप-रंग का होगा, उसमें रियासतों और अंग्रेजों इलाकों में क्या सम्बन्ध होगा, व्यवस्थापक सभाओं के क्या अधिकार होंगे, वह फौजी खर्च में कुछ कमी-बेशी कर सकेगी, फौज के भारतीयकरण की प्रगति को कुछ तेज़ कर सकेगी । क्या गवर्नर जेनरल और गवर्नरों के अधिकारों को ज्यों का त्यों रहने दिया जायगा ? वे अब भी उसी स्वेच्छा से आर्डिनेंस बनाते रहेंगे ? प्रान्तीय स्वराज्य का बड़ा शोर सुन रहे थे । क्या वह भी उसी तरह मिनिस्ट्रों के अधिकार में होगा जैसे अब है या काउंसिल का उन पर कुछ असर होगा ? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिलता । अगर सारी चीख-पुकार का नतीजा यही हुआ कि १०० की जगह २३० मेम्बर काउंसिलो में बैठें, तो मुफ्त की जहमत और खामख्वाह शासन का खर्च बढ़ाना है । इससे तो यही कहीं अच्छा है कि यह सारी व्यवस्थापक सभाएँ और कार्यकारिणी सभाएँ तोड़ दी जायँ और गवर्नर साहबान स्वच्छन्दता से राज्य का संचालन करें । उस दशा में कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा कि सिर का बोझ कुछ हलका हो जायगा । जब हमें खली रोटियाँ ही मिलनी हैं तो हलुआ और मोहन भोग हमारे सामने क्यों रखा जाय । हम उन पदार्थों को देखने से ही तृप्त नहीं हो सकते, उन्हें खाना भी चाहते हैं । या तो हमारे पत्तलो पर लाकर डालिए या हमारी आँखों के सामने से हटा ले जाइए ।

हाँ, दो एक बातों में ज़रूर गोलमेज में मुस्तैदी दिखायी गयी । पहली दोनों

सभाओं में यह स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार किया गया था कि मुसलमानों को केन्द्रीय सभा में ३३½ हिस्सा दिया जायगा। अबकी सर सैमुएल होर ने विदाई का यह पुरस्कार मुसलमानों को दिया। इलाहाबाद के एकता सम्मेलन में हिन्दू-मुसलमानों में यह समझौता हुआ है। सेक्रेटरी साहब ने उस पर सरकारी मुहर लगा दी। अब वह पक्का हो गया। कुछ ऐसे मुसलमानों को जो बड़ी सभा में अपनी सख्या निश्चित न होने के कारण असन्तुष्ट थे, अब शिकायत की कोई गुजाइश न रहेगी और वे एकता सम्मेलन से अधिक से अधिक जो पा सकते थे उसे यो मिलते देखकर शायद सम्मेलन से पृथक् हो जायें। सिंध के विषय में भी सर सैमुएल ने वैसी ही तत्परता से काम लिया। पिछली गोलमेज में उन्होंने सन्देहात्मक शब्दों में सिंध की समस्या स्वीकार की थी। रुपये का प्रश्न बाधक हो रहा था और जब तक रुपये की कोई सबील न हो जाय इस विचार को स्थगित कर दिया गया था। एकता सम्मेलन ने सिंध का अलग किया जाना स्वीकार कर लिया। सर सैमुएल ने तुरन्त उस पर भी सरकारी मुहर लगा दी। इस तरह एकता सम्मेलन ने महीनो सिर खपाने के बाद समझौते की जो शर्तें तय की थीं उन्हें तुरन्त स्वीकार करके सर सैमुएल ने एकता सम्मेलन के नीचे से तंस्ता खींच लिया है। बंगाल का मुआमला बाकी है। हिन्दुओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने हिस्से की कुछ जगहें मुसलमानों को दे दें। ज्योंही हिन्दुओं ने रजामंदी दे दी, उस पर भी सरकारी मुहर लग जायगी। मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन के साथ वह अधिकार मिल जायेंगे, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त निर्वाचन की शर्त मानी थी। मि० रैमजे मैकडोनेल्ड के कथनानुसार यहाँ के सम्प्रदायों में परस्पर सहयोग से जो समझौते होंगे उनमें से जो गवर्नमेंट को पसन्द आयेंगे वे स्वीकार कर लिये जायेंगे, जो न पसन्द आयेंगे वे छोड़ दिये जायेंगे। एकता सम्मेलन ने संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया है। सरकार ने उसी तत्परता से इस समझौते को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार नहीं करती। हिन्दुओं की भी बड़ी संख्या सिंध का अलग किया जाना, मुसलमानों को एक तिहाई जगहों का दिया जाना स्वीकार नहीं करती। सर सैमुएल होर ने उन हिन्दुओं के विरोध की ओर ध्यान न दिया। चित पडे तो मेरा, पट पडे तो मेरा।

आर्थिक संरक्षकों की चर्चा करते हुए सर सैमुएल होर ने फरमाया—

“पिछले साल इस विषय पर भलीभाँति विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि आर्थिक प्रबन्ध की जिम्मेदारी दिये बिना, शासन की सच्ची जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, अतः हम राजनीतिज्ञ भारतीयों को इस सम्बन्ध की उचित माँग को भी पूरा करना चाहते हैं और महाजनो की इस माँग को भी रक्षा करना चाहते हैं कि भारत की आर्थिक साख हमेशा बनी रहेगी—उसके बिगड़ने का सवाल भी कभी पैदा न होगा। इसके सिवा एक और बात है। इधर भारत सचिव के नाम थोड़ी

मुद्दत पर बहुत बडी रकम कर्ज ली गयी है, जिसे अगले छ साल मे चुकाना होगा, अतः इसका संतोषजनक प्रबन्ध करना पडेगा कि संघ-सरकार को कलक न लगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे संरक्षक रहे, जिनसे दुनिया का विश्वास बना रहे और संघ-सरकार भविष्य मे मामूली सुद पर कर्ज पा सके।”

आनेवाली संघ-सरकार के साख और विश्वास की ओर से सर सैमुएल होर इतने सन्वित्त है यह बडे हर्ष की बात है, मगर शायद किसी राजनीतिज्ञ ने भी सत्य को इतने भेदे आवरण मे छिपाने की चेष्टा न की होगी। संघ-सरकार अबोध बालको की मडली होगी, जिसे दुनिया मे अपनी साख और विश्वास को जमाने की फिक्र न होगी। क्या इंग्लैंड की साख दुनिया मे इतनी बडी हुई है कि केवल उसके प्रतिबंधो से ही भारत की साख बन जायगी? इस कथन का साफ-साफ अर्थ यह है कि शामको को भारत पर विश्वास नही है और वे उसे वह अधिकार नही देना चाहते, जिम पर और सारे अधिकारो और व्यवस्थाओ का दारोमदार है।

२ जनवरी १९३२
 २-जनवरी १९३२
 ६-५-३२

गोलमेज का मर्सिया

गोलमेज सभा ने अपने तीनों पन भोगकर जीवन-लीला समाप्त कर दी। भारत को उससे पहले भी कोई आशा न थी, इसलिए उसे उससे अधिक निराशा भी नही हुई। निराशा तो जब होती कि हमने उससे बडी-बडी आशाएँ बाँधी होती। लेकिन वह इस हद तक बंध्या होगी, इसका हमे खयाल न था। हम समझ रहे थे पहाड़ खोदा जा रहा है तो कम से कम चुहिया तो निकलेगी ही। कितना तुम-तराक किया गया। सर साइमन आये। महीनो उसकी हलचल रही। फिर गोलमेजो का ताँता बँधा। राजे-महाराजे, मै-नू, ऐरा गैरा नत्थू खैरा सब जमा हुए, और तीन साल की खुदाई के बाद निकला क्या कि कुछ नही। चुहिया भी निकल आती तो कुछ तमाशा तो होता, देखते कंसे दौडती है, कंसे उछलती है। लेकिन कुछ भी न हुआ। फेडरेशन का हाथी जहाँ था, वही खडा भूम रहा है, बल्कि कई कदम पीछे हट गया। वाइसराय के अख्ति-यार ज्यो के त्यो, फ़ौज का मामला ज्यो का त्यो, माल का विषय ज्यो का त्यो। हाँ, पहाड़ खोदने से खंदक अवश्य निकल आयो। और उस साम्प्रदायिकता के खंदक मे सारा देश डूब गया। पंथवाद जो समस्त ससार के लिए अभिशाप सिद्ध हो चुका है और जिसे सदियो के संघर्ष के बाद संसार ने दफना पाया है, उसे खोदकर हिन्दुस्तान में ला खडा किया गया। देश राष्ट्र बनना चाहता था। उसे पंथवाद मे ढकेल दिया गया।

नयी-नयी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। जहाँ केवल हिन्दू-मुसलमान थे, वहाँ हिन्दू, मुसलमान, अछूत, सिक्ख, ईसाई, अघगोरे, गोरे इतने जतु निकाल खड़े किये गये और इन सबो ने अपने तेज दाँतो और पैने नखो से शिशु राष्ट्र को धर दबोचा। यह सर्वदल-सम्मेलन, एकता सम्मेलन और हरिजन-आंदोलन सब उसी पथवाद के जन्तुओं को मार भगाने के उपाय है, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता।

बेशक जो लोग गोलमेज में शरीक हुए उनमें से कुछ महानुभाव खुश हैं। सर लियाकत हयात-खाँ खुश है, मि० गजनवी खुश है। उसी टुकड़ी के और लोग भी खुश होंगे। सर इकबाल को खुश होना ही चाहिए। मगर इन महानुभावों की खुशी ही यह बतला रही है कि तमाशा फीका है। थियेट्रो में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका काम है, वाह-वाह करना। ऐक्टर स्टेज पर आया और उन्होंने तालियाँ पीटनी शुरू की। क्या इन्हीं महानुभावों को खुश करने के लिए गोलमेज को गयी थी ? वह नाखुश कब हुए थे ? सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर के सम्मिलित वक्तव्य में भी कुछ आशा है, पर उसमें 'यदि 'और' 'किन्तु' इतने लगे हुए हैं कि शीघ्र ही उस आशा की कलाई खुल जाती है। आप फरमाते हैं—

“Despite many moments of grave anxiety during the progress of our discussions in London and the fact that there are still loose nooses to tie up, the general atmosphere, as our work developed, became one of increasing friendliness and mutual understanding. Even where an agreement was not reached, there was an obvious desire to appreciate each other's view”

यहाँ तक तो ठीक है लेकिन आप आगे कहते हैं—

“For this and other reasons it is, we argue, all the more necessary that Indian opinion should direct itself closely to concrete elements of the entire problem and our resources should be consolidated in order to enable that opinion to effectively assert itself at all subsequent stages. We do not disguise from ourselves the probability of strong opposition from certain reactionary circles in England and India but we are confident that if our countrymen organise the full forces of public opinion or a constructive plan for the achievement of a satisfactory and workable constitution, the success will be within our grasp.”

मतलब यह है कि हम अमर हो सकते हैं, अवश्य अमर हो सकते हैं, केवल

सुधा मिलनी चाहिए। सब कुछ जनमत के संगठित होने और उसके प्रबल रूप से व्यक्त होने पर मुनहसर है। यह तो कोई नयी बात नहीं हुई। यह तो हम बहुत दिन से जानते हैं और बराबर कहते आये हैं कि सब कुछ जनमत के संगठित होने पर मुनहसर है। इतना समझने के लिए गोलमेजो, रिपोर्टों और कमेटियो की जरूरत न थी। अगर तीन वर्ष के बाद गोलमेज का यही नतीजा निकला है, तो हम इसे गोलमेज के मसिधे के सिवा और कुछ नहीं कह सकते। जनमत का संगठित होना वर्तमान परिस्थिति में कहाँ तक संभव है, इसे सर सप्रू हमसे ज्यादा जानते हैं। भारत के चुने हुए बोलने वाले और विचारक गोलमेज में शरीक हुए। जनमत के संगठित होने का और कौन-सा रूप है? अगर भारत में कुछ इस विषय का आन्दोलन किया जाय तो उसमें रुकावटें और बाधाएँ हैं। उधर साम्प्रदायिक मत-भेद रोज ही नयी-नयी समस्याएँ खड़ी करता रहता है। इन परिस्थितियों में जनमत का संगठित होना और निश्चयात्मक रूप में प्रकट होना आसान नहीं है। स्पष्ट शब्दों में हम इसे गोलमेज का मसिधा समझते हैं। हम जहाँ से चले थे, वही आज भी खड़े हैं। तब हमारे सामने थोड़ा-मा मैदान था, दो-चार कदम आगे चल सकते थे। अब हमारे सामने साम्प्रदायिकता की दीवार खड़ी है, हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। सर सैमुएल होर की मीठी बातों ने इन महानुभावों से कैसे आश्वासन पैदा कर दिया, हमें तो यही आश्चर्य है। एक ओर तो सर सैमुएल ने केन्द्रीय जिम्मेदारी की आशा दिलायी लेकिन दूसरी ओर उन्होंने एकता-सम्मेलन में तय हुए समझौते में उन शर्तों को जिनसे मुसलमान खुश होंगे, कितनी तत्परता से स्वीकार किया है कि ऐसा जान पड़ता है वह इसकी राह देख रहे थे। सिन्ध को अलग करने के विषय में जो आर्थिक बाधाएँ थी, उनकी बिलकुल परवाह नहीं की गयी। एकता सम्मेलन में केन्द्रीय सभा में मुसलमानों को ३२ जगह देने का निश्चय हुआ था, जिसे मुसलमान-प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन सर सैमुएल ने ३२ को बड़ी उदारता से ३३½ कर दिया। हालाँकि मि० रामजे मैकडोनल्ड ने अपने साम्प्रदायिक निर्णय में स्पष्ट कहा था, कि वही तबदीलियाँ स्वीकृत होगी जिन्हें भारतवाले आपस में तय कर लेंगे, लेकिन जब भारत ने आपस में ३२ जगह मुसलमानों को देना तय किया, तो सेक्रेटरी साहब ने ३३½ क्यों दे दिया? इन प्रमाणों से उनकी मनोवृत्ति का साफ पता चलता है। साम्प्रदायिकता सरकार का सबसे बड़ा अस्त्र है और वह आखिर दम तक इसे हाथ में न छोड़ेगी। इस विषय में मि० ब्रेल्सफोर्ड ने बहुत ही सफाई के साथ कहा है—

“सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर के उस विरोध-सूचक नोट का जो उन्होंने गोलमेज सभा के सम्मुख रखा है, यह आशय है कि कोई स्वाभिमानी भारतीय इस व्यवस्था को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार करने का साहस न करेगा। भारतीय जिम्मेदारी अभी तक केवल एक शब्द जाल है। भ्रम को दिल से निकाल डालना ही

अच्छा है। अगर हम भारत के नेताओं को कैद करना बन्द कर दे, तब भी भारत इस स्वर्ग को स्वीकार न करेगा।”

सर लियाकत हयातखाँ ने अपने बयान में कहा है कि साम्प्रदायिक निर्णय में कोई कमी-बेशी होने की संभावना नहीं है। इसका अर्थ इसके सिवा और क्या है कि अवसर पड़ने पर जिस परिवर्तन से अपनी नीति सफल होती जान पड़ेगी, उसे स्वीकार कर लिया जायगा, लेकिन अपनी नीति के विरुद्ध कोई परिवर्तन स्वीकृत न होगा। और वह नीति क्या है? इसे सारा भारत समझता है।

२३ जनवरी १९३३

भारत अपना निर्णय खुद करेगा

श्री बर्नार्ड शा ससार के प्रसिद्ध विचारक और साहित्यकार हैं। शायद उनसे ज्यादा सर्वप्रसिद्ध पुरुष इस समय ससार में नहीं हैं। हैं चार्ल्स चेपलिन भी मशहूर, लेकिन उसकी गणना विचारकों में नहीं है। श्रीबर्नार्ड शा भ्रमण के इरादे से भारत आये हैं, लेकिन दो एक दिन बम्बई में जहाज पर ही रहकर उनका विचार कोलम्बो चले जाने का है। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष के विचार भारत के विषय में क्या है यह हम सभी जानना चाहते हैं। आपकी स्पष्टवादिता ससार प्रसिद्ध है। आप बेलाग बात कहते हैं और कड़वे से कड़वे सत्य को प्रकट करने में भी नहीं हिचकते, लेकिन उनकी वाणी और ब्यक्तित्व में ऐसा जादू है कि उनके मुँह से कड़वी बातें सुनकर भी लोग आनन्दित होते हैं, उनके घूसे और थप्पड़ खाकर भी हँसते हैं। आपने फ्रीप्रेस के प्रतिनिधि से भारत के विषय में जो कुछ कहा वह हममें से बहुतों की आँखें खोल देगा। भारत की समस्या पर आपने फरमाया—

“भारत के मामले भारतीयों द्वारा ही तय होंगे, विदेशियों द्वारा नहीं। भारत किसी दूसरे के प्रयत्नों से विजयी न होगा। यदि आप की ब्रिटिश सरकार के साथ में लड़ाई हो रही है तो आप को यह आशा न रखनी चाहिए कि मानव-प्रेम के उमंग में आकर फ्रांस, जर्मनी, स्केडिनेविया या अमेरिका दौड़ पड़ेगा और आप की मदद करेगा। आप की मदद के लिए कोई उँगली तक न उठावेगा। आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं।”

इस विषय में भारत को कभी भ्रम नहीं हुआ। हाँ, आफत का मारा आदमी कभी-कभी जान-बूझकर ऐसों से आशा करने लगता है। जिनसे उसे आशा की दूरतम संभावना भी नहीं होती, लेकिन जापान-चीन समस्या पर प्रमुख राष्ट्रों की उदासीनता

देखकर भारत को जो भ्रम हो रहा था वह पूरी तरह मिट चुका है ।

इंग्लैंड और भारत के भावी सम्बन्ध के बारे में श्री बर्नार्ड शा ने कहा—

“इंग्लैंड ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ही छोटा अंग है और समय आवेगा जब इंग्लैंड स्वयं भारत से पृथक् होना चाहेगा । जब आपका अपना राज हो जायगा तब आपको सार्वजनिक भाषण करना जुर्म करार देना चाहिए, जिसकी सजा फाँसी हो । आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अपने राज्य का संगठन कर लेते हैं तब बातें करने के लिए समय नहीं होना चाहिए ।”

इससे तो भारत के वाक्प-धुरंधरों को बड़ी निराशा होगी । संसार में इस सार्वजनिक भाषण ने जितना उपद्रव किया है उतना शायद और किसी बात ने न किया होगा । यह इसी सार्वजनिक भाषण का नतीजा है कि आज केवल वाक् चातुरी पर अधिकार और नेतृत्व का आधार है । जो वाणी-कुशल है वह चाहे कितना ही स्वार्थी, दंभी हो, पर राष्ट्र का नेता बन जाता है । संसार ने स्वीकार कर लिया है कि जो बातों का शेर है वह कामों का भी शेर है, हालाँकि इन दोनों का संयोग बहुत कम होता है ।

हमें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि महामना मालवीय जी ने श्रीबर्नार्ड शा को काशी आने का निमंत्रण दिया है ।

२३ जनवरी १९३३

तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट

तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । इस “जेबी कमेटी” की कार्रवाई के ऊपर हम कई बार लिख चुके हैं । हमी नहीं, सारा भारत एक स्वर से इसकी निर्जीवता, निरर्थकता तथा निश्चेष्टता पर अपना मर्सिया पढ़ चुका है ; अतः कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ लिखना केवल पुरानी बातों को दुहराना होगा । फिर भी, इसकी “कतिपय आवश्यक” साथ ही हास्यास्पद बातों की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना उचित होगा ।

घने अक्षरों में २०४ पृष्ठों की छपी इस रिपोर्ट में २४ दिसम्बर की आखीरकी बैठक की पूरी कार्रवाई के साथ अन्य दिनों की संचिप्त कार्रवाई दी गयी है और साथ में २२ याददाशतें भी हैं । रिपोर्ट ने पहला विचारणीय विषय लोथियन कमेटी की मताधिकार रिपोर्ट रखा है और इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव प्रत्यक्ष तथा राज्यपरिषद् का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा । केन्द्रीय कौंसिल में सदस्य-संख्या ३०० हो या ४०० हो—यह अभी विचाराधीन ही रखा गया है । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्या नियम होगा, यह स्पष्टतः

निश्चित नहीं है। पर, इतना निश्चित है कि केन्द्रीय सरकार केवल शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप कर सकती है।

लोथियन कमेटी की रिपोर्ट से बहुतांश को बेहद असन्तोष है। इस कमेटी ने भारतीयों को नागरिकता के ज्ञान से इतना शून्य समझा है, उसने हमारे यहाँ की निर्वाचक-सूची को, मताधिकार के अधिकार को, वोट देनेवाली संख्या को इतना संकुचित, इतनी छोटी और ऐसी अप्रतिनिधि-पूर्ण कर दिया है कि हमें यह कहते लज्जा-सी आती है कि यदि भारत की भावी कौंसिलों का चुनाव पैंतीस करोड़ की आबादी में से केवल चार करोड़ ही लोग कर पावेंगे तो वे कौंसिलें हमारी नागरिकता की जीती-जागती बेइज्जती की पुतलियाँ बनी रहेंगी। “जेबी कमेटी” ने हरेक बालिग भारतीय को मताधिकार क्यों नहीं दिया, यह समझ में नहीं आता। अगर ये कौंसिलें हरेक बालिग के वोट से बनकर तैयार होतीं तो किसका लाभ ही विशेष होता? कौंसिलों को एकदम निर्जीव कर देने की काफ़ी गुंजायश कर दी गयी है।

दूसरा प्रश्न है प्रान्तीय प्रबन्ध में केन्द्रीय हस्तक्षेप का, हम इसे सर्वथा वैध समझते हैं कि हरेक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय शासन में दस्तन्दोजी कर सकती है, किन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अमुक प्रान्तीय कार्य शान्ति और व्यवस्था के प्रतिकूल है? “शान्ति और व्यवस्था” के नाम पर भारत की केन्द्रीय सरकार ऐसा काम करती आयी है, जिससे हमें इन शब्दों की शब्द कोष में ही नयी परिभाषा देखनी पड़ती है, अतएव, यदि गवर्नर जनरल को स्वच्छन्द अधिकार इतने अधिक मिलनेवाले हैं, तो वैसी परिस्थिति में इस प्रकार का “गोल” अधिकार हरेक प्रान्त की उन्नति में बड़ा बाधक हो सकता है। यदि इसी के साथ, यह भी नियम होता कि “गवर्नर जनरल हरेक प्रान्त के उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकेंगे, जिसको उनका मंत्रि-मण्डल बहुमत से शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करनेवाला समझेगा।”—तो हमें सन्तोष होता। राज परिषद् का रखना भी तय हो गया है और चूँकि हम नये शासन-विधान में कौंसिलों को एकदम निर्जीव समझते हैं, अतएव राज परिषद् रहे या न रहे, दोनों ही दशा बराबर हैं।

सब कुछ निर्भर करता है गवर्नर जनरल के अधिकार तथा मंत्रियों की शक्ति पर। अब यहाँ पर यह जानना रोचक होगा कि मंत्रिगण क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को रक्षित विभाग में सेना, विदेशी विषय तथा धर्म के मामलों में सलाह देने का अधिकार होगा। अब ज़रा गवर्नर की जिम्मेदारियाँ देखिये—१—भारत या उसके किसी भाग को शान्ति भंग की नाजुक अवस्था आने पर उसे रोकना। २—अल्प-संख्यकों की रक्षा। ३—सरकारी नौकरों के हक व अधिकारों की रक्षा। ४—शासन-सम्बन्धी रक्षित विषय। ५—रियासतों के अधिकारों की रक्षा। ६—व्यापार सम्बन्धी भेदभाव की रूकावट।

मन्त्रिमण्डल की राय के बिना ही वह निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं—

१—व्यवस्थापक मण्डल को भंग करना, बुलाना या उसका कार्यक्रम तय करना ।
२—कानून की स्वीकृति देना या न देना या कानून के विषय में ब्रिटिश सरकार को सूचित करने के लिए स्वीकृति को रोक रखना ।

३—खास बिलो को पेश करने की मंजूरी देना ।

४—आवश्यकता होने पर साधारण समय में बड़ी कौंसिलों का संयुक्त अधिवेशन करना ।

५—नाजुक हालत में कौंसिल के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना ।

६—केन्द्रीय कौंसिलों के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना ।

७—इन्हीं के लिए नियम भी बनाना ।

८—कौंसिलों की बैठक न होने के समय, मंत्रियों की सलाह से आर्डिनेंस बनाना ।

अस्तु, दो लाख रुपया खर्चकर, जिस “जेबी गोलमेज़” की बैठक हुई थी, उसकी रिपोर्ट का यही साराश है । इस पर विशेष टीका करना व्यर्थ है । गवर्नर जनरल के अधिकार इतने व्यापक हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौंसिल और मंत्रियों का मर्ज ही क्यों पाला जा रहा है । “व्यापारिक भेदभाव” ऐसे अधिकारों से गवर्नर जनरल स्वदेशी कारोबार की भी, अगर वे चाहे तो वृद्धि तक को रोक ही सकते हैं । कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पर गवर्नर जनरल का नियन्त्रण न हो और यदि इतने नियन्त्रणों से हमको “प्रजातंत्र” या “स्वराज्य” मिल रहा है तो यह कहना होगा कि इन “विशेषाधिकारों” में दोनों का दम घुट जावेगा ।

६ फरवरी १९३३

नये-नये सूबों की सनक

अंग्रेजों के आने के पहले भारत में बहुत-से छोटे-छोटे स्वाधीन राज्य थे, जो आपस में बराबर लड़ते रहते थे । ये राज्य भाषा या जाति की एकता के कारण नहीं प्रादुर्भूत हुए थे । जो बलवान था, उसने दूसरे राज्यों के इलाके दबाकर अपने राज्य में मिला लिये । जैसे योरप में नेपोलियन की महत्वाकांक्षा थी कि योरप के राष्ट्रों को परास्त करके एक बलवान केन्द्रीय शासन के अधीन कर दिया जाय, उसी भाँति भारत में केन्द्रीयता और प्रान्तीयता में हमेशा संघर्ष होता रहा । अशोक और चन्द्रगुप्त से पहले भी बड़े-बड़े महीपो ने चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की चेष्टा की । मुगल, मरहटे, सिक्ख सभी ने प्रांतीयता को दबाने का प्रयत्न किया । जब तक केन्द्रीय शासन के हाथों में शक्ति थी, प्रांतीयता दबी रही ; लेकिन केन्द्र के शक्तिहीन होते ही प्रांतों ने स्वाधीनता

के भंडे उडाना शुरू किये और राष्ट्रीयता की भावना ही गायब हो गयी। अंग्रेजों के राज-विस्तार ने राष्ट्र-भावना की सृष्टि की और भारत को एक शक्तिशाली, सुव्यवस्थित राष्ट्र बनाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। किसी एक भारतीय ऋद्धे के नीचे सम्पूर्ण देश को जमा करना असाध्य था। एक दूसरे से सशक्त था, उसी तरह, जैसे आज योरोपीय राष्ट्रों की दशा है। अंग्रेजों से उन्हें वशगत या जातिगत द्वेष न था, उनसे पुराने अपमान के बदले न चुकाने थे, अतएव ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जिन्होंने अंग्रेजों का हृदय से स्वागत किया और अंग्रेजों की सफलता के अन्य कारणों में यह भी एक कारण हो सकता है। देश में जो विचारवान थे, वे आपस की ईर्ष्या और विद्वेष से तंग आ गये थे और शक्ति को किसी दाम पर भी लेने को तैयार थे। केन्द्रीय शक्ति के सिवा इन स्वाधीन राजों को काबू में रखने का और कोई साधन न था। बहुत दिनों के बाद भारत को केन्द्रीय शासन का अवसर मिला और उसका शुभ फल यह हुआ कि देश में राष्ट्र-भावना का विकास होने लगा और दिन-दिन उसका प्रसार होता जा रहा है।

लेकिन इधर कुछ दिनों से फिर प्रातीयता का भाव जोर पकड़ने लगा है। कही प्रतिद्वन्द्विता के वशीभूत होकर, कही निकट स्वार्थ के कारण और कही ऐतिहासिक आधार लेकर नये-नये सूबे की माँग की जा रही है। बिहार और सीमाप्रांत को पृथक हुए, अर्सा हुआ, अब सिंध और उड़ीसा पृथक होने के लिए जोर मार रहे हैं। आंध्र प्रांत भी पृथक होना चाहता है। दिल्ली से भी पृथक प्रांत बनाये जाने का आन्दोलन शुरू हो गया है, पर इन नये उम्मेदवारों में एक भी ऐसा नहीं, जो नये प्रांत की आर्थिक जिम्मेदारियाँ उठा सके। नये-नये प्रान्तों से नये-नये नगरों का विकास होता है, काउंसिलों में ज्यादा आदमियों के लिए जगह निकल आती है, नये हाईकोर्ट में ज्यादा वकीलों की खपत हो सकती है। यह सब सही है, पर रुपये किसके घर से आये ? यह उम्मेदवार स्वयं इसे स्वीकार करते हैं कि वह नये कर अंगीकार करने को तैयार नहीं हैं। हर नये प्रांत के खर्च का तखमीना लगभग दो करोड़ सालाना होता है। दिल्ली या उड़ीसा या सिंधा निकट भविष्य में यह खर्च उठा सकेंगे, इसकी कोई आशा नहीं है। नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि दूसरे सूबों से उनकी सहायता की जाय। फौज के या दूसरे राजकीय मदों में किसी तरह की कमी की गुजाइश नहीं है। नये कर लगाये नहीं जा सकते, तो फिर यह सूबे कैसे बने ?

खर्च को छोड़िए। प्रातीयता की मनोवृत्ति राष्ट्रीय मनोवृत्ति की विरोधिनी है। वह हमारे मन में सकीर्णता का भाव उत्पन्न करती है और हमें किसी प्रश्न पर सामूहिक दृष्टि डालने के अयोग्य बना देती है। और इतिहास कह रहा है कि इसी सकीर्ण मनोवृत्ति ने भारत को पराधीन बनाया। दो सदियों की पराधीनता ने हम में ऐक्य का जो भाव जगाया है, वह इस बढ़ती हुई प्रातीयता के सामने कौन दिन ठहर सकेगा ?

नये प्रान्तों की रचना का एक ही उज्र हो सकता है, अर्थात्—उनसे नये प्रान्तों के विकास और उन्नति की चाल तेज हो जाय, मगर इसकी कोई संभावना नहीं क्योंकि ये नये उम्मेदवार केन्द्रीय सहायता के बल पर ही अपने किले बना रहे हैं। यह आशा करना कि केन्द्र से उन्हें इतनी प्रचुर सहायता मिल जायगी कि वे शिक्षा, व्यवसाय, कृषि आदि विभागों की कार्यापलट कर सकेंगे, दुराशा मात्र है। गवर्नरों और मिनिस्ट्रों के बढ जाने से ही तो कोई नयी जाग्रति न उत्पन्न हो जायगी। ये संस्थाएँ विवश होकर अपने को जीवित रखने के लिए, या तो प्रजा पर विशेष कर लगायेंगी, या इन विभागों की ओर से उदासीन हो जायेंगी, नतीजा यही होगा कि प्रजा की दशा में तो कोई अन्नर न होगा—या वह और भी बदतर हो जायगी—केवल गर्दन में जुआ और भारी हो जायगा। किसी नये विधान को प्रजाहित की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर यह अर्थ नहीं सिद्ध होता, तो उससे कोई लाभ नहीं। पहले प्रान्तों में मिनिस्टर न थे, कार्ट-सिलो का यह रूप न था। नये विधान ने यह सारा आडम्बर जनता के सिर पर लाद दिया, पर उससे जनता का क्या हित हुआ? हमारी आर्थिक दशा में क्या उन्नति हुई? प्रजा की दशा अब भी वही है, जो इन विधानों के पहले थी। केवल अधिकारियों की सख्या बढ गयी। तात्पर्य यह है कि हमें यथासाध्य प्रातीयता को दबाना चाहिए, जो अब भी हमारी एकता में बाधक हो रही है।

दिसम्बर १९३२

१९३२

जगत की यह समूची माया आशा की भित्ति पर टिकी हुई है। दरिद्रता की घोर यातना सहता हुआ जीव जीता है, इस आशा पर कि कभी तो उसकी हालत सुधरेगी, और इसी प्रकार आशा करता हुआ वह जगत के उस पार तक चला जाता है। धन के मद में प्रमत्त, मान की सरिता में बहता हुआ अपने धन मान से अघा कर, पशु की तरह जीवन बिताता रहता है, इस आशा में कि शान्ति की कोई भी मात्रा उसे कभी मिल जावेगी। हम हिन्दुओं ने "आशा" को "कर्म-भोग" का ऐसा रूप दे दिया है, कि वैधव्य की यातना सहती हुई विधवा भी अपने अगले जीवन के सुख की कल्पना कर प्रसन्न होने की चेष्टा करती है।

जब आशा हमारे स्वभाव का एक अंग है, तब सदैव आगे की ओर टकटकी लगाये रहना बडा सुखद होता है। ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है, बीते हुए काल का दुःख आनेवाले समय की अच्छाई की आशा से भूल जाता है। वर्ष पर वर्ष बीता जा रहा है। युग पर युग बीत गये। अतीत की कहानी इतिहास के पन्नों में सड रही है, वर्त-

मान की कथा तो हमारे हाड़-भास से चिमटी हुई, हमे अक्षर-अक्षर याद है। धीरे-धीरे करके ईसाई-साल के १९३१ वर्ष बीत गये। एक हजार नौ सौ बत्तीस वर्ष के पहले की बात है, जब दीनता के दास, सत्याग्रह की मूर्ति, अहिंसा के अवतार ईसा ने मनुष्यता की सेवा में अपना प्राण अर्पण कर दिया था। उसी महापुरुष को अमर बनाने के लिए ईसवी सन् चला था। पता नहीं इससे वह महापुरुष कहां तक अमर हो सका। कम से कम, उसके नाम के साल ज्यो-ज्यो बूढे होते जाते हैं, उसके नाम का जादू दूर होता-सा नज़र आता है। जो ईसा के जितने ही पक्के हिमायती हैं, वे उतने ही लोलुप, उतने ही अनाचारी और पराये वैभव के शत्रु हैं। अब दूसरे का सत्यानाश उनके लिए कौतुक है और एक के बाद दूसरा वर्ष इसी सत्यानाशो कौतुक का चलचित्र है।

१९३२, वह चला गया। जब १९३१ गया था, हमने, जगत-भर ने, यह आशा प्रकट की थी, कि मुसीबतों का, आर्थिक सकटों का वह वर्ष समाप्त हो गया। आशा की गयी थी, कि १९३२ में सम्यता का जी हल्का हो सकेगा। दुनिया की आर्थिक दुर-वस्था सुधरेगी। पैसे की बाज़ार में जो आँख आ गयी है, वह आर्थिक सम्मेलनों की दवा से सुधर कर अच्छी हो जावेगी, पर १९३१ में हम जितने सुखी थे, आज उससे और भी दूर है। हर साल सुख की आशा करते बीत जाता है।

इस साल दुनिया का अर्थ सकट ज्यो का त्यो रहा। जर्मनी की हालत और भी गिर गयी। उसके विरोधो फ्रांस ने उसके बाज़ार को पंगु कर रखा है, इसलिए कि वह धनी होकर फिर लडाई न करे, पर उलटा फल यह हुआ कि जर्मनी ने अपनी दरिद्रता की दुहाई देकर लडाई के बाद लाये गये अन्याय-युक्त हरजाने में एक पाई भी देना कबूल न किया। फ्रांस और ब्रिटेन इत्यादि यही रूपया लेकर अमेरिका का कर्जा चुकाते हैं। १९३१ में सब की प्रार्थना पर अमेरिकन राष्ट्रपति हूवर ने एक वर्ष की मुहलत दी थी। १९३२ में फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने फिर अमेरिका से मुहलत माँगी, किन्तु अमेरिका का व्यापार भी एकदम चौपट हो गया है। सोने की लालच से फ्रांस तथा अमेरिका ने दुनिया का तीन-चौथाई सोना अपने यहाँ खींच लिया है। राज्यों का लेन-देन सोने में होता है। सोने की कमी से व्यापार का पलड़ा उलट गया। अमेरिका सोना लेकर चाटता रह गया। उसके व्यापार में यकायक रूपया आता है—जाता है। कुछ महीने में ही पचासो बैंक उलट गये, ३१५ करोड़पतियों से घटकर ७५ ही रह गये। उसमें दम कहाँ कि कर्जों की रकम छोड़े। उसने प्रार्थना नामंजूर कर दी। ब्रिटेन, फ्रांस ने अपना अर्थ सन्हालने के लिए अपने प्राचीनो पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। भारत से एक अरब का सोना ब्रिटेन खिंच गया। जहाँ सोना पैदा होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी बाहर सोना भेजना बन्द कर दिया, पर भारत का सोना ब्रिटेन की बाज़ार में चला गया। ब्रिटेन का सोना वहाँ तालों में बन्द है। फ्रांस में भी, इसी अर्थ के कारण दो मंत्रि-मंडल बन-बिगड़ चुके हैं।

गणतन्त्रशासन जर्मनी पर लादा गया था—समर के बाद । जर्मनी उसके लिए उत्सुक भी होता तो भी हार के बाद मिली चीज से घृणा होती है । इसीलिए जर्मनी में बड़े उथल-पुथल होते हैं । दुखी राष्ट्र हरेक नेता को अपना असली रक्षक समझकर उसी के भुलावे में पड़ जाता है । पहले डा० ब्रूनिंग बड़े प्रिय थे, पर हरजाना-समस्या न सुलझा सकने के कारण वे विस्मृति गर्भ में गये । हिटलर ने उनका स्थान लेना चाहा, पर इस साल जर्मनी ने जून के महीने में हिटलर को जहाँ बहुत ऊँचा स्थान दिया, वही नवम्बर के चुनाव में हिटलर को गिरा दिया । हिन्डेनबर्ग राष्ट्रपति बने रहे । यह जर्मन स्वभाव की दृढ़ता तथा प्राचीनता का प्रेम फल ! , पर वान पापेन की सरकार बनी और बिगड़ी, जर्मन-अव्यवस्था ज्यों की त्यों है । १९३१ में ३२ को तुलना में कही दृढ़ सरकार थी ।

चीन बेचारा इस वर्ष भी पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक पिसा । जापान ने जापानी माल के बहिष्कार के कारण क्रुद्ध होकर चीन के शघाई नामक उन्नत स्थान पर तटस्थ भाग में सेना सजायी, थापाई में भीषण नर-संहार किया । पर जाग्रत चीन के थप्पड़ों से हार कर सुलह भी कर ली । एक ओर की हार की कसर भी निकाल ली । वर्षों का षड्यंत्र सफल हुआ । मंचूरिया उसने हडप लिया ।

राष्ट्र-परिषद् ताकती रह गयी । सभी राष्ट्र चिल्लाते रह गये । जापान निगल गया—और इस वर्ष इस नीचता के विरोध में चीनी आयेदिन जान दे रहे हैं । राष्ट्र-परिषद् के जाँच-कमीशन की रिपोर्ट पडी सड़ रही है । राष्ट्र-परिषद् ने तो जेनेवा में निरस्त्रीकरण के लिए, इसी साल दो सम्मेलन कराये, पर जर्मनी की इस जायज माँग पर कि उसे सबके बराबर सेना रखने का हक दिया जावे या सब उसके बराबर सेना घटायें, सबकी नीयत का पर्दा फाश हो गया । जेनेवा में इस वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होनेवाला था, पर गत वर्षों से अधिक कलह ही हुआ ।

अफगानिस्तान में सरकारी अत्याचार ज्यों का त्यों हैं । तुर्किस्तान हर महीने उन्नति कर रहा है । ईराक ने अपना स्वत्व यहाँ तक पहचाना है कि उसके तेल के स्रोतों पर ब्रिटेनवाले जो जबर्दस्ती अधिकार किये बैठे थे, वह छीन लिया गया । फ़िलीपीन्स को दस वर्ष बाद आजादी मिलने का वादा अमेरिका ने किया है । सीलोन में इस साल सें ऐंसा शासन-विधान ब्रिटेन ने चलाया है जिसे वहाँ कोई नहीं चाहता ।

अभाग्य भारत की बात क्या कहिये । ज्यों-ज्यों समय ढलता है, हमारे वैभव की सन्ध्या निकट आती जाती है । विदेशी सम्मता के प्रहार से पुरुषों का पुरुषत्व अपने ही दलितो-पतितों के साथ अत्याचार करने में व्यय हो रहा है ; दरिद्रता में सूखकर नब्बे प्रतिशत भारतीय ककाल हो रहे हैं , स्त्रियाँ बच्चा पैदा करती हैं और उन्हें भी अकाल मार कर मर जाती हैं । विदेशी शासन से भारत का क्या भला होगा, जब

जहाँ के लिए यह स्वदेशी शासन है, वही की प्रजा विपत्ति से कराह रही है। ३१ दिसम्बर १९३१ को गाँधीजी ने वाइसराय लार्ड विलिंगडन से मिलने की अनुमति माँगी थी ताकि वे सत्याग्रह की उमड़ती आँधी को रोक सके। वाइसराय ने अर्जी नामजूर ही नहीं की, अर्जोर्दी को गिरफ्तार भी कर लिया। बस, उसी समय से, कुछ तो काँग्रेस की जल्दबाजी, दूसरे नौकरशाही की जडता से सत्याग्रह का वेग, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार तथा दमन का जो भयकर प्रवाह चला है, उस पर कुछ लिखना दोनों ओर से बुरा बनना है। काँग्रेस ने भी यदि चाहा होता तो लडाईं थम सकती थी, सरकार भी यदि चाहती तो लडाईं न होती, या होती भी तो कभी की सुलह हो गयी होती। सरकार शायद स्वयं सुलह नहीं चाहती, क्योंकि उसने सर तेजबहादुर सप्रू तथा जयकर ऐसे सुलह के हिमायतियों को भी गाँधी जी से बातचीत करने की मनाही कर दी। वह ऐसी आत्मा से पूर्ण पराजय की कामना करती है, जो अपने को, अपनी आत्मा को अजेय समझता है। सर सेमुएल होर ने कहा है कि “काँग्रेस से किसी प्रकार के समझौते की बातचीत तो हो ही नहीं सकती।” अगर काँग्रेस भी वही कहेगी तो क्या होगा ?

अस्तु, सरकारी दमन विरोध में गोलमेज के लिए नियुक्त मशिवरा देनेवाली कमेटी से सर तेज और श्रीजयकर ने त्यागपत्र देकर उसे निर्जिव बना डाला। लोथियन कमेटी मताधिकार की जाँच के लिए आयी और बिना सार्वजनिक सहानुभूति, सहायता या समर्थन पाये—अपने काम का तमाशा कर चली गयी। प्रधानमंत्री ने अपना “साम्प्रदायिक निरर्थक” सुनाया, जिससे कोई भी प्रसन्न न हो सका। भीख माँग कर पद के लोभी मुसलमान और भी माँगने लगे। हिन्दू समुदाय को जो तमाशा-सा हक भी मिला वह हरिजनो को उनसे अलग कर और भी भद्दा कर दिया गया। इसी के फल-स्वरूप महात्माजी का इतिहास-प्रसिद्ध अनशन शुरू हुआ। इसने देश-भर में ही नहीं दुनिया में आग लगा दी। कुछ दिन बड़ी द्विविधा में बीते। पूना-पैक्ट ने गाँधीजी को जीवन प्रदान किया, हिन्दू समाज को ऐक्य तथा हरिजनो के प्रति देश में अनूठा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। जड तथा मूर्ख सनातनो चाहे जितना रोके, यह आन्दोलन मर नहीं सकता। हाँ, १९३१ में गुरुवयूर-मदिर की समस्या हल न हो सकी। यही भेट, जिसके पीछे महात्माजी पुनः अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, १९३३ में मिलती है। इसी वर्ष दो बार अपना ताएडब-नृत्य कर काले कानून अब अस्थायी पिशाच के रूप में कानून बन कर हमें ग्रसने के लिए तत्पर है।

लन्दन में तीसरी गोलमेज का तमाशा हुआ, जिसमें कुछ ऐसे ही सदस्य बुलाये गये जो शरीफ बच्चे समझे गये। तीसरी गोलमेज का अभिनय खतम भी हो गया। शरीफ बच्चे भी उससे प्रसन्न न हुए। सर तेजबहादुर सप्रू, जयकर, सर चिमनलाल सीतलवाद और श्री माननीय शास्त्री भी उसकी विफलता की घोषणा कर रहे हैं।

एक से एक बढ़कर विभूतियाँ भी काल की भेंट चढ़ायी गयीं। सर सी० पी० स्काट, मि० लिटन स्ट्रैची, महारानी सुनीति देवी (कूच-बिहार), सर बी० एन० शर्मा, मि० के० वी० रंगस्वामी ऐयंगर, सर दोराबताता, सर अलीइमाम, श्री विपिन चन्द्र पाल, पं० पद्म सिंह शर्मा, श्रीजगन्नाथदास रत्नाकर ऐसे रत्न लुट गये। शायद भारत ने ही इस दिशा में भी सबसे अधिक हानि उठायी।

अस्तु, यह वर्ष असफलताओं का वर्ष रहा। जिसने जो किया, असफल रहा, चाहे वह काँग्रेस का आन्दोलन, सरकार का दमन, निरस्त्रीकरण-सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन ही क्यों न हो। १९३२ अपनी सम्पूर्ण असफलता और अशान्ति इस नये वर्ष के जिम्मे छोड़ गया है। आओ १९३३, तुम अपनी समस्याओं से संघर्ष करो।

जनवरी १९३३

काले कानूनों का व्यवहार

एसेम्बली में काले कानूनों के पास होते देर नहीं लगी कि उनका अमलदरामद शुरू हो गया। सबसे पहले बिहार प्रांतीय सरकार ने कदम उठाया है और एक विज्ञप्ति द्वारा उसे बिहार में लागू कर दिया। बम्बई सरकार भी पीछे नहीं रही। उसने बम्बई, कराची, अहमदाबाद, खांदेश, रत्नागिरी आदि स्थानों में उसे जारी कर दिया। सीमा-प्रान्त में भी पेशावर में उसका व्यवहार शुरू हो गया। यह आनेवाले स्वराज्य का शुभ सन्देश है।

जनवरी १९३३

क्या कटौतियों को बहाल किया जायगा ?

इधर देश से सोने का जो समुद्र बहकर विलायत चला गया, तो भारत सरकार के करों में विशेष वृद्धि हो गयी। इस वृद्धि का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि भारत की आर्थिक दशा सुधर रही है, तो फिर १० फ्री सदी कमी क्यों न बहाल कर दी जाय ? हम भी चाहते हैं कि उस कमी को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे। आमदनी का बढ़ाना तो सरकार के हाथ में है। हम उसे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे उसकी आमदनी बहुत आसानी से एक चौथाई बढ़ सकती है। जब इतनी आसानी से कर बढ़ाये जा सकते हैं तो यह घोर अन्याय है कि सरकारी ओहदेदारों की, विशेषकर ऊँचे वेतनवालों की, आमदनी में कमी की जाय ! आखिर बेचारों के बैंक एकाउन्ट में कुछ शक्ति हो रही है या नहीं !

२ जनवरी १९३३

देसी रजवाड़े

अलवर नरेश

अन्यत्र हमने बिगुल (लाहौर) के सम्पादक श्री फीरोज़चन्द का अलवर समस्या पर एक सारगर्भित लेख प्रकाशित किया है और आशा करते हैं कि पाठक लेख की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे । इस लेख में अलवर दंगे का कारण, उसके जिम्मेदार तथा 'तीसरे शरारती' के विषय में विद्वान लेखक ने जितने कारण बतलाये हैं, सभी हमें मान्य—स्वीकार हैं, तथा हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि भारत सरकार इस विषय में उतनी दृढता के साथ अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है जैसा कि चाहिए और यह इस दोष की भागी है कि देशी—रियासतों के नरेश ब्रिटिश-रियासत के शरारतियों के शिकार बन रहे हैं ।

जैसी आशा है, शायद अलवर के अंतरंग प्रबन्ध में बहुत कुछ ब्रिटिश अफसरों का हाथ हो जावे । जो लोग अलवर के विरुद्ध बलवाकर रहे थे, उन्हें तभी यह सबक मिलेगा कि गये छब्बे बनने, दूबे होकर लौटे । पर इस प्रकार के दंगों के बाद देशी रियासतों के शासन में सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है, यह हम नहीं समझ सकते । बर्मा विद्रोह के फलस्वरूप सर चार्ल्स इनिस की गवर्नरी का कार्यकाल बढ़ाया गया था । मोपला विद्रोह के बाद बम्बई सरकार में क्या हेर-फेर हुआ । और इन बलवों का और अलवर या काश्मीर के दंगों का क्या मुकाबिला ? बड़े की बात बड़े ही जाने ।

६ फरवरी १९३२

अलवर

अलवर नरेश ने इधर मेव उपद्रव के विषय में जो भाषण दिया है और उसके बाद ही अलवर में राजभक्त मेवों और उपद्रवी मेवों में जो सघर्ष हो गया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अलवर के दंगों का कारण केवल उपद्रवियों का गढ़ा हुआ षड्यन्त्र था, न कि राज्य की कोई लापरवाही या महाराज की भूल । इस विषय में जो कुछ शंकाएँ समाचार-पत्रों में फैलायी गयी हैं, उनका समुचित उत्तर देकर महाराज ने बड़ा अच्छा किया । सरकारी हस्तक्षेप के विषय में भी महाराज की दृढता की हम सराहना करते हैं । हमारी सम्मति में, इस विषय में महाराज अलवर को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए कि जिस तरह, जैसे भी, वे उपद्रव को दबावे तथा किसी प्रकार से भी ऐसा काम न करें जिससे पुनः उपद्रव होने की आशंका हो । उन्होंने लगान में

छूट और प्रायः सभी अपराधियों को क्षमा-प्रदान करने की जो सूचना निकाली है, वह आवश्यकता से अधिक कृपा नहीं है, और आशा है, इसी से उपद्रवी शान्त होने में ही अपना कल्याण समझेगे।

२७ फरवरी १९३३

महाराजा अलवर का मेमोरियल

सहयोगी "रियासत दिल्ली" को खबर मिली है कि महाराजा अलवर हिज्र मंजेस्टी के पास एक बड़ा लम्बा-चौड़ा मेमोरियल भेज रहे हैं। ४० साल तक राज-संचालन के बाद अभी आपने इतना भी अनुभव न किया कि उनके खुदा पोलिटिकल एजेन्ट है और मि० इबेटसन है। हिज्र मंजेस्टी अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखते हैं और महाराजा की खातिर से वह आज अपनी नीति न बदलेंगे।

२७ मार्च १९३३

बरार का मुआमला

मुद्दतो के बाद और लाखों खर्च करने पर हिज्र एक्जाल्टेड हाइनेस निजाम की अभिलाषा पूरी हो गयी और बरार को उनकी भेट करने पर सरकार ने रजामंदी दिखायी। मगर अब खबर है कि निजाम ने बरार को वापस लेने से इनकार कर दिया है। फायदे की तो कोई बात थी नहीं, केवल मन को समझाने की बात थी। हम खुश हैं कि ऐन वक्त पर हुजूर निजाम की सूझ-बूझ काम कर गयी और वह ऐसे सूबे को खेने को उत्सुक नहीं है जिस पर उनका नाम मात्र का अधिकार रहेगा। बरारवाले इस तबादले से खुश न थे। अब वे भी निजाम के यश गावेंगे।

२७ मार्च १९३३

अलवर नरेश

इधर कुछ वर्षों से हिन्दू राजाओं पर विचित्र विपत्ति छा-रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई छिपी शक्ति इनके राज्य में विप्लव तथा हलचल मचाकर, धीरे-धीरे

इन्हें चौपट करने पर तुली है। और अभी तक, ऐसे कोई लक्षण नहीं प्रकट होते जिनसे यह कहा जा सके कि इस शक्ति को, इस षडयन्त्र को किस प्रकार फोडा जाय, दख दिया जाय तथा हिन्दू राजाओं की रक्षा की जाय। काश्मीर के साथ जो घोरतम अन्याय हुआ है, उसका धाव अभी हमारे दिलों पर ताजा है कि अलवर की घटना सामने आ गयी है। इधर अलवर में जो भीषण उपद्रव हुए हैं, तथा उसे दबाने के लिए महाराज की सरकार ने जो घोर चेष्टाएँ की हैं, उसकी कहानी पूरी तरह प्रकाश नहीं पा सकी है। इसमें कोई सदेह नहीं कि महाराज अलवर में कई दोष थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि उन्होंने एक हिन्दू-राज्य को मुसलिम रियासत बना रक्खा था; पर इसमें भी कोई सदेह नहीं कि उन्होंने मेवा के विप्लव को दबाने में दृढता से काम लिया था। विप्लव को दबाने की कौसी तथा किस प्रकार की चेष्टा की गयी थी, इसकी बड़ी रोचक गाथा का भण्डाफोड, ब्रिटिश सरकार ने कहाँ तक क्या किया, उसका रहस्योद्घाटन बड़ी कौसिल के पिछले अधिवेशन में कराने का प्रयास किया गया था, पर सरकार ने बात ही टाल दी। अब यकायक उसने अलवरेंद्र से यह कहा कि या तो वे अपने राज्य में जाँच-कमीशन बैठावे, या दो वर्ष के लिए राज्य को ही छोड़ दें। जाँच-कमीशन का सामना करने के लिए इन्दौर-नरेश तथा भरतपुर नरेश से भी कहा गया था, पर दोनों ने ही इस अपमान को स्वीकार करना अनुचित समझा था। अलवरेंद्र ने भी इस माँग को नामंजूर कर उचित ही किया है। अब दो वर्ष तक दूध के घोये ब्रिटिश अफसर अलवर की दशा सुधारेंगे—जैसे काश्मीर की दशा को आजकल सुधारा जा रहा है।

भारतीय नरेशों पर भारतीय सरकार का ऐसा नियंत्रण एक ओर यह परम्परा स्थापित करता जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार देशी रियासतों में हस्तक्षेप कर सकती है—और बुरी तरह हस्तक्षेप कर सकती है। इस परम्परा के स्थापित हो जाने से, आगामी भारतीय सरकार भी उसी के अनुसार कार्य कर सकेगी—हमें इस बात की प्रसन्नता है। पर, आश्चर्य इतना ही है कि इस परम्परा का उपयोग हिन्दू राजाओं से ही क्यों हो रहा है। हिन्दू-सभा चिल्लाती हुई मरी जा रही है। पर भूपाल में हिन्दुओं की दशा की जाँच नहीं हो रही है। भखनगर रियासत के विषय में हिन्दू सभा ने जो अपील प्रकाशित की है, उसे पढ़कर खून का आँसू उतर आता है। भावनगर में एक भी सरकारी अफसर जा कर वहाँ के हिन्दुओं पर होनेवाले अत्याचार की जाँच नहीं कर आता—सरकार उस दिशा में इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है।

अस्तु, हमारे पास जो थोड़े बहुत समाचार हैं, उनसे हम विशेष नहीं लिख सकते। फिर भी, हम अलवरेंद्र के साथ सरकारी व्यवहार को हिन्दू-नरेशों पर कुठाराघात समझते हैं। यह भी संभव है कि अलवरेंद्र को यह अनुभव हो जायगा कि हिन्दुओं

के हितो की हत्या कर, उन्होने अपने राज्य को मुसलिम-राज्य बनाने का जो पाप किया था, उसका प्रायश्चित्त सामने आ गया ।

२६ मई १९३३

महाराजा अलवर का संन्यास

जिस वक्त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा अलवर को 'राजर्षि' की उपाधि प्रदान की थी, उसे इसकी क्या खबर होगी कि एक दिन ऐसा आयगा, जब महाराजा साहब को जबरन संन्यास लेना पड़ेगा। अलवर के राज्य में वर्षों से कुप्रबन्ध चला आता था। राजर्षि के खर्च का पारावार न था और राज्य की आमदनी उसके लिए पूरी न पड़ती थी। अन्धाधुन्ध कर्ज लेकर, तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियों के वेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था, प्रजा के सुख-दुख की परवा किसे थी। उसका जीवन तो केवल राजकोष की पूर्ति के लिए बना हुआ था। आग्विर पैमाना लबरेज हो गया और महाराजा साहब को संन्यास लेना पड़ा। महाराजा साहब काश्मीर के विषय में हमने सुना कि जिन दिनों काश्मीर राज्य में दंगे हो रहे थे और मुसलिम प्रजा अपने हिन्दू भाइयों के जान-माल को तबाह कर रही थी, उस समय महाराज साहब अपनी नृत्यशाला में बैठे वेश्याओं का नाच देख रहे थे। इतिहास में ऐसी मिसालें पहले भी आ चुकी हैं, 'नीरो' की कथा प्रसिद्ध है। नृत्यकला की ऐसी जबरदस्त उपासना हमारे देशी रजवाड़े ही कर सकते हैं। महाराजा अलवर के विषय में तो ऐसी कोई बात नहीं सुनने में आयी लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि जिन दिनों अलवर में पुलीस गोलियाँ चला रही थी, महाराजा साहब काशी और प्रयाग में लीडरी के मजे लूट रहे थे, और अच्छे-अच्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह वक्त था, जब राजा साहब को अलवर और मेवों के बीच में होना चाहिए था। अब वह जमाना नहीं रहा (कम से कम देशी रजवाड़ों के लिए। अंग्रेजी सरकार की बात छोड़िए) कि राजा साहब चाहे प्रजा पर कितना ही जुल्म करें, चाहे उनके कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही रेतें, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबन्ध की आज्ञा समझकर चुपचाप सहती चली जाय। जब प्रजा राजा के लिए जान देती है तो राजा भी प्रजा के लिए जान देता है। जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड़-बकरी समझता हो, उसकी प्रजा भी राजा को गोदड़ या भेड़िया ही समझती है, मगर राज का पद ही कुछ ऐसा अनर्थकारी है कि आदमी को सामने की चीज नहीं सूझती। अपनी आँखों देख रहे हैं कि जर्मनी का कैसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का क्या हाल हुआ, स्पेन

के राजा की क्या गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहाँ भागे, लेकिन फिर भी आँखें नहीं खुलती। अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है जब इन सबो का निशान दुनिया से मिट जायगा और दुनिया को इसका बिलकुल खेद न होगा।

मई १९२३

रियासतों का संरक्षण एक्ट

यह कानून एसेम्बली में अच्छे बहुमत से पास हो गया। उसी विषय पर बहस करते हुए मि० बी० दास ने एक बड़े मजे की बात कही—क्यों न सभी राजाओं को पेशन देकर अलग कर दिया जाय और राज्य का प्रबन्ध सरकार करे। हम तो समझते हैं, अगर सरकार यह प्रस्ताव करे, तो बहुत से राजे उसे मंजूर कर लेंगे। आखिर अलवर के ऋषिराज और इन्दौर के महाराज कितने आनन्द से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न ऊधो का लेना, न माधो का देना, मजे में दस-पाँच लाख सालाना पेशन लीजिए, पेरिस या लंदन में विहार कीजिए और पच्छिमी कामिनियो पर डोरे डालिए। यहाँ इस चिख-चिख में क्या रखा है। कहीं हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, कहीं जत्थे निकल रहे हैं, जान आफत में है। उस पर चारो तरफ से गालियाँ मिल रही हैं। जनता एक तरफ पैतरे बदल रही है, सरकार दूसरी तरफ आँखें दिखा रही है। इस भ्रंशट में क्यों सिर खपाइये।

१६ अप्रैल १९२४

हमारे देशी नरेशों का पतन

आजकल समाचार पत्रों में हमारे देशी नरेशों के पतन की अनेक कथाएँ पढ़ने को मिल रही हैं। ऐश-आराम से उन्हें फुरसत ही नहीं मिलती। प्रजा निर्धनता, बेकारी और करो के बोझ से बुरी तरह दबी हुई कराह रही है। राज-परिवार के आत्म-सम्मान का ध्यान रखनेवाले लोग उनके राग-रग और पतित कर्मों का विरोध कर रहे हैं, किन्तु उन महाराजाओं के कानो पर जूँ तक नहीं रेगती! वे अपने परिवार के स्पष्टवादी लोगो, और यहाँ तक कि अपनी रानियों, को भी अपने महलो में कैद कर देते हैं। ऐसी बातों की पोल न खुलने देने के लिए कोई कोशिश उठा नहीं रखते और निरंकुशता के

मद से मत्त होकर भोग-विलास और प्रजा के रक्त-शोषण में लीन हो जाते हैं ।

मध्यभारत प्रजा-परिषद् के मंत्री श्री कन्हैया लाल वैद्य ने Whither Jhabua ? नाम की पुस्तिका हमारे पास भेजी है । इस पुस्तिका में भाबुआ नरेश के काले कारनामों को प्रकट किया गया है और यह दिखलाया गया है कि भाबुआ किस ओर जा रहा है । इनके महाराजा उदयसिंह पर जो भीषण आरोप लगाये गये हैं, उन्हें निराधार नहीं माना जा सकता । एक देशी नरेश भोग-विलास और पतन की किस सीमा तक पहुँच सकता है यह बात इस पुस्तिका में सप्रमाण बतलायी गयी है । इसे पढ़कर लज्जा से सिर नीचा कर लेना पड़ता है । भाबुआ नरेश ने अपनी महारानी गौर जी को एक प्रकार से कैद-सा कर रखा है । कहा तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा साहब की कोप-दृष्टि के कारण उनका जीवन सदैव सकट में रहता है । वे उनका अपमान ही नहीं करते, उनके साथ क्रूरता का अमानुषिक व्यवहार भी करते हैं । हमें इसकी प्रसन्नता है कि महारानी ने इन बातों की शिकायत पोलिटिकल एजेण्ट को लिखकर भेजी है । उन्होंने बहुत ही करुणापूर्ण शब्दों में उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की है और यह भी उन्हें लिखा है कि उनके पतिदेव महाराजा उदयसिंह स्नायु सम्बन्धी कमजोरी से अत्यधिक पीड़ित हैं । महारानी ने जो अर्जी पोलिटिकल एजेण्ट को भेजी है, इस पुस्तिका में उसकी प्रतिलिपि दी गयी है । हम महारानी के साहस की प्रशंसा करते हैं । इधर ताज समाचारों से मालूम हुआ है कि पोलिटिकल एजेण्ट ने बड़ी सतर्कता से इस ओर ध्यान दिया है और शीघ्र कोई खास कार्रवाई होने वाली है । हमारी राय में ऐसी स्नायु-संबन्धी अत्यन्त कमजोरी से ग्रस्त और स्त्री जाति का अपमान करनेवाले क्रूर नरेश के प्रति बहुत शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ।

हम श्री कन्हैयालाल वैद्य को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी निर्भयता के साथ, भाबुआ नरेश की इन लीलाओं को प्रकाशित किया ।

जून १९३४

भाबुआ नरेश का निर्वासन

भाबुआ नरेश के खिलाफ वर्षों से आन्दोलन हो रहा था । प्रजा आपके शासन से अत्यन्त असन्तुष्ट थी । अनेक बार आपकी शिकायतें हुईं, और आप दौब-पेंच से अपने को बचाते रहे । आखिर आपके कुकर्मों का घट भर गया और इन्दौर-स्थित सेण्ट्रल इण्डिया के पोलिटिकल एजेण्ट ने आपको बुला भेजा । ता० ११ सितम्बर को सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करके आपको शासन से अलग करके अनिश्चित काल के लिए निर्वासित घोषित कर दिया गया । अब राज्य विशेषरूप से नियत एक मंत्री के हाथ में रहेगा,

जो सरकार द्वारा चुना जायगा । सरकार को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से राजा को अलग किया गया है, यदि नयी व्यवस्था से उसकी पूर्ति न हुई, प्रजा के कष्ट दूर न हुए तो परिणाम और भी दुःखदायी हो जायगा ।

सितंबर १९३४

बर्मा-सम्बन्धी निर्याय

बर्मा में कौंसिल के नवीन निर्वाचन से यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि लगातार १० वर्ष की गवर्नरी में वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स इनेस जो परिस्थिति पैदा करना चाहते थे, वह न हो सकी—यानी बर्मा की जनता आज एक स्वर से भारत से पृथक् होने के लिए तैयार नहीं है । जहाँ तक पढे-लिखे लोगो के बीच फुटमत कराने में तथा बहुत से ऐसे लोगो को खडा करा देने का सबध था, जो लन्दन में जाकर बर्मा को भारत से अलग करा देने का राग अलापे, सर चार्ल्स असाधारण रूप से सफल रहे । पर, बर्मा के भारत से अलग हो जाने से धनी तथा समृद्धिशाली और आराम कुर्सीवाले भारतीयो की विशेष हानि नहीं है । हानि उनकी है जो तेल के सोतो पर, खानो पर, चाय के खेतो में, चावल की काश्तकारी में काम करते हैं—और जिनके ये अमूल्य साधन सदा के लिए विदेशियो के हाथ में और विदेशियो के लिए सुलभ रखने का पड्यन्त्र विदेशी व्यापारिक कर रहे हैं । अतएव, जिस प्रकार, कुछ समय के लिए अद्भुत गति से चार्ल्स की कृपा से, बर्मा और लन्दन में भारत-विरोधी आन्दोलन उबल पडा था, ठीक उसी प्रकार से बर्मा लोकमत भी अद्भुत रीत्याजागृत होकर बर्मा के पृथक्करण का विरोध कर रहा है । बर्मा कौंसिल का चुनाव उसी प्रकार सकुचित दायरे में होता है तथा लोकमत को इतना कम स्थान मिलता है कि उसको भी निर्जीविता का वही सर्टिफिकेट प्राप्त है जो अभागिनी भारतीय कौंसिलो को । फिर भी, उसने सरकारी सदस्यो के कौंसिली चालो की उपेक्षा कर, आज वह अद्भुत कार्य किया है जो बर्मा ऐसे ही प्रात के लिए सम्भव था—और वह यह कि कौंसिल ने बहुमत से भारत से पृथक्करण का प्रस्ताव पास किया । दूसरे प्रस्ताव में भारत से अलग होने का हक-अधिकार स्वयं बर्मावालो के निश्चय की वस्तु घोषित किया गया ।

बर्मा को निश्चय का घातक घाव सर चार्ल्स इनेस को लन्दन में लगा होगा । उनकी गवर्नरी का कार्यकाल ही जिस उद्देश्य से बढ़ाया गया था, वह अष्ट हो गया । पर, सरकार भी अपनी बात को रँगना खूब जानती है । उसने तुरंत बर्मा कौंसिल के प्रस्तावो को दो-रुखा बतलाना शुरू किया है और लन्दन के तथा भारत के नीम-सरकारी पत्र एक स्वर में शोरकर रहे हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि लोकमत केवल

अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता है, अन्यथा भारत के साथ रहने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं है। यदि बर्मा का भावी शासन-विधान शीघ्र घोषित कर दिया जावे और बर्मा जनता को सन्तोष हो जावे कि उसे भारत से अलग रहने पर भी, कोई दुःख न झेलना होगा तो वह भारत की ममता त्याग दे। इसीलिए, अनुमानत शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार अधिकारी तौर पर यह घोषणा करनेवाली है कि भारत से बर्मा पृथक् किया जावेगा और उसका भावी शासन-विधान अमुक भित्ति पर दृढ़ होगा।

दिल्ली में व्यवस्थापक महासभा का अधिवेशन इसी अवसर पर प्रारम्भ हो रहा है और समाचार है कि सरकार की इस घोषणा की आशंका से जेबी गोलमेज के मेम्बर तथा भारत में अरब का सपना देखनेवाले मि० गज्जनवी या सर मुहम्मद याकूब तक घबड़ाये हुए हैं। उन्हें भारत की इस भयकर हानि तथा सरकार की भीषण नादानि, लोकमत की उपेक्षा, प्रजासत्ता के अनादर के प्रति बड़ा खेद और संदेह तथा क्रोध-सा हो रहा है। क्रोध का कोई कारण नहीं। प्रजा के मत की मरकार कितनी चिन्ता करती है, यह लिखने की बात नहीं है। एसेम्बली तथा कौंसिल के मेम्बर भी जरा-जरा से स्वार्थ के लिए, काठ के खिलौनों की तरह, सरकार के हाथ की पुनलियाँ बन जाया करते हैं। ओटावा बिल, आर्डिनेन्स-बिल के पास होने में मरकार को जो अद्भुत सफलता मिली थी, उसे यह कहकर नहीं भूल जाना चाहिए कि कौंसिल निर्जीव है, लोक-मत क्या करे, किन्तु साफ बात तो यह है कि सरकार चाहे वह अपनी ही क्यों न हो, सदैव अपनी नीति को सफल करने के लिए हर प्रकार की राजनीति चलेगी। यह कोई पाप नहीं है, पर हमारे प्रतिनिधि कहे जानेवाले क्यों उन बिलों के समय तटस्थ—विरोधी—अनुपस्थित थे। सच पूछो तो इन कौंसिल एसेम्बली में प्रजा के मित्र नहीं, शत्रु ही अनेक हैं, सभी स्वार्थी-नीति बर्तना चाहते हैं। ऐसी दशा में इन दुर्बल सदस्यों से बर्मा के प्रश्न पर भी प्रबल विरोध की हमें आशा नहीं। यदि विरोध होगा भी तो उसका कोई नैतिकमहत्व न होगा। बर्मा भारत से अलग हो जावेगा। भारत के हितैषी भारत का एक हाथ ही तोड़ देंगे।

इस विषय में कांग्रेसी तथा लिबरल नेता मौन रहकर ही काम चलाना चाहते हैं, यह कहकर चुप रह जाना कि हम तो बर्मा को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर इसका निर्णय बर्मा स्वयं कर ले, एक घातक मूर्खता-सी है। बर्मी यदि न चाहते हो तो हमें चाहिए कि हम उनको इसके लाभ बतलावे, अपने साथ रखने के फायदे बतलावे, आश्वासन दें तथा उन्हें समानाधिकार देने की प्रतिज्ञा करें। सरकार जब अपनी ओर से इस प्रश्न को तटस्थ होकर नहीं देखती तो हम क्यों चुप रहे। बर्मा हमारा है, भारत का है, हम बर्मा के हैं, भारत के हैं।

६ फरवरी १९३३

बर्मा का पृथक्करण

गत सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को सैगैंग मे बर्मी जनता का एक उत्साहपूर्ण सम्मेलन हुआ था । उसमे सर्व-सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए थे .

१—सम्मेलन प्रधानमंत्री की शासन-विधान की योजना को अस्वीकार करता है ।

२—सम्मेलन बर्मा के भारत से पृथक्करण का पूर्ण विरोधी है ।

३—बर्मा को पूर्ण जिम्मेदारीयुक्त शासन-विधान चाहिए ।

४—बर्मा किसी भी दशा मे व्हाइट-पेपर के आधार पर निर्मित शासन-विधान नही स्वीकार करेगा ।

इस अवसर पर डॉ० बा मा का व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली था और उसने यह स्पष्ट कर दिया कि बर्मी कभी भी भारत से पृथक् होना नहीं चाहते थे । सरकार ने इस विषय मे केवल एक आन्दोलन खड़ा कर रखा था । कौंसिल भी पृथक्करण का विरोध कर चुकी है । अब सरकार को चाहिए कि तुरन्त बर्मा को भारतीय-सघ मे शामिल करे ।

१७ अप्रैल १९३३

बर्मा की असली आवाज़

बर्मा के भारत से पृथक्करण के विरोधी बहुमत के दो प्रमुख नेता यू० चिट-हिलैंग और डॉ० बा माँ ने निम्नलिखित संदेश भारत-सचिव वाइसराय तथा बर्मा के गवर्नर के पास तार से भेजा है । इस सन्देश की भाषा इतनी स्पष्ट है, विचार इतने स्पष्ट है, तथा बातें इतने मार्के की है, कि हम नीचे उसका अविचल अनुवाद मात्र दे देते हैं । आलोचना की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । सन्देश इस प्रकार है—

‘८ मई को कामन्स सभा मे आपका यह उत्तर कि ब्रिटिश सरकार बर्मा सम्बन्धी नीति के निर्णय को उस समय तक के लिए स्थगित करती है, जब तक कि कौंसिल के विशेष अधिवेशन की कार्यवाही की सूचना ब्रिटेन मे न पहुँच जाय—देश मे घोर असन्तोष फैला रहा है । उस अधिवेशन की कार्यवाही अग्रणी है, क्योंकि जिस ढंग से अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप वाध्य हो कर पृथक्करण-विरोधी नेताओं को कार्यवाही से हाथ खींचना पडा था । इस विषय मे हम आपका ध्यान उन सन्देशों की ओर दिलाते हैं, जो हम पहले भेज चुके हैं । कौंसिल की कार्यवाही केवल पृथक्करण के समर्थक मेम्बरो के प्रस्ताव को स्वतः रद्द करा देना था । खुले तौर पर यही किया गया था और इसका यही उद्देश्य था, कि पृथक्करण का समर्थक प्रस्ताव गिर न जावे तथा विरोधी अपना प्रस्ताव पेश न कर सके ।

पृथक्करण-विरोधी दल बहस समाप्त करने का प्रस्ताव भी दो कारणों से न पेश कर सका। एक तो यह कि प्रतिपक्षियों ने बहुत सशोधन पेश कर दिये थे, दूसरे सभापति का व्यवहार तथा अधिकार प्रतिकूल प्रतीत होता था। सभा के ४४ सदस्यों के हस्ताक्षर से जो विज्ञप्ति गवर्नर के पास भेजी गयी थी, उसमें पृथक्करण-विरोधी पक्ष की जीत की निश्चितता सिद्ध होती है।'

ऊपर लिखी बातें यह साफ तौर पर सिद्ध करती हैं कि बर्मा पृथक्करण का विरोधी है और वास्तव में वह क्या चाहता है तथा प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित शर्तों के बजाय उसकी क्या मशा है। ऐसी दशा में ब्रिटिश सरकार अपनी नीति की घोषणा करने में जो विलम्ब कर रही है, वह बर्मा के स्पष्ट निर्णय को स्वीकार करने में विलम्ब करने की चेष्टा मात्र है। ऐसे कार्य से बर्मा का भाग्य और भी घपले में पड़ जायगा और उसे किसी भी प्रकार का शासन विधान न मिल सकेगा।

बर्मा-पृथक्करण विरोधी दलों की ओर से तथा बर्मा कौंसिल की ओर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ४४ मेम्बरो द्वारा समर्पित पृथक्करण विरोधी दल के प्रस्ताव को स्वीकार, पृथक्करण-विरोधी सदस्यों के बहुमत का एक प्रतिनिधि-मंडल बनाकर भारतीय सघ-शासन विधान के निर्माण में बर्मा को उतना ही अवसर दीजिए, जितना भारत को दिया जा रहा है।

इस अपील के विरोध में, बर्मा की सरकार की देखरेख में चलनेवाला मिया मिट्टू दल कोई तर्क-युक्त उत्तर नहीं दे सका है। भारत-सचिव बर्मा का स्वार्थ विशेषतः चाहते हैं, या अपने देश का, यह इस अपील पर उनके निर्णय से तय हो जायगा।

२६ मई १९३३

मार्च का बजट

मार्च बहुत ही निकट है। भारत-सरकार का आर्थिक वर्ष समाप्त होनेवाला है। सरकारी सूचनाओं के बल पर जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, यह वर्ष सरकार के लिए १९३१ की अपेक्षा कहीं सफल रहा। अपने आय-व्यय को बराबर करने के लिए सरकार ने हर तरह के उपाय किये। आय-कर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। मध्यम श्रेणी के लोग ही हरेक आर्थिक सकट में सबसे अधिक हानि उठाते हैं और इन्हीं श्रमियों की इस साल भी उसी प्रकार दुर्दशा रही। फी रुपये में तीन पाई का आय-कर कितना अधिक होता है, यह लिखना व्यर्थ है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आय-कर के महकमे से लोगों को इधर कितना कष्ट हो रहा है तथा इस महकमे को प्रजा के प्रतिबन्ध से कितना दूर रखा गया है, यह सभी को अच्छी तरह

मालूम है और इस बात को हमसे अधिक स्वयं सरकार जानती है। अस्तु इस वर्ष सरकार ने आय-कर की आमदनी बहुत बढ़ा ली है। तीन बार नया कर्ज लिया है, जिसकी सफलता का कारण व्यापार का अभाव और रुपये का बेकार पडा रहना है। सरकार ने आर्थिक कष्ट के नाम पर वस्त्र-व्यवसाय की रक्षा तथा अन्य उपयोगी कार्यों में बाहर से आनेवाले माल पर या अन्य प्रकार से "सरक्षण" की नीति अस्वीकार-सी कर दी। भारत के बाहर सोना भोजना नहीं रोका गया और इस अभागे देश का अरबों का सोना बाहर बह गया। सरकार को अपने "कस्टम्स" की आमदनी का विशेष ध्यान रहा, न कि भारत की दरिद्रता का। रेलवे तथा अन्य महकमों से लाखों आदमी निकाल दिये गये। "कमी" के नाम पर लाखों बेगुनाह गरीब वर्ष भर से भूखे मरने के लिए छोड़ दिये गये, पर मोटा वेतन पानेवालों के वेतन में नाम मात्र की कमी की गयी। काँग्रेस तथा अन्य गैर-कानूनी करार दी गयी सस्थाओं का रुपया जब्त करने से सरकार ने अच्छा द्रव्य सचय किया था और "जुमनि" के रूप में भी लाखों रुपया वसूल किया गया।

इस प्रकार सरकार का बजट समूहला मालूम होता है और सर जार्ज शुस्टर अपने आखीरवे बजट को "सफल" व्यौरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। यदि वे नवम्बर में भारत से चले गये—हालाँकि उन्हें रोकने के लिए अभी से विज्ञापन शुरू हो गया है—तो वे अपने यश को कलकित करके नहीं जाना चाहते, अर्थात् सरकारी नौकरो की तनख्वाह में १९३३ के मार्च के बाद से पिछली १० प्रतिशत कमी घटाकर ५ प्रतिशत कर दी जायगी। मद्रास-सरकार की सूचना है कि ३१ मार्च, १९३३ के बाद पूरी कमी बहाल कर दी जायगी।

हम सरकारी नौकरो को पराया नहीं समझते। वे भी हमारे भाई हैं। उनकी वृद्धि हमारी वृद्धि है। पर, हम जानना चाहते हैं कि क्या १० को भूखा मार कर एक का पेट पालना ठीक है? सरकार के बजट का लाभ कितने गरीबों की दरिद्रता के बल पर हुआ है। कितने गरीब बिना पेट भर खाये कराह रहे हैं? कितने अनाथ बच्चे दो घूँट को तरस रहे हैं? कितनी अभागिनी माताएँ सूखी पत्तियाँ भी नहीं चबा पाती, तो उनके स्तनों से दूध कैसे निचुडे? दूध की जगह रक्त निचुड आता है। पैसे के लोभ से लोग अपने शरीर का एक-एक तिनका सोना बीनकर बेचते हैं। अब कितनों के पास पीतल का लोटा-थाली भी नहीं है। ये अभागे क्या करेंगे? सरकार का बजट तो समूहला है, पर देश के एक भी अभागे की हालत सुधरी है? सरकार की समृद्धि प्रजा की समृद्धि है। उसका वैभव, प्रजा का वैभव है। उसकी श्री हरेक नागरिक और किसान के मुख पर बिखरी हुई दिखनी चाहिए, पर वहाँ चारों ओर ककाल है। व्यापार है नहीं, विलायती माल करोडों रुपये का बढ रहा है। लोग देशी रोजगार पनपा नहीं पाते। सरकार को अपनी जकात का, अपनी चुगी का, अपने बजट का ध्यान है।

मान लिया जाय, कि वह अपने ही कर्मचारियों को विश्वास-पात्र करने के लिए

उनके वेतन को ज्यो का त्यो करना चाहती है। ठीक है, पर सरकारी कर्मचारी ही प्रजा नहीं है। देश की आबादी उन्ही में नहीं है। ईश्वर कृपा से हरेक सरकारी कर्मचारी को खाने का आधार है। यदि ५ प्रतिशत कमी न भी रहे, या रहे भी, तो कुछ विशेष नहीं बनता-विगडता, पर सरकार ने १९२१-२५ के मँहगी के जमाने में सभी तनख्वाहों को काफी बढ़ा दिया। आज वेतन वही है, मँहगी नहीं है, पर, सरकार को उनकी ओर देखना चाहिए, जो दाने-दाने को तरस रहे हैं, जिनके आधार मध्यम श्रेणी के लोग थे, पर आय-कर तथा अन्य बाधाओं की चपेट से जो कगाल हो रहे हैं। सरकार के पास कुछ बचत है, तो उचित तो यह है कि वह भारतीय-वस्त्र व्यवसाय को और सरक्षण दे, इससे देशी व्यापार पनपे। खट्टर को प्रोत्साहन दे, इससे यह उद्योग फूले। अतिरिक्त आय-कर उठा ले, जिससे मध्यम श्रेणीवाले साँस ले सकें। सहोद्योगिक-संस्थाओं को, देशी-व्यवसाय को, वह उन्नत कर करोड़ों प्राणियों की जान बचा सकती है। थोड़े से प्रयास से, यदि वह चाहे तो लगान में और भी छूट की जा सकती है। एक कर्मचारी का वेतन पूरा करने से कहीं अच्छा है, एक किसान के लगान में छूट करना। जो वेतन पाता है, उसे विश्वासपात्र तथा अधिक भक्त बनाने से कहीं भला है जो वेतन नहीं पाता उसे शान्त रखने में। हम भारतीय जनता को सत्याग्रह या आन्दोलन की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, कि वह स्वयं जरा ध्यान-पूर्वक अपना कर्तव्य सोचे। इस विषय में कलकत्ता तथा बम्बई के वाणिज्य-मंडल ने सरकार के पास महत्वपूर्ण तार भेजे हैं। हरेक देश-हितैषी को इस दिशा में जमकर आन्दोलन करना चाहिए। क्या सरकार लोकमत का आदर एकदम न करेगी ?

१३ फरवरी १९३३

महात्मा जी का पत्र

बड़े लाट के नाम महात्मा जी ने जो पत्र भेजा है, उसकी पूरी नकल नहीं मिल सकी है, पर पत्र में गांधी जी ने जो कुछ लिखा होगा वह बहुत ही सोच-समझकर, इसमें सन्देह नहीं। पत्र का जो सारांश प्रकाशित हुआ है, उसमें प्रत्येक भारतीय सहमत है। यदि वायसराय यरवदा-समझौता के हस्ताक्षर करनेवालों को भारतीय लोकमत का प्रतिनिधि मानकर, उस समझौते को स्वीकार कर सकते थे, तो मन्दिर-प्रवेश के विषय में उन्हीं की राय को क्यों नहीं मानते ? उस समय सनातनी यरवदा-पैक्ट के हिमायती नहीं थे, पर अब स्थिति क्यों तथा कैसे बदल गयी है, यह हम नहीं समझ सकते। क्या वायसराय पर गांधी जी के पत्र का असर पड़ेगा ?

१३ फरवरी १९३३

राजनैतिक नेताओं की रिहाई

एसेम्बली में राजनैतिक नेताओं की रिहाई के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछे गये हैं तथा उनका जो उत्तर दिया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार एक ओर सुधार का कार्यक्रम पूरा करना चाहती है, दूसरी ओर दमन को भी कम नहीं करना चाहती। वायसराय ने एसेम्बली की कार्यवाही शुरू करते समय जो भाषण दिया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि उनको यह आशा है कि धीरे-धीरे जनता सरकारी-दमन-नीति की जरूरत को स्वीकार कर लेगी तथा वैध कार्यक्रम की आँधी में कांग्रेसवाले बहकर, वैध कार्यकर्ता हो जावेंगे। ईश्वर करे कांग्रेसवाले रचनात्मक कार्य की ओर झुके। ईश्वर करे, जैसा भी, जो कुछ भी शासन-सुधार हो, उसी को अपनाकर उसे ही सफल या असफल बना दिया जावे। कांग्रेस यदि सत्याग्रह समाप्त कर स्वयं कुछ विश्राम ले, या देश को विश्राम दे, तो भी हम प्रसन्न होंगे। पर, इसका उपाय जिद नहीं है, झगडा नहीं है, दमन नहीं है तथा कांग्रेस को नगण्य समझते रहना नहीं है। लार्ड विलिंगडन या उनकी सरकार जब तक कांग्रेस को हेय या तुच्छ या उपेक्षित समझेगी, तब तक उसे अपने आत्म-सम्मान के लिए ही सही, अपनी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना ही होगा। यदि सरकार कांग्रेस से अधिक शक्तिशालिनी है, तो उदारता ही शक्तिशाली का सबसे घातक अस्त्र होता है। वह एकबार सभी राजनैतिक बन्धियों को छोड़ क्यों नहीं देती? दमन की शक्ति उसके हाथ में है। वह जब चाहे तब उन्हें बन्द भी कर सकती है। जहाँ तक हमें मालूम है, भारतीय सरकार की राय तथा लन्दन में इस विषय में गहरा मतभेद है। जरूर बातचीत हो रही है, पर भारत-सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती। कांग्रेस भी सरकारी उदारता के सहारे अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाना अनुचित समझती है। उसकी राय क्या है, यह केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है पर सरकार भी दमन से थक गयी है, यह आये दिन की गिरफ्तारियों तथा छूट से मालूम हो जाता है। कांग्रेस भी साधन-रहित-सी होकर केवल केन्द्रीय प्रदर्शन कर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लिया करती है। अपव्यय दोनों ओर से हो रहा है, चाहे वह शक्ति का हो या धन का पर समस्या सुलझाना सरकार के हाथ है। अतः दोष उसी का अधिक है, इसमें सन्देह नहीं।

१३ फरवरी १९३३

सर तेज का मत

सर तेज बहादुर बड़े ही नर्म विचार के नेता हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की उच्छ्वलता पर कम क्रोध आता है—देर में आता है। पर, पुण्यात्मा स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू का ६ तारीख को बरसी मनाने के लिए प्रयाग में जो सर्व-दल की महती सभा होनेवाली थी, उस पर दफा १४४ लगाकर, वहा के कर्मचारियों ने उस पवित्रात्म' के प्रति बड़ा कटु अनादर-भाव प्रकट किया है। इस विषय में सर तेज ने जो यह कहा है कि—'आखिर लोकमत को त्रस्त करने की कोई सीमा होती है'—इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते।

१३ फरवरी १९३३

ह्वाइट पेपर का मसविदा

६ फरवरी को बम्बई में सभी राजनैतिक दलवालों की एक विराट् सभा हुई थी, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाद सभापति थे। उन्होंने आरम्भ में ही गोलमेज सभा द्वारा निर्धारित नवीन शासन विधान सम्बन्धी प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यद्यपि ये प्रस्ताव मौजूदा परिस्थिति से बहुत आगे ले जाते हैं फिर भी नर्म से नर्म विचारवाले सज्जनों ने जो आशा की थी, उससे भी थोड़े हैं। सध शासन तय है पर देशी राज्यों के संघ शासन में शरीक होने की शर्तें लचर हैं।

सर चिमनलाल का यह भी मत था कि गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों में भारतीय रियासतों तथा व्यापार की रक्षा भी है। जो काम मंत्री के हाथ में रहेंगे उनके विरुद्ध भी वह नियुक्त करेगा। वह आर्डिनेन्स जारी करेगा, उन्हें स्थायी कानून का रूप स्वयं दे सकेगा। सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लिमेंट भारत-सचिव और पार्लिमेंट की इच्छानुसार शासन करेंगे, उनकी नियुक्ति तक में भारतीय लोकमत की कोई पूछ न होगी। सरचरणों की इतनी भरमार है कि शासन की जिम्मेदारियाँ कुछ नहीं के बराबर हैं।

सर चिमनलाल के भाषण के अनन्तर बम्बई के भूतपूर्व अर्थ-मन्त्री सर गोविन्द प्रधान ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दिया कि आर्थिक संरक्षणों से देश की उन्नति का रास्ता ही रुक गया। गोलमेज के भूतपूर्व मेम्बर मि० एच० पी० मोदी का कहना था कि भारतीय सरकारी खर्च घटाना चाहिए और अर्थ का नियंत्रण करना चाहिए। पर, नवीन शासन-विधान में इसकी कोई उपयोगी गुजाइश नहीं है। कई वक्ताओं की यहाँ तक राय थी कि नये शासन-विधान में एक नौकर को भी अपने मन से हटा देना किसी

मन्त्री के लिए सभव न होगा ।

अंत में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि यह सभा शासन-विधान-सम्बन्धी गोलमेजी प्रस्तावों के प्रति असंतोष प्रकट करती है और उसकी राय में वे भारतीय माँगों से बहुत कम हैं । यदि उनमें आवश्यक और सन्तोषपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता तो इससे नये शासन-विधान को जारी करने में दिक्कत पैदा हो जावेगी और देश में घोर असन्तोष पैदा हो जावेगा ।

इसी प्रस्तावित शासन-विधान के विषय में बम्बई के लिबरल नेताओं तथा अन्य नर्म नेताओं की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसे इसी १२ फरवरी को, श्रीमान् सी० वाई० चिन्तामणि की अध्यक्षता में होनेवाली युक्तप्रान्तीय लिबरल-सभ ने भी स्वीकार किया है और इस “बयान” में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सर सेमुएल होर की अधिकारपूर्ण घोषणा तथा तीसरी गोलमेज से लौटे भारतीय सदस्यों से भावी शासन-विधान का बाहरी खाका मालूम हो गया है और यदि भारत का भावी शासन-विधान भारतियों के लिए सन्तोषजनक बनाना है तो उसे केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी अवश्य देना चाहिए, केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा को यह अधिकार होना चाहिए कि व्यापार, विनिमय, उद्योग आदि के विषय में अपनी इच्छानुसार नियम बनावे, संरक्षण हो, पर बहुत थोड़े हो, और भारत के हित के ही हो । पर इस विषय में अभी तक जो कुछ मालूम हो सका है, वह नर्म से नर्म भारतीय नेता की आशा से कहीं कम है ।

उस लम्बी विज्ञप्ति का इतना ही सारांश हमारे लिए पर्याप्त है । अपनी ओर से कुछ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है । सरकार स्वयं यह जानती है कि उसका प्रस्तावित शासन-विधान, जो पार्लैमेंट में पेश किये जाने के लिए “ह्लाइट पेपर” के रूप में प्रकाशित होगा, वह लोगों को पसन्द आयेगा । कई प्रमुख लिबरल तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत में फिर से “ज़ार-सत्ता” के रूप में “बाइसराय-सत्ता” आनेवाली है । पंडित नानकचन्द ने डी० ए० वी० कालेज में भावी शासन विधान पर भाषण देते हुए कहा था कि प्रस्तावित प्रान्तीय स्वराज्य से भारत में राष्ट्रीयता स्थापित न हो सकेगी । पंजाब के हिन्दुओं के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि चुपचाप बैठे रहने पर वे सदा के लिए दब जायेंगे ।

आगे चलकर पंडित जी ने कहा था कि आप महात्मा गांधी को दोष दे वा सर तेजबहादुर सप्रू को, नया शासन-विधान तो आ ही रहा है, और वह जारी भी हो ही जायेगा । वह कुछ को पहले और कुछ को बाद में पीस डालेगा । पंजाब के हिन्दू पहले पीसे जायेंगे । जिन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया था, वे सबसे पहले चिल्लायेंगे । मैं ऐसी शासन प्रणाली की बिलकुल ही सहायता नहीं करूँगा जो हिन्दुओं को मुसलमानों का और मुसलमानों को सिखों का विरोधी बनाती है ।

पंडित नानकचन्द गोलमेजी हैं । उनके लन्दन जाते समय हम उसी प्रकार उनके

विरोधी थे जितना श्री केलकर के। हमे हर्ष है कि अब उनकी भी आँख खुली है और वे गोलमेज का आडम्बर समझ गये हैं। बुराई से भी भलाई होती है। अच्छा हो, यह मतन ही बुरा हो। इससे हिन्दू और मुसलमान एक होकर आत्मनिर्णय तो सीख जायें और भीख तो न माँगा करे। हम पंडित नानकचन्द की इस राय से सहमत हैं कि—राजनीति में कोई बात तय नहीं होती। प्रत्येक दशा में परिवर्तन हो सकता है। बग-भग की नीति का, सरजान साइमन की सिफारिश तक में भी परिवर्तन तो करना ही पडा था। पर अन्त में प्रश्न यह है कि भावी शासन-विधान से हम अपनी रक्षा किम प्रकार करे।

सुना जाता है कि कलकत्ते में कांग्रेस का “जायज” अधिवेशन होनेवाला है। सरकार बार-बार कांग्रेस की ओर से इशारे का संकेत चाहती है, पर वह कभी कांग्रेस को एकत्रित होकर निश्चय करने का अवसर नहीं देती। इस समय यदि सरकार ह्वाइट पेपर को प्रकाशित कर कांग्रेस को भी उस पर विचार करने का मौका देती तो न जाने इस समय कैसा निर्णय हो जाता। हो सकता था, कि थकी कांग्रेस वैध योजना बनाती, पर सरकार ने अपने दमन से उसके लिए युद्ध की अनिवार्य दशा उत्पन्न कर रखी है। क्या वह अब भी, शासन-विधान का गहरा घाव लगाने के पहले, जनता के हित के लिए इतना भी करेगी ?

२० फरवरी १९३३

सर सेम्युएल का उत्तर

हाउस ऑफ कॉमन्स में मि० टामस विलियम्स के एक प्रश्न के उत्तर में सर सेम्युएल होर ने कहा है कि तब तक भारतीय राजनैतिक बन्धियों या महात्मा गांधी की रिहाई का प्रश्न ही नहीं हो सकता जब तक सरकार को यह उम्मेद न हो जाय कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह के पुनः प्रारम्भ होने की आशंका नहीं है। इस उत्तर से हमारी आशंका सच निकली। लन्दन की सरकार रिहाई के लिए तय्यार है, पर भारत की सरकार ने भावी विपत्ति का एक थोथा आडम्बर रच रखा है, इसी कारण लन्दन को दिल्ली के आगे सर झुकाना पडा है। भारत-सरकार यदि समझती है कि कांग्रेस-नेता खुद छूटना चाहते हैं तो वह गलती करती है। कांग्रेसी स्वयं नहीं छूटना चाहते, वे फिर जेल जाना चाहते हैं। उनको छुड़ाने के लिए हम उत्सुक हैं जो देश में शांति तथा व्यवस्था के साथ ही, वैध और परिश्रमी कार्यक्रम देखना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को न छोड़कर सरकार जनता को और भी असन्तुष्ट कर रही है। सत्याग्रह जनता करती है, और वही कांग्रेसी नेताओं को छुड़ाना चाहती है। सरकार से अधिक शायद

लिबरल सत्याग्रह के विरोधी है । सरकार इस कारण सत्याग्रह से डरती है कि उससे अराजकता की सम्भावना रहती है, और लिबरल सत्याग्रह से इस कारण डरते हैं कि उनकी लोक-प्रियता को सत्याग्रही चाट गये और वे जनता की निन्दा के पात्र बनाये जाते हैं , पर लिबरलो का भी यह विश्वास है कि राजनैतिक बन्धियों के छूटने से देश में अधिक शान्ति तथा सुख का वायुमण्डल बन जायगा । १३ फरवरी को युक्त-प्रान्तीय लिबरल-संघ ने इस आशय का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया है , पर हमारी समझ में हमारा यह सब लिखना नक्कारखाने में तूती की आवाज ही होकर रह जायगा ।

२० फरवरी १९३३

कलकत्ता काँग्रेस

कलकत्ते में काँग्रेस का अधिवेशन होना निश्चित हो चुका है । अभी तक यही तय न था कि काँग्रेस वहाँ पर होगी । अब स्थानापन्न राष्ट्रपति अण्णे ने इस विषय में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सबका संदेह दूर कर दिया है । भारत-सरकार सदा से कहती आ रही है कि राष्ट्रीय काँग्रेस नाजायज नहीं है । इसलिए अण्णे महोदय भी काँग्रेस के इस अधिवेशन को पूरे जायज ढंग से करना चाहते हैं । सरकार को स्थान इत्यादि की पूरी सूचना दे दी गयी है । यद्यपि इस काँग्रेस के प्रतिनिधियों के संबंध में आपत्तिजनक शक़ाएँ हो सकती हैं , पर यह तो निश्चित है कि काँग्रेस ने इस बार पूरे ढ़ैध रीति से काम करना शुरू किया है । इस समय देश की जैसी स्थिति है, उसे देखते हुए क्या सत्याग्रह जारी रखना चाहिए या कोई दूसरा कार्य-क्रम तैयार करना चाहिए—यही विचारणीय प्रश्न है । संभव है, काँग्रेस कोई दूसरा निर्णय करे । सरकार काँग्रेस से यही चाहती है कि वह सत्याग्रह समाप्त करे । यह तो वह भी स्वीकार करती है कि काँग्रेस कुचली नहीं जा सकती । क्या वह इस बार काँग्रेस को विचार करने का अवसर देगी ?

२७ फरवरी १९३३

एसेम्बली की अवधि

वाइसराय महोदय की घोषणा के अनुसार एसेम्बली का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया । इसका कारण यह है कि नये शासन विधान के अनुसार एसेम्बली का निर्वाचन अब नयी योजना के अनुसार कराया जावेगा । सूचना से

कुछ लोगो को इसलिए प्रसन्नता हो गयी है कि शीघ्र ही नयी शासन-योजना कार्यान्वित होगी। कुछ लोगो की यह धारणा है कि सरकार अभी तक शासन-योजना को कार्य-रूप में परणत करने की अवधि पर निश्चय नहीं कर सकती है और इसीलिए उसने एसेम्बली की अवधि बढ़ाकर, उसे अधिक जीवन प्रदान कर, प्रसन्न कर, इस प्रश्न को टाल दिया है। एसेम्बली के वे सदस्य, जिन्होंने केवल जनता के प्रतिनिधित्व के बल पर अपना विज्ञापन किया है, अपने कुचालो से जनता को, अपने निर्वाचन-क्षेत्रो को और अपने देश को कलकित किया है और जिन्हे यह आशा नहीं है कि वे फिर दूसरे निर्वाचन में चुने जावेगे वे अपने देशद्रोही कार्यों के लिए अधिक अवसर पाने से प्रसन्न है और होंगे, किन्तु जनता को सरकारी-सूचना से कई प्रकार की चिन्ता हो गयी है। एक तो यह कि काँग्रेस की उदासीनता के कारण एसेम्बली तथा कौंसिलो में द्वितीय श्रेणी के राजनीतिज्ञ और तृतीय श्रेणी के विचारक एकत्रित हो गये है। इनके हाथ से जन-हित को हमेशा धोखा उठाना पडा है। जब कभी सार्वजनिक-महत्व का प्रश्न आता है, ये सरकारी सम्मान के लोभ में फँसकर जनता के हित का सर्वनाश कर देते है। औरो की बात तो जाने दीजिए, एसेम्बली के वर्तमान सभापति श्री पण्डित जी ने भी, अपने विरोधी दल के मुखियापन का बाना त्याग कर ओटावा में शरीक होकर भारत की औद्योगिक उन्नति की कफन में कील ठोक दी थी। सरकार बार-बार अपने प्रस्तावो में इसलिए जीतती जाती है कि एसेम्बली में राष्ट्रीय दल और स्वतंत्र दल के लिए इस समय सबसे जरूरी काम आपस में लडना है। श्री गया प्रसाद सिंह की चेष्टा या श्री बी० शर्मा के प्रयास का कोई फल नहीं निकल रहा है और एसेम्बली के सदस्य आपस में लड़कर ही अपनी शक्ति का व्यय कर डालते है।

प्रान्तीय कौंसिलो की भी यही दशा है। युक्त प्रान्तीय कौंसिल को ही लीजिए। जब मि० चिन्तामणि का "एक्साइज बिल" पर संशोधन रद्द हो सकता है, मि० जे० पी० श्रीवास्तव ऐसे आदमी को मंत्री-पद से, नवाब मुहम्मद यूसुफ को मंत्री-पद के परम्परागत अधिकार से नहीं हटाया जा सकता, सरकार खुलेआम एक महत्वपूर्ण नगर के नागरिक जीवन को ही समाप्त करने की कल्पना कर सकती है और गलत या सही जो कुछ भी सरकार चाहती है करा लेती है—तो फिर ऐसी एसेम्बली और कौंसिलो का कार्यकाल बढ़ाना केवल एक उपहासास्पद और अनुचित संस्था का आडम्बर बढ़ाये रखना है। नवीन शासन-योजना में ये कौंसिल विशेष उपयोगी ही हो जावेंगी, यह हमारा तात्पर्य नहीं है। संभव है, इनका प्रभाव और भी कम हो जावे। पर उपयोगी एक वस्तु अवश्य होगी, वह होगा, प्रजा-पक्ष का बहुमत से सरकार को लोक-निन्दा का ज्ञान कराते रहना। इसीलिए सरकार इस समय यदि एसेम्बली का—साथ ही कौंसिलो का भी अन्त निकट आ रहा है—निर्वाचन करा देती है तो उसे पता चल जाता कि जनता का इस आडम्बरमय सभा पर कितना अविश्वास है। काँग्रेस पर दमन होने के

बाद केवल एसेम्बली और कौंसिल ही ऐसी सस्थाएँ रह गयी है जिसके द्वारा जनता के विरोध की, जनता के दुर्बल विरोध की आवाज उठायी जा सकती है और उस संस्था के द्वारा अपने असली विचार प्रकट करने का अवसर न देना नितान्त अनुचित है ।

यह हम जानते हैं कि जिस प्रकार दुर्ग की दीवाल से टकराकर लहरें लौट आती हैं, उसी प्रकार सरकार के द्वार से यह विरोध भी वापस आवेगा, पर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगे, यदि इस बात को स्पष्ट किये बिना ही सरकारी सूचना का मौन विरोध करेगे ।

२० मार्च १९३३

आनेवाला श्वेत पत्र

यद्यपि यह सभी जानते हैं कि आनेवाले श्वेत पत्र में क्या है, लेकिन फिर भी समस्त देश में उसको देखने की उत्सुकता है । मि० चर्चिल, सर संमुएल होर, वाइसराय आदि की वक्तृताओं से और अंग्रेजी समाचार पत्रों के अनुमानों से हमें श्वेतपत्र की व्यवस्थाएँ कुछ विशेष आशाजनक नहीं मालूम होती हैं, मगर हम उसे देखने के इसलिए इच्छुक हो रहे हैं कि अभी जो कुछ केवल अनुमान है, उसे देख लेने पर वह यथार्थ हो जायगा । अनुमान में एक तरह की अनिश्चितता रहती है । अनुमान के आधार पर हम न कुछ कह सकते हैं न अपने कार्य क्रम का कोई रूप निर्माण कर सकते हैं । यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह तो निश्चित रूप से ज्ञात हो जायगा कि हमें क्या मिला और अब हमें क्या करना है ।

अभी तक अनुमानों से हम आनेवाली व्यवस्था का जो रूप खडा कर सके हैं, वह यही है कि प्रांतों को एक ऐसा स्वायत्त शासन प्रदान किया जायगा जिसमें प्रजा के प्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के विषय में कोई अधिकार न रहेगा । कर्मचारियों के अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेंगे । केन्द्र में सेना, अर्थ विभाग और फॉरेन विभाग पर वाइसराय का अधिकार रहेगा । वाइसराय आवश्यकता पडने पर आर्डिनेन्स जारी कर सकेगा और व्यवस्थापक सभा के फंसलो को रद्द कर सकेगा । भारत की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सेना-विभाग में यहाँ के बाशिन्दों को बहुत कम स्थान दिया जाता है, हालाँकि देश के आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च हो जाता है । यह शिकायत बढस्तूर रहती है । अर्थ विभाग से हमें यह शिकायत है कि भारत की अर्थनीति भारत के लाभ की दृष्टि से नहीं, वरन् इंग्लैण्ड की लाभ की दृष्टि से स्थिर की जाती है । वह शिकायत भी ज्यों की त्यों रहती है । हमारी सरकार से केवल राजनैतिक अधिकारों की लड़ाई है । हम ऐसे अधिकार चाहते हैं कि हम इस स्थिति में आ जायें कि देश की

आमदनी को प्रजाहित के कामो मे खर्च कर सके, देश को सुखी और सन्तुष्ट बना सके । अगर यह अधिकार नही मिल रहे है तो केवल कौंसिलो मे जगहो के लिए आपस मे भगडे करने की हमे क्या जरूरत है । हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नही है कि हमारे दस-पाँच भाई मिनिस्टर हो जायँ, हमारे प्रतिनिधियो की मख्या दुगनी हो जाय । हमारा उद्देश्य केवल देश को स्वस्थ और सुखी बनाना है । अगर हमारे पास धन खर्च करने का अधिकार नही है तो हमारे ये उद्देश्य कैसे पूरे हो सकने है ? और ये उद्देश्य न पूरे हुए तो जनता के लिए यह व्यवस्था क्या उपकार करेगी ।

लेकिन इंग्लैण्ड मे मि० चर्चिल और उनके अनुयायियो का बलवान दल इस व्यवस्था को भी स्वीकार नही करता है । वह सिरे से इसे मानता ही नही कि भारत मे किसी सुधार की जरूरत है । वह डडे के जोर से राज्य करने के पक्ष मे है और अन्त तक भारत को पैरो के नीचे दबाये रखना चाहता है । मि० चर्चिल तो यहाँ तक धमकी दे रहे है कि वह अपने कट्टर दल को संगठित करके श्वेत पत्र का पार्लमेट मे विरोध करेगे और उसे रद्द करा देगे । मि० चर्चिल को लार्ड ईर्विन और सर सैमुएल होर चाहे कितना ही भला-बुरा कहे पर यह उन्हे भी खूब मालूम है कि इंग्लैण्ड मे आज मि० चर्चिल का जितना जोर है, उतना किसी भी एक व्यक्ति का नही है । यह गैर मुमकिन है कि इन धमकियो का भारत सचिव पर कोई असर न पडे । सर होर शायद एक दिन इंग्लैण्ड के प्रधान मत्री बनने की कल्पना कर रहे होंगे । कंजर्वेटिव दल को अप्रसन्न करके वह अपने भविष्य को सदेह मे नही डालना चाहते । इधर भारत मे भी फेडरेशन के विषय मे हमारे राजो मे दिन-दिन मतभेद बढता जा रहा है । फेडरेशन आनेवाली व्यवस्था का मुख्य अंग है । अगर वही खटाई मे पड गया तो व्यवस्था का मूल्य ही क्या रह जाता है ।

साराश यह परिस्थिति बहुत निराशाजनक है । हमे अब जो कुछ आशा है, वह संसार की विचार-क्रान्ति से । वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से दुनिया निराश हो गयी है । नि शस्त्रीकरण, जर्मनी मे राजनैतिक संग्राम, रूस और इटली की राज्य-व्यवस्था—यह सभी कह रही है कि संसार सुख और शांति का कोई साधन खोज रहा है पर जहाँ उसे खोजना चाहिए वहाँ न खोजकर इधर-उधर भटकता है । कभी इस गढे मे गिरता है कभी उसमे । मगर लक्ष्यो से प्रकट हो रहा है कि जनता पर अब साम्राज्यवाद का जाडू नही रहा । साम्राज्यवाद मे एक स्वाभाविक गौरव का अकुर है, इसमे सदेह नही । एक पददलित हिन्दू भी हिन्दू राजाओ को अपनी मुसलमान प्रजा पर अत्याचार करते देखकर चुप साध जाता है । वह यह नही चाहता कि उस हिन्दू राजा की प्रजा जरा भी सिर उठाये । इसी तरह मुसलिम जनता भी निजाम और भोपाल के ऊपर गर्व करती है । लेकिन पश्चिम मे इस साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति से लोग इतने तंग आ गये है कि अभी हाल मे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मे छात्र सभ मे,

अपने एक मुबाहिसे मे यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया, कि यह सभा किसी दशा मे भी राजा और देश के लिए अपना रक्त न बहायेगी। दूसरे मुबाहिसे मे इस प्रस्ताव को निकाल डालने के लिए दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ। इस नये प्रस्ताव के पक्ष मे केवल १५३ वोट आये और विपक्ष मे ७५०। इससे यह साफ पता चल रहा है कि हवा किधर चल रही है। हमे अपने देश मे यही विचार क्रान्ति पैदा करना है।

२० मार्च १९३३

सादा और सफ़ेद

जिस बात की आशका थी, वह सामने आ गयी। सफ़ेद-पत्र १७ मार्च को प्रकाशित हो गया। इसके विषय मे हम अपनी शकाएँ प्रकट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यह प्रस्ताव शका से अधिक भीषण है। लीडर के शब्दो मे—“यह चाहे जो कुछ हो—केवल स्वराज्य नहीं है।” उसी पत्र की राय मे “भारतीय सुधारक इस योजना को कभी नहीं स्वीकार कर सकते।” कलकत्ते के “एडवान्स” के शब्दो मे—“अग्नेज सरकार ने मि० चर्चिल और उनके दलवालो को यह पर्चा बतौर इनाम के दिया है। इमसे पता चलता है कि भारत पर गोरे चमडे का कितना बोझा होगा।” इसी पत्र का साथी “लिबर्टी” भी लिखता है कि—“राष्ट्रीय विचारवालो को ब्रिटिश बुद्धिमत्ता के विषय मे जितना सदेह था, उसको इस सफेद पत्र ने प्रमाणित किया है।” दिल्ली के “नैशनल काल” की राय मे—“इस पर्चे के द्वारा वाइसराय को १०० हिटलर और मुसोलिनी के अधिकार मिल जावेगे।” “हिन्दुस्तान टाइम्स” की राय मे—“यह प्रगति का उपहास मात्र है।” बम्बई का “बाम्बे क्रानिकल” लिखता है कि—“इस पर्चे का उद्देश्य भारत के साथ किये गये बाडे को पूरा करना नहीं है, पर उस पर गोरे आदमी का पजा मजबूती से जकडे रखना है।” राष्ट्रीय मुसलिम-पत्र कलकत्ते का अग्नेजी दैनिक “मुसलमान” भी लिखता है कि—“भारत को उस समय अधिक सुख मिलता यदि ११९ पेज का यह दस्तावेज न प्रकाशित होता हमारी राय मे उदार सरकार ने, विशेष कर बगाल के मुसलमानो को उनकी “राजभक्ति” का इनाम दिया है।”

“अमृत बाजार पत्रिका” का कथन है कि ऐसी एक भी बात इस सफेद पर्चे मे नहीं है जिससे यह कहा जावे कि भारतीय मत का कुछ भी आदर किया गया है।”

सर चिमन लाल सीतलवाद, मौलाना शौकत अली, सर पी० गिनवाला, मि० चागला, प० हृदयनाथ कुजूरु, मि० केलकर ऐसे उदार विचार के लोग भी इस पर्चे से अप्रति दुखी है। “हिन्दुस्तान टाइम्स” के एक व्यंग चित्र मे इस सफेद पर्चे को “सादा”

पर्चा दिखलाया गया है। “नैशनल काल” के अनुसार तीन गोलमेज रूपी पहाड खोदने पर, एक करोड रुपया खर्च करने पर, सफेद-पर्चा रूपी यह चुहिया निकली है।

देश का लोकमत भारत के भावी शासन-विधान की इस योजना से अति चुबुध हो उठा है। विस्तारपूर्वक इसका विचार करना भी व्यर्थ है। इसकी ओर तो ध्यान भी देना उचित नहीं। यदि ब्रिटेन के सहयोग और साथ का यही हमें पुरस्कार मिल रहा है तो हम ब्रिटिश बुद्धिमता से एकबार फिर दिचार करने का आग्रह करेंगे।

जरा भावी-शासन-विधान के विषय में सोचिए तो। भारत की सरकार फेडरल या संघ-सरकार होगी। उसके अध्यक्ष होंगे सम्राट् के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल। शासन-कार्य में इनकी सहायता के लिए एक मन्त्रिमंडल होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतो के प्रतिनिधि होंगे। गवर्नर जनरल ही देश की रक्षा, विदेश तथा अर्थ की नीति का मुख्यतया निरंकुश शासक होगा। अन्य महकमों के लिए वह मन्त्रिमण्डल की सलाह से आमतौर पर काम करेगा, पर आवश्यकता पडने पर वह उनकी सलाह की भी उपेक्षा कर सकता है। यह मण्डल भारतीय-सुघ महासभा के प्रति जिम्मेदार होगा। बडे लाट अपने राज-काज के लिए तीन कौंसिलर भी रख लेंगे। समय पडने पर वे “अपने आर्डिनेस” के बल पर शासन करेंगे। व्यापार-सम्बन्ध में, भेदभाव की नीति में वे तुरन्त हस्तक्षेप करेंगे। महा-सभा दो होगी। एक अपर—जिसमें २५० मेम्बर होंगे, जिसमें रियासतो के राजाओं के नामजद १०० प्रतिनिधि होंगे। लोअर में ३७५ में १२५ मेम्बर रियासतो के होंगे। बजट छोटी सभा से पहले निकलेगा पर यदि बडी सभा उसे न पास करे, तो बडे लाट दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन बुलायेगे। ऐसी दशा में उसकी छीछालेदर निश्चित है। देशी रियासतो की कुल जन-सख्या के आधी रियासतो के संघ में शामिल होने पर, तभी संघ-राज्य की रचना होगी। इसके बाद रिजर्व-बैंक की स्थापना का होना जरूरी है। इनमें विलम्ब होने पर प्रांतीय स्वाधीनता के नाम का आडम्बर शुरू हो जावेगा जिनमें गवर्नरो को भी वही निरंकुश अधिकार है। तीन प्रांतों में अपर-चैम्बर भी होगा। जैसे आभागे युक्त प्रांत में। यहाँ अपर चैम्बर के ३४ मेम्बरो में १७ मुसलमान और शेष में हिन्दू, ईसाई, सिख, ऐंग्लो-इण्डियन और यूरोपियन होंगे। दो प्रांत सिन्ध और उडीसा बढकर कुल ११ प्रांत होंगे। प्रांतों में भी मन्त्रिमण्डल होगा जो अपने कार्यों के लिए प्रांतीय सभा—जिसे “लेजिस्लेटिव एसेम्बली” कहा जावेगा—के प्रति जिम्मेदार होगा।

इण्डियन सिविल सर्विस, पुलिस-सर्विस आदि की नियुक्ति आज-कल की तरह भारत-सचिव ही करेंगे। अग्रेजों की सख्या भी उतनी ही रहेगी जितनी अब है। पाँच साल बाद इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा। बर्मा का प्रश्न अछूता रह गया।

मताधिकार लोथियन कमेटी के अनुसार होगा। ब्रिटिश-प्रजा का केवल १४

प्रतिशत वोट दे सकेगा। यह है वह स्वराज्य जो हमें तीन साल की लगातार दिमाग-रेजी के बाद मिला है।

२७ मार्च १९३३

सफेद कागज़ पर अभी और भी सफेदी चढ़ेगी

समस्त देश में सफेद कागज़ पर हाय-हाय मची हुई है, यहाँ तक कि कानपुर की जमैयतुल-उलेमा और मुसलिम लीग भी उससे असंतुष्ट है। लेकिन इंग्लैण्ड में परिस्थिति जो रंग पकड़ रही है उससे मालूम होता है कि सफेद कागज़ में तरमीम करनी पड़ेगी। मि० चर्चिल और उनकी पार्टी को कामन्स में मुँह की खानी पड़ी है अवश्य, मगर कामन्स के मेम्बरो ने केवल संयुक्त शासन की साख बनाये रखने के लिए चर्चिल के विरुद्ध वोट दिया। वास्तव में कजर्वेंटिव-दल चर्चिल के साथ है और वह श्वेत पत्र का जनाजा निकाल कर ही छोड़ेगा। जो लोग मेम्बरियो और मिनिस्टरियो पर दाँत लगाये बैठे हैं, उनकी आजकल नींद हराम हो रही होगी। शायद दाना-पानी भी छूट गया हो। मगर सर होर उनके कितने ही शुभेच्छु हो, मि० चर्चिल से बैर नहीं मोल ले सकते। हम कहते हैं एसेम्बली और काउंसिलो में चुनाव का भगडा ही क्यों रखो? क्यों न वाइसराय और गवर्नरो को अपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बर चुन लेने का अधिकार दे दो। बस, सारा भगडा मिटा जाता है, गवर्नर और वाइसराय को इतना अधिकार देकर फिर आप माल और पुलिस और रेल सभी कुछ में उत्तरदायित्व दे सकते हैं। ऐसे-ऐसे राजनीतिक धुरंधर जमा है, पर यह मोटी-सी बात किसी की समझ में नहीं आती। वाइसराय को इस काम में सर फजले हुसेन से काफी मदद मिलेगी। और सर हेले नवाब छतारी की सम्मति ले सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत के आपके हाथ से जाने की रत्ती भर भी शका नहीं है। यह जो चारो तरफ सफेद कागज़ पर हाय-हाय हो रही है इसकी मशा तो आप समझते ही हैं। खुदा के फजल से आप राजनीति में कुशल हैं ही। जो आज गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि सफेद-पत्र कोरा कागज़ है, पीछे ले जानेवाला है, अविश्वासपूर्ण है, अपमानजनक है, वही अवसर पड़ने पर मेम्बरी और मिनिस्टरी के लिए दौड़ेगे और आपके बूट चाटेगे। शक्तिशाली जमीदार पार्टी मुँह से चाहे जो कुछ कहे, दिल से आपके साथ है, फिर, लिबरल है, वह भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते। चिंता की कोई बात नहीं। मि० चर्चिल से विरोध करके अपने भविष्य को संकट में डालना बुद्धिमानी की बात नहीं। लार्ड इविन ने तो अपने व्याख्यान में मि० चर्चिल को बहुत कुछ समझाया था, उनकी सारी शंकाओ का समाधान करने की चेष्टा की थी, मगर चर्चिल भी जनाब एक ही

घाघ है। वह यह कब गँवारा कर सकता है कि सर होर भारत हिन्दुस्तानियों को सुपुर्द करके भीठी नौद सोवे। किमी ने शका की थी कि आयरलैंड में भी तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही विधान दिया था, उसका क्या नतीजा हुआ। आयरलैंड कबा भाड कर अलग हो गया। फिर भारत में भी क्या वही बात नहीं हो सकती। लार्ड इर्विन ने इस शका का कितना सुन्दर जवाब दिया है कि वाह ! आपने फरमाया—

“आइरिश सन्धि के अनुसार हमने अपने पदाधिकारियों को हटा लिया। भारत में हम वह गलती नहीं कर रहे हैं। हमने निश्चय कर दिया है, कि आजकल की तरह योरोपियनों को भारत में जगहे मिलती रहेगी और इन अफ्रिकारियों की रक्षा पार्लिमेंट के कानून से होती रहेगी। आइरिश सन्धि के अनुसार हमने ब्रिटिश फौज हटा ली थी। हम भारत में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं और इसका कारण हरेक समझदार आदमी समझता है। एक तीसरा कारण यह था, कि आयरलैंड में वाइसराय को वह पक्के, ठोस अख्तियार नहीं थे, जो आज वाइसराय को भारत में प्राप्त है और आनेवाले विधान में भी बने रहेंगे।”

फिर भी यह चर्चिल दलवाले न जाने क्यों सर होर के पीछे पड़े हुए हैं, मगर जब वह किसी तरह नहीं मानते, तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। आप भी मजबूर हैं, इसलिए जैसा हमने निवेदन किया है आप वाइसराय और गवर्नरो को, मेम्बरों को चुन लेने का अधिकार दे दीजिए। जनता द्वारा चुनाव की भंभट ही क्यों रहे और अब जन-तन्त्र को मानता ही कौन है ? यह तो स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर का युग है। अब जन-तंत्रवादियों को कौन पूछता है। लायड जार्ज साहब ने अपनी एक स्पीच में जनतन्त्र के विषय में जो कुछ कहा ठीक ही कहा—

“समस्त ससार में जन-तन्त्र का विश्वास उठ गया। आये दिन हम देख रहे हैं, कि स्वाधीनता पैरो तले कुचली जा रही है मानो वह व्यर्थ की वस्तु है और वह एकाधिपति आ गया है जो पहले से कही व्यापक, कही निर्दय, कही निश्शंक है।”

१० अप्रैल १९३३

अविश्वास

अधिकांश भारतीय स्वराज्य इसलिए नहीं चाहते कि अपने देश के शासन में उनकी आवाज ही पहले सुनी जावे, पर स्वराज्य का अर्थ उनके लिए आर्थिक स्वराज्य होता है। अपने प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार, अपनी प्राकृतिक उपजों पर अपना नियंत्रण, अपनी वस्तुओं का स्वच्छन्द उपभोग और अपनी पैदावार पर अपनी इच्छानुसार मूल्य लेने का स्वत्व—यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे उत्कृष्ट माँग

है। यह माँग स्वराज्य का अंग नहीं, स्वराज्य इसी माँग का अंग है।

आज भारत में यदि स्वराज्य के लिए इतना आन्दोलन हो रहा है, तो केवल इसलिए कि भारतीय यह समझने लगे हैं कि जब तक विदेशी-सत्ता है, उन्हें अपने देश की उपज का सुख लूटने का अवसर न मिलेगा, रोजगार और व्यापार चौपट रहेगा, सरकारी आय का सैतालिस करोड़ रुपया सेना पर खर्च हो जावेगा, उधर अधिकांश भारतीय बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज होकर सड़क और गलियों में भूखो मरे दिखलायी देते रहेंगे। हिन्दुस्तान में इतना अनाज पैदा होता है फिर भी आधे से अधिक हिन्दुस्तानी दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं कर सकते। इतना कपड़ा बुना जा रहा है, फिर भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तन पर इतना भी वस्त्र नहीं कि वे जाड़े में सर्दों से बच जावें ! कितनी ऐसी स्त्रियाँ और कन्याएँ हैं जिनके पास अपना तन तक ढँकने के लिए भी वस्त्र नहीं है !

हम यह नहीं कहते कि इस लाचारी और दुर्वशा का कारण भारत में अंग्रेजी सरकार है। अंग्रेजी सरकार से भारत को अनेक लाभ भी हुए हैं, जिनका सदैव कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना होगा, पर इस दुर्भाग्य के लिए कोई क्या कहे कि भारत की आर्थिक दुर्वशा अंग्रेजी-राज्य के समय में ही हुई और यही नहीं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार के सिर है। और भारतीयों का ऐसा विश्वास हो गया है कि अपना शासन अपने हाथ में आने पर वे अपनी दरिद्रता में अधिक योग्यता के साथ लड़कर उसका निराकरण कर सकेंगे। भारतीय अर्थशास्त्री यह बतलाता है कि अंग्रेजी सरकार अपने देश के स्वार्थ की बलि कर भारत का कल्याण नहीं कर सकती। वह उसी अंश तक भारत का कल्याण करेगी, जिस अंश तक उसके देश का स्वार्थ नहीं टकराता।

इस प्रकार स्वराज्य की मीमासा कीजिए—स्वराज्य का अर्थ केवल आर्थिक स्वराज्य है। आज भारत का उद्योग-धन्धा पतन उठे, आज भारत के घर-घर में खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न, पहनने के लिए दो गज कपड़ा हो जावे, आज घर-घर में केवल स्वदेशी वस्तु हो, अथक परिश्रम के स्थान पर थोड़ा विश्राम हो, जीवन में कुछ कविता कुछ स्फूर्ति, कुछ सुख मालूम पड़े—तो कौन कल इस बात की चिन्ता करेगा कि भारत की पार्लमेण्ट में अंग्रेज है या हिन्दुस्तानी। जो भी कोई शासक हो, शासन का फल चाहिए। आम खाने से काम है पेंड गिनने से नहीं।

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि हमारी भी यही राय है। हम यह जानते हैं कि हमारे एक अंग की यह भी मनोवृत्ति है कि सुराज्य हो या न हो, स्वराज्य चाहिए, पर आम जनता स्वराज्य का जो अर्थ समझती है, वही हमने ऊपर दिखलाया है। जनता का विचार गलत हो सकता है, पर प्रत्येक देश की जनता की एक ही मनोवृत्ति है। इसलिए कभी साम्यवाद, कभी वर्गवाद और कभी पूंजीवाद पतन उठता है। कभी कोई

नेता समूचा शासन हडप लेता है, कभी कोई। जिस किसी ने अपनी लचर से लचर योजना का विज्ञापन कर यह सिद्ध कर दिया कि उसी को अपनाने से आर्थिक-दशा जादू की तरह सुधर जावेगी, वही दल शासनाधिकार पा जावेगा।

अतएव, ब्रिटिश सरकार के लिए इस समय एकमात्र उपाय, एकमात्र पथ, जिससे वह भारतीय लोकमत को अपने पक्ष में कर सकती है, जिससे वह भारत को अपने हाथ से खोने से बचा सकती है, यही है कि भारत को आर्थिक स्वराज्य दे दे। एक बार वह ब्रिटेन का स्वार्थ भूलकर भारत का स्वार्थ सोच ले। एक बार वह भारतीय सेना के सैतालिस करोड़ खर्चों को केवल १५ करोड़ वार्षिक कर दे। एक बार वह सभी विदेशी माल पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कडी चुगी लगाकर भारतीय व्यापार को पनपा दे और फिर देखिए भारतीय सतुष्ट होकर क्या मांगते हैं।

संभव है, ब्रिटिश सरकार सेना चाहती हो, पर हमारे पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे हम यह कह सकें कि वह सचमुच ऐसा चाहती है। उसकी अभी तक की जो आर्थिक नीति रही है, वह इतनी घातक और इतनी दुःखद रही है कि इस समय हम अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। पंजाब वाणिज्य-मंडल के अध्यक्ष मि० रौबर्सन टेलर ने, १० अप्रैल को मंडल की वार्षिक बैठक में एक सूचनापूर्ण व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बतलायी थीं। वे कहते हैं—

“मौजूदा परिस्थिति के कारण घोर मानसिक-मन्दी छा रही है। विश्वास का पुनः स्थापित हो जाना अनिवार्य है। इधर हमारे कुछ बहुत ही मन्दी के वर्ष बीते हैं। देश की अधिकांश जन-संख्या किसान है और लगातार मूल्य के गिरने के कारण वह कगाल हो गयी है। फसल के बोने के व्यय की भी वसूली नहीं हो पाती। सर्वव्यापी आर्थिक मन्दी से उद्योग और वाणिज्य कुटित हो रहे हैं। देश की आमदनी भी कम हो गयी है और इसीलिए, बजट को सतुलित करने के लिए अर्थ-सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाना पड़ रहा है जिससे उद्योग-व्यवसाय की टांग टूट गयी है। इससे स्वभावतः देश में उदासीनता और शोक छा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुनः निर्माण करने के लिए विश्वास का पुनः स्थापित करना आवश्यक है। आजकल की राजनैतिक दशा भी आर्थिक दशा के साथ जुती हुई है और कभी-कभी हमें उसके कारण भय मालूम पड़ता है, पर यहाँ पर भी भिन्न-भिन्न वर्गों में जो पारस्परिक अविश्वास छाया हुआ है तथा जिसके कारण देश की प्रगति रुक रही है, देश संघ-सरकार स्वीकार नहीं कर रहा है, यदि वही अविश्वास हट कर विश्वास का भाव उत्पन्न हो जावे तो बहुत बड़ा कल्याण हो। इसके लिए मानवी चेष्टा, दृढ़ शक्ति और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ व्रत चाहिए। ससार में सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होने पर भी विश्वास के अभाव में कुछ नहीं हो सकता।

“देश की प्रगति के लिए दूसरी बाधा कर का अत्यधिक भार है।... उद्योग-

धन्धा गिरा हुआ है। बेकारी चारो ओर फैली हुई है। रुपया सस्ता है, बहुतायत से मिल सकता है, पर उसके उपयोग के लिए कहीं कोई साधन नहीं है। अभी तक उद्योग या वाणिज्य के कार्यों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मुझे भय है कि जब तक सरकार स्वयं पथ दिखलाकर विश्वास उत्पन्न करने का उपाय नहीं दिखलावेगी, तब तक कुछ भी न हो सकेगा। अब समय आ गया है, जब सरकार गम्भीरतापूर्वक यह विचार करे कि कौन-सा सार्वजनिक खर्चा देश की नयी आर्थिक, द्रव्य-सम्बन्धी दशा को देखते हुए, समाज-हित के लिए होगा।”

मि० टेलर के व्याख्यान की इस टुकड़ी की ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमने ऊपर यह बतलाने की चेष्टा की है कि अब समय आ गया है, जब सरकार आर्थिक स्वराज्य को रोक नहीं सकती। हम राजनैतिक बात तो एक ओर छोड़ देते हैं, देश की आर्थिक दुर्दशा अकथनीय है और उसका कारण है सरकार की आर्थिक नीति के प्रति जनता का घोर अविश्वास। यह अविश्वास तीव्रतम होता जा रहा है। इसको दूर करना ही चाहिए। और बिना सरकार के चेतें यह अविश्वास दूर न होगा। यह दुर्दशा समाप्त न होगी। अविश्वास दूर करने का कार्य सरकार की ओर से ही प्रारम्भ हो सकता है। वही जो चाहे कर सकती है। अब उसे इसी अविश्वास को दूर करना चाहिए।

१७ अप्रैल १९३३

भारत के विरुद्ध प्रचार

अभी हाल में भारत के हितैषियों ने जेनेवा में बड़ी धूम-धाम के साथ “भारत दिवस” मनाया था। इस अवसर पर विद्वान वक्ताओं ने बड़े सूचना-पूर्ण व्याख्यान देकर भारत के विषय में जो चारों ओर गलत-फहमी फैलायी जा रही है, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया था। सबसे अच्छा भाषण महात्मा जी की जीवनी लिखनेवाले रोमेरोलाँ नामक फ्रेच पंडित की बहन मदाम रोलाँ का था। योरोप के कोने-कोने से प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इस प्रयत्न को, इसके सयोजकों को, हम हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।

इस समय भारत ज्यो-ज्यो स्वाधीनता की ओर अग्रसर होता जा रहा है, उसे बदनाम करने की, हर प्रकार से उसके राष्ट्रीय दुर्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने की चेष्टा हमारे शत्रु कर रहे हैं। इसीलिए, भारत के हितैषियों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि वे एक दिन “जेनेवा-दिवस” मनाकर भारत का परिचय कराये। इसीलिए लन्दन से श्रीयुत पटेल ने इस बात की सलाह दी थी कि भारत के विरुद्ध विदेशी-प्रचार

का उत्तर देने का प्रवन्ध किया जाय। इसीलिए, आज से कई वर्ष पूर्व ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर श्री सम्पूर्णानन्द ने एक आवेदन-पत्र ही इस आशय का तैयार किया था। प० जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर जोर दिया था, पर डम दिशा में विशेष प्रयत्न न हो मके ओर हमारे विषय में हर प्रकार के भ्रष्ट समाचारों का कोई खराडन नहीं होने पाता है।

अब कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है और यदि ईश्वर ने चाहा तो वे अपने प्रयत्न में सफल होंगे। हम अपने पाठकों से इस दिशा में पूरी सहायता की आशा करते हैं और कवीन्द्र के इन शब्दों से पूरी सम्मति प्रकट करते हैं कि—
“आवश्यकता इस बात की है कि देश की वर्तमान परिस्थिति का सच्चा चित्र हम विदेशों में बहुत शान्ति व गम्भीरता और समय के साथ, किन्तु दूसरों के मुँह तोड़ जवाब के लिए, मय आकड़ों और नज़ीरों के उपस्थित करे।

२४ अप्रैल १९३३

आर्थिक स्वराज्य

यदि भारत को आर्थिक स्वराज्य नहीं मिल रहा है, तो केवल इसी कारण कि ब्रिटेन कभी भी, अपने भरसक, भारत के हित के सामने अपने हित का हवन नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को राजनैतिक स्वराज्य भी नहीं दिया जा रहा है, कि संभव है कि आर्थिक शक्ति भी प्राप्त हो जाय और, यह दुधारू गाय ब्रिटेन के हाथ से निकल जाय।

फिर भी भारतीय अपनी माँग पर माँग पेश करते ही जाते हैं, चाहे उसे कोई सुननेवाला हो अथवा नहीं। अभी दिल्ली में “फेडरेशन आफ आल-इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज” (अखिल भारतीय व्यवसाय वाणिज्य-मण्डल) की बैठक में आर्थिक स्वराज्य की सर्वसम्मति माँग पेश की गयी है। इसमें कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए हैं। सभापति श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह प्रार्थना की थी कि स्वर्णमुद्रा की अपनी नीति में तुरत परिवर्तन कर दे। रुपये और पौड का सम्बन्ध तोड़ दिया जाय। आपने कहा कि जब मयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश भी यह जरूरत समझते हैं कि अपने देश का सोना बाहर जाने से रोकें, भारत सरकार का इस बात पर गर्व करना कि भारत से बाहर इतना सोना चला गया, गौरव की बात नहीं है। श्री आर० के० सिध्वा ने कहा कि जब तक वह सम्बन्ध तोड़ नहीं दिया जायगा, तब तक बहुमत कोई भी शासन स्वीकार नहीं कर सकता। प्रस्ताव तो पास हो ही गया, पर यदि श्री के० सन्तानम का यह संशोधन पास हो जाता कि यदि व्यापारी ही

अपने पास से सोना बाहर न जाने दे तो सोना बाहर न जावे, तो और भी उपयुक्त बात होती ।

सर पुरुषोत्तमदास ने कर्मचारियों के वेतन की पाँच फी सदी काट-छाँट के पूरा किये जाने का विरोध करते हुए यह उचित हो कहा था कि—“जब तक सेना की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी, भारत दुहा ही जाता रहेगा । काट-छाँट पूरा करके भारत के करदाता तथा अन्य कर देनेवालों पर बहुत कडा बोझ लादा जा रहा है ।” प्रस्ताव पास हो गया—पर क्या यह सभव है कि सरकार इनमे से कोई भी बात स्वीकार करेगी ।

२४ अप्रैल १९३३

हमारी गुलामी बढ़ेगी

बंगाल के भूतपूर्व लाट और भारत के कुछ समय तक स्थानापन्न बडे लाट—लार्ड लिटन ने लार्ड्स सभा में “व्हाइट पेपर” पर अपना विचार प्रकट करते हुए यह कहा था कि “एक पार्लमेण्ट की रचना कर उसे कोई अधिकार न देना—यह जान-बूझ कर भगडा पैदा करना है ।” लार्ड लोथियन ने इसी श्वेत-पत्र पर अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए यह कहा था कि यह कल्पना से भी परे बात है कि ब्रिटेन दमन या निरकुशता के बल पर भारत पर शासन कर सकता है । अतएव उसे समुचित अधिकार न देना विपत्ति मोल लेना होगा । पर यह अधिकार किस प्रकार का होगा और कैसे दिया जा रहा है, इस विषय में लन्दन की प्रसिद्ध पत्रिका “नाइन्टीन्थ सेन्चुरी” में मि० जी० टी० गैरट ने स्पष्टत लिख दिया है । आपने लिखा है कि “हरेक रियासत के पीछे एक लम्बी लगाम लगा दी गयी है, जिसकी छोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में है ।” आपकी राय में—“वाइसराय तथा प्रान्तीय गवर्नरो को जो ‘अतिरिक्त और विशेषाधिकार’ दिये गये हैं, वे तुरत हमें ‘लम्बी डोर’ की याद दिला देते हैं । सेना को सुरचित विषय बना लेने से राष्ट्रीय सेना की रचना का प्रश्न अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है । आर्थिक संरक्षणों से बडा गहरा सन्देह पैदा हो जाता है ।”

सरकारी श्वेत-पत्र के द्वारा जो अधिकार मिलनेवाले हैं, उनकी यही कहानी है, यही रहस्य है, पर बात यही समाप्त नहीं होती । कुमारी विल्किंसन ने जेनेवा में अपने एक प्रभावशाली व्याख्यान में अभी हाल ही में कहा है कि “श्वेत-पत्र की ६० वी धारा के अनुसार भारतीय कौंसिल, गवर्नर या वाइसराय-द्वारा स्वीकृत भी किसी कानून को बारह महीने के भीतर सत्राट की सरकार रद्द कर सकती है ।” ऐसी दशा में, कुमारी जी के शब्दों में, “असली अधिकार तो ब्रिटिश पार्लमेण्ट को मिले हैं, भारत को

कही कुछ भी कोई भी। अधिकार नहीं मिला है।”

“इण्डियन क्रिश्चियन मैसेजर” नामक पत्र ने, जिसे सरकार भी उग्रमत का नहीं कह सकती, इसी श्वेत-पत्र पर इस प्रकार विचार प्रकट किया है—“बहुत समय से जिस दस्तावेज की प्रतीक्षा थी, उसी श्वेत-पत्र के पन्नो को पढ़ने के बाद, उस पर लोगों की राय भी खूब समझ लेने के बाद, हम इस बात को साफ तौर पर स्वीकार कर ले कि इससे किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं पैदा होता है। सध शासन-प्रणाली न जाने कब तक के लिए टाल दी गयी है और वह भविष्य के गर्भ में पडी रहेगी। प्रातो के गवर्नर और गवर्नर-जेनरल को एकदम निरंकुश शासक बना दिया गया है। प्रातीय स्वाधीनता की छाया मात्र रह जायगी, संघ-व्यवस्थापक महासभा में रियासतो के नुमाइन्दे भर जावेगे, ऊंची नौकरियों की भर्ती भारत सचिव के हाथ में रहेगी, अनेक संरक्षण होंगे। और वे केवल भारत के हित के लिए नहीं होंगे ! सेना और विदेशी सम्बन्ध पर ब्रिटिश गवर्नर-जेनरल का एकाधिकार रहेगा। हम अपनी राय फिर जाहिर कर दे कि हमारी समझ में भारत के दुःखों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया है। हमें रोटी के स्थान पर पत्थर ही खाने को दिया जा रहा है। अभी भारत का युद्ध बहुत समय तक चलेगा।”

यदि यही बातें कांग्रेस कहती तो उसे छापना या पढ़ना भी गैर कानूनी हो जाता। यदि यही बातें हम अपनी ओर से कहते तो यह अपराध होता, पर ये विचार उनके हैं जो ब्रिटेन और भारत के समानरूप से मित्र हैं, जो दोनों की एकता में, मित्रता में, समान-रूप से दोनों का हित देखते हैं। माननीय श्रीनिवास शास्त्री को कोई भी अराजक नहीं कह सकता। पर, १६ अप्रैल को कलकत्ता में लिबरल महासभा के अवसर पर, व्हाइट पेपर पर प्रस्ताव पेश करते समय उन्होंने कहा था—“अंग्रेज यह भूल सकते हैं कि लार्ड अरविन ने भारतीयों से क्या वादा किया था, पर भारतीयों को चाहिए कि वे अंग्रेजों को उनके वादे की याद दिलाते जावें।... मैंने सत्याग्रह आन्दोलन में भाग नहीं लिया था, पर मैं यह कहूँगा कि सत्याग्रह के समान कोई आन्दोलन कभी एकदम नहीं दबाया जा सकता। यदि ठिकाने से, बुद्धिमानी से उसे सुलझाया न जावे, तो एक दिन ऐसा आवेगा जब वह फिर से प्रकट हो जायगा और तब उसे किसी तरह दबाना संभव नहीं। मैं एक आत्म-शासन के अधिकार से युक्त “कामनवेल्थ” का निवासी बनने के लिए तैयार हूँ, पर वह कामनवेल्थ ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रिका आदि के साथ समान दर्जे पर होना चाहिए। इससे कम कोई भी दशा, कभी किसी हालत में किसी को भी स्वीकार न होगी और इससे विरोध का बीज और भी पनपेगा।” अन्त में शास्त्री जी ने कहा—“आज जो भी राजनैतिक परिस्थिति है वह वर्तमान आन्दोलन के ही कारण है। क्या हम इस आन्दोलन के सैनिकों के अद्भुत त्याग और बलिदानों को भूल सकते हैं ? क्या हम यह भूल सकते हैं कि हरेक नगर और ग्राम में पुलिस ने उनके

साथ कैसा व्यवहार किया है ? क्या इन सब पीडाओं का कोई फल न निकलेगा ? सर सैमुएल होर देश की मौजूदा दशा से प्रसन्न है, पर वे क्या करना चाहते हैं ? क्या पुन ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे यह आन्दोलन उठा था ?”

शास्त्रीजी के अतिरिक्त मि० जोशी, मि० जे० एन० बसु, प० हृदयनाथ जी कुजरु—सबने एक स्वर से, एक मन होकर श्वेत-पत्र की भर्त्सना की थी। सेना के ही विषय में पंडित कुजरु ने कहा था—“हम चाहते हैं कि हमारी सेना में सब भारतीय सिपाही और भारतीय अफसर हो।” पर यह तो दिवा-स्वप्न है। श्रीयुत चिन्तामणि ने इस शासनविधान को, इसी अवसर पर “अवैध-शासन-विधान” का नाम दिया था और इसी श्वेत-पत्र के विषय में दिल्ली में होनेवाली अखिल भारतीय वाणिज्य मंडल की राय है कि—“यह शासन-विधान अत्यधिक दकियानूसी, पीछे ले जानेवाला और अमान्य है।” अधिवेशन अध्यक्ष श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र ने कहा था—“इस श्वेत-पत्र की योजना जब माडरेटो को ही स्वीकार नहीं है तो और किसे स्वीकार हो सकती है ?”

यह है श्वेत-पत्र पर इस समय प्राय सभी प्रकार के विचारवालों की सम्मति। इस सप्ताह भारत की दो प्रसिद्ध तथा जिम्मेदार सस्थाओं ने भी इसकी भर्त्सना कर दी। कॉंग्रेस इसकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहती और फिर भी हमारे अभागे देश में कुछ ऐसे भारतीय हैं, जो यह आशा करते हैं कि “संयुक्त पार्लमेण्टरी कमेटी” में इस योजना को इस प्रकार गढ़ लिया जायगा कि वह भारतीयों की महत्वा-कांक्षा को पूरी कर सकेगी और इसी आशा से केवल सलाहकार की हैसियत से वे लन्दन जाना चाहते हैं। यदि उनकी नीयत केवल लन्दन घूमने की नहीं है, यदि वे प्रजा के पैसे से सैर नहीं करना चाहते, तो उन्हें “इंडियन एक्सप्रेस” पत्र की इस राय से यह समझ लेना चाहिए कि संयुक्त पार्लमेण्टरी कमेटी क्या करेगी। पत्र लिखता है—

“यदि संयुक्त पार्लमेण्टरी कमेटी के सदस्यों के नाम की मीमांसा की जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि अधिकांशत वही इसके सदस्य हैं जिन्होंने श्वेत-पत्र के निर्माण में सहायता की है। यह कल्पना में भी बात नहीं आती कि वे इस पत्र में कोई नये विचार पैदा करेंगे, या रद्दो-बदल करेंगे।”

श्वेत-पत्र से कोई भी प्रसन्न नहीं है। इसके परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। अतएव हमें धोर दासता के लिए तैयार रहना चाहिए।

२४ अप्रैल १९३३

रिज़र्व-बैंक

भारत-सचिव तथा श्वेत-पत्र की सूचना के अनुसार भारत में केन्द्रीय शासन में उसी

समय जिम्मेदारी दी जा सकेगी, जब कि यहाँ पर एक 'रिजर्व बैंक' की स्थापना हो जायगी । यही बैंक भारत का असली केन्द्रीय बैंक होगा । इस समय भारत सरकार की ओर से जो कुछ सुविधा और सहूलियत इम्पीरियल बैंक को हैं, वही इस रिजर्व बैंक को प्राप्त होगी, इसके अलावा उसे अनेक अधिकार होंगे, जिनमें से एक अधिकार मुद्रा-चलन पर नियंत्रण और नोट-चलन पर पूरा अधिकार भी हो सकता है । कई दृष्टियों से इस प्रकार के बैंक की स्थापना भारत के उद्योग-धन्धे की वृद्धि के लिए, भारत की मुद्रा-नीति को नियंत्रित करने के लिए, भारत के सभी बैंकों को एक प्रभाव में, एक शासन में रखने के लिए और सभी प्रांतों की अर्थ-नीति को एक केन्द्रीय विभाग से निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक का होना जरूरी है । यदि भारत सरकार ने भारतीयों के हित का वास्तव में ध्यान रखा होता, तो अब तक कई वर्ष पहले यह बैंक स्थापित हो गया होता, भारत का अरबों का सोना बाहर न बह गया होता, भारत का सोना लन्दन के बैंक में इस तरह न जमा कर दिया जाता कि यदि आज जरूरत पड़े तो भारत का आर्थिक दिवाला तक निकल सकता है और लन्दन में सोना पड़ा रह जा सकता है । भारत में रिजर्व बैंक न होने का ही यह फल है कि आज हमारी कागजी मुद्रा १७७ करोड़ की है, पर उसके पीछे सरकारी कोष में केवल २६ करोड़ का सोना है, आज भारत में केवल इतना सोना है कि सरकार का एक वर्ष का ही काम चल सकता है । फिर भी सोना बाहर चला जा रहा है, विनिमय की दर घातक बनी हुई है, लगभग दो अरब का सोना बाहर चला गया । अमेरिका ऐसे धनी देश भी अपना सोना बाहर जाने से रोक रहे हैं, पर भारत के अर्थ-मन्त्री को इस बात का गर्व है कि वे भारत से काफी सोना भेजकर भारत का देना-पावना चुका रहे हैं । यह सब इसीलिए हो रहा है कि भारत की कोई शुद्ध अर्थ-नीति नहीं है, कोई निश्चित योजना नहीं है, कोई भी केन्द्रीय बैंक नहीं है ।

बिना केन्द्रीय बैंक के कोई सभ्य-सरकार अपना काम ठिकाने से चला ही नहीं सकती । इस समय दुनिया के बत्तीस सभ्य देशों में केन्द्रीय बैंक है जिनमें से १७ देशों के केन्द्रीय बैंक शेरवालों के हाथ में हैं, सात केवल राज्यों के हाथ में हैं और आठ तो मिले-जुले हैं ।

भारत में रिजर्व बैंक के लिए—“बैंकों के बैंक” के लिए १९२७ में बहुत जोर दिया गया था । उस समय सर बैसिल ब्लैकेट अर्थ-सदस्य थे । वे इस विचार को पसन्द करते थे, पर वह बैंक हिस्सेदारों का हो या राज्य के हाथ में हो—इसी पर मतभेद न हो सकने के कारण बात ठण्डी पड़ गयी । बैंकिंग जाँच कमेटी ने इस विषय को आगे बढ़ाया । सघयोजना के साथ वह विषय फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा । इसके दो प्रकार के समर्थक हैं । एक का कहना है कि यदि इसे हिस्सेदारों का बैंक बना दिया जायेगा तो विदेशी पूँजीपति काफ़ी हिस्सा खरीदकर इसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, पर, एक मत यह भी कहता है कि एक हिस्सेदार को, चाहे वह कितना ही हिस्सा खरीदे, एक ही वोट देने का अधिकार देना चाहिए । इस प्रकार यदि हिस्सेदारों

का ही बैंक रहेगा, तभी कल्याण होगा। दूसरा पक्ष यह कहता है कि वास्तविक कल्याण तभी होगा जब कि यह बैंक राज्य के हाथ में होगा। राज्य के हाथ में भी रहने के अनेक फायदे हैं, पर भारत सरकार ने एक निराली ही नीति निकाली है। वह इस बैंक को दो में से किसी के भी हाथ में नहीं रखना चाहती। यह एक बोर्ड की रचना करना चाहती है जो स्वतंत्र होगा।

जो हो, यहाँ पर हम इस प्रश्न के दोनों पहलुओं की मीमांसा नहीं करना चाहते। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर तुरन्त विचार होना चाहिए। चाहिए तो यह था कि सरकार पहले केन्द्रीय शासन को स्थापना कर तब केन्द्रीय बैंक स्थापित करती, पर वह घड़े के आगे गाड़ी रख रही है। वह चाहती है कि बैंक की स्थापना हो जाय, तब केन्द्रीय शासन स्थापित किया जाय। इस बैंक की स्थापना के विषय में परामश करने के लिए लन्दन में एक समिति भी बैठेगी, जिसमें भारत की ओर से भी अनेक प्रतिनिधि भेजे जायेंगे। सर जार्ज शुस्टर ने एसेम्बली में यह घोषणा की है कि इस विषय पर निर्णय तथा निश्चय के लिए लन्दन में एक सम्मेलन होगा। भारत सरकार भारत सचिव की सलाह से, इसमें शरीक होने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की सूची तथा उनका नाम निश्चित कर प्रकाशित करेगी। यह सूची एक सप्ताह के भीतर ही प्रकाशित हो जायगी। इस सूची पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि सरकार ने वास्तव में विशेषज्ञ अर्थ-शास्त्री या प्रजा के असली प्रतिनिधि चुने तो ठीक ही है, अन्यथा यह निश्चिन्त है कि "भर्त्सि" के मेम्बर भारत के असली हित की हत्या करेंगे और रिजर्व बैंक जो अपनी रचना के बाद केवल एक बोर्ड के हाथ में रहेगा, भारत का कुछ भी कल्याण न कर सकेगा और हम तथा हमारा देश उसी प्रकार दरिद्रता तथा अनुचित अर्थ-नीति का शिकार बना रहेगा।

क्या हम सरकार से इतनी आशा करें कि वह, इस विषय में प्रजा के हित का, भारतीयों के स्वार्थ का, तथा भारतीय किसानों के लाभ का, विचार कर उदारतापूर्वक भारतीय-रिजर्व बैंक सम्मेलन में सब प्रश्नों पर विचार करने का अवसर देगी तथा उसके सदस्यों की जो सूची प्रकाशित होनेवाली है, वह हमारे मन में सम्मेलन के प्रति विश्वास पैदा कर सकेगी ?

१ मई १९३३

जापान के माल का बहिष्कार

बम्बई के मिल मालिकों ने जापानी कपड़े का बहिष्कार-बिल पास कराके अपना रास्ता साफ कर लिया। अब उन्हें अख्तियार है, जितने मँहगे कपड़े चाहे बेचे और

जितना लाभ चाहे उठावे । उनकी बला खर्च में क़िफ़ायत करे । भारत की जनता नगी तो रहेगी नहीं , लेकिन जापान ने भारत की रई बन्द कर दी तो यहाँ के मिल-मालिक उस रई के खरीदने का जिम्मा लेते हैं ? और किसान का माल न बिका तो वह कपडा कैसे खरीदेगा ? बम्बईवाले कहते हैं—जापान का भारत की सस्ती रई के बग़ैर काम ही नहीं चल सकता । वह भ्रूण मार कर खरीदेगा , लेकिन यह तो सोचिए कि वह रई खरीदकर करेगा क्या ? क्या अपने लिये कफ़न बनायेगा ? उसे अपने मिल बंद करने पड़ेगे और भारत की रई टके सेर में भी कोई न पूछेगा । इन राजनैतिक चालों के चक्कर में गरीब जनता का कचूमर निकला जा रहा है, पर यह तो डेमाक्रेसी है, यहाँ जनता के हानि-लाभ का क्या जिक्र । यहाँ तो मिल-मालिकों का प्राधान्य है, रिआया जाय जहन्नुम में । जापान दोनों ओर का भाडा देकर भी, ५० फीसदी चुगी देकर भी अपना माल भारत के माल से सस्ता बेच सकता है और यहाँ के मिलवाले अपना माल सस्ता बेचने की फ़िक्र नहीं करते । उनके हलवे-भाँडे में कमी नहीं हो सकती । उन्हें अच्छा मुनाफ़ा अवश्य चाहिए, चाहे वह जनता के रक्त से ही क्यों न मिले ।

१ मई १९३३

मिसेज़ सुब्बारोयाँ का वक्तव्य

मिसेज़ सुब्बारोयाँ उन दो महिलाओं में एक हैं, जो दूसरी गोलमेज में भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि थीं । आपने हाल में समाचारपत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें आपने दिखाया है कि नयी व्यवस्था में भारतीय स्त्रियों के लिए वोटिंग की जो शिक्षा-संबंधी शर्त रखी गयी है, उससे स्त्रियों को उतने वोट न मिल सकेंगे, जिसका इस व्यवस्था में अनुमान किया गया है अर्थात्—पुरुषों के अनुपात से १७ । आपको भय है कि स्त्रियाँ इतनी वोटिंग शक्ति न प्राप्त कर सकेंगी । वक्तव्य के अन्त में आपने महिलाओं को स्वरक्षित जगहों के लिए साम्प्रदायिक आधार का विरोध करते हुए लिखा है—

“मुझे खेद है कि सरकार ने हमारी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है कि स्त्रियों को इन स्वरक्षित जगहों के लिए पथगत विचारों से अलग होकर खड़ा होने दिया जाय । महिलाओं को साम्प्रदायिकता से विशेष प्रेम नहीं है और उन्होंने एक स्वर से इसका विरोध किया है । सरकार का कथन है कि अगर सभी पक्षों के लोग आपस में मिलकर समझौता कर लें तो वह इस निश्चय को बदल सकती है, लेकिन अब तक बहुत उद्योग करने पर भी समझौते की कोई आशा नहीं दीखती । भविष्य के विषय में तो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे सच्चा विश्वास है कि भारत की

देवियाँ चाहे किसी द्वार से राजनैतिक जीवन में प्रवेश करें, वे अपने दिल में पंथगत भेद-भाव को न आने देगी। अब तक हमारी देवियों ने जो कुछ किया है, पूर्ण सद्भाव और सहयोग से किया है, भेदों को बीच में नहीं आने दिया है। और देश के लिए उनकी यह नीति सर्वथा प्रशंसनीय है और मुझे आशा है कि राजनैतिक क्षेत्र में भी वह सहयोगिता का परिचय देगी।”

हमारी भी यही शुभकामना है।

मई १९३३

महात्मा जी का सफल तप

जब तक हंस पाठको के हाथ में पहुँचेगा, महात्मा जी की तपस्या कुशलपूर्वक पूरी हो चुकी होगी और समस्त देश में उनके आनन्दोत्सव मनाये जाते होंगे। जब महात्मा जी ने इस तपस्या की इच्छा प्रकट की, तो भारत काँप उठा। इस अवस्था में और ऐसा स्वास्थ्य रहने पर भी आप २१ दिन का उपवास-व्रत करने जा रहे हैं, चारों ओर से आपके पास पत्र और तार आने लगे—आप यह व्रत करके अपने प्राणों को संकट में न डालिये। भारत की एकमात्र आशा आप है। आपको वह नहीं खो सकता। अपने-पराये सभी मना करते रहे, पर महात्मा जी के सकल्प अचल होते हैं। आप महीनो के आत्मचिन्तन के बाद जब इरादा कर लेते हैं, तो वह पक्का होता है। आपका व्रत आरम्भ हुआ और आज १७ दिन पूरे हो चुके हैं। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और पूरी आशा है कि आपकी तपस्या सकुशल समाप्त होगी। आप Man of Destiny हैं और आपकी आत्मा में वह असीम सचित शक्ति है, जिसको साधारण प्राणियों को खबर नहीं। इस तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या होगा, इसका अनुमान समाचार-पत्रों के संवादों से नहीं किया जा सकता। शिक्षित समाज की मनोवृत्ति में धीरे-धीरे पर दृढ़ रूप से क्रान्ति हो रही है, और राष्ट्र चेतना अब बहुत दिनों यह अमानुषीय अन्याय नहीं सह सकती।

मई १९३३

महात्मा जी की अपील पर सरकार का जवाब

महात्मा जी ने अपने वक्तव्य में सरकार से बन्दियों को छोड़ने की जो अपील की थी, उसका सरकार ने बहुत ही निराशाजनक जवाब दिया। जब कांग्रेस ने सत्या-

ग्रह को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया, तो क्या गवर्नमेन्ट को कम से कम अपने वचन का पालन करने के लिए ही बन्दियों को मुक्त न करना चाहिए था, एक महीने के लिए सही ? जब सत्याग्रह फिर शुरू हो जाता, तो उन्हें सारे बन्दियों को गिरफ्तार कर लेने का अख्तियार था। पर सरकार ने परिस्थिति का, राष्ट्र की शान्ति का और महात्मा जी के सम्मान का, जरा भी विचार न किया और अपने कम्प्युनिक में माफ लिखा दिया—जब तक काँग्रेस कमेटी सत्याग्रह को उठा न देगी, वह कैदियों के माथ किसी तरह की रिआयत न करेगी। इससे अगर कुछ नतीजा निकाला जा सकता है, तो वह यह है कि सरकार काँग्रेस से इतनी भयभीत है कि एक महीने के लिए भी कैदियों पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी तरह जैसे कोई शेर को पिजरे में फँसाकर उसे खोलते डरता हो, कि न जाने बाहर निकलकर क्या गजब ढाये। सरकार बार-बार कह चुकी है कि काँग्रेस-आन्दोलन निर्जीव हो गया है। निर्जीव चाहे न हुआ हो, पर यह सभी मानते हैं, कि जनता में निराशा इतनी गहरी हो गयी है कि अब उन्हें अपनी तकदीर को रोने के सिवाय और कोई सहारा ही नहीं रहा। वह अपग की भाँति आँखों से देखते हैं, दिल में कुदते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में काँग्रेस के नेता छूटकर भी क्या कर लेते। फिर कितने काँग्रेसी ऐसे भी हैं, जो राजनीति की ओर से निराश हो गये हैं और देश के उद्धार के लिए किसी योरोपीय सघर्ष की राह देख रहे हैं, और अब अपना जीवन जन-सेवा में लगाना चाहते हैं। उन्हें जेल में रखकर सरकार उन्हें जबरदस्ती राजनीति में फँसाये हुए है। जो कुछ हो सरकार का यह व्यवहार मुगलो या अफ़गानो के ज़माने का-सा है, आजकल के शिष्ट शासन का-मा नहीं।

१४ मई १९३३

दक्षिण-अफ़्रिका का नया चुनाव

दक्षिण अफ़्रिका में भारतीय बहुत ही अधिक मात्रा में बसे हुए हैं। फिर भी कौंसिल में उन्हें इतना कम स्थान दिया गया है कि नये चुनाव का परिणाम देखकर यह सोचना पडता है कि भारतीय-विरोधी गोरे अधिक सख्या में विजयी हुए हैं, कि समर्थक। नये चुनाव में हरजोग (प्रधान मंत्री) तथा स्मट्स (जेनरल—गांधी जी के समर्थक तथा मंत्रि-मंडल के सदस्य) के मेल के कारण राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़ी सख्या में विजयी हुई। १५० सदस्यों की कौंसिल में १५० राष्ट्रीय दल के हैं। मजदूरदल की बुरी तरह हार हुई है। इस प्रकार, इस कौंसिल में भी भारत-विरोधियों का बहुमत हो गया है। यदि कोई आशा है तो जेनरल स्मट्स से। उनके मंत्रिमंडल में रहने से भारतीयों के हितों की थोड़ी बहुत रक्षा होती रहेगी।

२६ मई १९३३

सिविल सर्विस

भारतीय सिविल सर्विस ही भारतीय-स्वायत्त-शासन के विकास की सबसे बड़ी बाधा है, और यही सिविल सर्विस भावी शासन-विधान में भी भारत का शासन करेगी, यही श्वेत-पत्र का सबसे प्रबल विरोध है। भारत-सचिव ने सिविल सर्विस की नयी भरती अपने हाथ में रखी है और जो इस समय सिविल सर्विस में है, उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है। चूंकि लन्दन ही दिल्ली पर हुकूमत करेगा इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रान्त में गवर्नर के ऊपर भी सिविल सर्विस की हुकूमत चलेगी, जो सोधे लन्दन तक अपनी शिकायत पहुँचा सकता है और लन्दन को बाध्य कर सकता है कि वह दिल्ली के द्वारा भी प्रान्त के शासन में दस्तन्दाजी करे। इस प्रकार यह तय है कि भावी शासन-विधान सिविल-सर्विस का शासन होगा।

जो लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते थे, वे भी समझने लगे हैं। स्वयं सिविल सर्विस के पुराने घाघ भी यही कबूल करते हैं। लार्ड चेम्सफोर्ड की कौंसिल में होममेम्बर तथा रौलट िबल के पेश करनेवाले, भारतीय सिविल सर्विस के एक पुराने मेम्बर सर विलियम विसेट ने, जिन्होंने लार्ड रीडिंग के शासन-काल में, पहला सत्याग्रह आन्दोलन दबाने के लिए सब कुछ किया था, हाल ही में अपना एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें आपने इस बात पर सतोष प्रकट किया है कि भावी शासन-विधान में 'भारतीय सिविल सर्विस' वालों को काफी सरक्षण मिला है। आपकी सम्मति में—'यदि भारत में वास्तव में सच्चा तथा न्यायपूर्ण शासन चलाना है, तो सिविल सर्विस का रहना जरूरी है।' पर इसके साथ ही चूंकि उन्हें नये ढंग का और अधिक काम करना पड़ेगा, तथा इसके लिए अधिक योग्य लोगी जरूरत होगी, इसलिए उनको अधिक वेतन इत्यादि देना चाहिए। आपकी यह भी राय है कि बड़े लाट को जो विशेष नियुक्तियाँ करनी हैं तथा अपना ही एक मंत्री चुनना है, वह भी सिविल सर्विस का ही एक आदमी होना चाहिए।

सन्धेप में, भारत में जो कुछ हो, वह सिविल सर्विस का ही होना चाहिए ! भारत को असल स्वराज्य नहीं मिल रहा है। स्वराज्य मिल रहा है सिविल सर्विस को। यही होगी हमारी भावी स्वाधीनता ॥

१४ मई १९३३

सत्याग्रह

महान् व्रत समाप्त हो गया। ईश्वरीय सत्ता ने मानवीय कलेवर की रक्षा की।

आत्मबल ने शारीरिक इन्द्रियो को जीत लिया। लोक-तृष्णा को देवी-महत्वाकाक्षा ने वशीभूत कर लिया। महात्मा गांधी अपने व्रत में सफल हुए। ईश्वर ने उनकी जो परीक्षा ली थी, उसमें वे उत्तीर्ण प्रमाणित हो गये। गांधी जी ने इस प्रकार की कई परीक्षाएँ सफलतापूर्वक पास की हैं। उनके लिए यह परीक्षा भी साधारण थी। भारत-एसे दार्शनिक देश के लिए ऐसी परीक्षाएँ आश्चर्य की वस्तु नहीं हैं। आज न जाने कितने साधु-महात्मा अपनी कुटियो में, एकान्त में बैठे हुए ईश्वर के सामने ऐसी ही परीक्षा दे रहे हैं।

किन्तु, उपवास भग करने का क्रम बड़ी सतर्कता की आवश्यकता रखता है। कहते हैं, कि एक रात का उपवास सात दिन न सोने के बराबर है। गांधी जी में इस समय भोजन-ग्रहण करने की भी शक्ति, कुछ थोड़े समय के लिए तिरोहित हो गयी है। अंतडियो को, चूधा को, जठराग्नि को जो काम सौपा गया था, वह कुछ समय के लिए छीन लिया गया था। बेकारी से शक्ति में जंग लग जाता है। लोहे से काम लेते ही रहना चाहिए। वह काम के लिए ही बना है, अतएव गांधी जी को उम्मी समय भय से मुक्त तथा पूर्णतः स्वस्थ समझना चाहिए, जब वे लगातार पन्द्रह दिन तक नियमित रूप से भोजन करते रहे, इसलिए राष्ट्र की आशंका तथा चिन्ता का समय अभी नहीं बीता है।

जिस उद्देश्य से उपवास किया गया था, वह पूरा हुआ या नहीं, यह तो स्वयं गांधी जी ही कह सकते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने उपवास किया था और वही प्रेरणा इस विषय में भी अपना विचार प्रकट करेगी, पर गांधी जी की यही प्रेरणा ही, यही ईश्वरीय निर्देशानुसार काम करने की शक्ति ही उनका सबसे बड़ा बल है। निस्संदेह आज भारत में गांधी जी के उतने अनुयायी नहीं हैं, जितने १९२१ या १९३० में थे। इस विषय में एंग्लोइण्डियन पत्र—“सिविल एण्ड मिलिटरी गजेट” की सम्मति से हम सहमत हैं। यह भी प्रकट और सत्य है, कि गांधी जी के विरोध में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा दल तैयार होकर, उनसे, उनकी निरंकुश लीडरी से, लोहा लेने के लिए पैतरे बदल रहा है। कांग्रेस में बहुत से कार्यकर्ताओं का यह विचार है और कुछ अंश तक सत्य है, कि अछूतोंद्वारा आंदोलन को वर्तमान रूप देकर गांधी जी ने सत्याग्रही तथा सरकार-विरोधी कांग्रेसवालों के लिए केवल दो ही मार्ग छोड़े हैं— एक तो यह कि वे देश-सेवा करें, भ्रष्टा उठावे और जेल चले जायें (श्रीमती सरोजनी नायडू ने मौजूदा कांग्रेस आंदोलन के विषय में इसी प्रकार के भाव प्रकट किये थे।) या देश-सेवा छोड़ कर हरिजन सेवा करें—और यह कोई नहीं कह सकता, कि हरिजन-सेवा देश-सेवा से बढ़कर है। दूसरी शिकायत यह है, कि उन्होंने देश के गाँवों दुःख-दर्द में केवल कोरी गप्प उड़ाकर, दूर के ढोल पीटकर शरीक होनेवाले लिबरलो के लिए सार्वजनिक रंग-मंच पर एक “सही-सलामत” बचे रहकर, काम करने का अवसर दे

दिया। अब लिबरल देश के नेता हैं, लीडराने कौम हैं, और जनता के लिए अपना प्राण तक बलिदान कर देनेवाले काँग्रेस-सेवक जेल की चिड़िया।

महात्मा जी के विरुद्ध अनेक अभियोगों में से दो ही गिनाये गये हैं। उनके दोषों पर विचार करना पहले तो असंभव-सा है, दूसरे पटेल या सुभाष-ऐसी प्रतिभा तथा त्यागियों का काम है। पर एक बात स्पष्ट है—प्रकट है—सत्य है। वह यह कि उस वृद्ध का इतना विरोध होते हुए भी जब वह सामने आता है, हरेक की जबान एठ जाती है, विरोधी विरोध करते हैं, पर स्वयं उन्हें अपने ऊपर लज्जा आती है। कोई हरिजन-आन्दोलन में विश्वास करे या नहीं—उसे अनायास ही उसमें खिंच जाना पड़ेगा। कोई लोक-सेवा के जिस किसी मार्ग पर चलना चाहे, गांधी की सत्ता उसे विचलित कर देगी। यही आत्मबल है। यही आत्मशक्ति है। यही ईश्वरीय-विभूति है, जो गांधी जी ने अपनी तपश्चर्या से उपाजित की है।

जो मूर्ख है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो कोरी भौतिकता का ही ज्ञान रखता है, वह ईश्वरीय-प्रेरणा से काम करनेवाले की महत्ता का अनुमान नहीं कर सकता, इसीलिए उसे ऐसे कार्यकर्ता ढोंगी मालूम होते हैं। ऊपर हमने जिस ऐंग्लो-इण्डियन पत्र का जिक्र किया है, उसके सम्पादक भी इसी प्रकार के अज्ञानियों में से हैं, अन्यथा उन्होंने एक सम्पादकीय टिप्पणी लिख कर महात्मा जी के उपवास करने की नीयत पर ही शुबहा न किया होता। यही नहीं, इस पत्र को इस बात का भी खेद है कि उपवास के कारण “काँग्रेस” का नाम फिर विशेष रूप से सुनायी देने लगा है। आतिशबाजी से कुत्ते का डरना हमारी समझ में आ सकता है, पर काँग्रेस के नाम से किसी अध-गोरे का बौखला उठना समझ के बाहर की बात है। पर, इस पत्र ने यह भी सलाह देने की जल्दी की है कि यदि “गांधी सत्याग्रह पुन प्रारंभ कर दे, तो सरकार उन्हें फिर से कैद कर ले।” ऐसी सलाह देकर नक्कू बनने की आवश्यकता नहीं। यह तो हाथ में छुरी लेकर अनायास किसी से कहना है कि मेरी नाक काट लो। गांधी जी का जो स्वाभिमान है, वह विदित ही है। वे यदि सत्याग्रह की घोषणा करेंगे, तो सम्भवतः यरवदा जेल के द्वार पर बैठकर।

अस्तु हमारा अनुरोध है कि हरिजन कार्य में गांधी जी के उपवास की समाप्ति के कारण शिथिलता नहीं आनी चाहिए। वे अपने को “उपवास” के लिए ही तत्पर कर चुके हैं। ईश्वर करे, उनका यही अन्तिम उपवास हो। अब ऐसी नौबत न आवे। हम यह अनुमान करते थे कि पूना-पैक्ट के समय उपवास के बाद गांधी जी के उपवासों के प्रति जनता की सहानुभूति कम हो जायगी, पर देखा यह जा रहा है कि जो सहानुभूति कम करना चाहते थे, उन्हीं की सहानुभूति सबसे तीव्र उत्कट थी। यह भी गांधी जी की विजय है। हमारी पराजय।

गांधी जी ने सत्याग्रह आरम्भ किया था। वे ही उसे स्थगित कर सकते हैं।

सरकार ने उनकी अपील नामजूर कर दी और सत्याग्रह के बन्दी नहीं छोड़े। इस नीति की जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है। सरकार ने गांधी जी की माँग की उपेक्षा कर यह सोचा होगा कि इसी में उसकी “शान” है। पर यथार्थ में इस नीति से उलटे सरकार के प्रति जनता की घृणा बढ़ गयी। सरकार यदि सत्याग्रह को हानिकर समझती है, तो उसे समाप्त करने का अवसर उसके हाथों खो गया। जनता सरकार द्वारा किये गये अपमान से कुपित है। वह भी इस मोह में पड़ गयी है कि वह सत्याग्रह स्थगित कर सरकार से हार मान लेती है। हमारी सम्मति में सरकार ने अपनी जड़ता दिखलाकर ससार की आँखों में अपने को अपराधी प्रमाणित कर दिया है, पर यदि जड़ता का जवाब जड़ता से दिया गया, तो हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ रही। हम मसार को यह कैसे दिखला सकेगे कि देखो हम ही असली सम्य तथा सुशिक्षित है।

काँग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा वर्तमान शासन प्रणाली के प्रति जनता के भाव को व्यक्त कर दिया। निस्सन्देह लडाई कई वर्षों तक चल चुकी। यद्यपि पराधीनता में सुख नहीं है, पर मनुष्यता को क्षणिक सुख से बहुत कुछ शान्ति मिलती है। अब जनता विश्राम चाहती है। उसे अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना घरबार संभालना है। आपको हमको पता नहीं कि इस सत्याग्रह-मग्नम में कितने ही सुखी परिवार स्वाहा हो गये। कितने बसे घर उजड़ गये। अब, फिर से इन कुटियों का बिखरा छप्पर छा देना है। यह स्वाधीनता का सग्राम एक दिन की वस्तु नहीं, सदियों का भ्रमेला है। तब तक, लोगों को अपने अबोध शिशुओं को, अपनी गृह-देवियों को भूखो मारने के लिए न कहिये।

सरकार सोचती है कि काँग्रेस का बारबार अपमान करते रहने से फल यह होगा कि वह झूठे दम्भ में पड़ी रहेगी। नये शासन-विधान का बहिष्कार करेगी। सरकारी पिंटूओं के हाथ शासन में आते ही, कम से कम पाँच वर्ष तक, नये शासन-विधान को अपने रग में रगने की स्वाधीनता पा जायगी। उस समय यदि काँग्रेसवाले छूट कर आ भी जायेंगे तो भी उनकी लडाई भारतीय मत्रियों से होगी। ब्रिटेन बदनामी से बचेगा।

हमारी समझ में यह है सरकारी नीति—कूटनीति। क्या काँग्रेस इस नीति के त्वक्कर में पड़कर देश का सत्यानाश कर देगी? क्या काँग्रेस इस अवसर पर झूठा दम्भ छोड़कर, राजनीति के ऊँचे पद पर नहीं उठेगी। जिद सभी जगह बुराई पैदा करती है पर राजनीति में जिद को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम यह लिख रहे हैं, हमें मालूम है कि यह सम्पादकीय लेख गांधी जी के सामने से नहीं गुजरेगा। पर उनके कार्यकर्त्ताओं, लेफ्टनेन्टों से हमारा अनुरोध है कि हमारे विचार को ध्यान से पढ़ें। यदि उसमें तथ्य हो तो, स्वस्थ होते ही महात्मा जी के कानों तक पहुँचाएँ। जो गाँधी-नेतृत्व के विरोधी हैं, वे भूल कर रहे हैं। इस समय भारत का नेता वही बूढ़ा हो सकता है, अतएव विरोध करने से कहीं अच्छा होगा उसके कान तक अपना मन्तव्य पहुँचाना और

ईश्वरीय प्रेरणा से काम करनेवाला कभी भूल न करेगा। साथ ही, हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि वह वास्तविकता को समझकर, भारत का वास्तविक कल्याण करे।

५ जून १९३३

श्री सम्पूर्णानन्द जी

जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, श्री सम्पूर्णानन्द जी के स्वास्थ्य पर भासी की विकट गर्मी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वजन घट गया है, कमर का दर्द, बदन का दर्द बढ़ गया है। सम्भवतः चूचा भी कम हो गयी है। श्री सम्पूर्णानन्द जी काशी के प्रतिष्ठित नेता हैं। वे काशी-विद्यापीठ में दर्शन-शास्त्र के अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व वे बहुत ही ऊँची नीम-सरकारी कर चुके हैं। वे कुशल सम्पादक तथा पत्रकार भी हैं। उन्हें केवल एक ही व्यसन है, पढ़ना। अत्यधिक धीरतम अध्ययन करना। इस समय वे चौथी बार, सत्याग्रह आन्दोलन में एक वर्ष का कठोर कारावास भोग रहे हैं—और वह भी भासी ऐसे गर्म स्थान में। वहाँ वे एक दम अकेले हैं। “ए” क्लास के एकमात्र बन्दी हैं। उनके विषय में ‘भारत’ में भी एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि उनको भासी की गर्मी बेहद सता रही है। क्या हम आशा करें, कि सरकार शीघ्र ही उन्हें किसी पहाड़ी या देहरादून जैसे किसी ठण्डे स्थान में भेज देगी ?

५ जून १९३३

चिटगाँव में सैनिक बर्बरता

विगत महासमर के समय में विजित तथा अधिकृत जर्मन प्रदेशों में भी ब्रिटिश तथा फ्रेंच सेना ने वहाँ की जनता के प्रति इतना अविश्वास न किया होगा, जितना चिटगाँव में अर्द्ध सैनिक-शासन में हो रहा है। हम क्रान्तिकारियों के कुकृत्यों के समर्थक नहीं हैं। हमें स्वयं चिटगाँव में क्रान्तिकारी उपद्रव के प्रति लज्जा आती है, पर हम किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, यह मानने के लिए तय्यार नहीं हैं कि नगर भर पर अविश्वास कर राह चलते लोगों को “मित्र-उदासीन शत्रु” सूचक कार्ड देकर, उनकी तलाशी लेकर, सबके मन में अपमान तथा अनादर का भाव, असन्तोष तथा अशान्ति का भाव भर कर सरकार किसी प्रकार क्रान्तिकारियों को अपने अधिकार में कर सकती है। उनका दमन कर सकती है। इससे असन्तोषियों की मात्रा बढ़ेगी और अप्रन्तोष ही

॥ चिटगाँव में सैनिक बर्बरता ॥

१६६

क्रान्ति की जड़ लगाता है। इस विषय में हम प्रयाग के 'लोडर' से पूरी तरह से सहमत हैं कि चिटगाँव में क्रान्तिकारी उपद्रव रोकने का एकमात्र उपाय वहाँ पर न्याय का समुचित शासन स्थापित करना है। और कोई उपाय सफलीभूत होगा, इसमें सन्देह है।

५ जून १९३३

अण्डमान के कैदी

काले पानी में कैदियों को भेजने की प्रथा समाप्त हो गयी थी, पर सरकार ने उस पुराने अस्त्र से फिर काम लेना आरम्भ कर दिया है और समस्त देश ने एक स्वर से इस नीति की निन्दा की है। बहुत से कैदी विशेषत बंगाली, अण्डमान टापू भेजे जा रहे हैं। इन कैदियों को भारत से जाने में, यात्रा में, जो बहुत कुछ कष्ट होता है वह तो होता ही है, इसके साथ ही, द्रोप म भी बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है। इस विषय में जो बहुत-सी बातें मालूम हुई हैं, वे प्रमाण के अभाव से, कानून के भय से पत्रों में नहीं प्रकाशित की जा सकती। उसकी जानकारी तथा जाँच-पड़ताल के लिए हमारे पास विशेष साधन भी नहीं हैं, किन्तु अभी हाल ही में "हिन्दुस्तान टाइम्स" आदि पत्रों में एक अपील प्रकाशित हुई है, जिसमें वहाँ के अभाग कैदियों की दुर्दशा का करुण चित्र खींचा गया है। इस अपील को पढ़ कर रोगटे खड़े हो जाते हैं। मनुष्यता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, एक साम्राज्य के अंग होने के नाम पर, हम भारतीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस विषय में जनता की शंकाओं का समाधान करने के लिए तुरत एक जाँच-कमीशन बिठाये। इससे अधिक हम इस विषय में क्या लिख सकते हैं। आशा है सरकार ध्यान देगी।

५ जून १९३३

काले पानी के राजनैतिक कैदियों की मौत

पाठकों को मालूम है कि सन् २१ से काले पानी के अपराधियों को अण्डमान ले जाने की प्रथा सरकार ने बन्द कर दी थी। वहाँ का जलवायु, जेलों की दशा आदि का कैदियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। जब सरकार किसी आदमी को कैद करती है, तो वह उसे स्वरचित रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। सन् २१ में एक जेल कमेटी ने अण्डमान के कैदखानों का मुआयना करके यह फैसला किया और सरकार

ने उसे स्वीकार कर लिया। आश्चर्य तो यही है कि स्वीकार कैसे किया, लेकिन उस वक्त राजनैतिक कैदियों का इतना आतक न था। इस जमाने में तो सरकारों की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप सरकार से विरोध करना है। साधारण कैदियों पर तो दया की जा सकती है, पर राजनैतिक कैदीदया की परिधि से बाहर की चीज है। रूस में फाँसी की सजा केवल सोवियट के खिलाफ विद्रोह करना है। भारत सरकार ने भी ऐसे कैदियों को काले पानी भोजना तय किया और जनता के रोने-गाने की परवाह नाकरके २६ आदमियों को भेज दिया। वहाँ कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की खबर है। कैदियों ने १२ मई से अनशन कर दिया था और अब तक उनमें से तीन आदमियों की मौत हो चुकी है। यह हादसे जिन परिस्थितियों में हुए हैं वह और भी शकाजनक हैं। स्व० महावीर सिंह ने १२ मई को भूख हड़ताल शुरू की। १७ मई को सीनियर मेडिकल आफिसर ने उन्हें नाक द्वारा दूध पिलाने की आज्ञा दी। इसमें उन्हें इतना कष्ट हुआ कि दो घंटे बाद उन्हें हिचकियाँ आने लगी और वह मृत्यु की गोद में चले गये, लेकिन आश्चर्य यह है कि मि० मणिकृष्णदास ने केवल एक दिन अनशन किया था, दूसरे दिन उन्होंने स्वेच्छा से भोजन कर लिया, पर कई दिन के बाद वह भी मर गये। सरकारी विज्ञप्ति है कि उन्हें निमोनिया हो गया। इसी तरह तीसरे कैदी मोहितमोहन मित्रा को भी उसी दिन निमोनिया हुआ जिन दिन मणिकृष्णदास अस्पताल में दाखिल किये गये थे और उनके मरने के दो दिन बाद मि० मित्रा की भी मृत्यु हो गयी। अब यह तीनों मित्र उस सप्ताह में हैं जहाँ न राजनैतिक दंड है और न नकली भोजन की विधि और न निमोनिया। भारत में इन खबरों ने हलचल पैदा कर दी है और जनता तरह-तरह की शिकाएँ करने लगी है। कई पब्लिक जलसे भी हो चुके हैं और सरकार से प्रार्थना की गयी है कि इस मुआमले की कड़ी जाँच होनी चाहिए, और बाकी कैदियों को भारत लौटा देना चाहिए।

१२ जून १९३३

गवर्नमेंट के लिए एक नया अवसर

प्रजा से समझौता करने के लिए सरकार को कई अवसर मिल चुके हैं, पर उसने अपने विजय के जोम में उनकी हरबार उपेक्षा की है। जब महात्मा गांधी ने व्रत के पहले सत्याग्रह को ६ सप्ताह के लिए बन्द किया था और सरकार से राजनैतिक कैदियों को छोड़ देने का प्रस्ताव किया था, उस वक्त सरकार के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन को शान्त कर देने का बड़ा अच्छा मौका था, पर सरकार ने यह अवसर भी छोड़ दिया। अब एक नया अवसर फिर आया है। देश के ७२ नेताओं ने जिनमें सभी विचारों, दलों

और सप्रदायो के लोग शामिल है, सरकार को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि राज-
नैतिक कैंदी छोड़ दिये जायँ और काँग्रेस को नये विधान में भाग लेने का अवसर दिया
जाय। देखना चाहिए अबकी सरकार क्या जवाब देती है। सरकार का शायद ख्याल
है कि उसने काँग्रेस को कुचल दिया है और अब उससे ममभोता करने की जरूरत नहीं
है, पर जैसा सर तेज ने अभी इंग्लैंड में कहा—‘काँग्रेस मरी नहीं है, वह अब भी
भारत की सबसे सुसंगठित राजनैतिक सस्था है’ और काँग्रेस चाहे और कुछ न कर सके पर
उसकी इच्छा के विरुद्ध देश में एक विधान चला कर सरकार शांति से बैठ नहीं सकती
और न अब वह श्वेतपत्रवाला विधान चल सकता है। विस्टन चर्चिल साहब इंग्लैंड
के कजरवेटिव दल में श्वेतपत्र को अस्वीकृति कराने पर तुले बैठे हैं। आपके विचार में
श्वेतपत्र का व्यवहार होते ही भारत में अंग्रेजों का सर्वनाश हो जायगा। तो यह मानी
हुई बात है कि बहुमत को प्रसन्न करने के लिए श्वेतपत्र में अभी और काँट-छाँट हो
जायगी और उसमें जो कुछ रहा-सहा मसाला है, वह भी साफ हो जायगा। जब श्वेतपत्र
अपने वर्तमान रूप में ही किसी को पसंद नहीं है, तो अपने विकृत रूप में वह किसे पसंद
आयेगा, यह मि० चर्चिल ही जाने। हाँ, वह हमारे अंग्रेज अधिकारियों को अवश्य पसंद
आयेगा, और चूँकि इंग्लैंड भारत पर राज्य करना चाहता है इसलिए जिनके हाथों में
इस नये विधान को चलाने का अधिकार होगा, उनकी ही पसंद सबसे बढ़कर है। राष्ट्र
तो अग्रग है, दुर्बल है, मूक है, अशक्त है। उसकी पसंद या नापसंद की परवा करना
व्यर्थ है। राष्ट्रवादी इस विधान से अलग रहेगे ही। सरकार के पिटू, खुशामदी, अमन
सभाई, कुछ थोड़े से दिवालिये नाम के राजा या नवाब कौंसिलों में आ जायँगे, उन्हीं में
से जो ज्यादा अहमक होंगे, वह मिनिस्टर चुन लिये जायँगे और गवर्नमेंट जिस तरह
चाहेगी शासन करेगी। पुलिस और फौज के रहते हुए उसे डर किस बात का। यह है
वह मनोवृत्ति जिस पर सरकार काम कर रही है। ऐसा शासन हो सकता है और होगा,
लेकिन उससे यह आशा न रखो कि देश उन्नत और खुशहाल होगा और ब्रिटिश साम्रा-
ज्य का एक उपयोगी अंग होगा। नहीं, वह एक मूर्दा देश होगा, जो केवल इसलिए
जीता है कि गिद्ध उसे नोच-नोच कर खा जाँय।

१२ जून १९३३

अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्नर बंगाल के नाम

अबकी कलकत्ता काँग्रेस के गैरकानूनी जलसे में काँग्रेस प्रतिनिधियों पर जो डडेबाजी
हुई थी उसको सर सैमुएल होर ने गलत बतलाया और पूज्य प० मदनमोहन मालवीय
को भी झूठा सिद्ध किया। उनका कथन था कि काँग्रेसवालों ने गवर्नर पर झूठा दोषारोपण

किया है जिसमें सरकार बदनाम हो। वास्तव में पुलिस ने बड़ी शान्ति के साथ जलसे को डिसपर्स किया था। सर सैमुएल होर ने जो बात कह दी उस पर सदेह करने का साहस किसे हो सकता है, पर अभी एक अमेरिकन पादरी मि० बैक्राफ्ट ने गवर्नर बगाल के नाम आँखो देखी बातों के आधार पर जो पत्र लिखा है उसे पढ़कर आशा है कि सर सैमुएल होर अपने कथन पर फिर विचार करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक बात क्या थी। हम उस पत्र का एक भाग यहाँ नकल करते हैं—

“जब मैं पहुँचा तो कार्रवाई शुरू हो गयी थी। काँग्रेस के स्त्री-पुरुष उस समय शेड के अन्दर ही थे। शेड के चारों तरफ सवार पुलिस और नाटी-प्लीन खड़ी थी। मैं भी उसी समूह में खड़ा हो गया। कई बार हमें निकल जाने का हुक्म दिया गया और हमारे बीच में घोड़े दौड़ाये गये। हम समझते थे कि एक शान्तिमय जलसे को शान्ति के साथ देखने का हमारा हक है, इसलिए हम कई बार लौट-लौटकर जलसे को देखते रहे। इसी बीच में एक पुलिस लारी आयी। शेड के नीचे जो लोग थे उनमें से ६/१० लाठियों से मार-मार कर भगा दिये गये। मैंने खुद कई औरतों को बड़ी बेदर्दी से कन्धे, गर्दन और पीठ पर लाठियाँ खाते देखा। इसके बाद कुछ लोग लारी में ढकेल दिये गये और एक आदमी जो उसकी पटरी पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, उस पर उठने के पहले बुरी तरह मार पडी।”

पुलीस ने जा किया या बेजा, इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेन्ट का राज्य है वह जो चाहे कर सकती है। कौन बोल सकता है।

१२ जून १९३३

श्वेत पत्र का कंजर्वेटिव विरोध

हम तो कंजर्वेटिवों के अनुगृहीत हैं, कि हमें कुछ चाहते हैं, वह उन्हीं के हाथों पूरा हुआ जाता है। अब तक इंग्लैण्ड की १०६ प्रान्तीय कंजर्वेटिव सभाओं में ७८ ने श्वेतपत्र के विरुद्ध मत प्रकट किया है। यहाँ मि० चर्चिल का बोलबाला है। अब राष्ट्रीय सरकार के पदाधिकारी जगह-जगह घूम कर श्वेतपत्र के अनुकूल वातावरण पैदा करने का उद्योग कर रहे हैं। अगर पार्लमेण्ट में भी कंजर्वेटिवों की यही नीति रही, तो श्वेतपत्र की वही अन्त्येष्टि हो जायगी। शायद कोई उस पर आँसू भी न बहाये। सहयोगी 'अमृत बाजार पत्रिका' ने एक बड़ी मनोरंजक तालिका प्रकाशित की है, जिसमें उसने श्वेतपत्र के पक्ष और विपक्ष की परिस्थितियों पर अकगणित की पद्धति से कयास दौड़ाया है। उसने कंजर्वेटिव-दल में पक्ष को ३३.३ अंक दिये हैं, और विपक्ष को ६६.६।

और यह अनुमान निशाने पर ठीक बैठा है। तिहाई कजर्वेटिव मेम्बर श्वेतपत्र के साथ होंगे और दो तिहाई उमके विरुद्ध।

अंडमान कैदियों का दूसरा जत्था

सब कुछ हुआ। जगह-जगह जलसे हुए, समाचारपत्रों ने शोर मचाया, सर हेनरी हेग के पास डेपुटेशन गया, प्रार्थना की गयी कि आईना अडमान को कैदी न भेजे जाय, जाँच कमेटी बैठायी जाय, पर नतीजा कुछ न निकला। केवल पंजाब से एक अग्रेज अधिकारी अडमान भेज दिया गया, जिसे भूख हड़ताल का अच्छा अनुभव है। वह अडमान जेलवालो को इस विषय में कुछ मलाह देकर लौट आयेगा। बस! पर यही तक मुआमला खतम नहीं हुआ। 'मद्रास मेल' को खबर मिली है कि हाल में ही कैदियों का एक नया जत्था फिर अडमान भेजा गया है। क्यों न हो। वह सरकार ही क्या, जो किसी की बात मान ले!

१६ जून १९३३

भारत में अंग्रेजी बैंकों के अन्धा-धुन्ध नफे

लाहौर के 'डेली हेरल्ड' ने फ्रैंस आफ इंडिया सोसाइटी के पत्र 'बुलेटिन' के हवाले से एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में अंग्रेजी बैंको और अंग्रेजी कारखानों से कितना लाभ होता है और वही लाभ उठानेवाले यहाँ के मजूरों को कितनी कम मजूरी देते हैं।

नेशनल बैंक आफ इंडिया २० प्रतिशत, शाघाई बैंक ६४ प्रतिशत, चारटर्ड बैंक २० १/३ प्रतिशत।

कोयले की कंपनियों के नफे तो लूट कहे जा सकते हैं।

१९१३ में एक कम्पनी ने १५० प्रतिशत नफा किया और १९३१ में एक कंपनी ने ५७ ३/४, एक ने ८० और तीन ने ३० से ऊपर।

नफे का तो यह हाल और मजूरी इग्लैण्ड के मजूरो की १।४ भी नहीं।

१६ जून १९३३

भारत की चाँदी अमेरिका को

इंग्लैण्ड के पास सोना नहीं है, इसलिए अमेरिका ने उससे अपने कर्ज में चाँदी ही लेना निश्चय किया। भारत के पास चाँदी थी। इंग्लैण्ड से हुक्म आया, वह चाँदी अमेरिका को दे दो। हुक्म की तामील कर दी गयी। चाँदी कितने की थी, उसका दाम कब मिलेगा, यह सब बातें पूछने से भारत सरकार को क्या प्रयोजन ? मुनीम का काम सेठ की आज्ञाओं का पालन करना है। केवल बहीखाता और कुजी हाथ में रहने से तो वह कोप का मालिक नहीं हो जाता। अब सुना जाता है कि चाँदी तीन करोड़ बीस लाख की थी, और इंग्लैण्ड ने भारत को दो करोड़ बीस लाख दिये। एक करोड़ बीच में उडा दिया। ठीक है, उडा दिया। आखिर वह भी इंग्लैण्ड का, यह भी इंग्लैण्ड का। खाता है तो किसी का साक्षा ? वह खायेगा और बीच खेत खायगा और डके की चोट खायेगा। आप खाली हाय-हाय कर सकते हैं, बस हाय-हाय किये जाइए। एक करोड़ क्या, वह दस-बीस करोड़ खा सकता है। भारत आखिर है किसकी बपौती ? १७० करोड़ का सोना किसने उडा दिया और यहाँ प्रामेसरी नोटों के सिवा क्या रह गया ? इंग्लैण्ड का भारत पर राज्य है, इसे न भूलो। राजा पहले अपना और अपने कर्मचारियों और अपने कुत्ते-बिल्लियों का पेट भरता है। अगर कुछ बच जाय तो प्रजा का अहोभाग्य !

२६ जून १९३३

फिर वही शहादतें

सेलेक्ट पार्लिमेन्टरी कमेटी के सामने फिर वही बयानों का नाटक शुरू हो गया जो साइमन कमेटी के सामने खेला गया था। फिर अलग-अलग सस्थाएँ अपने-अपने स्वार्थों का पत्रडा गाने लगी। जमींदारों और ताल्लुकदारों को विशेष मताधिकार चाहिए और प्रातो में 'ऊँची सभा' भी। फिर लीगवाले आयेंगे, और सिन्ध और बलोचिस्तान का किस्सा शुरू हो जायगा। तब गोल काफरेस की जगह चौकोर काफरेस शुरू होगा। और इसी तरह यह नाटक चलता रहेगा, और इधर भारत की दशा हीन से हीनतर होती चली जायगी, सरकार का खर्च बढ़ता रहेगा, जनता पर कर बढ़ता रहेगा, सख्तियाँ बढ़ती रहेगी, बेकारी बढ़ती रहेगी। सरकार जीती हुई है और अपनी जीत के पुरस्कार में वसेंलज की सधि का परिणाम कौन नहीं जानता !

२६ जून १९३३

सुदिन अथवा कुदिन

बड़ी आशा लेकर अथवा हृदय में निराशा होते हुए भी, अपनी निराशा को छिपाते हुए अनेक लिबरल भारत के भावी सघ-शासन के निर्माण में, कमेटी के कार्यों में सहयोग देने के लिए लन्दन गये । यहाँ से खाना होने के पहले ही उन्हें यह बतला दिया गया कि पार्लमेण्टरी कमेटी के सामने उनका पद क्या होगा । वे केवल “असेसर” होंगे—एक बड़ी पचायत के अधिकारहीन पद होंगे । न तो वे गवाही दे सकेंगे, न कमेटी की रिपोर्ट में अपना मत प्रकट कर सकेंगे, न कमेटी के कार्यक्रम की बनावट में ही उनका कोई हाथ रहेगा । उनका केवल एक काम होगा—वह होगा कमेटी के सामने उपस्थित होनेवाले गवाहों से जिरह करना और यदि हो सका, तो पार्लमेण्टरी कमेटी के सामने अपना मन्तव्य प्रकटकर, भारत के भावी शासन को अधिक उदार बनाने की चेष्टा करना ।

जिस समय ये “प्रतिनिधि” या “खिलोने” लन्दन के लिए, सरकारी या प्रजा के खर्चों से खाना होनेवाले थे, हमने, भारत के अधिकांश पत्रों ने, स्पष्ट कह दिया था कि इनकी लन्दन यात्रा का एक ही फल होगा और वह यह कि वे भारत की गर्मी से बच जायेंगे और विलायत की सैर मुफ्त में हो जायगी । लाभ कुछ भी न होगा । ज्योतिषी न होते हुए भी हमारी भविष्यवाणी मत्त निकली ।

“लीडर” के लन्दन स्थित सवाददाता ने, “हिन्दू” के (जिसके सम्पादक स्वयं एक ‘असेसर’ हैं) लन्दन-स्थित विशेष सवाददाता ने तथा ‘फ्री प्रेस जर्नल’ के प्रधान विलायती रिपोर्टर ने लन्दन से चिट्ठियाँ भेजी हैं कि ‘सभी असेसर यह अनुभव करने लगे हैं कि पार्लमेण्टरी कमेटी के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है । वे व्यर्थ लन्दन में समय बिता रहे हैं । भारत का भावी शासन-विधान इस दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है कि उससे भारतीय सन्तुष्ट हो, पर इंग्लैंड के उग्र अनुदारों को प्रसन्न करने की चेष्टा की जा रही है । सोचना यह है कि भारत का ‘श्वेत-पत्र’ से भी बुरा शासन-विधान न मिले ।’

जिन्हें माननीय मि० शास्त्री की तरह (पूना में अपने हाल ही में दिये गये व्याख्यान में उन्होंने यही कहा था) ‘ब्रिटेन तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धिमत्ता तथा न्याय-बुद्धि में’ अब भी विश्वास है, वे लन्दन की सैर करते रहे, प्रजा के व्यय से यदि थोड़ा मनोविनोद हो सके, तो उसे लगे हाथों क्यों छोड़ा जाय । पर हम भारतीयों की समझ में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया है और भारत को सदियों तक झूठे आडम्बरमय अधिकार देकर पराधीन रखने का जो स्वाँग रचा जा रहा है, उसी की विस्तृत, पर स्पष्ट योजना में साथ देने के कारण लन्दन-स्थित लिबरल असेसर भारत के साथ देश-द्रोह कर रहे हैं—हमारे हितों की हत्या कर रहे हैं ।

विश्व आर्थिक सम्मेलन में भारत की ओर से गैर भारतीय तथा ब्रिटेन के नमक स्वार प्रतिनिधि भेजकर ब्रिटिश सरकार ने यह साबित कर दिया है, कि गुड चींटे को छोड़ दें, पर चींटा गुड को नहीं छोड़ सकता । भारत के हित का ब्रिटेन कितना ध्यान रखता है, यह अभी हाल ही में दिये गये लार्ड रादरमियर (टाइम्स आदि विश्व-विख्यात पत्रों के स्वामी) के भाषण के एक अंश से ज्ञात हो जायगा । लार्ड महोदय का कहना है कि—भारत ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी की कील है । यदि हम भारत खो देंगे, तो साम्राज्य ही डूब जायगा । पहले उसका आर्थिक अंग डूबेगा, फिर राजनैतिक हम बिना भारत के सिंगापुर पर या मलाया राज्य पर अधिकार किये शासन न कर सकते और इन दो स्थानों के बिना हम आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैण्ड कभी न पाते—या हम अपने लिए अत्यन्त ही लाभदायक, चीन में होग-कोग की 'क्राउन कोलोनी' के आधार पर ब्रिटिश बाजार न बना सकते ।

ब्रिटेन को बाजार चाहिए और वह भी भारत के द्वारा । वह विश्व नहीं सृष्टि का ही अर्थ-सम्मेलन क्यों न करे, उसे भारतीय हित का विचार नहीं हो सकता । अभी, भारत सरकार की सहायता से बम्बई में चार करोड़ रुपये की चाँदी, ब्रिटेन को अमेरिका का कर्जा पटाने के लिए दी गयी है । जिस देश से ब्रिटेन को इतनी सहायता मिलती हो, उसे वह छोड़ नहीं सकता और सर जार्ज चैसनी की यह चेतावनी इंग्लैंड की दृष्टि से कितनी उचित है कि—'यदि आज अग्नेजी मस्तिष्क इतना गिर गया है, कि उसे राष्ट्रीय-सम्मान का ध्यान नहीं है तो केवल भौतिक हानि से ही, जिसे हर घर को भुगतना पड़ेगा, हम अपने हाथ से भारत के निकल जाने से अपने नाश अनुभव करेंगे । पहले से ही इन नुकसानों की तालिका नहीं बनायी जा सकती, पर उनका सार्वजनिक प्रभाव निस्सन्देह बहुत अधिक होगा ।'

इस नीति या चाल को जानते-बूझते हुए भी, भारतीय 'असेसरो' की तरह सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की आँखें मुदी हुई थी और विश्व-आर्थिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि होकर चले गये, पर लन्दन में जाकर, हवा का जो रुख उन्होंने देखा, जब यह देखा कि अर्थ-ज्ञान से शून्य भारत-सचिव सर सैम्यूल होर ने अपने को भारतीय-प्रतिनिधि-मंडल का मुखिया बना रखा है (यद्यपि भारत की व्यावहारिक संस्थाएँ इस नेतृत्व के विरुद्ध लगातार तार भेज रही हैं) तो सारी स्थिति तथा अपना अपमान-जनक पद इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया कि वे तुरन्त इस सम्मेलन के स्वर्ग से हट गये और उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर भारत के भाग्य-निर्माताओं का भण्डा फोड़ कर दिया । भारत-सरकार को सर पुरुषोत्तमदास से ऐसी आशा न रही होगी और वह मन ही मन ज़हर का घूंट पीकर रह गयी होगी ।

पर, क्या हम आशा करें कि अब 'असेसरो' की आँखें खुल गयी हैं, और वे भी सयुक्त पालमेटरी कमेटी का भण्डा फोड़ कर तुरन्त उसके प्रहसन से अलग हो जावेंगे ?

यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वास्तव में देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चर्चिल-बाल्डविन-युद्ध कृत्रिम है, बनावटी है। उसका केवल एक लक्ष्य है—भारतीयों को मूर्ख बनाकर, मीठे बनकर उन्हें कुछ न देना। स्वयं पार्लियामेंट के अनेक मजदूर सदस्य इस रहस्य का भण्डा फोड़ कर चुके हैं। ऐसी दशा में वह निश्चित है, कि अगले भारत का भविष्य घोर अन्धकार में है। उसे कुछ न मिलेगा।

जब एक और ब्रिटिश पार्लियामेंट की भावी जड़ता के काले बादल इस प्रकार उठ रहे हैं, देश का नवयुवक-समुदाय चुम्बक तथा विचलित होता जा रहा है, महात्मा गांधी की नर्म, सम्हली हुई, अहिंसक तथा सुघड नीति में उसे आलस्य, संकोच तथा भय और अनुचित सतर्कता दीख पड़ती है, अराजक तथा क्रान्तिकारी अपनाने योग्य कार्यों को बढ़ाते जा रहे हैं, अहिंसात्मक, पर उत्तेजित युवक भी कांग्रेस से बगावत करने पर तुले हुए हैं। लन्दन में 'भारतीय राजनैतिक सम्मेलन' के अवसर पर मनोनीत, पर अनुपस्थित सभापति श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस का भाषण कितना उग्र था, यह उसे पूरा पढ़ने से ही ज्ञात हो सकता है। बोस बाबू ने महात्मा जी के नेतृत्व को असामयिक बतलाया, १९३१ की सन्धि को राष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा और १९३३ में छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करना 'विगत १३ वर्षों के परिश्रम पर पानी फेर देना' बतलाया और अन्त में नवयुवकों के नवीन सघटन की सलाह दी। मि० बोस के इस उग्र भाषण पर टीका करता हुआ 'फ्री प्रेस जर्नल' जो विचार प्रकट करता है, उससे हम सहमत हैं। पत्र का कथन है—'देश के जिन नवयुवकों की ओर से मि० बोस बोल रहे हैं, वह ऐसे नेतृत्व से सन्तुष्ट नहीं रह सकता, जो बार-बार समझौता करता चलेगा या किसी सरल उपाय की खोज करेगा। छोटे-मोटे घूस (अधिकारी को) स्वीकार करने से यह अच्छा है कि लगातार युद्ध करता ही जावे। छोटे मोटे घूस से अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना कठिन हो जाता है। राजनैतिक नेतृत्व में पवित्रता ऐसी कोई वस्तु नहीं है। जब तक नेता राष्ट्र के मूलोद्देश्य को नहीं खो देता, उसे प्राप्त करने के लिए, कम से कम समय पाने के लिए, सब प्रयत्न करता रहता है, वह अपने नेतृत्व पर जमा रहता है, मि० बोस के व्याख्यान का यही उपदेश है। यद्यपि उनकी आलोचना अनुचित है, पर चेतावनी सामयिक है।'

हमारी सम्मति में इससे बढ़कर यह चेतावनी ब्रिटिश सरकार के लिए विशेष मूल्य रखती है। यदि 'श्वेत-पत्र' ही भारत का शासन-विधान बना, यदि फ्री प्रेस लन्दन के समाचार अनुसार केवल प्रांतीय स्वाधीनता मिली, यदि भारत का भावी शासन संरक्षकों की मार से मारता रहा—तो भारतीय नवयुवकों की स्वाधीनता की व्यास के साथ कांग्रेस कहाँ तक नर्म तथा सम्हली नीति का सम्मिश्रण करायेंगी? यह किस प्रकार संभव होगा! भारत का भविष्य क्या होगा! भारत के राजनैतिक आकाश में बड़ी काली घटाएँ उमड़ रही हैं, हमें एक और सरकारी जड़ता के, दूसरी ओर नवयुवकों

के विद्रोह के लक्षण दिखलायी पड रहे है । इसका फल क्या होगा ? देश का सुदिन आने वाला है या कुदिन !

२६ जून १९३३

बौरे की भैस

मसल है कि एक गँवार की भैस ब्याई तो सारा गाँव हाँडी ले-लेकर दूध लेने दौड पडा । कुछ यही हाल आजकल पार्लमेन्टरी कमेटी का है । सिविल सर्विस सच और पुलीस सच, सब के सब अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा करने दौड रहे है । उनके लिए भारत केवल उनकी नौकरी है । इस पर किसी तरह आँच न आने पाये । उनके जो अधिकार इस वक्त है, जो भत्ते और रियायते उन्हें इस वक्त हासिल है, उनमे किसी तरह की कमी न आने पाये । अगर भविष्य मे सिविल सर्विस की ऊँची जगहे तोड दी जायँ, तो उन लोगो को जिन्हे उन जगहो को तोडने से हानि पहुँचेगी, हरजाना दिया जाय । मिनिस्टर को उनके विषय मे बोलने का कोई अधिकार न हो, वे सीधे-सीधे गवर्नर से पत्र-व्यवहार करते रहे और उनके विषय मे सिवाय सेक्रेटरी के और कोई कुछ हुकम न दे सके । अगर उनके विषय मे कोई जाँच कमेटी बैठायी जाय तो उस कमेटी मे बैठनेवाले व्यक्ति गवर्नर की स्वीकृति से चुने जायँ । यह तो हुई कुछ सिविल सर्विस की माँग । पुलीस विभाग की माँग तो और भी जबरदस्त है । उसने तो अपने मेमोरेडम की भूमिका मे ही कह दिया है कि यदि उसकी यह माँग न स्वीकार की जायँ तो इम्पीरियल पुलीस-विभाग को तोड दिया जाय । कानून और शान्ति-रक्षा के विभाग को मिनिस्टरो के अधिकार मे दे देना उनके लिए सरासर हानिकर है । बेशक हानिकर है । जो लोग अब तक बादशाही करते आये है, वह यह कब पसन्द करेगे कि उनके अधिकारो मे रस्ती-भर भी कमी की जाय । श्वेत-पत्र मे ढूँढने से भी कही कुछ जान नहीं है, लेकिन उस पर भी यह हाय-बावेला मचाया जा रहा है और इसका उद्देश्य इसके सिवा और कुछ नहीं है कि आनेवाली व्यवस्था को ऐसा जकडबन्द कर दिया जाय कि मिनिस्टरो को जो थोड़ा-बहुत अधिकार मिलने की आशा है, वह भी जाता रहे और नीबू निचुड कर बिलकुल छिलका-छिलका रह जाय । हम पूछते है, अगर जनता को नौकरशाही के हाथो मे इसी तरह पिसते रहना है, और पुलीस और सिविल सर्विस ही के हाथो मे फिर भी सारे अधिकार रहेगे तो व्यवस्था किस मर्ज की दवा होगी ।

२६ जून १९३३

अण्डमान के कैदी

समाचार है कि २६ जून को अण्डमान के कैदियों का अनशन समाप्त हो गया । क्यो तथा कैसे समाप्त हुआ, यह ठीक कहा नहीं जा सकता । क्या काँग्रेस, जनता तथा समाचारपत्रों के विरोध का फल यह निकला कि सरकार ने कैदियों के संग रियायतें कर दी ? अथवा क्या कारण है ? जो भी हो, अनशन की समाप्ति में सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा , अतएव हम उसे बधाई देते हैं ।

३ जुलाई १९३३

राष्ट्र के नेताओं में वर्तमान समस्या पर विचार

समाचारों से मालूम हुआ है कि वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए १२ जुलाई को पूना में नेताओं की बैठक होगी । हमें आशा है उनका निर्णय परिस्थितियों के अनुकूल होगा । सत्याग्रह आन्दोलन क्रांति थी । यह मान लेने में कोई संकोच न होना चाहिए कि क्रांति असफल हो गयी । राजनीति में सत्याग्रह और दुराग्रह में कोई भेद नहीं रह जाता । जब राष्ट्र कानूनी व्यवस्थाओं को तोड़ता है तो वह संगठित शासन-व्यवस्था को भी कानून तोड़ने और विशेष अधिकार ग्रहण करने की प्रेरणा करता है । इसके विपरीत शासन के भीतर जाकर शक्ति-संचय करने से सफलता की अधिक संभावना है । यह सत्य है कि अब तक भारत को वैध आन्दोलन का बड़ा कड़वा अनुभव है ; पर इसका मुख्य कारण यह था कि जो लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर जाते थे उनके पीछे जनमत की कोई शक्ति न होती थी । राष्ट्र में अब कुछ राजनैतिक चेतना आ गयी है और यह असंभव है कि उसके प्रतिनिधियों की अब पहले की भाँति उपेक्षा की जा सके ।

३ जुलाई १९३३

नेता-सम्मेलन

संभवतः यह पूर्णतः निश्चित हो चुका है कि बारह जुलाई से, पूने के तिलक मेमोरियल हाल में लगभग २०० प्रमुख काँग्रेसी नेताओं का सम्मेलन होगा । अधिवेशन दो दिन का होगा और वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार राष्ट्रपति अणु समापति का आसन ग्रहण करेंगे । आशा है कि सम्मेलन के पूर्व ही, निजी परामर्श-द्वारा, काँग्रेस की भावी

योजना के विषय में निश्चित प्रस्ताव पेश कर दिये जायेंगे। उन पर विचार कर, तब संशोधन इत्यादि होगा।

ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार ने भी अपनी जड़ता का रूख बदला है। वह धीरे-धीरे काँग्रेसी नेताओं को रिहा कर रही है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी, श्रीठाकुरदास जी, श्री दुर्गाप्रसाद खत्री तथा श्री सम्पूर्णानन्दजी ऐसे काशी के सम्मानित नेताओं का लम्बी अवधि के पहले ही छूट जाना इस बात के प्रमाण है। किन्तु, फिर भी, आश्चर्य होता है, कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन के पहले श्री जवाहर लाल नेहरू क्यों नहीं छोड़ दिये जाते? पं० जवाहर लाल नेहरू से सत्याग्रह का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि बिना उनकी सम्मति के, स्वीकृति के, सत्याग्रह स्थगित नहीं हो सकता। सरकार इस बात को बखूबी जानती है, पर वह जानबूझ कर मन मारे बैठी है। पं० नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं। उनकी तीन चौथाई सजा पूरी हो चुकी है। उनका पूने में उपस्थित रहना अनिवार्य है, पर सरकार अच्छा भी काम करके उसके साथ कुछ बुराई कर लोकप्रियता खो देती है।

इधर शिमला का समाचार है कि लार्ड विलिंगडन उस समय तक गांधी जी से मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जब तक सत्याग्रह न स्थगित कर दिया जाय। लार्ड महोदय सभवतः लार्ड इर्विन की उस भूल का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने काँग्रेस ऐसी बागी सस्था के साथ "पैक्ट" कर के की थी, पर इस "स्थिरता" से कोई लाभ न होकर काँग्रेस के उग्र पक्षवालों की उत्तेजना ही बढ़ेगी।

किन्तु, हम आशा करते हैं, कि काँग्रेस अपने भरसक ऐसा कोई कार्य न करेगी, जिससे देश का अकल्याण होगा। ईश्वर हमारे नेताओं को बुद्धि तथा बल प्रदान करे।

१० जुलाई १९३३

पुलीस का काम हवाई जहाजों की बम-वर्षा से

ब्रिटिश सरकार बीसवीं सदी की नयी 'अप-टुडे' सरकार है। इसका परिचय उसने अभी हाल में दिया है। निरशस्त्रीकरण कमेटी में एक प्रस्ताव यह था कि लडाइयों में जो निरशस्त्र जनता पर हवाई जहाजों से बम बरसाने की प्रथा चल पडी है, उसे उठा देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त अंग्रेजों की हवाई शक्ति न अव्वल है, न दोयम बल्कि पंचम, फिर पिछली लड़ाई में जर्मनी के बम-बाजों ने इंग्लैंडवालों को बम वर्षा का थोड़ा मजा भी चखा दिया था। ब्रिटिश सरकार जानती है कि कहीं फिर लड़ाई छिडी तो इंग्लैंड की खैरियत नहीं। इसलिए उसने असीम उदारता का भाव दिखाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मगर केवल एक छोटा-सा अधिकार

स्वरचित्त रखना चाहा और वह यह कि इंग्लैंड अपने सीमान्त प्रदेशों में पुलीस का काम करने के लिए बम बरसाता रहेगा। कितना सरल ढंग है पुलीस के काम करने का। पुलीस का काम है जनता के जान और माल की रक्षा करना। बमों से ज्यादा कौन यह रक्षा कर सकता है। और फिर कोई भ्रंश नहीं। न पुलीस को वहाँ जाना पड़ेगा और न कोई जोखिम उठाना पड़ेगा। चुपके से एक हवाई जहाज जाकर सारा काम समाप्त कर सकता है। हमारा खयाल है, अगर सरकार पुलीस विभाग तोड़ कर हरेक जिले में एक-एक दो-दो हवाई जहाज रख दे, जो बम बरसा कर जनता की रक्षा किया करे, तो उसे एक बहुव्ययी पुलीस-विभाग रखने की जरूरत न रहेगी! लाल पगडीवालों की एक फ़ौज रखकर करोड़ों रुपये साल खर्च करने से क्या फायदा? हवाई जहाज बड़ी किफायत से जनता की रक्षा कर सकते हैं। हम दावे से कह सकते हैं, कि फिर जनता कभी चूँ तक न करेगी। कोई ज़बान न हिलावेगा। यह सारा सत्याग्रह का बखेडा और जलसे और मुकदमे शान्त हो जायेंगे। जहाँ कोई जलसे देखो, चट दो-चार छोटे-छोटे बम गिरा दो। फिर जो एक भी विद्रोही जलसे में रह जाय तो हमारा जिम्मा। सब के सब इस तरह भर हो जायेंगे जैसे बन्दूक की आवाज़ सुनते ही चिड़ियाँ भर हो जाती है। यह बीसवी सदी है। इसे जनतंत्र का युग कहते हैं। भला इस युग में ऐसे कम खर्चवाला नशीन नुस्खे से काम न लिया जायगा, तो कब लिया जायगा? नये आविष्कारों का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि बीसवी सदी में पुरानी पुलीस से काम लिया जाय। अंग्रेजी गवर्नमेंट अपने दुश्मनों पर बम नहीं बरसाना चाहती। यह तो पशुता है और बर्बरता है, लेकिन अपनी प्रजा पर बम गिराने का उसे पूरा अधिकार है, इसमें कौन बाधक हो सकता है? मैं अपने बच्चे को आखिर पीटती है या नहीं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को पीटे तो हम देखे।

१० जुलाई १९३३

नयी परिस्थिति

महात्मा गांधी के दोनों तारों के वाइसराय ने जो जवाब दिये हैं, उन्हें देखकर हमें दुःखमय आश्चर्य हुआ। भारत की गवर्नमेंट भी ऐसे अवसर कम ही देती है। जब कांग्रेस की ओर से निर्णय का कोई सरकारी बयान नहीं निकला, तो वाइसराय को अखबारों की रिपोर्टों से ही क्यों राय कायम कर लेने की जरूरत हुई?

यह छिपी हुई बात नहीं है—सरकार से कोई बात छिपी रह भी सकती है?—कि कांग्रेस के नेताओं में स्वयं आंदोलन को बंद कर देने की मनोवृत्ति उत्पन्न हो गयी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं।

काँग्रेस गरीबों का आंदोलन है, थोड़े से लोगों को छोड़कर अधिकांश इसमें ऐसे ही लोग हैं, जिन पर गृहस्थी का भार है। तीन साल जेल में रहते-रहते उनकी आर्थिक दशा चौपट हो गयी है। जो वकील थे, उनके मुअ्विकल हवा हो गये, डाक्टरों के मरीज, व्यापारियों के ग्राहक अब ढूँढे भी नहीं मिलते। जिन्होंने नौकरियाँ छोड़ दी, उनका तो कहना ही क्या। तीन साल तक आंदोलन को खींच ले जाना, क्या कोई छोटी बात थी! देश के प्रति जितना त्याग किया जाना संभव था, उतना उन्होंने किया। इससे अधिक त्याग की किसी से आशा रखना, उसे मनुष्यता के पद से उठा कर, हम तो कहेंगे गिरा कर, देवता बना देना है। फिर सारी जिंदगी भर असहयोग हीं करके तो नहीं रहा जा सकता, उसी तरह जैसे दवाओं के भरोसे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। जेल और सत्याग्रह यह तो स्वयं कोई उद्देश्य नहीं, केवल साधन है। और ऐसे आंदोलन से जिस सफलता की आशा हो सकती थी, वह बड़ी हद तक पूरी हो गयी। यह तो कोई बालक भी न आशा करता था कि सत्याग्रह का फल यह होगा कि ब्रिटिश सरकार बोरिया बक्सा संभाल कर भारत से विदा हो जायगी। अधिक से अधिक यही हो सकता था, कि जनता में राजनैतिक जागृति हो जाय और सरकार की नैतिक पराजय हो जाय। यह दोनों बातें हासिल हो गयीं और असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था वह बहुत कुछ पूरा हो गया। सरकार का दरजना आर्डिनेंस बनाने के लिए मजबूर हो जाना स्वयं इस बात का प्रमाण है, कि काँग्रेस ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात् नैतिक विजय। सरकार सैनिक शासन करने में सर्वथा समर्थ है, इसमें तो शायद किसी को भी सन्देह न होगा और महात्मा गांधी ने तो स्वयं इसे स्वीकार भी किया है। आजकल हम एक प्रकार के सैनिक-शासन में रह रहे हैं, इसमें भी कौन इंकार कर सकता है। यह सत्य है, कि जो व्यक्ति सरकार को न छोड़े उसे सरकार भी नहीं छोड़ती। जो उसकी शक्ति को ललकारता है, उसी पर उसका फौलादी पजा पड़ता है, पर सच्चा शासन वही है, जिसमें राजनैतिक विकास की सभी तरह की सुविधाएँ हों। राजनैतिक दमन चाहे किसी व्यवस्था को जीवित रखने में सफल हो जाय, पर वह देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। इस दृष्टि से सत्याग्रह का काम एक प्रकार से पूरा हो गया और अब काँग्रेस को वह काम हाथ में लेने की जरूरत है, जिसके बगैर कोई भी व्यवस्था चाहे वह कितनी भी उदार और प्रगतिशील क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती। उसे राष्ट्र का निर्माण भी करना है और व्यवस्था का भी। उसे व्यवस्थापक सभाओं में अधिक से अधिक सत्ता में जाकर शासन में उदारता और सुचारुता का संचार करना है। उन्हें अपने चरित्रबल, त्याग और सेवा के ऊँचे आदर्श का ऐसा परिचय देना है, कि सरकार को उनका बहुमत न होने पर भी उनका लोहा मानना पड़े और जनता उन्हें अपना सच्चा हितैषी समझे। काँग्रेस ने बुनियाद खोदी है, तो उसे अपने ही हाथों दीवारों और छतों, द्वारों को भी बनाना पड़ेगा। यह आशा करना व्यर्थ है, कि उसकी खोदी हुई नींव पर,

दूसरे आकर उसकी मन चाही इमारत खड़ी कर देंगे। काँग्रेस के नेताओं में सत्याग्रह को उठा लेने के लिए एक मनोवृत्ति यह भी अग्रशय थी। इसलिए जब हमने देखा, कि काँग्रेसी नेताओं का बहुमत आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में है, तो हमें ताज्जुब हुआ। जब टाइम्स और बाम्बे क्रानिकल पत्रों का कहना है, कि सम्मेलन में बहुमत आंदोलन को उठा लेने के पक्ष में था, तो यह ताज्जुब और भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा बहुमत था, तो यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार हुआ ? हो सकता है, कि दस-पाँच उग्र नेताओं को दून की लेंते देखकर अन्य सज्जनों ने भी इस भय से कि कहीं हम डरपोक और अकर्मण्य न समझ लिये जायँ, अपने आत्म-निर्याय के विरुद्ध आंदोलन जारी रहने के पक्ष में राय दे दी हो, हालाँकि जिम्मेदार नेताओं से यह आशा की जाती है, कि वे आवेश या क्षणिक उद्गार को अपने ऊपर कभी न गालिब आने दें, लेकिन इस बहुमत के होते हुए भी ऐसे नेताओं की संख्या कम न थी, जो विसर्जन के समर्थक थे। फिर भी जब सम्मेलन ने आंदोलन के पक्ष में राय दे दी, तो उसे अपना प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल करना चाहिए था। इसमें वाइसराय से सलाह लेने की क्या जरूरत थी ? और खासकर जब सरकार इसके पहले कई बार कह चुकी है, कि जब तक सत्याग्रह उठा न लिया जायगा वह समझौते की बात नहीं कर सकती। हमारी समझ में यह एक ऐसी भूल थी, जिसने बहुतों को काँग्रेस से विरक्त कर दिया है।

लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब हमें वाइसराय के जवाब से हुआ। इसमें सदेह नहीं कि हम इसी जवाब को आशा कर रहे थे। एक बच्चा भी जानता था, कि वाइसराय क्या जवाब देंगे। फिर भी हमें आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। भारत का पूज्य राष्ट्रीय नेता सच्चि और समझौते के लिए वाइसराय से मिलने की प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना ठुकरा दी जाती है। इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है, कि काँग्रेस को दिखा दिया जाय कि सरकार उसे किनना जल्दिल समझती है। और यह व्यवहार उस समय किया गया, जब वाइसराय को और गवर्नमेन्ट को यह मालूम था कि काँग्रेसी नेताओं में इस विषय पर गहरा मतभेद है और परिस्थिति आंदोलन के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। इस वक्त राजनैतिक महानुभूति दिखाकर राष्ट्र का कितना बड़ा उपकार किया जा सकता था। महात्मा गांधी यह जानते हुए वाइसराय के पास जा रहे थे, कि काँग्रेसी नेताओं की बहुत बड़ी संख्या आंदोलन के पक्ष में नहीं है, और न परिस्थिति ही ऐसी है कि आंदोलन सफलता के साथ चलाया जा सके। यह जानते हुए महात्मा जी के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव करना असंभव था, जो काँग्रेस को आंदोलन जारी करने पर मजबूर कर दे। ऐसी दशा में भी सरकार ने सज्जनता को दफतरी नीति के पैरो के नीचे कुचल डालना ही उचित समझा। हमारे विचार में वाइसराय ने यह गवर्नमेन्ट की कमजोरी का सबूत दिया है, और एक ऐसी अच्छी परिस्थिति को जिसमें महात्मा जी को मिलने का अवसर देकर, कम से कम काँग्रेस के उन नेताओं

पर वह अच्छा असर डाल सकते थे, जो त्रिसर्जन के पक्ष में थे, हाथ से जाने दिया गया।

हमें आशा है कि कांग्रेस दोबारा आवेश में न आवेगी। उसने राष्ट्र-सेवा का बीड़ा उठाया है और समय तथा अवसर का विचार करके उसे अपने आदर्श पर जमा रहना है। आंदोलन को इस समय किसी रूप में चलाने का उद्योग करना बेकार है। व्यक्तिगत-सत्याग्रह केवल दीवार से सिर टकराना है। इससे जो नतीजा या असर होना था, वह पहले ही हो चुका है। कांग्रेस को लड़ाई अब केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं रह गयी है। यह लड़ाई अब लिबरल और कजरवेटिव मनोवृत्तियों की है। और यह दोनों बल हमेशा हारते जीतते रहते हैं। इस वक्त कजरवेटिव दल ज़रा मजबूत पड़ गया है। उसमें हमारे जमींदार, ताल्लुकेदार, सरकारी-नौकर और उनके पिछलगुए सभी शामिल हैं। कोई मुजायका नहीं। अभी बहुत दिन नहीं हुए मजूरदल का प्राबल्य था। अब कजरवेटिव-दल का प्राबल्य है। वरी ब्रिटेन की दशा भारत में है। मजूरदल फिर शक्ति पाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है, और अवश्य ही एक दिन उसे अधिकार मिलेगा। कांग्रेस को भी शिक्षा, प्रचार और संगठन-द्वारा जनता में जागृत पैदा करना है, क्योंकि स्वराज्य प्राप्ति का इसके सिवा दूसरा साधन नहीं है। इस अवसर पर क्रोध या आवेश में आकर राष्ट्र के हित को भूल जाना उचित नहीं है। बहुत संभव है, यह नीति कांग्रेस को शासन-विधान से अलग रखने के लिए ही अस्तिपार की गयी हो। हम अपने नेताओं से और महात्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वे आंदोलन को उठाकर कांग्रेस-संस्था को उपयोगिता की ओर ले जायें और राष्ट्र को इस तरह तैयार करे कि उसमें राजनैतिक उन्नति के लिए त्याग करने की और उद्योग करने की शक्ति उत्पन्न हो। जब तक प्रजा चैतन्य न हो, उसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती।

२४ जुलाई १९३३

आठ करोड़ का खर्च

साइन-कमीशन आया, उसकी रिपोर्ट आयी, तीन-तीन गोलमेज़ हुए, मताधिकार कमीशन आया, फिर सेलेक्ट कमेटी आयी और खुदा जाने अभी क्या क्या आना बाकी है। अब सर माल्कम हेली ने सेलेक्ट कमेटी के स्वरूप अपना बयान देते हुए फरमाया है, कि इस व्यवस्था से सरकार पर आठ करोड़ का बोझ और पड़ जायगा और मजे की बात यह है कि नये-नये सूबों के बनाने से ही यह खर्च बढ़ेगा। मसलन् दो ढाई करोड़ तो बर्मा को अलग करने ही में खर्च होगा। सिंध भी इतना ही लेगा। १९२० में जो सुधार हुए, उसमें करोड़ों रुपये का खर्च बढ गया, प्रजा की हालत ज्यों की त्यों है। अब आठ करोड़ का खर्च होगा। होने दो। प्रजा से दस-बीस करोड़ वसूल करना कुछ मुश-

किल नहीं है। पाँच सौ आमदनी पर टैक्स लगा दीजिए, रेल के किराये में एक पाई फी मील बढ़ा दीजिए, अक्वल दायम दर्जे में नहीं डाकखाने को भी जरा और टटोलिये, पोस्टकार्ड एक आने का और लिफाफे दो आने का कर दिया जाय, तो कोई बुराई न होगी। इस तरह आठ करोड़ की जगह शायद १६ करोड़ हाथ आ जाय। जिन्हें खत लिखना है, वे भ्रुक मारकर लिखेंगे, जिन्हें तार देना है, वे भ्रुक मारकर तार देंगे, जिन्हें रेल पर जाना है, वे भ्रुक मारकर जायेंगे, अपने बाल-बच्चों के पालन के लिए धनो-पार्जन तो लोग करेंगे ही। टैक्स का क्षेत्र जरा और बढ़ा दो, रुपये ही रुपये नजर आवेंगे। यही तो होगा, लोग कहेंगे बड़ा खराब जमाना आ गया है, बड़ी गिरानी है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे जितनी पार लगेगी। बकने दीजिए। आपको इन बेकार की बातों से मतलब। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ आमदनी की एक दूसरी सूरत यह है कि शादियों पर टैक्स लगा दीजिए, हस्बे हैंसियत और मौत पर भी—जायदाद के परते से। जहाँ जनमत की परवाह नहीं है, जहाँ का जनमत अपंग है, वहाँ जितने टैक्स चाहे लीजिए, कौन पूछता है।

२४ जुलाई १९३३

आनेवाला विधान और मिनिस्टर

जो विधान आनेवाला है, कब आयेगा इसमें कोई बहस नहीं, उसकी मुख्य वस्तु मिनिस्टर होंगे। सब कुछ मिनिस्टरों पर ही निर्भर होगा। अगर मिनिस्टर बहुमत रखनेवाले दल का नेता होगा और अन्य मिनिस्टर उसकी राय से चुने जायेंगे तब तो व्यवस्था सतोषजनक होगी। इसके विपरीत अगर मिनिस्टर को गवर्नर अपनी इच्छा से चुनेगा और अपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी कर देगा, तब व्यवस्था केवल धोखे की टट्टी है। सेलेक्ट कमेटी के सामने बयान देते हुए, सर समुएल होर ने निश्चित रूप से इस विषय में अपना क्या मत प्रकट किया, यह तो अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, पर रिपोर्टों द्वारा जो खबर आयी है, उससे यही विदित होता है कि गवर्नर ही मिनिस्टरों को अपनी इच्छा से चुनेगा और यदि वे उसकी इच्छानुसार काम न करेंगे तो उन्हें वह अलग भी कर देगा। इस रिपोर्ट ने वर्तमान मिनिस्टरों को बहुत आशंकिन कर दिया। संयोग से इन्हीं दिनों सभी प्रांतों के मिनिस्टर शिमले में विचार विनिमय के लिए जमा थे। उन लोगों ने वाइसराय के पास जाकर अपनी संका प्रकट की और गवर्नमेंट को एक कम्प्युनीक निकालकर जनता को आश्वासन देना पड़ा कि सरसैमुएल होरके बयान का यह आशय नहीं था। अगर वास्तव में सरसैमुएल होर का यह आशय नहीं था, तब तो ठीक है,

लेकिन यदि गवर्नर आजकल के मिनिस्टरो की तरह नये विधान मे भी मिनिस्टरो पर नियन्त्रण रखेगा तो इस नये विधान की कोई जरूरत ही नही रह जाती । इससे तो कही अच्छा है कि गवर्नर स्वयं अपने सेक्रेटरियो की सहायता से सभी कामो का सम्पादन करे । जब आनेवाली मिनिस्टर भी “हिज़ मास्टर्स वाइस” की भाँति गवर्नर के शब्दो को दुहरायेगे तो व्यर्थ मे जनता के सिर पर नये खर्च का बोझ लाने की क्या जरूरत है ।

२४ जुलाई १९३३

भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव

श्री सम्पूर्णानन्द जी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओ मे है । आपने अपने लेख मे पूना-सम्मेलन के विषय मे जो विचार प्रकट किये है और राष्ट्रीय संग्राम के भावी कार्यक्रम मे जिस परिवर्तन की जरूरत बतलायी है, वह सर्वथा विचारणीय है । हमारा खयाल है कि ये वही विचार है, जो इस समय प्रत्येक विचारवान् मनुष्य के मन मे उठ रहे है और आपने उन विचारो को राष्ट्र के सामने रख कर जनमत ही को निर्भीकता से व्यक्त किया है । जैसा आपने कहा है, “ह्वाइट पेपर” के आधार पर तो सरकार से किसी तरह का समझौता हो ही नही सकता, हाँ हमे, अपने कार्य-पद्धति को कुछ इस तरह बदलना पडेगा कि वह जहाँ जनता की राष्ट्र-भावना को प्रगतिशील रखे, वहाँ गवर्नमेन्ट को भी जनमत का सम्मान करने के लिए बाध्य कर सके ।

अब तक हमने अपने असंतोष को व्याख्यातो, जलूसो और अवज्ञा द्वारा ही प्रकट किया है । हमारे निजी, घरेलू, आन्तरिक जीवन से कोई सम्बन्ध न था । मानो यह असन्तोष केवल दिखाने की वस्तु है, हमारा आन्तरिक जीवन उससे बिलकुल अच्युत है । हमारे राजनैतिक और वास्तविक-जीवन मे मानो कोई दीवार, खिंची हुई है । हमारे शादी-द्विवाह, मेले-तमाशे, उत्सव-पर्व पूर्ववत् होते रहते है । दीवाली मे दीपक जलते है और जुआ होता है, होली मे गुलाल उडती है और पकवान पकते है । इसी तरह प्रायः सभी उत्सव उसी हर्ष और उत्साह से मनाये जाते है, मानो हमे कोई चिन्ता, कोई क्लेश नही है । माघ मे उसी श्रद्धा से जनता स्नान करने आती है, शदियो मे उसी समारोह से आतिशबाजियाँ छूटती है और फुलवारियाँ लुटती है । जिस राष्ट्र के यथार्थ जीवन मे राजनैतिक अन्धमत्ता इतना गौण स्थान रखती हो, उसके विषय मे यही कहा जा सकता है, कि अभी राजनीति केवल उसके ओठो तक है, नीचे नही उतरने पायी । अगर राष्ट्र विकल है, अगर उसे स्वराज्य की लगन है, अगर उसे गुलामी अखरती है तो उसकी विकलता को, उसकी लगन को, उसकी अखर को, उसके नित्य दैनिक मे व्यक्त होना चाहिए । जो पराधीनता के अपमान और अधोगति को

शर्बत की भाँति पीकर मस्त घूमता है, जो अपनी और अपने राष्ट्र की दुर्गति से केवल उतनी ही देर तक व्यथित होता है, जितनी देर वह किसी सभा में बैठा होना है। उसमें आजादी की सच्ची प्यास अभी जागी ही नहीं। राष्ट्र में आजादी की यही प्यास जगनी होगी। जब हम आजादी को ससार की सबसे प्यारी वस्तु समझने लगे, जब उसके लिए हम निरन्तर साधना करेंगे, जब उसके लिए हमारे मन में प्रचंड संकल्प होगा, जब हम अपने छोटे-छोटे हर्ष और विषाद को भूल जायेंगे, जब वह कामना इतनी बलवती हो जायगी तभी हमें उसके दर्शन होंगे। यहाँ छिपकर कोई काम करके अपनी आत्मा को दुर्बल बनाने की जरूरत नहीं। हमें कोई उत्सव मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब यह भाव अन्दर जाग उठेगा, तो मजबूरी का प्रश्न ही न रहेगा। हमें स्वयं अपनी परिस्थिति इतनी चुभने लगेगी कि उत्सव और मेले हमें हलके मालूम होने लगेंगे। जो राष्ट्र पैरो के नीचे पड़ा हो, उसे तो देवताओं के दर्शन करते भी शर्म आनी चाहिए। वह अपनी अयोग्यता का कलंक मुख में लगाये देवताओं के सामने आकर क्या कभी उनका आशीर्वाद पा सकता है ? उसकी पूजा भेंट देवताओं को स्वीकार भी होगी ?

२१ जुलाई १९३३

हमें ऐसा सुधार नहीं चाहिए

अभी २४ जुलाई को शिमले में पंजाब कौंसिल की बैठक के समय एक गश्ती चिट्ठी का खूब मजाक उड़ाया गया जो किसी व्यक्ति ने सारे मेम्बरों और पदाधिकारियों के नाम भेजी थी। पत्र के लेखक ने अपने को "अंग्रेजी राज्य का शुभेच्छु और भारत का सच्चा हितैषी" लिखा है। उसका यह दावा स्वीकार किया जाय या न किया जाय, पर हम तो समझते हैं कि उस पत्र का मजाक उड़ाना सच्चे जनमत का मजाक उड़ाना है। यही मनोविचार अधिकांश जनता के हैं और उसमें हँसी की उतनी बात नहीं जितनी विचार करने की बात है। पूरा पत्र तो बहुत लम्बा है और हमारे पास इतना स्थान नहीं है, कि हम सबका सब नकल कर सकें, पर हम उसके कुछ अंशों को नकल करके पाठकों के सामने रख देना चाहते हैं—

"शिमले में शीघ्र ही कौंसिल की खर्चीली बैठक होगी, पर उससे देश को क्या लाभ होगा ? दायित्वहीन मेम्बरान कुछ प्रस्ताव पास करेंगे और सरकारी नौकरों पर कुछ आक्षेप किये जायेंगे। मैं पूछता हूँ आप लोगों ने अब तक सिवाय मोटे-मोटे वेतन फटकारने के और कौन-सा मैदान मारा है। जिन लोगों को मिनिस्टरी मिल गयी है, ऐसे वेतन पर जो भारत में अभूतपूर्व हैं, उन्हीं की चाँदी है। इन मिनिस्टरो ने जो

पाँच हजार रुपये महीना पाते हैं और इन कौंसिलो ने अब तक क्या काम किया है ? ये मिनिस्टर और कौंसिल के सभापति रोजाना कितने घंटे काम करते हैं ? कलक्टर और कमिश्नरो की कोई बात भी नहीं पूछता, हालाँकि उन गरीबो को दस घंटे रोज काम करना पड़ता है और अब नये काउंसिलर बननेवाले हैं । उनके शासन का खर्च बढ़ जाने से ईश्वर का और कौन उपकार होगा ?”

इसके बाद लेखक ने जनमत-प्रधान शासन की निंदा की है और अंग्रेज अफसरों का प्रशंसा का गीत गाया है । पत्र का यही भाग ऐसा है जिसने इसके मूल्य को कौड़ी के बराबर भी नहीं रखा । उस अंश को व्यर्थ समझ कर हम छोड़ देते हैं । आगे चल कर वह लिखता है—“हमें मोटे-मोटे बेतनो पर तीन या चार मिनिस्टरो या कौंसिल के सभापति की जरूरत नहीं है जो साल में केवल सौ घंटे के लिए आ बैठते हैं । क्या यह राष्ट्र के धन का अपव्यय नहीं है ? कितने ही चपरकनाती बड़े आदमी बन गये हैं और ब्रिटिश लोग तमाशा देख रहे हैं । वे असली हालत जानते हैं और उस समय का इन्तज़ार कर रहे हैं, जब आप हाथ बाँधे हुए उनके सामने जायेंगे और कहेंगे कि हमें अराजकता से बचाइये । आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि कौंसिलो को भी म्युनिसिपल और जिला बोर्डों की तरह चौपट न कीजिए ।”

इसमें तो कोई सदेह नहीं कि इस पत्र का लेखक उसी ढंग के जी हजूरों में हैं, जो निस-बासर श्रीमानों के बैंगलो के चक्कर लगाया करते हैं, पर जहाँ तक उसने कौंसिलो की निरर्थकता और खर्चिलेपन का उल्लेख किया है उसने जनमत को प्रकट किया है । नये कौंसिलो से उसके मेम्बरो और पदाधिकारियों को अवश्य लाभ हुआ और उस धन का कुछ अंश जो फौज और सिविलियनो पर खर्च हो जाता, दस-पाँच शिष्टित मनुष्यों के हाथ लग गया है, पर जनता आज भी वही है जहाँ पहले थी । सरकार ने “डिमाक्रेसी” को जिस रूप में भारत में प्रचलित किया है वह उसका निहायत विकृत रूप है । वास्तव में वह डिमाक्रेसी है ही नहीं ।

३१ जुलाई १९३३

भविष्य

महात्मा गांधी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया । यह पहले ही मालूम था, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ । आश्चर्य होता, अगर इसके विपरीत कोई बात होती । दुःख अवश्य हुआ, पर दुःख सहने के तो हम आदी हैं । प्रभुता सदैव निरंकुश होती है, उससे साधुता की आशा रखना ही भूल है । महात्मा गांधी देवता हैं । सारा भारत

उनकी पूजा करता है। इससे सरकार का कोई प्रयोजन नहीं। उसकी दृष्टि में तो महात्मा गांधी इसी योग्य हैं कि जेल में बन्द रखे जायँ। भारत की असख्य जनता का उसके इस कार्य से कितना अपमान हुआ है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। यद्यपि श्रीयुत अण्णे ने कांग्रेस को तोड़ दिया है, पर वह अभी टूटी नहीं है। उसका अस्तित्व तो तभी मिटेगा, जब देश में दरिद्र जनता की हिमायत करनेवाली मनोवृत्ति का अन्त हो जायगा, जो असभव है। प्रश्न यही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। वैयक्तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम राष्ट्र को स्वीकार नहीं है। सभव है, उसे पूर्ण रूप से व्यवहार में लाया जा सके, तो राष्ट्र को उसके द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सके, पर यह तो उसी तरह है कि रोगी की देह में रक्त बढ़ जाय, तो वह अवश्य अच्छा हो जायगा। किसी काम की सफलता के लिए असम्भव शर्तें लगा देने से हम सिद्धि के निकट नहीं पहुँचते। किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता के आधार पर ही जाँचना उचित है। जिस दिन देश में ऐसे आदमी बड़ी संख्या में निकल आयेगे, जो अपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए त्यागने को तैयार हो जाँय, उस दिन तो आप ही आप स्वराज्य हो जायगा, लेकिन ऐसा समय कभी आयेगा, इसमें संदेह है। ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति से हमें अपने उद्देश्य प्राप्ति की आशा नहीं। सत्याग्रह करके सरकार पर दबाव डालने की सम्भावना अब उतनी भी नहीं रही, जितनी दो साल पहले थी। यह मालूम हो गया कि सरकार को अगर व्यापार और शासन इन दोनों में एक को लेना पड़े, तो वह शासन को ही लेगी। व्यापार तो किसी न किसी रूप में शासन से सबद्ध किया जा सकता है। अब व्यवसायी राष्ट्रों को भी मालूम होने लगा है कि माल की खपत का क्षेत्र दिन-दिन सकुचित होता जा रहा है और अब वह समय दूर नहीं है, जब उसके माल की अन्य देशों में माँग नहीं रहेगी। सभी राष्ट्र अपनी-अपनी जरूरत की चीजें खुद बना लिया करेंगे। फिर जब देश में भिन्न-भिन्न विचारों के लोग मौजूद हैं, जो विदेशी माल का व्यापार किसी तरह नहीं छोड़ना चाहते और उन्हें उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने में भीषण उपद्रव का भय है, तो पिकेटिंग से किसी विशेष उपकार की सम्भावना नहीं रही। कर-बन्दी तो महज खयाली पुलाव है। जो बड़े-बड़े धनवान हैं, वह करो को रोकने का साहस नहीं कर सकते। इसका भार किसानों पर रक्खा जाता है, उसी तरह, जैसे रोष प्रकट करने का भार सोलहो आना दूकानदारों पर रह गया है।

पर क्या काश्तकार को अपने दो-चार बीघे जमीन, अपने भोपड़े, अपने बूढ़े बैल से कम मोह होता है? कर-बन्दी का सारा भार उसके ऊपर डाल कर उसके साथ अन्याय किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि स्वराज्य के उद्देश्यों में किसानों के उद्धार ही की प्रधानता है, पर स्वर्ग के लिए ससार का त्याग करनेवालों की संख्या कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती और किसी कानून को केवल इसलिए तोड़ना कि

उससे सरकार की नीति में परिवर्तन किया जा सके, सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्ते से जाना है ।

तो हमारे लिए केवल वैध आन्दोलन ही रह जाता है । कहा जायगा, कि वैध आन्दोलन से हमने पिछले पचास सालों में क्या पा लिया, जो अब उससे कुछ आशा की जा सके ? यह ठीक है, कि हमने अभी तक यथार्थ में कुछ नहीं पाया, यद्यपि दिखावे में बहुत कुछ पाया । इसका कारण वैध आन्दोलन की कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे राजनैतिक कार्यक्रम की जनता के प्रति उदासीनता थी । जनमत को अपने साथ ले चलने की नीति असहयोग आन्दोलन के पहले कभी बरती ही नहीं गयी । तब तो राजनीति केवल विनोद और व्यक्तियों के विज्ञापन की वस्तु थी । उसका सम्बन्ध केवल नगर के थोड़े से कुशल और महत्वाकांक्षी नागरिकों से था । ऐसे निर्बल आन्दोलन का फल इसके सिवा और क्या हो सकता था, कि नेताओं को राजपद मिल गये, कुछ मेम्बरियाँ मिल गयीं, कुछ अधिकार मिल गये । मानो जनता को लूटने में सरकार ने उन्हें भी अपना साथी बना लिया । वे भी उसी निर्दयता से लम्बी-लम्बी रकमें वेतन या फीस के रूप में जेब में भरने लगे, उसे तो राजनीतिक आन्दोलन कहना ही व्यर्थ है । हमारे प्रभावशाली नेता थोड़े से स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र का बहुत-सा उपकार कर सकते थे और वह आज भी किया जा सकता है । राष्ट्र में बिना अच्छी जाग्रति और दृढ़ संघठन पैदा किये, हम स्थायी राजनीतिक उन्नति नहीं कर सकते । हमें ऐसे देश भक्तों की ज़रूरत है, जो राष्ट्र-निर्माण-कार्य में उसी तन्मयता से, उसी उत्साह और त्याग से लिपट जाँय, जिससे वे सत्याग्रह में लिपटे थे । ऐसे प्रमुख नेताओं की, कांग्रेस की बढ़ौलत, कमी नहीं है, जो राष्ट्र को आनेवाली व्यवस्था से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं । कांग्रेस के पास संघठन है, प्रभाव है, लोक-सेवा की धुन है, त्याग की भावना है । वह अगर सत्याग्रह आन्दोलन को उठाकर इस नये कार्यक्रम पर कटिबद्ध हो जाय, तो हमें विश्वास है कि वह राष्ट्र का बहुत बड़ा उपकार कर सकेगी ।

काँग्रेस के पास राष्ट्र-निर्माण का यह प्रोग्राम मौजूद है । अगर सत्याग्रह आन्दोलन न छिड़ गया होता, तो काँग्रेस ने उस प्रोग्राम पर अमल किया होता । अब की बार पूना-सम्मेलन में भी निर्माण-कार्य का महत्व बताया गया है । यह भी कहा गया है, कि यह काम सत्याग्रह से किसी अंश में भी कम महत्व नहीं रखता । सत्याग्रह को युद्ध की उपाधि देकर मन में एक प्रकार की वीरता के गर्व को जो उत्तेजना मिलती है, वह यहाँ नहीं है, पर सत्याग्रह उसी तरह युद्ध नहीं है, जिस तरह अदालत की मुकदमेबाजी युद्ध नहीं है, या बालक का घर से रूठना युद्ध नहीं है । अहिंसा और युद्ध दोनों परस्पर विरोधी चीज़ें हैं और यह अहिंसा भी नहीं है, क्योंकि अहिंसा का केवल कार्य से नहीं, मन और वचन से भी उतना ही सम्बन्ध है । इस दृष्टि से तो महात्मा जी के सिवा शायद कोई काँग्रेसी व्यक्ति भी अहिंसा का पालन नहीं कर सका । अधिक से

अधिक वह एक नीति कही जा सकती है, जिसका हम अपनी अपगुता के कारण पालन कर रहे हैं। यह अपने को धोखा देने के सिवा और क्या है। हम कांग्रेसी नेताओं से बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, कि उन्होंने अपने त्याग और निर्भीकता से जनता में जो विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, उसे निर्माण-कार्य से और ऐसा दृढ़ करे, कि अगले चुनाव में उनका बहुमत हो जाय और गवर्नमेन्ट को उनका सहयोग प्राप्त किये बिना एक पग रखना भी असंभव हो जाय। निस्सन्देह इस व्यवस्था में वास्तविक अधिकार गवर्नर और वाइसराय के हाथों में दे दिये गये हैं, लेकिन कोई वाइसराय या गवर्नर लगातार व्यवस्थापक सभा के बहुमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। अंग्रेजी व्यापार और नौकरशाही के अधिकारों पर जब कभी धक्का लगेगा, वाइसराय या गवर्नर बहुमत को ठुकरा देगे, लेकिन हमारी धारणा है, कि ऐसे अवसरों पर गवर्नमेन्ट कूटनीति से काम लेगी और यदि हमारे प्रतिनिधि दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय देंगे, तो गवर्नमेन्ट को उनका आदेश स्वीकार करना पड़ेगा। सगठित बहुमत के सामने निरकुशता साल दो साल टिक जाय, ज्यादा नहीं टिक सकती।

७ अगस्त १९३३

सरहद पर बमबाज़ी

सरहद पर बमबाज़ी शुरू हो गयी। कुछ फौजी तैयारियाँ भी हो रही हैं। बजौरी कबीले और खार के खान पर निशाने चल रहे हैं। खान का अपराध यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान के तीन विद्रोहियों को अपने इलाके में शरण दे रखी है। खान कहते हैं कि तीनों उनके इलाके से भाग गये, अब कोई भी उनके यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और खान को अंग्रेजी हवाई ताकत का सुबूत दिया जा रहा है। जेनेवा में शस्त्र नियंत्रण के विषय में यह प्रस्ताव किया था कि किसी देश की आबादी पर हवा से बम न गिराये जावें। अंग्रेज सरकार ने सरहदी प्रान्त में पुलिस का काम करने के लिए हवाई जहाज़ों की जरूरत बताकर इस प्रस्ताव में संशोधन किया था। जिन राष्ट्रों से यह भय है कि यदि उनके नगरो और शान्त जनता पर बम गिराये गये, तो वे इसका दंदांशिकन जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके साथ तो जरूर इस तरह का समझौता कर लेना आवश्यक है, पर जिनसे इस तरह का कोई खटका नहीं, उन पर गोले गिराने में कौन-सा विचार बाधक हो सकता है और केवल इस अपराध के लिए कि खान ने अफगानिस्तान के विद्रोहियों को अपने यहाँ छिपा रखा है। एक तरफ तो खान की शरणागत के प्रति यह शौर्यपूर्ण सज्जनता है, दूसरी ओर ब्रिटिश बर्बरता है, जो इस मानवता के नियम का परम्परागत पालन करने

के लिए बम गिराना आवश्यक समझनी है। और "टाइम्स" खुश है कि बजौरियो को ब्रिटिश शस्त्रो के नवीन आविष्कार का मजा मिल जायगा और वे फिर ऐसी शरारत न करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई शत्रु लन्दन पर गोलेबारी करने लगे, तो फिर देखिए, इसका मजा कैसा मिलता है। और एक बार थोडा-सा मिल भी चुका है।

७ अगस्त १९३३

मैं राजनीति को तिलांजलि देता हूँ

ये है वे शब्द, जो श्वेतपत्र के झमेले से आजिज़ आकर सर सप्रू ने इंग्लैंड से चलते समय कहे। आपने आज तीन साल से भावी व्यवस्था के आपत्तिजनक प्रतिबन्धों के हटाने और भारत का जन्मसिद्ध अधिकार दिलाने में अपने सिद्धांतों और आदर्शों के अनुसार जिस त्याग और लगन और एकाग्रता से अनवरत परिश्रम किया है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती, लेकिन आपका धैर्य भी आखिर टूट ही गया। आपको भी विश्वास हो गया कि इंग्लैंड इस समय कोई तर्क और न्याय सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन तीन गोलमेजों और कमीशनो और कमेटियो का अन्त क्या होने जा रहा है, यह सब उनसे भी छिपा न रह सका। जिस समस्या को सर तेजबहादुर-सा दूरदर्शी और हरेक पहलू पर विचार करनेवाला, सरकार के दृष्टिकोण को उदार मन से समझने की चेष्टा करनेवाला, और यथाशक्ति समझौते की कोई सुरत निकालनेवाला मनुष्य न हल कर सका, वह राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी होगी? सर तेजबहादुर ऊँचे से ऊँचे राजपद पर रह चुके हैं, अंग्रेज अफसरों के मनोभाव और व्यवहारों का उन्हें पूरा अनुभव है। बहुत-सी बातों में उनके विचार जनता से न मिलकर नौकरशाही से मिलते हैं, यहाँ तक कि जनता राजनीतिक मामले में उनकी बकालत पर विश्वास न करेगी। जो व्यवस्था ऐसे मनुष्य को सतुष्ट न कर सकी, वह किसे सतुष्ट करेगी। हमारे ख्याल में सर तेज ने "फेडरेशन" को इतना महत्व न दिया होता, और "फेडरेशन" को नयी व्यवस्था की कुजी न समझा होता, तो सुधार की स्कीम इतनी खटाई में न पड़ती। अब तो ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ भी होनेवाला नहीं है।

७ अगस्त १९३३

मेरठ के मुकदमे का फैसला

साढे चार साल पहले जब मेरठ में साजिश का मुकदमा चलाया गया था, तो

पुलीस ने इतना शोरगुल मचाया, इतनी धूम-धाम से तैयारियाँ हुई, इतनी शहादतें जमा की गयी, इतने रुपये खर्च किये गये कि मालूम होता था यह साजिश दुनिया का तखता उलट देना चाहती थी और पुलीस ने सुराग लगाकर ऐसा तीर मारा है कि स्काटलैंड यार्डवालों को आकर इनकी शागिर्दी करनी चाहिए। भूठ-मूठ शहादते बढ़ाकर मुकदमे की तूल दिया गया, यहाँ तक कि साढे चार साल के समय और सोलह लाख रुपये का सफाया हो गया। सेशन जज ने तो इन सारी तैयारियों के अनुकूल सजा देने में ही अपनी नेकनामी समझी। कई मुलजिमो को कालेपानी तक की सजा दे डाली, जिसका उन्हें नीति के अनुसार कोई अधिकार न था। पर, हाईकोर्ट की अपील से जो फैसला हुआ है, उसने गवर्नमेन्ट की आँखें खोल दी होगी, और उसे साबित हो गया होगा कि अभियुक्तों का जो काला-देव बनाकर दिखाने का प्रयत्न किया गया था, वह कितना निस्सार था। कई अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने बिलकुल बरी कर दिया, कुछ के लिए साढे चार साल की सजा जो वह भुगत चुके हैं वही काफी समझी गयी। केवल चार अभियुक्तों को दो-दो साल अभी जेल में रहना पड़ेगा। शेष सभी छूट जायेंगे। जिस अपराध की सजा हाई कोर्ट ने तीन साल काफी समझी, उसके लिए काले पानी की सजा तजवीज कर सेशन जज ने न्याय को कितना भयकर रूप दे दिया था। इस सिलसिले में हम हाई कोर्ट के फैसले के उस अंश पर विचार करना आवश्यक समझते हैं, जिसमें जजो ने यह दिखलाया है कि मैजिस्ट्रेट के इजलास में पूर्ण शहादतों का दिलाना अनावश्यक ही नहीं, आपत्तिजनक है। मैजिस्ट्रेट को केवल उतनी ही शहादतें लेनी चाहिए, जिससे उसे विश्वास हो जाय कि मुकदमा सेशन जज के इजलास में भेजने योग्य है। पहले डेढ साल तक उसने सारी शहादतें ली, तब मुकदमा सेशन में भेजा गया और वहाँ वह सारा नाटक फिर से दुहराया गया। इसमें राष्ट्र का धन जो अपव्यय हुआ वह तो हुआ ही, मुलजिमो को कितना कष्ट उठाना पडा और उनकी कितनी जिदगी खराब हुई, इसका कौन अनुमान कर सकता है। फिर यह भी जरूरी नहीं, जैसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है, कि एक ही बात को सिद्ध करने के लिए सबसे अक्राट्य प्रमाण न देकर खाम-ख्वाह व्यर्थ की शहादतें दिलायी जाँय। इन्हीं सब बेकायदगियों के कारण इस मुकदमे ने इतना तूल खीचा, जिसे अबसे तीन साल पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और जब पुलीस शहादतों की भरमार करती है, तो मुलजिम भी अपनी सफाई के लिए अधिक से अधिक शहादतें तलब करता है, जिससे उस पर लगाये हुए अभियोग की हरेक बात काटी जा सके। मगर यहाँ कौन पूछता है, पुलीस को कम से कम सन्तोष हो गया हो कि उसने इतने आदमियों को साढे चार साल रगड डाला।

१३ अगस्त १९३३

जापान की व्यापारिक सफलता का रहस्य

सर लल्लू भाई सामलदास ने जापान से लौट कर वहाँ के कपड़े के विषय में जो रहस्य बतलाये हैं, उन्होंने भारत के मिल-मालिकों की आँखें खोल दी होंगी और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया होगा। अब तक यह भ्रम था कि जापानी सरकार कपड़े के व्यापार की सहायता करती है। अब यह मालूम हुआ, कि यह कोरी गप है। इस भ्रम का भी इस बयान से निवारण हो गया कि जापानी-मजूरो के साथ बड़ी सख्ती से काम लिया जाता है और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है। जापानी सफलता का रहस्य उनके मिलों के सुप्रबन्ध और उनके मजूरो की दक्षता है। जितना काम जापान की एक सुकुमार युवती कर लेती है, उतना यहाँ तीन चार मजूर मिलकर भी नहीं कर पाते। मिल के कर्मचारियों, डायरेक्टरों आदि के वेतन जापान में भारत से बहुत कम है। उसी सुप्रबन्ध की बदौलत जापान ने सारी दुनिया के व्यापारियों का काफिया तग कर रक्खा है। इसका निवारण किया जाता है उसके माल पर महसूल बढ़ाकर, उसके माल का बहिष्कार करने का प्रयत्न करके। चाहिए तो था कि हम अपनी कमजोरियों को सुधारते और उस लूट को कम करते, जो कर्मचारियों के राजसी वेतन के रूप में खर्च होती है, और मजूरो को ज्यादा शिक्षित और पटु बनाने की चेष्टा करते, पर यह करे कौन। सस्ता नुस्खा था, जापान के माल पर पचहत्तर फी सदी कर लगा देना। तब तो लोग भ्रक मार कर यहाँ के मिलों के कपड़े महंगे दामों खरीदेंगे। यह खरीदार जनता के साथ घोर अन्याय है। यो कहना चाहिए कि उनका गला दबाकर उनकी गाँठ से पैसा छीन लेना है, मिल वालों की जेब भरने के लिए। हालाँकि मिलवाले यह भी समझते हैं, कि सरकार की यह नीति भारत के हित के लिए नहीं, लंकाशायर के हित के लिए रची गयी है।

१३ अगस्त १९३२

मुंगेर में काँग्रेसी उम्मेदवारों की विजय

बिहार के मुंगेर जिला बोर्ड के चुनाव में काँग्रेसी उम्मेदवारों ने जो शानदार विजय प्राप्त की है, वह इस बात की सूचक है कि यदि काँग्रेस आनेवाले चुनाव में भाग ले, तो उसे कितनी सफलता मिल सकती है। वहाँ २८ मेम्बरो में २७ काँग्रेसी उम्मेदवार ही निर्वाचित हुए। माना, मुंगेर प्रधान हिन्दू जिला है और बिहार में काँग्रेस का प्रचार भी खूब था। बंगाल और पंजाब में जहाँ हिन्दुओं का बहुमत नहीं है, शायद ऐसी काम-याबी न हो, पर मुसलमानों, सिक्खों, जमींदारों सभी सम्प्रदायों में काँग्रेसी मौजूद है। अगर काँग्रेसी उम्मेदवारों को इन सम्प्रदायों में आधी जगहें भी मिल गयी तो काँग्रेस का

केन्द्रीय सभा में बहुमत हो जायगा। अभी कुछ दिनों रियासती मेम्बरो पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे राजाओं के नामजद किये हुए होंगे, पर राष्ट्रीयता में वह जादू है और समय इतना प्रगतिशील हो रहा है कि आनेवाले चन्द बरसों में वह बातें भी संभव हो सकती हैं, जो आज असंभव समझी जा रही हैं।

१३ अगस्त १९३३

कलकत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव

कारपोरेशन ने २७ पंच तथा १४ के विरोध से इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया है कि यदि भारत सरकार ने स्व० जे० एम० सेन गुप्त को रांची में सपरिवार रहने की आज्ञा देने के पूर्व ही छोड़ दिया होता, तो उनकी मृत्यु इतनी शीघ्र न होती। हम नहीं कह सकते कि यह आरोप कहाँ तक प्रमाख-सगत है। रांची एक स्वास्थ्यकर स्थान है। वहाँ सपरिवार रहने से ही मृत्यु इतनी शीघ्र आ गयी, यह बात तो समझ में नहीं आती, पर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जेल-जीवन ने हमारे कितने ही नेताओं का स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, और उसी ने स्व० जे० एम० सेनगुप्त का स्वास्थ्य भी नष्ट किया, जिसका यह शोकजनक परिणाम हुआ। एक तो भारत की राजनैतिक परिस्थिति ही ऐसी ही है, जो मनस्वी आत्माओं को पग-पग पर अपमानित करके उनका मानसिक और आत्मिक दमन करती रहती है, उस पर जब उन्हें जेल में बन्द कर दिया जाता है, उनके पुष्टिकर भोजन और व्यायाम का प्रबन्ध नहीं किया जाता, उनको वह भार दुस्तह हो जाता है। राष्ट्रीय संग्राम की एक तैयारी यह भी है कि हमें कष्टमय जीवन का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हम जेल की कठिनाइयों में अपने आरोग्य की रक्षा कर सकें। सरकार से यह आशा रखना कि वह राजबन्दियों के साथ खास रियायत करेगी अपने को धोखा देना है। भविष्य में संभव है, राष्ट्र के नेताओं को इससे भी बड़ी बाधाएँ सहनी पड़ें। पर सरकार शायद अभी तक इस भ्रम में है कि राजबन्दियों को जेल में अधिक से अधिक समय तक डाल रखने से जनता की स्वराज्य की प्यास शान्त हो जायगी। जिस शासन व्यवस्था में महात्मा गांधी जैसे पूज्य नेता और श्री जे० एम० सेनगुप्त जैसे सच्चे राष्ट्रसेवक के लिए जेल के सिवा दूसरा स्थान नहीं है, वह स्वयं कलंकित है और स्वयं कह रही है कि उसका जितनी जल्दी अन्त हो जाय उतना ही अच्छा। यह नीति प्रजा को आतंकित कर सकती है, सरकार के प्रति प्रजा में भक्ति नहीं पैदा कर सकती। शायद सरकार इस बात को भूल जाना चाहती है कि भारत की जनता को अब आतंक से नहीं शान्त किया जा सकता।

१३ अगस्त १९३३

भारत १९८३ में

“जहाँ तक भारत की वर्तमान मनोवृत्ति का हमें परिचय है, यह कहना युक्तिसंगत है कि वह अपने लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगा, जो स्पष्ट रूप से बहुमत की जवाबदेह न होगी। यहाँ तक कि गरमदल के काँग्रेसवाले भी जिम्मेदार शासन की कल्पना नहीं करते, बल्कि उसी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं, जो पहले से दफ्तरी शासन में तैयार कर दी है, उसी तरह जैसे लेनिन और उनके अनुयायी अधिकार के उस क्षेत्र में कूड़ पड़े, जिसे दो सदियों में ज़ारशाही ने समतल कर दिया था।”

यह है वह विचार जो, सयुक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली ने हाल के एक जलसे में प्रकट किया। यह जलसा ऑक्सफोर्ड में रायल एम्पायर सोसाइटी की ओर से हुआ था, और कथन का विषय था “भारत १९८३ में।”

सर मालकम हेली प्रगतिशील शासकों में नहीं है। उनका सारा राजनैतिक जीवन भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करते गुजरा है। पिछले राष्ट्रीय आन्दोलन में हम बार-बार उनका लोहे का पजा देख चुके हैं, पर “भारत १९८३ में” एक ऐसा विषय था, जिस पर वह अपनी जिम्मेदारियों से ऊँचे उठकर, बिना किसी तरह के सकोच या रुकावट के भारत के विषय में भविष्यवाणी कर सकते थे। इसलिए उनके उस कथन में जहाँ अधिकतर ऐसी बातें हैं, जो उनके विचारों में बद्धमूल हो गयी हैं और जिन्हें वह अनुदार आँखों से देखने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनमें राजनीतिज्ञ की सूझ और भावना है और ऊपर हमने जो वाक्य नकल किये हैं, वह इसी तरह के वाक्यों में हैं। सर मालकम हेली के विचार में भारत की परम्परा, और उसकी संस्कृति प्रतिनिधि शासन के अनुकूल नहीं हैं। यह कथन हमें चिंता में डाल देता है।

इतिहास में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भारत ने उस रूप में राजनैतिक अधिकार के लिए उद्योग किया हो, जैसा आजकल हम समझते हैं। प्राचीन काल में कभी यह आदर्श यहाँ था, इसमें हमें सन्देह है। बौद्ध काल में दक्खिन में कुछ ऐसे राज्य थे, जहाँ प्रतिनिधि शासन के कुछ चिह्न मिलते हैं, पर वे चिह्न मात्र हैं, जीते-जागते प्रमाण नहीं हैं। यूनान में जिम प्रकार प्रजा ने अधिकार के लिए संग्राम किये, जिस तरह धीरे-धीरे अमीरों के हाथ से शक्ति निकलकर प्रजा पक्ष के हाथ में आयी। रोम में भी इतिहास ने जिस तरह अपने को दुहराया, वैसा कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता। योरोप की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति उन्हीं पुरानी परम्पराओं पर टिकी हुई है। हाँ, वहाँ जनतन्त्र अनेक आर्थिक और सामाजिक कारणों से जनतन्त्र न रहकर पूँजीतन्त्र हो गया है। कम्युनिज्म और फ़ैसिज्म उसके विद्रोह मात्र हैं। वह जनतन्त्र को वास्तविक रूप से जनतन्त्र बनाये रखने के आयोजन हैं। जनतन्त्र का अर्थ इसके सिवा और क्या है कि

राज्य मे किसी एक गुट या दल का विशेषाधिकार न हो, और राज्य का आधार-स्तम्भ समता और न्याय का व्यावहारिक रूप हो। अगर जनता को इस ओर से निश्चिन्तता हो जाय, तो उसे अधिकार की विशेष परवाह नहीं होती। वह अधिकार केवल इसीलिए चाहती है कि समता और न्याय का रूप विकृत न होने पावे। यह समता मनुष्य मे आदि से चली आ रही है, जब कोई राजा न था, कोई प्रजा न थी, सभी अपने शक्ति और पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन का निबाह करते थे। हजारो बरस के एकाधिपत्य ने भी उस भावना को निर्जीव नहीं होने दिया है। हमारी सभी धार्मिक व्यवस्थाएँ इसी समता के आदर्श को पालन करने की चेष्टाएँ है। योरोप इस विषय मे भारत से भिन्न नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव मे देश भेद से कोई मौलिक अन्तर नहीं आ जाता। योरोप मे ही थोडे दिन पहले जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस फ्रान्स सभी देशो मे बादशाही थी, और बादशाही भी इंग्लैड की-सी अपग बादशाही नहीं, बल्कि जोरदार बादशाही थी।

जहाँ कही बादशाहो ने जन पक्ष को विकास पाने का अवसर दिया, वहाँ बादशाही बनी हुई है, जहाँ समता और न्याय के आदर्श को ठुकराया गया और दलबन्दी हुई, वही प्रजा ने विद्रोह किया। कम्युनिज्म और फासिज्म का आधिपत्य इसलिए नहीं है कि उनके पीछे सैनिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि वे प्रजाहित को ही अपना आधार बनाये हुए है। ज्योही वे इस आदर्श से गिर जायेंगे, जनता फिर चंचल हो जायगी और फिर किसी दूसरी तरह इस समस्या को हल करने की चेष्टा करेगी। लेकिन यह कहना कि भारत की परम्परा और जलवायु ही प्रतिनिधि शासन के अनुकूल नहीं, मानव प्रकृति की समानता को अस्वीकार करना है। कोई भी मनुष्य छोटा या नीच बनकर नहीं रहना चाहता। जिसमे राजनैतिक चेतना ही नहीं, उनकी बात न्यारी है। जहाँ सामाजिक चेतना नहीं, वहाँ राजनैतिक न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जिनमे कुछ भी राजनैतिक चेतना है, वे अपने देश को सुखी और संतुष्ट और गौरवयुक्त देखना चाहते है। जो कोई भी बाधा उनके इस आदर्श के सामने खडी होती है, उसका विरोध करने की उन्हें इच्छा होती है। क्या भारत मे आज बादशाही होतो और वह बादशाही प्रजा को लूटकर थोडे से सम्बन्धियो का घर भरना ही अपना दस्तूर बना लेती, तो भारतवासी उसके विरुद्ध कोई आन्दोलन न करते ? रियासतो मे क्या इस तरह का आन्दोलन नहीं है ? जनमत के विरुद्ध जब शासन व्यवस्था चलती है, चाहे वह बादशाही हो, या कुबेर-शाही, या प्रजाशाही, उसके विरुद्ध आन्दोलन होने लगता है। जो शिचित्त है, वही विद्रोह का झुंडा उठाते है। वही भारत मे भी हुआ। यह कहना कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन पश्चिम का ऋद्धिणी है, और उसकी कलम वही से लाकर आरोपित की गयी, मानव प्रकृति से अपने अज्ञान का परिचय देना है। “जातीयता” योरोप के कारखाने मे अवश्य बनी है, पर योरोप मे भी तीन सौ साल पहले जातीयता का रूप इतना प्रचड न था। उसे हम मानवजाति की कोई बडी विभूति नहीं समझते, उसने मनुष्य को भिन्न-भिन्न भागो मे

बाँटकर एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। भारत को इंग्लैंड से कोई दुश्मनी नहीं है। वह तो केवल इतना ही चाहता है कि भारत की ऐसी अवस्था न रहे कि दूसरे तो भूँछो पर ताव देकर गुलछरें उड़ाये और जो भारत सतान हैं, जो पसीना बहाकर और अपना रक्त जलाकर धन कमाते हैं, वे दाने और वस्त्र को मुहताज हो और पशुओं की भाँति जिये। इतिहास का महत्व इसके सिवा और क्या है कि अपनी पिछली गलतियों को सुधारा जाय। यह खयाल करना कि किसी कारण से हममे पूर्व में जो गलतियाँ थी, वही हमारी परम्परा है और उनके सुधार की चेष्टा करने में हम अपनी संस्कृति के प्रतिकूल जा रहे हैं, न्यायानुकूल नहीं है। भारत ने जो सबसे बड़ी गलती की थी, वह जनता को राजनैतिक वातावरण से बिलकुल अलग रखना था। इसका फल यह हुआ कि बड़े-बड़े राजनैतिक परिवर्तन हो गये और जनता ने किसी प्रकार का भाग न लिया। भारत फिर वही गलती न करेगा। वह इतने दिनों के अनुभव से समझ गया है कि अच्छे से अच्छा शासन विधान यदि प्रजा की सामूहिक इच्छा पर आधारित नहीं है, यदि प्रजा का उसके बनाने में कोई भाग नहीं है, तो वह प्रजा से कोई सहायता पाने की आशा नहीं रख सकता। वह बेबुनियाद की दीवार है, जो आँधी के पहले ही भोके में जमीदोज हो जायगी। प्रजा में राजनैतिक चेतना लाना भारत का पहला कर्तव्य है। उसने बड़े कड़वे अनुभव से अपनी यह गलती मालूम की है और इसका सुधार करने की चेष्टा कर रहा है। प्रजा में चेतना आ जाने के बाद वह स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करना सीख जायगी। इसलिए कांग्रेस के सामने प्रतिनिधि शासन का ही आदर्श है। वह निर्वाचनाधिकार को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देना चाहती है। वह जायदाद की या शिक्का की कोई कौद नहीं रखना चाहती। अगर कांग्रेस ने या जनपक्ष ने विजय पायी तो प्रतिनिधि शासन के सिवा वह किसी दूसरी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकती, क्योंकि वह बाधाएँ जो रूस या फ्रांस में थी यहाँ पहले से उनका अन्त हो चुका है। पूँजीपतियों का यहाँ अभी न इतना जोर है और न आगे होने की संभावना है कि वह इंग्लैंड या अमेरिका की भाँति जनमत पर अधिकार करके उसे साम्राज्यवाद का रूप दे दें।

इंग्लैंड का प्रभुत्व तो स्वयं भारतीय परम्परा के प्रतिकूल है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था कभी नहीं आयी कि किसी जाति ने दूसरे देश से उस पर शासन किया हो, और सदैव स्वदेशवासियों के हक छीनकर अपने देशवालों को ही पुरस्कृत किया हो। यह प्रणाली भारतीय परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है। प्रतिनिधि शासन स्वाभाविक वस्तु है। कौन नहीं चाहता कि वह अपने घर का स्वामी रहे। अगर वह भारत में बाहर की चीज समझी जाती है, तो यह साम्राज्यवादी शासन सरासर अस्वाभाविक होने पर भी कैसे भारत के अनुकूल हो जाता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। फिर भी हमारे शासक इसी अस्वाभाविक वस्तु को नये-नये बहाने से निकाल कर चिरस्थायी बनाने की

चेष्टा कर रहे हैं और संसार को इस भ्रम में डालकर कि प्रतिनिधि शासन भारत की आत्मा के विरुद्ध है, एक ऐसी व्यवस्था की रचना कर रहे हैं, जिसमें भारत इंग्लैंड का मजदूर मात्र रह जाता है ।

२१ अगस्त १९३३

बैंत मारने की सजा

बम्बई की कौंसिल में अभी हाल में ही दगा आदि मचाने का अपराध करने वालों को बैंत मारने की सजा देने का जो कानून पास हुआ है, उस पर हम बम्बई की सरकार या वहाँ की कौंसिल के सदस्यों को बधाई नहीं दे सकते । जहाँ संसार के अन्य सम्य देशों में दण्ड की यह निष्ठुर प्रथा धीरे-धीरे उठायी जा रही है, वहाँ इस देश में इसका इस तरह समर्थन किया जा रहा है, इसे हम अपना दुर्भाग्य न कहें तो और क्या कहें ?

यद्यपि वहाँ के प्रान्त सचिव (होम मेम्बर) ने इस बात का आश्वासन दिया है, कि इसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में ही किया जायगा, फिर भी यह कौन नहीं जानता कि मौका आने पर इतनी सतर्कता से काम नहीं लिया जाता । हम यह आये दिन देखा करते हैं कि सरकार की सेवा करने के भाव से प्रेरित होकर कुछ जोशीले न्यायकर्ता कानून का प्रयोग आवश्यकता से अधिक सख्ती के साथ किया करते हैं । अतः हमारे लिए यह सन्देह करने का कारण है कि वहाँ के दो-एक मजिस्ट्रेट होममेम्बर के शब्दों को भुलाकर अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग करने से न हिचकेंगे ।

हमारे मन में यह भी शक हो रही है, कि कुछ समय के बाद सार्वजनिक शान्ति (पब्लिक सिक्यूरिटी) के नाम पर सविनय अवज्ञा करनेवालों के लिए भी कही इसका प्रयोग न किया जाने लगे । जैसा कि होम मेम्बर साहब ने स्वयं स्वीकार किया है, पिछले आन्दोलन में वहाँ के पचास स्वयंसेवकों को बैंत की सजा दी गयी थी । जहाँ तक हम समझते हैं, कानून में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, कि किन्-किन खास अपराधों के लिए यह दण्ड दिया जायगा । ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है, कि हम स्पष्ट रूप से इस बर्बरतापूर्ण कानून का विरोध करें और बम्बई कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध करें कि वे इसे शीघ्र ही रद्द करा देने का प्रयत्न कर अपनी भूल का परिमार्जन करें ।

२१ अगस्त १९३३

भीषण सत्य

भारत के डाक्टरी विभाग के डायरेक्टर जनरल साहब ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य के विषय में अपने मातहत डाक्टरों से जाँच करायी थी। उनकी रिपोर्ट पर आपने जो सम्मति प्रकट की है, वह हमारे लिए तो कोई विशेष महत्व नहीं रखती, शायद सरकार बहादुर को उसमें कुछ काम की बातें मिल सकें। आपको अब पता चला है कि भारत में ३६ फीसदी पेट भर, ३२ फीसदी आधे पेट और २० फीसदी भुक्खड है। आपका यह भी ख्याल है कि जाँच करनेवाले हिन्दुस्तानी थे, इसलिए उन्होंने जीवन का बहुत ही निम्न आदर्श अपने सामने रक्खा था। यदि यही जाँच योरोपियन डाक्टर करते, तो नतीजा इससे भी निराशाजनक होता। यही नहीं कि गरीबों को भोजन कम मिलता है। जो कुछ मिलता है वह पुष्टिकारक नहीं है। उस पर जन सख्या भी दिन-दिन बढ़ती जाती है। नया काम कोई नहीं निकला। थोड़े से कारखाने जरूर खुले हैं, पर आबादी में जो वृद्धि हुई उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उन कारखानों में खप सका। ज़मीन पर जो बोझ पहले था, वह और बढ़ गया। इसका नतीजा यह होगा कि आपके शब्दों में—

“साधारण जनता को ही जीवन के कठोर संग्राम का सामना करना पड़ेगा, बल्कि सम्पन्न श्रेणीवालों को भी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ेगी, जिनकी गुज़र फसलों की बचत पर होती है। अगर भूमि की सारी उपज किसानों की ही जरूरतों के लिए काफी न होगी, तो लगान कहाँ से आयेगा, जरूरत की दूसरी चीज़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आयेगे, रेल के टिकट कैसे बिकेंगे। भारत का सारा सामाजिक जीवन अगर नष्ट न हो गया, तो उसमें भूकम्प अवश्य आ जायगा।”

कितने भयकर शब्द हैं !! और यह किसी काँग्रेसी प्रोपार्गेडिस्ट की राय नहीं है। भारत के डाक्टरी विभाग के डायरेक्टर जनरल की। हमारे नेता और विचारक गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि देश की हालत खराब है, शासन का खर्च घटाने की, लगान कम करने की, करैसी में सुधार करने की प्रार्थना की जाती है, पर वह सब पोलिटिकल चाल समझी जाती है। वास्तव में देश की जो दशा है वह इससे कहीं खराब है। गाँवों में मुशकिल से सौ में पाँच आदमी ऐसे मिलेंगे, जो पेट भर भोजन पाते होंगे, और वह भी या तो महाजन होंगे या अन्य कर्मचारी। ऐसे दरिद्र देश के हुक्काम ससार में सबसे बड़े वेतन भोगी हों, यह अन्धेर नहीं तो क्या है।

२८ अगस्त १९३३

महात्मा जी की रिहाई

भारत सरकार ने महात्मा जी के अनशन के आठवें दिन छोड़कर उचित ही किया। खेद यही है कि उसने ऐसा करने में अनुचित विलम्ब किया तथा कुछ दिनों तक व्यर्थ ही लोकापवाद सहती रही। आशा है श्री देवदास गान्धी के विषय में भी गवर्नमेंट इसी न्याय से काम लेगी। जो यह आश्वासन देने पर भी कि यह देहली में असहयोग का प्रचार करने नहीं आये हैं, उन्हें सजा देना ही उचित समझा।

२८ अगस्त १९३३

मालवीय जी की चुनौती

महामना प० मदनमोहन मालवीय ने बंगाल की पुलिस पर यह अभियोग लगाया था कि उसने ४७ वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन के समय एकत्रित प्रतिनिधियों तथा हवालात में बन्द प्रतिनिधियों और अधिवेशन के समय उपस्थित दर्शकों पर बड़ी बर्बरता का प्रहार किया था। बंगाल, भारत तथा लन्दन की सरकार ने इन अभियोगों को भूठा बतलाया है। अभी हाल ही में इस विषय में एसेम्बली में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार न तो अभियोग स्वीकार करती है और न उसकी स्वतंत्र जाँच कराना चाहती है। यह नीति हमारी समझ में नहीं आती।

२८ अगस्त १९३३

गोरे-गोरे हैं, काले-काले हैं

हमारा सहयोगी “लीडर” भी कभी-कभी बेतुकी बातें कर जाता है। भला इसमें भी कोई तुक है कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी सिपाहियों के लिए एक ही फौजी अस्पताल रखे जायें ! खर्च की कमी कोई दलील नहीं। अगर सरकार खर्च में कमी करने पर आ जाय, या आज शासन में जनमत की प्रधानता हो जाय, तो खर्च आधे से भी कम हो सकता है। काँग्रेस के ५००६० अगर कम ही मान लिये जाय तो बड़े से बड़े कर्मचारी के लिए एक हजार का वेतन किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता, पर कमी करने की जब नीयत भी हो। सरकार के फौजी विभाग को इसकी क्या परवाह है कि अंग्रेजी फौजी अस्पतालों में अकसर गिने-गिनाये मरीज ही रहते हैं, वहाँ के डाक्टर और सर्जन

मजे से शिकार खेलते हैं और नसों ब्रिज खेलकर अपना मन बहलाती हैं। ये गोरे अस्पताल तोड़ दिये जायें तो ये डाक्टर और नसों कहाँ जायें ? पाँच-छ सौ का लम्बा वेतन कहाँ मिले ? इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमने तो कभी न सुना कि कोई गोरों अफसर तख्तीफ में आया हो। कहीं-कहीं एकाध तख्तीफ में आया भी है तो उसके लिए रियासतों में पहले ही से कोई उससे बड़ी जगह निकाल ली जाती है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोरे सिपाहियों का कालो से क्या सम्पर्क। वह कालो से चौगुना वेतन पाता है, तो उसी हिसाब से सर्जनों और नसों को भी कालो के अस्पतालों से चौगुना वेतन पाना लाजिम है। उसमें भला कैसे कमी की जा सकती है।

४ सितम्बर १९३३

वाइसराय का भाषण

गत ३० अगस्त को शिमले में दोनों व्यवस्थापक भवनों की संयुक्त बैठक में हिज्ज एक्सेलेसी वाइसराय ने जो भाषण दिया उसमें देश की प्रायः सभी वर्तमान समस्याओं का उल्लेख किया गया, पर देश के सामने बेकारी की जो सबसे भीषण समस्या है उसके विषय में आपने कुछ नहीं कहा। जो कुछ हो रहा है वही होता रहेगा, जो ही बेकारी बढ़ती रहेगी, जो ही सारे टैक्स बने रहेंगे। जनता के लिए आपने कहीं आशा की कोई भूलक नहीं दिखायी। कोर्टकाई पर गोलाबारी की आपने जो सफाई दी, उसमें कोई नयी बात नहीं है। हाँ, यह सन्तोष की बात है कि इन गोलाबारियों से निरपराध प्राणियों की हत्या नहीं हुई। आपने फरमाया—फौजी खर्च में ज्यादा क़िफायत की अब गुज़ाइश नहीं है। और यह भी कोई नयी बात नहीं। गवर्नमेन्ट हमेशा यही कहती है और यही आपने भी कहा। ऐग्निकलचरल रिसर्च काउंसिल के विषय में अभी तक हमने केवल उसका नाम सुना है और इस विचार से मन को सन्तुष्ट कर लेते हैं कि एक परोपकारी सरकारी सस्था है जो धनाभाव के कारण अभी कुछ विशेष काम नहीं कर सकी। रियासतों की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाया जानेवाला है। यह पहले ही से तय था और इसका यही अर्थ है कि रियासतों को इन टिकौनों से दस-बीस वर्ष और चला ले जाइए, पर उनमें जीवन शक्ति का लोप होता जा रहा है। जापान की व्यापार-मंघि के विषय में भी आपने यह आशा नहीं दिखायी कि रुई पैदा करनेवाले काश्तकारों के हित की रक्षा का क्या इन्तजाम सोचा गया है। हमें आशा है, गवर्नमेन्ट और भारत के प्रतिनिधि इस कवेशन में किसानों को भूल न जायेंगे, और थोड़े से मिल मालिकों और लंकाशायर के व्यापारियों के हितों को ही प्रधानता न दी जायगी। सुना गया है कि जापान भारतीय रुई को जापानी कपड़े के बदले में लेने का प्रस्ताव करेगा। सुफेद कागज के विषय में

सयुक्त कमेटी के मेम्बरो के आँसू पोछने के बाद आपने भविष्य मे नवीन भारत के निर्माण मे श्रोताओ के सहयोग पर जोर दिया, हालाँकि उस सहयोग के लिए बहुत कम गुजाइश रखी गई है। अन्त मे आपने अपील करते हुए ये सुन्दर शब्द कहे—

“मे सच्चे हृदय से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आनेवाली जिम्मेदारियो को साहस और लगन के साथ स्वीकार करें, जिसमे आपका देश अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण मे बराबर का सहयोग प्रदान करे।”

इसके उत्तर मे हम यही कहना चाहते है कि यह सहयोग प्राप्त करने मे वाइस-राय ही पर सारा दारोमदार है।

४ सितम्बर १९३३

हमारी कौमी पार्लामेंट की कौम-परवरी

हमारी “कौमी पार्लामेंट” अर्थात् “लेजिस्लेटिव एसेम्बली” ने इसके पहले भी कितनी ही बार अपनी कौम-परवरी का बहुत अच्छा परिचय दिया है, जिसके लिए भारत की जनता अपने हितैषी महानुभावो को मुक्तकठ से धन्यवाद दे रही है, लेकिन ६ सितंबर को रायबहादुर मथुरा प्रसाद जी मेहरोत्रा के इस प्रस्ताव पर कि राजनैतिक कैदियो और नजरबन्दो को अब छोड़ दिया जाय, एसेम्बली ने जो निश्चय किया, वह उसे इतिहास मे अमर कर देगा। इन महानुभावो को यह खूब मालूम है कि गवर्नमेण्ट उनकी रस्ती-भर भी परवाह नहीं करती और उनकी सिफारिश या विरोध को समान उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। ऐसी हालत मे हम नहीं समझते इस प्रस्ताव पर उन महानुभावो ने अपनी देश-द्रोह पूर्ण मनोवृत्ति का ताडव-नृत्य दिखाकर अपना या देश का कौन-सा उपकार कर दिया। क्या वे चुप न रह सकते थे? कम से कम उनका परदा तो ढका रह जाता। उस प्रस्ताव का इन हजरात ने ऐसा घोर विरोध किया कि उस पर राय लेने की नौबत भी नहीं आयी। सरकारी मेम्बरो की नीति तो हमारी समझ मे आती है। सरकार असहयोग को घातक समझती है और उसके नौकर उसके हुक्म की तामील करने पर मजबूर है। लेकिन जो लोग राष्ट्र-द्वारा चुनकर भेजे गये हैं, जिनसे आशा की जाती है कि वे जो कुछ करेंगे राष्ट्र के प्रतिनिधि की हैसियत से करेंगे, जो राष्ट्र के हितो के पहरेदार समझे जाते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान के रक्षक हैं, वे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रस्ताव का विरोध करें, यह लज्जास्पद है। क्या सरकार को उन्होने इतना कमजोर समझ लिया है कि अगर इस वक्त दौडकर उसे सँभाल न लेते तो वह बालू की भीत की तरह गिर पडती। ऐसा भ्रम करने का तो उन्हें कोई कारण न होना चाहिए, क्योंकि सरकार की अजेयता के उन्हें काफी तजरबे हो चुके हैं। उनकी हिमायत के बगैर भी यह प्रस्ताव गिर जाता। और अगर न गिरता तो भी ऐसी कौन-

सी बड़ी आफत आ जाती थी। सरकार कैदियों को छोड़ने का वादा करके भी उन्हें बरसो जेल में डाले रह सकती है। मगर यह महानुभाव कुछ ऐसे बौखलाये कि सारी सुध-बुध भूल गये और मरी हुई लाश को पीटकर शहीदों में दाखिल हुए बगैर न रह सके। मालूम नहीं, इस मुफ्त के अपयश के वे क्यों इतने बेकरार हो गये। इसमें कोई न कोई रहस्य है।

इसमें शक नहीं कि वर्तमान एसेम्बली के सदस्य उस वक्त एसेम्बली में आये जब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर रखा था। अगर कांग्रेस ने अपने नुमायंदे खड़े किये होते तो इन महोदयों में से बहुत थोड़े आज एसेम्बली में रौनक अफरोज होते। इन्हें राष्ट्र का प्रतिनिधि समझना ही हमारी गलती है। अगर कांग्रेस ने अपने उम्मेदवार खड़े किये तो इन्हें एसेम्बली के फिर दर्शन न होंगे। फिर तो उन्हें सरकार ही की कृपा-दृष्टि का भरोसा रहेगा। एसेम्बली में तो सरकार के नामजद किये हुए मेम्बर रहेंगे ही। शायद इन-भलेमानसों में से किसी की किस्मत लड़ जाय।

और क्या इन लोगों की समझ में अभी तक यह बात नहीं आयी कि कांग्रेस यदि सत्याग्रह को सामूहिक रूप से फिर जारी करना चाहे तो वह कैदियों के जेल में रहते हुए भी कर सकती है। कांग्रेस को सेवकों की कमी नहीं है और उसके दस-पाँच हजार भक्तों के जेल में पड़े रहने से उसके काम में कोई बाधा नहीं पहुँच सकती? मि० विजय कुमार बसु और नवाब मलिक मुहम्मद हयात खाँ ने जिन शब्दों में विरोध किया, वह किसी सरकारी मेम्बर के मुँह से ही शोभा देते। बसु महाशय ने फरमाया—मुझे विश्वास नहीं कि बन्दियों के छूटने से आनेवाले सुधारों की सफलता में बाधा पड़ेगी। मलिक साहब का कथन भी कुछ इसी ढंग का था। सर एन० चोकसी ने फरमाया कि कांग्रेस अभी तक बम्बई में पिकेटिंग कर रही है और सरकार को उन्हें न छोड़ना चाहिए। होम सेक्रेटरी ने कहा कि मुल्क की आबादी को देखते हुए कैदियों की संख्या नगण्य है। सर फजल हुसैन ने फरमाया कि ऐसे प्रस्तावों से काउंसिल का समय नष्ट करने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तावक को वोट मिल सके। केवल सैयद हुसैन इमाम साहब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्य सज्जन या तो इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने का साहस न रखते थे, या बोलना व्यर्थ समझा।

अब समस्या यह है, कि इस दशा में भी जब कि काउंसिलों में ऐसे कौमफरोशों का बहुमत है, कांग्रेस काउंसिलों का बहिष्कार करती रहेगी या उन्हें अपने कब्जे में लाकर ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए उनके द्वार बन्द कर देगी? यह सच है कि, राष्ट्र इस समय सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रोग्राम किसी तरह सफल नहीं कहा जा सकता। देश और नेता थके हों या न हों, पर इस प्रोग्राम पर अब उत्साह नहीं रहा। यो त्याग और बलिदान का जनता पर प्रभाव पड़ता ही है और वह अब भी पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव से काम न लिया जाय, तो नतीजा यही होगा, कि

सरकार को ऐसी काउंसिल मिलेगी जिनसे वह मनमाने कानून बनवाती रहेगी। उसकी निरंकुशता का अन्त करने के लिए यह परमावश्यक हो गया है, कि काँग्रेस आनेवाली काउंसिलो को अपने हाथ में करने की भरपूर चेष्टा करे। जनता में सत्याग्रह के लिए चाहे उत्साह न हो, पर उसे काँग्रेस पर पूरा विश्वास है और वह खूब समझती है, कि उसके हितों की रक्षा काँग्रेस ही कर सकती है।

हमारा यह भी खयाल है, कि सत्याग्रह से जिस बात की आशा थी, वह बहुत कुछ पूरी हो चुकी है। सत्याग्रह से सरकार इतनी भयभीत हो जायगी, कि काँग्रेस के हाथों में अधिकार देकर भाग खड़ी होगी, ऐसा भ्रम तो किसी को भी न था। उसका उद्देश्य जनता में राजनैतिक जाग्रति पैदा करना था और वह उद्देश्य पूरा हो गया। आज मामूली औरतें भी स्वराज्य का अर्थ और उसे अपने देश के उद्धार का मूल समझती हैं। स्वराज्य के लिए कुर्बानी करने की भावना भी उनमें प्रबल है। इस भावना को अब कार्य-रूप में लाने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरह पकी हुई खेती काट न ली जाय, तो दाने जमीन पर गिरकर नष्ट हो जायेंगे, उसी तरह इस जागृति से काम न लिया गया, तो वह उदासीनता में परिणत हो जायगी। सरकार इस वक्त काँग्रेस को कुचलने की धुन में चाहे कितनी ही अकड़ दिखाये, पर मन में वह खूब समझती है, कि अब निरंकुश शासन के दिन विदा हो गये और भारत अब विदेशी शासन को सहन नहीं कर सकता। इस बात को वह अंग्रेज भी समझने लगे हैं जो हमेशा दमन का पक्ष लेते आये हैं। “स्टेट्समैन” उन अखबारों में है, जिन्हें भारत से कभी सहानुभूति नहीं रही, पर मिदनापुर के जिला हाकिम मि० बर्ज की दुष्टता-पूर्ण हत्या पर टिप्पणी करते हुए वह लिखता है—

“जब तक भारत की आर्थिक समस्याओं को भारत के हित के दृष्टि-कोण से नहीं, बल्कि माटेग्यू नारमन या किसी दूसरे महाजन के विचारों के अनुसार देखा जायगा, जब तक यह विश्वास बना हुआ है कि नौकरी के द्वार भारतीयों के लिए बन्द है, और शासकों और शासितों के बीच का पुल केवल तख्ते का पुल है, जो इच्छानुसार खाई पर से हटाया जा सकता है, जिससे सरकार जनता की वकील होने की जगह अपने को किले में स्वरचित रखती है, क्रान्ति यो ही गुप्त-रूप से होती रहेगी।”

हम इसके पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि इन हत्याओं से देश का उद्धार नहीं हो सकता और जो लोग ऐसा समझते हैं वे बड़े भारी भ्रम में हैं, पर जैसा “स्टेट्समैन” ने लिखा है कि इन हत्याओं की तह में आर्थिक कठिनाइयाँ काम कर रही हैं और यह आम तौर पर खयाल किया जा रहा है कि जब तक शासन-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन न किया जायगा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि देश की आर्थिक दशा सुधारने में समर्थ हो सके और शिक्षित-समाज की बढ़ती हुई बेकारी का कुछ इलाज कर सकें, ये कारण दूर न होंगे। यह अवसर ऐसा नहीं है कि काँग्रेस दूर से तमाशा

देखती रहे और इन आर्थिक समस्याओं के हल करने में प्रयत्नशील न हो। यह सच है कि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वह कांग्रेस को कुचलकर दम लेना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के कुचलने से क्या आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी? जब तक शिक्षित बेकारी बढ़ती रहेगी, असन्तोष बढ़ता रहेगा। इस वक्त देश और गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही बेकारी है, और कांग्रेस अधिकार में आकर इस पर बड़ी हद तक विजय पा सकती है।

११ सितम्बर १९३३

एसेम्बली में भूकम्प

एसेम्बली वाले बिलकुल बच्चों की तरह काठ के घोड़े पर सवार होकर जब उचकने लगते हैं, तो समझते हैं वे सचमुच के घोड़े पर सवार हैं। वे इस खयाल से दिल में खुश होते रहते हैं कि एसेम्बली ब्रिटिश पार्लामेंट है और वे इस पार्लामेंट के सुयोग्य मेम्बर हैं, और इसलिए वहाँ पार्लामेंट की हरेक नीति की नकल की जानी चाहिए, चाहे उससे कोई तत्व की बात निकले या न निकले। इन महानुभावों की इस सरलता पर हँसी आती है। जब ये लोग भोजवा तेली की भाँति जो राजा भोज के सिंहासन पर बैठकर बहकने लगता था, पार्लामेंट की परम्पराओं की अन्धो नकल करने में अपनी बुद्धि की दुर्बलता दिखाने लगते हैं, बात-बात पर आर्डर-आर्डर का गुल मचाना, बात-बात पर पार्लामेंट के हवाले देना। अभी अभी दिन एक अजीब तमाशा हुआ। मि० गयाप्रसादसिंह के “खट्टर-रत्नक बिल” पर बहस हो रही है कि यकायक लाला हरिराज स्वरूप हैट लगाये हाउस में आ जाते हैं। बस एसेम्बली में हगामा मच जाता है। भूकम्प-सा आ जाता है। चारों तरफ से आर्डर-आर्डर का होहल्ला मचने लगता है, मानो अन्दर कोई साँड घुस आया है। लाला साहब भी यह फटकार पडते ही बदहवास होकर भागते हैं और सीधे लाँबी में जाकर दम लेते हैं। बड़ी मुश्किल से बेचारों की जान में जान आती है। किसी तरह प्राण बचे। रसीदाबूद लगाये बले बखैर गुजरत। पूछिए एसेम्बली में कोई हैट लगाकर चला जाय तो इस कदर चीखने-चिल्लाने की क्या जरूरत थी। माना ब्रिटिश पार्लामेंट में कोई हैट लगाकर नहीं जाता। अंग्रेज छत के नीचे पहुँचते ही अपना हैट उतार लेना है, तो फिर यह क्या जरूरी है कि आप भी अपना हैट उतारे और अगर आप से गलती हो जाय तो क्यों ऐसा हगामा मचाया जाय। हम घर में घुसते ही अपनी टोपी उतार कर हाथ में नहीं ले लेते। अक्सर टोपी लगाये बैठे रहते हैं। फिर एसेम्बली में क्यों हैट लगाकर जाना जुर्म समझा जाय। यह है दास मनोवृत्ति की इतहा। हम खुश होते, अगर यह दास-मनोवृत्ति अंग्रेजी रीति-नीति की ज्यादा महत्वपूर्ण बातों की नकल

भी करती। अंग्रेज सत्ता पर केवल इसलिए राज नहीं कर रहे हैं कि वे छत के नीचे आते ही हट उतार लेते हैं, या अपनी लेडियो को जरा-सा हट उठाकर सलाम करते हैं। हम इन जरा-जरा-सी अंग्रेजी बेहूदगियों की नकल तो करते हैं, पर जो अंग्रेजों के जीवन की अच्छी बातें हैं उनकी तरफ से आँखें बन्द कर लेते हैं। सभ्यता बाहरी नकल में नहीं है। वह अन्दर के परिष्कार से उत्पन्न होती है। अंग्रेजों को मुँह चिढ़ाने से तो हमारी बेवकूफी ही जाहिर होती है।

११ सितम्बर १९३३

गवर्नर बम्बई की शिकायत

उस दिन गवर्नर बम्बई ने एक जल्से में स्पीच देते हुए फरमाया कि शहरवालों को देहातो की तरफ ज्यादा ध्यान देना-चाहिए, क्योंकि देहातो पर ही उनकी हस्ती कायम है। आपने यह भी फरमाया कि अब तक देहातो में जो कुछ हुआ है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही हुआ है। शहर के धनियों ने सरकार का हाथ नहीं बटाया और न नेताओं ही ने सरकार की मदद की। सरकारी कर्मचारियों का हमें जो अनुभव है, वह तो बहुत उत्साहजनक नहीं है। सरकारी कर्मचारी देहात में शिकार खेलने, गरीबों से बेगार लेने, उनसे धी, दूध, मछली, गोशत मुफ्त में लेने जाता है, और बहुधा वह गाँवों को तबाह कर देता है। अफसरों के दौरे की खबर पाते ही देहातियों के प्राण सूख जाते हैं। बेचारे अपने पुत्राल और गाय और बकरियाँ छिपाने लगते हैं। अफसर देहातो में हाकिमों का खर्च अदा करने के लिए बड़े-बड़े चन्दे किये जाते हैं। हाकिम जिला हो या तहसीलदार या शिक्का का इस्पेक्टर या हेल्थ अफसर, देहातो में सभी अफसर बन जाते हैं और सभी देहातियों पर रोब जमाते हैं। बाज़ार में धी का भाव सेर भर का हो, मगर दौरे पर अफसर दो सेर का धी लेगा। हरेक चीज़ वह आधे दामों पर लेना अपना अधिकार समझता है, क्योंकि वह अफसर है। आधा दाम भी वह देते हैं जो बड़े नेकनाम हैं। अधिकतर तो सारी चीज़ें मुफ्त ही में ले लेते हैं। इसके सिवा तो हमने सरकार के द्वारा देहातो का कोई हित होते नहीं देखा। देहातो की सबको की, मदरसों की, चौपालों की, जानवरों की कौन खबर लेता है? वह फसली बीमारियों में मक्खियों की तरह मरते हैं, कौन उन्हें दवा देता है? जो सरकार अपनी कुल आमदनी का आधा फौज पर खर्च करती है, उसके पास देहातो के सुधार के लिये धन कहाँ है? जो कुछ होता भी है, वह सरकारी ढग से होता है और प्रजा उसे खुशी से स्वीकार नहीं करती। सरकार जब अपने को देश का सेवक नहीं, स्वामी समझती है, और उस पर तलवार के जोर से शासन करती है, तो उसके कर्मचारी

भला क्यों न अपने को प्रजा का शासक समझे । रहे, हमारे नेता । हमारा खयाल है, कि सरकार ने नेताओं को कभी किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया, उलटे उनके मार्ग में रोड़े अटक़ाये हैं । देहातो की जागृति का अर्थ है जमींदार और हुक्काम के प्रभाव का कम होना । इसे न सरकार सज़न कर सकती है, और न कर्मचारी । जागृति और लतखोरो में परस्पर विरोध है । किसान लगान दिये जायें, हुक्काम को जबरदस्तियाँ सहे जाय, यही सरकार को इच्छा है । यही हो रहा है । इस पर किसी का शिकायत करना हठ-धर्मी है ।

१८ सितम्बर १९३३

राजकुमारों के रहने योग्य

हमें सर हेनरी हेग के ज़बानी यह सुन कर महान् सन्तोष हुआ कि अंडमान सेलुलर जेल भारत के जेलों से कहीं बढ़िया है । उसकी इमारत तो इतनी भव्य है कि सर हेनरी के शब्दों में—“वह बड़े-बड़े मर्चेट प्रिंसों के रहने योग्य है ।” शायद वहाँ कैदियों का स्व.स्थ इसीलिए नष्ट हो जाता है कि उन गरीबों को उससे कहीं ज्यादा आराम से रक्खा जाता है, जिसके वे आदी हैं । किसी को हलवा मुरब्बे खिलाकर तो निरोध नहीं रखा जा सकता । ऐसी शानदार इमारत तो रहने को मिलती है, फिर भी हम ऐसे कृतघ्न हैं कि सरकार का एहसान नहीं मानते । क्या अच्छा हो, अगर सेलुलर जेल को अधिकारियों के लिए सैनेटोरियम बना दिया जाय और साल में एक-दो महीने के लिए उस सैनेटोरियम में रहकर वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करें । इसी के लिए उन्हे योरोप की यात्रा करनी पड़ती है, यहाँ थोड़े ही खर्च में वही बात हासिल हो जायगी !

१८ सितम्बर १९३३

रुईवालों की भी सुनी जाय

जापान और भारत में व्यापार की बातचीत जल्द ही शुरू होनेवाली है । हमें आज्ञा है कि रुईवालों को भी उसमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायगा । भारत में मिलो से जितने आदमियों की जीविका चलती है, उससे कहीं ज्यादा रुई की खेती से अपना निर्वाह करते हैं । शक्कर और रुई के सिवा किसानों के पास धनोपार्जन की कोई फसल नहीं रही । गेहूँ, तेलहन, सन, पटसन आदि के लिए कहीं बाज़ार नहीं रहा । उन दो में से रुई का बाज़ार भी निकला जा रहा है । जापान का कपडा रोक

दिया गया, तो वह यहाँ की रई भी जरूर रोक देगा। पिछली बार इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि जब से जापान ने भारतीय रई बन्द करने की धमकी दी है, उसने बहुत ज्यादा रई मँगवायी है। लेकिन बाद को यह ज्ञात हुआ कि यह आर्डर पहले के थे, और वास्तव में जापान अपनी धमकी को अमल में ला रहा है। लकाशायर जापान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि छोटे रेशे की रई को उसके यहाँ खपत नहीं है। जापान के सिवा उसका कोई खरीदार नहीं है। जब तक हमारे मिल मालिक इस बात का जिम्मा न ले कि वे भारत की सारी रई खरीदेंगे तब तक उन्हें किसी प्रकार का सरक्षण न मिलना चाहिए।

१८ सितम्बर १९३३

जापान-भारत संवाद

जापान-भारत संवाद के समाचारों से अभी तक यही मालूम हुआ कि जापानी डेपुटेशन खूब अच्छी तरह तैयार होकर आया है, पर भारत अभी बिलकुल तैयार नहीं है। जब जापान भारत से सालाना ३० करोड़ रुपये की रई खरीदता है, तो प्रश्न यह उठता है कि जापान ने भारत की रई का बहिष्कार कर दिया तो रई पैदा करनेवाले किसानों को ३० करोड़ रुपये कौन देगा? यह कहना कि जापान केवल धमकी दे रहा है और उसका भारत की रई के बगैर काम नहीं चल सकता, जनता को धोखा देना है। जब भारत के कपड़े का बाजार जापान के लिए बन्द हो जायगा, तो वह इतनी रई लेकर करेगा क्या! उसे रई की माँग इसीलिए तो है कि भारत में उसके कपड़े की खपत है। कपड़े की माँग कम होते ही रई की माँग आप ही आप कम हो जायगी। कुछ वर्ष पहले तो जापान का यहाँ कुल १० करोड़ का कपड़ा बिकता था, हालाँकि रई वह ३० करोड़ की खरीदता था। पिछले तीन वर्षों में जापानी कपड़े की खपत यहाँ बढ़ गयी है, फिर भी ३० करोड़ का जापानी कपड़ा किसी तरह नहीं बिकता। बाहरी कपड़े की खपत इस वक्त ४०-४५ करोड़ से अधिक नहीं है। उसमें आधा से ज्यादा अभी तक इंग्लैंड का कपड़ा है। हमें तो यही मालूम होता है कि जापानी कपड़ों को बाहर निकाल कर भारत अपने किसानों और कपड़ों के गाहकों दोनों ही के साथ अन्याय करेगा। अब कोई यह नहीं कह सकता कि जापानी कपड़ा जापानी सरकार की मदद से इतना सस्ता बिकता है। उसके सस्तेपन का रहस्य उसके मजदूरों की निपुणता और कारखानों के सुप्रबंध पर है। क्यों भारत में अच्छे कारीगर जमा करने की चेष्टा नहीं की जाती और क्यों प्रबंध किफायत से नहीं किया जाता, और उनकी अयोग्यता का तावान जनता से क्यों लिया जाता है?

हम यह नहीं कहते कि जापानी कपडा बेरोक-टोक भारत में आवे । कुछ प्रतिबन्ध होना आवश्यक है । इसमें हमें कोई खराबी नहीं मालूम होती कि जापान जितने की रई खरीदे, अगर ज्यादा नहीं तो उसके आधे रुपये के कपडे तो यहाँ बेच सके । मिलवालो को भी सोचना चाहिए कि जब किसानों के पास रुपये ही न होंगे तो उनके कपडे कौन खरीदेगा ।

२ अक्टूबर १९३३

ब्रिटेन के लिए असह्य

कई दिन हुए ब्रिटेन की उस पार्टी ने जो भारत को हमेशा अपने अधिकार में रखने की इच्छुक है, कई पेशनर जनरलो की एक संयुक्त चिट्ठी छापी थी, जिसका आशय था कि ब्रिटेन अपनी सैनिक शक्ति से भारत पर शासन किये जा सकता है । एक दूसरे अंग्रेज जनरल ने जिसका नाम सर डब्लू मियार्न हेनेकर है उन जनरलो का जवाब देते हुए कहा कि यह सत्य है कि हम भारत पर सैनिक शासन कर सकते हैं, लेकिन इसका बोझ इतना अधिक होगा कि ब्रिटेन उसे सँभाल न सकेगा । आप आगे कहते हैं—

“कोई व्यवस्था भारत में विद्वेष पैदा करने के लिए इससे अच्छी नहीं सोची जा सकती कि भारत को पशुबल से अपने अधीन रखा जाय । भारतीय सेना के क्रमशः भारतीयकरण का समर्थन प्रायः हरेक जी० ओ० सी० ने किया है ।” लेकिन इस वक्त मि० चर्चिल के सामने किसकी चल सकती है ।

२ अक्टूबर १९३३

पिछली मर्दुमशुमारी

भारत सरकार ने १९३१ में जो मनुष्य-गणना करायी थी, उसकी पूरी सच्चाई यानी उसके एकदम ठीक होने के विषय में बहुतों को तोत्र सन्देह है—और इस सन्देह के कई कारण हैं । काँग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन बहुत जोरो पर था । हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी संख्या काँग्रेस-सेवा में सलग्न थी । ऐसे अवसर पर उन्होंने मर्दुमशुमारी का बहिष्कार किया । बहिष्कार उचित था या अनुचित, इसका प्रश्न नहीं है पर यह सत्य है कि गणना करनेवाले अपने मन से ही गिनती लिख कर चल देते थे । बहुतों को पता भी न चला और गिनती हो गयी । मुसलमानों ने बहिष्कार का उलटा किया और अपनी सख्या अच्छी तरह लिखायी । वे जानते थे कि मताधिकार का प्रश्न आ

रहा है। इसलिए गणना अधिक लिखानी ही चाहिए। इसलिए १९३१ की गणना के अनुसार हिन्दू-मुसलमान अनुपात का वास्तविक अनुमान नहीं किया जा सकता।

फिर भी, गणना में सरकार को और से काफी परिश्रम किया गया है। जनता के सहयोग के अभाव में धाँधली भी हुई, पर उसका विशेष बुरा फल न हुआ। यह अवश्य हुआ कि शारदा बिन्धु के पजे में फँसने से बचने के लिए १४ वर्ष के नीचे की विवाहिता कन्याओं को भी कुमारी लिखाया गया, अतएव विवाहितों की ठीक सख्या ज्ञात न हो सकी।

पर, जो रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है, उससे बहुत-सी बहुत रोचक बातें मालूम हुई हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि आबादी की दृष्टि से भारत सार भर में सबसे आगे है। यहाँ के निवासियों की सख्या चीन से भी अधिक हो गयी है। अकाल, बाढ़, महामारी सब का कोप होते हुए भी चीन के भीषण नर-संहार के कारण भारत, चीन के भी आगे बढ़ आया है। क्षेत्रफल में बंगाल भारत का नवाँ प्रान्त है, पर आबादी में सबसे अधिक और समूचे ब्रिटिश भारत की आबादी का १/६ अंश यही रहता है।

१९२१ में भारत में शिक्तियों की सख्या २२,६२३,६५१ थी, पर, १९३१ में—ब्रिटिश शासन के दस सुनहले वर्षों में बढ़ कर केवल २८,१३१,३१५ ही हो सकी। यानो आबादी पीछे ७ प्रतिशत का औसत बढ़ कर केवल ८ प्रतिशत ही हो सका।

भारत में नागरिकों की सख्या ३८,९८५,४२७ यानी कुल जनसंख्या का केवल ११ प्रतिशत ही है। कृषि की जीविका करनेवालों का औसत ७१ प्रतिशत है। विवाह योग्य विधवाओं की सख्या ८,३१३,७७३ है। १९३१ में पागलों की सख्या १३०,३०४, बहरो-गुगों की २३१,८६५ अन्धों की ६०१,३७० और कोढ़ियों की १४७,९११ थी। सगठिन मजदूरों की सख्या ५,०००,००० समझनी चाहिए। व्यापार में लगे हुए लोगों की सख्या घट कर ८२ लाख ही रह गयी। जन-सेना १,०४०,००० से घट कर ८४१,००० रह गयी, साञ्जय तथा स्टेट सेना ४४०,००० से घट कर ३१७,००० हो गयी है।

अस्तु ये रोचक आँकड़े हमारी दुर्दशा तथा अभ्युदय दोनों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है और आशा है, कि पाठकों को इनसे कुछ नयी बातें मालूम होंगी।

२ अक्टूबर १९३३

ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पदाधिकारियों को आश्वासन

अन्य देशों में राजनैतिक व्यवस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण और

उन्नति होती है। एक मंत्रि मंडल जाता है, दूसरा आता है। एक दल की जगह दूसरा दल अधिकार प्राप्त करता है। यह सब कुछ जनता के हित के लिए। सरकारी कर्मचारी भी जनता ही के एक भाग हैं, उनका हित-अहित भी राष्ट्र के हित-अहित के साथ बधा होता है, लेकिन भारत में जो व्यवस्था की जाती है उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है, इसमें कर्मचारियों—खामकर अंग्रेज कर्मचारियों को कोई नुकसान तो न पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ कर्मचारी राष्ट्र के लिए नहीं हैं बल्कि राष्ट्र कर्मचारियों के लिए है। इसलिए सबसे माइमन कमीशन भारत आया, तभी से पदाधिकारियों के मन में शंकाएँ उठ गयी हैं और वे बार-बार सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते, छुट्टियाँ, पेंशन अख्तियार सब कुछ ज्यों के त्यों बने रहेंगे और इस बात को वे आनेवाली व्यवस्था में शामिल कर देना चाहते हैं और यद्यपि उनके हितों के लिए सरकार ने सुफेद कागज में बहुत काफी बन्दिशें कर दी हैं, फिर भी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बैठक में जो अब फिर शुरू हुई है, सर सैमुएल होर से उसी विषय पर जिरहे की गयी, और जैसे कोई रोगी जबतक डाक्टर के मुँह से अपने अच्छे होने की बात न सुन ले, उसे सन्तोष नहीं होता, उसी तरह सैमुएल होर से अपनी इच्छित सारी बातें स्वीकार कराके पदाधिकारी हितों के रक्षकों ने खुशी की साँस ली होगी। बात तो तय थी ही, लेकिन भारतवालों को एक बार सुना देना जरूरी था और वह अभिनय कर दिखाया गया।

नौकरशाही को आनेवाली व्यवस्था से शंकाएँ हैं, यह तो स्पष्ट ही है, मगर इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि उन्हें इस वक्त जो रियायतें और अख्तियार और फायदे हैं उन्हें वे खुद भारत की हालत को देखते हुए सीमा से बड़ा हुआ समझते हैं, और उन्हें भय है, कि ये मौके उनके हाथ से निकल जायेंगे। वे अपने को भारत की जनता से अलग समझते हैं और उन्हें भारत के हित की उतनी परवाह नहीं है जितनी अपने फायदे की। वे दिल में खूब समझते हैं कि भारत जैसे दरिद्र देश में जहाँ १०० में ५० आदमी बेकार हैं, अगर जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में कुछ भी अधिकार आया तो ये मजे न रहेंगे। जनता सबसे पहले प्रबन्ध के खर्च में किरफायत करेगी इसलिए वे हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ कर लेना चाहते हैं और आनेवाली व्यवस्था को ऐसा जकड़ देना चाहते हैं कि वह उनकी ओर तिरछी आँखों से देख भी न सके। हम नहीं समझते, जिस व्यवस्था में पदाधिकारियों पर मन्त्रियों और जनता के प्रतिनिधियों का कोई दबाव न रहेगा, वह व्यवस्था किस विचित्र ढंग की होगी। कैसी दशा में उस व्यवस्था को ऐसी मँहगी सर्विस के रहते हुए, निर्माण के कामों के लिए जनता पर नये कर लगाने पड़ेंगे और जनता में कर देने की जो शक्ति है, वह पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए नयी व्यवस्था को अपना-सा मुँह लेकर रह जाने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। जनता प्रबन्ध में कोई किरफायत नहीं कर

सकती, नौकरो को जो अस्तित्थारात मिल गये है उनमे किसी तरह की कमी नही की जा सकती । ऐसी व्यवस्था उस आदमी की-सी होगी, जिसके हाथ पाँव बाँध कर कहा जाय कि अब दौडो । वह गरीब हिल तो सकता ही नही, दौडेगा कहाँ से । फौज के खर्च मे कमी की कल्पना ही नही की जा सकती, प्रबंध के खर्च मे कमी हो ही नही सकती, फिर जनता पर कर-भार कैसे हलका हो सकता है । उसका उपाय एक यही रह जायगा कि जो कुछ जैसे चलता है, वैसे ही चलता रहे और मंत्री और काउंसिलो के मेम्बर काउंसिल भवन मे ब्रिज खेलकर अपना मनोविनोद किया करें । ऐसी व्यवस्था के लिए इतना तूमार क्यों बाँधा जा रहा है । जब उससे हमारी दशा मे कोई उन्नति होने की आशा नही, तो जो इंतजाम चल रहा है वही क्या बुरा है । करोडो का खर्च और बढ़ाकर बदले मे कुछ न पाना, यह तो बडा कठोर दड है ।

६ अक्टूबर १९३३

मि० लांसबरी का बाल-बहलावन

मि० लांसबरी ने भारत के नाम एक पैगाम भेजकर कहा है कि लेबरपार्टी बहुत जल्द अधिकार पानेवाली है । उस वक्त वह भारत को तुरन्त पूर्ण स्वराज्य प्रदान कर देगी, कि चाहे वह साम्राज्य का प्रमुख अंग बनकर रहे या बिलकुल स्वतंत्र हो जाय । मि० लांसबरी लेबर पार्टी के प्रमुख नेता है और कोई वजह नही कि हम उन पर विश्वास न करें । अब तक हमे मजदूर-दल का जो कुछ अनुभव हुआ है वह तो इस वादे पर विश्वास करने मे बाधक है, पर हो सकता है कि जिस आदमी ने एक दो बार अपने वादे न पूरे किये हो, वह तीसरी बार पूरा करे । अविश्वास करके हम अपने हमदर्दी की हमदर्दी नही खो देना चाहते । सब कुछ मजदूरदल के बहुमत पर है । अगर फिर मजदूर दल को वैया ही बहुमत मिला जैसा पिछले अवसरो पर मिल चुका है, तो मि० लांसबरी सदिच्छा रखते हुए भी कंजरवेटिव दल के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जायेंगे । हाँ, अगर मजदूर दल को शुद्ध बहुमत मिला, तो हमे आशा है वह अपने राज-नैतिक न्याय-नीति का परिचय देने मे समर्थ हो सकेंगे । कम से कम मजदूरदलवाले मीठे वादो से दिल तो खुश कर देते है । कंजरवेटिव तो जबान से भी जहर ही उगलते है । गरीब को तसल्ली के दो शब्द भी बहुत है । मीठी बातें करके आप हमारा गला भी काट सकते हैं, आँखें दिखाकर और घुडकियाँ जमाकर आप हमारे समीप नही आ सकते । यह मानना पडेगा कि मेकियावेलियन नीति मे लेबर-दलवाले कंजरवेटिव दल को अभी कुछ दिनों पढा सकते है । मि० रैमजे मैकडोनल्ड को ही देख लीजिए । मजदूर-दल का कहाँ शुमार नही है, पर आप बर्तानियाँ-साम्राज्य के प्रधान सचिव बने हुए है ।

मि० बाल्डविन और लायड जार्ज तो क्या, मि० चर्चिल भी इतनी सफाई से चोला न बदल सकते। इस विषय मे लेबर पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं ठहर सकती।

६ अक्टूबर १९३३

काँग्रेस के बेकार वालंटियर

हमे यह देखकर दुःख होता है कि काँग्रेस के कितने ही नवयुवक आजकल बेकारी मे मारे-मारे फिर रहे हैं और कही आश्रय नहीं पाते। जिस बात को उन्होने सत्य समझा उसके लिए सब तरह के कष्ट भेले। अब उनके पास न खाने को पैसे है, न पहनने को कपडे। कितने ही तो पैसे-पैसे को मुहताज हैं। तीन-चार साल से काँग्रेस की सेवा ही उनके जीवन का काम हो गया था। खेद है कि जनता उनकी ओर से बिलकुल उदासीन हो रही है। उनमे कितने ही किसी प्रकार का काम चाहते हैं जिससे वे रोटियाँ कमा सकें, दूसरो के भार न बने, पर कहीं काम मिलता। यदि हमारे नेता उद्योग करे तो इन गरीबो के लिए कोई काम निकाला जा सकता है, पर आजकल जो शिथिलता छा गयी है, उसने हमे इतना निरुत्साह कर दिया है कि शायद हमे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। जिन लोगो ने तालियाँ बजा-बजाकर और फूलो के हार पहना-पहना कर इन युवको को जेल भेजा था, आज वे इनके गुजारे का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते ? जिनके माँ-बाप हैं, या जिनके घरवाले उनका स्वागत करने को तैयार हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन्होने काँग्रेस के लिए अपना काम-धंधा छोड दिया, अकसर घरवालो से बिगड बैठे, उनके लिए अब कहीं आश्रय है।

६ अक्टूबर १९३३

शिमले में तिगडुम

जापान और लंकाशायर के प्रतिनिधियो को भारत मे आये कई दिन हो गये। एक सप्ताह से तो वे शिमले मे ही पडे हुए हैं, पर अभी तक दोनो पैतरे बदल रहे हैं। और भारत के मिल-मालिक एक दूसरे को आँखें फाड-फाड देख रहे हैं कि यह तमाशे कब तक होते रहेंगे। इतनी-इतनी दूर से आये हो, तो चटपट अखाडे मे उतरो, हाथ मिलाओ और गुथ जाओ, फिर कभी जापान ऊपर आवे और ब्रिटेन के पुराने पट्टे को घस्से दे और कभी इंग्लैड ऊपर आकर जापान को जुजुत्स के हाथ दिखाये। घडी-आघ घडी मे किसी न किसी की कुशती हो ही जायगी। मगर यहाँ तो अभी तक पैतरेबाजियाँ

हो रही है। दोनों एक दूसरे के डड-बल्ले देख-देखकर सहम रहे हैं और सामने नहीं आते। हमारे मिल अनर, इनकी रूह निकली जा रही है कि इनमें जो जीता उसी से उनका फाइल होगा। जापान जीता, तो खैर सौ दो सौ फी सदी कर बढ़ाकर उसके माल को रोक देंगे, लेकिन कहीं बर्तानी पहलवान जीत गया, तो भारत के नौसिखुए रगलूट की खैरियत नहीं। अभी तो जापानी नीतिज्ञों ने समाचार पत्रों को दावते खिलायी और उनसे खूब याराना गाँठा। अब ब्रिटेन भी उनको दावते खिला रहा है और याराना गाँठ रहा है। इंग्लैंड का पक्ष मजबूत है। उसने ऐसे-ऐसे हजारों दगल देखे हैं, और इसकी कोई हकीकत नहीं समझता। सर क्लेयरी साहब ने समाचार पत्रवालों को दावते के समय बड़े मारके की बात बतलायी। आपने फरमाया, तुम इसकी चिन्ता मत करो कि भारत की रुई कौन खरीदेगा। जापान भारत की रुई इसलिए नहीं लेता कि उसे भारत से कोई प्रेम है, बल्कि केवल इसलिए कि उसे सस्ती रुई और कहीं मिलती नहीं। वह अपने सुभीते को देखकर ही यहाँ की रुई खरीदता है। उसके कपड़े पर कर बढ़ा दिया जायगा, फिर भी वह भारत की रुई लेता रहेगा। और उसका शुभीता न हुआ तो चाहे भारत उसका कितना ही कपड़ा क्यों न ले, वह दूसरी जगह रुई खरीदेगा। रहा इंग्लैंड, वह भारत की ज्यादा रुई खर्च करने का विचार कर रहा है, मगर सर क्लेयरी महोदय यह आशा नहीं दे सके कि आखिर भारतीय रुई का कौन-सा भाग लकाशायर खरीदेगा। जापान तो भारत की ३० करोड़ की रुई लेता है। लकाशायर लेता है तीस करोड़ की रुई ? ३० न सही २५ सही ? नहीं। लकाशायर भारत की कुल रुई का पाँचवाँ भाग खरीदता है। तो भारत के किसानों से अगर पूछा जाय तो वे जापान को नाराज न करेंगे। वह बंबई और नागपुरवालों के लाभ के लिए अपने को तबाह नहीं करना चाहते, मगर उन गरीबों की सुनता कौन है। उनकी पहुँच भी वहाँ कहीं। होगा यही कि महीने भर की बैताबहस और अन्ताछरी के बाद जापान पर ७५ फीसदी कर लग जायगा, वह अपनी रोनी सूरत लिये उधर जायगा, इधर इंग्लैंड मूँछों पर ताव देता हुआ अपना खोया हुआ व्यापार वापस ले लेगा और हमारे मिल वाले आराम तलब सेठजी अपने भरे हुए गोदामों को देख-देख कर किस्मत ठोकेंगे।

६ अक्टूबर १९३३

काँग्रेस और सोशलिज्म

अंग्रेजी ही नहीं, भाषाओं के पत्रों में भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि महात्मा गाँधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनैतिक आदर्शों में बड़ा अन्तर है, दोनों ही महानुभावों की नीति अलग है, मनोभाव अलग है, आदि। बिलकुल ठीक, लेकिन यह आज से नहीं, उसी वक्त से है, जब से दोनों वीरों ने कर्मक्षेत्र में कदम

रक्खा । महात्मा जी महात्मा है, जवाहरलाल महात्मा नहीं, हम और आप जैसे मनुष्य हैं । अहिंसा पं० जवाहरलाल के लिए और महात्मा जी के सिवा सम्पूर्ण भारत के लिए केवल एक नीति है, धर्म नहीं, विश्वास नहीं, हमारा ख्याल है कि यह खुला हुआ भेद है । रक्षा - नीति, वह तो महात्मा जी और पं० जवाहरलाल में केवल मात्रा का भेद है । महात्मा जी तो सोशलिज्म से भी आगे बड़े हुए हैं, कम्युनिज्म से भी । वह अपरिग्रहवादी है । पंडित जी सोशलिस्ट है और उनके साथ काँग्रेस का बहुत बड़ा भाग सोशलिस्ट है । काँग्रेस में जमींदार भी हैं, राजे भी हैं, पर मजदूर पार्टी में क्या लार्ड और सर नहीं हैं ? यह तो केवल मनोवृत्ति की बात है । (एक आदमी फाकेमस्त होकर भी पूँजीवादी हो सकता है, दूसरा करोड़पति भी होकर साम्यवादी हो सकता है) । इस बीसवीं सदी में लार्ड और अर्ल केलव कजरवेटिव ब्रिटेन में ही हो सकते हैं । दुनिया के शेष भागों में इन खिनाबों और पदवियों को ठुकरा दिया है । कजरवेटिज्म के लिए दुनिया में अब कहीं स्थान नहीं है । (बीसवीं सदी सोशलिज्म की सदी है जो सम्भव है आगे चलकर कम्युनिज्म का रूप धारण कर ले । भारत जैसे देश में जहाँ अबादी का बड़ा हिस्सा गरीबों का है, जिनमें पढ़े-अनपढ़े सब तरह के मजूर हैं, सोशलिज्म के सिवा उनका आदर्श ही क्या सकता है) । अगर आज काँग्रेस पार्टी का रेफरेन्डम हो तो हमारा ख्याल है, बहुमत सोशलिज्म का होगा, पर उसके एक ही दो कदम पीछे कम्युनिज्म भी नजर आयेगा । ऐसी सस्था महज इस शका से, कि मुट्ठी भर जमींदारों का सहयोग उसके साथ से जाता रहेगा अपने आदर्शों का त्याग नहीं कर सकती । अगर इसके लिए वर्गवाद की विपत्ति आये, और जो लोग भूमि और धन पर कब्जा किये बैठे हैं, वे अनन्तकाल तक उसे भोगने की इच्छा रखे, तो सवर्ष होना लाजिम ही है । काँग्रेस सम्पत्तिधारियों से ख्वामख्वाह भगडा करने की इच्छुक नहीं । उसका बहुत बड़ा बहुमत अभी तक महात्मा गाँधी के साथ हृदय-परिवर्तन का समर्थक है, रक्तमय क्रान्ति का नहीं । काँग्रेस ने इस नीति को कभी गुप्त नहीं रखा । उसकी अपनी रचित व्यवस्था में बड़े से बड़े पदाधिकारियों के लिए केवल ५०० रुपया वेतन रखना ही बतला रहा है कि उसकी आर्थिक और सामाजिक नीति क्या है । पं० जवाहरलाल सोशलिस्ट है, जैसे प्रायः सभी काँग्रेसमैन हैं, व्यवहार से हो या न हो, पर विचार से अवश्य है और सोशलिस्ट जायदादवालों का दोस्त नहीं होता, चाहे दुश्मन न हो ।

६ अक्टूबर १९३३

काँग्रेस का नया प्रोग्राम

यह तो जाहिर ही है कि काँग्रेस कैम्प में इस वक्त दो बड़े-बड़े दल हैं, एक वह

जो वर्तमान नीति से निराश होकर कौंसिलो मे जाना चाहता है और गवर्नमेन्ट को उस किले मे भी शान्ति से नही बँठने देना चाहता, दूसरा वह है जो कहता है कि जिस वक्त हमने सत्याग्रह शुरू किया उस वक्त परिस्थिति इससे कही अच्छी थी, न इतने सख्त कानून थे, न इतना कठोर बन्धन, उस समय जब हमने सरकार का विरोध करना आवश्यक समझा, तो आज जब परिस्थिति उससे कही खराब हो गयी है, हमारे लिए काँग्रेस मे जाने का सवाल ही नही पैदा होता ।

लेकिन सवाल यह है कि काँग्रेस काउन्सिल मे न जाकर किस तरह अपना सग्राम जारी रख सकेगी, किस तरह गवर्नमेन्ट पर दबाव डाल सकेगी ।

अगर महात्मा गाँधी की भाँति सभी काँग्रेसमैन या कम से कम उसके नेता ही सच्चे सत्याग्रही होते और मन मे बिना हिंसा या प्रतिकार का भाव आये, शत्रु से प्रेम करते हुए उसकी नीति का विरोध कर सकते, तो उनकी अवश्य विजय होती, क्योंकि गवर्नमेन्ट के अधिकारियो पर उनकी तपस्या का असर पडता और आत्माहीन गवर्नमेन्ट मे भी कही न कही से चेतना उत्पन्न हो जाती, पर काँग्रेसमैन मनुष्य है, तपस्वी नही और उनकी अहिंसा अपनी असमर्थता के ज्ञान से पैदा हुई है । इसलिए उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नही है ।

अब तो फ़ैसला सम्पूर्णत भौतिक क्षेत्र मे होगा । अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था निकाल सकें जिससे नौकरशाही को ठेस लगे, तो हमारी विजय है अन्यथा रस्सा खींचने वालो की भाँति जहाँ हारनेवाला लक्ष्य से दूर होता जाता है, हम भी लक्ष्य से दूर होते जायँगे ।

कपडो के पिकेटिक का अब कोई असर नही हो सकता, क्योंकि विलायती कपडे बेचनेवालो ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, जिस पर काँग्रेस के आदेशो का कोई असर नही हो सकता । इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नही है कि हम अपने छोटे-छोटे बजाजो को तबाह कर दें । तबाह तो वह पहले ही हो चुके है । जो कुछ कसर है वह भी पूरी कर दें । और काँग्रेस यह अस्त्र उठाये ही किस लिए ? केवल इस देश के मिल मालिको के भोग विलास के लिए, जो दूसरे मुल्को के सस्ते कपडे को रोककर अपना कपडा मँहगे दामो बेचकर प्रजा को लूटते है और मज्जे उडाते है ? उन्हे इस बात की बिलकुल परवाह नही है कि यहाँ सस्ता कपडा कैसे बने ? कैसे होशियार कारीगर बनाये जाँय ? कैसे कारीगरो को इतना प्रसन्न रखा जाय कि वे दिल तोडकर काम करें ? कैसे दलालो और एजेंटो पर खर्च मे कमी की जाय ? उनकी बला इतना सिर-मगजन करे । सरकार उन्हे सरक्षण देने पर तैयार है, उन्हे कष्ट उठाने की कोई जरूरत नही । ऐसे पूँजीपतियो के हित के लिए अपने असख्य बालटियरो को जेल भेजना शायद अब काँग्रेस भी पसन्द न करे । यह उसके डिमाक्रेटिक सिद्धान्तो के

खिलाफ होगा। हम पूंजीपतियों का स्वराज्य नहीं चाहते। गरीबों का, काश्तकारों का, मजदूरों का स्वराज्य चाहते हैं। पिक्टिंग से वह बात सिद्ध नहीं होती। सरकारी नौकरियाँ हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे काँग्रेसी नेताओं के ही भाई-बन्द, चचा-ताऊ, बेटे, भतीजे सरकारी नौकर हैं और बहुधा उनके बाल-बच्चों का पालन कर रहे हैं। नहीं, सरकारी नौकरी हमें प्राणों से प्यारी है, उसके छोड़ने का सवाल नहीं उठ सकता। इस १३ साल के सत्याग्रह-आन्दोलन में मुश्किल से दस-बीस आदमियों ने नौकरियाँ छोड़ी होंगी। तो अब क्या बाकी रहा? लगानबन्दी, करबन्दी, बेशक, लेकिन इस मामले में सरकार काँग्रेसवालों को उसी तरह कोई अवसर नहीं देना, चाहती, जैसे पृथक्तावादी मुसलमानों को काँग्रेस के ३० प्रतिशत के मुकाबले में सरकार ने ३३ प्रतिशत एसेम्बली की जगह देकर काँग्रेस को निरुत्तर कर दिया। काँग्रेस किसानों का लगान आधा कर देना चाहती है। सरकार ने दो आने से लेकर आठ आने तक की छूट दे दी है, और सम्भव है काँग्रेस की सबसे बड़ी तोप का मुँह बन्द कर देने के लिए आठ आने तक की छूट दे दे और आमदनी की कसर रेल और डाक और आमदनी और अदालत और आयात निर्यात आदि करो से पूरा करे। और पढ़े-लिखे को दफ्तरो से निकाल कर ब्रेकारी और भी बढ़ा दे। नमक का ड्रामा खेला जा चुका और उसे सरकार की बेवकूफी से जो सफलता मिल गयी, उसकी अब आशा नहीं की जा सकती। तो हम नहीं समझते काँग्रेस के पास सरकार को झुकाने का और क्या साधन है।

आदर्शवादी और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनेवाला दल यह तर्क सुनकर अपनी अपगुता तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसका एक ही प्रश्न इन सारे तर्कों को भोगे हुए बारूद की तरह बेकार कर देता है। भाई साहब, आप यह सब सत्य कहते हैं और वास्तव में दशा कुछ वैसी ही है जैसी आपने दर्सायी, लेकिन क्या आप ख्याल करते हैं, हमें काउंसिल में घुसने दिया जायगा। आज हम देहातों में अपना प्रोपगेन्डा करने के लिए जाय, तो क्या हमारे काम में बाधा न डाली जायगी? क्या पुलिस और मैजिस्ट्रेटों द्वारा हमारी जवान बन्द न कर दी जायगी? क्या आपको याद नहीं कि दो एक काँग्रेस मैनो के इस नये मत परिवर्तन पर इंग्लैंड के एक पत्र ने अपनी घबड़ाहट प्रकट करते हुए लिखा था, कि अब ज़मींदारों और लिबरलों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि काँग्रेसमैन काउंसिल में आने के मनसूबे बाँध रहे हैं। क्या आप समझते हैं, सरकार चाहती है, काँग्रेस नये काउंसिलो में आये? किसी तरह नहीं। वह बराबर यही कोशिश कर रही है कि काँग्रेस को हर मुमकिन सूरत से काउंसिलो में न घुसने दिया जाय। तो जब यह मालूम है कि काँग्रेसवालों के काउंसिलो में आने की कोई सम्भावना नहीं, तो व्यर्थ में क्यों खड़े होकर अपना आबरू गँवाएँ। बाहर रहने में कम से कम आत्म-प्रतिष्ठा तो है, अपनी आन पर सर मिटने का गौरव तो है, राजपूतों के ऐतिहासिक जुहार की

नामवरी तो है ! काउंसिल के लिए खड़े होकर उसके अन्दर घुसने न पाना तो लज्जा-स्पद है ।

सरकार के मन की बात तो सरकार जाने, लेकिन काँग्रेसमैनों को यह शका अवश्य है और हमारा खयाल है कि किसी हद तक ठीक भी है । ऐसी दशा में अमहयोग क्या कहता है—कौमिलो मे जाने के लिए जोर लगाना जो सरकार नहीं चाहती, या कौसिलो से अलग रहना, जो सरकार चाहती है, उसका फँसला हमारे नेताओं पर है ।

अगर कौसिलो के बाहर रहकर काँग्रेस कोई काम कर सके तो क्या कहना, लेकिन काँग्रेस मे समाज मे काम करनेवाली भावना मौजूद नहीं, क्योंकि वहाँ उन पुरस्कारो मे एक भी नहीं है जो राजनैतिक क्षेत्रवालो को मिलते है, चाहे वह क्षणिक ही क्यों न हो । मिपाडियो और सरदारो की जरूरत नहीं, मिशनरियो की जरूरत है और मिशनरी भी वैसी नहीं जैसी हमारे साधु-सन्यासी है, बल्कि वह मिशनरी जो मुट्ठी भर चने पर दिन काट सकती है ।

आज प्रान्त के काँग्रेस-नेता प्रयाग मे बैठे हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे है । हमे आशा है कि वे राष्ट्र के सामने कोई व्यवस्था रखने मे सफल हो सकेंगे ।

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी अपने वक्तव्य मे आल इंडिया काँग्रेस-कमेटी के बुलाये जाने का प्रस्ताव किया है और उनके लिए एक व्यवस्था भी तैयार कर ली है । हमे आशा है, राष्ट्र के सामने काँग्रेस की भावी नीति जल्द से जल्द रखने की चेष्टा की जायगी । मगर यह दुर्भाग्य की बात होगी, अगर काँग्रेस मे दो दल हो गये । बहुमत के आगे हरेक को सिर झुकाना पडेगा जिसमें काँग्रेस संयुक्त स्वर से अपनी आवाज उठा सके । मुल्क मे यो ही दलो को क्या कमी है कि एक नया दल और कायम हो जायगा ।

१६ अक्टूबर १९३३

पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक व्यवस्था

नेहरू जी की जिस व्यवस्था के विषय मे लोग तरह-तरह के अनुमान कर रहे थे, उनके सन्तोष के लिए उन्होंने लीडर मे एक लेख माला लिखनी शुरू कर दी है । अब उनकी आर्थिक नीति के विषय मे किसी को भ्रम न रहेगा । आपकी नीति वही है जिससे भारत के गरीब से गरीब आदमी को भी दैहिक और मानसिक भोजन और समान अवसर मिले । आप पूँजीपतियो के फायदे के लिए चाहे देश के हो चाहे विदेश के, गरीबो और मजदूरो का पीसा जाना नहीं देख सकते और यही आपकी नीति है । इसके सिवा अगर कोई अर्थ-नीति है, तो वह धनवानो की, स्वार्थियो की, मोटी तौँद-

वालो की नीति है। जो नीति धनवालो को गरीबो के खून पर मोटा करती है, उसका जितनी जल्द अन्त हो जाय उतना ही अच्छा। अमीर गरीबो को चूसकर ही अमीर बनता है। समाज की व्यवस्था ही ऐसी रखी गयी है कि हरेक व्यक्ति सप्ताह को अपने स्वार्थ का क्षेत्र समझता है। वह लोग जो जवाहरलाल जी की इस नीति से चौक उठे हैं, नित्य गरीबो को कुचले जाते देखते हैं, पर उन्हें कभी यह बात नहीं खटकती। कांग्रेस इस पूजीपतियो की नीति का समर्थन करके राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती।

१६ अक्टूबर १९३३

मि० चर्चिल के मौलिक प्रस्ताव

सर सेमुएल होर का अभिनय समाप्त हो गया। अब मि० चर्चिल की बारी है। सर सेमुएल ने श्वेत पत्र के रहस्यो का उद्घाटन किया। मि० चर्चिल उस ड्रामा का रूप ही बदल देना चाहते हैं। दोनों महानुभाव इस प्रश्न पर तो एक हैं कि भारत को कैसे अनन्तकाल तक अपने वश में रखा जाय। डीटेल में अन्तर है। इन चार वर्षों में ब्रिटेन के ऊँचे ऊँचे साम्राज्यवादियों ने जो व्यवस्था बनायी और जो उनके विचार में भारत को अधीन रखने के लिए उपयुक्त थी, उसे भी मि० चर्चिल घातक और नाशक बतला रहे हैं। आप कहते हैं कि भारत की जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती। यह स्वराज्य और सुधार थोड़े से आदमियों का खन है। उनकी जवान बन्द कर दो और फिर भारत पर अखड राज्य करो। और अगर तुम्हें कुछ दिखावा करना ही है, तो इस तरह करो कि असली चोख का एक अणु भी हाथ से न जाने पावे। यही आपके बयान का तत्व है। मगर मि० चर्चिल शायद भूल जाते हैं कि यह २०वीं सदी है और सप्ताह जिस तरफ जा रहा है, उधर ही भारत का जाना अवश्यभावी है। चाहे आज या आज के दस साल बाद।

३० अक्टूबर १९३३

हलवाई की दूकान

प्रतिहिंसा बहुत बुरी चीज है, हजरत ईसा मरते-मरते यही सिखाते रहे और उनकी शिक्षा को जैसा सर सेमुएल होर ने अपनाया, उसकी कहाँ तक बडाई की जाय। आप अहिंसा के अवतार हैं और भारत को आप बिलकुल गऊ बना देना चाहते हैं।

भारत इसका बहुत दिनों तक ऋणी रहेगा। भारत के मजदूर और व्यापारी अंग्रेजी साम्राज्य के सभी भागों में अछूत-समझे जाँय, लात खाँयँ, बहुत अच्छी बात है। प्रतिकार की भावना उसमें न आनी चाहिए। साम्राज्यवाले यहाँ राजपद पर आवे या व्यापार करने आवे, भारत को उनका स्वागत करना चाहिए, उसे अपना द्वार साम्राज्य के लिए खुला रखना चाहिए। इसमें अपमान की कोई बात नहीं। लात खाना सज्जनों का काम है। यहाँ वही “हलवाई की दूकान और दादे का फातिहा” वाली मसल याद आती है।

१३ नवम्बर १९३३

श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान

श्री जवाहरलाल नेहरू पिछले सप्ताह काशी आये थे। आपके आने से काशी के राजनीतिक-क्षेत्र में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। आप इस बार जेल से लौटने पर पहली बार ही काशी आये थे, इस कारण काशीवासियों को आपके आगमन से विशेष आनन्द हुआ और आपका सर्वत्र ही बड़े समारोह के साथ स्वागत किया गया। जब श्री जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू के साथ सारनाथ मूलगंधकुटी बिहार के विशाल-भवन में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ एकत्र-जन आपके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए खड़े हो गये तथा उस समय राष्ट्र ध्वनि हुई। श्री नेहरू के तीन व्याख्यान नगर में हुए और एक व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ। इन व्याख्यानों में संसार के विभिन्न देशों के इतिहास का थोड़े में दिग्दर्शन कराया गया और विभिन्न देशों की शासन-पद्धतियों की चर्चा की गयी। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संसार में खाने पहनने का काफी सामान है, तो भी बहुत-से मनुष्यों को नहीं मिलता और अगणित मनुष्यों को अपर्याप्त अन्न-वस्त्र मिलता है। यह दुःख जनक स्थिति दूर करने का एकमात्र उपाय साम्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार समाज का संगठन करना है। अन्य पद्धतियों के द्वारा यह समस्या अब तक हल नहीं हुई और उनसे हल होने की संभावना भी नहीं है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्याख्यानों में वैज्ञानिक साम्यवाद (साइन्टिफिक सोशलिज्म) शब्द का प्रयोग किया। आपका अभिप्राय यह था कि वर्तमान समाज में मनुष्य-मनुष्य में जो भीषण असमानता है, वह दूर हो। यह ठीक नहीं है कि एक मनुष्य के पास अथाह धन भरा पड़ा हो और दूसरा मनुष्य भूखा मरता हो। समाज का इस प्रकार संघटन होना चाहिए, जिससे कोई मनुष्य भूखा न रहने पावे, सबको पर्याप्त अन्न और वस्त्र मिले और सबको उन्नति करने का समान अवसर हो। साम्यवाद का मतलब सब मनुष्यों को तौल नाप कर बराबर करना नहीं

है, सब मनुष्यों की बुद्धि और शक्ति में तो अन्तर रहेगा ही ।

श्री जवाहरलाल का चौथा व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ । वहाँ आपने हिन्दू महासभा की हिन्दू राज स्थापित करने, सरकार, राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों से सहयोग करने, स्वतन्त्रता की भावनाओं के विरुद्ध काम करने की नीति की कड़ी निन्दा की ।

स्थानीय रत्नाकर रसिक मडल ने श्री जवाहरलाल नेहरू को मानपत्र दिया । उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने हिन्दी-साहित्य की उन्नति करने पर जोर दिया ।

२० नवम्बर १९३३

हिन्दू सोशल लीग का फ़तवा

मि० नेहरू के समाजवाद का विरोध करने का प्रस्ताव

अमृतसर में कोई सोशल लीग या उसकी शाखा है । इधर पं० जवाहरलाल के भाषण के विषय में हिन्दू-सभा में जो हलचल मच गयी थी, उस पर उसने हिन्दू-सभाओं के नेताओं से अपील की है कि वे इस वाद-विवाद को बन्द कर दें, क्योंकि इससे मनो-मालिन्य बढ़ता है । लेकिन लीग के विचार में मि० नेहरू के समाजवाद का बड़े जोरो से विरोध किया जाना चाहिए, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि पहुँचने की शंका है । आगे चलकर वह कहता है—

“समाजवाद देश के दुखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि वह अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोण दोनों ही में विध्वसात्मक है । रूस के समाजवाद ने थोड़े-से पूँजीपतियों द्वारा जनता की लूट को हटाकर उनकी जगह राज्य को बिठा दिया है ।”

यह कथन पढ़ लेने के बाद अब इसमें किसे संदेह हो सकता है, कि हिन्दू सोशल लीग भी हिन्दू-सभा की भाँति पूँजीपतियों की संस्था है, और वह समाजवाद का विरोध देश के हित को सामने रखकर नहीं, हिन्दू जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि थोड़े-से हिन्दू पूँजीपतियों के स्वार्थ को सामने रखकर कर रही है । पूँजीपति क्या हिन्दू क्या मुसलमान एक ही है । उनकी विचार शैली एक, उनकी स्वार्थ-लिप्सा एक । उनका उद्देश्य जनता को लूटकर अपनी जेब भरना है । जनता की आर्थिक जागृति, उन्हें अपने स्वार्थों के प्रतिकूल नज़र आती है । वे चाहते हैं कि जनता सदैव इसी दशा में पड़ी रहे और वे सदैव उसका खून चूसते रहे । उनका राष्ट्र प्रेम केवल धोखे की टट्टी है ।

सोशल लीग कहता है कि समाजवाद अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोण दोनों ही में विध्वंसात्मक है । पश्चिम में समाजवाद की प्रगति देखकर ही उसने यह नतीजा निकाला

है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि योरोप के समाजवाद ने जिस नीति को अपनाया, उसे भारत भी अपनाये। योरोप में जैसी परिस्थिति थी वैसे भारत में नहीं है। यहाँ तो वेदान्त के एकात्मवाद ने पहले ही समाजवाद के लिए मैदान साफ कर दिया है। हमें उस एकात्मवाद को केवल व्यवहार में लाना है। जब सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का निवास है, तो छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का भेद क्यों। क्यों कुछ लोगों को नौकरो को फाज और बड़े-बड़े महल और बैंक में लाखों की पूँजी आवश्यक है ? हिमाग तो यह खयाल है कि जो समाजवाद का समर्थक नहीं, वह हिन्दू नहीं है। समाजवाद यही तो चाहता है कि मनुष्य-मात्र को समान भाव से शिचित्त होने और काम करने का अवसर दिया जाय, सभी काम बराबर समझे जायँ, सभी समान रूप से प्रेम और शान्ति के साथ रहकर जीवन व्यतीत करे। इससे ऊँचा और पवित्र मानव-संस्कृति का उद्देश्य और क्या हो सकता है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध चलने का ही यह फल है कि आज हम जिस तरफ आँखें उठाते हैं, सघर्ष ही नजर आता है। इसी का परिणाम है कि समाज भद्र और भ्रष्ट दो श्रेणियों में बँट गया है। इसी सामाजिक विधान को कायम रखने के लिए अदालतें, पुलिस, फौजे और चकले बने हुए हैं। हजारों भिच्छुक और फकीर जो गली-गली मारे-मारे फिरते हैं, इसी विधान के शिकार होकर आज पृथ्वी का भार बने हुए हैं। इस विधान के हाथों कितने प्राणियों का जीवन नारकीय हो रहा है, ससार को उससे कितनी बड़ी क्षति पहुँची है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते।

समाजवाद में ऐसे सघर्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं। जहाँ सभी समान धनी या समान दरिद्र होंगे, वहाँ चोरियाँ क्यों होने लगी ? जहाँ वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रश्न ही न होगा, वहाँ पर अदालतें क्यों रहने लगी ? जहाँ नोच-खसोट, लूट-मार की वारदातें न होंगी, वहाँ पुलिस की इतनी बड़ी सख्या ही क्यों रहने लगी ? जहाँ सभी को समान रूप से शिक्षा मिलेगी और समान रूप से उन्नति करने और अपने जीवन को सार्थक करने के अवसर मिलेंगे, वहाँ भिच्छुको की यह अग्रणीत सेना क्यों रहने लगी ? और चकलो का तो निशान भी न रहेगा, क्योंकि चकला केवल मुफ्तखोरो या थोड़ी-सी मेहनत करके बहुत-सा धन कमाने वालों का क्रोडा-क्षेत्र-मात्र है। समाज के जिस विधान से ससार में इतना अनर्थ फैला हुआ है उसका समर्थन करके हिन्दू-लीग अपने कृत्य पर गर्व नहीं कर सकती। एक आदमी दूसरे आदमी को अपने से नाँचा समझे और उसके पसीने की कमाई से खुद मोटा होना चाहे, यह मनुष्यता का अपमान है। और यह उसी समय तक चल सकता है, जब तक जनता में जागृति नहीं है। जागृत् समाज किसी तरह इस विधान के नीचे अपना सिर रखना पसन्द नहीं कर सकता। आज ससार में पूँजीवाद की जड़ें खोखली हो रही हैं और उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए समाजवाद से समझौता करना पड़ रहा है। फासिज्म और नाज़िज्म इस समझौते के रूप हैं। पर लक्षण बतला रहे हैं कि निकट भविष्य में आजकल का पूँजीवाद जमीन पर पड़ा

होगा और उसकी लाश पर समाजवाद की धारा बह रही होगी। हिन्दू-सभा और हिन्दू-सोशल लोग दोनों समय और धर्म के प्रतिकूल चल रहे हैं। वास्तव में विध्वंसात्मक बहूँजीवाद है, जिसके दामन से वह चिमटे हुए हैं, न कि समाजवाद जो भूमण्डल के लिए शांति, उद्धार और स्वाधीनता का संदेश सुना रहा है।

११ दिसम्बर १९३३

बेकार बैठने से काउंसिल में जाना अच्छा है

ये है वह शब्द जो महात्मा गांधी ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर विचार करके दिल्ली में श्रीमुख से कहे थे। महात्मा जी का आदर्शवाद व्यवहारिक आदर्शवाद है। वह यह समझते हैं कि सभी वाद मनुष्य के सेवक हैं, स्वामी नहीं। किसी वाद को मूर्ति बना कर पूजना और परिस्थिति की ओर से आँखें बन्द कर लेना प्रगतिशील समाज का धर्म नहीं। लेकिन, मुश्किल यह है कि सम्प्रदायो की भाँति ही हरेक नीति या कार्यक्रम परम्पराओं के बंधन में कुछ ऐसा जकड़ जाता है कि उससे निकलना उसके लिए असाध्य हो जाता है। उन परम्पराओं का पालन करके, जिन्होंने त्याग किया है, कष्ट भेले हैं, अपना सर्वस्व खो बैठे हैं वे सम्प्रदायो के महन्तो ही को भाँति अपने नेतृत्व से मोह करने लगते हैं। यहाँ महन्तो का-मा भोग विलास नहीं, पर कुछ यश और मान तो है ही और शायद महन्तो के पद से कदो बढकर। महन्तो को वह पद अपने गुरु की कृपा से मिलता है, यह यश सम्मान अपने जीवन को बलिदान करके प्राप्त होता है, उससे मोह होना स्वाभाविक है। उसके साथ ही उस नीति के सिवा किसी दूसरी नीति की सफलता में हमें विश्वास भी नहीं होता। जो व्यक्ति धोती और कुर्ता पहनने का आदी हो, उसे कोट-पतलून पहनते बडा सकोच होता है। एक रस पर रहना मानसिक स्थिरता का लक्षण समझा जाता है। उस नीति या कार्यक्रम का परित्याग करना उसकी विफलता को स्वीकार करना समझा जाता है, और हम अपनी श्रद्धा को मानने में बिरले ही उदारता का परिचय देते हैं। काँग्रेस में इस समय कुछ यही हालत हो रही है। परम्परा-प्रेमियो की उसमें इतनी प्रधानता है कि महात्मा जी के ये महत्वपूर्ण शब्द भी हवा में उड़ते दिखाई देते हैं।

हरेक संस्था को सिद्धांत-वादियो का आवश्यकता होती है, वरना उसमें जीवन और दृढता न आये। परम्पराओं का भी संस्थाओं के जीवन में एक स्थान है। उन परम्पराओं को छोड दीजिए और आपका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। यह भी आवश्यक है कि हमारे कार्यकर्ताओं में सहयोग हो, हम संदेह होने पर भी अपने नायक की आज्ञा मानते रहें। जब हम नेताओं में संदेह होने लगता है, तभी संस्था निस्तेज हो जाती है।

यह सब मानते हुए भी हम समझते हैं इस समय कांग्रेस को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ेगा और चारों और बाधाओं को देखते हुए काउंसिल-प्रवेश के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। हम यह मानने को तैयार हैं कि अब तक काउंसिलों से विशेष उपकार नहीं हुआ, लेकिन उपकार चाहे न हुआ हो उनसे जितना अपकार हो सकता था वह कुछ न कुछ अवश्य कम हुआ। अगर हम काउंसिलों से कुछ तत्व न निकाल सके, तो इनमें बहुत-कुछ हमारा ही दोष है। अभी दस साल पहले तक कांग्रेस शिक्षित समुदाय की सस्था थी। जिसमें पूँजीपतियों की प्रधानता थी, जिसका उद्देश्य अधिकार और पद था। कांग्रेस के दृष्टिकोण में जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उसे अभी बहुत थोड़े दिन हुए। यह ठीक है कि यदि सरकार की ओर से बाधाएँ न खड़ी की जाती, तो इस थोड़े ही समय में राष्ट्र साम्यवाद की ओर आ गया होता। लेकिन यह इस बात की दलील नहीं कि नवीन आदर्श पर हम काउंसिलों का बहुमत प्राप्त करने की चेष्टा न करे। उस बहुमत से कांग्रेस को अपने आदर्श के अनुसार बड़ी सहायता मिलेगी। अभी कांग्रेस एक गैर कानूनी दल है और हरेक कास्टेबुल भी समझता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्रिसी.जुर्म में फँसाकर वह सुख हो जायगा। जब कांग्रेस काउंसिल और एसेम्बली में प्रधान दल होगी, तब उसके कार्यकर्ताओं के साथ यह धाँधली न की जायगी। प्रयाग में सि० फिरोज गाँधी और श्री जिवमूरानल के साथ अधिकारियों ने जो कुछ किया है वह कांग्रेस के व्यवस्थापक सभाओं में होते हुए अगर असम्भव न था, तो कठिन अवश्य था और यह तो अभी आरम्भ हुआ है।

यह कहा जा सकता है, कांग्रेस का बहुमत पाना कोई निश्चित बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस-पार्टी अल्पमत में भी रही, तो यह मान्य अल्पमत होगा, और कोई सहज उसकी उर्पेक्षा न कर सकेगा।

लेकिन महात्मा जी के ये शब्द केवल उन लोगों के लिए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन के लिए खड़े होना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो अब भी जिसकी इच्छा हो खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर उस कांग्रेसी उम्मेदवार में और अन्य उम्मेदवारों में कोई अन्तर न रहेगा, बल्कि बहुधा उसे ऐसे लोगों से मुकाबला करना पड़ता है, जिनकी पीठ पर छोटी-छोटी सस्थाएँ या दल होते हैं। वह भी अपने को कांग्रेस से निकाला हुआ समझने लगता है। उसके पास उतना धन भी कहाँ है, जिसके बल पर वह एलेक्शन की लड़ाई लड़ सके। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस सगठित और प्रत्यक्ष रूप से मैदान में आवे और अपनी पूरी शक्ति लगा दे। अगर उसने साहस से काम न लिया, तो वह ऐसे लोगों के लिए रास्ता साफ कर देगी, जो उसे व्यवस्थापक सभाओं में पहुँचकर उसका अहित करना ही अपना धर्म समझेंगे और जन पक्ष कुछ समय के लिए निर्बल हो जायगा।

१ जनवरी १९३४

युवकों में राष्ट्र प्रेम

साम्प्रदायिकता की इस मडलाकार घनघटा में कभी-कभी रजत रेखा भी दिखाई दे जाती है, जिससे राष्ट्रवादियों की मुरझाई आशाएँ फिर हरी हो जाती हैं। शायद दो साल हुए अन्नौगढ में विश्वविद्यालय के एक छात्र सम्मेलन में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास हुआ था। गत मप्ताह में लखनऊ में युक्त प्रात के छात्र सम्मेलन में फिर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कि “प्रातीय युनिवर्सिटी फेड्रेशन से अनुरोध किया जाय कि वह साम्प्रदायिकता को कुचलने का आयोजन करे।” इस प्रस्ताव की उपयोगिता और कुछ हो या न हो, इससे इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि हवा का रुख किन्धर है। इस सम्मेलन के सभापति सर मुहम्मद याकूब थे, जो कई बार अपनी अराष्ट्रियता का परिचय दे चुके हैं, उनके सभापतित्व में ऐसे प्रस्ताव का पास हो जाना इसी बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे युवकों ने अनेक अवसरों पर सिद्ध कर दिया है कि उन्हें साम्प्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, नहीं उन्होंने इसकी खुले शब्दों में निन्दा की है। और उन देवियों में हिन्दू देवियाँ भी हैं, मुसलिम देवियाँ भी। युवकों ने भी अपने राष्ट्र-प्रेम का परिचय एक से अधिक अवसरों पर दे दिया। अब केवल पुराने दकियानूस रह गये। मगर वह प्रभात के दीपक है। भारत का भविष्य उज्ज्वल मालूम हो रहा है।

१५ जनवरी १९३४

रियासतों की रक्षा का बिल

सरकार ने अपनी लाडली रियासतों की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाने की ठान ली। इसके अनुसार किसी रियासत की आलोचना करना जुर्म समझा जायगा और सरकार ऐसे आलोचकों को जब चाहेगी गिरफ्तार करके मुकदमा चलायेगी। अभी ऐसी रियासतों की दुखी प्रजा कभी-कभी ब्रिटिश भारत के समाचार पत्रों में अपने कष्ट का रोना रोकर अपना मन शान्त कर लिया करते थी, इससे जनता को रियासतों का कुछ रहस्य मालूम हो जाता था, और राजे भी लोकमत के भय से कुछ सचेत हो जाते थे, मगर इस कानून से ऐसे लेखों का प्रकाशित होना कठिन हो जायगा। फिर तो हमारे राजे और महाराजे जी खोलकर प्रजा पर अत्याचार करेंगे, कोई चूँ न कर सकेगा। किसी अखबार ने इस पर कुछ लिखा और बड़े घर पहुँचा दिया जायगा। यह बिल सम्मति के लिए प्रातीय सरकारों और हाई कोर्ट के जजों के पास भेजा गया था। प्रातीय सरकारों ने तो दिल खोलकर उसका स्वागत किया, जैसा उनका धर्म था। हाई कोर्टों

के जजो मे बहुतो ने तो उस पर कुछ राय देना उचित न समझा, कुछ ने उसमें बाल की खाल निकाली । केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजो ने—मि० जस्टिस नियामतुल्लाह चौधरी और मि० जस्टिस रत्नपालसिंह ने ही उसका विरोध किया है । चौधरी साहब का कथन है कि पीडितो को अपनी शिकायतो को वाइसराय के कानो तक पहुँचाने का अधिकार और रियासतो के हाई कोर्टों के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल मे अपील करने की इजाजत मिलनी चाहिए । जस्टिस रत्नपाल सिंह का एतराज यह है कि आखिर रियासती प्रजा को अपने कष्ट निवारण का और कौन-सा साधन रह जाता है । इसका नाम है निर्भीक न्याय-प्रियता !

२२ जनवरी १९३४

भारत व्यापी भूकम्प

१५ जनवरी को सवा दो बजे प्रकृति न भारत को अपनी अग्नी पैशाचिक शक्ति का जो परिचय दिया, उसने कितने ही आस्तिकों को नास्तिक बना दिया होगा । शायद उसने सोचा, मनुष्य अपने खिलौने वायुयानो और बेतारो को लेकर बहुत बहक रहा है, जरा उसे एक बार फिर अपनी शक्ति का मजा चखा दो । बस भूकम्प ने यह मजा चखाने का बंडा उठा लिया और नेपाल की तराई से उठकर बिहार का विध्वंस करता, सयुक्त प्रात की जडें हिलाता, दक्षिण को ठोकर मारता, मद्रास के पेट मे सिहरन डालता, बगाल की खाडी मे विलीन हो गया । कहते है १८९० मे भी भीषण भूकम्प आया था । आया होगा, मगर हमारा खयाल तो यह है कि वह इसका छोटा भाई रहा होगा । बिहार प्रात मे तिरहुत, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, आरा आदि नगरो मे जान और माल की कितनी क्षति हुई, इसकी अभी तक कोई गणना नहीं हो सकी और न शायद कभी हो सकेगी । एक हवाई जहाज ने तिरहुत का मुआइना किया है और उसके सचालक का कहना है कि मुजफ्फरपुर वीरान हो गया और सबके लाशों से पटी पडी है । तीन सौ जाने तो केवल दरभंगा में गयो । ऐसा शायद ही कोई मकान बचा हो, जिसको कुछ न कुछ धक्का न पहुँचा हो । हजारो मकान गिर पडे, रेलो के पुल टूट गये, रेल की पटरियाँ हुमस गयी, तार के खम्भे टूट गये । कितने ही स्थानो में लोग सडको और मैदानो मे समय काट रहे है । शक्कर के कितने ही मिल तवाह हो गये । जमालपुर मे रेल-विभाग के सैकडो मकान मिसमार हो गये और रेल के कारखाने मिट गये । कितने ही मजदूरो की जान गयी । तिरहुत मे भूमि मे बडी-बडी दरारें हो गयी और उसमे से गंबक मिला हुआ पानी निकल पडा और जमीन पर पाँच फुट पानी की बाढ आ गयी, जिससे सारे कुओ को पानी जहरीला हो गया । सरकारी इमारतें तो

शायद ही कोई बची हो। इस प्रात में इतना भीषण आघात तो न था, पर ऐसा ज़रूर था, कि लोग उसे इस जीवन में न भूल सकेंगे। बड़े-बड़े महल इस तरह हिल रहे थे कि जैसे हवा से पत्ते हिलते हैं। शहरों में धबिरला ही कोई ऐसा मकान होगा, जिसकी मुंडेर या छत या दीवारें न फट गयी हो। काशी ही में २५ आदमी जखमी हो गये और दो मर गये। सभी शहरों की यही दशा हुई है। अगर सात ग्रहों के संयोग का यह फल था, तब तो इस खयाल से मन्तोष होता है कि ये अभागे ग्रह फिर सौ दो सौ वर्ष में एकत्र होंगे। लेकिन जैसी एक विज्ञानाचार्य की राय है, अगर यह आक्रमण इसलिए हुआ है, कि हिमालय के शिलाखंड जल के आघात से टूटते जाते हैं और पृथ्वी पर उसका दबाव कम हो गया है और इससे अतस्तल की उष्णता मुक्त होकर दौड़ रही है, तब तो भारत का भविष्य बड़ा संकटमय जान पड़ता है, क्योंकि शिलाखंड तो टूटते हो रहेंगे और हिमालय का दबाव उत्तरोत्तर कम ही होता जायगा। हाँ, कोई बड़ा भारी ज्वालामुखी जबल पड़े और एक बार फिर भीतर से एक दूसरा हिमालय उडेल कर निकाल दे, तो शायद दबाव बराबर हो जाय। जो कुछ भी हो, इस वक्त तो सबसे बड़ी और कठिन समस्या यह है, कि इन गिरे हुए और फटे हुए मकानों की मरम्मत कैसे होगी। अधिकांश आदमियों में तो यह सामर्थ्य ही नहीं, कि मकानों की मरम्मत करा सकें। विवश होकर जीर्ण धरो में पड़े रहेंगे और वर्षा काल में उनकी क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ही से रोमांच हो जाता है। कम से कम म्युनिसिपैलिटियों को इतना तो करना ही चाहिए, कि जिन इमारतों को खतरनाक देखें, उन्हें खाली करवा के उनकी मरम्मत करावें। हमारे समाज सेवकों को रिलीफ के काम में अग्रसर होना चाहिए।

२२ जनवरी १९३४

वह प्रलयकर दिवस

ता० १५ जनवरी का भारत का वह प्रलयकर दिवस सप्ताह में अमर हो गया। जैसे मालूम था कि उस दिन यह तारुडव काण्ड हो जायगा। दोपहर का समय था, सब लोग खा-पीकर अपने-अपने कामों में लगे थे कि अचानक हर्षाट्टा हुआ, लोग चौंके, मकानों से निकले और आसमान की ओर देखने लगे कि कहीं हवाई जहाज तो नहीं मडरा रहा है, पर क्षणमात्र में ही मालूम हुआ कि पृथ्वी काँप रही है। मकानों के हिलने, फटने और गिरने ने प्रलयकाल का भय भर दिया। बड़ी मुश्किल से शाम हुई और रात बीती। दूसरे दिन से समाचार आने लगे और भय बढ़ने लगा। मुजफ्फरपुर के समाचारों ने लोगों को व्याकुल कर दिया कि मुंगेर के समाचार आये। तीसरे दिन दरभंगा आदि के भी समाचार पढ़े गये। इस अनन्य वज्रपात ने संसार में खलबली मचा

दी। नैपाल के समाचार तो अभी तक ठीक नहीं मालूम हो रहे हैं, किन्तु अभी-अभी नेपाल महाराज का जो तार मि० मालवीय जी के पास आया है, उससे पता चलता है कि जन-हानि से धन-हानि ही हुई है। फिर भी ३००० के लगभग मृतक संख्या प्रकाशित हो चुकी है। श्री प० जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य देखनेवालों का कहना है कि जब तक मुजफ्फरपुर वगैरह नगरो का मलबा नहीं हटा दिया जाता, तब तक पूरी मृत संख्या नहीं मालूम हो सकती, पर अभी तक जो लाशें पायी गयीं और निकली हैं, उनकी संख्या जानकर दिल दहल जाता है, आँखें पथरा जाती हैं और बदन को काठ मार जाता है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा और सीतामढी आदि बड़े नगरो में ही लगभग ५०००० मनुष्यों के जीवन नष्ट या नष्टप्राय हो गये हैं। निकटस्थ ग्रामों में यद्यपि अधिक प्राण हानि नहीं हुई, पर धरा और धान्य तो अवश्य ही नष्ट हो गये हैं। मुजफ्फरपुर में लगभग १०००० मनुष्यों के प्राण गये और पता नहीं अभी कितने दबे पड़े हैं। मुंगेर में तो इससे भी अधिक मृत संख्या बतायी जाती है। मुंगेर में उस रोज़ दुर्भाग्यवश अमावस्या का मेला था, बाहर के हजारों यात्री पर्व मनाने आये थे। ठीक दोपहर के वक्त जब लोग स्नान-ध्यान से फारिग होकर खा-पीकर, सौदा-सूत खरीद रहे थे, तभी भूकम्प हुआ और बेचारे अभाग्ये यात्रियों और नगर-निवासियों को जरा भी इधर-उधर होने का अवसर न मिला। सब जहाँ के तहाँ रह गये।

हमारे आफिस में मुंगेर के एक भुक्त भोगी विद्यार्थी आये थे, उन्होंने बयान किया कि जिस समय भूकम्प आया, हम लोग दुमजिले पर थे। मकान बड़े वेग से हिलने लगे और हम लोग दौड़ कर सीढी से नीचे उतरना चाहते थे कि अचानक सीढी टूट गयी और मकान का कुछ हिस्सा भी घर के लोगो पर गिर गया। हम लोग जहाँ के तहाँ रह गये। बड़ी कठिनाई से बाजार की तरफ के बरन्डे में गये कि वहाँ से बाजार में कूद जायेंगे, पर जब वहाँ से सामने के मकानों को भी गिरते देखा, तो रूह कब्ज हो गयी, अचानक हमारे बरन्डे पर सामने के मकान का कुछ अंश ढह पडा और हम भी बरन्डे सहित नीचे आ रहे। ईश्वर की कृपा कहिए कि नीचे आ जाने पर हाथ और कमर में चोट तो आयी, पर बरन्डे का टीन हमारे ऊपर हो गया और उसने छाते की तरह हमें ढाँक रखा ! मकान गिर रहे थे, और हम साँस बन्द किये दबे-दुबके खड़े थे। चार-छ मिनट में ही यह प्रलय काण्ड हो गया। किसी प्रकार हमारे घर के दो-एक प्राणी बचे और सब दब गये थे। एक छ. वर्ष की बहन को तो उसके बाल देख कर बमुश्किल मलबे के नीचे से निकाला गया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। थोड़ी देर के लिए यह मालूम हुआ कि नगर पर असंख्य बम-वर्षा की गयी है। चारों ओर अधकार सा छा गया था, सूर्यदेव भी वह दुर्दशा देख कर जरा देर को अस्त से हो गये थे। सारा शहर चौपट हो गया और लाशों की दुर्गन्ध के मारे अब वहाँ खड़ा रहना भी कठिन हो गया है। बड़ा वीभत्स दृश्य है।

दरभगा और लहरियासराय भी चौपट हो गये हैं। इन नगरों में भी दो-तीन हजार मनुष्यों के मरने का अन्दाज लगाया जाता है।

दो सौ वर्षों के बाद इधर की भूकम्प-सम्बन्धी जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे मालूम होता है, कि भारत में यह भूकम्प सबसे भीषण और विशेष क्षतिकर हुआ है।

इसके पहले भी भूकम्प हुए थे, उनका वर्णन भी पत्रों में छपा है—सन् १६०५ के अप्रैल मास की ४ ता० को कागडा प्रदेश में एक भूकम्प हुआ था और उसे भारत-वासी अभी भूले नहीं हैं। उस समय भी समस्त उत्तर भारत ने इस भूकम्प का अनुभव किया था। पश्चिम प्रदेश के अफगानिस्तान और सिन्ध से लेकर, पूर्व प्रदेश में पुरी पर्यन्त इसकी ध्वंस लीला से बच पाये थे, किन्तु कागडा और मसूरी के प्रदेश ही उस महाध्वंस के चरम क्षेत्र में परिणत हुए थे। उस समय मृत सख्या २०,००० तक पहुँची थी। इस भूकम्प का कारण हिमालय का स्तर खलन बतलाया गया था।

इसके भी आठ वर्षों पूर्व सन् १८६७ ई० में जून मास की १२ तारीख को आसाम में जो भूकम्प हुआ था, वह भी एक चिरस्मरणीय घटना थी। उस समय मूलकम्पन के साथ अनेक व्यापी साधारण कम्पन होता रहा था। इस भूकम्प की ध्वंस-लीला के कारण शीलाग की ओर तो कुछ बाकी ही न रह गया था। घर, गिरजा, रेल और सड़को के पुल, सब कुछ एकदम विनष्ट हो गये थे। विशाल पहाड़ के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे और उसमें आसाम की भूमि को कुछ का कुछ कर दिया था। नदी ने अपना नया प्रवाह मार्ग बना लिया था।

इसके भी पूर्व इस देश में भूकम्प हो गये हैं, उनमें दो सौ पूर्व सन् १७२० ई० में दिल्ली में, सन् १७३७ में कलकत्ता में, और १७६२ ई० में पूर्व बंग और अराकान में होनेवाले भूकम्प ही विशेष उल्लेख्य हैं। वैसे १८१६ में कच्छ और ब्रह्म देश में भी भूकम्प हुए थे।

भूकम्प का प्रकोप, भारतवर्ष की अपेक्षा जापान में ज्यादा भयानक होता है। एक सितम्बर सन् १९२३ को जापान की राजधानी टोकियो और याकोहामा में इसी के कारण भीषण और भयानक कांड उपस्थित हुआ था। केवल ५ मिनटों में २,००,००० मनुष्यों का मरण हो गया था। आँधी और अग्नि कान्ड ने तो और भी गजब ढा दिया था। याकोहामा में एक लाख मनुष्य मरे थे। पचास हजार मनुष्य तो न जाने कहाँ लापता हो गये थे। एक लाख आदमी आहत भी हुए थे। और, धन-सम्पत्ति की हानि १२ हजार करोड़ से भी अधिक की हुई थी।

यो तो संसार के अनेक स्थानों में भूकम्प की विध्वंस लीला हो चुकी है, पर दो सौ वर्षों से अधिक का हाल नहीं मिलता। किन्तु इसी बीच १७५५ ई० में पुर्तगाल

की राजधानी लिसबन में भूकम्प हुआ था, कहा जाता है कि उसमें ६० हजार आदमी मरे थे ।

दक्षिण इटली तो भूकम्प के लिए नित्य लीला क्षेत्र ही हो गया है । सन् १९०८ में इटली के मेसिना नामक स्थान में भूकम्प हुआ था, उसमें केवल ४० सेकेन्ड में ही एक लाख मनुष्य मर गये थे ।

भूकम्प एक ऐसी विपत्ति है कि उससे बचना मनुष्य के लिए अभी असम्भव है । वैज्ञानिकों की दृष्टि इस ओर अवश्य गयी, और जापान के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक समिति भी स्थापित की थी, जिसने ५० वर्षों में बहुत कुछ खोज की है । इस विषय का साहित्य भी उसने प्रकाशित किया है ।

१९वीं सदी के अन्त में प्रो० मिलने नामक वैज्ञानिक ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया था । इसके पूर्व दो-एक अन्य वैज्ञानिकों ने भी प्रयत्न किया, पर १८वीं सदी में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री प्रिस्टले ने बिजली से भूकम्प का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था ।

सन् १८०७ ई० में प्रो० यंग ने यह सिद्धान्त निश्चय किया था कि जिस प्रकार शब्द हवा में तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसी प्रकार भूकम्प भी एक स्थान से आरम्भ होकर तरंग उत्पन्न करता और उसी के सहारे बहुत दूर तक पहुँच जाता है । इस तथ्य की पुष्टि आयरिश एकाडमी ने भी की थी ।

सन् १८६७ के नेपल्टन के भूकम्प के बाद वहाँ लगभग दो मास तक ध्वंसावशेषों के ढेरों का पर्यवेक्षण करने के बाद एक विवरण प्रकाशित हुआ था, उससे प्रकट होता है कि भूगर्भस्थ एक स्थान से एक कम्पन की उत्पत्ति होती है, उसी स्थान के ऊपर स्थित जमीन, ऊपर और नीचे से कंपित हो जाती है । केन्द्र स्थल से दूर तरंगों की गति वक्र भाव से होती है । किसी फटे हुए मकान की दरार को देखकर जाना जा सकता है इस जगह जमीन किस ओर कम्पित हुई थी । इस प्रकार कम्पन का कोण निश्चय कर लेने पर कम्पन का केन्द्र स्थिर किया जा सकता है ।

मध्ययुग के विद्वानों का खयाल था कि ज्वालामुखी के द्वारा अग्न्योत्पात ही भूकम्प का कारण है । इसका कारण यह बताया जाता है कि जापान, इटली वगैरह में, जहाँ ज्वालामुखी हैं, वहाँ भूकम्प अधिक होते हैं । ज्वालामुखी से जब अग्न्योत्पात होता है, तो बड़े वेग से गन्धक और वाष्प आदि गरम पदार्थ बाहर निकलते हैं, और वेग की प्रबलता के कारण पृथ्वी काँप उठती है । परन्तु जहाँ ज्वालामुखी नहीं हैं, वहाँ भी तो भूकम्प होते रहते हैं—यह प्रश्न विचारणीय है ।

पृथ्वी का जिस प्रकार ठोस और कठोर होना खयाल किया जाता है, असल में वह उस प्रकार नहीं है । भूगर्भ में विशाल गह्वर या खाइयाँ हैं और एक विशाल पर्वत खण्ड के साथ दूसरे पर्वतखण्ड मिलकर परस्पर एक दूसरे का भार सँभाले रहते हैं ।

वाष्प और गंधक के बाहर निकलते समय खाइयो की मिट्टी वगैरह नीचे घँस जाती और भूकम्प का आरम्भ होता है ।

सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर के द्वारा भूकम्प-सम्बन्धी गवेषणा का कार्य सरल हो गया है । यह यन्त्र एक महीन सुई के द्वारा कागज पर भूकम्प का कम्पन अंकित कर देते हैं और वैज्ञानिक लोग उसके द्वारा कम्पन की स्थिति, परिमाण और कम्पन होने वाली दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । उन्नीसवीं सदी में जापानवालों ने इन यन्त्रों को वास्तविक उन्नत रूप दिया और लगभग ५० वर्षों के प्रयत्न से ही आज हमें भूकम्प-सम्बन्धी सब ज्ञान प्राप्त होने लगा है ।

इसके पूर्व भी अनेक विद्वान और दार्शनिकों ने भूकम्प सम्बन्धी अनेक अनुमान किये थे । भारतीय-धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी भूकम्प के सम्बन्ध में बहुत कुछ गपोंडे लिखे मिलते हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है कि शेषनाग अपने सहस्र फनों पर पृथ्वी को धारण किये हुए है, और जब वे फनों को बदलते हैं, तभी भूकम्प होता है ! जापानी लोग भी किसी समय विश्वास करते थे कि उनका देश एक वृहत् मछली की पीठ पर अवस्थित है, और यह मछली किसी कारण अपनी बेह को हिलाती है, तभी भूकम्प होता है, किन्तु इन सारी निर्मूल धारणाओं को वर्तमान युगीन विज्ञान ने नष्ट कर दिया और भगवान शेषनाग का भी अन्त ला दिया है । फिर भी हमारे देश में अभी आस्तिक लोगों की अपनी-अपनी धारणाएँ उपस्थित हैं । अभी उस दिन महात्मा जी ने ही कहा कि हमारे पापों के कारण ही यह भूकम्प हुआ है और उनकी धारणा में अछूत कहलाने वाले मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार ही महापाप है । इसी प्रकार वर्णाश्रम स्वराज सघवाले महात्मा जी को कोसते और कहते हैं कि अछूतों को मन्दिर में प्रवेश कराने के पाप का ही परिणाम यह भूकम्प है ।

यदि आस्तिकता, भूकम्प का कारण पाप बतलाती है, तो यह प्रश्न ही सकता है कि क्या सचमुच परमात्मा ने बिहार में वास्तविक पापियों को ही दण्ड दिया है ? जितने प्राणी भूकम्प में मरे, क्या वे सभी महान पापी थे ? और यहाँ, इस देश में जो बड़े-बड़े पापाचारी और गरीबों का रक्त चूस जानेवाले बड़ी-बड़ी तोदवाले, बड़े-बड़े तिलकधारी डोगी पडे हुए हैं, क्या परमात्मा उन्हें नहीं देख पाता ? अस्तु, यह सब व्यर्थ की बातें हैं । भली भाँति विचार करने पर मालूम हो जाता है कि भूकम्प किसी पाप पुण्य के कारण नहीं हुआ, यह प्रकृति की एक लीला है और भूगर्भ की वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक परिणाम है ।

इधर जो समाचार प्राप्त हुए हैं, वे तो और भी भयानक और हृदय को विचलित कर देनेवाले हैं । भयानक वर्षा ने उनके बच्चे खुचे हरे खेतों को जल मग्न कर दिया और उनकी जिनन्दगी को आफत में डाल दिया है । आज हजारों आदमी वहाँ वस्त्रों के बिना ठिठुर रहे और अन्न-जल के बिना भूखी प्यासों मर रहे हैं । उनका सर्वस्व तो घँसे ही

नष्ट हो गया, तिस पर वर्षा के कारण प्राणहारी जाड़े का सामना करना पड़ रहा है । ईश्वर ही रक्षक है ।

अब हमारा कर्तव्य यही रह जाता है कि इस भीषण विपत्ति के समय लोगों को धैर्य बंधायें और जी-जान से उनकी सेवा-सहायता करें ।

जनवरी १९३४

प्रकृति का तांडव

ज्यों-ज्यों इस देशव्यापी भूकम्प के समाचार आते-जाते हैं, यह निश्चय बृढ़ होता जाता है कि यह भी उन्हीं प्रलयकारी घटनाओं में है, जिन्होंने दूर अतीत में समुद्रों को पर्वत और पर्वतों को समुद्र, महाद्वीप को महासागर और महासागर को महाद्वीप बना दिया । इतिहास इतने भयंकर भूकम्प से अनभिज्ञ है । पहले तीन-चार हजार हतों का अनुमान था । अब यह संख्या दस गुनी बढ़ गयी है और कुछ लोगों का अनुमान है कि पचास हजार से कम आदमियों की हानि नहीं हुई ; धन की कितनी हानि हुई, इसका अन्दाजा ही नहीं किया जा सकता । मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तो मिट गये, दरभंगा, पटना, गया, जमालपुर आदि स्थानों पर भी विपत्ति कुछ कम नहीं आयी । उनका बर्खान सुन-सुन कर कलेजा दहल जाता है, खून सर्द हो जाता है । सोचिए, उस आदमी की क्या दशा होगी, जो अपने प्यारों को हँसते-खेलते छोड़कर दफ्तर या दूकान गया हो और प्रकृति के इस उच्छ्वास के बाद दौड़ा हुआ घर आये, तो देखे कि उसका सर्वनाश हो चुका है । कितना हृदय-विदारक दृश्य है !

अब हमारा क्या कर्तव्य है ? क्या यही कि जब दो-चार मित्र मिल बैठें, तो भूकम्प का जिक्र छिड़ जाय । अमुक परिवार या अमुक नगर या अमुक गाँव में कितने आदमी मरे, कितने जखमी हुए । कैसे जमीन फट गयी, कैसे उसके अन्दर से पानी उबल पड़ा, कैसे बड़े-बड़े महल जमीन में धँस गये ! यह तो मनुष्य का केवल कुतूहल-प्रेम है । क्या केवल अपने मुहल्ले या घर में होम-यज्ञ कराके ही हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं ? यह तो केवल स्वार्थ-कामना है ।

नहीं, हमारी मानवता और बन्धु-भावना की यह अग्नि परीक्षा है । हम अपने मंगल के निमित्त, बड़ी-बड़ी तीर्थयात्राएँ करते हैं, दान-पुण्य करते हैं । हम अपने आत्म-प्रदर्शन के लिए पैसे को ठीकरा समझते हैं और भोग-विलास के लिए धन को पानी की तरह बहाते हैं । क्या आज जब हमारे लाखों भाई अकथनीय कष्ट भोग रहे हैं, हम अपनी मंगल-कामना के लिए तीर्थ-यात्रा करते रहेंगे, क्या शादी-ब्याहों में रुपये लुटाना इस समय उचित है, जब हमारे लाखों भाई आहत और नंगे पड़े कराह रहे हैं ? क्या

हम अब भी तमाशो देखते रहेंगे जब प्रकृति अपना ताण्डव नृत्य दिखा रही है ? पीड़ितों के लिए बड़ी तत्परता से सहायता का काम शुरू हो गया है । सरकारी और गैर सरकारी शक्तियाँ सहयोग से इस पुण्य कार्य में हाथ बटा रही हैं । प्रायः सभी प्रांतों में सहायक समितियाँ पीड़ितों के लिए धन और वस्त्र एकत्र कर रही हैं । वाइसराय ने जो फंड खोला है, उसमें चारों तरफ से रुपये आ रहे हैं । हमारा भी धर्म है कि अपने सामर्थ्य भर अपने भाइयों की मदद करें—धन से, वस्त्र से, अन्न से । यह न समझिए कि हमारे दो-चार आने कौन-सा बड़ा उपकार कर देंगे । आपके चार आने संभव है किसी भाई के लिए समय पर मिल जाने से एक कोष का काम करे । हम गरीब हैं, सामर्थ्यहीन हैं, लेकिन इसीलिए हमारे ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है, गरीब की मदद गरीब न करेंगे तो कौन करेगा ?

यह भूकम्प क्यों आया, इस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न मन हैं । भूगर्भ के जानकार कहते हैं कि हिमालय पर्वत उस कम्पन रेखा पर पडता है, जो आल्प्स से एंडीज पहाड़ तक चला गया है और चूँकि उसका ऊपरी भाग वर्षा, बर्फ के पिघलने और अन्य प्राकृतिक कारणों से क्षीण हो रहा है, वह भीतर से ऊपर उठ रहा है, जैसे पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा ज्यों-ज्यों ऊपर से गलता है, पानी से बाहर निकलता जाता है । कम्पन जब बहुत दिनों के बाद आता है तो उसका जोर बहुत ज्यादा होता है । इसलिए यही अच्छा कि कभी-कभी हलका-हलका कम्पन होता रहे । ऐसा भीषण कम्पन २५ वर्षों के बाद आया है । आखिरी भूकम्प काँगडा में सन् १९०७ में आया था, जिसमें २० हजार आदमी मर गये थे । उत्तर भारत हिमालय के समीप है, इसलिए यहाँ भूकम्पों की संभावना अधिक है ।

दूसरा दल उन लोगों का है, जो इसे दैवी कोप कहते हैं । क्या देव, दुखी, दरिद्र, दलित भारत पर ही दैवी कोप को आना था ? या इसे गरीब देखकर देव भी उसे ठोकर मारता है, जैसे कोई शरीर लडका पड़े हुए कुत्ते को ठुकरा देता है । और मान लिया दैवी कोप ही है, तो यह क्यों ? इसीलिए, तो कि यहाँ के लोग देव की समझ में ससार भर से ज्यादा पापी, स्वार्थी और भ्रष्ट हैं । स्पष्ट ही है कि जब तक हम सत्यवादी, परोपकारी और पवित्र न हो जायेंगे, यह कोप हमारे ऊपर से न उतरेगा । लेकिन हम चौरस्तो पर होम तो कर रहे हैं, दुर्गा पाठ तो बैठा रहे हैं, देवी को बकरे चढा रहे हैं, मगर क्या हम असत्य और स्वार्थ और दुष्टाचरण का त्याग कर रहे हैं ? क्या इन आठ नौ दिनों में हमने अपने जीवन को पवित्र बनाया है ? तब दैवी कोप कैसे टलेगा ? होम से और बकरे से भूकम्पवाला देवता प्रसन्न नहीं होता । इन रिश्वतों से तो हमारी छोटी-छोटी देवी-भवानी और देवतागण ही प्रसन्न होते हैं, जो अधिक से अधिक हमें बीमार डाल देते हैं, या हमें घुला-घुलाकर मार डालते हैं । साधु कहता है लोग साधु-सेवा भूल रहे थे, इसलिए दैवी कोप आया । वर्णाश्रम सघ शायद यह कहता

हो कि मन्दिरों को हरिजनो के लिए खुलवाने से कोप आया। पंडे भी फरमाते हैं, देवताओं में लोगों को श्रद्धा कम हो गयी, इसलिए देवता कुपित हो गये। इसी तरह दफ्तरो के अमले कहते होंगे, लोग अब दिल खोल कर उनकी पूजा नहीं करते, देते भी है तो बहुत रोकर, इसलिए कोप आया। यह सब स्वार्थियों की युक्तियाँ हैं। न देवी कोप है, न शेषनाग की करवट। यह एक प्राकृतिक विस्फोट है, जो वैज्ञानिक कारणों से आया करता है। इसका मनुष्य के पास कोई इलाज नहीं। अगर कोई इलाज है, तो यही कि शहर की तंग गलियों और ऊँचे-ऊँचे महलों से विदा ली जाय और खुली जगहों में, एकतल्ले, हलके, गहरी नींववाले मकान बनाये जायँ और स्त्रियों के परदे को एकदम तोड़ दिया जाय। अगर परदेवाली स्त्रियाँ, भयभीत होकर लज्जावश घरों में न छट-पटाकर—दौडती हुई खुली जगहों तक आ जाती, तो बहुत संभव है कि इतनी जानें न जाती।

लेकिन हमारे लिए यह बिल्कुल नयी परिस्थिति है और अपने को उनके अनुकूल बनाने में अभी बहुत दिन लगेंगे।

२६ जनवरी १९३४

बिहार की विपत्ति और काशी

हमें यह जानकर खेद हुआ कि बिहार की सहायता के प्रश्न पर यहाँ की दो प्रमुख सेवा-संस्थाओं में मतभेद हो जाने के कारण अभी तक संगठित रूप से कुछ नहीं किया जा सका। दोनों ही अलग-अलग अपनी खिचड़ी पका रही हैं और ऐसे नाजुक वक्त में भी सङ्गठन नहीं कर सकती। हम काशी सेवा समिति और काशी-नागरिक-मंडल दोनों ही के कार्यकर्ताओं से विनय के साथ अनुरोध करते हैं कि परस्पर के वैमनस्य पर पानी डालकर एक दिल से बिहार की सहायता करके काशी का गौरव बढ़ायें।

२६ जनवरी १९३४

भूडोल और काशी के अधिकारी

अगर हमारे एक योग्य मित्र की यह शिकायत ठीक है कि काशी के अधिकारियों ने भूकम्प के अवसर पर जनता की कोई मदद नहीं की, किसको क्या नुकसान पहुँचा है, इसकी कोई जाँच नहीं की गयी, जर्जर मकानों को खाली कराके घरवालों को स्वरचित स्थानों में ठहराने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, जनता की घबराहट को दूर

करने के लिए एक विजय तक न निकाली गयी, तो हमें इसका खेद है। हमें आशा है कि काशी के अधिकारी-वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जनता को निराशा या बेकसी का कड़वा मजा न चखायेंगे। विशेषकर जब हाकिम जिला और हाकिम शहर दोनों ही हिन्दुस्तानी हैं, तब तो हम उनसे सहायता और सहानुभूति की और भी आशा रखते हैं। अगर हमारे भाई हमारे अफसर होकर हमारी ओर से मुँह फेर लें, तो गैरो से क्या आशा की जाय।

२६ जनवरी १९३४

विपत्ति-विपत्ति !

१९३४ अवश्य अपने साथ विपत्तियों का समुद्र लेकर आया है। भारत, चीन, और मेक्सिको की अरबों की हानि भूडोल से हो गयी। हमारे देश में बिहार तथा युक्त-प्रात के काशी, इलाहाबाद आदि की गहरी हानि का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। नेपाल बरबाद हो गया। पड़ोसी चीन की हानि की कहानी बड़ी दर्दनाक है। दर्दनाक ज्यादा इसलिए है, कि वहाँ रेल, तार-डाक आदि का प्रबन्ध न हो सकने के कारण सहायता नहीं पहुँच सकती, या बहुत देर में पहुँचेंगी। इधर कई हवाई जहाजों के टूटने, गिरने, नष्ट होने के समाचार एक ही महीने में प्राप्त हो चुके। २८ जनवरी का समाचार है कि अटार्कटिक खोज का बेडा, अर्थात् कप्तान बर्ड का दल भग हो गया और ४३ आदमी बर्फ पर "तैर" रहे हैं। एक स्थान में हजारों आदमी बर्फ की झाँधी में बरबाद पड़े हैं। बर्फ ने उनकी जान ले ली। मोटर तथा साइकिल दुर्घटना का आसत दुगुना हो गया है। चोरी-डकैती के समाचारों से अखबार भरे पड़े हैं। ज्योतिषियों ने १९३४ को "उत्पातो" का वर्ष बतलाया है। लक्षण भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। भारत में—बिहार आदि भागों में—जो गन्दगी फैल गयी है, चीन में जो उत्पात हो गये, उनसे गहरी बीमारी तथा सकामक रोगों के विस्तार का भय है। ऐसे विपत्ति के युग में ईश्वर ही रक्षा करे।

आश्चर्य है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं, उसके साधनों, रचनाओं की इतनी कृत्रिमता तथा उसकी परवशता की, इतनी लाचारी की दुर्दशाओं की, ऐसी अवस्था देखते हुए भी, उसकी आँख नहीं खुल रही है तथा वह लालसा, लोभ, लालच, द्वेष, मत्सर के गढे में गिरता ही जा रहा है। ईश्वर हमें अब भी बुद्धि दे।

५ फरवरी १९३४

मुंगेर मुजफ्फरपुर की दशा

श्रीयुक्त जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कहा था कि यदि बिहार-सरकार तत्परता से काम लेती, तो मुजफ्फरपुर में इतनी तबाही न आती तथा भूकम्प के तीन दिन बाद तक उसका कुछ न करना, इस नगर के लिए—अभागी निस्सहाय जनता के लिए—बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ। ३१ जनवरी को काशी टाउनहाल के मैदान में काशी के सर्वमान्य नेता श्री संपूर्णानन्द जी का जो रोचक व्याख्यान हुआ था, उससे भी यही प्रतीत होता है कि मुंगेर में सरकार से जो आशा की जानी चाहिए थी, तथा समाचार-पत्रों में सरकारी विज्ञप्तियों से जो विश्वास हो गया था, वह वास्तविकता से दूर है तथा इस मुसीबत के समय भी सरकार का सरकारीपन दूर नहीं हुआ तथा “नौकरशाही” नौकरशाही ही बनी रही। मि० जायसवाल ने दस दिन पहले ही कहा था कि मुंगेर के विषय में सरकारी कार्य देखकर यह कहना पड़ता है कि बीसवीं सदी की सभ्य कहलानेवाली सरकार “ऐसा” कर सकती है। हमें यह देखकर बड़ा दुःख होता है। बड़ी लज्जा आती है तथा यदि सरकार के ऊपर आक्षेप सत्य है, तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री संपूर्णानन्द जी का कहना है कि ताता कम्पनी की जिस सहायता का बड़ा डंका पीटा गया है, वह भी ठिकाने से नहीं बाटी गयी है। मुंगेर में आतों के लिए केवल एक हजार टन “टिन” ही मिले हैं, जो बहुत कम है। दाल में नमक के बराबर है। उनके कथन से तो यह भी प्रतीत होता है कि सहायता कार्य में शीघ्र ही सरकारी तथा गैरसरकारी लोगों में पूरा मतभेद हो जानेवाला है।

“आज” में श्री संपूर्णानन्द जी का मुंगेर से भेजा हुआ पत्र छपा था। इससे पता चलता है कि यद्यपि राजेन्द्रबाबू ने बाहरी “आदमियों” की सहायता नहीं माँगी थी, पर यदि बाहरी लोग पहुँच गये होते और मलबा साफ कर देते, तो हजारों जाने, जो केवल “भूख-प्यास” से तड़प कर मरी हैं, बच जाती। यह सन्तोष का विषय है कि कुछ बाहरी लोग स्वयं चले गये थे। हमें यह रिपोर्ट पढ़कर बड़ा खेद होता है। जो भूख-प्यास से मर गये, उनकी पीड़ा की कल्पना भी असंभव है। खैर, जो होना था, वह तो हो गया। जो बाहरी दल स्वयं पहुँच गया था, वह बिहार की कृतज्ञता का पात्र है, यद्यपि यह कृतज्ञता नहीं, पर सेवा की सार्थकता ही उसे अभीष्ट है।

५ फरवरी १९३४

सेवा समिति का सराहनीय कार्य

विगत चन्द्रग्रहण के अवसर पर भीड़ कम होने पर भी यात्रियों का काफी जमाव था और ईश्वर ने वर्षा और शीत के कारण उन्हें काफी कष्ट दिया था, पर काशी सेवा

समिति ने यात्रियों की सुविधा तथा सेवा के लिए जो प्रबन्ध किया था, वह सराहनीय था और इसके लिए उसके मंत्री श्री बेनी प्रसाद जी तथा सहायक मंत्री श्री त्रिवेणीदीक्षित जी धन्यवाद के पात्र हैं। सेवा समिति ने भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ बड़ा परिश्रम किया है और अब उसने नगर के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए एक कमेटी भी बना दी है। आशा है, यह कमेटी अपने परिश्रम में सफल होगी। हमारा विश्वास है कि भूकम्प से इस नगर की भी बड़ी हानि हुई है और चूँकि सरकारी तौर पर अभी इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, सेवा समिति का यह कार्य उसके नाम तथा यश के अनुकूल होगा।

काशी सेवा समिति नगर की प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संस्था है और यहाँ की हरेक नागरिक संस्था को उसके अन्तर्गत, सहयोग तथा सेवा द्वारा, उसकी सहायता करनी चाहिए।

५ फरवरी १९३४

बिहार और देशी रियासतें

बिहार की परिस्थिति के विषय में बाबू राजेन्द्र प्रसाद का जो बयान प्रकाशित हुआ है, उसे पढ़कर बिहार के पुनरुद्धार का प्रश्न अपने भीषण रूप में हमारे सामने आ जाता है। एक तरह से उत्तरी बिहार को फिर से आबाद करना पड़ेगा। इस अवसर पर समस्त राष्ट्र ने जिस बन्धुत्व का परिचय दिया है और दे रहा है, वह बहुत ही आशाजनक है। बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे-छोटे कसबों और मदरसों और दफ्तरों में भी बड़ी तत्परता से चन्दे जमा किये जा रहे हैं और लगभग पन्द्रह लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के कपड़े और कम्बल और अनाज भेजे जा चुके हैं। चारों ओर से राष्ट्र के सेवक पहुँच गये हैं और अपने विपत्ति के मारे भाइयों की सेवा कर रहे हैं। मगर अभी तक 'डुमराव और गोडाल के राजाओं के सिवा हमें किसी ऐसे राजा का नाम न मिला जिसने उद्धारकार्य के लिए कोई बड़ी रकम दान की हो। जो लोग लाखों रुपये साल मोटरो और सैर-तमाशा पर खर्च कर देते हैं, वह ऐसे मौके पर दो-दो, चार-चार हजार देकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। अगर डुमराव के राजा ५० हजार दान दे सकते हैं, तो ऐसे कितने ही महाराज हैं, जो दो-दो, चार-चार लाख दे सकते हैं। शायद इतना बड़े वाइसराय की एक-एक दावत में खर्च कर देते होंगे। कितने खेद की बात है कि जिस देश में पचासो तिलकधारी हों, वहाँ इन तीन सप्ताहों में ५० लाख भी जमान हो जायें। इतना लिख चुकने के बाद हमें यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि महाराज दरभंगा ने बिहार पीड़ितों की सहायता के लिए छब्बीस लाख का दान दिया है।

१२ फरवरी १९३४

क्या होनेवाला है ?

१५ जनवरी को भूकम्प का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह आज एक महीना हो जाने पर भी बदस्तूर जारी है। अग्रे दिन कम्पन होते रहते हैं। यहाँ तक कि १२ फरवरी को भी जोर का धक्का हुआ। जो कुछ बचा-खुचा था, वह भी स्वाहा होता जा रहा है। दैत्यराज तो अपना जोर दिखा चुके, अब उनके सामन्तों की बारी है। हम सैकड़ों मील के फासले पर बैठे हुए वहाँ के समाचार सुन-सुनकर काँप उठते हैं, तो जो लोग उन मुसीबतों को भेल रहे हैं, उनके मन में क्या दशा होगी। इतना अवकाश भी तो मिले कि लोग भविष्य के विषय में कुछ सोच सकें। जब नगी तलवार सिर पर लटक रही हो—यह खटका लगा हो कि न जाने कब भूकम्प का धक्का हवा के भोके की तरह आ जाय—तो मन पर एक अन्धकारमय निराशा का आ जाना स्वाभाविक है। घर के आदमी गये, घर गया, जायदाद गयी, उस पर अपनी जान का भरोसा भी नहीं। फिर कहाँ से अब वह उत्साह आये, जो रेत में बेल उपजाने का साहस करता है। यही प्रश्न विकराल रूप धारण किये सामने खड़ा रहता होगा—क्या होने वाला है ? माया का प्रबल बधन भी ऐसी दशा में शिथिल हो जाय, तो क्या आश्चर्य है। माया को अपना स्वप्न साम्राज्य रचने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए, चाहे वह कितना ही असार क्यों न हो। भूकम्प ने तो माया को भी परास्त कर दिया।

और तरह-तरह की अफवाहें इस आतंक को और भी बढ़ाती रहती हैं। एक वैज्ञानिक का अनुमान है कि बिहार में किसी ज्वालामुखी के फटने की आशंका है। एक दूसरा दल कहता है कि उत्तरी बिहार भूकम्प के मार्ग में आ गया, और इस तरह की दुर्घटनाएँ वहाँ उसी तरह आती रहेगी जैसे जापान में आती रहती हैं।

मगर मानव-जीवन का इतिहास प्रकृति पर विजय पाने की एक लम्बी कथा के सिवा और क्या है। ससार में कौसी-कौसी प्रलयंकारी वाधाएँ नहीं आयीं। लेकिन, मनुष्य जाति आज भी प्रकृति के सामने उसका सामना करने को तैयार है। कहते हैं १७३७ में बिहार में इससे भी भयंकर भूकम्प आया था, जिसमें तीन लाख से ज्यादा जाने गयी थी। जापान में १९२७ में जो भूकम्प आया था, उसमें कई लाख आदमी मर गये थे। लेकिन जापान आज ससार का शक्तिशाली राष्ट्र है, उस भूकम्प का वहाँ कोई चिह्न भी नहीं रहा। हाँ, ऋरुत इस बात की है कि राष्ट्र एक दिल होकर पीड़ितों को सहाम्यता करने पर तुल जाय। बिहार हमारा समर क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी और मुंगेर और सीतामढी वह मोर्चे हैं, जहाँ प्रकृति की शक्तियाँ गोली बरसा रही हैं। क्या हम अपने वीर सैनिकों को शत्रु के गोली के शिकार होते देखकर भी शान्त बैठे रहेंगे। युद्ध में लड़नेवाले थोड़े होते हैं, लेकिन उनकी पुश्त पर सारा राष्ट्र होता है। योरोपीय महायुद्ध में पचास लाख आदमी मरे थे, और अरबों की हानि हुई थी। मुंगेर

और मोतिहारी से कही विशाल नगर भूमिस्थ हो गये थे, पर राष्ट्रो की सयुक्त शक्ति ने उन खडहरो को फिर गुलजार कर दिया। वहाँ आदमी का आदमी से मुकाबिला था। यहाँ आदमी का प्रकृति से मुकाबिला है, और आदमी ने सर्वद प्रकृति पर विजय पायी है। अब की भी उसकी विजय होगी। शर्त यही है कि राष्ट्र अपने सैनिको की मदद के लिए हर तरह का त्याग करने की तैयार हो जाय, और जब हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आशय केवल जनता नहीं होता, बल्कि उसमें हम सरकार को भी शामिल करते हैं, जो राष्ट्र का सबसे समर्थ अंग है। इस पच्चीस लाख चन्दे से उकडा हुआ बिहार आबाद नहीं हो सकता। सरकार ने एक एक टाडाई के लिए करोडो कर्ज लिये हैं, क्या इम अवसर पर वह दस-बीस करोड रुपये कर्ज नहीं ले सकती ? जर्मनो से लडने के लिए भारत ने एक अरब इकट्ठा कर दिया था। क्या वही भारत एक संपूर्ण प्रान्त की रक्षा के लिए उसकी चौथाई रकम भी जमा नहीं कर सकता ? योरोपीय युद्ध मे भारत से दस लाख सिपाही तोपो के ईधन बनने के लिए भरती किये गये थे। क्या बिहार की आबादी के लिए इससे दुगने आदमी नहीं भरती किये जा सकते ? बिहार के एक प्रोफेसर साहब का प्रस्ताव है कि पीडित क्षेत्रो मे काम करने के लिए मजदूरो से सरकारी तौर पर बेगार ली जानी चाहिए। देश मे बेकारी बढ रही है। अगर सरकार अन्य प्रान्तो मे मजदूरो की भरती जारी कर दे, तो हमे विश्वास है कि आदमियो का तोडा न रहेगा। बिहार के एक मिनिस्टर साहब ने यह प्रस्ताव किया ह कि सरकारी नौकरो को अपनी आमदनी की दो फी सदी कई महीनो के लिए खुशी से देना चाहिए। सरकारी नौकरो से ज्यादा खुशहाल इस समय समाज का और कोई अंग नहीं है। एक सौ ६० से ऊपर के वेतन भोगी अहलकार अगर अपनी आमदनी का दस फी सदी भी एक साल तक देते रहे, तो उन्हें कोई कष्ट न होगा, और कष्ट हो भी तो उसे सहना उनका कर्तव्य है। जब एक पूरा प्रान्त विपत्ति-ग्रस्त हो रहा है तो क्या वे उसके उद्धार के लिए थोडी-सी तकलीफ न उठा सकते।

इस वक्त तक कुल मिला कर उद्धार कार्य के लिए लगभग पच्चीस लाख का चन्दा जमा हुआ है, लेकिन जैसा श्री श्रीप्रकाश ने सहयोगी "आज" मे लिखा है, बिहार को तत्काल पाँच करोड धन की जरूरत है। अभी तक केवल इसका आठवाँ भाग वसूल हुआ है। और अभी तक सरकार ने इस आघात की भीषणता नहीं पहचानी है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी मशीनरी को चलते देर नहीं लगती है, मगर एक महीना निकल जाने पर भी इसका निश्चय नहीं किया जा सका कि क्या करना है। इस मौके पर तो सरकारी और गैर सरकारी का भेद मिट जाना चाहिए और क्या ही अच्छी हो कि दोनो ही फड मिला दिये जाँय और अन्य सस्थाएँ जो रिलीफ के काम मे लगी हुई हैं ममत्व और वाहवाही के ध्यान को छोडकर सहयोग कर सके। मालगुजारी और लगान तो बिलकुल मुआफ हो जाना चाहिए। बिहार की सरकार मकानो की तामीर के लिए कर्ज देना एक कानून

बना रही है। इस दफ्तरी और जाबते की कार्रवाइयो मे व्यर्थ समय नष्ट होगा। लेकिन जैसी परिस्थिति है, उसमे तत्काल किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। हाँ, अगर सरकारी रिलीफ मे कुछ इस तरह का समझौता हो जाय कि भोजन और वस्त्र तो दोनो फडो से दिया जाय, और कुआँ की खुदाई, खेतो से बालू की सफाई, और मकानो की मरम्मत और बनवायी और दूकानदारो और कास्तकारो को अपना धन्धा फिर से चलाने के लिए धन की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जाय। भोजन, वस्त्र और आहतो के सेवा शुभ्रूषा तो पुण्यार्थ ही होगा। दूसरे काम तो सरकारी कर्ज की मदद से ही होंगे। हमे यह जानकर हर्ष हुआ कि महात्मा गान्धी स्वयं बिहार आ रहे है, और आशा है, कि उनकी उपस्थिति से बहुत-सी समस्याएँ आसानी से सुलभ जायेगी।

१६ फरवरी १९३४

देव मंदिर और भूकम्प

हमे नेपाल के प्रधान व्यक्ति से यह सुनकर अत्यंत सतोष और गर्व हुआ कि जहाँ काठमाण्डू मट्टन और अन्य स्थानो मे बहुत से मकान गिर गये, वहाँ देव मंदिर एक भी नहीं गिरा और इस पर उन महोदय ने श्रद्धा-विहोन लोगो को दिखाया है कि देवताओ मे कितनी बड़ी शक्ति है। क्यों न होगी ? यह भूकम्प असल मे उनके लिए तो आया ही न था। देवता और ईश्वर तो एक प्रकार से नातेदार है। कोई ईश्वर का भाई है, कोई साला, कोई बहनोई। नातेदार की रक्षा तो सभी करते है। इसमे नयी बात क्या हुई। भूकम्प तो आया था उन लोगो को दड देने के लिए, जो महात्मा गांधी के मत से अछूतो पर अन्याय करते है, पोगा पथियो के मत से अछूतो के लिए मंदिर खुलवाते है, अहलकारो के मत से जो रिश्वत नहीं देते, मुल्लाओ के मत से जो दाढी नहीं रखते। मगर ऐसा मालूम होता है कि देवताओ मे भी दो दल हो गये है, क्योंकि जहाँ नेपाल के देव मंदिरो मे एक को भी आँच नहीं आयी, वहाँ बिहार मे कितने ही देवालय लोप हो गये और मसजिदो का निशान मिट गया। ऐसा मालूम होता है कि स्वाधीन नेपाल के देवताओ मे कुछ अधिक शक्ति होगी। पराधीन भारत के देवता भी आखिर दुर्बल ही होंगे।

हमें तो यह देखकर दुःख होता है, कि अच्छे खासे समझदार लोग इस तरह की बातें करते है। ससार मे आदिकाल से भय का राज्य रहा है, समाज मे भी, धर्म मे भी चोरी मत करो, नहीं राजा दड देगा। पाप मत करो, नहीं ईश्वर दड देगा। इस प्रकार ईश्वर को कल्पना भी एक बहुत बड़े तेजस्वी और भयंकर राजा की थी। यह कभी नहीं कहा गया कि चोरी मत करो, इससे तुम्हारे भाई को कष्ट होगा, या पाप मत

करो, इससे तुम्हारे समाज को कष्ट होगा। हमारे नीतिकारो ने इस मानवी भावना का आधार न लेकर, भय का आधार लिया और ऐसा स्वाभाविक भी था। जगली दशा में मनुष्य को प्रकृति का रौद्ररूप ही अधिक दिखायी देता था और लोग अपने पास की बहुमूल्य चीजे उसे भेंट देकर, उसका क्रोध शान्त करते थे। क्रोध शान्त होता था या नहीं, लेकिन कम से कम उन जगलियों को यह सन्तोष हो जाता था कि हमसे जो कुछ हो सकता था, वह हमने कष्ट निवारण के लिए कर दिया। और वह भय भावना आज तक हमारे दिलो पर हावी है। यह उसी भावना का प्रताप है कि हमें नरक का भय दिखा कर आज करोड़ों पाखंड हमें उल्लू बना रहे हैं। शासन मनुष्य कृत वस्तु है। मनुष्य भय पर अपना अस्तित्व जमाये, तो हम उसे क्षम्य समझते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान् ईश्वर को भी भय का ही सहारा लेना पड़े, जब वह अपने प्रेम का अखंड विस्तार दिखा सकता है, यह उस ईश्वर के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। कहते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर उसकी इच्छा के बिना आज हजारों बरस से हिन्दू-समाज ने हरिजनों पर अत्याचार क्यों किया? ईश्वर यह सब अन्धेर देखकर भी क्यों चुप बैठा रहा? क्यों नहीं उसने अपने प्रेम की ज्योति से सबको वशीभूत कर लिया? मज्जा यह है कि कोप आना चाहिए था, केवल अन्यायियों पर, मगर उसमें पिस गये हरिजन भी। कई दार्शनिका का मत है कि ब्रह्मांड केवल “चित्त” है। हो सकता है। बालू का कण भी परमाणु है, लेकिन बालू का कण चाहे कि हिमालय को हिला दे, तो उस कण की घोर मूर्खता है। फिर जब हमारी बुद्धि इतनी परिमित है, तो यह क्यों नहीं कहते कि दादा ईश्वर की लोला ईश्वर जाने। हम इस विषय को कुछ नहीं जानते।

२६ फरवरी १९३४

आकस्मिक प्रकोप बिल

बिहार में आकस्मिक बिल पास हो गया। इसके अनुसार बिहार सरकार भूकम्प पीड़ितों को बराय नाम सूद पर कर्ज देगी और १०, १५ वर्ष में किस्तवार वसूल करेगी। ऐसे कानून की इस वक्त बड़ी जरूरत थी और यदि यहाँ भी वही लब्ध धी-धी हुआ जो सरकारी कामों में हमेशा हुआ करता है, तो इससे प्रजा का बड़ा उपकार होगा। यह एक काम बिहार सरकार ने ऐसा किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाय कम है। विलम्ब के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते। सरकारी कामों में कुछ न कुछ विलंब हो ही जाता है। खटकती है, यह बात कि यह कर्ज उन्ही लोगों को दिया जायगा, जो जायदादवाले हैं। यहाँ भी आ गयी, वही जायदादवाली पख। हम पूछते हैं,

जिनकी सारी लेई पूंजी लेकर जमीन में धँस गयी या जिस-जिस मकानदार के सारे मकान जमींदोज हो गये या जिस किसान के खेतों में पानी भर गया वे गरीब किस जायदाद के बल पर कर्ज लेंगे। और जिनके पास जायदाद है, उन्हें कर्ज देनेवाली एक सरकार ही थोड़े ही है। उन्हें तो बैंको और महाजनो के द्वार खुले हैं, और सभव है, इस परिस्थिति में उन्हें पाँच, छ फी सदी पर कर्ज मिल जाय। रोना तो उन्हीं बेचारो का है, जो जायदादवाले थे, मगर अब फाकेमस्त है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? हम तो समझते हैं, सरकार को बिहार चेम्बर आफ कामर्स की इस सलाह पर विचार करना चाहिए, कि सहकारी समितियों और प्राइवेट बैंको से सरकार अपनी जिम्मेदारी पर कर्ज दिलवाये। आप खाने के लिए तो कर्ज दे नहीं रहे हैं, कि कोई खाकर रफूचक्कर हो जायगा। आप तो दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए। क्या असामी मकान सिर पर लेकर भाग जायगा। वह भाग भी जाय, तो मकान तो रहेगा। उसे बेचकर रुपये वसूल किये जा सकते हैं। जो कुछ भी हो, अगर सरकार ने केवल जायदादवालो तक इस कानून को सीमित रखा, तो इससे वास्तविक लाभ बहुत कम होगा।

२६ फरवरी १९३४

बिहार की परिस्थिति

समाचार-पत्रों में यह पढ़कर हमें खेद हुआ था कि बिहार में अब तक देहातो की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और सभी सहायक और सेवा समितियाँ नगरो ही तक सीमित हैं। लेकिन बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ताज़ी रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि पहले चाहे ऐसी अवस्था रही हो, पर अब देहातो में भी मदद पहुँचायी जा रही है। तत्कालिक अवस्थाएँ तो पूरी होती जाती हैं, लेकिन नयी-नयी समस्याएँ खड़ी होती जाती हैं। उनमें सबसे विषम समस्या है बालू से पटी हुई जमीन को साफ करना, जानवरों के लिए चारे का प्रबन्ध करना और खड़ी ऊख पेलने का कोई उपाय निकालना। एक बीघा जमीन की सफाई में औसतन तीस २० खर्च होते हैं। अनुमान किया गया है कि औसतन बीस लाख एकड़ जमीन खराब हो गयी है। उसकी सफाई के लिए कितना धन दरकार होगा, इसका तखमीना किया जा सकता है। कई गाँवों में चारे की कमी से जानवर मरे जा रहे हैं, और अब किसानों ने निश्चय किया है कि उन्हें ऊख काटकर खिलायी जाय। शक्कर की मीलों के विध्वंस हो जाने से ऊख का अब कोई ग्राहक नहीं रह गया और जो दो चार मिलें बाकी हैं, वह कौड़ियों के मोल ऊख लेना चाहती हैं। सरकार किसानों को बेलन मुहय्या करने का प्रबन्ध कर रही है, लेकिन भय है कि जब तक बेलन आये ऊख सूख न जाय। उधर बीमारियों के फैलने का भय भी हो रहा है।

मालूम नहीं बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने आत्मनिर्भरता के लिए जो अपील की थी, उसका क्या असर हुआ, पर हमारा खयाल है, जब तक सरकार पीड़ितों को सस्ता कर्ज दिलाने का प्रबन्ध न करेगी, बिहार का उद्धार होना मुश्किल है। दो-चार महीने अन्न वस्त्र देने का प्रश्न होता तो वह चन्दों से पूरा हो जाता, लेकिन वहाँ तो चार पाँच जिलों के पुन-निर्माण का प्रश्न है, दस-बीस लाख से हल नहीं हो सकता।

१२ मार्च १९३४

भाई जी का आक्षेप

भाई परमानन्द जी अपने उर्दू पत्र "हिन्दू" के एक सम्पादकीय नोट में लिखते हैं —

“लोग यह पढ़कर हैरान होंगे कि अगरचें मुक्त के सारे अखबारात में सेंट्रल रिलीफ कमिटी का और बाबू राजेन्द्रप्रसाद का नाम और उसका ही चर्चा हो रहा है, ताहम बिहार के मुसीबतजदा हिस्से में अभी तक उन्होंने कोई काम किया है, न उनके काम या नाम का कहीं जिक्र ही है। काँग्रेस और उसके काम की धाक ऐसी जमी बैठी है कि खुद बिहार से भी कोई आदमी उसके रिलीफ के काम पर रोशनी डालने की जुरत नहीं करता।

रिलीफ कमिटी पर आलोचना का हरेक प्राणी को अधिकार है और आलोचना से आलोचक को कुछ फायदा ही होता है, लेकिन ऐसी आलोचना किस काम की, जिसमें केवल पक्षपात हो। हिन्दू सभा ही ने क्यों रिलीफ को हाथ में नहीं लिया? भाई परमानन्द ही क्यों बाबू राजेन्द्र प्रसाद की जगह नहीं हुए? इसका कारण यही है कि काँग्रेस और उसके नेताओं ने देश के लिए जो बलिदान किये हैं, उनका देश आदर करता है और उन्हीं नेताओं पर विश्वास करता है। यहाँ तो केवल सेवा और त्याग का प्रश्न है। जो दल समाज के लिए बलिदान करेगा, वही समाज का विश्वास पात्र होगा।

२६ मार्च १९३४

सेंट्रल रिलीफ और वाइसराय फंड

हमें अपने एक बिहारी मित्र से मालूम हुआ कि सेंट्रल रिलीफ और वाइसराय-रिलीफ फंडों का समिश्रण जनता की दृष्टि में कुछ जँचा नहीं। अगर यह मालूम होता

कि सेन्ट्रल फंड भी वाइसराय फंड ही में मिला दिया जायगा, तो सभी वाइसराय फंड ही में बँते । कितनी ही जगह तो सेन्ट्रल रिलीफ के कार्यकर्ताओं और सहायकों को सरकार के कर्मचारियों से बैर भोल लेना पडा । वाइसराय रिलीफ फंड में गर्वमेंट की सारी शक्ति काम कर रही थी और उसके दाता धनी लोग थे । सेन्ट्रल रिलीफ फंड में अधिकतर गरीबों ने भाग लिया और उसके अधिकांश कार्यकर्ता काँग्रेसी थे । जनता को भय था कि वाइसराय फंड से गरीबों का उतना उपकार न होगा, जितना सेन्ट्रल फंड से । वह इसका प्रबन्ध अपने हाथ में रखकर कुछ इस तरह उसको खर्च करना चाहती थी कि जनता का उससे अधिक उपकार होता । वाइसराय फंड से सहायता मिलने में जो विलम्ब और जाबते की पाबदियाँ अनिवार्य हैं, उन्हें वह सेन्ट्रल रिलीफ में यथाशक्ति कम कर देना चाहती थी, और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक कामकर दिखाना चाहती थी । दोनों फंडों के मिल जाने से जनता में सेन्ट्रल फंड के प्रति अब वह जोश नहीं रहा । मालूम नहीं कि हमारे मित्र का यह अनुमान कहाँ तक सत्य है । जनता के विश्वासपात्र नेताओं ने जो कुछ किया है जनता के लाभ को ही सामने रख कर किया, लेकिन जनता को इस एकीकरण के लिए पहले से तैयार नहीं किया गया । अगर जनता को विश्वास दिला दिया जाता कि मौजूदा हालतो में इससे अच्छा प्रबंध नहीं किया जा सकता था तो उन्हें यह विश्वास न होता ।

३० अप्रैल १९३४

बिहार के लिए मि० ऐंड्रूज़ की अपील

इंग्लैण्ड में, कहा जाता है, बिहार की सच्ची स्थिति अभी तक बहुत कम आदमियों को मालूम है, और मि० ऐंड्रूज़ ब्रिटिश जनता को बिहार की दशा समझा रहे हैं और उसके लिए अपील कर रहे हैं । एक भाषण में उन्होंने कहा—जिस समय ब्रिटेन संकट में था, भारत ने एक अरब रुपये से उसकी मदद की थी । आज भारत का एक पूरा प्रान्त वीरान हो गया है । उसके लिए इंग्लैण्ड और उसकी सरकार क्या कर रही है ? मि० ऐंड्रूज़ शायद भूल जाते हैं कि भारत, भारत है और ब्रिटेन, ब्रिटेन, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते । भारत ने हमेशा अपना घर फूँककर तमाशा देखा है । यहाँ के लोग ऋषियों की सन्तान हैं, जिनका सारा जीवन ही यज्ञ होता था । भारत आज इस गिरी हुई दशा में भी पचास लाख साधुओं और पाँच करोड़ पंडो-पुजारियों को तर माल खिला रहा है । उसके लिए एक दो अरब कोई बात नहीं, मगर ब्रिटेन तो सारे काम तिजारत के नियमों से ही करता है, वह भला ऐसी भावुकता के झुमेले में क्यों पडने लगा । भारत उसके माल की मण्डी है, और उसकी फालतू आवादी के लिए धन

कमाने का क्षेत्र । बस भारत को वह इसी दृष्टि से देखता है । बिहार में नये-नये मकान बनवाने के लिए अगर अच्छे वेतन के इंजिनियरों को जरूरत हो, तो इंग्लैंड यह सेवा करने के लिए हाजिर है । अगर बिहार को अच्छे वेतन पर कुछ प्रबंधकों की, डाक्टरों की, विशेषज्ञों की जरूरत हो, तो इंग्लैंड हर्ष से यह सेवा स्वीकार करेगा । मगर गिरे हुए प्राणियों की मदद करना तो तिजारत का कोई सिद्धान्त नहीं है । फिर वह ऐसी बेकायदा बात क्यों करने लगा ? रही यह बात कि इंग्लैंड को बिहार की हालत का पता ही नहीं, यह हम नहीं मानते । यह कहिए कि वह जानना नहीं चाहता या जानकर अनजान बनता है । वह क्यों ऐसी बात जाने कि गाँठ से कुछ गँवाना पड़े । कुछ वसूली की बात हो तो देखिये वह कितना मुस्तैद हो जाता है । खानेवाला खिलाना क्या जाने ? और काले आदमियों की जिन्दगी की कदर ही क्या ? पच्चीस-तीस हजार आदमी ही तो मरे । चलो इतना कूड़ा कम हुआ । ब्रिटेन जो कुछ करेगा, अपनी दूकानदारी ! इसके सिवा उसके पास कोई दूसरी नीति नहीं है ।

७ मई १९३४

पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी

इस अवसर पर जब कि पण्डित जवाहरलाल जी बिहार के उद्धार कार्य में अपना लहू पसीना एक कर रहे थे, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके उदारता का परिचय नहीं दिया । हम इसके लिए तैयार तो थे ही, सरकार ने कोई असाधारण बात नहीं की, लेकिन यह समझते थे कि यह सरकार भी उस काम की कुछ कद्र करेगी, जो पण्डित जी इस समय कर रहे थे, लेकिन, मालूम हुआ कि सरकार किसी तरह का सहयोग हमसे नहीं करना चाहती—

सैयाद की मर्जी है कि अब गुल की हवस में,
नाले न करे मुर्ग गिरफ्तार कफस में,

१९ फरवरी १९३४

बजट—१९३४

नयी राजनीति में बजट का वही स्थान है, जो जीवन में विवाह का और मरण में श्राद्ध का । इसी धुरी पर सारी मशीनरी चलती है । विवाह में आतशबाजियाँ भी होगी, जेवर भी बनेंगे, दावते भी होगी, नाच भी होगा, घर में रुपये हों या न हों । और

कोई सहारा न हो तो महाजन तो है ही। श्राद्ध में भी बरतन, कपड़े, चारपाई, हाथी, घोड़े और शालदुशाले सभी कुछ चाहिए। दुखी जजमान के पास है या नहीं, इससे प्रयोजन नहीं। महापात्र स्वर्ग द्वार का रक्षक है। जब तक उसे खूब सन्तुष्ट न किया जायगा, मृतात्मा प्रेत योनि में ही चक्कर खाती रहेगी। बजट में भी खर्च पहले रख लिया जाता है और तब उसे पूरा करने के लिए आमदनी का प्रबन्ध किया जाता है। आमदनी देखकर खर्च करना साधारण गृहस्थों का काम है। राजनीति में खर्च का तख्मीना करके आमदनी का जुगाड़ किया जाता है। अगर आमदनी काफी नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रजा पर नये कर लगाये जा सकते हैं। प्रजा भूक मारेगी और देगी। और कर भी होते हैं परोक्ष। चीनी पर कर बढ़ गया। चीनी अभी से मँहगी हो गयी। आप खुद चीनी खाना छोड़ सकते हैं लेकिन आपके घर में बच्चे हैं। वे शक्कर के बगैर एक दिन भी तो नहीं रह सकते। सबेरे उन्हें दूध के लिए शक्कर चाहिए, हलवे के लिए शक्कर चाहिए। आप मँहगी चीनी लेने के लिए मजबूर हैं। अगर आपको चीनिया बेगम का सदव्यसन है, तो बिना चीनी के आपको रात भर नीद न आवेगी। और ब्रह्मभोज के लिए भी तो दही चीनी आवश्यक है, नहीं तो पितरो की मुक्ति कैसे होगी? दियासलाई पर भी कर बढ़ गया। बस दूकानदारों ने उसकी कीमत दूनी कर दी। धेले की चीज पैसे की हो गयी। कर लगा बीस फी सदी, दाम बढ़ गया एक सौ फी सदी। अमीरों के लिए कोई बात नहीं। जहाँ दो आने की सलाइयों जला डालते थे, वहाँ चार आने की सही। गरीबों की मरन है। खर्च में किसी तरह कमी नहीं हो सकती। फौज पर पचास करोड़ खर्च होता है। उसमें एक पाई भी कमी नहीं हो सकती। फौज की सैनिक शक्ति कम हो जायगी। पुलिस के खर्च में तो किफायत हो ही नहीं सकती। जनता की आमदनी आधी हो गयी। सरकार का खर्च ज्यों का त्यों है। इसका अर्थ इसके सिवा और क्या है कि पहले से कगाल जनता अब और भी कष्ट भेले, और भी दाने को तरसे। उसके जीवन का उद्देश्य ही इसके सिवा और क्या है कि अपने हाकिमों की जेबें भरे। हाकिम तो हाकिम ठहरा। वह तो आराम से रहेगा, सरकार भी नीति और व्यवस्था की रक्षा करेगी। प्रजा को कष्ट होता है, तो हो। उसको सुनता ही कौन है। जमींदार उसका दुश्मन, साहूकार उसका दुश्मन, अहलकार उसका दुश्मन, फिर ऐसे अभागों पर सरकार ही क्यों दया करने लगी। चीनी पर कर बढ़ा, लेकिन किसान को क्या फायदा हुआ। मिल मालिक अपनी चीनो मँहगी बेचकर कमी पूरी कर लेगा। किसान कहीं का न रहा। सरकार अगर मिलों का नफा घटाना चाहती थी, तो उसे चीनी का निर्र्ख भी तय कर देना था और ऊख का दाम भी। मिल वाले तो मूछों पर ताव दे रहे हैं, पिट गये बेचारे गरीब गृहस्थ। सरकार का बस चलता, तो उसने अपने नमकखारों के वेतन को पाँच फी सदी कटौती भी पूरी कर दी होती। बहती गंगा में हाथ धोना था, न जाने क्यों चूक गयी। दस-पाँच लाख रुपये क्या जनता

से और न बसूल हो जाते । नमकखारो की दुआएँ मिल जाती । क्या इन्सानियत और शराफत है कि प्रजा की आमदनी तो आधी रह गयी, पर सरकार के कर्मचारी पाँच फी सदी सैकड़े की कमी नहीं सह सकते ।

और कहा जाता है, बजट बनाना बड़े दिमाग का काम है, और बजट को बराबर कर देना अर्थनीति का एक चमत्कार है । हमे तो इससे आसान कोई बात ही नहीं नज़र आती । आमदनी खर्च के तख्मीने से जहाँ कम हुई, चट से एक नया कर लगा दिया । इसमें रखा ही क्या है ? अर्थनीति की सफलता बजट के बराबर करने में नहीं है, प्रजा की दशा के सुधार में है । उसके कष्टों की कमी करने के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या यही नीति है कि छ सेर गेहूँ या चार सेर गुड के निर्र्ख पर जो लगान लिया जाता था, वही सोलह सेर गेहूँ और बारह गुड के निर्र्ख पर भी लिया जाय ? सरकार क्यों नहीं सोचती कि उस वक्त का एक रुपया आज के कैरुपयों के बराबर है, मगर वह क्यों इस झूट में पड़े । मन भर का गेहूँ विके तब भी किसान खेत जोतेगा और सरकार को तब भी लगान देगा । बला से वह भूखो मरेगा, नगा रहेगा, उसके बच्चे दाने-दाने को तरसेगे । उसमें कष्ट सहने की अपार शक्ति है । और केवल जबान से नहीं, अन्न करण से । उसका भाग्यवाद सरकार का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर है । वह अपने मरते हुए बालक के लिए एक पैसे की दवा भी नहीं खरीद सकता । जाड़े में ठिठुरता रहे, एक कम्बल नहीं ले सकता, लेकिन लगान के रुपये सौ जतन से छिपाये रहता है, ताकि जमींदार की गाली और डंडे न खाने पड़े । आराजी से बेदखल न होना पड़े । जहाँ ऐसी जनता हो, वहाँ बजट को बराबर करना क्या मुश्किल है, मगर एसेम्बली में भी और कौंसिलो में अर्थ विभाग के अध्यक्ष को उनकी कल्पनातीत सफलता पर खूब-खूब बधाइयाँ दी गयी और खूब-खूब कसीदे पढ़े गये । और यह उस वक्त तक होता रहेगा, जब तक इन सभाओं में काँग्रेस का बहुमत न होगा ।

१२ मार्च १९३४

सर मानिक जी दादाभाई की कदरदानी

हिज एक्सलेसी वायसराय को काउंसिल आफ स्टेट के प्रेसीडेंट सर मानिक जी दादाभाई ने उस दिन एक पार्टी में जो खुशन्दी की सनद प्रदान की, उसकी शायद वायसराय को बिलकुल ज़रूरत न थी और न उससे वायसराय को कोई खास आनन्द मिला होगा, चाहे सर दादाभाई फूले न समाये हो । स्वामी अपने नौकर के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न नहीं होता और अगर वह प्रसन्न भी हो, क्योंकि आदमी को अपने कुत्ते का दुम हिलाना भी अच्छा लगता है, पर स्वामी के मुख पर

उसकी भटई करना सेवक को शोभा नहीं देता । हम आप से पूछते हैं भारत में ऐसी कौन-सी बगावत फ़ैली थी, जिसे वायसराय ने आकर शान्त कर दिया । भारत की दुखी आत्मा एक ऐसी व्यवस्था के लिए फरियाद कर रही थी जिसमें उसकी कुछ भी आवाज हो, वह ऐसे प्रतिनिधि शासन के लिए सवाब का हाथ फ़ैला रही थी, जिसमें उसकी दशा इतनी नगण्य न हो, वह राष्ट्रों की सभा में वही स्थान प्राप्त करना चाहती थी, जो अन्य राष्ट्रों को प्राप्त है, वह अपने लिये आत्मोन्नति की वही सुविधाएँ चाहती थी जो अन्य सभी राष्ट्रों को मिली हुई हैं, वह केवल अपने शासकों से यह सिद्धात मनवाना चाहती थी कि हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के लिए है । केवल देश की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था को इस तरह सुधारना चाहती थी कि धन का यह प्रभुत्व दूर हो जाय और भारत और ब्रिटेन में शासक और शासित सम्बन्ध न रहकर मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो जाय । किसी वायसराय की तारीफ़ इसमें थी कि वह भारत को उसके लक्ष्य के समीप पहुँचा देता । दमन से उसका मुँह बन्द कर देना, तो कोई बड़ी तारीफ़ की बात न थी और एक दरिद्र, निरस्त्र, निरीह प्रजा को कुचल डालने में क्या गौरव है, हम यह नहीं समझ पाते । नमक हलाली बहुत अच्छी चीज है, बेशक, लेकिन औचित्य को क्यों भूलो ।

१२ मार्च १९३४

जेल के नियमों में सुधार

बाबू शिवप्रसाद गुप्त देश के उन सर्वमान्य पुरुषों में हैं, जिन्होंने लक्ष्मी पुत्र होकर भी राष्ट्र के लिए बड़े से बड़े त्याग किये हैं । आप ने हाल में “जेल के नियमों में सुधार” नाम का एक पैम्फ्लेट प्रकाशित कराकर जनता का ध्यान उन बुराइयों की ओर खींचा है, जो हमारे जेलों के लिए कलक है, और कुछ ऐसी योजनाएँ पेश की हैं जिनसे जेलों की दशा बहुत कुछ सुधर सकती है । ससार के प्रायः सभी देशों में यह सिद्धात मान लिया गया है कि जेल मनुष्य की दुर्बलताओं के सुधारने का एक साधन मात्र है, जिसमें एक नियतकाल तक रहने के बाद आदमी समाज का उपयोगी अंग बन सके, इसी सिद्धात के अनुसार जेलों के प्रबन्ध में भी इसलाह कर दी गयी है । भारत में अभी तक जेल मनुष्य को कष्ट देने का स्थान समझा जाता है, और इसी दृष्टि से कैदियों के साथ अशुभ व्यवहार किया जाता है । बात-बात पर गाली और मार, जरा-जरा से कसूर पर लम्बी बेडी और काल कोठरी, खराब से खराब खाना, जलील से जलील कपड़ा यह हमारे जेलों की विशेषताएँ हैं । गुप्त जी का प्रस्ताव है कि जेलों को कारखाना समझा जाय और कैदियों को कुछ हुनर सिखाये जाय और उनके काम में

मजदूरी दी जाया करे। खाने का खर्च निकाल कर जो बचे वह कैदी को अपनी इच्छा-नुसार खर्च करने का अधिकार रहे। आपने खाने, कपड़े, बरतन, शिक्षा, मनोरंजन, व्यायाम आदि के विषय में ऐसे प्रस्ताव किये हैं, जो थोड़े से ज्यादा खर्च से जेलों की कायापलट कर सकते हैं। गुप्त जी को कई बार जेल यात्रा का गौरव प्राप्त हो चुका है, और उन्होंने जो योजनाएँ पेश की हैं, वे उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं और यदि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण बदल जाय, तो और सारी बातें बड़ी आसानी से पैदा हो जायेगी।

१२ मार्च १९३४

बेकारी कैसे दूर हो

देश के सामने इस समय सबसे भीषण समस्या बेकारी है, विशेष करके शिक्षित वर्ग के। वायसराय साहब ने हाल में युनिवर्सिटी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस विषय में जो विचार प्रकट किया, उससे आशा होती है कि शायद सरकार कोई क्रियात्मक आयोजन करे। आपने कहा, कितने ही होनहार छात्र तरह-तरह के कष्ट भेलकर ऊँची से ऊँची परिच्छाएँ पास करते हैं, पर अपनी योग्यता का कोई उपयोग न पाकर निराश हो जाते हैं, और अक्सर बहक जाते हैं। युक्तप्रान्त की सरकार ने कुछ दिन हुए बेकारी के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी थी, उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गयी है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या की ओर से हमारे हुक्काम गाफिल हैं, लेकिन यह हो रहा है कि रोज कर्मचारियों को छाँट कर अलग किया जा रहा है। हजारों आदमी इस तरह बेकार हो गये। उधर नयी-नयी कले निकलती आ रही हैं, जिनसे आदमियों का काम बड़ी क्फायत से मशीनों द्वारा हो जाता है। अगर कहा जाय कि ऐसी मशीनें देश में आने ही न पाये तो दूसरे मुल्कवाले अपनी चीजे यहाँ भर देगे और हम उनसे मुकाबला न कर सकेगे। फिर सरकारी नौकरो के वेतन इतने ऊँचे रखे गये हैं कि युवको को कम आमदनी की जगह जँचती ही नहीं। सभी नौकरियों पर टूटते हैं। फिर बेकारी कैसे दूर हो। उद्योग-धन्धे खोलिये, लेकिन यहाँ भी बाहर की चीजों से मुकाबला है। फिर वही संरक्षण का प्रश्न आता है। माल की खपत नहीं होती और पूँजी भी गात्रव हो जाती है। इस बेकारी का एक ही इलाज है और वह स्वराज्य है। तभी नये-नये उद्योग-धन्धे खोले जा सकते हैं, वैज्ञानिक उपायो से पैदावार बढ़ायी जा सकती है, जहाजी कम्पनियाँ खोली जा सकती हैं। वर्तमान परिस्थिति में तो बेकारी का कोई इलाज नहीं नज़र आता।

१२ मार्च १९३४

चर्चिल पार्टी का नयी चाल

चर्चिल पार्टी ने अपने दो प्रतिनिधियों को इसलिए भारत भेजा है कि वे यहाँ आने वाले विधानों के विषय में जनमत की ठीक-ठीक पता लगाकर उस पार्टी के अग्रेजी समाचार पत्रों को नया मसाला दें। कई महीने पहले इंडियन डेलीगेशन आया था। शायद यह उसका जवाब है। डेलीगेशन ने भारतवासियों में मिलकर भारत के दृष्टिकोण को समझने की चेष्टा की थी। यह दोनों सज्जन जिनमें एक साहब बर्बई के गवर्नर रह चुके हैं, शायद तस्वीर का दूसरा हक दिखाने की चेष्टा करेंगे। भारत में आज भी ऐसे जीव पड़े हुए हैं, जो राजा और ईश्वर को एक समझते हैं, और प्रजा को राजा के काम में दखल देने का कोई हक ही नहीं देना चाहते। फिर ऐसे गोरे हुक्काम की भी कमी नहीं है, जिन्हें श्वेत पत्र के नाम से ही लज्जा चढ़ आता है। हालाँकि जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है उसने श्वेत पत्र मसिया पढ़ दिया और उसका आना न आना बराबर समझता है। बल्कि बहुमत तो उन्हीं राजनीतिज्ञों का है, जिनकी धारणा है कि तब भारत और भी पराधीन हो जायगा, मगर ये दोनों महानुभाव उम मुर्दे को मारने के लिए राजाओं, खुशामदियों और अफमरों की राये सग्रह करके अग्रेजी अखबारों में छपवायेंगे। यह है राजनीति !

१६ मार्च १९३४

होम मेम्बर साहब की शीरीं बयानी

यू० पी० सरकार के होम मेम्बर कुँअर जगदीश प्रसाद साहब ने तो पुलिस को अल्लामियाँ की गाय ही बना कर खडा कर दिया, मानो पुलिस विभाग का सारा दृष्टिकोण बदल गया है और अब वह अपने को प्रजा का सेवक समझती है। सेठ जी और मुनीम जी में बड़ा फर्क होता है। सेठ जी तो साक्षात् कर्ण के अवतार हैं, लेकिन मुनीम जी के खजाने में कुछ है ही नहीं तो बेचारे सेठ जी क्या करें। बड़े लोगों का यही धर्म है। वे दिल में समझते हैं कि जबानी जमा खर्च है, तो जितने उदार चाहो बन जावो, न्याय और सेवा की जितनी दुहाई दे सको दो, सत्य तो जो है, वह है ही। हमारा तो म्याल है अगर यहाँ की पुलिस सुधर जाय तो जनता को तीन चौथाई स्वराज्य मिल जाय। पुलिस ने हमेशा जनता पर आतंक जमाया है और आज भी जमा रही है। रिश्वत फौजदारी और अदालत में भी हैं, और काफी हैं, लेकिन यहाँ तो खुदा की पनाह कोई बारदात भर होनी चाहिए, बस फिर क्या पूछना, पाँचों घी में है। मोहल्ले या हलके में कोई खून हो जाय, कोई डाका पड़ जाय, बस, थैलियाँ चढ़ने लगती हैं। रिपोर्ट की लिखायी

तो मानो सरकारी टैक्स है, देना ही पड़ेगा। पुलिस के चक्कर में पड़कर शायद ही कोई बच सके। होम मेम्बर साहब अगर पुलिस को उसी आदर्श पर ला सके जिसका आपने अपने भाषण में जिक्र किया और पुलिस कर्मचारियों के दिमाग में यह बात जमा दे कि तुम प्रजा के स्वामी नहीं सेवक हो, तुम्हारा काम प्रजा पर शासन करना और उसे लूटना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है तो वे अपना नाम अमर कर जाँय।

१६ मार्च १९३४

बर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने

बर्मा को भारत से अलग करने के लिए गवर्नमेन्ट की ओर से रोज नये-नये बहाने गढ़े जा रहे हैं। भारत, बर्मा का सारा धन खींचे लिये आता है। यहाँ के मजदूर बर्मा के मजदूरों का काम छीने लेते हैं, यहाँ के व्यापारी वहाँ के व्यापारियों का व्यापार छीन लेते हैं। इसलिए बर्मा का भारत के चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे भारत से अलग कर दिया जाय। फिर देखिए ब्रिटेन किस तरह उसकी रक्षा करता है। भारत का एक मजूर या व्यापारी तो वहाँ रहने न पायेगा। यह तो निश्चित है कि विच्छेद होते ही भारत की चिड़िया भी वहाँ पर न मार सकेगी, लेकिन इसमें बर्मा वालों का कोई उपकार होगा, इसमें सदेह है। देखना है, बिल्ली कहाँ तक दूध की रखवाली करती है। अगर भारत को यह विश्वास हो जाय कि बर्मा का विच्छेद होते ही उसके सारे व्यवसायिक साधनों पर, सारे ओहदों पर, बर्मावालों ही का अधिकार होगा, और अंग्रेज व्यवसायों और विशेषज्ञ वहाँ न घुसने पायेंगे तो शायद भारत को विच्छेद स्वीकार करने में आपत्ति न होगी, मगर यही तरावट तो विच्छेद की जड़ है।

२६ मार्च १९३४

कमांडर इनचीफ़ साहब का व्यंग

एसेम्बली में फौजी बजट पर जो बहस हुई उसमें हर साल की तरह अबकी भी फौजी खर्च कम कर देने का प्रस्ताव था। यह कहा गया कि भारत में ज़रूरत से ज्यादा फौज है और उस पर ज़रूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। जगी लाट साहब ने बड़ी स्पष्टवादिता से काम लिया और मेम्बरों को करारी डाँट बतायी—तुम लोग जगहों के लिए, नौकरियों के लिए तो आपस में लड़ मरते हो, उस पर कहते हो फौजी खर्च कम करो, तुम एक राष्ट्र हो जाओ, फिर देखो हम कितनी जल्द खर्च घटा देते हैं। इस पर

अवश्य ही मेम्बरो की जबान बंद हो गयी होगी। क्रिमका साहस था कि बोलना ? सरकार की नजर मे हम हिन्दू है, मुसलमान है, ईमाई है, सिख है, अछूत है, भारतीय तो कही नजर नही आता। सरकार ने अपनी ग्राँखो पर जो साम्प्रदायिक परदा डाल लिया है, उसमे उसे विस्तृत भारत कैसे नजर आ सकता है।

२६ मार्च १९३४

काँग्रेस का सरकार से सहयोग

बिहार मे महात्मा गांधी ने रिलीफ कमेटी के जलसे मे सरकार से सहयोग का जो प्रस्ताव रखा और उसके समर्थन मे जो भाषण दिया और सभी नेताओ ने जिस उदारता से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि काँग्रेस केवल असहयोग नही करना चाहती, और जिन कामो मे वह सरकार से सहयोग करने मे देश का कल्याण समझती है, उनमे हाथ बढाने के लिए सदैव तैयार रहती है। काँग्रेस ने देश हित को प्रधान रखा है। हरेक नीति को इसी कसौटी पर कसकर वह अपनी राय कायम करती है। इस वक्त पीडित बिहार का प्रश्न है। इस वक्त भी अगर हम अपने राजनैतिक या साम्प्रदायिक भेदो को न भूल सकें, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

२६ मार्च १९३४

देहली में काँग्रेस नेताओं का सम्मेलन

काँग्रेस के कुछ नेताओ ने कलेजा मजबूत कर दिल्ली मे एक सम्मेलन कर काउंसिलो मे जाने के प्रश्न पर विचार कर डाला, मगर कुछ इस तरह डरते-डरते मानो कोई अपराध करने जा रहे हो। सबसे बडा अपराध तो पराधीन होना है, और उससे कुछ घटकर कमजोर और असंगठित होना। जब ये दोनो महान अपराध हम कर रहे है, तो फिर काउंसिल मे आने के छोटे से अपराध के लिए इतना सोच विचार क्यों। इस पराधीनता की दशा मे हम असहयोग कर भी सकते है ? उतना साहस भी हम मे है ? टैक्स हमसे जबरदस्ती लिये जाते है, हम देना चाहे या न देना चाहे। फिर क्यों मन को यह नही समझा लिया जाता कि हमे काउंसिल मे आने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। हम अपनी खुशी से नही, जबरदस्ती लाये जा रहे है। जब हम सरकारी

अदालतों में जाकर वकालत करते हैं, जब हम सरकार के खोले हुए विद्यालयों में पढ़ना बुरा नहीं समझ सकते, जब हम रेल, तार, डाक, सड़को, जहाजों से काम लिये बगैर नहीं रह सकते, जब दिन के चौबीस घंटों में हम बराबर सरकार से सहयोग करते रहते हैं और सरकार का खजाना भरते रहते हैं, यहाँ तक कि घर में कोई बारादात हो जाने पर हम सरकारी पुलिस के पास दौड़ते हैं, तो काउंसिल में जाना किस नीति से बुरा है, यह हमारी समझ में नहीं आता। काउंसिलों के बाहर रहकर भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है, पर वहाँ भी हमें सरकार से सहयोग करना पड़ेगा। बिहार में हम किसी दशा में भी सरकारी सहयोग से अपने को नहीं बचा सके। हम तो समझने हैं सारा भारत बिहार हो रहा है और ऐसी दशा में अगर हम काउंसिलों में जाकर कोई फायदे का काम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कहा जाता है काउंसिलों में जाकर हमने इतने दिनों में क्या कर लिया? लेकिन काउंसिलों में न जाकर ही हमने क्या कर लिया? हाँ, अगर कुछ किया, तो यह किया कि बीसों ही ऐसे कानून पास करा दिये, जो शायद कांग्रेसवालों के काउंसिलों में रहते हुए इतनी आसानी से पास न हो सकते। गुड खाने और गुलगुलो से परहेज करनेवाली नीति बहुत कुछ अच्छी नीति नहीं है।

६ अप्रैल १९३४

सच्ची बात कहने का दंड

आगरा के सब-जज प० रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी ने एक मुकदमे के फैसले में यह लिखा है कि ऐंग्लो-इंडियन शासक जाति का अंग है, इसलिए वह हिन्दुस्तानी से ज्यादा इज्जतदार है। इस पर समाचार-पत्रों में त्रिवेदी साहब पर खूब बौछारे पड़ रही हैं। हम नहीं समझते, त्रिवेदी जी ने एक सच्ची बात कह दी तो क्या अपराध कर दिया। कोई ज्यादा दुनियादार जज कभी ऐसी बात न लिखता, यह ठीक है, लेकिन करता वही जो त्रिवेदी साहब ने किया। और यह बात कौन नहीं जानता। कदम-कदम पर यह सत्य हमें ठोकर जमाता रहता है। हमें त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने दिल की बात खोल कर कह दी। सहयोगी “आज” ने बहुत ठीक अनुमान किया है कि आप कोई सनातनी महोदय हैं, जो शासकों को देवता समझते हैं और उनके कुत्तों के सामने दुम हिलाते हैं, क्योंकि ऐसी मार्क की बात किसी सनातनी खोपड़ी ही से निकल सकती है, और ऐसे लोग हमारे यहाँ सब-जज बना दिये जाते हैं। लेकिन, सम्पादक लोग जितना चाहे नाक-भौं चढ़ा लें, त्रिवेदी जी की रायबहादुरी रखी है, अगर अब तक नहीं मिल चुकी है, और शायद ग्रेड भी जल्द ही मिले। अगर कोई हिन्दुस्तानी किसी ऐंग्लो-इंडियन के हाथों कत्ल कर दिया गया होता, तो त्रिवेदी जी इसी दलील से

अवश्य ही मुजरिम को बरी कर देते, क्योंकि शासक जाति को यह अधिकार है कि जिस हिन्दुस्तानी को चाहे जान से मार डाले। शासित की जान का मूल्य ही क्या? धन्य है भारत, जहाँ ऐसे-ऐसे सपूत पैदा होते हैं।

६ अप्रैल १९३४

सर्वशक्तिमान पुलीस

यह तो हम अपने अनुभव में जानते हैं कि जब कोई अखबार निकलता है, तो पुलीस द्वारा उसके संचालको की जाँच होती है, जब तक पुलीस की सर्टीफिकेट न हो,, कि यह आदमी खतरनाक नहीं है, और हमारे काले रजिस्टर में इसका नाम नहीं है तब तक गाडी रुकी रहती है, लेकिन अब मालूम हुआ कि मुसिफो को भी पुलीस के सर्टीफिकेट के वगैर नौकरी नहीं मिल सकती। किसी को अगर मुसिफी लेनी है, तो उसे पुलीस के अधिकारियों की खुशामद करनी चाहिए। ऐसा आदमी अदालत की कुर्सी पर बैठकर प्रबन्ध-विभाग के विरुद्ध फ़ैसला देने के पहले खूब सोचेगा। वह जानता है कि जिन कर्मचारियों की सनद पाकर उसे यह आश्रय मिला है, उनका रोब और दबाव मानते रहने में ही उसकी खैरियत है। न्याय का एक खास मिद्दात यह है कि जब तक किसी के विरुद्ध प्रमाण न हो, उसे निर्दोष समझो। हमारी सरकार का सिद्दात कुछ और है। वह यह कि जब तक किसी की जाँच न कर ली जाय, वह विश्वास के योग्य नहीं।

६ अप्रैल १९३४

ठेलम ठाला

कायदा है, हम से कोई बात बिगड जाती है, तो हम एक दूसरे को इलजाम देकर अपने मन को समझा लिया करते हैं। एक कहता है, तुम्हारी गलती थी। दूसरा कहता है जी नहीं, यह आपकी हिमाकत थी। अगर अच्छी दुलहिन घर में आ गयी है, तो दूल्हा भी खुश, ससुर भी खुश, टोला पडोस के लोग भी खुश, दहेज कुछ कम भी मिला तो क्या गम, बरातियों का सत्कार जैसा चाहिए, वैसा नहीं हुआ, वैसा क्या, उसका आधा भी नहीं हुआ, तो कोई गम नहीं, बहू अच्छी है, सुघड है, सुशीला है, लेकिन खुदा न खासता बहू काली हुई, या कानी हुई, या लंगडी हुई (क्योंकि ब्याह तकदीर का खेल है और तकदीर में तदबीर का क्या बस) तो कुछ न पूछिये, बस समझ

लीजिए कि गजब हो गया । सास अपने पति को इलजाम देती है, पति पंडित जी के सिर इस जिम्मेदारी को ठेलते हैं, पंडित जी लाला जी के सिर जो बीच में पड़े । चारों तरफ से ठेलम ठेल शुरू हो जाती है । इलजाम का बोझ खुदा जाने कितना भारी होता है कि कोई उसे अपने ऊपर एक क्षण भी नहीं रखना चाहता । टेनिस के गेद की तरह उसे सामने आते ही दूसरे की तरफ ठेल देना ही हमारा धर्म है । यह बात नहीं कि इस इलजाम को कहीं आश्रय नहीं मिलता । मिलता है, लेकिन वही, जहाँ उसे ठेलने की शक्ति नहीं होती । किसी गरीब के सिर सारी जिम्मेदारी डालकर हम अपना दिल हलका कर लेते हैं । बहू में कोई फर्क नहीं हुआ । उसका रंग जरा भी नहीं खुला, न वह मृग-नयनी बनी, न हस-गामिनी । बेचारा दूल्हा एकान्त में बैठा अपनी नसीब ठोक रहा है; घर से भाग जाने का मसूबा बाँध रहा है, लेकिन घर के लोगो ने नाई पर इलजाम रख कर शांति प्राप्त कर ली ।

काँग्रेस में भी आजकल कुछ वैसी ही ठेलम ठाल हो रही है । महात्मा गांधी सत्याग्रह के असफल होने की सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर रखते हैं, कार्यकर्ता इसे उनकी ज्यादाती बता कर अपनी जिम्मेदारी को उन पर ठेलते हैं । अगर स्वराज्यों की सुघड़ सुशीला बहू घर में आ जाती, तो आज सब के सब बगले बजाते, महात्मा जी घर-घर राम और कृष्ण की तरह पूजे जाते, कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ मिलती । मगर बहू आयी अन्नगुणो का सागर, कलह की खान, तमाखू का पिंडा । फिर क्यों न ठेलम ठाल मचे । हार में हमें अपनी कमजोरियाँ सूझती हैं, जीत में अपनी खूबियाँ ।

काउंसिल में जाने की नीति को आशीर्वाद देकर महात्मा जी ने वही किया, जो एक कुशल सेनापति का धर्म है । नयी हालतों के साथ सेनाओं की चाल में अदल-बदल होना ही चाहिए । काँग्रेस में जो एक निर्जीविता आ गयी थी, उसे दूर करने की इसके सिवा दूसरी तदबीर न थी । काँग्रेस के तामोरी काम हैं लेकिन उनकी श्रौर काँग्रेस में कोई उत्साह नहीं है । कुछ तो सरकारी बाधाएँ हैं, कुछ अपनी असुविधाएँ । काँग्रेस में आत्म-विश्वास की कमी आ गयी थी, जो हरेक दशा में घातक होती है । इसलिए जो काउंसिल में जाकर देश का कुछ हित कर सकते हैं, उन्हें इसकी आजादी होनी चाहिए थी, लेकिन महात्मा जी ने काँग्रेस के नेताओं पर सत्याग्रह सिद्धांत को गलत रूप में जनता तक पहुँचाने का इलजाम लगाकर व्यर्थ ही उनकी दिल-शिकनी की । राजनीति को अघ्यात्म के तल पर उठा ले जाना और अघ्यात्म के सिद्धांतों से उसे चलाना दुनिया के लिए एक बिलकुल नया तजरबा था । उसे सफल होने की आशा कम, असफल होने का भय ही अधिक था । महात्मा जी को खुद आज से तेरह साल पहले सोच लेना चाहिए था, कि जिन लोगो के हाथ में हम यह अमोघ अस्त्र दे रहे हैं, वे इसे चला भी सकते हैं या नहीं । अगर उस वक्त उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझने में गलती की, तो

इसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर सोलहो आना क्यों रखी जाय। कार्यकर्ताओं ने अपनी बुद्धि और पहुँच के अनुसार उस अस्त्र को चलाने की कोशिश की। क्या महात्मा जी ने उस वक्त यह समझा था कि ये सभी देवता हैं? अगर वह मानव स्वभाव से इतने बेखबर है, तो यह उनका कसूर है जो एक राष्ट्र के नेता में बहुत बड़ा कसूर है। वह आज भी कह रहे हैं कि मैं सत्याग्रह के प्रयोग में निपुणता प्राप्त कर रहा हूँ, उनमें भी यह क्रिया अभी जारी है, फिर साधारण बुद्धि के कार्यकर्ताओं में आज से चौदह साल पहले वह निपुणता कैसे आ जाती। और जब इतने समय और व्रत के बाद भी आज उस पद को वह नहीं प्राप्त कर सके, तो जाहिर है कि किसी युग में भी इस सिद्धांत के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में नहीं हो सकते। शिक्षित समाज ने इस वक्त महात्मा जी को समझने में गलती की, तो वे चम्य हैं। महात्मा जी गोरी जाति से सत्याग्रह की लड़ाई में विजयी होकर लौटे थे। उनके त्याग, विचार और देवत्व का हाल पत्रों में पढ़-पढ़ कर सारे देश को उनसे श्रद्धा हो गयी थी। जब उन्होंने राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ली, तो राष्ट्र ने अपने को घन्य समझा, और अपनी आत्मा का उनके हाथ में देकर खुद उनके पीछे चलने में ही राष्ट्र का हित समझा। विचार एक दुर्लभ वस्तु है और बिरलो ही के हिस्से में आती है। महात्मा जी जैमा दिमाग पाकर, फिर कौन सोचता और क्या सोचता? क्या यह संभव नहीं कि उस विजय ने महात्मा जी में भी आत्म विश्वास की मात्रा कुछ बढ़ा दी हो और चूँकि साधारण बुद्धि के कार्यकर्ताओं से उन्होंने विजय पायी थी, उसी कोटि के मनुष्यों पर उन्होंने विश्वास कर लिया हो। यह हम कभी नहीं मान सकते कि दक्षिण अफ्रिका के कार्यकर्ता सब के सब ऊँचे दर्जे के अध्यात्म के सिद्धांत को समझनेवाले आदमी थे। यह स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती कि हमारा शिक्षित वर्ग सत्याग्रह को उतना भी नहीं समझता, जितना अफ्रिका वालों ने समझा था। महात्मा जी ने अपने आन्दोलन की कमजोरी को स्वीकार करके अपना नैतिक साहस अवश्य दिखलाया है, लेकिन उसके असफल होने का इलजाम कार्यकर्ताओं के सिर मढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं थी। जिन लोगों ने तेरह साल तक हर तरह की कठिनाइयाँ झेल कर, अपने को तबाह करके, अपने स्वार्थ को मिटाकर इस आन्दोलन को चलाया, उनसे अब यह कहना कि तुम इस काम के योग्य नहीं, और सुम्हारी कमजोरी से यह आन्दोलन फेल हो गया, उनका दिल दुखाना है। यह क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता कि जिस स्वराज्य के लिए लड़े उसकी इच्छा अभी देश में इतनी बलवती नहीं हुई है कि बाधाओं का सफलता के साथ सामना कर सके। अब यह मान लेना पड़ेगा कि जिस चीज को महात्मा जी भीतर की आवाज़ कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि उसके गलत होने की संभावना नहीं, वह बहुत भरोसे की चीज नहीं है, क्योंकि उसने एक से ज्यादा अवसरों पर गलती की है। भविष्य में हमें राजनीति को राष्ट्रहित की दृष्टि से देखना होगा। हमें ऐसे आदमियों को वाउंसिल में

भोजना होगा, जिनके त्याग, साहस, ईमानदारी और सेवाओं का हमें परिचय मिल चुका है, और इसी से हम अपनी मजिल पर पहुँचेंगे ।

१६ अप्रैल १९३४

लारकाना में हथियारों की ज़रूरत

हथियारों के लाइसेंस देने में सरकार की नीति दिन-दिन कठोर होती जाती है । कितने ही लाइसेंस जब्त हो गये । जब तक सरकार का कोई खैरख्वाह न हो और जिस पर सरकार को पूरा विश्वास न हो, किसी को लाइसेंस नहीं मिलता । देहातो में तो मीलो तक शायद कोई राइफल नजर ही नहीं आती । लुटेरों और डाकुओं ने जगह-जगह जनता के इस निहत्थेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और पत्रों में अक्सर दिन दहाड़े सशस्त्र डाकों की खबरें आती रहती हैं, खास कर देहातो से, जहाँ पुलिस कास्टेबल महीने में एकबार केवल गाँव में चक्कर लगा आता है, या जब कोई वारदात हो जाती है और प्रजा को शिकजे में कसने का कोई अवसर आता है तो दरोगा जी अपने दलबल के साथ मेहमानी खाने और नजराना वसूल करने के लिए जा पहुँचते हैं । और कभी पुलिस की सूरत वहाँ नजर नहीं आती । लारकाना सिध का एक जिला है और इधर उस इलाके में कई सशस्त्र डाके पडे । आखिर जिला मजिस्ट्रेट को यह एलान करना पडा है कि वह लाइसेंस के मुआमले में अब ज्यादा रियायत से काम लेंगे । यह तो लारकाना की बात हुई, मगर कमोबेश सारे देश में यही दशा है । सरकार ही अगर प्रजा को अपनी रक्षा करने के साधनों से वंचित करती है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं उसकी रक्षा का जिम्मा ले, प्रजा को हथियार से काम लेना सिखाये और उनमें ऐसा सगठन पैदा करे कि वे अवसर पडने पर अपनी रक्षा कर सकें । किसी आदमी को कैद करने पर उसके भोजन की जिम्मेदारी कैद करनेवाले पर आ जाती है । और हमारी सरकार हमारे हथियार तो छीन लेती है, पर हमारी रक्षा का जिम्मा नहीं लेती । जब डाका पड़ जाता है, दो-चार गरीबों की जान चली जाती है, तो पुलिस तहकीकात करने जा पहुँची है । गाँव के निहत्थे किसान सशस्त्र डाकुओं के सामने बेबस हो जाते हैं और लाठियों से बन्दूकों का मुकाबला करके अपनी जानें गँवाते हैं । हमें भय है कि अगर सरकार की लाइसेंस-नीति यही रही और प्रजा पर उसका यही अविश्वास रहा, तो ये उपद्रव और बढ़ेंगे और देहात में किसी खुशहाल आदमी का रहना कठिन हो जायगा ।

२३ अप्रैल १९३४

आनेवाला चुनाव और काँग्रेस

यह तो अब करीब-करीब तय हो गया है कि यह एसेम्बली अब कुछ दिनों की मेहमान है। नयी व्यवस्था के आने में अभी कम से कम दो साल की देर है। इतने दिनों इस बेजान एसेम्बली को जिलाये रखना शायद सरकार भी न पसंद करे। स्वराज्य पार्टी के खौफ से अभी से खुशामदी और हवा का रुख देखकर चलनेवाले मेम्बरो में तहलका पड़ गया है और शायद आनेवाले चुनाव में वे लोग बदल-बदल कर फिर पब्लिक के सामने आये और लम्बे-चौड़े वादे करें, लेकिन, शायद पब्लिक अब इतनी नादान नहीं है कि वह ऐसे क्रौम फरोश मेम्बरो पर विश्वास करे, जिन्होंने सरकार के विश्वास और कृपा पात्र बने रहने की युग में ऐसे-ऐसे कानून बना डाले, जो लज्जास्पद कहे जा सकते हैं। हमें अब कौंसिलो और एसेम्बली में ऐसे स्वार्थी, कमजोर, अकर्मण्य मेम्बरो को भेजने की जरूरत नहीं। हमें अब मेम्बरो को चुन कर भेजना होगा, जिन्होंने अपनी सेवा, निडरता और निस्वार्थता का सबूत दे दिया है, जो प्रजा हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने में भी नहीं हिचके। वही लोग आजादी की लड़ाई में हमारे सिपहसालार बन सकते हैं। जो लोग एक ओहदे, एक चाय की प्याली या एक खिताब के लिए कौम का गला घोट सकते हैं, वह हरगिज इस लायक नहीं है कि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे। स्वराज्य पार्टी के ऊपर भी इस वक्त जो जिम्मेदारी, आशा है, वे उसे समझ रहे होंगे। उन्हीं के त्याग और साहस पर कौम को भरोसा है। सभी खट्टर पहनने वाले और जेल जानेवाले देवता नहीं हैं। उनमें भी अक्सर बड़े-बड़े हथकड़े बाज लोग शामिल हैं, जो जेल भी किसी न किसी स्वार्थ से ही गये थे। यह स्वराज्य-पार्टी की इज्जत का सवाल है और उसे मुरौब्वत या तरफदारी के भंवर से बचाकर अपनी नाब खेनी पड़ेगी।

२३ अप्रैल १९३४

पोर्चुगज़ पूर्वी अफ्रिका

पूर्वी अफ्रिका में पुर्तगालवालों के अधीन भी एक प्रान्त है। किसी जमाने में पुर्तगाल का रुंसार में वही स्थान था, जो आज ब्रिटेन का है। दक्खिन अमेरिका और अफ्रिका में उसके बड़े-बड़े राज्य थे पर अब वह सब राज्य उसके हाथ से निकल गये हैं, केवल पूर्वीय अफ्रिका में कुछ इलाका रह गया है। अफ्रिका के अन्य प्रान्तों की तरह वहाँ भी हिन्दुस्तानियों की थोड़ी-सी आबादी है। २५०० से अधिक नहीं, लेकिन

वहाँ उनके साथ किसी तरह का भेद भाव नहीं रखा जाता, गोरे काले में कोई अन्तर नहीं है। स्कूल में, व्यापार में, सरकारी ओहदों में, वोट के अधिकार में, न्यायालयों में, उनका दरजा शासक जाति के बिलकुल समान है। इसका नतीजा यह है कि वहाँ जो हिन्दुस्तानी आबाद हैं वह बहुत खुशहाल हैं और दिन-दिन उन्नति कर रहे हैं।

वहाँ का व्यापार प्रायः हिन्दुस्तानियों के ही हाथ में है। और हिन्दुस्तानियों का पतंगाल से कोई सम्बन्ध नहीं। एक तरफ तो यह समता है, दूसरी ओर जहाँ अंग्रेजों की नौआबादियाँ हैं, वहाँ हिन्दुस्तानियों को कुत्तों से भी जलील समझा जाता है और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर किया जा रहा है। गत दस साल में कोई १४००० हिन्दुस्तानी वहाँ से निकाले जा चुके हैं, केवल इसलिए कि वे काले रंग के हैं और गोरे लोग कालों से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते। हालांकि इन्हीं भारतीयों ने उस मुल्क को रहने के लायक बनाया, मगर वही योरोप के अन्य देशों के लोग हर साल हजारों की संख्या में जाते और आबाद होते हैं। उनसे वहाँ के गोरे अंग्रेज बराबरी का सलूक करते हैं। अगर उनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, तो अन्तर्राष्ट्रीय उलझने पैदा हो जायें। गोरी जातियों में जब लडाइयाँ होती हैं तो काली सेनाओं की मदद से अपने शत्रुओं पर विजय पाना शर्म की बात नहीं है? लेकिन सुलह हो जाने पर गोरे-गोरे एक हो जाते हैं और कालों के साथ फिर वही पुराना सलूक किया जाने लगता है। अमेरिका जैसा सम्य और उन्नत राष्ट्र जब आज तक हबिशियों के इंसानियत का बर्ताव नहीं कर सकता, आज भी हबिशियों के साथ पशुओं का-सा सलूक किया जाता है, हालांकि हबशी जाति रहन-सहन, भाषा और वेश भूषा हरेक बात में गोरो ही के समान है, तो हिन्दुस्तानियों को उनसे क्या आशा हो सकती है, जो रंग, भाषा और रहन सहन में उनसे अलग है।

२३ अप्रैल १९३४

काँग्रेस की विधायक योजना

काँग्रेस को अभी तक विधायक योजनाओं की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। काँग्रेस जैसी राजनैतिक संस्था के लिए विधायक प्रोग्राम हाथ में लेना आसान नहीं है। किसी वक्त भी उससे सम्बन्ध रखनेवाली योजनाएँ सरकारी हुकम से बन्द की जा सकती हैं। पिछली बार इसके दस-पाँच आश्रम जो थे सब बन्द हो गये, यहाँ तक कि महिला आश्रम भी न बच सके। मगर इनमें से अधिकतर आश्रमों या शालाओं का प्रधान काम सत्याग्रह में भाग लेना या उसके लिए सिपाहियों को तैयार करना था।

विधायक प्रोग्राम तो उनका ऊपरी दिखावा था । अगर ईसाई मिशन या आर्य-समाज शिक्षा का इतना काम कर सकते हैं, तो काँग्रेस जैसी सस्था अगर दिल से चाहे तो इससे कहीं ज्यादा काम कर सकती है ! आर्यसमाज का काम खास कर शिक्षा से सम्बन्ध रखता है । उसके अनाथालय और विधवाश्रम भी हैं और शफाखाने भी देश की एक खास ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन किसानों में शिक्षा का प्रचार, सहयोग, पंचायत, तन्दुरुस्ती और सफाई, गो-पालन आदि सैकड़ों ऐसे काम हैं जिनसे राष्ट्र का बहुत कुछ उपकार हो सकता है और कोई सम्यता का दावा करनेवाली सरकार ऐसे विधायक काम में सहयोग देने के सिवा कुछ नहीं कर सकती । प्रश्न यही है, ऐसे आदमी काँग्रेस के पास हैं, जो मिशनरियों के जोश के साथ काम में लगे ? हमारे ख्याल में काँग्रेस के पास ऐसे-ऐसे नररत्न हैं, कि जो सेवा कार्य के लिए अपना जीवन तक अर्पण कर सकते हैं और कर चुके हैं । बस काँग्रेस के सरपंचों की ओर से इशारा मिलने की देर है । महात्मा गांधी ने विधायक प्रोग्राम की ओर ध्यान दिखाया, बेशक, पर काँग्रेस ने सत्याग्रह को ही महत्व का काम समझा, विधायक काम को उसकी नजर में कभी सम्मान नहीं मिला, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उन कामों को बुड़्डी औरत के लायक ही समझा । हमारा ख्याल है कि सत्याग्रह करके जेल जाने या गोलियाँ खाने में जो महानता है उससे कम किसी विधायक काम को अपने जीवन का ब्रत बनाकर उसके लिए मर मिटने में नहीं है । और प्रजा का हित जितना विधायक कामों से हो सकता है, इससे हम उनका जीवन जितना सुखी और इसलिए शक्ति-सम्पन्न बना सकते हैं, उतना राजनैतिक सुधारों से नहीं कर सकते । राजनीति का मनुष्य के जीवन में रुपये में एक आने से ज्यादा दखल नहीं होता, उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने इसे जीवन का काम बना लिया है । किसान के लिए लगान का अर्धा हो जाना उतना उपकार नहीं है, जितना अन्ध-विश्वास और मिथ्या रस्मरिवाजों से मुक्त होना या नशे से परहेज करना । आपस में जो कलह बढ़ता जा रहा है और लोगों में मुकदमेबाजी का जो चस्का पड़ता जाता है इसे रोकना, किसानों को कारिन्दों, पट्टारियों और दूसरे अमलों के जुल्म से बचाना उनकी इससे कहीं बड़ी सेवा है कि उनका लगान कुछ कम हो जाय । स्वराज्य हम चाहते ही किसलिए है ? इसीलिए तो कि हम राष्ट्र को ज्यादा सुखी और खुशहाल बना सके, इसीलिए तो कि हम विधायक कामों में ज्यादा धन खर्च करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें ? वरना राष्ट्र को स्वराज्य से और क्या फायदा ? जेम्स की जगह मि० नायडू के आ जाने से जनता का क्या उपकार होगा ।

३० अप्रैल १९३४

काँग्रेस की आर्थिक योजना

किसी नये धर्म या संघ की दीक्षा लेने के पहले, हम यह निश्चय कर लेते हैं कि उस धर्म या संघ की नीति क्या है, और दूसरे धर्मों से उसका क्या भेद है। जब तक यह निश्चय न हो जाय हम उस सम्प्रदाय में शामिल न होंगे। काँग्रेस के विषय में यह तो मालूम है कि वह अहिंसात्मक सिद्धांतों से स्वराज्य लेना चाहती है, लेकिन भारत के और सभी राजनैतिक दलों की भी यही गरज है। उनसे काँग्रेस किन बातों में भिन्न है? सत्याग्रह सिद्धांत में। दूसरे दलों के पास दलील, खुशामद, प्रार्थना और "सत्य की विजय होती है," इस अमर सिद्धांत के सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है। काँग्रेस अवसर पड़ने पर सत्याग्रह भी करती है, कानून भी तोड़ती है। दूसरा अन्तर यह है कि दूसरे दल डोमिनियन स्टेट्स तक ही जाकर रह जाते हैं, काँग्रेस पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य मानती है। अभी तक तो इन राजनैतिक लक्षणों ने काँग्रेस की विशेषता निभाही, लेकिन जब कि काँग्रेस ने सत्याग्रह बन्द कर दिया है, और डोमिनियन स्टेट्स या पूर्ण स्वराज्य केवल शब्दों का जजाल है, तो अब काँग्रेस और दूसरे दलों में क्या फर्क रहेगा? मि० सत्यभूति फरमाते हैं कि काँग्रेस के पास 'साहस' है जो और किसी दल के पास नहीं, लेकिन 'साहस' के बहुत से भिन्न-भिन्न रूप हैं। अगर अपने सिद्धांतों के लिए जेल जाने में साहस है, तो अपने सिद्धांतों के लिए जनता में जलील और बदनाम होना उससे कम साहस नहीं है। 'साहस' के बल पर 'साहस' वाली बात तो चलती नहीं और अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना कि 'साहस' के एक हमी ठेकेदार है, और सभी साहसहीन हैं, कुछ शोभा नहीं देता।

कहा जा सकता है कि काँग्रेस ने हमेशा गरीबों की हिमायत की है, हमेशा किसानों और मजदूरों और साधारण श्रेणी की ही वकालत की है। एक से ज्यादा अवसरों पर उसने अपनी साम्यवादी प्रकृति प्रकट कर दी है, और आज जो काँग्रेस में शरीक है वह इसी नीति को समझ कर। इस दलील में सच्चाई है, लेकिन काँग्रेस ने अभी तक अपनी कोई योजना नहीं बनायी है और जब तक वह खुले तौर पर अपनी योजना पेश न कर दे जनता को उसके विषय में भ्रम हो सकता है। संभव है, काँग्रेस के अपनी नीति निश्चय करते ही बहुत से ऐसे सज्जन उससे सम्बन्ध तोड़ लें, जो अभी तक उसके सत्याग्रह और असहयोग के कारण उसमें शरीक हैं। काँग्रेस में अभी सभी विचारों के लोग मिले हुए हैं, जिनमें स्वराज्य की इच्छा के सिवा सामाजिक, आर्थिक आदि सिद्धांतों में भेद है। काँग्रेस में बड़े-बड़े ताल्लुकेदार और जमींदार, बड़े-बड़े व्यापारी और पूँजीपति शरीक हैं। सभी स्वराज्य को अपने-अपने स्वार्थों की आँख से देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ सब के दिलों में शक भी मौजूद है। जिनके पास कुछ नहीं, वे तो साम्यवादी बने बनाये हैं, लेकिन जिनके पास सम्पत्ति और जायदाद है, वे तो साम्य-

वाद के भक्त नहीं हो सकते। वे काँग्रेस में अपने हित-साधन के लिए आये थे। व्यापारी समझता था उसके टैक्सो और चुगियो का बोझ कम हो जायगा, जमींदार समझता था तब उसे मुकदमेबाजियो और अफसरो की खुशामदो और सलामियो से नजात हो जायगी, चाहे उसकी आमदनी कुछ कम ही हो जाय। रहे किसान, उनका लगान तो आधा हो ही जायगा और मजदूरो की मजदूरी बढ जायगी। कुछ ऐसे लोग भी इस आन्दोलन में शरीक हुए—जो अपने ज्यादा मालदार या इज्जतदार पडोसी को प्रजा की दृष्टि में गिराना चाहते थे। अब तक काँग्रेस का राजनैतिक पहलू ही हमारे सामने था। उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू पर विचार करने की उस समय हमें फुर्त ही नहीं थी, पर आज कोई योजना केवल राजनैतिक आधार पर नहीं बन सकती। उसे आर्थिक समस्याओ का भी फैसला करना पडेगा, तभी उसके ऐब और हुनर मालूम होंगे। और लोग उसके विषय में अपनी राय कायम कर सकेंगे। वह आर्थिक योजना कैसी हो इस विषय में बाबू भगवानदास ने लिखा है—

“तर्क की कसौटी पर आर्थिक योजना इस ढग से बनायी जाय कि उचित सीमा तक यह सभी के स्वार्थो की पूर्ति कर सके। यह योजना ऐसी बने कि वर्तमान पूँजीपति, साम्राज्यवादी शासक, ससार तथा राष्ट्रसघ से यह कहने में लज्जा का अनुभव करे कि यह योजना बिल्कुल अव्यवहार्य है। काँग्रेस को नये ढग और नयी शक्ति से काम करने के लिए इस प्रकार की योजना अवश्य बना लेनी चाहिए।”

३० अप्रैल १९३४

सरकार को मुबारकबाद

लेजिसलेटिव एसेम्बली में इस ६१ बैठको के लंबे सेशन में एक बार भी सरकार की हार नहीं हुई। जब देखो जीत। इसे कहते हैं इकबाल। इससे हमें कोई बहस नहीं कि प्रश्न क्या है, उससे भारत की प्रजा का हित होगा या अहित, सरकार ने या तो उस प्रश्न का समर्थन किया या विरोध, इसलिए सरकार के खैरखाह और जानिसार मेम्बरो का फर्ज है कि सरकार का साथ दे। सरकार की खुशी कुछ कीमत, कुछ महत्व रखती है, उससे जीवन की कुछ कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं, कुछ चिर-सचित अभिलाषाएँ पूरी हो सकती हैं। जन पक्ष में यश के सिवा और क्या है। तो ऐसे सूखे-प्याखे यश को लेकर कोई ओढे या बिछाये। अपने नाम के साथ दो-चार मूल्यवान् अक्षरो का जुड जाना या अपने दामाद या साले को किसी ओहदे पर पहुँचे देखना, जयघोष और पुष्पमालाओ से कही मूल्यवान है। फिर अपना सिद्धांत, धर्म और विश्वास भी तो है। सरकार ईश्वर का अवतार है। पहले राजा अवतार हुआ करता

था। अब सरकार होती है। जो सच्चे भारतीय सस्कृति के उपासक है, वे ईश्वर के अवतार का विरोध कैसे कर सकते हैं ? क्या बेचारे अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ ले। फिर ऐसे महानुभाव भी तो हैं, जो विचार, रहन-सहन और दृष्टिकोण में पक्के साम्राज्यवादी हैं। वे प्रजा का साथ देकर क्यों अपने को जलील करें। अभी तो वे अपने का सरकार का एक अंग समझ कर प्रसन्न होते हैं। इसमें कितना गौरव है, जरा सोचिए, कैसे-कैसे महान पुहवा से भाईचारा हो जाता है। कहीं कमांडर-इनचीफ के साथ चाय की मेज पर बैठे हुए हैं, कहीं होम मेम्बरो के साथ उनके अन्तरंग में सम्मिलित हैं। नहीं साधारण मेम्बरो को कौन पूछता है। और अब की यह कोई अनोखी बात नहीं हुई। एसम्बली के सम्पूर्ण इतिहास में शायद दो-चार बार ही सरकार की किसी डिबीजन में हार हुई हो। क्या इससे यह साफ सिद्ध नहीं हो जाता कि पूरा भारत गवर्मेंट के साथ है।

३० अप्रैल १९३४

रादरमियर की हाथ-हाथ

लार्ड रादरमियर इंग्लैंड के प्रमुख साम्राज्यवादियों में हैं। जब से सुफेद कागज निकला है, आप को दाना-पानी हराम हो रहा है। सोते-सोते चौक उठते हैं, कि भारत हाथ से गया। फिर यह मैनचेस्टर और लकाशायर का माल किसके सिर पर लादा जायगा। और यह लाखों अंग्रजी परिवार किसके माथे फुलौडियाँ खायेंगे ? यह एक लाख साल के मोटे वेतन कहीं मिलेंगे। जिन्हें इंग्लैंड में कोई टके को न पूछें, उनके लिए यहाँ स्वर्ग के सारे भोग-विलास मौजूद ! ऐसी सोने की चिडिया हाथ से निकली तो इंग्लैंड का क्या हाल होगा ? फिर उसकी यह शान शौकत कहीं जायगी ? बिलकूल दूकानदारों की-सी बात, ठोस, वास्तविक, कल्पना-शून्य ! मगर अब तक तो हम सुनते आते थे, कि ब्रिटेन भारत को आदमियत सिखाने के लिए अपने ऊपर यह भार लादे हुए हैं, खालिस परोपकार के लिए। हम लार्ड रादरमियर से निवेदन करना चाहते हैं कि यह सोने की चिडिया अभी बहुत दिनों आपके पिजरे में रह सकती है। हाँ, उसे चारा और पानी देते जाइए, अगर इसमें कमी हुई, तो चिडिया फडफडा कर मर जायगी। भारत केवल इसलिए राजनैतिक अधिकार चाहता है कि वह अपने भूख से व्याकुल बालको का उदर भर सके, इसलिए नहीं कि वह इंग्लैंड से द्वन्द युद्ध करे।

७ मई १९३४

एसेम्बली का विसर्जन

गवर्नमेण्ट ने एलान कर दिया कि यह एसेम्बली १४ जुलाई को तोड दी जायगी । ख्याल किया जा रहा था कि स्वराज्य-पार्टी की तैयारियों से शायद सरकार को कुछ चिन्ता हो और वह एसेम्बली की अवधि और बढा दे, मगर यह ख्याल गलत निकला और गवर्नमेण्ट ने स्वराज्य-पार्टी की चुनौती स्वीकार कर ली । उसने दिखा दिया कि वह किसी पार्टी से भयभीत नहीं है । अब देखना है सुफेद कागज साहब पर क्या गुजरती है । बेचारे पर चौमुखी बौछारे पड रही है, किस-किस तरफ बचाये । कंज़रवेटिव कहते हैं, यह तो साम्राज्य का ही सर्वनाश किये डालता है, भारतवाले कहते हैं, आप को बुलाया किसने ? मुश्किल यही है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो जी खोलकर उसकी निन्दा करते हुए भी उस वक्त उसके वफादार दोस्त बन जायेंगे, जब उसका दस्तरखान बिछेगा और तश्तरियों में स्वादिष्ट पदार्थ परोसे जायेंगे । देखना यही है कि स्वराज्य-पार्टी तो स्वादिष्ट पदार्थों की सुगन्ध से आकर्षित नहीं हो जाती । संभव है एसेम्बली तोडते समय यह आश । सरकार की निगाह में रही हो ।

७ मई १९३४

स्वराज्य पार्टी

राँची में स्वराज्य-पार्टी की बैठक हो गयी, उसकी व्यवस्था बन गयी, उसका कार्यक्रम निश्चित हो गया, उसके नेता चुन लिये गये और वह लोग भी चुन लिये गये जो एसेम्बली के लिए खड़े होंगे, मगर जैसा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने एक बयान में कहा है, अभी आल-इंडिया काँग्रेस कमेटी की बैठक नहीं हुई और यदि उस बैठक में काँग्रेस का बहुमत काउंसिल-प्रवेश के लिए हुआ और काँग्रेस स्वयं निर्वाचन में भाग लेने को तैयार हो गयी, तो स्वराज्य-पार्टी कहाँ रहेगी ? क्या उस दशा में भी स्वराज्य पार्टी बनी रहेगी ? शायद ऐसा निश्चय-सा है कि काँग्रेस कमेटी का बहुमत काउंसिल-प्रवेश के खिलाफ होगा, क्योंकि काँग्रेस के स्तम्भ काउंसिल-प्रवेश के खिलाफ हैं और स्वराज्य पार्टी काँग्रेस के अधीन और उसकी निगरानी में अपना काम करेगी । स्वराज्य-पार्टी को जब अटानोमी मिल गयी, तो फिर उस पर इस कार्यकारिणी की निगरानी की पख क्यों लगा दी गयी, यह समझ में नहीं आता । क्या खुदा न ह्वास्ता स्वराज्य-पार्टी की ओर से यह शका भी है कि वह काँग्रेस के सिद्धांतों और आदर्शों का सम्मान न करेगी ? स्वराज्य-पार्टी की स्थिति ऐसी

क्यों नहीं रक्खी गयी कि वह काँग्रेस से अलग कोई सस्था नहीं है, बल्कि उन काँग्रेसियों का दल है, जो व्यवस्थापक सभाओं में काँग्रेस का काम करेंगे। अटानोमी या स्वाधीनता वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। इससे तो यह ख्याल होता है कि यह कुछ ऐसे लोगो का दल है, जिन्हें काँग्रेस ने अयोग्य समझ कर कह दिया है कि अच्छा, तुम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो जाओ काउंसिल में ही बैठो, मगर खबरदार कोई शरारत न करना। निर्वाचन में पूरी सफलता पाने के लिए काँग्रेस की पूरी शक्ति और पूरे प्रभाव की जरूरत है। ऐसे सौतेले लडके के-से व्यवहार से शायद स्वराज्य पार्टी की वह आशाएँ न पूरी हो, जो उसने बाँध रक्खी है और संभव है, वह ऐसेम्बली में अन्य दलो की तरह एक अल्प-संख्यक दल होकर रह जाय। पिछली स्वराज्य पार्टी में ऐसे-ऐसे सितारे थे, जो अपना प्रकाश रखते थे, उनके अपने-अपने अनुयायी थे। वैसे प्रभावशाली कोई आदमी इस स्वराज्य-पार्टी में नजर नहीं आता। वह काँग्रेस के प्रकाश से चमकनेवालो की जमाअत है, और कौन नहीं जानता कि ऐसे सितारे केवल चमक लेते हैं, उनके प्रकाश से किसी का उपकार नहीं होता। हम तो फिर भी यही कामना रखते हैं कि काँग्रेस कमेटी खुद निर्वाचन का प्रश्न हाथ में ले, खुद अपने उमेदवार खडे करे, चाहे वे वही हो, जो आज स्वराज्य-पार्टी में है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा जोर लगावे, लेकिन, अगर काँग्रेस ऐसा न करे, तो हम जनता से यही अनुरोध करेगे कि वह स्वराज्य-पार्टी ही को प्रतिनिधि बनाकर भेजे। इस पार्टी से उन्हें जितने उपकार की आशा हो सकती है, अन्य किसी दल से भी नहीं हो सकती।

७ मई १९३४

काँग्रेस कमेटी क्या करेगी

काँग्रेस कमेटी की आनेवाली बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी और इस समय सारे देश की आँखें उसकी ओर लगी हुई हैं। यह प्रश्न उठ रहा है कि अगर काँग्रेस को काउंसिलो से लाभ की फिर आशा हो गयी है, तो वह पार्लामेण्टरी बाजू क्यों बनाती है, क्यों खुद चुनाव में शरीक नहीं होती? अगर यह गुनाह बेलज्जत नहीं है, तो कोई एक पार्टी क्यों इसका मजाक उठाये? शिकारियों के पीछे ढोल बजाने में शिकारी का गौरव है न आनन्द। इससे तो कही अच्छा है कि काँग्रेस भी शिकार में शरीक हो जाय। महात्मा गान्धी की नीति पर भी कड़ी अनुरोध की जा रही है और यह ख्याल पैदा हो रहा है कि जब सत्याग्रह केवल महात्मा गांधी ही कर सकते हैं, तो काँग्रेस क्यों न उसे बिलकुल ही उठा दे। बाबू ए. घोसलदास टंडन के भाषण को अगर हम युवतप्रान्तीय काँग्रेस की आवाज समझे, तो वह एक बागी की आवाज

है, जो अब आँख बन्द करके नेता के पीछे नहीं चलना चाहता और मुल्क के लिए किसी नये कार्यक्रम की ज़रूरत समझना है। वह नया कार्यक्रम क्या होगा ? इसका फैसला काँग्रेस कमेटी करेगी। इधर साम्यवादी दल भी अपना जलसा करने जा रहा है और सोच रहा है, क्यों न वह अपना कार्यक्रम लेकर चुनाव के मैदान में उतर पड़े। अगर यह दल भी काउंसिल प्रवेश के पक्ष में है, तो फिर काँग्रेस में ऐसे लोगों की सख्या बहुत कम रह जायगी, जो काँग्रेस का कौमी काम करने की लगन रखते हों। गरज काँग्रेस ने स्वराज्य-पार्टी को यह अधिकार देकर अन्य सभी दलों में असतोष पैदा कर दिया है, और जब मुल्क के सामने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, तो कोई दल भी अपने को काउंसिल से बाहर नहीं रखना चाहता। हमारे ख्याल में इस शिथिलता और जडता को जगाने का इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है कि काँग्रेस खुद काउंसिल के लिए अपने उम्मेदवार खड़े करे, और अपने सारे प्रभाव और शक्ति को काम में लाकर अपना बहुमत स्थापित करे। अगर स्वराज्य-पार्टी को ही यह अधिकार दे दिया गया, तो आपस में ही खींचतान शुरू हो जायगी और काँग्रेस कई दलों में बँटकर अपनी पूरी शक्ति से किसी दल को मदद न कर सकेगी। रहा काँग्रेस का अधिवेशन, वह वर्तमान दशाश्रो में कठिन है। न काँग्रेस कमेटीयाँ हैं, न मेम्बर। फिर प्रतिनिधि कहाँ से आवेंगे और उनका चुनाव कैसे होगा। काँग्रेस अधिवेशन जब तक होगा तब तक चुनाव खतम हो जायगा। इस तरह परिस्थितियों को नियमों के हाथ में छोड़ देने से काम बिगड़ता है। होता वही है, जो नेता करते हैं, चाहे भरे पडाल में हो, या छोटे से कमरे में। काँग्रेस कमेटी के फैसले ही को काँग्रेस का फैसला मान कर देश को चलना मुनासिब है।

यह भी निश्चित-सा मालूम होता है, कि उम्मेदवार वही सज्जन बनाये जायेंगे, जो जेल हो आये हैं, और बराबर लड़ाई में शरीक रहे हैं। अगर ऐसा किया गया, तो यह काँग्रेस की पहली स्वार्थपरता होगी। जो सिपाही मैदान में लड़ सकता है, वह काउंसिल में बैठकर विचार भी कर सकता है, इसमें हमें संदेह है। अगर सब बातें बराबर हों तो जेल जानेवाले को ज़रूर प्रधानता मिलनी चाहिए, लेकिन महज जेल जाना अन्य सभी तरह की लियाकत की कमी नहीं पूरी कर सकता। कितने ही तो महज इसलिए जेल नहीं गये कि उन्होंने उस समय जेल से बाहर रहना ही सबसे बड़ा त्याग समझा। जिस समय जेल जाना राष्ट्र की सेवा ही नहीं, स्वार्थ की भी उतनी ही बड़ी सेवा थी, उस समय जो लोग चढा-ऊपरी न करके अलग रहे उनको सेवा का अवसर न देना उनके साथ अन्याय होगा। और अगर जेल यातना ही काउंसिल में जाने की सबसे बड़ी शर्त हो, तो म० मोहन लाल नेहरू के शब्दों में 'सी' क्लास भुगतनेवालों को ही काउंसिल में भेजना चाहिए। काँग्रेस के वह नेता, जो ए या बी क्लास में रहे, किस नीति से उन वालंटियरों को समझायेगे जिन्होंने सी क्लास और खड़ी बेड़ी और काल कोठरी कोई भी तपस्या बाकी नहीं छोड़ी ?

१४ मई १९३४

चुनाव चुथौअल

कांग्रेस के चुनावो मे मानवता की जो छीछालेदर हुई है, वह परम खेदजनक है। महाकोशल से परम राष्ट्र सेवक सेठ गोविन्ददास तथा पं० द्वारिका प्रसाद मिश्र ने और इधर प्रयाग से श्री सुन्दरलाल तथा श्रीमती उमा नेहरू ने कई आकस्मित और दु खद घटनाओ के कारण—जिन्हे हम यहाँ दुहराना नहीं चाहते—चुनाव में न खडे होने की घोषणा करके अपने प्रतिद्वन्दियों के लिए मार्ग साफ कर दिया है। यह उनकी उदारता है और यह तो प्रत्यक्ष है कि गृहयुद्ध और फूट की सम्भावना ने ही उक्त सज्जनों को यह निश्चय करने के लिए बाध्य किया है। यह बडे खेद और लज्जा की बात है कि चुनाव के लिए इस प्रकार बखेडा उठाया जाता है। योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी उनके मार्ग में काँटे बिछाकर जो लोग स्वयं खडे होना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे यह अनुचित कार्य करके राष्ट्र का हित नहीं, अहित कर रहे हैं। उनकी देश भक्ति तो इसी में है कि वे अपने से अधिक त्यागी और देश सेवक को राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान करते, उसे सहयोग देते। यह न करके अपने सामने किसी को त्यागी, राष्ट्र-हितैषी न मानकर, योग्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदर्शन करता, उनके प्रतिद्वन्द्वी हाकर खडे होना, नोटिसबाजियों के द्वारा गाली-गलौज करना, अचम्य देश द्रोह है। वोटरो को भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान होने की आवश्यकता है।

चुनाव में खडे होने का अर्थ है, देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी, उसके हित के लिए कुछ करने का व्रत लेना, राष्ट्रीय हित के विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करना, देश को स्वतन्त्रता की ओर ले जाना तथा उसका कल्याण करना। जो इस जिम्मेदारी को जानता है, देशहित का जिसे गभीर अनुभव है—राष्ट्र का प्रतिनिधि बनने का अधिकार उसी को है। और जो, अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के होते हुए भी उसकी उपेक्षा करके उसका प्रतिद्वन्द्वी बनकर खडा होना चाहता है, वह अनधिकारी है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनने का उसे कोई हक नहीं है। उसे तो वोट ही न मिलने चाहिए। चुनाव का उम्मीदवार वही हो सकता है, जिसने राष्ट्र के लिए त्याग किया हो, जो राष्ट्रहित को गंभीरता से जानता हो, जनता जिसे अपना प्रतिनिधित्व करने के योग्य समझती हो, जिसका व्यक्तित्व सन्देहहीन और पवित्र हो, देश की दरिद्रता और दु खों को देखकर जिसकी आँखों से आँसू आते हो और उनका प्रतिकार करने के लिए जो तन, मन, धन से प्रयत्नशील हो। और जो केवल यश की इच्छा से, या सम्मान की भूख से त्याग दिखलाता हो, केवल कौंसिलो अथवा एसेम्बली का मेम्बर बन जाने की धुन रखता हो, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और न वह राष्ट्र का हित ही कर सकता है। ऐसे लोगों को वोट देना, राष्ट्रीय अहित में सहयोग देना है।

अगस्त १९३४

आतंकवाद का उन्मूलन

आतंकवाद को नष्ट करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कलकत्ते के कुछ चुने हुए व्यक्तियों की एक सभा हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया है, जो सरकार के पास भेजा जायगा। सभा करनेवालों का अभिमत है कि जनता की राय को सगठित किये बिना आतंकवाद नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही एक बात और भी महत्वपूर्ण कही गयी है, वह यह है कि आतंकवाद का मूल कारण बेकारी है। निस्सन्देह सभा की राय सोलहो आना सच है। 'मरता क्या न करता'। जब बंगाल का युवक अपना घर फूँककर उच्च शिक्षा के नाम पर बी० ए०, एम० ए० पास करता है और उसे उसके इस कठोर परिश्रम और सर्वस्व-स्वाहा का फल बेकारी और अपनी साधारण से साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थता में मिलता है, तो उसे अपने जीवन से निराशा हो जाती है, वह पागल हो जाता है, उसके हृदय में विद्रोह अग्नि-क्रोडा करने लगता है। वह सोचता है—क्या करूँ? जीवन कैसे बिताऊँ? क्या मुझे मेरे परिश्रम का यही फल मिलना चाहिए था? मेरे सहस्रो रूपों के बलिदान का पुरस्कार यही बेकारी है? वह आतंकवादी बन जाता है। इसके सिवा उसके लिए जीवन को बिताने का कोई मार्ग नहीं है। इस तरह बेकारी ही आतंकवाद का मूल कारण है। जब तक बंगाल सरकार बेकार युवकों को काम नहीं देती, उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन नहीं बतलाती, तब तक वह चाहे कितने ही कठोर से कठोर और घातक कानून बना दे, कितनी ही दमननीति से काम ले, आतंकवाद के शमन में सफल नहीं हो सकती। आज भारतवर्ष के द्वारा समस्त योरोप अपने खजाने भर रहा है, जापान अपनी जेबें गरम कर रहा है। सभी मालामाल हो रहे हैं और भारतीय बच्चे भूखे तडप रहे हैं। वे अपने ही देश में सुखी नहीं रह सकते, उनको परिश्रम करके जीवन बिताने का ठिकाना भी नहीं है। फिर वे क्यों न आतंकवादी बन जायँ, क्यों न वे विद्रोही हो जायँ? सरकार स्वयं उन्हें विद्रोही बनने का अवकाश दे रही है। अगर वह सच्चे हृदय से चाहती है कि आतंकवाद नष्ट हो जाय, तो जितनी भी जल्द हो सके उसे उनकी बेकारी का इलाज करना चाहिए। आतंकवाद को दूर करने का यही सच्चा मार्ग है।

सितंबर १९३४

स्वराज्य के फायदे

स्वराज्य क्या है ?

अपने देश का पूरा-पूरा इन्तज़ाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज्य कहते

है। जिन देशों में स्वराज्य है वहाँ की प्रजा अपने ही चुने हुए पंचों द्वारा अपने ऊपर राज करती है। वहाँ यह नहीं हो सकता कि प्रजा लगान और करों के बीच में दबी रहे और अधिकारी लोग दिनो-दिन सेना बढ़ाते जायें, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते जायें। प्रजा भूखी मर रही हो, चारों ओर अकाल पड़ा हो और देश का अन्न दूसरे देशों को ढोया चला जाता हो, मरों, हैजा आदि रोग फैल रहे हो और अधिकारी लोग उसके रोकने का उचित प्रयत्न न करके सँ सपाटे किया करते हो, गरीब मुसाफिरो को रेल-गाड़ियों में बैठने की जगह न मिलती हो और अधिकारियों के वास्ते एक पूरी गाड़ी अलग खड़ी रहती हो, साराश यह कि अधिकारी लोग प्रजा पर उसके हित के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व जमाने और भोग विलास करने के लिए राज करते हो। जिन देशों में यह दशा होती है और प्रजा के हाथों में उसके सुधारने का कोई साधन नहीं होता, वही देश पराधीन कहलाता है और हमारा भारत इसी प्रकार के देशों में है जहाँ कर्मचारी लोग प्रजा का नमक खा कर अपने को प्रजा का सेवक नहीं, उसका स्वामी समझते हैं। भारत को छोड़ कर समस्त ससार में अब एक देश भी ऐसा नहीं है जहाँ की दशा इतनी खराब हो और आजकल हमारे नेता लोग इसी चिन्ता में पड़े हुए हैं कि इस दशा से भारत का उद्धार कैसे हो। क्या सारे ससार में हमी सबसे नीच, सबसे मूर्ख, सबसे निर्बल हैं कि हाथ पर हाथ धरे इस दशा में पड़े रहे? हमारे पुरुषाओं में श्री रामचन्द्र जैसे पराक्रमी, महात्मा श्रीकृष्ण जैसे ज्ञानी, महात्मा बुद्ध जैसे त्यागी, महाराज विक्रम जैसे प्रतापी, महाराजा प्रताप और शिवाजी जैसे रणधीर, बादशाह अकबर जैसे प्रजाभक्त, गुरु वशिष्ठ जैसे आत्मदर्शी हो गये हैं, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। क्या हम लोगों में बल, बुद्धि, विद्या सबर्था लोप हो गयी है? नहीं, यह बात नहीं है, भीष्म और अर्जुन के नाम पर जान देनेवाले कभी इतने बलहीन, इतने कर्महीन नहीं हो सकते। यह दिनों का फेर है जिसने हमें इस अधोगति को पहुँचा दिया है। लेकिन अब हम सचेत हो रहे हैं, हमारी निद्रा टूट रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने सदुपयोग और पूर्वजों के आर्शिवाद से फिर भारत को उसी उन्नत दशा में पहुँचा देंगे जहाँ वह था, हम फिर समस्त भूमण्डल में उनका नाम उजागिर कर देंगे। इसका एकमात्र साधन 'स्वराज्य' है और भारत में प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह यथायोग्य इस सद्कार्य में अपने नेताओं की मदद करे।

स्वराज्य के भेद

स्वराज्य के तीन भेद हैं। एक वह है जहाँ का राजा उसी देश का निवासी होता है लेकिन राज का सब काम अपनी ही इच्छानुसार करता है, प्रजा उसके इत्तजाम में ज़रा भी दखल नहीं दे सकती, जैसे काबुल, नेपाल। दूसरा वह है जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह के बिना कुछ न कर सकता हो, जैसे इंग्लिस्तान, जापान। तीसरा

वह है जहाँ राजा नहीं होता, उसकी जगह पर पच लोग किमी योग्य और सर्वमान्य पुरुष को चुन कर कुछ नियत समय के लिए अपना प्रधान बना लेते हैं और वह प्रजा के चुने हुए मेम्बरो की सम्मति से राज्य का सारा प्रबन्ध करता है, जैसे फ्रान्स, अमेरिका, चीन आदि। भारत की दशा विचित्र है, वह इन तीनों भेदों में से एक में भी नहीं आता, उसकी दशा सबसे गयी बीती है, न उसका राजा ही भारत का निवासी है और न वह प्रजा के चुने हुए पंचों द्वारा देश पर राज्य ही करना है। वास्तव में भारत का राजा कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि सम्मन इंग्लैण्ड—नहीं बल्कि अंग्रेज जाति उस पर राज्य करती है, चाहे वह आस्ट्रेलिया में रहती हो, चाहे कनाडा में। सोचने की बात है कि जब एक लोभी राजा समस्त देश की प्रजा को नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल सकता है तो एक पूरी जाति लोभ के बश में देश में कितना हाहाकार फैला सकती है। अकेला राजा तो प्रजा को लूट कर अपना पेट भर सकता है लेकिन किसी पराधीन देश के लिए अपने ऊपर राज करनेवाली समस्त जाति का पेट भरना असम्भव है। यही कारण है कि भारत की दशा इतनी हीन हो रही है। अंग्रेज जाति के व्यवसायी उसका व्यवसाय अपने हाथों में करना चाहते हैं, नौकरी पेशे करनेवाले ऊँचे-ऊँचे ओहदे दवाये बैठे हैं, वहाँ के उद्योगी लोग यहाँ के उद्योग धन्वों पर आसन जमाये हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ के विद्वान लोग यहाँ की विद्या के भी अधिकारी बन गये हैं। हम इन तीनों भेदों में कौन चाहते हैं यह अभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता पर इसमें अब ज़रा भी सन्देह नहीं है कि हम वह स्वराज्य चाहते हैं जहाँ प्रजा के चुने हुए पंचों की सलाह से सब राजकाज किया जाता है और पंचों की सम्मति के बिना शासक लोग कुछ भी नहीं कर सकते। भारत में ऐसी सभाएँ हैं जहाँ प्रजा के प्रतिनिधि सरकार को सलाह देने जाते हैं। छोटे लाट साहब और बड़े लाट साहब दोनों ही को सलाह देने के लिए ऐसी सभाएँ बनायी गयी हैं। लेकिन एक तो इन सभाओं में जो पच प्रजा की ओर से भेजे जाते हैं उन्हें वही लोग चुनते हैं जो या तो महाजन हैं या बड़े जमींदार या बड़े काश्तकार हैं, साधारण जनता को उनके चुनने का अधिकार नहीं है, दूसरे इन सभाओं को केवल राय देने का अधिकार है, अधिकारियों की इच्छा है चाहे उस राय को माने या न माने, वह इन सलाहों के मानने पर मजबूर नहीं है। विदित ही है कि वास्तव में यह सभाएँ केवल हाथी के दाँत हैं, उनकी जात से जनता की कोई भलाई नहीं हो सकती। उन्हें न तो आमदनी और खर्च के विषय में मुँह खोलने का अधिकार है, न सेना के विषय में, न पुलिस के विषय में। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और म्यूनिस्पैलिटी के मामलों में उन्हें कुछ सत्ता प्राप्त है, लेकिन वह भी केवल नाम के लिए, क्योंकि जब आमदनी और खर्च उनके अखत्यार के बाहर है तो वह शिक्षा या स्वास्थ्य रक्षा का उचित प्रबन्ध कैसे कर सकते हैं, जब खजाने की कुंजी शासकों के हाथों में है तो वह उनके आधीन है कि वह शिक्षा के लिए धन दे या न दें। स्वराज्यवादियों का लक्ष्य यही है और महात्मा गाँधी ने साफ

कह दिया है कि हमको आमदनी और खर्च और सेना सम्बन्धी मामलो पर पूर अखत्यार हो, यही हमारा उद्देश्य है ।

स्वराज्य के साधन

स्वराज्य का मुख्य साधन 'स्वावलम्बन' है, अर्थात् अपने देश को सब जरूरतो को आप पूरा कर लेना है । जो प्राणी अपने खेत का आनाज खाता है, अपने काते हुए सूत का कपडा पहनता है और अपने भण्डे बखेडे अपनी पंचायत मे चुका लेता है उसे हम स्वाधीन कह सकते है । हम अपनी जरूरतो के लिए दूसरे देशवालो के मुहताज है, अनेक छोटे-छोटे घरेलू भण्डे चुकाने के लिए भी अदालतो का मुँह ताकते है, यहाँ तक कि अन्न वस्त्र के लिए भी दूसरो के आधीन है । यही हमारी पराधीनता है, इस अवस्था को दूर कर देने पर फिर हम सच्चे स्वराज्य का आनन्द उठाने लगेंगे । हमारे देश मे काफी कपड़ा नही बनता । वह कपडा खरीदने के लिए हमें अपने देश का अनाज, तेलहन आदि अन्य देशो के हाथ बेचना पडता है । अनाज के निकल जाने से देश मे बारहो मास अकाल की दशा बनी रहती है । मंहगी से प्रजा को काफी भोजन नही मिलता, वह अपना उदर भरने के लिए नाना प्रकार के कुकर्म करती है, इस प्रकार पुलीस और अदालतो का जोर बढता है । केवल एक कपडे की कमी से देश के सिर कैसी-कैसी बाधाएँ आ पडती है । यदि हम लोग अपने तन ढाँकने के लिए काफी कपडे बना ले, तो हमारे ७० करोड रुपये देश मे रह जायँ, धन धान्य की वृद्धि हो जाय । भोग विलास की चीजो के पीछे भी हम अपने देश के करोडो रुपये अन्य देशो की भेंट करते है । इस मामले मे सारा अपराध पढे लिखे अँग्रेजी शिच्चा के भक्तो के सिर है । वह वकालत करके या नौकरी करके या अन्य रीतियो से प्रजा का धन खीच लेते है और उसे सिगरेट, साबुन, मोटर, शीशे के सामान, भाँति-भाँति की विलासयुक्त सामग्रियो की वेदी पर चढा देते है । जब तक हम लोग अपने देश की कमायी अन्य देशो के हाथो इस प्रकार बेचते रहेगे हम सच्चे स्वराज्य का आनन्द नही उठा सकते । इसलिए निहायत जरूरी है कि हम अपने पैरो पर खडे होना सीखे, किसी के आधीन न रहे । अगर हमारे देश मे साठ लाख चखें भी चलने लगे, तो हम अपने वस्त्रो के लिए किसी अन्य देश के मोहताज न रहे, सारा देश धन और अन्न से परिपूरित हो जाय । इसी प्रकार यदि हमारे सुशिक्षित भाई लोग भोग विलास के पदार्थो को त्याग दे तो उन्हे प्रजा को ठगकर, धूर्तता से, छल से धन कमाने की जरूरत न रहे । हमारा राष्ट्रीय जीवन कितना सुखद और शान्तिमय हो जाय । कितनी मनोहर कल्पना है । कुछ लोगो के कथनानुसार, यह सुदशा काल्पनिक ही सही, मनोरम स्वप्न ही सही, आदर्श सही, पर कोई कारण नही कि हम उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास न करे । इस अवस्था मे देश का सबसे उपकार जो हम कर सकते है वह चखें चलाना है । यह केवल व्यावसायिक प्रश्न नही है, धार्मिक प्रश्न है । यह केवल दैहिक मुक्ति का नही, आत्मिक मुक्ति का साधन है । यह विचार

मत करो कि चर्खें चलाने से तो मजूरी नहीं पडती । मजूरी समझ कर नहीं, इस काम को अपना कर्तव्य समझ कर करो । हमारा विशेष अनुरोध उन परदेवाली साध्वी स्त्रियों से है जिनके समय का अधिकांश गपशप या परनिन्दा में कटता है । उन्हें इस समय ईश्वर ने देशोद्धार का बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है । इस पवित्र काम में उन्हें सहर्ष अपने पुरुषों को सहायता करनी चाहिए । उन्हें केवल वस्त्र दान का पुन ही न होगा बल्कि वह अपने देश के उन लाखों जुलाहों को काम में लगा देगी, उनके परिवार को दरिद्रता के चंगुल से निकाल लेगी, जो इस समय ताशे ढोल बजा कर, या नेचे आदि बना कर अथवा पुतली घर में मजूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं । इससे भी बड़ा उपकार यह होगा कि हमारे देश से कुली प्रथा उठ जायेगी जिसके कारण आज लाखों परिवार अपने गाँव घर छोड़ कर शहरों की तंग और गन्दी कोठरियों में अपने जीवन के दिन काट रहे हैं और नाना प्रकार की कुवासनाओं में पड़ कर अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं ।

स्वराज्य प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओं का त्याग करना है जो हमारी आत्मा को दबाती है और उसे पराधीन, परावलम्बी बनाती है । अदालतें, सरकारी नौकरियाँ, सरकारी शिक्षा आदि हमारी आत्मा को कुचलनेवाली, हमारे मन के पवित्र भावों को दमन करनेवाली, हमें कौड़ी का गुलाम बनानेवाली, हमारी वासनाओं को भडकानेवाली सस्थाएँ हैं । हमारे बालकवृन्द बालकपन से ही सरकारी नौकरियों की आशा करने लगते हैं, उसी समय से उनकी आत्मा पराधीन होने लगती है । उन्हें परकटे पत्नी की भाँति दरबे के सिवा और कुछ नहीं सूझता । चापलूसी करने की, काइयापन करने की आदत पड जाती है, वह अपनी इन्द्रियों के दास बन जाते हैं, सरकारी नौकरी ही उनका सर्वाधार बन जाती है । ऐसी शिक्षा पानेवाले युवकों के हृदय में देश प्रेम के उच्च भावों का उदय होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । जिनकी आत्मा ही दब गयी वह स्वराज्य और स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते । यह तो हुआ शिक्षा का हाल । अदालतों का प्रभाव इससे कम प्राण घातक नहीं । वहाँ मुकदमेबाजी करने वाली जनता और उनका घन लूटनेवाले वकील मुखतार दोनों ही अपनी आत्मा को हताहत करते हैं । अगर कोई आदमी, फूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी का भीषण नाटक देखना चाहे तो उसे एक बार अदालत में जाना चाहिए । वहाँ ऐसे-ऐसे घृणोत्पादक दृश्य देखने में आयेगे कि उसकी आँखें खुल जायेगी और मानवी दुर्बलता, दुष्टता तथा नीचता का विकट अनुभव हो जायेगा । कही गवाह तैयार किये जा रहे हैं, कही मुबक्किलों को उनका बयान तोते की भाँति रटाया जा रहा है, कही काइयाँ मुहूरिर मुबक्किलों से खर्च के लिए तकरार कर रहा है, कही कर्मचारी लोग रिश्वत के सौदे चुका रहे हैं, कही वकील साहब अपने मेहनताने का सौदा पटाने में मग्न हैं, कही मुखतार देहातियों के एक दल को साथ लिये इजलासों में दौड़ते फिरते हैं । और यह सब

धूर्त लीला खुल्लम खुल्ला बिना किसी संकोच के होती रहती है। आत्मनाश का इससे करुणाजनक दृश्य कल्पना में नहीं आ सकता। वकालत को आजाद पेशा कह कर लोग इस पर गर्व करते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा का यही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य समझा जाता है। हमारे विद्यालयों से उच्च उपाधियाँ प्राप्त करके लोग यही कामना लिये हुए निकलते हैं पर वास्तव में इससे नीच और परतन्त्र बनानेवाला कोई दूसरा पेशा नहीं है। शिक्षक की, चिकित्सक की, सौदागर की, कारीगर की जरूरत हमेशा रहेगी चाहे देश की राजनैतिक स्थिति कुछ भी हो। लेकिन वकीलों की उपयोगिता अदालतों पर ही निर्भर है। आज अदालतें बन्द हो जायँ या पचायतों का सर्वमाधारण में प्रचार हो जाय तो वकीलों को कोई कौड़ी की भी नहीं पूछे। टके-टके मारे फिरें। अंग्रेजी राज के पहिले यहाँ वकालत का नाम भी न था। अंग्रेजी राज के साथ यह पेशा भी आया और उसी राज की भाँति दिनो दिन उन्नति करने लगा, यहाँ तक कि आज इसने शिक्षित समाज पर एकाधिपत्य-सा कर लिया है। सोचिए कि जिस समाज का प्रतिभाशाली भाग अपनी जीविका के लिए किसी विशेष सस्था के आधीन हो वह स्वराज्य और आजादी के भावों का आनन्द कैसे उठा सकता है। वस्तुतः हमारे वकील भाई अदालतों के गुलाम हैं, उन्हें कोई स्वाधीन पेशा नहीं आता, उनमें स्वावलम्बन का भाव लुप्त हो गया है और उनसे समाज के उपकार की कोई आशा नहीं की जा सकती। अब रहे मुकरमेबाज लोग, उनमें प्रायः वही लोग हैं जो अपने धन या धूर्तता के बल से अन्याय को न्याय बनाना चाहते हैं। ऐसे आदमियों की आत्मा दुर्बल हो जाती है और वह अपना मतलब निकालने के लिए किसी गरीब की जायदाद हजम करने के लिए अथवा शत्रुओं से अपना बैर चुकाने के लिए तरह-तरह के पाखण्ड रचते हैं। जो आत्मा अनीति की शरय लेती है वह कभी स्वराज्य के योग्य नहीं हो सकती। वह सदैव कुचेष्टाओं के नीचे दबी रहती है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सदैव दूसरों की खुशामद किया करती है। उसमें सम्मान का भाव नष्ट हो जाता है, वह पतित हो जाती है। ऐसी गिरी हुई आत्माएँ स्वराज्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। उनके संकीर्ण हृदय में स्वार्थ के सिवा ऊँचे और पवित्र भाव उठते ही नहीं। वह नित्य इसी चिन्ता में रहती है कि किसका धन उड़ा ले, किसकी जायदाद हड़प कर जायँ। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि, निर्भयता और सद्ब्यवहार ही की उपासना करनी पड़ेगी और मुकदमेबाजी को छोड़ने में हमें इस उपासना में बड़ी मदद मिलेगी।

ऊपर जिन साधनों का जिक्र किया गया है वह सभी एक शब्द असहयोग के अन्तर्गत आ जाते हैं। और शासन प्रजा के सहयोग या सहायता के बिना नहीं चल सकता। प्रजा का धर्म है कि वह अपनी सरकार की यथायोग्य सहायता करे, धन से, बल से, बुद्धि से उनकी सेवा करे, किन्तु जब शासन अनीति पर उतारू हो जाय, प्रजा को कष्ट देने लगे, उसके अधिकारों को कुचलने लगे, अपना रौब जमाने के लिए उस पर

अत्याचार करने लगे, तो फिर उसका प्रजा से सहायता पाने का मुँह नहीं रहता, और प्रजा भी उसकी सहायता न करने में दोषी नहीं ठहरायी जा सकती। भारत में इस समय ऐसा ही श्रवसर आ पडा है। अधिकारी वर्ग नाना प्रकार के विधानों से प्रजा को दमन करने पर तुले हुए हैं। कही सभाएँ बन्द की जा रही हैं, कही नेताओं का मुँह बन्द किया जा रहा है, कही निहत्थी प्रजा पर गोलियाँ चल रही हैं, कही कार्यकर्ता जेल भेजे जा रहे हैं और वहाँ उनसे कड़ी मेहनत ली जा रही है, कही पचायतों को तोडा और पन्चों को दण्ड दिया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी को शराब पीने से रोकने को भी जुर्म समझा जाता है। महात्मा गान्धी की जय-जयकार करने के लिए, खादी पहिनने के लिए, चरखों का प्रचार करने के लिए सज्जनों पर तरह तरह के दोषारोपण किये जा रहे हैं। ऐसी दशा में प्रजा का कर्तव्य है कि वह सरकार को किसी प्रकार की सहायता न दे, क्योंकि अत्याचारी शासन को मदद करना अत्याचार करने से कम पाप नहीं है। सरकार की नौकरी करना अनुचित है इसलिए कि प्रजा पर अत्याचार करने का काम नौकरो द्वारा ही होता है। सरकारी अदालतों में जाना अनुचित है इसलिए कि इससे सरकार का रौब बढ़ता है और प्रजा की आत्मा दुर्बल होती है, वकालत करना अनुचित है, इसलिए कि इससे सरकारी न्यायालयों की पुष्टि होती है, सरकारी विद्यालयों में पढना अनुचित है, इसलिए कि इससे हमारे हृदय में गुलामी के भाव पुष्ट होते हैं। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि हम असहयोग इस हेतु ग्रहण नहीं करते कि इससे सरकार को हानि पहुँचे। नहीं, हम केवल इसलिए असहयोग करते हैं कि हमारा यही वर्तमान धर्म है। सरकार की नीति का हमको जो अनुभव हुआ और हो रहा है उससे भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि स्वराज्य के बिना हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। उसकी प्राप्ति का साधन शान्तिमय असहयोग है, और आत्मशुद्धि, निर्भयता और सद्ब्यवहार असहयोग के तीन अंग हैं। केवल असहयोग हमको स्वराज्य पद पर नहीं पहुँचा सकता। असहयोग तो केवल बाह्य साधन है, आन्तरिक साधन आत्मा की पवित्रता है। अपनी आत्मा को खो देने से हम पराधीन हुए, स्वार्थ परायणता ने ही हमारे मले में दासत्व की जजोर डाली। आत्मा को पाकर ही हम स्वाधीन हो सकते हैं।

स्वराज्य के फायदे

स्वराज्य के फायदे का शुमार करना ईश्वर के गुणों के गिनने के बराबर है। उसकी महिमा अपरम्पार है। स्वराज्य मिलने पर देश में सुख और शान्ति का स्वराज्य हो जायेगा। उसी तरह जैसे कोई कैदी जेल से छूट कर सुखी होता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं हैं, पैरों में बेड़ियाँ नहीं, सिर पर सिपाहियों की सगीने नहीं है, वह अन्न के लिए, वस्त्र के लिए किसी का मुहताब्ब नहीं है, जब चाहे सोये, जब चाहे जागे, जब चाहे काम करे, जब चाहे आराम करे, जहाँ चाहे जाय, कोई उसका बाधक नहीं है। इस छुटकारे का आनन्द उसी कैदी से पूछिए। वही उसका मजा जानता है। स्वराज्य

से देश को सबसे बड़ा फायदा जो होगा वह भारतीय जीवन का पुनरुद्धार है। प्रत्येक जाति के जीवन में कोई प्रधान गुण होता है। अंग्रेज जाति का प्रधान गुण पराक्रम है, फ्रांसियों का प्रधान गुण स्वतन्त्र प्रेम है, उसी भाँति भारत का प्रधान गुण धर्मपरायणता है। हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म था। हमारा जीवन धर्म के सूत्र में बँधा हुआ था। लेकिन पश्चिमी विचारों के असर से हमारे धर्म का सर्वनाश हुआ जाता है, हमारा वर्तमान धर्म मिटता जाता है, हम अपनी विद्या को भूलते जाते हैं, अपने रहन सहन, रीति रिवाज से विमुख होते जाते हैं, हमारा अद्वितीय सामाजिक संगठन छिन्न-भिन्न हुआ जाता है, पच्छिम की देखा देखी हम धनोपार्जन ही को जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं, सम्पत्ति ही को सर्वोपरि समझने लगे हैं, यही हमारा धर्म हो गया है। ज्ञान का, सन्तोष का, कर्तव्यपालन का, त्याग का महत्व हमारी निगाहों से उठता जाता है। हम विद्या को धर्म समझ कर सीखते और सिखाते थे, चाहे वह गान विद्या हो, धनुर्विद्या हो या कोई अन्य विद्या हो। अब हम उसे धनोपार्जन के लिए सीखते और सिखाते हैं। हमें परस्पर प्रेम नहीं रहा, सहानुभूति नहीं रही। हमारी मैत्री, हमारा प्रेम, हमारी सद्विच्छाएँ, हमारे हृदय को उच्च वृत्तियाँ, सभी धन इच्छा के नीचे दबती जाती हैं। साराश यह है कि हम अपनी आत्मा को भूलते जाते हैं। स्वराज्य पाकर हम अपनी आत्मा को पा जायेंगे, हमारे धर्म का उत्थान हो जायेगा, अधर्म का अन्वकार मिट जायेगा और ज्ञान भास्कर का उदय होगा। वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म का फिर राज होगा। हम फिर अपने भान्य के विधाता हो जायेंगे, बैलों की भाँति हाँके न जाकर पुरुषों की भाँति अपना मार्ग स्थिर करेंगे। हमको ससार में अपने विचारों के प्रचार करने का, अपने आदर्शों को दिखाने का अवसर मिल जायेगा। हम किसी जाति के पिछलग्गू न बन कर ससार सभा में अपने उचित स्थान पर बैठेंगे, हमारी गणना दीन-हीन परवश जातियों में न होकर उन जातियों में होने लगेगी जिनके हाथों में ससार की बागडोर है। पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मन्द कर दिया है। हमारा मानसिक बल लुप्त हो गया है। हमने पिछली कई शताब्दियों से ससार के ज्ञानकोष में कुछ योग नहीं किया, कोई नयी कल्पना नहीं की, विचार सागर में कोई लहर पैदा नहीं की। पच्छिम की जगमगाते हुए विल्लौर के सामने हमारे जवाहिरात की चमक मन्द पड़ गयी थी। स्वराज्य हमारी बुद्धि को, हमारी विचार शक्ति को मुक्त कर देगा और ससार में फिर उनकी आवाज सुनायी देगी। हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारी प्रतिभा बढ़ेगी और हम उन्नत और बलवान जातियों के सम्मुख बैठने के अधिकारी हो जायेंगे। हम ससार में एक नयी सभ्यता, एक नये जीवन का प्रचार कर देंगे, ससार के वर्तमान धर्म प्रेम को अपने सन्तोषमय जीवन से लज्जित कर देंगे, स्पर्द्धा और प्रतिद्वन्दिता को मिटा कर सहकारिता और प्रेम का सिक्का जमा देंगे। तब—ससार का द्वार हमारे लिए बन्द न होगा हम अछूत, नीच, असभ्य, गँवार न समझे जायेंगे, तब कनाडा और आस्ट्रेलिया,

अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लोग हमारी सूरत से घृणा न कर सकेंगे, तब फिजी और डमरा के मदान्ध सौदागर हमें कोड़े मार कर गुलाम न बना सकेंगे, तब हमको कुचलने के लिए, हमको गुलाम बनाये रखने के लिए, तरह-तरह के कठोर पाशविक कानून न बनाये जा सकेंगे, क्योंकि तब हमारे हाथों में भी इन अत्याचारों का जवाब देने की शक्ति होगी, तब किसी को हमें नीच समझने का अधिकार न रहेगा, तब हमको जो जाति अपने देश में जाने से रोकेगी उसे हम भारत में पैर न रखने देंगे, उसके साथ व्यवसाय न करेंगे, उससे कोई सम्पर्क न रखेंगे । तब हमारे देश में आप ही धन धान्य की इतनी बहुलता हो जायगी कि हमारे भाइयों को कुलियों में भरती होने की जरूरत ही न रहेगी । अंग्रेजी उपनिवेशों में इस समय हमारे भाइयों की जो दुर्गति हो रही है उसे देखकर किन आँखों से आँसू न निकल पड़ेंगे । जिन भारतीय मजूरों ने अपना पसीना और रक्त बहा कर पूर्वीय अफ्रीका, नेटाल, ट्रान्सवाल, फिजी को चमन बनाया, जंगलों को काट कर बसाया उन्हीं को अब वहाँ से निकाल देने के लिए मदान्ध, स्वार्थान्ध अंग्रेज, नाना प्रकार के क्रूर व्यवहार कर रहे हैं । स्वराज्य पाने के बाद फिर किसका मुँह है जो हमसे ऐसा बुरा, ऐसा पैशाचिक व्यवहार कर सके ।

इस धार्मिक और मानसिक उन्नति के अतिरिक्त स्वराज्य से दूसरा बड़ा उपकार जो होगा वह हमारी आर्थिक सुदृष्टि है । प्रचीनकाल में भारत अत्यन्त समृद्धिशाली देशों में था । यहाँ तक कि अन्य देशों के लोग यहाँ के धन की उपमा देते थे । हमारे कवियों ने भी अपने काव्य ग्रन्थों में नगरों के जो वर्णन किये हैं उनसे भी उसी बात की पुष्टि होती है । अब वह कंचन, वह रत्न कहाँ है ? आज तो हमारा देश ससार के सबसे कंगाल देशों में है जहाँ के निवासियों को साल में नौ महीने आधे पेट भोजन करके निर्वाह करना पड़ता है । इसका कारण कुछ तो यह है कि भूमि इतनी उर्वरा नहीं रही लेकिन मुख्य कारण हमारी पराधीनता है । हमको लगभग सत्तर करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कपड़े के लिए अन्य देशों को देने पड़ते हैं, लगभग चालीस करोड़ रुपये अंग्रेज कर्मचारियों के पेंशन आदि के निमित्त देने पड़ते हैं । सत्तर करोड़ रुपये केवल सेना विभाग के भेट ही जाते हैं । रेलों की कम्पनियों को कितने ही करोड़ रुपये नफा के देने पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेज लोग जितना धन चाय, नील, ऊख आदि की खेती करके, अन्न, लोहे, कपड़े आदि के कारखाने कायम करके ढो ले जाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं । राजकर्मचारियों को वेतन जो यहाँ दिया जाता है वह अन्य देशों के कर्मचारियों से कहीं अधिक है । यह सब धन कहाँ से आता है ? हमारी भूमि से । यही कारण है कि जमीन पर दिनो दिन लगान बढ़ता जाता है, दिनो दिन भौति-भौति के कर लगते जाते हैं कि किसी तरह यह शासन का बड़ा हुआ खर्च पूरा पड़े । शिक्षा के लिए रूपयों का सदैव रोना रहता है । स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन का सदैव तोडा रहता है लेकिन पुलीस और सेना के लिए कभी धन की कमी नहीं रहती । स्वराज्य होने से इस दशा में बहुत कुछ सुधार होने की सम्भावना है ।

अभी विश्वस्त रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस शासन का खर्च घटाने में सफल होंगे लेकिन इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि कुछ न कुछ किफायद जरूर होगी। हम पुलिस की इतनी बड़ी सख्या न रखेंगे और पुलिस के उच्च अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रयत्न किया जावेगा। खर्च की सबसे बड़ी मद सेना है। हम इतनी बड़ी और इतनी महंगी सेना न रखेंगे। गोरे सिपाहियों पर बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। गोरे अफसरों को भी लम्बी-लम्बी तनख्वाह देनी पड़ती है। इसकी जगह देशवासी ही अफसर होंगे और सिपाहियों की भी संख्या घटा दी जायगी। देश रक्षा के लिए स्वयं-सेवकों की सेना बनायी जायेगी, स्थायी सेना के कम हो जाने से खर्च में बहुत बचत हो जायेगी। राज्यकर्मचारियों में अधिकांश इसी देश के लोग होंगे और उन्हें इतना वेतन न देना पड़ेगा। इसी मद से भी बहुत खासी बचत हो जायेगी। यह भ्रम है कि स्थायी सेना को घटा देने से अन्य जातियाँ हमारे ऊपर आक्रमण करेगी। इस समय सब देश अपनी आन्तरिक उन्नति के उद्योगों में लगे हुए हैं और बोलशेविज्म के भावों के कारण उन्हें अपना ही घर संभालना मुश्किल पड़ रहा है। और जिस तरह इस मत का प्रचार बढ़ रहा है उससे बहुत कम राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने की फुरसत या हबिश रह जायेगी। बोलशेविज्म का सुधरा हुआ जो रूप आगे बच रहेगा सम्भव है उसमें एक दूसरे पर आक्रमण करके उसका धन धान्य हरण करने का रिवाज ही उठ जाय। हम यदि किसी को न सतावेंगे तो दूसरे हमको क्यों सताने लगे। ससार से सैनिकता के उठ जाने के शुभ लक्षण जान पड़ रहे हैं। इसलिए हमें सेना और शासन विभागों में जो बचत होगी वह स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षोन्नति में खर्च होगी। इतना करने पर बहुत सम्भव है कि हमारा भूमिकर इससे हल्का हो जाय और अन्य कर तोड़ दिये जायँ। हमारे नेता लोग भूमिकर को हल्का करने के लिए सरकार से सदा अनुरोध करते आये हैं। जब प्रबन्ध उनके हाथों में आ जायेगा तो वह अवश्य अपने सिद्धान्त का पालन करेंगे और हमारे किसानों के सिर से लगान का भारी बोझ उतर जायेगा। हमारी अदालतों पर भी इस समय भारी व्यय होता है। न्याय इतना महंगा हो गया है कि बेचारे गरीबों के लिए वह दुर्लभ हो गया है। तब अदालतों का बहुत-सा काम पंचायतों को सौंप दिया जायेगा और जनता को बिना घरबार रहन किये न्याय मिल जाया करेगा। अवैतनिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देने से भी अदालतों के खर्च में कमी की जा सकेगी।

जब जनता के पास धन एकत्र हो जाय तो वह उससे किसी न किसी काम में लगाना चाहेगी। इस प्रकार देश की व्यवसायिक और व्यापारिक उन्नति होगी। अभी सरकार ने मालगाड़ियों के ऐसे नियम बना रखे हैं, विलायत के सौदागरों के माल भेजने के ऐसे सुभीते कर रखे हैं कि वह यहाँ सस्ता माल भेज सके। यह देश अभी कौशल और कलों से काम करने में निपुण नहीं है। इसका फल यह हो रहा है कि बाहर से सस्ती चीजों

के पट जाने के कारण हम अपने शिल्पादि को संभाल नहीं सकते। तब रेलगाड़ियाँ हमारे इन्तजाम में होगी। हम अपनी सुविधानुसार आने जानेवाले माल का महसूल बढ़ा घटा सकेंगे। बाहर से आनेवाली सस्ती चीजों पर कड़ा कर लगाकर विदेशी माल को रोक सकेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देकर उनका प्रचार बढ़ा सकेंगे। इन थोड़े दिनों में हमारा देश किसी अन्य देश का मुहताज न रहेगा। हमारे यहाँ वह सभी जिन्से पैदा होती है या पैदा की जा सकती है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। फिर हमें किसी दूसरे देश का मुहताज क्यों रहना पड़े? यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान है। शिल्प और उद्योग यहाँ सदैव कृषि के नीचे ही रहेगा। अतएव हम अपने यहाँ बहुत बड़े-बड़े कारखाने कायम नहीं कर सकते क्योंकि इससे मजूर लोग शहर में बसने लगते हैं और नाना प्रकार की आदतों में पड़ कर अपने शरीर और आत्मा दोनों का ही सर्वनाश करते हैं। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों में मजूरों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है। हमें यही उद्योग करना चाहिए कि हमारा ग्राम्य जीवन जो स्वास्थ्य रक्षा और आचरण की पवित्रता का पोषक है नष्ट न होने पावे। इसलिए हमें प्रायः उन्हीं उद्योगधन्वों का प्रचार करना होगा जो कृषिक लोग घर बैठ कर अवकाश के समय कर सकें। छोटे-छोटे कारखाने अलबत्ता कस्बों में खोले जा सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस व्यावसायिक नीति से हम विदेशी वस्तुओं का मुकाबला न कर सकेंगे। लेकिन जब हम कर लगा कर विदेशी वस्तुओं को रोक देंगे तो उनसे मुकाबला करने का प्रश्न ही न रह जायेगा। इसके सिवा हम तो केवल अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए शिल्प और कला की उन्नति चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है कि सस्ता माल बना कर निर्बल देशों पर पटकें और व्यवसाय के बहाने उन पर आधिपत्य जमायें। हम सुख और शान्ति से रहना चाहते हैं, किसी को सताना या दबाना नहीं चाहते। हम उतना ही कपड़ा बनाना चाहते हैं जिससे हमारी प्रजा का तन ढँक जाय। मैनचेस्टर, लकाशायर आदि की भाँति दूसरे देश के गले अपना सस्ता माल नहीं मढ़ना चाहिए। इसी व्यावसायिक चढ़ा ऊपरी के कारण योरोप की जातियों में नित्य वैमनस्य बना रहता है, एक दूसरे को शत्रु समझती है। उसका भयकर परिणाम वह महा समर था जिसका अभी तक निबटारा नहीं हुआ। हम इस सभ्राम से दूर रहना चाहते हैं। खिलाफत का प्रश्न, जिसने सप्ताह के समस्त मुसलमानों को बेचैन कर रखा है, बहुत कुछ दूर करने में चढ़ा ऊपरी से सम्बन्ध रखता है। फ्रांस शामदेश को नहीं छोड़ता इसलिए कि वह शाम के बन्दरगाहों से अपना माल अरब देश में ला सके। अंग्रेज लोग बसरा और बगदाद नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वहाँ मिट्टी के तेल की खानें हैं। इस व्यावसायिक स्वार्थपरता को छिपाने के लिए तरह-तरह के नैतिक ढकोसले गढ़ते जाते हैं और हम उस देश को छोड़ दें तो वहाँ अराजकता फैल जायेगी, वहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ मरेंगे इत्यादि।

कुछ सज्जनो का कहना है कि इस व्यावसायिक काम में हम संसार से अलग-अलग नहीं रह सकते। हमारा देश कोई कुटी नहीं है कि उसका 'द्वार बन्द करके हम शान्ति से बैठे। यह सर्वथा सत्य है। हम भी ऐसा करना नहीं चाहते। हम अन्य देशों से ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते हैं। उनके आचार विचार से परिचित रहना चाहते हैं, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि हम अन्य देशों की व्यावसायिक पराधीनता स्वीकार करें। जर्मनी, फ्रांस आदि उन्नत देश भी अपने देश के व्यापार की रक्षा के लिए रक्षणकारी कर लगाते हैं। केवल इंग्लिस्तान अवाद्य वाणिज्य का पक्षपाती है, लेकिन वहाँ भी नीतिज्ञ इस नीति के विरोधी हैं और देश की वस्तुओं की रक्षा करने के लिए अन्य वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल सारे अंग्रेजी साम्राज्य के नेता लोग इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिए लंदन में जमा हुए हैं। भारत से भी माननीय श्री निवास शास्त्री जी इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए गये हैं। जब ऐसे समुन्नत देशों का यह हाल है तो भारत यदि अपने व्यापार की रक्षा करे तो कोई अनुचित बात नहीं है।

रेल विभाग का प्रबन्ध अभी तक अंग्रेजी कम्पनियों के हाथों में है। यद्यपि कई रेल की शाखाएँ अब सरकार की सम्पत्ति हो गयी हैं पर सरकार ने उनका प्रबन्ध अपने हाथ में न लेकर कम्पनियों पर ही छोड़ दिया है। इस काम के लिए वह कम्पनियों को चार २० पाँच २० सैकड़ा नफा देती है। हमारे नेता सरकार से बार-बार कह चुके हैं कि वह रेलों का इन्तज़ाम स्वयं करे किन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। इसी बात की जाँच करने के लिए अभी हाल में एक कमेटी बैठी थी। मालूम नहीं उसने क्या निश्चय किया। कम्पनी के इन्तज़ाम से प्रजा को जो कष्ट होता है। कम्पनी प्रजा के सुख और सुभीते पर ध्यान नहीं देती केवल अपने लाभ पर ध्यान रखती है। रेल के विभागों में ऊँचे पदों पर कोई हिन्दुस्तानी नियुक्त नहीं होने पाता। रेलगाड़ियों में जनता को जो कष्ट होता है वह हम अपनी आँखों से देखते हैं। आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जनता की जेब से आता है लेकिन अब्बल और दूसरे दरजे के मुसाफिरो के लिए जहाँ सजी हुई गाड़ियाँ होती हैं, सजी हुई भोजन की गाड़ियाँ और ठहरने के स्थान होते हैं वहाँ सर्वसाधारण को तीसरे दरजे की गाड़ियों में भूसे की भाँति भरा जाता है और वह पशुओं की तरह मुसाफिर खानों में पड़े रहते हैं, उन्हें स्टेशनों पर पानी तक नहीं मिलता। स्वराज्य रेलों का सारा प्रबन्ध हमारे हाथ में रख देगा और तब हम—

तीसरे दरजे के मुसाफिरो के सुख के लिए यथोचित विधान करेंगे। मालगाड़ियों के इन्तज़ाम में भी हम अंग्रेज व्यापारियों के फायदे के लिए अपने देश के व्यापारियों का नुकसान न करेंगे। तब हमारे व्यापारी मालगाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टरो की खुशामद न करेंगे और न बड़ी-बड़ी रिश्वत देंगे। उन्हें ज़रूरत के अनुसार सुगमता से गाड़ी

मिल जाया करेगी और माल के रुके रहने से उन्हें जो हानि होती है वह कदापि न होने पायेगी ।

मादक वस्तुओं का त्याग करना स्वराज्य प्राप्ति का उपाय है । सरकार को मादक पदार्थों की विक्री और अफीम के बनाने से करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है । यह अधर्म का धन है और अधर्म के धन को भोग करके कोई देश सुखी नहीं रह सकता । मादक वस्तुओं से मनुष्य की जो शारीरिक और आत्मिक हानि होती है उसके उल्लेख करने की जरूरत नहीं है । हम सभी जानते हैं कि इसका नतीजा खराब होता है । गरीबों की पसीने की कमायी नष्ट हो जाती है और वह दरिद्र होकर भ्रांति-भ्रांति के दुःख भेलते हैं । हर्ष की बात है कि जिन जातियों को नीच कहा जाता है वह इस बुरी प्रथा को छोड़ रहे हैं लेकिन उच्च जातियों के लोग जो शराब की जगह भाँग और अफीम का सेवन करते हैं इनके त्यागने का नाम भी नहीं लेते । उनके विचार में भाँग या अफीम त्याग्य नहीं । यह उनको भूल है । मादक वस्तुएँ सभी हानिकर हैं और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें स्वयं छोड़े और यथाशक्ति दूसरों से छुड़वाएँ ।

उपसंहार

स्वराज्य क्या है, उसके पाने के क्या उपाय हैं और हमारे क्या लाभ होंगे इनका संक्षिप्त वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं । हमारे देश में कांग्रेस ही वह संस्था है जो स्वराज्य सम्बन्धी बातों का प्रचार करती है । महात्मा गांधी उस सभा के मुखिया हैं । उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि स्वराज्य के सुख भोगना चाहते हो तो चर्खे चलाओ, स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करो, अदालतों को छोड़ो, पंचायतों द्वारा अपने कलहों का फैसला कराओ । नशे की चीजों को त्यागो, बकालत के निकृष्ट पेशे को छोड़ो और राष्ट्रीय शिक्षा का उचित प्रबन्ध करो । महात्मा गांधी देश के भक्त हैं । उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है । हमारी भलाई के लिए वह रात दिन हिन्दुस्तान भर में दौड़ रहे हैं । यदि ऐसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नेताओं की आधीनता में हम स्वराज्य न ले सकेंगे तो फिर हम को बहुत काल तक पछताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे महान पुष्य संसार में बिरले ही जन्म लिया करते हैं । यह समझना चाहिए कि परमात्मा ने उन्हें भारत का उद्धार करने के लिए अवतरित किया है और यदि हम उनकी आज्ञा न मानें तो हमारा परम दुर्भाग्य है । हम सबको, चाहे विद्यार्थी हो या सौदागर, ब्राह्मण हो या शूद्र, चाहिए कि इस पवित्र उद्योग में अपने नेताओं का हाथ बटावें । ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थपरता को कुछ दिनों के लिए भुला दे और एक दिल हो कर स्वराज्य प्राप्ति के लिए उद्योग करे, खुद चरखे चलायें और अपनी घरवालियों से चलवाये ।

क्योकि इस समय यह आपत्ति धर्म है, इससे मुँह न मोडना चाहिए । अगर घर पीछे एक छटाँक सूत भी रोज निकलने लगे तो देश का बडा कल्याण हो और एक छटाँक सूत कातने मे घण्टे से ज्यादा समय नही लग सकता ।

हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमे सद्बुद्धि दे और इस उच्च और पवित्र काम मे हमारी सहायता करे ।



अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच : युद्ध और शांति

रूस और जर्मनी की संधि

इधर देश-देशान्तरो के मन्त्रिवर्ग योरोप मे शान्ति की व्यवस्था करने के लिए जेनेवा मे एकत्र थे, उधर रूस और जर्मनी मे संधि हो गयी । इस संधि ने मित्रराष्ट्रो के सारे मसूबो को खाक मे मिला दिया । यारो ने सोचा था कि रूस से मनमानी व्यापारिक सुविधाएँ करा लेंगे और जार को जो रुपये कर्ज दिये थे वह भी चक्रवृद्धि सहित वसूल कर लेंगे, धीरे-धीरे सोवियत गवर्नमेण्ट को हजम कर जायेंगे, फिर हमारी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था (या कुव्यवस्था) का विरोध करनेवाला कोई न रहेगा । उधर जर्मनी से जुमनि की रकम वसूल करने पर जोर दिया जायेगा । वास्तव मे यह सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि रूस को नीचा दिखाया जाय, पर रूस की नीति-चातुरी ने मित्रो को वह भाँसा दिया कि आप लोग दाँत कटकटाकर और कुन्द तौलकर रह जाते हैं । रूस का तो बाल बाँका कर नही सकते, जर्मनी पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं । कहते हैं, हम इस संधि को स्वीकार नही करते, यह जर्मनी की घोखाबाजी है, शरारत है, नीचता है । फ्राँस तो बिलकुल जामे से बाहर हो गया है । मगर अब पछताये होत का जब चिडियाँ चुग गयी खेत । जर्मनी युद्ध मे हारा जरूर, मगर इसका अर्थ यह नही है कि उसने सदैव के लिए अपने को मित्रराष्ट्रो के हाथ बेच दिया, अपने स्वच्छन्द जीवन का अन्त कर दिया । आप लोग तो जिससे चाहे संधि करें, जितनी शक्ति चाहे बढ़ायें और अपने बल को खूब संगठित करे, और जर्मनी हाथ पर हाथ धेरे बैठा रहे ! उसे जब मित्रो ने बिरादरी से निकाल दिया, प्रत्येक अवसर पर घुतकार और फटकार और तिरस्कार से उसका स्वागत करने लगे, बात-बात पर उसे दबाने, उसका मस्तक नीचा करने की चेष्टा करने लगे तो जर्मनी को विवश होकर रूस का आश्रय लेना पडा । उसे अपने माल को खपत के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कोई देश चाहिए न ? या जर्मनी मे मित्रो की कोष पूर्ति के लिए आकाश से रुपये बरसेगे ? अब मित्रो ने पोलैंड को भडकाया है, कदाचित् रूमानिया को भी सोवियत

सरकार से लडा देने की चाले चने, पर इसमे कोई सन्देह नही कि मित्र दलो की पालिसी ने यहाँ खूब ठोकर खायी और अब जर्मनी या रूस को अकेला समझकर दबाना उतना सहज न होगा। मित्रगण अब भी चेत जायँ, इसी मे उनकी भलायी है, नही तो जर्मनी ने भी तग आकर अगर अपने यहाँ सोवियत राज्य स्थापित कर दिया तो फिर सिवाय कफ अफसोस मलने के और कुछ न हाथ आयेगा। अभी अकेले और दुर्बल रूस ने ससार को हिला रक्खा है, सगठिन और काय चतुर जर्मनी भी मिल गया तो फिर पूँजी-पतियो के आधिपत्य का अन्त ही हो जायेगा।

मर्यादा . वैशाख १९७९

ओटावा सम्मेलन का आशार्वाद

यह व्यवसाय का युग है। यहाँ व्यापारी और चीजो को बनानेवालो के स्वार्थ का राज है। खरीदार के हित की कोई परवा नही करता। खरीददार तो केवल इसलिए है कि व्यापारियो कि चीज खरीदे। उनके अस्तित्व की यही मशा है। अगर वह खरीददार गुरीब हो गया और अब चीजो के खरीदने की उसमे शक्ति नही रही, तो बजाय इसके कि बाजार को स्वाभाविक गति से चलने दिया जाय, इस बात के लिए व्यापारियो का सम्मेलन होता है कि चीजे कैसे मँहगी हो सके। कैसे खरीददारो की जेब से ज्यादा से ज्यादा धन खींचा जा सके। व्यापारी को कैसे हानि हो सकती है? खरीददार का गला कटे, कोई परवाह नही। यही इस युग का धर्म है। व्यापारी अपना नफा कम नही कर सकता। प्रबध मे किफायत नही कर सकता। उसके हलवे-माँडे मे ज़रा भी कमी नही हो सकती। उसे पूर्ववत् भोग विलास करते रहना चाहिए। खरीददार को कानून से ऐसा दबाना चाहिए कि भ्रख मारकर मँहगे दामो चीजे खरीदे। अगर इसके विरुद्ध कुछ कहिए, तो आपके ऊपर देशद्रोह का आच्चेप लगा दिया जाय। जापान हिन्दुस्तान मे सस्ती चीजे भेजता है, इसलिए कर लगाकर उसके माल को बन्द कर देना चाहिए। यही ओटावा मे हुआ। अहमदाबाद और लकाशायर के मिल मालिक सस्तेपन मे जापान का मुकाबला नही कर सकते। उनकी इस अयोग्यता का तावान राष्ट्र को देना चाहिए। कहा जाता है कि ओटावा के निश्चय से हमारे किसानो का विशेष उपकार होगा, क्योंकि इंग्लैड रुई आदि पर दस फीसदी जो कर लगानेवाला है, वह अब भारत के माल पर न लगेगा, पर मुशकिल यह है कि यहाँ के माल की खपत इंग्लैड मे इतनी नही होती, जितनी अंग्रेजी साम्राज्य से बाहर के देशो मे। अगर उन देशो ने इसके जवाब मे भारत के माल पर कर लगा दिया, तो भारत की कितनी बडी हानि होगी! मगर भारत के हानि-लाभ से किसे प्रयोजन है। इंग्लैड की हानि न हो।

१२ सितम्बर १९३२

इंग्लैंड के लिबरल मेम्बरों का पदत्याग

इंग्लैंड में लिबरल सरकार की कलई दिन-दिन खुलती जाती है। कहने को तो वह राष्ट्रीय सरकार है, अर्थात्—उसके मन्त्रिमंडल में सभी राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं, लेकिन वास्तव में वह साम्राज्यवादियों की सरकार है, क्योंकि लिबरल और मजदूरदलवालों की संख्या उसके मन्त्रिमंडल में बहुत कम है। जो थोड़ी-बहुत थी भी वह ओटावा सम्मेलन पर मतभेद होने के कारण अलग हो गयी। कई प्रधान लिबरल नेताओं ने हाल में त्यागपत्र दे दिये। साम्राज्यवादियों, लिबरलों और मजदूरों की नीति में इतना अन्तर है, कि उन्हें किसी एक नीति पर सगठित करना असंभव-सा है। एक दल सरकार के पक्ष में है, दूसरा उसके विपक्ष में। कैसे संभव है, कि दोनों दलवाले सरकार में एक मत हो जायँ। ओटावा सम्मेलन में उपनिवेशों के माल को जो सरकार दिया गया है, लिबरल दलवाले स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने सिद्धांतों की रक्षा करते हुए जहाँ तक साम्राज्यवादी सरकार का साथ दे सकते थे, वहाँ तक दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ किसी तरह सिद्धांतों की रक्षा नहीं हो सकती, तो उन्हें विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा। जो दस पाँच बच रहे हैं, वे भी दो चार दिन में निकलने पर मजबूर होंगे, फिर गवर्नमेंट में केवल कजरवेटिव दल रह जायगा और वह जो कुछ चाहेगा करेगा। उसका बहुमत इतना ज्यादा है कि कोई दूसरा दल उस पर असर नहीं डाल सकता। भारत के लिए सभी दलों में केवल नाग और साँप का अन्तर है, मगर जहाँ चर्चिल का प्रभुत्व है, वहाँ नाग और काला नाग का अन्तर हो जाता है। हाँ, एक बात है। कजरवेटिव मुँह से जो कुछ कहते हैं, वही करते भी हैं। लिबरल और मजदूरदलवाले मुँह से तो मीठी-मीठी बातें कहेंगे, पर करेंगे वही जो कजरवेटिव करते हैं। इसलिए हमें कजरवेटिवों से इतनी शक न होनी चाहिए, जितनी लिबरलों या मजदूरों से।

५ अक्टूबर १९३२

मि० चर्चिल जनतंत्र के विरोध में

हमारे स्वराज्य की कुजी है केन्द्रीय उत्तरदायित्व और हमारे विधाता वही हमें नहीं देना चाहते। मि० चर्चिल तो उसके विरोध में इतने गर्म हो गये कि जनसत्ता ही को कोसने लगे। आपने फरमाया—“जनसत्ता” संसार में असफल सिद्ध हो चुकी है, संसार एकाधिकार की ओर तेजी से दौड़ा जा रहा है, फिर भारत में जनसत्तात्मक

शासन की क्या जरूरत ? ससार के कई राष्ट्रों में एकाधिपत्य ने अवश्य शासन जमाया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ? इसीलिए कि देश में साम्राज्यवाद का जोर हुआ और थोड़े से पूँजीपतियों की हानि-लाभ के निमित्त बड़े-बड़े महाभारत होने लगे । प्रजा के प्रतिनिधि प्रजाहित की तरफ से आँखें बंद करके पूँजीपतियों का पक्ष समर्थन करने लगे । बहुधा पूँजीपति ही प्रजा के प्रतिनिधि बन बैठे, क्योंकि धनी होने के कारण वे अपने चुनाव में बेदरोग रुपये खर्च करके मेम्बर बन बैठते थे । वहाँ एकाधिपत्य जनसत्ता की रक्षा के लिए आया है । भारत को तो अभी जनसत्ता की परीक्षा का अवसर ही नहीं मिला । अगर यहाँ भी जनसत्ता असफल हुई तो उसकी प्रतिक्रिया कोई न कोई रूप अवश्य धारण करेगी । अभी से उस विषय में परेशान होने की क्या जरूरत है । फिर जनसत्तात्मक शासन इतना अनिष्टकर है तो मि० चर्चिल पहले इंग्लैंड में ही उसका अन्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करते । तभी हम समझे कि उनकी नीयत साफ है । अगर एक चीज बुरी है, तो पहले खुद उसका परित्याग करो । यह नहीं कि खुद तो उसका भोग किये जाओ और दूसरों से कहो—खबरदार इसमें हाथ न लगाना ।

२६ अक्टूबर १९३२

आस्ट्रेलिया से गेहूँ की आमदनी

सन् १९३० में बाहर से आनेवाले गेहूँ पर दो रुपये की हंडर आयात कर लगा दिया गया था । जिससे बाहर की जिस यहाँ आकर मन्दी को और भी मन्दा न कर दे । इसका नतीजा यह हुआ कि बाहरी गेहूँ की आमदनी कम हो गयी । लेकिन आजकल गेहूँ का भाव भारत में तेज हो गया है । बाहर के व्यापारी इसी ताक में थे । उन्होंने हिसाब लगा लिया कि भाड़ा-खर्चा और आयात देकर भी कुछ नफा हो जायगा । बस आस्ट्रेलिया का गेहूँ कलकत्ता में पहुँच गया । इसका नतीजा यह होगा कि गेहूँ फिर मदा हो जायगा और यद्यपि इस वक्त किसानों के पास गेहूँ नहीं है, सब का सब साहूकारों की खती में पहुँच गया है और कई प्रान्तों में किसानों को गल्ला मोल लेना पड़ रहा है, लेकिन बाहरी गेहूँ के आने से आनेवाली रबी की फसल में भी मंदी बनी रहेगी और फिर हमारे किसान तबाह होंगे ।

२६ अक्टूबर १९३२

जापान का आर्थिक संकट

जापान की सघर्ष प्रवृत्ति देखकर हमने अनुमान किया था, कि वहाँ जनता खुशहाल होगी, लेकिन समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ की आर्थिक दशा बहुत ही नाजुक हो रही है। वह भी किसानों का देश है और वहाँ के किसान केवल भूखो ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि लड़कियाँ तक बेच रहे हैं। वे घास की जड़े खा-खाकर दिन काट रहे हैं और वहाँ भी लगान बंदी शुरू हो गयी है। प्रजा का तो यह हाल है और अधिकारी वर्ग पड़ोसियों से लड़ाई ठान बैठे हैं। यह उन देशों का हाल है, जहाँ स्वराज्य है।

३१ अक्टूबर १९३२

मि० लायड जार्ज जर्मनी के पक्ष में

जर्मनी का कहना है कि वरसेल्ज की संधि में इस समझौते पर उसको निःशस्त्र किया गया है कि विजयी राष्ट्र भी अपनी-अपनी सैनिक और नाविक शक्ति घटा देंगे। लेकिन फ्रान्स, इटली, इंग्लैंड किसों राष्ट्र ने भी उस समझौते को पूरा नहीं किया। परास्त जर्मनी तो तब से निःशस्त्र है, और विजयी राष्ट्र शस्त्र घटाने की बातें तो करते हैं, पर उसे पूरा करने का साहस नहीं रखते। ऐसी दशा में जर्मनी भी अपने को सशस्त्र करने का दावा करता है। मगर फ्रांस उसे किसी तरह सशस्त्र होते नहीं देख सकता। जर्मनी का दावा न्यायसगत है, इससे कोई निष्पक्ष आदमी इकार नहीं कर सकता और अब मि० लायड जार्ज ने भी इसे स्वीकार किया है। इसका फ्रांस क्या जवाब देता है, यह देखना है।

३१ अक्टूबर १९३२

अमेरिका की धमकी

कहा जाता है कि अमेरिका की आर्थिक दशा बहुत चिन्ताजनक हो रही है। हजारों बैंक टूट गये, करोड़ों आदमी बेकार हैं। फिर भी राष्ट्र सघ में निःशस्त्रीकरण की स्कीम के गिर जाने के कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट मि० हूबर ने जमी जहाजों के बनवाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति कम करने पर तैयार नहीं, तो अमेरिका ही क्यों चुप रहे। अमेरिका का व्यापार दुनिया

॥ अमेरिका की धमकी ॥

२६१

भर से बड़ा हुआ है। इसलिए उसके पास जगो जहाज भी इतने चाहिए कि वह दुनिया भर का अकेला मुकाबला कर सके। यह धमकी सुनकर इंग्लैंड और फ्रांस और इटली का खून भी गर्म हो जायगा और उन्मादपूख वेग से अस्त्र-शस्त्र एकत्र किये जाने लगेंगे। उधर बेकार प्रजा भूखी मर रही है। यह है उन देशों का हाल जहाँ स्वराज्य है।

७ नवम्बर १९३२

अमेरिका के कर्जदार

बहुत दिनों से ब्रिटेन तथा फ्रांस और इटली इम बात की कोशिश कर रहे हैं कि विगत महासमर के समय उन्होंने सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो कर्जा लिया है, वह फिलहाल कुछ समय तक के लिए वसूल करना मुलतवी कर दिया जावे तथा आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी रकम माफ कर दी जावे। संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद यह बात यकायक बहुत जोर शोर से सामने आ गयी है। अमेरिका को इसी १५ दिसम्बर को ब्रिटेन से नौ सौ पचपन लाख तथा फ्रांस से एक सौ नबे लाख सिक्के पावने हैं। दोनों ही महादेश समझौते की तान छोड़कर इस मौके को टलवा देना चाहते हैं। इस विषय में दोनों देशों की ओर से सरकारी तौर पर प्रार्थना-पत्र वाशीगटन भेजा जा चुका है और वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति हूवर तथा नव अर्ध-निर्वाचित राष्ट्रपति रुजवैल्ट में शीघ्र ही इस विषय में परामर्श होनेवाला है।

अमेरिका अब उतना धनी नहीं है, जितना हम उसको समझा करते थे। कम से कम, सरकारी बजट में चार सौ अस्सी लाख रुपये की कमी पडती जा रही है। और बैंकारों की तादाद दो करोड़ तक पहुँचा चाहती है। असफल बैंकों की सख्या लगभग एक सौ पचास तक, इधर दो वर्ष के भीतर पहुँच चुकी है। इसलिए अमेरिकन जनता योरोप से अपना पूरा लेना-पावना वसूल कर अपना घर सँभाला चाहती है और अमेरिकन काँग्रेस, अमेरिकन राष्ट्रपति तथा मन्त्रणा परिषद् ने एक स्वर से यह घोषणा कर दी है कि हम अपना कर्जा नहीं छोड़ सकते। उसे चुका ही देना चाहिए।

फिर भी अमेरिकन सरकार इतना टका-सा जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने एक ऐसा गोल-मटोल जवाब दिया है कि ब्रिटेन तथा फ्रेच राजनीतिज्ञ भी चक्कर में हैं। हूवर का कथन है कि यदि ये राष्ट्र अपना पूर्णत निरस्त्रीकरण कर देवे तो अमेरिका को भी जो समनुपातिक शस्त्रीकरण करना पडता है, उसका खर्चा घट जावेगा। इस प्रकार जो अपरोक्ष लाभ होगा, उसका विचार कर अमेरिका इस प्रस्ताव पर किंचित् विचार कर सकता है।

हमारी सम्मति में, ब्रिटेन तथा फ्रांस जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते,

उन्हे कोई मुँह नहीं है कि वे अमेरिका से किसी प्रकार की उदारता की आशा करें । इसके अतिरिक्त स्वयं उन्होंने अपने कर्जदार जर्मनी के साथ जब तक उनका बश चला गया कभी रिआयत दिखलायी है ? जर्मनी ने तो कर्जा भी न लिया था, केवल उससे दण्ड के रूप में जबर्दस्ती रूपया वसूल किया जा रहा था और ज़मानत के रूप में जर्मनी की उर्वर घाटी रूर को अपने कब्जे में रखकर फ्रेन्च जाति ने बड़ा अन्याय किया था । जर्मनी की आत्मा तथा उसकी समृद्धि को कुचलने का ही अभिशाप फ्रेंच सरकार के सिर पर नहीं है, उसने एक और गुस्तर पाप किया है, जिससे समूचा विश्व त्रस्त है । फ्रांस से जहाँ तक हो सका, उसने दुनिया का आधा सोना बटोर कर अपने खजाने में भर लिया । अब, हम देखते हैं कि दुनिया भर के रुपये के बाज़ार की आँख आ गयी है, वस्तुओं की कीमत गिर गयी है तथा विनिमय की गडबडी से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है । फ्रान्स इस समय कहीं अच्छी हालत में है और कर्ज न चुकाने के बहाने वह केवल अपनी सेना बढ़ाना चाहता है ।

ब्रिटेन ने अपने कर्जदारों के साथ कैसा बर्ताव किया, यह जाने दीजिए । उसने अपने मातहत कर्जदारों के साथ क्या किया । गरीब भारत ने महासमर तथा नयी दिल्ली के निर्माण में ही विशेषतः ब्रिटेन से ही कर्ज लिया था । नयी दिल्ली का वैभव गरीब भारत के लिए व्यर्थ की चीज़ है तथा उससे ब्रिटिश वैभव की ही प्रतिष्ठा प्रस्थापित होती है । महासमर की विजय से गरीब भारत को क्या मिला ? इसलिए यदि ब्रिटेन अपना सकट समझना है, तो वह दूसरों के सकट का भी ध्यान रखे । उसे चाहिए कि गरीब भारत की दुर्दशा का विचार करते हुए उससे जो कर्ज की अदायगी करानी है, माफ कर देवे । उदारता एक दैवी वस्तु है तथा उसका फल सुदूरवर्ती होता है । यदि ब्रिटेन भारत के प्रति उदार होगा, तो अमेरिका को भी ईश्वर सुबुद्धि देगा कि वह ब्रिटेन के प्रति उदार हो जावे, किन्तु इसके विपरीत हो रहा है कि ब्रिटेन ने भारतीय विनिमय को असयमित तथा बंधन-मुक्त कर यहाँ के सोने को अपने यहाँ खीचना शुरू कर दिया है । यदि ब्रिटेन भारतीय कष्ट को न समझेगा, तो अमेरिका ब्रिटिश कष्ट को क्यों समझे ?

२१ नवम्बर १९३२

सोवियत रूस की उन्नति

सोवियत रूस के पंचसाला कार्यक्रम का फल आशातीत हो रहा है । एक अंग्रेज पत्रकार ने वहाँ की वर्तमान दशा का पाँच साल पहले की हालत से तुलना करते हुए

लिखा है कि रूस में नये-नये नगरो और कस्बो की बाढ-सी आ गयी है। कितने ही ऐसे गाँव, जहाँ सौ दो सौ आदमी रहते थे वहाँ अब जनसंख्या पचास गुनी से ज्यादा बढ़ गयी है। भोपडो के जरा-जरा से पुरवें विशाल नगर बन गये हैं। व्यावसायिक उन्नति की यह रफ्तार ससार के इतिहास में विस्मयजनक है। जहाँ जनता पर जनता के हित के लिए शासन किया जाता है, वहाँ ऐसी ही सफलता प्राप्त होती है। साम्राज्यवादी योरोप अभी तक यही नहीं तय कर पाया कि फौजी सामान घटाया जाय या नहीं। उधर रूस एकाग्र भाव से उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। न वहाँ बेकारी है, न मन्दी।

२८ नवम्बर १९३२

बेईमानी भी राजनीति है

इंग्लैंड ने पिछली लड़ाई में अमेरिका से जो कर्ज लिया था उसे अदा करते हुए उसे बड़ा क्लेश हो रहा है। उसने खुद कई राष्ट्रों को उसी अवसर पर बड़ी-बड़ी रकमें उधार दी थी। मन्दी के कारण उसकी वसूली नहीं हो रही है। इसलिए इंग्लैंड अब इस दलील में अपना मला छुड़ाना चाहता है कि हमारे देनदार जब हमारा कर्ज नहीं चुकाते तब हम अमेरिका को कहीं से दे। मगर अमेरिका कोई बहाना सुनने पर तैयार नहीं है। पिछले साल प्रेसीडेंट ने एक साल की मुहलत दी थी। अब वह मोहलत नहीं देना चाहता। अगर एक व्यक्ति किसी से ऋण लेकर अदा करने से इन्कार कर दे तो वह बेईमान समझा जाता है। लेकिन राजनीति में इसे बेईमानी नहीं कहते।

५ दिसम्बर १९३२

ईरान का तेल

इस कहावत में सत्यता का बहुत कुछ अंश है कि तेल ही इस समय दुनिया में हुकूमत कर रहा है। तेल न हो तो कल-कारखाने, जहाज, हवाई जहाज, मोटर, ट्रेन, तोप, ट्रैक सबका काम रुक जावे। लाख बिजली की ईजाद हो, जल प्रपात और सूर्य की रश्मियों से काम लिया जावे पर तेल का राज्य नहीं उठ सकता। यदि आज महासमर हो जावे तो जो राष्ट्र तेल के स्रोतों पर अधिकार रख सकेगा वही विजयी होगा। इसी

वास्ते फ्रांस और जर्मनी की समस्या नहीं सुलभ पाती। फ्रांस चाहता है कि जर्मनी के तेल के स्रोतों पर मेरी हुकूमत रहे। ब्रिटेन चाहता है कि बर्मा और ईरान का तेल उसी के हाथ में रहे। अमेरिका अपने स्टैंडर्ड आयल कम्पनी के लिए दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक स्वतन्त्र कहे जानेवाले गणतन्त्र का गला घोटने के लिए तैयार रहता है। निकारागुआ का सत्यानाश इसी कारण हुआ। बाक के तेल के स्रोतों के पीछे लाखों की जाने जा चुकी है।

इसलिए तेल का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी यदि कोई स्वतन्त्र राज्य, कम से कम उस तेल पर जो उसके देश में निकल रहा है, अधिकार रखना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? भारत यदि बर्मा के तेल पर अपना अधिकार व्यक्त करता है और ईरान अपने तेल पर, तो दोनों दशाओं में ब्रिटेन को न्याय की बात मानकर, अपना हक वापस ले लेना चाहिए। ईरान के ब्रिटिश भक्त शाह ने १९०१ में एक ब्रिटिश कम्पनी को १९६१ तक देश भर के तेल के स्रोतों से तेल निकालने की आज्ञा दे दी थी। यह आज्ञा उन्होंने दी थी या स्वयं ब्रिटिश आज्ञा का पालन किया था, यह सन्देह की बात है। इस विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि रूस यह कह सकता है कि जार ने रूस की प्रजा की इच्छा के विरुद्ध इस के लिए विदेशी राज्य से कर्जा लिया था और उसे चुकाने के लिए रूम तैयार नहीं है, तथा यही बात तुर्किस्तान की ओर में भी विगत लासेन-काफ्रेस में उठायी जा सकती थी, तो ईरान भी इसी बुनियाद पर यदि प्रजाहित के विरुद्ध प्रजा की इच्छा के विरुद्ध किये गये एक अत्यन्त दूषित कार्य के सुधार का निश्चय कर ले तो ब्रिटेन को उसे धमकाना नहीं चाहिए। ईरान ने माफ कह दिया है कि ईरानी स्वयं अपना तेल निकालेंगे और हमारी समझ में उन्हें यह कहने का हक है।

१६ दिसम्बर १९३२

विदेशी राजनीति

विदेशी राजनीति में इस समय तीन अति महत्वपूर्ण घटनाएँ हो गयी हैं। एक है डी वेलरा की विजय, दूसरी है जर्मन की वॉन स्लेसर सरकार का पतन, तीसरी है फ्रांस में दलादियर का प्रधान मन्त्री हो जाना तथा हेरियट-मत्रिमण्डल का असामयिक अवसान।

डी वेलरा को नये निर्वाचन में एक सौ छियासठ मेम्बरो में से अस्सी स्थान अपने लिये मिलने की सभावना थी। पर, उनका अनुमान गलत निकला—एक प्रकार से सही भी था—केवल सतहत्तर स्थान मिले। जब डी० वेलरा ने अस्सी की आशा खुले शब्दों

मे प्रकट की थी तो नबे की आशा उन्हें जरूर ही रही होगी। इसी प्रकार कासप्रेव दल की 'अद्भुत सफलता' की मुनादी भी की जा रही थी। और ऐसी मुनादी में भाग ले रहा था रायटर। रायटर ने इस चुनाव के विषय में जो तार भेजे हैं, जो डरानेवाली अफवाहें उड़ायी हैं, इसी से यह साबित हो जाता है कि साम्राज्यवादी डेल तथा साम्राज्यवादी जगत डी वेलरा के पराजय का कितना उत्सुक था। अस्तु, छिहत्तर सदस्य अन्य दलों के हैं जिनमें अडतालीस कासप्रेव दल के हैं। यह सख्या, विरोध करने के लिए प्रभाव-शून्य नहीं है और डी वेलरा को आशा के बराबर समर्थन न मिलना इस बात का प्रमाण है कि अभी तक आयलैंड की जनता इस द्विविधा में पडी हुई है कि किसकी नीति को अधिक उचित समझे। डी वेलरा की नीति से व्यापार को धक्का पहुँचा है। बेकारी बढी है। किसानों की लगान कम नहीं हुई है। पर, दूसरी ओर स्वाधीनता, समानता तथा ऐठ की भी वृद्धि हुई है। एक ओर पेट, दूसरी ओर देश की प्रतिष्ठा। फलतः यही असमन्जस इस चुनाव में प्रधान प्रश्न था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयलैंड का हित इसी में है कि ब्रिटेन के साथ उसका व्यापारिक सम्बन्ध रहे। इस सम्बन्ध के लिए आयलैंड लालायित भी है, पर किसी भी अवस्था में वह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अपनी ज़मीन की लगान 'लैंड एनज्यूमिटी' के रूप में ब्रिटेन को चुकावे। डी वेलरा ने यद्यपि लगान ब्रिटेन को नहीं चुकाया है, पर उन्होंने किसानों से उसे वसूलकर सरकारी खजाने में रख लिया है। इसलिए किसान जहाँ के तहाँ हैं और इसी बात का आज यह फल है कि मजदूर दल के उम्मीदवार भी अच्छी खासी सख्या में चुने जा सके हैं। डी वेलरा के अध्यक्ष हो जाने पर, उनके दल के छिहत्तर सदस्य हो जावेंगे। यदि 'पार्लमेन्ट' डेल हरेन में इन्ही के दल का सभापति चुना गया तो एक 'कास्टिंग वोट' जरूर इस दल को मिल सकता है। ऐसी दशा में भी बिना मजदूर-दल को साथ लिये डी वेलरा दल का काम नहीं चल सकता। पर, मजदूर दल के साथ का अर्थ है मजदूरों की, किसानों की समस्या को हल करना। यह समस्या ब्रिटिश व्यापारिक-सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतएव डी वेलरा अपनी समस्या को निपटा सकेंगे अथवा वे फिर से नया निर्वाचन कराकर अधिक बहुमत की आशा करेंगे, यह अभी तक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता, पर डी वेलरा की चिन्ता तथा उनकी नीति के लिए दृढ़ एकता की आशा नहीं है और इसी आशा में ब्रिटेन को भरोसा हो सकता है।

जर्मन राइखस्टैग की रचना इस समय ऐसी है कि यह बात स्पष्ट है कि कोई भी दल विशेष समय तक शासन नहीं कर सकता। ऐसी दशा में हर हिटलर का चासलर हो जाना और अपनी 'स्टील हेलमेट' नामक नाजायज़ सेना पर जर्मनी का शासन कर सकना विशेष सभव नहीं दीखता। मजदूर दल—साम्यवादी—पापेल का दल—स्लेस्तर दल सभी उनका विरोध करेंगे और हिटलर यद्यपि कुछ समय तक 'गैर-कानूनी' पार्टी के सहारे शान्ति स्थापित करने की चेष्टा भी करें, पर उसका पतन अवश्य ही

शीघ्र होगा और एक बार पतन होने पर, असफल होने पर, हिटलर के नाम का जाहू हवा हो जावेगा और राईख स्टेग का जो नवीन निर्वाचन होगा उममे हिटलर की सख्या और भी घटेगी, यह अवश्यम्भावी है। हमारी समझ मे जर्मनों को शान्ति तभी मिलेगी जब पुन एक का ही, बिना अनेक के समर्थन के शासन मभव हो सकेगा।

फ्रास मे हेरियट ऐसे राजनीतिज्ञ तथा विख्यात कूटनीतिज्ञ के स्थान पर, दला-दियर ऐसे द्वितीय श्रेणी के प्रधान मन्त्री का अधिक समय तक प्रजा का विश्वास भाजन बने रहना मभव नही प्रतीत होता। हम शीघ्र ही फ्रेच राजनीति मे भी नवीन-निर्वाचन तथा नये प्रधान मन्त्री का आगमन-सवाद सुनेगे और इसी मे अमेरिका पर होनेवाली ऋण-परिषद् की सफलता निर्भर करेगी।

६ फरवरी १९३३

अशान्ति

विश्व मे इस समय चारो ओर घोर अशान्ति का वातावरण फैला हुआ है। जिधर देखिये, जिसे देखिये, वह उद्विग्न है, पीडित है, दु खी है। वैभव और सुख के मद मे डूबता इतराता, धनी भी जब अपने सुख से अघा जाता है तो एक अजीब चीज उसके जी को कचोटने लगती है, एक अजीब हवा उसके भीतर पैठकर उसे जला डालती है और वह कराहता है—न जाने उसे क्या चाहिए ? दरिद्र के पास कुछ नही है, केवल उसकी चिन्ता ही उसे डंसा करती है, फिर भी उसके हृदय मे न जाने क्यों एक ओर सुख का श्रोत बहता है, दु ख की गम्भीर धारा तो प्रशान्त महासागर की तरह निश्चल—पर निरन्तर प्रवाहित होती रहती है।

घरेलू जीवन मे भी कोई सुखी नही है। किसी को सन्तान चाहिए, किसी को रूप, किसी को घर, किसी को वर। जिसको जितना ही मिलता जाता है, उसे उतना ही अधिक आवश्यकता का अनुभव होता है। सभी को सभी कुछ चाहिए।

पर, ऐसा हो नही सकता, पर जो नही हो सकता, वह दुनिया मे दिखलायी भी नही पड सकता। इसका वास्तविक अर्थ जो है वह केवल यह कि प्रत्येक प्राणी उस विश्वात्मा का एक अंश है। विश्वात्मा की सत्ता के इतर इस लोक मे और कुछ भी नही है, अतएव जो कुछ है वह विश्वात्मा ही का है। उसी विश्वात्मा का अंश प्राणी है, जीव है। जीव निरन्तर भगवान की ओर बढना चाहता है, अपने लुप्त ऐश्वर्य को अपनाना चाहता है। वह स्वय सृष्टि का स्वामी है, यह ज्ञान उसकी अन्तरतम आत्मा मे छिपा हुआ है, उसे इसी ज्ञान का सहारा है—और इसीलिए वह अपनी सत्ता मे अपना ही सब कुछ देख सकता है, देखना चाहता है।

वह सोचता है कि सुख उसी की वस्तु है, उसे मिलनी चाहिए। दुःख उसी की प्रसादि है। उसमें दुःख लय हो जाना चाहिए। राज्य उसका, धन उसका, दुनिया उसकी। इसीलिए सब कोई सब कुछ चाहता है। परमात्मा का अश परमात्मा का प्रभुत्व—अपना प्रभुत्व चाहता है—और यही वस्तु जगत की समूची चेष्टा, समूची शक्ति, समूची क्रिया के भीतर छिपी बैठी है।

यदि यही तक बात रहे तो सचमुच बड़ा सुन्दर हो। दुःख-सुख को अपने में लय कर जीव सुखी हो जाय, या दुःखी न रह जावे। पर जगत मिथ्या है। माया की अनोखी शान है। उसकी “सब कुछ अपनाने” की इच्छा “अहंकार” और “अभिमान” का रूप धारण कर लेती है। उसमें “मेरा” और “मैं” का गर्व पैदा हो जाता है। उसकी शक्तियाँ उच्छृङ्खल हो जाती हैं। वह यह भूल जाता है कि यदि दुनिया का सब कुछ उसी का है तो हरेक जीव भी उसी के है—पृथ्वी में वह है, जीव है—दोनो एक ही सत्ता के अश है। एक ही शरीर के अंग है। एक ही पिंड के अणु है। इसीलिए किसी दूसरे का अपहरण अपना अपहरण है। किसी दूसरे का अनादर अपना अपमान है। किसी दूसरे की पीडा अपनी पीडा है। जो सनातनी यवनों से द्वेष करते हैं, पर यह भी कहते हैं कि वेद में ससार के सभी धर्म वर्तमान हैं, उसके सिद्धांत पाये जाते हैं, वे यह भूल जाते हैं, कि यह कहते ही उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि मुसलमानी या ईसाई धर्म को बुरा-भला कहे। हमारा ही अंग बुरा नहीं हो सकता। हमारा ही धर्म कोई खोटा नहीं कह सकता। बस, हमारे अहंकार ने ही हमें चौपट कर रखा है, हमारे अज्ञान ने हमें चूस लिया है।

विश्व की अशान्ति की केवल एक दवा है। आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले की बात है। चीन में भयंकर मारकाट, रक्तपात, नर-संहार मचा हुआ था। हरेक जागीरदार डाकू था, हरेक राजा डकैत था। हरेक बच्चा बचपन से केवल लडना या मारा जाना सीखता था। उस समय चीन के कोने में एक ज्योति टिमटिमा रही थी। उसने चीन की दुर्दशा देखकर उसका निदान सोचा, उपाय सोचा, ढंग सोचा। हिंसा से कोई लाभ नहीं। जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे। हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाता था। जोर का जवाब जोर से। क्रोध बुरी वस्तु है। क्रोधी को क्रोध पहले खाता है। आवेश और असन्तोष भी बुरा है। अपनी दुर्दशा पर रोना नहीं चाहिए। ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। इसलिए चीन की दुर्दशा का सुधार केवल एक बात से हो सकता था। “प्रेम” पूर्ण भाई-चारे से, आत्म सयम से, दूसरे के दुःख दर्द में शरीक होने से। कनफ्यूसियस के यही महोपदेश थे। वह बड़ा विनम्र महात्मा था। प्रत्येक महान् आत्मा का आदर करना चाहिए। इसमें मानापमान का विचार नहीं करना चाहिए। मनाफू-सुदूर लाओ-त्सी नामक महात्मा से सादर मिलने भी गया।

उसके उपदेश के प्रचार से चीन के गर्म दिमागवाले ठंडे हो गये । जिनको अपना गर्व था, वे शान्त हो गये । जो जीवन को लूट-खसोट की एक योजना मानते थे, वे धीरे-धीरे प्रेम का महत्व सीखने लगे । और कनफ्यूसियस के मरते-मरते चीन में शान्ति आ गयी ।

आज समूचा विश्व चीन हो रहा है । मनुष्यों के स्थान पर राजा है । जागीरदारों के स्थान पर राज्यों के राजनैतिक नेता है और लूटेरों के स्थान पर शासकों का उच्छृङ्खल दल है । छोटा-सा राज्य माएटीकार्लो भी चाहता होगा कि लन्दन की गद्दी उसे मिले और ब्रिटेन समूचे विश्व को अपना उपनिवेश, समूची बाजार अपना दास और समूचे राज्यों को अपना चेला बनाना चाहता है । फ्रांस वाले एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं । स्पेन में एक प्रजातंत्र है, हिटलर-तंत्र है, हिडनवर्ग-तंत्र है—और कुछ नहीं, केवल एक भीषण मारकाट की लम्बी तैयारी है । जापान मन्चूरिया ही नहीं, चीन को ही हडप लेना चाहता है । चीन जरूर सोचता होगा कि मौका मिलने पर टोकियो में चीन का प्रधान अड्डा जमाया जावे ।

जो अपनी उन्नति चाहता है, वह दूसरे के मझार के बल पर । जो बढ़ना चाहता है, वह दूसरे को गिराकर । एक साथ चलना दूषण समझा जाता है । एक साथ काम करना अपनी "नीति" को पराजित करना समझा जाता है, एक साथ मिलकर रहना राष्ट्रीय अपमान होता है । सभी बड़ चाहते हैं जिसे सब चाहते हैं, इसीलिए किमी को कुछ नहीं मिलना । एक ओर ब्रिटेन अपना उपनिवेश बढ़ाता है, दूसरी ओर महासमर में उसके देश के नवयुवकों की माला स्वाहा हो जाती है । एक ओर जापान कोरिया छीनता है, दूसरी ओर भूडोल उमकी राजधानी नष्ट कर डालता है । घाटा पूरा करना होगा, लेन-देन बराबर होगा । दुनिया में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है । हमने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का छीन लिया, दूसरा फिर छीन लेगा । हाथ लड रहा है श्राँख बन्द है ।

बस, चीन-जापान के भावी संघर्ष, जर्मनी की घरेलू अशान्ति, आयरलैंड की हलचल, स्पेन के उपद्रव का एक मात्र केवल एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही विधि है, और वह है, किसी कनफ्यूसियस आत्मा की आवाज का सुनायी पडना और हमारा सुन लेना । एक कनफ्यूसियस पैदा हो गया है, और वह थरवदा मंदिर के भीतर बैठा हुआ है । वह कह रहा है "आपस में प्रेम करो । बस, प्रेम करो ।" केवल प्रेम । जिस किसी को प्रेम न करते हो, करने लगे । ब्रिटेन से, जापान से, सब से । और कुछ कर भी तौ नहीं सकने । केवल प्रेम करने में क्या हानि है । सच्चे दिल से, सबसे प्रेम करो । सम्भव है हमारे तुम्हारे प्रेम की ध्वनि जापान के जी को कचोट ले, चीन के जी को चुभ जावे और सब एक मन, एक वाणी और एक कार्य से प्रेम करने लग जावे । प्रेमी को ही प्रेमी मिलते हैं । आज हम अपना-पराया भुलाकर, अपना-उनका

भूलकर सबके साथ प्रेम करने लगे, हिन्दू-मुनजमान के साथ, सनातनी-अछूतो के साथ, अंग्रेज हिन्दू के साथ प्रेम करने लगे—सभी समस्याएँ अभी हल हो जायेंगी। सब की, चाहे व्यक्ति हो या राज्य, राजा हो या प्रजा, सबके मन में शान्ति की लहर हिलोरे लेने लगेगी। प्रेम का, स्नेह का, ममता का वातावरण छा जावेगा। हम प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं—समूचे विश्व से, हमने विश्व-शान्ति का डका पीट दिया है। देखो कैसे विश्व-शान्ति नहीं होती। पर प्रेम सच्चा हो, डके में चोट हो।

२७ फरवरी १९३३

जर्मनी का भविष्य

जर्मनी में नाजीदल की अद्भुत विजय के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जर्मनी फासिस्ट हो जावेगा और वहाँ नाजी-शासन कम से कम पाँच वर्ष तक दृढ़ रहेगा ? यदि एक बार नाजी शासन को जम कर काम करने का मौका मिला तो वह जर्मन के प्रजातन्त्रीय जीवन को, उसकी प्रजातन्त्रीय कामना को अपनी सेना और शक्ति के बल पर इस तरह चूस लेगा कि फिर पच्चीस वर्ष तक जर्मनी में नाजी दल का कोई विरोधी नहीं रह जावेगा। संभव है तब तक राजसत्ता भी स्थापित हो जावे। कैसर जर्मनी आने की अनुमति माँग रहे हैं। कैसर के पुराने सेवक हिण्डेनबर्ग राष्ट्रपति हैं। नाजीदल का उपाध्यक्ष कैसर का पुत्र है। राजभवनो पर सम्राट का पुराना झण्डा फहराया जा रहा है। ऐसी दशा में फ्रांस और योरोप को अन्य शक्तियों के लिए जर्मनी बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। वार्सले-सन्धि के अनुसार जर्मनी सम्राट का झण्डा भी नहीं फहरा सकता। कैसर को देश निकाला भी सभी राष्ट्रों की सम्मति से हुआ है, पर नाजी नेता हिटलर को इन बातों की चिन्ता नहीं। शासन अपने हाथ में आते ही वह फ्रांस से सैनिक प्रतिबन्ध के प्रश्न पर झगड़ बैठा है जिस कारण लन्दन के पत्रों ने "निरस्त्रीकरण" सम्मेलन को निर्जिवि सस्था घोषित कर दिया है। कर्जे के विषय में हिटलर एकदम चुप है—मानो वह उसको कोई महत्व ही नहीं प्रदान करता। इसलिए आशंका यह है कि बात बढ ही जावे। जर्मनी में नाजी दल की नाजायज सेना का तीव्र दमन और सभी विरोधी शक्तियों को चुनाव के पूर्व कुचल डालना ही नाजी विजय का कारण है। यह कहाँ का न्याय था कि वर्गवादियों को जेल भेजकर, विरोधियों को पिटाकर, मुसोलिनी की तरह विरोधी पत्रों तक को बन्द कराकर चुनाव कराया जावे और उसकी विजय को राष्ट्र मत की विजय कहा जावे। हिटलर मुसोलिनी का अनुकरण कर रहा है, पर मुसोलिनी के सामने वार्सल की सन्धि और राजसत्ता के साथ षड्यंत्र का कार्यक्रम नहीं था। अतएव हिटलर को सावधान रहने की आवश्यकता है। भीतरी और

बाहरी विरोध दोनो उसका पतन चाहते हैं । देखें क्या होता है ?

२० मार्च १९३३

यह डिक्टेटरों का युग है

प्रजातन्त्र वाद असफल हो गया । एक सौ पचास वर्ष के बाद अब मालूम हुआ कि यह चलनेवाली चीज नहीं । रूस ने इसे धता बतलाया, इटली ने धता बताया, अब जर्मनी ने भी धता बता दिया । और आखिर मे भारतवर्ष ने भी इसे धता बता दिया । समझ में नहीं आता, वाइसराय के अधिकार बढ जाने पर इस सिरे से उस सिरे तक हाय-हाय क्यों हो रही है । कोई कहता है यह गुनामी का पट्टा है, कोई पुकारता है भारत में अंग्रेजी राज्य अनन्त तक जमे रहने का योजना है, कोई हॉक लगाता है यह भारत का अपमान है । हम समझने हैं श्वेत-पत्र की रचना में जल्द विधि का हाथ है । आखिर डिक्टेटरशिप को एक न एक दिन आना ही है, जब पश्चिम के देशों ने जनतन्त्र को ठुकरा दिया तो हिन्दुस्तान में भी एक न एक दिन उभे ठुकराया ही जायगा । हमारे त्रिकालदर्शी देवता तो एक ही सयाने । उन्होंने सोचा व्यर्थ भारत में खून-खच्चर क्यों हो, क्यों हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन पैदा हो । पहले ही से न डिक्टेटर बना दो । बस हमारे देवता अंग्रेज-राजनीतिज्ञों के हृदय में अपने देवबल से घुस गये और यह व्यवस्था बनवा ली । आखिर कांग्रेस ने भी तो गाँव-गाँव, शहर-शहर, प्रान्त-प्रान्त, में छोटे बड़े डिक्टेटर बना लिये थे । अब यही समझ लो कि चौकीदार से लेकर वाइसराय तक हमारे डिक्टेटर हैं । इसमें रोना-पीटना काहे का । हम तो कहते हैं यह कार्डिनल और एसेम्बली सब व्यर्थ, व्यर्थ ही नहीं जिनाशकारी है । देश उन पर करोड़ों रुपये साल खर्च करता है । हजारों आदमी वहाँ सब काम-धन्धा छोड़कर चिन्ताने हैं । क्या फायदा ! सब तोड दो, वाइसराय को डिक्टेटर बना दो । तब कम से कम रुपये तो बचेगे, किसानों का बोझ तो हलका होगा, टैक्स तो कम हो जायगा । कुछ न होगा इस हाय-हाय से तो छुट्टी मिलेगी । अभी जो मेम्बर और मिनिस्टर बने मूँछों पर ताव दे रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मानो वह देश का उद्धार किये डाल रहे हैं तब मजे से नोन-तेल बेचेगे या लौडे पढायेगे । कोतल घोडो को बाँध कर खिलाने का खर्च तो जनता के सिर न पड़ेगा । मुफ्त की हाय-हाय और बाय-बाय । हम तो अपना डिक्टेटर वाइसराय चाहते हैं और उसी की जै मनाते हैं ।

२७ मार्च १९३३

मसौलिनी शांति व्यवस्थापक के रूप में

वरसो शस्त्र घटाने के असफल प्रयत्न के बाद ग्रब मि० रामजे मैकडोनेल्ड और सर जान साइमन इटली पहुँचे हैं और मसौलिनी ने उनका धूमधाम से स्वागत किया है। साइमन साहब भी खुश हैं और मैकडोनेल्ड साहब भी खुश हैं, मगर मसौलिनी ने जर्मनी के विषय में जो बात कह डाली और 'वर्सल संधि' की तरमीम की जो चरचा कर दी, बस समझ लो कि अंग्रेज नीतिज्ञों की यह चाल भी उल्टी पडी। फ्रांस न राजी होगा न शस्त्र घटेगे। फ्रांसवाले पहले ही से मसौलिनी पर अविश्वास करते हैं। अब तो उसे जर्मनी का हिमायती ही कहेंगे। शस्त्र किसी तरह नहीं घट सकते चाहे सारी दुनिया जोर लगाकर देख ले।

२७ मार्च १९३३

सहयोग या संघर्ष

जीवन के लिए संघर्ष का उतना ही महत्व है, जितना सहयोग का। कितने ही ऐसे काम हैं, जिनमें सहयोग से कहीं बढ़कर संघर्ष काम देता है, लेकिन देखना यह है कि कौन-सी नीति मानवता के अनुकूल है और कौन उसके प्रतिकूल। लडके को पढाने-लिखाने में प्यार और मार दोनों ही अपनी-अपनी जगह कल्याणकारी हैं, लेकिन प्यार हर समय के लिए है, मार केवल विशेष अवसरों के लिए। हम प्रातः काल बच्चे का चुम्बन लेकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा तो शायद बहुत कम होता हो कि सवेरे उठते-उठते लडके को दो-चार चाँटे लगाकर हम अपनी दिनचर्या शुरू करें। हम बच्चे को मारते भी हैं तो इसलिए कि उसे ज्यादा प्यार कर सकें। डाक्टर हमें नशतर लगाता है तो इसीलिए कि फिर उसे नशतर लगाने की जरूरत न पड़े। हम बच्चे को मारने के लिए नहीं मारते और न सरजन नशतर लगाने के लिए नशतर लगाता है। सहयोग प्राप्त करने का एक साधन संघर्ष हो सकता है और होता है, लेकिन संघर्ष पर जीवन और समाज की बुनियाद डाली जाय और संघर्ष को ही विकास का मूल तत्व समझा जाय, यह तो कभी हितकर नहीं हो सकता। डार्विन साहब ने संघर्ष-सिद्धांत का आविष्कार करके मानव-जाति में उस पशुता को एक सहारा दे दिया और उस प्रगति को रोक दिया, जिधर उसका स्वाभाविक विकास उसे लिये जाता था। संघर्ष पशुता का लक्षण है, सहयोग मानवता का। हमें उत्तरोत्तर पशुता से मानवता की ओर जाना चाहिए था, लेकिन संग्राम के इस सिद्धांत ने उस पशुता को एक नयी शक्ति प्रदान कर दी और उसी का यह फल है कि आज भूमंडल पर संघर्ष की दुहाई सुन रहे हैं। इसने हमें कुछ ऐसा सम्मोहित कर दिया है कि इच्छा न रहते हुए भी हम उसी ओर खिंचे जा रहे हैं। आज Exploitation का जो बाजार गर्म है, वह संघर्ष-सिद्धान्त का सबसे विनाशकारी अंग

है। हमने अपने स्वार्थ की बाग छोड़ दी है, और इसकी कुछ परवाह नहीं करते कि वह कितने बोये हुए खेतों को रौदता, कितने जीवों को कुचलता चला जा रहा है। योरोप से हमने अगर कुछ सीखा तो वही सीखा, जो उसकी संस्कृति का सबसे निकृष्ट पहलू था। अभी बहुत दिनों की बात नहीं है कि हमें पश्चिम की सभी चीजें अपनी सभी चीजों से बढ़िया लगती थीं। उनका रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, उनके खान-पान सब में हमारे लिये एक न रुकनेवाला आकर्षण था। योरोपवाले ढेर में सोकर उठते हैं, इसलिए हमें भी ढेर में सोकर उठना चाहिए। योरोपवाले हरदम कपड़े पहने रहते हैं, इसलिए हमें भी कभी नगें बदन न रहना चाहिए। योरोपवाले खूब शराब पीते हैं, इसलिए शराब पीना भी संसार पर विजय पाने का एक मंत्र है। वही एकांत प्रेम, वही अपने से नीचे दरजे के आदमियों से पृथक् रहने की आदत, वही मुँह में सिगार दबा कर चलना, गरज हमने बन्दरों की तरह पच्छिमवागनों की नकल शुरू की और अभी तक करते जा रहे हैं। हमारे नेता और अगुआ जब उस प्रवाह में न सँभल सके, तो छोटे-छोटे साधारण आदमी क्या सँभलते? धीरे-धीरे समय ने हमको बताया कि योरोप में सब कुछ सोना ही सोना नहीं है, उसमें कासा-पीतल भी है। हम अपने खोये हुए आत्मसम्मान को फिर अपनाने लगे, हमारी नज़रों से वह सम्मोहन हटा और हमें कुछ विचार करने की शक्ति आयी। महात्मा गांधी ने आकर मानो उन बिखरी हुई आकार-हीन भावनाओं को मूर्तिमान कर दिया और योरोप की बुराइयाँ भी हमें नज़र आने लगीं। लेकिन संघर्ष का जो विष संसार की वायु में घुल गया है, उससे हम बचना चाह कर भी नहीं बच सकते। हमारे शासन-विधान में, हमारी व्यापारिक संस्थाओं में, हमारे निजी व्यवहार में, संघर्ष अपना नगा नृत्य कर रहा है। शक्तिवान और शक्तिवान, धनवान और धनवान होना चाहता है और वह निर्बलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा। वह पड़ोसी के बराबर नहीं रह सकता, उससे बढ़कर रहेगा, उसे उखाड़ फेंकेगा। उसे अधिकार चाहिए। सोते, जागते वह अधिकार का स्वप्न देखता है और अधिकार के आगे ही सिर झुकाना जानता है। सच्चाई का बल, दीनता का बल उसके सामने कोई महत्व नहीं रखता। इसे वह दुर्बलता समझता है। उसके सामने केवल पशुबल का महत्व है, इसी से वह भयभीत होता है। इसी की पूजा करता है। उसका बड़ा हुआ अहंकार उसकी आँखों के सामने भूत की तरह खड़ा है। ब्रह्मांड में व्याप्त एक चेतना है, इसे वह स्वीकार नहीं करता। प्राणी-प्राणी में एक दूसरे को खा जाने के सिवा और कोई भावना है, इसे वह नहीं मानता। ममता का एक पतला परदा जो उसे व्यापक सत्य से पृथक् किये हुए है, उसे उसने एक किला बना लिया है, जहाँ बैठा हुआ वह दूसरों पर हमले करता है और खुद हमलों से बचा रहता है।

हमारे सामने जो श्वेत-पत्र रखा गया है, उसके एक-एक शब्द में यही संघर्ष की भावना भरी हुई है। भारत दुर्बल है, असंगठित है, इसलिए उसे क्यों उभरने दिया

जाय ? सघर्ष का अविश्वास से प्रेम है हो । इस विधान के एक-एक शब्द से भारतीयों के प्रति अविश्वास टपक रहा है । चूँकि भारत दबाया जा सकता है, उसे दबाये रखना चाहिए । भारत पर विश्वास करके, उसके उद्धार में सहयोग देकर ससार में नवयुग लाया जा सकता है, सघर्षी इंग्लैंड में इतनी कल्पना नहीं है । भारत तबाह हो जाय, उसके साथ चाहे इंग्लैंड खुद तबाह हो जाय, पर भारत पर अपनी गिरफ्त डीली नहीं की जा सकती । इंग्लैंड की त्रिलकुल उस शक्की आदमी की-सी दशा है, जो अपनी स्त्री पर अविश्वास करके उसे कोठरी में बंद रखता है, कही जाता है, तो कोठरी के द्वार पर ताला डाल देता है । ऐसी स्त्री सुखी नहीं रह सकती, लेकिन क्या ऐसी स्त्री का पुरुष सुखी रह सकता है ?

३ अप्रैल १९३३

अमेरिका फिर गीला हो गया

अगर कोई हमसे पूछे कि ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम कहेंगे शराब का इस्तेमाल । इस्लाम की विशेषता प्याज हो या न हो, लेकिन ईसाई धर्म के विषय में तो कोई सन्देह नहीं । हमारे यहाँ जितने भाई ईसाई हो गये हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन देखते हैं तो यही कि अब वह शराब पीने लगे हैं । हिन्दू धर्म ने शराब का निषेध किया, इस्लाम ने भी शराब का निषेध किया, मगर हजरत ईसा ने खुद शराब पी और पिलायी और उन्हें आज यह देखकर अवश्य ही आनन्द आता होगा कि उनके उपासक और कोई उपदेश माने या न माने शराब घडल्ले से पीते हैं, जो उनके धर्म का एक अंग है । रूस ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया, तो वहाँ शराब कैसे रहती । वहाँ न धर्म है न शराब । अमेरिका ने ईसाई रहते हुए शराब छोड़ी थी, लेकिन आखिर ईसाई धर्म की विजय हुई और अमेरिका को भी गीला बनना पडा । नये प्रेसिडेंट मि० रूजवेल्ट को अवश्य ही ईसाई शहीदों में स्थान मिलेगा । एक बड़े ऊँचे पादरी साहब ने मदिरा-निषेध के विरुद्ध भाषण करते हुए कहा है—

१९१९ में निषेध के पहले संयुक्त अमेरिका के कृषकों की आमदनी साठे पन्द्रह अरब डालर थी । १९३१ में उस आमदनी में साठे आठ अरब की कमी हो गयी । १९१९ में किसानों को जहाँ एक डालर कर देना पडता था, वहाँ १९३१ में अठारह डालर देना पडा । इस तरह निषेध के इन दस वर्षों में वहाँ के कृषकों को कुल पचपन अरब की हानि उठानी पडी । वहाँ की सरकार की भी लगभग पाँच अरब डालर करो में कमी आ गयी ।

अब देखिए निषेध के कारण बेकारी कितनी बढी—१९१६ में केवल शराब खींचने के लिए दस करोड़ बुशेल गल्ला खर्च होता था । निषेध के इन सोलह सालों में पौने दो अरब बुशेल अनाज कम पैदा करना पडा, क्योंकि शराब खींचना बन्द था । अब यदि एक किसान साल भर में एक हजार बुशेल अनाज पैदा करे, तो इस निषेध के कारण कोई सत्रह लाख आदमी बेकार हो गये । और उस निषेध को व्यवहार में लाने के लिए सरकार को पचास लाख डालर सालाना खर्च करना पडता था ।

जिस निषेध से इतनी हानि हो रही थी, उसे क्यों न उठा दिया जाय ?

खुशी की बात है कि हमारे योग्य मिनिस्ट्रो ने शराब की बिक्री बढाकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है । हमें आशा है कि वह भी आँकड़ों से दिखा सकेंगे कि शराब की बिक्री से जनता का कितना भला होगा और सरकार की आमदनी में कितनी वृद्धि होगी । और सबसे बडी बात यह है कि बेकारों की सख्या कितनी कम हो जायगी ! उचित समझे तो अमेरिका से ऐसे उपदेशक बुला ले और जनता में शराब का प्रोपेगंडा शुरू कर दे । हम समझते हैं, वर्णाश्रम सभ में भी ऐसे सौ दो सौ महोपदेशक आसानी से मिल जायेंगे । आमदनी की इस मद में वृद्धि की जितनी गुजाइश है, उतनी और किसी मद में नहीं । नमक और आमदनी और डाक आदि पर कर बढाकर आय में थोडी ही वृद्धि होती है, और हाय-हाय बहुत मचती है । शराब की बिक्री थोडे से प्रोपेगंडा से कई गुनी बढ सकती है और क्या मजाल की कोई चूँ भी करे !

३ अप्रैल १९३३

जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार

यूरोपियन संस्कृति की तारीफे सुनते-सुनते हमारे कान पक गये । उनको अपनी सभ्यता पर गर्व है । हम एशियावाले तो मूर्ख हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, लेकिन जब हम उन सभ्य देशों की पशुता देखते हैं तो जी में आता है यह उपाधियाँ सूद के साथ क्यों न उन्हे लौटा दी जायँ । उनकी बानरीय मनोवृत्ति ने अभी तक उनका पिंड नहीं छोडा । यहूदी मालदार हैं और आजकल धन ही राष्ट्रों की नीति का संचालन करता है, माना ! रूस में कम्युनिज्म के फ़ैलाने में यहूदियों का हाथ था, यह भी माना । यहूदियों ने ईसाइयों से पुरानी अदावतों का बदला लेने और ईसाई-सभ्यता को विध्वंस करने का बीडा उठा लिया है । यह भी हम माने लेते हैं, लेकिन इसके क्या मानी कि एक राष्ट्र का सबसे बडा अग यहूदियों को मिटा देने पर ही तुल जाय । जर्मनी में नाज़ी दल

॥ जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार ॥

३०५

ने आते ही आते यहूदियों पर धावा बोल दिया है। यहूदियों की दूकानें लूटी जा रही हैं, यहूदियों की जायदादें जब्त की जा रही हैं, यहूदी विद्वानों और पदाधिकारियों का अपमान किया जा रहा है। मारपीट, खून खच्चर भी होना शुरू हो गया है, और यहूदियों को जर्मनी से भागने भी नहीं दिया जाता। चारों ओर नाका बन्दी हो गयी है। वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। यहूदियों ने वहाँ सकूनत अख्तियार कर ली है। कई पीढ़ियों से वहाँ रहते आये हैं। जर्मनी की जो कुछ उन्नति है उसमें उन्होंने कुछ कम भाग नहीं लिया है, लेकिन अब जर्मनी में उनके लिए स्थान नहीं है। इतना तक न किया गया कि उनसे कह दिया जाता कि तुम लोग देश से निकल जाओ, उनका सफाया कर देना ही ठान लिया गया है। अधिकार का दुरुपयोग इसी को कहते हैं। प्रोफेसर आइंस्टाइन जैसे विद्वानों को केवल यहूदी होने के कारण देश से बहिष्कृत कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति छीन ली गयी। वर्ग सन्ग्राम का इससे भीषण रूप और क्या हो सकता है। इसके मुकाबले में भारत को देखिए। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब सदियों से रहते चले आते हैं। इधर कुछ दिनों से हिन्दू मुसलमान के एक दल में वैमस्य हो गया है, पर इसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पश्चिम से प्रकाश पाया है और अपरोक्ष रूप से यहाँ भी वही पश्चिमीय सभ्यता अपना करिश्मा दिखा रही है। सघर्ष उस सभ्यता का तत्व है, उसमें समझौते के लिए गुजाइश नहीं। वहाँ बलवान होने का अर्थ है निर्बलों को, अरक्षितों को, पीसकर पी जाना। फ्रांस ने जर्मनी पर विजय पायी और उसका तावान जर्मनी आज तक दे रहा है। उदारता और हृदय की विशालता तो जैसे उन जातियों ने सीखी ही नहीं। जिसके पास मोटा सोटा देखा उसी की जूतियाँ सीधी करने लगे। जिसे कमजोर पाया उसके सामने शेर हो गये। यह और चाहे जो कुछ हो, मनुष्यता नहीं है। यहाँ लोग साम्प्रदायिकता का अत कर राजनीति के आधार पर पार्टियाँ संगठित करने के विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या इस साम्प्रदायिक सघर्ष से वह राजनैतिक सघर्ष कम भीषण है ?

१० अप्रैल १९३३

जापान के हौसले

जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, यह पुरानी कहावत, जापान पर ठीक उतरती है। उसने कोरिया लिया, मंचूरिया लिया, अब चीन पर दाँत लगाये हुए है। वर्तमान युग में जनसंख्या का कोई मूल्य नहीं। एक हवाई जहाज दस लाख की आबादीवाले नगर का सर्वनाश कर सकता है। चीन में जनसंख्या बेशक जापान की आठ गुनी है, लेकिन वह

लडाई के सामान कहीं से लाये जो जापान के पास है। सारी दुनिया टुकुर-टुकुर ताक रही है और किसी की मजाल नहीं है, कि जापान के सामने चूँ कर सके। लीग आफ नेशन्स ने पहले कुछ बन्दर घुडकी जमायी, लिटन-कमीशन आया, उन्नीस मेम्बरो की कमेटी आयी, जापान को समझाने-बुझाने की कोशिश भी की गयी, मगर मनोविज्ञान का जानकार, पक्का खेलाडी, खूब जानता था, कि लीग कितने पानी में है। उसने लीग को धता बताया और अब चीन में निर्द्वन्द्व होकर अपना सिक्का जमा रहा है। इंग्लैण्ड ने देखा जापान से लोहा लेना मुश्किल है, तो सर जान साइमन ने जापान को कठिनाइयो और परिस्थितियों से हमदर्दी दिखा दी। इटली और जापान में तनातनी है। उनमें से कोई बोल नहीं सकता। रह गया अमेरिका। वह भी डरता है, कि जापान के सामने आये और फिलिपाइन्स हाथ से गया। रूस को पालिसी जनता में जाग्रति पैदा करना है और अब इसी एक पालिसी पर सब राष्ट्र आस लगाये बैठे हैं। जापान की जनता को ऐसा भरा जाय कि वह अपने अधिकारियों के साम्राज्यवाद में सहयोग देना छोड़ दे। अगर जापान चीन में पिट जाता तब जनता में सनसनी पैदा होती, लेकिन जब जापान को साम्राज्यवादी नीति सफल हो रही है तो जनता क्यों विद्रोह करने लगी। जनता में इतना दम होता तो इंग्लैण्ड और फ्रांस और इटली कैसे ससार पर अपना प्रभुत्व जमा लेते। हाँ, जापान में भी स्पेन की-सी हालत पैदा हो जाय, तो अलबत्ता उसकी कोर दब सकती है, लेकिन जापान की जनता अभी अपने शासकों से इतनी बेजार नहीं है। पच्छिमवालों को चीन के मिटने का तो गम नहीं, लेकिन यह भय अवश्य है, कि कहीं चीन पर जापान का अधिकार हो गया, तो फिर एशिया में योरोपवालों के लिए कोई भविष्य न रह जायगा। बल्कि यो कहो कि योरोप के प्रभुत्व का अन्त हो जायगा। मगर याद रहे कि चाहे चीन पर जापान का अधिकार हो या न हो, योरोप के प्रभुत्व के दिन गिने हुए हैं। जिस माल की खपत पर योरोप के प्रभुत्व का आधार है, उसका बाजार दिन-दिन उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अभी तक तो भारत और चीन दो उल्लू उसके हाथ में थे। मगर चीन निकल गया तो अकेला भारत रह जायगा और भारत सारे योरोप का पेट नहीं भर सकता। लका-शायर की आधी मिलें अभी से बन्द है। जो शेष है, वह भी दस बीस साल में बन्द हो जायेंगी और वही हल और करघा रह जायगा।

१० अप्रैल १९३३

जापान और चीन

राष्ट्रसंघ ची-चीं करता ही रह गया और जापान ने चीन के उत्तरीय भाग पर

अपना सिक्का बिठा दिया। वह यह तो कहे जाता है कि मैं चीन के किसी अंश पर अधिकार करना नहीं चाहता, फिर भी उसकी विजयी सेनाएँ दिन-दिन आगे बढ़ रही हैं और नये-नये नाम से नये-नये राज्यों की सृष्टि हो रही है। इसकी मंशा क्या यह तो नहीं है कि चीन को कई स्वतन्त्र भागों में विभाजित करके जापान उन पर सरपंच बनकर राज्य करे? चीन कई स्वतन्त्र टुकड़ों में हो जाने पर सयुक्त होकर जापान के सामने न आ सकेगा और जापान उनको उसी तरह नचायेगा जैसे अंग्रेजी सरकार हमारे राजाओं को नचाती रहती है। उधर चीनी तुर्किस्तान में क्रान्ति हो गयी है और ऐसा मालूम होता है कि वहाँ जनता ने सोवियत शासन स्थापित कर लिया है। इंग्लैंड और अमरीका का ऐसे अवसर पर चुप साध जाना एक रहस्य है। यह तो हम नहीं मान सकते कि आर्थिक संकट और अन्य सक्तों के कारण कोई राष्ट्र इस दशा में नहीं है कि जापान से कुछ कह सके। इंग्लैंड और अमरीका के स्वार्थ पर अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई आघात होता तो उन्हें आर्थिक संकट की बिलकुल चिन्ता न होती। जनता को चाहे जितना कष्ट हो रहा हो, शासन कर्ताओं पर इसका कोई असर नहीं। नये-नये जहाज बन रहे हैं, खर्च ज्यों का त्यों है। बात यह है कि चीन में बोलसेविज्म का असर बढ़ता जाता था और संभव था कि दस-बीस वर्ष में चीन और रूस दोनों ही एक सयुक्त सोवियत शासन स्थापित कर लेंगे। अलग-अलग रहने पर भी एक ही आदर्श के अनुयायी होने के कारण उनमें विशेष आत्मीयता रहती ही। चीन जैसे आबाद और धनवाद देश का सोवियत में आ जाना ससार में उथल-पुथल मचा देता। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बूते की बात न थी कि वे इस प्रवाह को रोक लेंगे। जापान ने चीन पर आक्रमण करके उस समस्या को कम से कम पचास साल के लिए पीछे ढकेल दिया है। और यही कारण है कि योरोप का कोई राष्ट्र चूँ नहीं कर रहा है, सब के सब दिल में जापान को दुआएँ दे रहे हैं कि उसने आगे आकर उन सबों की लाज रख ली। रहा रूस, उसे साम्राज्यवाद से तो कोई सम्बन्ध है नहीं, न वह चीन को अपने राज्य में मिलाने ही का इच्छुक है, वह तो यही चाहता है कि चीन पर चीन की जनता का अधिकार हो। जापान के साम्राज्यवाद ने पूर्व के चीन पर धावा किया है तो पच्छिम में तुर्किस्तान की क्रान्ति ने भी हमला कर दिया है। इन दोनों शक्तियों के बीच में चीन की क्या दशा होगी यही देखना है।

मई १९३३

संसार की दौरुखी प्रगति

दो-तीन साल पहले इंग्लैंड में मजूर पार्टी का अधिकार रूस और चीन आदि

मे सोवियत की सफलता और अन्य देशों में जनपक्ष की प्रधानता देखकर यह अनुमान किया जाने लगा था कि संसार से साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद का प्रभुत्व उठने वाला है, या बहुत थोड़े दिनों का मेहमान है, लेकिन यकायक नक्शा जो पलटा तो इंग्लैंड में साम्राज्यवादियों का फिर जोर हो गया। जर्मनी और इटली में पूँजीवाद ने एक नये रूप में अपना चमत्कार दिखाया, चीन पर जापानी समाजवाद ने धावा बोल दिया और ऐसा जान पड़ता है कि कई सालों तक संसार की यह दो रूखी चाल जारी रहेगी। एक ओर पूँजीवाद का जोर दूसरी ओर समष्टिवाद का दौर-दौरा। रूस में जार शाही के विनाश का कारण जनपक्ष का संगठन ही नहीं था, परिस्थितियाँ भी अनुकूल थी। वहाँ शासन-शक्ति बहुत कुछ जार के ही हाथों में थी। जार ने जनमत के दबाव से जो संस्थाएँ बना रखी थी, उन्होंने शक्ति का सचय न कर पाया था और न ऐसी परम्पराएँ बना पायी थी, जिनसे जनता को अपने पक्ष के सफल होने का भ्रम हो सकता। वहाँ जो कुछ था जार और उसके नौकर थे और उसकी सेना थी। इंग्लैंड और जर्मनी और इटली में राजसत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सभाओं के हाथ में है। उसे किसी क्रान्ति से उखाड़ फेंकना असम्भव है। वहाँ इन संस्थाओं ने जो परम्परा बना ली है उसी के अनुसार सब को चलना पड़ेगा, चाहे वह हिटलर हो या मुसोलिनी। इन संस्थाओं के विरोधी भी अवश्य हैं पर इनके पक्षपाती भी कम नहीं हैं, और किसी जनता की प्रतिनिधि संस्था को उखाड़ देना राष्ट्र में गृहयुद्ध की घोषणा करना है।

मई १९३३

जन-सत्ता का पतन

जनसत्ता का बड़े वेग से दुनिया बहिष्कार कर रही है। रूस और पोलैंड, इटली और स्पेन पहले ही कर चुके हैं, अब जर्मनी भी उसे डंडे मार-मार कर निकाले देता है। कारण क्या है? हमारा विचार है कि यह डिक्टेटोरशिप उस जनसत्ता से कहीं बढ़कर जनसत्तात्मक है। उस जनसत्ता में धनसत्ता का मेल हो गया था। मेल ही क्यों, वह यथार्थ में धनसत्ता ही हो गयी थी। जिसके पास काफी दौलत हो, वह जनता के बोटरो पर किसी न किसी तट्टह का दबाव डाल कर घुस जाता था। धीरे-धीरे पूँजी-पतियों ने उस पर प्रभुत्व जमा लिया। यही कारण है कि एक सदी तक जनसत्ता का राज होने पर भी संसार में सघर्ष-मनोवृत्ति दिन-दिन बढ़ती गयी। कहने को वह जनसत्ता थी, पर यथार्थ में वह जनता को पीसनेवाली चक्की थी। जनता का उस पर

उतना ही अधिकार था, जितना बादलो या नक्षत्रो पर । जनता भूखो मर रही है और उसके कर्मचारी लाखो रुपये साल वेतन उडा रहे है, और वह सारा धन जो जनता के भरण-भोषण और शिक्षण मे खर्च होना चाहिए था फौजो और नौकाओ के सगठन और निर्माण मे लुट जाता था । अगर आज एकतंत्र जनता के हित की रक्षा कर सकता है, तो वह उस जनसत्ता से लाख दर्जे अच्छा है ।

१ मई १९३३

आर्थिक संघर्ष

इस व्यवसाय और व्यापार के युग मे राष्ट्रों मे लडाइयो का मुख्य कारण आर्थिक हुआ करता है । हरेक राष्ट्र चाहता है कि वह अधिक से अधिक नफे से रहे । इसलिए वह तरह-तरह से अन्य देशो के माल को अपने देश मे आने से रोकता है । इसका नतीजा यह होता है कि आपस मे वैमनस्य बढता है और एक दिन बारूद मे आग लग जाती है । जापान का माल भारत मे रोक दिया गया है । अब जापान सोच रहा है कि किस तरह इसका बदला ले । उसने मचुकुओ राज्य मे अग्रेजी माल के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया है । इससे इंग्लैड मे बडी खलबली मच गयी है । उधर इंग्लैड ने रूस के माल को इंग्लैड मे आने से रोक दिया है । रूस की सोवियट सरकार ने दो अग्रेजो को सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करने के अभियोग मे सजा दे दी और इंग्लैड का मिजाज गर्म हो गया । यहाँ भारत के कई व्यापारी तुरकिस्तान मे मार डाले गये और उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी । सरकार को खबर तक न हुई । पर अग्रेजो की जान तो उतनी सस्ती नही । फिर, दोनो अग्रेजो को कई साल का कारावास ही दिया गया । फिर भी इंग्लैड इसे न सह सका । उसने रूस से व्यापारिक सम्बन्ध तोड लेने की धमकी दी और जब रूस ने इन धमकियो की परवाह न की, तो वह धमकी कार्यरूप मे लायी गयी । इस बहिष्कार से रूस की बडी हानि होगी । लेकिन क्या इंग्लैड आशा रखता है कि रूस अग्रेजो मशीने खरीदता जायगा ? इंग्लैड मे कितने ही व्यापारी अभी से रूसी माल के बहिष्कार को नापसंद करने लगे है । कुछ अजीब दिल्लभी है कि राष्ट्र की सरकार तो निश्शस्त्रीकरण की दुहाई देती है और उसी राष्ट्र के शस्त्र-व्यापारी लडाइयो को उत्तेजित करते है । कितनी ही लडाइयाँ तो इन्ही शस्त्र-व्यापारियो द्वारा ही खडी की जाती हैं । वे इस बात का प्रोपेगैंडा करते रहते है कि किसी तरह दो राष्ट्रों मे लडायी छिडे, जिसमे उनके माल की खूब खपत हो । बल्कि निश्शस्त्रीकरण की विफलता का एक कारण य

भी है। खैर, इस तरह की आर्थिक खीच-तान एक न एक दिन रंग लायेगी। जब से ओटावा-सम्मेलन हुआ है, यह सघर्ष और भी प्रचण्ड हो गया है। इंग्लैंड ने सोचा होगा— हमी ने अपनी माँ का दूध पिया है। और राष्ट्रों में तो बुद्धू ही बसते हैं। अब अमेरिका ने सोने का बंधन उठा दिया तो चारों ओर हाय-हाय मचो हुई है और मिस्टर रामझे मैकडोनल्ड दौड़े हुए अमेरिका गये हैं। आर्थिक सम्मेलन की तैयारियाँ हो रही हैं। कान्फेन्से किये जाओ, जनता का धन फूँके जाओ, अवसर मिले तो दस-बीस लाख गरीबों को तोप का शिकार भी बना दो, लेकिन जब तक कृत्रिम साधनों से व्यापार को संभालने की चेष्टा होती रहेगी और जब तक बड़े-बड़े मिल-मालिक और पूँजीपति बने रहेंगे, शान्ति न होगी।

८ मई १९३३

सच्ची-राजनीति

ब्रिटिश राजनीति की कुछ ऐसी चाले होती हैं जो साधारण आदमी की समझ में ही नहीं आ सकती। समय पर बात पलट जाना, हरेक बात को, स्थिति की दशा तथा अवसर को रवड की तरह खीचकर उसको अपने मन के अनुकूल अर्थ लगा लेना, और घोर अन्याय और अत्याचार को भी न्याय तथा दयालुता की दुहाई से रंग देना, यह ब्रिटिश राजनीति की ही विभूति, प्रसाद, तत्परता तथा महत्ता है।

हमारे सामने ब्रिटिश राजनीति का सबसे सुन्दर “प्रहसन” बर्मा के पृथक्करण का प्रश्न है। आज के चार वर्ष पहले, सर चार्ल्स इनेस की गवर्नरी शुरू होने के कुछ ही समय बाद, जिसे देविए वही-जिस बर्मा नेता की ओर आँख उठाइए वही इस बात का समर्थक मालूम होता था कि बर्मा का हित इसी में है कि वह भारत से अलग कर दिया जावे, वह भारत से अलग एक सघ बना दिया जावे। लार्ड पील ऐसे भूतपूर्व भारत-सचिव तथा मार्लिकेल ओडायर ऐसे भूतपूर्व भारतीय गवर्नर यह चीत्कार करते फिरते थे कि समूचे बर्मा में एक भी ऐसा जिम्मेदार नेता नहीं है, जो भारत से अलग होना न चाहता हो।

यही नहीं, गवर्नर सर चार्ल्स इनेस अपने सरकारी पक्ष की निष्पक्षता छोड़कर, इधर-उधर भटकते फिरते थे, चेष्टा करते फिरते थे कि पृथक्करण के समर्थक बढते जावे। पहली गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर बर्मी प्रतिनिधि भेजने के समय यह ध्यान रखा गया कि सभी भारत-विरोधी हों। इतने पर भी सर चार्ल्स को विश्वास नहीं हुआ और वे छुट्टी लेकर लन्दन पहुँचे। उस समय, प्रधान मंत्री—भारत के

मित्र कहे जाने वाले मि० रैमजे मैकडोनल्ड तथा गोलमेज के सभापति लार्ड सैके ने कहा था, कि यह बात प्राय निश्चित हो गयी कि बर्मा भारत से अलग कर दिया जायगा, क्योंकि सभी बर्मी यही चाहते हैं, अर्थात् “ब्रिटिश सरकार इस विषय में तटस्थ है, वह केवल बर्मी जनता की इच्छा का पालन कर रही है।”

जिस समय बात यहाँ तक बढ़ गयी थी, ब्रिटिश सरकार बर्मा को भारत से अलग कराने के लिए इतना प्रयास कर रही थी, भारतीय नेता चुप थे। कांग्रेस इस विषय में मौन थी। लिबरल लीग भी शान्त थी। इन दोनों सस्थाओं ने बड़े सौजन्य के साथ केवल यही घोषित कर दिया था, कि बर्मा भारत के साथ रहेगा अथवा अलग, यह निर्णय स्वयं बर्मी ही कर सकते हैं। तटस्थ रहने का दम भरते हुए भी जहाँ ब्रिटिश सरकार छिपे-छिपे इस बात की चेष्टा कर रही थी कि बर्मी भूल कर भी भारत के साथ रहने का नाम न ले, कांग्रेस इस विषय में पूरी तरह तटस्थ बनी रही और उसने भूल कर भी बर्मा को यह याद नहीं दिलाया कि ब्रिटेन का बर्मा को अलग रखने का अनुराग केवल तीन कारणों से है। बर्मा हित की बात तो एक आडम्बर मात्र है। एकमात्र वस्तु, एकमात्र कारण जिससे अनायास ब्रिटेन को बर्मा का हित “परेशान” कर रहा है, वह है बर्मा का तेल, बर्मा का चावल, बर्मा का कोयला, बर्मा की चाय और बर्मा का जहाजी अड़्डा रंगून—और प्रकृति के यही वरदान इस समय बर्मा के सबसे बड़े शत्रु हो रहे हैं। इन्हीं को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बर्मा की जनता को वास्तविक अधिकार न देकर, भारत से अलगकर, दुर्बल बनाकर, बर्मा को पराधीन रखने का “षड्यंत्र” किया जा रहा है।

यह बात कांग्रेस ने बर्मा को नहीं सुझायी, पर अवसर चूकने के पहले ही बर्मी जाग उठे—जाग ही नहीं उठे, उन्होंने एक स्वरङ्ग में, अधिकांश की संख्या में यह कहना शुरू कर दिया कि भारत से अलग नहीं होना चाहते, वे भारत के साथ ही अपना भाग्य सूत्र भी बाँध देना चाहते हैं। कौंसिल का चुनाव हुआ। चुनाव में जनता ने अधिकांश संख्या में उन्हीं लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जो पृथक्करण के विरोधी थे। कौंसिल में पृथक्करण के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश हुआ था, वह पास न हो सका, पर इतने से भी ब्रिटिश सरकार को यह सतोष न हुआ कि “बर्मी जनता पृथक्करण नहीं चाहती।” सभाएँ हुईं, जुलूस निकले—हर तरह से बर्मी जनता ने पृथक्करण का विरोध किया, फिर भी प्रधान मंत्री तथा भारत सचिव की दृष्टि में—“यह निर्णय नहीं हुआ कि बर्मा असल में क्या चाहता है”—और इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए बर्मा कौंसिल का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने अवश्य ही बहुमत से पृथक्करण के विरोध में निश्चय कर लिया होता, पर सरकारी कूटनीति तथा जन-हित के शत्रुओं की दुष्ट नीति के कारण अधिवेशन केवल भाषणों में समाप्त कर दिया गया। पृथक्करण विरोधी नेता अपना भाषण या प्रस्ताव जब में रखकर

वापस चले गये और ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में—“बर्मा पृथक्करण या अपृथक्करण— किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सका।” भारत सचिव सर सेमुयेल होर का कथन है, “जितनी ही देर बर्मा इस विषय के निपटारे में कर रहा है, उतनी ही देर में उसका शासन विधान निश्चित होगा।” और भारत के प्राय सभी एंग्लोइंडियन पत्र एक स्वर में लिख रहे हैं कि, “बर्मा की यह कौंसिल इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकती कि पृथक्करण हो अथवा नहीं।” अतएव सरकार को तुरत एक नयी कौंसिल बुलानी चाहिए—यानी नया चुनाव कराना चाहिए।

पिछले कौंसिल-अधिवेशन के समय समाचार पत्रों में तथा कौंसिल के भाषण तक में बड़ी सनसनी भरी बातें प्रकाशित हुई थी। कहा गया था कि पृथक्करण का समर्थक दल घूस देकर, फुसताकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में कर रहा है। संभव है, यही परिस्थिति इस चुनाव के अवसर पर भी हो। यह भी संभव है, कि नये चुनाव की चाल बर्मा के प्रश्न को टालने की चाल है। भारत का सघ निर्माण रोकने की चाल है और चाल है कि किसी तरह चार वर्ष पहलेवाली हवा फिर बह जाती।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की यही “सच्चाई” है, वह सीधी-सादी चाल है, यही न्याय है—एक महादेश के प्राचीन अंग को काटकर, उसे धायल कर देने की सच्चाई है, और इसी सच्चाई के साथ हमारे “सघ” निर्माण की चेष्टा का श्रीगणेश हुआ है। इसी से हम कहते हैं कि ब्रिटिश राजनीति एक रवड है, जो बड़ी सरलता से घटाया बढ़ाया जा सकता है।

बर्मा नेता नये चुनाव से नहीं डरते। वे लोहा लेने को तैयार हैं। बर्मा का लोकमत पृथक्करण के विरोध में जागृत हो उठा है। फिर भी, ब्रिटेन ने अपनी असली इच्छा लोगों के सामने प्रकट कर दी है। क्या यही सच्ची राजनीति है ?

२२ मई १९३३

“हुआपेकू”

जापान की साम्राज्य-लिप्सा इस समय इतनी अधिक तीव्र हो उठी है कि धोड़े में उसका पेट भरने ही नहीं पाता। उसने पहले अपने पड़ोसी चीन के अंग से ‘कोरिया’ काट लिया फिर मन्चूरिया छीना। इसके बाद जेहोल का नम्बर आया और चीनी दीवाल के दक्षिण में, पेकिंग के उत्तर में, अपने नये विजित प्रदेश को “हुआपेकू” का नाम देकर वह एक नया राज्य स्थापित करना चाहता है। कोई देश कितनी वज्र नीचता कर सकता है, कोई देश अपने पड़ोसी के साथ कैसी घोर दुष्टता

का व्यवहार कर सकता है, कोई देश प्रत्येक साम्राज्यवादी देश का अन्त देखते हुए भी इतिहास से कैसे आँखे मूँद सकता है, इसका उदाहरण है जापान और जापान से आज हम उतनी ही नफरत करते हैं जितने का वह पात्र है। और इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि यह कैसे सम्भव है कि जापान भारत की सहानुभूति की आशा करे। भारत तथा चीन का साथ हजारों वर्षों का है। चीन के प्रति भारत के हृदय में जो आदर, जो श्रद्धा, जो सद्भाव तथा जो प्रेम है, वह भारतीय ही जानता है। जापान एक नयी शक्ति है और चीन तथा भारत ने जापान के अभ्युदय को अपने छोटे भाई की तरक्की की निगाह से, सहानुभूति से देखा था—और वही जापान आज अपने बड़े भाई का गला काटना चाहता है। जापान चाहता है कि चीन के समूचे महादेश पर अपना अधिकार जमा ले और भारत के समूचे महादेश पर अपना व्यापारिक राज्य जमा ले। भारत चीन की तरह दुर्बल और अशक्त नहीं है। यह जापान का स्वप्न है और हम जापान को सचेत कर देना चाहते हैं कि भारत में जापानी माल की बिक्री केवल इसीलिए नहीं घट रही है कि सरकार चुगी लगा रही है, पर इसलिए भी कम हो रही है कि जनता ने एक आततायी देश का माल खरीदना पाप समझना शुरू कर दिया है। जापान का सारा दारोमदार व्यापार पर निर्भर करता है और यदि अभी तक वह अन्धा बना हुआ है, तो भूल कर रहा है।

२२ मई १९३३

भावी महासमर

मि० लायड जार्ज के शब्दों में, दिन प्रति दिन, महासमर के विरोध में जितनी बातें की जाती हैं, उतनी ही अधिक तैयारी आगामी महासमर के लिए की जा रही है। यह महायुद्ध कहाँ से शुरू होगा, यह कोई नहीं कह सकता। इसका कारण प्रत्येक देश का अपने पड़ोसी के प्रति इतना घोर अविश्वास है, कि किसी के अविश्वास अथवा विरोध को तुलना-समता नहीं की जा सकती। जापान का रूस के प्रति दुर्भाव, अमेरिका से वैर तथा चीन के प्रति “घृणा” का जितना हमें ज्ञान है, उतना ही हम ब्रिटिश-जापानी-प्रतिद्वन्द्विता, ब्रिटिश-अमेरिकन नौ-सैनिक तथा आर्थिक होड़ और जर्मन-फ्रेंच वैर, इटालियन-आस्ट्रियन विरोध या मध्य योरोप की छोटी तथा बड़ी शक्तियों का मनमुटाव भी जानते हैं। किसका विरोध किस समय कितना तीव्र हो जायगा, यह नहीं कहा जा सकता, पर यह निर्विवाद है, कि योरोप या एशिया जहाँ भी कहीं समर की आग फूटेगी, वह इतनी भयकर होगी, कि अपनी लपटों में सबको समेट लेगी।

लड़ाई के लिए ईधन तैयार है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा घोर दारिद्र्य तथा

हाहाकार की लहरो में, भविष्य की बिना कल्पना किये, लक्ष्य का बिना विचार किये, बहती चली जा रही है। यदि इस लहर में सभ्यता के, भौतिक विकास के बोझ से लदी कोई नौका भी है, तो स्वयं डूबती जा रही है। कोई सहारा न देखकर, हरेक राज्य चुगो की दीवाल से, दूसरे के अपहरण से, अनानो रक्षाकर, दूसरे का सहार करना चाहता है। संहार न चाहता हुआ भी राज्य, अनायास दूसरे का सहार करता ही है। बिना पराये का व्यापार चौपट किये अपना व्यापार कैसे पनपेगा ? बिना पराये का सोना छीने अपने यहाँ सोने का ढेर कैसे लगेगा ? इस प्रकार, एक ऐसी सभ्यता में, जिसमें माँग तथा इच्छा को 'ढील दिया गया है, "क्या चाहिए" की भावना शून्य होकर "जो मिले वही चाहिए" का विचार इतना बन्धन मुक्त हो गया है, कि हमारी प्रजा विवेक-बुद्धि पर केवल इच्छा का ही राज्य है। हम इच्छा करते हैं, केवल इच्छा के लिए। प्रयत्न करते हैं—केवल इच्छा के लिए।

इसलिए, इच्छापूरक सभी अस्त्रो-शस्त्रो का सचय हो रहा है, क्योंकि भौतिकी इच्छा इतनी सीमित वस्तु है कि यदि सभी इच्छा करेंगे तो सबकी इच्छा की वस्तु एक ही हो जायगी और फलतः अपनी इच्छा पूरा करने के लिए दूसरे को इच्छा कुचल देनी पड़ेगी। इसी कुचलने के लिए इथियोपिया को जहूरत है और अपनी जान प्यारी होते हुए भी, अपने विकास के लिए यह जहूरत है, कि इन साधनों को अपनाया जाय ! अस्तु। साम्राज्य लिप्सा इस समय हमारी इच्छा का केन्द्र है। साम्राज्य-विरोधी रूस भी चाहता है, कि जमाना "सोवियेट" हो जाय। उसे "विचार का साम्राज्य" चाहिए। अतएव इच्छासघर्ष, दारिद्र्य तथा भौतिकता के कारण लडाई की सामग्री पृथ्वी की थाल पर परसी हुई है।

तब लडाई क्यों नहीं होती ? इसीलिए कि हरेक एक दूसरे। इतने संशंकित हैं, कि अपने मित्र पर भी सकट के समय भरोसा नहीं कर सकते। जापान रूस से लडना चाहता है, पर उसे अमेरिका का भय है। ब्रिटेन नहीं चाहता कि अमेरिका जापान को दबा दे, अतएव अमेरिका चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फ्रान्स जर्मनी को कुचलना चाहता है, पर उसे अब इंग्लैंड की मित्रता का भरोसा नहीं। इत्यादि। एक दूसरे के स्वार्थ आपस में ऐसे सम्बद्ध हैं, एक दूसरे का हित ऐसा गुथा हुआ है, कि कोई न तो किसी को अपना मित्र कह सकता है न शत्रु, फिर भी, अविश्वास के इस युग में पारस्परिक अविश्वास ही युद्ध को रोक रहा है वरना, यदि दो राष्ट्र भी अपने ऐक्य को पूरी तरह से समझ लें, तो आज वे ताल ठोककर मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे।

अस्तु ! लडाई की भीषण तैयारी हो रही है। मि० सी० ई० एम० जोड ने हाल ही में अपने एक व्याख्यान में कहा था, कि पिछले वर्ष, महासमर की तैयारी में, सभ्य राष्ट्रों का कुल मिलाकर अठानबे करोड़ पाँड (एक पाँड १५ रुपये का ही

जोड़ियेगा) खर्च हुआ। यानी, जब से ईसाई सवत् चला है। (ईसा की मृत्यु के बाद से) प्रति मिनट पीछे एक सोने का पीएड सोलह रुपये—आजकल तेरह छः आने लड़ाई के सामान पर एक वर्ष में खर्च हो गया। यह सख्या उस समय की है जब दुनिया के बेकारों की सख्या जैनेवा के “मजदूर-दफ्तर” के अनुसार अठारह करोड़ है।

एक और यह व्यय है, दूसरी ओर हमारे राजनीतिज्ञ जेनेवा में बैठकर “निश्शस्त्रीकरण” सम्मेलन कर रहे हैं, किन्तु यदि भौतिक सभ्यता की प्रगति यही रही तो समर होगा, अवश्य होगा, और मनोविज्ञान के प्रकाण्ड-परिणत, मि० टैसले के मतानुसार—“कुछ थोड़े से राजनीतिज्ञ एक मेज के चारों ओर बैठकर, एक ऐसी क्रियाशील योजना कभी नहीं बना सकते, जो लड़ाई को समाप्त कर, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ठंडा कर, एक वास्तविक सजीव विश्व यत्र की रचना कर देगा।” (न्यू साइकोलोजी २१-२४३) महासमर का निदान है—विश्व प्रेम। एक बार विश्व प्रेम खोकर, विश्व वैर की सम्पूर्णता के बाद ही वह वस्तु पुन जन्म लेगी।

२२ मई १९३३

लंदन का आर्थिक सम्मेलन

लंदन में आर्थिक सम्मेलन की तैयारियाँ बड़े धूमधाम से हो रही हैं। शायद इतना बड़ा सम्मेलन इसके पहले न हुआ हो। इसमें साठ राष्ट्रों के पच्चीस सौ प्रतिनिधि होंगे। सम्मेलन क्या होगा, अच्छा खासा मेला होगा, मगर सम्मेलन करेगा क्या? पुराना अनुभव तो यह बतला रहा है कि दस-पाँच लाख रुपये खर्च करने और गप-शप करने के सिवा और कुछ न होगा। इस तरह के तीन सम्मेलन बड़ी लड़ाई के बाद से हो चुके हैं। यही प्रश्न उनके सामने भी थे, पर उनमें कुछ भी तय न हो सका। क्या इस बार जो प्रतिनिधि आयेंगे, वह ज्यादा ऊँचे दिल और दिमाग के आदमी होंगे? जब प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसी का घर लूट कर अपना घर भरना चाहता है, जब एक दूसरे का माल रोकने के लिए तरह-तरह की रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जब शासन और सेना के व्यय में कोई राष्ट्र किफायत नहीं करना चाहता, जब इंग्लैंड ने ओटावा-सम्मेलन में सरक्षण के सिद्धान्त पर अमल करना शुरू कर दिया है, जब सोने के लिए चारों ओर लूट मची हुई है, तो हमें तो आशा नहीं कि इस सम्मेलन से भी दो-चार अच्छे-अच्छे प्रस्ताव करने के सिवा और कुछ हो सके। मि० लायड जार्ज ने इस सम्मेलन की चर्चा करते हुए एक जलसे में कहा है—सम्मेलन के प्रतिनिधि “एक दूसरे की ओर देखकर मुसकिलाने के सिवा और कुछ न करेंगे।” और यही होना है। अमेरिका

इंग्लैंड की तारीफ करेगा, इंग्लैंड अमेरिका की, खूब दावतें उडेगी, जलसे होंगे, प्रजा का धन उड़ाया जायगा और लोग अपने-अपने घर की राह लेंगे ।

१२ जून १९३३

ईरान से ब्रिटेन का सन्धि

ईरान पर बहुत दिनों से रूस और ब्रिटेन दोनों दाँत लगाये हुए हैं । रजाशाह के पहले अंग्रेजी प्रभाव वहाँ बहुत बढ़ गया था । जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता में सनसनी फैली और उस ईरानी सरकार का अंत हो गया । अब खबर है कि रजाशाह फिर ब्रिटेन से संधि करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि ईरान में रूस का प्रभाव न बढ़ने पावे । उस संधि की चर्चा शर्तें ऐसी हैं, कि अगर वास्तव में ईरानी सरकार उन शर्तों को स्वीकार कर रही है, तो उसकी स्वाधीनता ही खतम हो जायगी, जैसे— अंग्रेजी रियायतों के साथ हरेक आर्थिक व्यवस्था में रियायत या सैनिक सगठन में अंग्रेजों की मदद । हमें तो आशा नहीं कि हिज मंजिस्ट्री रजाशाह इस तरह की अपमानजनक सुलह करेगी, लेकिन धन की उन्हें जरूरत है और इस दबाव में बड़ी शक्ति है ।

१६ जून १९३३

नेकनीयती

लन्दन में विश्व-आर्थिक सम्मेलन हो रहा है । सम्मेलन का काम अब छोटी-छोटी समितियों में बँट गया है और एक समिति अर्थ-द्रव्य मुद्रा तथा धातु नीति पर विचार कर रही है, दूसरी समिति ऋण-विनियम आदि की समस्या को सुलझाने की चेष्टा कर रही है ।

धातु का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है । किसी देश में चाँदी की मुद्रा है, किसी में सोने की । कहीं पर नोट की चलन ज्यादा है, कहीं पर बैंक की हुण्डियाँ—बैंक के नाम हुण्डियाँ चेक का काम करती हैं । जब हरेक देश में आपस में लेन देन का सवाल आता है, तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है । किसी देश के पास नोट बहुत अधिक हैं, पर उसके पीछे संचित कोष बहुत कम है—तब क्या होगा ? किसी देश के पास चाँदी का रूपया है, पर कहीं पर भारत की तरह रूपये में ग्यारह आने चाँदी है । कहीं डालर की तरह अधिक मूल्य है । कहीं पर बैंक के नोटों की चलन बहुत है, पर अनेक कारणों से सरकार

बैंक की साख की गारंटी नहीं दे सकती। किस हिसाब से भुगतान किया जाय। किस हिसाब से नकद व्यवहार किया जाय। मान लीजिए कि जर्मनी ने अमेरिका से चार लाख मार्क का माल खरीदा। जर्मनी का मार्क अमेरिका में नहीं चलता। इसलिए जर्मनी को चार लाख मार्क एक्सचेंज बैंक में भेज देना होगा। बैंक अपना कमीशन काट कर, डालर के रूप में, अमेरिका का मूल्य चुका देगा। यदि अमेरिकन डालर सस्ता पडा, तो मार्क की कम मात्रा देनी पडेगी। फल यह होगा कि अमेरिका का माल जर्मनी में सस्ता पडेगा। जर्मनी तुरत अमेरिकन माल मँगाने लगेगा। अब स्वयं जर्मन व्यवसाय को अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से हानि उठानी पडी। इसलिए वह तुरत कडी चुगी की दीवाल उठाकर अमेरिकन माल मँहगा कर देगा। जो काम मुद्रा न कर सकी, वह काम चुगी की दीवाल ने किया। फ्रान्स को मुद्रा मँहगी है। मार्क के रूप में मँहगी पडती है, इसलिए फ्रान्स को अमेरिकन डालर के सस्ता होने से बडी डह होगी। वह चेष्टा करेगा कि अमेरिका के डालर का भाव गिर जाय। जो काम अर्थशास्त्री न करेंगे, वह काम स्थानीय कानून करेगा—विनिमय की दर बढा दी जायगी।

भारत का रोजगार चौपट क्यों हुआ ? पौड को रुपये की पूँछ से बाँध दिया गया। बिलायती माल भारतीयों के लिए सस्ता पडने लगा। विश्व सम्मेलन की नौबत ही क्यों आयी ? अमेरिका ने स्वर्ण-मुद्रा का परित्याग कर दिया। डालर का धातु-द्रव्य कम कर दिया। डालर सस्ता हो गया। अमेरिकन माल के योरोप में उतर आने की आशका हो गयी। पौड-स्टर्लिंग का राज्य लुट गया। सम्मेलन का विचार पहले से था ही, तुरत उसकी तैयारी की गयी। इंग्लैंड तो काम सीधी चाल से नहीं कर सकता, वह काम टेढी चाल से करता है। सदियों से ब्रिटिश राजनीति अमेरिकन राजनीति को पराजित करती आ रही है।

अस्तु, इसलिए ससार के व्यापार की, व्यवसाय की सारी गडबडी का एक कारख है—धातु का असंतुलन, द्रव्य का अनियमित होना, एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का अभाव। इसी से चुगी की दीवाल उठती है, इसी से व्यवसाय चौपट होता है इसी से ऋण का भुगतान ठीक से नहीं हो पाता, इसी से आपसी लेन-देन में गडबडी होती है। इसीलिए, भारत के एक गांधी आश्रम ने यहाँ तक सलाह दी है, कि पिछले युग की “चीजों द्वारा चीजों के परिवर्तन” की प्रणाली को लौट चलो, पर उस प्रणाली पर लौट जाने के लिए सभ्यता की प्रगति के कई पन्ने फाड कर फेक देने होंगे। औद्योगिक संसार में वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय संभव नहीं है। विनिमय या परिवर्तन उस चीज का होता है जो अपने पास न हो। आज नियम तो यह है कि जो वस्तु कहीं भी बनायी जाती हो वह अपने यहाँ बना लेना। ऐसी दशा में वह नियम अब असामयिक और असंभव है।

ऊपर हमने यह लिख दिया है कि धातु ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। धातु का

निर्णय ही विश्व आर्थिक सम्मेलन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी विपत्ति है। यदि इसी का निर्णय न हो सका तो अन्य निर्णय बेकार हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि धातु समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है और उसी के निर्णय पर सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता निर्भर करती है।

किन्तु, क्या यह सम्भव है, कि धातु समिति या मुद्रा समिति किसी प्रकार का सर्वमान्य निर्णय कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी घरेलू व्यापार नीति के लिए जो नये नियम बना रहा है, वे सभी इस ढंग के हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लन्दन का निर्णय जो कुछ भी हो, वॉशिंगटन की नीति ज्यों की त्यों, अपनी मनमानी करती रहेगी। इस विषय में समाचार पत्रों में अनेक शकामें प्रकट की गयी, अनेक लेख लिखे गये, अतः अमेरिकन प्रतिनिधि सिनेटर कोर्डेल हल ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर इस प्रकार की शंका का समाधान करना चाहा है, कि अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थ नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ नीति में कोई सामन्जस्य नहीं है, पर आपने यह भी लिखा है कि “मेरी समझ में ही नहीं आता कि राष्ट्रीय अर्थ संकट को हल करने के लिए जो नवीन कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, उसमें उन सभी राष्ट्रों का सहयोग क्यों न प्राप्त होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का हृदय से चाहते हैं।”—यह राजनीतिक भाषा है। इनका शुद्ध अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी गृहनीति को अन्तर्राष्ट्रीय-उद्धार से ज्यादा महत्व देता है। मि० हल का यह कहना है, कि व्यापारिक बाधाएँ दूर करने का नियम प्रतिनिधि-मण्डल के अमेरिका से रवाना होने के पहले बन चुका था—संयुक्त राज्य का भोलापन नहीं साबित करता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि मण्डल के रवाना होने के पहले से ही अमेरिका ने अपनी मनमानी करने की स्वच्छता दिखला दी है।

दूसरी ओर फ्रांस है। फ्रांस की महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, कि विश्व अर्थ सम्मेलन को बैठक तब तक स्थगित कर दी जाय, जब तक “अस्वर्ण मुद्राओं का मूल्य संतुलन न हो जाय।” लन्दन की यह भी रिपोर्ट है कि फ्रेच अर्थ-मन्त्री ने फ्रांस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेलन को कोई कार्रवाई करने के पहिले पाँड और डालर का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए, तभी कोई दूसरा काम आगे बढ़ सकता है। रायटर का सम्वाद है कि, “इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं है कि फ्रांस अपने को सम्मेलन से हटा रहा है।” पर, इच्छा क्रिया की जननी होती है। कल्पना के भीतर एक तथ्य छिपा रहता है। फ्रांस के मन में एक बात बैठ गयी है। वह शुरू से ही छेड़ छाड़ कर रहा है। सब कर्जदारों ने अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए जून की किस्त का कुछ अंश पटा दिया है। फ्रांस ने पिछले दिसम्बर, तथा इस जून तक की किस्त का एक टुकड़ा भी नहीं दिया है। फ्रांस जानता है कि अमेरिका अपना कर्ज वसूल करने के लिए सेना नहीं भेज सकता। इसलिए जब शरारत और छेड़छाड़ से लाभ हो

सकता है—तो वही क्यों न किया जावे ।

ब्रिटिश सरकार स्वयं सम्मेलन भग करने की बदनामी नहीं लेना चाहती है । लन्दन में सम्मेलन बुलाकर, लन्दन सरकार द्वारा ही उसका भग हो जाना उसे अभीष्ट नहीं है । इसीलिए, उसने अपने पिट्टुओ से सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अटकाना प्रारम्भ कर दिया है । भारत की ओर से “जबर्दस्ती प्रतिनिधि” बन जानेवालो ने एक आवेदन-पत्र प्रकाशित किया है । इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि—आशा है कि सम्मेलन में इस प्रकार का कोई निर्णय न होगा जिससे देश को अपनी चुगी नीति को स्वाधीनता-पूर्वक बर्तने की आजादी में बाधा प्रतीत होगी ।”—भारत की चुगी नीति का प्रधान उद्देश्य है—ब्रिटिश-वस्तु-सरक्षण । बस, इस घोषणा की आड में जो असलियत छिपी हुई है, वह इससे साफ मालूम हो जाती है । विज्ञप्ति ने छिपे शब्दों में “ओटावा के समझौते को अकाट्य रखने की नीति” की घोषणा कर दी है ।

बस—“सरक्षण” एक ओर होगा—दूसरी ओर समझौता होगा । यह दोनों बातें असंभव हैं । ऐसे विषय पर बिना खुले दिल से विचार किये किसी निर्णय पर पहुँच जाना असंभव है—असंभव है कोई सर्वमान्य समझौता होना । असंभव है कोई लोक-हितकारी विधान बनना । दुस्साध्य है कोई ऐसा तरीका चालू करना जिससे सबको लाभ हो । ससार का कल्याण तभी हो सकता है जब सकुचित राष्ट्रीयता का भाव छोड़कर व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय भाव से विचार हो । विश्व सम्मेलन में ऐसी कोई बात नहीं दीख पड़ती । ऊपर हमने केवल तीन ही उदाहरण दिये हैं । एकाग्र भाव से और उदाहरण देना असंभव है । फिर भी इनमें ही यह पता चल जाता है कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों की नीयत ही साफ नहीं है, निर्णय क्या होगा ?

३ जुलाई १९३३

आयरलैंड का स्थिति

आयरलैंड में इस समय काफी उथल-पुथल मची हुई है । ब्रिटेन से स्वतन्त्र होने और प्रजातन्त्र की घोषणा के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से गत नौ-दस अगस्त को राष्ट्रपति डी वेलरा आयरिश पार्लामेंट में कुछ बिल पेश करनेवाले थे । इन बिलों को देखकर डी वेलरा के विरोधी कासग्रैव दलवाले समझ गये कि यदि ये स्वीकृत हो गये, तो फिर आयरलैंड की वर्तमान सरकार को प्रजातन्त्र की घोषणा करने में देर न लगेगी । इसी से उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि हम यथासंभव इन बिलों को “डेल” में पेश ही न होने देंगे । नौ अगस्त की रातवाली बैठक में उन्होंने इतना

शोर गुल मचाया कि डी वेलरा को बाध्य होकर पार्लियामेंट का अधिवेशन २७ सितम्बर के लिए स्थगित कर देना पडा ।

इधर कासग्रेव दल के अतिरिक्त एक दल और डी वेलरा का विरोधी बन गया है । यह फासिस्ट सिद्धान्तो के अनुयायी नीले कुरतेवालो का दल है । इस दल ने एकाएक इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर ली यह आश्चर्य की बात है । इसके नेता जनरल ओडफी ने हाल में ही एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि १३ अगस्त को "ब्लूशर्ट्स नेशनल गार्ड" (नीले कुरतेवाली राष्ट्रीय सरदक सेना) परेड अवश्य करेगी, चाहे डी वेलरा की सरकार उसमें बाधा ही क्यों न डाले । डी वेलरा ने मार्वाजनिक शान्ति के लिहाज से परेड की मनाही कर दी थी, अत एसा प्रतीत हो रहा था कि १३ अगस्त को भी भीषण अवस्था उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, किन्तु मरकारी सेना का सुदृढ प्रबन्ध देखकर जनरल ओडफी ने परेड करना स्थगित कर दिया और देश के सौभाग्य से अशान्ति की आशंका दूर हो गयी । इस समय तो संकट टल गया है, किन्तु सभव है कासग्रेव दल के साथ मिलकर ये लोग पुन कोई उपद्रव खडा करे । देखे वहाँ की स्थिति अब क्या रख धारण करती है ।

२१ अगस्त १९३३

अमेरिका में कृषक विद्रोह

इस मन्दी में सबसे ज्यादा चोट किसानो को लगी है, और कृषि प्रधान देशो में किसानो में एक प्रकार का विद्रोह फैला हुआ है । अमेरिका का सबसे बडा व्यवसाय खेती है और कृषक विद्रोह ने वहाँ भयकर रूप धारण कर लिया है । पैदावार का मूल्य कम हो जाने के कारण वहाँ के आधे से ज्यादा किसान कर्जदार हो गये हैं और उनकी जायदादे नीलाम होती चली जा रही है । १९२९ में पैतालीस हजार आराजियाँ नीलाम हुईं । ३० में चौवन हजार, ३१ में एक लाख और ३२ में डेढ लाख आराजियाँ रेहनदारो के पेट में समा गयी । अमेरिका में साठ लाख काश्ते हैं, इनमें आधी रेहनदारो के अधिकार में हैं । आराजियो पर कुल ऋण नौ अरब डालर है । १९२० में साढे तेरह अरब की उपज हुई थी । १९३२ में वह केवल सवा पाँच अरब की रह गयी अर्थात् रुपये में छः आने । कर्ज पर किसानो को पचास करोड डालर सूद देना पडता है ।

बरसो तक बेचारे अमेरिकन किसान गवर्नमेन्ट से सहायता की आशा करते रहे । गवर्नमेन्ट ने कई बार उनके उद्धार का प्रयत्न किया, पर वह सभी प्रयत्न असफल हो गये । अब मजबूर होकर उन्होने अपने उपायो से काम लेना शुरू किया, और यह उपाय

ज्यादा सफल हो रहे हैं। उन्होंने गुट बाँध कर कई शहरों के सबको की नाकाबंदी कर दी और देहातो से जो सामान नगर में आता था, उसे रोक दिया। जहाँ जरूरत पड़ी, वहाँ पशुबल से भी काम लिया। इसमें उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली, पर वे बिलकुल असफल भी न रहे।

पर दूसरा उपाय इससे कहीं ज्यादा सफल हुआ। कृषि-प्रधान प्रान्तों में किसानों ने नीलामों को रोकने के एक सगठित आन्दोलन जारी किया। एक बीमा कम्पनी ने एक जायदाद नीलाम करनी चाही, पर किसानों का एक दल स्थान पर जा पहुँचा और कर्मचारियों को भगा दिया। नीलाम स्थगित कर देना पड़ा। इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि १९३५ के लिए आइओवा प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने आराजियों का नीलाम होना बन्द कर दिया है।

काँसास प्रान्त में जब अदालत ने आराजी नीलाम करने की तैयारी की, तो कई सौ कृषक जमा हो गये और उसे फाँसी दे देने की धमकी दी, बेचारा कुर्क अमीन अपनी जान बचाकर भागा। नेब्रासका और ओहियो प्रान्तों में हरेक गाँव में वृद्धों से फन्दे लगे रहते थे कि ज्यो ही राहिन कुर्क अमीन को लेकर आये, उसे फाँसी पर लटका दो कि वह बोली न बोल सके।

बहुत-सी रियासतों ने एक ऐसा विधान सोच निकाला है कि नीलाम हो भी जाय, तो जायदाद उन्हीं के हाथ में रहे। राहिन के मुख्तार को वह बोली ही नहीं बोलने देते। वह अगर उस स्थल पर आ जाय, तो अपनी जान से हाथ धोये। कोई बाहरी आदमी बोली बोलनेवाला नहीं रह जाता, तो किसान आपस में बोली बोलकर नाममात्र मूल्य पर खरीद लेते हैं। कई प्रान्तों में कृषक-रक्षिणी सभाओं द्वारा यह काम किया जाता है। सभा जायदाद खरीदकर उसके मालिक को लौटा देती है। रेहनदार के रुपये गायब हो जाते हैं। केवल एक उज्जदारी रेहनदार की तरफ से हुई है कि नीलाम बेकायदा था क्योंकि कुछ लोगों ने गुट बनाकर बाहर के आदमियों को बोली बोलने से रोक दिया। इस तरह की संस्थाएँ बढ़ रही हैं। आन्दोलन अग्निज्वाला की तरह फैलता जा रहा है। किसान इस नवे अरब डालर के ऋण को मिटाकर रहेंगे।

अगस्त १९३३

रूस में समाचार पत्रों की उन्नति

रूस के सिवा समस्त संसार पर पूँजीपतियों का राज्य है और समाचार पत्रों को भी पूँजीपतियों का रोग अलापना पड़ता है, नहीं उनका दीवाला निकल जाय। अधिकांश पत्र तो पूँजीपतियों के ही घन से चलते हैं। इसलिए रूस के सोवियट शासन को काले से

काले रंगो मे रंगने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध किया जाता है कि अब वह बहुत जल्द रसातल मे पहुँचना चाहता है। पर रूस इतनी हवाई गति से उन्नति कर रहा है कि इन समाचार पत्रो को भी कभी-कभी इस उन्नति को दबा रखना कठिन ँहो जाता है। शिचा प्रचार मे इन दस-बारह बरसो मे उसने जो तरक्की की है, उस पर सारा संसार दाँतो तले उँगली दबा रहा है। अभी तक समझा जाता था कि सिनेमा क्षेत्र मे अमेरिका सबसे आगे है। पर अब मालूम हुआ कि संसार के कुल साठ हजार सिनेमा घरों मे सत्ताईस हजार किेवल रूस मे है। अमेरिका मे चौबीस हजार है। शेष नौ हजार मे सारा संसार है। एशिया मे एक हजार से अधिक नहीं। लोहे की चीजों मे, बिजली के प्रसार मे, खेती वृद्धि मे वह बडे वेग से कदम बढ़ाता जा रहा है। अब ज्ञात हुआ कि उसने सोवियट-काल मे समाचार पत्रों मे अश्रुतपूर्व उन्नति की है। महायुद्ध के पहले रूस मे कुल आठ सौ छप्पन पत्र थे, जिनकी ग्राहक सख्या सत्ताईस लाख थी, आज वहाँ चौवन सौ पत्र छपते हैं और ग्राहक सख्या तीन करोड अस्सी लाख है। अगर कागज का अभाव न होता, तो इससे भी अधिक प्रचार होता। कई पत्रों का प्रचार तो बीस लाख है। और उन चालबाजियों का नाम भी नहीं है, जो अन्य देशों के पत्र प्रतिद्वन्दिता के कारण अपनी ग्राहक-सख्या बढ़ाने के लिए किया करते हैं। सनसनी फैलानेवाली खबरे, चोरी, बलात्कार आदि की घटनाएँ, तेजी, मन्दी और मिल के हिस्सों की नोटिसों और शब्द जाल और पहेलियाँ, फैशन और समाज के चुटकले, उन पत्रों मे नजर नहीं आते। तलाक, जिना आदि की खबरे छपने नहीं दी जाती। हाँ, अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों पर काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के पत्रों का प्रचार भी एक करोड से कम नहीं। इन प्रमाणों के सामने कौन कह सकता है कि सोवियट शासन बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति मे उन्नत से उन्नत राष्ट्र से भी पीछे है।

२१ अगस्त १९३३

गेहूँ सम्मेलन

आजकल इंग्लैंड मे गेहूँ पैदा करनेवाले देशों के प्रतिनिधि बैठकर इस समस्या को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं कि गेहूँ का दाम कैसे चढ़ जाय। एक विद्वान् का तो यह कहना है कि आजकल ससार मे जो मन्दी व्याप रही है उसका कारण गेहूँ की कसरत से पैदावार है। उनके कथनानुसार सन् २७, २८, २९ मे इतनी इफरात से संसार मे गेहूँ पैदा हुआ, कि मनुष्य जाति के खाये न खाया गया। एक साल की पैदावार चुकने न पाती थी कि दूसरी फ़सल पहली से भी ज्यादा ठसाठस पैदा हो जाती थी। संसार मे इतना गेहूँ जमा हो गया कि १९३० आते-आते उसका दाम और गिर गया उसी के कारण

संसार-व्यापक मन्दी ने डेरा जमा लिया । अब गेहूँ की खेती में कमी करके पैदावार कम करने का प्रस्ताव हो रहा है । हमें यह सब सुनकर विस्मय होता है । खाने की चीज भी इतनी इफ़रात से हो सकती है कि उसकी पैदावार कम की जाय, हमें इस पर विश्वास नहीं आता । जिस देश के अस्सी फी सदी निवासी साल के तीन सौ साठ दिनों में आधे और चौथाई पेट खाकर दिन काट देते हों, उसे इस पर विश्वास आ ही कैसे सकता है । अगर गेहूँ ऐसा ही अजीब हो रहा है और मारा-मारा फिर रहा है, तो करोड़ दो करोड़ टन भारत क्यों नहीं भेज दिया जाता ? यहाँ के भूखे खाकर गेहूँ के व्यापारियों को कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे । पैदावार में कमी करना तो हमें किसी सिद्धान्त से भी मुनासिब नहीं मालूम होता । बस गेहूँ के विशेषज्ञों को यही निश्चय करना चाहिए कि साल के अत में जितना गल्ला बच रहे, वह जहाजों पर लादकर भारत भेज दिया जाय । फिर एक महीने में तेजी न हो जाय, तो हमारा जिम्मा । गेहूँ बेचारे पर इतना बड़ा लाछन लगाना कि उसी के कारण संसार का व्यापार मिट्टी में मिला जा रहा है, बड़ा अन्याय है । मगर नहीं, इसी गेहूँ ने हज़रते आदम को जन्नत से निकलवाया था, इसलिए अब हम उसे दुनिया से निकालकर उसकी उस शरारत का मजा चखा देंगे । पश्चिम के अर्थ-शास्त्रियों की निराली अर्थनीति की बलिहारी !

२८ अगस्त १९३३

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द कर दो

“फोर्टनाइटली रिविउ” विलायत का प्रतिष्ठित पाक्षिक पत्र है । उसमें एक अंग्रेज अर्थ शास्त्री ने यह विचार प्रकट किया है कि वर्तमान मंदी का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है । अगर हरेक देश अपनी-अपनी जरूरत भर की चीजें बनाये तो उसे क्यों अपने फालतू माल की खपत के लिए अन्य देशों में बाज़ार ढूँढना पड़े, क्यों एक्सचेंज और करेसी के झगड़े खड़े हों, क्यों आपस में प्रतियोगिता बढे, क्यों इतने जहाज बढे और क्यों इन जहाजों की रक्षा के लिए सैनिक जहाज रखने पड़े, क्यों आये दिन लडाइयाँ खड़ी हों, और क्यों आये दिन निरर्थक सम्मेलनों पर प्रजा का धन नष्ट हो । प्रस्ताव तो लाख रुपये का है, पर कुबेर के उपासक और साम्राज्य के भक्त योरोपियन व्यापारी भला कब मानने लगे । उन्हें तो धन चाहिए, धन के लिए मान की खपत होनी जरूरी है, और माल की खपत के लिए निर्बल देशों का होना लाजिम है । माल की खपत तो पच्छिमी संस्कृति का मूल तत्व है । भला इसे वह कैसे छोड़ दे । मगर ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने अब संसार की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है ।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब एक बटा तीन मात्र रह गया है। और यह मात्रा भी दिन-दिन घटती जाती है। सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध अपने-अपने द्वार बन्द कर रहे हैं। दूसरों के माल पर सौ-सौ फी सदी चुंशियाँ लगायी जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि इस लेखक ने जो प्रस्ताव किया है, वह परिस्थिति को अच्छी तरह देखकर किया है। कहीं ऐसा हो जाय, तो भारत मूसलो ढोल बजावे। हाँ, इंग्लैंड के लिए वह पतन का दिन ही होगा।

२८ अगस्त १९३३

मि० डी० वेलरा से विरोध

राजनैतिक प्रभाव के बनने में चाहे जितनी देर लगे, उसके बिगड़ने में देर नहीं लगती। वही मि० डी० वेलरा जो आयरलैंड के बेताज के वादशाह थे, आज उनके विरुद्ध इतने लोग हो गये हैं कि वह प्लेटफार्म से बोल नहीं सकते। जब से डी० वेलरा ने इंग्लैंड को कर देना अस्वीकार किया, उसी वक्त से इंग्लैंड घात में लगा हुआ था। इंग्लैंड के बाजार में आयरिश किसानों की चीजों की खपत बन्द होते ही किसानों में असन्तोष होना स्वाभाविक था। डी० वेलरा के प्रतियोगी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने चटपट किसानों को मिलाकर डी० वेलरा का विरोध करना शुरू कर दिया और ऐसा अनुमान होता है कि शीघ्र ही वहाँ नया चुनाव करना पड़ेगा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में डी० वेलरा की गवर्नमेंट का क्या अन्त होगा।

१८ सितम्बर १९३३

डिक्टेटरशिप या डिमाक्रेसी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में इस विषय पर एक बड़ी मनोरंजक बहस हुई कि डिमाक्रेसी असफल हुई है और ससार का भविष्य डिक्टेटरशिप के हाथ है। एक दल डिमाक्रेसी के पक्ष में था, दूसरा डिक्टेटरशिप के पक्ष में। दोनों पक्षों ने अपना-अपना समर्थन किया और अन्त में डिक्टेटरशिप पक्ष की बहुमत से जीत हुई। डिमाक्रेसी सदियों के राजनैतिक विकास का फल थी और विचारवानों की धारणा थी कि यही राजनैतिक उन्नति का शिखर है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कितने विप्लव हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुईं, कितना मानव रक्त बहा, पर मानवी दुर्बलताओं ने उस स्वर्ण स्वप्न

को मिथ्या कर दिया । डिमाक्रेसी केवल एक दलबन्दी होकर रह गयी । जिनके पास धन था, जिनकी जवान मे जादू था, जो जनता को सब्जबाग दिखा सकते थे, उन्होने डिमाक्रेसी की आड़ मे सारी शक्ति अपने हाथ मे कर ली । व्यवसायवाद और साम्राज्यवाद उस सामूहिक स्वार्थपरता के भयंकर रूप थे, जिन्होने संसार को गुलाम बना डाला और निर्बल राष्ट्रों को लूटकर अपना घर भरा और आज तक वही नीति चली जा रही है । डिमाक्रेसी की इन दो सदियों मे संसार मे जो-जो अर्थ हुए, वह एकाधिपत्य की असंख्य सदियों मे न हुए थे । अपने राष्ट्र के लिए डिमाक्रेसी चाहे जितनी मंगलमय सिद्ध हुई हो, पर संसार की दृष्टि से तो उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस पर वह गर्व कर सके । अब संसार उससे तग आ गया है और उसका अन्त करके ऐसी व्यवस्था का आश्रय लेना चाहता है, जिसमे एकसत्तात्मक राज्य और डिमाक्रेसी दोनों गुण तो हो, पर अवगुण न हो । मुसोलिनी या हिटलर या स्टालिन आज ईश्वर के प्रतिनिधि राजाओं की भाँति पशुबल से राज्य का संचालन नहीं कर रहे हैं । राष्ट्र उनकी सम्पत्ति नहीं है और न राष्ट्र का धन उनके भोग विलास के लिए है । वे जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकते और न उनकी अधिकार-लालसा स्वार्थ के लिए है । वे राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है । यह कहना मुश्किल है कि डिक्टेटरशिप चंद रोजा है या स्थायी, पर इसमे सन्देह नहीं कि इस वक्त डिमाक्रेसी से कही उपयोगी हो रहा है । यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी डिक्टेटर बने हुए हैं ।

१८ सितम्बर १९३३

ज़बरदस्ती या समझाबुझाकर

दुनिया मे दो स्वभाव के आदमी होते हैं, एक गर्म दूसरे नर्म । गर्म स्वभाव का आदमी छ. महीने की राह एक महीने मे तय करना चाहता है, नर्म स्वभाव का आदमी चाहे रास्ते मे किसी दरख्त के नीचे रात काट ले, पर दौडना उसे नहीं भाता । नर्म स्वभाव का आदमी लिबरल होता है, गर्म स्वभाव का रेडिकल, या और ज्यादा गर्म हुआ तो क्रान्तिवादी ।

किसी नीति या पालिसी या मत का प्रचार करना है । गर्म स्वभाव का आदमी जोश मे चाहता है कि आन की आन मे उसकी नीति सफल हो जाय, कुछ परवाह नहीं, यदि इसके लिए कठिनाइयाँ भेलनी पडे । अपनी नीति मे उसे इतना विश्वास होता है कि वह समझता है इसके सफल होते ही वह संसार मे एक नये युग का प्रवर्तक कहा जायगा, सारी बाधाएँ छू मन्तर मे उड़ जायेंगी ।

नर्म स्वभाव का आदमी उतना ही या उससे अधिक उत्साह रखने पर भी उसी मार्ग पर कदम रखते डरता है, जिसके एक ओर हरी-भरी पहलियाँ हैं, दूसरी ओर गहरी खाई। उसे समतल भूमि चाहिए। फिसलन और रपटन से उसके प्राण काँपते हैं। और उसकी उर्वर बुद्धि अपने इस मीठेपन के लिए कोई अच्छा बहाना खोज निकालना चाहती है जिससे वह अपने प्रतियोगी को लज्जित कर सके। और वह कहता है—थोड़ा-थाड़ा खाओ, जिससे वह देह में लगे, जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया भोजन से रक्त बनाकर तुम्हारे शरीर को पुष्ट करे। एकबारगी पेट को ठूस लेने से बदहजमी हो जायगी। लाभ की जगह क्षति पहुँचेगी।

गर्म दिल के आदमी के पास जवाबों की कमी नहीं है। वह कहता है, जब तक पानी उबाल की बिन्दु तक न खौल जाय, उससे भोजन नहीं पक सकता। उसकी चौगुनी आँच भी अगर एक निश्चित समय के अन्दर न लगायी जाय तो पानी कभी खौलेगा ही नहीं। सूर्य की गरमी जब तक किसी विधि से केंद्रित न कर दी जाय, वह ताप का अखड भंडार होने पर भी मुट्टी भर कोयले का भी काम नहीं कर सकती।

इसी तरह दोनों ओर से सवाल जवाब होते रहते हैं, पर मसला हल नहीं होता। मौलिक भेद नहीं है। केवल तबीयत या स्वभाव का भेद है। दोनों के उद्देश्य एक हैं, विधि भी प्रायः एक है, केवल गति का अन्तर है। गति ही से हवा आँधी भी हो सकती है और मन्द समीरण भी। सूरज और हवा में एक बार मजेदार होड़ लगी। सूरज कहता था—मैं बड़ा। हवा कहती थी—मैं बड़ी। उसी वक्त एक आदमी कम्बल ओढ़े आ निकला। फँसला इस बात पर ठहरा कि जो उस आदमी का कम्बल उतरवा दे, वह बड़ा। हवा के नाम से टास पड़ा। उसने अपनी गति तेज करनी शुरू की। भोके आये, फिर आँधी आयी, फिर बवंडर और तूफान। पर कम्बल न उतरा। नदियों का पानी चढ गया, दरखत उखड गये, मकान गिर गये, पर कम्बल न गिरा। तब सूरज की बारी आयी। किरणें प्रखर हुईं और एक क्षण में मुसाफिर ने कम्बल उतार फेंका। एक ही नीति सब जगह काम नहीं देती। देश और काल और परिस्थिति के अनुसार नीति भी बदलती रहती है।

पर जोर स्थायी नहीं होता। जो काम समझा-बुझाकर किया जाता है, वह स्थायी और टिकाऊ होता है। जोर का काबू मन पर नहीं चलता। उसका काबू केवल देह पर चलता है। देह को परास्त करके भी आप मन को उतना ही अजेय छोड़ सकते हैं। बल्कि ऐसी अवस्था भी आती है जब देह के प्रत्येक पराजय के साथ मन और दृढ़, और दुर्दमनीय हो जाता है। प्रेरक शक्ति तो मन के पास है। देह तो केवल उसका दास है। जब तक आप मन को नहीं जीत लेते, मन को नहीं कायल कर देते, आप भविष्य के लिए विष बो रहे हैं। अगर हम किसी नाति की सफलता के इच्छुक हैं, तो हमें बड़ी शान्ति, पर बड़ी लगन के साथ अपने विरोधियों का, उन लोगों का जिन्हें उस नीति की

सफलता से हानि पहुँचेगी, मत परिवर्तन करना पड़ेगा। तभी हम यथार्थ में विजयी होंगे। यह सत्य है कि प्राणी अपने स्वार्थ को आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन जनमत में वह शक्ति है, जो असंभव को संभव कर दिखाती है। जनमत के दबाव से ही लाखों आदमी विदेशी कपड़े का लाभप्रद व्यापार छोड़कर दरिद्र हो गये, जनमत के प्रभाव से, लाखों आदमी स्वेच्छा से कमर कसकर रणक्षेत्र में जाते हैं और प्राणी को उत्सर्ग कर देते हैं। जोर और सख्ती से काम लेना मानो यह स्वीकार करना है कि हमारी नीति में सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की विजय पाने के लिए पशुबल की आवश्यकता नहीं होती। सत्य में ऐसी आंतरिक शक्ति है, जो किसी तरह दबायी नहीं जा सकती। आज किसी को जबरन मुसलमान बना लो। कल वह अवसर पाते ही अपनी शुद्धि करा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस्लाम में सत्य पाकर मुसलमान होता है, उसे कौन इस्लाम से फेंक सकता है।

बेशक समझाने बुझानेवाली नीति में समय लगता है। जोर और ज़ब्र से वही बात थोड़े समय में हो जाती है, लेकिन पहली दशा में फिर उस बुराई के उभड़ आने की शंका नहीं रहती। दूसरी दशा में वह शंका इतनी प्रचंड हो जाती है कि उस बुराई को दबाये रखने के लिए और भी बुराईयाँ करनी पड़ती हैं। और अगर दूर तक निगाह डाले, तो मालूम होगा, कि जोर या Coercion से जो कुछ हुआ वही कुछ और धैर्य से, Conversion से हो सकता था, और बिना रक्तपात के।

आज बीसवीं सदी में विशेष अधिकारी और स्तत्रों के राग अलापने का समय नहीं रहा। आज यह विषय विवादग्रस्त नहीं है, कि मजूर और मालिक में, जमींदार और किसान में जो अन्तर है वह अन्याय और जबरदस्ती पर टिका हुआ है। राज्य अब केवल एक गुट बनाकर गरीबों से कर वसूल करने और ऐश उड़ाने, अथवा उस ऐश में बाधा देनेवालों से लड़ने का नाम नहीं रहा, जिसका प्रजा के प्रति अधिक से अधिक यही धर्म था, कि उनके जानमाल की रक्षा करे। आज का राज्य ऐसी विषमताओं का समर्थक नहीं। आज का राज्य वह संस्था है, जिसका आधार-स्तम्भ है समता। उसका धर्म है, प्रजासत्ता के लिए समान अवसर, समान सुविधा और समान सत्ता की व्यवस्था करना, और जो राज्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बहुत दिन टिक नहीं सकता।

२५ सितम्बर १९३३

खेती की पैदावार कम करने का आयोजन

यूरोप के अर्थशास्त्रज्ञों ने बड़ा ही आसान नुस्खा ढूँढ निकाला है। बस, जिस

चीज का दाम गिर जाय उस चीज की पैदावार कम कर दो। गेहूँ का दाम गिर गया। चटपट गेहूँ सम्मेलन हो गया और उममे यह तय कर दिया गया कि पन्द्रह फीसदी गेहूँ की खेती घटा दी जाय। रबर का दर गिरा, बस, रबर की खेती कम कर दो। अब चाय का दर गिर रहा है। चाय के कारखानों में नफा नहीं हो रहा है। बस, चाय के बागों के मालिकों ने तय कर लिया कि चाय कम तैयार की जाय। पूंजीपति को मस्ती काले सॉप-सी नजर आती है। वह तो मँहगी चाहता है जिसमें थोड़ी-सी चीज देकर वह थैलियाँ भर ले। काश्तकार चाहता है और ईश्वर से मनाता है कि खेतों में इतना अनाज हो जाय कि वह दोनों हाथों लुटाये। मगर जिमने खलिहान का मारा माल अपने बखारों और वृत्तियों में भर कर रक्खा है, वह प्रातःकाल पमेरियाँ लुढ़काता है कि भाव तेज हो। वह सदैव अकाल की कामना किया करता है। आज इस मस्ती में गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। मस्ती का कारण यह नहीं है कि फल अच्छी हो रही हैं, बल्कि किसी के पास खरीदने को पैसा नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं। खाने पीने की चीजों की उपज घटाकर व्यापारियों को नफा तो खूब होगा, इसमें शक नहीं, पर जब मस्ती में अधिकांश आदमी भूखों मर रहे हैं तो उस मँहगी में उनकी क्या दशा होगी यह हमारे अर्थशास्त्री नहीं सोचते। मर जायेंगे ? मर जायें, और पृथ्वी का बोझ हल्का हो जायगा। ससार में जो यह तवाही आयो हुई है, इसका कारण योरोप के पूंजीपति हैं और आज समस्त ससार को उन्हीं के पापों का प्रायश्चित्त करना पड़ रहा है। अगर पैदावारों के घटाने की यही सनक कुछ दिन और रही, तो ये लोग ससार को निर्जन बनाकर छोड़ देंगे। यह साम्राज्यवाद की विपत्ति जिस से ससार त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह किसकी बुलायी हुई है ? इन्हीं कुबेर के गुलामों की। यह जो चुंगियों की प्रत्येक देश ने दीवारे खड़ी कर ली हैं, यह किसकी कृपा है ? इन्हीं पूंजीपतियों की यह जो बड़ी-बड़ी लडाइयाँ होती हैं जिनमें खून की नदियाँ बह जाती हैं, इनका जिम्मेदार कौन है ? यही लक्ष्मी के उपासक। ससार इनके भोग का क्षेत्र है। सारी राज्य व्यवस्था, यह बड़ी-बड़ी सेनाएँ, ये जगी बेड़े, ये हवाई जहाजों की परे इन्हीं व्यापारियों के फायदे के लिए तो है। वे ससार के स्वामी हैं, पार्लियामेंट और सेनेट-सिडिकेट तो उनके खिलौने हैं। भारत भी उनकी मायाजाल में फँसा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा है।

६ अक्टूबर १९३३

निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा

बरोसों से यह ड्रामा हो रहा है, एक परदा गिरता है दूसरा उठता है, वक्तव्य

॥ निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा ॥

निकलते हैं, मन्त्रिगण दौरे करते हैं, कार्रोंसे होती है, और यही सिलसिला चलता रहता है। फ्रांस शेर है, वह जर्मनी को उभरने नहीं देना चाहता। और जर्मनी कहता है, अगर मित्र-दल वर्सेल की सन्धि को नहीं मानना चाहते, तो मैं ही बयो मानूँ। अबकी इटली, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों ने मिलकर जर्मनी पर दबाव डालना चाहा था, पर जर्मनी अपनी टेक पर अडा हुआ है। और इधर मिलबाल्डविन ने अपने कथन में कह दिया कि अब इंग्लैंड भी अपने को भरपूर सशस्त्र करेगा। बहुत ठीक। लेकिन जर्मनी खूब समझ रहा है मि० वाल्डविन का सकेत किस ओर है और इसीलिए इस निश्शस्त्रावस्था में भी वह जरा भी नहीं दबता।

१६ अक्टूबर १९३३

जर्मनी में अनार्यों का वहिष्कार

इस घोर बुद्धिवाद के युग में जर्मनी आर्य-अनार्य का भगडा ले बैठा है। एक ओर तो संसार में भिन्न-भिन्न जातियों का समिश्रण हो रहा है, दूसरी ओर वैज्ञानिक जर्मनी यह नियम बना रहा है कि उसके स्त्री-पुरुष अनार्य जातियों से शादी-विवाह न करे। जर्मनी किसी उर्दू कवि की इस उक्ति को सार्थक करना चाहता है, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। व्यक्तित्व में वह जादू है कि बीसवीं शताब्दी में चाहे तो योरोप को भी सन्यास और वैराग्य का भक्त बना दे, और यंत्र-युग को भी कृषि युग में बदल दे। सस्कृति के चक्र उलट देना उसके लिए बच्चों का खेल है। हर हिटलर एक आदेश निकाल कर विज्ञान और प्रेम और नीति का रूप पलटे देता है। फिर अगर भारतवालों ने खान-पान और शादी-विवाह के लिए बंधन लगा दिये थे, तो क्या बुरा किया था। अब कोई गोरी युवती किसी हब्शी के साथ नृत्य का आनन्द नहीं उठा सकती। कोई जर्मन युवक किसी यहूदी ललना के प्रेम में फँस जाय, तो फडफडाते ही रह जाय, उस ललना से विवाह नहीं कर सकता। जर्मनी सारे संसार से अलग रहना चाहता है।

१६ अक्टूबर १९३३

जर्मनी के कम्युनिस्ट

जब हर हिटलर का निर्वाचन हुआ तो जर्मनी में पचास लाख कम्युनिस्ट थे। हिटलर

ने उनके पत्र बन्द कर दिये, उनके प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया और उस दल को मिटा देने में कोई बात उठा न रखी। अनुमान किया जाता है कि वह सारे कम्युनिस्ट हिटलर-दल में मिल गये, पर एक अंग्रेजी पत्र ने पता लगाया है कि कम्युनिस्ट पत्र अभी तक गुप्त रूप से छापे जाते हैं, यहाँ तक कि एक पत्र तो तीन लाख छपता है और हाथो हाथ बिक जाता है। उसके अतिरिक्त एक सौ पचास कम्युनिस्ट पत्र और भी निकल रहे हैं। पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकती। उस पत्र का कथन है कि कम्युनिस्ट लोग नाजीदल में केवल इसलिए घुसे हैं कि अन्दर से उसमें वारूद भरे। जो कुछ भी हो, इस वक्त तो नाज़ियों का राज्य है।

३० अक्टूबर १९३३

ग्रन्था पूँजीवाद

जिधर देखिए उधर पूँजीपतियों की घुडदौड़ मची हुई है। किसानों की खेती उजड़ जाय, उनकी बला से। कहावत के उस मूर्ख की भाँति जो उसी डाल की जड़ काट रहा था, जिस पर वह बैठा था, यह समुदाय भी उसी किसान की गर्दन काट रहा है, जिसका पसीना उसी की सेवा में पानी की तरह बह रहा है।

पहले जब किसान निपट मूर्ख था, उसके लिए गोरे और काले पूँजीपति में कोई अन्तर न था। साँप और नाग दोनों ही उसके लिए समान थे। मि० बुल और सेठ पुनपुनवाला दोनों ही को देखकर वह काँप उठता था।

तब धीरे-धीरे उसने कुछ राजनैतिक ज्ञान सीखा, राष्ट्र और जाति जैसे शब्दों से उसका परिचय हुआ और भोले बालको की भाँति जो हरेक वस्तु को मुँह में डाल लेते हैं, इस सरल व्यक्ति ने भी सेठ पुनपुनवाला के वैष्णव तिलक और हिन्दू-धर्म के प्रति असीम श्रद्धा और उनके नाम को उजागर करनेवाले धर्मशालों, मन्दिरों और पाठशालों को देखकर, उनको अपना उद्धारक समझा। यही सेठ पुनपुनवाला तो है, जिनके नाम और यश की कथाएँ मोटे-मोटे अक्षरों में समाचार पत्रों में छपती हैं। ऐसे राष्ट्र-प्रेमी सेठ जी से उसने मन में बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध ली। ये अपने हैं, अपने देश के हैं, कितने ही स्वार्थी क्यों न हों विदेशियों से तो अच्छे ही होंगे। इतना पुरख कमाया है, तभी तो लक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा की है। अपने दुखी देशवासियों के लिए उनके मन में कहाँ तक दया न होगी।

लेकिन जब पुनपुनवाला के मिलो में उसकी ऊख की खरीद होने लगी, जब उनकी आढतो में उसका अनाज या सन तौला जाने लगा, तब उसे अनुभव हुआ कि

सेठ जी बाहर से जितने बड़े धर्मात्मा और देशभक्त हैं, भीतर से उतने ही लुटेरे और बन्धुद्रोही भी हैं, और धन और देश प्रेम का यह सारा आडम्बर उन्होंने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रच रक्खा है। पहले उसे सहसा अपनी आँखों पर विश्वास न आया। सेठ पुनपुनवाला जिनके नाम से ऐसी-ऐसी धर्म सस्थाएँ चलती हैं कभी इतने पाषाण-हृदय नहीं हो सकते। यह उनके मुखतारो और मुनीमो का चक्र है। उसने सेठ जी से अपना दर्द दिल कहने की अनुमति चाही, लेकिन बेकार, सेठ जी के उसे दर्शन न हुए, उनके दर्बानो ने उसे धक्के देकर निकाल दिया, यहाँ तक कि जब उसने रोना शुरू किया तो धर्मात्मा सेठ पुनपुनवाला खुद हटर लेकर दौड़े। तब अभागा कृषक समझ गया कि इन सेठ जी से उसने व्यर्थ ही ऐसी आशाएँ बाँधी थी। वही उसे दूसरा अनुभव यह हुआ, और जिससे उसे और मर्मवेदना हुई, कि मि० बुल इन सेठ पुनपुनवाला से कही खरे, सच्चे और सज्जन है। उनके मिल में उसकी ऊँख चट पट तुल जाती है, और तुरत दाम मिल जाते हैं। रोकडियो और प्यादो को कुछ न कुछ चटाना जरूर पडता है—और इसमें उसे लेशमात्र भी आपत्ति नहीं है—पर यदि इसकी शिकायत की जाय तो मि० बुल उसे सुनने और दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी आढती मे भी ज्यादा धाँधली नहीं होती।

बिलकुल यही दृश्य आजकल बिहार में देखने में आ रहा है। बिहार में शक्कर के इतने मिल खुल गये हैं कि वह भारतवर्ष का खडसाल हो गया है। वही की भूमि में उपजी हुई ऊँख सफेद शक्कर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बिहार ही क्यों, सयुक्त प्रान्त के उत्तर पूर्व भाग में भी उसी तरह की जमीन है। इन मिलों के मालिक योरोपियन भी हैं, मारवाडी भी, पजाबी भी, पर जहाँ अंग्रेजों के मिलों में किसानों के साथ सफाई का व्यवहार किया जाता है, वहाँ भारतीय मिलों में इन गरीबों को तरह-तरह से सताया जाता है, कई-कई दिन उनकी ऊँख नहीं खरीदी जाती, यहाँ तक कि जब ऊँख सूखने लगती है, तो उसे नाममात्र का दाम देकर गिरवा लिया जाता है। मिल के सामने गरीब किसानों को कई-कई दिन वर्षा और ठंड में पडा रहना पडता है, क्लकों और मुशियो की खुशामदे करनी पडती है, तब भी कोई उसकी नहीं सुनता। इसके प्रतिकूल अंग्रेजी मिलों में उनके ठहरने और जानवरो को बाँधने के लिए टोन के छप्पर डाल दिये गये हैं। मैनेजर और अधिकारी भी ज्यादा इसानियत से पेश आते हैं। हम से यह वृत्तान्त बिहार के एक सज्जन ने जिन्हे इस व्यवसाय का प्रत्यक्ष अनुभव है बयान किया है, इसलिए सत्य होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। भारतीय पूँजीपतियों की नृशसता इतनी बढ गयी है कि बिहार सरकार को हस्तक्षेप करना पडा है और उसने एक सरकुलर निकाल कर मिल के प्रबन्धकों को चेतावनी दे दी है कि वे ऊँख की खरीद के दर लिखकर नगर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर लगा दे, जिसमें किसानों को कोई धोखा न दे सके। बिहार सरकार ने शक्कर के बाजार दर और शक्कर की तैयारी की

लागत आदि का परता मिला कर यह हिसाब लगाया है कि तेतीस-चौतीस में ऊख को खरीद सात आने मन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कोई मिल इस तरह को विज्ञप्ति न निकालेगी या इस दर से ऊख न खरीदेगी तो उस पर पाँच सौ ६० जुर्माना होगा। हम, निजी मुआमलो में सरकार का पडना बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन इस अवसर पर बिहार-सरकार की कार्रवाई पर उसे धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमें आशा है कि हमारे प्रान्त में भी किसानों को पूँजी-पतियों के पजे से बचाने की कोशिश की जायगी। अब किसान-सभाओं के कार्यकर्ताओं का यह काम है कि वह मिलवालों पर कड़ी निगाह रखे और किसी को बेराह चलते देखे तो सरकार को सूचना दे। यह आशा करना कि पूँजीपति किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की आशा करना है। इस खूबखार जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए हमें स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा।

६ नवम्बर १९३३

नादिरशाह की हत्या

काबुल की राजनीति दिन-दिन जटिल होती जाती है। अभी सर रास मसऊद, सैयद सुलेमान नदवी आदि महानुभाव काबुल विश्वविद्यालय के विषय में सलाह देने के लिए काबुल निमन्त्रित हुए थे। उनके कथन से मालूम हुआ था कि काबुल की गति प्रगतिशील है और वह थोड़े दिनों में सभ्य राष्ट्रों की पंक्ति में बैठने जा रहा है। पर इस हत्या से यह अनुमान होता है कि काबुलवाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिज्म ने उधर कदम बढ़ाया हो।

१३ नवम्बर १९३३

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ़ है, उसी तरह जैसे मध्य-कालीन युग का कोढ़ साम्प्रदायिकता थी। नतीजा दोनों का एक है। साम्प्रदायिकता अपने घेरे के अन्दर पूर्ण शान्ति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था, उसको गोचने-चंगटे में उसे जरा भी मानसिक क्लेश न होता था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अन्दर रामराज्य का आयोजन करती है। उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्रु है। सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों या गिरोहों में बँटा हुआ है,

॥ राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता ॥

३३३

और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक सदेह की दृष्टि से देखते हैं और जब तक इसका अन्त न होगा, संसार में शान्ति का होना असंभव है। जागरूक आत्माएँ संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहती हैं और कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के बन्धन में जकड़ा हुआ संसार उन्हें डीमर या शेखचिल्ली समझ कर उनकी उपेक्षा करता है।

इसमें तो कोई सदेह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीयता मानव संस्कृति और जीवन का बहुत ऊँचा आदर्श और आदि से संसार के विचारको ने इसी आदर्श का प्रतिपादन किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इसी आदर्श का परिचायक है। वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार ही तो किया। आज भी राष्ट्रीयता का रोग उन्ही लोगों को लगा हुआ है, जो शिक्षित हैं, इतिहास के जानकार हैं। वे संसार को राष्ट्रों ही के रूप में देख सकते हैं। संसार के सगठन की दूसरी कल्पना उनके मन में आ ही नहीं सकती। जैसे शिक्षा से और कितनी ही अस्वाभाविकताएँ हमने अपने अन्दर भर ली हैं, उसी तरह से इस रोग को भी पाल लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो ? कुछ लोगों का ख्याल है कि राष्ट्रीयता ही अन्तर्राष्ट्रीयता की सीढ़ी है। इसी के सहारे हम उस पद तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जैसा श्रीकृष्ण मूर्ति ने काशी में अपने एक भाषण में कहा है, यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि आरोग्यता प्राप्त करने के लिए बीमार होना आवश्यक है। तो फिर यह प्रश्न रह जाता है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भावना कैसे जागे।

समाज का संगठन आदि काल से आर्थिक भित्ति पर होता आ रहा है। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस समय भी उसे जीविका के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनानी पड़ती थी। उनमें आपस में लडाइयाँ भी होती रहती थी। तब से आज तक आर्थिक नीति ही संसार का संचालन करती चली आ रही है, और इस प्रश्न की ओर से आँखें बन्द करके समाज का कोई दूसरा सगठन सफल नहीं हो सकता। यह जो प्राणी-प्राणी में भेद है, फूट है, वैमनस्य है, यह जो राष्ट्रों में परस्पर तनातनी हो रही है, इसका कारण अर्थ के सिवा और क्या है। अर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही, राष्ट्रीयता के किले को ध्वंस कर सकता है।

वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार करके एक दूसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर पहुँचने की चेष्टा की। उसने समझा समाज के मनोभाव को बदल देने से ही यह प्रश्न आप ही आप हल हो जायगा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसने कारण का निश्चय किये बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया, जिसका परिणाम असफलता के सिवा और क्या हो सकता था। हजरत ईसा, महात्मा बुद्ध आदि सभी धर्म-प्रवर्तकों ने मानसिक और आध्यात्मिक मस्कार से समाज का संगठन बदलना चाहा। हम यह नहीं कहते कि उनका रास्ता गलत था। नहीं, शायद वहाँ रास्ता ठीक था, लेकिन उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अर्थ को नगण्य समझा। अन्तर्राष्ट्रीयता, या एकात्मवाद या समता तीनों मूलतः एक ही हैं। उनकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिक

दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक मार्ग की परीक्षा हमने खूब कर ली। कई हजार बरसों से हम यही परीक्षा करते चले आ रहे हैं। वह श्रेष्ठतम मार्ग था। उसने समाज के लिए ऊँचे से ऊँचे आदर्श की कल्पना की और उसे प्राप्त करने के लिए ऊँचे से ऊँचे सिद्धांत की सृष्टि की थी। उसने मनुष्य की स्वेच्छा पर विश्वास किया, लेकिन फल इसके सिवा और कुछ न हुआ कि धर्मोपजीवियों की एक बहुत बड़ी सख्या पृथ्वी का भार हो गयी। समाज जहाँ था, वही खडा रह गया, नहीं, और पीछे हट गया। ससार में अनेक मतों और धर्मों और करोड़ों धर्मोपदेशकों के रहते हुए भी जितना वैमनस्य और हिंसा-भाव है, उतना शायद पहले कभी न था। आज दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तक कि स्त्री-पुरुष में संग्राम चल रहा है। पुराने ज्ञानियों ने सारे भगडों की जिम्मेदारी 'जर, जमीन, जन' रक्खी थी। आज उसके लिए केवल एक ही शब्द काफी है—सम्पत्ति।

जब तक सम्पत्ति मानव-समाज के संगठन का आधार है, संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। राष्ट्रों-राष्ट्रों की, भाई-भाई की, स्त्री-पुरुष की लडाई का कारण यही सम्पत्ति है। ससार में जितना अन्याय और अनाचार है, जितना द्वेष और मालिन्य है, जितनी मूर्खता और अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य यही विष की गाँठ है। जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव-समाज का उद्धार नहीं हो सकता। मजदूरों के काम का समय घटाइये, बेकारों का गुजारा दीजिये, जमींदारों और पूँजीपतियों के अधिकारों को घटाइये, मजूरों और किसानों के स्वत्वों को बढ़ाइये, सिक्के का मूल्य घटाइए इस तरह के चाहे जितने सुधार आप करें, लेकिन यह जीर्ण दीवार इस टीप-टाप से नहीं खड़ी रह सकती। इसे नये सिरे से गिराकर उठाना होगा।

ससार आदि काल से लक्ष्मी की पूजा करता चला आता है। जिस पर वह प्रसन्न हो जायँ उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसकी सारी बुराइयाँ मुआफ कर दी जाती हैं, लेकिन ससार का जितना अकल्याण लक्ष्मी ने किया है, उतना शैतान ने नहीं किया। यह देवी नहीं, डायन है।

सम्पत्ति ने मनुष्य को अपना क्रीतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आत्मिक और दैहिक शक्ति केवल सम्पत्ति के सचय में बीत जाती है। मरते दम भी हमें यही हसरत रहती है कि हाय इस सम्पत्ति का क्या हाल होगा। हम सम्पत्ति के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। हम विद्वान् बनते हैं सम्पत्ति के लिए, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, सम्पत्ति के लिए। धी में आलू मिलाकर हम क्यों बेचते हैं? दूध में पानी क्यों मिलाते हैं? भाँति-भाँति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्यों बनाते हैं? वेश्याएँ क्यों बनती हैं, और डाके क्यों पडते हैं? इसका एक मात्र कारण सम्पत्ति है। जब तक सम्पत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, जब तक - - - का अन्त न होगा, संसार को शान्ति न मिलेगी।

कुछ लोग समाज के इस आदर्श की वर्गवाद, या "क्लास वॉर" कह कर उसका

अपने मन में भीषण रूप खड़ा कर लिया करते हैं। जिनके पास धन है, जो लक्ष्मी पुत्र है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे इसे हौवा समझकर, आँखें बंद करके, गला फाड़कर चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन शांत मन से देखा जाय, तो असपत्तिवाद के शरण में आकर उन्हें भी वह शांति और विश्राम प्राप्त होगा, जिसके लिए वे सन्तो और सन्यासियों की सेवा किया करते हैं, और फिर भी वह उनके हाथ नहीं आती। अगर वे अपने पिछले कारनामों को याद करे तो उन्हें मालूम हो कि सम्पत्ति जमा करने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का, अपने सम्मान का, अपने सिद्धांत का कितना खून किया। बेशक उनके पास करोड़ों की विभूति है, पर क्या उन्हें शान्ति मिल रही है? क्या वे अपने ही भाइयों से, अपनी ही स्त्री से सशक नहीं रहते? क्या वे अपनी ही छाया से चौक नहीं पड़ते? वह करोड़ों का ढेर उनके किस काम आता है? वे कुम्भकर्ण का पेट लेकर भी उसे अन्दर नहीं भर सकते। ऐदिक भोग की भी सीमा है। इसके सिवा कि उनके अहंकार को यह सन्तोष हो कि उनके पास एक करोड़ जमा है, और तो उन्हें कोई सुख नहीं है। क्या ऐसे समाज में रहना उनके लिए असह्य होगा, जहाँ उनका कोई शत्रु न होगा, जहाँ उन्हें किसी के सामने नाक रगड़ने की जरूरत न होगी, जहाँ उन्हें छल-कपट के व्यवहार से मुक्ति होगी, जहाँ उनके कुटुम्बवाले उनके मरने की राह न देखते होंगे, जहाँ वे विष के भय के बगैर भोजन कर सकेंगे? क्या यह अवस्था उनके लिए असह्य होगी? क्या वे उस विश्वास, प्रेम और सहयोग के ससार से इनना घबराते हैं, जहाँ वे निरन्द और निश्चिन्त, समष्टि में मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे? बेशक उनके पास बड़े-बड़े महल और नौकर-चाकर और हाथी घोड़े न होंगे, लेकिन यह चिन्ता, सदेह और संवर्ष भी तो न होगा।

कुछ लोगों का सदेह होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य में प्रेरक शक्ति कहाँ से आयेंगी। फिर विद्या, कला और विज्ञान की उन्नति कैसे होगी? क्या गोसाईं तुलसीदास ने रामायण इसलिए लिखा था कि उस पर उन्हें रायलटी मिलेगी। आज भी हम हजारों आदमियों को देखते हैं, जो उपदेशक हैं, कवि हैं, शिचक हैं, केवल इसलिए कि इससे उन्हें मानसिक सतोष मिलता है। अभी हम व्यक्ति की परिस्थिति से अपने को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी सकाएँ हमारे मन में उठती हैं। समष्टि कल्पना के उदय होते ही यह स्वार्थ चेतना स्वयं सस्कृत हो जायगी।

कुछ लोगों को भय होता है कि तब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आज ऐसा कौन-सा राजा या धनी है जो कि आधीरात तक बैठा सिर नहीं खपाता। यहाँ उन विलासियों की बात नहीं है, जो बाप दादों की कमायी उड़ा रहे हैं। वे तो पतन की ओर जा रहे हैं। जो आदमी सफल होना चाहता है, चाहे वह किसी काम में हो, उसे परिश्रम करना पड़ेगा। अभी वह अपने और अपने कुटुम्ब के लिए परिश्रम करता है। क्या तब उसे समष्टि के लिए परिश्रम करने में कष्ट होगा?

२७ नवम्बर १९३३

यूरोप में निश्शस्त्रीकरण की प्रगति

बरसों से सुनते आते हैं कि यूरोप में लड़ाई के यंत्र घटाये जा रहे हैं। लीग में बहस हुई, जाने कितने सम्मेलन हुए, नेताओं ने कितनी दौड़-धूप की, मगर परिणाम क्या हुआ ? १९१४ में ऑस्ट्रिया के पास एक लाख पैतीस हजार टन की टारपीडो नौकाएँ थी, अब एक लाख सत्तर हजार टन की हैं, १९१४ में फ्रांस के पास पैतीस हजार टन थे, अब एक लाख अठानबे हजार टन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास चालीस हजार टन थे अब दो लाख उनसठ हजार टन हैं। जापान के पास चार हजार चार सौ सत्तर टन थे, अब एक लाख पच्चीस हजार टन हैं। अब सबमेरीनो को लीजिये। १९१४ में ब्रिटेन के पास सैंतालिस हजार टन थे, अब एकसठ हजार टन हैं, फ्रांस के पास तैतीस हजार टन थे, अब सत्तानबे हजार टन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सोलह हजार टन थे, अब सतहत्तर हजार टन हैं।

यह है यूरोपीय निश्शस्त्रीकरण की प्रगति। जब कमी की यह प्रगति है, तो वृद्धि की क्या प्रगति होगी, इसका कौन अनुमान कर सकता है।

४ दिसम्बर १९३३

समाजवाद का आतंक

यह डिक्टेटरशिप का युग है। जनमतवाद के दिन लद गये। रूस, जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, स्पेन, गरञ्ज जहाँ देखो डिक्टेटरशिप का राज है ! जहाँ प्रत्यक्ष रूप से डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ भी व्यवहारिक रूप से उसने दखल कर लिया है, जैसे अमेरिका। अब इंग्लैंड को भी खटका होने लगा है कि कहीं इस खिचड़ी शासन के बाद समाजवादी डिक्टेटरशिप न खड़ी हो जाय। मगर इंग्लैंड-जैसे पूँजी-प्रधान देश में शायद ही ऐसी स्थिति पैदा हो सके। हाँ, यह हो सकता है कि फैंसिस्ट डिक्टेटरशिप खड़ी हो जाय। कुछ भी हो, वहाँ अभी से उस सम्भाव्य स्थिति का सामना करने की तैयारियाँ होने लगी हैं। इंग्लैंड में फैंसिज्म के आने की डेर है। फिर यूरोप का सारा निश्शस्त्रीकरण गायब हो जायगा। हमें खुश होना चाहिए कि सुफेद कागज का वाइसराय पक्का डिक्टेटर होगा, बिलकुल अपट्टुडैट।

१५ जनवरी १९३४

काशगर और मुस्लिम विप्लव

चीन के अंग-भग का एक सामूहिक षड्यंत्र हो रहा है। और काशगर (चीनी तुर्किस्तान) की जंगली मुस्लिम-जातियों का विप्लव और उसके प्रति भारत के अर्ध-सरकारी (एग्लो-इंडियन) पत्रों की सहानुभूति हमारे मन में एक विचित्र शका उत्पन्न कर देती है। “डेली गजट” ने चीनी तुर्किस्तान में एक नयी मुस्लिम जाति तथा राष्ट्र की स्थापना पर हर्ष प्रकट किया है तथा इस प्रकार भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त करने या “दिलाने” की छिपी चेष्टा की है। इस नीति की जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। हमें भारत में चीनी राजदूत के इस कथन पर पूरा विश्वास है कि इस विषय में प्राप्त समाचार अधूरे और अविश्वसनीय हैं। तथा चीन सरकार अपने अधिकार को जमाने की पूरी चेष्टा करेगी। चीन-सरकार की सफलता की हरेक सच्चा भारतीय कामना करेगा तथा यह चाहेगा कि कुछ जंगली हमारे पड़ोसी की हानि न करें। साथ ही इस विषय में रूटर के तारों पर अभी विश्वास न करेगा।

५ फरवरी १९३४

भावी महासमर तथा जापान

रूस के अधिनायक मोशिये स्टालिन की भावी महासमर के संबन्ध की ताजी विज्ञप्ति बड़ी रोचक, विचारपूर्ण तथा सूचनापूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ससार की इस समय जैसी दशा हो रही है, उसे देखते हुए यह विज्ञप्ति सत्य से बहुत निकट प्रतीत होती है। वर्गवादी दल, काँग्रेस के सामने उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें वे लिखते हैं, “पूँजीवादी देशों पर महासमर तथा बदला-वृत्त का भूत छाया हुआ है। चीन जापानी युद्ध, मंचूरिया में जापान की नीति, उत्तरी चीन की दिशा में जापान का बढ़ते जाना, जापान तथा सयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक शस्त्रीकरण, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना में बढ़ती, इससे अवस्था और भी खराब हो गयी है और पिछली बात का कारण प्रशान्त महासागर पर अधिकार करने के लिए ऊपरलिखित चारों शक्तियों की प्रतिस्पर्धा है।”

मोशिये स्टालिन ने जितनी बातें कही हैं वे नयी नहीं हैं, पर सभी मार्कों की हैं। सचमुच भावी-समर का बहुत बड़ा कारण जापान की वर्तमान गृह-नीति है और हाल ही में जापानी पार्लिमेंट के सामने जापानी परराष्ट्र-सचिव ने जो व्याख्यान दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान अपनी शान्ति-प्रियता की जितनी ही दुहाई देता है,

वह सब भोल है और वह अशान्ति की नीति का उतना ही प्रतिपादन करता है। चीन का अग्रच्छेदकर, मचूरिया को स्वतन्त्र बनाकर, उसमें अपना आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार जमा लेना, कही शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी। चीन से अन्यायपूर्वक जेहोल छीन लेना शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी। सोवियट रूस की रेलवे-लाइन हड़प लेने की चेष्टा करना शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी यह कहना कि “चूँकि चीन का भाव अमैत्रीपूर्ण है, अतएव जापान लाचार है” घोर नादाना है और यह सिद्ध कर देना है कि जले पर नमक छिड़कना भी दर्द को कम करना है। जापान ने चीन का क्या नहीं बिगाड़ा ? सोवियट की प्रगति रोकने की वह क्या चेष्टा नहीं कर रहा है ? अमेरिका उसकी उग्रता तथा प्रगति का किसी नैतिकता से नहीं, दार्शनिकता या दयालुता से नहीं, पर कोरे द्वेष के कारण विरोध करना चाहता है। प्रशान्त महासागर अमेरिका तथा जापान के बीच का समुद्र है। एक म्यान में दो तलवार, एक वन में दो सिंह, नहीं रह सकते। उधर ब्रिटेन के लिए भी भारत तथा आस्ट्रेलिया तथा अन्य उपनिवेशों के कारण प्रशान्त महासागर बड़ा महत्वपूर्ण है। वह सिंगापुर का जहाजी-अड्डा इसी हेतु से बनाता रहा है कि वक्त जरूरत काम आवे। अतएव ब्रिटेन के अभ्युदय से अभयभीत फ्रांस को भी कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी दशा में, इतने उग्र स्वार्थों का संघर्ष तो होगा ही। अमेरिका से वैर लेकर, ब्रिटेन को प्रसन्न रखकर, अपना अस्तित्व बनाये रखने का जापान का पूरा प्रयास सफल नहीं हो सकता। एक न एक दिन भयंकर कलह खडा होगा और मोशिये स्टालिन का यह अनुमान सत्य है कि सारी जिम्मेदारी जापान की होगी।

५ फरवरी १९३४

मजूरदल का डिक्टेटरशिप से विरोध

डिक्टेटरशिप की कुछ चर्चा इंग्लैंड में भी होने लगी है, और एक दल ऐसा उठ खडा हुआ है, जो इंग्लैंड में भी डिक्टेटरशिप का समर्थक है, मगर मजूरदल ने एक सभा करके डिक्टेटरशिप का विरोध किया है और जनतंत्र में अपने विश्वास की घोषणा की है। डिक्टेटरशिप कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, यह सभी जानते हैं, मगर जब जनतंत्र केवल धनवानों और पूजीपतियों के हाथ का खिलौना ही जाय, तो ऐसी दशा में स्वभावतः यह खयाल होता है कि इस ढोंग से क्या फायदा। रूस, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, आस्ट्रिया, इटली, टर्की आदि राष्ट्रों ने विवश होकर डिक्टेटरशिप की शरण ली, मगर इसमें अनेक दोष हैं। आज जो आदमी प्रजाहित का पुजारी है, संभव है कि कल वह स्वार्थ का पुजारी हो जाय, जिसकी मिसाल नेपोलियन है। फिर यह क्या खबर है

कि एक डिक्टेटर के बाद दूसरा डिक्टेटर किस ढंग का आदमी हो। हमारा विचार है कि धीरे-धीरे दुनिया फिर राज्य प्रथा की ओर आ रही है। हाँ, वह इससे कुछ उन्नत अवश्य होगी।

१२ फरवरी १९३४

रूस और जापान में तनाव

रूस और जापान में मनोमालिन्य तो पहले ही से था, अब ऐसा जान पड़ता है, बारूद में फलीता लगने की देर है। रूस का फ्रौजी देवता लाल-लाल आँखों से घूर रहा है, जापान केवल शब्दों में अपने पराक्रम का परिचय नहीं देना चाहता। वह अभी तक यही कहे जाता है कि हमें तो दादा चुप-चाप पड़ा रहने दो, हम किसी से रार मोल नहीं लेना चाहते। मगर तैयारियाँ दोनों ओर से हो रही हैं। जापान साम्राज्यवाद की धुन में मस्त है, सोवियट शासन का पड़ोस उसे खटक रहा है। चीन में कई प्रान्तों में सोवियट शासन स्थापित हो गया है, और जापान में भी भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। जैसा एम ट्रास्क ने जापानी परिस्थिति का दिग्दर्शन करते हुए लिखा था, जापान ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है, और उसका साम्राज्य सोवियट शासन के बगल में फल-फूल नहीं सकता। जापान इतना तो जानता है कि आज का रूस चार के जमाने का रूस नहीं है, और इधर उसने चीन पर आघात कर के सप्ताह की सहानुभूति भी खो दी है, पर रूस की गरज का उस पर कुछ असर होता नहीं मालूम होता। उधर अमेरिका भी जापान से बिगड़ बैठा है, और इधर रूस और जापान में संघर्ष हुआ, तो अमेरिका भी रूस का साथ देगा। जापान बलवान सही, पर दो महान शक्तियों के सामने वह टिक सकेगा, इसमें सन्देह है। कहीं उसकी भी वही दशा न हो, जो १९१४ में जर्मनी की हुई। सभी बड़े राष्ट्र उसके दुश्मन हो गये। जापान भी कुछ उसी नीति पर चल रहा है और हमें आश्चर्य होगा अगर लडाई के अवसर पर वह रूस के साथ अमेरिका और दो-एक योरोपीय राष्ट्रों को भी अपने सामने खड़ा देखे। और क्या उस वक्त चीन अपना पुराना बैर न चुकावेगा ? फिर पूर्व में जापान ही एक ऐसी शक्ति है, जो योरोप की बड़ी-बड़ी सलतनतों से बराबरी कर सकती है, और जिसकी व्यवसायिक उन्नति ने सारे संसार को चकित कर दिया है। पच्छिम उसके प्रभुत्व को मिटाने के लिए अपने भेदों को भूल जाय, तो आश्चर्य नहीं। जापान के लिए किसी तरफ से भी सहायता मिलने की संभावना नहीं है। अगर खुदा न खास्ता यह लडाई हुई, तो जापान को ऐसी क्षति पहुँचेगी कि वह बरसों तक न सँभल सकेगा। फायदा शायद यह हो

कि—एक साम्राज्यवादी शासन नष्ट होकर, उसकी जगह सोवियट-शासन स्थापित हो जाय ।

१६ फ़रवरी १९१४

यूरोप में लड़ाई के बादल

जर्मनी इस बात पर तुला है कि वह दूसरे राष्ट्रों की भांति खूब अस्त्र-शस्त्र बढ़ायेगा । मौशियो मुसोलिनी उसकी पीठ ठोक रहे हैं । फ्रांस और ब्रिटेन की सांस फूल रही है । जर्मनी यो माननेवाला नहीं । राष्ट्र सभ की उसे परवाह नहीं है । तो क्या फ्रांस और इंग्लैंड यो ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे ? इधर भी ज़ोरो से तैयारियाँ हो रही हैं । बारूद तैयार है, केवल चिंगारी की देर है । पिछले महायुद्ध में न्याय मित्रराष्ट्रों के साथ था । अब की बार न्याय जर्मनी के साथ है ।

१६ अप्रैल १९१४

अंग्रेजी फ़सिस्ट दल की नीति

ब्रिटेन में भी खुदा के फजल से एक फ़ैसिस्ट-पार्टी कायम हो गयी है और जहाँ तक भारत का संबन्ध है, वह कज़रवेटिव दल से भी आगे बढ़ी हुई है । उसके नेता साहब ने एक भाषण में फरमाया है—कैसा सुधार और कैसा सुफेद कागज़ और कैसा डोमिनियन स्टेट्स और कैसा स्वराज्य ! यह सब पागलों की बातें हैं ! इंग्लैंड का काम है, तलवार के ज़ोर से भारत पर कयामत के दिन तक राज्य करना, वहाँ खूब धन जमा करना और चैन की बंसी बजाना ! बिलकुल ठीक । ब्रिटेन का भारत के साथ वास्तव में यही धर्म है । भारत संसार में ही इसलिए कि इंग्लैंड उस पर सवारी गाँठे । फ़ैसिज्म के आचार्य हर हिटलर भी एक बार भारत के विषय में अपनी कीमती राय जाहिर कर चुके हैं । कज़रवेटिवों को अब भारत की ओर से निश्चिन्त हो जाना चाहिए । अंग्रेजी फ़ैसिस्ट पार्टी उसका होश ठीक करने के लिए बहुत काफी है । चर्चिल साहब तो फूले न समाते होंगे । है यह फ़ैसिस्ट पट्टा बड़े जीवट का । अभी घुटनियों के बलघिसट रहा है, खड़ा भी नहीं होने पाया ; मगर बातें करता है ऐसी बढ़-बढ़कर ! हम उसका यह जीवट तो तब देखते, जब आयरलैंड या कैनाडा या आस्ट्रेलिया के विषय में भी वह ऐसी बातें करता, मगर वहाँ उसकी दाल नहीं गलती । उनका नाम भी ले

तो गोशमाली कर दी जाय । भारत को चार खोटी-खरी सुना देना तो अंग्रेजी शिष्टता का एक अंग है । हिन्दुस्तान में किरटे लीडे भी हिन्दुस्तानियों की ओर जब देखते हैं, तो तिरछी आँखों से ही, लेकिन अंग्रेजी फैसिज्म के संस्थापक सर ओसवालड को शायद जल्द मालूम हो जायगा कि फैसिज्म स्थायी वस्तु नहीं है, वह कम्युनिज्म के समीप आते-आते एक दिन उसी में विलीन हो जायगा ।

१६ अप्रैल १९३४

रूस में भी पूँजीवाद

अभी समाचार पत्रों में खबर छपी है कि रूस कई अरब रूबल के तमस्सुक जारी कर रहा है । पूँजीवादी जातियों में आये दिन कर्ज लिये जाते हैं । पूँजीपति लोग रुपये लगाते हैं, सूट लेते और घन बटोरते हैं, मगर हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रूस में भी फिर वही बीमारी फैल रही है । अगर पूँजीपति वहाँ नहीं हैं, तो इस लोन के लिए रुपये कौन देगा ? और कर्ज भी छोटा-मोटा नहीं है, अरबों का है । इससे तो यही मालूम होता है कि वहाँ अब भी पूँजीपतियों की सख्या काफी है । विदेशी जातियाँ तो शायद ही रूस में रुपये लगाने पर तैयार हों । और अगर रूस बाहर की पूँजी अपने राज्य में लाना चाहता है, तो वह पूँजीवाद की सहायता कर रहा है । और यह उस पर पूँजीवाद की विजय है । हम समझ रहे थे कि कम से कम रूस एक ऐसा देश है, जिसने पूँजीवाद पर विजय पायी है और अपने देश में एक नयी समाज व्यवस्था कायम कर दी है, लेकिन मालूम होता है कि हम भ्रम में थे । इन्दौर की मासिक पत्रिका 'वीणा' के सम्मेलनांक में मान्यवर बाबू भगवानदास जी का एक लेख है, जिसे पढ़ कर यह मानना पड़ता है कि सोवियट रूस अभी तक भेदभाव और ऊँच-नीच के अन्तर को मिटा नहीं पाया । वहाँ अफसरो को बड़ी-बड़ी रकमें मिलती हैं, उनके रहने के लिए बड़े-बड़े महल दिये जाते हैं और वे भी जनता पर उसी तरह रोब जमाते हैं जैसे अन्य देशों में । इसमें सन्देह नहीं कि सोवियट ने भेद-भाव को कम कर दिया है, उसे मिटा नहीं सका ।

लेकिन हमारा तो अनुमान है, कि यह खबर भी पूँजीवादी राष्ट्रों का रूस के खिलाफ प्रोपेगण्डा है । रूस अभी एक नयी सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में है । पुराने संस्कार कुछ न कुछ रहेंगे ही । बेशक प्रोलिटेरियट के हाथ में बहुत अधिकार है । मजदूरों और किसानों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन यह पुरानी दशा की प्रक्रिया है, जब मजदूरों और किसानों का कोई अधिकार ही न था । जिस तरह उस समय शिक्षित और धनी समाज मजदूरों पर अन्याय करता था, उसी तरह मजदूरों के हाथ में शक्ति आ गयी है, तो वे शिक्षित समाज के साथ भेद-भाव कर रहे हैं । जैसे तब मध्यम

वर्ग ने जमीदारियाँ, ओहदे, तिजारत और कारखाने अपने हाथ में कर लिये थे और जीवन के हरेक अंग पर मध्यमवर्ग की प्रभुता की छाप रहती थी, उसी तरह अब रूस के इन्तजाम, समाज, शिक्षा, साहित्य, विनोद, अर्थात् जीवन के हरेक अंग पर कम्युनिस्ट छाप है, मगर हमारा ख्याल है, यह वहाँ की स्थायी दशा नहीं है। सोवियत का आदर्श कम्युनिस्ट पार्टी या डिक्टेटरशिप नहीं है। यह तो इस अवस्था के लिए अस्थायी तौर पर बना लिये गये है। उसका आदर्श एक ऐसा साम्यवाद है, जिसमें आदमी स्वार्थ से नहीं, केवल समाज के हित के लिए बगैर किसी दबाव के जियेगा और मरेगा, जब सभी मनुष्य होंगे, ऊँच नीच या शासक और शासित का भेद भाव मिट जायगा।

२३ अप्रैल १९३४

हिटलर की तानाशाही

अभी-अभी, गत पन्च में, हिटलर ने जर्मनी में जो भीषण हत्याकाण्ड किया, उससे वहाँ हाहाकार मच गया है। कहा जाता है कि लगभग दो सौ नाज़ी नेताओं को कत्ल कर दिया गया। जब कुछ समय पूर्व जर्मनी के प्रचार मंत्री हर गोबेल्स ने हर वॉन पापेन का भाषण प्रकाशित करने की मनाही कर दी थी, तभी यह ख्याल हो गया था कि नाज़ी-पन्च के प्रधान मण्डल में बहुत शीघ्र कलह और विग्रह उत्पन्न हो जायगा और बहुत कुछ हो भी गया था, पर, जर्मनी के सर्वेसर्वा हर हिटलर ने अपने बुद्धि-कौशल और वाक्पटुता से उस समय उसे दूर कर दिया। किन्तु, उपर्युक्त घटना से यह साफ समझ में आ गया था कि नाज़ी दल में घोर मतभेद हो गया है और वह शीघ्र ही रंग लायेगा। और असल में हुआ भी वही। बर्लिन और म्युनिक के नाज़ी तुफानी दल के लगभग दो सौ नेताओं को हर हिटलर ने हवाई जहाज़ से यात्रा करके स्वतः गिरफ्तार किया। बर्लिन के चान्सलर वॉन श्लीपर ने इस गिरफ्तारी पर आपत्ति की तो उन्हें गोली का निशाना बना दिया गया। उनकी स्त्री पति को बचाने के लिए बीच में आयी, तो वह भी गोली का शिकार हो गयी। गिरफ्तार किये हुए नाज़ी नेताओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए एक घण्टे का समय भी नहीं दिया गया। तुरन्त तलाशी ली गयी, जाँच की गयी और उनके प्राणान्त कर देने का हुक्म हो गया। वाइस चान्सलर हर वॉन पापेन को नज़रबन्द कर लिया गया। उनके घर की तलाशी ली गयी। उनके रहन-सहन पर नज़र रखी गयी। पर भेद की कोई बात न मालूम हुई और उन पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया।

इस नृशस हत्याकाण्ड के विषय में यह कहा गया है, कि मृत कथित अपराधियों ने जर्मनी के वर्तमान शासन को उलट देने के लिए एक प्रकाण्ड षड्यन्त्र रचा था और

उसका इस प्रकार दमन न कर दिया जाता, तो देश पर घोर विपत्ति आ जाती। पर, इसके विषय में प्रमाण तो कोई नहीं दिया गया ! जब यह कहा जाता है कि दो सप्ताह पूर्व ही इस षड्यन्त्र के समाचार मिल गये थे तो यह प्रश्न सामने आ जाता है कि हत्याकाण्डवाले दिन तक भी वह समाचार प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ? और क्यों ऐसा भयंकर, बर्बर, रोमाचकारी और घृणास्पद रक्तपात मचाया गया ? देश की रक्षा के नाम पर भी यह नारकीय कृत्य, हर हिटलर के माथे पर अपनी जघन्यता का कलंक लगा देता है।

और यह मान लिया जाय कि मृत नाज़ी नेताओं ने जर्मनी के वर्तमान शासन के खिलाफ षड्यन्त्र किया था, तो इससे यही प्रकट होता है कि जर्मनी की प्रजा का, या उनके अपने साथियों का ही एक बहुत बड़ा दल, उनका शासन मानने को तैयार नहीं है। लगभग पचीस लाख नाज़ियों में से तृतीयांश उनके शासन के खिलाफ है और वे कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचार रखते हैं। यह भी कहा जाता है कि हर हिटलर ने शासनाधिकार प्राप्त करने के समय प्रजा और अधिकारी वर्ग के हित-साधन के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं की गयी, इससे भी लोगों में असंतोष फैल गया है। आरम्भ में स्टार्म ट्रुप्स या तूफानी-दल के नाम से जो नाज़ी सेना खड़ी की गयी थी, और जिसकी संख्या पच्चीस-तीस लाख है, आर्थिक मदी के कारण उसके खर्च का निर्वाह नहीं हो रहा है और इसलिए हिटलर उसे चुपचाप तोड़ देना चाहता है। उसके इस कार्य में मृत नाज़ी नेता विघ्न-स्वरूप थे।

लन्दन के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने यह भी छापा है कि हिटलर भूतपूर्व केसर को पुनः जर्मनी में लाकर राजतन्त्र स्थापित करना चाहता है और नाज़ीदल और उसके मृत नेता हिटलर के इस कार्य के विरोधी थे, इसीलिए उन्हें अपने मार्ग से यो क्रूरतापूर्वक हटा दिया गया। अभी-अभी जो मुसौलिनी-हिटलर सम्मेलन हुआ था, कहा जाता है कि उसमें मुसौलिनी ने हिटलर को पुनः जर्मनी में राजतन्त्र स्थापित करने की सलाह दी थी। अगर मुसौलिनी ने राजतन्त्र के लिए सलाह दी है, तो बुरा नहीं किया, वे भी तो इटली में वही राजतन्त्र स्थापित करके सर्वेसर्वा पद का सारा सुख लूट रहे हैं। पर राजनीतिज्ञों का यह खयाल है कि हिटलर ने अगर भूतपूर्व केसर को तख्त पर बैठाया, तो उसी के नहीं, सारे संसार के सुख-सौभाग्य पर वज्राघात हो जायगा।

हिटलर ने जर्मनी के पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ समय पूर्व यहूदियों पर जो अत्याचार किया था, उसी से उसकी ख्याति संसार में हो गयी और अब इस क्रूर कर्म ने तो विद्युत्-प्रकाश डालकर उसके हृदय का रग-रेशा तक साफ दिखला दिया है।

जुलाई १९३४

वाँन हिंडनबर्ग का स्वर्गवास

गत महायुद्ध के तेजस्वी नक्षत्र तथा जर्मनी के प्रतापी प्रेसीडेण्ट मार्शल वाँन हिंडनबर्ग अब इस संसार में नहीं हैं। गत दो अगस्त को जर्मनी में उनका स्वर्गवास हो गया।

वाँन हिंडनबर्ग एक कुशल सेनापति तो थे ही, साथ ही साथ गम्भीर राजनीतिज्ञ भी थे। जितनी कुशलता के साथ उन्होंने एक सुयोग्य सेनापति के रूप में युद्ध का संचालन किया था, उतनी ही गम्भीरता और उत्कृष्टता के साथ अपने प्रेसीडेण्ट पद को भी निभाया था। यही कारण है, कि गत महासमर में हारे जाने पर भी जर्मनी विजयी रहा। वाँन हिंडनबर्ग ने दूरदर्शिता से काम लेकर युद्ध बन्द कर दिया और ब्रसेल्स की सन्धि पर हस्ताक्षर करके मित्र राष्ट्रों के प्रबल संघर्ष से पस्त हो रहे स्वदेश को नष्ट होने से बचा लिया। गत महायुद्ध के दर्शक भली-भाँति जानते हैं, कि उस समय अगर युद्ध बन्द न हो जाता, तो जर्मनी में आज उठने की शक्ति न आती। इस तरह जर्मनी को वर्तमान जागृति तथा उसके शक्तिशाली राष्ट्र होने का श्रेय हिंडनबर्ग को है। जब जर्मनी-फ्रांस युद्ध का सूत्रपात हो गया था, तब रूस ने भी जर्मनी पर पूर्वीय सीमा से धावा बोल दिया था। यह जर्मनी के लिए महान् संकट का समय था। हिंडनबर्ग उस समय अवसर-प्राप्त पेशनर थे। किन्तु, इन प्रबल शत्रुओं से मोर्चा लेना उन्हीं का काम था, क्योंकि सब सेनापति जवाब दे चुके थे। निदान हिंडनबर्ग के पास कैसर तथा अन्य देशभक्तों के तार आने लगे और देश की पुकार पर बूढ़े हिंडनबर्ग से न रहा गया। वृद्ध शरीर ने पुनः सेनापति पद को सँभाला। वृद्ध हिंडनबर्ग ने पूर्वीय सीमा का काफी अच्छा भौगोलिक अध्ययन कर रक्खा था, उसके फलस्वरूप उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ रूसी सेना को दलदल में फँसाकर पस्त कर दिया। छ लाख रूसी सेना को आत्म-समर्पण करना पडा। इस विजय ने भी अपने सच्चे सेवक का पूरा-पूरा सम्मान किया और ४ अप्रैल १९२५ को हिंडनबर्ग जर्मनी के प्रेसीडेण्ट बना दिये गये। सात वर्ष प्रेसीडेण्ट रहने के उपरान्त उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, किन्तु हिंडनबर्ग पुनः खड़े हुए और कहा—अगर इस बार भी मैं चुना गया, तो देश की काफी सेवा करूँगा, अन्यथा जर्मनी को मुझसे यह कहने का हक न रहेगा कि मैं उसकी सेवा के लिए तैयार न था। इस चुनाव में हिटलर भी खड़े हुए थे, किन्तु जर्मनी हिंडनबर्ग को पहचानता था। उनके सामने कोई ठहर न सका। बहुमत उन्हीं के पक्ष में रहा और वह १९३३ में पुनः प्रेसीडेण्ट चुन लिये गये।

प्रेसीडेंट पद पर आसीत होने के पश्चात् वाँन हिंडनबर्ग ने जर्मनी की क्या-क्या सेवाएँ की, यह राजनीति के जानकारों से छिपा नहीं है। ब्रसेल्स की सन्धि को स्वीकार करने के पश्चात् प्रेसीडेण्ट होने पर हिंडनबर्ग ने प्रधान कार्य यह किया कि अपने देश की

अस्त-व्यस्त शक्ति का पुनर्गठन कर डाला और उसे शक्तिशाली राष्ट्र में परिणित कर दिया। नवशक्ति-प्राप्त जर्मनी अपने पैरो खड़ा हो गया और अपमान से भरी हुई ब्रसेल्स की सधि को ठुकरा दिया, हर्जाने का रुपया देने से इनकार कर दिया, मित्र राष्ट्रों में बैठे हुए अपने अग्र को भी माँगा और वह एक स्वतन्त्र सिंह की तरह दहाड़ा भी। यदि इस समय का जर्मनी ब्रसेल्स की सधि से दबा हुआ जर्मनी होता, तो मित्रराष्ट्र उसे तुरन्त दबोच डालते, किन्तु अब तो वह शक्तिशाली जर्मनी था, हिंडनबर्ग ने उसे सम्मानित जीवन व्यतीत करने के योग्य बना दिया था, ऐसी अवस्था में वह कैसे दबता ? किसी की हिम्मत न थी, जो उसको छेड़ करता। जर्मनी अब शक्तिशाली राष्ट्र है, अब उसमें बड़े से बड़े शत्रु को भी धूल में मिलाने की सामर्थ्य है। यह सब हिटलर का कार्य नहीं है, उसी वृद्ध हिंडनबर्ग का प्रताप है। उसी का सींचा हुआ यह पौदा विशालता धारण कर ऊँचा सिर किये तना हुआ है। इस प्रकार जर्मनी का नव-निर्माण करके सतासी वर्ष की अवस्था में वह बूढ़ा राष्ट्रपति सर्वदा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गया और जर्मनी को शोक-सागर में डाल गया। वही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने हिटलर को भी अपने पजे में कर रक्खा था और उसके सामने हिटलर को दबना पड़ता था, किन्तु अब उसके अभाव में हिटलर की स्वेच्छाचारिता क्या करेगी, यह नहीं कहा जा सकता। हिटलर के अब तक के कामों को देखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि जर्मनी का भविष्य उतना सुन्दर नहीं रहा, जितना कि हिंडनबर्ग के समय था।

हिंडनबर्ग के अवसान से न केवल जर्मनी की ही हानि हुई है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षति भी भारी हुई है। हिंडनबर्ग अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अच्छे जानकार थे। जिस राष्ट्र को ऐसे महा-पुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वास्तव में वह राष्ट्र धन्य है। यद्यपि हिंडनबर्ग पंचतत्व को प्राप्त हो गये हैं, किन्तु वे अमर हो चुके हैं। उनका देशभक्ति का आदर्श, उनकी विजय-पताका फहराता रहेगा।

अगस्त १९३४

फ्रांस की तैयारी

कभी निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की बैठके होती हैं, कभी राष्ट्र संध के अधिवेशन होते हैं और लच्छेदार भाषण में शान्ति की योजनाएँ तैयार की जाती हैं, किन्तु 'मुख में राम, बगल में छुरी' की वृत्ति के कारण सब टाँय-टाँय फिस हो जाती है। जब तक राष्ट्रों के हृदयों में मैल रहेगा, कपट और स्वार्थ के लिए गुजाइश रहेगी, सच्ची सहनुभूति सच्चे प्रेम का अभाव रहेगा, मैत्री हो नहीं सकती। हृदय भिन्न और सशक्त रहेंगे। जब नीयत ही साफ नहीं है, तब हो ही क्या सकता है। राष्ट्र संध और निःशस्त्रीकरण

सम्मेलन की बैठके कुछ नहीं कर सकती। चाहे उनमें कितने ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो जायें, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है। सब व्यर्थ है। यही कारण है कि सब राष्ट्र अपनी-अपनी डफली बजा रहे हैं, मनमानी तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस का समाचार है कि फ्रांस आजकल हवाई तैयारियों में जोरो से लगा हुआ है। वह एक छः हज़ार फीट ऊँची टावर बनवायेगा, जिसके तीन प्लेटफार्म से लडाकू हवाई जहाज भेजे जायेंगे। उस टावर पर तीन सौ तोपें लगी रहेगी, जो हर दिशा में गोले फेक सकेंगे। एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ शान्ति की दुहाई दी जा रही है। यह नियत के दिवालिये-पन का प्रमाण है। इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप शान्ति की अपेक्षा सर्वनाश की तैयारी जोरो से कर रहा है।

सितंबर १९३४

अमर कवि गेटे का अपमान

गेटे जर्मनी का ही अमर कवि नहीं, संसार के युग-प्रवर्तक कवियों में हैं और अभी तक जर्मनी ने उसे जन्म देने का गर्व किया है, पर अब नात्सी नीति में गेटे इसलिए-सम्मान के योग्य नहीं रहा कि उसके विचार अन्तर्राष्ट्रीय थे और अब जर्मनी की सकुचित जातीयता में ऐसे महान स्रष्टाओं के लिए भी स्थान नहीं। जो जर्मनी अपनी सस्कृति और अपने ऊँचे दार्शनिक आदेशों के लिए विख्यात था, उसका आज यह पतन।

नवम्बर १९३५



हिन्दू - मुसलमान

मनुष्यता का अकाल

हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में इस वक़्त मुसलमान कौम के बड़े लोगो ने बार-बार की उत्तेजना के बावजूद जो अच्छी रबिष अख़्तियार की हैं, और जिस सूझ-बूझ और दूरदेशी का सबूत दिया है उस पर हिन्दुओं को शर्मिन्दा होना चाहिए। अब तक उन्हें यह दावा था कि स्वराज्य के लिए हम जितनी कुर्बानियाँ कर सकते हैं, उतनी मुस्लिम सम्प्रदाय नहीं करता। वह हिन्दुस्तान में रहकर, हिन्दुस्तान का दाना-पानी खाकर अरब और अजम के सपने देखा करता है। उसे स्वराज्य की उतनी फ़िक्र नहीं है जितनी पैन-इसलाम की। एक बार जब मौलाना शौकत अली ने किसी ख़िलाफ़त के जलसे में कहा था कि अगर मुसलमान को किसी कौमी काम के लिए एक रुपया देना मजूर हो, तो वह चौदह अरब ख़िलाफ़त को दे और दो अरब कांग्रेस को, इस कौल को हिन्दू अख़बारों ने बड़े निष्ठुर ढंग से बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उसे अपनी बात का प्रमाण के रूप में पेश किया।

इस कौल का तकाज़ा तो यह था कि हिन्दू महाशय अपने दिल में लज्जित होते कि एक मुसलमान को जो अपना सब कुछ भारतमाता की नज़र कर चुका हो, इस तरह दोनों में भेद करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हिन्दुओं ने ख़िलाफ़त के मसले को महात्मा गाँधी की व्यापक दृष्टि से देखा होता तो मौलाना साहब को यह बात कहने का कोई मौका ही न था। मगर सचचाई यह है कि हिन्दुओं ने कभी ख़िलाफ़त का महत्व को ही नहीं समझा और न समझने की कोशिश की, बल्कि उसको सदेह की दृष्टि से देखते रहे। मगर अब जिसे न्याय की दृष्टि मिली हुई हो, वह चाहे तो देख सकता है कि वही व्यक्ति हिन्दू-मुस्लिम एकता को, जो दूसरे शब्दों में स्वराज्य है, कितना महत्वपूर्ण समझता है और उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार है। हिन्दू कौम कभी अपनी राजनीतिक उदारता के लिए मशहूर नहीं रही और इस मौके पर तो उसने जितनी संकीर्णता का परिचय दिया है, उससे मजबूरन इस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि इस कौम का राजनीतिक दीवाला हो गया वरना कोई

वजह न थी कि सारी हिन्दू कौम सामूहिक रूप से कुछ थोड़े से उन्मादग्रस्त तथाकथित देशभक्तों की प्रेरणा से इस तरह पागल हो जाती। हम कहते हैं कि अगर हिन्दुओं में एक भी किचलू, मुहम्मद अली या शौकत अली होता तो हिन्दू-संगठन और शुद्धि की इतनी गर्मबाजारी न होती और इन हँगामों में काफी कमी हो जाती जो इस वैमनस्य के कारण दिखायी पड़ते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने भी समग्र रूप से इन आन्दोलनों से अलग-अलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उममें शामिल होने में कुछ भी उठा नहीं रखा। इतना ही नहीं, एक भी जिम्मेदार कांग्रेस नेता ने ऐलान करके इन आन्दोलनों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का साहस नहीं किया। पंडित मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू, लाला भगवानदास, लाला-श्रीप्रकाश इन आदमियों में, जिनसे ज्यादा नैतिक साहस से काम लेने की आशा की जा सकती थी, मगर इन सभी लोगों ने एक रोज अपने विरोध और अपनी आशका को व्यक्त करके दूसरे रोज उसका खण्डन कर दिया और डके की चोट पर यह कहा कि शुद्धि और संगठन के बारे में हमने जो खयाल जाहिर किया था वह नाना-कर्मियों पर आधारित था। जब ऐसे-ऐसे लोग दबाव में आ जायें तो फिर इन्साफ की उम्मीद किससे की जाये। अगर मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली की तरह इन सज्जनों ने भी अपनी कौम को इन आन्दोलनों के हानिकार और साधातिक परिणाम बतलाये होते और उसके खिलाफ बाकायदा व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न करते तो यकीनन आज हिन्दू-मुस्लिम सबध इतने खिचे हुए न होते। मगर जो राजनीतिक दूरदर्शिता सदियों से खतम हो चुकी हो उससे और क्या हो सकता है। एक स्त्री ने सारे योरोप को दाँतो तले उँगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हिन्दुओं में ऐसे व्यक्ति पैदा करने के लिए अभी सदियाँ लगेगी। आज कौन कौन हिन्दू है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जी-जान से काम कर रहा हो, जो उसे हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समझता हो, जो स्वराज्य के लिए एकता को बुनियादी शर्त समझता हो। कौम का यह दर्द, यह टीस, यह तडप आज हिन्दुओं में कही दिखायी नहीं देती। दस-पाँच हजार मलकानों को शुद्ध करके लोग फूले नहीं समाते, मानो अपने लक्ष्य पर पहुँच गये, अब स्वराज्य हासिल हो गया ! हमें याद नहीं आता कि आज तक किसी हिन्दू ने वैसे पवित्र, ऊँचे, दैवी प्रेरणा के भाव व्यक्त किये हो जो इस रामलखन की जोड़ी ने जेल से निकलते ही रो-रो कर भीगी हुई आँखों से निकलती हुई दर्द की एक आवाज की तरह व्यक्त किये हैं। यह है वह राष्ट्रीय भावना जो राष्ट्रों के बेडे पार करती है, उनकी नैया किनारे लगाती है। यह कौमी मेल-जोल और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का चमत्कार है। हमारे पास वह शब्द नहीं है जो उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर सके, जो हर एक देशभक्त हिन्दू के दिल में इन आदरणीय व्यक्तियों के लिए उबल रहा है।

हमको यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों सम्प्रदायों में कश्मकश

और सन्देह और घृणा की जड़ें इतिहास में हैं। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित। मुसलमानों की तरफ से हिन्दुओं पर अक्सर ज्यादतियाँ हुईं और यद्यपि हिन्दुओं ने मौका हाथ आ जाने पर उनका जवाब देने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कुल मिलाकर यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहों ने सख्त से सख्त जुल्म किये। हम यह भी मानते हैं कि मौजूदा हालात में अज्ञान और कुर्बानी के मौकों पर मुसलमानों की तरफ से ज्यादतियाँ होती हैं और दंगों में भी अक्सर मुसलमानों ही का पलड़ा भारी रहता है। ज्यादातर मुसलमान अब भी 'मेरे दादा सुल्तान थे नारे लगाता है और हिन्दुओं पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है। तबलीग के मामले में ज्यादाती मुसलमानों ने की और हिन्दुओं की रोज ब रोज घटती हुई सख्या के कारण भी किसी हद तक वही है। मगर इन सारे कारणों और दलीलों और घटनाओं को नज़र के सामने रखते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुओं को इसमें कहीं ज्यादा राजनीतिक सहिष्णुता से काम लेने की ज़रूरत है। इतिहास से उत्तराधिकार में मिली हुई अदावतें मुश्किल से मरती हैं, लेकिन मरती हैं, अमर नहीं होती। दुनिया के इतिहास में इसकी मिसालें न मिलती हो, ऐसी बात नहीं है और अगर न भी मिलती हो तो कोई वजह नहीं कि हम इसे ताबीज की तरह अपने गले में लटकाये रहे। हिन्दुओं के त्योहारों और जुलूसों के मौकों पर अक्सर मुसलमानों की तरफ से यह तकाजा होता है कि मसजिदों के सामने नमाज़ के मौकों पर बाज़ा और शादियाने न बजाये जायें। यह बहुत ही स्वाभाविक माँग है। शोर-गुल से निश्चय ही उपासना में विघ्न पड़ता है और अगर मुसलमान इस शोर-गुल को बन्द करने पर जोर देते हैं तो हिन्दुओं को चाहिए कि वह उनकी दिलजोई करे। यह तो हिन्दुओं का उनके आग्रह के बिना भी, भगवान के प्रति सम्मान की दृष्टि से ही कर्तव्य है, न कि जब कोई उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाये तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जायें। हिन्दू कहेंगे कि हमारे मन्दिरों के सामने से मुसलमानों के जुलूस भी बाज़े बजाते न निकले। ऊपरी दृष्टि से तो यह बात बिलकुल न्याय की मालूम होती है लेकिन व्यवहार में इसका यह परिणाम होना सम्भव है कि शहरों में बाज़े कतई बन्द कर दिये जायें क्योंकि मन्दिरों की सख्या इतनी अधिक है कि किन्हीं-किन्हीं शहरों में तो हर एक घर के बाद मन्दिर दिखायी पड़ता है। फिर हिन्दुओं की सन्ध्या-हवन तो एकांत में होती हैं लेकिन देवताओं की पूजा अक्सर घंटे और घड़ियाल के साथ हुआ करती है। तो जब वह उपासना के लिए स्वयं भी मौन आवश्यक नहीं समझते तो किस मुँह से मुसलमानों से इस चीज़ की माँग कर सकते हैं। तो भी हम यह कह देना उचित समझते हैं कि जब उपासना एक ही परमात्मा की है और केवल उनके वाह्य रूप में भेद है तो हिन्दू लोग क्यों इसकी राह देखे कि जब मुसलमान हमारे धर्म का आदर करेंगे तो हम भी उनके धर्म का आदर करेंगे। अगर धर्म का आदर करना अच्छा है तो हर हालत में अच्छा है। इसके लिए किसी शर्त की ज़रूरत नहीं।

बजह न थी कि सारी हिन्दू कौम सामूहिक रूप से कुछ थोड़े से उन्मादग्रस्त तथाकथित देशभक्तों की प्रेरणा से इस तरह पागल हो जाती। हम कहते हैं कि अगर हिन्दुओं में एक भी किचलू, मुहम्मद अली या शौकत अली होता तो हिन्दू-सगठन और शुद्धि की इतनी गर्मबाजारी न होती और इन हंगामों में काफी कमी हो जाती जो इस बमनस्य के कारण दिखायी पड़ते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कॉंग्रेस ने भी समग्र रूप से इन आन्दोलनों से अलग-अलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उममें शामिल होने में कुछ भी उठा नहीं रखा। इतना ही नहीं, एक भी जिम्मेदार कॉंग्रेस नेता ने ऐलान करके इन आन्दोलनों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का साहस नहीं किया। पंडित मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, लाला भगवानदास, लाला-श्रीप्रकाश इन आदिमियों में, जिनसे ज्यादा नैतिक साहस से काम लेने की आशा की जा सकती थी, मगर इन सभी लोगों ने एक रोज अपने विरोध और अपनी आशका को व्यक्त करके दूसरे रोज उसका खण्डन कर दिया और डके की चोट पर यह कहा कि शुद्धि और सगठन के बारे में हमने जो खयाल ज़ाहिर किया था वह गलतफहमियों पर आधारित था। जब ऐसे-ऐसे लोग दबाव में आ जायें तो फिर इन्साफ की उम्मीद किससे की जाये। अगर मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली की तरह इन सज्जनों ने भी अपनी कौम को इन आन्दोलनों के हानिकार और साधातिक परिणाम बतलाये होते और उसके खिलाफ बाकायदा व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न करते तो यकीनन आज हिन्दू-मुस्लिम संबंध इतने खिंचे हुए न होते। मगर जो राजनीतिक दूरदर्शिता सदियों से खत्म हो चुकी हो उससे और क्या हो सकता है। एक स्त्री ने सारे योरोप को दाँतो तले उँगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हिन्दुओं में ऐसे व्यक्ति पैदा करने के लिए अभी सदियाँ लगेगी। आज कौन कौन हिन्दू है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जी-जान से काम कर रहा हो, जो उसे हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समझता हो, जो स्वराज्य के लिए एकता को बुनियादी शर्त समझता हो। कौम का यह दर्द, यह टीस, यह तड़प आज हिन्दुओं में कही दिखायी नहीं देती। दस-पाँच हजार मलकानों को शुद्ध करके लोग फूले नहीं समाते, मानो अपने लक्ष्य पर पहुँच गये, अब स्वराज्य हासिल हो गया ! हमें याद नहीं आता कि आज तक किसी हिन्दू ने जैसे पवित्र, ऊँचे, दैवी प्रेरणा के भाव व्यक्त किये हो जो इस रामलखन की जोड़ी ने जेल से निकलते ही रो-रो कर भीगी हुई आँखों से निकलती हुई दर्द की एक आवाज की तरह व्यक्त किये हैं। यह है वह राष्ट्रीय भावना जो राष्ट्रों के बेड़े पार करती है, उनकी नैया किनारे लगाती है। यह कौमी मेल-जोल और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का चमत्कार है। हमारे पास वह शब्द नहीं है जो उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर सके, जो हर एक देशभक्त हिन्दू के दिल में इन आदरणीय व्यक्तियों के लिए उबल रहा है।

हमको यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों सम्प्रदायों में कश्मकश

और सन्देश और घृणा की जडे इतिहास मे है। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित। मुसलमानो की तरफ से हिन्दुओ पर अकसर ज्यादतियाँ हुई और यद्यपि हिन्दुओ ने मौका हाथ आ जाने पर उनका जवाब देने मे कोई कसर नही रखी, लेकिन कुल मिलाकर यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहो ने सख्त से सख्त जुल्म किये। हम यह भी मानते है कि मौजूदा हालत मे अज्ञान और कुर्बानी के मौको पर मुसलमानो की तरफ से ज्यादतियाँ होती है और दगो मे भी अकसर मुसलमानो हो का पलडा भारी रहता है। ज्यादातर मुसलमान अब भी 'मेरे दादा सुल्तान थे नारे लगाता है और हिन्दुओ पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है। तबलीग के मामले मे ज्यादती मुसलमानो ने की और हिन्दुओ की रोज ब रोज घटती हुई सख्या के कारण भी किसी हद तक वही है। मगर इन सारे कारणो और दलीलो और घटनाओ को नजर के सामने रखते हुए हम यह कहना चाहते है कि हिन्दुओ को इसमे कही ज्यादा राजनीतिक सहिष्णुता से काम लेने की जरूरत है। इतिहास से उत्तराधिकार मे मिली हुई अदावते मुश्किल से मरती है, लेकिन मरती है, अमर नही होती। दुनिया के इतिहास मे इसकी मिसाले न मिलती हो, ऐसी बात नही है और अगर न भी मिलती हो तो कोई वजह नही कि हम इसे ताबीज की तरह अपने गले मे लटकाये रहे। हिन्दुओ के त्योहारो और जुलूसो के मौके पर अकसर मुसलमानो की तरफ से यह तकाजा होता है कि मसजिदो के सामने नमाज के मौके पर बाजा और शादियाने न बजाये जायँ। यह बहुत ही स्वाभाविक माँग है। शोर-गुल से निश्चय ही उपासना मे विघ्न पडता है और अगर मुसलमान इस शोर-गुल को बन्द करने पर जोर देते है तो हिन्दुओ को चाहिए कि वह उनकी दिलजोई करे। यह तो हिन्दुओ का उनके आग्रह के बिना भी, भगवान के प्रति सम्मान की दृष्टि से ही कर्तव्य है, न कि जब कोई उन्हे उनका कर्तव्य याद दिलाये तो उससे लडने के लिए तैयार हो जायँ। हिन्दू कहेंगे कि हमारे मन्दिरों के सामने से मुसलमानो के जुलूस भी बाजे बजाते न निकले। ऊपरी दृष्टि से तो यह बात बिलकुल न्याय की मालूम होती है लेकिन व्यवहार मे इसका यह परिणाम होना सम्भव है कि शहरो मे बाजे कतई बन्द कर दिये जायँ क्योकि मन्दिरों की सख्या इतनी अधिक है कि किन्ही-किन्ही शहरो मे तो हर एक घर के बाद मन्दिर दिखायी पडता है। फिर हिन्दुओ की सन्ध्या-हवन तो एकात मे होती है लेकिन देवताओ की पूजा अकसर घटे और घडियाल के साथ हुआ करती है। तो जब वह उपासना के लिए स्वयं भी मौन आवश्यक नही समझते तो किस मुँह से मुसलमानो से इस चीज की माँग कर सकते है। तो भी हम यह कह देना उचित समझते है कि जब उपासना एक ही परमात्मा की है और केवल उसके वाह्य रूप मे भेद है तो हिन्दू लोग क्यो इसकी राह देखे कि जब मुसलमान हमारे धर्म का आदर करेंगे तो हम भी उनके धर्म का आदर करेंगे। अगर धर्म का आदर करना अच्छा है तो हर हालत मे अच्छा है। इसके लिए किसी शर्त की जरूरत नही।

अच्छा काम करनेवाले को सब अच्छा कहते हैं। दुनियाबी मामलो में दबने से आबरू में बट्टा लगता है, दीन-धर्म के मामले में दबने से नहीं। हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी के धर्म का आदर करें और वह हमारे धर्म का अपमान करे। थोड़ी देर के लिए यह भी सुन ले। अगर मुसलमानों का आम गैर-जिम्मेदार तबका हमारे बाजों को मसजिदों के सामने बन्द होते देखकर तालियाँ बजायेगा और बड़ी शान के साथ कहेगा 'दब गये, दब गये' तो इतना सुन लेने में क्या बुराई है। निश्चय ही मुसलिम लीडरान इस हालत को ज्यादा असें तक कायम न रहने देंगे। यह किसी मजहब के लिए शान की बात नहीं है कि वह दूसरों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाये। गौकशी के मामले में हिन्दूओं ने शुरू से अब तक एक अन्यायपूर्ण ढंग अख्तियार किया है। हमको अधिकार है कि जिस जानवर को चाहे पवित्र समझे लेकिन यह उम्मीद रखना कि दूसरे धर्म-को माननेवाले भी उसे वैसा ही पवित्र समझे, खामखाह दूसरों से सर टकराना है। गाय सारी दुनिया में खायी जाती है, इसके लिए क्या आप सारी दुनिया को गर्दन मार देने के काबिल समझेंगे ? यह किसी खूँ-खार मजहब के लिए भी शान की बात नहीं हो सकती कि वह सारी दुनिया से दुश्मनी करना सिखाये, न कि हिन्दू जैसे दार्शनिक, व्यापक और सुसस्कृत के लिए जिसका सबसे पवित्र सिद्धान्त हो 'अहिंसा परमो धर्म'। अगर हिन्दुओं को अभी यह जानना बाकी है कि इन्सान किसी हैवान से कहीं ज्यादा पवित्र प्राणी है, चाहे वह गोपाल की गाय हो या ईसा का गधा, तो उन्होंने अभी सम्यता की बर्खमाला भी नहीं समझी। हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए गाय का होना एक बरदान है, मगर आर्थिक दृष्टि के अलावा उसका और कोई महत्व नहीं है। लेकिन गोरक्षा का सारे हो-हल्ले के बावजूद हिन्दुओं ने गोरक्षा का ऐसा कोई सामूहिक प्रत्यन नहीं किया जिससे उनके दावे का व्यावहारिक प्रमाण मिल सकता। गौरक्षिणी सभाएँ कायम-करके धार्मिक भण्डे पैदा करना गो रक्षा नहीं है। इस सूबे में अधिकांश जमींदार हिन्दू हैं। उन्होंने गोचर जमीन का कोई इन्तजाम किया या जहाँ पहले से इन्तजाम था वहाँ उसे खत्म नहीं कर दिया ? जिस मुल्क में तम्बाकू और चाय और नील और रबर की खेती के लिए काफी जमीन हो वहाँ मौजों में गोचर का न होना आर्थिक खीच-तान की दलील हो सकती है, गोरक्षा की दलील हरगिज नहीं हो सकती। जब हम देखते हैं कि बैलो के लिए चारा मयस्सर नहीं तो गायों के लिए (वह भी जब बुड्डी, मरियल, कमजोर हो जायँ) चारा इकट्ठा करने की दिक्कत का हाल किसी किसान से पूछिए। वह गायों को भूख से एडियाँ रगड़-रगड़कर मरने के बदले उन्हें कसाई के हवाले कर देना ज्यादा अच्छा समझता है।

रहा तबलीग का मसला। इसमें दो राये नहीं हो सकती, क्योंकि हर मजहब को इसका काफी अख्तियार है बशर्ते कि उद्देश्य सच्चे अर्थों में धर्म का संस्कार और सिद्धान्तों का प्रचार हो। जब उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा होता है तो वह

फौरन एक सियासी मामले की सूरत अख्तियार कर लेता है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में धर्म विश्वासों के संस्कार का साधन नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया गया है। उसकी हैसियत पागलपन की-सी हो गयी है जिसका वसूल है कि सब कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं। जिस दिन यह आपस की होड़ और दूसरे से आगे बढ़ जाने का खयाल धर्म से दूर हो जायगा, उस दिन धर्म-परिवर्तन पर किसी के कान न खड़े होंगे।

गरज कि जिन कारणों का ऊपर जिक्र हुआ उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो हिन्दुओं के लिए 'हमारी जान खतरे में है' की हाँक लगाने को उचित ठहरा सके। इस खास मौके पर हिन्दू संगठन की पुकार ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को जो ठेस पहुँचायी है, उसका बुरा असर अगर दूर भी होगा तो बहुत दिनों में होगा। हिन्दू और मुसलमान न कभी दूध और चीनी थे, न होंगे और न होने चाहिए। दोनों की अलग-अलग सूरतें बनी रहनी चाहिए और बनी रहेंगी। जखुरत सिर्फ इस बात की है कि उनके नेताओं में परस्पर सहिष्णुता और उत्सर्ग की भावना हो। आम तौर पर हमारे नेता वह सज्जन होते हैं जो अपने सम्प्रदाय की मुसीबतों और शिकायतों का हमेशा बहुत सरगर्मी से रोना रोया करते हैं। वह अपने सम्प्रदाय के लोगों की दृष्टि में लोकप्रिय बनने के लिए उसकी भावनाओं को उकसाते रहते हैं और समझौते के मुकाबिले में, जो उनके उस विलाप को बन्द कर देगा, भगड़े को कायम रखना ज्यादा जरूरी समझते हैं। हिन्दुओं में इस वक्त सहिष्णु नेताओं का अकाल है। हमारा नेता वह होना चाहिए जो गम्भीरता से समस्याओं पर विचार करे। मगर होता यह है कि उसकी जगह शोर मचानेवालों के हिस्से में आ जाती है जो अपनी जोरदार आवाज से जनता की गद्दी भावनाओं को उभाड़कर उन पर अपना अधिकार जमा लिया करते हैं। वह कौम को दरगुजर करना नहीं सिखाता, लड़ना सिखाता है, उसका फायदा इसी में है। कोई आदमी ऐसी उल्टी बुद्धि का नहीं हो सकता कि उसे इस नाजुक मौके पर दोनों सम्प्रदायों की आपसी खीच-तान के नतीजे न दिखायी दे और अगर है तो हमें उसकी नीयत में सन्देह है। इस सन्देह की पुष्टि इस कारण से और भी होती है कि इस आन्दोलन के शुरू करनेवाले और कार्यकर्ता अधिकतर वह लोग हैं जो राजनीतिक मामलों में हिस्सा लेने से कावा काटते रहते हैं या उसमें हिस्सा लेते भी हैं तो आबरू बचाये हुए। वरना हिन्दू संगठन के बनारस में आयोजित जलसे में जमींदारों और राजाओं की इतनी बड़ी सख्या न दिखायी देती। जिधर देखिए राजे-महाराजे और सेठ-महाजन ही नजर आते थे। उनके पीछे चलनेवालों में अधिकतर वह लोग थे जिनका पुरतैनी पेशा गुलामी है, जिन्हें शुरू से यह शिकायत है कि मुसलमान सरकारी नौकरियाँ हड़प कर जाते हैं और हमारा हाल पूछनेवाला कोई नहीं है, जिनके लिए एक मुसलमान सब-इस्पेक्टर या कुर्क अमीन की नियुक्ति चीन के इंकलाब या तुर्की की फतेह से ज्यादा बड़ी घटना है।

हमारे रईसों ने जन-आन्दोलनों की तरफ अब तक जो रवैया अख्तियार किया है उसने उन्हें एक नापने का आला बना दिया है जिससे हुक्काम के हथकंडों का साफ-साफ पता चलता है। हिन्दू-मुस्लिम एकता हुक्काम की नजरो में काँटे की तरह खटकती थी इसलिए जब धनी-मानी लोग किसी ऐसे आन्दोलन का उत्साह से स्वागत करे जिससे एकता को नुकसान पहुँचने का यकीन हो तो जाहिर है कि उनका उसमें शरीक होना उनके अपने मन की बात नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा से होनेवाली बात है। वरना जिन लोगों ने सख्त कानून पास करने में गवर्नमेंट का साथ दिया वह हिन्दू सगठन के जलसे में इस जोर-शोर से हरगिज शरीक न होते। मगर यहाँ तो यकीन था कि हमारी कोशिशें ऊपरवालों की दुनिया में कब्र की निगाहों से देखी जा रही हैं। तो फिर क्यों न हाथों से पुण्य लूटे, कौम रहे या मिटे, इसकी क्या फिक्र। यह एक सच्ची बात है कि हुक्काम ने भी हिन्दू सगठन के आन्दोलन से हमदर्दी दिखलाई। इसलिए रईसों का उसमें जोर-शोर से बड़ी संख्या में शरीक होना जरूरी था। उनके योगदान पर खुशो जाहिर करना घटनाओं से अपनी नादानी जाहिर करना है।

इन धार्मिक आवेशों को भडकाने का इल्जाम सबसे ज्यादा कौंसिलों की माँग करनेवालों की गर्दनो पर है। चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। काँग्रेस ने लिबरल नेताओं का पर्दाफाश कर दिया था। रईस और ताल्लुकदार भी जनता की नजरो से गिर चुके थे। वह हजरात जिन्होंने देशभक्ति के अपने तमाम दावों के बावजूद वकालत या सरकारी नौकरी न छोड़ी थी, पब्लिक की निगाहों में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे थे। इस बहुसंख्यक जमात के लिए अपनी खोयी हुई आबरू हासिल करने का, अपनी साख्त जमाने का, अपनी कौमपरस्ती का सबूत देने का, और ऐसे मौके पर जब कौंसिलों का चुनाव पास था, इससे बेहतर और कौन मौका हाथ आ सकता था? 'हिन्दू कौम खतरे में है' का नारा मारकर वह लोग हिन्दुओं के हितैषी बनना चाहते थे। मुसलिम जमात में भी उनकी तादाद कम नहीं। धार्मिक पक्षपातों को भडकाना शुरू किया गया। राय साहब और खान साहब अपने गुप्त स्थानों से निकल पड़े और जनता की दोस्ती का दम भरने लगे। एक तरफ से आवाज आयी, हिन्दुओं को खिलाफत के आन्दोलन से सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह उनकी हस्ती को मिटा देगा। दूसरी तरफ नारए तकबीर बुलंद हुआ, हिन्दू हम पर हावी होते जा रहे हैं, स्वराज्य से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। कहीं किसी म्यूनिसिपैलिटी ने कानूनन् गौकुशी बन्द की। बाबेला मच गया। शोर मचानेवालों की कमी नहीं थी। जेल जाना था, तब शान्तिपूर्वक अपने-अपने कोनों में दुबके बैठे थे। अब जेल का डर नहीं, इज्जत बढ़ने की उम्मीद थी। फिर क्यों चुप रहें। सवाल-जवाब शुरू हुआ। रोज ब रोज लहजा सख्त होता गया। इधर 'लीडर' था तो उधर ढेरों उर्दू अखबार एंग्लो-इंडियन अफसरों के निर्देशानुसार मैदान में आ खड़े हुए। युद्ध की घोषणा हो गयी। जो इस हँगामे को ठंडा कर सकते थे वह जेल में थे।

उनकी जगह लिबरल हजरात ने ली। नतीजा जो कुछ हुआ, जाहिर है। वह कौम के दोस्त साबित हो गये। सरकार से भी वाहवाही मिली। फूट का बीज बोया गया; काँग्रेस की जड़ खोदने के लिए। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने के लिए। उसे पब्लिक की नजरों में जलील करने के लिए। और चूँकि काँग्रेस का एक हिस्सा खुद ही लिबरल सज्जनों के से स्वारथवाला था, उसने भी इस चिनगारी को भड़काया कि कहीं हम अपना भरम न खो बैठे। काँग्रेस के लीडरों ने भी अपराधियों जैसे मौन से काम लिया। यह है उस खीचतान का भेद जो इस वक्त कौम का सबसे नाजुक मसला बना हुआ है। यह सारी आग लगाने की कोशिशें या तो महज कौंसिलों में वोट हासिल करने के लिए की गयी या सरकार को खुश करने के लिए। बस। लेकिन इसका असर लक्ष्य-सिद्धि के बाद बरसों तक कायम रहेगा। सितम यह है कि अब भी हिन्दू कौम के अलमबरदार एकता के महत्व को समझने में असमर्थ है। चुनाचे कौंसिलों में जानेवालों की कमी नहीं है, हिन्दू सगठन को ताकत पहुँचानेवालों की कमी नहीं है, ऐतिहासिक विद्वेषों के मुद्दे उखाड़नेवालों की कमी नहीं है—कमी है तो एकता के लिए अपने को समर्पित कर देनेवालों की, एकता के लिए मिट जानेवालों की। मुसलमानों में अली बरादरान, मौलाना अबुलकलाम आजाद, डाक्टर किचलू एकता के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं। हिन्दुओं में यह कतार खाली है। कितने शर्म की बात है कि जिस एकता को महात्मा गांधी ने स्वराज्य की पहली सीढ़ी करार दिया हो उसके लिए एक प्रभावशाली हिन्दू बुजुर्ग पूरी तरह तैयार नहीं है। अगर यही रफ्तार है तो स्वराज्य मिल चुका, और अगर हलवाई की दूकान पर दाढ़े का फातिहा पढा जाना मुमकिन हो तो हमें स्वराज्य के नाम पर फातिहा पढ लेना चाहिए।

जमाना, फरवरी १९२४

कर्बला

मित्रवर श्रीयुक्त रामचन्द्र टण्डन ने मेरे 'कर्बला' नामी ड्रामा की आलोचना करते हुए यह शका प्रकट की है कि इस नाटक में हिन्दू पात्र क्यों लाये गये। उनका कथन है—'हिन्दू पात्रों के समावेश से न हिन्दुओं को प्रसन्नता होगी, न मुसलमानों को दुष्टि, इसलिए हिन्दू पात्र न लाये जाते तो कोई हानि न होती।' यह ड्रामा ऐतिहासिक है, और इतिहास से यह पता चलता है कि कर्बला के संग्राम में कुछ हिन्दू योद्धाओं ने भी हजरात हुसैन का पक्ष लेकर 'प्राणोत्सर्ग' किये थे, अतः उन पात्रों का बहिष्कार करना किसी भी युक्तिसंगत न होता। रही यह बात कि उनके समावेश से हिन्दू और मुसलमान, दो में से एक को भी प्रसन्नता न होगी, इसके लिए लेखक क्यों कुसूरवार ठहराया जाय? आज हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों में वैमनस्य है, इसलिए सभव है कि

ऐसे मिश्रित दृश्य रचिकर न हो, लेकिन जरा गौर से देखिए, तो इस दृश्य में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर किसी हिन्दू या मुसलमान को आपत्ति हो। हिन्दू जाति यदि अपने पुरुखाओ को किसी धर्म-संग्राम में आत्मोत्सर्ग करते हुए देखकर प्रसन्न न हो तो सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि हममें वीर-पूजा की भावना भी नहीं रही, जो किसी जाति के श्रेष्ठ पतन का अन्तिम लक्षण है। जब तक हम अर्जुन, प्रताप, शिवाजी आदि वीरों की पूजा और उनकी कीर्ति पर गर्व करते हैं तब तक हमारे पुनरुद्धार की कुछ आशा हो सकती है। जिस दिन हम इतने जातिगौरव-शून्य हो जायेंगे कि अपने पूर्वजों की अमरकीर्ति पर आपत्ति करने लगे, उस दिन हमारे लिए कोई आशा न रहेगी। हम तो उस चित्तवृत्ति की कल्पना करने में भी असमर्थ हैं जो हमारे अतीत गौरव की ओर इतनी उदासीन हो। हमारा तो अनुमान है कि हिन्दू इच्छा न रहने पर भी इस बात से प्रसन्न होंगे और उस पर गर्व करेंगे। हाँ, मुसलमानों की तुष्टि के विषय में हम निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि मुसलमान लेखकों ने यह अन्वेषण किया है और उन्हीं के आधार पर हमने हिन्दू पात्रों का समावेश किया है इसलिए इस विषय में शका करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि मुसलमान तुष्ट होंगे। यदि मुसलमानों को एक महान् संकट में आर्यों से सहायता पाने पर खेद होता तो वह इसका उल्लेख ही क्यों करते। आजकल की समुन्नत जातियाँ भी संकट के अवसर पर दी गयी सहायता का एहसान मानने में अपमान नहीं समझती। फिर कोई कारण नहीं कि मुसलमान क्यों आर्यों की प्राणपण से दी गयी सहायता का अन्याय करें। हाँ, यदि हिन्दू लोग आज उस एहसान के बल पर मुसलमानों के सामने शेखी बघारने लगे तो संभव है, मुसलमानों के मन में कृतज्ञता की जगह द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाय और वे उस घटना को भूल जाने की चेष्टा करने लगे।

समालोचक महोदय को दूसरी शका यह हुई है कि यदि आर्यों का अरब में जाकर बसना मान लिया जाय तो यह क्योंकर हो सकता है कि महाभारत काल से हसन के समय तक वे लोग अपने धार्मिक आचार-विचार की रक्षा कर सकें, कैसे मन्दिर बनवा सकें, कैसे रियासत बना सकें? अतएव उनकी वेश-भूषा तथा भाषा भी अरबों ही से मिलनी चाहिए थी। अरब जैसी मूर्ति विध्वंसक जाति के बीच में रहकर वे कैसे अपनी जातीयता का पालन कर सकें?

हमारे मित्र को मालूम होगा कि महाभारत काल में अरब या ईरान आर्यों के लिए कोई अपरिचित स्थान न थे। परस्पर गमनागमन होता रहता था। उस समय मुसलमान धर्म का जन्म न हुआ था और अरब जाति मूर्तिपूजा में रत थी। एक नहीं, अनेक देवता की पूजा होती थी। बहुत संभव है उनकी वेश-भूषा भी आर्यों से मिलती-जुलती रही हो। सिदियन, हूण, कुशन आदि जातियाँ उत्तर-पश्चिम से आकर आर्यों में सम्मिलित हो गयीं। इससे प्रकट होता है कि उस समय उनमें और आर्यों में विशेष

सादृश्य था। कम से कम यह अनुमान किया जा सकता है कि महाभारत काल में प्रतिमा-पूजा का प्रसार न हुआ था और इसका कोई प्रमाण नहीं कि आर्यों और अरबों में उतनी विभिन्नता नहीं जितनी इस समय है। हुसैन के समय तक मुसलमान धर्म का प्रादुर्भाव हुए पचास वर्ष से अधिक न हुए थे। उस वक़्त तक ईरान भी पूर्णरूप से मुसलमान सेनाओं के सामने परास्त न हुआ था। जब हम जानते हैं कि अश्वत्थामा के अरब निवासी वंशज मूर्तिपूजक थे तो मुसलमानों को उनसे ख्वामख्वाह लड़ने का क्या कारण हो सकता था? ऐसी दशा में यदि वे आर्य अपने आचरण का पालन कर सके तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनका नामकरण हमने नहीं किया। हमने उनके वही नाम लिख दिये हैं, जो हमें इतिहास में मिले। यह इस बात की एक और दलील है कि इतना जमाना गुजरने पर भी वे आर्य वीर अपनी वंश परम्परा को भूले न थे। जब हम देखते हैं कि पारसी जाति शताब्दियों से भारतवर्ष में रहने पर भी अपने धर्म और आचरण को निभाती चली जाती है तो आर्यों के विषय में ऐसी शका करना सर्वथा निर्मूल है।

माधुरी, १ जनवरी १९२५

उर्दू में फिरऔनियतः

मिस्टर नियाज फतेहपुरी उर्दू के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं यानी उनमें इस तरह लिखने की जन्मजात प्रतिभा है कि पढ़नेवाले भडक जायें। इतना ही नहीं, उनमें देश-भक्ति के तमाम दावों के बावजूद हृदय दर्जों की साम्प्रदायिक भावनाओं और विचारों को प्रकट करने का आश्चर्यजनक साहस भी है। जिस व्यक्ति में यह दोनों तत्व एकत्र हो जायें उसके सफल पत्रकार होने में संदेह की गुंजाइश नहीं। उधर सरकार भी खुश, खरीदार भी खुश और समझदार लोग हौरत से दाँतो तले उँगली दबाये हुए। इन महाशय ने उर्दू दुनिया में एक लेखन-शैली का आविष्कार किया जिसे उलभी हुई शैली कह सकते हैं और शुरू में 'रक्कासा' और 'मुगलिया' और 'क्यूपिड' और इसी तरह के दूसरे मौलवियाना विषयों पर लिखते रहे। आप आजकल इनसाइक्लोपीडिया या दूसरी पत्रिकाओं में गम्भीर लेखों का अनुवाद, उनका हवाला दिये बगैर, किया करते हैं और इस खयाल से उनकी गिनती विद्वानों में की जा सकती है। आप रूढियों के तोड़नेवाले हैं और मौलवियों के सुधार के प्रबल पोषक। समय-समय पर आप अपने स्वतंत्र चिन्तन को प्रकाशित करने के लिए धार्मिक मान्यताओं और नैतिक समस्याओं पर चोटे किया

१ मिस्त्र के बादशाह 'फ़िरौन' से, जिसने घमण्ड के मारे खुदाई का दावा किया था और जिसे हजरत मूसा के शाप ने समाप्त किया।

करते हैं जिससे मित्र-मडली में अच्छी चहल-पहल हो जाया करती है। शायद इसी वजह से कोई आपकी आपत्तियों का उत्तर देने की जरूरत नहीं समझता। आप पिछले तीन सालों तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी के एक विशिष्ट सदस्य रहे मगर नये चुनाव में किसी कारण से न आ सके। यह तो उनके एकेडेमी पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि खुदा के फजल से आप इतने तंगदिल नहीं हैं मगर शायद आपकी अनुपस्थिति में एकेडेमी ने सरासर नियमों का उल्लंघन और साम्प्रदायिक भावना को बल देना शुरू कर दिया है और इसीलिए आपका आजाद कलम इधर दो-तीन महीनों से एकेडेमी की बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी का जन्म उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं को सशक्त और उन्नति करने के लिए हुआ और दोनों ही भाषाओं के कुछ विशिष्ट लोग उसके सदस्य बनाये गये। हिन्दी के विभाग में किसी मुसलमान लेखक को नामजद नहीं किया गया क्योंकि इस सूबे में हिन्दी का कोई मुसलमान लेखक नहीं है। उर्दू विभाग में दो-एक हिन्दू भी नामजद कर दिये गये इसलिए कि हजरत नियाज चाहे उनके अस्तित्व से इनकार करे पर उर्दू में हिन्दुओं की एक अच्छी-खासी सख्या है। एकेडेमी चूँकि एक साहित्यिक सस्था है जहाँ उसने तत्व चिन्तन, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति की ओर ध्यान दिया वहाँ साहित्य की भी उपेक्षा नहीं की और अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध नाटककार के कुछ नाटकों को दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने का निश्चय किया। हिन्दी अनुवाद मुझको सौंपा गया, उर्दू अनुवाद मुंशी दया नारायण साहब निगम एडिटर 'जमाना' और मुंशी जगत मोहन लाल साहब 'खाँ' को। हजरत नियाज उस वक्त एकेडेमी के मेम्बर थे। मगर तब उन्होंने इन प्रस्तावों के विरोध में जबान खोलना किसी वजह से ठीक नहीं समझा। अब आपको यह आपत्ति है कि अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद क्यों किया गया और क्या इसके लिए मुसलमान लेखक न मिल सकते थे। आपके खयाल में कोई हिन्दू उर्दू लिख ही नहीं सकता चाहे वह सारी उम्र इसकी साधना करता रहे और मुसलमान जन्म से ही उर्दू लिखना जानता है यानी उर्दू लिखने की योग्यता वह माँ के पेट से लेकर आता है ! यह दावा इतना गलत, पोच, लचर और बेवकूफी से भरा हुआ है कि इसके जवाब की जरूरत नहीं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जिस जबान के साहित्यकार इतने तंग-नजर, अपने घण्ड में फूले हुए हो उसका खुदा ही मालिक है। मुसलमानों पर यह आम एतराज है कि उन्होंने हिन्दू शायरों और लिखनेवालों का कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि नसीम और सरशार भी उर्दू के बड़े लिखनेवालों के दायरे से बाहर कर दिये गये मगर ऐसी ढिंढाई की हिम्मत आज तक किसी ने न की थी। उसका सेहरा मिस्टर नियाज के सर है। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि उर्दू जबान पर निसबतन् मुसलमानों के एहसान ज्यादा है लेकिन यह नहीं मान सकता कि हिन्दुओं ने उर्दू में कुछ किया ही नहीं। आज करोड़ों हिन्दू उर्दू पढ़ते हैं, लाखों लिखते हैं, हजारों इसी जबान

मे साहित्य-रचना करते हैं चाहे कविता में, चाहे गद्य में, और उर्दू की हस्ती हिन्दुओं के सहयोग से कायम है। पंजाब के मुसलमान पंजाबी लिखते और बोलते हैं, बंगाल के मुसलमान बंगाली, सिन्ध के सिन्धी, गुजरात के गुजराती, मद्रास के तामिल। उर्दू बोलने-वाले हिन्दू या मुसलमान ज्यादातर इस सूबे में हैं। कुछ पंजाब और हैदराबाद में। अगर इस बात की छानबीन का कोई सही तरीका हो कि कितने हिन्दू उर्दू बोलते हैं और कितने मुसलमान तो मेरे खयाल में दोनों की तादाद में बहुत ज्यादा फर्क नजर आयेगा। यह दूसरी बात है कि हजरत नियाज हिन्दुओं की उर्दू को उर्दू ही न कहे। इसी तरह हिन्दू भी मुसलमानों की उर्दू को उर्दू न समझे तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर मुसलमान उर्दू में अरबी और फारसी लफ्ज ठूँस-ठूँस कर उसे इस्लामी रंग देना चाहता है तो हिन्दू भी उसमें हिन्दी और भाषा के शब्द दाखिल करके उसे हिन्दू रंग देने का इच्छुक हो सकता है। उर्दू न मुसलमान की बपौती है न हिन्दू की। उसके लिखने और पढ़ने का हक दोनों को हासिल है। हिन्दुओं का उस पर हक पहला है क्योंकि वह हिन्दी की एक शाखा है, हिन्दी पानी और मिट्टी से उसकी रचना हुई है और सिर्फ कुछ थोड़े से अरबी और फारसी शब्दों के दाखिल कर देने से उसकी असलियत नहीं बदल सकती, उसी तरह जैसे पहनावा बदलने से राष्ट्रीयता या जाति नहीं बदल सकती। हजरत नियाज चाहे जितनी ही आँखें लाल-पीली करे मगर हिन्दू उर्दू पर अपने हक से अपना हाथ नहीं खीच सकता और न वह उसे अपने ढंग पर लिखने ही से बाज आ सकता है उसी तरह जैसे मुसलमान उसे अपने ढंग पर लिखने से बाज नहीं आते। हिन्दू उर्दू का खून कर रहे हैं। उसी तरह हिन्दू भी कह सकता है मुसलमान उर्दू के गले पर कुन्द छुरी फेर रहे हैं। बटवारा इसी तरह हो सकता है कि मुसलमान लिखे, मुसलमान पढ़ने वालों के लिए, हिन्दू लिखेगा हिन्दू पढ़नेवालों के लिए, मगर यह नहीं हो सकता कि हिन्दू उर्दू लिखने-पढ़ने से बिल्कुल किनारा कश हो जायँ और मुसलमानों की लिखी हुई किताबें पढ़ कर अपना संतोष कर ले। वह इस गौण स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और हर आन्दोलन जो उर्दू जवानों की तरक्की के लिए अमल में आये उसमें हिन्दू अपनी हैसियत से शरीक होने का हक रखते हैं और मुझे यकीन है कि हजरत नियाज जैसे तग-नजर लोगों को छोड़कर ऐसे मुसलमान बहुत कम होंगे जो हिन्दुओं के इस हक से इन्कार कर सकें। एकेडेमी की जिस सब-कमेटी पर उर्दू अनुवादकों का चुनाव करने का दायित्व है उसमें काफी तादाद मुसलमान साहबान की है। अगर वह लोग हिन्दुओं को इस हद तक नालायक नहीं समझते, जितना हजरत नियाज समझते हैं और कुछ हिन्दू लेखकों की पिछली सेवाओं या साहित्यिक हचि का सम्मान करना उन्हें उचित मालूम होता है तो किसी को शिकायत का मौका न होना चाहिए। मिस्टर निगम ने उर्दू की जो खिदमत की है उनसे इन्कार करना साहित्य के प्रति ऐसी निर्लज्ज कृतघ्नता है जो हजरत नियाज से ही मुमकिन है। कौन अदाजा कर सकता है कि मिस्टर निगम ने 'जमाना' के प्रकाशन में कितने नुकसान

उठाये है। उम पर खानदानी जायदाद ही नहीं लूटा दी बल्कि अपनी ज़िन्दगी भी उसको भेट कर दी और आज एक तगदिल अखबारनवीस को यह कहने की हिम्मत होती है कि पच्चीस साल की इस साहित्यिक सेवा का कुछ मूल्य ही नहीं। हजरत ख़ाँ उर्दू के सिद्धहस्त कवि है। उनकी कविता के शायद हजरत नियाज भी कद्रदाँ हो मगर आपकी कद्रदानी ज्यादा से ज्यादा जबानी जमाखर्च तक जा सकती है। रुपये पैसे का मौका आते ही वह कद्रदानी उडनछू होने लग जाती है। मैं हजरत नियाज को बड़ी ईमानदारी से मशविरा दूँगा कि वह एकेडेमी के सदस्यो का चुनाव भाषा के आधार पर नहीं सप्रदाय के आधार पर करवाये। उस वक्त अगर कोई हिन्दू अनधिकार हस्तक्षेप करे तो उसके पीछे लट्टु लेकर दौड़े। लेकिन जब तक चुनाव भाषा के आधार पर है, और हिन्दू भी उर्दू लिखते हैं, उस वक्त तक वह हिन्दुओ को अमलो कद्रदानी के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। मगर यह याद रहे कि सप्रदाय के आधार पर हद से हद एक तिहाई से ज्यादा रकम उर्दू के हाथ नहीं पड सकती। इस तिहाई में ऐतिहासिक महत्व और आन-बान सब कुछ शामिल है।

यहाँ तो हिन्दू लेखको के साथ यह कद्रदानी दिखायी जाती है उधर हिन्दुओ को हिन्दी के मुसलमान कवियो से कितना सच्चा प्रेम है। रहीम और जायसी आदि की कविता के नये-नये सस्करण प्रकाशित होते रहते हैं। उन्हें इतने ही शौक से पढा जाता है जैसे सूर या तुलसी को। पाठ्यक्रम में उसे हिन्दू कवियो के साथ-साथ जगह दी जाती है, हिन्दू या मुसलमान होने का किसी को खयाल ही नहीं आता। उर्दू के किसी हिन्दू शायर का कलाम किसी मुसलमान ने सग्रह किया हो इसकी मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती। हाल में हजरत असगर ने 'यादगारे नसीम' का संकलन किया है जिसका भुगतान उन्हें करना पड रहा है। इस साहित्यिक संकीर्णता और द्वेष की भी कोई सीमा है।

जमाना, दिसम्बर १९३०

नवयुग

हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के प्रकोप से नवयुग का आरम्भ हो रहा है, उसी भाँति जैसे नववर्ष का आरम्भ होलिका के प्रचण्ड अग्निकाण्ड से होता है। एक तरफ काँग्रेस की बकिंग कमेटी प्रयाग में बैठी हुई गोलमेज परिषद् की शर्तो पर विचार कर रही थी, दूसरी ओर काशी में विद्रोह की आग धधक रही थी। और ठीक उस समय जब काँग्रेस समझौते की स्वीकृति पर फ़ैसला सुनाने जा रही थी, कानपुर में भीषण हत्याकाण्ड आरम्भ हो गया। काशी की अपेक्षा कानपुर का दगा कहीं अधिक भीषण और प्रलयकारी था। अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस हत्याकाण्ड से राष्ट्र

को कितनी क्षति पहुँची पर इसमें सन्देह नहीं कि हानि इतनी अधिक हुई है जो वर्षों में पूरी न होगी। एक सप्ताह तक कानपुर में अराजकता का पूरा आधिपत्य रहा। सरकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसका दमन न कर सकी। बुद्धि यह मानने को तैयार नहीं होती कि जो सरकार राजनीतिक आन्दोलन का दमन करने में इतनी तत्परता से काम ले सकती है, इतनी आसानी से गोलियाँ चलवा सकती है, वह इस अवसर पर इतनी अशक्त हो गयी कि उसकी उपस्थिति में रक्त की नदी बह गयी और वह कुछ न कर सकी ! क्या खुफिया पुलिस केवल राजनीतिक प्रगति की जाँच करने के लिए ही है ? उसे जनता में आन्दोलित होनेवाली भावनाओं का पहले से क्या ज्ञान नहीं होता ? क्या उसके कर्मचारी बारूद पर सोये रहते हैं और जब तक धडाका नहीं हो जाता उन्हें खबर नहीं होती ? सम्भव है सरकार की इस दलील में कुछ सत्य हो कि वह दंगे को दबाने के लिए काफी शक्ति न रखती थी, पर साधारण बुद्धि जिस नतीजे पर पहुँची है वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने जान-बूझकर केवल यह दिखाने के लिए कि बगैर सरकारी सहायता के तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि शान्तिपूर्वक रह भी नहीं सकते और तुम्हें एक दूसरे को फाड़ खाने से बचाने के लिए एक तीसरी बलवान शक्ति का रहना अनिवार्य है, इस हत्याकाण्ड को रोकने की कोशिश नहीं की। उनका यह अभिप्राय पूरा हुआ या नहीं, हम नहीं कह सकते लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सरकार का जो कुछ रहा-सहा विश्वास था वह भी जनता के दिलों से उठ गया। जन साधारण को ऐसे काण्डों को रोकने का एक ही उपाय सूझता है और वह उत्तरदायित्वपूर्ण विधान है। यदि सरकार को भय होता कि ऐसी दुर्घटना उसे जड़ से उखाड़ देगी, उसके विरुद्ध ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जिसमें उसकी सत्ता ही बाधा में पड़ जायगी तो वह यो तटस्थ न रहती। एक मास के अन्दर काशी, मिर्जापुर, आगरा आदि स्थानों में जातिगत वैमनस्य का इतना भयंकर रूप धारण कर लेना अगर हमें कोई शिक्का देता है तो वह यह है कि मुस्लिम भाइयों को अपने साथ न ले चलने में हमने भूल की। यह सत्य है कि हमने उनकी सहायता के लिए सदैव हाथ फैलाये रखा, सदैव उनकी सहानुभूति की याचना करते रहे, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बगैर आपस में कोई समझौता किये हुए सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात कर देना हमारे मुस्लिम भाइयों को अप्रिय ही नहीं लगा, उसमें कुछ सन्देह भी उत्पन्न किया। शायद आन्दोलन की मफलता ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया हो। जिस काम में हम शरीक नहीं होते, जिसकी सफलता की हमें कोई आशा नहीं होती, उसे सफल होते देखकर हमें स्वाभाविक रूप से कुछ चिढ़ होती है। मुस्लिम भाइयों में इसी मनोवृत्ति ने अवश्य असंतोष पैदा किया और यह अनुभव कि हिन्दुओं ने मुसलमानों के एक अंश की सहायता से इतना बड़ा पड़ाव मार लिया, मुसलमानों को अपनी ही दृष्टि में परा-भूत कर दिया। इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की आशातीत सफलता ने बहुत सम्भव है, हमें

अन्य बना दिया हो, हम यह समझने लगे हो कि मुसलमानों की सहायता के बगैर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी हो यह मानना पड़ेगा कि अभी पथगत द्वेष की हमारे समाज में प्रधानता है और जब तक हम इस द्वेष और विरोध को मिटा न लेगे, हम राजनीतिक क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही दगे पहले सत्याग्रह आन्दोलन के बाद हुए थे। मगर दोनों में थोड़ा अन्तर है। उस वक्त के सभी दगों का कारण धार्मिक था, मसजिद के सामने बाजा बजाना या कुर्बानी। इस समय जो दगों हो रहे हैं उनके कारण राजनीतिक हैं। काशी में एक विदेशी कपड़े के व्यापारी की हत्या ने वारूद में आग लगायी। कानपुर में मुसलमानों की दूकानों बन्द करवाने की चेष्टा ने पुआल में चिनगारी का काम किया। पुआल पहले से मौजूद था, केवल चिनगारी की कमी थी। हम खुद काँग्रेस में हैं। आज से नहीं, हमेशा से। असहयोग में हमारा विश्वास है, मगर हम कहने से बाज नहीं रह सकते कि काँग्रेस ने मुसलमानों को अपना सहायक बनाने की ओर उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। वह हिन्दू सहायता प्राप्त करके ही संतुष्ट रह गयी। भारत में हिन्दू बाईस करोड़ हैं। बाईस करोड़ अगर कोई काम करने का निश्चय कर ले तो उन्हें कौन रोक सकता है हिन्दुओं में इमी मनोवृत्ति ने प्रधानता प्राप्त कर ली। मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की गयी अवश्य पर बेदिली के साथ। काँग्रेस ने ऐसी सम्भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यह उसी अदूरदर्शिता का परिणाम है। यह ठीक है कि पहले ही काँग्रेस के जिम्मेदार आदमियों को जेल में डाल देने से, जिनमें ऐसे मुसलमान नेताओं की संख्या काफी थी, जो मुसलमानों पर असर डाल सकते थे, बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकार के सिर आ पड़ती है। लेकिन यह मानते हुए भी ठंडे दल से विचार करने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काँग्रेस प्रोग्राम में वैमनस्य पैदा होने की सम्भावना होती हुए भी उसने मुस्लिम जनता का दिल हाथ में लेने का कोई उल्लेखनीय उद्योग नहीं किया और इस तरह से उसने विपक्षियों को अपना अनर्थकारी प्रोपेगण्डा करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र बना दिया। अपनी भूलों को स्वीकार कर लेने में हमें किसी प्रकार का संकोच न होना चाहिए क्योंकि उससे भविष्य के लिए हम सचेत हो जाते हैं। हमें यह देखकर सतोष होता है कि इन हत्याकाण्डों के बाद अब आपस में मेल-जोल की ओर लोगों का ध्यान अधिक हो गया है। यदि हम पहले से ही सचेष्ट हो जाते तो क्या यह अनर्थ होता। जिस तरह आज लोग गली-गली और मुहल्ले-मुहल्ले चक्कर लगा-लगाकर प्रेम का संदेश सुनाते फिरते हैं, उसी भाँति यदि पहले भी यह प्रोपेगण्डा किया जाता, तो यह नौबत क्या आती। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि किसी पर दूकान बन्द करने के लिए दबाव डालना और समाज के एक मुख्य अंग का सहयोग प्राप्त किये बिना, पिकेटींग करना भी वाछनीय न था। घर-घर घूमकर वही काम यदि उतनी सफलता से नहीं तो उतने खतरे के बगैर किया जा सकता था। यह कहना कि हमने सदैव विनय

और सौजन्य से काम लिया है, सत्य पर परदा डालना है। और जिद से जिद पैदा होती है। यह वही सब मवाद है जो इतने दिनों भीतर ही भीतर पककर अब इस रूप में प्रकट हुआ है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारा उद्धार है। हमें आशा है कि अब हम ज्यादा समय, ज्यादा विचार, ज्यादा नम्रता से काम लेंगे और हिन्दू मुस्लिम मंत्री को केवल राजनीतिक आवश्यकता न समझेंगे, बल्कि उसे अपने कर्म का एक तत्व बना लेंगे। यदि ऐसा हुआ तो बुराई से भलाई पैदा हो जायगी और भविष्य में आनेवाली कठिनाइयों पर हम सदैव के लिए विजयी हो जायेंगे।

मार्च १९३१

मिर्जापुर काँग्रेस में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव

मिर्जापुर ने सबसे महत्व की जो बात की, वह थी श्री यूसुफ इमाम के प्रस्ताव को स्वीकार करना। इसका अभिप्राय यह था कि काँग्रेसवालों को किसी साम्प्रदायिक कार्य में प्रमुख भाग नहीं लेना चाहिए। इसका यह आशय कदापि नहीं कि आर्य-समाज या ब्रह्म-समाज या अन्य अग्रणीत पथों के माननेवाले, काँग्रेस के फार्म पर हस्ताक्षर करते ही अपने-अपने धर्म को तिलाजलि दे दे। इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिकता के रूप में जो राजनीतिक पाखंड फैलाया जाता है, उससे काँग्रेसवाले कोई सरोकार न रखें। उदाहरण के तौर पर देखिए—आर्य-समाज या ब्रह्म-समाज यदि काँग्रेस के मन्तव्य के विरुद्ध हिन्दू-हितों की रक्षा के लिए एक डेपुटेशन ले जायें या कोई प्रस्ताव ही स्वीकृत करें, तो काँग्रेसवालों को उससे पृथक होना पड़ेगा। जहाँ तक शुद्ध धर्म का सबंध है, काँग्रेसवाले भी अन्य प्राणियों की भाँति स्वाधीन हैं, लेकिन ज्योंही धर्म राजनीति के क्षेत्र में कदम रखे, काँग्रेसवालों को उससे नाता तोड़ लेना चाहिए। काँग्रेस में दुर्भाग्यवश हिन्दू और मुस्लिम मनोवृत्तियों का अभी तक काफी जोर है। हिन्दू सभा के सैकड़ों ही उपासक इस अन्दोलन को इस समय कमजोर देखकर काँग्रेस में आ मिले हैं और यहाँ भी वही जहरीला असर फैला रहे हैं। अगर काँग्रेस में इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन न मिलता, तो पथगत द्वेष कभी इतना भीषण रूप न धारण करता। हम से अधिकांश लोग अब भी कहने को तो काँग्रेसमैन हैं, इंकलाब की चीख मारते हैं, भले का गीत गला फाड़-फाड़ कर गाते हैं, लेकिन अदर देखिए, तो राष्ट्रीयता छू नहीं गयी। कानपुर में अगर हिन्दुओं ने अधिक मुसलमानों को मारा, या मुसलमानों ने हिन्दुओं का वध करने में बाजी मारी, तो वे संतुष्ट हैं। धर्म के सकीर्ण क्षेत्र के बाहर उनकी निगाह नहीं पहुँचती, वह या तो हिन्दू है, या मुसलमान, हिन्दुस्तानीपन का भाव उनसे कोसों दूर है। वे लोग मौके की ताक में हैं, ज्योंही जनता को धर्म की ओर भुक्तें

देखेंगे, तुरन्त काँग्रेस से निकल भागेंगे, क्योंकि उन्हें तो लीडरी चाहिए, चाहे काँग्रेस से मिले या हिन्दूसभा में, या मुसलिम लीग में। हिन्दूसभा की लीडरी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि रुचि भी तो उधर ही है। जब तक इस दूषित मनोवृत्ति का हम अंत न कर देंगे, जब तक अपना हिन्दू या मुसलमान होना भूल न जायेंगे, जब तक हम अन्य धर्मावलम्बियों के साथ उतना ही प्रेम न करेंगे जितना निज धर्मवालों के साथ करते हैं, साराश यह कि जब तक हम पथजनित सकीर्णता से मुक्त न हो जायेंगे, इस बेड़ी को तोड़कर फेंक न देंगे, देश का उद्धार होना असम्भव है। कोई नहीं कहता कि आप नमाज न पढ़ें। नहीं, जो मनुष्य धर्म-भात्र शून्य है, वह राष्ट्रीयता के भाव से भी शून्य रहेगा। पाँचों वक्त नमाज पढ़िए, तीसो रोज़े रखिए, देवताओं की जितनी पूजा चाहे कीजिए, जितनी सव्या चाहे कीजिए, हवन की सुगंध से देश को सुगंधित कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति से गडबड न कीजिए क्योंकि धर्म ईश्वर और मनुष्य के संबंध की वस्तु है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं, जो राष्ट्रीयता की परीक्षा में पूरी नहीं उतरती, सर्वदेशिक हितों में बाधक होती हैं, तो उन्हें त्याज्य समझिए। काफिर और म्लेच्छ का हमारे धर्म से नामोनिशान मिट जाना चाहिए। धर्म इतना उदार हो जाना चाहिए कि यदि हमारा पुत्र या स्त्री किसी दूसरे धर्म को अनुयायी हो जायँ, तो हमें जरा भी शोक या ताप न हो। इसकी एकता में हमारे उद्धार की शक्ति है। हम इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि काँग्रेस के साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाले लीडरों के दिल पर उसका अच्छा असर पड़ेगा।

शिक्षा प्रणाली में एक आवश्यक सुधार

साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का सुधार कैसे हो ? हमारे विचार में इसका एक साधन हमारे शिक्षा-पाठ्य क्रम में थोड़ी-सी तबदीली है। अभी तक हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के रीति-नीति, विचार-व्यवहार, साहित्य और दर्शन से कोरे रहते हैं और गत कई वर्षों से यह पृथकता और भी बढ़ती जाती है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि हिन्दू बड़े शौक से उर्दू-फारसी पढ़ते थे। बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण भी अपने लड़कों को फारसी-उर्दू पढ़ाया करते थे पर गत पन्चीस-तीस वर्षों से परिस्थिति बहुत कुछ बदल गयी है। अब हिन्दू उर्दू-फारसी का नाम नहीं लेता और मुसलमानों में तो रहीम और रसखान अब कल्पनातीत हो गये। ज्यो-ज्यो यह पृथकता बढ़ती जाती है, हमारी धार्मिक कूपमंडूकता भी बढ़ती जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक-दूसरे का साहित्य पढ़ें, विचार समझें, उनके दृष्टिकोण को जानें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिन्दी-उर्दू नीचे से ऊँचे तक लाजमी कर दी जाय। तीसरी कक्षा से बी० ए० तक दोनों भाषाएँ पढ़ायी जायँ। भाषा के साथ-साथ एक-

दूसरे की सस्कृति का परिचय भी छात्रों को ही जायगा और राष्ट्रीय एकता की जड़ मजबूत होगी। लिपि और शब्द-भेद का भगडा भी आसानी से मिट जायगा। हरेक शिक्षित मनुष्य एक-सी सरलता से हिन्दी-उर्दू दोनों ही लिख-पढ सकेगा। फिर आप चाहे अपनी दरखास्त जिस लिपि में लिखे, उसे कोई आपत्ति न होगी। 'जबान' की समस्या को हल करने का इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। साहित्य का मन पर कुछ न कुछ असर होता ही है, अगर अंग्रेजी साहित्य पढकर हम स्वाधीनता की दुहाई देते हुए भी अंग्रेजी के गुलाम हैं, तो कोई बजह नहीं कि हिन्दी-उर्दू साहित्य का हमारे दिलों पर कोई असर न पड़े। हमें विश्वास है कि इस उपाय से दोनों जातियाँ निकट तर हो जायेंगी। कुछ समय हुआ मौलवी हामिद उल्लाह अफसर ने 'लीडर' में यह प्रस्ताव उपस्थित किया था और अगर 'लीडर' में प्रकाशित पत्रों से जनता की रुचि का कुछ अनुमान किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षित समुदाय ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। हम नहीं कह सकते, उसका शिक्षा के अधिकारियों पर कुछ असर पडा या नहीं, पर हममें से हरेक का कर्तव्य है कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करे और यदि अभी नहीं, तो स्वराज्य काल में शिक्षा-पद्धति में, सबसे पहले यही सुधार किया जाय। कहा जा सकता है कि अंग्रेजी साहित्य पढकर तो हमारी अंग्रेजी से मैत्री नहीं हुई, फिर हिन्दी-उर्दू पढकर हिन्दू-मुसलमान कैसे मित्र हो जायेंगे। पंजाब में हिन्दू विशेष रूप से उर्दू पढते-लिखते हैं, फिर भी मुसलमानों से उनका मेल नहीं, बल्कि वहाँ यह वैमनस्य और भी उग्र रूप धारण किये हुए है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि पंजाब में भी वैमनस्य उसी वक्त से बढ़ा है, जब से भाषा का भेद बढ़ा। जिस दिन लिपि की समस्या हल हो जायगी उसी दिन वैमनस्य की जड़ कट जायगी। फिर अभी तक एकतरफ़ी मुआमला है। हिन्दू तो उर्दू पढते हैं, पर मुसलमान हिन्दी नहीं पढते। क्या तुलसी और सूर की मनोहर वाणी का कुछ भी असर न होगा? हिन्दू आदर्शों का कुछ भी आकर्षण न होगा? एक दूसरे की सस्कृति के गुण क्या अपना जादू न डालेंगे? हिन्दू त्याग और बलिदान, मुसलिम भातृभाव और समता दिलों में कुछ भी जागृति न उत्पन्न करेगी? यो तो लडाईं भाई-भाई और बाप-बेटे में भी होती है पर सभी बाप एक और सभी बेटे दूसरी ओर खड़े होकर लट्ठम लट्ठ नहीं करते। ऐसे व्यक्तिगत भगडे सामूहिक रूप नहीं धारण करते। भारतवर्ष में जो जातिगत द्वेष है, वह हमारी राजनीतिक पराधीनता के कारण है। उसका पूरा-पूरा दमन तो स्वराज्य से ही होगा, लेकिन जिस बीमारी ने वर्षों तक समाज को खोखला किया है, क्या उसे आप एक-दो खुराक़ों में दूर कर सकते हैं। साम्प्रदायिक विद्यालय जिस युग के स्मारक हैं, क्या वह युग समाप्त हो गया है? जिस तरह विद्या मूर्खता से श्रेष्ठ है, चाहे विद्वानों में एक-एक शब्द पर लट्ठे ही क्यों न चल जाय, उसी भाँति दो जातियों में परस्पर प्रेम पैदा करने का एक साधन एक दूसरे के साहित्य का पढना है, चाहे

इसका अपवाद ही क्यों न नजर आवे ।

हमारे नेताओं की बातें

कभी-कभी हमारे विचारशील नेता भी कोई मौलिक उक्ति निकालने की धुन में ऊटपटांग बकने लगते हैं। मौलाना शौकत अली ने तो दीवाने मुल्ला का रूप धर लिया है। आपने अपने एक व्याख्यान में कहा—‘मैं एक लाख गाधियो से अकेला लड़ने को तैयार हूँ। —’ एक दूसरे अवसर पर आपने लाख की सख्या को करोड़ तक पहुँचा दिया। हम नहीं समझते, इस तरह के उन्मत्त प्रलाप से मौलाना का मशा क्या है। यदि वह अपने अलौकिक बाहुबल का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे वाक्यों से उनकी दुर्बलता और भी प्रकट होती है। महात्मा गांधी की शक्ति उनके बाहुबल में नहीं, उनके आत्मबल में है, जिसने भारतीय सरकार तक को हिला दिया है और जो निकट भविष्य में मुसलिम लीडरी भी उनके हाथों से छीन लेगी। जमाने का रख कहे देता है जो लोग राष्ट्रीयता से द्रोह करेंगे उन्हें मुँह का खानी पड़ेगी। वह दिन अब लदा जा रहा है, जब पृथक्ता और मुसलिम हितों का सब्ज बाग दिखाकर मुसलिम जनता को ठगा गया था। अब जनता समझने लगी है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। डूबेंगे तो दोनों साथ डूबेंगे, पार लगेंगे तो दोनों साथ पार लगेंगे। कानपुर का दगा, हमें विश्वास है, हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य का अंतिम उच्छ्वास था। आज नेशनलिस्ट मुसलमान समस्त भारतवर्ष में सगठित हो रहे हैं और शीघ्र ही दुनिया देखेगी कि पृथक्ता के उपासकों में सरकार के पिट्टुओं के सिवा और कोई नहीं है।

अगर मौलाना शौकत अली ने इस प्रलाप से अपने को हास्यास्पद बना लिया है तो सरदार पटेल ने भी गुजरात में एक दूसरे तरह के प्रलाप से अपनी अनम्रता प्रकट की है। आपने एक व्याख्यान में फरमाया—भारत में घोर सग्राम छिड़नेवाला है और जिन्हें अपनी जान प्यारी हो, उन्हें भारत से प्रस्थान कर जाना चाहिए। सरदार पटेल को चाहे जान प्यारी न हो, लेकिन और तो सभी मनुष्यों को अपनी जान प्यारी होती है और जिसको जान जितनी ही प्यारी होती है, वह उस व्यवस्था को लाने में उतने ही उत्साह और त्याग से योग देता है, जिसमें जीवन अधिक सुखी हो। स्वराज्य के लिए हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें अपनी जान प्यारी है और हम उसे ऐसी परिस्थिति में देखना चाहते हैं, जहाँ वह स्वच्छन्द रूप से उन्नति कर सके। जो मर जाना ही अपने लिए शुभ समझता है, वह स्वराज्य में कदापि योग नहीं दे सकता। फिर सरदार साहब को जान प्यारी नहीं है, यह कौन कह सकता है। अभी दो साल पहले वह वकालत करते थे, विलायत कानून पढ़ने गये थे, इसीलिए कि जान प्यारी थी। अगर दो साल से उन्हें विशेष जागृति हो गयी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन पर वह आज लाइन लगा रहे हैं कल उन्हें भी यही जागृति प्राप्त हो जाय। जिन

परिस्थितियों में आपका अधिकांश जीवन बीता है, उन्हीं परिस्थितियों में और बहुत से लोग आज अपना जीवन काट रहे हैं। अगर आप उनसे पहले चौक पड़े, तो आपको उन पर कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। आपको चाहिए उन्हें अपने पुरुषार्थ और तप से सचेत करे, उन पर फिकरे चुस्त करके आप उनका दिल दुखाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। फिर आप यह क्यों समझते हैं कि स्वराज्य का ठीका आपने ही लिया है। जिस तरह आप स्वराज्य के इच्छुक हैं, उसी तरह और लोग भी हैं। शायद ही कोई ऐसा अधम प्राणी हो, जो स्वराज्य का प्रेमी न हो। आप में ज्यादा शक्ति और साहस है, आप शस्त्र लेकर मैदान में आ जाते हैं, लेकिन क्या जो आदमी अनाज और गोली-बारूद और बर्दों-कपड़े से आपकी सहायता कर रहा है, वह किसी गिनती में ही नहीं? काँग्रेस ने इस सभ्राम में करोड़ों खर्च किया होगा। यह रुपये मरदार पटले के घर से नहीं निकले, यह पब्लिक ने प्रदान किये थे। इस धन के सिवा स्वराज्य का आदोलन एक दिन भी न चल सकता। नम्रता योद्धाओं का शृंगार है। डींगे मारना और दूमरो पर आवाजे कसना, उनकी शान के खिलाफ है।

अप्रैल १९३१

राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्णा व्यवहार

अनुचित पक्षपात तो सभी के लिए निन्द्य है लेकिन राज-कर्मचारियों के लिए तो वह सर्वथा अक्षम्य है। अगर कोई हिन्दू अफसर व हिन्दुओं का पक्षपात करके मुसलमानों का अहित करता है, तो वह हिन्दुओं के साथ घोर अत्याचार करता है। उसी तरह कोई मुसलमान अफसर पक्षपात की धुन में हिन्दुओं का गला घोटें, तो वह इसलाम को बदनाम करता है। यह सच है कि ऐसे अफसरों को उनके मतवाले पूजने लगते हैं, उन्हें अपनी जाति का उद्धारक समझते हैं, मगर कर्मचारियों को सदैव मत-मतांतर से ऊँचा रहना चाहिए। अनुचित पक्षपात करके वह यह सिद्ध कर रहे हैं कि अभी उनमें स्वराज्य की योग्यता नहीं आयी। हमारे विचार में तो जब कभी किसी अफसर को पक्षपात करते देखा जाय, तो समझ लेना चाहिए कि वह भेदनीति का पालन कर रहा है और उसके जाल से हमें बचना चाहिए।

अप्रैल १९३१

स्वार्थाधता की पराकाष्ठा

धर्मनिष्ठा को किस भाँति द्वेष के रूप में बदला जाता है, इसकी एक मिसाल इसी प्रान्त के एक नगर में मिली है। एक मुसलमान गुंडा कुरान शरीफ से एक बरक फाड़ और उसमें विष्ठा भरकर एक मसजिद में फेंक रहा था। सौभाग्य से रंगे हाथों ही पकड़ लिया गया और जनता ने उसकी मरम्मत भी खूब की, मगर यह संयोग की बात है कि उसका उद्देश्य पूरा न हुआ। अगर वह अपना काम कर जाता, तो निस्सदेह हिन्दुओं पर इसका इलजाम आता और सभव था, आपस में दगा भी हो जाता। मुसलमान गुंडे ने बयो यह नीचता की, इसका कारण सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि धार्मिक आघात पहुँचाकर किस भाँति हिन्दू-मुसलिम विरोध की आग भड़काई जाती है। यह तो कल्पना ही न की जा सकती थी कि किसी मुसलमान ने यह हरकत की होगी, हिन्दू ही पर शूबहा होता और हिन्दुओं से बदला लेने की चेष्टा की जाती। हम स्वार्थाध होकर इतने नीचे गिर सकते हैं।

अप्रैल १९३१

पृथक् और संयुक्त निर्वाचन

मुसलिम जमाअतो में समझौते की जो बातचीत देहली और भोपाल में चली थी, उसका जनाजा शिमला में उठ गया। शिमला बया समझकर इस बातचीत के लिए चुना गया था, हम नहीं जानते, अगर पिछले अनुभव कुछ सिखा सकते हैं, तो शिमले की आब-हवा ऐसे प्रयत्नों के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। न डाक्टर अंसारी दबे न डाक्टर इकबाल। बातचीत अनिश्चित समय के लिए बन्द हो गयी। अब मुआमला भारत सरकार और गोलमेज के हाथ में है और उसका जो कुछ फल होगा उसके विषय में भी सफलता के साथ अनुमान किया जा सकता है। हमारे विचार में एकाध मौके ऐसे पैदा हुए जब नेशनलिस्ट मुसलिमों को दब जाना चाहिए था। मसलन् पाँच वर्ष पृथक् निर्वाचन के बाद मुसलिम जनता से निर्वाचन-विधि के विषय में आदेश लेना कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस पर विचार न किया जा सकता, लेकिन नेशनलिस्ट अब अपने को इतना अल्पसंख्यक नहीं समझते कि वह मुसलिम ब्रीगवालो से दबें। दोनों को अपनी शक्ति का विश्वास है। कम से कम इतना तो सिद्ध ही हो चुका कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात पृथक् निर्वाचन को देश के हित के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी हानिकर समझती है। मौलाना जफरुल मुल्क ने हाल में इस समस्या को हल

करने के लिए एक सिद्धान्त मोच निकाला है। जहाँ हिन्दुओं को सख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ मुसलमानों को उनकी सख्या के अनुसार वोट दिये जायँ। इसके उपरान्त उन्हें संयुक्त निर्वाचन में सम्मिलित होने का अधिकार भी दिया जाय। मुसलमानों का जिन सूबों में बहुमत हो, वहाँ हिन्दुओं के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। जिन सूबों में दोनों की सख्याओं में थोड़ा ही अन्तर हो, वहाँ भी यही सिद्धान्त लागू हो सकता है। हमें इस विचार में कोई असंगति नहीं दीखती। हिन्दुओं को इस विषय में कदाचित् कोई आपत्ति न होगी लेकिन पहले हमारे मुसलिम भाई तो निश्चय कर लें।

जून १९३१

गोलमेज़-परिषद् में गोलमाल

हमारे मुसलमान भाइयों ने आखिर वह कर ही डाला, जिसकी हमें शंका थी; पर यह समझकर कि शायद यूरोप के नये वातावरण में वह कुछ उदार हो जायँ, हम उस शका को बहलाते रहे थे। महात्मा गांधी जी भी यही समझकर गोलमेज़ में सम्मिलित हुए थे। अगर उन्हें यह मालूम होता, कि मुस्लिम मेम्बर वहाँ यह अड़गा लगायेंगे, तो वह जाते ही क्यों। हालाँकि अभी तक महात्मा जी निराश नहीं हुए हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, कि उनकी आशावादिता प्रवंचना न निकले, पर हमें सन्देह अवश्य है। मुसलमानों ने बहुत दिन इस देश पर राज्य किया है और अब भी वह कई देशों में स्वराज्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी राजनैतिक बुद्धि पर कम से कम इतना विश्वास अवश्य था कि इस अवसर पर वह मुल्क का साथ देंगे। मिस्र, तुर्की आदि देशों के नेताओं ने मुस्लिम नेताओं से जो अपील की थी, उसने हमारे विश्वास को वृद्ध कर दिया था, पर अब मालूम हुआ कि हमारा विश्वास मिथ्या था। हिन्दू बहुमत में हैं। किसी हिकमत से भी उनकी संख्या घटायी नहीं जा सकती। उधर मुसलमान कोई ऐसी व्यवस्था न मंजूर करेंगे, जिसमें बहुमत से किसी हानि की सम्भावना हो। इसलिए भारत को जन्म-जन्मान्तर तक इसी पराधीनता की दशा में रहना होगा। उनकी रक्षा के लिए भारत पर अंग्रेजों का शासन अनिवार्य है। नहीं हिन्दू मुसलमानों से पुरानी अदावतें निकालेंगे, और भारत में उनका रहना मुश्किल कर देंगे। तो क्या हिन्दू उस वक्त तक चुपचाप बैठे रहे, जब तक उनका बहुमत घटते-घटते अल्पमत न हो जाय ? इसके सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता।

गोलमेज़ के मुस्लिम प्रतिनिधियों को हिन्दुओं पर विश्वास नहीं है, अंग्रेजों पर विश्वास है। जिनसे उनका चोली-दामन का साथ है, जिनके साथ उनका भाईचारा

हैं, उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। अंग्रेजों पर उन्हें विश्वास है, जो उन पर शासन करते हैं।

यह हम कैसे कहे कि वे मुसलमान प्रतिनिधि स्वाधीनता के उतने ही इच्छुक नहीं हैं, जितने हिन्दू हैं। या वह देश का या अपनी जाति का नफा-नुकसान नहीं समझते, उनमें सभी शिक्षित हैं, विचारशील हैं। देश के दुर्भाग्य के सिवा हम इसे क्या कहे। शायद ईश्वर को यह मजूर नहीं है कि अभी भारत स्वाधीन हो, शायद अभी भारत ने आजादी का वह मूल्य नहीं दिया, जो देना चाहिए, और अभी उसे और बलिदान की जरूरत है।

इंग्लैंड में आजकल नया निर्वाचन हो रहा है। उस निर्वाचन में कजरवेटिव दल के बहुमत पाने की ही सम्भावना है। मिस्टर रेमजे मेकडोनेल्ड के पृथक् हो जाने से मजूरदल की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गयी है। आपस में बिल्बरा हुआ मजूरदल कजरवेटिव दल को परास्त कर सकेगा, इसमें सन्देह है। रेमजे मेकडोनेल्ड का भाग्य भी अब उन्ही लोगों के हाथों में है, जो अब तक उनके विपक्षी थे और जिनके राजनैतिक विचार मेकडोनेल्ड के विचारों से उतने ही भिन्न हैं, जितना प्रकाश अन्धकार से। मेकडोनेल्ड साहब ने अभी जो कुलाट मारी है, इससे सिद्ध कर दिया है कि वह सिद्धांत के उतने प्रेमी नहीं, जितने वे के। वह समय की गति देखकर अपने विचारों में उलट-फेर कर सकते हैं, तो क्या अब वह कजरवेटिव दलवालों को अप्रसन्न करने का नैतिक साहस दिखा सकेंगे? हमें इसमें सन्देह है। उन्होंने महात्मा गांधी के यह कहने पर कि प्रतिनिधियों का चुनाव ही इस ढंग पर हुआ है कि आपस में किसी समझौते का होना सदिग्ध था, जो फटकार बतायो उससे उनके मानसिक परिवर्तन का कुछ पता चलता है। महात्मा जी ने एक सत्य बात कही थी। हाँ, वह कडवा सत्य था। यह कौन-सा न्याय है कि जिन मुसलिम नेताओं ने राष्ट्रीय संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, जो बराबर सरकार के भक्त बने रहे, जिनके विषय में यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि वे हिन्दुओं से विरोध रखते हैं, वह तो दर्जनों की सख्या में भेज दिये गये, और वह मुस्लिम-दल, जिसने स्वाधीनता के लिए बलिदान किये, जो हिन्दुओं पर विश्वास रखता है, जिसकी सख्या, जितनी मुस्लिम लीग के नामलेवों की है, जिसकी शाखाएँ भारत के प्रत्येक भाग में हैं, उस दल का एक आदमी भी न भेजा गया? एक आदमी छूत छुड़ाने को भेज भी दिया गया, तो उसे बोलने का अवसर न दिया गया। क्या यह समझने के लिए किसी सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है कि नौकरशाही ने यह चुनाव इसी इरादे से किया था कि गोलमेज में विघ्न पड़े और कोई बात तय न हो सके। पर महात्मा जी ने यह कह दिया, तो सभी भन्ना उठे। सर शफी गरज उठे, मेकडोनेल्ड साहब तडप उठे, यहाँ तक कि अख्तौतों के प्रतिनिधि कहलानेवाले डाक्टर अम्बेदेकर भी चीख पड़े। एक अमेरिकन पत्र के सम्वाददाता ने तो यहाँ तक लिखा, कि मुस्लिम और अन्य अल्प

मतों के नेता महात्मा गांधी से विरोध भी करते हैं, तो सम्मान के साथ, पर डाक्टर अम्बेडकर तो असज्जनता कर बैठते हैं। क्यों न हो ! हिन्दुओं से बदला लेने का इससे अच्छा कौन-सा अवसर आवेगा ! अंग्रेज जाति उनका उद्धार करने पर आमादा हो गयी है। हिन्दुओं से सारी पुरानी कसर आज ही निकाल लो। डाक्टर साहब तो विद्वान आदमी हैं, क्या वह यह नहीं जानते कि विजेताओं ने हमेशा कमजोरो को दबाया है, यहाँ तक कि वही अंग्रेज जाति जिन्हें वह अपना उद्धारक समझ रहे हैं, अपनी पराधीन जातियों पर किस प्रकार शासन कर रही है ? अफ्रीकावालो से अंग्रेजों की न्यायपरता की कथा पूछिए, रेडइण्डियन से पूछिए, आस्ट्रेलिया के मावरियो से पूछिए, भारतवालो से पूछिए। और यह कोई दौ-चार हजार साल पुरानी बात नहीं है, आज भी हम जबरदस्त का ठेगा अपने सिर पर देख रहे हैं। पुराने जमाने में हिन्दुओं ने भी वही किया, तो उन्होंने वही किया जो परम्परा से होता चला आता है। लेकिन देखना यह है, कि हिन्दू नेता आज अपने अछूत भाइयों के साथ भी वही पुराना व्यवहार कर रहे हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्र के स्वत्वों की जो घोषणा की है, उसमें हरेक भारतीय के समान अधिकार रखे हैं। किसी दल, मत या जाति को अयोग्य नहीं ठहराया। किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया। वोट का हक हरेक को दिया गया है। राज-पद पर भी सब का समान अधिकार माना गया है। यह कहा जा सकता है कि अछूत भाई अभी ऊँची जातियों से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह शिक्षा और सम्यक्ता में बहुत पिछड़े हुए हैं, पर क्या यह बात स्वराज्य हो जाने पर नहीं कही जा सकती। उस वक्त अगर यहाँ की स्वराज्य सरकार इनके साथ अन्याय करती तो उन्हें शिकायत करने का, आन्दोलन करने का मौका था। इस वक्त तो वह पृथक्ता का राग अलापकर हमारे शत्रुओं का साथ दे रहे हैं। हिन्दू अब इतने नादान नहीं हैं, कि वह अपने ही देह के एक अंग को अपग करके समार में अपना अस्तित्व बनाये रखने का स्वप्न देख सके। हजारों साल की गुलामी ने अब उन्हें सुझा दिया है, कि अपने कुछ भाइयों को नीच बनाकर उन्होंने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया है, और उनका उद्धार अब इसी में है, कि उन भाइयों को बराबर के अधिकार दे और उन्हें वास्तव में अपना भाई समझें। लेकिन अगर इस वक्त डाक्टर साहब ने मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लोइण्डियनों के साथ विशेष अधिकार पर जोर दिया, तो यह राष्ट्र क्या होगा, लडैतियों का अखाडा होगा। भारत का उद्धार अब इसी में है कि हम राष्ट्र-धर्म के उपासक बने, विशेष अधिकारों के लिए न लडकर, समान अधिकारों के लिए लडे। हिन्दू या मुसलमान, अछूत या ईसाई बनकर नहीं, भारतीय बनकर संयुक्त उन्नति की ओर अग्रसर हो, अन्यथा हिन्दू मुसलमान, अछूत और सिक्ख सब रसातल को चले जायेंगे।

अगर सम्प्रदाय-वादियों ने और उनकी पीठ पर हाथ फेरनेवाले साम्राज्यवादी

अंग्रेजों ने समझा है, कि राष्ट्रीय भारत गोलमेज के गोलमाल से हताश हो जायगा, तो वह गलती पर है। इस पराधीनता ने भारत की आत्मा को जगा दिया है, और वह अब किसी शक्ति के रोके नहीं रुकती। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य से और ईश्वर से है। उसके बीच में देश, जाति और राष्ट्र किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। हम इस विषय में स्वाधीन हैं। हम मसजिद में जायें या मन्दिर में हिन्दी पढ़ें या उर्दू, धोती बाँधें या पाजामा पहनें, हम स्वाधीन हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र को भिन्न-भिन्न दलों में विभक्त करना, ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्धों को राष्ट्रीय मामलों में घसीट लाना, राष्ट्रीय-भारत कभी गवारा न करेगा। भारत ने बहुत कुछ तो समझ लिया है और जो कसर है वह भी अब समझता है, कि सम्पूर्ण भारत का हित एक है, उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं है। सरकारी नौकरियों के लिए अभी तक शिक्षित समाज के मन में मोह है। वही मोह, वही लोभ, इस विभिन्नता का कारण है। लेकिन अगर अभी वह समय नहीं आया तो अब उसके आने में देर नहीं है, जब वास्तविक राष्ट्र शिक्षित-समाज की सकीर्ण स्वार्थपरता के विरोध में विद्रोह करेगा। मुट्टी भर पढ़े-लिखे आदमियों को कोई अधिकार नहीं, कि वह अपने हलुए-माँडे के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र का जीवन सकटमय बनावे। वह जमाना आ रहा है, जब भारत के किसान, भारत के दुकानदार, भारत के मजूर, खुद अपना नफा-नुकसान समझेंगे और अपने हितों का शिक्षित समुदाय के पैरो-तले कुचला जाना गवारा न करेंगे। शिक्षितों ने जीवन के पच्छिमी, नकली, आडम्बरमय आदर्शों की गुलामी करके भारत को सर्वनाश के गर्त में ढकेल दिया है। भारत का एक सुशिक्षित व्यक्ति आज जरूरतों का ऐसा गुलाम हो गया है, कि उसे जीवित रखने के लिए कम से कम पचास मजूरों और किसानों को मरना चाहिए। इसी आडम्बरमय जीवन के निर्वाह के लिए तरह-तरह के ढोंग रचे जाते हैं, धर्म की आड़ ली जाती है, संस्कृति का रोना रोया जाया है, विशेष अधिकार का भूत खड़ा किया जाता है, भाषा और लिपि अनेक कल्पित विभिन्नताओं की दुहाई दी जाती है, केवल इसलिए कि शिक्षितों का खटमली-जीवन आनन्द से व्यतीत हो। वह बँगलो में रहे, मोटरो पर सँर करे, अंग्रेजों से हाथ मिलावे और योरोप की सँर करे। हाँ, वह समय अब दूर नहीं है, जब भारत इस नकली आदर्श से, विद्रोह करेगा और पृथक्ता के मकड़ी के से जाल को छिन्न-भिन्न कर देगा।

अक्टूबर १९३१

हिन्दू-मुस्लिम एकता

दिलो में गुबार भरा हुआ है, फिर मँल कैसे हो। मँली चीज पर कोई रग नहीं

चढ सकता, यहाँ तक, कि जब तक दीवाल साफ न हो, उस पर सीमेंट का पलास्तर भी नहीं ठहरता । हम गलत इतिहास पढ-पढ कर एक-दूसरे के प्रति तरह-तरह की गलतफह-मियाँ दिल मे भरे हुए है, और उन्हे किसी तरह दिल से नही निकालना चाहते, मानो उन्ही पर हमारे जीवन का आधार हो । मुसलमानो को अगर यह शिकायत है कि हिन्दू हम से परहेज करते है, हमे अछूत समझते है, हमारे हाथ का पानी तक नही पीना चाहते, तो हिन्दुओ को यह शिकायत है, कि मुसलमानो ने हमारे मन्दिर तोडे, हमारे तीर्थ-स्थानो को लूटा, हमारे राजाओ की लडकियाँ अपने महल मे डाली, और जाने क्या-क्या उपद्रव किये । हिन्दू-मुसलमानो के आचार और धर्म की हँसी उडाते है, मुसल-मान हिन्दुओ के आचार और धर्म की । विजयी जाति पराजितो पर जो सबसे कठोर आघात करती है, वह है, उनके इतिहास को विषैला बना देना । प्राचीन, हमारे भविष्य का पय-प्रदर्शक हुआ करता है । प्राचीन को दूषित करके, उसमे द्वेष और भेद और कीना भरकर, भविष्य को भुलाया जा सकता है । वही भारत मे हो रहा है । यह मान हमारे अन्दर ठँस दी गयी है, कि हिन्दू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलो

वभाजित रहे है, हालाँकि ऐसा कहना सत्य का गला घोटना है । यह बिलकुल गलत है, कि इसलाम तलवार के बल से फैला । तलवार के बल से कोई धर्म नही फैलता, और कुछ दिनों के लिए फैल भी जाय, तो चिरजीवी नही हो सकता । भारत मे इस-लाम के फैलने का कारण, ऊँची जातिवाले हिन्दुओ का नीची जातियो पर अत्याचार था । बौद्धो ने ऊँच नीच का, भेद मिटाकर नीचो के उद्धार का प्रयास किया, और इसमे उन्हे अच्छी सफलता मिली, लेकिन जब हिन्दू धर्म ने फिर जोर पकड़ा, तो नीची जातियो पर फिर वही पुराना अत्याचार शुरू हुआ, बल्कि और जोरो के साथ । ऊँचो ने नीचो से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी । नीचो ने बौद्ध-काल मे अपना आत्म-सम्मान पा लिया था । वह उच्चवर्गीय हिन्दुओ से बराबरी का दावा करने लगे थे । उस बराबरी का मजा चखने के बाद, अब उन्हे अपने को नीच समझना दुस्सह हो गया । यह खीच-तान ही ही रही थी कि इसलाम ने नये सिद्धान्तो के साथ पदार्पण किया । वहाँ ऊँच-नीच का भेद न था । छोटे-बडे, ऊँच-नीच की कँद न थी । इसलाम की दीक्षा लेते ही मनुष्य की सारी अशुद्धियाँ, सारी अयोग्यताएँ, मानो धुल जाती थी । वह मसजिद मे इमाम के पीछे खडा होकर नमाज पढ सकता था, बडे से बडे सेयद-जादे के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर भोजन कर सकता था । यहाँ तक कि उच्चवर्गीय हिन्दुओ की दृष्टि मे भी उसका सम्मान बढ जाता था । हिन्दू अछूत से हाथ नही मिला सकता, पर मुसलमानो के स्रुथ मिलने-जुलने में उसे कोई बाधा नही होती । वहाँ कोई नही पूछता, कि अमुक पुरुष कैसा, किस जाति का मुसलमान है । वहाँ तो सभी मुसल-मान है । इसलिए नीचो ने इस नये धर्म का बडे हर्ष से स्वागत किया, और गाँव के गाँव मुसलमान हो गये । जहाँ वर्गीय हिन्दुओ का अत्याचार जितना ही ज्यादा था, वहाँ

यह विरोधानि भी उतनी ही प्रचण्ड थी, और वही इस्लाम की तबलीग भी खूब हुई। कश्मीर, आसाम, पूर्वी बंगाल आदि इसके उदाहरण हैं। आज भी नीची जातियों में गाजी मियाँ और ताजियों की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी दृष्टि में इस्लाम विजयी शत्रु नहीं, उद्धारक था। यह है इस्लाम के फैलने का इतिहास, और आज भी वर्गीय हिन्दू अपने पुराने सस्कारों को नहीं बदल सके हैं। आज भी छूत-छात और भेद-भाव को मानते आते हैं। आज भी मन्दिरों में, कुओं पर, सस्थाओं में, बड़ी रोक-टोक है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा जो काम किया है, वह इस भेद-भाव पर कुठाराघात है। वर्गीय हिन्दुओं में जो एक सूक्ष्म-सी ऊपरी जागृति नजर आती है, इसका श्रेय महात्मा जी को है।

तो इस्लाम तलवार के बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्वों की व्यापकता के बल से फैला। इसलिए फैला, कि उसके यहाँ मनुष्यमात्र के अधिकार समान हैं। अब रही सस्कृति। हमें तो हिन्दू और मुस्लिम सस्कृति में कोई ऐसा मौलिक भेद नहीं नजर आता। अगर मुसलमान पाजामा पहनता है, तो पजाब और सीमा प्रान्त के सारे हिन्दू स्त्री-पुरुष पाजामा पहनते हैं। अचकन में भी मुसलमानी नहीं रही। रहा चौका-चूल्हा। पंजाब में चौके-चूल्हे का भगडा, हिन्दुओं में भी नहीं है, और शिखित समाज तो कही भी चौके-चूल्हे का कायल नहीं। मध्यप्रान्त के मुसलमान भी हिन्दुओं की ही भाँति चौके-चूल्हे की नीति का व्यवहार करते हैं। हिन्दू-मुस्लिम भेद के लिए, यहाँ भी कोई टिकाव नहीं मिलता। हमारे देवता अलग हैं, उनके देवता अलग। पुराणों में देवता को चाहे कुछ कहा जाय, हम तो प्रतिमा को ही देवता मानते हैं। शिव और राम, और कृष्ण और विष्णु जैसे हमारे देवता हैं, वैसे ही मुहम्मद, अली और हुसैन आदि मुसलमानों के देवता या पूज्य पुरुष हैं। हमारे देवता जैसे त्याग, आत्मज्ञान, वीरता और संयम के लिए आदरणीय हैं, उसी भाँति मुस्लिम देवता भी हैं। अगर हम श्री रामचन्द्र को स्मरणीय समझ सकते हैं, तो कोई कारण नहीं, कि हुसैन को उतना ही आदरणीय न समझे। हम मन्दिरों में पूजा करने जाते हैं, मुसलमान मसजिदों में, ईसाई गिरिजाघरों में। मगर कोई जैनी या आर्य-समाजी मन्दिर में पूजा करने नहीं जाता। क्या इसलिए हम जैनियों या आर्य-समाजियों को अपने से पृथक् समझते हैं? सिख भी हमारे मन्दिरों में नहीं जाते। उनके गुरुद्वारे अलग हैं, पर इसलिए हम सिक्खों से लड़ने नहीं जाते। यो तो हिन्दू-हिन्दू में, जाति-जाति में, वर्ग-वर्ग में भेद है और उन भेदों पर हम लड़ने लग जायें, तो जीवन नरक-तुल्य हो जाय। तो जब हम इन भेदों को भूल जाते हैं, तो मसजिद में नमाज पढ़ना क्यों आपत्ति की बात समझी जाय। महात्मा गांधी तो गिरजा में भी प्रार्थना कर लेते हैं। यहाँ भी हमें हिन्दू-मुस्लिम भेद के लिए कोई आधार नहीं मिलता। तो क्या वह गऊ हत्या में है? या शिखा में? या जनेऊ में? जनेऊ तो आज कम से कम अस्ती फीसदी हिन्दू नहीं पहनते, और शिखा भी

अब उतनी व्यापक वस्तु नहीं है। हम किसी हिन्दू को इसलिए अहिन्दू नहीं कह सकते, कि वह शिखाधारी नहीं है। बंगाल में शिखा का प्रचार नहीं। रही गऊ-हत्या। यह तो मालूम ही है कि अरब में गायें नहीं होती। वहाँ तो ऊँट और घोड़े ही पाये जाते हैं। भारत खेती का देश है, और यहाँ गाय को जितना महत्व दिया जाय उतना थोड़ा है। लेकिन आज कौल-कसम लिया जाय तो शायद ऐसे बहुत कम राजे-महाराजे या विदेश में शिखा प्राप्त करनेवाले हिन्दू निकलेगे जो गौमास न खा चुके हों। और उनमें से कितने ही आज हमारे नेता हैं, और हम उनके नामों पर जयघोष करते हैं। अछूत जातियाँ भी गौमांस खाती हैं, और आज हम उनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उनके मन्दिरों में प्रवेश के निमित्त कोई शर्त नहीं लगायी और न लगानी चाहिए। हमें अख्तियार है, हम गऊ की पूजा करें, लेकिन हमें यह अख्तियार नहीं है, कि हम दूसरों को गऊ-पूजा के लिए बाध्य कर सकें। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, कि गौमास-भक्षियों की न्यायबुद्धि को स्पर्श करें। फिर मुसलमानों में अधिकतर गौमास वही लोग खाते हैं, जो गरीब हैं, और गरीब अधिकतर वही लोग हैं, जो किसी जमाने में हिन्दुओं से तग आकर मुसलमान हो गये थे। वे हिन्दु-गण से जले हुए थे और उसे जलाना और चिढ़ाना चाहते थे। वही प्रवृत्ति उनमें अब तक चली आती है। जो मुसलमान हिन्दुओं के पड़ोस में देहातो में रहते हैं, वे प्रायः गौमास से उतनी ही घृणा करते हैं जितनी साधारण हिन्दू। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि मुसलमान भी गौभक्त हों, तो उसका उपाय यही है कि हमारे और उनके बीच में घनिष्ठता हो, परस्पर ऐक्य हो। तभी वे हमारे धार्मिक मनोभावों का आदर करेंगे। बहरहाल इम जाति-द्वेष का कारण गौहत्या नहीं है। और उर्दू-हिन्दी का झगडा तो थोड़े-से शिक्तियों तक ही महदूद है। अन्य प्रान्तों के मुसलमान उर्दू के भक्त नहीं और न हिन्दी के विरोधी हैं। वे जिम प्रान्त में रहते हैं, उसी की भाषा का व्यवहार करते हैं। साराश यह, कि हिन्दू-मुसलम वैमनस्य का कोई यथार्थ कारण नहीं नजर आता। फिर भी वैमनस्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हममें बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं, जो इस वैमनस्य के ऊपर उठ सकें। खेद तो यह है, कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रवृत्ति से खाली नहीं हैं। और यही कारण है, कि हम एकता-एकता चिल्लान पर भी, उस एकता से उतने ही दूर हैं। जरूरत यह है कि, जैसा हम पहले कह चुके हैं, कि ढग गलत इतिहास को दिल से निकाल डालें और देश-काल को भली भाँति लिचार करके अपनी धारणाएँ स्थिर करें। तब हम देखेंगे, कि जिन्हें हम अपना शत्रु रामभते थे, उन्होंने वास्तव में दलितों का उद्धार किया है। हमारे जात-पाँत के कठोर बन्धनों को सरल किया है, और हमारी सभ्यता के विकास में सहायक हुए हैं। यह कोई छोटी और महत्वहीन बात नहीं है कि १८५७ के विद्रोह में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही ने जिसे अपना नेता बनाया, वह दिल्ली का शक्तिहीन बादशाह था। हिन्दू-मुसलमान नृपतियों

मे पहले भी लडाइयाँ हुई है, पर वह लडाइयाँ धार्मिक द्वेष के कारण नहीं, स्पर्धा के कारण थी, उसी तरह जैसे हिन्दू राजे आपस में लडा करते हैं। उन हिन्दू-मुस्लिम लडाइयो में हिन्दू सिपाही मुसलमानों की ओर होते थे, और मुसलमान सिपाही हिन्दुओं की ओर।

प्रोफेसर मुहम्मद हबीब आक्सन ने अपने 'मध्यकाल में हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध' नाम से इस विषय पर एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा है, जिसका एक अंश हम नकल करते हैं—

'कहा जाता है, कि हिन्दुओं को घोड़े पर सवार होने, तीर चलाने और जुलूस निकालने तथा स्नान और पूजा-पाठ का निषेध था, पर यह किम्बदन्तियाँ मौलिक प्रमाणों के गलत मुताला (अध्ययन) से पैदा हुई हैं। उस जमाने का हिन्दू मजहब सगठित और शक्तिशाली था। उसके साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादाारी बरतते थे, कि इसके सिवा दूसरी राह न थी। उनके लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही के सिवा और कुछ न होता। यह विचित्र बात है, कि मध्यकालीन इतिहास के राज-नैतिक या ऐतिहासिक साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व का कोई छोटे से छोटा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इसका कारण यह नहीं है, कि हिन्दू इसके लिए तैयार न थे। नहीं! वह तो अपनी रण प्रियता के लिए बदनाम थे। लेकिन उस काल की किसी लडाई में भी हम सेनाओं को साम्प्रदायिक आधार पर लडते नहीं पाते। अफगानी सिपाहियों का एक दस्ता तराइन की लडाई में राय पिथौरा के नीचे लडा था। मुसलमानों की एक पैदल सेना ने पानीपत की लडाई में मराठों की मदद की थी। असली हिन्दू-मुस्लिम लडाई तो वास्तव में कभी हुई ही नहीं।'

नवम्बर १९३१

साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा

कंजरवेटिव गवर्नमेंट की साम्प्रदायिक मताधिकार विषयक विज्ञप्ति ने हिन्दुओं को बहुत असन्तुष्ट कर दिया है और पंजाब के सिक्ख लोग तो सत्याग्रह करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा कोई विख्यात हिन्दू या सिक्ख नेता नहीं है, जिसने अपना रोष न प्रकट किया हो। इसका कारण यही है कि इन महानुभावों ने अपने-अपने हिस्से के विषय में जो आशाएँ बाँध रखी थी, वह विफल हो गयी। विफल आशाएँ ही असन्तोष उत्पन्न किया करती हैं। वास्तव में वही हुआ, जिसका एक तरह से हमें विश्वास था। गवर्नमेंट के लिए इसके सिवा और क्या साधन था कि वह अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए किसी एक प्रमुख दल की शरण ले। सिक्ख इतने शक्तिशाली नहीं हैं, हिन्दू

इतने लचीले नहीं हैं। ऐसी दशा में मुसलमानों के सिवा और किस पर गवर्नमेंट की निगाह पड़ती।

×

×

×

सरकार की दशा उस हारे हुए योधा की-सी है, जो एक खाई से दूसरी खाई में पीछे हटता हुआ अन्त को अन्तिम खाई में पहुँच जाता है। उस खाई के बाद सपाट मैदान है। या तो वह शत्रु को इस खाई में गिरा दे, या स्वयं अपने प्राण दे दे। इस अवस्था में वह विवश होकर अपने टूटे-फूटे शस्त्रों का प्रहार करता है। गवर्नमेंट किसी नीति से हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती थी, अतएव उसने अपना वही टूटा-फूटा शस्त्र निकाल लिया है, जिसका नाम है—डिवाइड एण्ड रूल।

×

×

×

पर विजयी शत्रु पर शस्त्र का कोई असर न होगा। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, सी० पी० और आसाम में मुसलमानों को ज्यादा मताधिकार मिल जाने से परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। मुसलमानों का अल्पमत बहुमत न बन सका, लेकिन न्याय दृष्टि से देखिए, तो इन दोनों प्रान्तों में बहुमत मुसलमानों ही को मिलना चाहिए। मुसलमान काफी सगठित हैं। यदि उन्हें बहुमत न दिया जाता, तब भी अपनी सख्या के कारण उन्हें बहुमत मिल जाता। पंजाब में सिक्खों और हिन्दुओं को मिलाकर भी मुसलमानों की सख्या अधिक है। अगर मुसलमानों में इतनी कमजोरी है कि वे जनरल निर्वाचन से डरते हैं, तो वे दया के पात्र हैं। हमारा उन पर रोष करना व्यर्थ के लिए मनो-मालिन्य बढ़ाना है। अन्य प्रान्तों में मुसलमानों को जो वेटेज (अतिरिक्त अधिकार) दिया गया है इससे बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ता। पंजाब में हिन्दुओं और सिक्खों को वेटेज देने से मुसलमानों की प्रधानता गायब हो जाती है। ऐसी दशा में हम उनके सिर कोई इलजाम नहीं रख सकते।

×

×

×

फिर यह क्यों समझ लिया जाय कि मुसलमानों में बहुमत से हिन्दू या सिक्खों के हितों की हानि होगी। मुसलमानों का भारत पर कई सदियों तक राज रहा है। अगर मुसलमान उस जमाने में हिन्दुओं को न कुचल सके, तो अब इसकी कोई संभावना नहीं रही। मुसलिम काल में इसकी काफी मिसालें मिलती हैं कि मुसलमानों के साथ हिन्दुओं ने सहयोग किया है। आज भी हिन्दू रियासतों में मुसलमान बड़े-बड़े पदों पर हैं। यह मिथ्या भ्रम है और इसे मन से निकाल डालने ही में देश का कल्याण है।

×

×

×

इस वक्त हमारा कर्तव्य है कि मुसलमानों की सफलता पर उन्हें बधाई दें। मनोमालिन्य और द्वेष बढ़ाने से किसी की भी भलाई नहीं हो सकती। प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के जीतने पर शेष खिलाड़ियों का कर्तव्य यही होती है कि वे खुद हारते

हुए भी जीतनेवाले को मुबारकवाद दे और फिर उससे दूसरे मुकाबले में जीतने का उद्योग करते रहे। जीतनेवाला इसलिए क्यों बुरा समझा जाय कि वह जीत गया। इस मनोवृत्ति में सिक्ख या हिन्दू भी वेटेज पाकर मुसलमानों में वही भय पैदा करेंगे, जो इस समय स्वयं उनके अन्दर है। अविश्वास से विश्वास नहीं पैदा हो सकता। हमारी लड़ाई मुसलमान भाइयों से नहीं है, गवर्नमेंट से है। आपस में लड़ने से गवर्नमेंट की जीत होगी। उसकी हार इसी में है कि हम डिवाइड एण्ड रूलवाली नीति को मफल न होने दे।

×

×

×

साम्प्रदायिक भेद की नीति ही आपत्तिजनक है। गवर्नमेंट भारत को राष्ट्र नहीं समझती। हम अपने व्यवहार से उसे ऐसा समझने का अवसर भी नहीं देते। वह भारत को सम्प्रदायों की दृष्टि से देखती है। अतएव साम्प्रदायिक मताधिकार के लिए हम इतने इच्छुक हो, यह तो गवर्नमेंट की ही दृष्टि का समर्थन है। हमें यह दिखाना है—कि तुम चाहे हमें कितने ही टुकड़ों में बाँटो, हम परवाह नहीं करते। हम एक राष्ट्र हैं। इस भेद-नीति से हमारी राष्ट्रीयता को कुचलना संभव नहीं है।

२२ अगस्त १९३२

अब हमें क्या करना है

मताधिकार-सम्बन्धी सरकारी घोषणा निकल गयी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि अब वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं। हाँ, यदि भारतवाले आपस में कोई समझौता करके इस घोषणा के विरुद्ध कोई बात तय कर लेंगे, तो सरकार को उसके मानने में आपत्ति न होगी, लेकिन इस घोषणा से राष्ट्र के भिन्न-भिन्न दलों और संप्रदायों में जो परस्पर विरोधी भावनाएँ पैदा हो रही हैं, उनमें हमें भय हो रहा है कि कहीं इतिहास अपने को फिर न दुहरावे और वही १९२६-२७ वाली परिस्थिति न उत्पन्न हो जावे। यदि ऐसा हुआ, तो राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व सकट का सामना होगा। हम मुँह से चाहे कितना ही कहे जायँ, कि हमें मुसलमानों और अपने दलित भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब हिन्दू और सिक्ख दोनों ही अपनी पूरी शक्ति से इस घोषणा की निन्दा और विरोध करेंगे तो स्वभावतः मुसलमानों और अन्य दलों को जिनके साथ कुछ रिश्तायत की गयी है, बुरा लड़गा और वे भी अपने नव प्राप्त अधिकार को स्वरक्षित रखने के लिए जी जान से उद्योग करेंगे। तत्तीजा यह होगा, कि देश दो भागों में विभक्त हो जायगा। एक ओर सरकार और मुसलमानों तथा अछूतों का बड़ा हिस्सा होगा, दूसरी ओर हिन्दू और सिक्खों का सम्पूर्ण भाग। इस नये

संघर्ष का अन्त क्या होगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही जाने, पर देश में जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसका अनुमान करने के लिए विशेष कल्पना की जरूरत नहीं। कानपुर और बम्बई में हम उसका नमूना देख चुके हैं।

इसलिए इस समय हमें बड़ी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। दुनिया की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यदि हमने मताधिकारों के लिए आपस में लड़ाई ठान ली, तो मानो हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार की इस दलील का समर्थन करेंगे, कि भारत में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। जहाँ एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से इतना सशक्त है, वहाँ राष्ट्रीयता कहाँ। सरकार हमें भिन्न संप्रदायों के रूप में देखती है। हम क्यों अपने को उस रूप में देखें। स्वराज्य से हमारा उद्देश्य यही तो है कि भारत का शासन भारतवासियों के हित की दृष्टि से किया जाय। जब मुसलमानों को कुछ अधिकार अधिक मिल जाते हैं, तो हमें क्यों तुरंत यह विचार होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। कारण यही है, कि हम मुँह से चाहे राष्ट्रीयता की दुहाई दे, दिल में हम सभी संप्रदायवादी हैं और हरेक बात को संप्रदाय की आँखों से देखते हैं। क्या यह सत्य नहीं है, कि जब कोई साम्प्रदायिक दगा हो जाता है, तो हम तुरन्त यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि उस दगे में कितने हिन्दू हताहत हुए और कितने मुसलमान। अगर हिन्दुओं को सख्या अधिक होती है, तो हम कितने उत्तेजित हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर मुसलमानों की सख्या अधिक होती, तो हम आराम की साँस लेते हैं। यह मनोवृत्ति राष्ट्रीयता का गला घोटनेवाली है। हमें इस मनोवृत्ति का मूलोच्छेद करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा राष्ट्र मधुर स्वप्न ही रहेगा। जब हम साम्प्रदायिक भावों पर विजय नहीं पा सके, तो हम मुसलमानों से क्यों आशा रखते हैं, कि वे ज्यादा उदार हो जायँ। यह वही साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है, जो इस समय देश के इस सिरे से उस सिरे तक नगा नाच कर रही है और विदेश में हमें हास्यास्पद बना रही है और मजा यह है, कि अभी किसी के फरिश्तों को खबर नहीं कि कौंसिलों को अधिकार मिलेंगे—अभी तो केवल जगहों की सख्या का मामला है।

हम यह क्यों भूल जाते हैं कि व्यवहारिक शासन में साम्प्रदायिक प्रश्न बहुत कम आते हैं। कुरबानी और बाजे के भण्डे, अथवा हिन्दी-उर्दू का मामला ही शासन के मुख्य अंग नहीं है। शासन के अस्सी फी सदी काम ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू-मुसलिम सवाल पैदा ही नहीं होता। वह अधिकांश सामाजिक और आर्थिक होते हैं। फिर यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है, कि जिम्मेदारी न रहने की दशा में हम जिन बातों का विरोध करते हैं, उन्हीं बातों का, जिम्मेदारी आ जाने पर समर्थन करने लगते हैं। हमें आशा रखनी चाहिए कि मुसलिम दल ने जिन साम्प्रदायिक माँगों के लिए अब तक जोर दिया है, उनके लिए अब वे आग्रह न करेंगे।

यह हम नहीं कहते, सरकार को धोषणा निर्दोष है। उसका साम्प्रदायिक आधार

ही आपत्तिजनक है। उसमें कतर-व्योत करके हम उसका रूप नहीं बदल सकते। हिन्दुओं और सिक्खों को दस-पाँच जगह और मिल जाने से वह कम आपत्ति जनक न रहेगा, लेकिन उसका संप्रदायित्व कैसे मिटेगा ? क्या हिन्दू अथवा सिक्ख आंदोलन से ? इससे तो परस्पर द्वेष की आग और भी भडकेगी और राष्ट्र घातक भावनाएँ और भी प्रबल होंगी। इसका केवल एक ही उपाय है—सांप्रदायिक मनोवृत्ति का शमन। जिस दिन हम इस मनोवृत्ति को त्याग देंगे, उसी दिन मुसलमानों में भी उसका ह्रास हो जायगा। अब आनेवाले बरसों में इसी सांप्रदायिकता से संग्राम करना है—विश्वास, वैय्य और सेवा के शस्त्रों से। इसी में राष्ट्र का कल्याण है।

२६ अगस्त १९३२

हिन्दू सभा की निष्क्रियता

हिन्दू-सभा का अधिवेशन दिल्ली में हुआ अवश्य, पर उसका होना न होना दोनों बराबर। अधिवेशन क्या हुआ, केवल रूम निभाई गयी। कार्यकर्ताओं ही में उत्साह न था, तो जनता में कहाँ से होता। कुछ इस तरह का तमाशा सा हुआ जैसे कोई देहातियों के सामने अंग्रेजी में बात करे। जनता हिन्दू-सभा को केवल नाम से जानती है। उसका कोई काम उसने नहीं देखा। दो एक बार सभा ने कुछ कर दिखाने का इरादा भी किया, पर सामने खतरा देखकर बैठ रही। ऐसी संस्था के लिए जो केवल काउंसिलों में जगहों के लिए भगड़ती रहें, जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं। अब वह किसी संस्था की दृढ़ता और सत्यता की परीक्षा उसके नेताओं के त्याग से करती है। जहाँ त्याग नहीं, वहाँ कुछ नहीं। ऐसी निर्जीव संस्थाओं से वह कोई आशा नहीं रखती और न उसमें सम्मिलित होती है। हाँ, थोड़ा-बहुत चढा भले ही दे देगी। देश के सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न समाज से ऊँच-नीच, छूत-अछूत के भेद को मिटाना है। आज आवेश में कुछ मंदिर खोल दिये गये, और दो एक जगह भेद-रहित भोज कर दिये गये, इससे यह कदापि न समझना चाहिए कि यह भाव हिन्दू समाज से निकल गया। अभी तो केवल बीज पड़ा है। फल-फूल लगने तक बड़े-बड़े साधन करने पड़ेंगे, गोडना, सीचना, जानवरों से बचाना यह सभी क्रियाएँ पड़ी हुई हैं। ज़रा भी बेपरवाई या असावधानी हुई और पीधा सूखा। हिन्दू-सभा ने इस महत्वपूर्ण विषय को स्पर्श तक न किया। प्रस्तावों से काम चलता तो अब तक भारतवर्ष स्वर्ग बन चुका होता। प्रस्तावों का मूख्य तब है, जब उसके पीछे क्रिया शक्ति हो। हिन्दू-सभा ने इस शक्ति का कोई परिचय नहीं दिया। हिन्दू जाति के सामने उसने कोई आदेश, कोई प्रोग्राम असली सूरत में नहीं रखा। संभव है कि उसके नेताओं के मन में कुछ और हो पर वहाँ तो “चुप, चुप” की पालिसी की दुहाई फिर

रही थी । वह जमाना गया, जब “चुप-चुप” की नीति से जनता सन्तुष्ट हो जाती थी । अब तो वही सस्था जीवित रह सकती है, जो त्याग और बलिदान की भावना लिये क्षेत्र में आये । जिनमें यह भावना नहीं, उन्हें खामखाह सभाएँ करने की कोई जरूरत नहीं । “शेर गुफ्तन चे जरूर ?”

५ अक्टूबर १९३२

मौलाना शौकतअली की गहरी सूझ

मौलाना शौकतअली ने हाल में एक बड़े मारके की बात कही है, जैसा वह अक्सर कहा करते हैं । आप फरमाते हैं कि यदि हिन्दूजाति से जात-पाँत का भेद-भाव मिट जाय और नौ अरब का राष्ट्र-ऋण चुका दिया जाय, तो वह पृथक् निर्वाचन से दस्तबरदार हो जायँगे । इन दोनों बातों का पृथक् निर्वाचन से क्या संबंध है, यह हमारी समझ में नहीं आता । यह तो ऐसा ही है कि यदि हिन्दू मूर्ति-पूजा छोड़ दे और रसूल पर ईमान लावे, तो वह पृथक् निर्वाचन छोड़ देंगे । जात-पाँत का भेद, तो खैर एक ऐसा प्रश्न है, जिसे हिन्दू जाति खुद तय कर सकती है, लेकिन यह नौ अरब का ऋण कौन चुकावे । क्या यह भी हिन्दुओं ही को चुकाना चाहिए ? ऋण सरकार ने लिया था, सरकार ने खर्च किया । सरकार उसे अदा करेगी । इसका अभी फैसला होना बाकी है कि इसका कौन-सा भाग भारत की भावी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और कौन-सा भाग ब्रिटिश-सरकार को । लेकिन मौलाना साहब का फरमान है कि हिन्दू यह कर्जा चुका दे । इन दामों तो सम्मिलित निर्वाचन लेना शायद ही हिन्दू-जाति को मंजूर हो । पृथक् निर्वाचन को मुसलिम भाई चाहें अभी कई साल अपने लिए अक्सीर समझते रहे, लेकिन एक दिन आवेगा, जब वह देखेंगे कि इस पृथक्ता से उन्हें लाभ नहीं, बहुत हानि हो रही है । अल्पमतवाला समुदाय बहुमत में सम्मिलित रहकर सारे बहुमत को अपनी मुट्ठी में कर सकता है । वह अपना संगठित दबाव डालकर बहुमत को जिस तरफ चाहे घुमा सकता है, नचा सकता है, पृथक् हो जाने से उसके प्रभाव का क्षेत्र बहुत तग हो जाता है । हिन्दुओं में जैसी फूट और प्रतिद्विद्धता है, उससे मुसलिम जाति बहुत बड़ा फायदा उठा सकती थी । हिन्दू कभी इतने संगठित हो सकेंगे कि एकमत होकर मुसलमानों का बहिष्कार कर दें, यह असम्भव है । भिन्न-भिन्न राजनैतिक-दल रहेगें ही । मुसलमान उनके अन्दर रहकर जो कुछ चाहते, लेते, जो कुछ चाहते करा सकते । अलग जाकर उन्होंने यह सुनहरा अवसर खो दिया है और इसके लिए उन्हें पछताना पड़ेगा । अगर यह समझा जाता हो कि हिन्दू अपने स्वार्थ से पृथक् निर्वाचन को हटाना चाहते हैं, तो उन पर अन्याय है । हिन्दू जानते हैं कि मुसलमानों से

मिलने में उनकी सरासर हानि है। फिर भी वह मिलना चाहते हैं। किसलिए? केवल इसीलिए कि वह भारत को सयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस एकता के लिए अपने को मिटा देने पर भी तैयार हैं।

५ अक्टूबर १९३२

मुसलिम सर्व-दल-सम्मेलन

जिस वक्त यह पक्तियाँ लिखी जा रही हैं, लखनऊ में वह महत्वपूर्ण मुसलिम-सर्व-दल सम्मेलन हो रहा है, जिसकी सफलता भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रेम की स्फूर्ति डाल देगी। राष्ट्र-विच्छेद की जो क्रिया गोलमेज सभा में शुरू हुई थी और जिसे प्रधान मंत्री मि० रैमजे मैकडोनल्ड के बँटवारे ने पूरा कर दिया था, वह भारत-प्राण गांधी के तप के वरदान से इस तरह छिन्न-भिन्न हो गयी, जैसे रवि-ज्योति से कुहरे के बादल फट जाते हैं। उम्मी पावन तप का यह वरदान है कि हिन्दू मज्जा की नसों में समाया हुआ भेद-भाव और उसके प्राणों में घुसी हुई अस्पृश्यता अब अध-विश्वास और मूर्खता का आश्रय खोजती फिरती है। यह सत्य है कि जन्म-जन्मान्तरो का कोढ़ एक बार के गंगा स्नान से नहीं मिट सकता लेकिन जिस वेग से परिष्कार की धारा चल रही है, वह बहुत ही आशा-जनक है। आज हम हिन्दूधर्म के आचार्यों को राष्ट्रीयता के इस अदम्य प्रवाह में बहते देख रहे हैं, वह अपने सामने सारी विघ्न-बाधाओं को बहाये लिये जाता है। यह उस तप का पहला वरदान था। उसका दूसरा वरदान जो पहले से कही व्यापक और युगांतर उत्पन्न करनेवाला है, यही मुसलिम सम्मेलन है। वह मौलाना शौकतअली, जो गत पाँच-छह साल से हिन्दू जाति के सामने आस्तीने चढाये खड़े थे, आज उस वरदान के प्रताप से राष्ट्रीयता के उपासक बने नजर आते हैं। वह भी भारत का सर्वदल सम्मेलन हो था, जिससे असंतुष्ट होकर मौलाना विरोधियों के कैम्प में चले गये थे। वह सम्मेलन भी लखनऊ में ही हुआ था। इतने दिनों तक प्रतिकूल वातावरण के अनुभव के बाद हमारा वह मुसलिम नेता फिर हमारी ओर प्रेम से हाथ बढ़ा रहा है। कई साल पहले का वह मगलमय दृश्य हमारे सामने आ रहा है, जब महात्मा गांधी और दोनों अली भाई एक ही प्लेट-फार्म पर खड़े नज़र आते थे। आज स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई बिछुड़े भाइयों के इस मिलन पर खुश हो रही होगी। वह अमर शब्द किसे भूल सकते हैं, जो गोलमेज सभा के अवसर पर उनके मुख से निकले थे—

“या तो मैं स्वराज्य लेकर जाऊँगा, या यही मेरी कन्न बनेगी।”

इन शब्दों में स्वदेश-प्रेम का कितना ऊँचा आदर्श था और वह प्रतिज्ञा कितनी

सच्ची निकली। ऐसी वीर आत्माओं के लिए इन्डिआन-नोलेज मुसलिम सम्प्रदाय-वादियों में क्या आकर्षण हो सकता था। आश्चर्य यही है कि इतने दिनों मौलाना कैसे उनके बीच में रहे। यहाँ हमें भीष्मपितामह का वह कथन याद आता है, जो उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में लड़ते समय अपनी सफाई देते हुए कहा था। वीर आत्माएँ कुछ दिनों के लिए चाहे विचलित हो जायँ, लेकिन उनकी अन्त प्रेरणा एक न एक दिन अवश्य उन पर काबू पा लेती है और उन्हें पुराने कार्य-क्षेत्र की ओर घसीट लाती है। जमैयतुलउलेमा और मुसलिम राष्ट्रीय दल तो पहले ही एकता का हामी था, अब मौलाना शौकतअली के सहयोग से खिलाफत पार्टी का सहयोग भी मिल गया, जो इन दोनों दलों से ज्यादा प्रभावशाली है। अब केवल मुसलिम कान्फ्रेस दल इस सम्मेलन से अलग है, जिसके नेता डा० सर इकबाल, डा० शफाअत अहमद खॉं आदि हैं। इस दल ने सम्मेलन में शरीक होने से इकार कर दिया है। वह कहते हैं हिन्दुओं की ओर से शुरुआत होना चाहिए। इससे उनका क्या आशय है, यह तो वही जाने। हिन्दुओं ने तो केवल बच्चों से ही नहीं, कर्म से सिद्ध कर दिया कि वह राष्ट्रीयता के हितार्थ हरेक समझौते के लिए तैयार हैं। क्या विश्व कवि डा० ठाकुर, प० मदन मोहन मालवीय, डाक्टर सर तेजबहादुर सप्रू आदि ने बिना किसी आधार के ही बातचीत शुरू की थी? मगर उम दल के इकार का रहस्य वाइसराय के उस तार में है, जो उन्होंने मौलाना शौकतअली के तार के जवाब में दिया था। या उस पैगाम में जो सर आगाखॉं ने मुसलिम कान्फ्रेस के नेताओं के नाम फ्रांस से भेजा था। इस दल का विश्वास साम्प्रदायिक नीति है। राष्ट्रीयता को वह अभी तक सतर्क आँखों से देखता है और एकता के हरेक आयोजन की उपेक्षा करता है। मौलाना शौकतअली ने लखनऊ पहुँचने पर उस दल के नेताओं को जो खरी-खरी बातें सुनायी हैं, वह उनके स्वभावानुसार ही हैं। वह अपने मनोभाव नीतिज्ञों की भाषा में नहीं व्यक्त करते। उनकी भाषा और भाव दोनों ही उनके डील-डौल की तरह तेज और ललकार से भरे होते हैं—

“मुसलिम जनता शांति चाहती है। वह समझौता करने की इच्छुक है। वह कुछकर दिखाना चाहती है। इस समय मुसलमानों में तीन दल हैं—एक वह जो, काँग्रेस और हिन्दुओं का मुँह देखता है, दूसरा वह, जो शिमला के इशारे पर नाचता है। इन दोनों के बीच में मुसलमानों की बहुत बड़ी सख्या उनकी है, जो सम्मान के साथ समझौता चाहते हैं। उनके लिए एकता बड़े महत्व की चीज़ है और इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है। मैं न काँग्रेसी हूँ, न मुसलिम राष्ट्रीय दल का मेम्बर हूँ। मैं तो केवल सेवक हूँ। वे सज्जन भी, जिनका मुझसे मतभेद है, यह स्वीकार करेंगे कि मैंने और मेरे सहकारियों ने मुसलिम हितों के लिए मुसलिम कान्फ्रेस से कहीं अधिक सेवाएँ की हैं। मुसलिम लोग का तो कहना ही क्या जो मर चुकी है, और सर मुहम्मद याकूब चाहे कितने ही शोबदे करे, उसमें जान नहीं डाल सकते। मैं मुसलमानों को काँग्रेस या शिमला का

मैंह ताकते नही देख सकता । हम मुसलमानो मे सच्चा नागरिक जीवन चाहते है, और यह भी चाहते है कि हम गवर्नमेण्ट और हिन्दूजाति, दोनो के साथ न्याय और आदर का व्यवहार करे ।”

लेकिन वाइसराय ने कह दिया है कि जब तक मुसलमान एकमत होकर आपस मे कुछ निश्चय न करेगे, वह प्रधानमन्त्री के निर्णय मे कोई परिवर्तन नही कर सकते ।

अब देखना यह है कि दस-पाँच व्यक्तियों के न आने से ही काफेस का महत्व कम हो जाता है, या उसमे हरेक प्रान्त और दल के मुसलिम प्रतिनिधि इतनी कसरत से आते है कि थोडे से व्यक्तियों के न आने से उसके महत्व मे कोई कमी नही आती । शिया पार्टी संयुक्त निर्वाचन के पक्ष मे अपना मत दे चुकी है । राष्ट्रवादी मुसलमान, जमैयतुल उलेमा, खिलाफत पार्टी, यदि यह सभी पार्टियाँ एक बात निश्चित कर दे, तो अवश्य ही जनमत का दबाव इतना अधिक हो जायगा कि थोडे से व्यक्तियों की उपेक्षा की जा सकेगी । फिर जिस मुसलिम कान्फेस दल के प्रधान डा० सर इकबाल है, उसी के उपप्रधान मौलाना शौकतअली और राजा साहब सलेमपुर है, जो इस सम्मेलन के पक्ष मे है । बात यह है कि मुसलिम-कान्फेस-दल मे पजाबी मुसलमानो का बहुमत है और पजाबी मुसलमानो को इस बटवारे मे जो बहुमत प्राप्त हो गया है, उसे वे लोग छोडना नही चाहते ।

समझौते के लिए अब तक कई विधान उपस्थित किये गये है, पर हमारी समझ मे स्थायी विधान वही है, जिसका आधार प्रत्येक प्रान्त की सख्या पर हो । वेटेज अर्थात् संख्या से अधिक वोट का मिलना बिलकुल बन्द कर दिया जाय और वोट का अधिकार हरेक बालिग मर्द-औरत को दे दिया जाय । इस तरह हरेक प्रान्त मे सप्रदायो की वोट-संख्या उसकी आबादी के अनुसार ही होगी । इस तरह पजाब के छप्पन फी सदी मुसलमानो को छप्पन फ्रीसदी मेम्बरियाँ मिल जायेंगी और चूँकि किसी प्रान्त मे वेटेज का नियम न रहेगा, पजाब के हिन्दू या सिक्ख, मुसलिम बहुमत को स्वीकार करेगे । बगाल और पजाब मे मुसलमानो की दो तिहाई सख्या रहती है । अन्य प्रान्तो मे केवल एक तिहाई । जब वेटेज के परित्याग से दो तिहाई मुसलमानो का हित हो सकता है, तो केवल एक तिहाई के हित के लिए दो तिहाई के सिर वेटेज क्यों लाद दिया जाय ? हमे आशा है, इन प्रश्नो पर यह सम्मेलन साफ-साफ निर्णय कर सकेगा । तभी वह कोई स्कीम सर्व-सम्मति से हिन्दुओ के सामने रख सकेगा । जब तक मुसलमान खुद किसी एक बात पर एकमत नही है, हिन्दुओ के सामने कोई प्रस्ताव रखना समय का अपव्यय ही है ।

नोट—यह लिखा जा चुका था कि खबर आयी, लखनऊ में सम्मेलन न होगा, क्योंकि उपस्थित नेताओ ने संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया, और हिन्दुओ से बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है । सम्मेलन ने सि० जिन्ना की शेष तेरह शर्तें बहुमत से स्वीकार कीं ।।—सम्पादक

राष्ट्रीयता की विजय

लखनऊ के मुसलिम सम्मेलन ने एक मत से सयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया। बहुमत से नहीं, एकमत से। एकता की इच्छा सभी उपस्थित नेताओं में इतनी प्रबल थी कि इसका निर्याय करने के लिए सम्मेलन का बाकायदा जलसा करने की जरूरत ही न पड़ी। गांधी के तप में कितनी महान् शक्ति है। प्रधान मंत्री के बंटवारे ने समस्त राष्ट्र में निराशा फैला दी थी। ऐसा मालूम होने लगा था, कि अब दस-बारह बरस साम्प्रदायिकता का राज रहेगा। साम्प्रदायिकता अपने मोरचे से पीछे हटना तो दरकिनारा, और आगे कदम बढ़ाती चली आती थी और अंत में उसने हिन्दू-समाज के उस किले पर छापा मारा, जो आज हजारों साल से आंधी और तूफान का सामना करता चला आता है। ऐसा जान पड़ता था, कि पुरानी फसले इस नये युग के शत्रुओं के सामने खड़ी न रह सकेगी। जब एक जगह दीवार टूट गयी, तो फिर शत्रुओं के घुस आने में क्या देर लगती है। शत्रु ने लक्ष्य भी उसी स्थान पर किया था, जो सबसे कम-जोर है, लेकिन गांधी की तपस्या ने पाँसा पलट दिया और न-जाने कितनी दैवी-शक्ति लेकर सामने आ खड़ी हुई। देखते-देखते हवा बदल गयी और आज शत्रुओं से घिरी हुई राष्ट्रीयता अपने मोरचे से निकल कर साम्प्रदायिकता का सहार कर रही है। पूना में उसने पहली विजय पायी, मगर लखनऊ में उसने जो विजय प्राप्त की है, उसमें तो साम्प्रदायिकता के नीचे जैसे सुरग लगाकर उसे उड़ा ही दिया। हिन्दुओं की ओर से मुसलमानों की जो शका थी, उसे पूना के समझौते ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। मुसलमानों ने देखा हिन्दू एकता के लिए कहाँ तक उत्सर्ग करने पर तैयार है। उन्होंने देखा कि हिन्दू जाति राष्ट्रीयता की आड़ में अपना अधिकार और प्रभुत्व बढ़ाने की इच्छुक नहीं है, बल्कि सच्ची लगन और पवित्र सकल्प से उसका आवाहन कर रही है। पूना का समझौता उनकी नेकनियती और न्याय-परता का ज्वलत-प्रमाण था, जिसके सुदृढ़ आधार पर ही राष्ट्रीयता निर्माण की जा सकती है। इस प्रमाण ने अविश्वास और सन्देह को दूर कर दिया, विश्वास उत्पन्न हुआ और आज हम देख रहे हैं कि मौलाना शौकतअली, डाक्टर जियाउद्दीन, हाफिज हिदायत हुसेन, राजा सलेमपुर आदि नेता, जो भेद-भाव के स्तम्भ समझे जाते थे, आज राष्ट्रीयता का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अब हमें ज्ञात हुआ कि मुसलिम नेता केवल हलके स्वार्थवश, या व्यक्तिगत दुर्भाव के कारण हम से पृथक् न थे, बल्कि उनमें भी राष्ट्रीयता की उतनी ही सच्ची लगन थी, उनकी नीयत भी उतनी साफ थी, केवल उन्हें हमारी नेकनियती पर विश्वास न था, केवल वे राष्ट्रीयता को हिन्दुओं के अधिकार प्रेम का परदा समझते थे। अब यह परदा हट गया और दुनिया ने देख लिया कि भारत एक राष्ट्र है, अन्य राष्ट्रों की ही भाँति अनेक भेदों के होते हुए भी एक राष्ट्र है। धर्म और संस्कृति के अलग होने पर भी एक राष्ट्र है। मौलाना

शौकतअली ने विजय के उल्लास में एक वक्तव्य में कहा है—‘हम पन्द्रह दिनों में भारत को सयुक्त राष्ट्र देखेंगे।’ और हमें विश्वास है, उनकी यह पेशगोई सच्ची निकलेगी।

अब तक साम्प्रदायिक मुसलिम पार्टी का यह दावा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान संख्या में बहुत थोड़े हैं, आम मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। लखनऊ सम्मेलन ने उस दावे को बातिल सिद्ध कर दिया। ऐसी कोई मुसलिम संस्था नहीं है, जिसके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में न शरीक हुए हों, यहाँ तक कि जिस मुसलिम काफ़ेस को मुसलमानों का सोलह आने प्रतिनिधि कहा जाता है, उसके तीन पिछले सभापति, वर्तमान उपसभापति और मंत्री तक आये थे। जमैयतुल उलमा, राष्ट्रीय मुसलिम दल और अहरार दल का तो कहना ही क्या। यह तो पहले ही से सयुक्त निर्वाचन के समर्थक है। इसलिए अब यह कहना कि मुसलिम बहुमत पृथक् निर्वाचन के पक्ष में है, सत्य की आँखों में धूल भोक्कना है। फिर भी शिमला-पार्टी या इकबाल-पार्टी के गिने-गिनाये नेता अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए इस सम्मेलन के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करते। इकबाल-पार्टी के एक प्रमुख नेता डा० शफ़ाअत अहमदख़ॉ ने फरमाया है—इस सम्मेलन में अधिकांश मुसलिम संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं शरीक थे। डाक्टर ने उन संस्थाओं के नाम बताने की कृपा नहीं की, जिनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में न आये हों, वास्तव में ऐसी संस्थाओं का अस्तित्व उनके कल्पना-जगत से बाहर और कहीं नहीं है। हाँ, यह बहुत संभव है, अपनी लाज रखने के लिए इस अवसर पर ऐसी संस्थाएँ खड़ी कर दी जायँ। ऐसा पहले भी किया गया है और अब भी किया जायगा, लेकिन इन चालों से भारत के राष्ट्रीय प्रवाह को नहीं रोका जा सकता। इकबाल-पार्टी को बहुत जल्द मालूम हो जायगा कि अब उसकी पुश्त पर कोई शक्ति नहीं है। उसकी कलाई खुलते ही सरकार भी उससे मुँह फेर लेगी, यह निश्चित है। इस पार्टी को उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसलिम जनता को उन्होंने बहुत सन्ध बाग दिखाये है, पर वह जनता अब उनके चकमे में न आयेगी।

सम्मेलन ने स्व० मौलाना मुहम्मदअली के सिद्धांत को हिन्दुओं से समझौते का आधार माना है। इस सिद्धांत का तत्व यह है कि सयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की जगह स्वरक्षित कर दी जायँ और हरेक हिन्दू या मुसलमान उम्मेदवार के लिए दूसरे सम्प्रदाय के कुछ वोट अनिवार्य कर दिये जायँ। ऐसी दशा में वही हिन्दू मेम्बर प्रतिनिधि चुना जा सकेगा, जिस पर मुसलमानों को भी विश्वास हो। इसी तरह वही मुसलमान उम्मेदवार चुना जायगा, जो हिन्दुओं का विश्वासपात्र होगा। हिन्दू-द्रोही मुसलमान या मुसलिम-द्रोही हिन्दुओं के लिए तब व्यवस्थापक सभाओं में एक दूसरे के विरुद्ध ज़हर उगलने का कोई प्रलोभन न रह जायगा और सच्चे राष्ट्रवादी हिन्दू और मुसलमान मेम्बर ही राष्ट्र के प्रतिनिधि हो सकेंगे। हमें आशा है, आनेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन

मे इस सिद्धात को एक मत से स्वीकार कर लिया जायगा। आपस के अविश्वास को मिटाने के लिए इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसी व्यवस्था की सफलता पर अवैध सयुक्त निर्वाचन का दार-मदार है, जो राष्ट्रीयता का ध्येय है।

सम्मेलन ने मि० जिन्ना की चौदह शर्तों में पृथक् निर्वाचन के सिवा और तेरह शर्तों को भी हिन्दू-मुसलिम समझौते का आधार माना है। मि० जिन्ना की वह शर्तें केवल आपस के अविश्वास के कारण पेश की गयी थी। ज्योही यह अविश्वास दूर हो गया, उनकी कोई जरूरत न रह जायगी। सिंध को पृथक् सूबा बनाने की मांग का कारण केवल अविश्वास है। लेकिन जब सिंध की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वह अपना खर्च सँभाल सके, तो हमारे विचार में उसको पृथक् होने का कोई हक नहीं है। दूसरे प्रान्तों की सहायता के भरोसे अलग होना तो वैसा ही है, जैसे एक भाई अपने दूसरे भाइयों से अलग तो हो जाय, पर खाना खाते समय उन्हीं के साथ जा बैठे। नौकरियों के लिए भी जाति या संप्रदाय की कँद नीति के विरुद्ध है। यहाँ तो योग्यता ही को प्रधानता मिलनी चाहिए। सरहदी सूबे में मुसलिम बहुमत ने अभी हाल में योग्यता की शर्त को स्वीकार करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। कोई वजह नहीं है कि सम्पूर्ण राष्ट्र में यही नीति क्यों न स्वीकार कर ली जाय। फिर इस वक्त जो सरकारी नौकरियों पर लोग इतना टूट रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि सरकारी पदों का वेतन बहुत बढ़ गया है। उसी लियाकत का आदमी कोई दूसरा काम करके इतने रुपये नहीं कमा सकता। जब देश में जिम्मेदार हुकूमत होगी, तो यह लूट न रहेगी, और लोग दूसरे काम करके उतना ही धन कमा सकेंगे, जितना सरकारी नौकरी में। तब पदों के लिए इतनी छीना-भपटी न होगी। हमें आशा है कि आनेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन में दोनों तरफ से सद्भाव और शुभ कामना की स्पिरिट दिखायी जायगी और किसी बात पर इतना न अड्डा जायगा कि आपस में रजिश हो जाय।

ईश्वर से हमारी यही कामना है कि हिन्दू मुसलिम समझौता सफल हो और भारत एक राष्ट्र और एकात्मा होकर अपने अम्युदय के पथ पर अग्रसर हो।

२६ अक्टूबर १९३२

स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली का फ़ारमूला

लखनऊ की कान्फ़ेन्स, तथा वर्तमान हिन्दू-मुसलिम संधि चर्चा में स्व० मौलाना मुहम्मदअली के प्रस्ताव तथा मुसलिम कान्फ़ेन्स की तेरह शर्तों का जिक्र बार-बार हुआ है। मौलाना मुहम्मदअली के प्रस्तावों के अनुसार कौंसिलो या एसेम्बली के किसी भी उम्मेदवार के लिए दो आवश्यक शर्तें होंगी—

१— वह दूसरे सम्प्रदाय (मुसलमान के लिए हिन्दू जाति) के कम से कम दस फीसदी मत प्राप्त करें ।

२— अपने सम्प्रदाय के कम से कम चालीस फी सदी मत प्राप्त करें ।

३— यदि कोई उम्मीदवार सजातीय निर्वाचको का चालीस फीसदी मत प्राप्त न कर सके, तो निर्णय बहुमत के अनुसार हो ।

मि० जिन्ना की प्रस्तावित मुसलमानो की तेरह माँगे निम्नलिखित हैं—

१— सरकार का भावी शासन फेडरल होना चाहिए ।

२— अवशिष्ट अधिकार प्रान्तो को मिलने चाहिए ।

३— बिलोचिस्तान मे सुधारो को चालू किया जाय ।

४— सध का विच्छेद ।

५— सीमा प्रान्त को समान अधिकार ।

६— पजाब और बंगाल मे मुसलमानो का स्थिर बहुमत ।

७— फेडरल एसेम्बली मे मुसलमानो का एक तिहाई प्रतिनिधित्व ।

८— मुसलिम अल्पसख्यको का आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व ।

९— व्यवस्थापिका सभाओ मे कोई एक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा बिल पेश न हो और प्रस्ताव पास न किया जाय, जिसके विरोध मे उस समुदाय के तीन चौथाई सदस्य हो ।

१०— धार्मिक और सस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता की रक्षा ।

११— प्रान्तीय या सध सरकार के मन्त्रिमन्डल मे दो तिहाई मन्त्री मुसलमान हो ।

१२— सरकारी नौकरियो मे योग्यता को देखते हुए मुसलमानो को नौकरियो का कम से कम अनुपात नियत कर दिया जाय । और

१३— शासन विधान मे कोई भी परिवर्तन तब तक न किया जाय, जब तक फेडरेशन को बनानेवाले सब दलो की सहमति न हो ।

इन्ही शर्तों को जनवरी १९२९ मे आगा खों की अध्यक्षता मे आल इडिया मुस्लिम कान्फ्रेस ने पास किया था । इन्ही शर्तों को लखनऊ कान्फ्रेस ने स्वीकृत किया है ।

२६ अक्टूबर १९३२

एकता-सम्मेलन .

प्रयाग मे एकता-सम्मेलन की तैयारियाँ हो रही हैं । मौलाना शौकतअली प्रयाग आकर महामना मालवीय जी से कुछ आवश्यक बातचीत करके बम्बई गये हैं और

वहाँ से सम्मेलन में शरीक होने के लिए जल्द लौटेंगे। नेताओं के पास बुलावे भेजे जा चुके हैं। कई नेता दूर प्रान्तों से सम्मेलन के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ऐसे अवसर पर महात्मा जी का प्रयाग में मौजूद होना अनिवार्य था। एकता के सबसे बड़े मित्र महात्मा जी हैं। महात्मा जी ही वह व्यक्ति हैं, जिन पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, सभी जाति वालों का विश्वास है। इस सम्मेलन में महात्मा जी का होना महत्व की बात ही नहीं, अनिवार्य है। यदि यह सम्मेलन महात्मा जी के सभापतित्व में होता, तो इसकी सफलता की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जाती। यही सोचकर मौलाना शौकतअली ने वाइसराय से महात्मा जी को छोड़ देने की प्रार्थना की थी, लेकिन वाइसराय ने उन्हें भी वही जवाब दिया, जो पहले सर शिव स्वामी ऐयर को दे चुके हैं। वह इसके सिवा और कुछ नहीं है, कि जब तक महात्मा गांधी आन्दोलन न बन्द कर देंगे, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। अतएव हमें महात्मा जी की अनुपस्थिति में सम्मेलन के असफल होने का सन्देह हो रहा है और ऐसे समय पर जबकि देश एकता के लिए जोर मार रहा है, वाइसराय का यह जवाब बहुत ही निराशाजनक है। जिस समय लार्ड विलिंग्डन कैनाडा के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कैनेडियन क्लब में एक स्पीच देते हुए कहा था —

“यदि हम भारत को अपने मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त करने और भारतवासियों को अपने घर का स्वामी होने में सहायता देने की सच्ची इच्छा प्रकट करें, तो भारत बहुत बरसों तक यह इच्छा करेगा, कि हम वहाँ रहें, लेकिन याद रखना चाहिए, कि पूर्व बड़े वेग से बदल रहा है और भारत ने बराबरी का दरजा हासिल करने का निश्चय कर लिया है।”

जब हम लार्ड विलिंग्डन के श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों पर विचार करते हैं, तो इनके इस इकार पर दुःख होता है।

लेकिन एक ओर तो एकता के सफल होने में यह बाधाएँ खड़ी हैं, उधर साम्प्रदायिकता के पक्षपाती पत्रों का पेट फूल रहा है कि कहीं सचमुच दोनों जातियों में मेल न हो जाय। दोनों सम्प्रदायों के लड़ते रहने में ही उनका मान और प्रभाव है। सम्भव है वे सच्चे दिल से एकता में हानियाँ ही हानियाँ देख रहे हों। यह भी सम्भव है कि उनकी शकाएँ ठीक हों, लेकिन यह तो सभी को मानना पड़ेगा, कि मेल फूट से कहीं मंगलकारी है, और इस अवसर पर जब मेल के आयोजन किये जा रहे हैं, किसी की जवान या कलम से ऐसी कोई बात न निकलनी चाहिए, जो सत्भाव की जगह द्वेष और विश्वास की जगह अविश्वास उत्पन्न करे। यहाँ हम सहयोगी उर्दू “कर्मवीर” के एक सम्पादकीय-लेख का यह अंश नकल करके दिखायेंगे कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को किस तरह उत्तेजित किया जा रहा है—

“यह क्या हो रहा है? हमारी आँखें बेकारी के जमाने में क्या देख रही हैं। क्या पुराना इतिहास अपने-आप को दोहरा तो नहीं रहा है? क्या पहले लखनऊ-पैकट

ने हिन्दुस्तान की मिट्टी पलीद नहीं कर रखी, जो अब उस इतिहास को दोबारा हराने की जरूरत है। कहते हैं मौलाना शौकत अली ने हिन्दू लीडरों से कहा कि लड-भिडकर भी देख लिया, कुछ बनता नजर नहीं आता, इसलिए हिन्दू-मुसलिम एकता ही करनी चाहिए। जमाने का करिश्मा देखो, जो चन्द माह पहले बम्बई-जैसे खूबसूरत नगर को अपने स्वदेशवासियों के रक्त से रजित देखना चाहते थे और लज्जित न थे, अब इतना उछल रहे हैं।”

सहयोगी यह दिखाने की असफल चेष्टा कर रहा है कि मालवीय जी, सर तेजबहादुर सप्रू, महात्मा गान्धी आदि पथ-भ्रष्ट हो गये हैं और केवल वही भारत को सच्चे रास्ते पर ले जा रहा है। दो भाई यदि आपस में लडने-भिडने और मुकदमेबाजी करने के बाद चेत जाँय और आपस में समझौता करने का इरादा कर ले, तो क्या गडे मुरदे उखाडकर उनमें मेल न होने देना किसी ऊँची मनोवृत्ति का पता देता है? समझौता करते समय हमें पिछलो बातों को भुला देना पडता है, गुस्से में हमारे मुँह से क्या-क्या अनाप-शनाप बातें निकल गयी, हमने किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा की, यह सारी कटुताएँ विस्मृत कर देनी पडती है। हम सदिच्छा के साथ, ईश्वर पर भरोसा करके प्रेम का हाथ फैलाते हैं। समझौते की यही एक सूरत है। यदि हम अविश्वास करते रहेगे, तो दूसरा पक्ष भी हमारे ऊपर अविश्वास करता रहेगा। ऐसी दशा में मेल कहाँ से आयेगा।

सहयोगी आगे लिखता है—

“हमारे लिए तो पहले ही सम्प्रदायवादी और राष्ट्रवादी मुसलमानों में कोई अन्तर न था। केवल आँखों का धोखा था। अब यह धोखा खुलकर सामने आ गया लखनऊ-सम्मेलन इसी मानी में तो कामयाब कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता का दम भरनेवाले मुसलमान भी साम्प्रदायिकता की गदी नाली में बह गये, लेकिन हिन्दुस्तानी दृष्टिकोण से लखनऊ-सम्मेलन असफल ही नहीं रहा, बल्कि उसने साम्प्रदायिकता की जडों को और मजबूत कर दिया है। निस्संदेह यह सम्मेलन राष्ट्रवादी मुसलिम दल की मौत थी। उसे लखनऊ ही में दफन कर दिया जाय, तो अच्छा है।”

जब कुछ हिन्दू रामाचार-पत्र इस तरह जहर उगल रहे हैं, तो एकता सम्मेलन की सफलता के विषय में हमें सन्देह है।

३१ अक्टूबर १९३२

आशा का केन्द्र

प्रायाग का एकता-सम्मेलन इस समय हमारी राष्ट्रीय आशा का केन्द्र बना हुआ

हैं। सम्पूर्ण भारत ही नहीं, सम्पूर्ण ससार उसकी तरफ आशा तथा भय की निगाहों से देख रहा है। उसके सामने बड़े महत्व के प्रश्न हैं—ऐसे प्रश्न, जिन्हें महात्मा गान्धी भी नहीं सुलझा सके, जिन्होंने कितने दिनों से भारत के भाग्य को संकट में डाल रखा है। भारत का भविष्य उन्हीं प्रश्नों के साहस-पूर्ण निर्यय पर मुनहसर है। अब देखना है कि हमारे नेता राजनैतिक बुद्धिमत्ता से काम लेकर उसे सुलझाने में सफल होते हैं या सकीर्णता और अविश्वास के अन्वकार में पड़कर पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस उद्देश्य के सामने महात्मा जी को भी हार माननी पड़ी, उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। भारत इस परीक्षाग्नि से निकल कर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कल्पना ही दिल को कमजोर कर देती है। आपस में अभी तक एक को दूसरे पर जो अविश्वास है, अभी तक दिलों में जो स्वार्थ घुसा हुआ है, अभी तक जो अभिमान समाया हुआ है, उसे देखकर हम कभी-कभी निराश हो जाते हैं। लेकिन यह सोचकर कि राष्ट्र के प्रति जिस जिम्मेदारी को हम जैसे अनाड़ी भी महसूस करते हैं, क्या उसे हमारे नेता उससे कहीं ज्यादा गहराई के साथ न महसूस करते होंगे, हमारी हिम्मत बँध जाती है।

वास्तव में जो कुछ मत-भेद है, वह केवल शिञ्चित समुदाय के अधिकार और स्वार्थ का है। राष्ट्र के सामने जो समस्या है, उसका सम्बन्ध हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं। दरिद्रता सभी का गला दबाये हुए है। नित नयी-नयी बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं। उसका वार सभी सम्प्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज की डल्लत में सभी गिरपतार हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक, या राजनैतिक दुरवस्था नहीं है, जिससे राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित न हों। दरिद्रता, बीमारी, अशिञ्चा, बेकारी, हिन्दू और मुसलमान का विचार नहीं करती। हमारे किसानों के सामने जो बाधाएँ हैं, उनसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पीड़ित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं के हल करने से होगा। कितने मेम्बर हिन्दू हैं, कितने मुसलमान, कितने ईसाई, कितने सिक्ख—किस पद पर मुसलमान पहुँच गया है, किस पर हिन्दू, किस पर सिक्ख, यह तो बिलकुल गौण बातें हैं, लेकिन इन्हीं गौण बातों को प्रधान समझा जा रहा है और थोड़े से व्यक्तियों के हित पर राष्ट्र का बलिदान किया जा रहा है। हमें अधिकार को इसलिए जख्मत नहीं है कि थोड़े से शिञ्चित आदमियों को मोटी-मोटी असामियाँ मिले और वह शान से जीवन व्यतीत करे, बल्कि इसलिए और केवल इसलिए कि हम राष्ट्र को सुखी और सन्तुष्ट कर सकें, शिञ्चा का प्रचार कर सकें, कृषकों की हालत सुधार सकें, बेकारी की बला दूर कर सकें। देश में ऐसा वातावरण पैदा कर सकें कि छोटे से छोटे आदमी को भी रहने को भोपड़े और भोजन के लिए रोटी की कमी न रहे, बड़े से बड़े आदमी छोटे से छोटे आदमी पर भी अत्याचार करके बेदाग न बच सकें, सूद के नाम से गरीबों को लूटा न जा सके, अदालतों में न्याय

अधिक मँहगा और संदिग्ध न हो, पूंजीपति मजूरो का रक्त चूसकर मोटे न हो सके, जमीदार अपने असामियों पर मनमानी न कर सके, राज कर्मचारी रिश्वत का बाजार न गर्म कर सके, तरह-तरह के नये व्यवसाय खोले जाँय। हम अधिकार चाहते हैं— राष्ट्र-सेवा के लिए। अगर हमारे सामने यह आदर्श है, तो आपस में समझौता होने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। अधिकार जहाँ सेवा की जगह हुकूमत और भोग का रूप धारण कर लेता है, वही अविश्वास और भ्रम उत्पन्न होता है।

हमें यह न भूलना चाहिए कि यह बीसवीं सदी है। साम्प्रदायिकता बहुत थोड़े दिनों की मेहमान है। भारत के सिवा कदाचित् संसार में उसे और कही शरण नहीं मिल सकती, इसीलिए वह निराशाजनित शक्ति के साथ इस आधार को पकड़े हुए है। आनेवाला युग आर्थिक सन्नाह का युग होगा। हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, इसे कोई पूछेगा भी नहीं। पूछ उन्ही की होगी, जिनमें चरित्र है, साहस है, सेवा-भाव है, अध्यवसाय है। इस धँसती हुई जीर्ण दीवार को हम थनियो से नहीं बचा सकते। उसके दिन पूरे हो चुके। साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को हमें इच्छा के बल से दबाना पड़ेगा। धन्य है वह आत्माएँ, जो समय के अनुकूल चलती हैं। पंडित मदनमोहन मालवीय के नाम से मुसलमान का बच्चा-बच्चा जलता था। मौ० शौकतअली हिन्दू-मात्र के जानी दुश्मन समझे जाते थे, लेकिन आज मालवीय जी हिन्दू मुसलिम एकता के उपासक हैं और मौलाना साहब इत्तहाद के अलमबरदार। क्या हम हवा का रुख भी नहीं देख सकते? स्व० सर अलीइमाम मुसलिम लीग के जन्म-दाताओं में थे, जिसने पहले-पहल पृथक्ता का बीज बोया। उन्हीं सर अलीइमाम ने राष्ट्रीय मुसलिम सम्मेलन की सदरत की और सयुक्त निर्वाचन का समर्थन किया। मालवीय जी हिन्दू-सभा के जन्मदाता हैं। यही वह सस्था है, जिससे मुसलमान आतंकित हैं, पर आज वही मालवीय जी इस एकता-सम्मेलन की आत्मा हैं। केवल इसलिए कि इन महानुभावों ने समय की गति को पहचाना और अन्त में अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति पर विजय पायी।

हमारा हमेशा से यह खयाल रहा है, कि एकता के विषय में पहले हिन्दुओं को हाथ बढ़ाना होगा। वह सस्था में, धन में, शिक्षा में, मुसलमानों से बड़े हुए हैं। मुसलमान अल्प संख्यक हैं। उन्हें हिन्दुओं से आशंकित होने के लिए आधार हो सकते हैं। उन्हें यह सुबहा हो सकता है, कि हिन्दू संगठित होकर उनको हानि पहुँचा सकते हैं। हिन्दुओं के लिए ऐसी शंका करने का कोई कारण नहीं है। यदि इस दिशा में भी उन्हें मुसलमानों से दबाये जाने की शंका है, तो यह उनकी बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस भय को दिल से निकाल डालना होगा। यह समझना अन्याय है, कि कर्तव्य, नीति और विचार पर हिन्दुओं ही का ठीका है और जिन प्रान्तों में हिन्दू कम हैं, वहाँ मुसलमान उन पर जुल्म करेंगे। सीमा प्रान्त में मुसलमानों ने जिस राष्ट्रीय आदर्श का परिचय दिया है, वह ऐसी शंकाओं को शान्त करने के लिए काफी है। अभी हाल में सीमाप्रान्त

को व्यवस्थापक सभा ने, जिसमें अधिकांश साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मुसलमान ही हैं, यह निश्चय किया है, कि राजपद के लिए योग्यता ही एक शर्त है, हिन्दू और मुसलमान की कोई कौद नहीं।

मुसलमान भाइयों से हमारा यही निवेदन है, कि आप तेरह-चौदह शतों के गुलाम न बनिये। सिंध प्रान्त को अलग करने की माँग न तो दूरदर्शिता है, न ही न्याय। बेशक अलग हो जाने पर वहाँ आपका बहुमत हो जायगा, लेकिन इसके लिए आपको कितना भारी मूल्य देना पड़ेगा। केवल साम्प्रदायिक भावुकता को प्रसन्न करने के लिए आप प्रान्त पर डेढ़ करोड़ का बोझ लाद रहे हैं। आप उस प्रान्त में से इतना धन केवल टैक्स लगाकर ही निकाल सकते हैं और टैक्स का भार अधिकतर मुसलमानों ही पर पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। फिर नये प्रान्त में आपको वह अधिकार अभी न मिल सकेंगे जिन्हें बंबई प्रान्त के साथ रहकर आप भोग रहे हैं। घनाभाव के कारण शासन का खर्च भी पूरा न कर सकेंगे, तो उन विभागों के लिए धन कहीं से आयेगा, जिन पर जनता की सुख-शान्ति का दारमदार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहयोगिता, कृषि-सुधार, आदि विभाग मर मिटेंगे। पंजाब और बंगाल की समस्या को हल करने का एक-मात्र यही उपाय है, कि अन्य प्रान्तों में आप Weightage से दस्तबर्दार हो जायें। यदि आप उन प्रान्तों में, जहाँ आपकी सख्या कम है, Weightage लेंगे, तो आपको उसी नीति से पंजाब और बंगाल में अल्पसंख्यक जातियों को जायद निर्वाचनाधिकार देने पड़ेंगे। आप उससे किसी दलील से नहीं बच सकते। बेटेज को छोड़ने से आपकी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। अल्पमत थोड़ी सख्या से हो, या कुछ बड़ी सख्या से हो, अल्पमत ही रहता है। हाँ, उससे पंजाब और बंगाल की समस्या हल हो जायगी। वहाँ की अल्पसंख्यक जातियाँ फिर जायद निर्वाचन माँगने का साहस न कर सकेंगी।

हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि वह हमें सन्मार्ग दिखाये और हम साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर हो सकें।

७ नवम्बर १९३२

एकता-सम्मेलन

यद्यपि मौलाना शौकतअली और कई अन्य नेता प्रयाग से चले गये हैं, पर एकता सम्मेलन बराबर जारी है। बंगाल, पंजाब और सिंध यह तीन समस्याएँ लोहे के चने थीं। बंगाल की समस्या तो करीब-करीब हल हो चुकी है, केवल पंजाब और सिंध

की समस्याओं का हल होना बाकी है। एक दिन पहले ऐसा भय होता था कि सिंध की चट्टान पर सम्मेलन की नाव टकराकर टूट जायगी, पर सिंध के हिन्दुओं ने इस अवसर पर जिस दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है, वह प्रशंसातीत है। हिन्दू नेताओं ने सिन्ध का अलग होना स्वीकार कर लिया है, अगर सम्मिलित निर्वाचन मुसलमानों-द्वारा स्वीकृत हो जाय और हिन्दुओं के लिए वही रिआयते दे दी जाय, जो मुसलमानों को हिन्दू प्रधान सूबों में प्राप्त है। सिन्ध अपना खर्च आप नहीं निकाल सकता। इसका हल यों किया गया है, कि सरकार से सहायता लेकर इस कमी को पूरा किया जाय। सालाना कमी अस्सी लाख की होगी। जब सरकार पचास करोड़ के लगभग सेना पर खर्च करती है, तो उसे सिन्ध के लिए अस्सी लाख की सहायता देने में ऐसी कोई बड़ी अड़चन न पड़ेगी। अब केवल पंजाब का मामला शेष है। हम आशा करते हैं, इस विषय में भी इसी दूरदर्शिता से काम लिया जायगा।

१४ नवम्बर १९३२

कराची महिला सम्मेलन : लेडी अब्दुलकादिर का भाषण

यह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, कि साम्प्रदायिकता की हवा ने हमारी महिलाओं पर बहुत कम असर किया है। प्रयागस्थ एकता-सम्मेलन के नेताओं की कई महिला-संस्थाओं ने साम्प्रदायिकता को मिटा देने का आदेश दिया था। उसी तरह के भाव कराची-महिला सम्मेलन में लेडी अब्दुलकादिर ने प्रकट किये हैं। आप बुढ़ो से तो इतनी उदारता की आशा नहीं रखती, इनके लिए अब किसी नयी बात को सीखना उतना ही कठिन है, जितना किसी पुरानी बात को भुलाना, लेकिन आनेवाली सन्तान को इस छूत से बचाना होगा, अतएव आपने अपनी बहनो को सलाह दी है, कि अपने बच्चों में राष्ट्रीय भावनाओं ही का संचार करे और किसी तरह के भेद-भाव उनमें न पैदा होने दे। हमें आशा है, हमारे माताएँ और बहने इस आदेश को उसके सच्चे अर्थ में ग्रहण करेगी और उनके द्वारा सच्चे भारतीय राष्ट्र का जन्म होगा।

१४ नवम्बर १९३२

सिंध का समझौता

प्रयाग के एकता-सम्मेलन के विषय में आशा और निराशा बँधती तथा नष्ट

होती रहती है। एक ओर सम्मेलन हो रहा है, महामना परिणत मदनमोहन मालवीय, मौलाना अबुलकलाम आजाद, शेख अब्दुलमजीद तथा श्री विजयराघवाचारियर रोज पन्द्रह बौस घण्टे तक लगातार परिश्रम कर समझौते का मस्विदा तैयार करना चाहते हैं। दूसरी ओर कलकत्ते मे मि० चैटर्जी तथा दिल्ली से एसेम्बली के सदस्य मि० वी० दास सम्मेलन सम्बन्धी अपनी असामयिक घोषणाओं से तथा सर मुहम्मद इकबाल और मि० गजनवी ऐसे “साम्प्रदायिकता की दीवाल पर चढकर ऊँचे उठनेवाले” राजनीतिज्ञों की प्रार्थनाओं से उसकी विफलता की भी गुंजाइश दीखती है, किन्तु भारत की राजनैतिक परिस्थिति इस समय इतनी डॉवाडोल है, तथा उसके सामने समस्याओं की इतनी भरमार है, कि यदि वह इसी प्रकार सम्मेलन करता और असफल होता जावेगा, तो उसका सर्वनाश विशेष दूर नहीं है। एसेम्बली मे मि० दास की सेवाओं की सराहना करते हुए भी, हम अपने सामने के सबसे ताजे पत्रों मे, सम्मेलन के प्रति उनको निन्दात्मक तथा इलाहाबाद के बाद पुन दिल्ली मे . . . करने की सलाह की भर्त्सना किये बिना नहीं रह सकते। यह तो किसी बात को न होने देने का उपाय है। सम्मेलनो मे प्रत्येक दल अपने स्वार्थ को उग्रतम रूप मे पेश करता है, जितनी माँगें पेश की जाती हैं, उनका अर्थांश भी तो नहीं मिलता। फिर, माँग पेश करते ही नाउम्मेद हो जाना, निरी जल्दबाजी है। एकता-सम्मेलन की जो थोड़ी बहुत रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं तथा हमे स्वयं इस विषय मे जो निजी बाते ज्ञात हैं, उनसे यह स्पष्ट है, कि हिन्दुओं ने अपनी ओर से और मुसलमानो ने भी अपनी ओर से अधिक से अधिक खीचातानी करने मे कोई कोरकसर बाकी नहीं रखी, किन्तु इसके लिए किसी की निन्दा करना तब सम्भव था, जब किसी की जिद्द से समझौते की दीवाल चकनाचूर हो जाती, पर अभी तक के समाचारों से यह प्रकट है, कि उभयपक्ष ने अधिक से अधिक सहूलियत से काम लिया है और इसी प्रकार की प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप अन्त मे सिन्ध के प्रश्न पर काम-चलाऊ समझौता हो ही गया, इसलिए, समूचा राष्ट्र इन निस्पृह तथा असीम साहस से परामर्श करनेवाले सम्मेलन-सदस्यों के प्रति कृतज्ञता से विनयावनत है, बधाई देता है।

सिन्ध का समझौता काम चलाऊ है, यह लिखते भी हमको सकोच नहीं होता। समझौता करनेवालो ने ही इसे दस वर्ष के लिए प्रयोगात्मक बनाया है तथा आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए, निर्वाचन आदि के विषय मे विचार करने के लिए, इस माह के अन्त मे सिन्ध मे ही सम्मेलन कर, निर्यात करने का निश्चय किया गया है, किन्तु इस द्वितीय सम्मेलन मे कोई ऐसा प्रश्न विचारार्थ नहीं रखा गया है, जिससे समझौते की मूल बातों पर आघात हो सके। किस प्रकार से खर्च की कमी पूरी की जाय, यह कार्यक्रम तथा योजना बनाने की बात है, पर यह तय कर लेना कि निर्वाचन सयुक्त होगा, निर्वाचकों की योग्यता दोनो धर्मवालो के लिए समान होगी, मन्त्रि-मंडल मे कम से कम एक हिन्दू रहेगा, धर्म, तथा समाज की एकता तथा समानता, पहले ही स्वीकार

कर ली जावेगी, कौन्सिल में सैतीस प्रतिशत हिन्दू मेम्बर होंगे, एक तिहाई सरकारी नौकरियाँ हिन्दुओं के लिए सुरक्षित रहेगी तथा साठ प्रतिशत नौकरियों पर नियुक्त प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं द्वारा होगी, बहुत बड़ी बात है। यहाँ समूची योजना देने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बातें बतला देने से पाठकों को यह स्पष्टतया मालूम हो जायेगा कि हिन्दू-हितो को रक्षा के लिए इतनी गुंजाइश काफी है। बहुत-सी बातें केवल कोरे कागज से ही, समझौता करने से तय नहीं हो सकती। यदि अविश्वास का भूत ही मँडराता रहा, तो हरेक को एक-दूसरे के काम में खराबी और नीयत में शुबहा मालूम होगा, पर जब दो समुदाय एक साथ ही एक देश के सुखदुःख के जिम्मेदार होंगे, जब दोनों का हित उस प्रान्त की समृद्धि तथा प्रगति के साथ जुड़ा रहेगा, तब पारस्परिक विरोध उतना कभी नहीं रह सकता और इस समय सिन्ध के समझौते में जो अधूरापन मालूम होता है, वह क्रियात्मक रूप में शासन-विधान को काम में लाने से दूर हो जावेगा।

यह अच्छा होता—शायद सरल होता—यदि हमारे पारस्परिक समझौते को प्रशस्त बनाने के लिए सरकार यह ऐलान कर देती कि वह केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी देगी, या कहाँ तक देगी, हमें अधिकार कहाँ तक या किस सीमा तक मिलेगा—यह न मालूम रहने के कारण ही आज इतनी गड़बड़ मची हुई है। एक प्रकार से हम अन्धकार में ही पैतरे बदल रहे हैं। इसीलिए, द्वितीय गोलमेज के अवसर पर महात्मा जी ने साफ कहा था कि यदि सरकार हमारा हित चाहती है, तो पहले बतला दे कि वह कहाँ तक हमें अधिकार देगी, पर सरकार की ओर से केवल बुझावली बुझायी जा रही है। सिन्ध का मसला अभी तक एकता-सम्मेलन में इसीलिए नहीं तय हो रहा था कि सिन्धी हिन्दू चाहते थे—हमें तभी बम्बई से पृथक् किया जावे, जब केन्द्रीय सरकार में जिम्मेदार शासन मिल जावे। मुसलमान किसी प्रकार की शर्त नहीं चाहते थे।

किन्तु, ईश्वर की कृपा से यह बाधा दूर हो गयी और समझौता हो गया। अब, आशा है कि पंजाब तथा बंगाल का भी प्रश्न हल हो जावेगा। इसी के साथ ही, क्या सम्मेलन उड़ीसा की समस्या को भी निपटा देगा? यह प्रायः पूर्णतः न्याय सगत है कि जब बम्बई से सिन्ध को अलग किया जा रहा है, तो बिहार से उड़ीसा को भी पृथक् कर एक प्रान्त बना दिया जावे तथा उसको भी अलग कौंसिल प्राप्त हो जावे। सिन्ध के शासन में खर्च की जितनी कमी है, उतनी उड़ीसा के लिए नहीं। उड़ीसा की जनसंख्या बहुत समय से अपने पृथक्त्व की चेष्टा कर रही है तथा अभी तक बिहार के साथ रहने से उसकी उन्नति में जो बाधा पहुँची है, वह इसी प्रकार दूर हो सकती है।

आशा है, हमारा अगला अंक प्रकाशित होने तक एकता-सम्मेलन पूर्णतः सफल होगा।

२१ नवम्बर १९३२

एकता के विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का शोर-गुल

यह तो मालूम ही था कि एकता-सम्मेलन के निर्णय को, भेद-भाव के आश्रय में पलनेवाले लोग पसन्द न करेंगे। उधर तो एकता-सम्मेलन हो रहा था, इधर टोडियो में दौड़-धूप मची हुई थी कि किस तरह जल्द से जल्द उसका विरोध करके खुशनूदी का सेहरा सिर बाँध लिया जाय। लेकिन इस सबसे ज्यादा खेदजनक पृथकतावादी मुसलमानों का वह षड्यंत्र है, जिसे हमारे राष्ट्रीय मुसलिम सहयोगी “हकीकत” ने खोला है। सहयोगी लिखता है—

“मालूम हुआ है कि प्रयाग-एकता-सम्मेलन के बाद से दलबन्द मुसलमानों में गहरी साजिश हो रही है कि सम्मेलन के फैसलों के विरुद्ध मुसलमानों में आंदोलन शुरू किया जाय। इन्हीं महानुभावों की दौड़ धूप और प्रयास से मौलाना शौकतअली को महात्मा जी से दरबदा जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इस काम के लिए तीन चार मुसलिम समाचार-पत्रों को मिला लिया गया है। मुसलमानों को इस साजिश से होशियार रहना चाहिए। ये लोग न मुल्क के दोस्त हैं, न अपनी कौम के। केवल स्वार्थ के बन्दे हैं, चाहे राष्ट्र सम्मान को कितना ही बड़ा आघात पहुँच जाय।”

इसके बाद की खबर है कि मुसलिम लीग और मुसलिम कान्फ्रेंस तथा जमैयतुल उलमा कानपुर के पचास सभासदों ने दिल्ली में जमा होकर प्रयाग के निर्णय का विरोध किया और शेख अब्दुल मजीद तथा अन्य राष्ट्रीय मुसलमानों ने इस सभा में सम्मिलित होना उचित न समझा, क्योंकि यहाँ लोग पहले से प्रयाग का विरोध करने का फैसला कर चुके थे। प्रयाग में हिन्दुओं को यह शिकायत है कि मुसलमानों के साथ तरफदारी की गयी, और वहाँ मुसलमानों का दूसरा दल कह रहा है कि उसकी माँगे पूरी ही नहीं हुईं। देखें लखनऊ के मुसलिम सर्व दल सम्मेलन में क्या फैसला होता है। एकता के शत्रु तुले बैठे हुए हैं कि एकता का अन्त कर दिया जाय। देखना यह है कि मुसलिम जनता क्या कहती है। खेद यही है कि ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना शौकत अली नहीं हैं।

२८ नवम्बर १९३२

एकता

एकता बड़ा मधुर शब्द है। इसके प्रत्येक अक्षर में वह जादू है, जो कवि की कल्पना अथवा अन्वेषक की बुद्धि से परे है। एकता अथवा एकरूपता में कोई अन्तर नहीं है। यह समूची सृष्टि उस परमात्मा की इच्छा के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसने कल्पना की कि वह अनेक हो जावे और उसी कल्पना के विकार से यह माया-जाल

बना, पर सृष्टि की प्रत्येक रचना में, परमात्मा के साथ साम्य तथा सद्गुणता का अन्तर्निहित आभास रहता है। प्राणी विवेक की शरण लेकर अविवेक से निरन्तर युद्ध करता रहता है। सबके साथ अपनी सत्ता को मिलाने की चेष्टा उसी एक विश्वात्मा में सम्मिलित कर लिये जाने का प्रयास है, जिससे विलग हो जाने से यह भेद-भाव प्राप्त आया था।

पृथ्वी की धूल से उत्पन्न गर्द हवा से ऊपर उड़ जाती है, पर वह चेष्टा नीचे ही गिरने की करती है। बीज से उत्पन्न फल पुनः पृथ्वी पर गिरकर बीज रूप हो जाना चाहता है। समुद्र से प्राप्त वर्षा जल से प्रवाहित सरिता पुनः समुद्र के साथ साकार होना चाहती है। सिंह तथा सिंहनी की सन्तान भी, कुछ समय तक अपने भोज्य जीवों के साथ खेलकर उनके साथ अपने साम्य का सुख लूटकर उन्हें खा जाते हैं। पेट तो भरना ही होगा, चाहे वह अपने सम्बन्धी को ही खाकर क्यों न भरे।

तब मनुष्य की एकता के प्रति अनुरक्ति के लिए क्या कहा जावे। आज जो लड़ रहा है, जो झगड़ रहा है, जो ग्रापस में एक टुकड़े के लिए कपट-जाल कर दूसरे के सत्यानाश पर तुला हुआ है, वह भी अपनी इस तृप्ति से सुखी नहीं है। लड़ना किससे और क्यों, झगड़ा किससे और क्यों? जब सब एक है, जब सब एक दूसरे के सुख-दुख के जिम्मेदार है, जब एक के पैर में काँटा चुभने से दूसरे के जी में कसक पैदा हो जाती है, जब एक की वेदना दूसरे के सुख के स्वर को भग कर सकती है, तब विरोध किसका? जो बाल-बच्चेवाला है, वह दूसरे के बच्चे के दुःख को कैसे नहीं समझेगा? जिसके घर-द्वार है वह दूसरे के घर को फँक कर कब तक सुखी हो सकेगा? असल में जो दुःख है वह हमारी नियत में नहीं, हमारे अविवेक में है। हमको किसी ने बहका रखा है, कि दूसरे का अपहरण तुम्हारा सुख है, दूसरे का अभाव तुम्हारी विजय। पर इस प्रकार उभंगे के दास हो जाने से, कितने दिन, किस प्रकार हम अपना कल्याण कर सकते हैं? असल में हम शान्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, पर जब हमारे स्वार्थ को जरा भी ठेस लगती है, जब हमारे हित को जरा भी आँच लगती है, हम व्याकुल हो उठते हैं और लड़ने लगते हैं, पर यह युग इस प्रकार लड़ने से हमें सर्व सुखी नहीं कर सकता। योरोप तथा अमेरिकावालों के पास अपना झगड़ा इतना-नहीं है। एक प्रकार से वह परम सुखी है, पर भरे पेट में शरारत सूझती है और अब वे पराये के झगड़े को अपना बनाकर रात-दिन का कलह पैदा कर लेते हैं, इसलिए एकता का प्रश्न एक दैवी प्रश्न है और जिसे सुख की चाह हो, यदि वह सर्वस्व प्राप्त करके एकता प्राप्त करने की लालसा करेगा, तो वह उसे कभी प्राप्त न होगी। दैवी वस्तुओं में दैवी वृत्ति चाहिए। यदि हिन्दू मुसलमान से एकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि न तो वह मुसलमान से जो चाहता है वह पूरा पा सकता है और न मुसलमान जितने की आशा करता था, वह कभी पूरी होगी।

यदि हम भारतीय वास्तव में एकता के प्रेमी हैं, तो हमको इस महान् सत्य को ध्यान में रखना होगा। प्रयाग में एकता-सम्मेलन हो गया। मालवीय जी ने अपने जीवन की बाजी लगाकर इसे सफल बना दिया। जिस प्रकार नेहरू-रिपोर्ट पंडित मोती लाल नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, उसी प्रकार प्रयाग का एकता सम्मेलन मालवीय जी के जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इस सम्मेलन में क्या बातें तय हो गयीं, उन्हें दुहराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ, सो हुआ, जहाँ तक हो गया, इस समय की अवस्था को देखते हुए काफी और अच्छा है। शिकायत की गुंजाइश है, और दोनों तरफ से है, पर यदि एकता करनी है, तो वह "दे-ले" कर ही हो सकती है। वह बड़ी मंहगी चीज है, तपस्या से प्राप्त होती है। तपस्या के लिए त्याग चाहिए। इसीलिए प्रयाग की इस सफलता को त्याग की ही सफलता समझनी चाहिए। ऐसे अवसर पर हिन्दू तथा मुसलमानों की ओर से, स्वयं डा० मुंजे ऐसे बड़े नेताओं द्वारा भी, प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध प्रचार देखकर हमें बड़ा खेद और आश्चर्य होता है। यदि उन्हें एकता करनी नहीं है, तो और ही बात है। यदि करनी है, तो इसका क्या तात्पर्य कि एक महान् कार्य के महान् प्रसाद को चूर्ण-विचूर्ण किया जावे।

अभी, गोलमेज का ताजा समाचार है कि मुसलिम प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया है कि वे हिज हाइनेस सर आगाख़ाँ की अधीनता में मिलकर, एक साथ और एक सम्मति से कार्य करेंगे। तीसरी गोलमेज में सरकार ने चुन-चुनकर एकता-विरोधी मुसलिम प्रतिनिधि बुलाये हैं। भारत से रवाना होने के पहले ये प्रतिनिधि खुले शब्दों में प्रयाग-सम्मेलन की दिल्लगी उडाकर गये हैं। अब जब वे यह देखेंगे कि यहाँ एकता सचमुच हो गयी, तो उनकी आत्मा को कितनी ठेस लगेगी, पर जब वे यह देखेंगे कि उस एकता के समर्थक केवल वही हैं, जो प्रयाग में उस समय मौजूद थे, तो उनको कितना आनन्द प्राप्त होगा? हिन्दू महासभा की बैठक के समय हमने देखा था कि उसके सभापति श्री केलकर केवल डा० मुंजे के राग में राग मिला कर अपने व्यक्तित्व को कुछ भी कष्ट न देते थे। वही मि० केलकर इस समय लन्दन में गोलमेजियों में है। यदि डा० मुंजे की आवाज उनके कानों तक पहुँच गयी और उन्होंने अपना मत प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध दे दिया, तब एक ओर होंगे उनके खिलाफ श्री केलकर, दूसरी ओर होंगे सर मुहम्मद इकबाल। तब तो खूब प्रयाग का निर्णय कार्यान्वित होगा।

यदि सरकार वास्तव में भारत का हित चाहती है, तो उसे तुरंत प्रयाग के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस प्रकार उसने पूना-पैक्ट को मान लिया था। उस समय पूनापैक्ट के विरोधी भी थे, पर उसने उनकी परवाह न की थी। इसी प्रकार इस समय भी उसकी नेकनीयती की परीक्षा है, यदि वह परीक्षा में पास हो गयी तो उसने आगामी पचास वर्षों के लिए भारतीय वैभव पर पुन अधिकार दृढ़ करने का रास्ता पार कर लिया।

हमें तो सबसे पहले अपने भाइयों से विनय करना है। इस समय प्रयाग में जो हो गया, वही गनीमत है। एकता के मनोरम-स्वरूप को देखने के लिए आइये, हम लोग प्रयाग से प्राप्त देवी "एकता" के चरणों में सिर झुकाये।

२८ नवम्बर १९३२

समझौता या हार

प्रयाग के एकता-सम्मेलन में जो कुछ तय हुआ है उस पर हम में से बहुतों में मतभेद है। मुसलमानों में कुछ सस्थाएँ उसे मुसलमानों की हार बतलाती हैं। उसी तरह हिन्दुओं में जो लोग साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मनुष्य हैं वह इसे हिन्दुओं की शिकस्त कहते हैं। और दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक ही कहते हैं। समझौता वास्तव में हार है, मगर वह हार जिसमें दोनों तरफ की हार होती है। और दोनों तरफ की हार को हम दोनों तरफ की जीत कहे तो किसी का कोई नुकसान नहीं। हार सापेक्षिक है। जहाँ जीत का आनन्द नहीं वहाँ हार का दुःख कहाँ ?

एकता सम्मेलन के प्रतिनिधि खूब समझते थे कि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें उनका कार्यक्रम सतुष्ट न कर सकेगा। यह जानते हुए उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन साम्प्रदायिकता पर विजय पाने का उनके पास समझौते के सिवा और क्या साधन था ? जो लोग इस समझौते से असतुष्ट हैं, वे भी तो इस गुत्थी के सुलझने की दूसरी विधि नहीं बता सकते। सम्मेलन में ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के नाम पर बड़े-बड़े बलिदान किये हैं, बड़े-बड़े कष्ट भेले हैं, बल्कि यो कहना चाहिए कि अपने आप को मिटा दिया है। उन पर आप चाहे जो इल्जाम लगाये, साम्प्रदायिकता या भेद भाव का इलजाम नहीं लगा सकते। ऐसे लोग जब सम्मेलन में एक निश्चय कर चुके तो आराम कुरसीवाले राजनीतिज्ञों का उन पर आक्षेप करना जले पर नमक छिड़कना है।

भेदभाव राष्ट्र के लिए अहितकर है। यह हम भी उतना ही समझते हैं जितना ये आलोचक। अगर हम इस भेदभाव को जड़ से मिटा सकते तो कहना ही क्या था। लेकिन जब अपनी पूरी शक्ति लगाकर देख लिया कि इस दुश्मन को हम उखाड़ नहीं सकते तो हमारे पास इसके सिवा और क्या साधन था कि इससे समझौता किया जाय।

बहुत दिनों का जीर्ण रोगी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है। अगर वह आशा करे कि कोई धनवतरी आकर छू मंतर से उसे एक क्षण या एक दिन में चंगा कर देगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जायगा तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रोगी के जीवन

की घड़ियाँ गिनी हुई है। अगर उसे स्वास्थ्य लाभ करना है तो उसे एक-एक खुराक दवा खानी पड़ेगी, पूरे पथ्य से रहना पड़ेगा। तब कही महीनो में जाकर वह इस काबिल होगा कि चल फिर सके। एकता सम्मेलन का समझौता वही दवा है। वही आपदधर्म है। इसे किसी और रूप में देखना हमारा भ्रम है।

चिकित्सा के दो भेद हैं, एक इलाज बिल-मिस्ल, दूसरा इलाज बिलजिद। गर्मी को गर्म हवाओं से जीतना पहली रीति है। गर्मी को ठंडी दवाओं से जीतना दूसरी रीति है। एकता सम्मेलन का समझौता वही इलाज बिल-मिस्ल है। प्रचंड साम्प्रदायिकता को उसने हलकी साम्प्रदायिकता से जीतने की चेष्टा की है। अब तक हमने इलाज बिल-जिद का व्यवहार किया था। उसमें हमें सफलता नहीं हुई।

हम यह नहीं कहते कि इस उपचार से लाभ ही होगा। कोई धनवतरी निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि अमुक दवा से जरूर फायदा होगा। हमें इस औषधि के पथ्यापथ्य का विचार करके सेवन करना चाहिए। अगर इससे फायदा हुआ तो वाह-वाह नहीं दस या पाँच साल के बाद हमें पूरा अधिकार होगा कि किसी दूसरी चिकित्सा की परीक्षा करे।

सम्मिलित निर्वाचन स्वयं एक चीज है जिससे बहुत कुछ मनोमालिन्य और गलतफहमियाँ दूर हो जायेंगी। इस निर्वाचन में वही सज्जन उत्तीर्ण होंगे जो हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों ही के विश्वासपात्र होंगे। हिन्दू किसी ऐसे मुसलमान को वोट न देगा जिस पर उसे विश्वास न हो। इसी तरह सयुक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जब दोनों सम्प्रदायों के आदमी एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जायेंगे तो सयुक्त निर्वाचन का व्यवहार होने लगेगा।

हम मानते हैं सिंध और सरहद के हिन्दू अल्पमत में हैं। तो क्या मद्रास और सी ० पी ० और सयुक्त प्रदेश के मुसलमान अल्प संख्या में नहीं हैं? आप मुसलमानों को जो सरचक्षण हिन्दू प्रधान प्रान्तों में दे रहे हैं, यदि वही सरचक्षण आप को मुसलिम प्रधान प्रान्तों में मिल रहा है तो हम नहीं समझते इसमें हाय-हाय करने की क्या बात है।

फिर, क्या साम्प्रदायिकता उसी को कहते हैं जो धर्म और आचार पर आधारित हो। वह भी तो साम्प्रदायिकता ही है जो राजनैतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगर हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या सोशलिस्ट और डिमाक्रेट एक दूसरे की पूजा करते हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ भी उतनी भयंकर, उतनी ही रक्तमय होती हैं। बल्कि उससे कुछ ज्यादा। यह विभिन्नता तो किसी न किसी रूप में उस समय तक रहेगी जब तक एक नये युग का उदय न होगा, जब सब एक दूसरे को भाई समझे, स्वार्थ और भेद का अन्त हो जायगा। वह समय निकट भविष्य में आता नजर नहीं आता। अभी तो आपके सामने कढाव से निकल कर चूल्हे में ही गिरने की सभावना है। वर्तमान साम्प्रदायिकता के बाद उस साम्प्रदायिकता का युग आनेवाला है जो राजनीति

प्रधान होगी, जब श्रम और पूजा का भीषण संग्राम छिड़ेगा। इस साम्प्रदायिकता में तो कुछ सहिष्णुता है। वह साम्प्रदायिकता तो साम्हािक स्वार्थ की उपज होगी और यह मानना पड़ेगा कि स्वार्थ धर्म से कम घातक नहीं है।

यह सारी लडाईं मुट्टी भर शिचित्त आदमियों की है जो ओहदे और मेम्बरियों के लिए एक दूसरे को नोच रहे हैं। इस समुदाय से अलग जो राष्ट्र है वहाँ न कोई हिन्दू है न मुसलमान। वहाँ सब किसान हैं, या मजदूर जो एक-से दरिद्र, एक-से पिसे हुए, एक-से दलित हैं। आर्ती और नमाज, हिन्दी और उर्दू की समस्याएँ वहाँ हैं ही नहीं। अगर दो चार हिन्दू या मुसलमान ओहदेदार कम या ज्यादा हो गये तो इससे राष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई राजपद्धति साम्प्रदायिक हितों के सामने चल कर इस बीसवीं सदी में सफल नहीं हो सकती। यह शक्य करना हिमाकत है कि जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत होगा वहाँ बड़े जोर शोर से गऊ हत्या होने लगेगी, या मन्दिर तोड़ दिये जायेंगे, या हिन्दुओं की चोटी रखने की मुमानियत कर दी जायगी, या उनके जनेऊ तोड़ डाले जायेंगे। या हिन्दू किसानों से ज्यादा लगान लिया जायगा, मुसलिम किसानों से कम, या हिन्दू मजूरों को कम मजूरी दी जायगी, मुसलिम मजूरों को ज्यादा, या हिन्दुओं के लिए शिक्षा का द्वार बन्द कर दिया जायगा। न यही होगा कि मुसलमानों को अस्पताल में दवा मिले, और हिन्दुओं को दुत्कार दिया जाय। आज भी हम देखते हैं कि हिन्दुओं के नौकर मुसलमान हैं, मुसलमानों के नौकर हिन्दू हैं। सिक्खों के राज में भी बड़े-बड़े ओहदों पर मुसलमान थे, मुसलमानों के राज में बड़े-बड़े ओहदों पर अक्सर हिन्दू। इसलिए जो सज्जन एकता सम्मेलन को हिन्दुओं की पूरी हार कहते हैं, इसे Abrect Surrender कह कर निन्दनीय बताते हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपके पास एकता का सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों से कोई बेहतर प्रस्ताव हो तो उसे पेश कीजिए। और अगर नहीं है तो चुपके से बैठिये। जो काम आप से नहीं हो सकता उसे जब दूसरे अपने ढंग पर करते हैं तो उन्हें बदनाम न कीजिए, व्यर्थ की फिलासोफी न बघारिये। इसे सब स्वीकार करते हैं कि साम्प्रदायिकता को मिटाना है। इसकी युक्ति सोचिए। अब तक राष्ट्र के सामने एकता के जितने प्रस्ताव आये, उनमें सबसे ज्यादा जनमत इसी समझौते को मिला है, और हम अपनी पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करेंगे।

५ दिसम्बर १९३२

प्रयाग सम्मेलन

प्रयाग के एकता सम्मेलन में बगाल के प्रश्न ने बड़ी रुकावट डाल दी है।

सिन्ध, पंजाब और संयुक्त निर्वाचन आदि जटिल प्रश्न तो किसी तरह तय हुए, लेकिन बंगाल के हिन्दू अब ज्यादा दबना नहीं चाहते। बंगाल में मुसलमानों का बहुमत है। मुसलमान अपनी इक्यावन फीसदी जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल में अंग्रेजों और अर्धगोरो को उनकी जन संख्या से कहीं ज्यादा वोट दे दिये गये हैं। हिन्दू-मुसलमान समझौते में अंग्रेजों की जगह घटाकर मुसलमानों तथा हिन्दुओं की जगह बढ़ा दी गयी थी, पर अब ऐसा मालूम हुआ है कि अंग्रेज अपनी एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मुसलमानों की इक्यावन फीसदी पूरी करने के लिए बंगाल के हिन्दुओं को अपने हिस्से से दो जगह देने का प्रश्न उठा है। बंगाली हिन्दू भी अड़े हुए हैं, पर हमें आशा है कि वह एक जरा-सी बात के लिए एकता सम्मेलन का जीवन सकट में न डालेंगे और सम्मेलन के शत्रुओं को बगले बजाने का अवसर न देंगे। अल्पमतवालों के लिए चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, बहुमत पर विश्वास रखने और उनसे सहयोग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। इस सहयोग की नीति से, वह बहुमत पर उमसे कहीं ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, जितना वह अपनी संख्या में दो एक जगह बढ़ाकर कर सकते हैं।

दिसम्बर १९३२

मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन

मुसलिम सम्प्रदायवादियों को एकता से विरोध होना चाहिए था और हो रहा है पर अब मुसलिम जनता उनके पीछे नहीं चलना चाहती। दिल्ली के कुछ सरकारी वज्जीरो और खान बहादुरों और खान बहादुरी के उम्मेदवारों ने आपस में मिलकर चुपके से इस आशय का एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि उन्हें एकता सम्मेलन के फैसले अस्वीकार है पर उसी दिल्ली के उत्साही मुसलिम युवकों ने उस जलसे की कार्यवाही पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया है—

“प्रयाग एकता सम्मेलन का फैसला मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री के नादिरशाही फैसले से कहीं बढ़कर है। नामनिहाद मुसलिम काफ़ेस, मुरदा लीग ने जिसके साथ कानपुरी जर्मैयत का दुमछल्ला लगा हुआ है, मुसलमानों के नाम पर एकता का जो विरोध किया है और अपने एक जलसे में जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह किसी तरह भी मुसलमानों के लिए मान्य नहीं है। इन थोड़े से स्वार्थ सेवियों की यह नीति मुसलिम युवकों की दृष्टि में देश-द्रोह है।”

राष्ट्र की भावी आशा हमारे युवक ही हैं, और हमारे लिए परम सतोष की बात है, कि प्रायः हर एक अवसर पर मुसलिम युवकों ने साम्प्रदायिकता को उपेक्षा कर के राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। इस सद्भावना की जितनी प्रशंसा की जाय कम है।

पटना मे भी मौलाना शफी दाऊदी ने एक जलसे मे एकता सम्मेलन के विरोध मे मुसलिम जनता को सगठित करने की चेष्टा की, पर वहाँ भी उन्हे मुँह की खानी पडी और जलसे मे बहुमत से सम्मेलन के समर्थन का प्रस्ताव मजूर हो गया। हमे आशा है, अब एकता के विरोधियो को मालूम हो गया होगा, कि मुसलिम जनता उनके साथ नही है। मौलाना शौकतअली ही को वह अपना नेता समझती है और अब उसे इस रास्ते से नही हटाया जा सकता। उन्हे अब अपनी तकदीर ठोक लेनी चाहिए और जिस लीडरी का अब तक वे स्वप्न देख रहे है, उसके नाम को रो लेना अब मुनासिब है।

१२ दिसम्बर १९३२

मिर्जापुर का दंगा

आज के दो वर्ष पहले, मिर्जापुर जिले के रैया नामक ग्राम मे हिन्दू-मुसलिम दगा होने के समाचार मिले थे। कहा गया था कि मुसलमान जमींदार के एक बख्शवा मार देने के कारण बात बढी थी और दगा हो गया था। जो हो, पुलिस ने लगभग एक सौ आदमियो की चालान कर दी थी और दो वर्ष तक बनारस जिला जेल मे वे सडते रहे। दौरा जज मि० मेडले की इजलास मे मुकद्दमा होता रहा और एक अपराधी जेल के भीतर ही मर गया। बहुत से छोड दिये गये और सा० को फाँसी तथा तेइस को कालेपानी की सजा दी गयी। इन अभागो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो अपील की थी, उसका फैसला २३ जनवरी को सुना दिया गया। यह फैसला कई दृष्टियो से इतना महत्वपूर्ण है कि निस्सकोच यह कहना पडता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलो मे इसकी गणना होगी। विद्वान तथा आदरणीय न्यायाधीशो ने सभी अभियुक्तो को निरपराध कहकर छोड दिया और न्याय की जरा-सी भूल से जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर पहुँच चुके थे, वे बच गये। हाईकोर्ट के इस फैसले से हमको उसकी निष्पत्ता के प्रति श्रद्धा हो गयी है।

फैसले मे कई बाते विचारणीय है। आदरणीय न्यायाधीशो ने इस विषय मे तीन मुख्य बातो का पता लगाया है—१—सरकारी गवाहो ने शपथ लेकर झूठी गवाही दी है, अत वे दरोगहल्फी के अपराधी है। २—पुलिस ने मुकद्दमा बनाने की ही चेष्टा की, सत्य की तह मे पैठने, तथ्यातथ्य के जाँच की नही। ३—जिस न्यायाधीश ने सजा दी उसको उदारता पूर्वक मामले की जाँच करनी चाहिए थी क्योंकि दगो के मामले मे बहुत से निरपराध तथा निर्दोष भी अक्सर फँस जाया करते है। इन बातो के अतिरिक्त मुकद्दमे मे कई रोचक बातो की विचित्रता की ओर आदरणीय न्यायाधीशो ने ध्यान

आक्रुष्ट किया है। एक तो यह कि पुलिस ने जिन लोगों की चालान की तथा जिनके पास लाठियाँ—हथियार पाये गये, उनके मालिकों का, हथियार के असली मालिकों का पता नहीं लगाया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने जितने लोगों की शिनाख्त की तथा उनको दगे में भाग लेते देखा था उनकी संख्या नब्बे तक है। एक आदमी का नब्बे आदमियों को पहचानना—बलबे के समय—असंभव है। इसके अलावा यद्द फ़ैहरिस्त घटना के दो दिन बाद गवाहों ने दो थो।

तीसरी बात यह कि बलबे का जो नेता बतलाया जाता है वह “शुकुल” अभाग सत्तर वर्ष का एक ऐसा बूढ़ा है, जिसके विषय में सिविल सर्जन की रिपोर्ट बड़ी करुण है। अस्तु इस विषय में हम अपनी कोई सम्मति न देकर न्यायाधीश महोदयों द्वारा बतलायी गयी उन तीन बातों की ओर पाठकों का ध्यान आक्रुष्ट करना चाहते हैं, जिनको यदि हम कभी अपने आप कहते तो कानूनी-अडचन में पड़ जाते, पर अब उनका महत्व बहुत अधिक हो गया है और हमारा प्रान्तीय सरकार से तथा वाइसराय महोदय से और उनकी सरकार से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा शीघ्र ही उसी के आधार पर काम हो। न्यायाधीश महोदयों की सलाह है—

१—पुलिसवालों को चाहिए कि सिर्फ अपना मुकद्दमा बनाने के लिए ही प्रमाण इकट्ठा न किया करे, बल्कि सत्यासत्य की पूरी छानबीन किया करे।

२—सरकारी वकील को चाहिए कि उनके पास जितने प्रमाण हो, चाहे वे कथित अपराधी के हित के हों क्यों न हों, अदालत के सामने रखे, चाहे उनके रखने से अपराधी छूट भी जावे।

३—मुकद्दमा करनेवाले मैजिस्ट्रेट को अपराधियों के लिए भी चिन्ताशील होना चाहिए इत्यादि।

आशा है जिनके लिए यह सलाह दी गयी है, वे उसका आदर करेंगे और इस बात को न भूलेंगे कि पुलिस का काम किसी पक्ष को लेकर लड़ना नहीं है। पर उसे निष्पक्ष होकर तथ्यातथ्य का निर्णय करना चाहिए। सरकारी वकील भी शायद अपने को एक पक्ष का आदमी समझते हैं, और उनको चिन्ता होती है कि यदि अपराधी छूट जावेगा तो उनकी बदनामी होगी, नौकरी पर आ बनेगी। मुकद्दमा करनेवाले मैजिस्ट्रेट के लिए हम कुछ नहीं लिखना चाहते। पर यह अवश्य है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से अपना कर्तव्य जानकर, अब वे और भी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

आदरणीय न्यायाधीशों ने एक और विशेष बात बतलायी है। उनका कहना है, कि भारतीयों की “शपथ” के प्रति श्रद्धा उठती जा रही है और वे अदालत में झूठी शपथ लेते हैं और यहाँ तक तो कह ही देते हैं, कि “अरे सच बोली, क्या अदालत में हो।” अदालत इस विषय में अत्यधिक कार्य के कारण दरोग हल्की के पर्याप्त मुकद्दमे

भी नहीं चला पाती। इस समस्या का न्यायाधीश महोदय कोई ठीक निदान नहीं बतला सकते हैं, पर हम यह जानना चाहते हैं, कि इस प्रकार शपथ को भ्रष्ट करने का दोष क्या किसी तीसरे को नहीं है ? यदि दगे के मामले में बहुत से सरकारी गवाह इसके अपराधी थे तो पुलिस की इसमें कुछ जिम्मेदारी है या नहीं ? अदालत को छोड़ यदि इस मुद्दमे के अधिकारी इस ओर ध्यान दे तो कुछ विशेष लाभ हो।

३० जनवरी १९३३

पंजाब के हिन्दू मुसलमानों में समझौता

हमें समाचारों में यह खबर पढ़कर बड़ा हर्ष हुआ कि पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों में अब समझौते की सूरतें पैदा हो गयी हैं और संयुक्त निर्वाचन के आधार पर समझौते की शर्तें तय हो गयी हैं। हाँ, अभी हरेक जाति की जगहे उसकी जनसंख्या के अनुसार, स्वरचित्त रहेगी। हम तो जगहों का धार्मिक आधार पर स्वरचित्त किया जाना ठीक नहीं समझते। लेकिन जब हम देखते हैं कि अन्य राष्ट्रों में धर्म का विरोध न होने पर भी राजनैतिक दलबन्दियों में किसी तरह की कमी नहीं हुई और आपस में दगे होते रहते हैं, तो हम समझते हैं धर्म के आधार पर जगहों का स्वरचित्त हो जाना भी क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। सतोंष की बात है कि इस समझौते में सर फजले हुसेन का मुख्य हाथ है, इसलिए उसे मुसलमान बड़ी खुशी से मंजूर कर लेंगे। हम तो संयुक्त निर्वाचन का मजूर हो जाना ही शुभ समझते हैं।

८ मई १९३३

कानपुर-दंगा-रिपोर्ट

डा० भगवानदास आजकल वानप्रस्थ-जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपना समूचा जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन, वास्तविक भारतीयता के विकास तथा प्राचीन भारतीय पाण्डित्य का ज्ञान कराने में बिताया है। वे बड़े नर्म विचार के साधु हैं, किंतु भारतीय नौकरशाही की उच्छृङ्खलता के कारण वे कांग्रेस में शामिल हो गये और युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति भी रह चुके हैं। उन्होंने जेल यात्रा भी की है। इसी प्रकार पं० सुन्दरलाल उन ब्रह्मचारी तथा दृढव्रती पुरुषों में से हैं, जो केवल अध्ययन को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो अध्ययन करना ही अपने जीवन का

उद्देश्य समझते हैं , किन्तु जिन्होंने यह भी देख लिया कि दासता की दशा में अध्ययन भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो सकता । अतएव वे काँग्रेस के झण्डे के नीचे केवल दासता से 'वचने' के लिए चले आये ।

डा० भगवानदास कानपुर-दगा-समिति के सभापति तथा पं० सुन्दरलाल मन्त्री थे । इस समिति के विषय में समाचार-पत्रों में काफी लिखा जा चुका है । इसका उद्देश्य भी हमें मालूम है । और यह भी मालूम है कि इसकी छह सौ पन्ने की मोटी रिपोर्ट को युक्त-प्रान्तीय सरकार ने 'अनधिकारपूर्ण-समाचारपत्र' कहकर 'जब्त' कर लिया है । रिपोर्ट में वास्तव में क्या 'खुराफात' है, यह हम नहीं कह सकते । हमने रिपोर्ट का कुछ अंश कानपुर के 'प्रताप' तथा 'वर्तमान' में छपा देखा था । जिस समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री उपर्युक्त व्यक्ति हो, उस समिति की रिपोर्ट वास्तव में बहुत ही सूचनापूर्ण और 'ठण्डे मस्तिष्क' की उपज होगी, इसमें हमें सन्देह नहीं था , पर रिपोर्ट का प्रकाशित अंश देखकर हमारा यह दृढ विश्वास हो गया कि वास्तव में यह बड़ी सुन्दर चीज है, सरस है, सूचनापूर्ण है, उपदेश-प्रद है ।

पर, ऐसी अच्छी वस्तु को हम देख भी न सके और सरकार ने एक अजीब कानून का पुछल्ला लगाकर रिपोर्ट दबा दी । इस विषय में डा० भगवानदास की जो अपील हमारे प्रान्त के भारतीय गवर्नर तथा होम मेम्बर के नाम प्रकाशित हुई है, उसमें हम भी अपने को शामिल करते हैं और ब्रिटिश राज्य, भारत और हिन्दू-मुसलिम हित के नाते ही उनसे प्रार्थना करते हैं कि तुरन्त रिपोर्ट पर से बन्धन हटा ले, अन्यथा 'नौकरशाही की जडता' और भी प्रकट हो जायगी तथा यह प्रकट हो जायगा कि सरकार क्या चाहती है ?

१४ मई १९३३

पाकिस्तान की नयी उपज

डा० सर मुहम्मद इकबाल पच्छिम में मुसलिम राज्य का स्वप्न देख रहे हैं । अब उनके भी एक उस्ताद निकल आये हैं । वह 'पाकिस्तान' के नाम से एक मुसलिम साम्राज्य का स्वप्न देख रहे हैं । इस पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान आदि सम्मिलित होंगे और वह भारतवर्ष से बिलकुल पृथक् होगा । आविष्कारक महोदय का कथन है, कि इन प्रान्तों में तीन करोड़ मुसलमान आबाद हैं, जो हालैन्ड, स्पेन, बेलजियम आदि देशों से अधिक हैं । उधर ईरान, तुर्किस्तान, शाम, इराक, मिस्र, तुर्की मुसलिम रियासतें पहले ही से हैं । यह पाकिस्तान

सूबा उनके साथ मिल गया, तो एक महान मुसलिम साम्राज्य का उदय हो जायगा और इसलाम के इतिहास में जो बात पहले कभी न हुई थी, वह हो जायगी। बात तो बहुत अच्छी है, पर कुछ कारण ही तो हैं कि अभी तक तुर्की और ईरान में मेल नहीं हो सका। मेल का जिक्क ही क्या, अभी थोड़े दिन पहले वैमनस्य हो गया था। फिर अफगानिस्तान क्यों नहीं तुर्की से जा मिलता। और तुर्किस्तान को अफगानिस्तान से मिलने में कौन बाधक हो रहा है। अगर धर्म ही राष्ट्रों को मिला दिया करता तो जर्मनी और फ्रांस और इटली आदि राष्ट्र कब के मिल चुके होते। भारत के पत्रों में इस बात पर बड़ी हलचल मच गयी है। हम समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान का जन्म होगा, दुनिया का रुख और हो चुका होगा।

१४ मई १९३३

तपस्वी और महात्मा

हम भारतीयों की प्राचीन परम्परा के अनुसार तप के बिना कोई महात्मा नहीं होता और महात्मा हुए बिना कोई तपस्वी नहीं होता। एक प्रकार से ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। इसीलिए जब महात्मा गांधी को भारतीयों ने 'महात्मा' की उपाधि दी थी, उसी समय तैतीस करोड़ भारतीयों ने उनकी महत्ता का अनुमान लगा लिया था। अतएव गांधी जी का अद्भुत साहस के साथ इतना बड़ा उपवास निभा ले जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन पक्तियों के छपने तक उनके उपवास के ग्यारह दिन सकुशल पूरे हो जायेंगे। ईश्वर की कृपा से शेष दिन सकुशल बीत जावेंगे। और तब, नवीन-भारत की नव-आशा गांधी के सम्मुख देश की सबसे पहली समस्या होगी—देश की राजनैतिक-प्रतिष्ठा तथा कांग्रेस की महत्ता को प्रतिपादित करना। ईश्वर करे गांधी जी इस दिशा में अपने उपवास की तरह ही सफल होंगे।

इसी अवसर पर हम मौलाना शौकत अली को उनके ऐक्य-स्थापन के प्रयास तथा मालवीय जी इत्यादि कांग्रेसी नेताओं से परामर्श कर सरकार से सुलह कराने के प्रयास के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि मौलाना सफल होंगे और एक दिन ऐसा भी आवेगा जब वे बड़ी सफलतापूर्वक यह कह सकेंगे कि 'यदि मैंने घोर साम्प्रदायिक बनकर जनता का आदर खो दिया था, तो उसे फिर से प्राप्त भी कर लिया था।'

२२ मई १९३३

हज़रत मुहम्मद की पुराय-स्मृति

गत शुक्रवार ता० ७ जुलाई को काशी के टाउनहाल में इसलाम-धर्म के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद के जन्मोत्सव के उपलक्ष में जो जलसा हुआ, वह एक यादगार जलसा था। काश ऐसे अवसर और सुलभ होते। उपस्थित जनता में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। सभापति का आसन श्री डा० अब्दुलकरीम ने लिया था। बोलनेवालों में मौलाना आजाद सुभानी, पंडित सुन्दरलाल जी और काशी के मौलाना अब्दुलखैर साहब थे, पर मुख्य वक्तृता पंडित सुन्दरलाल जी की थी। आपके व्याख्यान में विद्वत्ता के साथ इतनी शिष्टता, इतनी श्रद्धा और इतनी सच्चाई भरी हुई थी कि मुसलमानों का तो कहना ही क्या, हिन्दू-जनता भी मुग्ध हो गयी। इतनी मद्दियो तक एक साथ, पड़ोस में रहने पर भी, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के धार्मिक-सिद्धान्तों और सच्चाई से इतने अपरिचित हैं कि सुन्दरलाल जी के कथन ने बहुतेरे हिन्दुओं को चकित कर दिया होगा। जिस तरह अब तक मुसलमानों ने हिन्दुओं को काफिर समझ कर उनके विषय में अब और ज्यादा जानने की जरूरत न समझी, उसी भाँति हिन्दुओं ने भी इसलाम के विषय में कुछ गलत धारणाएँ बना ली हैं, और "रगीलारसूल" के ढग की पुस्तक पढ़ने से ये गलत धारणाएँ और भी पत्थर की लकीर हो गयी हैं। इन सभी मिथ्या धारणाओं का पंडित जी ने इतने प्रभावोत्पादक शब्दों में निराकरण किया कि बहुतों के हृदय से वे धारणाएँ निकल गयी होंगी। यह आम तौर पर कहा जाता है कि इसलाम धर्म तलवार के जोर से फैला और यह कि हज़रत मुहम्मद ने अपने सम्प्रदाय को आज्ञा दी है कि काफिरों को कत्ल करना ही स्वर्ग की कुर्जी है, पर पंडित जी ने बताया कि यह बात कितनी गलत और द्वेष पैदा करनेवाली है। हज़रत मुहम्मद ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। उनके जीवन में ऐसी एक मिसाल भी नहीं मिलती, कि उन्होंने प्रचार के लिए या विजय के लिए किसी पर फौजकशी की हो। जब भी कभी उन्होंने तलवार उठायी तो शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए और वह भी उस हालत में जब और किसी तरह शत्रु अपने अन्याय से बाज न आया। कत्ल करने की जगह उन्होंने सदैव क्षमा की। यह कहा जा सकता है कि क्षमा उनके जीवन का मुख्य तत्व था। मक्कावालों के जुल्म से तग आकर वे मदीना चले गये थे। जब तेरह वर्ष बाद उन्होंने फिर मक्का पर विजय पायी तो सारा मक्का भय से काँप रहा था कि न जाने कितनी बड़ी आफत आनेवाली है, पर हज़रत ने सबको क्षमा कर दिया, हालाँकि वे चाहते, तो मक्का में कतले-आम करा सकते थे। यहूदियों, ईसाइयों सभी के साथ उनका यही व्यवहार रहा। वे बराबर यही कहा करते थे कि मैं खुदा की तरफ से उसकी दया और प्रेम का पैगाम लेकर आया हूँ, कत्ल करने नहीं। यही शब्द हज़रत ईसा ने भी कहे थे। मगर ऐसे दया और क्षमा की मूर्ति पर लोगो ने किस बुरी तरह कालिमा पोतने

की चेष्टा की है। द्वेष फैलानेवाले यहाँ तक कहते हैं कि हजरत मुहम्मद बड़े विलासी थे, हालाँकि सत्य यह है कि उनका जीवन सच्चो साधना और तप का जीवन था। उनके जीवन काल में ही इस्लाम ने वैभव प्राप्त कर लिया था और हजरत जितना भोग-विलास चाहते, कर सकते थे, पर उन्होंने प्रजा के धन को हमेशा अपने परिवार के लिए त्याग्य समझा। वे अपने हाथों अपने कपड़े सीते थे, अपने जूते गाँठते थे और कभी-कभी अभाव के कारण यहाँ तक नौबत आ जाती थी कि आपको पेट में पत्थर बाँध लेना पड़ता था, जिसमें चूधा के कारण पेट में दर्द न होने लगे। इसी सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद की ग्यारह स्त्रियों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि हजरत कितने विलासी थे। और भोले-भाले हिन्दू अज्ञान के कारण उन लोगों के भुलावे में आकर, जिनकी रोटियाँ साम्प्रदायिक वैमनस्य पर चलती हैं, इसी महान् अनर्थ को सत्य मान लेते हैं। पच्चीस वर्ष की अवस्था तक हजरत अविवाहित रहे, हालाँकि उस समय आप व्यापार में कुशल हो चुके थे और किसी सुन्दरी के साथ विवाह कर सकते थे। पच्चीस वर्ष की अवस्था में आपने खुदैजा से विवाह किया, जिनके वह सेवक थे। हजरत खुदैजा की उम्र उस वक्त पैतालीस वर्ष की थी और वह विधवा थी। अगर यह कहा जाय कि हजरत ने खुदैजा से केवल धन के लोभ से विवाह किया, तो यह सरासर अन्याय है। धन का लोभ केवल धन के लिए नहीं, उससे भोग करने के लिए होता है। यदि हजरत खुदैजा के धन से हजरत मुहम्मद को भोग की इच्छा होती, तो वे साल दो साल बाद ही नयी-नयी शादियाँ करने लगते। मगर हजरत ने पच्चीस वर्ष तक खुदैजा के साथ एक पत्नीव्रत का पूर्णरूप से पालन किया। पचास वर्ष की अवस्था के बाद ही उनकी दूसरी शादियाँ हुईं। ऐसे महा-त्यागी के विषय में, जिसने पच्चीस वर्ष की अवस्था में पैतालीस की अश्वेड स्त्री से विवाह किया और पच्चीस वर्ष तक उसके साथ सच्चे पत्नीव्रत का पालन किया, अन्याय और धार्मिक द्वेष की पराकाष्ठा है। पचास वर्ष की अवस्था के बाद अवश्य हजरत ने कई शादियाँ की, पर हरेक शादी किसी न किसी धार्मिक या सामाजिक या राजनैतिक कर्त्तव्य के अधीन हुई। उस समय जब दो कबीलो में झगडा हो जाता था, तो सधि के समय जीते हुए दल को हारे हुए दल की कन्या से विवाह करके सधि की मजबूती का विश्वास दिलाना पड़ता था। जीता हुआ व्यक्ति यदि विवाह से इकार करे, तो हारनेवाले को उसकी नीयत की सफाई पर विश्वास ही नहीं आता था। एक महिला के विषय में यही बात हुई। जब हारे हुए दल ने अपनी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया, तो हजरत ने अपने सहाबा में हरेक से उस कन्या के साथ विवाह करने का आग्रह किया, पर जब कन्या के कुरूप होने कारण कोई राजी न हुआ, तो मजबूर होकर हजरत ने उस कन्या को खुद अपना महल बना लिया। क्या यह भोग लिप्सा है? यह उस जमाने की एक प्रथा का पालन है, और कुछ नहीं।

जरा उन कठिनाइयों का अनुमान कीजिए, जिनके अन्दर हजरत को अपने जीवन

का महान् उद्देश्य पूरा करना पडा। कुरैश अरबो का एक शक्तिशाली कबीला था, पर अरब मे जो सामाजिक बुराइयाँ मौजूद थी, वह सब इस कबीले मे भी थी। जहाँ बात-बात पर खून की नदी बह जाती थी, जहाँ लडकियाँ जन्म के समय ही मार डाली जाती थी, जहाँ मूर्तियों के सामने मनुष्य तक का बलिदान होता था, जहाँ शराब पानी की तरह पी जाती थी, जहाँ हर घर का अलग देवता था और जब दो खानदानो मे लडाई होती थी, तो जीतनेवाला-दल हारनेवाले के देवताओ को भी उठा ले जाता था और उसे तोड-फोड डालता था, हारनेवाले दल के लोग गुलाम बनाकर बेच दिये जाते थे और उनकी स्त्रियाँ जीतनेवालो के लूट का माल समझी जाती थी, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों मे हजरत का जन्म हुआ। राजनैतिक दशा यह थी कि अरब के एक तरफ ईरान का अधिकार था, दूसरी तरफ रूस के ईसाई बादशाह का, और तीसरी तरफ हब्श के ईसाई बादशाह का, केवल बीच का भाग स्वाधीन था। और इस स्वाधीन भाग की वह दशा थी, जो हमने ऊपर बयान किया है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों मे सत्य का प्रचार करना और अन्त को उसी भक्कड जाति से एक बलशाली धर्मसंस्था और साम्राज्य का निर्माण करना क्या कोई साधारण काम था ? और क्या यह काम किसी विलासी, अर्थ-लोलुप मनुष्य द्वारा हो सकता था ? महान् काम महान् पुरुषो द्वारा ही होते हैं। छोटे-छोटे व्यक्ति तो छोटे-छोटे काम हो कर सकते हैं।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि हजरत मुहम्मद ने कही भी नये धर्म के प्रवर्तन का दावा नहीं किया। उन्होने बार-बार कहा है कि मैं प्राचीन नबियों के धर्म को ही पुनर्जीवित करने आया हूँ। उन्होने बार-बार कहा है कि हरेक धर्म का सम्मान करो, क्योंकि सब धर्मों की तह मे केवल एक सच्चाई है। किसी धर्म की उन्होने निन्दा नहीं की। जब हजरत एक राज्य के अधिकारी हो गये और वह तलवार के जोर से जनता को मुसलमान बना सकते थे, तब भी उन्होने हरेक धर्म को अपने मतानुसार उपासना करने की स्वाधीनता दे दी थी। यहाँ तक कि मूर्ति-पूजको पर भी कोई बन्धन न था और हरेक धर्म के पवित्र स्थानों की रक्षा करना मुसलिम सरकार अपना कर्तव्य समझती थी।

यह है उस ऋषि की जीवन कथा, जिसके नाम पर आज आधी दुनिया सिर झुकाती है। उसके त्याग की कथा अद्भुत है। जो एक राज्य का स्वामी था, वह खजूर की चटाई पर सोता था। एक बार उनकी पीठ पर बोरिये का निशान देखकर किसी ने आज्ञा माँगी कि वहाँ एक गद्दा बिछा दिया जाय। हजरत ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि मैं आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। सच्य का यह हाल था कि अन्तिम सस्कार के समय हजरत की जिरह पौने दो मन जौ पर गिरी रखी गयी थी। जिस पुष्प का सारा जीवन इस तरह की तपस्या मे गुजरा हो, और जिसने सामर्थ्य होने पर भी उस तपस्या मे अन्तर न पडने दिया हो, उसके प्रति हमे श्रद्धा और प्रेम होना

चाहिए। कितने खेद की बात है कि ऐसे महापुरुष पर झूठे प्राचेप लगाकर हम द्वेष बढ़ाते हैं।

यह है उस व्याख्यान का साराश, जो प० सुन्दरलाल जी ने उस दिन इस इस्लामी 'लेटफार्म' से दिया। हमारा ख्याल है कि ऐसे सम्मेलनों और जलसों से, जिसमें हमारे पूज्यों के विषय में अर और प्रेम के भाव प्रदर्शित किये जाँय, इससे दोनों जातियों में प्रेम और सहिष्णुता की स्फिरिट पैदा हो सकती है और उसका यही एक मार्ग है। इस वक्त हमारे सामने इसी धर्म के द्वेष को मिटाना सबसे बड़ा काम है।

१७ जुलाई १९३३

इस्लाम का विष-वृक्ष

अभी हाल में इस नाम की एक पुस्तक साहित्य-मण्डल देहली ने प्रकाशित की है। इसके लेखक हैं, श्री चतुरसेन जी शास्त्री। शास्त्री जी यशस्वी लेखक हैं, उनकी शैली में ओज है, आकर्षण है, तेज है, पर दुर्भाग्यवश वह कभी-कभी इन गुणों का दुरुपयोग किया करते हैं। थोड़े से धन और थोड़े से यश के लोभ से ऐसी रचनाएँ कर डालते हैं, जिनसे सनसनी के साथ देश में साम्प्रदायिक द्वेष को उत्तेजित करने की मनोवृत्ति साफ भूलकती है। ऐसी जहरीली पुस्तकें बिकती ज्यादा हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जो अत्याचार किये, उसका विषद और एकांगी विस्तार दिखाकर साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाली हिन्दूजनता में मुसलमानों के प्रति द्वेष बढ़ाया जा सकता है। यह ऐसा मुशकिल काम नहीं, लेकिन क्या इस द्वेष को भडकाना एक यशस्वी और जिम्मेदार लेखक की मर्यादा के अनुकूल है? दोष सभी धर्मों में निकाले जा सकते हैं। क्या हिन्दू-धर्म दोषों से खाली है? अपने-अपने समय में प्रभुता पाकर अत्याचार भी सभी जातियों ने किये हैं, लेकिन उन गयी बीती बातों को कीने की तरह पालना और उनका प्रचार करके जनता में द्वेष फैलाना, राष्ट्र को सर्वनाश की ओर ले जाना है। "रंगीला रसूल" के ढग की पुस्तकों से देश का क्या कल्याण हो सकता है? "इस्लाम का विष-वृक्ष" के पृष्ठ तैतालीस पर कुरान में लिखी हुई बातों के विषय में कहा गया है कि कुरान के अनुसार—

- (१) खुदा आदमी को बहकाता है।
- (२) खुदा सबसे बड़ा कपटी है।
- (३) खुदा ने प्रत्येक शहर में पापियों के सरदार छोड़ रखे हैं, ताकि वे लोगों को बहकाते और धोखा देते रहें।
- (४) खुदा घात में लगा रहता है।

(५) बिहिश्त मे शराब पीने को माँस खाने को, तथा सत्तर हूरें और लौडे मौज करने को मिलेगे ।

हम नही समझते कि इस तरह की लचर, बेबुनियाद, धोखे मे डालनेवाली बातों के प्रचार का इसके सिवा और क्या उद्देश्य है कि हिन्दुओं मे इसलाम और मुसलमानों के प्रति घृणा और द्वेष पैदा किया जाय । ऐसी मनोवृत्तिवालों से ईश्वर इस देश की रक्षा करे !

इसके आगे चल कर शास्त्री जी ने इर्विन, एल्फिंस्टन आदि योरोपियन लेखकों की रचनाओं के उद्धरण देकर इस मत का समर्थन करने की चेष्टा की है कि मुहम्मद मनुष्य जाति का भयानक शत्रु था और यह कि कुरान मे मूर्खता के सिवा और कुछ नही है । योरोप के इतिहासकारों ने इसलाम को इसलिए कलकित किया कि वे यूनान और बल्कान आदि देशों से तुर्कों को निकालना चाहते थे । इसलाम का प्रभुत्व उनकी आँखों मे काँटे की तरह खटकता था । उनके कथन को प्रमाण मानकर, यहाँ नकल करना किसी तरह भी स्तुत्य नही कहा जा सकता । हम स्वयं सम्प्रदायों के वकील नही है । धार्मिक कट्टरता से भूमडल को जितनी यातनाएँ भोगनी पडी है, उनसे इतिहास के पोथे भरे पडे है । इस लिहाज से क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या हिन्दू सभी समान रीति से अपराधी है । उनमे से किसी एक धर्म को छाँट लेना और सारी बुराइयाँ उभरी मे दिखाना, अस्वस्थ और पचपात-पूर्ण मन का परिचय देता है । यह पुस्तक इसलाम का इतिहास है । किसी जाति या धर्म का इतिहास लिखना बुरा नही, यदि निष्पक्ष होकर, पूरे अग्र्य-यन और खोज से, सत्यासत्य पर पूरा विचार करने और उसके साथ सौजन्य का पालन करते हुए लिखा जाय । इस पुस्तक का नाम ही बतला रहा है कि इसकी रचना किस भाव की प्रेरणा से हुई है, और पुस्तक के कवर पर जो रंगीन चित्र दिया है, वह तो लेखक के विषैले मनोभाव की नगी तस्वीर है । यह इसलाम का विषवृक्ष रूपी मन है । इस पुस्तक मे अधिकांश उन्ही अग्रेजी इतिहासों से नकल किया गया है, जिनमे मुसलमानों के प्रति काफी द्वेष और ईर्ष्या का भाव भरा हुआ है, जैसे "बर्नियर" और मनुची आदि । वही बादशाहों के महल के अदर की बातें, मीनाबाजार के कपोलकल्पित किस्से, इस पुस्तक के आधार हैं । न जाने किस प्रमाण से पृष्ठ एक सौ तीन पर लिखा गया है कि मुगल बादशाह साँप पालते थे, और जिस सरदार से उन्हें शंका होती थी, उसे साँप से डसवा देते थे, या जहरीले कपडे पहना कर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर देते थे । हम कहते हैं मान लो यह ठीक भी है, तो इससे क्या ? उस मध्य-काल की धार्मिक कट्टरता या एकाधिपत्य मे क्या नही होता था ? हिन्दुओं के राजा भी तो विष कन्याएँ रखते थे और उनके द्वारा अपने शत्रुओं को यमराज के घर भेज देते थे । आज उन बातों पर आक्षेप करने का क्या अर्थ है ?

श्रीचतुरसेन जी हमारे मित्र हैं । वह विद्वान हैं, मनस्वी हैं, उदार हैं, हम उनसे

प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जटिल और द्रोहभरी रचनाएँ लिखकर, अपनी प्रतिभा को और हिन्दी भाषा को कलकित न करे और राष्ट्र में जो द्रोह और द्वेष पहले से ही फैला हुआ है, उस बारूद में आग न लगावे ।

२४ जुलाई १९३३

संयुक्त पार्लामेंटरी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान

भाई परमानन्द ने जाइंट पार्लामेंटरी कमेटी के सामने जो जोरदार बयान दिया और सरकार की साम्प्रदायिक नीति का जितने स्पष्ट शब्दों में प्रतिवाद किया, उससे किसी भी हिन्दू या मुसलमान राष्ट्रभक्त को असन्तुष्ट न होना चाहिए । जहाँ दो ही मुख्य जातियाँ हैं, वहाँ अगर एक के साथ जरा भी पक्षपात किया जाता है, तो दूसरी जाति को उसकी कसर पूरी करनी पड़ती है । सर जान साइमन और फ्रेचायज कमेटी और मि० रामजे मैकडोनाल्ड सभी ने खुले शब्दों में साम्प्रदायिकता की निन्दा की, पर यह सब कुछ होते हुए भी सारी व्यवस्था साम्प्रदायिकता के आधार पर कर डाली गयी । जो लोग अपने लिए पृथक् निर्वाचन न चाहते थे, उन्हें भी पृथक् निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया । उस वक्त तो सरकार जैसे साम्प्रदायिकता को खोज-खोजकर पुरस्कृत करने पर तुली हुई थी । नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं का पचहत्तर फीसदी बहुमत बयालीस फी-सदी का अल्पमत बना डाला गया । यह राजनीति का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी न होनी चाहिए कि उसका बहुमत अल्पमत की अवस्था को पहुँच जाय । इसी सिद्धान्त पर पंजाब और बंगाल में हिन्दुओं को अल्प-संख्या में होने पर भी वह रिआयत नहीं दी गयी, जो अन्य प्रान्तों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को दी गयी, इसलिए कि उन दोनों प्रान्तों में हिन्दुओं के साथ थोड़ी-सी रिआयत भी मुसलमानों को अल्पमत कर देती थी, पर हिन्दू-प्रधान प्रान्तों में मुसलमानों को कुछ अधिक मताधिकार देने पर भी हिन्दू बहुमत में बाधा नहीं पड़ती थी, लेकिन फेडरल एसेम्बली में इस सिद्धांत का जरा भी सम्मान न किया गया और हिन्दू बहुमत इतने अल्पमत में कर दिया गया कि वह बिलकुल पंगु हो गया है । मुसलमानों की जन-संख्या का भारतीय औसत १५ से कुछ ही अधिक है, पर कांग्रेस ने उन्हें तीस फी-सदी जगहे देना स्वीकार कर लिया, हालाँकि वह पृथक् निर्वाचन को स्वीकार न करती थी और आज तक वह सम्मिलित निर्वाचन के सिद्धांत पर जमी हुई है । मुसलमानों के लिए यह बड़ी भारी विजय थी, और जब सरकार ने देखा, कि कांग्रेस मुसलमानों को तीस फीसदी मताधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेना चाहती है, तो उसने तीस को बढ़ा कर तेतीस फी-सदी कर दिया । इस तरह इस नीलाम की बोली में मुसलमानों का मूल्य बढ़ता गया । हिन्दुओं

ने राष्ट्रीयता के ऊँचे आदर्श पर, एक सम्मिलित और समुन्नत भारत देखने की उत्कट इच्छा से इस फैसले का बिलकुल विरोध न किया। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने तो मुसलमानों को सादा चेक दे देने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त भी हिन्दू यह न समझते थे, कि वे इतने अल्पमत में रख दिये जायेंगे। शायद कुछ आशा भी बनी हुई थी, कि सरकार कांग्रेस से कुछ समझौता कर लेगी और सम्मिलित निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जायगा, या व्यवस्था में कुछ ऐसी शर्तें रख दी जायेंगी कि दस या बीस वर्ष बाद स्वायत्त रीति से पृथक् निर्वाचन की जगह सम्मिलित निर्वाचन का बतवि होने लगेगा।

लेकिन इसी बीच में राजनीति ने पलटा खाया और असहयोग आन्दोलन फिर जारी हो गया। सुफेद कागज ने पृथक् निर्वाचन को स्थायी मानकर हिन्दुओं को पचहत्तर फीसदी से गिराते-गिराते बयालीस फीसदी तक पहुँचा दिया। और इस अनुपात का व्यवहार धीरे-धीरे राजपदों में प्रवेश करता हुआ म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों में भी अपना आसन जमा लेना चाहता है। शायद कोई मुसलमान यह बर्दाश्त न करेगा कि खुले मुकाबले के इम्तहानों में प्रथम श्रेणी के मुसलमानों को पीछे डालकर दूसरे और तीसरे दर्जे के हिन्दुओं को जगह दी जाय, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है और आये दिन हिन्दू उम्मेदवारों को अपने हिन्दू होने का तावान देना पड़ रहा है। हमारा खयाल है कि हिन्दुओं के प्रति सरकार की जो वक्र-दृष्टि है उससे फायदा उठाकर वैमनस्य को और मजबूत किया जा रहा है। और हमें आशा है, मुसलिम-नेता इस नीति को हिन्दुओं को उनके जायज हक से वंचित करने के लिए काम में न लायेंगे।

हम स्वयं साम्प्रदायिकता के समर्थक नहीं हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ज्यो-ज्यो हमारा राजनैतिक विकास होगा, साम्प्रदायिकता मिटती जायगी और आर्थिक समस्याएँ उसका स्थान लेती जायेंगी। तब देश का संगठन राजनैतिक और नागरिक आधारों पर होना निश्चित है। लेकिन इस बीसवीं सदी में भी वंश और जाति-भेद मिटा नहीं है, और किसी दिन भी बरसात में सूखी जमीन से निकल आनेवाले मेढकों की भाँति गति और ध्वनि प्राप्त कर सकता है। अतएव इस साम्प्रदायिक नीति को छोड़के खिला-खिलाकर मोटा करने में हम मगलमय भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर हिन्दू मुसलमानों को अस्तन्वुष्ट रखकर शासन को नहीं चला सकते, तो यह भी मानना पड़ेगा कि मुसलमान भी हिन्दुओं को अप्रसन्न रखकर और उनके आत्म-भिमान को दलित करके शासन नहीं चला सकते। दस-पाँच अच्छी-बुरी जगह पा जाने से किसी जाति का उद्धार नहीं हो जाता, लेकिन जब यह जगह एक अग्र से छीनकर दूसरे अग्र को दे दी जाती है तो इससे सम्पूर्ण जाति में असन्तोष और विद्रोह और ईर्ष्या फैलती है वह बड़ी भयंकर होती है। दुर्भाग्य से जैसे मुसलमानों की बड़ी संख्या अपना मुसलमान होना नहीं भूल सकती, उसी भाँति हिन्दुओं में भी ऐसे आदिमियों की कमी

नहीं है जिन्हें अपना हिन्दूपन उतना ही प्यारा है। हिन्दुओं ने अभी तक कांग्रेस के प्रभाव से साम्प्रदायिक नेताओं की बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन जब एक - :न - नेता अकाट्य दलीलो और प्रमाणों से हिन्दू जनता को यह दिखाता है कि तुम्हारे स्वार्थों का खून किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विचारवाले भी उसकी बातें सुनने और उन पर विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम भाई जी के इन शब्दों को दोहराना चाहते हैं कि 'सरकार ने भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया है और किसी दिन इस वृक्ष का फल भारत और भारतीय सरकार दोनों ही के लिए घातक होगा।'

४ सितम्बर १९३३

कुरान में धार्मिक ऐक्य का तत्व

इन साम्प्रदायिक उन्माद के दिनों में धार्मिक लड़ाइयाँ केवल धर्मग्रन्थों का ठीक-ठीक अर्थ न समझने ही के कारण बहुधा हो जाया करती हैं। और अक्सर यह होता है कि हम अपने ही धर्मग्रन्थों के अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। गीता पर पचासों ही टीकाएँ छपी हैं। सबों में कुछ न कुछ मतभेद हैं। इसी तरह कुरान की भी कितनी ही तफसीरें मौजूद हैं। सर सैयद अहमद ने जब कुरान की तफसीर की, तब मौलवियों के कट्टर समुदाय में बड़ी हल-चल मची और सर सैयद को काफिर कहा गया। मौलवी और पंडित साम्प्रदायिक वातावरण में रहने के कारण कुछ तंग खयाल हो जाते हैं, और धर्म के वाह्य लक्षणों और गौण बातों को तात्त्विक प्रश्नों से बढा देते हैं। एक कट्टर पंडित की दृष्टि में ठाकुर जी को प्रातःकाल जल चढाना या गंगा स्नान करना किसी बीमार को अस्पताल पहुँचा देने से कहीं अधिक महत्व की बात है। इसी तरह मौलवियों की निगाह में भी रोजा और नमाज आदमियों की खिदमत से कहीं बढकर है। इसका नतीजा यह है कि आज सम्प्रदायों में आपस में घोर सन्नाम छिडा हुआ है जो अक्सर दगों के रूप में प्रकट हो जाता है। हालाँकि वास्तव में धार्मिक तत्व सभी धर्मों में एक है। कुरान पर तरह-तरह के आक्षेप किये जाते हैं। कहा जाता है, उसमें गौर मुसलिमों को कत्ल करने की तालीम दी गयी है। इसके प्रमाण में आयतें पेश की जाती हैं। मगर जब कोई विद्वान, शुद्ध भाव से साम्प्रदायिकता से ऊँचा उठकर उन्हीं आयतों का विवेचन करता है तो हमें मालूम होता है कि हम कितनी गलती पर थे। इसी तरह की एक तफसीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना आजाद किस कोटि के विद्वान् हैं, यह कहने की जरूरत नहीं। समस्त ससार के मुसलमान उनकी विद्वता के कायल हैं और लाखों ही उन्हें अपना पीर मानते हैं। उसी तफसीर के एक अंश का अनुवाद हिन्दी में हुआ है, जिसे महामना बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी निगरानी में

प्रकाशित कराया है। उस अनुवाद को पढकर हमारा जो सर्व धर्मों की एकता का पुराना विश्वास था वह पक्का हो गया। उस परिच्छेद का एक अंश हम यहाँ नकल करते हैं जिससे प्रकट हो जायगा कि कुरान पर किये आक्षेप कितने भ्रम-पूर्ण हैं—

“यह महान् तत्व (धार्मिक ऐक्य) कुरान के संदेश की सबसे पहली बुनियाद है। कुरान जो कुछ बतलाना और सिखलाना चाहता है, सब इसी पर अवलम्बित है। अगर इस तत्व से नजर फेर ली जाय तो कुरान के संदेश का सारा ढाँचा छिन्न-भिन्न हो जाता है, परन्तु ससार के इतिहास की आश्चर्यजनक प्रगति में यह भी एक विचित्र घटना है कि कुरान ने तत्व पर जितना अधिक जोर दिया था, उतनी ही संसार की दृष्टि इससे फिरी रही। यहाँ तक कि आज कुरान की कोई भी बात ससार की दृष्टि से इस दर्जे छिपी हुई नहीं है जितना यह महान् तत्व। यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से अलग होकर कुरान को पढे और उसके पृष्ठों में स्थान-स्थान पर इस महान् तत्व के अकाट्य और स्पष्ट एलान देखे और फिर ससार की ओर दृष्टि डाले, जिसने यह समझ रक्खा है कि कुरान भी अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की तरह एक सम्प्रदाय मात्र है तो वह अवश्य हैरान होकर पुकार उठेगा कि या तो मेरी निगाह मुझको धोखा दे रही है या ससार सदा बिना आँखे खोले ही अपने फैमले दे दिया करता है।”

इस भूमिका के बाद कुरान की वही आयतें और अनुवाद दिये गये हैं जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। पूज्य बाबू भगवानदास जी ने भी सब धर्मों को एकता सिद्ध कर दो है, पर अज्ञान का ऐसा आतक छाया हुआ है कि सम्प्रदाय-भक्त सज्जन इन ग्रन्थों को पढने का कष्ट नहीं उठाते और स्वाध्याय तथा विचार-विनिमय से जो मानसिक विकास होता है उससे वंचित रहते हैं।

नीचे हम केवल एक आयत का तर्जुमा देते हैं जिससे इस शका का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है कि इसलाम अन्य मतवालों के कल की तालीम देता है—

“फिर अगर यह लोग तुमसे इस बाग़ में भगडा करे तो ऐ पैगम्बर तुम उनसे कहो कि मेरी और मेरे अनुयायियों की राह तो ईश्वर के आगे बदगी में सिर झुका देना है और हमने सिर झुका दिया है। फिर धर्म-ग्रन्थवालों से और अशिक्षित लोगों से पूछो कि तुम भी परमात्मा के आगे झुकते हो या नहीं। अगर वे झुक गये तो (सारा भगडा खत्म हो गया और) उन्होंने राह पा ली। अगर वे मुँह मोडे तो फिर जिन लोगों को ईश्वर-भक्ति को ऐसी स्पष्ट बातों से भी इन्कार है, उनके साथ वाद-विवाद और कलह करने से क्या लाभ ? तुम्हारे जिम्मे जो कुछ है वह यही है कि सत्य का संदेश पहुँचा दो। बाक़ी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से बन्दो का हाल छिपा नहीं है।”

११ सितम्बर १९३३

भाई परमानन्द जी का भाषण

भाई परमानन्द जी ने हिन्दू-सभा के अधिवेशन में अपने सदारती भाषण में जहाँ और बहुत-सी बातें कही, वहाँ जनता से अपील की कि वह राष्ट्रवादी पत्रों का वहिष्कार करे ताकि इन सिर फिरो को होश आ जाय। बड़ी अच्छी और कारगर सलाह है और भाई जी ही के दिमाग से ऐसी सलाह निकल सकती थी। सरकार भी तो यही करती है। वह अखबारवालों पर कोई मुकदमा चलाने का सिरदर्द नहीं लेना चाहती। बस सीधा-सा नुसखा है—जमानत। जिस पत्र से एक बार जमानत माँगी गयी, उसके होश-हवास ठिकाने आ जाते हैं और राष्ट्रीयता की जो थोड़ी-सी गर्मी दिमाग पर चढ़ी होती है, वह ठढी हो जाती है। भाई जी की सलाह के अनुसार अगर गाहक ऐसे राष्ट्रवादी पत्रों का पढ़ना ही बन्द कर देंगे, तो उनका जीवन ही समाप्त हो जायगा। फिर देश में जितने पत्र रह जायेंगे, वह भाई जी के इशारों पर चलेंगे। तब देखिए कौसी बहार होती है और अखबारों में कौसी-कौसी सनसनीदार खबरे छपती हैं। कुछ ऐसा क्रम हो गया है कि जब राष्ट्रवाद दबता है, तो भेदभाव उठता है और बारी-बारी से दोनों अवस्थाएँ अपना भोग भोगती हैं। १९२५ से २७ तक भेदभाव का प्राधान्य रहा और भारत में शायद ही ऐसा कोई नगर या कस्बा बचा होगा, जहाँ हिन्दू मुसलिम दगे न हुए हों। काँग्रेस के कितने ही नेता और स्वयंसेवक हिन्दू-सभा में दाखिल हो गये। १९२६ में राष्ट्रवाद फिर उठा। भेदभाव उतने दिनों कोने में दबका पड़ा रहा। अब राष्ट्रवाद का जोर कम हो चला है, तो भेदभाव का उठना लाजिम ही था। हम भाई जी को इलजाम नहीं देते, न हम शफाअत अहमद खाँ और मौलाना शफी दाऊ दी को ही इलजाम देते हैं। राष्ट्रवाद को तो इन दोनों दलों को एक प्लेटफार्म पर लाना है। देखिए वह समय कब आता है। अगर वह आदर्श ही रह जाय तो भी एक ऊँचा आदर्श है, जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। राष्ट्रवाद का भावी प्रोग्राम इसी भेदभाव को मिटाना है। जब तक यह भाव नहीं मिटता, न स्वराज्य होगा और न डोमिनियन स्टेट्स और न कुछ। भाई परमानन्द जी की यह नीति, कि हिन्दुओं को अग्रेजों से मेल करके मुसलमानों को परास्त करना चाहिए, बच्चों की-सी बात मालूम होती है। जागा हुआ राष्ट्र कभी अपने को गुलामी की दशा में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिन्दुओं को यह वजा शिकायत है कि वोटों के बटवारे में उनके बहुमत को अल्पमत बना दिया गया। लेकिन इसका इलजाम राष्ट्रवादियों पर नहीं, उन्हीं भेदवादियों पर है, जो अपने स्वदेश-बन्धुओं पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हमसे यह हिन्दूपन और मुसलिमपन रहेगा, तीसरी शक्ति को अपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं, इसके सिवा कि कभी हमें खुश कर दे, कभी उसे। जिस दिन यह मनोवृत्ति मिट जायगी, उसी दिन स्वराज्य आ जायगा। राष्ट्रवाद चाहे और कोई उपकार न कर सके,

देश में खून-खच्चर तो नहीं कराता, कुछ ऐसे लोगों को एकत्र तो करता है जो राष्ट्र को सम्प्रदाय के ऊपर समझते हैं। वही बुनियाद है जिस पर राष्ट्र का भवन खड़ा होगा। जब तक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंग एक दूसरे के अहित पर अपना हित निर्माण करते रहेंगे, राष्ट्र का पतन होता चला जायगा। भाई जी का यह खयाल कि स्वराज्य के लिए मुसलमानों के सहयोग की जरूरत नहीं, और हिन्दू केवल अपने बल से उसे प्राप्त कर सकते हैं, गौरव-पूर्ण होने पर भी यथार्थ की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। बेशक हिन्दुओं ने मुसलमानों की बादशाही मिटा दी थी ? तो क्या मुसलमानों ने हिन्दुओं का राज्य नहीं मिटा दिया था। पुरानी अदावतों को पालते रहना स्वस्थ मनोवृत्ति नहीं है, और उसका परिणाम वही होगा, जो फूट का होता है।

३० अक्टूबर १९३३

हिन्दू सभा की नाराज़ी

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने काशी में हिन्दू सभा पर जो आक्षेप किये थे, उसने सभा में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। भाई परमानन्द जी से लेकर डा० हिगोरानी तक हरेक ने अपने बयान प्रकाशित कराके इस आक्षेप का प्रतिवाद किया है। हमें इससे बहस नहीं। संभव है पंडित जी ने गलती की हो और हिन्दू सभा सच्चाई पर हो, पर भाई जी ने पंडित जी के हिन्दू न होने का जो फतवा दिया है उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि वह फतवा पंडित जी को ही नहीं पर उस तरह के विचार रखनेवाले सभी सज्जनों को हिन्दू दायरे के बाहर कर देता है। क्या हिन्दू आदर्श यही है कि अन्यायी हिन्दू राजाओं की प्रशंसा की जाय और उन्हें अपनी मुसलिम प्रजा को कुचलने में सहायता दी जाय ? हरिजनों को जो अधिकार दिये गये हैं, उनका विरोध किया जाय ? जो सरकार हिन्दुओं के साथ अन्याय कर रही है, उसके तलवे सहलाये जाय ? मुसलमानों की घृणित साम्प्रदायिकता की आंखे बन्द करके नकल की जाय ? सूदखोरी से किसानों की रक्षा के लिए जो सरकारी नियम बनाये जाय, उनका विरोध किया जाय ? अगर हिन्दू होने का यही अर्थ है, तो पंडित जी ही नहीं, उनके साथ बहुत-से लोग हिन्दू दायरे से बाहर हो जाने में अपना कल्याण समझेंगे।

२७ नवम्बर १९३३

मुसलिम लीग का अधिवेशन

अभी भाई परमानन्द ने अजमेर में हिन्दू सभा की ओर से जो कुछ कहा, वही मुसलिम दृष्टिकोण से मुसलिम-लीग के सभापति श्री हाफिज हिदायत हुसेन ने दिल्ली में फरमाया। दोनों महानुभाव राष्ट्रीयता के पक्के समर्थक हैं, दोनों ही ब्रिटिश सरकार के कदमों से चिमटे रहना चाहते हैं, दोनों अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए सरकार का मुँह ताकते हैं, दोनों नौकरियों और मेम्बरियों की वेदी पर राष्ट्रीयता को बलि देना चाहते हैं। मगर फर्क यही है कि जहाँ मुसलिम-लीग अपने उद्देश्यों में सफल होती चली जा रही है, हिन्दू-सभा के लिए अन्धकार ही अन्धकार है, क्योंकि मुसलिम लीग की नीति राजनैतिक सिद्धांतों के अनुकूल है, हिन्दू सभा की नीति उसके प्रतिकूल। राजगत्ता मल्पसंख्यक समुदाय का प्रोत्साहन देकर बहुसंख्यक समुदाय को दबाये रख सकती है। अगर वही प्रोत्साहन वह बहुमत को भी देने लगे, तो बहुमत इतना शक्तिशाली हो जायगा कि वह अल्पमत के लिए ही नहीं, राजसत्ता के लिए भी भारी हो जायगा। बहुमत को सहारा देकर कोई भी सरकार समान परिस्थितियों में अपनी जड़ खोदना स्वीकार न करेगी। राजसत्ता का अस्तित्व ही बहुमत को दबाये रखने में है। उसे किसी तरह भी शक्ति संचय नहीं करने दे सकती। मुसलमान अगर शक्तिशाली होकर सिर उठाना भी चाहे, तो सरकार हिन्दुओं की सहायता से उन्हें बहुत जल्द काबू में ला सकती है। हिन्दू-बहुमत अगर शक्तिशाली हो जाय, तो मुसलमानों की सहायता में भी नहीं दबाया जा सकता। आश्चर्य है कि हिन्दू सभा के नेता इतनी मोटी-सी राजनैतिक नीति नहीं समझते। मुसलमानों को थोड़े से अधिकार या वोट ज्यादा दे देना हिन्दुओं को असंतुष्ट करके ही रह जायगा। हिन्दू बहुमत के लिए तो स्वराज्य हो जायगा, और पूर्ण स्वराज्य। इसलिए हिन्दू सभा की चीख-पुकार से राजसत्ता अपने निर्दिष्टमार्ग से हट जायगी, यह समझना ही राजनैतिक ज्ञान-शून्यता का परिचय देना है। इसका अगर कोई उपाय है तो यही कि देश की राष्ट्रीय मनोवृत्ति को पुष्ट किया जाय, और साम्प्रदायिकता और उसकी पोषक शक्तियों का सयुक्त हिन्दू-मुसलिम-राष्ट्रीयता से सामना किया जाय। यह विश्वास करना कि मुसलमानों में राष्ट्रप्रेम का बिल्कुल अभाव है, सत्य से मुँह फेरना है। हाँ, ऐसे लोग उनमें कम हैं, पर यह कमी हमेशा न रहेगी। सरकार के पास मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए जितने साधन हैं, वह थोड़े दिनों में समाप्त हो जायेंगे। वही शक्तियाँ जो हिन्दू-युवकों में काम कर रही हैं, मुसलमानों में भी जोर पकड़ेगी। कोई जाति सदैव आश्रित बनकर नहीं रह सकती। शिक्षा के साथ उसका स्वाभिमान भी जागृत होगा और वह राष्ट्रीयता का महत्व समझेगी। इसी शक्ति के सगठित हो जाने पर हमारे भविष्य का दारोमदार है। लेकिन अगर साम्प्रदायिक शक्तियाँ यों ही जोर पकड़े रही तो समझ

लेना चाहिए कि भारत अनन्त काल तक स्वराज्य का स्वप्न ही देखता रहेगा। यह खयाल कि हिन्दू-जाति अपने ही बल से स्वराज्य प्राप्त कर सकती है, शेखचिल्ली की-सी बात है। शिवाजी और रनजीतसिंह का समय अब नहीं है। आठ करोड़ मुसलमान जिनकी संसार की सबसे बड़ी शक्ति मदद कर रही हो, गीदड़-भभकियों से नहीं परास्त किये जा सकते। हिन्दू-सभा की वर्तमान नीति दिन-दिन मुसलमानों में संदेह और रोष बढ़ानी जायगी, उनकी साम्प्रदायिक भावनाओं को दृढ़ करती जायगी, जिसका अर्थ है कि सरकार की शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायगी और भारत एक कदम भी आगे न बढ़ सकेगा। अगर इस नीति से हिन्दू सभा का वह सफलता मिलने की कोई सम्भावना होती तो एक बात थी। मगर सरकार के चरणों पर सिर झुका कर वह कुछ नहीं पा सकती। एक की पीठ ठोककर, चार के मुकाबिले में खड़ा किया जा सकता है। चार की पीठ ठोकना तो एक का कचूमर ही निकाल देगा और तब क्या चारों उस पीठ ठोकनेवाले ही पर न टूट पड़ेगे।

हाफिज जी ने अपने भाषण में वही पुरानी बातें दुहरा दी हैं जो हम लोग के प्लेटफार्म से बराबर सुनते आये हैं। वही माँगे हैं, वही विशेष व्यवहार का मवाल है, वही हिन्दुओं के अग्र्याय का रोना है। मुसलिम जाति के लिए आप ऐसे प्रतिबन्धों का होना लाजमी समझते हैं, जिनसे ये अपने “पूर्व इतिहास, अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति” की रक्षा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही आपने मुसलमानों को यह भी समझाया कि “प्रतिबन्ध चाहे कितने ही दृढ़ क्यों न हों, उनसे सहायता नहीं मिल सकती, जब तक मुसलमान सगठित होकर अपने पैरो खड़ा होना न सीखेंगे।” मगर हाफिज जी भी रिजर्व बैंक और अठारह पैसे के अनुपात के प्रश्न पर राष्ट्रीय विचार प्रकट करने से अपने को न रोक सके। यहाँ साम्प्रदायिकता के लिए गुजाइश ही न थी। संभव है भविष्य में ऐसी और भी बातें निकल आये।

इधर “पानइसलामिज्म” की काफी चर्चा हुई थी। खबर उड़ी थी कि “पाकिस्तान” का नया सूबा या नया राज बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, जिसमें काश्मीर, सिंध, पंजाब, सरहद और अफगानिस्तान मिला लिये जायेंगे। इस चर्चा का उद्गम कहाँ था, यह कोई नहीं कह सकता। शायद इंग्लैंड में इस तरह का हौवा खड़ा किया गया, जो हिन्दू मुसलिम विरोध को और सजग कर दे और वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। ज्वाइंट कमेटी में भी इस पर काफी चहल-पहल रही। हाफिज जी ने इस विषय में जो कुछ कहा है, उससे आशा है, भयभीत होनेवालों को सन्तोष हो जायगा—

“मैं जानता हूँ कि पंजाब में मुसलिम-स्वत्वों के विरुद्ध “पानइसलामिज्म” और अफगान हमले का हौवा खड़ा किया गया है पर यह मेरी समझ में, बहम है। राज-नैतिक पानइसलामिज्म, जिसका अर्थ है कि मुसलमानों का एक सयुक्त राज्य स्थापित

किया जाय, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसका आदर्श यही है कि इसलाम सभी जातियों और वर्गों के संयोग का आधार है, जो भौगोलिक बाधाओं को स्वीकार नहीं करता। इसका आशय यह कभी नहीं रहा कि मुसलमान सदा मक्का की ओर मुँह और भारत की ओर पीठ किये रहता है। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का स्वार्थ भारत की ही समस्याओं पर केन्द्रित है, भारत के बाहर के प्रश्नों पर नहीं, और मुसलमान भी उसी तरह भारतीय राष्ट्र का एक अंग हैं, जैसे कोई अन्य जाति। यह भूत केवल मुसलमानों के प्रति योरोप और अमेरिकावालों में भय और द्वेष उत्पन्न करने के लिए रचा गया है।”

बात यह है कि हिन्दू सभा और मुसलिम लीग दोनों में ऐसे लोग भरे हुए हैं, जो या तो सरकारी नौकर या पेशनर हैं। उनका मस्तिष्क नौकरियों और जगहों के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। किसान और मजदूर के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई निर्माणकारक स्कीम नहीं है, कोई क्रियात्मक उद्धार की नीति नहीं है। उन्हें नौकरी चाहिए, जिसका मतलब यही है कि विदेशी राज्य के साथ मिलकर गरीबों पर शासन करना, उनका सब से बड़ा आदर्श है। उन जगहों की संख्या भी बराबर बढ़ती रहनी चाहिए, वेतन और तरक्कियाँ भी बराबर बढ़ती जायँ, चाहे टैक्स और लगान देनेवाले खर्च के बोझ से पिस ही क्यों न जायँ। हाफिज जी ने भी मुसलमानों की सबसे बड़ी माँग यही नौकरी बतलायी। आप फरमाते हैं—

“नौकरी केवल रोटी का प्रश्न नहीं है, यद्यपि यह प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं है, बल्कि देश और जाति की सेवा और प्रभाव का प्रश्न है। मुसलमानों में बेकारी बढ़ रही है और मैं फौज और पुलिस में विशेषकर उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर देता हूँ, जिसकी मुसलमानों में विशेष प्रवृत्ति है।”

फौज में क्या इसलिए कि तरक्कियाँ जल्द मिलती हैं और पुलिस में शायद इसलिए कि वहाँ आमदनी खूब होती है। आगे चलकर हाफिज जी फरमाते हैं—

“इसलिए यह परमावश्यक है कि भारतीय, प्रान्तीय और प्रादेशिक सभी विभागों के अधीन जगहों पर मुसलमानों को वहाँ की व्यवस्थापक सभाओं में मुसलिम मेम्बरो की संख्या के अनुपात से जगहें दी जायँ, और यह अनुपात रिवाज पर न छोड़ा जाय, बल्कि व्यवस्था का अंग बना दिया जाय। फौज और पुलिस में उनकी संख्या अधिक रहनी चाहिए। उसी अनुपात से मुसलमान मिनिस्टरो की नियुक्ति भी कानून में आ जानी चाहिए।”

अगर हिन्दू सभा हाफिज जी के सामने यह प्रस्ताव रखे कि मुसलमानों और हिन्दुओं से जितना कर, लगान और टैक्स वसूल हो, उसी अनुपात से हिन्दू और मुसलिम आदमी नौकर रखे जायँ तो हाफिज जी क्या जवाब देंगे ?

४ दिसम्बर १९३३

डा० इकबाल का जवाब पंडित जवाहरलाल को

डा० इकबाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब देते हुए फरमाया है कि सर आगा खॉं ने महात्मा गांधी को हिन्दू-मुसलिम समझौते की जो शर्त पेश की थी, उन पर मेल करने को मुसलिम जाति आज भी तैयार है। अगर १९३१ में वे शर्तें भारत की राष्ट्रीयता के अनुकूल न समझी गयीं तो आज वह क्यों कर अनुकूल हो सकती है। हमारी साम्प्रदायिक सस्थाएँ हमेशा थोड़े-से पढ़े-लिखे समाज के हित को ही प्रधान समझ कर चलती हैं। किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से विचार करना, उनके लिए असह्य होता है। साधारण हिन्दू या मुसलिम जनता की ओर उनमें से किसी का ध्यान नहीं जाता, जो आर्थिक और भौतिक बाधाओं का समान रूप से शिकार हो रही है। जब तक नौकरियों और मेम्बरियों का यह मोह बना रहेगा, जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा पथ-प्रदर्शक बना रहेगा, और उसको हम साम्प्रदायिकता की आड़ में छिपाये रहेंगे, तब तक मेल होना मुश्किल है। जब तक हम अपने इतिहास और सस्कृति और ऐसे ही दूसरे ढकोसलो पर राष्ट्र के वास्तविक सिद्धांतों को हीम करते रहेंगे, उस वक्त तक यो ही संघर्ष होता रहेगा। उमका असली फ़ैमला तभी होगा, जब जनता खुद अपना भला-बुरा सोचने के लायक होगी और थोड़े से स्वार्थ-भक्त नेताओं के पीछे आँखें बन्द करके चलना छोड़ देगी। जब तक आरती और नमाज और गऊ-रक्षा और कुरबानी और बाजे के मसलो पर जनता में उत्तेजना फैलाना असभव न हो जायगा, उस वक्त तक यह मेल-जोल का मसला हल न होगा। और जब तक एक तीसरी पार्टी दोनों तरफ के पहलवानों को पुचारा देती रहेगी, तब तक साम्प्रदायिकता अपना काम करती जायगी। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि अफ्रीका में अग्रेजो और बौअरो में इतना द्वेष था कि दोनों में खून की नदी बह गयी, पर स्वराज्य मिलते ही दोनों एक हो गये। इसी तरह कैनाडा में भी अग्रेज और फ्रेंच जातियों में खूब लडाइयाँ होती रही, लेकिन अब स्वराज्य पा जाने पर उनमें कोई मतभेद नहीं नज़र आता। राष्ट्र-प्रेमियों के सामने इस वक्त सबसे ज़रूरी काम यही है कि जनता के दिल से पाखंड, अंधविश्वास और नुमायशी धार्मिकता के भावों को दूर किया जाय और वह अपने सच्चे और नकली हितैषियों को पहचानना सीखे।

११ दिसम्बर १९३३

साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय

पिछले अंक में हमने डा० सर मुहम्मद इकबाल के उस बयान की चर्चा की थी,

जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान आज भी हिन्दुओं से समझौता करने को तैयार हैं अगर हिन्दू उनकी सारी शर्तें मान लें, और उसके साथ ही आपने महात्मा गांधी की उस सलाह को अमानुषीय कहा था, जो उन्होंने हरिजनों को हिन्दू-समाज से पृथक् न करने के विषय में दी थी और हिन्दू-मुसलिम समझौता न होने का सारा इलजाम महात्मा गांधी पर रख दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बयान के जवाब में अपना बयान प्रकाशित कराया है, जिसमें आपने साम्प्रदायिक समस्या के हरेक पहलू पर विचार करने की चेष्टा की है, और यह सिद्ध कर दिया है कि वह विख्यात चौदह प्रश्न, जिनके आधार पर ही मुसलमान हिन्दुओं से समझौता करने को तैयार हैं और वे केवल मुट्ठी-भर शिक्षित मुसलमानों से ही सम्बन्ध रखते हैं। साधारण मुसलिम जनता को उनसे कोई लाभ नहीं। और शिक्षित मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्तियों की काफी संख्या है, जो उन चौदह प्रश्नों का समर्थन नहीं करते, अर्थात् सम्मिलित निर्वाचन के समर्थक हैं। ऐसी दशा में किसी मुसलिम पार्टी को मुसलिम जाति की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है। आज भी मुसलमानों में कई संस्थाएँ हैं, जो मुसलिम प्रतिनिधि बनने का दावा करती हैं, पर उनके दावे केवल ज़बानी हैं, उनमें से किसी ने भी मुसलिम जनता की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं प्राप्त किया है। मुसलिम जनता क्या चाहती है, इसके जानने का एकमात्र यही उपाय है कि व्यापक से व्यापक निर्वाचन द्वारा मुसलिम माँगें निर्धारित की जायँ और तब हिन्दू जाति को वह निरख्य स्वीकार करना पड़ेगा ! उसकी किसी सिद्धांत से भी वह उपेक्षा नहीं कर सकती। संभव है मुसलिम जनता इन चौदह बातों ही को स्वीकार कर ले, क्योंकि जनमत की बागडोर शिक्षित समुदाय के हाथों में रहती है, पर जब सभी दलों और विचारों के नेता मुसलिम जनता के सामने आ-आकर अपने दृष्टिकोण रखेंगे, उस वक्त जनता खुद अपने लिए कोई न कोई मार्ग चुन लेगी। तब वह संयुक्त मुसलिम जाति की माँग होगी और ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो उसका अनादर कर सके, लेकिन ऐसा प्रस्ताव किसी मुसलिम संस्था की ओर से नहीं किया गया।

बात यह है कि अभी तक काँग्रेस के सिवा और किसी राजनैतिक संस्था ने जनता का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। वे अधिकार चाहती हैं, नौकरियाँ चाहती हैं और ऐसे साधन चाहती हैं, जिनसे वे जनता को अपने स्वार्थ का यंत्र बना सकें। जनसाधारण के हित का उन्हें कभी विचार ही नहीं आता।

वे जानती हैं कि जनता के सामने जाकर इन्हें जनता के हित के प्रस्ताव करने पड़ेंगे और जनहित का समर्थन करने में बहुत संभव है कि वे सरकार के कृपापात्र न बने रह सकें। यही कारण है वे जनता के सामने जाते डरती हैं। अगर आज मुसलिम लीग या मुसलिम काँग्रेस अपने चौदह प्रश्नों को लेकर जनता के सामने जाय, तो कदाचित् वह उन्हें ठुकरा दे। गुजरात या तामिल की मुसलिम जनता को उर्दू-लिपि से क्या प्रेम हो सकता है, सिंध बम्बई में रहे या पंजाब में साधारण जनता को उससे कोई दिलचस्पी

नहीं हो सकती । उसे तो उन्हीं प्रश्नों से रुचि होगी, जो उसकी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिनसे वह जीवन-संग्राम में सफल हो सके ।

जो लोग अपनी संस्कृति या सभ्यता की रक्षा की दुहाई दिया करते हैं, उन्हें पंडित जवाहरलाल ने बड़े सारगर्भित शब्दों में उत्तर दिया है, जो हम यहाँ नकल करते हैं—

“लेकिन संस्कृति के इस भेद का साम्प्रदायिक समस्य । सेक्या सम्बन्ध है ? भारत में सांस्कृतिक या वंशगत भेद मौजूद है, लेकिन इन भेदों का सम्प्रदायों से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर कोई आदमी किसी दूसरे मत में चला जाय, तो इससे उसके वंशगत या जीवगत संस्कार नहीं बदल जाते, न उसका सांस्कृतिक आधार ही बदल जाता है । संस्कृति राष्ट्रीय वस्तु है, धार्मिक नहीं । और नयी परिस्थितियों अंतर्राष्ट्रीय जाति-विभाग का ही विकास कर रही है । पूर्वकाल में भी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे पर असर पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय-प्रणाली ही प्रधान रहती थी । भारत, ईरान, चीन आदि प्राचीन देशों में ऐसा ही हुआ है ।

“मुसलिम संस्कृति क्या है ? यह सेमिटिक अरबी संस्कृत है या आर्य-ईरानी संस्कृति, या दोनों का सम्मिश्रण है ? अरब संस्कृति कुछ दिनों के उत्थान के बाद पीछे पड़ गयी, लेकिन उसके उत्थान काल में भी, ईरानी संस्कृति को उस पर छाप पड़ गयी थी । भारत पर उसका बिलकुल प्रभाव न पड़ा । ईरानी संस्कृति इसलाम के पहले की है, और यह इतिहास का एक विचारणीय प्रश्न है कि यह ईरानी-संस्कृति हजारों वर्षों से अपनी अस्तित्व बनाये हुए है । आज भी ईरान अपनी सांस्कृतिक जागृति के लिए पूर्व इसलाम काल की ओर आँखें उठा रहा है । निस्संदेह इस ईरानी संस्कृति की भारत पर छाप पड़ी और भारत ने भी उस पर अपना रंग जमाया, लेकिन फिर भी भारत की प्राचीन संस्कृति भारत में प्रधान रही और बाहरवालों पर उसकी छाप पड़ गयी ।

“आज भारत में मुसलिम और हिन्दू जनता में कोई वंशगत या सांस्कृतिक भेद नाम को भी नहीं है । ऊँचे दरजे के मुट्ठी-भर मुसलमान भी जो अपने को देश से बिलकुल अलग समझते हैं, भारत के रंग में रँगे हुए हैं और केवल ऊपर ही ऊपर उन पर ईरान का असर पड़ा है । क्या उनमें से कोई भी ईरान या टर्की या मिस्र या अरब में जाकर वहाँ की परिस्थितियों में अधिक प्रसन्न होगा ?”

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि “संस्कृति” क्या है ? हमारे इस ख्याल में संस्कृति के दो रूप हैं, एक वाह्य जगत से संबन्ध रखनेवाली, दूसरी अन्तर्जगत से । वाह्य संस्कृति का सम्बन्ध भाषा, पहनावा, शिष्टाचार शादी-व्यवहार आदि से है, आन्तरिक सम्बन्ध धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से । इस कसौटी पर मुसलिम संस्कृति को कसिये तो मालूम होगा कि प्रत्येक प्रान्त में हिन्दू और मुसलिम जनता की भाषा एक है, पहनावा एक है, शादी-व्याह की परिपाटी भी एक है । अबध या

बुदेलखड के किसी मुसलिम या हिन्दू किमान मे ऐसा कोई अन्तर न मिलेगा, जो एक को दूसरे से अलग कर सके। और आतंरिक विभिन्नता तो इससे भी कम है। जीवन के विषय मे दोनों का दृष्टिकोण एक है, दोनों धार्मिक है, दोनों ही भाग्यवादी है, दोनों ही शान्ति प्रिय है, दोनों ही सतोपी है। देहातो के मुसलमान भी जात-पाँत के बधनो मे उसी तरह बँधे हुए है, जैसे हिन्दू। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही मे समान है। फिर ममभ मे नही आता, वह कौन-सी मुसलिम संस्कृति है, जिसको इतना महत्व दिया जाता है। देहातो मे तो त्योहार और रीति-रिवाज भी एक से हो गये है। मुसलमान होली खेलते है, और रामलीला देखते है, और हिन्दू मुहर्रम मे ताजिये रखते है और मनोतियाँ करते है। हाँ इधर कुछ दिनों से दोनों ओर से मौलवी और पंडित साम्प्रदायिक मनोवृत्तियो को जगाने की चेष्टा कर रहे है। अन्त मे जवाहरलाल जी ने अपने बयान मे कहा है—

“बहरहाल डा० सर मुहम्मद इकबाल को यह मालूम हो जाना चाहिए कि अगर दोनों जातियो मे से कोई भी, चाहे वह बडी हो या छोटी, साम्राज्यवाद से मेल करना चाहती है तो भारत की राष्ट्रीयता उमका निरन्तर विरोध करती रहेगी।”

१८ दिसम्बर १९३३

भाई परमानन्द की संदेह दृष्टि

भाई परमानन्द को मुसलमानो मे कट्टरता और देश द्रोह के सिवा कुछ नजर ही नही आता। जो ख़ुलम-ख़ुना पृथकता-प्रेमी है, उनका तो आपको भय नही, आपको राष्ट्र प्रेमी मुसलमानो और जयैयतुलउलमा से विशेष भय है, क्योंकि ये लोग दोस्त बनकर दगा दे रहे है। आपके खयाल मे सभी मुसलमानो मे मिली भगत है, दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे है, केवल हिन्दुओ को आँख मे धूल भोकने के लिए अलग-अलग दल बन गये है। इसका जवाब इसके सिवा और क्या है कि जैसे आप दूसरो को देखते है, वैसे ही दूसरे भी आपको देखते है और ऐसे मुसलमान कम नही है, जो काँग्रेस को भी हिन्दू सभा का एक शिगूफा समझते है।

१ जनवरी १९३४

मुसलिम छात्रों से

बंबई मुसलिम स्टूडेंट्स यूनियन मे बम्बई-सरकार के अर्थसचिव सर गुलाम

हुसेन हिदायतुल्लाह ने जो भाषण दिया, उसे पढकर ऐसा कौन-सा राष्ट्रप्रेमी है, जिसका दिल आनन्द से खिल न उठेगा। इस साम्प्रदायिक हो-हल्ले के युग में वह भाषण व्यापक अन्धकार में एक दीपक के समान है। मुसलिम-नेताओं में ऐसे सज्जन उगलियों पर गिने जा सकते हैं, जो देश की समस्याओं पर राष्ट्र की दृष्टि से देखते हैं। आपने छात्रों को आत्मनिर्भरता का महत्व दर्शाते हुए यह बहुत सत्य कहा कि “बात-बात में अपने समुदाय के लिए विशेष रियायतों की हार्क लगाना अपमानजनक है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। हमें केवल अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, और इसी तरह हम अपने सामुदायिक कलक को धो सकेंगे।”

आगे चलकर आपने कहा—

“हमारा धर्म हमें ऐक्य की शिक्षा देता है, अपने सम्प्रदाय में ही नहीं, दूसरों के साथ भी। सच तो यह है कि इन्हीं साम्प्रदायिक भेदों से हमारा पतन हुआ है। हम सब बराबर हानि उठा रहे हैं। हमें अपने ही हितों के विचार से मिल जाना चाहिए। इन भेदों का कारण है अविश्वास और सन्देह। हम दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं देखते।”

इसके बाद आपने अपने सहधर्मियों की इस शंका का समाधान किया कि हिन्दू उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। आपने जोर देकर कहा कि यह शंका निस्सार है, “क्योंकि संख्या के हाथों में शक्ति नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क के हाथों में होती है।”

काश मुसलमानों में ऐसे समदर्शी सज्जनों की संख्या इतनी कम नहीं होती।

२२ जनवरी १९३४

काश्मीर में फिर दंगा हुआ

पहले दंगे के बाद काश्मीर में नया विधान हुआ और हमारा खयाल था कि नयी व्यवस्था जनता की शिकायतों को दूर करेगी और वहाँ सुख और शान्ति का राज्य हो जायगा, लेकिन इधर जो समाचार आ रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि जनता इस व्यवस्था से भी सतुष्ट नहीं है। जब घरों से स्त्रियों और बालकों के जल्ये निकलते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि जनता को विशेष कष्ट है, नहीं औरतें मैदान में नहीं आती। वास्तविक दशा क्या है, और क्यों जनता ने यह आंदोलन उठाया है, इस पर इन समाचारों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। बस इतना ही मालूम होता है कि जनता न पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने उन पर गोलियाँ चलायीं। गोलियाँ चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन यह सुशासन नहीं है। सुशासन तो वह है कि जनता सुखी और

सन्तुष्ट हो। वह समय अब नहीं रहा कि केवल कागजी बुजारों से जनता का सन्तुष्ट कर दिया जाय। जनता अखिलियार चाहती है जिसे वह अपनी तकलीफों को दूर कर सके।

१२ फरवरी १९३४

सर्वदल सम्मेलन का विरोध

सर्वदल सम्मेलन को हमने पहले भी बेवक्त की शहनई समझा था और अब भी ऐसा ही समझते हैं। सफेद कागज का सबसे आपत्ति-जनक भाग उसकी साम्प्रदायिकता है। उस पर सर्वदल सम्मेलन के सचालक जबान नहीं खोलना चाहते। तो अब ऐसी और कौन-सी बात रह गयी है, जिस पर भारत की सभी प्रमुख राजनैतिक सस्थाओं ने अपना मत न प्रकट कर दिया हो। सरकार जो व्यवस्था कर रही है वह यह जानकर कर रही है कि इससे भारतवालों को सतोष न होगा। उसे मुसलमानों, जमींदारों और सरकारी नौकरों के सहयोग से भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकना है, और वह ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकती जिसे उसकी शक्ति रस्ती-भर भी कम हो। उसने तो इस व्यवस्था से अपने को और मजबूत बनाने का प्रयत्न कर लिया है। राजनीति के आचार्यों ने एक स्वर से कह दिया है कि यह व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से भी गयी-गुजरी है। ऐसी दशा में सर्वदल सम्मेलन के प्रस्ताव सरकार पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार पर दबाव डालने का उसके पास क्या साधन है। इस जमाने में उन्ही प्रस्तावों की सुनवायी होती है, जिनकी पुरत पर शक्ति हो। खाली प्रस्तावों से कुछ नहीं होता।

१२ फरवरी १९३४

साम्प्रदायिकता और स्वार्थ

इस सघर्ष के युग में हर किसी को गिरोहबन्दी की सूझती है। जो गिरोह बना सकता है, वह जीवन के हर एक विभाग में सफल है, जो नहीं बना सकता, उसकी कही पूछ नहीं—कही मान नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने जात और अपने प्रान्त की दुहाई देते हैं। अगर हम बंगाली हैं, और हमने दवाओं की दूकान खोली है, तो हम हरेक बंगाली से आशा रखते हैं कि वह हमारा ग्राहक ही जाय, हम बंगालियों को देख कर उनसे अपनापन का नाता जोड़ते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रान्तीय भावना की

शरण लेते हैं। अगर हम हिन्दू हैं और हमने स्वदेशी कपडों की दूकान खोली है, तो हम अपने हिन्दुत्व का शोर मचाते हैं और हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता को जगा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अगर इसमें सफलता न मिली, तो अपनी जाति विशेष की हाँक लगाते हैं। इस तरह प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की जड़ भी कितनी ही अन्य बुराइयों को भाँति हमारी आर्थिक परिस्थिति से पोपक रस खींचकर फलती-फूलती रहती है। हम अपने ग्राहकों को विशेष सुविधा देकर अपना ग्राहक नहीं बनाते, संभव है उसमें हमारी हानि हो, इसलिए जातीय भेद की पूँछ पकड़ कर बैतरणियों के पास पहुँच जाते हैं।

१६ फरवरी १९३४

साम्प्रदायिकता का ज़हर महिलाओं में

दिल्ली के रिसाला “असमत” में एक मुसलिम महिला लिखती है—गत वर्ष की मर्तुमशुमारी बतला रही है कि सात करोड़ मुसलमानों में मुश्किल से साठे चार लाख शिक्षित हैं, जिनमें अंग्रेजी जाननेवाले करीब दो लाख हैं और फारसी, उर्दू आदि जाननेवाले ढाई लाख। मुसलमानों के स्कूल और कालेज आप जगलियों पर गिन सकेंगे, लेकिन हिन्दुओं की असंख्य युनिवर्सिटियाँ कायम हैं। लगभग सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों में हिन्दू प्रोफेसर हैं। उनकी शिक्षा अच्छी है, इसलिए सभी सरकारी ओहदों पर हिन्दू भरे हुए हैं। जज, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डाक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, कोई ऐसा आला पेशा न होगा, जिसमें हिन्दू कसरत से न मौजूद हो।”

देवी जी को यह भ्रम कदाचित् साम्प्रदायिक पत्रों के पढ़ने से हो गया है। मुसलमान हिन्दुओं से ज्यादा शिक्षित हैं, सरकारी ओहदों पर भी मुसलमान कसरत से हैं, हिन्दुओं से कहीं ज्यादा। पुलिस और माल में तो एक तरह से उन्हीं का साम्राज्य है। आमदनी के सारे विभागों पर उन्हीं का कब्जा है। हाँ, डाकखाना या क्लर्की जैसे रुखे-सूखे विभागों में हिन्दू ज्यादा हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने इधर ध्यान ही न दिया, क्योंकि यहाँ सूखा वेतन था और काम ऑखफोड़ और गरदन तोड़। मगर अब इन विभागों में भी यह कमी पूर्ण होती जा रही है।

२६ मार्च १९३४

साम्प्रदायिक बँटवारा

साम्प्रदायिक बँटवारे का प्रश्न बड़ा जटिल है, और बार-बार चेष्टा करने पर भी उसे हल नहीं किया जा सका। मुसलमानों को जो कुछ मिल गया है, उसमें वह रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहते। अब काँग्रेस क्या करे? अगर वह इस बँटवारे में हाथ लगाती है, तो हिन्दू-सभा इस प्रश्न को लेकर स्वयं मैदान में आ जाती है, और हिन्दुओं की साम्प्रदायिक चेतना को भडका कर स्वराजिस्टो या काँग्रेसी उम्मेदवारों की सफलता में बाधक हो जाती है। इस वक्त वह चेतना चाहे बलवती न हो, लेकिन चुनाव के समय वह अपने जबड़े और पंजे निकाल कर भयानक बन जायगी। लेकिन काँग्रेस की विजय अपने आदर्श पर जमे रहने में है, चाहे उसकी हार ही क्यों न हो जाय। उसके लिए हरेक भारतीय भारतीय है, वह दाढ़ीवाला है या चोटीवाला, पुराणवाला है या कुरानवाला इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं। अगर वह एक बार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेगी, तो फिर जात-पाँत के इस दलदल में उसके लिए पाँव रखने का ठिकाना न मिलेगा। ब्राह्मण अपनी जन सख्या के अनुपात से अपना हिस्सा माँगेगे, क्षत्री अपना, वैश्य अपना, शूद्र अपना। वह किस-किस वर्ग को संतुष्ट कर सकेगी? उसके लिए सभी भारतवासी बराबर हैं, चाहे वह किसी सम्प्रदाय के हों। अगर हिन्दू सभा साम्प्रदायिकता के बल पर उसको परास्त कर सकती है, तो कोई मुझायका नहीं, उसकी जीत इसी हार में है।

२१ मई १९३४

सरकारी नौकरियाँ और साम्प्रदायिकता

भारत सरकार के गृहविभाग ने सरकारी नौकरियों के बँटवारे के संबंध में, अभी-अभी जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, उससे उसकी नीयत का ठीक-ठीक पता लग जाता है। साम्प्रदायिकता के नाम पर, मुसलमानों के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। हमारी समझ में तो इसका अर्थ यही है कि सरकार हमारी राष्ट्रीय प्रगति को कुचलने का प्रयत्न कर रही है। वह नहीं चाहती कि हममें जीवन आ जाय। इस प्रकार साम्प्रदायिकता का पोषण करके वह हमारी राष्ट्रीयता को हवा में उड़ा देना चाहती है। सरकार का यह खल बड़ा भयावह है। राष्ट्र के लिए यह कितना खतरनाक सिद्ध होगा, इसकी कल्पना करते ही महान खेद होता है, लेकिन सरकार को इसकी क्या परवाह है। उसे तो राष्ट्रीयता छिन्न-भिन्न करनी है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति ने स्पष्ट शब्दों में नौकरियों के साम्प्रदायिक विभाजन का विरोध किया है। किन्तु सरकार तो

अपनी ही मनमानी करती है। हम उसके इस रुख को घातक समझते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम मुसलमानों की उन्नति के विरोधी हैं। हमें उनके लिए पच्चीस प्रतिशत स्थानों के सुरक्षित होने पर भी खेद नहीं है, खेद है, हम साम्प्रदायिक मनोवृत्ति पर, जिससे राष्ट्रीयता का गला घुट रहा है। नौकरियों के इस प्रकार विभाजन से क्या होगा? साम्प्रदायिक द्वेष की मनोवृत्ति पनपेगी, धर्मान्धता बढ़ेगी, हृदय ईर्ष्यालु होंगे, योग्यता का मूल्य गिर जायगा। मूल्य रहेगा, साम्प्रदायिकता का। उसी का भयानक ताण्डव दृष्टिगोचर होगा, और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक हो सकता है, यह किसी भी समझदार व्यक्ति की समझ से बाहर की बात नहीं है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति इस दृष्टिकोण का विरोध करेगा और चाहेगा कि नौकरियाँ सम्प्रदाय के नाम पर नहीं, योग्यता के नाम पर दी जायँ। फिर चाहे उसमें मुसलमानों के हाथ पच्चीस के बजाय पचास प्रतिशत ही क्यों न लग जायँ, किसी समझदार को इससे दुःख न होगा। लेकिन इस प्रकार साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का विभाजन किया जाना खतरनाक है। इस प्रकार की नियुक्तियों से न तो हिन्दुओं ही को लाभ हो सकता है, न मुसलमानों को; बल्कि इससे दोनों के बीच स्थायी मतभेद और विरोध की नींव पड़ेगी। हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार का यह प्रयोग, केवल राष्ट्रीय हित को खतरे में डालने के लिए ही हुआ है। हिन्दु और मुसलमानों का एक होना वह पसन्द नहीं करती और इसी कामना से उसने राष्ट्रीय जीवन में इस साम्प्रदायिक विष का इजेक्शन किया है।

जुलाई १९३४



दूत - अदूत

महान तप

कल यरवदा जेल मे वह महान् तप आरम्भ होगा, जिसकी कल्पना से ही रोमांच हो जाता है। भारत की तपोभूमि मे इससे पहले भी बड़ी-बड़ी कठिन तपस्याएँ की गयी हैं, लेकिन यह तपस्या अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास मे ही नहीं, संसार के इतिहास मे भी इसकी नजीर न मिल सकेगी। ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, प्रभुता के लिए, औरो ने भी तप किये हैं, पर राष्ट्र के लिए प्राणो की आहुति देने का संकल्प महात्मा गांधी ही की कीर्ति है। वह सेवा-यज्ञ जो आज से चालीस वर्ष पहले दक्षिण अफ्रिका मे हुआ था, उसकी यह पूर्णाहुति है। धन्य हो महात्मा ! राष्ट्र की सेवा मे तुम पहले ही अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे। एक प्राण रह गया था। उसे भी राष्ट्र ही की भेंट करने जा रहे हो। एक समय दक्षिण ने भी राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणो का बलिदान किया था। हम अपनी अश्रद्धा के कारण उसे पौराणिक कथा समझे बैठे थे, पर आज तुमने उस प्राचीन मर्यादा को, उस प्राचीन आदर्श को, उस प्राचीन आत्मोत्सर्ग को, पुनर्जीवित कर दिया। इस छल प्रपंच के युग में तुमने सत्ययुग की प्रतिष्ठा कर दी और दिखा दिया कि सत्ययुग और कलजुग केवल हमारे चित्त की वृत्तियाँ हैं। श्रीरंगा ऐयर ने केंद्रीय व्यवस्थापक सभा मे इस संकल्प की आलोचना करते हुए सत्य ही कहा है कि कृष्ण भगवान् ने भारत का उद्धार करने के लिए तुम्हारा रूप धारण किया है। राष्ट्र पर इस समय जो सकट पडा हुआ है, उसका मोचन तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। राष्ट्र की नौका साम्प्रदायिक भँवर मे चक्कर खा रही थी। समस्त देश इन परिस्थितियों को देख-देख कर निराश और हताश हो रहा था। कही-कही साम्प्रदायिक द्रंढ छिड़ गया था। राष्ट्र के मूल तत्व को हम भूल से गये थे। गोलमेघ फिर कैसे हो, उसमे कौन जाय, आदि गौण बातो मे पडे हुए थे। उसी समय यरवदा जेल की ऊँची चारदीवारियों को भेदती, सरकार की गोपन नीति को चीरती हुई तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा की आवाज, आकाशवाणी-सी, हमारे कानो मे आती है, और सारा देश सचेत

हो जाता है, हमारी सुरफाई हुई आशा फिर लहलहा जाती है, हमारी निर्जीव देह में जान पड़ जाती है। हमारी आँखें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि जब राष्ट्र ही न रहा तो स्वराज्य कहाँ, जब सस्कृति ही न रही, तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ। भारतीय राष्ट्र का आदर्श मानव शरीर है जिसके मुँह, हाथ, उदर और पाँव ये चार अंग हैं। इनमें से किसी एक अंग के विच्छेद हो जाने से देह अपग या निर्जीव हो जायगी। हमारे शूद्र भाई इस देह रूपी राष्ट्र के पाँव ही कट जाँय, तो देह की क्या गति होगी ? इस अंग विच्छेद की थोड़ी-बहुत पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को हुई। लेकिन वह हृदय, जो सारे भारत की चेतना का केन्द्र है, इस पीड़ा से विकल हो उठा। उसे मर्मांतक वेदना हुई और उसका चीत्कार संयम और अहिंसा के बंधनों को तोड़ता हुआ निकल आया। आज वह चीत्कार समस्त भारत के वायुमंडल में प्रतिध्वनित हो रहा है। वह नश्वर की भाँति हमारे दिलों में चुभा जा रहा है। हम सिर थाम कर उस व्यथा का अनुभव करते हैं और अपनी परवशता पर रो उठते हैं। आज हम इतने बेकस और बेबस हैं, कि उस वेदना का अनुभव करके भी, हृदय से निकलनेवाली आह सुनकर भी, छुरी को पाँव से अलग नहीं कर सकते।

हम स्वीकार करते हैं, शूद्रों के साथ हमने अन्याय किया है। हमने उन्हें जो भर कर रौंदा, कुचला, दला। इस अन्याय ने जिस हृदय को सब से ज्यादा दुखी किया है, वह उसी तपस्वी का हृदय है, जिसने अपना जीवन दलित भाइयों की सेवा में ही व्यतीत किया है। आज वह देखता है कि उसके जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना धूल में मिली जा रही है। उसने जिस राष्ट्रीय एकता का भवन खड़ा करने के लिए एक-एक कंकड़ जमा किया था, वह सारी सामग्री उसकी आँखों के सामने बिखरी जा रही है। मानो उसका जीवन ही निरर्थक हुआ जा रहा है। क्या हमारी ब्रिटिश सरकार उस वेदना का अनुभव कर सकती है ! उस अन्याय के प्रायश्चित्त-स्वरूप वह क्या कुछ न करता, वह यहाँ तक राजी है कि दलितों के लिए शिक्षा और जायदाद की कोई शर्त न रखे, उनके हरेक बालिग स्त्री-पुरुष को निर्वाचन का अधिकार दे दो, शेष हिन्दू-समाज के लिए निर्वाचन की जितनी कड़ी शर्तें चाहे लगा दो, पर अछूतों को हिन्दुओं से अलग न करो, क्योंकि इससे केवल हिन्दू समाज की ही क्षति न होगी, अछूतों का अस्तित्व ही न रहेगा। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा न्याय और क्या किया जा सकता है। ऐसा विचार उसी आत्मा से निकल सकता है, जो अछूतों की सेवा विवतन करते-करते स्वयं अछूत भावना से झोत-प्रोत हो गया है। हम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं जानते, जिसने इस एकाग्रता, इस प्रेम और इस उत्सुक से दलित-समाज की सेवा की हो। महात्मा उन व्यक्तियों में हैं, जो दलितों के उद्धार में ही हिन्दू जाति के उत्थान और उत्कर्ष का रहस्य छिपा हुआ देखते हैं, जो हिन्दू जाति के मुख से अन्याय के इस कलंक को मिटा देने के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण कर देने को तैयार हैं। जिस

पीढ़े को उन्होंने तीस साल तक अपने रक्त से सींचा, उस पर कुठाराघात होते देखकर वह कैसे शान्त बैठे रहते ! यदि उन्हें अणु भर भी यह विश्वास होता कि इस विच्छेद से अछूतो के उपकार की संभावना है, तो सब से पहले वह इसका स्वागत करते । सारा हिन्दू-समाज एक तरफ होता, पर वह अकेले, न्याय के बल पर, इस निर्णय को स्वीकार करते । राजनैतिक स्वार्थ का मार्ग यदि न्याय-मार्ग से पृथक हो, तो महात्मा जी वह अन्तिम व्यक्ति है, जो उस मार्ग पर अग्रसर होंगे । वह देखते हैं कि दलित समाज का जीवन हिन्दूजाति पर इतना अवलंबित है कि सरकार चाहे कुबेर का कोष लेकर भी आये तो उनकी रक्षा नहीं कर सकती ।

दलितों के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है—सम्मिलित निर्वाचन । यही उनके उत्थान का मूलमंत्र है । उनमें शिक्षा-प्रचार होते अभी बहुत दिन लगेंगे । उनमें कालगति से जो कुसस्कार आ गये हैं उनका परिशोध भी समय लेगा । हिन्दू जाति में न्याय-भावना को व्यापक रूप से जगाने में भी बहुत दिन लगेंगे । शिक्षित-समाज में तो ऊँच नीच का भाव बहुत दूर हो चुका है । हाँ, अभी उसने क्रियात्मक रूप नहीं धारण किया, लेकिन अनुदारों की सख्या अभी बहुत ज्यादा है । ग्रामों में अभी इस उदारता का, इस जाग्रति का, प्रकाश नहीं फैलने पाया । ये सभी साधन छ मासवाले रास्ते हैं । निरुत्तम मार्ग सयुक्त निर्वाचन ही है, जिसके सम्मुख यह भेद-भाव, यह भिन्नता, यह गर्व ठहर नहीं सकता । उस निर्वाचन में ऐसे अनुदार व्यक्तियों के लिए स्थान ही नहीं है, जिन पर दलित समाज को विश्वास न हो, जिनसे इसे भलाई की आशा न हो, जिन्हें वह अपना सच्चा हित न समझता हो । हमें विश्वास है कि अगर आज किसी गाँव के चमार या पासी या मुसहर से जिज्ञासा की जाय, तो वह हिन्दू जाति से अलग होना कदापि स्वीकार न करेगा । वह हिन्दू-समाज में रहकर अपना उद्धार चाहता है, हिन्दू-जनाज से निकल कर नहीं । हमारे देखते-देखते कितनी ही जातियाँ, जो पहले नीच और दलित थी, आज अपने संस्कारों को बदलकर जनेऊ पहन रही हैं, अपने आचरण सुधार रही हैं, अखाद्य पदार्थों का परित्याग कर रही हैं । उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यह पतन अज्ञान और आचरण-हीनता ही के हाथों हुआ । यह क्रिया बड़े जोरों के साथ जारी है । वे अब सन्ध्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, धर्म ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं । वे अब अपनी सेवा का गौरव समझने लगे हैं । उनके देवता वही हैं जो सब हिन्दुओं के हैं । आदर्श वही है, विश्वास वही है, दृष्टिकोण वही है । हिन्दुत्व उनके अणु-अणु में भरा हुआ है । उसे आप उनके अन्दर से निकाल नहीं सकते । एक समय था, जब कुलीनता के मतवाले हिन्दुओं को दलितों की बिलकुल परवाह न थी । वे ईसाई हो जाँय, मुसलमान हो जाँय, हिन्दुओं के कान पर जूँ नहीं रोगती थी, पर अब हिन्दू समाज इतना चेतना-शून्य नहीं है । दलितों के लिए अब मन्दिर खुलते जा रहे हैं, कुओं पर भी वह रोक-टोक नहीं रही । कट्टरता बड़ा कष्ट-साध्य रोग है, लेकिन लक्षण कह रहे हैं कि उसका आसन उखड़ गया

है। पृथक् निर्वाचन से इस स्वाभाविक क्रिया के मार्ग में ऐसी बाधा आ खड़ी हुई है, जो रोग और रोगी दोनों ही का अन्त कर देगी। इसी बाधा को हरने के लिए महात्मा जी अपने प्राणों को भेट चढ़ाने जा रहे हैं।

अब हमारा क्या कर्तव्य है? यो ही भाग्य को रोकर, अपने कुदिन को कोसकर, बैठे रहेंगे? कदापि नहीं। महात्मा जी के इस वचननिर्घोष ने सारे देश में तहलका डाल दिया है। घर-घर में यही चरचा है। समस्त देश एक स्वर से कह रहा है—हम राष्ट्र की इस आशा को अपने जन्म-जन्मान्तरो के तप के इस वरदान को, अपने प्राणों के प्राण गांधी को, यो बलिबेदी पर न चढ़ने देंगे। हम अपने उन अछूत भाइयों को जो हमसे छूठ गये हैं, मनायेंगे, उनके चरणों पर गिरकर मनायेंगे। हमें विश्वास है डा० अम्बेडकर और मि० श्रीनिवासन भी राष्ट्र की इम याचना को अस्वीकार न करेंगे। हमारी नौका को भँवर से निकालकर पार ले जानेवाला अकेला गांधी हैं। उसी में वह सामर्थ्य है, वह देवत्व है, वह ऐश्वर्य है। हमें विश्वास है वह ईश्वर के दरबार से हमारे उद्धार का बीड़ा लेकर आया है, हम उन दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जब वह स्वाधीनता का वरदान लाकर जीर्ण और निराश माता की भेट करेगा। क्या सामर्थ्यवान गांधी भी विधि की इस गति को टाल सकता है? नहीं, नहीं, नहीं।।

१६ दिसम्बर १९३२

हमारा कर्तव्य

समझौता हो गया। छूत-अछूत सभी नेताओं ने मिलकर बम्बई के गवर्नर के पास अपना लिखित समझौता पेश कर दिया था और ब्रिटिश और भारत सरकार के पास भी सूचना कर दी गयी थी, आज ता० २६-६-३२ का तार है कि भारत मन्त्री ने उसे मजूर कर लिया।

उस महान् आत्मा के अनशन व्रत ने, उसकी तपस्या ने, केवल सात दिनों में यह दिखला दिया कि वास्तव में तपस्या कितनी बलवती होती है। उस महान् आत्मा की तपस्या ने, ब्रिटेन के महान् राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ़ दीवार को, जो हिन्दू अछूतों को अलग करने के लिए बड़े गहन कौटिल्य के सीमेंट से तैयार की गयी थी, विध्वस्त कर दिया। छूत-अछूत का वह मसला, जो आगामी गृह-युद्ध का संकेत कर रहा था, और इसी के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जिसकी-नींव को दृढ़ किया था, हल हो गया।

महात्मा जी की तपस्या ने हमारे एक महान् संकट को अवश्य ही टाल दिया है, किन्तु हमने अभी अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह नहीं किया। अभी हमारे सामने बहुत

बड़ा कर्तव्य खड़ा हुआ है। हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा, जब हम देश के वर्तमान अछूतपन को जड़मूल से नष्ट कर देंगे। यदि हम उस पवित्रात्मा से, महान् आत्मा से सच्ची श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो हमारा प्रधान कर्तव्य है कि हम उसके हृदय की माँगो को पूरा करें। इन सात दिनों के समय में जो कुछ हुआ, वह अभूतपूर्व है। सारे संसार में यह सात दिन भुलाये नहीं जा सकते—ऐतिहासिक हो गये। विश्व का कोई भाग ऐसा नहीं, जहाँ इन सात दिनों के प्रतिपल में, प्रतिक्षण में आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्ची सहानुभूति महात्मा जी को न अर्पित की गयी हो।

पर, अभी कुछ ऐसे प्राणी भी इस संसार में हैं जिन्हें, अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं सूझता। महात्मा जी के प्राण भले ही चले जाँय, उन्हें परवा नहीं। वे अपना ढकोसला नहीं छोड़ेंगे, वे अपना धर्म जरूर बचायेंगे और मन्दिरों में अछूतों को नहीं प्रवेश करने देंगे।

पर धर्म वस्तुतः बुद्धिग्राह्य नहीं, हृदयग्राही है। हम से अलग वह कोई चीज नहीं है। वह एक ऐसी चीज है कि जो अपने हृदय में से ही विकसित होती है। वह सदा हमारे अन्तर में ही है।

यह युग, प्रकाश का युग है। इसमें अब अन्धकार नहीं रह सकता। वह दिन अब नहीं रहे, जब धर्म के नाम पर लोग काशीकरवत लिया करते थे। अब विवश होकर युग-धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अछूत इसीलिए तो अछूत है कि वे जन-समाज के स्वास्थ्य के लिए उनके घरों की सफाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनमें और अछूतों में क्या अन्तर है? जैसे वे मनुष्य हैं, अछूत भी हैं। यदि अछूत उनके घर का मल-मूत्र साफ करते हैं, तो वे भी तो इस कार्य से वंचित नहीं हैं। वे भी तो रोज सुबह सबसे पहले यही काम करते हैं। बाल-बच्चों के घर में प्रायः सभी वर्ण की स्त्रियों को यह कर्म करना पड़ता है। रोग-काल में भी मल-मूत्र उठाने का काम प्रायः घर के ही लोग करते हैं। उस समय कोई मेहतर घर में से मैला उठाने नहीं आता। फिर क्यों इस दुर्विचार का पोषण किया जाता है, क्यों अपने ही हाथों अपने पैरों को काटने की कोशिश की जाती है? क्या कोई भी वर्णाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि वास्तव में यह छुआछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है? नहीं, कोई भी यह नहीं कह सकता। एक स्वार्थ ही इसका कारण है। पर याद रहे, यह इस समय का स्वाथ, वर्ष दो वर्ष चाहे उनकी छाती को ठंडा भले ही कर दे, पर आगे वह उनकी पुरानी से पुरानी, दृढ़ से दृढ़ बुनियाद को भी उखाड़ फेंकेगा। वे स्वार्थ के जिस सुन्दर खिलौने से बच्चों की तरह झिलवाड़कर रहे हैं, वह असल में डायनमाइट है, जो उनकी सात पुशतों को ध्वस्त कर डालेगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए, वरना फिर पश्चाताप का भी समय न मिलेगा। स्वार्थ त्याग को हिन्दू-धर्म में एक यज्ञ कहा गया है।

ऐसे समय में देश के उदारचेता, बुद्धिमान युवक समाज को अश्रीर नहीं हो

जाना चाहिए, क्रोध में नहीं भर जाना चाहिए। ऐसे समय महात्मा जी का सत्याग्रह-मंत्र ही एक उपाय है। क्रोध में तो हिंसा और उमका परिणाम सर्वदा हानिकर है। ऐसे समय देश के प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पहले अपने आपके हृदय से ऊँच-नीच और छुआछूत के भावों को विनष्ट कर दे।

एक-एक व्यक्ति यदि सचमुच अपने हृदय से अछूतपन की थोथी भावना निकाल देगा, तो वह सबके हृदय से धीरे-धीरे दूर हो जायगी—इसमें सन्देह नहीं।

प्रत्येक युवक को महात्मा जी का यह वचन याद रखना चाहिए जो एक बार उन्होंने कहा था कि—

“अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिन्दू-धर्म में हो, तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूधर्म में यह सब कुछ नहीं है। जब तक प्रत्येक हिन्दू अपने चमार भगी आदि भाइयों को भी अपने सगे भाई की तरह हिन्दू न समझे, तब तक मैं उन्हें हिन्दू ही नहीं समझूँगा। मनुष्य तिरस्कार और दया इन दो चीजों के साथ नहीं रह सकता।”

देश के प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य इस समय यहाँ है कि महात्मा जी के इन वचनों पर ध्यान दे, विचार करे और उन्हें आचरण में लाकर देश के और धर्म के कलंक को दूर करे।

उन्हें महात्मा जी की यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हिन्दू-धर्म पर से यह कलक दूर न करके उसी से चिपटे रहेगे, तब तक वे कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकते।

इस समय देश के प्रत्येक सच्चे हिन्दू का ध्यान केवल इसी ओर होना चाहिए कि वह जो-जान से महात्मा जी की सनातनधर्म की पूर्ति में अपनी शक्ति लगा दे। ऐसा न हो कि उनकी उदासीनता से महात्मा जी को फिर अपने पर सकट उपस्थित करना पड़े !

२६ सितम्बर १९३२

काशी का कलंक

महात्मा गांधी के अनशन-व्रत से देश भर में अस्पृश्योद्धार का जो व्यापक आन्दोलन चल रहा है, उसमें देश के सभी सनातनधर्मी शामिल हैं। अगर यह कहा जाय कि इस नवीन जाग्रत आन्दोलन में जो शरीक हो रहे हैं या हुए हैं, वे सनातनधर्मी नहीं हैं, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि सनातनधर्मी जनता इस देश में है ही नहीं, अथवा यदि है भी, तो उँगलियों पर गिन लेने योग्य, क्योंकि गाँव-गाँव और नगर-नगर में जो

सभाएँ हो रही हैं या हुई हैं, उनमें समस्त स्थानीय जनता ने एक स्वर से अछूतों को हृदय से अपनाने की घोषणा की है। यदि ऐसा करनेवाले सब के सब आर्यसमाजी या काँग्रेसधर्मी हैं, तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि देश में अब सनातनधर्मी का हिमायती एक व्यक्ति भी नहीं है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, सनातनधर्म आज भी जीवित है और आगे भी अनन्तकाल तक रहेगा। किसी के नष्ट करने से न तो वह नष्ट होगा, और न किसी के रक्षा करने से वह सुरक्षित रहेगा। ईश्वर ही उसकी रक्षा करता है, करेगा और कर सकता है। फिर भी काशी के कुछ मुट्ठी-भर पंडित यह चाहते हैं कि सनातनधर्म की रक्षा का काम ईश्वर से जबर्दस्ती छीन लिया जाय। बाहर की जनता समझती है कि काशी में कुछ बड़े धर्मनिष्ठ और शास्त्र-पारंगत तथा पुण्यात्मा पंडित मौजूद हैं, जो हिन्दू धर्म के तत्व और रहस्य को सूक्ष्म रीति से समझते हैं तथा संकट के समय उसकी रक्षा का ज़ुपाय करते हैं, किन्तु काशी की जनता खूब जानती है कि सनातनधर्मी और वर्णाश्रम धर्म के नाम पर होहल्ला मचाकर देश की सामाजिक जागृति और राजनीति के प्रगति में बाधा पहुँचाने और रोड़े अटकानेवाले काशीस्थ पंडित कितने पानी में हैं। काशी की जनता यह भी देखती है कि वे लोग शास्त्रों के बल पर कहाँ तक हिन्दू जाति की रक्षा कर रहे हैं—विधर्मियों के आक्रमणों से कहाँ तक हिन्दुओं को बचा रहे हैं और राजनीतिक संग्राम में हिन्दुओं के अधिकारों का किस प्रकार संरक्षण कर रहे हैं। हिन्दू महासभा के विरोध में जो ब्राह्मण-सम्मेलन काशी में किया गया था, और जो अभी तक हिन्दू-महासभा तथा काँग्रेस की जड़ में कुल्हाड़ी मारने में ही तत्पर हो रहा है, वह भी काशी के एक पंडित के दिमाग की ही उपज है, और सारे भारत के हिन्दू, आँखें फाड़कर यह देख रहे हैं कि हिन्दू-महासभा द्वारा हिन्दुओं का अधिक हित हो रहा है, या ब्राह्मण-महासम्मेलन द्वारा। प्रस्तुत आन्दोलन द्वारा ही यह सिद्ध हो गया कि हिन्दू जाति की रक्षा करने में कौन अधिक समर्थ है—काँग्रेस दल या शास्त्र-व्यवसायी दल? सरकारी साम्प्रदायिक निर्णय-द्वारा करोड़ों अछूत भाई हिन्दूसमाज से अलग हुए जा रहे थे—उन्हें वर्णाश्रम-स्वराज्य संघ ने क्यों नहीं बचा लिया? और जब महात्मा जी अपने प्राणों का बलिदान करके उन्हें बचाने लगे, तो वर्णाश्रम और सनातनी कहे जानेवाले काशी के कुछ शास्त्रीप-जीवी पंडितों ने महात्मा जी को सार्वजनिक सभा में अपशब्द तक कह डाले, किन्तु सूर्य पर थूकनेवाले की दुर्दशा सबको मालूम है। जिस काशी में धर्म की ध्वजा गाड़कर शास्त्र की वेदी पर पंडित लोग बैठे हुए हैं, उसी काशी में उनकी बात सुननेवाला कोई नहीं है। उनके साथ कितनी जनता है और महात्मा जी के आन्दोलन में कितनी जनता है, यह बिलकुल स्पष्ट है। फिर भी न जाने दो-चार पंडितों को कैसी सनक सवार है कि आंधी में गुड्डी उड़ाने का उपहासास्पद दुस्साहस कर बैठते हैं। संयुक्तप्रान्त का दौरा करते-समय महात्मा गांधी विगत वर्ष काशी में आये, तो केवल शास्त्राभिमानी पंडितों ने ही काले भंडे दिखाकर उनका स्वागत किया था। उस समय महात्मा गांधी के स्वागत और

व्याख्यान में कितने काशी निवासी एकत्र थे, तथा काले भूखंडों के साथ कितने थे यह देखने से ही स्पष्ट हो गया कि काशी में ही इन धर्मप्राण पंडितों के सच्चे साथी कितने हैं। महात्मा जी समस्त भारत में घूम आये थे, पर कहीं भी किसी सनातनी ने उनका अपमान नहीं किया था, किन्तु काशी ने अपने सिर कलक ले ही लिया। इससे यही सिद्ध हुआ कि भारत में और कहीं कोई सनातनी है ही नहीं, केवल काशी में ही मुट्टी भर बच गये हैं। अगर काशी के सिवा अन्यत्र भी कहीं सनातनियों का नाम-निशान होता, तो अन्य स्थानों में भी महात्मा जी को काले भूडे दिखाये जाते, या अपशब्द कहे जाते, किन्तु दुःख है कि सनातनधर्म के साथ-साथ काशी को भी कलंकित करनेवाले थोड़े-से हठधर्मी बनारस में बच गये हैं, जो व्यर्थ ही दूसरे का शकुन बिगाड़ने के लिए अपनी नाक कटा रहे हैं। वे लोग “दूल्हा की चाची” और “अपने मुँह मियाँ मिट्टू” बनना चाहते हैं, पर नहीं बन पाते, और कभी बन भी नहीं सकते। इस समय जब कि सारे देश में अछूतों को अपनाने और गले लगाने की धूम मच रही है, तब वे लोग मुश्किल से सिर्फ काशी में ही कुल सौ के करीब हैं,—नक्कारखाने में तूती की आवाज सुनाने का हौसला बाँधे हुए हैं। वे अछूतों को हिन्दू मानते हैं—बन्धु और वात्सल्यास्पद कहते हैं, मगर कोई सामाजिक अधिकार नहीं देना चाहते, मदा उन्हें दलित और पतित ही बनाये रखना चाहते हैं। तो, अब उपाय यह है कि जो हिन्दू महात्मा गांधी को हिन्दू-जाति का सच्चा रक्षक समझता है, वह इस बात की प्रतिज्ञा करे कि महात्मा जी के प्राण प्यारे अछूत जिस मन्दिर में न जाने पावेंगे, उसमें हम भी नहीं जायेंगे, और जो शास्त्राभिमानी पंडित या पुजारी या पंडा महात्मा जी को धर्म-द्रोही और अहिन्दू कहेगा, उसको किसी प्रकार का दान या पूजा-चढ़ावा नहीं देंगे। जो लोग अछूतों को हिन्दू बनाये रखते हैं और इसी में हिन्दू-जाति का सच्चा कल्याण समझते हैं, वे प्रतिज्ञापूर्वक अछूतों के लिए अलग मन्दिर बनावे और धर्मप्राण पंडे पुजारियों को पैसे और दक्षिणा देकर अपमान खरीदने से बचे रहें। यदि विश्वनाथ जी का मन्दिर अछूतों के लिए नहीं खुलेगा, तो अछूत भाइयों के साथ मिलकर करोड़ों हिन्दू इसी काशी में दूसरे मंदिर का निर्माण करके उसी में विश्वनाथ का आवाहन-पूजन करेंगे, क्योंकि विश्वनाथ किसी एक जाति या सम्प्रदाय के देवता नहीं हैं, वह तो प्राणी मात्र के पिता और नाथ हैं, उन पर सबका दखल-कब्जा बराबर-बराबर है। अब ऐसे ही आन्दोलन की जरूरत है और यह शीघ्र ही उठनेवाला भी है। अब शास्त्रीलोग अपना शास्त्र लेकर बैठे रहे और केवल उन्हीं से दान-दक्षिणा पाने की आशा रखें, जो उनकी बात मानें। बस। आगे की बात अगली बार फिर।

५ अक्टूबर १९३२

हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न

एक बार फिर सरकार ने अपने व्यवहार से भारत को एहसान के नीचे दबा दिया है। पूना के समझौते को तत्काल स्वीकार करके उसने सहृदयता का परिचय दिया था और ठीक उस वक्त, जब उसने मौलाना शौकतअली को महात्मा गांधी से यरवदा में मिलने का अवसर न देकर समस्त भारत में असनोष और निराशा का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, हरिजनों के उद्धार के विषय में महात्मा जी को लिखा पढ़ी करने और मिलने-मिलाने की अनुमति देकर फिर देश को अनुगृहीत किया है। इतने महान और युगान्तरकारी आन्दोलन को जेल के अन्दर से संचालित करना कठिन है, यह सभी समझ सकते हैं। और यदि सरकार ने इस अवसर पर महात्मा जी को मुक्त कर दिया होता, तो कहना ही क्या था, लेकिन सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम उसके कृतज्ञ हैं।

महात्मा जी ने सबसे पहले हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न लिया है। भारत धर्म-प्रधान राष्ट्र है और आज भी धर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पढे-लिखे समाज में चाहे धर्म केवल ढोंग रह गया हो और मन्दिर प्रवेश को चाहे वे एक व्यर्थ-सी बात समझते हों, और वास्तव में समझते भी हैं, लेकिन जनता अभी तक अपने धर्म को और अपने देवताओं को प्राणों से चिपटाये हुए है। उत्तर भारत में तो कुछ देवता ऐसे भी हैं, जिनके पुरोहित हमारे हरिजन भाई ही हैं। जिस गाँव में चले जाइये, चमारो या भरो के पुरवे में आपको किसी नीम के वृक्ष के नीचे दस-बीस मिट्टी के बड़े-बड़े हाथी, लाल रंगे हुए एक जगह रखे हुए मिलेंगे। वही एक त्रिशूल भी गड़ा होगा। एक लाल पताका भी पेड़ से बंधी होगी। यह देवों का स्थान है, इस चबूतरे का पुजारी कोई चमार, पासी या भर होगा। बर्खावाले हिन्दू स्त्री-पुरुष बड़ी श्रद्धा से देवी के चबूतरे पर जाते हैं, वहाँ बतासे, धूप-दीप, फूल-माला चढाते हैं। जब बर्खावाले हिन्दुओं को हरिजनों के इन देवताओं की उपासना करने और हरिजनों को अपना पुरोहित बनाने में शर्म नहीं आती—घृणा का भाव तो वहाँ किसी तरह आ ही नहीं सकता—तो हम नहीं समझते कि हरिजनों के हिन्दू-मन्दिरों में आ जाने से कौन-सा अधर्म हो जायगा। डा० अम्बेडकर ने महात्मा जी से इस विषय में मतभेद प्रकट करते हुए कहा है कि अछूतों को मन्दिर-प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी इस बात की कि साधारण हिन्दू उनसे सज्जनता का व्यवहार करे, और उन्हें अपने बराबर समझे, लेकिन इसका प्रमाण क्या होगा कि हिन्दू किसी अछूत से सज्जनता का व्यवहार कर रहा है। खाने-पीने की सम्मिलित प्रथा अभी तक हिन्दुओं में ही नहीं है, अछूतों के साथ कैसे हो सकती है। शहरो के दो-चार सौ आदमियों के अछूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। शादी-ब्याह इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की भिन्न-भिन्न

शाखाओं में परस्पर शादी नहीं होती, तो अछूतों के साथ यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। ये दोनों ही प्रश्न अभी बहुत दिनों में हल होंगे, अर्थात्—उस समय जब हिन्दू-जाति भेद-भाव को मिटा देगी। इस तरह की कड़े ईसाइयों और मुसलमानों में भी है। खान-दानी मुसलमान कभी अपनी लड़की का विवाह किसी नीचे मुसलमान—धुने, जुलाहे, मेहतर—से करना पसन्द न करेगा, चाहे वह कितना ही शिक्षित और धनी क्यों न हो। ईसाइयों में भी कुछ इसी तरह की पाबन्दियाँ हैं। हाँ, इन दोनों मतों के अनुयायी, चाहे किसी श्रेणी या पेशे के हो, बिना किसी रोक-टोक के मसजिदों और गिरजाघरों में जा सकते हैं। भाईचारे या बराबरी का यही एक व्यवहार है, जो अन्य धर्मों में प्रचलित है और इसी एक व्यवहार के हिन्दू-धर्म में न होने से इस धर्म के माथे पर इतना बड़ा कलक लगा हुआ है।

हिन्दू-समाज में इस विषयता के सब से बड़े समर्थक हमारे शास्त्रोपजीवी लोग हैं। वे अभी तक यही पुरानी लकीर पीटते जाते हैं कि स्मृतियों में कही इस तरह की समानता का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जब वेदान्त कहता है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा व्याप्त है, तो उसमें इस तरह का भेद कहाँ से आ सकता है। यह ठीक है कि हरिजनो में अभी बहुत-सी गंदी आदते हैं—वे शराब पीते हैं, गंदा काम करते हैं और मुरदार खाते हैं, लेकिन हिन्दू-समाज ज्योंही उन्हें अपने अन्दर स्थान देगा, ये सारी बुराईयाँ आप ही आप मिट जायेंगी। अभी तो हरिजन समझता है कि वह हिन्दुओं से पृथक् है, वह जो चाहे करे, जो चाहे खावे, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब वह हिन्दुओं में आदर का स्थान पा जायगा, तो स्वभावतः उसकी रक्षा करेगा।

अतएव मन्दिर प्रवेश का प्रश्न इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका हल जल्द न किया गया, तो भय है कि महात्मा जी फिर न अनशन शुरू कर दे, क्योंकि महात्मा जी के लिए इस विश्वास को दिल से निकाल डालना असंभव है कि हिन्दू-शास्त्रों ने अस्पृश्यता का आरोपण किया है। अगर यही हिन्दू-धर्म है जिसका अब उन्हें परिचय मिल रहा है, तो जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, उनके लिए जीवन में कोई आनन्द न रह जायगा। देखें, हिन्दू-समाज इसका क्या जवाब देता है।

१४ नवम्बर १९३२

अछूतों को मंदिरों में जाने देना पाप है

‘वाइमराय की सेवा में डेपुटेशन जा रहा है’

वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ का आन्दोलन

मगल के दिन सध्या-समय काशी की गर्द-भरी सड़को पर वह दृश्य देखने में

आया, जो हिन्दू-जाति के लिए लज्जाजनक ही नहीं, हास्यास्पद भी था। दो-ढाई सौ सस्कृत-पाठशालाओं के छात्र हाथों में लाल झण्डे लिये, एक जुलूस के रूप में यह हाँक लगाते चले आ रहे थे—

“अछूतो को मन्दिरों में जाने देना, पाप है।”

हाँक का पहला अंश एक आदमी के मुख से निकलता था, और दूसरा अंश सैंकड़ों कंठों से कोरस के रूप में निकल रहा था, लेकिन उन आवाजों में उत्साह न था, भक्ति न थी, अनुराग न था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई जीर्ण रोगी मृदुशय्या पर पड़ा हुआ कराह रहा है। जुलूस के पीछे एक जोड़ी थी, जिस पर कई वाचस्पति और मार्तण्ड फूलों के हारों से लदे, विद्या के निर्जीव भार से दबे, गर्वोन्नत भाव से बैठे हुए थे। विद्या का अभिमान उन्हें धरती पर पाँव न रखने देता था, जैसे कोई सेना-पति अपने सैनिकों को पहली पंक्ति में खड़ा करके आप सबके पीछे निश्चिन्त बैठा हुआ हो। या, यो कहिए कि यह महानुभाव उस बरात के दूल्हे थे, जिसे अपने पद की गरिमा जमीन पर पाँव न रखने देती थी। इस नाजुक मौके पर भी जब उनके विचार में हिन्दू-धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, वे अपनी महानता को नहीं भूल सकते। इधर महात्मा गांधी को देखिये। साबरमती से डाडी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आगे आप हैं, पीछे उनके सिपाही हैं। अपने उत्सर्ग से अपने सैनिकों में उत्सर्ग की शक्ति का संचार करते हुए चले जा रहे हैं। इन फीटन-आरोही मार्तण्डों में एक पुरी के श्री १०८ शंकराचार्य भी थे। इस निवृत्ति की उस प्रवृत्ति से तुलना कीजिए। वह ससार की सबसे महान शक्ति के स.पने, न्याय के बल और आत्मा के विश्वास के साथ, एक जाति के उद्धार के लिए अग्रसर हो रही हैं, और यह न्याय को पैरों से कुचलती, आत्मा की आँखों पर परदा डाले हुए, जाति के दलित और पीड़ित अंग को ठोकरें मार रही हैं। फिर क्यों न धर्म का संसार में हरास हो, क्यों न रूसवाले धर्म को अफीम का नशा समझे, क्यों न गिरजे ढाये जायें, और धर्म को कलकित करनेवाले इन स्तम्भों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाय। विद्या अगर आदमी को उदार बनाती है, उसमें सत्य और न्याय के ज्ञान को जगाती है, उसमें इंसानियत पैदा करती है, तो वह विद्या है—अगर वह अभिमान बढ़ाती है, स्वार्थपरता की वृद्धि करती है तो वह अविद्या से भी बदतर है। ऐसी विद्या से मूर्खता हजार गुनी अच्छी। धर्म का मूल-तत्व आत्मा की एकता है। जो आदमी इस तत्व को नहीं समझता, वह वेदों और शास्त्रों का पंडित होने पर भी मूर्ख है, जो दुःखियों के दुःख से दुःखी नहीं होता, जो अन्याय देखकर उत्तेजित नहीं होता, जो समग्र में ऊँच-नीच, पवित्र-अपवित्र के भेद को बढ़ाता है, वह पंडित होकर भी मूर्ख है।

हमारे पास अग्नेजी में छपा हुआ, वाइसराय के नाम एक मेमोरियल, वर्णाश्रम सभ का, आया है। उस पर बड़े-बड़े तर्क चूडामणियों और विद्यावाचस्पतियों के हस्ता-

क्षर है। वाइसराय से फरियाद की गयी है कि वह हिन्दू मदिरो की अछूतो से रक्षा करे; बाहरे मार्तण्डो ! क्यो न हो, कितनी दूर की सूझी है। अब भी अगर वाइसराय की खुशनुदी का परवाना न मिले, तो यह आप लोगो का दुर्भाग्य है। आपकी सेवा मे दूमरे व्यवस्था लेने आया करते थे। आपका फतवा बडे-बडे मसलो को हल कर दिया करता था और आज आप एक धर्म के विषय को लिये वाइसराय के पास, कुत्तो की तरह दुम हिलाते दौडे हुए, चले जा रहे है। वह आपकी विद्या कहाँ गयी ? आप हिन्दू-समाज को अपने तर्कों से, प्रमाणो से, अपने धर्म-ज्ञान से क्यो नही उस रास्ते पर लाने मे सफल हो रहे है, जिसे आप सीधा रास्ता समझते है। क्यो आपको इसका विश्वास नही है कि हिन्दू जनता आपका समर्थन करेगी ? इसलिए कि आप मे आत्म-विश्वास नही है, स्वार्थ-लिप्सा और अभिमान ने आपकी आत्मा को दुर्बल बना दिया है। यह वही हिन्दू-जाति है, जो आपके चरणो की रज माथे पर लगाकर अपने को धन्य मानती है, जो आप की बातो को ब्रह्म-वाक्य समझती है, मगर आज आपकी, उसकी नजरो मे, अणु-मात्र भी प्रतिष्ठा नही है। हो सकता है, थोडे से अर्धशिक्षित धनवान मारवाडियो के दिल मे आज भी आपके प्रति श्रद्धा हो, पर जिसे शिक्षित समाज कहते है, उसकी नजरो मे आपकी कोई प्रतिष्ठा नही है, और कोई सम्प्रदाय शिक्षितो की अवहेलना करके जीवित नही रह सकता। हिन्दू समाज की और राष्ट्र की जो वर्तमान अधोगति हो रही है, उसके जिम्मेदार आप ही जैसे लोग है, और हिन्दुजाति अब आपके पीछे आँवो बन्द करके चलने पर तैयार नही। आपने आठ करोड हिन्दुओ को मुसलमान बना दिया। यह छ करोड अछूत भी आप ही के विद्यावाण के बेधे हुए है, क्या हिन्दू-धर्म को संसार से मिटा कर ही दम लेंगे—आपको अपना हित भी नही नजर आता ?

क्या मदिरो के पुजारियो और मठो के महतो से हिन्दू जाति बनी हुई है ? पूजा करनेवाले भी रहेंगे, या पूजा करानेवाले ही मदिरो को स्थायी रखेंगे ?

एक वह जातिर्या है, जो दूसरो को अपने मे मिलाकर फूली नही समाती; आज एक चमार मुसलमान हो जाय, सारा मुसलिम-समाज उसका स्वागत करेगा, लेकिन यह मेमोरियलबाज लोग, जो हिन्दूजाति के रक्षक होने का दावा करते है, यह भी नही सह सकते कि कोई बाहर का आदमी उनके देवताओ के दर्शन कर सके। अछूत के पैसे तो आप बेधडक ले लेते है, अछूत कोई मंदिर बनावे, आप दल-बल के साथ जायेंगे, मन्दिर मे देवता की स्थापना करेगे, तर माल खायेंगे—हाँ, अछूत ने उसे छुआ न हो—दक्षिणा लेंगे, इसमे कोई पाप नही, न होना चाहिए, लेकिन अछूत मंदिर मे नही जा सकता, इससे देवता अपवित्र हो जायेंगे। अगर आपके देवता ऐसे निर्बल है कि दूसरो के स्पर्श से ही अपवित्र हो जाते है, तो उन्हे देवता कहना ही मिथ्या है। दवता वह है, जिसके सम्मुख जाते ही चाडाल भी पवित्र हो जाय। हिन्दू उसी को अपना देवता समझ सकता है। पतितो का उद्धार करनेवाले ठाकुर ही हमारे ठाकुर है, जो

पतितो के दर्शन-मात्र से पतित हो जायँ, एंमे ठाकुर को हमारा दूर ही से नमस्कार है ।

कहा जाता है कि अछूतो की आदते गदी है, वे रोज स्नान नहीं करते, निषिद्ध कर्म करते हैं, आदि । क्या जितने सछूत हैं, वे रोज स्नान करते हैं, क्या काश्मीर और अल्मोडा के ब्राह्मण रोज नहाते हैं ? हमने इसी काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, जो जाड़ों में, महीने में एक बार स्नान करते हैं । फिर भी वे पवित्र हैं । यह इसी अन्याय का प्रायश्चित्त है कि ससार के अन्य देशों में हिन्दू-मात्र को अछूत समझा जाता है । फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते । इसी काशी में हजारों मदसेवी ब्राह्मण—और वह भी तिलकधारों—निकल आयेंगे, फिर भी वे ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणों के घरों में चमारियाँ हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती, किन्तु अछूत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान् हो, वह मन्दिर में नहीं जा सकता । क्या इसी नीति पर हिन्दू धर्म स्थिर रह सकता है ? इस नीति के कुफल हम देख चुके, अब सावधान हो जाना चाहिए ।

हमारी समझ में नहीं आता हम किस मुँह से यह दावा कर सकते हैं कि हम पवित्र और अमुक अपवित्र हैं । किसी ब्राह्मण महाजन के पास उसी का भाई ब्राह्मण असामी कर्ज माँगने जाता है, ब्राह्मण महाजन एक पाई भी नहीं देता, उस पर उसका विश्वास नहीं है । वह जानता है, इसे रुपये देकर इससे वसूल करना मुश्किल हो जायगा । उसी ब्राह्मण महाजन के पास एक अछूत असामी जाता है और बिना किसी लिखा-पढी के रुपये ले आता है । ब्राह्मण को उस पर विश्वास है । वह जानता है, यह बेईमानी नहीं करेगा । ऐसे सत्यवादी, सरल हृदय, भक्ति-परायण लोगों को हम अछूत के नाम से पुकारते हैं, उनसे धृष्टा करते हैं, मगर हमारा विश्वास है, हिन्दू-समाज की धार्मिक चेतना जागृत हो गयी है, अब वह ऐसे अन्यायों को सहन न करेगा । राष्ट्रों के जीवन का रहस्य उसकी समझ में आ गया है, वह ऐसी नीति का साथ न देगा, जो उसके जीवन की जड़ काट रही है ।

२१ नवम्बर १९३२

महात्मा जी का उपवास

गुहबयूर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए श्री केलप्पन ने यह सूचित किया था, कि महात्मा जी का एक पत्र उनके नाम आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कि आप दो जनवरी से उपवास करने के लिए तैयार हो जाओ । श्री केलप्पन ने जिस साहस से गुहबयूर के मन्दिर को अछूतों के लिए खुलवा देने के लिए उपवास करने का निश्चय किया था, जिस साहस से वे कई दिन तक लगातार उपवास करते रहे, उसकी

जितनी प्रशंसा की जावे, थोड़ी है। उस समय जमोरिन ने जिद्द कर मन्दिर न खोलने में जो अहम्मन्यता तथा जडता दिखलायी थी, उसको जितनी निन्दा की जावे थोड़ी है। उस समय, महात्मा जी के मना करने से श्री केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया था। महात्मा जी ने इतने समय तक इस बात की प्रतीक्षा की थी, कि किसी प्रकार जमोरिन को अक्ल आ जावेगी। महामना मालवीय जी, श्री राजगोपालाचारी और श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा श्रीमती गांधी ने भी इस दशा में भरसक कोशिश की थी, कि जमोरिन अपनी जिद्द तोड़ दे, लेकिन जमोरिन ने कुछ भी न किया। जहाँ तक हम कानून जानते हैं किसी देवालय पर किसी का भी हक नहीं है। आखिर गुरुवयूर मन्दिर के जमोरिन होते ही कौन है। फिर भी, एकबार जब महात्मा जी ने केलप्पन को इसी काम के लिए मना किया था तो यह उनके लिए फर्ज हो जाता है, कि वे पुन उपवास करने के समय श्री केलप्पन का साथ दे। महात्मा जी की इस दार्शनिकता को ज़रा हम कठिनाई से समझ सकते हैं, पर इस ओर ध्यान देना जरूरी है। अब, क्या हम भारतीय इतना गिर गये हैं कि विश्व की एक विभूति जमोरिन की जिद्द के कारण बलिदान हो जावे। ईश्वर हमारे अहिंसात्मक आग्रह में बल दे।

५ दिसम्बर १९३२

हरिजन बालकों के लिए छात्रालय

नागपुर में हरिजन बालकों के लिए अलग एक छात्रालय बनाया गया है। इससे तो अछूतपन मिटेगा नहीं, और दूढ़ होगा। उन्हें तो साधारण छात्रालयों में बिना किसी विचार के स्थान मिलना चाहिए।

५ दिसम्बर १९३२

दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में अछूत मेम्बर

दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में दो मेम्बरो का स्थान खाली हो गया था। उसके लिए उम्मेदवार खड़े हुए थे। नेशनलिस्ट दल ने दोनों जगहों के लिए दो अछूत भाइयों को खडा कर दिया। जनमत का ऐसा दबाव पडा कि सभी हिन्दू उम्मेदवार बैठ गये और दोनों अछूत उम्मेदवार बिना मुकाबले के चुन लिए गये। अगर अब भी किसी को संदेह हो कि हिन्दू अपने दलित भाइयों के साथ न्याय करना नहीं चाहते, तो यह उसका अन्याय है। महात्मा गांधी के अनशन ने जो जागृति पैदा की है, उसने हिन्दू समाज में क्रान्ति

पैदा कर दी है और हमें विश्वास है कि वह समस्त हिन्दू जाति का एकीकरण करके ही शांत होगी ।

१६ अक्टूबर १९३२

कानपुर युनिसिपल चुनाव

कानपुर के म्युनिसिपल चुनाव पर जहाँ हम नागरिकों को इसलिए बधाई देते हैं, कि उन्होंने दोनों महिलाओं को बहुमत से अपना प्रतिनिधि चुना, वहाँ हमें उनसे यह शिकायत भी है, कि उन्होंने दोनों हरिजन भाइयों के साथ अन्याय किया । हरिजन उम्मीदवारों के मुकाबले में जो महाशय खड़े हुए थे, उन्हें देश की परिस्थिति का विचार करके खुद बैठ जाना चाहिए था । यदि वे इतना त्याग नहीं कर सकते थे, तो वोटों को हरिजनों के पक्ष में वोट देना चाहिए था, पर कानपुरवालों ने अपनी अनुदारता का प्रमाण देना ही श्रेय की बात समझा । राष्ट्र को उनके इस व्यवहार से कितना बड़ा धक्का पहुँचा है, कदाचित् इसका वे अनुमान नहीं कर सकते । अभी पूना का समझौता हुए बहुत दिन नहीं बीते । जब अभी से हरिजनों की अपेक्षा की जाने लगी, तो इसका नतीजा यही होगा, कि वह स्थानीय बोर्डों में भी अपना बंटवारा कराने के लिए जोर देंगे और कौन कह सकता है, उनकी वह माँग न्याय-संगत न होगी ।

१२ दिसम्बर १९३२

हमारे युवकों का कर्तव्य

महात्मा गांधी ने काशी विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री० सी० एन० मेनन के एक पत्र का जवाब देते हुए लिखा है—

“प्रियवर, मैं कह सकता हूँ कि अगर छात्रों की ओर से जमोरिन के नाम एक पत्र भेजा जाय, जिस पर उन सभी छात्रों के हस्ताक्षर हों जिनका हरिजनों के उद्धार में विश्वास है, तो यह इस बात का उज्ज्वल प्रमाण होगा कि भावी राष्ट्र इस काले दाग को मिटाने के लिए कितना तुला हुआ है । क्या ही अच्छी बात हो कि हिन्दू-विश्वविद्यालय की तरह सभी विद्यालयों के छात्र ऐसा ही करें ।”

हमें पूर्ण विश्वास है, कि हमारे छात्र इस आदेश को शिरोधार्य करेंगे । हमें यह भी विश्वास है कि अधिष्ठाताओं की ओर से अगर इस शुभ कार्य में प्रोत्साहन न मिलेगा, तो कम से कम कोई बाधा न खड़ी की जायगी ।

१२ दिसम्बर १९३२

पावन तिथि

१८ दिसम्बर भारत के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जायगा। यह उस पावन पर्व का दिन था, जब हिन्दू-समाज ने व्यावहारिक रूप से उस तत्व को स्वीकार कर लिया, जो सभी धर्मों का मूल तत्व है, और वह है—मनुष्य-मात्र की समता। बौद्ध और ईसाई, इस्लाम और सिख, सभी मजहबों में, जहाँ तक उनका समाज से सम्बन्ध है (Universal Brotherhood) को ही आधार माना गया है। बल्कि यों कहा जा सकता है कि धर्मों की सृष्टि का यही उद्देश्य था। इसी एक व्यवस्था में सारे आध्यात्मिक और नैतिक, दैहिक और मानसिक सिद्धांत समाविष्ट हो जाते हैं। जब मानव-समाज में छोटे-बड़े, ऊँचे-नीचे, का भेद बढ़ा, एक नये धर्म का उदय हुआ। संसार में जितने धर्म हैं, उनमें यही एक तत्व है, जो सब में पाया जाता है। उनमें तरह-तरह के भेद हैं, भाँति-भाँति की व्यवस्थाएँ हैं—कहीं मांस वर्जित है, कहीं मदिरा वर्जित है, कहीं इनमें से एक भी वर्जित नहीं, कहीं एक ही ब्याह की व्यवस्था है, कहीं चार की, कहीं अनेक की, लेकिन इस भाईचारे के विषय में सभी एकमत हैं। इसका कारण यही है, कि इस तत्व की उपेक्षा करके, समाज में शान्ति नहीं रह सकती। या तो किसी नये धर्म की सृष्टि होगी, या कोई भयंकर विप्लव हो जायगा। फ्रेंच-क्रान्ति इसी विषमता की फरियाद थी, रूस की क्रान्ति भी इसी भेद-भाव का रुदन था। मनुष्य-मात्र में जो एक आत्मा व्याप्त है, वह इस विषमता को सहन नहीं कर सकती।

दैवी सम्पद

हमारे जितने पर्व हैं, वे सभी किसी आध्यात्मिक विजय की यादगार हैं। १८ दिसम्बर को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जो पावन पर्व मनाया गया, वह हिन्दूजाति के पुनरुत्थान का यज्ञ था। एक समय आयेगा, जब होली और दीपावली, विजयादशमी और रक्षा-बन्धन की भाँति सारे भारतवर्ष में घर-घर यह उत्सव मनाया जायगा। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों का पर्व है, विजयादशमी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का, होली शूद्रों का, लेकिन यह 'हरिजन-दिवस' समस्त हिन्दूजाति का पर्व होगा। यह वर्ष भेद को मिटाकर एकता के भावों को जगाने और पालनेवाला होगा। क्या आध्यात्मिक और क्या सामाजिक दृष्टि से कोई भी पर्व इसकी बराबरी कर सकता है? यह चिरकाल तक उस विजय की याद दिलाता रहेगा, जो दैवी शक्तियों ने आसुरी मनोवृत्तियों पर पायी। पृथक्ता और विच्छेद आसुरी मनोवृत्ति है। एकता और प्रेम देवी सम्पद हैं। ऊँचे कुल के विद्वान, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली सज्जनों को झाड़ू और टोकरी लेकर हरिजनों के घर और मुहल्लों की सफाई करते देखकर राष्ट्र की आत्मा फूली न समायी होगी। हरिजन बालकों के साथ सजातीय बालकों को हिल-मिलकर खेलते देख-

कर ईश्वरो ने भी आर्शोवाद दिया होगा। बुद्ध और शंकर, रामानुज और चैतन्य, दयानन्द और गोविंदसिंह की आत्माओं ने स्वर्गधाम से जो शुभेच्छाएँ की होगी, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, उन्हें फलते-फूलते देखकर उन्हें जो आनन्द हुआ होगा, उसकी कल्पना से हमारे राष्ट्र-जीवन में कितनी शक्ति और स्फूर्ति का संचार होगा, इसे कौन कह सकता है। हिन्दू जाति ने इस चिरकालीन कलक को धो डालने के लिए जितने उत्साह और विचार से काम लिया है, वह साबित करता है, कि उसकी जीवन धारा चाहे अवरुद्ध हो गयी हो पर सूखी नहीं है। लेकिन जिन हरिजनो को हमने सदा अप्सृश्य समझा, जिनके साथ हमने सदा अमानुषीय व्यवहार किया, यदि उनके प्रति इतने प्रदर्शन मात्र से हम सन्तुष्ट हो जाँय तो इससे उनमें वह आत्मिक जागृति कदापि न उत्पन्न होगी जो उनके अधःपतन की प्रगति को रोक सके। हमको दिल से यह भाव सम्पूर्णतः निकाल डालना होगा कि हम उनसे ऊँचे हैं। हमने केवल पशुबल से उनके अधिकारो का अपहरण कर लिया है। हम उनसे बलवान हो सकते हैं, पर ऊँचे कदापि नहीं। बल नैतिक दृष्टि से उच्चता का बोधक नहीं। उच्चता, परोपकार, सेवा नीयत की सफाई और त्याग में है। इस कसौटी पर कसा जाय तो हिन्दू जाति को मालूम हो जायगा कि उसका बडप्पन का दावा कितना भ्रममूलक है। वह समय आ रहा है जब हम समझेंगे कि ससार का सुख भोगना ही बडप्पन की दलील नहीं है, बल्कि सेवा ही वास्तविक बडप्पन है।

धर्म भेद नहीं सिखाता

समस्त देश जमोरिन से गुडवयूर का मंदिर खोलने की प्रार्थना कर रहा है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं, डेपुटेशन पर डेपुटेशन और तार पर तार भेजे जा रहे हैं, पर जमोरिन पर अभी तक कोई असर होता नजर नहीं आता। अभी तक वहाँ जितनी सम्मतियों की गणना की गयी है, उससे यही मालूम होता है कि बहुमत हरिजनो के प्रवेशाधिकार के पक्ष में है। किसी-किसी फिक्रे में तो नब्बे फीसदी पक्ष में है। विपक्ष में सबसे बड़ी संख्या छब्बीस फीसदी है। फिर भी जमोरिन अड़े हुए हैं। महात्मा गांधी और श्रीकेलप्पन के उपवास की सभावना दिन-दिन बढ़ती जाती है, पर जमोरिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। उधर वय्याश्रम मध भी जोर बाँधे हुए हैं, और वायसराय से फरियाद कर रहा है कि विधर्मियों से हिन्दू धर्म की रक्षा कीजिए, किन्तु हिन्दू जाति का रख किधर है यह खुली हुई बात है। थोड़े से शास्त्रोपजीवी लोगो को छोड़कर सारा हिन्दू-समाज हरिजनो के मन्दिर प्रवेश के पक्ष में है। इस विषय में हिन्दू-समाज से इतनी उदारता की आशा न की जाती थी, लेकिन यह तो हमारी समझ में आता है कि हरिजनो में अधिकांश अखाद्य वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, गंदे रहते हैं और हम अपने संस्कारो के कारण इच्छा रहते हुए भी उनसे मिल नहीं सकते। मगर जब इस भेदभाव

को धर्म शास्त्रो से सिद्ध किया जाता है, तब हम अधीर हो जाते हैं और धर्म शास्त्रा स हमारी श्रद्धा उठ जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं—

“अस्पृश्यता को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। वह सत्य का, अहिंसा का विरोधी धर्म है, इसलिए धर्म ही नहीं। हम ऊँच और दूसरे नीच है, यह विचार ही नीच है। जिस ब्राह्मण में शूद्र का—सेवा का—गुण नहीं, वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो वही है, जिसमें क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के, सब गुण हो और इनके अतिरिक्त ज्ञान हो। शूद्र ज्ञान से सर्वथा रहित अथवा विमुख नहीं होते। उनमें सेवा प्रधान है। वर्णाश्रम में तो भगी, चण्डाल आदि तर गये हैं। जो धर्म ससार-मात्र को विष्णु समान जानता है, वह अत्यज को विष्णु-रहित कब मान सकता है !”

जो धर्मशास्त्र, अहंकार, दंभ और ऊँच-नीच का भेद सिखाने हैं, वह मान्य नहीं हो सकते। यह भेद ही ईश्वर-विमुख है और हमें विश्वास नहीं आता कि धर्मशास्त्र कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जो सर्वथा अन्याय संगत और सर्वात्मा की व्यापकता का विरोधी हो। अवश्य ही ऐसी बातें हिन्दू धर्म द्रोहियों ने पीछे से बढ़ा दी है। या तो वह चोपक है, अथवा उनका अर्थ ठीक नहीं किया जा रहा है। फिर महात्मा जी ही के शब्दों में—

“जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है, अस्पृश्यता का भी नाश होता जाता है। रेलों, सरकारी स्कूलों, तीर्थ-स्थानों और अदालतों में इसके लिए स्थान नहीं है, और मिलो तथा दूसरे बड़े कारखानों में अन्त्यजों से कोई परहेज नहीं रखा जाता। गीता में भी यही कहा गया है। समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वान, अन्त्यज सब एक से हैं।”

अब वह समय नहीं रहा कि शास्त्र में जो कुछ मिले, उसे ब्रह्मवाक्य समझ ले। सम्भव है, जिस समय उन स्मृतियों की रचना हुई हो उस समय ऐसे विचारों की जरूरत रही हो, लेकिन शास्त्र भी उसी दशा में मान्य है, जब वे सत्य की कसौटी पर पूरे उतरे। कोई समय था जब हिन्दू धर्म में गोमेघ ही नहीं, नरमेघ भी जायज था, पर आज हम धर्म के नाम पर भी नरमेघ करना घृणित समझते हैं। हम यह मानते हैं—जहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं, वहाँ विश्वास ही हमारा आश्रय है, लेकिन जिन बातों के सत्यासत्य को हम बुद्धि से पहचान सकते हैं, जो मानवता, न्याय, अहिंसा और सत्य के प्रतिकूल हैं, उन्हें हम शास्त्रोक्त मानकर व्यवहार में नहीं लाना चाहते। अपने को ऊँचा और किसी दूसरे को नीचा समझना, ऐसी निकृष्ट स्वार्थपरता है, जिसका जरूरत पड़ने पर चाहे हम व्यवहार करें, पर उसे शास्त्रोक्त कह कर उसका समर्थन नहीं कर सकते। यो तो जरूरत पड़ने पर हम चोरी भी करते हैं, भूठ भी बोलते हैं। आपदाकाल में चोरी करना या भूठ बोलना भी अधर्म नहीं माना जाता, लेकिन हम चोरी या भूठ की प्रशंसा नहीं कर सकते। भद्रता का मुख्य लक्षण है—विनम्रता। हम किसी सभा में जाते हैं, तो अधिकारी होने पर भी सबसे ऊँचा आसन नहीं ग्रहण करते, घर के स्वामी होने पर भी सबसे

पहले और सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। पुरानी स्मृतियों में ब्राह्मण को प्राणदण्ड देना शास्त्र-विरुद्ध था। ईसाइयों में जब पोप की प्रधानता थी, तो पादरियों को प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। पादरियों के मुकदमें उनकी अपनी अदालत में फैसले होते थे, लेकिन उस धर्मान्धता के दिन बिदा हो गये। अब तो धर्म, न्याय और नीति की कसौटी पर कसा जाता है। अगर वह बुद्धि-सगत है तो मान्य है, अन्यथा हम उसकी परवाह नहीं करते। इसी बुद्धि-सगतता को सतुष्ट करने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने कितनी ही धर्म व्यवस्थाओं को, धर्म-कथाओं और धर्म प्रथाओं के नये अर्थ निकाले हैं और निकल रहे हैं।

मंदिर प्रवेश ही इस समस्या को हल करेगा

हरिजनो की समस्या केवल मंदिर प्रवेश से हल होनेवाली नहीं है। उस समस्या की आर्थिक बाधाएँ धार्मिक बाधाओं से कही कठोर हैं। आज शिक्षित हिन्दू-समाज में ज्यादा से ज्यादा पाँच फी सदी रोजाना मंदिर में पूजा करने जाते होंगे। पाँच फी सदी न कहकर अगर पाँच फी हज़ार कहा जाय तो उचित होगा। शिक्षित हरिजन भी मन्दिर प्रवेश को कोई महत्व नहीं देते। हरिजनो के अपने देवता भ्रम हैं। मन्दिर प्रवेश का अधिकार पाते ही वे अपने देवताओं को उठाकर दरिया में न फेंक देंगे। हिन्दू जाति उन्हें यह अधिकार देकर केवल अपना कलक दूर करेगी, उसी तरह जैसे मृतक-श्राद्ध करके हम केवल अपनी आत्मा को शान्त करते हैं। मृत आत्मा को उससे लाभ होता है, इसके निश्चय करने का हमारे पास न कोई साधन है न इच्छा। असल समस्या तो आर्थिक है। यदि हम अपने हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैं तो हम ऐसे साधन पैदा करने होंगे जो उन्हें उठने में मदद दें। विद्यालयों में उनके लिए बर्जीफ़े करने चाहिए, नौकरियाँ देने में उनके साथ थोड़ी-सी रियायत करनी चाहिए। हमारे जमींदारों के हाथ में उनकी दशा सुधारने के बड़े-बड़े उपादान हैं। उन्हें घर बनाने के लिए काफ़ी जमीन देकर, उनसे बेगार लेना बन्द करके, उनसे सज्जनता और भलमनसी का बरताव करके वे हरिजनो की बहुत कुछ कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। समय तो इस समस्या को आपही हल करेगा, पर हिन्दू जाति अपने कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़ सकती।

२६ दिसम्बर १९३२

सनातन धर्म का प्रचार

शुद्ध सनातन धर्म क्या है, यह विषय विवादास्पद है। जो अपने को सनातन धर्म का प्राण भी कहते हैं, वे स्वयं इस विषय में चिन्तित हैं कि वेद और शास्त्र द्वारा स्वतः

धर्म की व्याख्या अनेकानेक प्रकार से की गयी है और इसी कारण विदुर ने महाभारत में साफ लिख दिया है कि—

“धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहाया, महाजनो येन गत सपन्था ।”

जब महाजनो द्वारा प्रदर्शित हथ ही माननीय है तो “महाजन” कौन है, किसे समझना चाहिए, यह शंका होती है। केवल पोथी-पत्रों के पंडित को ही महाजन नहीं कहा जा सकता। स्मृतिवाक्य तो इस विषय में स्पष्ट ही है कि—

अग्नेभ्य ग्रान्थिन श्रेष्ठा, ग्रन्थिभ्यो धारिणोवरा :

धरिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिन ॥

अर्थात् सबसे श्रेष्ठ “व्यवसायी” है, अपने ज्ञान को व्यवसाय रूप में कार्यान्वित करनेवाला ही वास्तविक परिद्धत है, महाजन है, ज्ञाता है, आचार्य है। यदि परिद्धत-समुदाय यह कहते हैं, कि हर दशा में ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझे गये तथा वे मनुस्मृति का यह श्लोक रट डालते हैं कि—

भूताना प्राणिन श्रेष्ठा, प्राणिनाम् बुद्धिजीवन ।

बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणा स्मृता ॥

। मनु० १, ९७ ।

तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि—इसी के आगे मनु भगवान् ने लिखा है—

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, विद्वत्सु कृत बुद्धय ।

कृतबुद्धिषु कर्त्तात्., कर्त्तयु ब्रह्मवादिन ॥

ब्रह्मवादी सबसे श्रेष्ठ है। फलतः जो व्यवसायी है, और ब्रह्मवादी है, वही सबसे श्रेष्ठ है, केवल त्रिपुरण्ड फटकारे, दूसरे का दिया हुआ खाकर पेट फुलाये, अशिष्ट, वेद का परिद्धत नहीं। इन कसौटियों में कसने पर तो भारत में एक भी ऐसा पंडित नहीं दीख पड़ता जो महात्मा गांधी की तरह “महाजन” हो, माननीय हो। हमारी सम्मति में महात्मा जी जिस प्रकार देश भर के लिए सबसे बड़े महाजन हैं, इसी प्रकार काशी के लिए सबसे बड़े महाजन डा० भगवानदास हैं, और सनातनधर्म के अनुसार यही सवथा उचित है, कि काशीवासी पोपडम के पुजारी, पाखण्ड के समर्थकों की किचित् भी परवाह न कर, इन्हीं के बतलाये पथ पर चले और केवल मन्दिर इत्यादि ही हरिजना के लिए न खोल दें, किन्तु अपने हृदय का मंदिर भी हरिजनों के लिए खोल दे।

हमें हर्ष है कि यह बात हमें काशी की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है। ८ तारीख को वाइसराय से यह प्रार्थना करने के लिए कि, ब्रह्म हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के अधिकार सम्बन्धी बिल को एसेम्बली तथा कौंसिल में पेश करने दे। काशी टाउनहाल में डा० भगवानदास के सभापतित्व में जो महती सभा हुई थी, उसमें जनता का, पन्द्रह हजार की भीड़ का, हरिजनों के प्रति अनुराग स्तुत्य तथा सराहनीय था। उस सभा में

काशी के क्षेत्रों में मुफ्त भोजन कर, कतिपय उच्छ्रूल सस्कृत के विद्यार्थियों ने गडबड पैदा करने की कोशिश की थी। “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” को माननेवाले इन अशिष्टों ने पहला विरोध डेला बरसा कर किया। फलत दो-चार के मस्तक से खून बह निकला। जब जनता उत्तेजित होकर इन्हें भर्त्ता कर डालना चाहती थी, इनकी बात सुनना तो दूर रहा, डा० भगवानदास ने जनता को शान्त कर, तीन अस्पृश्यता-निवारण के विरोधियों का व्याख्यान कराया। ये व्याख्याता स्वयं अपने समर्थकों के उजड्डपन से घबडा रहे थे। जनता ने बार-बार भडकाये जाने पर भी सभापति की आज्ञा का पालन किया। अन्त में, जब प्रस्ताव घोर “हर्ष-ध्वनि” के साथ पास हुआ तो वास्तविक विधर्मियों ने पुन कोलाहल मचाया।

अस्तु, चाहिए तो यह था, कि “अधिकाश की मूर्खता” पर दुःख प्रकट करके, सनातनी समय की प्रतीक्षा करते जब वे अपनी बात का प्रभाव पैदा कर सकें, किन्तु डेले या डन्डे का प्रश्रय इधर धर्म के प्रचार के लिए वे ले रहे हैं, यह कहाँ की धार्मिकता है? किस शास्त्र का वचन है? काशी के अधिकाश सस्कृत-छात्र “परद्रव्येषु लोष्टवत्” समझकर मुफ्त का भोजन-आराम तो किया करते ही हैं, क्या वे पराये प्राण को “लोष्टवत्” समझने हैं? सहिष्णुता तथा गम्भीरता क्या शास्त्र से उठ गयी? यही नहीं, वे व्यर्थ के भूठे आक्षेपों को चिल्लाकर, भूठी नोटिसे बाँटकर क्या हमें यह भी रास्ता बतला रहे हैं, कि कलियुग में सनातन धर्म का प्रचार भूठ बोलकर करना चाहिए? क्या वे वेद तथा धर्म को साक्षी देकर कह सकते हैं, कि वे अपनी पराजय का जो कारण बतलाते हैं, सत्य है? जिन्हें इस बात पर सचमुच यकीन हो, कि अस्पृश्यता हमारे समाज का एक गुण है, वे “यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्रदोष” —यत्न करे। व्यर्थ भूठ या दगेबाजी की बातें क्यों करते हैं। कम से कम, यह तो हम जानते हैं, कि इस उपयोगी प्रस्ताव के नब्बे प्रतिशत विरोधी इतने अबोध हैं, कि वे जानते ही नहीं कि अस्पृश्यता की समस्या क्या है।

२३ जनवरी १९३३

अस्पृश्यों की महत्वाकांक्षा

हमारे पास कलंत-आश्रम, जफराबाद के हरिजन-सेवक श्री हरिजन दास कलन्त का एक पत्र आया है जिसमें वे यह लिखते हैं कि, ‘आज मैं वर्षों से हरिजनों की सेवा में ही अपना प्राण लगा रहा हूँ। मेरा यह अनुभव है कि हरिजन मन्दिर-प्रवेश के लिए इतने उत्सुक नहीं हैं जितना अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए। वे चाहते हैं कि

अपने गृह-उद्योग द्वारा वे स्वतंत्र हो जावे । उनकी माली हालत सुधरे । इसलिए हम चाहते हैं कि मशीनरी की उत्पत्ति पर कर लगा दिया जाये । गृह-उद्योग तभी पनपेगा और हम तभी सुखी हो सकेंगे ।

‘ग्राज मे प्रकाशित श्री परिपूर्णानन्द के ‘हरिजनो की सेवा’ के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए भी, वे लिखते हैं कि हरिजन यही सबसे बड़ी सेवा समझते हैं । कलन्त जी ने हमारे पास महात्मा जी के नाम एक अपील भी भेजी है । यह अपील हरिजनो की ओर से ही है । इसमें लिखा गया है कि जौनपुर (प्रयाग) में गत रविवार को हरिजनो ने अपनी महती सभा में श्री भगवान सूर्य के सभापतित्व में यह निश्चय किया कि वे उच्च वर्णों के मन्दिरों में नहीं जाना चाहते । इससे विरोध बढ़ता है और विरोध ही मानवी आजादी को नष्ट करता है । ‘हम इस समय सबसे बड़ी बात जो चाहते हैं वह यह है कि आप (महात्मा जी) हमारी जरा भी चिन्ता न कर अपना स्वास्थ्य ठीक रखे (भगवान सूर्य हमारे दाता हैं ।’ इस अपील में भी गृह-उद्योग को महत्ता प्रदान की गयी है ।

हरिजनो के इन उदार विचारों के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं । फिर भी, वे चाहे या न चाहे । हम उन्हें मन्दिर प्रवेश का अधिकार देना ही चाहते हैं । रह गयी गृह-उद्योग की बात । इस विषय में उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं । जब उनके पास पैसा होगा तो भोजन—यह ब्राह्मण और भिक्षु-विप्र भी उनको उन्नत मानने लगेंगे ।

२३ जनवरी १९३३

मन्दिर प्रवेश और सरकार

हमें तो यह समाचार पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ कि वाइसराय महोदय ने मद्रास कौंसिल में श्रीयुत सुब्बरायन को “मन्दिर-प्रवेशाधिकार” सम्बन्धी विल पेश करने का अधिकार नहीं दिया । श्रीयुत सुब्बरायन ने कौंसिल में इस आशय का प्रस्ताव भेजा था कि जितने सार्वजनिक मन्दिर हैं, सब में सभी जाति के हिन्दुओं के प्रवेश का अधिकार दिया जावे । भारत-सरकार के अस्सी (अ) धारा के अनुसार मद्रास सरकार ने वाइसराय के पास इस बात की स्वीकृति के लिए कि यह कानून पेश करने की इजाजत दी जावे या नहीं, इसे भेजा था और २३ जनवरी का सम्वाद है कि वाइसराय ने स्वीकृति नहीं दी । श्रीयुत रंगाअय्यर ने एक प्रस्ताव एसेम्बली में पेश करने के लिए भेजा था, जिसके अनुसार “भारत से जाति-पाँति की बाधाये एकदम उठा दी जानी चाहिए ।” इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मिल गयी है तथा एक महीने की नोटिस की बाधा के अनुसार २३ फरवरी तक यह प्रस्ताव एसेम्बली में विचारार्थ पेश हो जावेगा ।

मि० एयर के प्रस्ताव के ममान्तर कई प्रस्ताव मि० एस० सी० मित्रा, श्रीगया प्रसाद सिंह, श्रीदास आदि के नाम से भी बड़ी कौंसिल में पेश होनेवाले हैं ।

वाइसराय ने मद्रास कौंसिल में जिस प्रस्ताव को पेश न होने की आज्ञा दी है, उसका कारण यह है कि यह विषय प्रान्तीय दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं है । मद्रास में बहुत से ऐसे मन्दिर हैं, जहाँ बाहर से यात्री दर्शन करने जाते हैं । अतः उन मन्दिरों के साथ भारत भर का सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त अभी इस विषय में जनमत बिना जाने सरकार कुछ नहीं करना चाहती । बड़ी कौंसिल में जिस बिल का पेश होने की इजाजत दी गयी है वह अधिक व्यापक है तथा उसमें प्रान्तीय सकुचितता नहीं है । इसके अतिरिक्त बड़ी कौंसिल में भी, सरकार, इस बात की पूरी चेष्टा करेगी, कि काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद हिन्दूमत सगठित हो सके । इसके अलावा, वाइसराय की यह भी घोषणा है कि एक प्रस्ताव पेश होने देने की इजाजत देकर और एक को न देकर सरकार अपने को किसी पक्ष या विपक्ष का नहीं व्यक्त करना चाहत । वही किया जा रहा है, जो उचित था ।

इस विषय में, प्रथम इसके कि हम अपनी राय जाहिर करें, “लीडर” पत्र के दिल्ली-स्थिति विशेष सवाददाता का इस “वाइसरायी फरमान” पर विचार दे देना उचित होगा । उस निर्भीक सवाददाता के मतानुसार सरकार अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन को काँग्रेस की एक राजनैतिक चालबाजी समझती है तथा उसके विचार में अस्पृश्यता निवारण का शोर मचाकर काँग्रेस अछूतों को अपने पन्जे में कर, कौंसिलों में उनको अपने साथ रखने की चाल खेल रही है । वाइसराय के मन्दिर-प्रवेश बिल की नामन्जुरी का यही रहस्य है । रगा ऐयर के बिल को अधिक निर्दोष समझा गया है क्योंकि उसमें केवल “जाति-प्रथा” के विरुद्ध ही नियम बनाया गया है । वाइसराय जानते हैं कि यदि वे मद्रास के बिल को नामन्जूर करेंगे तो उनको दुनिया भर बुरा कहेगा, यदि स्वीकार कर लेंगे तो काँग्रेस की चाल सफल हो जावेगी, इसीलिए रगाएयर के निर्दोष बिल को इजाजत दी गयी है कि बदनामी बची रहे, पर सरकार जानती है कि बड़ी कौंसिल में उनकी जितनी शक्ति है, उससे वे कमेटी आदि में बिल को भेजकर एक वर्ष वा छ महीने तक डाले रहेंगे । इसका फल यह होगा कि इतना समय बीत जाने पर काँग्रेस की राजनैतिक चाल असफल हो जावेगी । आगे जो उचित समझा जावेगा, किया जावेगा ।

इस भीतरी बात के उद्घाटन के बाद हम अपनी ओर से और क्या मिलावे । इस आडिनेन्स के युग में, झुपट वक्ता होना भी पाप है । पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि यदि लीडर के सवाददाता का अनुमान सत्य है तो इसके साथ ही यह भी कल्पना की जा सकती है कि सरकार यह देख रही है कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में मूढ सनातनियों का एक भाग गान्धी जी के तथा काँग्रेस के विरुद्ध होकर सूर्य पर थूकने

का प्रयास कर रहा है। काँग्रेस हिन्दुओं की ही सस्था-सी रह गयी है। अतएव सरकार सोचती है कि मन्दिर-प्रवेश की समस्या में जडवादियों का साथ देने से वह मूढ सनातनियों का सहयोग प्राप्त कर लेगी तथा इस प्रकार काँग्रेस में भी गहरी फूट पैदा हो जावेगी। किन्तु, यह सरकार का भ्रम है। हम बार-बार लिख चुके हैं कि दो एक ऐसे नगरों को छोड़कर जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है और कहीं ऐसे सनातनी नहीं हैं जो हरिजनों को मन्दिर प्रवेश न करने देना चाहते हो या गान्धी जी के विरुद्ध हो। वाइसराय की अस्वीकृति से जनता को ही नहीं, ससार को यह प्रकट हो गया कि काँग्रेस हो या जनता हो, वह हरिजनों की अधिक हितचिन्तक है, सरकार ही प्रगति में बाधा डाल रही है। वाइसराय के पास जहाँ करोड़ों हिन्दुओं की यह प्रार्थना भेजी जा चुकी है कि मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी कानून विचारार्थ पेश होने दे, वही कुछ मुट्ठी भर सनातनियों की विरोधी आवाज को यह महत्व देकर, यह कहना कि अभी लोकमत नहीं मालूम हुआ है, सरकार पहले पूरी जाँच करना चाहती है, अपने को तथा अपनी आत्मा को धोखा देना है तथा वाइसराय ऐसे उच्च पदाधिकारियों को शोभा नहीं देता।

वाइसराय जिस बात को "नहीं" कहते हैं, उसे वे "हाँ" नहीं कहते। अतः मद्रास का बिल पास तो हो गया। अब देखना है कि बड़ी कौंसिल में क्या बाधा पेश की जाती है। इस गलत नीति से सरकार के प्रति बहुमत का असन्तोष तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही, मूढ सनातनियों के हर्ष से जनता और भी क्षुब्ध हो उठेगी। परद्रव्य-जीवी चाहे जितना भी धर्म-ध्वजी, सनातनधर्म की जान बने, जनता इनके रहस्य को जानती है, और बिल हो या न हो, वह महात्मा जी के कथनानुसार हरिजनों की सेवा का पूरा कार्य करेगी, और सरकार भी सहयोग न दे तो क्या, सुधारक तो अपना काम पूरा करेंगे ही।

३० जनवरी १९३३

श्री देवदास गांधी का उपदेश

त्रिवेन्द्रम् में हरिजन-सेवा का उपदेश देते हुए श्री देवदास गांधी ने विद्यार्थियों को यह चेतावनी दी थी कि एक अन्नसर वैया भी आ सकता है जब महात्मा गांधी उनसे यह कहे कि पढाई छोड़कर, स्कूल और कालिज से निकल आओ और हरिजनों की सेवा करो। अभी हाल ही में 'लीडर' में श्री ईश्वरशरण का एक पत्र छपा था। जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की थी कि वे अपने वाद विवाद में हरिजनों की समस्या को विचारार्थ रखा करे तथा विचार-विनिमय कर इस विषय में लोक-रुचि तथा लोक-अज्ञान क्रमशः बढ़ावे और घटावें। विद्यार्थियों से हरिजनों की सेवा का कार्य बड़ी

तत्परता से हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। पर, हम यह नहीं चाहते कि वे इसके लिए पढाई छोड़ दे। अपने अवकाश के समय ही, आनेवाली गर्मियों की छुट्टियों में ही, यदि उन्होंने इसी कार्य को किया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा जी का काम पूरा हो जायेगा। वाइसराय के बिल की अस्वीकृत के कारण अब हेरक हरिजन हितैषी को बड़ी तत्परता से, बिना कानून की सहायता के, हरिजनों की समूची बाधाएँ हटवा देनी होंगी और विचारार्थियों की सहायता की बड़ी जरूरत है।

३० जनवरी १९३३

श्री देवरुखकर की हार

श्री देवरुखकर हरिजन हैं और हरिजनों की ओर से बबई कारपोरेशन के चुनाव के लिए खड़े हुए थे। लेकिन उनका मुकाबला एक हिन्दू सज्जन से हो गया और वह इस बुरी तरह हारे कि उनके जमानत के रुपये भी जब्त हो गये। बबई में इस हार से हरिजन समाज में बड़ी हलचल मची हुई है। महात्मा गांधी से प्रार्थना की गयी है कि वह इस प्रश्न को अपने हाथ में से और जीते हुए हिन्दू सज्जन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे। ऐसी घटनाएँ और भी कई जगह हो चुकी हैं। देहली और कानपुर में भी हरिजन मेबरों की हिन्दुओं के मुकाबले में हार हुई थी। लेकिन बाद को जनमत के दबाव से हिन्दू मेम्बरों को इस्तीफा देना पडा। वैसे ही दबाव इस अवसर पर भी पड सकता है। लेकिन इस तरह जब एक आदमी चुनाव की सारी परेशानी और जेरबारी भेलकर जीते तो उसे अलग कर देना अन्याय है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि पहले से कुछ निश्चय कर लिया जाय कि पीछे से हटने-हटाने का भ्रंश ही मिट जाय। अभी बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी में हरिजनों की सख्या नहीं के बराबर है। कोई हिन्दू उनके मुकाबले में खडा ही क्यों हो। उनकी निश्चित सख्या आ चुकने के बाद तब मुकाबला किया जा सकता है। अगर सजातीय हिन्दू इस तरह हरिजन उम्मेदवारों को हतोत्साह करते रहेंगे तो आपस में वैमनस्य और असंतोष बढ़ेगा और पूना के समझौते का जो उद्देश्य था वह गायब हो जायेगा।

१० अप्रैल १९३३

महात्मा जी का व्रत

महात्मा गांधी ने ८ मई से इक्कीस दिन का व्रत रखने का निश्चय किया है और

॥ महात्मा जी का व्रत ॥

४६१

उनके निश्चय कितने अटल होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हरिजनो के उद्धार के विषय में जब उन्होंने अनशन किया था, उस समय उन्होंने कहा था—यदि आवश्यकता हुई, तो वह फिर व्रत रखेंगे। पर वह आवश्यकता इतनी जल्द आ जायगी, यह हमारा अनुमान न था। इसके पहले दोनों व्रतो का विशेष उद्देश्य था। उस उद्देश्य के पूरे होते ही उन व्रतो का अन्त हो गया। उन अवसरो पर जनता को अधिक कार्यशील होने की उत्तेजना मिली थी। वह जानती थी, उसे क्या करना है। अगर हिन्दू-मुत्तलिम एकता की समस्या थी, तो उस समस्या को हल करने में अपनी तत्परता दिखाकर, यदि हरिजनो के मताधिकार का प्रश्न था तो वह अधिकार स्वीकार करके, वह व्रत का अन्त कर सकती थी। उसे अपना लक्ष्य सामने नज़र आता था, पर यह व्रत उसके काबू से बाहर है। यह अपनी पूरी अवधि भर चलेगा, तत्परता या सगठन या सच्चाई का प्रमाण इसे नहीं तुड़वा सकता।

जहाँ तक हमें ज्ञान है, इस बीच में दृश्य रूप से ऐसी कोई बात नहीं, जो इस व्रत का कारण कही जा सके। हरिजनो के उद्धार का काम समस्त देश में हो रहा है। उन्हें गद्दे मकानों से निकालकर स्वच्छ मकानों में रखने की, उनसे मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश बराबर हो रही है। शिक्षित समाज अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में लगा हुआ है। उच्च कुल के व्यक्ति पजे और भाड़ू लिये गलियों और पाखानों की सफाई कर रहे हैं, काँग्रेस का प्रोग्राम एक प्रकार से स्थगित हो गया है और उसकी अधिकांश शक्ति अछूतोद्धार के काम में रत है। यद्यपि यह यथार्थ है कि अभी जो कुछ हो रहा है, उसमें दिखाने का भाव ही प्रधान है, और दिलों की सफाई का महात्मा जी के शब्दों में, अ त्न-रुद्धि, अभी बहुत दूर की बात है, पर इसमें सन्देह नहीं है कि मकान की नींव पड़ गयी है और इस प्रश्न ने जनमत को अपनी ओर खींच लिया है। सनातन-धर्म के अनुयायियों में भी ऐसे बहुत थोड़े सज्जन रह गये हैं, जो हरिजनो के उत्थान का महत्व न समझते हैं; राजनैतिक महत्व नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। नगरो में सनातनी भाइयों के जुलूस निकलते हैं, पर जनता उनकी उपेक्षा करती है, उन पर तालियाँ बजाती है। हिन्दुत्व अब कही नज़र आता है, तो गुण्डों में, जो कभी-कभी हरिजन-समाजों में विघ्न डालने की चेष्टा करते हैं, पर मुंह की खाते हैं। फिर हम जैसे सासारिक बुद्धि के प्राणी इस व्रत का मर्म क्या समझ सकते हैं। हाँ, महात्मा जी के इन शब्दों से, जो उन्होंने एक प्रेस-प्रतिनिधि के एक प्रश्न के जवाब में कहे, हम उस विषय में कुछ क्रयास अवश्य दौड़ा सकते हैं—

‘मेरे इस निश्चय का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पर निस्संदेह यह बहुत दिनों से होनेवाली घटनाओं का परिणाम है। यह बात नहीं है कि मैं पहले अध्या था। वे मूक और अज्ञात भाव से मेरे मन को प्रभावित करती चली जाती थी।’

तो क्या इस व्रत का कारण बंगाल के हिन्दुओं का पूने के समझौते से विरोध

कितने उन्माद से नाचेगा ! यह वह व्रत है, जो त्यागपूर्ति पं० जवाहरलाल जी के शब्दों में, विफल हो ही नहीं सकता । यह वह संग्राम है, कि इधर तलवार हाथ में ली और विजय हाथ बाँधे आकर सामने खड़ी हो । महात्मा ईसा ने सलीब पर चढ़कर ही संसार को विजय किया, सुक्रात ने जहर का प्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पाई । दस कदम आगे बढ़ने को विजय किया, सुक्रात ने जहर का प्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पायी । दस कदम आगे बढ़ने को विजय और दस कदम पीछे हटने को पराजय कहना भौतिक जगत् की बात है । अथ अध्यात्म-जगत् में साधना ही विजय है । साधना से रक्त की नदी नहीं बहती, जीवन का स्रोत निकलता है और सम्पूर्ण जगत् को स्फूर्ति से भर देता है ।

यह व्रत हमें महात्मा ईसा के उस चालीस दिन के व्रत की याद दिलाता है, जो उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिए अपने धर्म का प्रचार करने के पहले किया था । चालीसवें दिन जब व्रत समाप्त हुआ, उनकी आत्मा ईश्वरता को प्राप्त हो चुकी थी । शैतान आकर उसे तरह-तरह के प्रलोभन देता है, तरह-तरह से परीक्षा में डालता है, पर वह आत्मा अविचलित है, उस पर न लोभ का जादू चलता है, न धमकियों का । वह आत्म-शुद्धि की वह शक्ति थी जिसने असंख्य निराशों को आशा और पीड़ितों को औषधि प्रदान की, जिसने कई सदियों तक ऊँच-नीच, छोटे बड़े का भेद मिटा दिया, जिसने पतितों का उद्धार किया । यह तपस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ।

क्या अब भी हम अपने बड़प्पन का, अपनी कुलीनता का ढिंढोरा पीटते फिरेंगे ? यह ऊँच-नीच, छोटे-बड़े का भेद हिन्दू-जीवन के रोम-रोम में व्याप्त हो गया है । हम यह किसी तरह नहीं भूल सकते, कि हम शर्मा हैं, या वर्मा, सिन्हा हैं या चौधरी, दूबे हैं या तिवारी, चौबे हैं या पाण्डे, दीक्षित हैं या उपाध्याय । हम आदमी पीछे हैं, चौबे या तिवारी पहले । और यह प्रथा कुछ इतनी भ्रष्ट हो गयी है, कि आज जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, वह भी अपने को चतुर्वेदी या त्रिवेदी लिखने में ज़रा भी संकोच नहीं करता । वह अपने पुरुषार्थों की साधना के बल पर आज भी चतुर्वेदी बना हुआ है, पर जिसने वेदों का अध्ययन किया है, उसे यह अधिकार नहीं कि वह अपने को चतुर्वेदी कह सके । कोई आदमी कुरान कण्ठ करके हाफ़िज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो वेदों के ज्ञाता हैं, वे चतुर्वेदी नहीं कहे जा सकते । चतुर्वेदी तो वे हैं, जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किये । यह और कुछ नहीं, अपनी कुलीनता का ढिंढोरा पीटना है, अपने अहंकार का बिगुल बजाना है । हम अपने को त्रिवेदी लिख कर मानों गला फाड़कर चिल्लाते हैं, कि “हम और सब प्राणियों से ऊँचे हैं, हमें दण्डवत् करो, हमारा चूरण-रज माथे पर लगाओ ।” हम इतने लज्जा-शून्य हो गये हैं !

होना तो यह चाहिए कि यदि हममें बड़प्पन की कोई बात हो तो भी, उसे छिपावें । बड़प्पन तभी बड़प्पन है, जब उसमें नम्रता हो । जिस बड़प्पन में अहंकार भर

हुआ हो, वह बड़प्पन नहीं कुछ और है। त्रिवेदी जी ने वेदों के दर्शन भी नहीं किये, लेकिन गलती से आप उन्हें त्रिवेदी न कहें, तो फिर देखिए आपकी क्या गति होती है। त्रिवेदी जी हाँथ-पाँव के मजबूत हैं, तो आपको शीघ्र ही अपनी गलती का मज्जा मिल जायगा, नहीं तो उनका कोप कहीं नहीं गया है। कुलीनता के इस अहंकार को हमें अपने अन्दर से निकाल डालना होगा। तभी हम सम-भाव से एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसे अल्लों से हमारे भेद-भाव को उत्तेजना मिलती है। त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो जाते हैं, चौबे-चौबे एक, कपूर-कपूर एक, कायस्थ-कायस्थ एक। इस भेद-भाव से ऊँच-नीच की श्रेणियाँ बनी हुई हैं। कोई पहले डंडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर हैं सब उसी एक अहंकार-सूत्र में बँधे हुए। समाज संगठन ही इसी भेद रचना से हुआ है। हम नहीं समझते, अपने नाम के साथ कुलीनता की पदवियाँ न लगाने से समाज की क्या हानि होगी। हम ब्रह्मनाथ हैं। इससे क्या कि हम त्रिवेदी हैं या कपूर, या माथुर, या चन्देल। अगर किसी को घमंड हो कि हम चन्देल-वंश के हैं, हमारे बाप-दादे बड़े वीर थे, तो फिर दूसरों को यह घमंड क्यों न हो कि हम त्रिवेदी हैं और हमारे लकड़दादा ने वेद पढ़े थे। लकड़दादों का कमाया हुआ यश बहुत दिन भोग चुके, अब उसका त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने को मिश्र या कपूर, या टंडन, या माथुर कहते हैं, तो मानों हम अपने को समाज से अलग कर लेते हैं। ये सारे अल्ल उस पृथक्ता का पालन करते हैं। अगर हम भूल जायँ कि हम पांडे या तिवारी हैं, तो हम सम्भवतः दूसरों के सामने नम्र हो जायेंगे। तिवारी का कत्रच पहन कर तो मानों हम सम्पूर्ण समाज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं।

हमारे अभिवादन को प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकड़ी हुई है। तिवारी जी की अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की पैदाइश है, दूध के दाँत भी नहीं टूटे, लेकिन वह किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते। अब्राह्मण चाहे अस्सी साल का बूढ़ा ही क्यों न हो, उसका धर्म है कि तिवारी जी को दंडवत् करे, उनके चरण छुर, नहीं तिवारी जी अपना अपमान समझेंगे। यह दंडवत् की समस्या भी आयु के आधार पर, या अन्य किसी आधार पर हल करनी होगी। उसका साम्प्रदायिक आधार नष्ट करना होगा। जब पूज्य गांधी जी इस भेद-भाव को मिटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम भी इस अहंकारमय मनोवृत्ति का परित्याग करें? अगर कोई बूढ़ा हरिजन है, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। अबे-तबे करके किसी को पुकारना उसका अपमान करना है। मूर्खों से तो नहीं, पर जो पढ़े-लिखे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि हरिजनों के साथ वे शिष्टता का व्यवहार करें। बड़प्पन दूसरों को नीच समझने में नहीं, सज्जनता और शिष्टता में है। हमें इन छोटे-छोटे भेद-षोषक साधनों का संस्कार करना होगा, उन्हें उस अग्नि कुण्ड में डालना होगा, जो महात्मा गांधी ने अपने तेज से प्रज्वलित किया है। एक दिन भाड़ हाथ में लेकर सड़कों पर

हुआ हो, वह बडप्पन नहीं कुछ और है। ऋवेदी जी ने वेदों के दर्शन भी नहीं किये, लेकिन गलती से आप उन्हें त्रिवेदा न कहे, तो फिर देखिए आपकी क्या गति होती है। त्रिवेदी जी हाँथ-पाँव के मजबूत हैं, तो आपको शीघ्र ही अपनी गलती का मजा मिल जायगा, नहीं तो उनका कोप कही नहीं गया है। कुलीनता के इस अहंकार को हम अपने अन्दर से निकाल डालना होगा। तभी हम सम-भाव से एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसे अल्लो से हमारे भेद-भाव को उत्तेजना मिलती है। त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो जाते हैं, चौबे-चौबे एक, कपूर-कपूर एक, कायस्थ-कायस्थ एक। इस भेद-भाव से ऊँच-नीच की श्रेणियाँ बनी हुई हैं। कोई पहले डडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर है सब उसी एक अहंकार-सूत्र में बँधे हुए। समाज सगठन ही इसी भेद रचना से हुआ है। हम नहीं समझते, अपने नाम के साथ कुलीनता की पदवियाँ न लगाने से समाज की क्या हानि होगी। हम ब्रह्मानाथ हैं। इससे क्या कि हम त्रिवेदी हैं या कपूर, या माथुर, या चन्देल। अगर किसी को घमड हो कि हम चन्देल-वंश के हैं, हमारे बाप-दादे बडे वीर थे, तो फिर दूसरो को यह घमड क्यों न हो कि हम त्रिवेदी हैं और हमारे लकडदादा ने वेद पडे थे। लकडदादो का कमाया हुआ यश बहुत दिन भोग चुके, अब उसका त्याग करना पडेगा। जब हम अपने को मिश्र या कपूर, या टडन, या माथुर कहते हैं, तो मानो हम अपने को समाज से अलग कर लेते हैं। ये सारे अल्ल उस पृथकता का पालन करते हैं। अगर हम भूल जायँ कि हम पाडे या तिवारी हैं, तो हम सम्भवत दूसरो के सामने नम्र हो जायेंगे। तिवारी का कवच पहन कर तो मानो हम सम्पूर्ण समाज से लडने को तैयार हो जाते हैं।

हमारे अभिवादन को प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकडी हुई है। तिवारी जी की अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की पैदाइश है, दूध के दाँत भी नहीं टूटे, लेकिन वह किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते। अब्राह्मण चाहे अस्सी साल का बूढा ही क्यों न हो, उसका धर्म है कि तिवारी जी को दडवत् करे, उनके चरण छुए, नहीं तिवारी जी अपना अपमान समझेंगे। यह दडवत् की समस्या भी आयु के आधार पर, या अन्य किसी आधार पर हल करनी होगी। उसका साम्प्रदायिक आधार नष्ट करना होगा। जब पूज्य गाधी जी इस भेद-भाव को मिटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम भी इस अहंकारमय मनोवृत्ति का परित्याग करें? अगर कोई बूढा हरिजन है, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। अबे-तबे करके किसी को पुकारना उसका अपमान करना है। मूर्खों से तो नहीं, पर जो पडे-लिखे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि हरिजनों के साथ वे शिष्टता का व्यवहार करें। बडप्पन दूसरो को नीच समझने में नहीं, सज्जनता और शिष्टता में है। हमें इन छोटे-छोटे भेद-षोषक साधनों का सस्कार करना होगा, उन्हें उस अग्नि कुण्ड में डालना होगा, जो महात्मा गाधी ने अपने तेज से प्रज्वलित किया है। एक दिन भाड हाथ में लेकर सडको पर

तमाशा कर देने से यह अहंकार न मिटेगा, जो हरिजनो के अछूतपन का मुख्य कारण है। इसकी गहरी जड़ो को खोदकर समाज से निकालना होगा। हमारी ईश्वर से यही दीन प्रार्थना है कि भारत के प्राण गांधी के इस तप को सफल कीजिए और हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम सच्चे मन से उनके इस तप को सफल बनाने और उनके द्वारा अपने को अहंकार की बेड़ियों से मुक्त करने में कृतकाय हो।

१५ मई १९३३

मंदिर प्रवेश और हरिजन

महात्मा जी के व्रत तथा तप का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हरिजनो को मंदिर-प्रवेश का अधिकार एक प्रकार से शून्य के बराबर मिला है। लाखो मंदिरवाले इस महादेश में, कुछ मट्टी भर और केवल साधारण मंदिर ही ऐसे हैं, जहाँ वे दर्शनार्थ जा सकते हैं। हम स्वयं किसी भी तर्क द्वारा यह बात समझ नहीं सकते कि हाड-मांस की देहवाला, हिन्दू-धर्म पर अभिमान करनेवाला कोई हरिजन काशी विश्वनाथ या किसी वैसे ही पवित्र मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश पा सकता, जब कि स्थान-स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन करनेवाला साँड मंदिर में दर्शनार्थियों पर सीग चलाता हुआ स्वच्छन्दता-पूर्वक घूम सकता है ! इस प्रकार की हठधर्मी का अब युग नहीं है और उच्च वर्णवालो को ईश्वर को भी अपनी 'स्त्री के समान अपनी ही वस्तु' समझने की मूर्खता का परित्याग करना चाहिए।

पर, इसके साथ ही, किसी भी तर्क द्वारा हम यह नहीं समझ सकते कि अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन में मंदिर-प्रवेश को एक अनिवार्य स्थान क्यों दिया जा रहा है। समय की जैसी प्रगति है, इन मंदिरों की इस समय जैसी दशा है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि हमारे हिन्दू-मंदिर भोग और प्रसाद, पुरोहित और पण्डे, ईश्वर के नाम पर व्यभिचार तथा दुराचार करनेवाले स्वार्थी और लोलुप—दर्शन करने जानेवालो से यह पहला प्रश्न करनेवाले कि पैसा चढाओ—पामरो के अड्डे मात्र है। मन भर दर्शन नहीं करने पाइयेगा कि पुजारी जी पैसा चढाओ कि रट लगा देगे। जी-भर भगवान के रूप का ध्यान भी न कर पाइयेगा कि चार-पाँच आदमी जबर्दस्ती आपके सर में चन्दन-सिन्दूर-रोली रगड़ने लगेगे और पैसा माँगते-माँगते आपकी टेट भी टटोलना शुरू कर देगे। हमने भगवान को मनौती से, घूस से, पैसे से, दक्षिणा से प्रसन्न होनेवाला स्वार्थी बना रखा है। पग-पग पर हम पैसा देकर मुक्ति, नजात तथा स्वाधीनता खरीदना चाहते हैं। यह हमारा धर्म है, भक्ति है, अनुराग है। ऐसी दशा में मंदिरों की इतनी महत्ता व्यर्थ की है। हम मूर्ति-पूजा के विरोधी नहीं, टका-पूजा के शत्रु हैं।

हरिजनो के मंदिर-प्रवेश के शत्रु अधिकांशतः वे लोग हैं, जो उनकी दरिद्रता को उपहास की, मजाक की वस्तु समझते हैं, जो यह जानते हैं कि इन दरिद्रों के मंदिर जाने न जाने से विशेष लाभ या हानि नहीं होती है। महात्मा जी के उपवास से देश में हरिजन आन्दोलन की बाढ-सी आ गयी है पर हरिजन सेवा का कार्य अवश्य बढ़ गया है। कार्यकर्ता वही पुराने हैं और, हमें खेद के साथ लिखना पड़ता है कि महात्मा जी के व्रत के दिनों में भी हरिजनो के लिए मंदिरों का द्वार खुलने की सख्या नगण्य-सी है।

एक ओर विश्व की विभूति अपने प्राणों की बाजी लगाकर समाज के एक परित्यक्त अंग की रक्षा करने की तपस्या कर रही हैं—और दूसरी ओर हमारे धर्म तथा देवताओं के ठीकेदार अपनी जड़ता, अहम्मन्यता तथा अकड़ पर दृढ़ हैं। ऐसी दशा में जो होना था, उसी के लक्षण दीख पड़ रहे हैं। गान्धी जी ने स्वयं सलाह दी थी कि यदि हरिजनो के लिए मंदिरों के द्वार अन्य किसी प्रकार से न खोले जा सकेंगे तो सत्याग्रह की शरण लेनी पड़ेगी। गांधी जी के लिए सत्याग्रह ही पवित्र तथा अंतिम अस्त्र हैं, जिससे अन्याय का प्रतिकार किया जा सकता है। पर, साधारण व्यवहार में इस अस्त्र से बड़ी कटुता उत्पन्न होने की संभावना है और 'साम्प्रदायिक-युद्ध' तथा 'वर्ग-युद्ध' की भयंकर आंधी में देश के जर्जर होने जाने की आशंका है। पर, इस समय कट्टर-पन्थियों की जड़ता देखकर, ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है कि सुधारक मंदिरों के बहिष्कार तक का आन्दोलन करने का विचार कर रहे हैं। बम्बई के 'फ्री प्रेस जर्नल' में इस विषय में एक छोटा-सा, विचारणीय लेख प्रकाशित हुआ है। लेखक के शब्दों में

'मंदिरों के द्वार खोलने के विषय में जनता की ओर से तत्परता के अभाव का जो भी कुछ कारण हो, जो लोग हरेक प्रकार के छुआछूत को दूर करना चाहते हैं, उनको किसी प्रभावशाली रूप में यह दिखलाना पड़ेगा कि उनका उन मंदिरों के साथ कोई सम्पर्क नहीं है, जो अपना द्वार हरिजनो के लिए बन्द रखते हैं। महात्मा जी ने स्वयं इस विचार पर जोर दिया है। महात्मा जी ने हरिजन-सेवक-समिति के इस विचार को स्वीकार किया है कि वे इस बात को भी अपने छुआछूत-निवारक कार्य-क्रम का एक अंग बना लें। यह अवश्य है कि इस प्रकार का कोई कार्य करने के पहले पूरी तरह से सचेत कर देना चाहिए। ऐसे कार्य का अर्थ होगा मंदिर का बहिष्कार; पर इस बहिष्कार से लोकेच्छा के प्रवाह का पता चलेगा। विशेषकर उस स्थान के लोगों की इच्छा का पता चलेगा, जहाँ अधिकांश मंदिर जानेवाले यह अनुभव करते हैं कि ऐसे मंदिर में दर्शनार्थ जाना अधार्मिक है जो उसी मूर्ति के पुजारी हरिजनो को दर्शनार्थ नहीं जाने देते।'।

लेखक चाहता है कि उपवास के दिनों में ही ऐसा सत्याग्रह शुरू हो जाता; पर हर्ष का विषय है कि इस दिशा में इतनी जल्दी नहीं की गयी। यह एक गंभीर समस्या है और इसे अंतिम अस्त्र बनाना चाहिए। किन्तु धर्म के ठीकेदार, भिच्चावृत्ति से जीने-

वाले, क्षेत्र में भोजन कर, मुफ्त का माल मारकर, दुराचार तथा अनाचार से पेट की रोटी चलाकर, आडम्बर, पाखण्ड, स्वार्थ तथा पैसे की पूजा करनेवाले क्या अब भी सचेत न होंगे ? बहिष्कार बड़ी भयकर, बड़ी कठोर, बड़ी भयावह वस्तु है। इसका सामना करना साधारण बात नहीं है। खीभकर सुधारक-समुदाय अब बहिष्कार की बात सोच रहा है। अतः हम मदिरों के सचालको से, यदि उनमें असली धार्मिकता अबशिष्ट है, उस धार्मिकता से, नैकनीयता तथा सच्चाई के नाते यह अनुरोध करते हैं कि अब दम्भ छोड़ दे और समय के साथ चलना सीखे। देश को भावी धार्मिक उत्क्रान्ति से बचा लें, अन्यथा अनर्थ हो जाने की सम्भावना है।

हमारे इस अंक के प्रकाशित होने तक पर्यकुटी के तपस्वी का व्रत भी सकुशल समाप्त हो जावेगा। यह राष्ट्र के लिए एक आनन्द का, पर्व का, त्योहार का दिन होगा और इसी दिन यह सिद्ध हो जायगा कि मुफ्त का मालपुत्रा खाकर पेट भरनेवाला पुरोहित हमारा असली धार्मिक नेता नहीं है, पर अपना हाड-चाम निचोड़नेवाला गांधी ही भारत का असली धार्मिक नेता है। वह हमारा धार्मिक नेता है—और उसके उपवास के पूरा होने के दिन हमारे जड़ सनातनी अपने दम्भ को फेंक देने का महान् कार्य खूबसूरती तथा सफाई के साथ कर सकते हैं।

धार्मिक विचार जो कुछ भी हो, समय एक बलवान् वस्तु होती है। और हमारी तो यही सलाह है कि समय की महत्ता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है।

२६ मई १९३३

कानपुर को बधाई

कानपुर-म्युनिसिपैलिटी ने हरिजनो के मकानो के लिए जितनी उदारता से लगभग डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है, उस पर हम उसके चेरमैन मि० ब्रजेन्द्र स्वरूप को बधाई देते हैं। हरिजनो के उद्धार का काम रुपये में पन्द्रह आने हमारी म्युनिसिपैलिटियो पर निर्भर है। अगर यह सस्थाएँ अपने मेहत्तरो और डोमो के लिए ऐसी सुविधाएँ पैदा कर दें, जिनसे वे आसानी से सफाई का काम कर सकें, अच्छे और साफ मकानो में रह सकें, अच्छा भोजन और वस्त्र पा सकें और अपने बच्चो को मदरसो में भेज सकें, तो हरिजन-समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। अब तक तो इन संस्थाओ का हरिजनो की ओर ध्यान ही न था। बेचारे पाखानो के पास, दुर्गन्धमय मकानो में पड़े रहते थे। अगर नगरो में ज्यादा अच्छे ढंग के शौच-गृह बनवाये जाँय तो उनकी सफाई भी आसानी से हो जाय और यह काम इतना घृणास्पद भी न रहे।

१९ जून १९३३

महात्मा गांधी फिर अनशन कर रहे हैं

महात्मा गांधी ने सरकार से प्रार्थना की थी कि जेल में उन्हें पूर्ववत् हरिजनो के उद्धार का काम करने की स्वाधीनता दी जाय। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ महात्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें आशा है कि सरकार ने ऐसी शर्तें न लगायी होंगी, जो मुख्य काम में बाधक होने के कारण महात्मा जी को सन्तुष्ट न कर सके। अगर अबकी महात्मा जी ने फिर अनशन किया, तो उनका जीवन संकट में पड़ जायगा, और हमें विश्वास है, सरकार सब कुछ होने पर भी इतना बड़ा कलक लेना पसन्द न करेगी। राष्ट्र की दृष्टि में महात्मा जी की यह प्रार्थना सर्वथा न्यायानुकूल है। यह ऐसा काम है, जिसे उनके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता और सरकार इस शुभ कार्य में उन्हें सहयोग देकर सम्पूर्णा राष्ट्र की कृतज्ञता प्राप्त कर लेगी। अगर उसने जाबते और दफ्तरी उलझनों के कारण उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो जनता में वह असन्तोष होगा, जो एक हजार आर्द्धिनेसों से भी न होगा।

२१ अगस्त १९३३

बरेली में हरिजन-सभा

बरेली में हरिजनों की सरकारी सभा बड़ी धूम-धाम से हो गयी है। प्रतिनिधियों के लिए आने-जाने का किराया मिला और सुना जाता है, वहाँ उनकी दावत का भी अच्छा प्रबन्ध था। इससे आशा है, डेलीगेटों की संख्या भी काफी होगी। राष्ट्र की जाग्रति ने प्रान्तीय सरकार को भी सचेत कर दिया, यह इस आन्दोलन की छोटी फतह नहीं है। जिस सरकार ने हरिजनों को कुचलने में हिन्दू-समाज से चार कदम आगे ही पाँव रक्खा, वह आज उनकी शिष्टोन्नति में इतनी मुस्तैद है, यह बहुत बड़ी बात है। हमें आशा है हमारे हुक्काम अब दौरे पर जायेंगे तो चमारों और मेहतरों से जरा भलमसी का व्यवहार करेंगे। यह तो कोई अच्छा दृश्य न होगा कि लडका तो पडोस के मिडिल स्कूल में तीन रुपये महीना वजीफा पाये और उसके माँ-बाग साहब बहादुर को वक्त पर घास या ईंधन न देने के अपराध में पिटवाये जाय। इन छोटी-छोटी खातिर-दारियों से सरल हृदय हरिजनों को बड़ी आसानी से अपना गुलाम बनाया जा सकता है। पैतालीस हजार रुपये ही तो वजीफो में खर्च होंगे। काम कितना बड़ा हुआ जाता है। आनेवाली व्यवस्था में सरकारी मेम्बर तो होंगे नहीं, फिर आखिर गवर्नमेंट किसके बल पर चलेगी? सरकार अभी से अपनी तैयारियों में लगी हुई है। समाज की ओर से हरिजनों के लिए जो उद्योग किये जाते हैं, उनकी मदद करना उसकी नीति के विरुद्ध

होगा । उस दशा मे तो यश समाज के सेवको को मिलेगा । सरकार इतना बडा त्याग नही कर सकती । वह हरिजनो के लिए जो कुछ भी करना चाहती है, अपरोक्ष रूप से करेगी । मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यह निखालिस तालीमी कोशिश है । हम भी चाहते है कि ऐसा ही हो और प्रसन्न है कि गवर्नमेन्ट की धर्म चेतना वास्तविक रूप से जाग उठी है और वह सच्चे हृदय से हरिजनो की तरक्की चाहती है ।

१८ सितम्बर १९३३

क्या हरिजन आंदोलन राजनैतिक है ?

हरिजन आंदोलन को साम्प्रदायिक मुसलमानो ने आदि से ही सदेह की दृष्टि से देखा है और अब भी उनकी इस आंदोलन से सहानुभूति नही है । उन्हे इसमे राजनीति का गन्ध आता है । डा० सर मुहम्मद इकबाल ने अपने वक्तव्य मे इस ओर सकेत भी किया था । डा० सर मुहम्मद इकबाल के उसी आक्षेप के जवाब मे महात्मा जी ने अपना एक अलग वक्तव्य निकाला है, आप लिखते है—

“हरिजनो के प्रतिनिधियो की ओर से जो माँग रखी गयी थी, वह राष्ट्रीयता के विरुद्ध थी । यदि वह राष्ट्र के या हरिजनो के लाभकर होती, तब अलवत्ता डा० सर मुहम्मद का यह कहना ठीक होता कि उसका विरोध करना मेरे लिए अमानुषिक कार्य था । मेरी यह धारणा है कि मेरा वह कार्य न केवल अमानुषिक नही था, बल्कि हरिजनो के अनुकूल भी था । सर मुहम्मद इकबाल को मालूम होना चाहिए कि अछूतपन को जड से उखाड फेंकना मेरे जीवन का उद्देश्य है और पचास वर्षो से लगातार मैं उसी उद्देश्य को पूरा करने मे लगा हूँ

हरिजनोद्धार के संबंध मे मैं जो कुछ भी करता हूँ, वह शुद्ध धार्मिक है । उसमे कोई भी राजनैतिक रहस्य नही है ।”

१८ दिसम्बर १९३३

क्या हम वास्तव में राष्ट्र-वादी हैं ?

टके-पंथी पुजारी, पुरोहित और पंडे हिन्दू जाति के कलक है

यह तो हम पहले भी जानते थे और अब भी जानते है कि साधारण भारत-वासी राष्ट्रीयता का अर्थ नही समझता, और यह भावना जिस जाग्रति और मानसिक

उदारता से उत्पन्न होती है, वह अभी हमसे बहुत थोड़े आदिमियों में आयी है। लेकिन इतना जरूर समझते थे कि जो पत्रों के सम्पादक हैं, राष्ट्रीयता पर लम्बे-लम्बे लेख लिखते हैं और राष्ट्रीयता की वेदों पर बलिदान होनेवालों की तारीफों के पुल बाँधते हैं, उनमें जरूर यह जागृति आ गयी है और वह जात-पाँत की बेडियों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल में “भारत” में एक लेख देखकर हमारी आँखें खुल गयीं और यह अप्रिय अनुभव हुआ कि हम अभी तक केवल मुँह से राष्ट्र-राष्ट्र का गुल मचाते हैं, हमारे दिलों में अभी वही जाति-भेद का अन्धकार छाया हुआ है। और यह कौन नहीं जानता कि जाति भेद और राष्ट्रीयता दोनों में अमृत और विष का अन्तर है। यह लेख किन्हीं “निर्मल” महाशय का है, और यदि यह वही “निर्मल” है, जिन्हें श्रीयुक्त ज्योतिप्रसाद जी ‘निर्मल’ के नाम से हम जानते हैं, तो शायद वह ब्राह्मण है। हम अब तक उन्हें राष्ट्रवादी समझते थे, पर “भारत” में उनका यह लेख देखकर हमारा विचार बदल गया, जिसका हमें दुःख है। हमें ज्ञात हुआ कि वह अब भी उन पुजारियों का, पुरोहितों का और जनेऊधारी लूटेरों का हिन्दू समाज पर प्रभुत्व बनाये रखना चाहते हैं जिन्हें वह ब्राह्मण कहते हैं पर हम उन्हें ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के पाँवों को धूल भी नहीं समझते। “निर्मल” की शिकायत है कि हमने अपनी तीन-चौथाई कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके अपनी संकीर्णता का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलक है। हम कहते हैं कि अगर हममें इतनी शक्ति होती, तो हम अपना सारा जीवन हिन्दू-जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिन्दू-जाति का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलक यही टकेपंथी दल है, जो एक विशाल जोक को भाँति उसका खून चूस रहा है, और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता को पहली शर्त है, समाज में साम्य-भाव का दृढ़ होना। इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब तक यहाँ एक दल, समाज की भक्ति, श्रद्धा, अज्ञान और अंधविश्वास से अपना उल्लू सीधा करने के लिए बना रहेगा, तब तक हिन्दू समाज कभी सचेत न होगा। और यह दल दस-पाँच लाख व्यक्तियों का नहीं है, असंख्य है। उसका उद्यम यही है कि वह हिन्दू जाति को अज्ञान की बेडियों में जकड़े रखे, जिसमें वह जरा भी चूँ न कर सके। मानो आसुरी शक्तियों ने अन्धकार और अज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयंसेवकों की यह अनगिनत सेना नियत कर रखी है। अगर हिन्दू समाज को पृथ्वी से मिट नहीं जाना है, तो उसे इस अन्धकार-शासन को मिटाना होगा। हम नहीं समझते, आज कोई भी विचारवान् हिन्दू ऐसा है, जो इस टकेपंथी दल को चिरायु देखना चाहता हो, सिवाय उन लोगों के जो स्वयं उस दल में हैं और चखौतियाँ कर रहे हैं। निर्मल, खुद शायद उसी टकेपंथी समाज के चौधरी है, वरना उन्हें टकेपंथियों के प्रति वकालत करने की जरूरत क्यों होती? वह और उनके समान विचारवाले उनके अन्य भाई शायद आज

भी हिन्दू-समाज को अन्ध विश्वास से निकलने नहीं देना चाहते, वह राष्ट्रीयता की हाँक लगाकर भी भावी हिन्दू समाज को पुरोहितों और पुजारियों ही का शिकार बनाये रखना चाहते हैं। मगर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दू-समाज उनके प्रयत्नों और सिर-तोड़ कोशिशों के बावजूद अब आँखें खोलने लगा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, कि जिन कहानियों को “निर्मल” जी ब्राह्मण-द्रोही बताते हैं, वह सब उन्हीं पत्रिकाओं में छपी थी, जिनके सम्पादक स्वयं ब्राह्मण थे। मालूम नहीं “निर्मल” जी “वर्तमान” के सम्पादक श्री रमार्शंकर अवस्थी, “सरस्वती” के संपादक श्री देवी दत्त शुक्ल, “माधुरी” के संपादक प० रूपनारायण पांडे, “विशाल” भारत के संपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि सज्जनों को ब्राह्मण समझते हैं या नहीं, पर इन सज्जनों ने उन कहानियों को छापते समय जरा भी आपत्ति न की थी। वे उन कहानियों को आपत्ति जनक समझते, तो कदापि न छापते। हम उनका गला तो न दबा सकते थे। मुरौग्रत में पड़कर भी आदमी अपने धार्मिक विश्वास को तो नहीं त्याग सकता। ये कहानियाँ उन महानुभावों ने इसीलिए छापी, कि वे भी हिन्दू-समाज को टके-पथियों के जाल से निकालना चाहते हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मण जाति को बदनाम करनेवाले जीवों का समाज पर प्रभुत्व नहीं देखना चाहते। हमारा खयाल है कि टकेपथियों से जितनी लज्जा उन्हें आती होगी, उतनी दूसरे समुदायों को नहीं आ सकती, क्योंकि यह धर्मोपजीवी दल अपने को ब्राह्मण कहता है। हम कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए हैं और अभी तक उस सस्कार को न मिटा सकने के कारण किसी कायस्थ को चोरी करते या रिश्वत लेते देख कर लज्जित होते हैं। ब्राह्मण क्या इसे पसन्द कर सकता है, कि उसी समुदाय के अस्वस्थ प्राणी भीख माँग कर, भोले-भाले हिन्दुओं को ठगकर, बात-बात में पैसे वसूल करके, निर्लज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोंग करते फिरें। यह जीवन व्यवसाय उन्हीं को पसन्द आ सकता है, जो खुद उसमें लिप्त हैं और वह भी उसी वक्त तक, जब तक कि उनकी अध स्वार्थ-भावना प्रचंड है और भीतर की आँखें बन्द हैं। आँखें खुलते ही वह उस व्यवसाय और उस जीवन से घृणा करने लगेंगे। हम ऐसे सज्जनों को जानते हैं, जो पुरोहितकुल में पैदा हुए, पर शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें वह टकापथपन इतना जघन्य जान पड़ा कि उन्होंने लाखों रुपये साल की आमदनी पर लात मार कर स्कूल में अध्यापक होना स्वीकार कर लिया। आज भी कुलीन ब्राह्मण पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याग्य समझता है और किसी दशा में भी यह निकृष्ट जीवन अंगीकार न करेगा। ब्राह्मण वह है, जो निस्पृह हो, त्यागी हो और सत्यवादी हो। सच्चे ब्राह्मण महात्मा गांधी हैं, म० मालवीय जी हैं, नेहरू हैं, स० पटेल हैं, स्वामी अद्भानन्द हैं। वह नहीं जो प्रातःकाल आपके द्वार आकर करताल बजाते हुए— “निर्मलपुत्र देहि भगवान्” की हाँक लगाने लगते हैं, या गणेश-पूजा और गौरी पूजा और अल्लम-गल्लम पूजा पर यजमानों से पैसे रखाते हैं, या गंगा में स्नान करनेवालों से

दक्षिणा वसूल करते हैं, या विद्वान् होकर ठाकुर जी और ठकुराइन जी के श्रृंगार में अपना कौशल दिखाते हैं, या मन्दिरों में मखमली गाव तकिये लगाये वेश्याओं का नृत्य देखकर भगवान् से लौ लगाते हैं। हिन्दू बालक जब से धरती पर आता है और जब तक वह धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता, इसी अंधविश्वास और अज्ञान के चक्कर में सम्मोहित पडा रहता है। और नाना प्रकार के दृष्टांतों से मनगढत-किस्से कहानियों से, पुण्य और धर्म के गोरख-धन्धों से, स्वर्ग और नरक की मिथ्या कल्पनाओं से, वह उपजीवी दल उनकी सम्मोहनावस्था को बनाये रखता है। और उनकी वकालत करते हैं हमारे कुशल पत्रकार “निर्मल” जी, जो राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवी समाज को घातक समझता है, और समाजवाद में तो उसके लिए स्थान ही नहीं। और हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गध तक न होगी, वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न चण्डिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे, या सभी हरिजन होंगे।

कुछ मित्रों की यह राय हो सकती है कि माना टकेपथी समाज निष्कृष्ट है, त्याज्य है, पाखंडी है, लेकिन, तुम उसकी निन्दा क्यों करते हो, उसके प्रति घृणा क्यों फैलाते हो, उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति क्यों नहीं दिखलाते, घृणा तो उसे और भी दुराग्रही बना देती है और फिर उसके सुधार की सभावना भी नहीं रहती। इसके उत्तर में हमारा यही नम्र निवेदन है कि हम किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नहीं, हम अगर टकेपथीपन का उपहास करते हैं, तो जहाँ हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि समाज में से ऊँच-नीच, पवित्र-अपवित्र का ढोंग मिटावे, वहाँ दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपथियों के सामने उनका वास्तविक और कुछ अतिरिजित चित्र रक्खे, जिसमें उन्हें अपने व्यवसाय, अपनी धूर्तता, अपने पाखंड से घृणा और लज्जा उत्पन्न हो, और वे उनका परित्याग कर ईमानदारी और सफाई की जिन्दगी बसर करें और अन्धकार की जगह प्रकाश के स्वयंसेवक बन जायें। “ब्रह्मभोज” और “सत्याग्रह” नामक कहानियों ही को देखिये, जिन पर “निर्मल” जी को आपत्ति है। उन्हें पढ कर क्या यह इच्छा होती है कि चौबे जी या पंडित जी का अहित किया जाय ? हमने चेष्टा की है कि पाठक के मन में उनके प्रति द्वेष न उत्पन्न हो, हाँ, परिहास-द्वारा उनकी मनोवृत्ति दिखायी है। ऐसे चौबों को देखना हो, तो काशी या वृन्दावन में देखिए और ऐसे पंडितों को देखना हो तो, तो वर्याश्रम स्वराज्य सभ में चले जाइये, और यदि निर्मल जी पहले ही उस धर्मात्मा दल में नहीं जा मिले हैं, तो अब उन्हें चटपट उस दल में जा मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन्हों की मनोवृत्ति के महानुभाव मिलेंगे। और वहाँ उन्हें मोटेराम जी के बहुत से भाई-बन्धु मिल जायेंगे, जो उनसे कहीं बड़े सत्याग्रही होंगे। हमने कभी इस समुदाय की पोल खोलने की चेष्टा नहीं की, केवल मीठी चुटकियों से और फुसफुसे परिहास से काम लिया, हालाँकि जरूरत थी बर्नार्डशा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की,

जो घन के से चोट लगाता है ।

निर्मल जी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि आज के पचास साल बाद के लोग जो हमारी रचनाएँ पढ़ेंगे, उनके सामने ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र होगा और वे हिन्दू-समाज से कितने विरक्त हो जायेंगे । हम पूछते हैं महात्मा गांधी के हरिजन आन्दोलन को लोग आज के एक-हजार साल के बाद क्या समझेंगे ? यही कि हरिजनों को ऊँची जाति के हिन्दुओं ने कुचल रखा था । हमारे लेखों से भी आज के पचास साल बाद लोग यही समझेंगे कि उस समय हिन्दू-समाज में इसी तरह के पुजारियों, पुरोहितों, पंडों, पाखंडियों और टकेपथियों का राज था और कुछ लोग उनके इस राज को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे । निर्मल जी इस समुदाय को ब्राह्मण कहे, हम नहीं कह सकते । हम तो उसे पाखंडी समाज कहते हैं, जो अब निर्लज्जता की पराकाष्ठा तक पहुँच चुका है । ऐतिहासिक सत्य चुप-चुप करने से नहीं दब सकता । साहित्य अपने समय का इतिहास होता है, इतिहास से कहीं अधिक सत्य । हमें शर्मिने की बात अवश्य है कि हमारा हिन्दू-समाज क्यों ऐसा गिरा हुआ है और क्यों आँखें बन्द करके धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है और क्यों हमारी जाति का एक अंग पाखंड को अपनी जीविका का साधन बनाये हुए है, लेकिन केवल शर्मिने से तो काम नहीं चलता । इस अधोगति की दशा सुधार करना है । इसके प्रति घृणा फैलाइये, प्रेम फैलाइये, उपहास कीजिए या निन्दा कीजिए सब जायज है और केवल हिन्दू-समाज के दृष्टिकोण से ही नहीं जायज है, उस समुदाय के दृष्टिकोण से भी जायज है, जो मुफ्तखोरी, पाखंड और अन्धविश्वास में अपनी आत्मा का पतन कर रहा है और अपने साथ हिन्दू-जाति को डुबाये डालता है । हमने अपने गल्पों में इस पाखंडी समुदाय का यथार्थ रूप नहीं दिखाया है, वह उससे कहीं पतित है, उसकी सच्ची दशा हम लिखें, तो शायद निर्मल जी को तो न आश्चर्य होगा, क्योंकि वह उसी समुदाय के एक व्यक्ति है, लेकिन हिन्दू-समाज की ज़रूर आँखें खुल जायेंगी, मगर यह हमारी कमजोरी है कि हम बहुत-सी बातें जानते हुए भी उनके लिखने का साहस नहीं रखते और अपने प्राणों का भय भी है, क्योंकि यह समुदाय कुछ भी कर सकता है । शायद इस साम्प्रदायिक प्रसंग को इसीलिए उठाया भी जा रहा है कि पंडों और पुरोहितों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया जाय ।

निर्मल जी ने हमें “आदर्शवाद” और कला के विषय में भी कुछ उपदेश देने की कृपा की है, पर हम यह उपदेश ऐसी से ले चुके हैं, जो उनसे कहीं ऊँचे हैं । आदर्शवाद इसे नहीं कहते कि अपने समाज में जो बुराईयाँ हों, उनके सुधार के बदले उन पर परदा डालने की चेष्टा की जाय, या समाज को एक लुटेरे समुदाय के हाथों लुटते देखकर जबान बन्द कर ली जाय । आदर्शवाद का जीता-जागता उदाहरण हरिजन-आन्दोलन हमारी आँखों के सामने है । निर्मल जी जबान में तो इस आन्दोलन के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में घुसकर देखा जाय, ओ मन्दिरों का खुलना

और मन्दिरों के ठेकेदारों के प्रभुत्व का मिटना, उन्हें जहर ही लग रहा होगा, मगर बेचारे मजबूर हैं, क्या करें ?

निर्मल जी हमें ब्राह्मण द्वेषी बता कर सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हमें हिन्दू द्रोही भी सिद्ध किया है, क्योंकि हमने अपनी रचनाओं में मुसलमानों को अच्छे रूप में दिखाया है। तो क्या आप चाहते हैं, हम मुसलमानों को भी उसी तरह चित्रित करें, जिस तरह पुरोहितों और पाखंडियों को करते हैं ? हमारी समझ में मुसलमानों से हिन्दू जाति को उसकी शतांश हानि नहीं पहुँची है, जितनी इन पाखंडियों के हाथों पहुँची और पहुँच रही है। मुसलमान हिन्दू को अपना शिकार नहीं समझता, उसकी जेब से धोखा देकर और अश्रद्धा का जादू फैलाकर कुछ ऐठने की फिक्र नहीं करता। फिर भी मुसलमानों को मुझसे शिकायत है कि मैंने उनका विकृत रूप खींचा है। हम ऐसे मुसलमान मित्रों के खत दिखा सकते हैं, जिन्होंने हमारी कहानियों में मुसलमानों के प्रति अन्याय दिखाया है। हमारा आदर्श सदैव से यह रहा है कि जहाँ धूर्तता और पाखंड और मबलो द्वारा निर्बलों पर अत्याचार देखो, उसको समाज के सामने रखो, चाहे हिन्दू हो, पंडित हो, बाबू हो, मुसलमान हो, या कोई हो। इसलिए हमारी कहानियों में आपको पदाधिकारी, महाजन, वकील और पुजारी गरीबों का खून चूसते हुए मिलेंगे, और गरीब किमान, मजदूर, अछूत और दरिद्र उनके आघात सहकर भी अपने धर्म और मनुष्यता को हाथ से न जाने देंगे, क्योंकि हमने उन्हीं में सबसे ज्यादा सच्चाई और सेवा भाव पाया है। और यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक यह सामुदायिकता और साम्प्रदायिकता और यह अन्धविश्वास हम में से दूर न होगा, जब तक समाज को पाखंड से मुक्त न कर लेंगे, तब तक हमारा उद्धार न होगा। हमारा स्वराज्य केवल विदेशी जुए से अपने को मुक्त करना नहीं है, बल्कि हम सामाजिक जुए से भी, इस पाखंडी जुए से भी, जो विदेशी शासन से कहीं घातक है, और हमें आश्चर्य होता है कि निर्मल जी और उनकी मनोवृत्ति के अन्य सज्जन कैसे इस पुरोहिती शासन का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें खुद इस पुरोहितपन को मिटाना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रवादी है। अगर कोई ब्राह्मण, कायस्थों के करारदाद की, उनके मदिरा सेवन की, या उनकी अन्य बुराइयों की निन्दा करे, तो मुझे जरा भी बुरा न लगेगा। मैंने खुद इन बुराइयों की ओर समाज को मुखातिब किया है। कोई हमारी बुराई दिखाये और हमदर्दी से दिखाये, तो हमें बुरा लगने या दाँत किटकिटाने का कोई कारण नहीं हो सकता। मिस मेयो ने जो बुराईयाँ दिखायी थीं उनमें उसका दूषित मनोभाव था। वह भारतीयों को स्वराज्य के अयोग्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण खोज रही थी। क्या निर्मल जी मुझे भी ब्राह्मण-द्रोही, हिन्दू-द्रोही की तरह स्वराज्य-द्रोही भी समझते हैं ?

अन्त में मैं अपने मित्र निर्मल जी से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूँगा, कि पुरोहितों के प्रभुत्व के दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं और समाज और राष्ट्र की भलाई

इसी में है कि जाति से यह भेद-भाव, यह एकांगी प्रभुत्व यह खून चूसने की प्रवृत्ति मिटायी जाय, क्योंकि जैसा हम पहले कह चुके हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्णव्यवस्था, ऊँच-नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। इस तरह के लेखों से आपको आपके पुरोहित भाई चाहे अपना हीरो समझे और मंदिर के महन्तो और पुजारियों की आप पर कृपा हो जाय, लेकिन राष्ट्रीयता को हानि पहुँचती है और आप राष्ट्र-प्रेमियों की दृष्टि में गिर जाते हैं। आप यह ब्राह्मण समुदाय की सेवा नहीं, उसका अपमान कर रहे हैं।

८ जनवरी १९३४

बिहार मंदिर सम्मेलन

बिहार में हिन्दू-धर्म के ठेकेदारों ने अपने सम्मेलन में हरिजनो के मंदिर प्रवेश का खूब जोरो के साथ विरोध किया और स्व० महारानी विक्टोरिया के धार्मिक निष्पक्षता की घोषणा की दुहाई दी। हिन्दू धर्म तो यह कहता है कि प्राणीमात्र में परमात्मा का वास है, सर्वात्मवाद का इतना ऊँचा आदर्श और किसी धर्म ने भी उपस्थित नहीं किया, मगर मुसलमानों में तो मेहतर भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकता है, और यहाँ समाज का एक बड़ा भाग मदिरो से बहिष्कृत किया जाता है। समाज का जो अंग बड़ी से बड़ी सेवा करता है, वह तो अछूत है, और जो तिलक लगाकर मुफ्त का माल उड़ाते हैं वह समाज के श्रेष्ठ अंग हैं। यह व्यवस्था हिन्दू धर्म को कलकित करनेवाली है और हिन्दू समाज इस अनौति को अब सहन नहीं कर सकता।

२६ जनवरी १९३४

काशी में मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन

वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि काशी जैसे सनातनी केन्द्र में भी हरिजनो के मंदिर प्रवेश बिल की विजय हुई। उस दिन दीवानी बार एसोसियेशन में इस प्रश्न पर दो घंटे तक विचार हुआ और यद्यपि एसोसियेशन में विरोधियों की संख्या काफी थी, लेकिन कई ब्राह्मण सज्जनों ने बिल के पक्ष में राय देकर विरोधियों को पस्त कर दिया। केवल बाइस रायें विरोध में आयीं और पक्ष में सैंतीस रायें। काशी का यह निर्णय साफ बतला रहा है कि शिचिंत वर्ग इस बिल का समर्थक है। विरोधियों ने थोड़े से कट्टरपथी पोप रह गये हैं, यह भीख माँगनेवाले पंडित, या

केवल वह लोग जो इस विरोध से भी कुछ दकियानूसी धर्माभिमानी सेठ साहूकारों को उल्लू बना सकते हैं ।

१६ मार्च १९३३

इस हिमाकृत की भी कोई हद है ?

छूत-छात और जात-पाँत का भेद हिन्दू समाज में इतना बद्धमूल हो गया है, कि शायद उसका सर्वनाश करके ही छोड़े । खबर है कि किसी स्थान में एक कुलीन हिन्दू स्त्री कुएँ पर पानी भरने गयी । सयोगवश कुएँ में गिर पड़ी । बहुत से लोग तुरन्त कुएँ पर जमा हो गये और उस औरत को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे, मगर किसी में इतना साहस न था कि कुएँ में उतर जाता । वहाँ कई हरिजन भी जमा हो गये थे । वे कुएँ में जाकर उस स्त्री को निकाल लाने को तैयार हुए, लेकिन हरिजन कुएँ में कैसे जा सकता था । पानी अपवित्र हो जाता । नतीजा यह हुआ कि अभागिनी स्त्री कुएँ में मर गयी ।

क्या छूत का भूत कभी हमारे मिर से न उतरेगा ?

१४ मई १९३४



किसान-मजूर

नयी परिस्थिति में जमींदारों का कर्तव्य

हाल में हिज एक्सेलेसी गवर्नर ने बहराइच का दौरा किया था। वहाँ ताल्लुकदार एसोसिएशन ने श्रीमान् की सेवा में एक एड्रेस पेश किया। उस एड्रेस में कहा गया था कि प्रान्त में काउंसिल आफ स्टेट की तरह एक दूसरा चेम्बर बनाया जाय और जमींदारों की रक्षा के लिए उन्हें अलग काफ़ी मताधिकार दिया जाय। गवर्नर साहब ने इस एड्रेस का जवाब देते हुए ताल्लुकदारों को जो उपदेश दिया, आशा है, उस पर उन सज्जनों ने ठंडे दिल से विचार किया होगा और भविष्य में वे उसका व्यवहार करेंगे। गवर्नर साहब ने बहुत ठीक कहा कि किसानों पर जमींदारों का जितना प्रभाव है, उतना और किसी का नहीं हो सकता। उन्हें स्वरक्षित जगहों पर भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि साधारण कानून सभा में स्वरक्षित जगहों पर बराबर हमले होते रहेंगे और बहुत दिन तक इन हमलों को रोकना कठिन हो जायगा, मगर अडचन तो यही है कि हमारे जमींदारों और ताल्लुकदारों ने अपनी स्वार्थीधता और विलासिता तथा अभिमान में पड़कर इस प्रभाव को खो दिया है और अब उनका मुँह नहीं है कि साधारण सभा में प्रवेश पाने के लिए, वह अपने असामियों पर भरोसा कर सकें। अगर हमारे जमींदार विचारशील होते और समझते कि वह जो चैन कर रहे हैं वह असामियों की बदौलत, और उन असामियों के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी है, तो असामी उनसे विद्रोह क्यों करते। अगर जमींदारों का बस चलता, तो असामियों की दशा इससे भी गयी बीती होती। यह तो कौंसिलो के उद्योग का नतीजा है, कि जमींदारों के हाथ एक हद तक बाँध दिये गये हैं और कृषकों को भी कुछ अधिकार मिल गये हैं। अगर भूपतियों का आगे भी वही व्यवहार रहा, तो वास्तव में भविष्य उनके लिए अन्धकार-मय है। जैसा गवर्नर महोदय ने फरमाया है—जमींदारों को अपने ही सद्व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम साधनों से चाहे थोड़े दिनों उनकी रक्षा की जा सके, स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। उसी तरह से, जैसे पथिक को लाठी से कुछ सहारा चाहे मिल

ज़मींदारों की जायदाद की रक्षा

कृषको की तरह कितने ही ज़मींदार भी कर्जदार हैं । छोटे-छोटे जमींदारो का तो कहना ही क्या, अकसर बड़े-बड़े जमींदार भी, जो लाखो रुपये मालगुजारी भ्रदा करते हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं । जमींदारो और काश्तकारो मे अन्तर यही है कि काश्तकार मेहनत करके भी कर्जदार है, पर जमींदार केवल अपनी फिजूलखर्ची और विलासिता के कारण कर्जदार है । बड़े जमींदार का तो कहना ही क्या, पाइयो के जमींदार भी जमींदारी की शान मे अपने हाथ से कोई काम करना पसंद नही करते । उनकी गुजर छीन-भ्रपट से होती है । अब सरकार बुंदेलखड और पंजाब की तरह इस प्रात मे भी जमींदारो की जायदाद की रक्षा के लिए कानून बनाने का विचार कर रही है । पुराने खानदानी जमींदारो के विषय मे सरकार का ख्याल है कि उन्हे अपने असा-मियो से स्नेह होता है और वे जमींदारी के काम मे निपुण होते हैं । पर उन्ही जमींदारो मे बहुत ऐसे है, जिनका अधिकाश जीवन नगरो की विलासिता मे व्यतीत होता है । उन्हे अपनी प्रजा से केवल इतना सम्बन्ध है कि प्रजा उनकी सीधी, बेजबान, दुधार गाय है । उनका काम केवल गाय का दूध दुह लेना है । गाय को भूसा खली भी मिलता है या नही, इसकी उन्हे बिलकुल चिन्ता नही होती । कितने ही तो अपने इलाके का दर्शन तक नही करते । मुस्तार उन्हे रुपये देता जाय, बस, और उनसे प्रजा के सुख दु ख से प्रयोजन नही । ऐसे जमींदारो की रक्षा करके सरकार उनकी विलासी मनोवृत्ति को और भी प्रोत्साहित करेगी । अभी जो थोडी बहुत फिक्र उन्हे है, वह भी जाती रहेगी । सरकारी नौकरियाँ क्या उन्ही लोगो को दी जाती है, जो पुश्त दर पुश्त से सरकारी नौकरी करते चले आये है, जिनका यही खानदानी पेशा है ? अगर ऐसा नही है, तो सरकार को अब किसी विशेष सम्प्रदाय की रक्षा करने की क्या ज़रूरत है ? जो समय की प्रगति के अनुसार नही चल सकते, समय उनकी रक्षा नही कर सकता । फिर यह कानून बनाकर यहाँ की आबादी को "कृषक" और "अकृषक" दो भागो मे बाँटना पडेगा । मगर यहाँ घोर अन्याय हो जाने का भय है, क्योकि साहूकार या दूसरे धनवानो की कोई विशेष जाति नही होती । कुरमी, काछी, ब्राह्मण, क्षत्री सभी लेन-देन करते हैं । कही ब्राह्मण महाजन है, कही असामी । मुसलमानो मे जातें नही है, इसलिए सभी मुसलमानो को कृषक जाति मे रखना पडेगा और इस तरह वह बात दूर न होगी, जो सरकार की इच्छा है । पुराना जमींदार प्रजा पर धाक जमा लेने के कारण उससे कही

ज्यादा सख्ती करता है। जितनी वह नया जमींदार करेगा, जिसे प्रजा से मेल-जोल बढाना है। अतएव हम ऐसे कानून की जरूरत नहीं समझते।

१२ अक्टूबर १९३२

किसानों की कर्जा कमेटी के प्रस्ताव

कौन नहीं जानता कि भारत के किसान बुरी तरह कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उनका प्राय सभी काम कर्ज से ही चलता है। बोज वह सूद पर लेते हैं और एक का डेढ अदा करते हैं। कपडा या तो वह बजाज से उधार लेते हैं या पठानो से। बैल भी वह प्राय फेरी करनेवाले व्यापारियो से उधार ही लिया करते हैं। शादी-भगो, तीर्थ-व्रत मे तो अपनी सम्मान-रक्षा के लिए उन्हे कर्ज लेना ही पडता है। और इस कर्ज का सूद कम से कम पच्चीस रुपये सालाना है, ज्यादा की कोई सीमा नहीं, चालीस पचास ६० फी सदी तक हो जाता है। और गरीब किसान एक बार कर्ज लेकर फिर उच्छ्रण नहीं हो सकता। सूद भी नहीं अदा कर पाता, मूल का तो कहना ही क्या। और यही कर्ज वह विरासत मे अपने पुत्रो पर छोड जाता है। कितने जमींदार और साहूकार किसानो या किसान मजूरो को सौ पचास ६० उधार देकर उनसे यावज्जोवन मजदूरी कराते रहते हैं। केवल उन्हे जिन्दा रहने के लिए कुछ अनाज रोज दे दिया करते हैं। वेतन सूद मे कटता रहता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि किसान की पैदावार खलिहान मे ही साफ हो जाती है। जमींदार ने अपना लगान वसूल कर लिया, साहूकारो ने अपनी बाकी, किसान हाथ भाडकर अपनी तकदीर को रोता हुआ घर जाता है और पहले ही दिन से फिर कर्ज लेना शुरू करता है। यह हाल तो उस वक्त था, जब जिस तेज थी और किसानो के हाथ मे थोडे-बहुत रुपये आ जाते थे। आजकल तो गरीब को रुपये के दर्शन ही नहीं होते। जमींदार और सरकार का भी दोष नहीं। जमींदार असामियो से लगान न वसूल करे, तो क्या खुद खाय और क्या सरकार को दे। साहूकार अपना बाकी न वसूल करे, तो तबाह ही हो जाय। अतएव कुछ दिन हुए सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यो की एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसकी नामावली देखने से मालूम होता है कि उसमे सभी विचारो के महानुभाव थे—जमींदार, अर्थ विशेषज्ञ, राज कर्मचारी, काउंसिल के मेम्बर। कमेटी ने कई महीने के विचार के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमे कृषकों को साहूकारो से बचाने के लिए कई सिफारिशी प्रस्ताव दिये गये हैं। उनमे से मुख्य ये हैं—

१—पंचायती बोर्ड कायम किये जायें। असामी और साहूकार दोनो मिलकर तीन या पाँच या सात पंचो की एक पंचायत चुन ले। पाँच सौ ६० तक के लेन देन

के मुआमले इसी पचायत द्वारा तय कर दिये जाया करें। कोई अदालत इतनी रकम तक के मुआमले को सुनवाई न करे, जब तक पचायत यह न कह दे कि वह इस मामले का निपटारा नहीं कर सकती। अगर दोनो फरीक चाहे, तो एक ही पंच द्वारा मुआमले को तय कर सकत हैं।

२—सूद की हद बाँध दी जाय। एक ऐसा एक्ट पास कर दिया जाय कि कृषक असामी अदालत से अपने हिसाब की नकल की दख्खिस्त कर सके। अदालत यह हिसाब तैयार करते समय सूद की दर अधिक देखे, तो शुरू से उसकी तरमीम कर दे। जमानती कर्ज पर नौ फी सदी और गैर जमानती कर्ज पर पन्द्रह फी सदी सूद लगा दे। परिस्थिति पर विचार करके सूद की दर बारह और अठारह फी सदी तक बढ़ायी जा सकती है। मियाद पर बिरन न वसूल होने पर अदालत सब रुपये को एकबारगी चुकाये जाने का हुकम दे सकतो है।

३—हर एक महाजन को ठीक-ठीक हिसाब रखने के लिए मजबूर किया जाय और इस हिसाब की नकल असामी को हर छठे महीने दे दी जाय। अगर महाजन इस शर्त को पूरा न करे, तो उसका पूरा सूद या उसका कोई भाग नाजायज करार दिया जाय। महाजन हरेक वसूली की लिखी हुई रसीद दे वना उसे सजा दी जाय। असल उत्तना ही दर्ज किया जाय, जितना वास्तव में दिया गया हो, नजराना, या खर्चा, या जुर्माना के नाम से असल में बेशी करना जुर्म करार दिया जाय।

४—खेती की पैदावार या काश्त की जमीन पर, अगर उसका लगान पाँच सौ २० से अधिक न हो, डिग्रियो की तामील अदालतों द्वारा न होकर कलक्टर द्वारा करायी जाय। कोई डिग्री चार फसलो से ज्यादा पर न करायी जाय, और यह जरूरी नहीं है कि चारो फसले लगातार हो।

५—कोई कृषक असामी कर्ज की डिग्री के लिए गिरफ्तार न किया जाय, इस एक्ट के पास हो जाने के बाद किसी ऋण का मूल जो एक महाजन किसी असामी से उसकी जायदाद या फसल कुर्क करके वसूल कर सकता है, इस तरह होगा—

जमीदार से—	भालगुजारी का दस गुना
शरहपुअइयम या दखीलकार से—	लगान का दस गुना
गैर दखीलकार से—	लगान का पाँच गुना
सिक्की से—	लगान का तिगुना

६—किसी असामी पर रुपये दिलवाने का दावा उसी जिले में होगा, जिसमें वह रहता है या जहाँ उसे रुपया दिया गया।

बेग बीस महीने के भीतर जब असामी चाहे सूद के साथ अदा कर सकता है।

७—गैर दखीलकार काश्तकारो को अपनी जमीन रेहन रखने का हक दे दिया जाय।

८—छोटी मिलकियतो का आकारनियुक्त कर दिया जाय और उन पर लगान यामालगुजारी न बढ़ायी जाय ।

९—फेरी करनेवाले महाजनो को किसी खास परगना या म्युनिसिपैलिटी मे लेन-देन करने या कपडा बेचने के लिए लेसंस दिया जाय, जो पहले पचास रु० फी आदमी होगा और दस रु० फीस देकर हर साल बदला जा सकेगा ।

१२ अक्टूबर १९३२

आराजी की चकबन्दी

हमारे किसानो को जहाँ और कितनी ही कठिनाइयो का सामना करना पडता है, वहाँ उनके खेतो का दूर-दूर और गाँव की भिन्न-भिन्न दिशाओ मे होना भी एक बहुत बडी बाधा है । अधिकतर किसानो के पास दो-ढाई बीघे से ज्यादा नही होता, और उसमे भी पाँच बिस्वे गाँव के पूर्व है, तो दस बिस्वे गाँव के पश्चिम, दस बिस्वे उत्तर, तो पाँच बिस्वे दक्खिन । पाँच बिस्वे को जोतकर उसे हल बँल लिये मील भर चलना पडता है, तब कही दूसरा खेत मिलता है । सिंचाई, निराई, बुआई सभी क्रियाओ मे यही हाल होता है । इस तरह उसका बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है । न वह कुँए बनवा सकता है, न बाडे खीच सकता है, न फसल की रखवाली कर सकता है । इस सस्ती के समय इस बाधा को दूर करना अनिवार्य हो गया है । पंजाब मे तो वहाँ की प्रान्तीय सरकार ने इस विषय मे बहुत कुछ काम किया है, लेकिन हमारा प्रात अभी मीठी नीद सो रहा है । मि० मेहता ने दो जिलो मे चकबन्दी का आयोजन किया था, पर ऊपर से कोई ताकीद न होने के कारण उसमे कुछ ज्यादा सफलता न हुई, और उन दो-एक जिलो को छोडकर और कही उसकी चर्चा तक न हुई । हर्ष की बात है कि रायसाहब बाबू गान्धर्व एम० एल० सी० ने लीडर मे एक पत्र लिखकर जनता और सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की चेष्टा की है । कृषि विषय के अन्य सुधारो के लिए रुपये और समय और शिक्षा को जरूरत है, लेकिन इस सुधार के लिए तो सरकार को एक पैसा भी न खर्च करना पडेगा । थोडी-सी तवज्जह से किसानो को बहुत बडा फायदा हो जायगा और हमे विश्वास है कि पैदावार भी बढ जायगी । जैसा उक्त रायसाहब ने कहा है, गाँव की जमीन को मिट्टी के हिसाब से दो-तीन टुकडो मे बाँटना पडेगा, बलुआ, काली मिट्टी, ककरीली आदि । इसके बाद गोइड (आबादी के निकट) और पाही (आबादी से दूर) का विचार करके हरेक किसान को जमीन बाँट दी जायगी । जमीन की पैदावार का भी लिहाज रखना पडेगा । सोलह आने पैदावार की जमीन के एक बीघे के बदले मे आठ आने पैदावार के दो बीघे मिल जायेंगे ।

पैदावार का तख्मीना करते समय, तालाब, सडक आदि के सामीप्य पर भी ध्यान रखना पडेगा, जिसमे किसी किसान की हकतलफी न हो। गाँववालो की पंचायत की सलाह से तखमीने का अफसर भूँटवारा कर देगा। किसानो को तो लाभ होगा ही, सरकार को भी लाभ होगा। पटवारियो का काम बहुत हलका हो जायगा, और वह जमीन, जो मेडो से घिरी हुई है और जिसके बारे मे हमेशा किसानो के झगडे होते रहते हैं, खेत मे मिल जायगी। हमने इस विषय मे कृषको से जो बातचीत की है, उससे मालूम होता है कि वे इस सुधार का स्वागत करने को तैयार हैं, यदि इससे उनका नुकसान न हो। जब तक चकबन्दी न की जायगी, कृषि मे कोई सुधार न होगा, न नयी जिन्से पैदा की जा सकेगी। कृषि की उन्नति की यह पहली सीडी है और हमे आशा है, सरकार इसे हाथ मे लेने मे ढेर न करेगी।

१६ अक्टूबर १९३२

हतभागे किसान

भारत के अस्सी फी सदी आदमी खेती करते हैं। कई फी सदी वह है जो अपनी जीविका के लिए किसानो के मुहताज है, जैसे गाँव के बढई, लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ मे जो कुछ विभूति है, वह इन्ही किसानो और मजदूरो की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरियाँ, सब उन्ही की कमायी के बल पर चलती हैं, लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता है, भर पेट अन्न को तरसते है, जाडे-पाले मे ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। कोई जमाना था जब गाँव के लोग अपने डील-डौल, बल-पौरुष के लिए मशहूर थे। जब गाँवो मे दूध-घी की इफरात थी। जब गाँव के लोग दीर्घजीवी होते थे। जब देहात की जलवायु स्वास्थ्यकर और पोषक थी, लेकिन आज आप किसी गाँव मे निकल जाइए, आपको खोजने से भी हूष्ट-पुष्ट आदमी न मिलेगा, न किसी की देह पर माँस है न कपडा। मानो चलते-फिरते कंकाल हो। और तो और, उन्हे रहने को स्थान नहीं है। उनके द्वारो पर खडे होने तक की जगह नहीं, नीची दीवारो पर रक्खी हुई फूस की भोपडियो के अन्दर वह, उसका परिवार, भूसा, लकडी, गाय बैल सब के सब पडे हुए जीवन के दिन काट रहे हैं। कोई समय था जब भारत के घन का ससार मे शोहरा था। यहाँ के सोने और जवाहरात की चमक से दूर-दूर के कवियो की आँखो मे चकाचौध हो जाती थी, विजेताओ के मुँह मे पानी भर आता था, मगर आज वह कपोलकथा मात्र है। आज भारत दरिद्रता और अज्ञान के ऐसे गहरे गढे मे गिरा पडा है कि उसकी थाह भी नहीं मिलती। लार्ड कर्जन ने १९०१ मे यहाँ की व्यक्तिगत

आय का अनुमान तीस रु० साल किया था। १९१५ में एक दूसरे हिसाबदाँ ने इस अनुमान को पचास रु० तक पहुँचाया, और १९१५ में वह समय था जब योरोपीय महाभारत ने चीजों का मूल्य बहुत बढ़ा दिया था। १९३० में वही हालत फिर हो गयी जो १९०१ में थी और हिसाब लगाया जाय तो आज हमारी व्यक्तिगत आय शायद पच्चीस रु० से अधिक न हो, पर आज तक किसी ने किसानों की दशा की ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी दशा आज भी वैसी है जो पहले थी। उनके खेती के औजार, साधन, कृषि-विधि, कर्ज, दरिद्रता सब कुछ पूर्ववत् है।

नहीं यह कहना गलती होगी कि उनकी दशा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने समय-समय पर उनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाये हैं, और शायद इस तरह के कानून अब तक और ज्यादा बन गये होते यदि जमींदारों की ओर से उनका विरोध न हुआ होता। अब की बार ही छूट के विषय में जमींदारों ने कम रुकावटें नहीं डाली, लेकिन अनुभव से मालूम हो रहा है कि इस नीति से किसानों का विशेष उपकार नहीं हुआ। इन कानूनों के बगैर सम्भव था, उनकी हालत इससे भी खराब होती। इनसे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि उनकी पतनोन्मुखी प्रगति रुक गयी लेकिन उन्नति के लिए दशाएँ अनुकूल न हो सकीं। हमें तो उन्नति के लिए ऐसे विधानों की जरूरत है जो समाज में विप्लव किये बिना ही काम में लाये जा सकें। हम श्रेणियों में संग्राम नहीं चाहते। हाँ, इतना अवश्य चाहते हैं कि सरकार और जमींदार दोनों ही इस बात को न भूल जायें कि किसान भी मनुष्य हैं, उसे भी रोटी और कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए, उसके घर में शादी-गामी के अवसर आते हैं, उसे भी अपनी बिरादरी में अपने कुल मर्यादा की रक्षा करनी पडती है। बीमारी-आरामी औरों की तरह उस पर भी व्याप्त होती है। इसलिए लगान बाँधते समय इस बात का खयाल रखें कि किसान को कम से कम खेती में इतनी मजदूरी तो मिल जाय कि वह अपने बाल-बच्चों का पालन कर सकें। हमारे प्रांत में अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास तीन, चार एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसों का है जिनके पास इसकी आधी जमीन भी नहीं है। और जमाबंदियाँ जितनी ही छोटी होती हैं, उन पर खेती का खर्च उतना ज्यादा बैठता है। इसलिए जमीन के लगान के दर में नये सिरे से तरमीम होनी आवश्यक है। बेशक उससे जमींदारों की आमदनी कम हो जायगी, और सरकार को अपने बजट बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी, लेकिन किसानों के जीवन का अन्य सभी हितों से कहीं ज्यादा मूल्य है।

किंतु परिस्थितियों को देखते लगान में निकट भविष्य में विशेष कमी नहीं की जा सकती। वास्तव में हालत तो यह है कि छोटे-छोटे किसानों का खेती पर जो खर्च पड रहा है वह भी वसूल नहीं होता, लगान तो दूर की बात है। और मान लिया किसी तरह एक या दो साल डंडे के जोर से लगान वसूल कर लिया गया भी तो क्या। जब

किसान भूखी मर रहा है तो वह दुर्बल और रुग्ण होगा, खेती में ज्यादा मेहनत न कर सकेगा और इसलिए उसकी पैदावार भी अच्छी न होगी। हमें तो परिस्थिति में कुछ ऐसा परिवर्तन करने की जरूरत है कि किसान सुखी और स्वस्थ रहे। जमींदार, महाजन और सरकार सबकी आर्थिक समृद्धि किसान की आर्थिक दशा के अधीन है। अगर उसकी आर्थिक दशा हीन हुई तो दूसरों की भी अच्छी नहीं हो सकती। किसी देश के मुशासन की पहचान साधारण जनता की दशा है। थोड़े से जमींदार और महाजन या राजपदाधिकारियों की सुदशा से राष्ट्र की सुदशा नहीं समझी जा सकती।

किसानों के लिए दूसरी जरूरत ऐसे घरेलू धंधों की है जिससे वह अपनी फुरसत के वक्त कुछ कमा सके। यह काम असंगठित रूप से सफल नहीं हो सकता। इसे या तो सहकारी सोसाइटियों के हाथ में दिया जाना चाहिए या सरकार को खुद अपने हाथ में रखकर व्यापार और उद्योग विभाग के द्वारा इसका संचालन कराना चाहिए। एक प्रान्त में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खपत नहीं है, मगर दूसरे प्रान्तों में उनकी अच्छी खपत है। ऐसे उद्योगों का प्रचार किया जाना चाहिए।

खेती की पैदावार बढ़ाने की ओर भी अभी तक काफी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने अभी तक केवल प्रदर्शन और प्रचार के सीमा के अन्दर रहना ही उपयुक्त समझा है। अच्छे औज़ारों, अच्छे बीजों, अच्छी खादों का केवल दिखा देना ही काफी नहीं है। सौ में दो किसान इस प्रदर्शन से फायदा उठा सकते हैं। जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है, जो नाक तक ऋण के नीचे दबा हुआ है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह नयी तरह के बीज या औज़ार या खाद खरीदेगा। उसे तो पुरानी लीक में जौ भर हटना भी दुस्साहस मालूम होता है। उसमें कोई परीक्षा करने की, किसी नयी परीक्षा का जोखिम उठाने की सामर्थ्य नहीं है। उसे तो लागत के दामों यह चीज़ें क्रिस्तवार अदायगी की शर्त पर दी जानी चाहिए। सरकार के पास इन कामों के लिए हमेशा धन का अभाव रहता है। हमारे विचार में इससे ज्यादा जरूरी सरकार के लिए कोई काम ही नहीं है।

दूसरी जरूरत जमीन की चकबन्दी है। जमीन का बँटवारा इतनी कसरत से हुआ है और हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। दक्षिण में सन् १७७१ ई० से श्रौसत ज़ामाबन्दी चालीस एकड़ की थी। १८१५ ई० में वह केवल सात एकड़ रह गयी। बंगाल में तीन एकड़ हैं और संयुक्त प्रान्त में केवल डेढ़ एकड़। यह डेढ़ एकड़ भी गाँव के चारों दिशाओं में स्थिति होता है, इसलिए उसमें बहुत परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। चकबन्दी हो जाने से इतना फायदा होगा कि किसान अपने चक को बाड़ों से घेर सकेगा, उसमें कुएँ बनवा सकेगा, खेती की निगरानी कर सकेगा। इससे उसकी उपज में कुछ बढ़ती होने की आशा हो सकती है।

कीड़ों से भी फसल का अकसर बहुत नुकसान होता है। पिछले साल चूहों ने

कितने खेतों का सफाया कर दिया। कभी लाही आती है, कभी माहो, कभी गेहई, कभी पतंगे। कभी दीमकों का जोर होता है, कभी कीड़ों का। किसानों के पास इन भौतिक बाधाओं की कोई दवा नहीं है। कृषि विभाग ने इस विषय में बहुत कुछ खोज किया है और ज़रूरत है कि उसकी पराचित अनुभूतियाँ किसानों के कानों तक पहुँचायी जायँ। केवल इतना ही नहीं, उनके द्वारों तक पहुँचायी जायँ, पर यहाँ तो जो कुछ होता है दफ्तरी ढंग से, जो इतना पेचीदा और बिलम्बकारी है कि उससे किसानों को फायदा नहीं होता। यहाँ दफ्तरी ढंग की नहीं, मिशनरी उद्योग की ज़रूरत है। अब तक सरकार ने किसानों के साथ सौतेले लड़के का-सा व्यवहार किया है। अब उसे किसानों को अपना जेठा पुत्र समझकर उसके अनुसार अपनी नीति का निर्माण करना पड़ेगा।

१६ दिसम्बर १९३२

हड़ताल

काँग्रेस का क्रियाशील तथा व्यवहारिक आन्दोलन ठंडा-सा पड़ गया है। इसे चाहे फूस के गट्टर के नीचे चिनगारी सुलगाना समझिये या सरकार की जीत समझिये। पर हमें केवल एक बान की ओर, काँग्रेस के जो भी पदाधिकारी हों, उनका ध्यान दिलाना है। काँग्रेस के पास विशेष साधन न होने के कारण वह सरकार का क्रियात्मक विरोध नहीं कर सकती। अतः वह निषेधात्मक विरोध कर रही है। फलतः उसे हड़ताल ऐसी चीजों का बार-बार आवाहन करना पड़ता है। लाचार अथवा दुर्बल के लिए हड़ताल करने से उसका महत्व जाता रहता है और एक दिन को हड़ताल का प्रभाव गरीबों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। रोज कुँआ खोदने और रोज पानी पीनेवालों की तो मरन हो जाती है। अतएव क्या इस प्रकार के कार्यों को मनाही कर दी जावेगी? अब इनका विशेष महत्व भी नहीं है। हड़ताल के दिन शोक मनाने या प्रार्थना करने के स्थान पर लोग मौज करते हैं, तमाशे देखते हैं, और कोई विशेष लाभ नहीं होता।

३० जनवरी १९३३

ज़बर्दस्ती

भारतीय किसानों की इस समय जैसी दयनीय दशा है, उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा को वे स्वयं जानते हैं—या उनका भगवान

जानता है। ज़मींदार को समय पर मालगुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न चाहिए, पहनने के लिए एक चीथड़ा चाहिए, चाहिए सब कुछ, पर एक ओर तुषार तथा अति-वृष्टि फसल को चौपट कर रही है, एक ओर आँधी उनके रहे-सहे खेत को भी भ्रष्ट कर रही है—दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैज़ा, शीतला उनके नौजवानों को हरी-भरी तथा लहलहाती जवानी में उसी तरह दुनिया से उठाये लिये चली जा रही है, जिस तरह लहलहाता खेत अभी छ दिन पूर्व के पत्थर—पाले से जल गया। गल्ला पैदा हो रहा है, पर भाव इतना मन्दा है कि कोई दो वक्त भोजन भी नहीं कर सकता। स्त्री के तन पर जो दो-चार गहने थे, वे साहूकार के पेट से बचकर सरकार की मालगुजारी के पेट में चले गये। नन्हे बच्चे, जो चीथड़ा ओढ़कर जाड़ा काटते थे, वही अब उनका पिता पहन कर अपने तन की लाज ढँक रहा है। माता के पास केवल इतना ही वस्त्र है, जितने से वह बूँधट काढ सके—धोती चाहे ठेहने तक ही क्यों न खसक आये।

एक ओर यह दुर्दशा है, दूसरी ओर हमारे शासक शिमला, नैनीताल और उससे भी काम न चला तो लन्दन की हवा खा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि और मेम्बर जब तक बड़ी या छोटी कौंसिल की मेम्बरी नहीं करते, कडकडाती धूप में भी पैदल सड़को पर भटकते हैं—पर कौंसिल के मेम्बर होते ही तुरंत पहाड़ पर चल देते हैं और वहाँ पर दस रुपया रोज़ का भत्ता पीट लेते हैं। आप चलकर किसानों से पूछिए तो सही, कितने किसानों ने इधर इकट्ठा दस रुपया भी देखा है? पर नहीं—यह कलियुग है। कर्मयुग है। भाग्य का खेल है। किसान आया है, दुनिया की मुसीबतों में सड़कर मर जाने के लिए!

एक ओर बड़े-बड़े ज़मींदार अपने हित की रक्षा की सोच रहे हैं, एक ओर सरकार श्वेत पत्र पर श्वेत खडिया से कुछ लिख रही है, दूसरी ओर किसानों को केवल इतना ही मालूम होता है कि उसकी विपत्ति बढ़ती जा रही है। सरकार उसके लिए बहुत कुछ करने का दम भरती है। पर उसने अभी तक क्या किया। बैंक-जाँच-समिति ने, किसानों को ही दुर्दशा से बचाने के लिए यह सलाह दी थी कि तुरत “लैंड मारगेज बैंक” खुल जावें, जिससे किसानों को साहूकार से बचकर अपनी कृषि की उन्नति के लिए, आसानी से रुपया मिल सके और उसका हाथ-पैर फँले। सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसका उद्देश्य बहुत अधिक सूद लेनेवालों से गरीबों को बचाना है। एक निश्चित रकम से अधिक सूद लेनेवाला अपने आसामी को गिरफ्तार नहीं करा सकेगा। वह अदालत में दावा दायर कर सकता है। इससे भी किसान का कुछ लाभ होगा, पर कुछ से काम नहीं चल सकता। इस समय तो चारों ओर हाहाकार ही मच रहा है। यदि किसान की रक्षा न की गयी तो बड़ा भयकर अनर्थ हो सकता है।

राज कृष्णपालसिंह युक्त प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर हैं। दुर्भाग्यवश, तालुकेदारों

तथा जमीदारों के कारण यह कौंसिल जड़ तथा निस्सार लोगों की संस्था हो रही है, जिसमें किसानों का हित उतना ही कम सोचा जाता है, जितना देश हित। इस कौंसिल में, कुछ दलित जाति के भी सदस्य भेजे गये हैं। इनके एक नेता भी बतलाये जाते हैं। पर, हमने स्वयं केवल यही देखा है कि ये सदस्य सर्व सरकार का—सरकारी प्रस्ताव का साथ देते हैं। इस प्रकार कौंसिल में किसान अभागा किसी के ध्यान में भी नहीं आता। यदि कुछ थोड़े से सदस्य हृदय से तथा मन से किसानों की सेवा करना चाहते, तो उनकी संख्या बहुत कम है। सी० वाई० चिन्तामणि, कुँवर जगभानसिंह, मुशी गदाधरप्रसाद इन्हीं इने-गिने लोगों में से हैं—और इनसे भी ऊपर यदि किसी का नाम लिया जा सकता है, तो वह है अवगढ-नरेश के भाई राव कृष्णपालसिंह।

राव साहब ने “लीडर” में हाल ही में किसानों की दुर्दशा पर एक बड़ा मर्मस्पर्शी लेख प्रकाशित कराया है। लेख की प्रत्येक पंक्ति में जीवन है। आप लिखते हैं कि युक्त प्रान्तीय सरकार की किसान-सम्बन्धी नीति केवल “जबर्दस्ती की अर्थ-नीति” है। चाहे जैसे हो, मारपीट कर लगान वसूल कर लो—बस, यही एक मात्र ध्येय है। आपके शब्दों में—

“भारतीय किसान पर जो बोझ लदा हुआ है, उसका यदि ठीक नहीं, तो आंशिक अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि कर की अत्यधिकता, जमींदार की माल-गुजारी (खुदकाशत आदि की) साहूकार द्वारा शोषण और अफसरों द्वारा जबर्दस्ती की वसूली, किसान को घोर दरिद्रता में छोड़ देती है और यही दरिद्रता ही उसका भाग्य है।.... .. इसीलिए इसका निपटारा सूझ नहीं पड़ता। चाहे क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ हो या विकासवादी, उसे चाहिए कि पहले वह नीव स्थापित करने के लिए घोर परिश्रम कर ले, तब अर्थशास्त्री उस पर कोई नयी इमारत खड़ी कर सकता है।”

अब राजनीतिज्ञ क्या करे—इस विषय में राव साहब की सलाह बहुत ही उप-युक्त है और उसी की ओर अपने देश के नेताओं का ध्यान खींचना हमारा उद्देश्य है। इस छोटी-सी टिप्पणी में इस विभिन्न तथा कष्टदायक समस्या पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता। हम स्वयं यह सोचकर कि आखिर क्या उपाय है—चुप रह जाते हैं। उपाय जो कुछ है, वह सरकार के साथ है, या प्रान्तीय कौंसिल सरकार से बहुत कुछ करा सकती है। पर, प्रान्तीय कौंसिल के धनीमानी, दलबन्दीवाले सदस्य कोई उपाय बतलाने पर भी, उसका अनुकरण करेंगे, इसमें हमे सन्देह है। और इसीलिए, संदिग्ध होते हुए भी उनसे राव साहब की पाँच बातों की ओर ध्यान देने की प्रार्थना करते हैं।

१—उचित मात्रा में लगान घटा दिया जावे। लगान-माफी या किश्त-बन्दी का तरीका चलाया जावे। भूमि-कर जमींदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया

जावे, न कि उसकी वसूली की सभावना पर ।

२—नहर का रेट इतना घटा दिया जावे कि सबके लिए आबपाशी मस्ती पडे । आजकल की तरह केवल अमीरो के काम लायक ही न हो ।

३—जमीन्दारो को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली से अधिक वसूली करने की आज्ञा उन्हें नहीं देनी चाहिए ।

४—किसानो का मौजूदा कर्जा जहाँ तक हो काट दिया जावे और कानून बना कर सूद की दर तय कर दो जावे । साहकारो को बहीखाता रखने के लिए बाध्य किया जावे, तथा उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए “रुपया” देने से रोका जावे ।

५—सरकारी अफसरों को किसानो से नाजायज वसूली से रोका जावे । बडे सरकारीकर्मचारियों के वेतन में कमी की जावे, और उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन पानेवाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जावे ।

नैनीताल के कौंसिल के अधिवेशन में यह प्रश्न विचारार्थ पेश होगा, अथवा नहीं—इसमें सन्देह है । किसानो की सुधि लेने की किसे फुर्सत है—किसे अवकाश है । फिर भी, इतना हम कह देना चाहते हैं कि रयाद राव साहब की योजना को सरकार ने नहीं स्वीकार किया, तो सिद्ध हो जायगा कि वह किसानो के हित का विशेष ध्यान नहीं रखती ।

८ मई १९३३

महाजन और किसान

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में इस वक्त किसानो के ऋण का सूद घटाने और अन्य प्रकार से उन्हें महाजनो के चगुल से बचाने के लिए जो तीन बिल पेश हैं, उन पर खूब आलोचनाएँ हो रही हैं । हम यह नहीं कहते कि हमारे सामाजिक जीवन में महाजन का कोई स्थान नहीं है और न यह कि उससे जनता का कोई उपकार नहीं होता, मगर अभी महाजनो को अपने असामियों पर अत्याचार करने को जा कानूनी सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनमें कुछ कमी होने की परम आवश्यकता है । सूद की कोई सीमा होनी चाहिए और उसका कुछ दर भी निश्चित होना चाहिए । अभी तो यह हाल है कि किसानो से मूल का कई गुना ब्याज में वसूल कर लिया जाता है, फिर भी मूल ज्यो का त्यो बना रहता है । ऐसे उदाहरण घर-घर मिलेंगे कि महाजन ने पचास रुपये देकर असामियों पर दो सौ रुपये की डिग्री करायी और उसके पास जो कुछ था वह सब नीलाम करा लिया । जब सभी जगह सूद का दर गिर गया है तो किसान से क्यो वही पुराना सूद लिया जाय ? इस प्रान्त में हुण्डो का व्यवहार बहुत किया जाता है । उसमें सूद का दर तीस

प्रति सैकडे से भी अधिक पडता है। यह लूट बन्द होनी चाहिए। अवश्य महाजनों को टोटा होगा। लेकिन चूहे भूखो मर जायेंगे इस भय से तो बखारे नहीं खोल दी जाती। महाजन को भ्रूक मारकर थोड़े सूद पर सतुष्ट होना पडेगा। वह अब थोड़े से रुपये उधार देकर किसान को पुश्तहापुश्त के लिए अपना गुलाम न बना सकेगा।

३ जुलाई १९३३

किसानों का कर्जा

भारत सरकार स्वयं इतना अधिक ऋण ले रही है—और ऋण लेकर ही अपना काम चला रही है कि यह कहना अनुचित न होगा कि ऋणी लोगों के प्रति उसको सहानुभूति स्वाभाविक है। इसीलिए पत्थर पर दूब निकल रही है, यानी—जो सरकार भारतीय किसानों के हितों के प्रति अत्यन्त उदासीन रहा करती थी, जो सरकार सदैव अपने “लगान” की ओर ही नजर उठाये रहती थी, वह किसानों के हित में एक उदार कानून बनाने का विचार कर रही है। इस उदार कानून को जन्म देने का यश युक्त प्रान्त को प्राप्त होगा और सभव है कि अन्य प्रान्त शीघ्र ही इस प्रान्त का अनुकरण करें।

आज भारत के किसान इतने तबाह क्यों हैं ? इसलिए कि जब से अंग्रेजी शासन शुरू हुआ, यानी आज के डेढ़ सौ वर्ष पहले से विदेशी हुकूमत ने सदैव किसानों के हितों की उपेक्षा की और जमींदारों के हितों का समर्थन किया। अन्य प्रान्तों की बात जाने दीजिये। युक्त प्रान्त की ही दशा लीजिये। शायद ही किसी प्रान्त के किसान इतने परेशान और दुःखी हों। शायद ही किसी प्रान्त के किसानों को इतना कष्ट हो। शायद ही किसी प्रान्त में जमींदार—ताल्लुकेदार इतनी मनमानी कर सकते हों। और किसानों की कष्ट-कहानी इस डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन अभागों पर पुलिस का, जमींदार-ताल्लुकेदार का, सेठ साहूकार का, सच्चेप में हरेक अधिकारी का जुल्म ज्यों का त्यों जारी है। युक्त प्रान्तीय कौंसिल ने यदि कभी इन अभागों की सहायता करनी चाही तो प्रान्त की “ताल्लुकेदारों की कौंसिल” ने जनमत को सदैव कुचल दिया। हमारे प्रान्त का यह विश्वास-न्सा हो रहा था कि यहाँ ताल्लुकेदारों-जमींदारों के लिए शासन होता है। अब भी इस प्रान्त में एक “राज-परिषद्” की व्यवस्था कर सरकार ने इस शका को और भी मजबूत कर दिया है।

फिर भी, जहाँ सरकार प्रजा हित का काम करती है, वहाँ हम सदैव उसे धन्य-वाद और बधाई देने के लिए तैयार हैं। हम यह चाहते हैं, कि सरकार को इस प्रकार को चेष्टाओं में जनता की ओर से काफी सहायता दी जावे, हम यह चाहते हैं कि यदि प्रान्तीय कौंसिल में सरकार किसानों के हित के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, तो

जनता के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे सरकार का समर्थन करें। प्रान्तीय सरकार ने आगे किसानों के कर्ज का बोझ हलका करने के लिए जो नया मसविदा, कानून बनाने के लिए ४ जुलाई को कौंसिल के नैनीताल-अधिवेशन के सामने पेश किया था, वह हरेक दृष्टि से सराहनीय है और कौंसिल-सदस्यों ने सरकार को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए बधाई देने की जो बुद्धिमत्ता की है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लगान में, यथाशक्य, यद्यपि आवश्यकता तथा हैसियत से कहीं कम—छूट करने के बाद, प्रान्तीय सरकार का वह दूसरा प्रयत्न है, जिसके द्वारा वह जनता का वास्तविक हित करना चाहती है। सरकार इस कानून का मसविदा १३ मई को ही प्रकाशित कर चुकी थी, पर मसविदा और उस पर विचार करने के लिए बीस सदस्यों की खास कमेटी बना देने का प्रस्ताव ४ जुलाई को किया गया। इस विषय में हम कई कौंसिल-मेम्बरों की इस राय से सहमत हैं कि मसविदा उपयोगी होते हुए भी सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही है। ताल्लुकदारों को लाडली सरकार इस बिल पर इतना भी विचार करने का अवसर दे रही है और समर्थन कर रही है, यही हमारे आश्चर्य की बात है कि हम 'इस सुस्ती' को कुछ समय के लिए भुला देना चाहते हैं। आशा है, कि मसविदे पर बहस के बाद वह पास हो जायगा। खास कमेटी शीघ्र विचारकर उसे पास कर देगी और कौंसिल उसे कानून बना देगी।

किन्तु, मसविदे का साधारण ढाँचा भी पाठकों को बतला देना जरूरी है। इस सम्बन्ध में तीन बिल होंगे। एक का उद्देश्य है किसानों को कर्ज से पार कराना, दूसरा सूद को दर घटायेगा, तीसरा ज्यादा सूद लेना रोकेंगा। पहला सिर्फ उन्हीं किसानों के सुभीते के लिए है, जो दो सौ रुपये सालाना से ज्यादा मालगुजारी या लगान नहीं देते। जो इनकम टैक्स (आयकर) देता है, वह किसान नहीं समझा जायगा। किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन कमेटी की सीमा में रहनेवाले तथा ग्राम में रहकर परिश्रम द्वारा, गाय भैंस आदि के व्यवसाय से जीविका चलानेवाले लोग भी बिल के लाभ के अधिकारी होंगे। किसान तो चीजों का दाम मन्दा हो जाने से तबाह और ऋण के भार से दबा जा रहा है, अपठ होने के कारण वह महाजनों से अपने ऋण का हिसाब नहीं तलब कर सकता या समझ सकता—वह तीन का तेरह देकर भी नजात नहीं पाता। मुकद्दमेबाजी उसे तबाह कर डालती है। इसीलिए पहले मसविदे के अनुसार वह दीवानी अदालत से दख्तीस्त कर अपने कर्ज का निपटारा और उसके भुगतान की किश्तबंदी करा सकता है। कर्ज की अदायगी के लिए अदालत में कुछ रकम जमा करने की इजाजत मिल जायगी। डिगरी के रुपये के अन्दर, महाजन चार ही साल तक खेत में पैदा हुआ अनाज भेज सकता है। वह भोगबन्धक जमीन पर बीस साल से ज्यादा दिनों तक अधिकार नहीं रख सकता। दखिलकार किसान अपनी भूमि रेहन रखकर कोआपरेटिव सोसायटी से लम्बी मीयाद के लिए ऋण ले सकता है। कुछ शर्तों

पर रेहन की मीयाद के भीतर ही वह अपनी जमीन लौटा ले सकता है। कर्जदार जब चाहे, अपना कर्ज चुका सकता है। महाजन को मजबूरन कर्ज का हिसाब रखना होगा और कर्जदार को हिसाब भेजना होगा। अगर वह अपने खाते में कर्ज की रकम बढ़ाकर लिख लेगा तो उसको सजा हो जायगी।

अस्तु दूसरे बिल के अनुसार पाँच हजार रुपये तक सालाना मालगुजारी या लगान देनेवालों की रक्षा के लिए यह बिल तैयार किया गया है। खेती या लगान की आमदनी से गुजर करनेवालों की रक्षा की विशेष आवश्यकता है। मन्दी के कारण बेचारे तबाह हो गये हैं। मँहगी के ज़माने में जो कर्ज लिया गया था, वह सस्ती के जमाने में नहीं पटाया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि कर्ज के सूद की दर घटा दी जाय। सन् १९१७ में मँहगी का ज़माना था। १९३० के बाद से सस्ती का ज़माना आया, इसलिए इस बीच में लिये गये कर्ज का सूद घटा दिया जायगा।

तीसरे मसविदे के अनुसार बेहद सूदखोरी रोकੀ जायगी और सूद की सीमा तय कर दी जायगी।

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि वास्तव में कर्जदार किसानों की रक्षा के लिए आवश्यक अनेक बातों का इन मसविदों में काफी ध्यान दिया गया है। पर, इतना ही काफी नहीं है। किसान की विपत्ति इतने से ही नहीं छूट जाती। उस पर कई नयी मुसीबतें हैं। पटवारी भी उसको कर्ज में घसीटने में बड़ा भाग लेता है। सरकारी लगान यदि ज्यों की त्यों रही तो किसान कर्ज के बोझ से दबेगा ही। साहूकार कर्ज देकर किसान का खून जरूर चूस लेता है, पर वह गाढ़े समय उसके काम भी आता है। इतनी बाधाएँ देखकर वह ऋण न देगा। इधर किसान पर लगान वगैरह का बोझ ज्यों का त्यों रहेगा। उसे अपना काम चलाने के लिए द्रव्य न मिलेगा। फल यह होगा कि बेदखली काफी होगी। इसलिए सरकार को इस पर भी काफी गौर कर लेना चाहिए। खास कमेटी को केवल साहूकार पर ही नहीं, पर सरकार भी कड़ा बन्धन डालना चाहिए, जिससे वह अमुक सीमा तक मन्दी होने तक अमुक मात्रा में लगान ले।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि बिल के कानून बनने की आशंका से इधर लगातार नये दावे-मुकद्दमे होंगे। साहूकार अपना लेना-पावना तुरत बराबर कर लेना चाहेगा। खास कमेटी से मामला निकलने में छः महीने तक लग जायगा। तब तक के लिए कोई चालू नियम—“आर्डिनेन्स” द्वारा—चालू कर देना चाहिए।

१० जुलाई १९३३

शक्कर सम्मेलन

शिमले में शक्कर कान्फ्रेंस हो रही है। किस तरह किसानों को, जो ऊख पैदा करते हैं, मिलवालो से बचाया जाय और विदेशी शक्कर पर जो कर लगाया गया है, उसका लाभ किसान, मिल-मालिक और जनता सभी को समान रूप से मिले यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। एक साहब ने प्रस्ताव किया कि ऊख का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाय, दूसरे साहब ने कहा नहीं इससे किसानों को घाटा होगा। एक प्रस्ताव था कि एक-एक मिल के लिए एक-एक इलाका अलग कर दिया जाय। उस इलाके की ऊख इलाके के बाहर न जा सके। दूसरे साहब ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस तरह सम्मेलन समाप्त हो जायगा और किसान जहाँ है वही रहेगा, समस्या हल न होगी। देखना यह है कि साधारण दशा में किसान को एक बीघे में कितना प्राप्त होता था, उतना उसे मिलना चाहिए। मसलन् उसने एक बीघा ऊख बोयी, उसमें उसने बीस मन गुड पैदा किया, जिसका दाम एक सौ रुपये हुआ। यह रकम उसकी खड़ी ऊख बिक जाने की दशा में उसे मिलना चाहिए, या इससे भी अच्छा तरीका यह है कि मिल को मजदूरी और थोड़ा-सा नफा देकर जो दस फी सदी से किसी तरह भी ज्यादा न हो, जो कुछ बचे वह ऊख पैदा करनेवालों को परते से दिया जाय और इसकी निगरानी सरकार खुद करे।

जब तक देश के सुदिन नहीं आते और सभी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता, पूँजीपतियों के हाथ में किसानों और मजूरों की किस्मत रहेगी और सरकार ऊपरी मन से नियन्त्रण करने का स्वाँग भरकर कोई उपकार नहीं कर सकती। हम तो किसानों को यही सलाह देंगे कि वे खुद अपना सगठन करें और अपनी शक्कर अपनी खडसालों में बनाकर इस ड्यूटी का पूरा फायदा उठावे, मगर किसानों का सगठन करें। हम तो देख रहे हैं कि राष्ट्र के वे नेता, जिनसे इसकी आशा की जा सकती थी, शक्कर-कपनियों के हिस्सेदार या सस्थापक बने हुए हैं, और पूँजीपति की हैसियत से यह स्वाभाविक है कि वे ज्यादा से ज्यादा नफा अपनी गोठ में रखने की चेष्टा करें। योरोप में “इंडस्ट्रियलाइजेशन” का दुष्परिणाम देखकर भी हम नहीं चेत रहे हैं और छोटे-छोटे व्यवसायों को कुचल कर महान व्यवसायों की सृष्टि और छोटे-छोटे स्वामी व्यवसायियों को कुचलकर एक बड़ी मशीन के पुरजे बनाने पर तुले हुए हैं। इसका नतीजा बेकारी की वृद्धि के सिवा और क्या होगा? किसान साल के चार पाँच महीने ऊख पेरने, गुड या शक्कर बनाने में काट देता था। अब यह काम उसके हाथ से निकाला जा रहा है। जो काम पचास आदमी मिल कर करते थे, उसे एक आदमी मशीन के जोर से पूरा कर लेगा। बेकारी बढ़ाने का इसके सिवा और क्या इलाज है? मिलों में दो चार सौ मजूर काम करेंगे अवश्य, पर दस-पाँच हजार किसानों को तबाह करके! इस व्यवसाय-युग की यही

महिमा है ! यहाँ व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है । यहाँ जो कुछ है, धन है और मशीन है । वही देहातो की तबाही, वही घरेलू व्यवसायो का सर्वनाश !

१७ जुलाई १९३३

ऊख के किसानों का संघ

हमें यह जानकर बड़ा संतोष हुआ कि गोरखपुर और बस्ती में ऊख के किसानों का एक संघ बन गया है, जो उनके हितों की मिलवालो से रक्षा करेगा । बेचारे किसान गाड़ियो पर लादकर ऊख लाते हैं और एक-एक सप्ताह तक कर्मचारियों की खुशामद करते रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका माल तोला जाता है । उनके ठहरने का कोई स्थान नहीं । धूप वर्षा सब कुछ झेलते हुए, अपने काम का बड़ा नुकसान करके बेचारों को किसी तरह गुजर करना पड़ता है । इतने दिनों में ऊख भी सूख जाती है और उससे दाम कम मिलते हैं । इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संघ बनाया गया है । गोरखपुर और बस्ती में जितने शक्कर के मिल हैं, उतने प्रान्त भर में नहीं हैं । शक्कर के व्यवसाय का वह इलाका उसी तरह केन्द्र हो गया है—जैसे अहमदाबाद कपड़े का । हमें आशा है, संघ के उद्योग से गरीब काश्तकारों का यथेष्ट उपकार होगा । संघ अगर किसानों को इस बात पर संगठित कर सके कि वे अपनी ऊख मिल में न लाया करे, जिसमें मिलवालो को खुद देहातो में जाकर अपनी गाड़ी भाड़े से ऊख खरीदना पड़े, तो वह बड़ा उपकार करे । किसानों को ऊख बेचने की जितनी जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत मिलवालो को ऊख खरीदने की होती है, पर किसान गरीब हैं, रुपये की जरूरत उन्हें ऊख लादकर लाने पर मजबूर करती है । अगर वे जरा धैर्य से काम ले, तो मिलवालो को खुद ऊख लेने जाना पड़े । ऊख अगर दस-पाँच दिन खेतों में खड़ी रहे, तो कोई नुकसान न होगा, मिल तो एक घटा भी बन्द नहीं रह सकती है ।

७ अगस्त १९३३

कृषि सहायक बैंकों की जरूरत

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, पर उसे नोचनेवाले तो सब हैं, उसको प्रोत्साहन देनेवाला कोई नहीं । उसे भूखो मरकर, पैसे-पैसे के लिए महाजन का मुँह

देखकर, अपना जीवन काटना पड़ता है। अब पब्लिक का ध्यान इधर हुआ है और वरन्नाशक सभा के सामने दो-तीन ऐसे प्रस्ताव पेश हैं, जिनसे किसानों को बड़ा लाभ होगा, पर सूद की दर घटा देने से ही काम नहीं चल सकता। ऐसे साधन भी होने चाहिए, जिनसे किसानों को थोड़े सूदपर रुपये मिल सकें। इसके लिए कृषि-सहायक बैंक खोले जाने चाहिए। इस विषय पर लीडर में मु० गजाधर प्रसाद एम० एल० सी० का एक उपयोगी पत्र छपा है। हमें आशा है गवर्नमेंट उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। किसानों के उद्धार का सबसे आवश्यक अंग उन्हें महाजन के पंजे से निकालना और इसके साथ ही उन्हें हलके सूद पर रुपये दिलाने की व्यवस्था करना है। यह उद्देश्य बैंकों से ही पूरा हो सकता है।

७ अगस्त १९३३

काशी में जमींदारों की सभा

काशी जमींदारी एसोसिएशन के सालाना जलसे में सभापति के पद में श्रीयुत पन्नालाल जी कमिश्नर बनारस ने जमींदारों को जो सद्-परामर्श दिया, करीब-करीब उसी तरह के उपदेश जमींदारों को पहले भी मिल चुके हैं। खुद जमींदारों ने ही जमींदारों को जो सलाह दी है, वह भी कुछ इसी ढंग की है। इन सभी अवसरों पर जमींदारों को यह चेतावनी दी गयी है और श्री पन्नालाल जी ने भी अपने शब्दों में उसी को दुहराया है कि जमींदारों का भविष्य अब अपने असामियों के सहयोग और सदिच्छा पर निर्भर है। अगर जमींदार असामियों का सच्चा शुभचिंतक हैं तो उसे किसी तरह का भय नहीं, लेकिन यदि वह असामियों को केवल भोग-विलास के लिए धन सग्रह करनेवाली मशीन समझता है, तो उसका भविष्य संकटमय है। पन्नालाल जी ने फरमाया कि जमींदारों को याद रखना चाहिए कि आनेवाला विधान बिल्कुल जनमत के आधार पर होगा, जिसमें जनता का काफी हिस्सा होगा और उनका निर्वाचन शिष्टा के प्रचार के साथ बढ़ता जायगा। और जमींदारों की भलाई इसी में है कि वे जनता पर विश्वास करें। हमें आशा है कि हमारे भूपति समय के लक्ष्यों को पहचानेंगे और विशेष रिश्तायतों की आड़ में छिपने की कोशिश न करेंगे।

२५ सितम्बर १९३३

छोटे जमींदार या बड़े ?

बिहार की एक जमींदारो की सभा मे भाषण करते हुए जस्टिस स्टुअर्ट मैकफर्सन ने यह सम्मति दी है कि प्रजा को बड़े जमींदारो की अमलदारी मे उससे कही कम कष्ट होता है, जितना छोटे जमींदारो की अमलदारी मे रहने से। मुमकिन है उस सभा मे बड़े-बड़े जमींदारो और राजाओ की कसरत हो रही हो और उनसे मुलाहजे से साहब बहादुर ने यह सम्मति दी हो, पर हमारा अनुभव तो है कि छोटे शैतान से बड़ा शैतान हमेशा अधिक घातक हुआ करता है। छोटा शैतान एकाध बकरा, कुछ माला-फूल, कुछ बतासे पाकर सन्तुष्ट हो जाता है, पर बड़ा शैतान बिना प्राण लिये नहीं छोड़ता। छोटा जमींदार अपने असाभियो पर ज्यादा सख्ती करते डरता है। उसका पुलिस पर, अदालत के कर्मचारियो पर और अधिकारियो पर इतना प्रभाव नहीं होता कि वह कानून अपने हाथ मे ले सके और उसे जिस तरह चाहे तोड़-मरोड़ सके। प्यादो और लठेतो की फौज रखने का भी उसके पास साधन नहीं होता। फिर बहुधा वह अपने असाभियो ही के गाँव मे रहता है और उनकी यथार्थ स्थिति से बाकिफ होने के कारण बेजा सख्ती नहीं करता, कुछ मुलाहजा-मुरब्बत भी होती ही है। इसके विपरीत बड़ा जमींदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है। असाभियो से उसको कोई निजत्व नहीं होता। वे तो उसके लिए केवल भोग की वस्तु है। असाभियो की कष्ट क्रन्दन की आवाज भी उनके कानो तक नहीं पहुँचती। और उनके कारिन्दे और प्यादे भला क्यो असाभियो पर दया करने लगे ? उन्हे असाभियो के बनने-बिगडने की क्या परवाह !

६ नवम्बर १९३३

बस्ती में ईख संघ सम्मेलन

काशी विद्यापीठ के दो शास्त्रियो ने अपनी अद्भुत कार्य-क्षमता तथा विचार-शक्ति से काम लेकर युक्त-प्रान्त की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी कर दी है। बंगाल के लिए जूट तथा बम्बई के लिए रुई और उसकी मीलों जिस प्रकार समस्या हो रही है, उसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के लिए ईख और गन्ने के कृषको का प्रश्न लगातार पचीसो मिल के खुल जाने से जटिल हो गया है। स्थानान्तर मे उनकी कुछ समस्याओ पर विचार प्रकट किया गया है तथा उनको दूर करने के विषय मे, आवश्यक प्रस्ताव प्रकाशित किये गये है। उनके—किसानो के—कष्टो की ओर पहले पहल उपरिलिखित दो शास्त्रियो—श्रीरामकुमार शास्त्री तथा श्यामचरण शास्त्री—का ध्यान गया और उन्होंने

ईस्र संघ की पाँच मास पूर्व की सृष्टि की, जिसके तीन सम्मेलन खलीलाबाद, बस्ती तथा बभनान जिला गोडा मे क्रमश श्री बाबा राघवदास, श्रीप्रकाश जी तथा पं० कृष्णाकान्त मालवीय की अध्यक्षता मे हुए । भीड भी अपार थी, उत्साह भी अपार था । श्रीकृपाशंकर तथा राम शंकर मुख्तार बस्ती मे सराहनीय कार्य कर रहे है । सम्मेलन की सफलता तथा उसके उद्देश्य की पवित्रता पर हम बधाई देते है और सफलता चाहते है ।

१३ नवम्बर १९३३

किसान सहायक कानूनों की प्रगति

पाठको को मालूम होगा कि कई महीने हुए सरकार ने किसानो को महाजनों के पंजे से बचाने के लिए व्यवस्थापक सभा मे तीन बिल पेश किये थे, जिनके अनुसार सूद का दर घटा दिया जायगा, दस्तावेजो की नकल असामियो के पास भी रहेगी, महाजनों को हिमाब दिखाना पड़ेगा । ये बिल कमेटियो मे विचार के लिए दिये गये थे । कमेटियो ने इन पर विचार कर लिया है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब वे बिल संस्कृत होकर काउंसिल मे पेश किये जायेंगे ।

४ दिसम्बर १९३३

जमींदारों का दुर्दशा

बेचारे जमींदारों की दशा उस रखेली स्त्री की-सी हो रही है, जिसके यौवन की बहार अब चल-चलाव पर हो । एक समय था, जब उसका आशिक उस पर प्राण न्योछावर करता था, उसकी एक-एक अदा पर जान कुर्बान करता था । एक-एक नखरे पर लोट-पोट हो जाता था, एक-एक चितवन पर कलेजा थाम लेता था, लेकिन यौवन के उतार के साथ वह दिन और वह राते सपना हो गयी । अब बेचारी तरह-तरह के रग भरती है, आठो पहर मिस्री सुरमे के पीछे पडी रहती है, बसीकरण के जंतर-मंतर करती रहती है, लेकिन भौरा-प्रेमी अब भागा-भागा फिरता है । न वह पराग रह गया, न वह रस, फिर नीरस फूल उसके किस काम का । अब तो यह जीवन है, और पट्टी पर सिर रखकर रोना है । प्रेमी के पैरो पर लाख सिर पटके, लाख उसके तलवे सहलाये, लाख जादू-टोना करे, कुछ होने का नही । अब तो वह भी कृष्ण की भाँति इन गोपियो को वैराग्य का उपदेश करता है ।

यह बेचारियाँ उन पुराने दिनों की याद दिलाती है, अपनी वफादारी और

निष्ठा और अनुराग की कथाएँ कहती हैं, लेकिन वह पट्टा एक ही जवाब देता है—
 वैराग्य धारण करो। और यह विलास की उपासिकाएँ रोष और शोक में सिर धुनती
 हैं, छाती पीटती हैं, मगर वह कठकलेजिया, वह पाषाण हृदय, नहीं पसीजता, नहीं
 पसीजता। धर्म का या प्रेम का बन्धन होता, तो पुरानी गाँठ की भाँति दिन-दिन
 अभेद्य होता जाता, रूप और यौवन के पथरीले स्तरो को तोड़ कर उसकी जड़ें कोमल
 भूमि की गहराइयों में पहुँच जाती, और उस रस से वृक्ष दिन-दिन और पुष्पित और
 पल्लवित होता। लेकिन, यहाँ तो सब कुछ रूप और यौवन का खेल था। पत्थर पर
 की दूब कैं दिन टिकती। मगर उन्हीं रमणियों की भाँति हमारे जमीदारान भी बराबर
 समय को गति को फेरने और बीते हुए दिनों को बुलाने को विफल कामना करते चले
 जाते हैं। जभी मौका मिला चट-पट एक संघ, सभा, एसोसियेशन बना लिया जाता है
 और लोग बड़ी-बड़ी पगडियाँ बाँध और नीची अचकने पहन और कमर में वफादारी
 का पटका कस और गरदनो में स्वामिभक्ति के तौक डाल कर गवर्नरो की बारगाह में
 हाजिर हो जाते हैं, और अपनी लायलटी और भक्ति के पचड़े शुरू कर देते हैं।
 मगर यहाँ वही रूखा जवाब मिलता है—जोग धारण करो, अपने पैरो पर खड़े हो,
 अपनी सेवा और सहानुभूति से समाज में अपना स्थान स्वरचित करो। लेकिन, ये
 महाशय कुछ ऐसे चिकने घड़े हैं कि उन पर कुछ भी असर नहीं होता, उसी गत-यौवना
 रमणी की भाँति शायद ये सज्जन अब भी इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि सरकार पूर्ववत्
 उनकी पीठ ठोकेगी, उन्हें शाबाशी देगी और कहेगी, तुम हमारे दाहिने हाथ हो, और
 हम सदैव तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी डगमगाती हुई नाव को पार लगा देंगे।
 इन अकल के पुतलो को अब भी नहीं सूझता कि राजनीति को दुनिया में कल का शत्रु
 आज का मित्र हो जाता है और कल का मित्र दूध की मक्खो की भाँति निकाल कर
 फेंक दिया जाता है। सरकार जमीदारो की पीठ तब ठोकती थी, जब वह समझती थी
 कि ये प्रजा के स्वाभाविक नेता हैं, प्रजा पर इनकी घाक है, ये असन्तुष्ट होकर आग
 लगा सकते हैं और हमारी खेती को जला सकते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये हजरात
 भोग-विलास में पडकर सारा पुरुषार्थ खो चुके हैं, कर्ज के बोझ के नीचे दब चुके हैं,
 और इनका अस्तित्व अब गरीबो पर अनीति और अत्याचार और सबलो की चापलूसी
 और जी हुजूरी पर रह गया है, और ये अब उसके लिए शक्ति के यंत्र न रह कर उसकी
 गति में और बाधक हो रहे हैं, तो उसने इनकी तंबीह शुरू की, कि यो काम न चलेगा,
 तुम अपने को संगठित करो, खरगोश की नींद से चौको, अपने सत्कार्यों से प्रजा के
 दिल में घर करो, किसानो को दिखा दो कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, देश में
 ऐसा वातावरण पैदा करो, जो तुम्हारे लिए अनुकूल हो, तो ये सज्जन बगले भाँकते
 हैं, और उसी गत-यौवना नायिका की भाँति उसकी निष्ठुरता पर टेसवे बहाते हैं और
 अपनी तकदीर को कोसते हैं कि किस निर्दयी के पाले पडी कि उसने मुफ्त में यौवन

लूट लिया, और अब बात भी नहीं पूछता ।

मगर वह पुराना आशिक अब भी प्रीति को रीति निभाये जाता है । अब उससे यह आशा तो नहीं की जा सकती, कि वह खिचड़ी केशों को नागिन समझे और झरोखेदार बतोंसियों की चमक से चौधिया जाय और झुकी हुई कमर पर फिदा हो जाय । नहीं, यह बीभत्स लीला अब वह नहीं कर सकता, हाँ, ऊपरी दिल से चिकनी मीठी बातें कर सकता है, अपने सुगन्ध भरे रुमाल से उसके आँसू पोछ सकता है और उसके नान नफ़के (जीवन निर्वाह) का प्रबन्ध कर सकता है । मखमली गद्दे न सही, फिर भी आगरे की दरी देने को तैयार है, लेकिन वह अज्ञात गत-यौवना अभी तक वही हठ किये जाती है, मैं तो जडाऊ गहने लूँगी और पानदान का खर्च लूँगी, और लौडियाँ लूँगी । मिल चुकी ! यह ठसे यौवन के साथ चले गये । अब तो उसी रोटी-कपड़े पर दिन काटने पड़ेंगे, हँस-हँसकर काटो या रो-रोकर । गनीमत समझो कि वह प्रीति का इतना निबाह भी कर रहा है । सूखा ही जवाब देता तो तुम क्या कर लेती । धर्म या प्रेम का बन्धन तो था नहीं, राजनीति ही का फुस-फुसा और अस्थिर बन्धन तो था । सरकार ने कई प्रांतों में जमींदारों ही की रक्षा के लिए "रईस सभा" (Second Chamber) का निर्माण करना स्वीकार कर लिया, उन्हीं को महाजनो से बचाने के लिए एक-दो कानून बनाये और अब ऐसा कानून बना रही है, जिससे उनकी जायदाद अखण्ड और अमर रहे । सरकार से अब और वे क्या चाहते हैं, जो सभी अबसरो पर सजधज बनाकर जा पहुँचते हैं । क्या वे चाहते हैं कि सरकार उनकी पुरानी वफादारी के उपलक्ष्य में उन्हें इस बात को खुली सम्मति दे दे, कि वे प्रजा से मनमाना लगान बसूल करें, मनमाने नजराने ले, मनमानी बेगार कराये, मनमाने इजाफे और बेदखलियाँ करे, मनमाने भाव पर उनकी जिम्मे खरीदे, उन्हें रुपये उधार देकर मनमाना सूद बसूल करे, उन्हें जब चाहे और जितना चाहे पिटवाये, उसको कहीं फरियाद न हो सके । अगर वे यह नहीं चाहते, तो और किसलिए गवर्नरों की दुम के पीछे पूँछ हिलाते फिरते हैं । सर मालकम हेली पचासो बार इस गिरोह को फटकार चुके हैं, दुत्कार चुके हैं, अभी उस दिन बगाल के गवर्नर ने डाँटा था, सभी प्रांतों के गवर्नर बारी-बारी से इन महानुभावों को ठुकरा चुके हैं, फिर भी ये दुम हिलाना नहीं छोड़ते, चुनावे अभी उस दिन सर मालकम हेली काशी आये तो यह गोल अपनी गुलामी और वफादारी और पातिव्रत का खर्राँ लिये उनकी ड्योढी पर हाजिर हो गया । सर मालकम ने जैसा कि उनका धर्म था, और जैसा कि राजनैतिक शिष्टाचार का तकाजा था, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा की, उनके स्वामी-सत्कार का यशोगान किया, और यह सब कुछ कर चुकने पर उन्हें वह उपदेश दिया, जिसने इनमें से अधिकांश महानुभावों को हतोत्साह कर दिया होगा और वे रोते हुए घर गये होंगे, कि यह सारी दवा दीवश और नाक रगडौवल और माथ घिसौवल बेकार गयी । सर हेली ने कहा—

“आनेवाली व्यवस्था का चाहे जो रूप हो, और चाहे कैसे ही राजनैतिक दल बनें, अन्तिम निर्याय उन्ही विचारों के हाथ रहेगा जिनका जनता पर प्रभुत्व होगा, और जो राजनैतिक प्रगति का नियंत्रण करेंगे। आप बाजी ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सामाजिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि जमींदार भी ग्रामीण जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जितना किसान आपको उत्तर में यह प्रमाण देना चाहिए कि जमींदार किसान को जो सहायता देता है, उनसे जो मंत्री का संबंध रखता है, और उनको सामाजिक जीवन में अपना पूरा-पूरा स्थान लेने के लिए जो प्रयत्न करता है, वह किसान ही की भाँति हमारे कृषि-व्यापार का आवश्यक अंग है।”

सुना है आप साहबों ने आँखें बंद करके और कान खोल कर ? आपको कुछ खबर है कि जनता के दिल पर आज किन विचारों का आधिपत्य है ? खूब सुन लीजिए कि यही विचार सरकार की राजनैतिक नीति का नियंत्रण करेंगे, आप चाहे अपनी वफादारी के कितने ही गीत गाये और कितने ही राग अलापें ! आपको अपने सामाजिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा, केवल-इजाफे और बेदखली करके या नालिश करके या डडेबाजी के जोर से लगान वसूल करके चैन की बंसी बजाना नहीं। अगर इसी को आप अपने महत्व का क्रियात्मक प्रमाण समझ बैठे हैं तो आप मूर्खों के स्वर्ग की हवा खा रहे हैं। आप इन्हीं कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि ग्रामीण जीवन में जमींदार उतना ही जरूरी है जितना किसान ! आपका यह व्यवहार अगर किसी बात का प्रमाण है तो वह आपकी निरंकुशता, आपकी हृदय-शून्यता, आपकी अमानुषिकता, आपकी स्वार्थीघटा और आपकी वर्तमान विचारधारा से अनभिज्ञता का उज्ज्वल प्रमाण है। आप अपने वर्ग के लिए विशेष अधिकार और विशेष रियायतें माँग-माँगकर खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जनमत को अपने विरोध की चुनौती दे रहे हैं।

२२ जनवरी १९३४

देहातों पर दया-दृष्टि

इंग्लैंड के व्यापारी भारत के गरीब ग्रामीणों पर बड़ी दया करते हैं। बेचारे वहूँ से इन नंगों के लिए तरह-तरह के कपड़े बनाकर अपने ही जहाजों पर लाद कर पहुँचा देते हैं। जिस चीज की यहाँ जरूरत हो, वह फौरन से पहले यहाँ मुहैया कर देते हैं। यह दया दृष्टि नहीं तो क्या है ? अब एक साहब जिनका नाम कर्नल हॉर्डिंग है सम्पूर्णतः निस्वार्थ भाव से यहाँ के देहातों में बेतार के गाने और भाषण आदि सुनाने

का प्रबंध कर रहे हैं। जब अन्य देशों के गाँवों में ब्राडकास्टिंग का प्रचार हो रहा है, तो भारत के किसान क्यों इस आनन्द से वंचित रहे। कर्नल हार्डिंग साहब से यह नहीं देखा जाता। पंजाब के देहातो में उनका दौरा भी शुरू हो गया है। हर बड़े गाँव में बेतार के यंत्र लगा दिये जायेंगे, कौन बड़ा खर्च है, यंत्र का दाम कुल तीन सौ २० है और सालाना खर्च तीस २०। इतने थोड़े खर्च में देहातवाले जब बेतार के गाने और बाजे और भाषण सुन सकते हैं, तो क्यों न सुनाया जाय। आखिर देहातियों के पास मनोरंजन का और कौन-सा सामान है। यह यंत्र लग जायेंगे, तो साँभ को देहातो में खासी चहल-पहल हो जायगी। गाने और भाषण सब उनको अपनी ही भाषा में सुनाये जायेंगे। इंग्लैंड दया करके करोड़-दो-करोड़ के यंत्र भेज देगा। भारत में सात लाख गाँव हैं। तीन सौ २० गाँव पीछे मिले, तो कुल इक्कीस करोड़ रुपये ही तो हुए। फिर कुछ पढ़े-लिखे युवकों को रोजी भी तो मिलेगी। इंग्लैंड के व्यापारी सचमुच दया और निःस्वार्थ वा के पुतले हैं !

बिल्ली बरुशे, मुर्गा लंडूरा ही रहेगा। जिनके पास न खाने को भ्रन्न है और न पहनने को वस्त्र, वह ब्राडकास्टिंग सुनकर अपना मनोरंजन न करेगा, तो कौन करेगा ? व्यापार चलाने की कितनी बढ़िया नीति है। यह व्यापारी मानवी प्रकृति की दुर्बलताओं को खूब समझते हैं और उससे खूब अपना मतलब गाँठते हैं। मनोविज्ञान उनकी व्यवसाय-वृद्धि का मुख्य साधन है। कल्लोच से कल्लोच आदमी में भी आमोद-विनोद की प्रवृत्ति होती है। यह व्यवसायी उसी स्थल पर निशाना लगाता है और शिकार मार लेता है।

२२ जनवरी १९३४

आगरा जमींदार-सम्मेलन

आगरा जमींदार सम्मेलन के सभापति नवाब छत्तारी ने अपने भाषण में जमींदार साहबान को केवल अपना सगठन करने ही की ज़रूरत नहीं बतलायी, बल्कि उन लोगों के सहयोग की ज़रूरत भी बतलायी, जो जमींदार नहीं हैं, पर व्यवस्थित उन्नति के समर्थक हैं। लेकिन हमारा विचार है, कि जिस चीज को नवाब साहब व्यवस्थित उन्नति कहते हैं, उसके समर्थक जमींदारों के सिवा शायद ही कोई सज्जन निकलें। व्यवस्थित उन्नति इसके सिवा और क्या है, कि जमींदारों को इस वक्त जो शक्ति और अधिकार प्राप्त हैं, वे दिन-दिन और व्यापक होते जायें, उनका क्षेत्र दिन-दिन विस्तृत होता जाय। मन्ना यह है कि कृषकों को साहूकारों की सख्तियों से बचाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उससे पूरा फायदा उठाने के लिए यह लोग अपने को कृषकों में

शामिल किये देते हैं। किसानों को संरक्षण की इसलिए जरूरत है कि वे दीन हैं, अशक्त हैं, एक ओर ज़मींदारों के शिकार हो रहे हैं, दूसरी ओर साहूकारों के। उन्हें न रोटी मयस्सर है, न कपड़ा ; न बीज मयस्सर है, न बैल। इसके विरुद्ध हमारे जमींदार साहबान प्रान्त में सबसे सामर्थ्यवान, सबसे प्रतिभाशाली वर्ग हैं। उनमें से कितने ही ऐश की जिन्दगी बसर करते हैं और ज़ो गये-बीते हैं, वे भी डंडे के जोर से किसानों से खेतों करा लेते हैं, तरह-तरह के बेगार और तावान वसूल करते हैं और मज्जे से अफीम खाते या भंग उड़ाते हैं। अगर ऐसे शक्तिशाली वर्ग को भी संरक्षण की जरूरत है, तो इसका अर्थ यही है कि ये लोग जितना अन्याय करें, चाहे जितने कर्ज लें, उन पर कानून का वार न चल सके।

मगर ऐसी कार्रवाइयों से हमारा जमींदार वर्ग उस रहे-सहे विश्वास और सम्मान को भी खोता जाता है, जो जनता में उसके प्रति बाकी है। जब यह संरक्षण जमींदारों को न प्राप्त थे, उस दशा में भी वे अन्धाधुन्ध कर्ज लेने से न चूकते थे, तो जब ये संरक्षण मिल जायेंगे, तब उनकी उमंगें क्या रंग लायेगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। कमज़ोर का जबरदस्तों से संरक्षण चाहना तो स्वाभाविक है, लेकिन जबरदस्तों का संरक्षण चाहना, इसके सिवा और क्या है, कि वे और भी शक्तिवान हो जायें। क्या हमारे जमींदार भाइयों ने कभी यह सोचने की तकलीफ उठायी है कि जनता से क्यों उन्हें इतना भय हो रहा है ? क्यों वे यह सोच-सोच कर व्याकुल हो रहे हैं कि शानेवाली व्यवस्था में बहुमत उनके अधिकारों को छीनने की चेष्टा करेगा, और इसलिए उन्हें आपस में संगठित होकर उस बहुमत को अपने हाथ में कर लेना चाहिए ? इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि जमींदारों को अभी तक जो अधिकार प्राप्त थे, उनका उन्होंने बराबर दुरुपयोग किया है, और जनता नहीं चाहती थी कि समाज का कोई अंग इतना प्रबल हो जाय कि वह निर्बलों को कुचलता रहे। हमारे जमींदार साहबान अपने लिये संरक्षणों और रिश्रायतों पर जोर देकर जनता में और भी अविश्वास और भय उत्पन्न कर रहे हैं। इस नीति से वे जनता पर आतंक जमा सकते हैं, उसकी सहानुभूति और विश्वास के पात्र नहीं बन सकते। जब तक वे यह न समझें कि जनता के हित के साथ उनका भी हित है, और उनके अस्तित्व का उद्देश्य यही है कि वे अपने असामियों की सेवा और सहायता करें, तब तक जनता उनकी ओर से सदैव सशक रहेगी और उनके विरुद्ध आंदोलन बढ़ता रहेगा। किसान इसलिए समाज का उपकारी अंग है कि उसके बिना समाज एक दिन न चलेगा। दूकानदार सारे दिन दूकान में बैठकर और नौकर सारे दिन स्वामी की आज्ञा पालन करके अपनी कमायी हलाल कर लेते हैं। सभी को अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ तक कि साहूकार को भी बहुधा नादिहन्द कर्जदारों से पाला पड़ जाता है और उसकी रकम डूब जाती है। लेकिन जमींदारों से कोई पूछे, तुम जनता का क्या उपकार

करते हों ? तुम्हारी जान से समाज का क्या भला होता है ? तुमसे जो सम्पन्न हैं वे मजे से लखनऊ या इलाहाबाद में बैंगलो में ऐश करते हैं और जो इतने भाग्यवान् नहीं हैं, वे देहातो में ही मूसलचन्द बने घूमते हैं, जैसे गीदड मुर्दे जानवरो की खोज में रात को निकलते हैं । उनका उद्यम इसके सिवा और कुछ नहीं है कि किसी असामी को किसी बहाने फँसाकर उसकी जमा-जथा डकार जायँ । कहीं दो असामियों में लडाई हो जाय, जमीदार साहब की चाँदी हो गयी । दोनो ही से कुछ न कुछ डाँड वसूल करेगे और चैन की बंसी बजायेगे । या दाल गलती न देखी, तो पुलिस की दलाली करने लगे और लूट में शरीक हो गये । ऐसी मुफ्तखोर, निकम्मी, लुटेरी, आरामतलब संस्था बहुत दिन जीवित नहीं रह सकती, चाहे वह अष्टधातु के किले ही में क्यों न अपने को बंद कर ले । जनता आज किसी का शिकार नहीं बनना चाहती, जमीदार हो या साहूकार, सरकार हो या मिल मालिक—उसे किसी से दुश्मनी नहीं है, उसे दुश्मनी करने की भी शक्ति नहीं, वह असंगठित हैं, दीन हैं, पराधीन हैं । कोई दल अपने को संगठित करके उस पर आतंक जमा सकता है । लेकिन अगर कोई यह चाहे कि उसे अपना शिकार भी बनाये और उससे वोट भी ले, उसे ठोकर भी जमाये और उससे पाँव भी दबवाये तो उसे लज्जित होना पड़ेगा ।

दिल्ली यह है, कि आज भी जमीदार साहबान अपने को जमीन का मालिक ही समझते हैं । अंग्रेजी सरकार के पहले उनकी हैसियत दलालों की थी, जो बादशाह की ओर से लगान वसूल करने के लिए रखे जाते थे और लगान न अदा कर सकने पर निकाल बाहर किये जाते थे और बड़ी जिल्लत के साथ । अंग्रेजी राज्य में उनका मान बढ़ गया । सरकार को देश में ऐसे एक जत्थे की ज़रूरत थी, जो प्रजा पर उसकी हुकूमत जमाने में सहायक हो । उसने यह काम इन्हीं लगान वसूल करनेवालों से लिया । तब से यह लोग अपने को जमीन का मालिक समझने लगे । खैर, हमें इससे मतलब नहीं, आप जमीन के मालिक नहीं खुदा सही, लेकिन आप प्रजा के लिए क्या करते हैं ? आप प्रजा के दिये हुए कर में से पचास फी सदी लेते हैं, तो उसके बदले में आप प्रजा के साथ क्या सलूक करते हैं ? आप अगर बीज देते हैं, तो उसका डेवढा वसूल कर लेते हैं, अगर लकड़ी या बाँस देते हैं, तो उसके बदले में चौगुनी बेगार लेते हैं, और आज आपका अस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है, कि आप को यह शंका हो रही है, कि कहीं भविष्य में आप का निशान ही न मिट जाय । आप समय की गति के प्रतिकूल चलने का प्रयत्न कर रहे हैं । थोड़े दिनों आप चाहे इस प्रयत्न में सफल हो जायँ, लेकिन वह दिन दूर नहीं है, जब आपको राष्ट्र की इच्छा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा और आप आतंक के बल पर नहीं, सेवा के बल पर अपना अस्तित्व कायम रख सकेंगे ।

१२ फरवरी १९३४

निरक्षरता की दुहाई

हमारे किसानों की निरक्षरता की दुहाई देना एक फैशन-सा हो गया है, लेकिन किसान निरक्षर होकर भी बहुत से साक्षरों से ज्यादा चतुर है। साक्षरता अच्छी चीज है और उससे जीवन की कुछ समस्याएँ हल हो जाती हैं, लेकिन यह समझना कि किसान निरक्षर है उसके साथ अन्याय करना है। वह परोपकारी है, त्यागी है, परिश्रमी है, किराया-यती है, दूरदर्शी है, हिम्मत का पुरा है, नीयत का साफ है, दिल का दयालु है, बात का सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नहीं करता, और क्या चाहिए। कितने साक्षर हैं, जिनमें ये गुण पाये जायें। हमारा तजरबा तो यह है कि साक्षर होकर आदमी काइयाँ, बदनीयत, कानूनी और आलसी हो जाता है। किसान इसलिए तबाह नहीं है, कि वह साक्षर नहीं है, बल्कि इसलिए कि जिन दशाओं में उसे जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, उनमें बड़े से बड़ा विद्वान भी सफल नहीं हो सकता। उसमें सबसे बड़ी कमी सगठन की है जिसके कारण जमींदार, साहूकार, अहलकार सभी उस पर आतक जमाते हैं। लेकिन अगर कोई उनमें सगठन करना चाहे, जिसमें वे इन भेड़ियों के नख और पजे से बचे, तो उस पर तुरन्त राजद्रोह का और हिज मैजेस्टी की प्रजा में विद्वेष पैदा करने का टलजाम लग जायगा और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। किसान लाख साक्षर हो जाय, जब तक वह सगठित नहीं होता, जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, जब तक वह इन समुदायों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसका जीवन कभी सुखी न होगा। उसके पास चार पैसे देखकर जमींदार और अहलकार सभी की राल टपकने लगती हैं और एक न एक खुच्चड़ निकाल कर उसकी कमर खाली कर दी जाती है। अगर राजद्रोह का हीवा न खड़ा कर दिया गया होता, तो राष्ट्रीय सेवक किसानों में बहुत कुछ सगठन कर चुके होते। मगर यहाँ तो यह नीति है कि प्रजा की राजनैतिक चेतना न जागने पावे, नहीं वह अपने हकों पर अडना सीख जायगी। इसलिए उनके सगठन का कार्य पब्लिसिटी विभाग के सिपुर्द कर दिया गया है, जो बड़े-बड़े कस्बों में जाकर अग्रेजी राज्य के कवित्त सुना आते हैं। एक ओर जनता को नशे की बुराइयों का उपदेश दिया जाता है, दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा नशे का मेवन करें, जिसमें सरकार की आमदनी में कमी न होने पावे। इस नीति का जब तक प्राधान्य है, साक्षरता से कोई उपकार नहीं हो सकता। जो विद्वान हैं, उन्हें तो हम दूसरों को नोचते खसोटते ही देखते हैं, यहाँ तक कि मन में सन्देह होने लगता है कि क्या यह वही विद्या है, जिसकी इतनी महिमा गायी गयी है। अगर सरकार को जनता के हित की सच्ची लगी हो जाय, तो वह जादू की लालटेन से, उपदेशों से, सिनेमा चित्रों से थोड़े दिनों में आरोग्य और अच्छी खेती के तरीकों का प्रचार कर सकती है। जिस किसान के द्वार पर खड़े होने की जगह नहीं, वह ताजी हवा कहाँ से लावे, जिसके

भोजनो का ठिकाना नहीं, वह अच्छी खाद कहाँ से लावे । हम तो कहेंगे कि देहातवालों की निरक्षरता ही उसकी रक्षा कर रही है, नहीं उनमें भी वही पाखंड, वही विलास, वही स्वार्थपरता आ जाती, जो आज के विद्वानों को विशेषता है । जो हमारे किसानों को निरक्षर कह कर उन पर दया करते हैं, उन्हें इन निरक्षर भट्टाचार्यों से बहुत सीखने को मिल सकता है । आज अस्सी फी सदी साक्षर बेकार बैठे अपनी साक्षरता के नाम को रो रहे हैं । ऐसी साक्षरता किसानों के लिए घातक होगी । उनमें सब से बड़ी जरूरत संगठन की है, जिसमें वे इतनी आसानी से दूसरों के शिकार न बनाये जा सकें और यह संगठन करना राजद्रोह है ।

२६ फरवरी १९३४

यू० पी० काउंसिल में कृषकों पर अन्याय

यू० पी० काउंसिल की इस बैठक में होम मेम्बर सर जगदीश प्रसाद ने एक कानून का मसविदा पेश किया था, जिसके अनुसार काश्तकारों से बकाया लगान पर बारह रु० सैंकड़े ब्याज के बदले छ रु० सैंकड़े ब्याज की व्यवस्था की गयी थी । यह भी किया गया था कि बकाया लगान की इल्लत में काश्तकारों को चार साल तक बेदखल न किया जाय । इस मसविदे का श्री रावकृष्णपालसिंह और श्री उपाध्याय ने समर्थन किया । मगर जमींदारों को भला कैसे सब्र होता । चारों तरफ से छ रु० फी सदी पर समझौता हुआ । चार साल की जगह तीन साल की मुद्दत रखी गयी । यह है हमारे काउंसिलों में किसानों के प्रतिनिधि न रहने का फल । जमींदार साहबान हर मौके पर अपने को किसानों का प्रतिनिधि बतलाया करते हैं । सरकार भी उन्हें किसानों का स्वाभाविक नेता कहती है, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आता है, कि जमींदारों से किसानों को कुछ रियायत दिलायी जाय, तो ये स्वाभाविक नेता रस्सी तुडाने लगते हैं । ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि जमींदार समुदाय ने कभी किसानों के प्रति न्याय का समर्थन किया हो । उस पर वे चाहते हैं कि जनता उनका आदर करे, और उनका यश गाये । ऐसी हरकतों से जमींदार लोग अपनी जड़ खोद रहे हैं और जनता में उनका जो कुछ रहा सहा प्रभाव है, उसे भी खोये देते हैं । मि० उपाध्याय ने यही बात जब खोलकर कह दी, तो सारे जमींदार भिन्ना उठे, जिनमें जनाब होम मेम्बर साहब भी थे । कहा गया कि इस कानून के जन्मदाता मो० फसीहुद्दीन साहब हैं, जो खुद जमींदार हैं और जिन्होंने तीन फी सदी सूद की व्यवस्था की थी । बेशक ऐसे जमींदार हैं, जिनमें किसानों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन उसी तरह जैसे हाउस आफ लार्ड में भी दो-एक मेम्बर ऐसे हैं, जिनको भारत पर दया आती है । लेकिन इन बेचारों की नक्कारछाने

मे सुनता कौन है। वहाँ तो बहुमत ज़मींदारो का है और सरकार सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। किसानो की गरीबी पर किसी को तरस नहीं आता। हमे ज़मींदारो से शिकायत नहीं। उनसे जनता ने किसी तरह की आशा रखना छोड़ दिया है। हमे शिकायत सरकार से है, जो किसानो की दशा से भली-भाँति वाकिफ होकर भी और यह जानते हुए भी कि इस मंदी में जितनी तबाही उन पर आयी है, उतनी समाज के और किसी ग्रंथ पर नहीं आयी, हमेशा ज़मींदारो का ही पक्ष लेती है। जो किसान बड़ी मुश्किल से लगान दे पाता है, यहाँ तक कि ज़मींदारो के कथनानुसार हर साल पचास फी सदी लगान बाकी रह जाता है, वह सूद कहीं से दे सकता है। ज़मींदार उस पर यो ही बकाया नहीं छोड़ देते। मार धाड, कुरकी-सरसरी सब कुछ करके तब चुप होते हैं। जब इतने पर भो काश्तकार लगान पूरा नहीं अदा कर सकता, तो वह नौ फी सदी सूद कहीं से देगा। रिआयत ही करते हो, तो ऐसी रिआयत करो कि उसका कुछ महत्व हो। इन भले आदमियो को यह नहीं सूझता कि उन्हे पैतालीस भी सदी का जो नफा होता है, वह तो मानो मुफ्त ही है। वह कोई परिश्रम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, केवल दो-चार शहने रखकर रुपये वसूल कर लेते हैं और बैठे मौज उड़ाते हैं। उनके मुकाबले में किसानो की क्या दशा है? एक लाख किसानो को खडा कर दीजिए। शायद ही किसी की बेह पर साबित कपडे निकलें। ज़मींदारो पर भी करज इसलिए है कि वह आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। काश्तकार इसलिए तबाह है कि उसकी खेती में न काफी उपज है, न जिसका अच्छा दाम है और उस पर एक न एक दैवी बाधा सदैव उसके पीछे पडी रहती है। मगर यहाँ तो अपना पेट अफरना चाहिए, कोई भूखा मरता हो, तो मरे। फिर भी यह शिकायत कि जनता पर ज़मींदारो का प्रभाव नहीं है।

२६ फरवरी १९३४

ज़मींदारों ने फिर मुँह की खायी

यू० पी० काउंसिल में अवध के एक ताल्लुकेदार साहब ने यह प्रस्ताव किया कि उन्हे असामियो से लगान वसूल करने के लिए असामियो से ज्यादा सख्ती से काम लेने का अख्तियार दिया जाय। खुद तो ये लोग रोया करते हैं कि सरकार उनसे बड़ी सख्ती से माल-गुजारी वसूल करती है, लेकिन खुद जिस बात से उन्हे शिकायत है वही अधि-कार दूसरो पर प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र यह है कि गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया नहीं, नहीं तो गजब ही हो जाता। ज़मींदार लोग भूल जाते हैं कि किसानों पर वे जितनी सख्ती करते हैं, अगर उसका शतांश भी सरकार उन पर करे तो वह

जमीदारी छोड़ कर भाग खड़े हों। सरकार ज्यादा से ज्यादा हिरासत में ले लेती है, यहाँ तो किसानों पर डंडे भी पड़ते हैं, उन्हें धूप में भी खड़ा किया जाता है, मुर्गा भी बनाया जाता है। और अब आप क्या अख्तियार चाहते हैं कि असामी से लगान न वमूल हो तो उसे पोस कर पी जाँय ? किसान से अगर लगान नहीं वमूल होता तो इसलिए कि वह दे नहीं सकता। उस पर तरह-तरह की दैवी आफते आती रहती हैं, जिनसे उसका कोई काबू नहीं चलता। उस गरीब को तो आने रोज की मजूरी भी नहीं पड़ती। जमीदार अगर लगान नहीं दे सकता तो इसलिए कि वह ऐश-आराम में अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर देता है। और फिर तो जो कुछ उसे मिलता है वह माले मुफ्त। हाँ, जिन बेचारे जमीदारों ने गाड़ी कमायी के पैसे से जमीदारी खरीदी है, उनकी दशा शोचनीय है। खाव देख रहे थे बेसी लगान करके घर भर लेने का, कहीं अब रुपये का सूद भी नहीं निकल रहा है, मगर लगान न सही, सीर, सायर तो है, नजराना तो है, चौथ तो है, बेगार तो है। और अगर उसने गलती की तो उसका फल भोगे। बैको और मिलों में तो पैसे कभी-कभी डूब जाते हैं। सरकार के इस जवाब से जमीदारों की आँखें अगर अब तक नहीं खुली थी तो अब खुल गयी होगी। उन्हें समय की गति पहचाननी चाहिए और अपने ही हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारनी चाहिए क्योंकि वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब किसान के हाथ में कुछ शक्ति होगी और उसकी भी कुछ आवाज होगी।

१६ मार्च १९३३

किसान सहायक एक्ट

दिसम्बर में किसानों और कृषाकारों को महाजनो के अन्याय से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया था, उसे गवर्नर ने फिर स निचार किये जाने के लिए वापस कर दिया है। थोड़े दिन हुए बैकरो का एक डेपूटेशन सर माल्कम हेली के पास गया था। यह उसी का परिणाम है। वह बिल बना था किसानों की रक्षा के लिए। मगर हुआ यह है कि किसान तो पीछे रह गये, बड़े-बड़े जमीदारों और ताल्लुकेदारों के हित को ही प्रधानता दे दी गयी। बेचारा किसान जहाँ का तहाँ रह गया। किसान ने कर्ज लिया है बैलों के लिए या बीज के लिए या खाने के लिए। उसको यदि सरकार वृष्टण से मुक्त करा दे, तो वह कृषक-समाज का उद्धार करेगी। जमीदारों ने कर्ज लिया है ऐयाशी के लिए, शराबखोरी के लिए, बड़े-बड़े महल बनवाने के लिए। उनके हित के लिए किसानों को क्यों दबाया जाय, जो समाज में जमीदारों से कहीं उपयोगी हैं।

१६ अप्रैल १९३४

बम्बई के मजूरों की हड़ताल

बम्बई के मजूरो की हड़ताल अभी तक जारी है, और उसका क्षेत्र दिन-दिन बढ़ता जाता है। नागपुर और दिल्ली में कई मिलें बन्द हो गयी हैं। सरकार ने बम्बई में मजूरो के प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया है और मजूरो पर कई बार लाठी चार्ज हो चुके हैं और गोलियाँ भी चली हैं। हुल्लडबाजी तो कोई सरकार न पसन्द करेगी और उसे रोकना उसका काम है। यह भी मानी हुई बात है कि ऐसी हड़तालों में कुछ न कुछ हुल्लडबाजी होना लाजिमी है और स्वेच्छा से हड़ताल करनेवालों की तादाद कभी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन सरकार का काम केवल हुल्लडबाजी को रोकना ही नहीं है बल्कि इसकी तहकीकात भी करना है कि मजूरो की शिकायतें क्या हैं, और वह जा है या बेजा। मजूरो को हुल्लडबाजी से कोई प्रेम नहीं है और न वे अकारण अपना सिर फोड़वाने, या गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फरजी शिकायतों के बल पर कोई भी नेता इतनी बड़ी हड़ताल नहीं करा सकता, और होती भी तो बहुत जल्द ठंडी हो जाती। जब सरकार इन झगड़ों में दखल देती है, तो उसे दोनों तरफ को दलीले सुननी चाहिए। हम यह मान लेते हैं कि नेताओं ने न उभाड़ा होता, तो मजूर दबे-दबाये अपना काम करते रहते और हर तरह को सहती सहते जाते, लेकिन नेता वही होता है जो गरीबों और मजूरो के दुःख से केवल दुःखी होकर न रह जाय, बल्कि उसके निवारण के उपाय भी बताये। मजूरो का मजूरी घटायी जा रही है, और यह कहा जा रहा कि मालिकों को लाभ नहीं हो रहा है। इसका फैसला कौन करे कि वास्तव में लाभ हो रहा है या नहीं। सम्भव है, मालिकों को आशानुसार लाभ न होता हो और वह इसे हानि समझता हो। या मैनैजिंग एजेंट लोग लम्बी-लम्बी रकम जब में डाल कर कहते हो कि कुछ नफा नहीं हो रहा है। इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। इतना लिख चुकने पर हमें यह जानकर सतोष हुआ कि बम्बई की इस समस्या की जाँच करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें आशा है इस कमेटी में मजूरो की शिकायतों पर ध्यान दिया जायगा। अब वह जमाना नहीं रहा, जब मजूर अपनी दशा को अपने भाग्य के अधीन समझ कर सन्तुष्ट हो जाते थे। मजूर अब अपनी दशा और भाग्य को सुधारना चाहता है और उसका प्रयत्न करता है। मजूरो ने अन्य देशों में कैसे-कैसे अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, इससे वे बेखबर नहीं हैं। वह अपना खून और पसीना एक करके भी भर पेट भ्रम नहीं पाता, उल्टे उसकी मजूरी काटी जाती है, उधर मिल के पूँजीपति, डाइरेक्टर और मैनैजिंग एजेंट कुछ नफा न होने पर भी उसी शान और सुख से दनदना रहे हैं, तो उसका खून खौल उठता है और वह इस व्यवस्था को जड़ से खोद डालना चाहता है, जिसमें ऐसा अन्याय सम्भव है, चाहे इस

कोशिश में उसकी जान ही पर क्यों न बन आये । वह यह नहीं देख सकता कि उसकी मेहनत की कमायी पर दूसरे मौज करें और वह मुँह तकता रहे । अब तो उसे तब ही सन्तोष हो सकता है कि मिल के प्रबन्ध में उसके प्रतिनिधि भी रहे और लाभ में उसका भी भाग हो । यह सहकारी आयोजना ही अब इस समस्या को हल कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं ।

७ मई १९३४

नागरिक-शासन

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल मे, एक प्रश्न के उत्तर मे सरकार की ओर से कहा गया था कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड की जाँच के लिए नियुक्त समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट है कि बोर्ड को मुअत्तल कर दिया जावे तथा प्रबन्ध सरकार अपने हाथ मे ले ले । काशी म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबन्ध के विषय में हमे भी ज़बरदस्त शिकायत है तथा हम भी यह स्वीकार करते है कि बोर्ड का प्रबन्ध अनेक कारणो से बहुत ही असन्तोषजनक है । फिर भी, हमारी धारणा है कि इस बोर्ड मे कई ऐसे कर्मचारी है, जो बहुत ही योग्य है, कई ऐसे मेम्बर है जो बडे परिश्रमी तथा निस्पृह सेवक है, पर अभी तक अनेक कारणो से उनको पर्याप्त सेवा का भ्रवसर नही मिला है । राजनीतिक कारणो से नगर के प्रथम श्रेणी के नागरिक बोर्ड की ओर से उदासीन रहे है, कुछ को जेल यातनाओ के कारण काम करने का मौका नही मिला है । बोर्ड के कार्यों मे पूरी दिलचस्पी स्वय उनके सदस्य या चेयरमैन भी नही लेते, इसके सबसे ताजे उदाहरण हमारे सामने कई है, पर यदि राजनीतिक परिस्थिति सुधरे तथा सरकार नगरनिवासियो की निर्वाचक-योग्यता बढा, पुन. निर्वाचन करा दे, तो कोई कारण नही है कि नगर का पूरा सुधार न हो जावे, तथा बोर्ड का काम ठीक रास्ते पर आ जावे । पर सरकारी प्रबन्ध मे बोर्ड की हालत सुधरेगी, यह निश्चित नही है । जब तक बोर्ड सरकार के हाथ मे थी, कोई विशेष उन्नति नही हुई । लाखो का कर्जा और सफ़ाई की हीन-दशा दोनो ही छोडकर सरकार ने गैर-सरकारियो के हाथ मे बोर्ड का इतजाम सौपा था । अब किस प्रकार आशा की जावे कि सरकार अधिक मफल होगी । काशी की जो कुछ उन्नति हुई है, वह गैर सरकारी बोर्ड के ही कार्य-काल में, और हमारो सम्मति मे गैर सरकारी प्रबन्ध सदैव उत्तम होता है, कम से कम निरकुश नही होता ।

कौंसिल के पिछले अधिवेशन मे श्रीयुत गजाधर प्रसाद का यह प्रस्ताव बडा उपयोगी था कि स्थानीय शासन-विभाग के मन्त्री किसी बोर्ड के विषय मे कार्रवाई करने

के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया करे। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या हम आशा करे कि काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया जावेगा !

२१ नवम्बर १९३२

युक्तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से

प्रान्तीय कौंसिल की स्थगित बैठक चौबीस नवम्बर से पुनः प्रारम्भ हो गयी है। इसके सामने कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होगी। प्रान्त के लिए, अमन और अमान की रक्षा के लिए, मामूली कानूनो को जरूरत के मुताबिक न होने के कारण, सरकार एक नया काला कानून चलाना चाहती है। इसे कानून का रूप देने के लिए विचारार्थ कौंसिल में पेश किया गया था। अब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौंसिल के सामने पेश होगा। इस कानून की जरूरत समझते हुए होम मेम्बर ने कहा था, कि काला कानून सत्याग्रह आन्दोलन को एकदम न कुचल सका, इसीलिए अब इस कानून की जरूरत पडी। तर्क से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्ग यदि यही नियम, अधिक कठोर रूप में, एक वर्ष में प्रयोग के बाद भी, अपनी उपयोगिता न सिद्ध कर सके तथा अपना उद्देश्य न पूरा कर सके, तो उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा? इस विषय में इतना काफ़ी लिखा जा चुका है, कि हम उन्ही बातों को दुहराना नहीं चाहते। प्रान्तीय कौंसिलरो से हमारा यही अनुरोध है, कि वे इस कानून को कानून का रूप न दे तथा सरकार को यह सलाह दें, कि अमन और अमान की सबसे बडी रक्षा प्रजा का विश्वास-भाजन बनना है। यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं जानती है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौंसिल के सामने है— गान्धी-म्युनिसिपैलिटी-बोर्ड के प्रबन्ध को सरकार के हाथ में जाने देना या नहीं। इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह हम अपने पिछले अंक में लिख चुके हैं। यहाँ पर हम केवल कौंसिल के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हमें आशा है, कि वे इस बात का सतत उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के इतने सम्मानित बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों में चला जावे। अन्य स्थानों के बोर्डों की तुलना में काशी की म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध कहीं अधिक उत्तम है। हमारे सामने बोर्ड की सालाना रिपोर्टों की जो फाइल है, उससे यही पता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कट्ट समय में प्रत्येक महकमे में आशातीत उन्नति होती गयी है। शिष्टा देना बोर्ड का प्रधान काम है और इस दिशा में हम काशी को अपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं। सम्भव है, इसका श्रेय यहाँ के शिष्टाध्यक्ष की

अत्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो सामूहिक रूप से सराहनीय ही कहा जावेगा। गत पाँच वर्षों में यहाँ के म्युनिसिपल स्कूलों के विद्यार्थियों तथा छात्राओं की संख्या तेरह सौ तैतालिस से तीन हजार छासठ सहायक स्कूलों में तथा चार हजार आठ सौ अठाइस से आठ हजार पाँच सौ चौतीस निजी स्कूलों में बढ़ गयी है। सहायक स्कूलों की संख्या पच्चीस से सैतालीस तथा निजी स्कूलों (बोर्ड के प्रत्यक्ष संचालन में) की सैतीस से उनसठ हो गयी है। स्कूलों में दृग्ग्राह्यता का भेद-भाव उठा दिया गया है। प्रायः सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिक्षा दी जाती है। रोनिथो-टाईपिंग का भी क्लास है। बोर्ड का अंग्रेजी मिडिल स्कूल अब हाई स्कूल होने वाला है। मिडिल स्कूल के परीक्षोत्तीर्णों का अनुपात प्रान्त भर के अनुपात से अधिक, यानी पंचावबे प्रतिशत है। यह सब उन्नति केवल पाँच वर्ष के भीतर हुई है। इतनी उन्नति क्या सरकार-द्वारा परिचालित किसी भी स्कूल में हो पायी है? बोर्ड का शिक्षा पर व्यय-पाँच वर्ष पहले सत्तर हजार ६० था। अब वह एक लाख पचास हजार ६० व्यय करती है, इस रकम से सरकार केवल बारह हजार ६० साल की ही सहायता देती है।

हमारी समझ में बोर्ड के सुकार्यों का यह एक उदाहरण है। खराबियाँ भी अनेक हैं, पर यदि दफ्तर की खराबियों से बोर्ड मुअत्तल होने लगे, तो अब तक कितने ही सरकारी मुहकमों को गैरसरकारी हाथों में कर देना चाहिए था।

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर अनेक सम्मानित नागरिकों के हस्ताक्षर हैं, इससे पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करके, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं। सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापति दीवान गोकुलचन्द्र कपूर स्थानीय शासन विभाग के मंत्री से भी मिलनेवाले हैं। हम इस दिशा में जितने वैध प्रयत्न होंगे, सबकी सराहना करेंगे तथा आशा है, कौंसिल के सदस्य भी हमारी सहायता करेंगे।

२८ नवम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। कौंसिल की बैठकों के सामने आर्डिनेंस बिल पेश था और बड़े खेद का विषय है कि प्रजातन्त्र के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी, हमें आशा है कि बोर्ड के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगी। यह सम्भव है कि सरकार ने हमारी टिप्पणियों की ओर कुछ ध्यान भी दिया है।

पंडित इकबालनारायण गुट्टू के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर हो जाने के कारण वहाँ के चेयरमैन का स्थान खाली हो जाता है। यद्यपि यह पद बड़े लोभ का

है तथा इसके लिए बड़े-बड़े वीर उम्मेदवार होंगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस पद के लिए चेयरमैन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का अनुभव रखता हो, सरकार में भी जिसका कुछ प्रभाव हो, उत्साही हो, युवक तथा परिश्रमशील हो। नाम के आडम्बर या किसी की रियासत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह नगर के लिए तथा मेम्बरो के लिए लज्जास्पद होगा।

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक अत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट आये हैं। बोर्ड को, चौकवाड को, एक वर्ष बाद पुन एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए हम बोर्ड को बधाई देते हैं।

५ दिसम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

पंडित इकबाल नारायण गुर्द के वाइस-चांसलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर बोर्ड के लिए एक सुयोग्य चेयरमैन का चुनाव निकट है। इस विषय में हम अपना मत प्रकट कर चुके हैं। हम लिख चुके हैं कि व्यर्थ के आडम्बर का ख्याल न कर, किसी के धन या निरर्थक बडप्पन का विचारकर, इस पद पर किसी को नही चुनना चाहिए। बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते हुए हमें एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक तथा कुछ अनुभव रखनेवाला, साहसी तथा मेम्बरो पर हानी चेयरमैन चुनना चाहिए और हमें पूरी आशा है कि बोर्ड के सदस्य अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग न करेंगे।

१९ दिसम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पं० इकबाल नारायण गुर्द के अपने पद से त्यागपत्र दिये एक महीने से ऊपर हो गये। वे २६ नवम्बर को ही इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसलर चुन लिये गये थे और चार्ज ले लेने के बाद, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे बोर्ड के चेयरमैन नहीं रह गये। हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दिया था। चेयरमैनी की दौंड-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गजट में त्यागपत्र न छपा। बहुत इन्तजार के बाद १७ सितम्बर के गजट में त्यागपत्र छपा गया।

फिर भी नये चुनाव की कोई तारीख नहीं तय की गयी थी। आशा थी कि एक सप्ताह बाद जो गजट प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय कर दी जावेगी, पर लगातार दो गजट निकल चुके और कोई भी तारीख नहीं तय की गयी।

बहुत सोचने पर भी हम इसका कारण न समझ सके। क्या स्थानीय शासन विभाग इस समय बहुत ही मुसीबत में है, बड़ी भ्रष्टाचार में है, बड़े काम में है? आखिर बात क्या है। एक चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव कराये यह पद खाली रह सकता है? यद्यपि, आज-कल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलवी अब्दुल मजीद स्थानापन्न चेयरमैन हैं, वे योग्य तथा अनुभवी हैं, पर हमें जहाँ तक मालूम है, बोर्ड के ऐक्ट के अनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी नहीं बुला सकता। साथ ही, क्या सरकार को यह कानूनन हक हासिल है कि वह पन्द्रह दिन तक भी चुनाव रोक सके?

बोर्ड के पिछले कार्यों की जाँच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय में हम लिख चुके हैं। उस कमेटी के कारण और भी हलचल है। कहीं कुछ अफवाह उड़ती है, कहीं कुछ अफवाह है कि सरकार इस बोर्ड में पिछली बोर्ड के दोषों के लिए जवाब तलब करनेवाली है। इसीलिए चेयरमैन के चुनाव की तारीख मुकर्रर हो रही है। बहुत सोचने पर भी हमारी समझ में बात नहीं आती कि चेयरमैन के चुनाव से और हमसे क्या मतलब। यदि जवाब तलब भी किया गया तो बिना चेयरमैन के, बिना मीटिंग के जवाब कैसे दिया जा सकता है। चुनाव हुआ चेयरमैन और होता है और सीनियर वाइस चेयरमैन और होता है—चाहे अन्त में दोनों व्यक्ति एक ही क्यों न हों। हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पड़ती है। एक अजीब अनिश्चितता छायी हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक आशका का वायुमण्डल फैला हुआ है। अन्त में क्या होगा, हम क्या कल्पना करें। पर, सरकार काशी के साथ घोर अन्याय कर रही है।

६ जनवरी १९३३

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

अन्त में बोर्ड के विषय में जो शंका तथा सदेह का वातावरण छाया हुआ था, वह एक रास्ते पर आ रहा है। प्रान्तीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विषय में जवाब-तलब किया है। हमारी समझ में दो ही बातें नहीं आयीं। किस बात का जवाब दिया जायगा? नयी बोर्ड पिछली बोर्ड के पापों का (?) या अपराधों (?) का किस प्रकार जवाब देगी? दोष किसी ने किया, जवाब कौन देगा? क्या इसमें घोर कानूनी भूल नहीं

॥ काशी म्युनिसिपल बोर्ड ॥

के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया करे। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या हम आशा करे कि काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया जावेगा !

२१ नवम्बर १९३२

युक्तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से

प्रान्तीय कौंसिल की स्थगित बैठक चौबीस नवम्बर से पुनः प्रारम्भ हो गयी है। इसके सामने कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होगी। प्रान्त के लिए, अमन और अमान की रक्षा के लिए, मामूली कानूनो को जरूरत के मुताबिक न होने के कारण, सरकार एक नया काला कानून चलाना चाहती है। इसे कानून का रूप देने के लिए विचारार्थ कौंसिल में पेश किया गया था। अब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौंसिल के सामने पेश होगा। इस कानून की जरूरत समझाते हुए होम मेम्बर ने कहा था, कि काला कानून सत्याग्रह आन्दोलन को एकदम न कुचल सका, इसीलिए अब इस कानून की जरूरत पडी। तर्क से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्ग यदि यही नियम, अधिक कठोर रूप में, एक वर्ष में प्रयोग के बाद भी, अपनी उपयोगिता न सिद्ध कर सके तथा अपना उद्देश्य न पूरा कर सके, तो उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा ? इस विषय में इतना काफी लिखा जा चुका है, कि हम उन्हीं बातों को दुहराना नहीं चाहते। प्रान्तीय कौंसिलरों से हमारा यही अनुरोध है, कि वे इस कानून को कानून का रूप न दे तथा सरकार को यह सलाह दें, कि अमन और अमान की सबसे बड़ी रक्षा प्रजा का विश्वास-भाजन बनना है। यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं जानती है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौंसिल के सामने है—काशी-म्युनिसिपल-बोर्ड के प्रबन्ध को सरकार के हाथ में जाने देना या नहीं। इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह हम अपने पिछले अंक में लिख चुके हैं। यहाँ पर हम केवल कौंसिल के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हमें आशा है, कि वे इस बात का सतत उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के इतने सम्मानित बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों में चला जावे। अन्य स्थानों के बोर्डों की तुलना में काशी की म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध कहीं अधिक उत्तम है। हमारे सामने बोर्ड की सालाना रिपोर्टों की जो फाइल है, उससे यही पता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कटु समय में प्रत्येक महकमे में आशातीत उन्नति होती गयी है। शिवा देना बोर्ड का प्रधान काम है और इस दिशा में हम काशी को अपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं। सम्भव है, इसका श्रेय यहाँ के शिवाध्यक्ष की

अत्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो सामूहिक रूप से सराहनीय ही कहा जावेगा। गत पाँच वर्षों में यहाँ के म्युनिसिपल स्कूलों के विद्यार्थियों तथा छात्राओं की संख्या तेरह सौ तैतालिस से तीन हजार छासठ सहायक स्कूलों में तथा चार हजार आठ सौ अठाइस से आठ हजार पाँच सौ चौतीस निजी स्कूलों में बढ़ गयी है। सहायक स्कूलों की संख्या पच्चीस से सैतालीस तथा निजी स्कूलों (बोर्ड के प्रत्यक्ष संचालन में) की सैतीस से उनसठ हो गयी है। स्कूलों में छुआछूत का भेद-भाव उठा दिया गया है। प्रायः सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिक्का दी जाती है। रोनिथो-टाइपिंग का भी क्लास है। बोर्ड का अंग्रेजी मिडिल स्कूल अब हाई स्कूल होने वाला है। मिडिल स्कूल के परीक्षोत्तीर्णों का अनुपात प्रान्त भर के अनुपात से अधिक, यानी पंचावबे प्रतिशत है। यह सब उन्नति केवल पाँच वर्ष के भीतर हुई है। इतनी उन्नति क्या सरकार-द्वारा परिचालित किसी भी स्कूल में हो पायी है ? बोर्ड का शिक्का पर व्यय-पाँच वर्ष पहले सत्तर हजार २० था। अब वह एक लाख पचास हजार २० व्यय करती है, इस रकम से सरकार केवल बारह हजार २० साल की ही सहायता देती है।

हमारी सम्मति में बोर्ड के सुकार्यों का यह एक उदाहरण है। खराबियाँ भी अनेक हैं, पर यदि दफ्तर की खराबियों से बोर्ड मुअत्तल होने लगे, तो अब तक कितने ही सरकारी मुहकमों को गैरसरकारी हाथों में कर देना चाहिए था।

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर अनेक सम्मानित नागरिकों के हस्ताक्षर हैं, इससे पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करके, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं। सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापति दीवान गोकुलचन्द्र कपूर स्थानीय शासन विभाग के मंत्री से भी मिलनेवाले हैं। हम इस दिशा में जितने वैध प्रयत्न होंगे, सबकी सराहना करेंगे तथा आशा है, कौंसिल के सदस्य भी हमारी सहायता करेंगे।

२८ नवम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। कौंसिल की बैठकों के सामने आर्डिनेंस बिल पेश था और बड़े खेद का विषय है कि प्रजातन्त्र के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी, हमें आशा है कि बोर्ड के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगी। यह सम्भव है कि सरकार ने हमारी टिप्पणियों की ओर कुछ ध्यान भी दिया है।

पंडित इकबालनारायण गुट्टे के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर हो जाने के कारण वहाँ के चेयरमैन का स्थान खाली हो जाता है। यद्यपि यह पद बड़े लोभ का

है तथा इसके लिए बड़े-बड़े वीर उम्मेदवार होंगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस पद के लिए चेयरमैन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का अनुभव रखता हो, सरकार में भी जिसका कुछ प्रभाव हो, उत्साही हो, युवक तथा परिश्रमशील हो। नाम के आडम्बर या किसी की रियासत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह नगर के लिए तथा मेम्बरो के लिए लज्जास्पद होगा।

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक अत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट आये हैं। बोर्ड को, चौकवाड़ को, एक वर्ष बाद पुन एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए हम बोर्ड को बधाई देते हैं।

५ दिसम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

पंडित इकबाल नारायण गुर्दू के वाइस-चांसलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर बोर्ड के लिए एक सुयोग्य चेयरमैन का चुनाव निकट है। इस विषय में हम अपना मत प्रकट कर चुके हैं। हम लिख चुके हैं कि व्यर्थ के आडम्बर का ख्याल न कर, किसी के धन या निरर्थक बड़प्पन का विचारकर, इस पद पर किसी को नहीं चुनना चाहिए। बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते हुए हमें एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक तथा कुछ अनुभव रखनेवाला, साहसी तथा मेम्बरो पर हावी चेयरमैन चुनना चाहिए और हमें पूरी आशा है कि बोर्ड के सदस्य अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग न करेंगे।

१९ दिसम्बर १९३२

काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पं० इकबाल नारायण गुर्दू के अपने पद से त्यागपत्र दिये एक महीने से ऊपर हो गये। वे २६ नवम्बर को ही इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसलर चुन लिये गये थे और चार्ज ले लेने के बाद, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे बोर्ड के चेयरमैन नहीं रह गये। हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दिया था। चेयरमैनी की दौड़-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गजट में त्यागपत्र न छपा। बहुत इत्तजार के बाद १७ सितम्बर के गजट में त्यागपत्र छपा गया।

फिर भी नये चुनाव की कोई तारीख नहीं तय की गयी थी। आशा थी कि एक सप्ताह बाद जो गजट प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय कर दी जावेगी, पर लगातार दो गजट निकल चुके और कोई भी तारीख नहीं तय की गयी।

बहुत सोचने पर भी हम इसका कारण न समझ सके। क्या स्थानीय शासन विभाग इस समय बहुत ही मुसीबत में है, बड़ी भ्रष्टो में है, बड़े काम में है? आखिर बात क्या है। एक चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव कराये यह पद खाली रह सकता है? यद्यपि, आज-कल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलवी अब्दुल मजीद स्थानापन्न चेयरमैन हैं, वे योग्य तथा अनुभवी हैं, पर हमें जहाँ तक मालूम है, बोर्ड के ऐक्ट के अनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी नहीं बुला सकता। साथ ही, क्या सरकार को यह कानूनन हक हासिल है कि वह पन्द्रह दिन तक भी चुनाव रोक सके?

बोर्ड के पिछले कार्यों की जाँच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय में हम लिख चुके हैं। उस कमेटी के कारण और भी हलचल है। कहीं कुछ अफवाह उड़ती है, कहीं कुछ अफवाह है कि सरकार इस बोर्ड से पिछली बोर्ड के दोषों के लिए जवाब तलब करनेवाली है। इसीलिए चेयरमैन के चुनाव की तारीख मुकर्रर हो रही है। बहुत सोचने पर भी हमारी समझ में बात नहीं आती कि चेयरमैन के चुनाव से और हमसे क्या मतलब। यदि जवाब तलब भी किया गया तो बिना चेयरमैन के, बिना मीटिंग के जवाब कैसे दिया जा सकता है। चुनाव हुआ चेयरमैन और होता है और सीनियर वाइस चेयरमैन और होता है—चाहे अन्त में दोनों व्यक्ति एक ही क्यों न हो। हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पड़ती है। एक अजीब अनिश्चितता छायी हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक आशका का वायुमण्डल फैला हुआ है। अन्त में क्या होगा, हम क्या कल्पना करें। पर, सरकार काशी के साथ घोर अन्याय कर रही है।

६ जनवरी १९३३

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

अन्त में बोर्ड के विषय में जो शंका तथा संदेह का वातावरण छाया हुआ था, वह एक रास्ते पर आ रहा है। प्रान्तीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विषय में जवाब तलब किया है। हमारी समझ में दो ही बातें नहीं आयीं। किस बात का जवाब दिया जायगा? नयी बोर्ड पिछली बोर्ड के पापो का (?) या अपराधो (?) का किस प्रकार जवाब देगा? दोष किसी ने किया, जवाब कौन देगा? क्या इसमें घोर कानूनी भ्रम नहीं

हैं ? दूसरी बात यह है कि जवाब कौन देगा ? बोर्ड । बोर्ड का चेयरमैन कौन है ? बिना चेयरमैन के कही बोर्ड भी पूरी होती है, खासकर ऐसे मौके पर तो यह अत्यावश्यक है कि बोर्ड का एक चेयरमैन हो ? आज दो महीने से बोर्ड—काशी इतने बड़े नगर की बोर्ड बिना चेयरमैन के है । क्या सरकार चेयरमैन का चुनाव न कराकर काशी के साथ घोर अन्याय नहीं कर रही है और जाँच के अपने कार्य को ही हास्यास्पद-सा बना रही है ! हमें आशा है, कि प्रान्तीय सरकार तुरन्त ध्यान देगी !

३० जनवरी १९३३

काशी म्युनिसिपैलिटी

क्या, कभी भी, किसी भी नगर के म्युनिसिपल बोर्ड के शासन में किसी भी सरकार ने इतना खिलवाड़-सा मचा रखा है, जितना युक्त प्रान्तीय सरकार ने काशी के साथ ! बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है । एक जाँच-कमेटी बैठी थी जिसके विषय में बोर्ड की सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं है । केवल अफवाह सुनकर मेम्बर और अफसर घबड़ाये हुए हैं । फल क्या होगा, कोई नहीं जानता । यदि सरकार स्वयं कोई निश्चय नहीं कर सकती है तो क्या हम अपनी ओर से यह सलाह दें कि बोर्ड का नया निर्वाचन करा डाले । नया बोर्ड भी यदि उसके मन की न हो तब कोई कार्रवाई की जावे । यदि यह डर हो कि बोर्ड काँग्रेस की हो जावेगा तो हम स्वयं इसे बिल्कुल ही भ्रम समझते हैं । काशी के लिए दल विशेष के मेम्बरो की नहीं—पर सच्चे सेवको की आवश्यकता है । काशी की जनता को इस समय जो हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन है ?

६ फरवरी १९३३

सरकारी बोर्ड

अन्त में काशी का नागरिक जीवन समाप्त हो गया । अब उसके नगर-शासन का अन्त तीन वर्ष के लिए हो गया । यह हमारे नगर के लिए लज्जा की बात है । संभवतः हम इसी के अधिकारी थे । अनुचित लोगों के ऊपर विश्वास करने का, अनुचित लोगों को नेता मान लेने का, अनुचित लोगों की बातों को सुनकर सह लेने का दण्ड मिल गया और पहली मई से काशी म्युनिसिपल बोर्ड सरकारी म्युनिसिपल-बोर्ड हो गया ।

फिर भी, हमें सन्तोष है कि मि० लिच विशेष अफसर नियुक्त हुए हैं। वे स्वतंत्र विचार हैं, सुयोग्य शासक हैं। हमें आशा है कि इस अभागे नगर के शासन में वे उदारता से काम लेंगे। मेम्बरो का पाप तो मेम्बरो के सर गया, अब वे हरेक सुयोग्य कर्मचारी को काम करने का अवसर देंगे तथा नगर के हित में आवश्यक प्राय सभी बातों का उदारता से पालन करेंगे और नगर के कुछ असम्मानित तथा दम्भी व्यक्तियों से सावधान रहकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।

१३ फरवरी १९३३

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

अन्त में जिस बात की हमें आशंका थी वही होकर रही। शुरू से ही हम बार-बार प्रान्तीय सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि वह न-ए-म्युनिसिपल बोर्ड के विषय में इतनी ढिलाई की नीति बर्तना छोड़ दे, क्योंकि अपनी ढिलाई को पूरा करने के लिए उसकी यकायक की जल्दबाजी बड़ा घातक फल लावेगी। वही हो भी गया। युक्त प्रान्तीय कांसिल में काशी म्युनिसिपल बोर्ड के कथित कुप्रबन्ध की जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पास होने के ठीक सात महीने बाद प्रान्तीय सरकार ने कमेटी नियुक्त की। कमेटी में प्रजा-पक्ष इतना दुर्बल था कि नियुक्ति के साथ ही नागरिक उससे नाउम्मेद हो गये। खैर, कमेटी को वे कानूनी अधिकार भी नहीं प्राप्त थे, जो अन्य कमेटियों को होते हैं। इसके सामने गवाही देने कई प्रकार के लोग गये, कुछ नगर के बोर्ड के सच्चे हितैषी थे, कुछ अपने दलवालों के समर्थक थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो म्युनिसिपैलिटी के हारे उम्मीदवार थे। नगर के अधिकांश प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कमेटी की कार्यवाही में कोई भाग न लिया। यह कमेटी के लोक-प्रिय न होने और लोक-प्रिय न बन सकने का एक नमूना है, जिस पर टीका करना ही व्यर्थ है।

कमेटी ने ज्यादा काम दफ्तर ही में किया। एक वर्ष में रिपोर्ट का एक लम्बा-चौड़ा पुलिन्दा तैयार हुआ। कहते हैं कि चार सौ पन्ने की है। जो हो, सरकार ने रिपोर्ट को बुरी तरह जनता से छिपा रखा है। यदि रिपोर्ट में इतना भयानक भडाफोड हैं तो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरो को चुननेवाली जनता को उसकी नालायकी बतला देनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि जनता द्वारा रिपोर्ट की बुरी तरह धज्जियाँ उड़ने के डर से उसे भयभीत मेम्बरो के हाथों में ही रखा गया है। जनता के विचार में अनेक दोष होते हुए भी बोर्ड के कई विभागों का काम बहुत ही अच्छा है, जैसे—सफाई और शिक्षा का। यह भी सन्देह नहीं कि शिक्षा-विभाग अपने शिक्षाध्यक्ष के कारण पूर्णतः राष्ट्रीय ढंग से संचालित होता है। यह राष्ट्रीयता प्रत्येक नीम-सरकारी को भी खटक

सकती है। कहीं रिपोर्ट से इस प्रकार की बातों को ध्वनि तो नहीं निकलती? क्या इन्हीं ध्वनियों के कारण रिपोर्ट छिपायी तो नहीं जा रही है—या हो सकता है कि रिपोर्ट में डाक्टर भगवानदास तर्क के समय को बोर्ड के “स्वर्ण-शासन, राष्ट्रीय-शासन” की कुछ भर्त्सना ही और ज़रूर जनता का यह सब जानना, रिपोर्ट के प्रति उमके हृदय में घृणा पैदा कर देता हो, इसीलिए उसे वह अमूल्य पोथा नहीं दिया जा रहा है।

जो हो, रिपोर्ट सरकार के पास कई महीने पहले पहुँची। वहाँ इस पर क्या विचार होता रहा, यह कौन जाने, पर हमें तो पता अभी उम दिन चला जब यह कहा गया कि बोर्ड से पन्द्रह दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। यह एक बड़े नगर के साथ अग्र्याय की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। चार सौ पन्ने की रिपोर्ट का कम से कम भी यदि उत्तर दिया जावे—तो दो सौ पन्ने से कम नया होगा। केवल आम बातों का जवाब देने के लिए ही इतने पन्ने चाहिए और बोर्ड में जवाब तैयार कराकर इतने पन्नों का मसविदा लिख लेने के लिए भी कम से कम दो माह तो चाहिए ही। इस पन्द्रह दिन में क्या हो सकता है? यदि व्यर्थ का जवाब मँगाकर बोर्ड को ही जलाल कराने की प्रान्तीय सरकार की इच्छा नहीं है, यदि उसे केवल एक आडम्बर ही नहीं रचना है, तो उसे चाहिए कि उत्तर देने का समय बढ़ा दे अन्यथा बिना जवाब मंगे ही बोर्ड को रद्द कर दे। जो काम सरकार ने ढाई बरस में किया, वही बोर्ड पन्द्रह दिन में कर लेगी, यह तो समझ ही में न आनेवाली बात है। हमें इस प्रकार की जल्दबाजी के भीतर क्या रहस्य है, यही समझ में नहीं आता। दोषारोपी से सफाई देनेवाले का काम कहीं अधिक कठिन होता है।

अस्तु, यदि बोर्ड की हालत खराब ही है तो सरकार क्या उसे मुञ्चल कर नगर का भला करती है? सरकार द्वारा संचालित बोर्ड की क्या दशा है, इसी की तुलना से सब स्पष्ट हो जायगा। बोर्ड का प्रबन्ध जब सरकार के हाथ में था, तब से और अब यदि तुलना की जाय तो ज़मीन-आसमान का फर्क मिलेगा। इस समय नगर में बिजली है, रोशनी है, कोलतार की सड़के हैं, औद्योगिक-शिक्षा का प्रबन्ध है, अंग्रेजी स्कूल है, तीन मिडिल स्कूल हैं, विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। तब कितना कर्जा था, अब पचहत्तर हजार ४० साल की खर्च में या बजट में कमी है, जो समाचार है, कि पूरी कर दी गयी है, उतने ही रुपये की अधिक आय इस साल होगी और शायद एक पाई भी कर्ज नहीं है। यह ज़रूर है कि सरकारी प्रबन्ध में देर से, कठिनार्थ से, प्रजा का दुःख-दर्द कोई सुनता है, पर बोर्ड के प्रबन्ध में हमी प्रबन्ध-कर्ता हैं, मरलना से सब काम हो जाता है इसीलिए उसकी शिकायत करनेवाले भी बहुत ही होत हैं, जैसे—किमी सरकारी अस्पताल में अंग्रेज सिविलसर्जन के स्थान पर भारतीय होने पर, उसकी बड़ी शिकायतें होती रहती हैं। यह सब कुछ मनुष्य-स्वभाव है कि जहाँ शिकायत करने से अधिक शीघ्र सुनवायी होती है वहाँ वह बहुत कुछ शिकायतें करता है।

अगर बोर्ड का बजट घाटे पर है तो यह विशेष चिन्ता की बात नहीं है। घाटे पर बजट होना आज-कल की दुनिया में उतना बड़ा पाप नहीं समझा जाता। पाप तो यह है कि बजट में घाटा होने पर प्रजा पर बहुत अधिक कर का भार लाद देना, पाप तो यह है कि अर्थनीति का दिवाला निकल जाने पर देशी व्यापार को विलायती माल की चुगी की आसदनी के बहाने कोई तरक्की न देना, पाप तो यह है कि नये कर्ज लेकर बजट का घाटा पूरा कर देना। काशी की बोर्ड इनमें किसी बात की भी दोषी नहीं है। यह सत्य है, उसकी सड़के उतनी अच्छी नहीं है, जितनी इलाहाबाद या लखनऊ की, पर इलाहाबाद सरकारी राजधानी रह चुका है और लखनऊ सरकारी राजधानी है। इसलिए उनको सजाने में सरकार ने अपना थैलियाँ खोल दी, पर बहुत माँगने पर भी काशी को एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट न मिला। काशी की बोर्ड को जनता से कर्ज लेने में भी बड़ी सकारात्मकता है और सरकारी सहायता के अभाव से ही केवल एक बोर्ड में आने वाली प्रारम्भिक शिक्षा जारी की जा सकती है। सफाई की शिकायत है, पर नगर की गलियो-नालियों को बिना नगरवालों के सहयोग और धन के व्यय से साफ रखना वास्तव में असंभव है और बोर्ड की सहायता जितना सरकार नहीं करती उसकी दुगुनी उपेक्षा जनता की ओर से है, जिसकी सफाई का अर्थ होता है कूड़ा गली में बिखेर देना और पढाई का अर्थ होता है, मैले-कुचैले वेश में लडका स्कूल में ठेल देना। फिर भी बोर्ड में कुप्रबन्ध है—बहुत अधिक है, पर इसके दोषी वे कांग्रेसवाले हैं जिन्होंने डा० भगवानदास, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री शिवप्रसाद जी गुप्त को बोर्ड के बाद ही, उसके प्रबन्ध को नहीं अपनाया और एक सरकारी नामजद मेम्बर, राय बहादुर महाशय को चेयरमैन बन जाने दिया—और विशेष कर जिनके शासन काल की जाँच के लिए यह कमेटी बैठी थी।

इसलिए, यह मानते हुए कि कुप्रबन्ध के समय हस्तक्षेप करने का सरकार को हक है, अधिकार है, कर्तव्य है, चाहिए भी—यह स्वीकार करते हुए कि सरकार को बनारस से कोई बैर नहीं है—पर साथ ही इस समस्या को सुलझाने में सरकारी विधि को बिलकुल अनुपयुक्त समझते हुए, हम केवल एक ही रास्ता देखते हैं जिससे नगर का कल्याण हो सकता है—और वह रास्ता यही है कि तुरंत जल्दबाजी में उत्तर न माँगकर सरकार बोर्ड से कम से कम दो महीने में जवाब तलब करे। इसके बाद यदि उसका विश्वास हो कि जवाब सन्तोषजनक नहीं है तो उसे तुरत बोर्ड को मुअ्तल कर देना चाहिए और नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नये चुनाव में जनता नब्बे प्रतिशत पुराने मेम्बर चुनती है तो उस बोर्ड को कार्य करने का मौका दे। रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित कर दी जाय ताकि जनता को भी मालूम हो जाय कि गडबडी क्या है, और तब वह जनता से पूछकर उन अफसर या मेम्बरो पर मुकदमा चलावे, जिस पर अपराध सचमुच साबित हो गया हो और न्याय की बात तो यह है कि यदि रिपोर्ट ने

किसी बात का उलटा ही अर्थ लगाया है तो उसे यह हक होना चाहिए कि वह अदालत की शरण ले सके ।

बोर्ड का मुग्रत्तल हो जाना काशी का कितना भयंकर अपमान है, इस स्वराज्य के युग में नागरिकता की कैसी छीछालेदर है और बोर्ड की ही कितनी अधिक बेइज्जती है, यह अभी काशीवासी नहीं समझ रहे हैं, और काशी के सम्मानित कांग्रेसी नेता, काशी के प्रतिष्ठित नागरिक, काशी के जिम्मेदार 'पत्र' भी उदासीन हो रहे हैं, यह बड़ी लज्जा की बात है । अभी कल ही, जब अपना प्रबन्ध जाता रहेगा लोग चिल्ला पडेगे । कांग्रेसवाले यदि इस ओर ध्यान देंगे तो वे नगर के स्वराज्य की रक्षा करेंगे जो उनके हाथ से छिना चाहता है । प्रतिष्ठित नागरिक केवल कौंसिल या एसेम्बली या राजपरिषद् की न सोचकर यदि एक बार इधर, नगर की मेम्बरी करना शुरू करेगा तो विशेष कल्याण होगा । दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की खबरो से इस समय काशी की खबर ज्यादा जरूरी है । नगरवासी पिछली बोर्ड से चिढे हुए हैं, इसलिए दूर की सोच नहीं पाते हैं । कुछ लोग बार-बार मेम्बरी के उम्मीदवार रह कर हारे और खिजलाये हुए हैं, इसलिए वे दूसरो को मेम्बर नहीं रहने देना चाहते होंगे । (ईश्वर करे यह बात कल्पना ही हो) कुछ लोग केवल मेम्बर बनना ही सार्वजनिक सेवा समझते हैं—पर जो नगर के हितैषी हैं, वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । उनकी इस समय 'जाग मछेन्द्र गोरख आया'—के भ्रष्ट भाषा-वाक्य के स्थान पर यही ज्यादा सूझ रहा है कि 'जाग नगरिया यम है आया'—और नगर के हाथ से बोर्ड का छिनना हम उतनी ही भयंकर घटना समझते हैं ।

नगरनिवासी चेतो, वरना पछताओगे । सब मिलकर एक साथ सरकार से प्रार्थना करो । एक सघठन ही बनाकर मुग्रत्तली के शाप से नगर की, अपनी रक्षा करो ।

२० फरवरी १९३३

वाटर वर्क्स की लापरवाही

काशी के वाटर-वर्क्स विभाग की शिकायत लिखे हमे सात दिन हो गये ; पर जो मोटी तनख्वाह और सरकारी-सम्मान पाकर मौज से बडे-बडे बंगलो में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि सडक पर पानी छिडकने की लापरवाही के कारण कितने अभागो के फेरुडे को न्य चाटे जा रहा है । एक बार जरा बेनिया-गौदौलिया की सडक पर जाइये—मुँह में धूल बैठ जायगी, आँखे तक लालि हो जावेगी । एक बार काशीपुरा की सडक पर आइये, मारे गर्द के सर दुःखने लगोगा । एक बार बेनिया के बीच से होकर

निकल जाइये , न जाने यह सडक किसके सुपुर्द है । शुद्ध वायु की जगह धूल फाँक आइये और फिर भी कुछ पण्डित काशी के वाटर-वर्क्स की शिकायत की आँच के परे समझते है ।

२० फरवरी १९३३

काशी-म्युनिसिपल बोर्ड

इधर स्थानीय सहयोगी 'आज' मे श्री परिपूर्णानन्द वर्मा लिखित एक बडी उपयोगी लेख-माला प्रकाशित हो रही है । लेखक ने बडे अध्ययन के बाद काशी म्युनिसिपल बोर्ड के गत सोलह वर्षों के कार्यों की, जब से यहाँ की बोर्ड गैर-सरकारी हाथो मे आयी है, विशद समीक्षा की है । समीक्षा बडी रोचक है और उससे यह साफ प्रकट होता है कि स्थानीय बोर्ड की दुरवस्था की जिम्मेदारी बोर्ड के कतिपय अयोग्य मेम्बरो पर नहीं, पर सरकार पर है और सरकारी रख को देखकर ही बहुत से जिम्मेदार लोग बोर्ड के शासन मे भाग नही लेना चाहते । सरकार के कई अपराध तो बहुत ही गुल्तर है, जैसे बोर्ड को छत्तीस लाख रुपया कर्ज देकर उसके लिए सत्तावन लाख वसूल कर लेना ; और बीस वर्ष तक और भी वसूल करते रहने का निश्चय न बदलना । हम शुरू से कहते आ रहे है और अब भी कह रहे है कि इस विषय मे जनता अज्ञानवश मेम्बरो को दोषी ठहरा रही है । उसे हरेक बात की तह तक पहुँचकर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि असली दोष किसका है, किसको क्या दण्ड मिलना चाहिए !

इसी सिलसिले में हमे यह जान कर बडी प्रसन्नता हुई कि बोर्ड ने अपना आय-व्यय सब बराबर कर लिया, बिना किसी जरूरी काम को हानि पहुँचाये ही पचहत्तर हजार रुपये की बचत भी हो गयी, कई जरूरी सुधार कर दिये गये । हमे यह भी जानकर बडा हर्ष हुआ कि बोर्ड ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन सदस्यो की एक कमेटी बना दी है, और एक कमेटी बनायी गयी है इस बात की जाँच के लिए कि जाँच कमेटी की जाँच कहाँ तक सत्य है और उसके अनुसार क्या कार्य होना चाहिए ।

यह दोनो ही कमेटियाँ बडी उपयोगी है । हमे आशा है कि श्रीमान् राजा मोतीचन्द साहब शीघ्र ही गवर्नर महोदय से मिल कर बोर्ड को उत्तर देने के लिए अधिक मुहलत माँगने मे सफल होंगे और, इसके साथ ही, हम कौंसिल के मेम्बरो से भी अनुरोध करते है कि वे इस विषय मे सरकार को चैन न लेने दें । सरकार से प्रश्नो द्वारा पूरी पूछताछ कर तुरन्त उसकी भंशा जान लेनी चाहिए ।

२७ फरवरी १९३३

॥ काशी म्युनिसिपल बोर्ड ॥

काशी म्युनिसिपल बोर्ड

प्रान्तीय सरकार ने नगरी-म्युनिसिपल बोर्ड की जाँच-कमेटी के आरोपो का उत्तर देने के लिए चौदह दिन का समय और देकर सराहनीय कार्य किया है। अब बाइस मार्च तक बोर्ड का उत्तर चला ही जावेगा। आशा है, बोर्ड अपने उत्तर में सरकार को जनता के मत का माहस और सच्चाई के साथ ज्ञान करा देगी। जनता यह कभी नहीं स्वीकार कर सकती कि बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथो से छिनकर सरकारी हाथो में जावे। बोर्ड के कुप्रबन्ध में सरकार को कितनी जिम्मेदारी है, यह भी जनता को भली प्रकार से ज्ञात है। अभी हाल ही में 'लीडर' में एक रोचक लेख प्रकाशित हुआ था जिससे यह साफ ज्ञान होता है कि बोर्ड को खराबी के लिए यदि किसी को दण्ड देना चाहिए तो पहले सरकार स्वयं अपने उन प्रबन्धका को दण्ड दे जिन्होंने बोर्ड के रोये रोये में कर्जा भर दिया।

पर साथ ही, हमने यह कई बार लिखा है और उसे फिर दुहराना चाहते हैं कि बोर्ड में इस समय प्रथम श्रेणी के मेम्बर नहीं है। इसलिए यदि सरकार बोर्ड का सुधार चाहती है तो तुरन्त बोर्ड को 'डिजोन्व' कर नया चुनाव भी करा दे। जिन कर्मचारियों के प्रति कोई शिकायत हो, उसकी जाँच सम्मानित नागरिकों की एक स्वतंत्र कमेटी करे। बोर्ड के मेम्बरो से इस प्रकार की कोई जाँच कराना अनुचित है। सभी अपनी जिम्मेदारी दूसरो पर टालना चाहेंगे। मेम्बर अफसर को अयोग्य कहेगा और अफसर मेम्बर को। इस प्रकार की जाँच से जनता को न तो आश्वासन होगा और न विश्वास। केवल कुछ की विचार-दुर्बलता के साथ मानसिक-जडता भी प्रकट होगी।

हमने जिस विभाग, जिस पदाधिकारी या जिस कार्यकर्ता को सुयोग्य समझा है और लिखा है, उसके लिए हमारे पास इतने अधिक प्रमाण है कि हम अपने विश्वास पर दृढ हैं। यदि कोई हमारे मत का विरोध करता है तो उसे सप्रमाण और खुलकर कोई बात करने का साहस होना चाहिए। अन्यथा, पन्धपाती प्रलापो को अनसुनी करना ही उचित है। इस प्रकार से प्रलापी ही अनमानित होता है।

२० मार्च १९३३

काशी का म्युनिसिपल-बोर्ड

आज के दो मास पूर्व जब हमने यह लिखना शुरू किया था और सरकार से यह निवेदन करना प्रारम्भ किया था, कि वह बनारस म्युनिसिपल-बोर्ड में उदारता तथा

न्याय-निष्ठा का व्यवहार करे और बोर्ड की कठिनाइयों का विचार हुए, उसे मुअत्तल करने की कल्पना भी न कर, उसकी कठिनाइयों को दूर कर, नगर तथा नगर-निवासियों के स्वत्व और अधिकार के प्रति उचित आदर प्रदर्शित करे, उसी समय हम अपनी सफलता पर, अपनी आवाज के उन कानों तक पहुँच जाने पर, जहाँ पहुँचने के लिए नौकरशाही की गगन-चुम्बी दीवार को लाँघने की आवश्यकता होती है—सन्देह था। हम यह जानते थे, कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ दौरे उसके अयोग्य मेम्बरो का भी है। हम यह जानते थे बोर्ड के आन्तरिक शासन में कुछ दलबन्दी भी हो गयी है। हम यह भी जानते थे कि, काशी की सड़को की, रोशनी की, गलियों की, जल-कल की और चुगी की दशा सन्तोषजनक नहीं है, पर उसके साथ ही हमें यह भी मालूम था कि बोर्ड यदि चाहती भी तो नगर का सुधार अपने प्रबन्ध का सुधार नहीं कर सकती थी। वह यदि चाहती भी तो अपने नगर की सड़को को ठीक दशा में नहीं ला सकती थी। यदि वह चाहती तो जल-कल को ठीक नहीं कर सकती थी, क्योंकि बीस वर्ष से युक्त प्रान्तीय सरकार ने इस अभाग्य बोर्ड की, नगर की, काशी की कुछ भी स्मरणीय सहायता नहीं की है। सहायता देना अस्वीकार कर उसने इस नगर की बोर्ड को दरिद्र, इस नगर की सजावट को गन्दी, इस नगर की तरक्की को अपमानजनक बना रखा है। उसने जहाँ तक हो सका लखनऊ को, इलाहाबाद को और कानपुर को सजा दिया। आज लखनऊ कलकत्ते के बाद उत्तर भारत का सबसे सुन्दर नगर है। आज काशी उत्तर भारत के सब बड़े नगरों में सबसे गन्दा है। हमें यह भी मालूम था कि प्रान्तीय सरकार ने बीच-बीच में नगर के कमिश्नर-द्वारा बोर्ड को तम्बीह की, पर उसको अपना प्रबन्ध ठीक करने के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं बतलाया। हमें यह भी मालूम था कि जब कभी सरकार से यह आग्रह किया गया, कि वह इस नगर पर भी कुछ कृपा करे, उसने खाली धैली दिखला दी।

इसके साथ ही, बोर्ड के कुप्रबन्ध की कहानी भी उतनी ठीक नहीं है, जितनी समझी जाती है। उतनी ही है जितनी प्रायः सभी सरकारी दफ्तरों में भी पायी जा सकती है, इसीलिए हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि वह बोर्ड के प्रश्न पर उदारता की शरणा ले।

यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सत्य हैं, तो सरकार ने काशी की म्युनिसिपैलटी को जन्त कर लिया। एक भारतीय के गवर्नर होते ही, नागरिकता पर यदि इतना भीषण कुठाराघात हुआ है तो बड़े खेद का विषय है। काशी का जो अनादर होना था, वह तो हो गया। आज वह, उसके नगरवासी समूचे भारत में अयोग्य सिद्ध हो गये, अपमानित हो गये। यहाँ के काँग्रेसी नेता इस मामले में तटस्थ हो गये, अपनी प्रतिष्ठा समझकर, काँग्रेसी निर्देश समझकर चुप बैठे रहे। अन्य सम्मानित नागरिक तटस्थ बनकर नाटक देखते रहे। बोर्ड की चेयरमैन या मेम्बरो के पराजित,

उम्मीदवार या अन्य कारणों से अनफल-निराश कुछ व्यक्ति एक ओर अपनी खिचड़ी पका रहे थे, एक ओर कुछ पथ-भ्रष्ट नये रंगरूट नागरिक अपनी ढपली पर राग अलाप रहे थे, एक ओर कुछ ऐसे मेम्बरो का एक दल जिसने इन दो वर्गों में अपने वार्ड का भी कुछ काम नहीं के बराबर किया था—अपना पाप बेचारे अफसरो के सर पर लादने की चेष्टा कर रहा था—और हमारे नगर के एक सहयोगी पत्र ने, अपनी अस्त-व्यस्त नीति से पाठको को अन्धकार में रख छोड़ा था। उधर बोर्ड मुअत्तल हो गयी, नगर की शान लुट गयी।

अब क्या होगा ! असफल और निराश लोगो की बात जाने दीजिए। जिन बेचारे नवयुवको ने नगर को मान-मर्यादा की रक्षा के लिए इधर अपना तन मन धन लगा दिया था, उनको, उनके बतलाये पथ को, न अपनाने का फल अभी कुछ समय बाद मिल सकता है। पर यदि सरकार ने हमारे हित के लिए बोर्ड को मुअत्तल किया है तो हम उससे अब यही प्रार्थना करेगे कि कम से कम खर्च पर अब इस शासन को सम्हाले। बोर्ड को सरकारी संस्थाओं के समान जनता के लिए आतंक की सामग्री न बनाये। पुराने कर्मचारियों—अफसरो को अपनी योग्यता प्रमाणित करने या अयोग्यता सिद्ध करने का अवसर दे। हम नगर निवासियों से भी यही प्रार्थना करेगे कि वह सरकार को इस कार्य में, अपने भरसक पूरी सहायता दें। जो होना था, वह हो गया। जिनके पाप, जिनके अपराध और जिनकी करतूतो से यह सब हुआ, उन्हें क्षमा कर दें, और अब अपने नगर की सुव्यवस्था में सरकारी योजना की परीक्षा करें।

१७ अप्रैल १९३३

श्री रामेश्वर सहाय सिनहा

हमने युक्तप्रान्त के सभी म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों के शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट देखी है। व्यय, छात्र-संख्या, कार्य तथा योग्यता के नक्शे देखे हैं और यह सब जानने के बाद हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है, कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड का शिक्षा-विभाग हमारे प्रान्त के सब शिक्षा-विभागों से अच्छा है, सुसंचालित है, सुव्यवस्थित है और इसकी पढाई-लिखाई—औद्योगिक शिक्षा में वह जडता नहीं है, जो सरकारी, नौकरशाही-संचालित स्कूलों में पायी जाती है। यही नहीं, शिक्षा के साथ, बालक के कोमल मस्तिष्क का देश की दुर्दशा, राजनीतिक हीनता का ज्ञान कराने का, उन्हे भारत के भावी सुधारक बनाने का तथा अध्यापकों को सच्चे मास्टर बनाने का जितना प्रयत्न इस नगर की म्युनिसिपैलटी ने किया है, उतना किसी ने नहीं।

और, हमें खेद है, खेद ही नहीं—लिखते लज्जा आती है, कि उस नगर के

नागरिकों का सम्मान तो बोर्ड के सरकारी होते ही लुट चुका था, अब उसके बच्चों की पढाई पर भी सरकारी बोर्ड ने कुठाराघात किया है और श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा जिनकी योग्यता के कारण शिक्षा-विभाग इतना सजोब हुआ था—३१ मई से बोर्ड की सेवाओं से पृथक् कर दिये जायेंगे, क्योंकि सरकारी जाँच-समिति के सरकारी मेम्बर उन्हें काँग्रेसी समझते हैं, राजनीति में भाग लेनेवाला समझते हैं। यही उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है—जिस अयोग्यता के लिए श्री रामेश्वरसहाय को गर्व होना चाहिए।

१४ मई १९३३

नया कर्जा

काशी की 'म्युनिसिपैलिटी' अब 'म्युनिसिपैलिटी' नहीं रही। अब वह सरकार की, कमिश्नर की, तथा मि० लिंच की एक सस्था है, जिसको किसी दूसरे नाम से पुकारना चाहिए। हमारी समझ में तो जब तक सरकारी शासन है इसे 'सरकारी सफाई खाना' कहना उचित होगा। नाम जो भी कुछ हो, लेकिन इस सस्था ने जिस ढंग से काम शुरू किया है, म्युनिसिपैलिटी में जिम ढंग की पहरा-चौकी हो गयी है, उसे देखकर यह आशंका होती है कि आजकल वह स्थान, जहाँ काँग्रेस का झण्डा फहराया करता था, अब कलेक्टर की कचहरी का एक टुकड़ा बन गया है।

जो हो, हमें आशा है कि हमारी धारणा गलत होगी और 'सुमार' का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि साठ वर्ष के ऊपर बूढ़ों को मोटा वेतन दिया जाय, पुलिस या ऐसे ही महकमों के रिटायर्ड लोगों के हाथ में जनता की हानि करने या लाभ करने का अधिकार रहे। यह तो अनुमान किया जा सकता है कि जो अफसर हटाये गये हैं, उनके स्थान पर 'दूध के धोये' 'सरकारी आदमी' बुलाये जायेंगे। अफवाह यहाँ तक है कि म्युनिसिपैलिटी खदर का बहिष्कार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि, सुना जाता है कि लिंच-हुकूमत सरकार से बहुत बड़ी रकम कर्ज के रूप में लेनेवाली है। हम लिंच-हुकूमत की ओर से इस बात की चेतावनी दे देना चाहते हैं कि एक बार का बत्तीस लाख का कर्जा अभी तक नहीं पटा है और पचास लाख चुका देने के बाद भी अभागी बोर्ड कर्जदार बनी है। वह कर्जा भी सरकारी बोर्ड की देन थी और यह कर्जा भी वही होगा यानी—आगामी सौ वर्ष तक हमारे नगर की बोर्ड नाक तक कर्ज में डूबी रहेगी और जो भी कोई गैर-सरकारी बोर्ड आवेगी, वह 'अयोग्य' सिद्ध हो जायगी ! इस विषय में हम 'सरकारी सफाई खाने'—तथा काशी की जनता—दोनों को सावधान कर देना चाहते हैं।

२२ मई १९३३

शाबाश काशी-म्युनिसिपैलिटी !

अब कौन यह कहने का दावा कर सकता है कि काशी की म्युनिसिपैलिटी आदर्श संस्था नहीं है ? स्व० सेनगुप्त के शोक में जलसा करने के लिए टाउनहाल न दिया गया। हॉल ऐसे व्यर्थ के जलसों और तमाशों के लिए नहीं है। सरकार की म्युनिसिपैलिटी सरकार के बागी की शोक सभा के लिए अपना टाउनहाल भला कैसे दे सकती है ! कलकत्ता में उस महान् आत्मा के श्राद्ध पर कलकत्ता के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी आये थे, पर यह काशी है कलकत्ता नहीं !

१३ अगस्त १९३३

बनारस की म्युनिसिपैलिटी

बनारस की म्युनिसिपैलिटी अब सरकार का एक विभाग है और सरकार का धर्म है हुकूमत करना। प्रजा को उसकी हुकूमत अखरती है, तो अखरे, उसके लिए सरकार अपनी हुकूमत थोड़े ही छोड़ देगी। बेरोजगारी का राज्य है, घरों के किराये घट गये हैं और घट रहे हैं, और सरकारी म्युनिसिपैलिटी घरों पर कर वृद्धि का प्रबन्ध कर रही है। मकानों के मालिक रोने-धोने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मगर उनके रोने की परवा कौन करता है। सरकार जानती है घरवाले घर छोड़कर कहीं भाग तो जायेंगे नहीं, भ्रूखमारकर बेशी कर अदा करेंगे, तो क्यों ऐसा मौका जाने दें।

१८ सितम्बर १९३३

काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी

काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी के विषय में श्री परिपूर्णानन्द जी का एक लेख हमारे पिछले अंक में प्रकाशित हुआ है। उस सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी फैल रही है, जिसके विषय में परिपूर्णानन्द जी लिखते हैं—“मैंने सरकारी बोर्ड की आलोचना की है और बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरी सूचना में कोई भी बात अमूर्ण या गलत होगी तो अपनी भूल स्वीकार करने में मुझे सबसे अधिक हर्ष होगा। मुझे बतलाया गया है कि जो क्लर्क हटाये जा रहे हैं वे “पचपन साला” ग्रेड के हैं। जिस क्लर्क के साथ अन्याय की बात कही गयी है, वह आफिस की कुछ भूल से हो गया।

यदि ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, नये उम्मीदवारों को पुराने उम्मीदवारों की फेहरिस्त की अवज्ञा कर क्यों नियुक्त किया जा रहा है ? दूसरी बात यह है कि मुझे नये शिक्षाध्यक्ष के ईसाई होने की शिकायत नहीं है। बीच का एक वाक्य छूट जाने से यह भ्रम हो सकता है। मुझे शिकायत है एक योग्य शिक्षाध्यक्ष के रहते उनकी नियुक्ति से उनकी-खट्टर-चर्खा विरोधी नीति इत्यादि से। नगर के जिस सम्मानित व्यक्ति के ऊपर प्रश्नों की बात है, वह मेरे लिए अब भी उसी प्रकार आदरणीय है, उन पर प्रश्न होने की अफवाह थी, शायद हुआ नहीं।" आशा है पाठकों की शका का निवारण हो जायेगा।

१३ नवम्बर १९३३

सरकारी प्रबन्ध की बात

मौलवी शेख मुहम्मद शफी के प्रश्न के उत्तर में, बिहार कौंसिल में, सरकार की ओर से मि० जी० ई० ओवन ने यह बतलाया था कि १६ जुलाई १९३२ से, सरकारी प्रस्ताव के अनुसार मुंगेर की म्युनिसिपैलिटी मुअत्तल कर दी गयी थी। सरकारी प्रबन्ध में आते ही, उसमें पच्चीस नये अफसर रखे गये। हैड क्लर्क और अकाउण्टेन्ट का ओहदा अलग कर दिया गया। और कोई अनुभवी अकाउण्टेन्ट नहीं रखा गया। एक बी० एस० सी० पास उस स्थान पर काम कर रहा है। टैक्स वसूली के विषय में सात सौ नौ दरखास्तें दी गयीं, जिनमें से एक दिन की बेर के कारण पाँच सौ बीस रद्द कर दी गयीं। अधिक पानी लेने का जल-कर चार आना फी हजार गैलन से बढ़ाकर दस आना फी हजार गैलन कर दिया गया है। एक "कानूनगो" जिनको सरकार के ही शब्दों में म्युनिसिपैलिटी के काम का कोई अनुभव नहीं है, एक्जीक्यूटिव अफसर बना दिया गया है।

यह मुअत्तल होने के बाद मुंगेर की म्युनिसिपल बोर्ड की दशा है। पाठक अपना अनुमान स्वयं निकाल लें।

१७ अप्रैल १९३३

स्थानीय संस्थाओं में वैमनस्य

भारतवासियों की चरित्र-हीनता का जैसा परिचय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियों में मिलता है, उस पर कौन है, जो लज्जा से सिर न झुका लेगा। ऐसी शायद

॥ स्थानीय संस्थाओं में वैमनस्य ।

१३१

ही कोई स्थानीय सस्था हो, जहाँ दलबन्दियाँ, वैमनस्य, धींगा-धीगी न होती हो। लोग इन संस्थाओं में जाते हैं जनता की सेवा करने पर आपस में लडकर उसके धन का सन्तानाश करते हैं। वही कुटिल स्वार्थ की माया। कोई किसी के पद के लिए षडयंत्र रच रहा है, कोई किसी ओहदे के लिए। निस्वार्थ भाव से बिरला ही कोई जाता है। कोई अपने भतीजे को ठीकेदार बनाने पर तुला हुआ है, कोई अपने दामाद को किसी पद पर बठाने के लिए। शिक्षा मंत्री का पद यहाँ कोई विशेष प्रलोभन रखता है। ज्यादातर भगड़े इसी पद के लिए होते हैं। एक दूसरे को उखाड़ने की फिक्र में डूबा रहता है। ऐसे लोगो के हाथ में कोई वास्तविक अधिकार आ जाय तो दैव जाने क्या अनर्थ ढायें। जब कौडियो पर यह हाल है, तो मुहरो पर तो शायद खून की नदियाँ बहे। गुलामी का सब से बुरा फल यही चरित्र-पतन है !

१६ जून १९३३

पुलिस को एक सबक

कलकत्ता पुलिस ने प्रेसिडेसी मैजिस्ट्रेट से कलकत्ता कारपोरेशन के नाम एक नोटिस जारी करने की दरखास्त की थी कि कारपोरेशन अपनी इमारतो पर से राष्ट्रीय झंडा उतार ले। मैजिस्ट्रेट ने यह नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया, क्योंकि कारपोरेशन को ऐसा झंडा लगाने का अधिकार है और केवल पुलिस के यह कहने से कि इस झंडे से शांतिभंग हो जायगा, वह कारपोरेशन को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। पुलिस ने शांति-भंग का अच्छा ढोंग निकाल रक्खा है। शांति अगर किसी व्यक्ति के अधिकार-भोग से भंग होती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि शांति की रक्षा करे, न कि वह अधिकार ही छीन ले।

२६ जून १९३३

पंजाब की म्युनिसिपैलिटियाँ

पंजाब की म्युनिसिपैलिटियो की १९३१-३२ की वार्षिक आलोचना करते हुए पंजाब सरकार ने इन संस्थाओं के व्यक्तिगत भगडो और उनके अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की कड़ी निन्दा की है। मगर पंजाब में ही नहीं, प्रायः सारे भारतवर्ष में यही दशा है। ऐसी शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी या जिला-बोर्ड हो जहाँ मेम्बरों का अधिकांश समय

तू-तू मै-मै और एक दूसरे को उखाड़ने की फिर्क में न लगता हो। बात यह है, कि हमने अभी तक पब्लिक सेवा का महत्व नहीं समझा। लोग अपने-अपने स्वार्थ लेकर जाते हैं और इसीलिए ऐसे झमेले पैदा होते रहते हैं। हमारे खयाल में ऐसे ही सज्जनों को ऐसी सस्थाओं में जाना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सकें। यहाँ तो लोग मेम्बर होते ही निर्वाचन में जो कुछ खर्च पडा था, उसे किसी न किसी तरह वसूल करने के उपाय सोचने लगते हैं। हमारी सस्थाओं पर यह बडा बंदनूमा दाग है और हमें इसे मिटाना पडेगा। हम यह मानते हैं कि अन्य देशों में भी इस तरह के दृश्य देखने में आते हैं, और कभी-कभी पार्लियेमेंटों में गाली-गलौज, लात-धुँसों की नौबत आती है, पर जितनी बेइमानी यहाँ होती है वह तो शायद ही कही हो। एक बात और भी है। सरकार की भी इस मुआमले में कुछ न कुछ जिम्मेदारी अवश्य है। सरकारी नौकर जिस ढिठाई से रिश्वते लेते हैं, उस पर सरकार कभी आलोचना नहीं करती। इसका असर पब्लिक-जीवन पर पडना स्वाभाविक है। अगर सरकार कठोरता के साथ इस तरह की बेईमानी का दमन करे तो हमारे विचार में हवा का रुख बदल जायगा। अभी तो मेम्बर सोचता है जब सभी रिश्वते लेते हैं तो फिर हम क्यों चूके। इस कुत्सित स्वार्थ की जड खोदने में सरकार भी बहुत कुछ सहायता कर सकती है।

२ अक्टूबर १९३३

नागपुर म्युनिसिपैलिटी का सराहनीय काम

नागपुर म्युनिसिपैलिटी ने बेकारी की समस्या को हल करने का जो प्रयत्न किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाय कम है। उसने वहाँ की प्रान्तीय सरकार से छह लाख रुपये कर्ज माँगे हैं जिससे इमदादी काम खोलकर बेकारों की मदद की जाय। उसने यह भी कहा है कि अगर सरकार यह रकम उधार न दे सके, तो उसे अनुमति दे कि वह खुद कर्ज से यह रकम जमा करे। बेकारी दिन-दिन बढ रही है और इसका स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड रहा है और शका हो रही है कि यही हाल रहा, तो लूट-पाट न शुरू हो जाय; लेकिन इस वक्त तक इस दशा को सुधारने का जो प्रयत्न हुआ है, वह उलटा हुआ है कितने ही दफतरो और कारखानों में आदमियों को जवाब दे दिया है और इससे बेकारों की संख्या और बढ गयी है। खर्च में कमी करने के लिए बडे-बडे अफसरों की तख्तीफ न करके छोटे-छोटे कर्मचारियों ही की गरदन पर छुरी चलायी गयी है। गरीबों की जीविका का अपहरण कर के किसी तरह बजट को बराबर कर लिया गया है। जिन विभागों को सरकार अपनी रक्षा के लिए जरूरी समझती है, उनमें तो बराबर

नाम तख्तीफ हुई है । आफत उन विभागों पर आयी है जिनके अव्यवस्थिति हो जाने से सरकार पर कोई असर नहीं पडता । हाँ, जनता को कष्ट होता है और लोगो की रोजी जाती है । हमे आशा है और म्मुनिनिगैलिटीयाँ भी नागपुर का अनुकरण करेंगी ।

७ मई १९३४



जागरण-कथा

जागरण का नया रूप

जागरण ने साहित्यिक पत्र के रूप में जन्म लिया था। और अपनी बाल्यावस्था के बारह अंक पूरे करके अब वह एक विस्तृत क्षेत्र में आता है। उसका जन्म अच्छे कुल में हुआ, उसका लालन-पालन भी सुयोग्य हाथों में हुआ। परखनेवाले परख गये कि यह बालक होनहार है, पर साहित्य के परिमित क्षेत्र में उसका विकास, जैसा होना चाहिए, वैसा न हो सकता था। हाथ-पाँव मारनेवाला बालक पालने में कैसे रहता, इसलिए उसके जन्मदाताओं को ऐसे अविभावक की जरूरत पड़ी, जो ज़रा निष्ठुर हाथों से उसकी गोशमाली कर दिया करे, जो ममता भरे माखन और मिश्री की जगह सूखे चने और रूखी रोटियाँ खिलाये, क्योंकि ससार पहले चाहे लाड-प्यार में पले बालकों को। बढने का अवसर देता हो, अब तो समय उनके अनुकूल नहीं रहा। आज ससार में वही बालक बाजी ले जाते हैं, जिसने बालपन में कड़ियाँ भेली हो, धक्के खाये हो, भूखे सोये हो, जाडों में ठिठुरे हो। गमले का पौदा धूप और वर्षा का सामना क्या करेगा। वह चट्टान पर उगा हुआ पौदा ही है, जो जेठ की जलती लू, माघ के तीखे तुषार और भादों की मूसलाधार वर्षा में डटा खडा रहता है, और फलता फूलता है। हमारे ऊपर इतखाब की निगाह पड़ी। हम कह नहीं सकते, हम क्यों इस काम के लिए चुने गये। हम इस काम में कुछ बहुत अभ्यस्त नहीं हैं। अभी तक केवल एक चिडिया पाली है, पर उसे भी कई बार सकट में डाल चुके हैं। शिकारियों के दो निशाने उस पर लग चुके हैं। पहले निशाने से तो वह किसी तरह बचा। यह दूसरा निशाना उसे ले मरता है या छोड़ता है, कह नहीं सकते। हम शिकारियों की चिरौरी-बिन्ती कर रहे हैं कि “भैया, इस बेचारे को अबकी और जाने दो, तुम्हारे पैरो पडते हैं। अब जो कभी तुम्हारे बाग में आवे, या तुम्हारा कुछ नुकसान करे तो, जो चाहे करना।” देखें शिकारी को दया आती है या नहीं। शिकारी ऐसे बडे दयालु तो नहीं होते, लेकिन ममता अकडनेवालों का सिर न भुंकाये तो ममता ही क्या।

‘ खैर हम अभिभावकी कला मे कुशल नहीं है, फिर भी जागरण का भार हमारे ऊपर रखा गया । हम अपनी त्रुटियों को खूब समझते हैं । चुलबुले बालको का सँभालना कितना कठिन है, इसे वही लोग जानते हैं, जिन्हें इसका तजुर्बा हो । लेकिन भाई, ईमान की बात यह है कि मिलता हुआ बालक किसको छोड़ा जाता है । हमने सोचा, चलो इसी के साथ अपनी तकदीर आजमाओ, कौन जाने तुम्हारे ही हाथों इसको ढंग पर लाने का जस बदा हो । दुनिया हमें इसका बाप न कहे—बाप कहलाने का गर्व किसे नहीं होता—लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार करेगी ही हमने इसे समाज का एक उपयोगी व्यक्ति बना दिया । यह हमें कोई न बताये कि इसके हाथों हमें पिंडापानी न पहुँचेगा । हम इतने धर्म ज्ञान शून्य नहीं हैं पर हमारा पिंडे पानी में विश्वास नहीं है । हम तो यही डर रहे हैं कि हमारे सिर कलंक न लग जाय कि लेकर लडके को चौपट कर दिया । जस इस जमाने में किसे मिलता है ? अपजस न मिले, यही बहुत है । हम तो सदैव महान आदर्श अपने सामने रखेंगे । बालक को निर्भीक, सत्यवादी, परिश्रमी, स्वस्थ, आचारवान्, विचारशील बनाने का प्रयत्न करेंगे । हमारी यही चेष्टा होगी कि वह किसी की खुशामद न करे, लेकिन विनय को हाथ से न जाने दे । वह कभी-कभी कडवी बातें भी कहेगा, पर सेवा भाव से । उसमें आस्था और श्रद्धा अवश्य होगी, पर अधविश्वास नहीं । उसका ध्येय होगा सत्य की खोज । वह वितडावादी नहीं, सत्य का पुजारी होगा, चाहे उसे सत्य को स्वीकार करने में कितना ही अपमान हो । वह अप्रिय सत्य कहने से कभी न चुकेगा । वह केवल दूसरों के दोष न देखेगा, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करेगा । बिना अपने दोषों को दोष समझे उनके सुधार की इच्छा नहीं होती । वह निर्भीक होगा, पर दुस्साहसी नहीं । वह सत्यवादी होगा, सत्य से जो भर न टलेगा, पर पक्षपात से अपना दामन बचायेगा । वह बूढ़ों में बूढ़ा, जवानों में जवान और बालकों में बालक होगा । वह जिस दृढ़ता से न्याय का पक्ष लेगा, उतनी ही दृढ़ता से अन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजा की ओर से हो, समाज की ओर से हो अथवा धर्म की ओर से । वह सबलों का हितैषी होगा, पर निर्बलो पर उनके जुल्म को सहन न कर सकेगा । समाज का दुखी और दुर्बल अंश उसे सदा अपनी वकालत करते हुए पायेगा । वह कोरा न्याय-वादी, गंभीर और शुष्क न रहेगा । वह मनुष्य केवल आधा ही जिन्दा है, जो कभी दिल खोलकर नहीं हँसता, विनोद से आनंदित नहीं होता । वह हँसने की बातें कहेगा, खुद हँसेगा और दूसरों को हँसायेगा । उसके मस्तिष्क में लतीफों और चुटकुलों का अक्षय भंडार होगा ।

यह है हमारा आदर्श, लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है । मनुष्य केवल उद्योग कर सकता है । अगर वह उद्योग ही करता रहे, तब भी समझना चाहिए, उसने बहुत कुछ कर लिया । हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे या नहीं, यह भविष्य की बात है । विज्ञ पाठकों और अपने सहृदय साहित्य सेवियों से हमारी यह

विनीत प्रार्थना है कि इस दुस्तर कार्य में वह कृपा कर हमारी सहायता करेगे, क्योंकि उनकी सहायता और सलाह वह शक्ति है, जिस पर भरोसा करके हमने इस भार को सिर पर लिया है।

कुछ सज्जन कहेंगे, हिन्दी में कई अच्छे साप्ताहिक पत्र हैं और वह हिन्दी की यथार्थ सेवा कर रहे हैं, फिर एक नये साप्ताहिक की क्या जरूरत थी। ऐसे सज्जनों से हमारा निवेदन यही है कि काशी की तीर्थभूमि से, जो हिन्दू-संस्कृति का केन्द्र है, इस समय एक भी साप्ताहिक-पत्र ऐसा नहीं निकलता, जिसकी अन्य भाषाओं के पत्रों से तुलना की जा सके। काशी को नागरीप्रचारिणी सभा पर गर्व है, हिन्दू-विश्वविद्यालय पर गर्व है, संस्कृत पाठशालाओं पर गर्व है। अपने विद्यापीठ पर गर्व है। उसे इसका भी गर्व है कि हिन्दी-साहित्य के उपासक जितने काशी में हैं, उतने और किसी एक स्थान में न होंगे। फिर भी काशी में कोई ऐसा साप्ताहिक पत्र नहीं है। क्या यह काशी के लिए गर्व की बात है, काशी जैसे नगर में हिन्दी का एक भी साप्ताहिक-पत्र न हो। यह भी तो है कि प्राणी-मात्र में आत्म-व्यजना की एक लालसा होती है? वह इसके लिए क्षेत्र की तलाश करता रहता है। जिसके पास धन के साथ सेवा भाव है, वह कोई विद्यालय खोलता है या कोई अनाथालय। जिसमें बोलने की शक्ति है, वह अपनी वाणी से, समाज की सेवा करता है। कोई अपने पुरुषार्थ से, कोई अपने आविष्कार से। साहित्य सेवियों के पास उनके कलम के सिवा सेवा का और क्या साधन है। वही कलम हाथ में और राष्ट्रहित का भाव हृदय में, सहयोगियों और विद्वज्जनों की सहायता की आशा मन में लेकर, हम इस क्षेत्र में आये हैं। यह बेड़ा पार होगा या नहीं, ईश्वर जाने। हमारे पास न संगठन है, न अनुभव। और धन का तो हमसे पुश्तैनी बैर है। किसी ने हिन्दी-पत्रकारों का परिहास करते हुए लिखा था, “वह केवल एक कलम और एक रीम कागज लेकर समाचार-पत्र निकाल बैठता है।” यह व्यग हमारे ऊपर अचरश. लागू है, पर हम सहृदय पाठकों के भरोसे और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य पालन के दृढ़ संकल्प के साथ इस क्षेत्र में आ रहे हैं।

२२ अगस्त १९३२

“जागरण” और प्रेस से एक-एक हजार की जमानत

जागरण के २६ अक्टूबर के अंक में एक कहानी “उसका अंत” नामक प्रकाशित की गयी थी। सरकार को उस कहानी में कुछ शब्द आपत्तिजनक मालूम हुए हैं। इसलिए उसने एक हजार की जमानत “जागरण” से और एक हजार की प्रेस से माँगी है। “हंस” की जमानत की समस्या से अभी साँस लेने की फुरसत न हुई थी कि यह

दूसरा प्रहार हुआ । अब देखना चाहिए क्या होता है । आशा है पाठको की सेवा करने से हम वचित न होंगे ।

५ दिसम्बर १९३२

“जागरण” से ज़मानत

“जागरण” के २६ अक्टूबर ३२ के अंक में श्री श्यामधारी प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी “उसका अन्त” नामक निकली थी । कहानी में दो चरित्र हैं, एक शान्तिवादी राष्ट्र-भक्त, दूसरा उग्रदल का आतंक वादी । दोनों ही अपने-अपने पक्षों के प्रतिनिधि-से हैं । दोनों ही अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते हैं । हमारे विचार में शान्तिवादी पक्ष ही की विजय हुई है, और यही लेखक का उद्देश्य था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उस कहानी को आपत्तिजनक समझा और हमसे दो हजार की जमानत तलब की, एक हजार की “सरस्वती-प्रेस” से जिसमें जागरण छपता है, दूसरी एक हजार की “जागरण” से । हम कांग्रेसमैन हैं । हमारा सिद्धांत है कि हमारे राष्ट्र का उद्धार शान्तिमय उपायों से ही होगा । रक्तमय विधानों के हम विरोधी हैं । कहानी के नायक की ही भाँति हमारी भी यही धारणा है, कि स्वाधीनता जैसा पवित्र उद्देश्य रक्तमय विधानों से पूरा नहीं हो सकता । द्वेष को हम द्वेष से नहीं, सहिष्णुता, प्रेम और सेवा से ही जीत सकते हैं । क्रोध को क्षमा से, द्वेष को प्रेम से, सदेह को विश्वास से ही परास्त किया जा सकता है । मनुष्य के आतंरिक देवत्व पर हमारा पूर्ण विश्वास है । जिस तरह क्षमा और प्रेम सत्य है, उसी तरह क्रोध और हिंसा असत्य है । और सत्य ने समार में असत्य पर सदैव विजय पायी है । इस चिरंतन नियम में कभी अपवाद नहीं हुआ । संभव है, कुछ दिनों के लिए असत्य ने सत्य को दबा लिया हो, उसी तरह जैसे कभी-कभी मटियाले मेघ सूर्य को छिपा लिया करते हैं, लेकिन सूर्य जो सत्य है, जल्द या देर में मेघों को छिन्न-भिन्न करके फिर अपना प्रखर प्रताप दिखाता है । क्षमा और प्रेम में कुछ ऐसी अजेय और दैवी शक्ति है, जिसके सामने उग्रता अपग हो जाती है । यों कहना चाहिए, कि जीवन का आधार ही सत्य है । हमारा कितना ही अग्र-पतन हो जाय, हम कितने ही जड़ वादी हो जायें, लेकिन आत्मा के अन्दर बैठे हुए सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते । सत्य को सामने देखकर हमारे अन्दर का सत्य जैसे प्रतिध्वनित हो उठता है, जैसे वह अपने किमी पुरानी परिचित मित्र को देखकर उसके गले लिपटने के लिए विकल हो जाता है । यही कारण है कि हम हिंसक नरपिशाचों को किसी सत्यवादी-महात्मा का संमर्ग होते ही सद्मार्ग पर आये देखते हैं । हमारा भी विश्वास है कि हम अपने को परिष्कृत करके ही अपने विरोधियों का दिल बदल सकते हैं । इसका कोई दूसरा सरल उपाय नहीं है ।

इसका नतीजा देर में निकलेगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन निकलेगा अवश्य। अपनी आत्म-शुद्धि अपना आत्म-संस्कार ही हमारा कल्याण कर सकता है। जो आतंकवाद से देश का उद्धार करने का स्वप्न देखते हैं, वे सत्य की अवहेलना करते हैं और अपने उद्देश्य से दिन-दिन दूर होते जाते हैं।

अगर हमें शासनाधिकारियों से इसलिए असन्तोष है, कि वे जन-हित की उपेक्षा करके अपने स्वार्थ की रक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है, कि हम अपने व्यवहार से, अपने त्यागमय जीवनादर्श से, यह सिद्ध कर दें, कि हम जन-सेवा के लिए उनसे ज्यादा उपयुक्त हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे व्यवहार तथा आचरण से यह भासित होता है, कि हम केवल अधिकार चाहते हैं, जनता को अपने स्वार्थ का केवल एक यन्त्र समझते हैं, तो अधिकारी भी आसानी से अपना अधिकार न छोड़ेंगे। हम किसी घनी से एक सद्कार्य के लिए चन्दा मागने जाते हैं। यदि उसे हमारी सेवा-तत्परता में विश्वास है, वह समझता है, कि हमारा इरादा नेक है, तो हमें चन्दा मिलने में ज्यादा कठिनाई न होगी, लेकिन यदि हम उसमें यह विश्वास न पैदा कर सकें, तो निश्चय है, कि हमें वहाँ से निराश लौटना पड़ेगा। यही साधारण नियम राजनैतिक विषयों में भी लागू है। यदि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें अपने ही आचरण से दूसरों पर अपनी छाप डालनी पड़ेगी। हमें अपने स्वार्थत्याग से दूसरों की स्वार्थपरता को लज्जित करना पड़ेगा। यह हमारा सिद्धांत है।

मगर सरकार ने उस कहानी को आपत्तिजनक समझा और हमसे जमानते माँगी। अभी “हंस” की जमानत से हाल ही में गला छूटा है। पाँच महीनों तक पत्र बन्द रहा था, इसलिए इतनी जल्दी दूसरी जमानत का हुक्म पाकर हम बहुत चुम्ब हुए और मन में ऐसा आया कि पत्र को बन्द करके शान्ति से बैठे, लेकिन इतना बड़ा कलक माथे पर लगाये शान्ति से बैठ रहना असाध्य था। हमने दूसरे दिन अधिकारियों से इस विषय में लिखा-पढ़ी की, मिले और अन्त में जमानत मसूख कराने में सफल हुए। हम अपने ज़िले के कलेक्टर श्री पन्नालाल जो आई० सी० एस० और गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी मि० बकफोर्ड के कृतज्ञ हैं, कि इन दोनों ही महानुभावों ने आशातीत उदारता और सहृदयता का परिचय दिया, जिससे आज हमको पाठकों की सेवा में हाज़िर होने का शुभ अवसर मिला।

लेकिन यहाँ इतना कह देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, कि ऐसे वातावरण में जब कि हर एक सम्पादक के सिर पर तलवार लटक रही हो, राष्ट्र का सच्चा राज-नैतिक विकास नहीं हो सकता। अधिकारियों के हाथ में इतना अस्त्रियार दे दिया गया है, कि कोई सम्पादक अफसरो की आलोचना करके सुख की नींद नहीं सो सकता। समाचार-पत्रों को राज-कर्मचारियों की आलोचना करने में कोई आनन्द नहीं आता। न यह सब उनके लिए निमोद की वस्तु है। राष्ट्र के वे भी उतने ही सच्चे हितचिन्तक हैं,

॥ “जागरण” से जमानत ॥

जितके अधिकारी वर्ग। वे जब सरकार की नीति या कार्यवाही पर टिप्पणियाँ करते हैं, तो उनका उद्देश्य जनता में असन्तोष फैलाना मात्र नहीं हो सकता। केवल यही चाहते हैं, कि किसी नीति पर जनता में जो भावनाएँ उत्पन्न हों, उसे प्रकट कर दें। वे जनता ही के नहीं, शासन के भी हितैषी हैं। एक ओर तो वे जनमत की वकालत करते हैं, दूसरी ओर जनता में उस नागरिकता का प्रचार करते हैं, जिसे वे राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक समझते हैं। उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। अगर वे निर्भीकता से जनमत को प्रकट नहीं करते, तो उनकी आवश्यकता ही जाती रहती है और जनता उन्हें सरकारी पिढू समझकर उनकी उपेक्षा करती है। यदि वे साफगोई से काम लेते हैं, तो सरकार के कोप भाजन बनते हैं, और यह अवस्था केवल इसलिए पैदा हो गयी है, कि शासकों और शासितों के स्वार्थ में संघर्ष है। समाचार पत्रों की हैसियत शासितों के वकील की है। उन्हें पग-पग पर कर्मचारियों की नीति की आलोचना करनी पड़ती है और अधिकारी अपनी आलोचना सुनना पसन्द नहीं करता। आज हर एक अखबार का जीवन अधिकारियों की मुट्ठी में है। वे जिस समय चाहे उसका निकलना बन्द कर सकते हैं। अपील और फरियाद के लिए जो सुविधाएँ दी गयी हैं, वह इन बेडियों को ज़रा भी ढीला नहीं करती। अब तक तो यह डारम था, कि कानूनी आर्डिनेन्सों का नियत समय के बाद अन्त हो जाता था, पर अब तो आर्डिनेन्सों के कानूनी रूप में आ जाने से उन्हें स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का एक प्रकार से अन्त कर दिया। समाज पर घोर से घोर अनाचार करनेवालों पर भी इतना कठोर नियन्त्रण नहीं रखा जाता, जितना सम्पादकों पर, मानो ये रीछ या मर्खने साड हैं, कि ज़रा भी छूटे और उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे। हमें भय है, कि इन प्रतिकूल दशाओं में समाचारपत्रों का बढ़ना और पनपना कठिन हो जायगा।

१२ दिसम्बर १९३२

खेद-प्रकाश

जागरण में 'उसका अन्त' नाम कहानी छापने के कारण यू० पी० गवर्नमेंट ने हमसे जो जमानत माँगी थी वह कृपाकर उसने मंजूख कर दी है। हम हाकिम जिला मि० पन्नालाल आई० सी० एस० और यू० पी० गवर्नमेंट को इस कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें खेद है कि कहानी का भाव समझने में हमसे भूल हुई। हम आतंकवाद के कभी समर्थक नहीं रहे और हमारा सिद्धांत है कि आतंकवाद से देश की बहुत बड़ी हानि हो रही है। हम गवर्नमेंट को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ न

प्रकाशित करेगे जिसका आतंकवाद से सम्बन्ध हो, क्योंकि अहिंसा में 'हमारा' पूर्ण विश्वास है ।

२६ दिसम्बर १९३२

“जागरण” का दाम पाँच पैसे

‘जागरण’ को निकलते छ महीने हो गये । हमने हिन्दी में कोई अच्छा साहित्यिक साप्ताहिक-पत्र न देख कर ही इसका प्रकाशन स्वीकार किया था और हमें यह देखकर हर्ष होता है कि हिन्दी पाठको ने हमारे साथ सहयोग किया । आज ‘जागरण’ उसका प्रेमपात्र बना हुआ है, लेकिन इसके प्रकाशन में हम अब तक दो हजार का नुकसान उठा चुके हैं । हमने बराबर बीम-पच्चीस पृष्ठ ठोस पठन-सामग्री दी है, जो इस दाम में या इससे अधिक में बिकने वाला कोई पत्र नहीं दे सकता । पृष्ठ सख्या तो उनकी बत्तीस तक होगी, या इससे भी अधिक, किन्तु उसमें पन्द्रह पृष्ठ से कम विज्ञापन के न होंगे । इतना पढ़ने का मसाला केवल ‘जागरण’ में होता है । अगर हम लखपती होते, तो समझते, चलो जहाँ सैर-सपाटे में हज़ारों खर्च हो जाते हैं, वहाँ इस शौक में भी सौ दो सौ का नुकसान सही । लेकिन चिड़िये की जान तो लडको के खेलवाड भर ही की होती है । हम समझते हैं कि इतना बल खाने के बाद हमने इतना अधिकार प्राप्त कर लिया है कि पाठको से कुछ सहायता माँग सकें । और वह सहायता केवल इतनी ही है कि जागरण के लिए आप चार पैसे की जगह पाँच पैसे खर्च करें । अगर जागरण से आपको प्रेम है, तो आप एक पैसे की परवाह न करेंगे । और अगर प्रेम नहीं है तो आप सेत में भी न पूछेंगे । एक पैसा दाम बढ़ा देने से पूरा नुकसान तो पूरा नहीं पड सकता, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जायगी । फिर यह बात भी अच्छी नहीं लगती कि वार्षिक ग्राहकों को तो जागरण साढे तीन रुपये में मिले और फुटकर खरीदारों को तीन रुपये में । बहुत से पाठक समझते हैं कि जागरण चार पैसे में मिल जाता है, तो साल भर के लिए ग्राहक कौन बने । क्यों आठ आना पैसे का घाटा उठावें । जागरण को चार पैसे में देना स्थायी ग्राहकों के साथ अन्याय है । जो सज्जन पाँच पैसे देना पसन्द न करें उनके लिए दूसरा रास्ता साफ है । साढे तीन रुपये भेजकर साल भर के लिए ग्राहक बन जाँय, या हमें बी० पी० भेजने का आदेश लिख भेजे । हमें विश्वास है कि पाठक-वृन्द साहित्य प्रेम के नाते सप्ताह में एक पैसा अधिक खर्च करने में कंजूसी न करेंगे । हम अपना समय देते हैं, अच्छी से अच्छी सामग्री जुटाने के लिए पत्र व्यवहार करते हैं, क्या इसके साथ ही पाठक यह भी चाहते हैं कि हम सौ दो सौ महीने का तावान भी देते जाँय ! अगर हममें इतनी भुगत होती, तो हम वह भी कर दिखाते, लेकिन हम इतने सामर्थ्यवान नहीं

है। मगर यह न समझिये कि हम एक पैसा आपसे लेकर अपनी जेब में रख लेंगे। हमने 'जागरण' में दो एक फोटो और एक कार्टून भी देने का प्रबन्ध किया है, उसका मुख पृष्ठ भी मोटे कागज पर छपेगा और इस तरह आपका एक पैसा हमारी जेब में न जाकर किसी रूप में आपके पास पहुँच जायगा।

१० अप्रैल १९३३

‘जागरण’ का पहला वर्ष

इस संख्या से 'जागरण' का दूसरा वर्ष आरम्भ होता है। भारत में आधे नव-शिशु पहले वर्ष में ही जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। वह खटके का साल निकल गया और आज उसकी पहली वर्षगाँठ पर हम अपने कृपालु साहित्यिक मित्रों, सहृदय पाठकों और उत्साही एजेंटों को बधाई देते हैं। हम तो निमित्तमात्र हैं। मित्रों ने जिस उदारता से हमारी सहायता की है, उसके लिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। देश की जैसी दीन आर्थिक दशा है और हिन्दी समाचार पत्रों के प्रति शिथिल समाज में जो उदासीनता है, उसको देखते हुए यह साल इतना बुरा नहीं रहा। इन बारह महीनों में हमें जो कुछ जागरण भेट करने पड़े, उसका खेद नहीं है। रुपये का इससे बढ़कर हम और क्या सदुपयोग कर सकते थे। अगर धन का अभाव न होता, तो 'जागरण' इस शान से निकलता कि हिन्दी सप्ताह को उस पर गर्व होता, लेकिन हम अपनी सोमाओं के अन्दर रह कर जो कुछ कर सकते थे वह किया और करते रहेंगे, व्यापारिक दृष्टि से यह उद्योग सफल हो या न हो। हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि जागरण को हमने व्यापारिक लाभ के लिए नहीं निकाला था। उसका मुख्य उद्देश्य सद्बिचारों का अन्वेषण है। हाँ, यह हम जरूर चाहते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाय, क्योंकि उसी दशा में उसका जीवन निरापद रह सकता है। अगर हमारे पाठक समझते हो कि 'जागरण' राष्ट्र और साहित्य की कुछ सेवा कर रहा है तो उनका कर्तव्य है कि उसकी उपयोगिता का क्षेत्र बढ़ावे और 'जागरण' की बिरादरी को प्रसारित करें। इस तरह की बातें सम्पादक लोग किया ही करते हैं, पाठक परवा नहीं करते। इसलिए अपना दुखड़ा न रोना ही अच्छा है। हम इस अमर सिद्धान्त पर भरोसा कर लेना ही उचित समझते हैं कि जो चीज अच्छी होती है, उसे ग्राहकों की कमी नहीं रहती। अगर किसी चीज के ग्राहक नहीं हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसकी संसार को जरूरत नहीं। पाठक अपना कर्तव्य करे या न करे, हम तो अपना हक अदा किये ही जायेंगे। अगले अंक से हमने एक उच्च कौटि का उपन्यास धारावाहिक रूप से देने का निश्चय किया है। हम यह प्रयत्न भी कर रहे हैं कि विदेशी पत्रों से उपयोगी, ज्ञान-

वर्द्धक अनुवाद इससे अधिक दे सके और कार्टून तथा चित्रों को बढ़ाने का उद्योग भी किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि प्रेमी पाठक हमें अपने सद्परामर्श देते रहेंगे, जिससे हम पत्र को अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सकें।

१३ अगस्त १९३३

जागरण की समाधि

लगभग पौने दो साल तक देश की भली-बुरी सेवा करने के बाद 'जागरण' अब उतने दिनों के लिए समाधि ले रहा है, जब तक वह इस योग्य न हो जाय कि इससे अच्छे रूप में, पाठकों की सेवा कर सके। हमने जिस वक्त इसे हाथ में लिया था, आशा थी कि हम इसे हिन्दी का आदर्श साप्ताहिक-पत्र बना सकेंगे। अन्य कितनी ही मानवी आशाओं की भाँति हमारी वह आशा पूरी न हुई और इस रूप में इसे चलाते रहना हमें रुचिकर न हुआ। हमें यह तो पहले भी मालूम था कि पत्र-संचालन भी व्यवसाय है और अन्य व्यवसायों की भाँति आजकल इसे भी बड़ी पूँजी की जरूरत है। पर हमने सोलह आने व्यवसाय-बुद्धि से इसका भार न लिगा था, अपनी शक्ति और समय के सदुपयोग का भाव ही प्रधान था। हम प्रसन्न हैं, कि उदार साहित्यिक मित्रों और कृपालु पाठकों ने हमें इतने दिनों सेवा करने का अवसर दिया। हम उनका एहसान कभी न भूलेंगे। जीवन नये-नये अनुभवों का नाम है। और हमें जागरण के संचालन द्वारा जो अनुभव हुए, वह दूसरों से सुन-सुनाकर कभी न होते। हमने अपनी परिमित सीमा के अन्दर वही लिखा, जो हमारी आत्मा ने कहा और उन्हीं बातों का समर्थन किया, जिसे हमने अपनी बुद्धि के अनुसार देश के लिए हितकर समझा। हमने कभी किसी का दिल दुखाने की या सस्ती शोहरत हासिल करने की चेष्टा नहीं की। फिर भी यदि हमने अनजान में किसी का दिल दुखाया हो, तो हम सच्चे दिल से उसके लिए क्षमा माँगते हैं।

जिन ग्राहकों के पैसे हमारे ऊपर आते हैं, उनसे हमारी विनती है कि वे हमें 'हंस' की प्रतिर्या भेजकर उस ऋण को चुकाने की अनुमति दें। जिन सज्जनों के पास 'हंस' जाता हो, वे उस मूल्य की पुस्तकें हमसे ले सकते हैं। हमें आशा है कि पाठक हमें क्षमा करेंगे। अन्त में हम कवि मीर के शब्दों में पाठकों से विदा माँगते हैं—

अब तो जाते हैं मैकदे से मीर ।
फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया ।

२१ मई १९३४